...the name you can BANK upon!

Azadi Ka Amrit Mahotsav

pnb one #JustOneApp

**Share Department, Board & Coordination Division, HO Plot No.4 Sector 10, Dwarka, New Delhi-110075 Tel No. : 011-28044857, E-mail: hosd@pnb.co.in**

| **Scrip Code : PNB** | **Scrip Code : 532461** |
|---|---|
| National Stock Exchange of India Limited<br>"Exchange Plaza"<br>Bandra – Kurla Complex, Bandra (E)<br>Mumbai – 400 051 | BSE Limited<br>Phiroze Jeejeebhoy Towers,<br>Dalal Street,<br>Mumbai – 400 001 |

Date: 04.06.2025

Dear Sir(s),

**Reg.: Annual Report of the Bank for the year 2024-25**

Pursuant to Regulation 34 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed the Annual Report of the Bank for the year 2024-25.

The copy of Annual Report is also available on Bank's website at https://www.pnbindia.in/annual-reports.html

You are requested to take the above on record please.

Thanking you
Yours faithfully,

Bikramjit Shom

Digitally signed by Bikramjit Shom
DN: cn=Bikramjit Shom, c=IN, st=DELHI, o=Punjab National Bank, ou=HO Board, serialNumber=6f2651546fb6d9dcaa692694280f1d0198f3f1283652a85f10889a45fae593e8
Date: 2025.06.04 20:38:03 +05'30'

पंजाब नैशनल बैंक P.N.B. शेयर विभाग बोर्ड व समन्वय प्रभाग Board & Coord. Division Share Department H.O., New Delhi-110075 प्र.का., नई दिल्ली-110075

**(Bikramjit Shom)**
**Company Secretary**

Enclosed: As above

# वार्षिक रिपोर्ट
# ANNUAL REPORT

## 2024-25

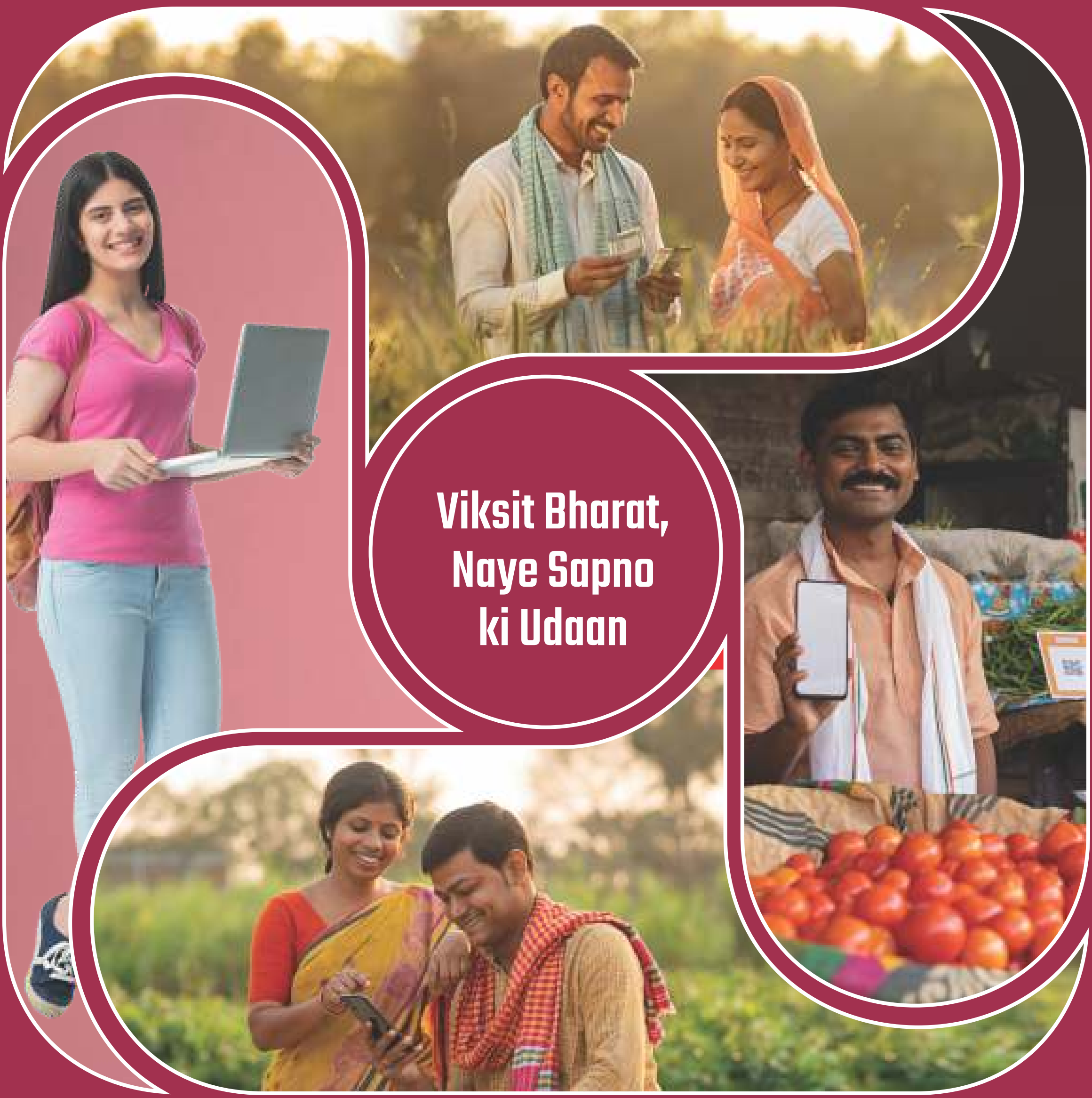


पंजाब नैशनल बैंक
...भरोसे का प्रतीक !

punjab national bank
...the name you can BANK upon !

पीएनबी हॉफ मैराथन दिल्ली 2025 के दौरान श्री एम. नागराजू, आईएएस, सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग (भारत सरकार), श्री अशोक चंद्र, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, श्री कल्याण कुमार, कार्यपालक निदेशक, श्री एम. परमशिवम, कार्यपालक निदेशक, श्री बिभु प्रसाद महापात्र, कार्यपालक निदेशक, श्री डी. सुरेंद्रन, कार्यपालक निदेशक और श्री राघवेंद्र कुमार, मुख्य सतर्कता अधिकारी।

**Shri M. Nagaraju, IAS, Secretary, Department of Financial Services(GOI),Shri Ashok Chandra, MD & CEO, Shri Kalyan Kumar, ED, Shri M. Paramasivam,ED, Shri Bibhu Prasad Mahapatra, ED, Shri D. Surendran, ED and Shri Raghvendra Kumar, CVO during PNB Half Marathon Delhi 2025.**

बैंक के 131वें स्थापना दिवस के अवसर पर 34 नवीन उत्पादों को लॉन्च करते हुए श्री एम. नागराजू, आईएएस सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग (भारत सरकार), श्री अशोक चंद्र, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, श्री कल्याण कुमार, कार्यपालक निदेशक, श्री एम. परमशिवम, कार्यपालक निदेशक और श्री डी. सुरेंद्रन, कार्यपालक निदेशक।

**Shri M. Nagaraju, IAS Secretary, Department of Financial Services(GOI), Shri Ashok Chandra, MD & CEO, Shri Kalyan Kumar, ED, Shri M. Paramasivam, ED and Shri D. Surendran, ED launching 34 innovative products on the occasion of Bank's $131^{st}$ Foundation Day.**

# अध्यक्ष का संदेश
# Chairman's Message

वित्तीय वर्ष 2024–25 में पंजाब नैशनल बैंक ने शानदार प्रदर्शन किया है, जिसमें उल्लेखनीय कारोबार का विस्तार और बेहतर वित्तीय स्थिति शामिल है। बैंक के कारोबार में वार्षिक आधार पर 14 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वित्तीय वर्ष 2024–25 के निवल लाभ में 102 प्रतिशत की वृद्धि के साथ बैंक की लाभप्रदता उत्साहवर्धक रही है। बैंक ने अपनी आस्ति गुणवत्ता में भी सुधार किया तथा इसकी कुल अनर्जक आस्तियां (जीएनपीए) 3.95 प्रतिशत और निवल अनर्जक आस्तियां 0.40 प्रतिशत रही।

पिछले 130 वर्षों में, पंजाब नैशनल बैंक ने अर्थव्यवस्था के सभी खंडों और क्षेत्रों को ऋण प्रदान कर राष्ट्र निर्माण में एक अपरिहार्य भूमिका निभाई है। बैंक ने अपने विभिन्न नवीन उत्पादों और सेवाओं के माध्यम से वित्तीय समावेशन, नागरिकों को सशक्त बनाने, युवाओं की शिक्षा में सहायता करने, किसानों की आय में वृद्धि और उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करने के माध्यम से कारोबार संवृद्धि को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा है। पंजाब नैशनल बैंक (पीएनबी) ने वित्तीय समावेशन और उचित विकास की अपनी प्रतिबद्धता पर कायम रहते हुए, बैंक रहित क्षेत्रों में तेजी से विस्तार किया है तथा आवश्यक ऋण प्रदान करने में एक प्रमुख सुविधाकर्ता की भूमिका निभाई है।

### समष्टि–आर्थिक परिदृश्य

विगत वित्तीय वर्ष 2024–25 पर विचार करते समय हम एक गतिशील और उभरते वैश्विक परिदृश्य की पृष्ठभूमि दृष्टिगत करते हैं। वैश्विक अर्थव्यवस्था को दो वर्तमान युद्धों से चुनौती मिली है, अनेक टैरिफ प्रतिबंधों और अत्यधिक अप्रत्याशित वातावरण के कारण व्यापार तनाव में वृद्धि हो रही है। वैश्विक आर्थिक गतिविधि 2024 में 3.3 प्रतिशत वास्तविक जीडीपी के विकास दर के साथ लचीली बनी हुई है, लेकिन 2025[1] में 2.8 प्रतिशत तक धीमी होने की संभावना है। भू–राजनीतिक बदलाव, प्रौद्योगिकी की उन्नति और दुनिया भर में आर्थिक नीतियों में हो रहा पुनर्मूल्यांकन हमारे समक्ष नवीन अवसरों तथा चुनौतियों को प्रस्तुत कर रहा है।

हालांकि, भारतीय अर्थव्यवस्था सुदृढ़ विकास और आघात–सहनीयता के साथ अन्य वृहद अर्थव्यवस्थाओं से बेहतर प्रदर्शन कर रही है। भारत सुदृढ़ घरेलू मांग, रणनीतिक सरकारी पहलों और जीवंत उद्यमशीलता की भावना से प्रेरित होकर स्थिरता का प्रतीक बन गया है।

वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए एनएसओ के दूसरे अग्रिम अनुमानों के अनुसार अर्थव्यवस्था में लगभग 6.5 प्रतिशत की वृद्धि होने की संभावना

1. आईएमएफ विश्व आर्थिक परिदृश्य, अप्रैल 2025 के अनुसार

Punjab National Bank has showcased robust performance in FY'2024-25, marked by significant business expansion and enhanced financial health. The Bank's Business grew by 14 per cent on yearly basis. The profitability of the Bank remained upbeat with Net Profit of FY'2024-25 grew by 102 per cent. The Bank also improved its asset quality with Gross Non Performing Asset (GNPA) at 3.95 per cent and Net Non-Performing Asset at 0.40 per cent.

Over the past 130 years, Punjab National Bank has played an indispensable role in nation building by providing credit to all the segments and sectors of the economy. Bank through its various innovative products and services has aimed to drive business growth through financial inclusion, empowering the citizens, supported education of youth, enhanced farmer's income and promoted entrepreneurship. Staying true to its commitment of financial inclusion and equitable development, Punjab National Bank (PNB) has expanded rapidly into previously unbanked regions and acted as a key facilitator in providing essential credit.

### Macro-Economic Scenario

As we reflect upon the past FY'2024-25, we do so against a backdrop of a dynamic and evolving global landscape. The global economy has been challenged by two ongoing wars, escalating trade tensions led by a slew of tariff impositions and a highly unpredictable environment. Global economic activity has remained resilient in 2024 with 3.3 per cent real GDP growth rate, but is expected to slow down to 2.8 per cent in 2025[1]. Geopolitical shifts, technological advancements, and the ongoing recalibration of economic policies worldwide continue to shape the opportunities and challenges before us.

The Indian Economy, however, has been, outperforming other large economies with a narrative of robust growth and increasing resilience. India stands as a beacon of stability, driven by strong domestic demand, strategic government initiatives, and a vibrant entrepreneurial spirit.

The economy is expected to grow at around 6.5 per cent as per the NSO Second advance estimates for FY'2024-25. The growth

1 As per IMF World Economic Outlook, April 2025

है। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमान के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025–26 में भी भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास गति स्वस्थ रहने का अनुमान है तथा जीडीपी वृद्धि दर 6.5 प्रतिशत रहने का अनुमान है। यद्यपि शुल्क (tariffs) लगाए जाने के कारण व्यापार अनिश्चितताओं जैसे वैश्विक कारकों से संभावित प्रतिकूल परिस्थितियां इस गति को थोड़ा धीमा कर सकती हैं, लेकिन आधारभूत गति मजबूत बनी हुई है।

रबी की अच्छी फसल की संभावनाओं और इस वर्ष सामान्य से बेहतर मानसून[2] के अनुमान के कारण कृषि क्षेत्र में सुधार से विकास को बल मिलेगा। भारत में औद्योगिक गतिविधि में भी सुधार की संभावनाएं है। सेवा क्षेत्र आर्थिक विकास का महत्वपूर्ण घटक बना रहेगा। मांग पक्ष के प्रमुख कारणों में, केंद्रीय बजट 2025–26 में घोषित कर राहत उपायों, मुद्रास्फीति में कमी और आरबीआई द्वारा अपेक्षित दरों में कटौती से घरेलू खपत में तेजी रहने की संभावना है। खपत में तेजी, उच्च क्षमता उपयोग स्तर, कम ब्याज दरों और बैंकों और कंपनियों के सुदृढ़ तुलन पत्र की सहायता से कंपनियों के फिक्स्ड कैपिटल निवेश में भी सुधार की संभावना है। पूंजीगत व्यय और लचीली सेवाओं के निर्यात पर सरकार द्वारा निरंतर जोर दिए जाने से भारत की आर्थिक गति में और तेजी आएगी।

भारत में बैंकिंग क्षेत्र इस प्रगति का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है, जो वित्तीय समावेशन, प्रदान करके आर्थिक गतिविधियों में सहायता देकर, राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों की दिशा में संसाधनों को निर्देशित करता है। इस आशाजनक लेकिन प्रतिस्पर्धी माहौल में आपके बैंक ने प्रगति और मूल्य सृजन की अपनी यात्रा जारी रखी है।

### बैंकिंग परिदृश्य

भारत की मजबूत घरेलू मांग और सकारात्मक विकास दर बैंकिंग क्षेत्र के लिए ऋण विस्तार और विकास में महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करती है। हालांकि, पिछले वित्त वर्ष 2024–25 में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की ऋण वृद्धि पिछले वर्षों[3] की तुलना में धीमी रही, लेकिन फिर भी दोहरे अंकों (double digit) में मजबूत बनी रही।

वित्त वर्ष 2025–26 में आरबीआई द्वारा ब्याज दरों में कटौती के चक्र की शुरुआत से ऋण वृद्धि को बढ़ावा मिलने की संभावना है। बढ़ते सरकारी और निजी पूंजीगत व्यय में वृद्धि से कॉरपोरेट ऋण की मांग में भी वृद्धि हो सकती है। सख्त नियमों के कारण गैर–जमानती ऋण में कटौती होने की उम्मीद है।

बैंकों में जमा संग्रहण के लिए प्रतिस्पर्धा जारी रहेगी, विशेष रूप से कम लागत वाली चालू खाता बचत खातों (CASA) के जमा हेतु।

अग्रतर, बैंकों को अपने निवल ब्याज मार्जिन (NIM) पर दबाव देखने को मिल सकता है क्योंकि आरबीआई अपनी दरों में ढील देने की प्रक्रिया जारी रखेगा। बाहरी बेंचमार्क से जुड़े बैंकों के अग्रिमों को तुरंत कम दर पर पुनर्मूल्यांकित किया जाएगा, जबकि जमाराशियों को कुछ समय बाद कम दर पर पुनर्मूल्यांकित किया जाएगा क्योंकि अधिकांश जमाराशियां सावधि जमाराशियां हैं और परिपक्व होने पर ही उनका पुनर्मूल्यांकन किया जाएगा।

बैंकिंग क्षेत्र के लिए आस्ति गुणवत्ता आशाजनक बनी हुई है, जिसमें सकल अनर्जक आस्तियां (GNPA) 12 साल के निचले स्तर पर 2.51 प्रतिशत

2. भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा दिनांक 15.04.2025 को जारी पूर्वानुमान के अनुसार
3. दिनांक 21.03.25 तक एससीबी ऋण वृद्धि दर – 11.0% जबकि वित्त वर्ष 23 में यह 16.1% और वित्त वर्ष 24 में 14.1% थी, जैसा कि आरबीआई के आंकड़ों में बताया गया है।

momentum of Indian economy is anticipated to remain healthy in FY'2025-26 as well with a projected GDP growth of 6.5 per cent as per RBI estimates. While potential headwinds from global factors, such as trade uncertainties due to imposition of tariffs may moderate this pace slightly, the underlying momentum remains strong.

The growth will be supported by improvement in agriculture sector due to healthy rabi crop prospects and projected above normal monsoon[2] this year. Industrial activity in India is also expected to recover. The service sector will continue to be vital component of economic growth. Among the key drivers on demand side, household consumption is expected to remain upbeat aided by the tax relief measures announced in the Union Budget 2025-26, cooling inflation and anticipated rate cuts by RBI. Fixed Capital Investment by corporates is also expected to recover supported by surge in consumption, higher capacity utilization levels, lower interest rates and healthy balance sheets of banks and corporates. Government's continued emphasis on capital expenditure and resilient services exports will further aid India's economic momentum.

The banking sector in India is a critical pillar of this progress, facilitating financial inclusion, supporting economic activity, and channelling resources towards national development goals. It is within this promising yet competitive environment that Your Bank has continued its journey of progress and value creation.

### Banking Scenario

India's strong domestic demand and positive growth trajectory present significant opportunities for credit expansion and growth for the banking sector. However, credit growth of SCBs' in the past FY'2024-25 moderated compared to the previous years[3] but still remained robust in double digits.

The commencement of a rate-cut cycle by RBI is expected to drive credit growth in FY'2025-26. Rising government and private capex may also lead to increased demand for corporate credit. Unsecured lending is expected to be curtailed due to tighter regulations.

Banks will continue to face competition for deposit accretion, especially for low-cost current account savings account (CASA) deposits.

Going forward, Banks are likely to witness pressure on their Net Interest Margins (NIM) as RBI continues with its rate easing cycle. The advances of the Banks linked to External Benchmark will be immediately repriced at lower rate while the Deposits will be repriced at lower rate with a lag as most of the Deposits are Term Deposits and will be repriced only when it will mature.

Asset quality remains a bright spot for the banking sector, with gross non-performing assets (GNPA) at a 12-year low of 2.51 per

2 As per India Meteorological Department forecast released on 15.04.2025
3 SCBs Credit growth rate as on 21.03.25 – 11.0% as compared to 16.1% in FY'23 and 14.1% in FY'24 as per RBI's data.

और निवल अनर्जक आस्तियां (NNPA) 31 दिसंबर 2024[4] में 0.57 प्रतिशत पर हैं। हालाँकि, वैयक्तिक ऋण, क्रेडिट कार्ड और माइक्रोफाइनेंस सहित गैर–जमानती खुदरा ऋणों में दबाव उभर रहा है। इसके विपरीत, प्रतिभूत ऋण, जैसे कि मार्टगेज और वाहन वित्त, अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, जो बैंकिंग प्रणाली पर ऋण चूक के समग्र प्रभाव को सीमित करने में सहायता करता है।

बैंकिंग क्षेत्र में तीव्र डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एक लक्षित प्रवृत्ति है। बैंक कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), मशीन लर्निंग (एमएल), यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) और परिष्कृत डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसी तकनीकों का परिचालन दक्षता बढ़ाने, जोखिम प्रबंधन में सुधार करने और बेहतर ग्राहक अनुभव प्रदान करने के लिए तेजी से लाभ उठा रहे हैं। यद्यपि, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन से कार्यकुशलता और ग्राहक सुविधा बढ़ती है, लेकिन इससे जोखिम, विशेषकर साइबर सुरक्षा संबंधी संकट भी पैदा होते हैं। यह डिजिटल चैनलों की परिष्कृत निगरानी और उभरते दबाव बिंदुओं के लिए प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों को शामिल करने के लिए उन्नत, दूरदर्शी जोखिम प्रबंधन ढांचे की आवश्यकता को रेखांकित करता है।

वर्ष 2025 में भारतीय बैंकिंग क्षेत्र की आघात सहन करने की क्षमता आर्थिक चुनौतियों से निपटने तथा तकनीकी नवाचारों को अपनाने की इसकी क्षमता पर निर्भर करेगा।

## आपके बैंक में विकास

### ग्राहक केन्द्रितता

हमारी रणनीति के केंद्र में ग्राहक केंद्रितता के प्रति अटूट प्रतिबद्धता निहित है। हमारा दृढ़ विश्वास है कि हमारी सफलता आंतरिक रूप से ग्राहकों की संतुष्टि और समृद्धि से जुड़ी हुई है। वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान, जमाराशियों का संग्रहण एक विशेष चुनौती थी जिसका सामना पूरे बैंकिंग उद्योग ने किया। इस चुनौती से पार पाने के लिए, आपके बैंक ने विभिन्न पहलें की और नए उत्पादों और कार्यों को प्रारंभ किया।

आपके बैंक ने ऋण उत्पादों के नए वेरिएंट को पुनः डिजाइन और लॉन्च किया है और ग्राहकों को अधिकाधिक लाभ के साथ ऋण तक सुगम एवं त्वरित एक्सेस प्रदान करने हेतु ऋण देने की प्रक्रिया को भी डिजिटल किया है। हमारी अर्थव्यवस्था के विकास के इंजन माने जाने वाले कृषि और एमएसएमई क्षेत्र ऋण वितरण के लिए बैंक ने पहले से मौजूद शाखाओं को 1,000 समर्पित कृषि गहन शाखाओं और 1,000 एमएसएमई गहन शाखाओं सहित ग्राहक अधिग्रहण केंद्रों के रूप में नामित किया है।

### डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन

सभी चैनलों पर निर्बाध, सुरक्षित और सुविधाजनक बैंकिंग अनुभव प्रदान करने के लिए अत्याधुनिक तकनीक में निवेश करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। बैंक एक व्यापक और एकीकृत डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए प्रतिबद्ध है जो हमारे ग्राहकों तथा कर्मचारियों दोनों को सशक्त बनाता है।

गत वर्षों में, बैंक ने पंजाब नैशनल बैंक को डिजिटल फर्स्ट बैंक बनाने के लिए कई डिजिटल उत्पाद और प्रक्रियाओं का प्रारंभ किया है। पिछले वित्तीय वर्ष 2024–25 में, बैंक ने परिचालन दक्षता में सुधार और ग्राहक अनुभव में सुधार हेतु अपनी जनरेटिव AI पहलों में पर्याप्त प्रगति की है।

[4] आरबीआई पीयर समूह की रिपोर्ट के अनुसार – 31 दिसंबर 2024

cent and net non-performing assets (NNPA) at 0.57 per cent as on 31st December 2024[4]. However, stress is emerging in unsecured retail loans, including personal loans, credit cards, and microfinance. Conversely, secured loans, such as mortgages and vehicle finance, continue to perform well, that helps limit the overall impact of delinquencies on the banking system.

Rapid Digital Transformation is a defining trend throughout the Banking sector. Banks are increasingly leveraging technologies like Artificial Intelligence (AI), Machine Learning (ML), the Unified Payments Interface (UPI), and sophisticated digital platforms to enhance operational efficiency, improve risk management, and deliver superior customer experiences. Though, digital transformation drives efficiency and customer convenience, it also creates avenues for risk, particularly cybersecurity threats. This underscores the need for enhanced, forward-looking risk management frameworks to encompass sophisticated monitoring of digital channels and early warning systems for emerging stress points.

The Indian banking sector's resilience in 2025 will depend on its ability to navigate economic challenges and embrace technological innovations.

## Developments at your Bank

### Customer Centricity

At the heart of our strategy lies an unwavering commitment to customer centricity. We firmly believe that our success is intrinsically linked to the satisfaction and prosperity of customers. During the FY'2024-25, deposit mobilization was a particular challenge that entire banking industry faced. To overcome this challenge, your Bank undertook various initiatives and introduction of new products and functionalities.

Your Bank has redesigned and launched new variants of loan products and has also digitized the process of loaning to provide easy and quick access to credit with maximum benefits to customers. The Bank has designated already existing branches as 1,000 dedicated Agriculture Intensive Branches and 1,000 MSME Intensive Branches along with Customer Acquisition Centers to deliver credit to these sectors that are considered engines of development of our economy.

### Digital Transformation

Investing in cutting-edge technology to offer seamless, secure, and convenient banking experiences across all channels is our top most priority. Bank remains committed in creating a comprehensive and integrated digital ecosystem that empowers both our customers & employees.

In the past years, bank has launched numerous digital products and process to make Punjab National Bank Digital First Bank. Over the last FY'2024-25, the bank has made substantial progress in its generative AI initiatives to improve operational efficiency and enhance customer experience.

[4] As per RBI's Peer Group Report – 31 December 2024

## मानव संसाधन रूपांतरण

पंजाब नैशनल बैंक में, हम अपने कर्मचारियों के कल्याण को बढ़ावा देने हेतु निरंतर प्रयास करते हैं तथा उनके सतत ज्ञानार्जन तथा निपुण बनाने हेतु निवेश करते हैं।

बैंक ने प्रोजेक्ट उड़ान के अंतर्गत एचआर रूपांतरण गतिविधियों के दो साल सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिए हैं। वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान, प्रोजेक्ट उड़ान के अंतर्गत, बैंक ने एचआर पारिस्थितिकी को बदलने में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया है, जिससे कार्मिकों को भविष्य के लिए तैयार किया गया है जो सक्रिय, कुशल और बैंक के रणनीतिक लक्ष्यों के अनुरूप है। हमने प्रत्येक जॉब फैमिली के लिए बेसिक से लेकर एडवांस लेवल ग्रूमिंग प्लान, कौशल मूल्यांकन, मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन, लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, 360 डिग्री फीडबैक, सक्सेशन प्लानिंग और एडवांस लर्निंग इंस्टीट्यूट्स में अपग्रेडेड इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी पहलों के माध्यम से क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया है, जिसने हमारे कार्मिकों को आधारकुशल बनाने और सही प्रतिभाओं को सही भूमिकाओं में स्थापित करने में आश्चर्यजनक प्रभाव दिखाया है। आगे बढ़ते हुए, हमारा ध्यान इन रूपांतरणकारी बदलावों को और अधिक सुदृढ़ करने पर होगा, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि हम बैंक के लिए विश्व स्तरीय प्रतिभा पूल का निर्माण जारी रखें।

## जोखिम प्रबंधन पहलें

तेजी से विकसित हो रहे वर्तमान वित्तीय परिदृश्य में, प्रभावी जोखिम प्रबंधन केवल एक सुरक्षा उपाय ही नहीं, अतः एक प्रतिस्पर्धी बढ़त बन गया है। बैंकों को जटिल नए नियमों से लेकर बढ़ते साइबर संकटों तक, अप्रत्याशित चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इस उथल–पुथल के मध्य, सुदृढ़ जोखिम प्रबंधन न केवल वित्तीय स्थिरता की सुरक्षा हेतु किंतु विकास के अवसरों का लाभ उठाने के लिए भी महत्वपूर्ण है। आपका बैंक सदैव ही उद्योग में सर्वोत्तम जोखिम प्रबंधन प्रथाओं को तेजी से अपनाने वाला रहा है।

बैंक परिचालन जोखिम और जोखिम संस्कृति पर जागरूकता बढ़ाने हेतु अनिवार्य प्रशिक्षण सत्र और ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी प्रदान करता है। बैंक एक मजबूत साइबर सुरक्षा ढांचे को प्राथमिकता देता है और अपने साइबर सुरक्षा घटकों को अपग्रेड करता रहता है। जलवायु जोखिम को कम करने के लिए, बैंक ने जलवायु संबंधी वित्तीय प्रकटीकरण पर टास्क फोर्स और एक समर्पित धारणीयता कक्ष को सम्मिलित करते हुए एक विशिष्ट जलवायु जोखिम प्रबंधन नीति स्थापित की है। आपके बैंक ने PCAF (कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल्स के लिए साझेदारी) हस्ताक्षरकर्ता बनकर तथा वित्तपोषित उत्सर्जन के प्रकटीकरण से संबंधित अपनी प्रतिबद्धताओं को साकार किया है।

## वित्तीय समावेशन और विकास

भारत में सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में से एक होने के नाते, आपका बैंक वित्तीय समावेशन को बढ़ाने में अपनी अपरिहार्य भूमिका को स्वीकारता है। बैंक पूरे भारत में अपनी उपस्थिति का विस्तार करने हेतु निरंतर प्रयासरत है, विशेषतः दूरदराज के इलाकों और बैंक–रहित क्षेत्रों में।

आपका बैंक अपनी शाखाओं और कारोबार प्रतिनिधियों के सशक्त नेटवर्क का लाभ उठाकर वित्तीय समावेशन के लिए सरकारी पहलों तथा योजनाओं का समर्थन कर रहा है। बैंक किसानों, महिलाओं, ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार उद्यम और जॉब शुरू करने हेतु कौशल उन्नयन के लिए निःशुल्क आवासीय प्रशिक्षण भी प्रदान करता है। यह वित्तीय शिक्षा और ग्राहक अधिकारों पर विभिन्न सेमिनार/कार्यक्रम/शिविर भी आयोजित करता है।

## HR Transformation

At Punjab National Bank, we continuously strive to enhance the welfare of our employees and invest in their constant learning and grooming.

Bank has successfully completed two years of HR Transformation activities under Project UDAAN. During FY'2024-25, under Project UDAAN, the bank has achieved significant position in transforming HR ecosystem, ensuring a future-ready workforce that is agile, skilled, and aligned with the bank's strategic goals. We focused on Capability Building through initiatives like basic to Advance level Grooming plan for each job family, Skill Assessment, Psychometric Assessment, Leadership Development Program, 360 Degree Feedback, Succession Planning and upgraded infrastructure in Advanced Learning Institutes that have shown tremendous impact in upskilling our workforce and placing the right talent in the right roles. Going ahead, our focus will be on further embedding these transformational changes, ensuring that we continue to build a world-class talent pool for the Bank.

## Risk Management Initiatives

In today's fast-evolving financial landscape, effective risk management has become more than just a safeguard, it's a competitive advantage. Banks face unprecedented challenges, from complex new regulations to rising cyber threats. Amid this turmoil, robust risk management is crucial not only for safeguarding financial stability but also for capitalising on growth opportunities. Your Bank has always remained a quick adopter of best risk management practices in the industry.

Bank provides mandatory training sessions and online questionnaire for increasing awareness on operational risk and risk culture. The Bank prioritizes a strong cybersecurity framework and keeps upgrading its cybersecurity components. For mitigating Climate risk, Bank has established a dedicated Climate Risk Management Policy incorporating Task force on Climate related Financial Disclosures and a dedicated Sustainability Cell. Your Bank has also become PCAF (Partnership for Carbon Accounting Financials) signatory and honoured its commitments related to disclosing of financed emissions.

## Financial Inclusion and Development

Being one of the largest PSB in India, Your Bank acknowledges the inevitable role it needs to play to enhance financial Inclusion. Bank continuously strives to expand its presence across India particularly in remote areas and unbanked regions.

Your Bank continues to support government initiatives and schemes for financial inclusion by leveraging its strong network of Branches and Business Correspondents. The Bank also provides free residential training to farmers, women, rural youth, for skill up-gradation to undertake self-employment ventures and Jobs. It also conducts various seminars/ programs/Camps on Financial Education and Customer Rights.

## भावी राह

### विकसित भारत में योगदान

आपका बैंक 2047 तक 30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के साथ भारत के महत्वाकांक्षी विजन विकसित भारत—एक विकसित राष्ट्र में परिवर्तन में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए प्रतिबद्ध है। पीएनबी में हम अपनी भूमिका को पारंपरिक वित्तीय मध्यस्थता से आगे बढ़कर इस राष्ट्रीय प्रयास में एक रणनीतिक साझेदार के रूप में विकसित होते हुए देख रहे हैं। निम्नलिखित व्यावसायिक रणनीतियां हैं जिनका उद्देश्य इस राष्ट्रीय लक्ष्य में संपूर्ण योगदान देना है।

हम अपनी आंतरिक प्रक्रियाओं तथा ग्राहक यात्राओं को सक्रिय रूप से पुनः सृजित कर रहे हैं ताकि गतिरोध बिंदुओं को खत्म कर सके तथा जटिलता को कम करके बैंकिंग इंटरैक्शन को सरल, तेज और अधिक सुविधाजनक बनाया जा सके। इसमें कागजी कार्रवाई को कम करने और जहाँ भी संभव हो वर्कफ्लो को डिजिटल बनाने जैसी पहल शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, हम ग्राहक व्यवहार और उनकी पसंद का गहन विश्लेषण करने तथा अपने ग्राहकों को एक उच्च वैयक्तिक अनुभव प्रदान करने हेतु एआई एवं डेटा एनालिटिक्स की शक्तियों का उपयोग करेंगे।

हम एमएसएमई क्षेत्र पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे चूंकि हम इसे विकास और रोजगार का इंजन मानते हैं। इसमें जरूरतों के अनुसार वित्तपोषण समाधान प्रदान करना, बाजार पहुंच में सुधार के लिए ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ONDC) जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म का लाभ उठाना, आपूर्ति श्रृंखला वित्त की शुरुआत करना और इन महत्वपूर्ण उद्यमों का औपचारिक वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करना सम्मिलित है। हम महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा विकास परियोजनाओं और कृषि, विनिर्माण, सेवा, निर्माण जैसे प्रमुख आर्थिक क्षेत्रों में पूंजी निवेश जारी रखेंगे।

हम हरित वित्तपोषण बढ़ाएंगे, नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को सहायता देंगे, जलवायु—अनुकूल बुनियादी ढांचे को वित्तपोषित करेंगे तथा हमारे द्वारा वित्तपोषित सभी उद्योगों में धारणीय प्रथाओं को प्रोत्साहित करेंगे, क्योंकि पर्यावरणीय धारणीयता भारत के विकास का एक अभिन्न अंग होगी।

हम सक्रिय रूप से उभरते स्टार्टअप इकोसिस्टम का समर्थन करेंगे और समर्पित मेंटरशिप कार्यक्रमों, इनक्यूबेशन समर्थन और प्रारंभिक चरण के उद्यमों के लिए डिजाइन किए गए लक्षित वित्तीय उत्पादों के माध्यम से युवा उद्यमिता को प्रोत्साहित करेंगे ताकि भारत के महत्वाकांक्षी उद्यमियों को पंख दिए जा सकें।

हम जन धन—आधार —मोबाइल (JAM) त्रिमूर्ति, UPI और अकाउंट एग्रीगेटर ढांचे सहित भारत के विश्व स्तरीय डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (DPI) का लाभ उठाकर वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाएंगे। ये शक्तिशाली उपकरण हमें पहले से वंचित रही आबादी और दूरदराज के भौगोलिक क्षेत्रों तक कुशलतापूर्वक और किफायती तरीके से अपनी पहुंच का विस्तार करने में सक्षम बनाएंगे, जिससे सभी नागरिकों के लिए आवश्यक बैंकिंग सेवाएं सुलभ होंगी। हम सरकारी पहलों में अपनी सक्रिय भागीदारी बनाना जारी रखेंगे।

आगे बढ़ते हुए, हम निर्बाध और सुरक्षित प्लेटफॉर्म प्रदान करके डिजिटल साल्यूशंस को अपनाने की गति को और तेज करेंगे। बैंक का लक्ष्य एक डिजिटल रूप से परिचालित बैंक के रूप में विकसित होना है जो उद्योग की सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ पूर्णतः अनुकूल हो, साथ ही ग्राहक—प्रथम दृष्टिकोण को बनाए रखे।

## Going Forward

### Contribution to Viksit Bharat

Your Bank is committed to contributing significantly to India's inspiring vision of Viksit Bharat- the transformation into a developed nation by 2047 with $30 trillion economy. At PNB, we see our role evolving beyond that of traditional financial intermediary to a strategic partner in this national endeavour. Following are the business strategies that we aim at to impact fully contribute in this national goal.

We are actively reimagining our internal processes and customer journeys to eliminate friction points, reduce complexity, and make banking interactions simpler, faster, and more convenient. This includes initiatives like reducing paperwork and digitizing workflows wherever feasible. Further, we will harness the power of AI and data analytics to gain deeper insights in customer behaviour and preferences and to provide a hyper personalized experience to our customers.

We will intensify our focus on the MSME sector, recognizing it as the engine of growth and employment. This includes providing tailored financing solutions, leveraging digital platforms like the Open Network for Digital Commerce (ONDC) to improve market access, initiating supply chain finance, and to ensure formal financial inclusion of these vital enterprises. We will continue to channel capital towards critical infrastructure development projects and key economic sectors like agriculture, manufacturing, services, construction.

We will increase green financing, support renewable energy projects, fund climate-resilient infrastructure and encourage sustainable practices across all industries we finance as environmental sustainability will be an integral part of India's development.

We will actively support the burgeoning start up ecosystem and encourage youth entrepreneurship through dedicated mentorship programs, incubation support, and targeted financial products designed for early-stage ventures so as to give wings to India's aspirational entrepreneurs.

We will drive Financial Inclusion by leveraging India's world-class Digital Public Infrastructure (DPI), including the Jan Dhan-Aadhaar-Mobile (JAM) trinity, UPI, and the Account Aggregator framework. These powerful tools will enable us to expand our reach efficiently and affordably to previously underserved populations and remote geographies, making essential banking services accessible to all citizens. We will continue our active participation in government initiatives.

Going forward, we will further accelerate the pace of adoption of digital solutions by offering seamless and secure platforms. The bank's goal is to evolve into a digitally driven bank that fully aligns with industry's best practices, all while maintaining a customer-first approach.

## सतत् और लाभप्रद विकास की प्राप्ति

हमारा रणनीतिक उद्देश्य है – सतत् और लाभप्रद ढंग से विकास करना, जो आपको, अर्थात् हमारे हितधारकों को, निरंतर और संवर्धित मूल्य प्रदान करे। इस संतुलित विकास की प्राप्ति हेतु हमारी रणनीति में विवेकपूर्ण ऋण वृद्धि, एनआईएम को बढ़ाने के लिए हमारी आस्तियों और देयताओं का सक्रिय प्रबंधन, CASA जमाराशि के आधार को बढ़ाना, विविध शुल्क आय स्त्रोत सृजित करना, प्रौद्योगिकी और आटोमेशन का लाभ उठाकर परिचालन दक्षता प्राप्त करना तथा एक सुदृढ़ जोखिम प्रबंधन ढांचा स्थापित करना शामिल है।

## सत्यनिष्ठा और नैतिकता

विश्वास वह आधारशिला है जिस पर संपूर्ण बैंकिंग प्रणाली निर्मित है, और यह आपके बैंक के सिद्धांतों और परिचालन का आधार है। हम अपने कामकाज के हर पहलू में व्यावसायिक नैतिकता, ईमानदारी, पारदर्शिता और कॉरपोरेट प्रशासन के सर्वोच्च  मानकों को बनाए रखने के लिए स्पष्ट रूप से प्रतिबद्ध हैं। यह प्रतिबद्धता एक सुदृढ़ प्रशासनिक ढांचे, नैतिकता और अनुपालन संस्कृति के निर्माण के माध्यम से प्रकट होती है जो बैंक के सभी स्तरों में व्याप्त है और हमारे सभी हितधारकों – जिसमें ग्राहक, शेयरधारक, कर्मचारी, विनियामक और समाज शामिल हैं – के साथ खुला और पारदर्शी संपर्क बनाए रखते हैं।

## निष्कर्ष

हम अपने सभी हितधारकों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हैं। हम अपने शेयरधारकों के लिए, सतत्, लाभप्रद विकास और दीर्घकालिक मूल्य प्रदान करने का वचन देते हैं। हम अपने ग्राहकों के लिए, असाधारण अनुभव और उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप समाधान प्रदान करने का वचन देते हैं। हम अपने कर्मचारियों के लिए, विकास और प्रगति के लिए एक गतिशील वातावरण प्रदान करते हैं। हम राष्ट्र और समाज  के लिए, एक जिम्मेदार कॉरपोरेट नागरिक बनने हेतु प्रतिबद्ध हैं, जो सामाजिक कल्याण और आर्थिक विकास में सकारात्मक योगदान देता है।

मैं अपने ग्राहकों और शेयरधारकों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं जो हम पर अपना अनमोल विश्वास बनाए रखते हैं। मैं पीएनबी परिवार के प्रत्येक सदस्य का भी आभार व्यक्त करता हूं, जिनके समर्पण और कड़ी मेहनत से पंजाब नैशनल बैंक लगातार नई ऊँचाइयों को छू रहा है। मैं भारत सरकार, आरबीआई और अन्य विनियामकों को उनके निरंतर समर्थन और मार्गदर्शन के लिए अपना हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं।

भावी राह के लिए निरंतर समर्पण, सहयोग और नवाचार की आवश्यकता है। हमें विश्वास है कि हम मिलकर हमारे सामने आने वाले अवसरों का लाभ उठाएंगे तथा चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना करेंगे।

**(के. जी. अनंतकृष्णन)**
चेयरमैन

## Achieving Sustainable and Profitable Growth

Our strategic objective is - to pursue growth in a sustainable and profitable manner that delivers consistent and enhanced value to you, our stakeholders. Our strategy for achieving this balance involves prudent credit growth, active management of our assets and liabilities to optimize NIM, growing CASA deposits base, generate diverse fee income streams, achieving operational efficiency by leveraging technology and automation and establishing a robust risk management framework.

## Integrity and Ethics

Trust is the cornerstone upon which the entire banking system is built, and it forms the bedrock of Your Bank's philosophy and operations. We are unequivocally committed to upholding the highest standards of business ethics, integrity, transparency, and corporate governance in every aspect of our functioning. This commitment is manifested through a robust governance framework, building ethics and compliance culture that permeates all levels of the Bank and maintaining open and transparent communication with all our stakeholders – including customers, shareholders, employees, regulators, and the community.

## Conclusion

We reaffirm our commitment to all our stakeholders. To our shareholders, we pledge to deliver sustainable, profitable growth and long-term value. To our customers, we promise exceptional experiences and solutions tailored to their needs. To our employees, we offer a dynamic environment for growth and development and to the community and the nation, we commit to being a responsible corporate citizen, contributing positively to societal well-being and economic development.

I extend my heartfelt gratitude to our customers and shareholders who continue to place their valuable trust in us. I also extend my gratitude to each and every member of PNB Parivar with whose dedication and hard work, Punjab National Bank continues to achieve new heights. I also would like to express my sincere thanks to the Government of India, RBI and other regulators for their continuous support and guidance.

The path ahead requires continued dedication, collaboration, and innovation. We are confident that, together, we will successfully navigate the opportunities and challenges that lie before us.

**Shri K.G. Ananthakrishnan**
Chairman

# प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी के डेस्क से
# From the Managing Director and CEO's Desk

**प्रिय सम्मानित हितधारकों,**

आपके बैंक ने अपनी गौरवशाली और ऐतिहासिक यात्रा के 130 वर्ष पूरे कर लिए हैं। बैंक ने कई कीर्तिमान स्थापित किए तथा देश में अग्रणी बैंकों में से एक बना रहा। वित्तीय वर्ष 2024–25 भी सभी हितधारकों के लिए उपलब्धियों और मूल्य सृजन से परिपूर्ण रहा।

निदेशक मंडल और प्रबंधन टीम की ओर से, मुझे वित्त वर्ष 2024–25 के लिए बैंक की वार्षिक रिपोर्ट साझा करते हुए प्रसन्नता हो रही है। यह वार्षिक रिपोर्ट पीएनबी की अटूट प्रतिबद्धता, दृढ़ समर्थन और बैंक द्वारा वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान प्राप्त किए गए महत्वपूर्ण कीर्तिमानों को उद्घाटित करती हैं

## वैश्विक अर्थव्यवस्था

**वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी** की वृद्धि धीमी रहने की संभावना है, तथा विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भिन्नताएं होने की अपेक्षा है। वैश्विक आर्थिक वृद्धि के परिदृश्य में बदलाव होने की संभावना है, जिसमें **कैलेंडर वर्ष 2025 में 2.8 प्रतिशत और कैलेंडर वर्ष 2026 में 3.0 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है।** कारोबार तनाव में तेजी से वृद्धि और नीति अनिश्चितता के उच्च स्तर का वैश्विक आर्थिक गतिविधि पर प्रभाव पड़ने की आशंका है। यह अनुमान लगाया गया है कि कैलेंडर वर्ष 2025 में वैश्विक कारोबार वृद्धि घटकर 1.7 प्रतिशत रह सकती है।

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वैश्विक मुद्रास्फीति **2025 में 4.3 प्रतिशत और 2026 में 3.6 प्रतिशत** की गिरावट होने की उम्मीद है। यह भी अनुमान है कि विकसित अर्थव्यवस्थाएँ उभरते बाजारों और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में अपने मुद्रास्फीति लक्ष्यों को शीघ्र प्राप्त कर लेंगी। हालाँकि, कारोबार संरक्षणवाद और भूराजनैतिक संघर्ष जैसे कारणों से जोखिम उभर रहे हैं।

## भारतीय अर्थव्यवस्था

भारत एक बार फिर वैश्विक अर्थव्यवस्था का नेतृत्व करने की ओर अग्रसर है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) का अनुमान है कि अगले दो वर्षों में भारत सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनी रहेगी। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के विश्व आर्थिक परिदृश्य[1] (World Economic Outlook) के अनुसार, वैश्विक और क्षेत्रीय समकक्षों पर मजबूत बढ़त बनाते हुए भारत की अर्थव्यवस्था में 2025 में 6.2 प्रतिशत और 2026 में 6.3 प्रतिशत वृद्धि होने का अनुमान है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों मेन

1. डेटा स्रोत: 22 अप्रैल 2025 को जारी विश्व आर्थिक परिदृश्य

**Dear valued stakeholders**

Your Bank completed its 130 years of existence which has been glorious and eventful. The Bank achieved several milestones and remained one of the leading banks in the country. The FY 2024-25 was yet another year which was full of achievements and value creation for all the stakeholders.

On behalf of the Board of Directors and the Management Team, I am pleased to share Annual Report of the Bank for FY 2024-25. The Annual Report brings out PNB's unwavering commitment, steadfast support and achievement of significant milestones which the Bank accomplished during FY 2024-25.

## Global Economy

**Global GDP growth** is expected to remain muted with expectations of significant divergences across regions. The outlook for global economic growth has been adjusted downward, with forecast at **2.8 per cent growth in Calendar Year 2025** and **3.0 per cent in Calendar Year 2026.** The swift escalation of trade tensions and high levels of policy uncertainty are expected to have an impact on global economic activity. It is projected that global trade growth may dip to 1.7 per cent in Calendar Year 2025.

As per data released by International Monetary Fund (IMF) global headline inflation is expected to decline to **4.3 percent in 2025** and **to 3.6 percent in 2026.** It is also anticipated that advanced economies will be potentially reaching their inflation targets sooner than emerging markets and developing economies. However, there are risks emerging from several factors such as trade protectionism and ongoing geopolitical tensions.

## Indian Economy

India is poised to lead the global economy once again, with the International Monetary Fund (IMF) projecting it to remain the fastest growing major economy over the next two years. According to the **IMF's World Economic Outlook[1],** India's economy is expected to grow by **6.2 per cent in 2025** and **6.3 per cent in 2026,** maintaining a solid lead over global and regional peers. The IMF projects steady expansion for the Indian economy, supported by firm private

1 Data source: World Economic Outlook Released on 22nd April,2025

स्थिर निजी खपत की सहायता से भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए संतुलित विस्तार का अनुमान लगाया है। आरबीआई ने अप्रैल 2025 में आयोजित अपनी मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की बैठक में वित्त वर्ष 2025–26 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि 6.5 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है, जो वैश्विक आर्थिक गतिविधि के प्रमुख चालक के रूप में अपनी भूमिका को मजबूत करता है।

## बैंकिंग उद्योग

वित्त वर्ष **2024–25** में भारत का बैंकिंग उद्योग **मजबूत वित्तीय विकास, स्थिर लाभप्रदता और बेहतर आस्ति गुणवत्ता**[2] का प्रदर्शन करते हुए आघात सक्षम बना रहा। वित्त वर्ष 2024–25 में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) ने रु.1.78 लाख करोड़ के स्तर पर पहुंचकर निवल लाभ में 26 प्रतिशत की वृद्धि की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की।

भारत में बैंकों ने **जमा और अग्रिम दोनों में दोहरे अंकों की वृद्धि** हासिल की, हालांकि ऋण विस्तार ने जमा की तुलना में थोड़ी वृद्धि की है। हालांकि, वर्ष के दौरान इनमें अंतर कम हुआ है, जो अधिक संतुलित वित्तीय वातावरण को दर्शाता है।

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) ने वित्त वर्ष **2024–25** में अपनी आस्ति गुणवत्ता में सुधार जारी रखा, जो **सकल एनपीए (जीएनपीए) अनुपात और निवल एनपीए (एनएनपीए)** अनुपात दोनों में गिरावट का सूचक है। **स्लिपेज अनुपात** में भी लगातार कमी देखी गई है, जो बेहतर ऋण प्रबंधन और ऋण अनुशासन के संकेत है। इसके अतिरिक्त, बैंक पूर्ण रूप से **पूंजीकृत और वित्तीय रूप से सशक्त** बना रहा, जिससे इस क्षेत्र में स्थिरता मजबूत हुई।

यह कार्यनिष्पादन नीति और शासन सुधारों के प्रभाव को रेखांकित करता है, जिसमें बेहतर ऋण अनुशासन, दबावग्रस्त आस्तियों का बेहतर समाधान, उत्तरदायीपूर्ण ऋण प्रदान करना, वित्तीय समावेशन और तेजी से प्रौद्योगिकी को अपनाना शामिल है।

## वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान आपके बैंक का कार्य प्रदर्शन

### कारोबार

31 मार्च, 2025 को, बैंक का **वैश्विक कारोबार** बढ़कर रु.26.83 लाख करोड़ हो गया, जिसमें वैश्विक अग्रिम रु.11.16 लाख करोड़ और वैश्विक जमा रु.15.67 लाख करोड़ रहा। 31 मार्च, 2025 को कुल कासा (CASA) जमा रु.5.74 लाख करोड़ रहा, जबकि 31 मार्च, 2024 को यह रु.5.52 लाख करोड़ था। बैंक की चालू जमा राशि रु.75,114 करोड़ थी, जबकि बचत जमा रु.4.98 लाख करोड़ थी। 31 मार्च, 2025 को कासा का हिस्सा 37.95 प्रतिशत था।

### आधारभूत बिंदु

वित्त वर्ष 2024–25 में **कुल आय** रु.1,38,070 करोड़ रही, जो 14.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है। बैंक की **ब्याज आय** रु.1,21,761 करोड़ रुपये रही, जो 13.9 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाती है। इससे वित्त वर्ष 2024–25 में **निवल ब्याज आय (एनआईआई)** में 6.7 प्रतिशत की वृद्धि होकर रु.42,782 करोड़ तक पहुंचने में सहयोग किया, जबकि वित्त वर्ष 2023–24 में यह रु.40,083 करोड़ था। अन्य आय 21.9 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए रु.16,309 करोड़ रही।

बैंक की लाभप्रदता में निरंतर वृद्धि हुई है, बैंक का परिचालन लाभ वित्त वर्ष 2023–24 में रु.24,931 करोड़ की तुलना में वित्त वर्ष 2024–25 में रु.26,831 करोड़ रहा जो 7.6 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है। बैंक के **निवल लाभ**

1. डेट स्रोत – 28 मई 2025 को जारी आरबीआई वार्षिक रिपोर्ट 2024–25

consumption, particularly in rural areas. The RBI in its Monetary Policy Committee (MPC) meeting held in April 2025 has projected India's GDP growth at 6.5 per cent for FY 2025-26, reinforcing its role as a key driver of global economic activity.

## Banking Industry

India's banking industry remained resilient in **FY 2024-25,** showcasing **strong financial growth, steady profitability,** and **improved asset quality[2].** Public Sector Banks (PSBs) demonstrated remarkable growth with a 26 per cent growth in net profit to reach the level of Rs.1.78 Lakh Crore in FY 2024-25.

The Banks in India experienced **double-digit growth** in **both i.e., Deposits and Advances,** although credit expansion slightly outpaced deposit growth. However, the gap narrowed over the year, reflecting a more balanced financial environment.

Scheduled Commercial Banks (SCBs) continued to enhance their asset quality in **FY 2024-25,** marked by a decline in both the **gross NPA (GNPA) ratio** and **net NPA (NNPA) ratio.** The **slippage ratio** also saw a steady reduction, indicating improved loan management and credit discipline. Additionally, banks remained **well-capitalized** and **financially strong,** reinforcing stability in the sector.

This performance highlights the impact of policy and governance reforms, including enhanced credit discipline, improved resolution of stressed assets, responsible lending, financial inclusion, and rapid technology adoption.

## Performance of your Bank during FY 2024-25

### Business

As on 31st March 2025, the Bank's **Global Business** grew to Rs.26.83 Lakh Crore with Global Advances at Rs.11.16 Lakh Crore and Global Deposit at Rs.15.67 Lakh Crore. Overall CASA Deposits as on 31st March, 2025 stood at Rs.5.74 Lakh Crore as against Rs. 5.52 Lakh Crore as on 31st March, 2024. Current Deposits of the Bank was at Rs. 75,114 Crore while Savings Deposits was at Rs. 4.98 Lakh Crore. The Domestic CASA Share was at 37.95 per cent as on 31st March, 2025.

### Bottom Line

**Total Income** was at Rs.1,38,070 Crore in FY 2024-25 registering year on year growth of 14.8 per cent. **Interest Income** of the Bank was at Rs.1,21,761 Crore in FY 2024-25 showing the growth of 13.9 per cent. This also facilitated in growth of **Net Interest Income (NII)** by 6.7 per cent to reach Rs. 42,782 Crore for FY 2024-25 vis-à-vis Rs. 40,083 Crore in FY 2023-24. Other Income was at Rs. 16,309 Crore showing the growth of 21.9 per cent.

There has been consistent growth in Profitability of the Bank with **Operating Profit** at Rs. 26,831 Crore in FY 2024-25 vis-à-vis Rs. 24,931 Crore in FY 2023-24 showing the growth of 7.6 per cent. **Net Profit** of the Bank also showed the growth of 101.7 per cent with Net Profit

2 Data source: RBI Annual Report 2024-25 released on 28th May, 2025

में भी 101.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, वित्त वर्ष 2023–24 में रु.8245 करोड़ की तुलना में वित्त वर्ष 2024–25 में यह रु.16,630 करोड़ रहा।

### अनुपात

**इक्विटी पर प्रतिफल और आस्तियों पर प्रतिफल** जैसे महत्वपूर्ण वित्तीय अनुपातों में भी सुधार दिखा जो वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान 19.33 प्रतिशत (वित्त वर्ष 2023–24 में 11.66 प्रतिशत) और वित्त वर्ष 2024–25 में 0.97 प्रतिशत (वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान 0.54 प्रतिशत) रहा। वित्त वर्ष 2024–25 में **घरेलू और वैश्विक निवल ब्याज मार्जिन (एनआईएम)** क्रमशः 3.08 प्रतिशत और 2.93 प्रतिशत पर सुदृढ़ रहा।

बैंक ने उत्पादकता मानदंडों जैसे **प्रति कर्मचारी कारोबार और प्रति शाखा कारोबार** के क्षेत्र में भी बेहतर प्रदर्शन किया है जो वित्त वर्ष 2024–25 में क्रमशः रु.26.86 करोड़ और रु.253.55 करोड़ रहा। वित्त वर्ष 2023–24 में **प्रति कर्मचारी निवल लाभ** रु.8.61 लाख से बढ़कर वित्त वर्ष 2024–25 में रु.17.29 लाख हो गया, जबकि **प्रति शाखा निवल लाभ** भी वित्त वर्ष 2023–24 में रु.81.33 लाख से बढ़कर वित्त वर्ष 2024–25 में रु.163.19 लाख हो गया।

### रिटेल, कृषि और एमएसएमई (रैम) खंड पर विशेष ध्यान

वित्त वर्ष 2024–25 में, बैंक ने उच्च प्रतिफल एवं कम जोखिम वाले आरएएम (रैम) खंड पर अपना ध्यान केंद्रित रखा। रिटेल, कृषि और एमएसएमई क्षेत्र बैंक के ऋण वृद्धि में प्रमुख योगदानकर्ता बने रहे। 31 मार्च, 2025 तक **रैम अग्रिम** रु.5.20 लाख करोड़ की तुलना में रु.6.03 लाख करोड़ रहा, जो 15.9 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर्शाता है, 31 मार्च, 2025 तक **घरेलू अग्रिमों में रैम की हिस्सेदारी** 56.5 प्रतिशत रही, जबकि 31 मार्च 2024 तक यह 55.2 प्रतिशत थी।

**रिटेल अग्रिम** में 16.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई और यह 31 मार्च 2024 तक रु.2.23 लाख करोड़ की तुलना में 31 मार्च 2025 तक रु.2.59 लाख करोड़ तक पहुंच गया।

**कृषि अग्रिम** में 14.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जो 31 मार्च, 2024 तक रु.1.58 लाख करोड़ की तुलना में रु.1.81 लाख करोड़ तक पहुंच गया।

**एमएसएमई अग्रिम** में 16.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई और यह 31 मार्च 2024 तक रु.1.39 लाख करोड़ की तुलना में 31 मार्च 2025 तक रु.1.63 लाख करोड़ हो गया।

रैम के तीनों सेगमेंट में दोहरे अंकों में वृद्धि देखी गई। यह वृद्धि नए और नवीकृत उत्पादों को प्रस्तुत करके रैम पोर्टफोलियो को बेहतर बनाने की दिशा में की गई विभिन्न पहलों और विशेष अभियानों तथा सुदृढ़ साझेदारी जैसी उपयुक्त रणनीतियों को अपनाने के कारण हुई।

### आस्ति गुणवत्ता में सुधार

वर्ष के दौरान, बैंक ने आस्ति गुणवत्ता में सुधार के लिए लगातार प्रयास जारी रखे। इन प्रयासों के परिणामस्वरूप एनपीए में क्रमिक आधार पर पूर्ण और प्रतिशत की दृष्टि से कमी आई है। सकल एनपीए 31 मार्च, 2024 को रु.56,343 करोड़ के स्तर से घटकर 31 मार्च, 2025 को रु.44,082 करोड़ हो गया, निवल एनपीए 31 मार्च, 2024 को रु.6799 करोड़ के स्तर से घटकर 31 मार्च, 2025 को रु.4291 करोड़ हो गया।

at Rs. 16,630 Crore in FY 2024-25 as compared to Rs. 8,245 Crore in FY 2023-24.

### Ratios

The important financial ratios such as **Return on Equity** and **Return on Assets** also showed the improvement which stood at 19.33 per cent during FY 2024-25 (11.66 per cent in FY 2023-24) and 0.97 per cent in FY 2024-25 (0.54 per cent during FY 2023-24) respectively. The **Domestic** and **Global Net Interest Margin (NIM)** was robust at 3.08 per cent and 2.93 per cent respectively in FY 2024-25.

The Bank has also displayed better performance with respect to productivity parameters such as **Business per Employee** and **Business per Branch** which increased to Rs.26.86 Crore and Rs.253.55 Crore in FY 2024-25 respectively. **Net Profit per employee** doubled from Rs.8.61 Lakh in FY 2023-24 to Rs.17.29 Lakh in FY 2024-25 while **Net Profit per Branch** also improved from Rs.81.33 Lakh in FY 2023-24 to Rs.163.19 Lakh in FY 2024-25.

### Focus on Retail, Agriculture and MSME (RAM) Segment

In FY 2024-25, the Bank retained it's focus on high yielding and low risk RAM Segment. Retail, Agriculture and MSME Segment remained the key contributor towards credit growth of the Bank. **RAM Advances** as on 31st March, 2025 stood at Rs. 6.03 Lakh Crore vis-à-vis Rs. 5.20 Lakh Crore as on 31st March, 2024 showing year on year growth of 15.9 per cent with **RAM share to Domestic Advances** at 56.5 per cent as on 31st March, 2025 as against 55.2 per cent as on 31st March, 2024.

**Retail Advances** showed a year on year growth of 16.5 per cent to reach Rs. 2.59 Lakh Crore as on 31st March, 2025 vis-à-vis Rs. 2.23 Lakh Crore as on 31st March, 2024.

**Agriculture Advances** registered growth of 14.2 per cent to reach Rs.1.81 Lakh Crore as against Rs.1.58 Lakh Crore as on 31st March, 2024.

**MSME Advances** showed the growth of 16.8 per cent and was Rs.1.63 Lakh Crore as on 31st March, 2025 as against Rs.1.39 Lakh Crore as on 31st March, 2024.

All the three segments of RAM showed growth in double digit. This growth was on account of various initiatives taken towards improving the **RAM Portfolio** via. introducing newer and revamped products and also adopting suitable strategies such as focused campaigns and strengthened partnerships.

### Improving Asset Quality

During the year, the Bank continued to make consistent efforts towards improving the asset quality. These efforts resulted in declining NPAs both in absolute and percentage terms. Gross NPA reduced to Rs. 44,082 Crore as on 31st March, 2025 from the level of Rs. 56,343 Crore as on 31st March, 2024. Net NPA declined to Rs. 4,291 Crore as on 31st March, 2025 from the level of Rs. 6,799 Crore as on 31st March, 2024.

**सकल एनपीए अनुपात** में भी 178 बीपीएस का सुधार हुआ है, जो 31 मार्च 2024 के 5.73 प्रतिशत की तुलना में 31 मार्च 2025 को 3.95 प्रतिशत पर स्थिर रहा, **निवल एनपीए अनुपात** भी 31 मार्च 2024 में 33 बीपीएस सुधर गया जो 31 मार्च 2025 को 0.40 प्रतिशत रहा।

**प्रावधान कवरेज अनुपात (पीसीआर) (टीडब्ल्यूओ सहित)** 31 मार्च 2024 को 95.39 प्रतिशत से बढ़कर 31 मार्च 2025 को 96.82 प्रतिशत हो गया, जो 143 बीपीएस का सुधार दर्शाता है।

वसूली में सुधार एवं स्लिपेज को रोकने पर लगातार ध्यान देने से, निवल वसूली शुद्ध वसूली से अधिक रही, जिससे बैंक को आस्ति गुणवत्ता में सुधार करने में अपने प्रदर्शन को बनाए रखने में मदद मिली।

## लचीली (resilient) पूंजी के माध्यम से विकास में सहयोग

पूंजी कारोबार वृद्धि के प्रमुख सहायकों में से एक है और आपका बैंक, ऋण मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त रूप से पूंजीकृत किया गया है। 31 मार्च, 2025 को **पूंजी पर्याप्तता अनुपात** 17.01 प्रतिशत रहा, जबकि 31 मार्च, 2024 को यह 15.97 प्रतिशत पर था। 31 मार्च, 2025 को टियर 1 अनुपात 14.05 प्रतिशत और टियर 2 अनुपात 2.96 प्रतिशत पर रहा।

वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान, बैंक ने क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट (QIP) के माध्यम से रु.5000 करोड़ की इक्विटी पूंजी जुटाई। क्यूआईपी बहुत सफल रहा, जिसने बैंक में निवेशकों के भरोसे और इसकी दीर्घकालिक स्थिरता को रेखांकित किया है। आपके बैंक ने वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान टियर II बांड के माध्यम से रु.3,000 करोड़ भी संग्रहित किए। 31 मार्च 2025 तक भारत सरकार की शेयरधारिता 70 प्रतिशत से अधिक रही।

## लाभांश

संपूर्ण वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान, बैंक ने मजबूत कार्य प्रदर्शन किया है और उद्योग जगत में अपनी स्थिति मजबूत की है। मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि निदेशक मंडल ने वित्त वर्ष 2024–25 शेयरधारकों के लिए 2 रुपये अंकित मूल्य के प्रत्येक इक्विटी शेयर पर 2.90 रुपये का लाभांश (145%) प्रस्तावित किया है, जो आगामी वार्षिक आम महासभा (एजीएम) में अनुमोदन के अधीन है।

## ग्राहक सेवा

आपका बैंक समझता है कि आज के प्रतिस्पर्धी परिदृश्य में, विशेष रूप से वित्तीय क्षेत्र में, उत्कृष्ट ग्राहक सेवा एक महत्वपूर्ण विभेदक कारक है। ग्राहकों की बढ़ती हुई अपेक्षाओं को पूरा करने और ग्राहक सेवा में सुधार करने के लिए, आपके बैंक ने शाखाओं के माध्यम से ग्राहकों की प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए तंत्र विकसित किया है और इसे **एकल डिजिटल प्लेटफॉर्म अर्थात ग्राहक फीडबैक पोर्टल** के साथ एकीकृत किया है। यह नई कार्यक्षमता, शाखाओं को उन ग्राहकों का फीडबैक प्राप्त करने में सक्षम बनाती है जो बैंक की किसी भी सेवा का लाभ उठाने के लिए शाखा में आते हैं।

इसके अतिरिक्त, प्रदर्शन की गति को बढ़ाने और अधिक समर्पित प्रयासों को प्रोत्साहित करने के लिए, बैंक ने **पुरस्कार और प्रेरणा कार्यक्रम** बनाया है। इसका उद्देश्य कार्य प्रदर्शन को ट्रैक करना तथा बेहतर ग्राहक सेवा के लिए पात्र शाखाओं को सम्मानित करना है।

बैंक अपने **ग्राहक शिकायत निवारण तंत्र** को निरंतर विकसित कर रहा है तथा ग्राहक सेवा केन्द्रों (कॉल सेंटरों) और सेवा एजेंटों के कर्मचारियों को पर्याप्त प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है।

इन पहलों के माध्यम से, बैंक ग्राहक संतुष्टि और सेवा उत्कृष्टता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को कायम रखता है, तथा एक सुचारू और सहज बैंकिंग अनुभव सुनिश्चित करता है।

**Gross NPA ratio** improved by 178 bps and stood at 3.95 per cent as on 31st March, 2025 as compared to 5.73 percent as on 31st March, 2024, **Net NPA ratio** also improved by 33 bps over 31st March, 2024 and was at 0.40 per cent as on 31st March, 2025.

**Provision Coverage Ratio (PCR) (incl. TWO)** increased by 143 bps to 96.82 per cent as on 31st March, 2025 from 95.39 per cent as on 31st March, 2024.

With consistent focus on improving recoveries and arresting slippages, net recoveries remained more than net slippages which helped the Bank sustain its performance in improving the asset quality.

## Supporting growth through resilient Capital

Capital is one of the key facilitators for Business growth and your Bank maintained adequate capital to meet the credit demand. **The Capital Adequacy Ratio** stood at 17.01 per cent as on 31st March, 2025 as against 15.97 per cent as on 31st March, 2024. Tier 1 ratio was at 14.05 per cent and Tier 2 was at 2.96 per cent as on 31st March 2025.

During the FY 2024-25, the Bank raised equity capital of Rs. 5000 Crore through Qualified Institutional Placement (QIP). The QIP was huge success which outlined the trust of the investors in the Bank and its long term sustainability. Your Bank also raised Rs. 3,000 Crore through Tier II bonds during FY 2024-25. Government of India's Shareholding remained above 70 per cent as on 31st March, 2025.

## Dividend

Throughout FY 2024-25, the Bank demonstrated strong financial performance and reinforced its industry position. I am happy to share that the Board of Directors has proposed a dividend of Rs.2.90/- per equity share (145 per cent) of face value Rs.2/- each for FY 2024-25, subject to approval at the upcoming Annual General Meeting (AGM).

## Customer Service

Your Bank understands that customer service excellence is a key differentiator in today's competitive landscape in the financial sector. To meet enhanced customer expectations and to improve customer service, your Bank has developed mechanism for capturing Customer's feedback through Branches and integrated it with **single Digital Platform i.e., Customer Feedback Portal.** This new functionality enables branches to capture customer's feedback who walks in the Branch to avail any of the Banking services.

Further to accelerate the pace of performance and encourage more dedicated efforts, the Bank has developed **reward and motivation programme.** It is aimed at tracking performance and recognising eligible branch for better customer service.

The Bank is continuously evolving its **customer grievance redressal mechanism** and providing adequate training to its staff at customer call centres and service agents.

Through these initiatives, the Bank continues to uphold its commitment towards customer satisfaction and service excellence, ensuring a smooth and hassle-free banking experience.

## डिजिटल विस्तार के माध्यम से बैंकिंग का रूपान्तरण

बैंक अपनी डिजिटल उपस्थिति का विस्तार कर रहा है जो आज के गतिशील वित्तीय परिवेश में अत्यंत महत्वपूर्ण है। अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग करके, बैंक निर्बाध, सुरक्षित और ग्राहक–केंद्रित समाधान प्रदान करके अपने डिजिटल सुविधाओं को सुदृढ़ कर रहा है।

पीएनबी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर **ई–पीएम विश्वकर्मा योजना** शुरू करने वाला पहला बैंक है जो वास्तव में हम सभी के लिए गर्व की बात है। वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान, बैंक ने व्हाट्सएप बैंकिंग के माध्यम से कई नई सेवाएँ शुरू कीं और अब हम इसके माध्यम से 80+ सेवाएँ उपलब्ध करा रहे हैं। शुरू की गई कुछ प्रमुख सुविधाओं में पब्लिक प्रोविडेंट फंड (पीपीएफ) और सुकन्या समृद्धि योजना (एसएसवाई) का बैलेंस देखना, खाते और जमा का सारांश, डेबिट कार्ड के लिए आवेदन करना और पिन जनरेट करना, वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) आदि शामिल हैं।

बैंक विभिन्न परिचालनों में मूल्यवान जानकारी प्राप्त करने के लिए **आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और मशीन लर्निंग (एमएल)** की शक्ति का भी उपयोग कर रहा है। बैंक का लक्ष्य शाखा में ग्राहक सेवाओं में सुधार करने के लिए फीडबैक का विश्लेषण करके, शिकायत विश्लेषण को परिष्कृत करना है ताकि शिकायत के प्रमुख कारणों का पता लगाया जा सके। इसके अतिरिक्त, अभिनव Mulehunter.AI प्रणाली धोखाधड़ी के जोखिम को कम करने के लिए उन्नत लेन–देन और व्यवहार विश्लेषण के माध्यम से बचत खातों में संदिग्ध पैटर्न का पता लगाती है।

वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान, कॉर्पोरेट मोबाइल बैंकिंग में संपूर्ण एडमिन मॉड्यूल जिसमें उपयोगकर्ताओं को प्रबंधित करने, वित्तीय और गैर–वित्तीय दोनों प्रकार के लेन–देन के लिए वर्कफ्लो को परिभाषित करने, खातों के समूहीकरण की सुविधा और उपयोगकर्ता सृजन की क्षमता को शामिल किया गया है। पीएनबी, कॉर्पोरेट मोबाइल बैंकिंग के अंतर्गत एक व्यापक एडमिन मॉड्यूल प्रदान करने वाला पहला बैंक है।

उपर्युक्त के अलावा, यह बहुत गर्व की बात है कि आपके बैंक को सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (सीबीडीसी) के अंतर्गत अभिनव कार्यान्वयन के लिए नियामक और भारत सरकार द्वारा सम्मानित किया गया है। बैंक नवाचार को अपनाने और उपयोग के मामलों में अग्रणी है। यहाँ यह उल्लेख करना उचित होगा कि पीएनबी बैंकिंग उद्योग में पहला बैंक है जो बैंक में कोई बैंक खाता न होने पर भी ऑन–बोर्डिंग करवाने की क्षमता रखता है।

साथ ही, बैंक ने स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) के लिए विभिन्न डिजिटल सुविधाएँ जैसे मौजूदा और नए बैंक ग्राहकों के लिए ऑनलाइन पब्लिक प्रोविडेंट फंड खाता खोलना, नए बैंक ग्राहकों (एनटीबी) के लिए ई–मुद्रा की पेशकश करने की भी शुरूआत की है। ऑनलाइन बचत खाता खोलने के लिए **डू इट योरसेल्फ (DIY) सुविधा** शुरू की गई है।

## सशक्त बैंक के लिए कार्मिकों को सशक्त बनाना

हमारे 1 लाख से ज्यादा कार्मिक बैंक का आधारस्तंभ हैं, जो समर्पण, नवाचार और उत्कृष्टता के प्रति प्रतिबद्धता के द्वारा बैंक की सफलता के अग्रदूत हैं। उद्योग जगत में बैंक की मौजूदा स्थिति इस तथ्य का प्रमाण है। पीएनबी में, हम भविष्य के लिए तैयार, डिजिटल रूप से सशक्त और जनकेंद्रित कार्यबल बनाने के लिए कार्यरत हैं जो नवाचार, उत्कृष्टता और समावेशी विकास को बढ़ावा देता है।

वित्त वर्ष 2024–25 में, आपके बैंक ने कर्मचारी कल्याण की दिशा में कई पहल की हैं, जिससे पारदर्शिता और कार्य भूमिका में अधिक स्पष्टता आई है। बैंक पदोन्नति प्रक्रिया के लिए कार्मिक प्रोफाइल के डिजिटलीकरण, वाहन प्रबंधन प्रणाली के डिजिटलीकरण, स्टाफ ओवरड्राफ्ट के डिजिटलीकरण, डिमांड लोन, स्ट्रेट थ्रू प्रोसेस (एसटीपी) द्वारा त्यौहार अग्रिम–भुगतान, कर्मचारियों की गोपनीय रिपोर्ट के डिजिटलीकरण, लीज पर दिए गए आवास की सुविधा के डिजिटलीकरण आदि के माध्यम से डिजिटल मोर्चे पर भी तेजी से आगे बढ़ रहा है।

## Transforming Banking Through Digital Expansion

The Bank is expanding its digital presence which is quite crucial in today's dynamic financial environment. By harnessing cutting-edge technologies, the Bank continues to strengthen its digital footprint, delivering seamless, secure, and customer-centric solutions.

PNB is the first bank to launch **e-PM Vishwakarma Scheme** on digital platform which is indeed a matter of pride for all of us. During FY 2024-25, the Bank introduced several new services through WhatsApp banking and has 80+ services available through it. Some of the key facilities introduced include Public Provident Fund (PPF) & Sukanya Samridhi Yojana (SSY) balance check, accounts & deposit summary, applying for debit card and generating PIN, One Time Password (OTP), etc.

The Bank is also harnessing the power of **Artificial Intelligence (AI)** and **Machine Learning (ML)** to drive valuable insights across various operations. By analysing customer feedback, the Bank aims to improve branch services and refine complaint analytics to pinpoint key grievance drivers. Additionally, innovative Mulehunter.AI system detects suspicious patterns in savings accounts through advanced transactional and behavioural analysis to minimise the risk of fraud.

During FY 2024-25, the Complete Admin module has been included in Corporate Mobile Banking, which possesses the capability to manage users, define workflows for both financial and non-financial transactions, facilitate grouping of accounts, and User Creation. PNB is among one of the first Banks to offer a comprehensive Admin module within the Corporate Mobile Banking.

Apart from the above, it is the matter of immense pride that your Bank has been recognised by the regulator and the Government of India for innovative implementation under Central Bank Digital Currency (CBDC). The Bank is leading from the front on adoption and innovative use cases. It is pertinent to mention here that PNB is the first Bank in the industry for CBDC with the capability of on-boarding customers even without having any account with our Bank.

Further, the Bank also launched various digital journeys for Self Help Group (SHG), Online Public Provident Fund account opening for both existing as well as New to Bank customers, e-Mudra offered to New to Bank (NTB) customers. **Do it Yourself (DIY) journey** for Online Savings Account opening has also been initiated.

## Empowering Employees for a Stronger Bank

More than 1 lakh employees are the backbone of the Bank, driving its success through dedication, innovation, and commitment to excellence. The Bank's present standing in the industry is the testimony to this fact. At PNB, we are striving to build a future-ready, digitally empowered and people-centric workforce that drives innovation, excellence and inclusive growth.

In FY 2024-25, your Bank has taken various initiatives towards employee welfare, bringing transparency and role clarity. The Bank is also making rapid stride in digital front by digitalisation of employee profile for promotion process, digitization of Vehicle Management System, digitization of Staff Overdraft, demand loan, festival advance-payment by Straight Through Process (STP), digitization of confidential report for workmen, digitization of facility of leased accommodation etc.

मानव संसाधन रूपान्तरण करने के लिए, बैंक ने प्रोजेक्ट उड़ान शुरू किया है, जिसने अपने दो वर्ष पूरे कर लिए हैं। अपने दो वर्ष की यात्रा के दौरान बैंक ने कई तरह के आद्योपांत डिजिटल परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम शुरू किए हैं। रणनीतिक परिचालन दक्षता और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए कार्यबल की दक्षता और अनुकूलनशीलता को ध्यान में रखते हुए **क्षमता निर्माण रूपरेखा**(Capability Building Framework) की शुरुआत की गई है। इसके अलावा, बैंक ने अच्छे प्रदर्शन करने वालों की पहचान करने और उन्हें प्रेरित करने के लिए अपने पुरस्कार और **सम्मान फ्रेमवर्क** को भी परिष्कृत किया है।

## प्रमुख संरचनात्मक पहलें और उत्पादों का पुनर्निर्माण

आपका बैंक मानता है कि हमें निरंतर विकास करने की आवश्यकता है। इस दिशा में, बैंक ने महत्वपूर्ण एप्लिकेशनों की आद्योपांत निगरानी के लिए ऑपरेशनल रेजिलिएंस कमांड सेंटर (ओआरसीसी), व्यापक दृष्टिकोण के साथ केंद्रीकृत स्तर पर लेनदेनों की निगरानी के लिए **ट्रांजेक्शन मॉनिटरिंग डिवीजन (टीएमडी)**, प्रशिक्षण बुनियादी ढांचे का पुनर्निर्माण जैसी कई संरचनात्मक पहल की हैं। इसके अतिरिक्त, बैंक और रिजर्व बैंक इनोवेशन हब (RBIH), बेंगलुरु के बीच समन्वय बनाने के लिए, बेंगलुरु में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सेल की स्थापना की गई है। इससे बैंकिंग तकनीक में नवाचार को बढ़ावा देने और डिजिटल बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं में नई संभावनाओं की खोज करने में मदद मिलेगी।

इसके अतिरिक्त, रैम पहल प्रभाग का गठन करके रिटेल, कृषि और एमएसएमई ऋण को प्राथमिकता देने हेतु **रिटेल, कृषि और एमएसएमई (आरएएम) और वित्तीय समावेशन (एफआई) संरचना** को नया रूप प्रदान किया गया है। कृषि प्रभाग, प्रधान कार्यालय के अंतर्गत एक विशिष्ट स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) निगरानी प्रकोष्ठ की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) खंड के अंतर्गत ऋण देने पर ध्यान केंद्रित करना है।

## पुरस्कार एवं सम्मान

विभिन्न परिचालन पहलुओं में बैंक के प्रदर्शन के कारण, बैंक कई क्षेत्रों में सम्मान प्राप्त किया, जिसने कारोबार वृद्धि के प्रति विश्वास को बढ़ाया। वर्ष 2024–25 के दौरान जीते गए कुछ प्रमुख पुरस्कारों में **EASE 6.0 में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बैंक में ओवरऑल फर्स्ट रनर अप शामिल** है, जिसमें बैंक दो थीम अर्थात टेक एवं डेटा संचालित क्षमता निर्माण और डिजिटल और एनालिटिक्स संचालित कारोबार सुधार में विजेता रहा। EASE 7.0 में, **वित्त वर्ष 2025 की तीसरी तिमाही** के लिए आर्थिक विकासः ग्राहक आनंद, रिसिलिएंट बैंकिंग में **पीएनबी को तीसरा स्थान** प्राप्त हुआ।

क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी ट्रांसयूनियन सिबिल (टीयू सिबिल) से उपभोक्ता खंड में **डेटा क्वालिटी अवार्ड "पीएसयू बेस्ट डीक्यूआई–एफवाई 25"** प्राप्त हुआ। इसके अलावा, बैंक को **सरकारी योजनाओं को लागू करने वाले सर्वश्रेष्ठ बैंक के लिए सीआईएमएसएमई बैंकिंग उत्कृष्टता पुरस्कार** से भी सम्मानित किया गया।

बैंक को दीन दयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एसएचजी लिंकेज 2023–24 में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए भी सम्मानित किया गया।

## आगे की राह

वित्त वर्ष 2025–26 में वर्तमान विकास गति को बनाए रखने की उम्मीद है, हालांकि वैश्विक अनिश्चितताओं और इसके परिणामस्वरूप बढ़ी हुई अस्थिरता के कारण इसमें कुछ बाधाएं आ सकती हैं। केंद्रीय बजट 2025–26 में, सरकार ने उन क्षेत्रों, विशेष रूप से कृषि और एमएसएमई क्षेत्र, पर पर्याप्त ध्यान केंद्रित किया है जो आर्थिक विकास के प्रमुख चालक हैं।

वित्त वर्ष 2025–26 में भारत के बैंकिंग क्षेत्र से डिजिटल भुगतान एमएसएमई एवं कृषि पर ध्यान केंद्रित करने के साथ अपनी मौजूदा वृद्धि गति को बनाए रखने की उम्मीद है इसके विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना जारी रखेगा। यद्यपि वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताएं और कारोबार दबाव चुनौतियां

To support the HR transformation, the Bank launched Project UDAAN which has completed its two years. During journey of Project UDAAN for more than two years the Bank introduced various tools for end to end digital performance management. **Capability Building Framework** has been initiated aiming at workforce proficiency and adaptability for driving operational efficiency and sustainable growth. In addition to this, the Bank also refined its **rewards and recognition framework** to identify and motivate high performers.

## Key Structural Initiatives and revamping of Products

Your Bank believes that change is the only constant. In this direction, the Bank has taken various structural initiatives such as **Operational Resilience Command Centre (ORCC)** for monitoring of Bank's critical applications for end to end oversight, **Transaction Monitoring Division (TMD)** for monitoring of transactions at centralized level with comprehensive approach, revamping of training infrastructure. Further, to facilitate collaboration between the Bank & Reserve Bank Innovation Hub (RBIH), Bengaluru, Software Development Cell at Bengaluru has been established. This will help fostering innovation in banking technology and exploring new possibilities in digital banking & financial services.

Additionally, **Retail, Agriculture and MSME (RAM) & Financial Inclusion (FI) structure** was revamped to prioritize Retail, Agriculture & MSME lending by way of formation of RAM Initiative Division. A dedicated Self Help Group (SHG) Monitoring Cell under Agriculture Division, Head office was established with a targeted approach to focus on lending under Self Help Group (SHG) segment.

## Awards and Accolades

On the basis of the Bank's performance in various operational aspects, the Bank could win laurels in the fields which added confidence towards Business Growth. Some of the major awards won during the year 2024-25 comprise of **Overall First Runner up in Top Performing Bank in EASE 6.0** with the winners in two themes viz. Tech & Data Driven Capability Building and Digital & Analytics Driven Business Improvement. In EASE 7.0, Economic Development: Customer Delight, Resilient Banking where PNB was ranked 3rd for Q3 FY 2024-25.

**Data Quality Award "PSU Best DQI-FY'25"** in Consumer Segment from Credit Information Company TransUnion CIBIL (TU CIBIL). Further, the Bank was also recognised by **CIMSME Banking Excellence Awards for Best Bank for implementing Government Schemes.**

The Bank was also recognised for Outstanding Performance in SHG Linkage 2023-24 by Deen Dayal Antyodaya Yojana, National Rural Livelihood Mission, Ministry of Rural Development, GOI.

## Way Forward

The growth prospects for FY 2025-26 looks promising and are likely to see uptick, however there may be some risks owing to global uncertainties and increased volatility. In the Union Budget 2025-26, the Government laid adequate focus on the sectors which are the key drivers of economic growth especially Agriculture and MSME Segments.

India's banking sector is also expected to experience growth in FY 2025-26 as well with focus on digital payments, MSME and Agriculture. While global economic uncertainties and trade pressures may pose challenges, the country's strong domestic economic

पेश कर सकते हैं, तथापि देश की मजबूत घरेलू अर्थव्यवस्था और लचीला कृषि क्षेत्र द्वारा विकास को समर्थन देने की संभावना है।

वित्त वर्ष 2025–26 में, बैंक अपने डिजिटल परिवर्तन को विकसित करके, ग्राहक –केंद्रित वातावरण को बढ़ावा देकर और अपने **CASA पोर्टफोलियो** के साथ–साथ अपने **रिटेल, कृषि और एमएसएमई (RAM)** खंडों का रणनीतिक रूप से विस्तार करके सतत विकास के लिए तैयार हो रहा है। इन पहलों का उद्देश्य परिचालन दक्षता, ग्राहक अनुभव और वित्तीय समावेशन को बढ़ाना है, जो नवाचार के लिए बैंक की प्रतिबद्धता को सशक्त करता है।

आपका बैंक, बैंक की बाजार हिस्सेदारी बढ़ाने की दिशा में निरंतर प्रयास करेगा, विशेष रूप से RAM खंड में, जो न केवल उच्च प्रतिफल वाला होगा बल्कि कम जोखिम वाला भी होगा। वित्त वर्ष 2025–26 के दौरान, बैंक पूरे देश में अपनी उपस्थिति को सशक्त करने का भी प्रयास करेगा, जिससे हमारे कारोबार पोर्टफोलियो को और बढ़ावा मिलेगा।

**लागत अनुकूलन** भी हमारा मुख्य फोकस क्षेत्र बना रहेगा, जैसे कि शाखाओं का युक्तिकरण, ऊर्जा कुशल प्रक्रियाओं का उपयोग, भुगतान प्रक्रियाओं का डिजिटलीकरण आदि। बैंक वित्त वर्ष 2025–26 में **गैर–ब्याज स्रोतों** के माध्यम से आय बढ़ाने पर भी ध्यान केंद्रित करेगा और प्रोसेसिंग शुल्क बढ़ाने, लॉकर किराए में वसूली, गैर–निधि कारोबार और विदेशी मुद्रा आय पर जोर दिया जाएगा। **आस्ति गुणवत्ता बैंक** के लिए महत्वपूर्ण फोकस क्षेत्र होगा और वसूली प्रक्रिया में सुधार और स्लिपेज को रोकने का प्रयास होगा। बैंक ऐसे सक्रिय उपाय करना जारी रखेगा जिससे एनपीए कम किया जाएगा।

आपका बैंक प्रमुख **प्राथमिकताओं, रणनीतिक लक्ष्यों और भावी रोमांचक अवसरों** पर कार्य करना जारी रखेगा। आपका बैंक यह सुनिश्चित करेगा कि **ग्राहक केंद्रित पहलें** बैंक के लिए केंद्र बिंदु बनी रहें। बैंक ग्राहकों को सुविधा और तत्परता के साथ सेवा देने के लिए **डिजिटल रूपान्तरण** और नवाचार को आगे बढ़ाता रहेगा। बैंक बेहतर सेवा के लिए और अधिक उत्पाद, प्रक्रियाएँ और पोर्टल लाने के लिए निरंतर काम करता रहेगा।

उद्योग जगत में अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने पर ध्यान देते हुए, आपका बैंक अपनी **बाजार उपस्थिति** बढ़ाने और खुद को अधिक प्रभावशाली संस्था के रूप में स्थापित करने पर ध्यान केंद्रित करेगा। इस विस्तार को प्रभावी जोखिम प्रबंधन रणनीतियों, वित्तीय स्थिरता सुनिश्चिता और संभावित आर्थिक अनिश्चितताओं से सुरक्षा द्वारा समर्थित किया जाएगा। जोखिम शमन के लिए एक पूर्व–निवारक दृष्टिकोण बनाए रखते हुए, बैंक निवेशकों और ग्राहकों के विश्वास को मजबूत करेगा, और एक उभरते वित्तीय परिदृश्य में दीर्घकालिक अघात–सहने की क्षमता (resilience) के लिए खुद को तैयार करेगा।

**भारतीय बैंकिंग क्षेत्र पर्यावरण, सामाजिक और शासन (ईएसजी)** सिद्धांतों को प्राथमिकता दे रहा है तथा स्थाई वित्तपोषण, जिम्मेदार ऋण एवं नैतिक शासन में उनके महत्व को पहचान रहा है। आपका बैंक पहले ही हरित और सतत पहलों में महत्वपूर्ण प्रगति कर चुका है और विकसित हो रहे ईएसजी ढांचे का अनुपालन करने और इसे अपने परिचालनों के साथ एकीकृत करने के लिए प्रतिबद्ध है।

मैं बोर्ड के सभी सदस्यों के प्रति उनके भरोसे, विश्वास और सक्रिय सहयोग के लिए आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। मैं वित्त मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक को उनके सहयोग और मार्गदर्शन के लिए भी धन्यवाद देता हूँ। मैं इस अवसर पर हमारे सभी हितधारकों को भी बैंक में उनके अटूट विश्वास के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूँ। मैं इस यात्रा में हमारे ग्राहकों से प्राप्त निरंतर संरक्षण को भी स्वीकार करना चाहता हूँ। मैं अपने सभी कार्मिकों को वर्ष भर उनके द्वारा किए गए निरंतर सहयोग के लिए धन्यवाद देता हूँ।

आपका,

**(अशोक चंद्र)**
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

and demand conditions are likely to support the growth going forward.

In FY 2025-26, the Bank is gearing up for sustainable growth by deepening its digital transformation, fostering a more customer-centric environment, and strategically expanding its **Retail, Agriculture, and MSME (RAM)** segments alongside its **CASA portfolio.** These initiatives aim to enhance **operational efficiency, customer experience,** and **financial inclusivity.**

Your Bank will also make consistent effort towards expanding the market share specifically in **RAM segment** which is not only high yielding but low risk as well. During FY 2025-26, the Bank will strive to consolidate its presence across the country which will give boost to our Business portfolio further.

**Cost optimisation** will also remain our major focus area via., measures such as rationalisation of branches, use of energy efficient practices, digitalisation of payment processes, etc. The Bank will also focus on enhancing income through **Non Interest sources** in FY 2025-26 and emphasis will be on processing fee, recovery in locker rent, non-fund business & forex income. **Asset Quality** will be the critical focus area for Bank and it will be the endeavour to improve recovery process and arresting slippages. The Bank will continue to take proactive measures which shall reduce NPAs.

Your Bank will continue to work on **key priorities, strategic goals** and **the exciting opportunities** that lie ahead. Your Bank will ensure that the **Customer Centric initiatives** continue to be the focal point for the Bank. The Bank will also continue to drive **digital transformation** and **innovation** to serve the customers with convenience and agility. The Bank will keep on working with unfaltering spirit to bring out more products, processes and portals for better service.

With a focus on consolidating its industry standing, your Bank will focus on increasing its **market presence** and establish itself as a more dominant player. This expansion will be **supplemented by robust risk management strategies, ensuring financial stability and safeguarding against potential economic uncertainties.** By maintaining a pre-emptive approach to risk mitigation, the Bank will reinforce investor and customer confidence, positioning itself for long-term resilience in an evolving financial landscape.

The Indian banking sector is increasingly prioritizing **Environmental, Social, and Governance (ESG)** principles, recognizing their importance in **sustainable financing, responsible lending** and **ethical governance.** Your Bank has already made significant progress in **green** and **sustainable initiatives** and remains committed to comply with the evolving ESG frameworks and integrate the same with its operations.

I would like to express my gratitude to all members of the Board for their trust, faith and active association. I also thank the Ministry of Finance and Reserve Bank of India for their support and guidance. I also take this opportunity to wholeheartedly thank all our shareholders for their unequivocal trust in the Bank. I would also like to acknowledge the continuous patronage we have received in this journey from our customers. I thank all our employees for their generous support during the year.

Yours Sincerely,

**(Ashok Chandra)**
Managing Director & CEO

# निदेशक मंडल/Board of Directors

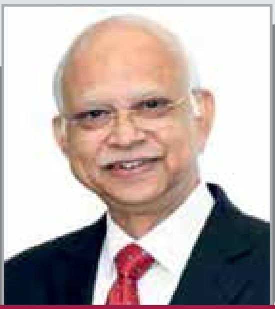

श्री के.जी. अनंतकृष्णन
गैर-कार्यपालक अध्यक्ष
Shri K.G. Ananthakrishnan
Non-Executive Chairman

श्री अशोक चंद्र
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी
Shri Ashok Chandra
Managing Director & Chief Executive Officer

# कार्यपालक निदेशक/Executive Directors

श्री कल्याण कुमार
कार्यपालक निदेशक
Shri Kalyan Kumar
Executive Director

श्री एम. परमशिवम
कार्यपालक निदेशक
Shri M. Paramasivam
Executive Director

श्री बिभु प्रसाद महापात्र
कार्यपालक निदेशक
Shri Bibhu Prasad Mahapatra
Executive Director

श्री डी. सुरेंद्रन
कार्यपालक निदेशक
Shri D. Surendran
Executive Director

# निदेशक/Directors

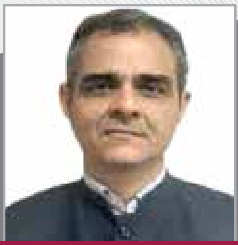

श्री पंकज शर्मा
भारत सरकार के नामित निदेशक
Shri Pankaj Sharma
Govt. of India Nominee Director

श्रीमती उमा शंकर
भारतीय रिजर्व बैंक की नामित निदेशक
Smt Uma Sankar
Reserve Bank of India Nominee Director

श्री जतिंदर सिंह बजाज
शेयरधारक निदेशक
Shri Jatinder Singh Bajaj
Shareholder Director

श्री अम्बरीष ओझा
शेयरधारक निदेशक
Shri Ambarish Ojha
Shareholder Director

## मुख्य महाप्रबंधक (प्रधान कार्यालय)/Chief General Managers (Head Office)

श्री दिलीप कुमार जैन
Shri Dilip Kumar Jain

श्री वी. सुंदरेसन
Shri V Sundaresan

श्री समीर बाजपेई
Shri Sameer Bajpai

श्री अमित कुमार श्रीवास्तव
Shri Amit Kumar Srivastava

श्री संजय वार्ष्णेय
Shri Sanjay Varshneya

श्री राकेश ग्रोवर
Shri Rakesh Grover

श्री संजीवन नीखर
Shri Sanjeevan Nikhar

श्री राकेश गाँधी
Shri Rakesh Gandhi

श्री एस के राणा
Shri S K Rana

श्री बिनय कुमार गुप्ता
Shri Binay Kumar Gupta

श्री फिरोज हसनैन
Shri Firoz Hasnain

श्री सुनील कुमार गोयल
Shri Sunil Kumar Goyal

श्री संजय गुप्ता
Shri Sanjay Gupta

श्री सुनील अग्रवाल
Shri Sunil Agrawal

श्री अमरेश प्रसाद
Shri Amresh Prasad

डॉ राजेश प्रसाद
Dr. Rajesh prasad

## अंचल प्रबंधक (मुख्य महाप्रबंधक)/Zonal Managers (Chief General Managers)

श्री हेमंत वर्मा
Shri Hemant Verma

श्री सुनील कुमार चुघ
Shri Sunil Kumar Chugh

श्री परवीन गोयल
Shri Parveen Goyal

BLANK PAGE

## विषय सूची

| | पृष्ठ सं. |
|---|---|
| नोटिस | 1—38 |
| निदेशकों की रिपोर्ट | 39—82 |
| प्रबंधन परिचर्चा एवं विश्लेषण | 83—129 |
| कॉरपोरेट अभिशासन पर लेखापरीक्षकों का प्रमाण पत्र | 130—131 |
| कॉरपोरेट अभिशासन पर रिपोर्ट | 132—199 |
| सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट | 200—207 |
| निदेशकों की गैर–अयोग्यता का प्रमाण पत्र | 208—210 |
| कारोबार उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्ट | 211—272 |
| कारोबार उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्ट पर लेखापरीक्षकों का प्रमाण पत्र | 273—284 |
| कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व रिपोर्ट | 285—302 |
| बेसल III फ्रेमवर्क के अंतर्गत प्रकटीकरण | 303 |
| **एकल वित्तीय विवरणियां** | **305** |
| - लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट | 306—318 |
| - तुलन पत्र | 319—320 |
| - लाभ एवं हानि लेखा | 321—323 |
| - अनुसूचियां | 324—336 |
| - प्रमुख लेखांकन नीतियां | 337—356 |
| - लेखों के लिए टिप्पणियां | 357—445 |
| - नकदी प्रवाह विवरण | 446—450 |
| **समेकित वित्तीय विवरणियां** | **451** |
| - लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट | 452—464 |
| - तुलन पत्र | 465—466 |
| - लाभ एवं हानि लेखा | 467—469 |
| - अनुसूचियां | 470—482 |
| - प्रमुख लेखांकन नीतियां | 483—504 |
| - लेखों के लिए टिप्पणियां | 505—529 |
| - नकदी प्रवाह विवरण | 530—533 |

**लेखापरीक्षक**

उम्मेद जैन एंड कंपनी
एन. के. भार्गव एंड कंपनी
पीएसडी एंड एसोसिएट्स
प्रेम गुप्ता एंड कंपनी
पी ए एंड एसोसिएट्स

**शेयर अंतरण एजेंट**

बीटल फाइनेंशियल एंड कंप्यूटर सर्विसेज (प्रा.) लिमिटेड
'बीटल हाउस', तृतीय तल
99, मदनगीर, लोकल शॉपिंग सेंटर के पीछे
नई दिल्ली 110062
दूरभाष : 011—29961281/82/83, फैक्स: 011—29961284
ई—मेल: beetalrta@gmail.com

## Contents

| | Page No. |
|---|---|
| Notice | 1-38 |
| Directors' Report | 39-82 |
| Management Discussion and Analysis | 83-129 |
| Auditors' Certificate on Corporate Governance | 130-131 |
| Report on Corporate Governance | 132-199 |
| Secretarial Audit Report | 200-207 |
| Certificate of Non-Disqualification of Directors | 208-210 |
| Business Responsibility and Sustainability Report | 211-272 |
| Auditors' Certificate on Business Responsibility and Sustainability Report | 273-284 |
| Corporate Social Responsibility Report | 285-302 |
| Disclosure under Basel III Framework | 303 |
| **Standalone Financial Statements** | **305** |
| - Auditors' Report | 306-318 |
| - Balance Sheet | 319-320 |
| - Profit & Loss Account | 321-323 |
| - Schedules | 324-336 |
| - Significant Accounting Policies | 337-356 |
| - Notes to Accounts | 357-445 |
| - Cash Flow Statement | 446-450 |
| **Consolidated Financial Statements** | **451** |
| - Auditors' Report | 452-464 |
| - Balance Sheet | 465-466 |
| - Profit & Loss Account | 467-469 |
| - Schedules | 470-482 |
| - Significant Accounting Policies | 483-504 |
| - Notes to Accounts | 505-529 |
| - Cash Flow Statement | 530-533 |

**AUDITORS**

Ummed Jain & Co.
N K Bhargava & Co.
PSD & Associates
Prem Gupta & Co
P A & Associates

**SHARE TRANSFER AGENT**

Beetal Financial & Computer Services (P) Limited
'Beetal House', 3rd Floor
99, Madangir, Behind Local Shopping Centre
New Delhi 110062
Tel. No. 011-29961281/82/83, Fax: 011-29961284
e-mail: beetalrta@gmail.com

पंजाब नैशनल बैंक ...भरोसे का प्रतीक ! punjab national bank ...the name you can BANK upon!

प्रधान कार्यालय: प्लॉट नं. 4, सेक्टर 10, द्वारका, नई दिल्ली – 110075
Head Office: Plot No.4, Sector 10, Dwarka, New Delhi – 110075

# 24वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना
# Notice of the 24th Annual General Meeting

## महत्वपूर्ण तिथियाँ
## IMPORTANT DATES

| | |
|---|---|
| 24वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) की तिथि एवं समय | वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वीसी/ओएवीएम के माध्यम से शुक्रवार, 27 जून, 2025 को पूर्वाह्न 11.00 बजे |
| एजीएम की कार्यसूची मदों पर मतदान के लिए पात्र शेयरधारकों के निर्धारण के लिए कट–ऑफ तिथि | शुक्रवार, 20 जून, 2025 |
| लाभांश के लिए रिकॉर्ड तिथि | शुक्रवार, 20 जून, 2025 |
| रिमोट ई–वोटिंग की अवधि | मंगलवार 24 जून, 2025 पूर्वाह्न 09.00 बजे से गुरुवार, 26 जून, 2025 को सायं 05.00 बजे तक |
| लाभांश भुगतान तिथि | गुरुवार, 10 जुलाई, 2025 |

| | |
|---|---|
| Date and time of 24th Annual General Meeting (AGM) | Friday, 27th June, 2025 at 11.00 a.m. through VC/OAVM |
| Cut-off date for determining the shareholders eligible to vote on the Agenda Items of the AGM | Friday, 20th June, 2025 |
| Record Date for Dividend | Friday, 20th June, 2025 |
| Period of Remote E-Voting | From 09.00 a.m. of Tuesday, 24th June, 2025 to 05.00 p.m. of Thursday, 26th June, 2025 |
| Dividend Payment Date | Thursday, 10th July, 2025 |

प्रधान कार्यालय : प्लॉट नं. 4, सेक्टर 10, द्वारका, नई दिल्ली – 110075
(ई–मेल आईडी: hosd@pnb.co.in)

## सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि पंजाब नैशनल बैंक के शेयरधारकों की 24 वीं वार्षिक आम बैठक **शुक्रवार, 27 जून, 2025 को प्रातः 11.00 बजे (भारतीय मानक समय) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो विजुअल साधनों (ओएवीएम)** के माध्यम से आयोजित की जाएगी जिसमें निम्नलिखित कार्य किए जाएंगे

**साधारण कार्य**

**मद संख्या 1 : 31 मार्च, 2025 को बैंक के लेखापरीक्षित तुलन पत्र, 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक का लाभ और हानि लेखा, लेखों द्वारा कवर की गई अवधि के लिए बैंक के कामकाज और गतिविधियों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट तथा तुलन पत्र एवं लेखों पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर चर्चा करना, अनुमोदन देना तथा स्वीकार करना।**

**मद संख्या 2 : वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए बैंक के रु. 2 अंकित मूल्य के प्रति इक्विटी शेयरों पर रु. 2.90 की दर से लाभांश घोषित करना।**

**विशेष कार्य**

**मद संख्या 3 : पीएनबी गिल्ट्स लिमिटेड (समनुषंगी), पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (सहायक कंपनी), पीएनबी मेटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (सहायक कंपनी) के साथ एकमुश्त प्रतिभूति लेन–देन (प्रतिभूतियों की बिक्री/खरीद), मुद्रा बाजार लेन–देन, प्रतिभूतियों की प्राथमिक सदस्यता, ईबीपी के माध्यम से पीएनबी एनसीडी निर्गमन में सुरक्षा व्यवस्थाकर्ता सेवा, जिसमें पीएनबी गिल्ट्स निर्गम के लिए व्यवस्थाकर्ता/व्यवस्थाकर्ताओं में से एक हो सकता है और ऐसे अन्य लेन–देन भी जैसे सरकारी प्रतिभूतियों (जी–सेक), पीएसयू, अन्य निकाय के बॉण्ड/डिबेंचर की खरीद/बिक्री के लिए संबंधी पार्टी के मत्वपूर्ण लेन–देन जो प्रासंगिक वित्तीय वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनने वाली टिप्पणियों में प्रकट किये जा सकते हैं, पर विचार करना और अनुमोदन करना।**

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और उचित समझे जाने पर निम्नलिखित साधारण संकल्प पारित करनाः

'' **संकल्प किया जाता है कि** भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाए) विनियम, 2015 (इसके बाद ''सेबी सूचीबद्धता विनियम'' के रूप में संदर्भित) के विनियम 23(4) के प्रावधानों और ऐसे अन्य लागू कानूनी प्रावधानों, यदि कोई हो, और उसमें किसी भी संशोधन, आशोधन, परिवर्तन या उसके पुनः अधिनियमन (इसके बाद 'लागू कानून के रूप में संदर्भित) और पंजाब नैशनल बैंक (इसके बाद 'बैंक' के रूप में संदर्भित) बैंक के शेयरधारक एतद्द्वारा बैंक के निदेशक मंडल (जिसे आगे 'बोर्ड' कहा जाएगा) को सर्वव्यापी अननुमोदन प्रदान करते है, इस संकल्प के अंतर्गत प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति या बोर्ड द्वारा विधिवत रूप से गठित किसी भी समिति को शामिल

Head Office: Plot No.4, Sector 10, Dwarka, New Delhi – 110075
(E-mail id: hosd@pnb.co.in)

## NOTICE

NOTICE IS HEREBY GIVEN that the 24th Annual General Meeting of the Shareholders of Punjab National Bank will be held on **Friday, 27th June, 2025 at 11.00 A.M. (IST) through Video Conferencing (VC)/Other Audio-Visual Means (OAVM)** to transact the following business:

**ORDINARY BUSINESS**

**Item No.1: To discuss, approve and adopt the Audited Balance Sheet of the Bank as at 31st March 2025, Profit and Loss Account of the Bank for the year ended 31st March 2025, the Report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the Accounts and the Auditor's Report on the Balance Sheet and Accounts.**

**Item No.2: To declare dividend at the rate of ₹2.90 per equity share of Face Value of ₹2/- each for the financial year 2024-25**

**SPECIAL BUSINESS**

**Item No. 3: To consider and approve the Material Related Party Transactions for Outright securities transactions (sale/purchase of securities), Money Market transactions, Primary subscription of securities, Security Arranger services in PNBs NCD issuances through EBP in which PNB Gilts may be arranger/one of the arrangers to the issue and also such other transactions such as purchase/sale of Government Securities (G-Sec), Bonds/ Debentures of PSUs, other bodies as may be disclosed in the notes forming part of the Financial Statements for the relevant Financial Year with PNB Gilts Limited (Subsidiary), PNB Housing Finance Ltd. (Associate) and PNB Metlife India Insurance Co. Ltd. (Associate)**

To consider and if thought fit, to pass the following as Ordinary Resolution:

"**RESOLVED THAT** pursuant to the provisions of Regulation 23(4) of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (hereinafter referred to as "SEBI Listing Regulations") and such other applicable provisions of law, if any, and any amendments, modifications, variations or re-enactments thereof (hereinafter referred to as "Applicable Laws") and the 'Policy on Related Party Transactions' of Punjab National Bank (hereinafter referred to as "Bank"), the Shareholders of the Bank do hereby **accord omnibus approval** to the Board of Directors of the Bank (hereinafter referred to as "Board", which term shall be deemed to include the Audit Committee of Board or any Committee duly constituted by the Board, to exercise its powers conferred under this

माना जाएगा) को वित्त वर्ष 2024–25 के लिए एजीएम की तिथि (आर्थात, 27 जून, 2025) से अंगली एजीएम की तिथि तक ₹1000 करोड़ या बैंक के अंतिम लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार बैंक के वार्षिक समेकित टर्नओवर के 10% के मैटेरियलिटी थ्रेसहोल्ड, जो भी कम हो, से अधिक राशि के लिए एकमुश्त प्रतिमूर्ति लेन–देन (प्रतिभूतियों की बिक्री/खरीद), मुद्रा बाजार लेन–देन, प्रतिभूतियों की प्राथमिक सदस्यता, पीएनबी एनसीडी निर्गमन में ईबीपी के माध्यम से सुरक्षा व्यवस्थाकर्ता सेवा, जिसमें पीएनबी गिल्ट्स निर्गम के लिए व्यवस्थाकर्ता/व्यवस्थाकर्ताओं में से एक हो सकता है और ऐसे अन्य लेन–देन भी जैसे सरकारी प्रतिभूतियों (जी–सेक) पीएसयू अन्य निकाय के बॉण्ड/डिबेंचर की खरीद/बिक्री और जो प्रासंगिक वित्तीय वर्ष के लिए वित्तीय विवरण का हिस्सा बनने वाली टिप्पणियों में प्रकट किया जा सकते हैं, जैसा कि लागू कानूनों के अंतर्गत निर्धारित किया गया है, पीएनबी गिल्ट लिमिटेड (सहायक) और पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (एसोसिएट) प्रत्येक के लिए ₹6000 करोड़ से अधिक नहीं और पीएनबी मेटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (एसोसिएट) के लिए ₹2000 करोड़ से अधिक नहीं, वित्त वर्ष 2024–25 (अर्थात 27 जून, 2025) के लिए एजीएम की तिथि से लेकर अगली एजीएम की तिथि तक, जैसा कि नोटिस के साथ संलग्न व्याख्यात्मक वक्तव्य में निर्दिष्ट है।"

" **आगे यह संकल्प किया जाता है कि** बोर्ड सभी आवश्यक दस्तावेजों, अनुबंधों, विलेखों, करारों पर हस्ताक्षर करने और निष्पादित करने और ऐसे सभी कार्यों, डीड, मामलों और चीजों को करने के लिए, जैसा कि वह अपने पूर्ण विवेकाधिकार से इस संकल्प को लागू करने और इस संबंध या इस प्रसंग में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रश्न का समाधान करने के लिए आवश्यक या उचित समझे, अधिकृत है और एतद्वारा इसे **अधिकृत** किया जाता है, आगे, शेयरध ारकों की सहमति या अंत में स्वीकृति लेने की आवश्यकता के बिना और इस आशय से कि शेयरधारकों ने इस संकल्प के प्राधिकार द्वारा स्पष्ट रूप से अपनी स्वीकृति दे दी है।

" **आगे यह भी संकल्प किया जाता है कि** बोर्ड एतद्द्वारा इसे प्रदान की गई सभी या किसी भी शक्ति को जैसा कि यह पूर्वोक्त संकल्प को लागू करने के लिए उचित समझे, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी या कार्यपालक निदेशक (को) या कार्यपालकों की समिति या बैंक के किसी अधिकारी (अधिकारियो) को सौंपने के लिए **अधिकृत** है और एतद्द्वारा इसे अधिकृत किया जाता है।

**<u>मद संख्या 4 : पीएनबी गिल्ट्स लिमिटेड (समनुषंगी) और पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (सहायक कंपनी) के साथ ऋण और अग्रिम के लिए संबंधित पार्टी के महत्वपूर्ण लेन–देन पर विचार करना और अनुमोदन करना।</u>**

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और उचित समझे जाने पर, निम्नलिखित साधारण संकल्प पारित करनाः

" **संकल्प किया जाता है कि** प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 (इसके बाद 'सेबी सूचीबद्धता विनियम के रूप में संदर्भित) के विनियम 23(4) के प्रावधानों और ऐसे अन्य लागू कानूनी प्रावधानों, यदि कोई हो. और उसमें किसी भी संशोधन, आशोधन, परिवर्तन परिवर्तन या उसके पुनः अधिनियमन (इसके बाद श्लागू कानून के रूप में संदर्भित) और पंजाब नैशनल बैंक (इसके बाद 'बैंक' के रूप में संदर्भित) की संबंधित पक्ष की लेन–देन पर नीति के अनुसरण में, बैंक के शेयरधारक एतद्वारा बैंक के निदेशक मंडल (इसके बाद 'बोर्ड' 'बोर्ड' के रूप में संदर्भित, जिस शब्द में इस संकल्प के अंतर्गत प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति या बोर्ड द्वारा

resolution), for entering into and/or carrying out and/or continuing with contracts or arrangements or transactions (whether individual transaction or transactions taken together or a series of transactions or otherwise) for Outright securities transactions (sale/purchase of securities), Money Market transactions, Primary subscription of securities, Security Arranger services in PNBs NCD issuances through EBP in which PNB Gilts may be arranger/one of the arrangers to the issue and also such other transactions such as purchase/sale of Government Securities (G-Sec), Bonds/ Debentures of PSUs, other bodies as may be disclosed in the notes forming part of the Financial Statements for the relevant Financial Year, for an amount in excess of the materiality threshold of ₹1000 Crore or 10% of the Annual Consolidated Turnover of the Bank as per the last audited financial statements of the Bank, whichever is lower, as prescribed under Applicable Laws, not exceeding ₹6000 Crore each for PNB Gilts Limited (subsidiary) & PNB Housing Finance Limited (Associate) and not exceeding ₹2000 Crore for PNB Metlife India Insurance Company Limited (Associate), from the date of AGM for FY 2024-25 (i.e., 27th June, 2025) till the date of next AGM, as specified in the Explanatory Statement annexed to the Notice."

"**RESOLVED FURTHER THAT** the Board be and is hereby **authorised** to sign and execute all necessary documents, contracts, deeds, agreements and to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its absolute discretion deem necessary or expedient to give effect to this resolution and to settle any question that may arise in this regard and incidental thereto, without being required to seek any further consent or approval of the shareholders to the end and intent that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of this resolution."

"**RESOLVED FURTHER THAT** the Board be and is hereby **authorised** to delegate all or any of the powers herein conferred on it, to the Managing Director & CEO or Executive Director(s) or Committee of Executives or any Officer(s) of the Bank, as it may deem fit, to give effect to the aforesaid Resolution."

**<u>Item No.4:</u> To consider and approve the Material Related Party Transactions for Loans and Advances with PNB Gilts Ltd. (Subsidiary) and PNB Housing Finance Ltd. (Associate)**

To consider and if thought fit, to pass the following as Ordinary Resolution:

"**RESOLVED THAT** pursuant to the provisions of Regulation 23(4) of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (hereinafter referred to as "SEBI Listing Regulations") and such other applicable provisions of law, if any, and any amendments, modifications, variations or re-enactments thereof (hereinafter referred to as "Applicable Laws") and the 'Policy on Related Party Transactions' of Punjab National Bank (hereinafter referred to as "Bank"), the Shareholders of the Bank do hereby **accord omnibus approval** to the Board of Directors of the Bank (hereinafter referred to as "Board", which term shall be deemed to include the Audit Committee of Board or any Committee duly constituted by the Board, to exercise its powers conferred

विधिवत रूप से गठित किसी भी समिति को शामिल माना जाएगा) को सेबी सूचीबद्धता विनियम के विनियम 2(1) (जेडबी) के अभिप्राय के भीतर बैंक की संबंधित पार्टियाँ, पीएनबी गिल्ट्स लिमिटेड, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (पीएनबीएचएफएल) के साथ वित्त वर्ष 2024–25 के लिए एजीएम की तिथि (अर्थात, 27 जून, 2025) से अगली एजीएम की तिथि तक ₹1000 करोड़ या बैंक के अंतिम लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार बैंक के वार्षिक समेकित टर्नओवर के 10% के मैटेरियलिटी थ्रेसहोल्ड, जो भी कम हो. से अधिक राशि के लिए, जैसा कि लागू कानूनों के अंतर्गत निर्धारित है, पीएनबी गिल्ट्स लिमिटेड (सहायक) के लिए ₹4000 करोड़ से अधिक नहीं और पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (एसोसिएट) के लिए ₹7100 करोड़ से अधिक नहीं, वित्त वर्ष 2024–25 के लिए एजीएम की तारीख (अर्थात 27 जून, 2025) से अगली एजीएम की तारीख तक, जैसा कि सूचना में संलग्न व्याख्यात्मक वक्तव्य में निर्दिष्ट है। "**सर्वसम्मति से अनुमोदन** प्रदान करते हैं।

" **आगे यह संकल्प किया जाता है कि** बोर्ड सभी आवश्यक दस्तावेजों, अनुबंधों, विलेखों, करारों पर हस्ताक्षर करने और निष्पादित करने और ऐसे सभी कार्यों, डीड, मामलों और चीजों को करने के लिए, जैसा कि वह अपने पूर्ण विवेकाधिकार से इस संकल्प को लागू करने और इस संबंध या इस प्रसंग में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रश्न का समाधान करने के लिए आवश्यक या उचित समझे, अधिकृत है और एतद्द्वारा इसे अधिकृत किया जाता है, इसके आगे, शेयरधारकों की सहमति या अंत में स्वीकृति लेने की आवश्यकता के बिना और इस आशय से कि शेयरधारकों ने इस संकल्प के प्राधिकार द्वारा स्पष्ट रूप से अपनी स्वीकृति दे दी है।

" **आगे यह भी संकल्प किया जाता है कि** बोर्ड एतद्द्वारा इसे प्रदान की गई सभी या किसी भी शक्ति को जैसा कि यह पूर्वोक्त संकल्प को लागू करने के लिए उचित समझे, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी या कार्यपालक निदेशक (को) या कार्यपालकों की समिति या बैंक के किसी अधिकारी (अधिकारियों) को सौंपने के लिए **अधिकृत** है और एतद्वारा इसे अधिकृत किया जाता है।

**मद संख्या 5 : बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में श्री अशोक चंद्र की नियुक्ति पर विचार करना और अनुमोदन करना।**

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और उचित समझे जाने पर, निम्नलिखित साधारण संकल्प पारित करना:

"**संकल्प किया जाता है कि** बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण I) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (ए) के साथ पठित, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता(लिस्टिंग) बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 17(1सी) के परंतुक यथासंशोधित के अनुसार, वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या ईएफ.सं. 4⁄4(प)⁄2023–बीओ.ᑊ दिनांक 16 जनवरी , 2025 के माध्यम से श्री अशोक चंद्र को बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में नियुक्ति पदभार ग्रहण करने की तिथि 16 जनवरी, 2025 से तीन वर्ष की अवधि के लिए, या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, भारत सरकार द्वारा निर्धारित समान नियमों और शर्तों पर एतदद्वारा **अनुमोदित किया जाता है।**"

**मद संख्या 6 : बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में श्री कल्याण कुमार के कार्यकाल विस्तार पर विचार करना और अनुमोदन करना।**

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और उचित समझे जाने पर, निम्नलिखित साधारण संकल्प पारित करना:

"**संकल्प किया जाता है कि** भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता

under this resolution), for entering into and/or carrying out and/or continuing with contracts or arrangements or transactions (whether individual transaction or transactions taken together or a series of transactions or otherwise) of granting of Loans and Advances such as Line of Credit, etc., to PNB Gilts Limited and PNB Housing Finance Limited (PNBHFL), Related Parties of the Bank within the meaning of Regulation 2(1)(zb) of SEBI Listing Regulations, for an amount in excess of the materiality threshold of ₹1000 Crore or 10% of the Annual Consolidated Turnover of the Bank as per the last audited financial statements of the Bank, whichever is lower, as prescribed under Applicable Laws, not exceeding ₹4000 Crore for PNB Gilts Limited (subsidiary) and not exceeding ₹7100 Crore for PNB Housing Finance Limited (Associate), from the date of AGM for FY 2024-25 (i.e., 27$^{th}$ June, 2025) till the date of next AGM, as specified in the Explanatory Statement annexed to the Notice."

"**RESOLVED FURTHER THAT** the Board be and is hereby **authorised** to sign and execute all necessary documents, contracts, deeds, agreements and to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its absolute discretion deem necessary or expedient to give effect to this resolution and to settle any question that may arise in this regard and incidental thereto, without being required to seek any further consent or approval of the shareholders to the end and intent that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of this resolution."

"**RESOLVED FURTHER THAT** the Board be and is hereby **authorised** to delegate all or any of the powers herein conferred on it, to the Managing Director & CEO or Executive Director(s) or Committee of Executives or any Officer(s) of the Bank, as it may deem fit, to give effect to the aforesaid Resolution."

**Item No.5: To consider and approve the appointment of Shri Ashok Chandra as Managing Director & Chief Executive Officer of the Bank**

To consider and if thought fit, to pass the following as Ordinary Resolution:

"**RESOLVED THAT** pursuant to the First Proviso to Regulation 17(1C) of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended, read with clause (a) of sub-section (3) of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the appointment of Shri Ashok Chandra vide DFS, Ministry of Finance, Government of India's Notification no. eF.No.4/4(i)/2023-BO.I dated 16$^{th}$ January, 2025 as the Managing Director & Chief Executive Officer of the Bank with effect from 16$^{th}$ January, 2025 for a period of three years with effect from the date of assumption of charge of the office, or until further orders, whichever is earlier, on the terms and conditions as determined by the Government of India, be and is hereby **approved.**"

**Item No.6: To consider and approve the extension of Shri Kalyan Kumar as Executive Director of the Bank.**

To consider and if thought fit, to pass the following as Ordinary Resolution:

"**RESOLVED THAT** pursuant to the First Proviso to Regulation 17(1C)

(लिस्टिंग) बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 17(1सी) के प्रथम प्रावधान के अनुसार यथासंशोधित बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (ए) के साथ पठित, श्री कल्याण कुमार की वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या ईएफ.सं.4/2(iii)/2024–बीओ. I दिनांक 19 अगस्त, 2024 के अनुसार 20 अक्टूबर, 2024 से आगे दो वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो के लिए बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्ति, भारत सरकार द्वारा निर्धारित नियमों और शर्तों पर एतद्वारा अनुमोदित की जाती है।"

**<u>मद संख्या 7 : बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में श्री डी. सुरेन्द्रन की नियुक्ति पर विचार करना एवं अनुमोदन करना।</u>**

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और उचित समझे जाने पर, निम्नलिखित साधारण संकल्प पारित करना:

" **संकल्प किया जाता है कि** भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 17(1सी) के प्रथम प्रावधान के अनुसार, यथासंशोधित बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (ए) के साथ पठित, वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या ईएफ.सं. 4/5(ii)/2023–बीओ.। दिनांक 24 मार्च, 2025 के माध्यम से श्री डी. सुरेन्द्रन की नियुक्ति बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में, पदभार ग्रहण करने की तिथि से उनकी अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने की तिथि अर्थात 31.05.2027 तक, या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, भारत सरकार द्वारा निर्धारित समान नियमों और शर्तों पर एतद्वारा **अनुमोदित** किया जाता है।"

**<u>मद संख्या 8 : वित्त वर्ष 2025–26 से वित्त वर्ष 2029–30 तक 5 (पांच) वर्ष की अवधि के लिए सचिवीय लेखा परीक्षा करने और वार्षिक सचिवीय अनुपालन रिपोर्ट जारी करने के लिए मेसर्स अग्रवाल एस एंड एसोसिएट्स को सचिवीय लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त करने पर विचार करना एवं अनुमोदन करना।</u>**

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और उचित समझे जाने पर, निम्नलिखित साधारण संकल्प पारित करना:

" **यह संकल्प किया जाता है कि** भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 ('सूचीबद्धता विनियम') के अन्य लागू प्रावधानों तथा विनियम 24ए और के अनुसार समय–समय पर जारी परिपत्रों और कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') और उसके तहत बनाए गए नियमों के लागू प्रावधानों के साथ पठित बैंक के निदेशक मंडल की अनुशंसा के अनुसार, मेसर्स। अग्रवाल एस एंड एसोसिएट्स, जो कि अभ्यासरत कंपनी सचिवों की एक फर्म है, (फर्म पंजीकरण संख्या : P2003DE049100) को **31 मार्च, 2026** को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष से **31 मार्च, 2030** ('अवधि') तक सचिवीय ऑडिट करने के लिए लगातार 5 वर्षों की अवधि के लिए बैंक के सचिवीय ऑडिटर के रूप में (i) अवधि के लिए लिस्टिंग विनियमों के विनियम 24ए के अंतर्गत सचिवीय लेख परिक्षा रिपोर्ट और (ii) सचिवीय अनुपालन रिपोर्ट 5 (पांच) वर्षों के लिए 2,95,000/– रुपये (दो लाख पंचानबे हजार रुपये मात्र) प्लस जीएसटी के पारिश्रमिक पर जीएसटी 5 (पांच) वर्षों के लिए नियुक्त और एतदद्वारा नियुक्त किया जाता है।

of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended, read with clause (a) of sub-section (3) of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the extension of Shri Kalyan Kumar vide DFS, Ministry of Finance, Government of India's Notification no. eF.No.4/2(iii)/2024-BO.I dated 19th August, 2024 as the Executive Director of the Bank for a period of two years beyond 20th October, 2024, or until further orders, whichever is earlier, on the terms and conditions as determined by the Government of India, be and is hereby **approved**."

**<u>IItem No. 7:</u> To consider and approve the appointment of Shri D Surendran as Executive Director of the Bank**

To consider and if thought fit, to pass the following as Ordinary Resolution:

"**RESOLVED THAT** pursuant to the First Proviso to Regulation 17(1C) of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended, read with clause (a) of sub-section (3) of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the appointment of Shri D Surendran vide DFS, Ministry of Finance, Government of India's Notification no. eF.No. 4/5(ii)/2023-BO.I dated 24th March, 2025 as the Executive Director of the Bank with effect from the date of assumption of charge of the post till the date of his attaining the age of superannuation i.e. 31.05.2027, or until further orders, whichever is earlier, on the terms and conditions as determined by the Government of India, be and is hereby **approved**."

**<u>Item No. 8:</u> To consider and approve the Appointment of M/s Agarwal S. & Associates as the Secretarial Auditor for carrying out Secretarial Audit and Issuance of Annual Secretarial Compliance Report for a term of 5 (five) years from FY 2025-26 to FY 2029-30.**

To consider and if thought fit, to pass the following as Ordinary Resolution:

"**RESOLVED THAT** pursuant to Regulation 24A and other applicable provisions of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("the Listing Regulations") read with Circulars issued thereunder from time to time and applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("the Act") and Rules made thereunder and in accordance with the recommendation of the Board of Directors of the Bank, M/s. Agarwal S. & Associates, a firm of Company Secretaries in practice, (Firm Registration Number: P2003DE049100) be and is hereby appointed as the Secretarial Auditors of the Bank for a term of 5 consecutive years, to conduct the Secretarial Audit commencing from financial year ending 31st March, 2026 and ending on 31st March, 2030 ('the Term') and to issue (i) the Secretarial Audit Report under Regulation 24A of the Listing Regulations for the Term and (ii) Secretarial Compliance Report, at a remuneration of Rs. 2,95,000/- (Rupees Two Lakh Ninety Five Thousand only) plus GST for 5 (five) years.

'' **आगे यह भी संकल्प किया जाता है कि** निदेशक मंडल (इसकी किसी भी समिति सहित) को ऐसे सभी कार्यों, डीड तथा ऐसे सभी कदम उठाने जो इस प्रस्ताव या इसके प्रासंगिक किसी भी अन्य मामले को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक हो के लिए अधिकृत किया जाता है ''

निदेशक मंडल के आदेश से
**कृते पंजाब नैशनल बैंक**

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 04.06.2025

**(बिक्रमजीत शोम)**
**कंपनी सचिव**

"**RESOLVED FURTHER THAT** the Board of Directors (including any committees thereof) be and are hereby authorized to do all such acts, deeds and take all such steps as may be necessary to give effect to this resolution or any other matters incidental thereto."

By order of the Board of Directors
**For Punjab National Bank**

Place: New Delhi
Date: 04.06.2025

**(Bikramjit Shom)**
**Company Secretary**

## टिप्पणियाँ :

1. **वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो-विजुअल माध्यमों (ओएवीएम) के माध्यम से वार्षिक आम बैठक**

कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) ने मई, 2020 और मई, 2022, दिसंबर, 2022 एवं सितंबर 2023 में जारी अपने पूर्ववर्ती परिपत्रों के साथ पठित दिनांक 19 सितंबर, 2024 के परिपत्र के माध्यम से कंपनियों को एमसीए परिपत्र(त्रों) में प्रदत्त संरचना के अनुसार 30 सितंबर 2025 तक वीसी या ओएवीएम के माध्यम से अपनी एजीएम आयोजित करने की अनुमति दी है। इसके अतिरिक्त सेबी ने दिनांक 03 अक्टूबर, 2024 के अपने परिपत्र के माध्यम से आम बैठकों के संबंध में सेबी (एलओडीआर) विनियम के विनियमन 36(1)(बी) और विनियम 44(4) की प्रयोज्यता के संबंध में छूट को 30 सितंबर, 2025 तक बढ़ा दिया है।

उपर्युक्त दिशानिर्देशों एवं बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 एवं सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के प्रावधानों के अनुसार, बैंक की 24वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) वीसीध्ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जा रही है, जिसके लिए साझा स्थल पर शेयरधारकों की भौतिक उपस्थिति की आवश्यकता नहीं है। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने वाले शेयरधारकों की गणना पंजाब नेशनल बैंक (शेयर एवं बैठके) विनियम, 2000 के विनियमन 58 के अंतर्गत कोरम की गणना के उद्देश्य से की जाएगी। 24वीं एजीएम के लिए मान्य स्थल बैंक का प्रधान कार्यालय होगा।

वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने, रिमोट ई-वोटिंग एवं ई-वोटिंग के माध्यम से वोटिंग एवं एजीएम के दौरान ई वोटिंग की सुविधा नैशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) द्वारा प्रदान की जाएगी।

शेयरधारक वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में शामिल हो सकते हैं जो शेयरधारकों के लिए 27 जून, 2025 को प्रातः 10:30 बजे से अर्थात एजीएम शुरू होने के निर्धारित समय से 30 मिनट पहले खुला रहेगा। वीसी/ओएवीएम सुविधा में शामिल होने के लिए निर्धारित रहेगा समय के 30 मिनट बाद बैंक/एनएसडीएल विंडो को बंद कर सकता है।

शेयरधारक कृपया ध्यान दें कि एनएसडीएल द्वारा प्रदान की जाने वाली वीसीध्ओएवीएम सुविधा, 'पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर कम से कम 1,000 शेयरधारकों की भागीदारी की अनुमति देती है। बैंक की शेयर पूंजी का 2% या अधिक शेयर रखने वाले, प्रमोटर, संस्थागत निवेशक, निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक, लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष, नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति एवं हितधारक संबंध समिति, लेखा परीक्षक, आदि 'पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर बिना किसी प्रतिबंध के एजीएम में भाग ले सकते हैं।

2. **इस नोटिस में यथानिर्धारित मद सं. 3 से 8 के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्यों को निर्धारित करने वाले प्रासंगिक व्याख्यात्मक विवरण इसके साथ संलग्न हैं।**

3. **प्रॉक्सी की नियुक्ति**

बैठक में भाग लेने और मतदान करने का हकदार शेयरधारक, अपने स्थान पर भाग लेने और मतदान करने के लिए एक प्रॉक्सी नियुक्त करने का हकदार है और ऐसे प्रॉक्सी को बैंक का शेयरधारक होना आवश्यक नहीं है। उपर्युक्त एमसीए और सेबी परिपत्रों **के अनुसार, चूंकि शेयरधारकों की भौतिक उपस्थिति समाप्त कर दिया गया है, अतः प्रॉक्सी की नियुक्ति की कोई आवश्यकता नहीं है। तदनुसार, शेयरध ारकों द्वारा प्रॉक्सी की नियुक्ति की सुविधा एजीएम के लिए उपलब्ध नहीं होगी एवं इसलिए, प्रॉक्सी नियुक्त करने के लिए साधन एवं उपस्थिति पर्ची नोटिस के साथ संलग्न नहीं की जा रही है।**

## NOTES:

1. **Annual General Meeting through Video Conferencing (VC)/ Other Audio-Visual Means (OAVM)**

The Ministry of Corporate Affairs (MCA), has vide Circular dated 19th September, 2024 read with its preceding Circulars issued in May, 2020 & May, 2022, December, 2022 and September 2023 permitted the companies, to conduct their AGMs through VC or OAVM upto 30th September, 2025 in accordance with the framework provided in the MCA Circular(s). SEBI has also vide its Circular dated 03rd October, 2024 has further extended the relaxation with respect to applicability of Regulation 36(1)(b) and Regulation 44(4) of the SEBI (LODR) Regulations in respect of General Meetings till 30th September, 2025.

In accordance with the aforesaid Guidelines and the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 & the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the 24th Annual General Meeting (AGM) of the Bank is being conducted through VC/OAVM which does not require physical presence of shareholders at a common venue. The shareholders attending the AGM through VC/OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Regulation 58 of Punjab National Bank (Shares & Meetings) Regulations, 2000. The deemed venue for the 24th AGM shall be the Head Office of the Bank.

The facility for participation in the AGM through VC/OAVM, voting through remote e-voting and e-voting during the AGM, will be provided by National Securities Depository Limited (NSDL).

Shareholders may join the AGM through VC/OAVM facility which shall be kept open for the shareholders on 27th June, 2025 from 10:30 a.m. i.e., 30 minutes before the time scheduled to start the AGM. The Bank/NSDL may close the window for joining the VC/ OAVM facility 30 minutes after the scheduled start time.

Shareholders may please note that the VC/OAVM facility, provided by NSDL, allows participation of at least 1,000 shareholders on a 'first-come, first-serve' basis. The shareholders holding 2% or more of the share capital of the Bank, Promoter, Institutional Investors, Directors, Key Managerial Personnel, the Chairpersons of the Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee and Stakeholders Relationship Committee, Auditors, etc., can attend the AGM without any restriction on account of 'first-come, first-serve' basis.

2. **The relevant Explanatory Statements setting out material facts in respect of Item Nos. 3 to 8 as set out in this Notice is annexed hereto.**

3. **Appointment of Proxy**

A shareholder entitled to attend and vote at the meeting, is entitled to appoint a proxy to attend and vote instead of himself/ herself and such a proxy need not be a shareholder of the Bank. **Pursuant to the aforesaid MCA & SEBI Circulars, as the physical attendance of the Shareholders has been dispensed with, there is no requirement of appointment of proxies. Accordingly, the facility of appointment of proxies by shareholders will not be available for the AGM and therefore, the instrument for appointing proxy and attendance slip are not being attached to the Notice.**

**4. प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति :**

कोई भी व्यक्ति, वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने एवंध्या ई–वोटिंग के माध्यम से किसी निकाय कॉर्पोरेट के विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में मतदान करने का हकदार नहीं होगा, जब तक कि उसे विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करने वाले संकल्प की प्रमाणित सत्य प्रति बैठक की तिथि से कम से कम चार दिन पहले अर्थात सोमवार, 23 जून, 2025 को कार्यदिवस समाप्ति से पूर्व अर्थात् सायं 5.00 बजे को या उससे पूर्व शेयर विभाग, पंजाब नैशनल बैंक, पश्चिमी विंग, द्वितीय तल, प्लॉट नंबर 4. सेक्टर 10. द्वारका, नई दिल्ली 110075 को जमा कर दी जाए या एक प्रति evoting@nsdl.com और hosd@pnb.co.in को प्रेषित करते हुए sachincs2022@gmail.com पर ई–मेल द्वारा भेजी न गई हो।

बैंक के किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को शेयरधारक के प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा।

**5. लाभांश का भुगतानः**

निदेशक मंडल ने 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए प्रत्येक ₹2/– प्रति इक्विटी शेयर पर ₹2.90 के लाभांश की संस्तुति की है।

लाभांश का भुगतान, यदि शेयरधारकों द्वारा 24 वीं वार्षिक आम बैठक में घोषित किया जाता है, तो उन शेयरधारकों को किया जाएगा जिनके नाम प्रदर्शित हैः

ए. लाभकारी स्वामी के रूप में इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखे गए शेयरों के संबंध में एनएसडीएल/सीडीएसएल के रिकॉर्ड के अनुसार शुक्रवार, 20 जून, 2025 को कारोबार के समय की समाप्ति पर एवं/या

बी. शुक्रवार, 20 जून, 2025 को शेयरधारकों के रजिस्टर में भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों एवं मृतक शेयरकधारको के कानूनी उत्तराधिकारी से प्राप्त वैध ट्रांसमिशन अनुरोधों को प्रभावी करने के बाद।

लाभांश के भुगतान की रिकॉर्ड तिथि शनिवार, 20 जून, 2025 होगी।

**लाभांश भुगतान की तिथि शुक्रवार, 10 जुलाई, 2025 होगी।**

अत, शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपने पूर्ण बैंक विवरण को पंजीकृत/अपडेट करें।

i) अपने डिपाजिटरी पार्टीसिपेंट, जिसके साथ उनके डीमैट खाते है, यदि शेयर डीमैटरिलाइज्ड मोड में हैं. डीमैटरिलाइज्ड पार्टीसिपेट्स द्वारा अपेक्षित प्रपत्र एवं दस्तावेज जमा करके, एवं

ii) बैंक/बैंक के एसटीए के पास विधिवत भरे हुए केवाईसी फॉर्म–आईएसआर–1, आईएसआर–2, आईएसआर–3/एसएच–13 के साथ–साथ पैन कार्ड की एसवी–सत्यापित प्रति, फोटो आईडी, पते के प्रमाण, रद्द चेक लीफ भेजकर, यदि शेयर भौतिक मोड में रखे गए हो।

लाभांश का भुगतान उन शेयरधारकों को इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से किया जाएगा जिन्होंने अपने बैंक खाते के विवरण को अपडेट किया है। लाभांश वारंट/डिमांड ड्राफ्ट बैंक द्वारा अपने रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट (एसटीए) अर्थात बीटल फाइनेंशियल एंड कंप्यूटर सर्विसेज (प्राइवेट) लिमिटेड के माध्यम से, लाभांश के भुगतान की तिथि से पहले, उन शेयरधारकों (डीमैट रूप में शेयर रखने वाले) के पंजीकृत पते पर भेजे जाएंगे, जिन्होंने नियामक दिशानिर्देशों के अनुसार अपने बैंक खाते के विवरण को अपडेट नहीं किया है।

**भौतिक शेयरों के संबंध लाभांश के भुगतान के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारीः**

सेबी ने अपने मास्टर परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/एमआईआरएसडी/पीओडी – 1/पी/सीआईआर/2024/37 दिनांक 7 मई, 2024 के माध्यम से अन्य बातों के

**4. Appointment of an Authorised Representative:**

No person shall be entitled to attend the AGM through VC/OAVM and/or vote through e-voting as duly authorized representative of a body corporate, unless a certified true copy of the resolution appointing him/her as a duly authorized representative, shall have been deposited to the Share Department, Punjab National Bank, West Wing, Fifth Floor, Plot No.4, Sector 10, Dwarka, New Delhi 110075 or is sent to the Scrutinizer by e-mail to sachincs2022@gmail.com with a copy marked to evoting@nsdl.com and hosd@pnb.co.in, not less than three days before the date of the meeting i.e. on or before the closing hours i.e. 5.00 p.m. of Monday, 23rd June, 2025.

No officer or employee of the Bank shall be appointed as Authorised Representative of a shareholder.

**5. Payment of Dividend:**

The Board of Directors has recommended dividend of ₹2.90 per equity share of ₹2/- each for the financial year ended 31st March, 2025.

The payment of dividend, if declared by the shareholders in the 24th Annual General Meeting, will be made to those shareholders whose names appear:

a) as Beneficial Owners as at the close of business hours on Friday, 20th June, 2025 as per the record of NSDL/CDSL in respect of the shares held in electronic form and / or

b) in the Register of shareholders as on Friday, 20th June, 2025 after giving effect to the valid transmission requests received from the shareholders & legal heirs of deceased holders holding shares in physical form.

The Record Date for payment of Dividend will be Friday, 20th June, 2025.

**The dividend payment date will be Thursday, 10th July, 2025.**

Shareholders are therefore requested to register/update their complete bank details:

i) with their Depository Participant(s) with which they maintain their demat accounts, if shares are held in dematerialised mode, by submitting forms and documents as may be required by the Depository Participant(s); and

ii) with the Bank/Bank's STA by sending duly filled KYC form - ISR-1, ISR-2, ISR-3/SH-13 along with self-attested copy of pan card, photo id address proof, cancelled cheque leaf, if shares are held in physical mode.

Payment of dividend shall be made through electronic mode to the shareholders who have updated their bank account details. Dividend Warrants/Demand Drafts will be dispatched by the Bank through its Registrar and Share Transfer Agent (STA) viz. Beetal Financial & Computer Services (Pvt.) Ltd., before the date of payment of dividend, to the registered address of the shareholders (holding shares in demat form) who have not updated their bank account details, in accordance with regulatory guidelines.

**Important Information regarding Payment of Dividend in respect of physical shares:**

SEBI vide its Master Circular No. SEBI/HO/MIRSD/POD-1/P/CIR/2024/37 dated 7th May, 2024 has issued inter alia, guidelines on 'Common and

साथ–साथ, आरटीए द्वारा निवेशक के सेवा अनुरोध को संसाधित करने के लिए सामान्य और सरलीकृत मानदंड और पैन, केवाईसी विवरण और नामांकन प्रस्तुत करने के मानदंड पर दिशानिर्देश जारी किए हैं। मास्टर परिपत्र के पैरा 19.1 में भौतिक प्रतिभूतियों के सभी धारकों को उनके संबंधित फोलियो नंबर के लिए पैन, नामांकन का विकल्प, संपर्क विवरण, बैंक खाता विवरण और नमूना हस्ताक्षर प्रस्तुत करना अनिवार्य किया गया है। उसी के क्रम में, पैरा 19.2 में पैन, केवाईसी विवरण और नामांकन के बिना फोलियो में सेवाओं का लाभ उठाने और लाभांश आदि के भुगतान की प्रक्रिया निर्धारित की गई है, जो इस प्रकार है:

**19.2. पैन, केवाईसी विवरण और बैक खाता विवरण फोलियो:** प्रतिभूति धारक (को) जिनके फोलियो में पैन, संपर्क विवरण, बैंक खाता विवरण और नमूना हस्ताक्षर अपडेट नहीं हैं, वे:

- पैन, केवाईसी विवरण और नामांकन प्रस्तुत करने के बाद ही आरटीए में शिकायत दर्ज करने या किसी भी सेवा अनुरोध का लाभ उठाने हेतु पात्र होंगे।
- **ऐसे फोलियो के संबंध में लाभांश, ब्याज या मोचन भुगतान सहित किसी भी भुगतान के लिए, 01 अप्रैल 2024 से केवल इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से भुगतान किया जाएगा। सूचीबद्ध कंपनी द्वारा प्रतिभूति धारक को सूचना भेजी जाएगी कि ऐसा भुगतान देय है और मास्टर परिपत्र के पैरा 19.1 में बताई गई अपेक्षाओं का अनुपालन करने पर ही इलेक्ट्रॉनिक मोड से भुगतान किया जाएगा।**

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, यदि आपके पास भौतिक रूप में शेयर हैं, तो आपको वैध पैन, नामांकन का विकल्प, संपर्क विवरण, बैंक खाता विवरण और अद्यतन नमूना हस्ताक्षर तुरंत निर्धारित फॉर्म होगा। (बैंक की वेबसाइट : www.pnbindia.in **पर लिंक के अंतर्गत उपलब्ध है:** https://www.pnbindia.in/Important-Announcement-to-Physical-Shareholders.html), में बैंक के आरटीए को प्रस्तुत करना है। यदि अभी तक नहीं किया गया है, ताकि आप निर्वाध सेवा अनुरोधों के साथ–साथ बैंक खाते में लाभांश क्रेडिट का लाभ उठा सकें, 01 अप्रैल, 2024 से भौतिक वारंट जारी करने के माध्यम से किसी लाभांश का भुगतान नहीं किया जाएगा। आपकी सुविधा के लिए, आप इलेक्ट्रॉनिक लाभांश भुगतान का लाभ उठाने के लिए भौतिक होल्डिंग को डीमैटरियलाइज भी कर सकते हैं।

**स्रोत पर कर कटौती:**

वित्त अधिनियम, 2020 द्वारा यथा संशोधित आयकर अधिनियम, 1961 (अधिनियम) के अनुसार 1 अप्रैल, 2020 के बाद बैंक द्वारा भुगतान या वितरित लाभांश शेयरधारकों के लिए कर योग्य होगा। अत: बैंक में शेयरधारकों को लाभांश का भुगतान करते समय निर्धारित दरों पर, स्त्रोत पर कर (टीडीएस) की कटौती, जहां भी लागू हो. करनी होगी। विवरण के लिए, शेयरधारक इस नोटिस के साथ संलग्न अनुलग्नक देख सकते हैं।

**6. मतदान का अधिकार**

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 (यथा संशोधित) की धारा 3(2ई) के उपबंधों के अनुसार, केन्द्र सरकार के अलावा बैंक का कोई भी शेयरधारक बैंक के सभी शेयरधारकों के कुल मताधिकार के 10: से अधिक उसके द्वारा धारित शेयरों के संबंध में मताधिकार का प्रयोग करने का हकदार नहीं होगा। यदि कोई शेयर दो या दो से अधिक व्यक्तियों के नाम पर है तो रजिस्टर में सबसे पहले नामित व्यक्ति को, जहां तक मतदान का संबंध है. उसका एकमात्र धारक माना जाएगा।

कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 20, यथा संशोधित, के अनुसार बैठक में भाग लेने एवं मतदान करने के हकदार शेयरधारक इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं।

**7. इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से मतदान**

I. सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताए) विनियम, 2015 के विनियम 44 एवं कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम,

Simplified Norms for processing investor's service request by RTAs and norms for furnishing PAN, KYC details and Nomination'. Para 19.1 of the Master Circular mandates all the holders of physical securities to furnish PAN, Choice of Nomination, Contact details, Bank A/c details and Specimen signature for their corresponding folio numbers. In continuation of the same, Para 19.2 lays down the procedure for availing services and payment of dividend etc., in the folios without PAN, KYC details and nomination which reads as under:

**19.2. Folios without PAN, KYC details and Bank Account Details:** The security holder(s) whose folio(s) do not have PAN, Contact Details, Bank Account Details and Specimen Signature updated, shall be eligible:

- to lodge grievance or avail any service request from the RTA only after furnishing PAN, KYC details and Nomination.
- **for any payment including dividend, interest or redemption payment in respect of such folios, only through electronic mode with effect from April 01, 2024. An intimation shall be sent by the Listed Company to the securityholder that such payment is due and shall be made electronically only upon complying with the requirements stated in para 19.1 of the Master Circular.**

In view of the above, if you are holding shares in physical form, you are required to furnish valid PAN, Contact Details, Bank Account Details and updated Specimen Signature immediately to the Bank's RTA in the prescribed forms (available on the Bank's website: www.pnbindia.co.in under the link: https://www.pnbindia.in/Important-Announcement-to-Physical-Shareholders.html), if not already done, to avail uninterrupted service requests as well as credit of dividend in bank account, as no dividend will be paid by way of issuance of physical warrant, with effect from 01st April, 2024. For your convenience, you may also dematerialise the physical holding so as to avail the benefit of electronic dividend payment.

**Tax Deductible at Source:**

As per the Income-tax Act, 1961 (the Act), as amended by the Finance Act, 2020, dividend paid or distributed by the Bank after April 1, 2020 shall be taxable in the hands of the Shareholders. The Bank shall therefore be required to deduct tax at source (TDS) at the prescribed rates, wherever applicable, at the time of making the payment of dividend to the shareholders. For details, shareholders may refer to the Annexure appended to this Notice.

**6. Voting Rights**

In terms of provisions of Section 3(2E) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (as amended), no shareholder of the Bank other than the Central Government shall be entitled to exercise voting rights in respect of the shares held by him in excess of 10% of the total voting rights of all the shareholders of the Bank. If any share stands in the name of two or more persons, the person first named in the register shall, as regards voting, be deemed to be the sole holder thereof.

In terms of Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended, the shareholders entitled to attend and vote at the meeting, can exercise their voting rights through electronic means.

**7. Voting through Electronic Means**

I. Pursuant to Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and provisions

2014 के नियम 20 के अंतर्गत प्रावधानों, यथासंशोधित, एमसीए परिपत्रों के साथ पठित के अनुसरण में, बैंक अपने शेयरधारकों को नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) द्वारा प्रदत्त ई–वोटिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों (एजीएम के दौरान रिमोट ई–वोटिंग एवं ई–वोटिंग) द्वारा एजीएम में लेन–देन किए जाने वाले कार्यों के संबंध में मतदान के अपने अधिकार का प्रयोग करने की सुविधा प्रदान करता है। **ई–वोटिंग के माध्यम से वोट डालने के लिए शेयरधारकों की पात्रता निर्धारित करने की कट–ऑफ तिथि शनिवार, 20 जून, 2025 है।**

II. वे शेयरधारक, जो वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में उपस्थित होंगे एवं रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से प्रस्ताव (वों) पर अपना वोट नहीं डाला है, एजीएम के दौरान ई वोटिंग सिस्टम के माध्यम से मतदान करने के पात्र होंगे।

III. जिन शेयरधारकों ने एजीएम से पहले रिमोट ई–वोटिंग द्वारा अपना वोट डाला है, वे भी वीसी/ओएवीएम के माध्यम से बैठक में भाग ले सकते हैं, लेकिन उन्हें पुनः वोट डालने का अधिकार नहीं होगा।

IV. रिमोट ई–वोटिंग के लिए निर्देश निम्नानुसार हैं:

ए. रिमोट ई–वोटिंग अवधि मगंलवार, 24 जून 2025 को प्रातः 09.00 बजे शुरू होगी एवं गुरुवार, 26 जून, 2025 को सायं 05.00 बजे समाप्त होगी। इस अवधि के दौरान, शुक्रवार, 20 जून, 2025 की कट ऑफ तिथि को भौतिक रूप में या डिमटेरियलाइज्ड रूप में शेयर रखने वाले बैंक के शेयरधारक इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकते हैं। इसके बाद एनएसडीएल द्वारा रिमोट ई वोटिंग मॉड्यूल को अक्षम कर दिया जाएगा।

बी. रिमोट ई वोटिंग के लिए प्रक्रिया एवं तरीके का विवरण यहां नीचे दिया गया है:

एनएसडीएल ई वोटिंग प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से मतदान करने के तरीके में ‘दो चरण शामिल हैं जो इस प्रकार हैं:

<u>**चरण 1 : एनएसडीएल ई वोटिंग सिस्टम में एक्सेस**</u>

**ए. ई–वोटिंग के लिए लॉगिन विधि एवं डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए वर्चुअल बैठक में शामिल होना।**

सेबी परिपत्र सं सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी/सीआईआर/पी/2020/242 दिनांक 9 दिसंबर, 2020 के निबंधनों के अनुसार सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा प्रदान की गई ई–वोटिंग सुविधा पर, डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों को अपने डीमैट खातों/डिपॉजिटरी/डिपॉजिटरी प्रतिभागियों की वेबसाइट के माध्यम से मतदान करने की अनुमति है। शेयरधारकों को सलाह दी जाती है कि वे ई–वोटिंग सुविधा का उपयोग करने के लिए अपने डीमैट खातों में अपने मोबाइल नंबर एवं ई–मेल आईडी को अपडेट करें।

डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए लॉगिन विधि नीचे दी गई है:

under Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended, read with MCA Circulars, the Bank is pleased to provide its shareholders the facility to exercise their right to vote in respect of the business to be transacted at the AGM by electronic means (remote e-voting and e-voting during the AGM) through the e-voting platform provided by National Securities Depository Limited (NSDL). **The cut-off date for determining the eligibility of shareholders to cast vote through e-voting is Friday, 20th June, 2025.**

II. Those shareholders, who will be present in the AGM through VC/OAVM facility and have not cast their vote on the resolution(s) through remote e-voting, shall be eligible to vote through e-voting system during the AGM.

III. The shareholders who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the meeting through VC/OAVM but shall not be entitled to cast their vote again.

IV. The instructions for remote e-voting are as under:

a. The remote e-voting period begins at 09.00 a.m. of Tuesday, 24th June, 2025 to 05.00 p.m. of Thursday, 26th June, 2025. During this period, shareholders of the Bank holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date of Friday, 20th June, 2025 may cast their vote electronically. Thereafter, the remote e-voting module shall be disabled by NSDL.

b. The details of the process and manner for remote e-voting are explained herein below:

The way to vote electronically on NSDL e-Voting system consists of “Two Steps” which are as follows:

<u>**Step 1: Access to NSDL e-Voting system**</u>

**A) Login method for e-Voting and joining the virtual meeting for Individual shareholders holding securities in demat mode.**

In terms of SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD/CIR/P/2020/242 dated December 9, 2020 on ‘e-Voting facility provided by Listed Companies’, Individual shareholders holding securities in demat mode are allowed to vote through their demat account maintained with Depositories and Depository Participants. Shareholders are advised to update their mobile numbers and email Ids in their demat accounts in order to access e-Voting facility.

The login method for individual shareholders holding securities in demat mode is given below:

| शेयरधारकों का प्रकार | लॉगिन विधि |
| --- | --- |
| एनएसडीएल के साथ डीमैट मोड में प्रतिभूति रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक। | 1. OTP आधारित लॉगिन के लिए आप https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/evoting/evotinglogin.jsp. पर क्लिक कर सकते हैं। आपको अपना 8 अंकों का DP ID, 8 अंकों का क्लाइंट ID, PAN नंबर, सत्यापन कोड दर्ज करना होगा और OTP जनरेट करना होगा। पंजीकृत ई–मेल आईडी/मोबाइल नंबर पर प्राप्त OTP दर्ज करें और लॉगिन पर क्लिक करें। सफल प्रमाणीकरण के बाद, आपको NSDL डिपॉजिटरी साइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा, जहाँ आप ई–वोटिंग पेज देख सकते हैं। बैंक के नाम या ई–वोटिंग सेवा प्रदाता यानी NSDL पर क्लिक करें और आपको रिमोट ई–वोटिंग अवधि के दौरान अपना वोट डालने या वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने और मीटिंग के दौरान वोट करने के लिए NSDL की ई–वोटिंग वेबसाइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा।<br>2. मौजूदा आईडीईएएस (IDeAS) उपयोगकर्ता अपने पर्सनल कंप्यूटर या मोबाइल से एनएसडीएल की ई–सेवा वेबसाइट अर्थात https://eservices.nsdl.com पर जा सकते हैं। ई–सर्विसेज होम पेज पर 'लॉगिन' के अंतर्गत " Beneficial Owner " आइकन पर क्लिक करें जो ' IDeAS' अनुभाग के अंतर्गत उपलब्ध है, इसमें आपको अपना मौजूदा यूजर आईडी एवं पासवर्ड दर्ज करना होगा। सफल प्रमाणीकरण के बाद, आप वेल्यू एडेड सर्विसेस के अंतर्गत ई वोटिंग सेवाओं को देख पाएंगे। ई–वोटिंग सेवाओं के अंतर्गत Access to e-Voting' पर क्लिक करें एवं आप ई–वोटिंग पेज देख पाएंगे। बैंक के नाम या **ई–वोटिंग सेवा प्रदाता अर्थात एनएसडीएल** पर क्लिक करें एवं आपको रिमोट ई–वोटिंग अवधि के दौरान अपना वोट डालने या वर्चुअल मीटिंग एवं मीटिंग के दौरान मतदान में शामिल होने के लिए एनएसडीएल की ई–वोटिंग वेबसाइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा।<br>3. यदि आप IDeAS ई–सेवाओं के लिए पंजीकृत नहीं हैं, तो पंजीकरण करने का विकल्प https://eservices.nsdl.com पर उपलब्ध है। "Register Online for IDeAS Portal" पोर्टल का चयन करें या https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp पर क्लिक करें। |

| Type of shareholders | Login Method |
| --- | --- |
| Individual Shareholders holding securities in demat mode with NSDL. | 1. For OTP based login you can click on https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/evoting/evotinglogin.jsp. You will have to enter your 8-digit DP ID,8-digit Client Id, PAN No., Verification code and generate OTP. Enter the OTP received on registered email id/mobile number and click on login. After successful authentication, you will be redirected to NSDL Depository site wherein you can see e-Voting page. Click on Bank's name or **e-Voting service provider i.e. NSDL** and you will be redirected to e-Voting website of NSDL for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting.<br>2. Existing **IDeAS** user can visit the e-Services website of NSDL Viz. https://eservices.nsdl.com either on a Personal Computer or on a mobile. On the e-Services home page click on the **"Beneficial Owner"** icon under **"Login"** which is available under **'IDeAS'** section, this will prompt you to enter your existing User ID and Password. After successful authentication, you will be able to see e-Voting services under Value added services. Click on **"Access to e-Voting"** under e-Voting services and you will be able to see e-Voting page. Click on Bank's name or **e-Voting service provider i.e. NSDL** and you will be re-directed to **e-Voting website of NSDL** for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting.<br>3. If you are not registered for IDeAS e-Services, option to register is available at https://eservices.nsdl.com. Select **"Register Online for IDeAS Portal"** or click at https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp |

| शेयरधारकों का प्रकार | लॉगिन विधि |
|---|---|
| | 4. एनएसडीएल की ई–वोटिंग वेबसाइट पर जाएं। अपने व्यक्तिगत कंप्यूटर या मोबाइल पर निम्नलिखित यूआरएल https://eservices.nsdl.com/ टाइप करके वेब ब्राउजर खोले। ई–वोटिंग प्रणाली का होम पेज लॉन्च होने के बाद, 'लॉगिन' आइकन पर क्लिक करें जो 'शेयरधारक/सदस्य' अनुभाग के अंतर्गत उपलब्ध है। एक नई स्क्रीन खुलेगी। आपको अपनी उपयोगकर्ता आईडी (अर्थात एनएसडीएल के पास आपका सोलह अंकों का डीमैट खाता संख्या), पासवर्ड/ओटीपी और स्क्रीन पर दिखाए गए सत्यापन कोड को दर्ज करना होगा। सफल प्रमाणीकरण के बाद, आपको एनएसडीएल निक्षेपागार साइट पर भेज दिया जाएगा, जहां आप ई–वोटिंग पेज देख सकते हैं। बैंक या **ई–वोटिंग सेवा प्रदाता–एनएसडीएल** के नाम के सामने उपलब्ध विकल्पों पर क्लिक करें और रिमोट ई–वोटिंग अवधि के दौरान या वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने और मीटिंग के दौरान वोटिंग करने के लिए आपको एनएसडीएल की ई–वोटिंग वेबसाइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा।<br><br>5. शेयरधारक/सदस्य निर्बाध मतदान अनुभव के लिए नीचे दिये गए क्यूआर कोड को स्कैन करके एनएसडीएल मोबाइल ऐप **" NSDL Speede"** भी डाउनलोड कर सकते हैं।<br><br>**NSDL Mobile App is available on**<br>App Store Google Play |
| सीडीएसएल के साथ डीमैट मोड में प्रतिभूति रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक | 1. जिन उपयोगकर्ताओं ने सीडीएसएल Easi / Easiest सुविधा का विकल्प चुना है, वे अपने मौजूदा यूजर आईडी एवं पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन कर सकते हैं। बिना किसी और प्रमाणीकरण के ई–वोटिंग पेज तक पहुंचने का विकल्प उपलब्ध कराया जाएगा। Easi / Easiest लॉगिन करने वाले उपयोगकर्ताओं से अनुरोध है कि वे सीडीएसएल वेबसाइट www.cdslindia.com पर जाएं एवं लॉगिन आइकन एवं New System Myeasi टैब पर क्लिक करें एवं फिर अपने मौजूदा Easi उपयोगकर्ता नाम एवं पासवर्ड का उपयोग करें। |

| Type of shareholders | Login Method |
|---|---|
| | 4. Visit the e-Voting website of NSDL. Open web browser by typing the following URL: https://www.evoting.nsdl.com/ either on a Personal Computer or on a mobile. Once the home page of e-Voting system is launched, click on the icon "Login" which is available under 'Shareholder/Member' section. A new screen will open. You will have to enter your User ID (i.e. your sixteen-digit demat account number hold with NSDL), Password/OTP and a Verification Code as shown on the screen. After successful authentication, you will be redirected to NSDL Depository site wherein you can see e-Voting page. Click on Bank's name or **e-Voting service provider i.e. NSDL** and you will be redirected to e-Voting website of NSDL for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting.<br><br>5. Shareholders/Members can also download NSDL Mobile App **"NSDL Speede"** facility by scanning the QR code mentioned below for seamless voting experience.<br><br>**NSDL Mobile App is available on**<br>App Store Google Play |
| Individual Shareholders holding securities in demat mode with CDSL | 1. Users who have opted for CDSL Easi / Easiest facility, can login through their existing user id and password. Option will be made available to reach e-Voting page without any further authentication. The users to login Easi /Easiest are requested to visit CDSL website www.cdslindia.com and click on login icon & New System Myeasi Tab and then use your existing my easi username & password. |

| शेयरधारकों का प्रकार | लॉगिन विधि |
|---|---|
| | 2. सफल लॉगिन के बाद, Easi / Easiest उपयोगकर्ता पात्र कंपनियों के लिए ई–वोटिंग विकल्प देख पाएंगे, जहां बैंक द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार ई–वोटिंग प्रगति पर है। ई–वोटिंग विकल्प पर क्लिक करने पर, उपयोगकर्ता रिमोट ई–वोटिंग अवधि के दौरान अपना वोट डालने या बैठक के दौरान वर्चुअल मीटिंग एवं वोटिंग में शामिल होने के लिए ई–वोटिंग सेवा प्रदाता का ई–वोटिंग पेज देख सकेगा। इसके अतिरिक्त, सभी ई–वोटिंग सेवा प्रदाताओं की प्रणाली तक पहुंचने के लिए लिंक भी प्रदान किए गए है, ताकि उपयोगकर्ता सीधे ई वोटिंग सेवा प्रदाताओं की वेबसाइट पर जा सकें।<br>3. यदि उपयोगकर्ता Easi / Easiest के लिए पंजीकृत नहीं है, तो पंजीकरण करने का विकल्प सीडीएसएल वेबसाइट www.cdslindia.com पर उपलब्ध है एवं लॉगिन एवं New System Myeasi टैब पर क्लिक करें एवं फिर पंजीकरण विकल्प पर क्लिक करें।<br>4. वैकल्पिक रूप से, उपयोगकर्ता होम पेज पर उपलब्ध ई–चोटिंग लिंक से डीमैट खाता संख्या एवं पैन नंबर प्रदान करके सीधे ई–वोटिंग पेज www.cdslindia.com उपयोग कर सकता है। सिस्टम पंजीकृत मोबाइल एवं ईमेल पर ओटीपी भेजकर उपयोगकर्ता को प्रमाणित करेगा जैसा कि डीमैट खाते में दर्ज किया गया है। सफल प्रमाणीकरण के बाद, उपयोगकर्ता ई वोटिंग विकल्प देख पाएंगे जहां ई वोटिंग प्रगति पर है एवं सभी ई–वोटिंग सेवा प्रदाताओं की प्रणाली तक सीधे पहुंचने में सक्षम होगा। |
| अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के माध्यम से लॉगिन करने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक (डीमैट मोड में प्रतिभूतियां धारित करने वाले) | आप ई–वोटिंग सुविधा के लिए एनएसडीएल/सीडीएसएल के साथ पंजीकृत अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के माध्यम से अपने डीमैट अकाउंट के लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करके भी लॉगिन कर सकते हैं. लॉग इन करने पर, आप ई–वोटिंग विकल्प देख पाएंगे। ई–वोटिंग विकल्प पर क्लिक करें, सफल प्रमाणीकरण के बाद आपको एनएसडीएल/सीडीएसएल डिपॉजिटरी साइट पर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा, जिसमें आप ई–वोटिंग सुविधा देख सकते हैं। बैंक के नाम या ई–वोटिंग सेवा प्रदाता अर्थात एनएसडीएल पर क्लिक करें एवं आपको रिमोट ई–वोटिंग अवधि के दौरान अपना वोट डालने या बैठक के दौरान वर्चुअल मीटिंग एवं वोटिंग में शामिल होने के लिए एनएसडीएल की ई–वोटिंग वेबसाइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा। |

| Type of shareholders | Login Method |
|---|---|
| | 2. After successful login the Easi / Easiest user will be able to see the e-Voting option for eligible companies where the evoting is in progress as per the information provided by the Bank. On clicking the evoting option, the user will be able to see e-Voting page of the e-Voting service provider for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting. Additionally, there is also links provided to access the system of all e-Voting Service Providers, so that the user can visit the e-Voting service providers' website directly.<br>3. If the user is not registered for Easi/ Easiest, option to register is available at CDSL website www.cdslindia.com and click on login & New System Myeasi Tab and then click on registration option.<br>4. Alternatively, the user can directly access e-Voting page by providing Demat Account Number and PAN No. from a e-Voting link available on www.cdslindia.com home page. The system will authenticate the user by sending OTP on registered Mobile & Email as recorded in the Demat Account. After successful authentication, user will be able to see the e-Voting option where the evoting is in progress and able to directly access the system of all e-Voting Service Providers. |
| Individual Shareholders (holding securities in demat mode) login through their depository participants | You can also login using the login credentials of your demat account through your Depository Participant registered with NSDL/CDSL for e-Voting facility. Upon logging in, you will be able to see e-Voting option. Click on e-Voting option, you will be redirected to NSDL/CDSL Depository site after successful authentication, wherein you can see e-Voting feature. Click on Bank's name or e-Voting service provider i.e. NSDL and you will be redirected to e-Voting website of NSDL for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting. |

***महत्वपूर्ण नोट:*** *जो शेयरधारक यूजर आईडी/पासवर्ड पुनःप्राप्त करने में असमर्थ हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे उपर्युक्त वेबसाइटों पर उपलब्ध फॉरगेट यूजर आईडी एवं फॉरगेट पासवर्ड विकल्प का उपयोग करें।*

**डिपॉजिटरी अर्थात एनएसडीएल एवं सीडीएसएल के माध्यम से लॉगिन से संबंधित किसी भी तकनीकी समस्या के लिए डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए हेल्पडेस्क।**

| लॉगिन का प्रकार | हेल्पडेस्क विवरण |
|---|---|
| एनएसडीएल के साथ डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक | लॉग–इन में किसी भी तकनीकी समस्या का सामना करने वाले शेयरधारक evoting/nsdl.com पर अनुरोध भेजकर एनएसडीएल हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं या 022 4886 7000 पर संपर्क कर सकते हैं। |
| सीडीएसएल के साथ डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक | लॉगिन में किसी भी तकनीकी समस्या का सामना करने वाले शेयरधारक helpdesk.evoting/cdslindia.com पर अनुरोध भेजकर सीडीएसएल हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं या टोल फ्री नंबर 1800–21–0991 पर संपर्क कर सकते हैं। |

**बी. डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों और भौतिक मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले शेयरधारकों के अलावा अन्य शेयरधारकों के लिए लॉगिन विधि।**

**एनएसडीएल ई–वोटिंग वेबसाइट पर लॉग–इन करने के चरण**

1. एनएसडीएल की ई–वोटिंग वेबसाइट पर जाएं। अपने पर्सनल कंप्यूटर या मोबाइल से टाइप करके वेब ब्राउजर पर निम्नलिखित URL: https://www.evoting.nsdl.com/ खोलें।
2. ई–वोटिंग प्रणाली का मुख्य पेज खुलने के बाद, 'लॉगिन आइकन पर क्लिक करें जो 'शेयरधारक/सदस्य अनुभाग के अंतर्गत उपलब्ध है।
3. एक नई स्क्रीन खुलेगी. आपको अपनी स्क्रीन पर दिखने वाली उपयोगकर्ता आईडी, अपना पासवड/ओटीपी और एक सत्यापन कोड दर्ज करना होगा।

   *वैकल्पिक रूप से, यदि आप एनएसडीएल ईसर्विसेज अर्थात IDEAS के लिए पंजीकृत है, तो आप अपने मौजूदा https://eservices.nsdl.com/ पर लॉग–इन कर सकते हैं। एक बार जब आप अपने लॉग–इन क्रेडेंशियल का उपयोग करने के बाद एनएसडीएल ईसर्विसेज में लॉग–इन करते हैं, तो ई–वोटिंग पर क्लिक करें और आप चरण 2 पर आगे बढ़ सकते हैं अर्थात अपना मतदान इलेक्ट्रॉनिक रूप से डाल सकते हैं।*
4. आपकी यूजर आईडी विवरण इस प्रकार हैं:

| शेयर धारित करने का तरीका अर्थात डीमैट (एनएसडीएल या सीडीएसएल) या भौतिक | आपका यूजर आईडी है: |
|---|---|
| क) शेयरधारकों के लिए जो एनएसडीएल के साथ डीमैट खाते में शेयर रखते हैं। | 8 अंकों के ग्राहक आईडी के बाद 8 कैरेक्टर की डीपीआईडी उदाहरण के लिए, यदि आपकी डीपीआईडी IN300*** है और ग्राहक आईडी 12****** है तो आपकी यूजर आईडी IN300***12****** होगी। |

***Important note:*** *Shareholders who are unable to retrieve User ID/ Password are advised to use Forget User ID and Forget Password option available at abovementioned websites.*

**Helpdesk for Individual Shareholders holding securities in demat mode for any technical issues related to login through Depository i.e. NSDL and CDSL.**

| Login type | Helpdesk details |
|---|---|
| Individual Shareholders holding securities in demat mode with NSDL | Shareholders facing any technical issue in login can contact NSDL helpdesk by sending a request at evoting@nsdl.com or call at 022 - 4886 7000 |
| Individual Shareholders holding securities in demat mode with CDSL | Shareholders facing any technical issue in login can contact CDSL helpdesk by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at toll free no. 1800-21-09911 |

**B) Login Method for shareholders other than Individual shareholders holding securities in demat mode and shareholders holding securities in physical mode.**

**Steps to Log-in to NSDL e-Voting website**

1. Visit the e-Voting website of NSDL. Open web browser by typing the following URL: https://www.evoting.nsdl.com/ either on a Personal Computer or on a mobile.
2. Once the home page of e-Voting system is launched, click on the icon “Login” which is available under ‘Shareholder/Member’ section.
3. A new screen will open. You will have to enter your User ID, your Password/OTP and a Verification Code as shown on the screen.

   *Alternatively, if you are registered for NSDL eservices i.e. IDEAS, you can log-in at https://eservices.nsdl.com/ with your existing IDEAS login. Once you log-in to NSDL eservices after using your log-in credentials, click on e-Voting and you can proceed to Step 2 i.e. Cast your vote electronically.*
4. Your User ID details are given below:

| Manner of holding shares i.e. Demat (NSDL or CDSL) or Physical | Your User ID is: |
|---|---|
| a) For Members who hold shares in demat account with NSDL. | 8 Character DP ID followed by 8 Digit Client ID<br><br>For example, if your DP ID is IN300*** and Client ID is 12****** then your user ID is IN300***12******. |

| | |
|---|---|
| ख) सीडीएसएल के साथ डीमैट खाते में शेयर रखने वाले शेयरधारकों के लिए। | 16 अंकों की लाभार्थी आईडी<br>उदाहरण के लिए, यदि आपकी लाभार्थी आईडी 12 ************** है तो आपकी यूजर आईडी 12************** होगी। |
| ग) भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों के लिए। | इवन नंबर के बाद बैंक में पंजीकृत फोलियो नंबर उदाहरण के लिए,<br>यदि फोलियो नंबर 001*** है और इवन 101456 है तो यूजर आईडी 101456001*** होगी। |

5. व्यक्तिगत शेयरधारकों के अलावा अन्य शेयरधारकों हेतु पासवर्ड विवरण निम्नानुसार है:

ए. यदि आप पहले से ही ई–वोटिंग के लिए पंजीकृत है तो आप अपने मौजूदा पासवर्ड का उपयोग लॉगिन और अपना वोट डालने के लिए कर सकते है।

बी. यदि आप पहली बार एनएसडीएल ई वोटिंग प्रणाली का उपयोग कर रहे हैं, तो आपको श्प्रारंभिक पासवर्ड पुन प्राप्त करना होगा जो आपको सूचित किया गया था। एक बार जब आप अपना प्रारंभिक पासवर्ड पुनः प्राप्त कर लेते हैं, तो आपको प्रारंभिक पासवर्ड दर्ज करना होगा और सिस्टम आपको अपना पासवर्ड बदलने के लिए बाध्य करेगा।

सी. अपना 'प्रारम्भिक पासवर्ड' कैसे प्राप्त करें ?

(i) यदि आपकी ई–मेल आई–डी आपके डीमैट खाते में या बैंक के साथ पंजीकृत है, तो आपका 'प्रारम्भिक पासवर्ड' आपको आपकी ई–मेल आईडी पर सूचित किया जाता है। ई–मेल खोलें और संलग्न अर्थात पीडीएफ फाइल खोलें। पीडीएफ फाइल खोलने का पासवर्ड एनएसडीएल खाते के लिए आपकी 8 अंकों की ग्राहक आईडी, सीडीएसएल खाते के लिए ग्राहक आईडी के अंतिम 8 अंक या भौतिक रूप में रखे गए शेयरों के लिए फोलियो नंबर है। पीडीएफ फाइल में आपकी 'उपयोगकर्ता आईडी' और आपका प्रारम्भिक पासवर्ड' होता है।

(ii) यदि आपकी ई–मेल आईडी पंजीकृत नहीं हैं, तो कृपया उन शेयरधारकों के लिए प्रक्रिया जिनकी ई–मेल आईडी पंजीकृत नहीं है के अंतर्गत दिए गए चरणों का पालन करें।

6. यदि आप अपना पासवर्ड पुनः प्राप्त करने में असमर्थ हैं या "प्रारम्भिक पासवर्ड" प्राप्त नहीं हुआ है या भूल गए हैं:

ए. www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध "Forgot User Details/ Password?" विकल्प पर क्लिक करें (यदि आप एनएसडीएल या सीडीएसएल के साथ अपने डीमैट खाते में शेयर रख रहे हैं )

बी. Physical User Reset Password?" (यदि आप भौतिक मोड में शेयर रख रहे हैं) विकल्प www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध है।

सी. अगर आप अभी भी उपर्युक्त दो विकल्पों द्वारा पासवर्ड प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अपने डीमैट अकाउंट नंबर/फोलियो नंबर, अपने पैन, अपना नाम और अपने पंजीकृत पते आदि का उल्लेख करते हुए evoting@nsdl.com पर अनुरोध भेज सकते हैं।

| | | |
|---|---|---|
| b) | For Members who hold shares in demat account with CDSL. | 16 Digit Beneficiary ID<br>For example, if your Beneficiary ID is 12************** then your user ID is 12************** |
| c) | For Members holding shares in Physical Form. | EVEN Number followed by Folio Number registered with the Bank<br>For example, if folio number is 001*** and EVEN is 101456 then user ID is 101456001*** |

5. Password details for shareholders other than Individual shareholders are given below:

a) If you are already registered for e-Voting, then you can user your existing password to login and cast your vote.

b) If you are using NSDL e-Voting system for the first time, you will need to retrieve the 'initial password' which was communicated to you. Once you retrieve your 'initial password', you need to enter the 'initial password', and the system will force you to change your password.

c) How to retrieve your 'initial password'?

(i) If your email ID is registered in your demat account or with the Bank, your 'initial password' is communicated to you on your email ID. Trace the email sent to you from NSDL from your mailbox. Open the email and open the attachment i.e. a .pdf file. Open the .pdf file. The password to open the .pdf file is your 8-digit client ID for NSDL account, last 8 digits of client ID for CDSL account or folio number for shares held in physical form. The .pdf file contains your 'User ID' and your 'initial password'.

(ii) If your email ID is not registered, please follow steps mentioned below in **process for those shareholders whose email ids are not registered.**

6. If you are unable to retrieve or have not received the "Initial password" or have forgotten your password:

a) Click on "Forgot User Details/Password?"(If you are holding shares in your demat account with NSDL or CDSL) option available on www.evoting.nsdl.com.

b) Physical User Reset Password?" (If you are holding shares in physical mode) option available on www.evoting.nsdl.com.

c) If you are still unable to get the password by aforesaid two options, you can send a request at evoting@nsdl.com mentioning your demat account number/folio number, your PAN, your name and your registered address etc.

डी. शेयरधारक एनएसडीएल की ई–वोटिंग प्रणाली पर वोट डालने के लिए ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) आधारित लॉगिन का भी उपयोग कर सकते हैं

7. अपना पासवर्ड दर्ज करने के बाद, चेक बॉक्स पर चयन करके "नियम एवं शर्तें (Terms and Conditions)" से सहमत पर टिक करें।

8. अब, आपको "लॉगिन" बटन पर क्लिक करना होगा

9. लॉगिन" बटन पर क्लिक करने के बाद ई–वोटिंग का होम पेज खुल जाएगा

**चरण 2 : एनएसडीएल ई–वोटिंग सिस्टम पर आम बैठक में इलेक्ट्रोनिक रूप से भाग लेने और अपना वोट डालने का विवरण निम्नानुसार है :**

1. चरण 1 पर सफल लॉगिन के बाद, आप उन सभी कंपनियों के "EVEN" देख पाएंगे जिनमें आप शेयर हैं और जिनका मतदान चक्र और आम बैठक 'सक्रिय' स्थिति में है।

2. पंजाब नैशनल बैंक के "EVEN" का चयन करें जिसके लिए आप दूरस्थ ई–वोटिंग अवधि के दौरान अपना वोट डालना चाहते हैं या आम बैठक के दौरान अपना वोट डालना चाहते हैं। वस्तुतः एजीएम में शामिल होने के लिए आपको "Join Meeting" के अंतर्गत दिए गए "वीसी/ओएवीएम" लिंक पर क्लिक करना होगा।

3. अब आप ई–वोटिंग के लिए तैयार हैं क्योंकि ई–वोटिंग पेज खुल गया है।

4. उचित विकल्पो का चयन करके अपना वोट डालें अर्थात सहमति या असहमति, उन शेयरों की संख्या को सत्यापित/संशोधित करें जिनके लिए आप अपना वोट डालना चाहते हैं और 'सबमिट' पर क्लिक करें और संकेत मिलने पर "Confirm" पर भी क्लिक करें।

5. पुष्टि होने पर "Vote cast successfully" संदेश प्रदर्शित होगा।

6. आप कन्फर्मेशन पेज पर प्रिंट ऑप्शन पर क्लिक करके अपने द्वारा डाले गए वोटों का प्रिंटआउट भी ले सकते हैं।

***7. एक बार प्रस्ताव पर अपने वोट की पुष्टि करने के बाद आपको अपना वोट संशोधित करने की अनुमति नहीं होगी।***

**शेयरधारकों के लिए सामान्य दिशानिर्देश**

1. संस्थागत शेयरधारकों (अर्थात व्यक्तियों, एचयूएफ, एनआरआई आदि के अलावा) को संबंधित बोर्ड के संकल्प/प्राधिकरण पत्र आदि की स्कैन की गई प्रति (पीडीएफ/जेपीजी प्रारूप) विधिवत अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के सत्यापित नमूना हस्ताक्षर के साथ जो मतदान करने के लिए अधिकृत हैं, स्क्रूटिनाइजर को ई–मेल द्वारा ashugupta.cs@gmail.com या evoting@nsdl.co.in पर चिह्नित एक प्रति के साथ भेजना होगा। संस्थागत शेयरधारक (अर्थात वैयक्तिक, एचयूएफ, एनआरआई, आदि के अलावा) अपने लॉगिन में 'ई–वोटिंग' टैब के तहत प्रदर्शित 'अपलोड बोर्ड रिजोल्यूशन/अथोरिटी लेटर' पर क्लिक करके अपने बोर्ड रिजोल्यूशन/अथोरिटी लेटर आदि को भी अपलोड कर सकते हैं।

2. यह दृढ़ता से अनुशंसा की जाती है कि किसी अन्य व्यक्ति के साथ आप अपना पासवर्ड साझा न करें और अपने पासवर्ड को गोपनीय रखने के लिए अत्यधिक सावधानी बरतें। ई–वोटिंग वेबसाइट पर लॉगिन सही पासवर्ड में कुंजी के पांच असफल प्रयासों पर अक्षम हो जाएगा। ऐसी स्थिति में, आपको पासवर्ड रीसेट करने के लिए www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध "Forgot User Details/Password?" या "Physical User Reset Password?" विकल्प पर जाना होगा।

d) Members can also use the OTP (One Time Password) based login for casting the votes on the e-Voting system of NSDL.

7. After entering your password, tick on Agree to "Terms and Conditions" by selecting on the check box.

8. Now, you will have to click on "Login" button.

9. After you click on the "Login" button, Home page of e-Voting will open.

**Step 2: Cast your vote electronically and join the AGM on NSDL e-Voting system**

1. After successful login at Step 1, you will be able to see all the companies "EVEN" in which you are holding shares and whose voting cycle and General Meeting is in 'active' status.

2. Select "EVEN" of Punjab National Bank for which you wish to cast your vote during the remote e-Voting period and casting your vote during the General Meeting. For joining the AGM virtually, you need to click on "VC/OAVM" link placed under "Join Meeting".

3. Now you are ready for e-Voting as the Voting page opens.

4. Cast your vote by selecting appropriate options i.e. assent or dissent, verify/ modify the number of shares for which you wish to cast your vote and click on "Submit" and also "Confirm" when prompted.

5. Upon confirmation, the message "Vote cast successfully" will be displayed.

6. You can also take the printout of the votes cast by you by clicking on the print option on the confirmation page.

***7. Once you confirm your vote on the resolution, you will not be allowed to modify your vote.***

**General Guidelines for shareholders**

1. Institutional shareholders (i.e. other than individuals, HUF, NRI etc.) are required to send scanned copy (PDF/JPG Format) of the relevant Board Resolution/Authority letter etc. with attested specimen signature of the duly authorized signatory(ies) who are authorized to vote, to the Scrutinizer by e-mail to sachincs2022@gmail.com with a copy marked to evoting@nsdl.com. Institutional shareholders (i.e. other than individuals, HUF, NRI etc.) can also upload their Board Resolution/Authority Letter, etc. by clicking on "Upload Board Resolution/Authority Letter" displayed under "e-Voting" tab in their login.

2. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential. Login to the e-voting website will be disabled upon five unsuccessful attempts to key in the correct password. In such an event, you will need to go through the "Forgot User Details/Password?" or "Physical User Reset Password?" option available on www.evoting.nsdl.com to reset the password.

3. किसी भी प्रश्न के मामले में, आप शेयरधारकों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों (एफएक्यू) को और www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड अनुभाग पर उपलब्ध शेयरधारकों के लिए ई–वोटिंग उपयोगकर्ता पुस्तिका को संदर्भित कर सकते हैं या नंबर : 022–48867000 पर कॉल कर सकते हैं या सुश्री पल्लवी महात्रे, वरिष्ठ प्रबन्धक, नैशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लि. तृतीय तल, नमन चेम्बर, प्लॉट सी–32, जी ब्लॉक बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा ईस्ट, मुंबई, महाराष्ट्–400051 को evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेज सकते हैं।

**ऐसे शेयरधारक जिनकी ई–मेल आईडी डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत नहीं हैं, उनके लिए यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने और इस नोटिस में निर्धारित प्रस्तावों के लिए ई–वोटिंग हेतु ई–मेल आईडी के पंजीकरण की पंजीकरण प्रक्रिया**

1. यदि शेयर भौतिक मोड में धारित हैं, तो कृपया फोलियो नंबर, शेयरधारक के नाम, शेयर प्रमाणपत्र (आगे और पीछे की स्कैन की गई प्रति), पैन कार्ड और आधार कार्ड की स्व–सत्यापित स्कैन की गई प्रति ई–मेल द्वारा बैंक के एसटीए को beetalrta@gmail.com पर भेजें।

2. यदि शेयर डीमैट मोड में है, तो कृपया शेयरधारक डीपीआईडी–सीएलआईडी (16 अंकों की डीपीआईडी, सीएलआईडी या 16 अंकों की लाभार्थी आईडी), अपना नाम, क्लाइंट मास्टर या समेकित खाता विवरण की प्रति के साथ पैन कार्ड और आधार कार्ड की स्व–अभिप्रमाणित स्कैन की गई प्रति बैंक के एसटीए को beetal@beetalfinancial.com ई–मेल पर भेजें। यदि आप एक डीमैट मोड में प्रतिभूतियों के व्यक्तिगत शेयरधारक है, तो आपसे **चरण 1 (ए)** अर्थात 'डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने और **ई–वोटिंग के लिए लॉगिन की विधि' में बताई गई लॉगिन विधि का सन्दर्भ लेने का अनुरोध किया जाता है।**

3. वैकल्पिक रूप से, शेयरधारक उपर्युक्त उल्लेखित दस्तावेजों को प्रदान करके ई–वोटिंग हेतु यूजर आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त करने के लिए evoting@nsdl.com को अनुरोध कर सकते हैं।

4. सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा प्रदान की गई ई–वोटिंग सुविधा पर 9 दिसंबर 2020 के सेबी परिपत्र के संदर्भ में, डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों को डिपॉजिटरी और डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ बनाए गए अपने डीमैट खाते के माध्यम से मतदान करने की अनुमति है। ई–वोटिंग सुविधा का उपयोग करने के लिए शेयरधारकों को अपने डीमैट खाते में अपने मोबाइल नंबर और ई–मेल आईडी को सही ढंग से अपडेट करना आवश्यक है।

**एजीएम के दिन ई–वोटिंग हेतु शेयरधारकों के लिए निर्देश निम्नानुसार हैं:**

1. एजीएम के दिन ई वोटिंग की प्रक्रिया उसी तरह से है जैसे रिमोट ई–वोटिंग हेतु उपर्युक्त उल्लेख किए गए निर्देश हैं।

2. केवल वे शेयरधारक, जो वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में उपस्थित होंगे और जिन्होंने रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से प्रस्तावों पर अपना वोट नहीं डाले और ऐसा करने से प्रतिबंधित नहीं किए गए हैं, वो एजीएम में ई–वोटिंग प्रणाली के माध्यम से मतदान करने के पात्र होंगे।

3. जिन शेयरधारकों ने रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से मतदान किया है, वे एजीएम में भाग लेने के पात्र होंगे, हालांकि, वे एजीएम में मतदान करने के लिए पात्र नहीं होंगे।

3. In case of any queries, shareholders may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on.: 022-48867000 or send a request to Ms. Pallavi Mhatre, Senior Manager, National Securities Depository Ltd., 3rd Floor, Naman Chamber, Plot C-32, G-Block, Bandra Kurla Complex, Bandra East, Mumbai, Maharashtra - 400051 at the designated email address: evoting@nsdl.com or at telephone no. 022- 48867000.

**Process for those shareholders whose email ids are not registered with the depositories for procuring user id and password and registration of e- mail ids for e-voting for the resolutions set out in this Notice:**

1. In case shares are held in physical mode, please provide folio no., name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), self-attested scanned copy of PAN card and AADHAR card by email to the Bank's STA at beetalrta@gmail.com.

2. In case shares are held in demat mode, please provide DPID-CLID (16 digit DPID+CLID or 16 digit Beneficiary ID), name, client master or copy of consolidated account statement, self-attested scanned copy of PAN card and AADHAR Card) to the Bank's STA at beetalrta@gmail.com. If you are an Individual shareholder, holding securities in demat mode, you are requested to refer to the login method explained at **Step 1 (A)** i.e. **"Login method for e-Voting and joining virtual meeting for Individual shareholders holding securities in demat mode".**

3. Alternatively, shareholders may send a request to evoting@nsdl.com for procuring user id and password for e-voting by providing the abovementioned documents.

4. In terms of SEBI circular dated December 9, 2020 on e-Voting facility provided by Listed Companies, Individual shareholders holding securities in demat mode are allowed to vote through their demat account maintained with Depositories and Depository Participants. Shareholders are required to update their mobile number and email ID correctly in their demat account in order to access e-Voting facility.

**Instructions for shareholders for E-Voting on the day of AGM are as under:**

1. The procedure for e-Voting on the day of the AGM is the same as the instructions mentioned above for remote e-voting.

2. Only those shareholders, who will be present in the AGM through VC/OAVM facility and have not cast their vote on the Resolution(s) through remote e-Voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-Voting system in the AGM.

3. Shareholders who have voted through remote e-voting will be eligible to attend the AGM, however, they will not be eligible to vote at the AGM.

4. एजीएम के दिन ई–वोटिंग की सुविधा से संबंधित किसी भी शिकायत के लिए जिन व्यक्तियों से संपर्क किया जा सकता है, उनका विवरण रिमोट ई–वोटिंग के लिए यथा उल्लिखित अनुसार ही होगा।

**शेयरधारकों के लिए वीसी/ओएवीएम के माध्यम से बैठक में भाग लेने के लिए निर्देश निम्नानुसार हैं:**

1. शेयरधारक एनएसडीएल ई–वोटिंग प्रणाली के माध्यम से वीसी/ओएवीएम सुविधा के द्वारा एजीएम में भाग लेने में सक्षम होंगे। शेयरधारक **एनएसडीएल ई–वोटिंग सिस्टम** के एक्सेस के लिए उपर्युक्त उल्लिखित चरणों का पालन करके एक्सेस कर सकते हैं। सफल लॉगिन के बाद, आप बैंक के नाम के सामने 'मीटिंग में शामिल हों' मेन्यू में दिए गए 'वीसी/ओएवीएम लिंक का लिंक देख सकते हैं। आपसे अनुरोध है कि "Join Meeting" मेन्यू के अंतर्गत दिए गए वीसी/ओएवीएम लिंक पर क्लिक करें। वीसी/ओएवीएम के लिए लिंक 'शेयरधारक/सदस्य लॉगिन में उपलब्ध होगा जहां बैंक का EVEN प्रदर्शित किया जाएगा। कृपया ध्यान दें कि जिन शेयरधारकों के पास ई वोटिंग के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं है या वे यूजर आईडी और पासवर्ड भूल गए हैं वे अंतिम समय पर भागदौड़ से बचने के लिए नोटिस में उल्लिखित रिमोट ई–वोटिंग निर्देशों का पालन करके इसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं।
2. बेहतर अनुभव हेतु शेयरधारक लैपटॉप के माध्यम से बैठक में शामिल हो सकते हैं।
3. इसके अलावा, बैठक के दौरान किसी भी व्यवधान से बचने हेतु शेयरधारकों के पास अच्छी गति के साथ इंटरनेट सुविधा होनी चाहिए। कृपया ध्यान दें कि मोबाइल हॉटस्पॉट के माध्यम से जुड़ने वाले शेयरधारकों को अपने संबंधित नेटवर्क में उतार–चढ़ाव के कारण ऑडियो/वीडियो परेशानी का अनुभव हो सकता है। इसलिए किसी भी प्रकार की उपर्युक्त रुकावट को कम करने हेतु स्थिर वाई–फाई या लैन कनेक्शन का उपयोग करने की संस्तुति की जाती है।
4. शेयरधारक, जो एजीएम के दौरान एजीएम में किए जाने वाले कारोबार के संबंध में अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं/प्रश्न पूछना चाहते हैं, उन्हें अपने नाम डीपी आईडी और क्लाइंट आईडी नंबर/फोलियो नंबर और मोबाइल नंबर का उल्लेख करते हुए अपनी पंजीकृत ई–मेल आईडी से अपना अनुरोध बैंक की hosd@pnb.co.in ई–मेल आईडी पर 07 जून, 2025 को सायं 05.00 बजे या उससे पहले भेजकर खुद को 'स्पीकर के रूप में पंजीकृत करने की आवश्यकता है। केवल उन्हीं शेयरधारकों को जिन्होंने खुद को स्पीकर के रूप में पंजीकृत किया है, बैठक के दौरान अपने विचार व्यक्त करने/प्रश्न पूछने की अनुमति दी जाएगी।
5. शेयरधारक एजीएम में अपने पंजीकृत ई–मेल पते से अपने नाम, डीपी आईडी और क्लाइंट आईडी नंबर/फोलियो नंबर और मोबाइल नंबर का उल्लेख करते हुए बैंक की ईमेल hosd@pnb.co.in पर कारोबार के संबंध में 07 जून 2025 को शाम 05.00 बजे या उससे पहले प्रश्न प्रस्तुत कर सकते हैं। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने वाले शेयरधारक प्रश्न बॉक्स विकल्प के माध्यम से प्रश्न/प्रतिक्रिया भी दे सकते हैं। शेयरधारकों द्वारा पूछे जाने वाले ऐसे प्रश्नों पर बैठक के दौरान उठाया जाएगा या बाद में बैंक द्वारा उपयुक्त रूप से उत्तर दिया जाएगा।
6. संस्थागत निवेशक, जो बैंक के शेयरधारक हैं, से अनुरोध है कि वे वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में उपस्थित रहें।

**8. संवीक्षक**

मैसर्स अग्रवाल एस. एंड एसोसिएट्स, कंपनी सचिव, को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से ई–वोटिंग प्रक्रिया की जांच करने के लिए बैंक द्वारा संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है।

4. The details of the persons who may be contacted for any grievances connected with the facility for e-voting on the day of the AGM shall be the same as mentioned for remote e-voting.

**Instructions for shareholders for attending the AGM through VC/OAVM are as under:**

1. Shareholders will be provided with a facility to attend the AGM through VC/OAVM through the NSDL e-Voting system. Shareholders may access by following the steps mentioned above for **Access to NSDL e-Voting system.** After successful login, you can see link of "VC/OAVM link" placed under **"Join Meeting"** menu against the name of the Bank. You are requested to click on VC/OAVM link placed under 'Join Meeting' menu. The link for VC/OAVM will be available in 'Shareholder/Member login' where the EVEN of Bank will be displayed. Please note that the Shareholders who do not have the User ID and Password for e-Voting or have forgotten the User ID and Password may retrieve the same by following the remote e-Voting instructions mentioned in the Notice to avoid last minute rush.
2. Shareholders are encouraged to join the Meeting through Laptops for better experience.
3. Further, shareholders should have internet with a good speed to avoid any disturbance during the meeting. Please note that the participants connecting via Mobile Hotspot may experience Audio/Video loss due to fluctuation in their respective network. It is therefore recommended to use Stable Wi-Fi or LAN connection to mitigate any kind of aforesaid glitches.
4. Shareholders, who would like to express their views/ask questions during the AGM with regard to the business to be transacted at the AGM, need to register themselves as a 'Speaker' by sending their request from their registered email id mentioning their name, DP ID and Client ID number/folio number and mobile number, to the Bank's email id at hosd@pnb.co.in on or before 05.00 p.m. of 07th June 2025. Only those shareholders who have registered themselves as a 'Speaker', will be allowed to express their views/ ask questions during the meeting.
5. Shareholders can submit questions with regard to the business to be transacted at the AGM from their registered email address, mentioning their name, DP ID and Client ID number/folio number and mobile number, to the Bank's email id at hosd@pnb.co.in in advance on or before 05.00 p.m. of 07th June 2025. Shareholders who will participate in the AGM through VC/OAVM can also pose question/feedback through question box option. Such questions by the Shareholders shall be taken up during the meeting or suitably replied to by the Bank, later.
6. Institutional Investors, who are shareholders of the Bank, are requested to be present in the AGM through VC/OAVM Facility.

**8. Scrutinizer**

M/s Agarwal S. & Associates, Company Secretaries, has been appointed as the Scrutinizer by the Bank to scrutinize the e-voting process in a fair and transparent manner.

संवीक्षक, वार्षिक आम बैठक (एजीएम) के समापन के दो कार्य दिवसों के भीतर बैठक के अध्यक्ष को दिए गए कुल मतों पर एक समेकित संवीक्षककर्ता की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और उसके बाद, बैंक स्टॉक एक्सचेंजों, एनएसडीएल और बैंक की वेबसाइट पर संवीक्षक की रिपोर्ट के साथ परिणाम प्रस्तुत कर मतदान के परिणाम घोषित करेगा।

**9. अदावाकृत लाभांश**

शेयरधारकों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि कोई लाभांश राशि इसकी देय तिथि से 7 वर्षों तक अवैतनिक/अदावी है. तो उक्त अदत्त/अदावाकृत राशि को बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 10बी के अनुसरण में 'निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि (आईईपीएफ) में अंतरित किया जाना चाहिए। वित्तीय वर्ष 2015–16 तक के लाभांश की अदत्त/अदावाकृत राशि को आईईपीएफ में अंतरित कर दिया गया है।

जिन शेयरधारकों ने वित्त वर्ष 2021–22 वित्त वर्ष 2022–23 और वित्तवर्ष 2023–24 के लिए लाभांश प्राप्त नहीं किया है/दावा नहीं किया है, उनसे जल्द से जल्द इसका दावा करने का अनुरोध किया जाता है। यदि दावा नहीं किया गया है. तो अदत्त लाभांश लागू दिशानिर्देशों में निर्धारित समय–सीमा के अनुसार आईईपीएफ को अंतरित कर दिया जाएगा।

बैंक के पास पड़े अदत्त/अदावाकृत लाभांश का वर्ष वार डेटा बैंक की वेबसाइट (www.pnbindia.in) पर उपलब्ध है।

**10. अन्य जानकारी**

ए. सेबी परिपत्र संख्या SEBI/HO/CFD/CFD-POD-2/P/CIR/2024/133 दिनांक 03 अक्टूबर, 2024 के अनुसार, सेबी परिपत्र के साथ पठित और एमसीए सामान्य परिपत्र संख्या 09/2024 दिनांक 19 सितंबर, 2024 इसके पूर्ववर्ती परिपत्रों के साथ पठित वित्त वर्ष 2024–25 की वार्षिक रिपोर्ट जिसमें बैंक की 24 वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) की सूचना शामिल है, अन्य बातों के साथ–साथ, ई–वोटिंग की प्रक्रिया और विधि आदि का सूचना सभी शेयरधारकों को केवल इलेक्ट्रॉनिक मोड में भेजी जा रही है जिनकी ई–मेल आईडी बैंक के एसटीए/डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के पास पंजीकृत है।

बी. शेयरधारक यह भी नोट कर सकते हैं कि वित्तीय वर्ष 2024–25 की वार्षिक रिपोर्ट जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ एजीएम की सूचना शामिल है, को बैंक की वेबसाइट www.pnbindia.in स्टॉक एक्सचेंजों अर्थात बीएसई लिमिटेड और नैशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड पर की वेबसाइट क्रमशः www.bseindia.com और www.nseindia.com पर और एनएसडीएल की वेबसाइट अर्थात www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध कराया गया है।

सी. बैंक द्वारा की गई 'हरित पहल के अनुरूप शेयरधारकों से अनुरोध है कि, भौतिक रूप में धारित शेयरों के मामले में बैंक के एसटीए के साथ और इलेक्ट्रॉनिक रूप में धारित शेयरों के मामले में डिपॉजिटरी प्रतिभागी के साथ अपनी ई–मेल आईडी पंजीकृत करवाएं।

डी. नाम, डाक पता, ई–मेल पता, टेलीफोन/मोबाइल नंबर, स्थायी खाता संख्या (पैन), अधिदेश, नामांकन, बैंक विवरण जैसे बैंक का नाम और शाखा विवरण, बैंक खाता संख्या, एनआईसीआर कोड, आईएफएससी कोड, आदि से संबंधित परिवर्तनों के मामले

The Scrutinizer shall submit a consolidated Scrutinizer's Report on the total votes cast to the Chairman of the Meeting within two working days of conclusion of the AGM and thereafter, the Bank shall declare the result of the voting forthwith by placing the Results along with the Scrutinizer's Report on the website of Stock Exchanges, NSDL and the Bank.

**9. Unclaimed Dividend**

Shareholders are hereby informed that if any dividend amount remains unpaid/ unclaimed for 7 years from its due date, the said unpaid/unclaimed amount has to be transferred to the 'Investor Education & Protection Fund' (IEPF), pursuant to Section 10B of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970. The unpaid/unclaimed amount of Dividend upto FY 2015-16 has already been transferred to IEPF.

The shareholders who have not received/claimed the dividend(s) for FY 2021-22, FY 2022-23 and FY 2023-24 are requested to claim the same at the earliest. If not claimed, the unpaid dividend will be transferred to IEPF in accordance with the timelines prescribed in the applicable guidelines.

The year-wise data of unpaid/unclaimed dividend lying with the Bank is available on the Bank's website (www.pnbindia.in).

**10. Other Information**

a) Pursuant to the SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2024/133 dated 03rd October, 2024 read with its preceding Circulars and the MCA General Circular No. 09/2024 dated 19th September, 2024 read with its preceding Circulars, the Annual Report for FY 2024-25 containing the Notice of the 24th Annual General Meeting (AGM) of the Bank, inter alia, indicating the process and manner of e-voting etc. is being sent only in electronic mode to all the shareholders whose email IDs are registered with the Bank's STA/Depository Participant(s).

b) Shareholders may also note that the Annual Report for FY 2024-25 inter alia containing the Notice of AGM is also being made available on the Bank's website www.pnbindia.in, websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively, and on the website of NSDL i.e. www.evoting.nsdl.com

c) In consonance with the 'Green Initiatives' undertaken by the Bank, shareholders holding shares in physical form are requested to get their email ids registered with the Bank's STA in case of shares held in physical form and Depository Participant in case of shares held in electronic form.

d) In case of changes, if any, pertaining to name, postal address, email address, telephone/mobile number, Permanent Account Number (PAN), mandates, nominations, bank details such as, name of the bank and branch details, bank account number, MICR code, IFSC code, etc., the

में, शेयरधारक भौतिक रूप में धारित शेयरों के मामले में बैंक के एसटीए के साथ और इलेक्ट्रॉनिक रूप में धारित शेयरों के मामले में उनके संबंधित निक्षेपागार प्रतिभागी (प्रतिभागियों) के साथ अपडेट करवा सकते हैं।

ई. शेयरधारक जो भौतिक रूप में कई फोलियो में समान नामों या नामों के समान क्रम में संयुक्त नामों में शेयर रखते हैं, उनसे अनुरोध है कि वे एक ही फोलियो में समेकन के लिए एसटीए को अपने शेयर प्रमाण पत्र भेजें।

एफ. भौतिक धारिता का डिमटेरियलाइजेशन : यथा संशोधित सेबी सूचीकरण विनियमों के विनियम 40 के अनुसार, पारेषण और अंतरण अनुरोधों सहित प्रतिभूतियों के अंतरण के सभी अनुरोधों पर केवल डिमटेरियलाइजेशन रूप में कार्रवाई की जाएगी। इसे ध्यान में रखते हुए और भौतिक शेयरों से जुड़े सभी जोखिमों को खत्म करने और डिमटेरियलाइजेशन के विभिन्न लाभों का लाभ उठाने के लिए, शेयरधारकों को सलाह दी जाती है कि वे भौतिक रूप में उनके द्वारा धारित शेयरों को डिमटेरियलाइज करें। शेयरधारक इस संबंध में सहायता के लिए बैंक या बैंक के एसटीए से संपर्क कर सकते हैं।

जी. शेयरों के डिमटेरियलाइजेशन की प्रक्रिया बैंक की वेबसाइट अर्थात https://www.pnbindia.in/ पर 'निवेशक जानकारी' के अंतर्गत उपलब्ध है।

**व्याख्यात्मक कथन :**

- **मद संख्या 3 :**

सेबी सूचीकरण विनियमों के विनियम 23 (4) के अनुसार, सभी सामग्री संबंधी पक्षकार लेन–देनों के लिए साधारण संकल्प के माध्यम से शेयरधारकों का पूर्व अनुमोदन अपेक्षित होता है, इस तथ्य के बावजूद कि ये पर्याप्त आधार पर और कारोबार की सामान्य प्रक्रिया में होते हैं। एक संबंधित पार्टी लेन–देन को 'सामग्री' माना जाता है यदि वित्तीय वर्ष के दौरान व्यक्तिगत रूप से या पिछले लेन–देन के साथ लिया जाने वाला लेन–देन ₹1000 करोड़ या सूचीबद्ध इकाई के अंतिम लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार सूचीबद्ध इकाई के वार्षिक समेकित कारोबार का 10%, जो भी कम हो, से अधिक है।

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, निम्नलिखित प्रस्तावित सामग्री संबंधित पार्टी लेन–देन के लिए शेयरधारकों का अनुमोदन मांगा जाता है:

| विवरण | लेनदेन का विवरण | | |
|---|---|---|---|
| संबन्धित पार्टी का नाम और बैंक के साथ उसका संबंध | पीएनबी गिल्ट्स लिमिटेड | पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (एसोसिएट) | पीएनबी मेटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (एसोसिएट) |

shareholders may get the same updated with the Bank's STA, in case of shares held in physical form, and with their respective Depository Participant(s), in case of shares held in electronic form.

e) Shareholders who hold shares in physical form in multiple folios in identical names or joint names in the same order of names are requested to send their share certificates to the STA for consolidation into a single folio.

f) Dematerialization of Physical Holdings: As per Regulation 40 of SEBI Listing Regulations, as amended, all requests for transfer of securities including transmission and transposition requests shall be processed only in dematerialized form. In view of the same and to eliminate all risks associated with physical shares and avail various benefits of dematerialisation, Shareholders are advised to dematerialise the shares held by them in physical form. Shareholders can contact the Bank or Bank's STA for assistance in this regard.

g) The process of dematerialisation of shares is available on the Bank's website i.e. https://www.pnbindia.in/ under 'Investor Info'.

**Explanatory Statement:**

- **Item No.3:**

In terms of Regulation 23(4) of SEBI Listing Regulations, all material related party transactions require prior approval of shareholders by way of an ordinary resolution, notwithstanding the fact that the same are at an arm's length basis and in the ordinary course of business. A related party transaction is considered as 'material' if the transaction to be entered into individually or taken together with previous transactions during a financial year exceeds ₹1000 Crore or 10% of the annual consolidated turnover of the listed entity as per the last audited financial statements of the listed entity, whichever is lower.

In view of the above, approval of the Shareholders is sought for the following proposed Material Related Party Transactions:

| Particulars | Details of Transactions | | |
|---|---|---|---|
| Name of Related Party and its relationship with the Bank | PNB Gilts Limited (Subsidiary) | PNB Housing Finance Limited (Associate) | PNB Metlife India Insurance Company Limited (Associate) |

| विवरण | लेनदेन का विवरण | | |
|---|---|---|---|
| लेन–देन के प्रकार | एकमुश्त प्रतिभूति लेन–देन (प्रतिभूतियों की बिक्री/खरीद) मुद्रा बाजार लेन–देन, प्रतिभूतियों की प्राथमिक सदस्यता, ईबीपी के माध्यम से पीएनबी एनसीडी जारी करने में सुरक्षा व्यवस्थाकर्ता सेवाएं जिसमें पीएनबी गिल्ट्स निर्गम के लिए व्यवस्था करने वालों में से एक हो सकता है और ऐसे अन्य लेन–देन भी जैसे की प्रासंगिक वित्तीय वर्ष के वित्त विवरणों का हिस्सा बनने वाले नोट्स में खुलासा किया जा सकता है। | एकमुश्त प्रतिभूति लेन–देन (प्रतिभूतियों की बिक्री/खरीद) मुद्रा बाजार लेन–देन, प्रतिभूतियों की प्राथमिक सदस्यता और ऐसे अन्य लेन–देन प्रासंगिक वित्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण का हिस्सा बनने वाले नोट्स में खुलासा किया गया है। | |
| प्रस्तावित लेन–देन की तात्विक शर्तें और विवरण | एकमुश्त प्रतिभूति लेन–देन/मुद्रा बाजार लेन–देन/प्रतिभूतियों का प्राथमिक अंशदान, बैंक के नीतिगत दिशानिर्देशों के अनुसार प्रचलित बाजार मूल्य/प्रतिभूतियों के उचित मूल्य के अनुसार किया जाएगा। एनसीडी जारी करने के लिए पीएनबी गिल्ट्स की व्यवस्था करने वाली सेवाओं का उपयोग पीएनबी द्वारा जारी की गई आवश्यकता के अनुसार किया जाएगा और सभी प्रबन्धकों के लिए बैंक द्वारा तय किए गए अरेंजरशिप शुल्क का भुगतान एक समान होगा। | | |
| प्रस्तावित लेन–देन की अवधि | 24वीं वार्षिक आम बैठक की तिथि से अगली वार्षिक आम बैठक की तिथि तक पन्द्रह माह से अधिक अवधि के लिए नहीं | 24वीं वार्षिक आम बैठक की तिथि से अगली वार्षिक आम बैठक की तिथि तक पन्द्रह माह से अधिक अवधि के लिए नहीं | 24वीं वार्षिक आम बैठक की तिथि से आगामी वार्षिक आम बैठक की तिथि तक पन्द्रह माह से अधिक अवधि के लिए नहीं |
| प्रस्तावित लेन–देन का मूल्य (₹राशि करोड़ में ) | 6000.00 तक | 6000.00 तक | 2000.00 तक |

| Particulars | Details of Transactions | | |
|---|---|---|---|
| Type of Transaction | Outright securities trans-actions (sale / purchase of securities), Money Market transactions, Primary subscription of securities, Security Arranger services in PNBs NCD issuances through EBP in which PNB Gilts may be arranger/one of the arrangers to the issue and also such other transactions as may be disclosed in the notes forming part of the Financial Statements for the relevant Financial Year | Outright securities transactions (sale / purchase of securities), Money Market transactions, Primary subscription of securities and also such other transactions as may be disclosed in the notes forming part of the Financial Statements for the relevant Financial Year | |
| Material terms and particulars of the proposed transaction | Outright securities transactions/money Market transactions/ Primary subscriptions of securities, will be done as per the prevailing market price/ Fair value of securities in line with Bank's Policy Guidelines.<br><br>Arranger services of PNB Gilts for NCD issuances shall be utilised as per PNB's issue requirement and payment of arrangership fee shall be uniform to all the arrangers as decided by the Bank. | | |
| Tenure of the proposed transaction | From the date of the 24th AGM till the date of next AGM for a period not exceeding fifteen months | From the date of the 24th AGM till the date of next AGM for a period not exceeding fifteen months | From the date of the 24th AGM till the date of next AGM for a period not exceeding fifteen months |
| Value of the proposed transaction (₹ in Crore) | upto 6000.00 | upto 6000.00 | upto 2000.00 |

| विवरण | लेनदेन का विवरण | | |
|---|---|---|---|
| तत्काल पूर्ववर्ती वित्त वर्ष के लिए बैंक के वार्षिक समेकित कारोबार (अर्थात बैंक की वार्षिक समेकित कुल आय का प्रतिशत, प्रस्तावित लेन–देन (31.03.2025 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए बैंक की समेकित कुल आय के आधार पर) के मूल्य द्वारा दर्शाया गया है। | 4.27% | 4.27% | 1.42% |
| 31.03.2025 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए एकल आधार पर सहायक कंपनी के वार्षिक कारोबार के आधार पर गणना की गई प्रतिशतता | 0.81% | लागू नहीं | लागू नहीं |
| बैंक या उसकी सहायक कंपनी द्वारा किए गए या दिए गए किसी भी ऋण के साथ साथ कॉर्पोरेट जमा, अग्रिम या निवेश से संबंधित लेन–देन: | | | |
| किए गए वित्तीय ऋणग्रस्तता का विवरण | बैंक कोई विशिष्ट वित्तीय ऋण नहीं लेगा। धन का उपयोग बैंकिंग के सामान्य प्रक्रिया से किया जाएगा। | | |
| जहां कोई वित्तीय ऋणग्रस्तता, अंतर–कॉर्पोरेट जमा, अग्रिम निवेश करने या देने के लिए लिया जाता है<br>ए. ऋणग्रस्तता की प्रकृति :<br>बी. निधियों की लागत :<br>सी. अवधि : | बैंक कोई विशिष्ट वित्तीय ऋण नहीं लेगा। लेन देन 24वी एजीएम की तारीख से अगले एजीएम की तारीख तक पंद्रह महीने से अधिक की अवधि के लिए किए जाने का प्रस्ताव है। कार्यकाल जारी प्रतिभूतियों की शर्तों के अनुसार होगा। | | |

| Particulars | Details of Transactions | | |
|---|---|---|---|
| Percentage of Bank's Annual Consolidated Turnover, for the immediately preceding financial year, represented by the value of the proposed transaction (Based on Consolidated Total Income of the Bank for FY ended 31.03.2025) | 4.27% | 4.27% | 1.42% |
| Percentage calculated on the basis of the subsidiary's annual turnover on a standalone basis for FY ended 31.03.2025 | 0.81% | NA | NA |
| Transaction relating to any loans, inter-corporate deposits, advances or investments made or given by the Bank or its subsidiary: | | | |
| Details of Financial Indebtedness incurred | The Bank will not incur any specific Financial indebtedness. The funds will be utilized from normal course of Banking. | | |
| Where any Financial indebtedness is incurred to make or give loans, inter-corporate deposits, advances investments<br>a. nature of indebtedness:<br>b. cost of funds:<br>c. tenure: | The Bank will not incur any specific financial indebtedness. The Transactions are proposed to be undertaken from the date of the 24th AGM till the date of next AGM for the period not exceeding fifteen months. The Tenure will be as per terms of the securities issued. | | |

| विवरण | लेनदेन का विवरण |
|---|---|
| अनुबंध, कार्यकाल, ब्याज दर और पुनर्भुगतान अनुसूची, चाहे प्रतिभूत हो या अप्रतिभूतय यदि प्रतिभूत है, तो प्रतिभूत की प्रकृति सहित यथा लागू शर्तें। | लागू शर्तें बैंक की नीति/नियामक दिशानिर्देशों के अनुसार होंगी। **ये लेन–देन बैंक की नीति/विनियामक दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक के सामान्य कारोबार के अनुरूप एक स्वतंत्र संव्यवहार के आधार पर किए जाएंगे।**<br><br>ब्याज दरें प्रचलित बाजार दर पर आधारित होंगी या बाहरी बेंचमार्क से जुड़ी होंगी।<br><br>चुकौती अनुसूची उधारकर्ताओं के साथ सहमत शर्तों के अनुसार होगी। |
| जिस उद्देश्य के लिए आरपीटी के अनुसार ऐसी निधियों के अंतिम लाभार्थी द्वारा निधियों का उपयोग किया जाएगा। | निधि का उपयोग केवल सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित इच्छित उद्देश्य के लिए किया जा सकता है। |
| आरपीटी बैंक के हित में क्यों है, इसका औचित्य | बैंक सक्रिय रूप से प्रतिभूतियों की खरीद (संबंधित/असंबंधित पार्टियों द्वारा जारी), तुलन पत्र का प्रबंधन करने के लिए, और बाजार के अवसरों का लाभ उठाकर व्यापार/निवेश पोर्टफोलियों से लाभ को अनुकूलित करने के लिए सक्रिय रूप से प्रतिबद्ध है और इसलिए बैंक के हित में है।<br><br>इसके अलावा, पीएनबी गिल्ट्स डेट मार्किट में एक प्रमुख खिलाड़ी है, लेन देन बाजार दरों पर किया जाएगा, ताकि पीएनबी बाजार के अवसर से न चूके। |
| मूल्यांकन या अन्य बाह्य पक्ष की रिपोर्ट | लागू नहीं |
| प्रतिपक्ष के वार्षिक समेकित कारोबार का प्रतिशत जो स्वैच्छिक आधार पर प्रस्तावित आरपीटी के मूल्य द्वारा दर्शाया जाता है; | लागू नहीं |

| Particulars | Details of Transactions |
|---|---|
| Applicable terms, including covenants, tenure, interest rate and repayment schedule, whether secured or unsecured; if secured, the nature of security. | The applicable terms will be in accordance with the Bank's Policy/ Regulatory Guidelines. ***The transactions, shall be undertaken on an arm's length basis in the normal course of business of the Bank in accordance with the Bank's Policy/ Regulatory Guidelines.***<br><br>The interest rates shall be based on prevailing market rate or linked to external benchmark.<br><br>Repayment Schedule shall be as per the terms agreed with the borrowers. |
| The purpose for which the funds will be utilized by the ultimate beneficiary of such funds pursuant to the RPT. | The funds will be utilized solely for the intended purpose as approved by the Competent Authority. |
| Justification as to why the RPT is in the interest of the Bank | The Bank is engaged in purchase/sale of securities (issued by Government of India, State Governments, PSUs, Corporates etc. which may be related or unrelated to the Bank) during its normal course of business, to optimise profits from trading/investment portfolio by taking advantage of market opportunities and the transaction is therefore, in the interest of the Bank.<br>Further, PNB Gilts is one of the major players in Debt Market and is a primary dealer. The transactions shall be carried out at Market rates, so that PNB does not miss out on a market opportunity. |
| Valuation or other external party report | Not applicable |
| Percentage of the counter-party's annual consolidated turnover that is represented by the value of the proposed RPT on a voluntary basis; | Not available |

एक ओर बैंक के बीच प्रस्तावित लेन–देन का मूल्य और दूसरी तरफ उपरोक्त उल्लिखित संबंधित पार्टियों में से प्रत्येक का मूल्य ₹1000 करोड़ से अधिक होने जा रहा है [अर्थात सेबी सूचीकरण विनियमों के तहत 'सामग्री से संबंधित पार्टी लेन–देन' की सीमा से अधिक अर्थात ₹1000 करोड़ या बैंक के अंतिम लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार बैंक के वार्षिक समेकित कारोबार (अर्थात वार्षिक समेकित कुल आय) का 10%, जो भी हो कम हो] लेन–देन संबंधित पार्टियों के साथ स्वतंत्र संव्यवहार आधार पर और बैंक के सामान्य कारोबार में निष्पादित किया जाएगा।

कोई भी निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक और उनके रिश्तेदार, बैंक में और ऊपर उल्लिखित किसी भी संस्था में, यदि कोई हो, उनकी शेयरधारिता/निर्देशन, यदि कोई हो, को छोड़कर, उपरोक्त संकल्प में संबंधित/रुचि रखते हैं।

बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति ने उपरोक्त सामग्री संबंधी पार्टी लेन–देन के लिए अनुमोदन प्रदान किया है।

बोर्ड ने यह भी संस्तुति की है कि मद संख्या 3 में रखी गई प्रस्तावित सामग्री से संबंधित पार्टी लेन–देन, शेयरधारकों के समक्ष उनके अनुमोदन हेतु एजीएम में सामान्य संकल्प के रूप में रखा जाए।

शेयरधारक कृपया ध्यान दें कि, सेबी सूचीकरण विनियमों के प्रावधानों के अनुसार, कोई भी संबंधित पक्ष/पार्टी नोटिस के मद संख्या 3 पर सामान्य संकल्प को अनुमोदित करने के लिए वोट नहीं करेंगे।

- **मद संख्या 4**

सेबी लिस्टिंग विनियमों के विनियम 23(4) के अनुसार, सभी सामग्री से संबंधित पक्ष लेन–देन के लिए एक सामान्य संकल्प के माध्यम से शेयरधारकों की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता होती है, इस तथ्य के बावजूद कि वे व्यापार पहुँच के भीतर और सामान्य प्रक्रिया में हैं। एक संबंधित पक्ष के लेन–देन को 'सामग्री' के रूप में माना जाता है यदि लेन–देन को व्यक्तिगत रूप से दर्ज किया जाता है या पिछले लेन–देन के साथ एक वित्तीय वर्ष के दौरान एक साथ लिया जाता है, जो पिछले लेखा परीक्षित वित्तीय के अनुसार सूचीबद्ध इकाई के वार्षिक समेकित कारोबार का 1000 करोड़ या 10% से अधिक है। सूचीबद्ध इकाई के विवरण, जो भी न्यूनतम हो।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, निम्नलिखित प्रस्तावित सामग्री संबंधित पक्ष की लेन–देन के लिए शेयरधारकों का अनुमोदन मांगा गया है:

| विवरण | लेन–देन का विवरण | |
|---|---|---|
| संबंधित पक्ष का नाम और बैंक के साथ इसके संबंध | पीएनबी गिल्ट्स लिमिटेड (सहायक) | पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (सहायक) |
| लेन–देन का प्रकार | संबंधित पक्षों सहित अपने ग्राहकों को अपने सामान्य बैंकिंग कारोबार के हिस्से के रूप में, लाइन ऑफ क्रेडिट, के रूप में ऋण और अग्रिम। (लागू अवधि के दौरान नवीकरण के अधीन स्वीकृत कोई भी सीसी/ओडी सीमा, समग्र सीमा की गणना करते समय विचार की जाएगी) | |
| प्रस्तावित लेनदेन के भौतिक नियम और विवरण | प्रस्तावित लेन–देन के नियम और शर्तें बैंक की नीति/विनियामक दिशानिर्देशों के अनुसार होंगी। | |

The value of the proposed transactions between the Bank on one side and each of the aforementioned Related Parties, on the other side, is going to be more than ₹1000 Crore [i.e. above the threshold of 'material related party transactions' under the SEBI Listing Regulations i.e. ₹1000 Crore or 10% of the Annual Consolidated Turnover of the Bank as per the last audited financial statements of the Bank, whichever is lower] The transactions will be executed with the Related Parties on an arm's length basis and in the ordinary course of business of the Bank.

None of the Directors, Key Managerial Personnel and their relatives, other than to the extent of their shareholding/ directorships, if any, in the Bank and in any of the entities mentioned above, if any, are concerned/interested in the above resolution.

The Audit Committee of the Board has accorded approval for the aforesaid Material Related Party Transactions.

The Board has also recommended that the proposed material related party transactions placed at Item No. 3, be placed before the shareholders as Ordinary Resolution at the AGM for seeking their approval.

The Shareholders may please note that, in terms of provisions of the SEBI Listing Regulations, no related party(ies) shall vote to approve the Ordinary Resolution at Item No. 3 of the Notice.

- **Item No.4:**

In terms of Regulation 23(4) of SEBI Listing Regulations, all material related party transactions require prior approval of shareholders by way of an ordinary resolution, notwithstanding the fact that the same are at an arm's length basis and in the ordinary course of business. A related party transaction is considered as 'material' if the transaction to be entered into individually or taken together with previous transactions during a financial year exceeds ₹1000 Crore or 10% of the annual consolidated turnover of the listed entity as per the last audited financial statements of the listed entity, whichever is lower.

In view of the above, approval of the Shareholders is sought for the following proposed Material Related Party Transactions:

| Particulars | Details of Transactions | |
|---|---|---|
| Name of Related Party and its relationship with the Bank | PNB Gilts Limited (Subsidiary) | PNB Housing Finance Limited (Associate) |
| Type of Transaction | Loans and Advances in the form of Line of Credit etc., as part of its normal banking business to its customers including related parties. (Any CC/OD limit sanctioned, subject to renewal during the applicable period, to be considered while computing the overall limit) | |
| Material terms and particulars of the proposed transaction | The terms and conditions of the proposed transactions shall be in accordance with the Bank's Policy/Regulatory Guidelines. | |

| | | |
|---|---|---|
| प्रस्तावित लेनदेन का मूल्य (₹ करोड़ में) | 4000.00 तक | 7100.00 तक |
| संबंधित पक्ष के सरोकार या हित की प्रकृति (वित्तीय या अन्यथा) | वित्तीय | |
| तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के लिए बैंक के वार्षिक समेकित कारोबार (अर्थात बैंक की वार्षिक समेकित कुल आय) का प्रतिशत, प्रस्तावित लेन–देन के मूल्य द्वारा दर्शाया गया है (31.03.2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए बैंक की समेकित कुल आय के आधार पर) | 2.85% | 5.05% |
| 31.03.2025 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए एकल आधार पर सहायक कंपनी के वार्षिक कारोबार के आधार पर प्रतिशत की गणना की गई। | 0.54% | लागू नहीं |
| बैंक या उसकी सहायक कंपनी द्वारा किए गए या दिए गए किसी भी ऋण, अंतर–कॉर्पोरेट जमा, अग्रिम या निवेश से संबंधित लेन–देन: | | |
| (i) की गई वित्तीय ऋणग्रस्तता का विवरण | बैंक कोई विशिष्ट वित्तीय ऋण नहीं लेगा। धन का उपयोग बैंकिंग के सामान्य प्रक्रिया से किया जाएगा। | |
| जहां कोई वित्तीय ऋणग्रस्तता, अंतर–कॉर्पोरेट जमा, अग्रिम निवेश करने या देने के लिए लिया जाता है<br>ए. ऋणग्रस्तता की प्रकृति:<br>बी. निधियों की लागत:<br>सी. अवधि: | बैंक कोई विशिष्ट वित्तीय ऋण नहीं लेगा। लेन देन 24वी एजीएम की तिथि से अगले एजीएम की तिथि तक पंद्रह महीने से अधिक की अवधि के लिए किए जाने का प्रस्ताव है। कार्यकाल जारी प्रतिभूतियों की शर्तों के अनुसार होगा। | |
| (ii) अनुबंध, कार्यकाल, ब्याज दर और पुनर्भुगतान अनुसूची, चाहे सुरक्षित हो या असुरक्षितय यदि सुरक्षित है, तो सुरक्षा की प्रकृति सहित यथा लागू शर्तें। | लागू शर्तें, जिनमें वचनबद्धताएं, चाहे वे सुरक्षित/असुरक्षित हो, सुरक्षा की प्रकृति आदि शमिल है, बैंक की नीति/विनियामक दिशानिर्देशों के अनुसार तथा उधरकर्ताओं की सहमति के अनुसार होगी। बैंक के सामान्य कारोबार के दौरान एक स्वतंत्र और निष्पक्ष आधार किए जायेंगे।<br>प्रतिभूतियों का मूल्य प्रचलित बाजार पद्धति के अनुसार उचित बाजार मूल्य पर होगा।<br>चुकौती अनुसूची उधारकर्ता के साथ सहमत शर्तों के अनुसार होगी। | |

| | | |
|---|---|---|
| Value of the proposed transaction (₹ in Crore) | upto 4000.00 | upto 7100.00 |
| Nature of concern or interest of the related party (financial or otherwise) | Financial | |
| Percentage of Bank's Annual Consolidated Turnover, for the immediately preceding financial year, represented by the value of the proposed transaction (Based on Consolidated Total Income of the Bank for FY ended 31.03.2025) | 2.85% | 5.05% |
| Percentage calculated on the basis of the subsidiary's annual turnover on a standalone basis for FY ended 31.03.2025 | 0.54% | NA |
| Transaction relating to any loans, inter-corporate deposits, advances or investments made or given by the Bank or its subsidiary: | | |
| (i) Details of Financial Indebtedness incurred | The Bank will not incur any specific Financial indebtedness. The funds will be utilized from normal course of banking. | |
| Where any Financial indebtedness is incurred to make or give loans, inter-corporate deposits, advances investments<br>a. nature of indebtedness:<br>b. cost of funds:<br>c. tenure: | The Bank will not incur any specific Financial indebtedness. The transactions are proposed to be undertaken from the date of 24th AGM till the date of next AGM for a period not exceeding fifteen months. The Tenure of the credit facilities will be as per the terms of sanction in accordance with Bank's Policy/ Regulatory Guidelines. | |
| (ii) Applicable terms, including covenants, tenure, interest rate and repayment schedule, whether secured or unsecured; if secured, the nature of security, and | The applicable terms including Covenants, whether secured/ unsecured, nature of security, etc., will be in accordance with the Bank's Policy/Regulatory Guidelines and as agreed to by the borrowers. The transactions, shall be undertaken on an arm's length basis in the normal course of business of the Bank.<br>The interest rates shall be based on prevailing market rate or linked to external benchmark.<br>Repayment Schedule shall be as per the terms agreed to with the borrowers. | |

| | | |
|---|---|---|
| (iii) जिस उद्देश्य के लिए आरपीटी के अनुसार ऐसी निधियों के अंतिम लाभार्थी द्वारा निधियों का उपयोग किया जाएगा। | कंपनी जी–सेक बाजार के थोक खंड की पूर्ति कर रही है। इन लेन–देनों से संबंधित निधि संबंधी निहितार्थ होते हैं, जो कंपनी के परिचालन को प्रभावित करते हैं।<br><br>इसके अलावा, आरबीआई द्वारा आरटीजीएस की शुरुआत के बाद से, अधिकांश कॉल मनी लेन–देन आरटीजीएस के माध्यम से किए जाते हैं। शुद्ध बिक्री और खरीद आय को भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड (सीसीआईएल) द्वारा दिन के अंत में ही उनके आरबीआई खाते में जमा किया जाता है, जिसके बाद पीएनबी को अंतरित करके भुगतान करने के लिए निधि का उपयोग करना संभव नहीं होता है। जबकि निधि का उपयोग दिन के समय किया जाता है, क्रेडिट देर शाम को आता है और कंपनी उसी दिन सीमा का भुगतान कर देती है। धनराशि प्राप्त होने में विलंब होने की स्थिति में, LOC की सुविधा का लाभ उठाया जाता है, लेकिन उसे उसी दिन नियमित कर दिया जाता है। धनराशि प्राप्त होने में विलंब होने की स्थिति में, अनुमोदित त्व्‍ पर दंडात्मक ब्याज का भुगतान कंपनी द्वारा किया जाता है औरध्या ऋण सुविधाएं प्राप्त करते समय निर्दिष्ट किया जाता है। | कंपनी प्रत्यक्ष ऋण के माध्यम से आवास गतिविधियों के वित्तपोषण के साथ–साथ आवास सुविधाएं प्रदान करने वाली संस्थाओं को ऋण देने में लगी हुई है।कंपनी व्यक्तियों (निवासी एवं अनिवासी तथा कॉर्पोरेट निकायों को उनकी आवास आवश्यकताओं के लिए) को ऋण प्रदान करती है। पीएनबीएचएफएल मकानों के निर्माण, खरीद, मरम्मत और उन्नयन के लिए खुदरा आवास ऋण प्रदान करता है। पीएनबीएचएफएल संपत्ति के बदले ऋण (एलएपी), वाणिज्यिक संपत्ति के लिए ऋण और आवासीय भूखंडों की खरीद के लिए ऋण भी प्रदान करता है। थोक खंड में पीएनबीएचएफएल बिल्डरों और डेवलपर्स को निर्माण वित्त और कॉर्पोरेट को लीज रेंटल डिस्काउंटिंग (एलआरडी) और वाणिज्यिक अवधि ऋण प्रदान करता है। इस निधि का उपयोग दैनिक कार्यों तथा बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को ब्याज और किस्तों के पुनर्भुगतान दायित्वों को पूरा करने के लिए किया जाता है, साथ ही इसका उपयोग वाणिज्यिक पत्रों के आधार पर बाजार से धन जुटाने और आगे उधार देने तथा/या ऋण सुविधाएं प्राप्त करते समय निर्दिष्ट डीपी के लिए भी किया जाता है। |

| | | |
|---|---|---|
| (iii) The purpose for which the funds will be utilized by the ultimate beneficiary of such funds pursuant to the RPT. | The company is catering to the whole sale segment of the G-Secs market. These transactions have associated funds implications, which correspondingly affect the company's operations.<br><br>Further, since inception of RTGS by RBI, most of call money transactions are routed through RTGS. Net sale and purchase proceeds are credited to their RBI A/c only at the end of the day by Clearing Corporation of India Ltd. (CCIL), after which it is not possible to utilize the funds for making payments by transferring them to PNB. While funds are utilized during day time, the credit comes late in the evening and company<br><br>square off the limit on same day. In the event of delay in receipt of funds, facility of LOC is availed but regularized within the same day. In the event of delay in receipt of funds, Penal interest over approved ROI is paid by the company and/or as specified at the time of availing the credit facilities. | The company is engaged in the finance of housing activities through direct lending as well as lending to institutions providing housing facilities. Company provides loans to individuals (resident as well as non-residents and to corporate bodies for their housing requirement). PNBHFL provides retail housing Loan for construction, purchase, repairs and up-gradation of houses. PNBHFL also provides loan against property (LAP), loan for commercial property and loan for purchase of residential plots. In the wholesale segment PNBHFL provide construction finance to builders & developers and Lease Rental Discounting (LRD) and commercial term loan to corporate. The fund is utilised for day to day operations and meeting repayment obligations of interest and instalments to the banks and FIs and also for earmarking of DP for raising funds against Commercial Paper from the market and for onward lending and/or as specified at the time of availing the credit facilities. |

| | |
|---|---|
| आरपीटी बैंक के हित में क्यों है, इसका औचित्य | ये लेन–देन बैंक के बैंकिंग कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए हैं और यह निर्धारित मानदंडों, नीतियों और प्रक्रियाओं के अनुसार होगा इसलिए बैंक के हित में हैं। |
| मूल्यांकन या अन्य बाह्य पक्ष की रिपोर्ट | लागू नहीं |

एक ओर बैंक के बीच प्रस्तावित लेन–देन का मूल्य और दूसरी तरफ उपरोक्त उल्लिखित संबंधित पार्टियों में से प्रत्येक का मूल्य ₹1000 करोड़ से अधिक होने जा रहा है (अर्थात सेबी सूचीकरण विनियमों के अंतर्गत 'सामग्री से संबंधित पार्टी लेनदेन' की सीमा से अधिक अर्थात ₹1000 करोड़ या बैंक के अंतिम लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार बैंक के वार्षिक समेकित कारोबार (अर्थात वार्षिक समेकित कुल आय) का 10%, जो भी कम हो) लेन–देन संबंधित पार्टियों के साथ स्वतंत्र संव्यवहार आधार पर और बैंक के सामान्य कारोबार में निष्पादित किया जाएगा।

कोई भी निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक और उनके रिश्तेदार, बैंक में और ऊपर उल्लिखित किसी भी संस्था में, यदि कोई हो, उनकी शेयरधारिता/निर्देशन, यदि कोई हो, को छोड़कर, उपरोक्त संकल्प में संबंधित/रुचि रखते हैं।

बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति ने उपरोक्त सामग्री संबंधित पक्ष की लेनदेन के लिए अनुमोदन प्रदान किया है।

बोर्ड ने यह भी संस्तुति की है कि प्रस्तावित सामग्री से संबंधित पक्ष के लेनदेन को मद संख्या 4 में रखा गया है, शेयरधारकों के समक्ष उनकी स्वीकृति लेने के लिए वार्षिक आम बैठक में साधारण संकल्प के रूप में रखा जाए।

शेयरधारक कृपया ध्यान दें कि, सेबी लिस्टिंग विनियमों के प्रावधानों के अनुसार, कोई भी संबंधित पक्ष हेतु सूचना के मद संख्या 4 में सामान्य संकल्प को अनुमोदित करने के लिए मतदान नहीं करेंगे।

- **मद संख्या 5:**

श्री अशोक चंद्र को भारत सरकार की अधिसूचना संख्या ईएफ.सं. 4/4(i)/2023–बीओ.आई दिनांक 16 जनवरी, 2025 के माध्यम से, भारत सरकार द्वारा बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(ए) के अंतर्गत बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति पदभार ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, के लिए की गई है।

सेबी (सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 17(1सी) के प्रथम प्रावधान के अनुसार निदेशकों की नियुक्ति को बैंक के शेयरधारकों की बैठक में अनुमोदित किया जाना है।

अतः भारत सरकार द्वारा निर्धारित नियमों और शर्तों पर बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में श्री अशोक चंद्र की नियुक्ति के लिए शेयरधारकों की स्वीकृत की जाती है।

| | |
|---|---|
| Justification as to why the RPT is in the interest of the Bank | The transactions are in furtherance of banking business of the Bank and are undertaken in accordance with laid down norms policies and procedures and therefore, in the interest of the Bank. |
| Valuation or other external party report | Not applicable |

The value of the proposed transactions between the Bank on one side and each of the aforementioned Related Parties, on the other side, is going to be more than ₹1000 Crore [i.e. above the threshold of 'material related party transactions' under the SEBI Listing Regulations i.e. ₹1000 Crore or 10% of the Annual Consolidated Turnover of the Bank as per the last audited financial statements of the Bank, whichever is lower]. The transactions will be executed with the Related Parties on an arm's length basis and in the ordinary course of business of the Bank.

None of the Directors, Key Managerial Personnel and their relatives, other than to the extent of their shareholding/directorships, if any, in the Bank and in any of the entities mentioned above, if any, are concerned/interested in the above resolution.

The Audit Committee of the Board has accorded approval for the aforesaid Material Related Party Transactions.

The Board has also recommended that the proposed material related party transactions placed at Item No. 4, be placed before the shareholders as Ordinary Resolution at the AGM for seeking their approval.

The Shareholders may please note that, in terms of provisions of the SEBI Listing Regulations, no related party(ies) shall vote to approve the Ordinary Resolution at Item No. 4 of the Notice.

- **Item No. 5:**

Shri Ashok Chandra was appointed by the Government of India as the Managing Director & Chief Executive Officer of the Bank under Section 9(3)(a) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, vide Government of India's Notification no. eF.No. 4/4(i)/2023-BO.I dated 16th January, 2025 with effect from 16th January, 2025 for a period of three years with effect from the date of assumption of charge of the office, or until further orders, whichever is earlier.

In terms of the First Proviso to Regulation 17(1C) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the appointment of directors has to be approved at the meeting of shareholders of the Bank.

Therefore, the approval of shareholders is sought for the appointment of Shri Ashok Chandra as Managing Director & Chief Executive Officer of the Bank on the terms and conditions as determined by the Government of India.

**श्री अशोक चंद्र का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है:**

श्री अशोक चंद्र ने 16 जनवरी 2025 को पंजाब नैशनल बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में कार्यभार संभाला। बैंकिंग उद्योग में उनके पास 33 वर्षों से अधिक का व्यापक और विविध अनुभव है।

श्री चंद्र 21 नवंबर 2022 से 15 जनवरी 2025 तक केनरा बैंक के कार्यपालक निदेशक थे। कार्यपालक निदेशक के रूप में उन्होंने डिजिटल बैंकिंग और सूचना प्रौद्योगिकी, कार्यनीति और योजना, विपणन और जनसंपर्क, वित्तीय समावेशन, एमएसएमई, खुदरा आस्ति, कृषि और प्राथमिकता क्षेत्र, स्वर्ण ऋण, देयता प्रबंधन, सामान्य प्रशासन आदि सहित केनरा बैंक में विभिन्न वर्टिकल की देखरेख की है।

आप केनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, पीएसबी अलायंस लिमिटेड और केनरा वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड के बोर्ड में निदेशक भी थे। वे मानव संसाधन के लिए आईबीए की स्थायी समिति के सदस्य हैं। इससे पहले, उन्होंने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में मुख्य महाप्रबंधक के रूप में कार्य किया। सीजीएम के रूप में वे बैंक के वसूली, विधि और दबावग्रस्त आस्ति प्रबंधन वर्टिकल के प्रभारी थे। बैंक की दबावग्रस्त आस्ति को काफी कम करने के लिए योजनाबद्ध उपाय लागू करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। वे आईबीए द्वारा गठित 'दबावग्रस्त आस्ति पर स्थायी समिति' के सदस्य भी थे।

आपने यूनियन ट्रस्टी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के बोर्ड निदेशक और नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (NARCL) में निदेशक के रूप में भी कार्य किया। श्री चंद्र ने अपना बैंकिंग कैरियर 10 सितम्बर 1991 को एक परिवीक्षाधीन अधिकारी के रूप में पूर्ववर्ती कॉर्पोरेशन बैंक से शुरू किया था और विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में शाखा प्रमुख के रूप में कार्य किया तथा देश भर में बैंक के अंचलोंक्षेत्रों के प्रमुख के रूप में अनेक उत्तरदायित्वों का निर्वहन किया। उन्होंने दुबई, यूएई में बैंक के प्रतिनिधि कार्यालय का नेतृत्व करते हुए विदेशी परिचालन में भी कार्य किया। अपने करियर में, उन्होंने स्टार परफॉर्मर, बेस्ट ब्रांच अवार्ड, हेल्दी ब्रांच अवार्ड, लीडरशिप अवार्ड, चौंपियन ऑफ चौंपियंस अवार्ड आदि जैसे सम्मान और प्रसिद्धि प्राप्त की हैं।

श्री चंद्र के पास अर्थशास्त्र में मास्टर डिग्री है और वे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स के प्रमाणित एसोसिएट भी हैं। उन्हें 2019–2020 के दौरान बैंक बोर्ड ब्यूरो द्वारा डिजाइन किए गए और आईआईएम बैंगलोर द्वारा संचालित नेतृत्व कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए चुना गया था।

**सेबी (सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 36(3) के अनुसार अन्य विवरण निम्नानुसार हैं:**

क. बैंक के कारोबार के संदर्भ में यथाआवश्यक कौशल/विशेषज्ञता/क्षमताओं की पहचान भारत सरकार द्वारा की जाती है और तदनुसार, बैंक के बोर्ड में निदेशक की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है।

ख. निदेशकों के बीच कोई पारस्परिक–संबंध नहीं है

ग. अन्य सूचीबद्ध संस्थाओं में निदेशक पदः शून्य

घ. श्री चंद्र पिछले तीन वर्षों में जिन सूचीबद्ध संस्थाओं के निदेशक नहीं रहे हैं, उनके नामः केनरा बैंक

ङ. पंजाब नैशनल बैंक में शेयरधारिताः शून्य

**The brief profile of Shri Ashok Chandra is as under:**

Shri Ashok Chandra, Managing Director & Chief Executive Officer of Punjab National Bank has a vast and varied experience in the Banking industry, spanning more than 33 years.

Shri Chandra was Executive Director of Canara Bank from 21st November 2022 to 15th January 2025. In his capacity as Executive Director in Canara Bank, he has overseen various Verticals including Digital Banking and Information Technology, Strategy and Planning, Marketing and Public Relations, Financial Inclusion, MSME, Retail Asset, Agriculture and Priority Sector, Gold Loan, Liability Management, General Administration etc.

He was also a Director on the Board of Canara HSBC Life Insurance Company Limited, PSB Alliance Ltd. and Canara Venture Capital Fund Ltd. He is a member of IBA standing committee for HR. Before this, he served as Chief General Manager in Union Bank of India. As CGM he was in-charge of Recovery, Legal and Stressed Asset Management Vertical of the Bank. He was instrumental in putting in place planned measures to drastically reduce the Stressed Assets of the Bank. He was also a member of "Standing Committee on Stressed Assets" formed by IBA.

He also served as Director on the Board of The Union Trustee Company Private Limited and as a Director in The National Asset Reconstruction Company Limited (NARCL). Shri Chandra started his banking career with erstwhile Corporation Bank on 10th September, 1991 as a Probationary Officer and worked as Branch Head in various Geographies and handled multiple responsibilities as heading Zones / Regions of the Bank across the country. He also had a stint of Overseas Operations when he was heading the Representative Office of the Bank at Dubai, UAE. In his career, he has achieved laurels and accolades such as Star Performer, Best Branch Award, Healthy Branch Award, Leadership Award, Champion of champions Award etc.

Shri Chandra holds a Master's Degree in Economics and is also a Certified Associate of Indian Institute of Bankers. He was chosen to be a part of the leadership programme designed by the Banks Board Bureau and conducted by IIM Bangalore during 2019-2020.

**Other details in terms of Regulation 36(3) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 are as under:**

a. The skills/expertise/capabilities as required in the context of business of the Bank are identified by the Government of India and accordingly, appointment of the Director on the Board of the Bank is made by the Government of India.

b. There is no inter-se relationship between Directors

c. Directorship in other listed entities: Nil

d. Name of listed entities in which Shri Chandra has ceased to be director in the past three years: Canara Bank

e. Shareholding in Punjab National Bank: Nil

श्री अशोक चन्द्र की नियुक्ति का पारिश्रमिक एवं अन्य नियम एवं शर्तें भारत सरकार द्वारा जारी मौजूदा दिशानिर्देशों द्वारा निर्देशित हैं।

श्री अशोक चन्द्र के अतिरिक्त बैंक के किसी भी निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्ति और उनके रिश्तेदारों को किसी भी तरह से संकल्प में रुचि या सरोकार नहीं रखते हैं।

बोर्ड ने संस्तुति की है कि उनके विस्तार के प्रस्ताव को शेयरधारकों के समक्ष एजीएम में साधारण संकल्प के रूप में उनकी स्वीकृति के लिए रखा जाए।

- **मद संख्या 6:**

  श्री कल्याण कुमार को भारत सरकार की अधिसूचना संख्या ईएफ. सं. 4/2/2021–बीओ.आई दिनांक 21 अक्टूबर, 2021 के माध्यम से बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(ए) के अंतर्गत बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में भारत सरकार द्वारा तीन वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेश तक या जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त किया गया था।

  श्री कल्याण कुमार का कार्यकाल भारत सरकार की अधिसूचना संख्या ईएफ सं. 4/2(iii)/2024–बीओ.I दिनांक 19 अगस्त, 2024 के माध्यम से, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(ए) के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में 20 अक्टूबर, 2024 (कार्यकाल पूरा होने की तिथि) से अगले दो वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, के लिए बढ़ाया गया था।

  भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ, विनियम, 2015 के विनियमन 17(1सी) के प्रथम प्रावधान के अनुसार, निदेशकों की नियुक्ति/विस्तार को बैंक के शेयरधारकों की अगली आम बैठक में अनुमोदित किया जाना है।

  अतः भारत सरकार द्वारा निर्धारित समान नियमों और शर्तों पर बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में श्री कल्याण कुमार की नियुक्ति के लिए शेयरधारकों की स्वीकृत की जाती है।

**श्री कल्याण कुमार का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है:**

श्री कल्याण कुमार राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय, पूसा से विज्ञान में स्नातकोत्तर हैं और भारतीय बैंकर्स संस्थान (सीएआईआईबी) के प्रमाणित एसोसिएट सदस्य भी हैं और इनके पास भारतीय बैंकिंग और वित्त संस्थान (आईआईबीएफ) से व्यापार वित्त, एसएमई वित्त आईटी सुरक्षा और केवाईसी – एएमएल में विभिन्न प्रमाणपत्र है।

श्री कुमार वर्तमान में पंजाब नैशनल बैंक की दो सहायक कंपनियों अर्थात पीएनबी गिल्ट्स लिमिटेड और पीएनबी कार्ड्स एंड सर्विसेज लिमिटेड के बोर्ड में अध्यक्ष हैं। वे मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट (एमडीआई) सोसाइटी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में नामित सदस्य हैं। श्री कुमार एससीबी नामित निदेशक के रूप में आईआईएफसीएल के बोर्ड में और अध्यक्ष के रूप में छप्तैब्ब्ड के बोर्ड में भी हैं।

The remuneration and other terms and conditions of appointment of Sh. Ashok Chandra are guided by the extant guidelines issued by Government of India.

Except Shri Ashok Chandra, none of the Directors, Key Managerial Persons of the Bank and their relatives is in any way, interested or concerned in the Resolution.

The Board has recommended that the proposal for his appointment, be placed before the shareholders as Ordinary Resolution at the AGM for seeking their approval.

- **Item No. 6:**

  Shri Kalyan Kumar was appointed by the Government of India as the Executive Director of the Bank under Section 9(3)(a) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, vide Government of India's Notification no. eF.No. 4/2/2021-BO.I dated 21st October, 2021 with effect from 21st October, 2021, for a period of three years or until further orders, whichever is earlier.

  The term of Shri Kalyan Kumar was extended by the Government of India as the Executive Director of the Bank under Section 9(3)(a) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, vide Government of India's Notification no. eF. no.4/2(iii)/2024-BO.I dated 19th August, 2024 for a period of two years beyond 20th October, 2024 (i.e. date of completion of his tenure) or until further orders, whichever is earlier.

  In terms of the First Proviso to Regulation 17(1C) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the appointment/ extension of Directors has to be approved at the next general meeting of shareholders of the Bank.

  Therefore, the approval of shareholders is sought for the extension of Shri Kalyan Kumar as Executive Director of the Bank on the terms and conditions as determined by the Government of India.

**The brief profile of Shri Kalyan Kumar is as under:**

Shri Kalyan Kumar, a Post Graduate in science from Rajendra Prasad Agriculture University, Pusa, is also a Certified Associate Member of Indian Institute of Bankers (CAIIB) and holds various certifications in Trade Finance, SME Finance, IT Security and KYC-AML from Indian Institute of Banking and Finance (IIBF).

Shri Kumar is presently the Chairman on the Board of two of the subsidiaries of Punjab National Bank i.e. PNB Gilts Ltd. and PNB Cards & Services Ltd. He is the nominee member on the Board of Governors of Management Development Institute (MDI) Society. Shri Kumar is also on the Board of IIFCL as SCB nominee Director and on the Board of NIBSCOM as Chairman.

श्री कुमार ने शीर्ष लीडरशिप विकास के लिए बैंक बोर्ड ब्यूरो प्रशिक्षण कार्यक्रम और हार्वर्ड विश्वविद्यालय के सहयोग से एगॉन जेंडर द्वारा संचालित निदेशक विकास कार्यक्रम में भी सहभागिता की है।

पंजाब नैशनल बैंक में कार्यपालक निदेशक के रूप में श्री कल्याण कुमार के कार्य ग्रहण करने के बाद से, वे कई डोमेन में उत्तरदायित्वों सहित प्रमुख कारोबार, सहयोग तथा नियंत्रण कार्यों में लाभ वितरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वे वर्तमान में कॉर्पोरेट क्रेडिट, एमएसएमई और मिड कॉर्पोरेट, रिटेल, कृषि, वित्तीय समावेशन, अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग, ट्रेजरी और वित्त एवं लेखा के पोर्टफोलियो में मुख्य भूमिका निभा कर रहे हैं।

डिजिटल परिवर्तन, रणनीतिक प्रबंधन, आर्थिक सलाह, डेटा एनालिटिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता के माध्यम से समग्र व्यवसाय विकास के लिए बैंक के विजन और रणनीति में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। उन्होंने एचआर परिवर्तन, 'पीएनबी उड़ान' का भी निर्देशन किया, जो प्रत्येक कर्मचारी से भूमिकाओं और अपेक्षाओं की स्पष्टता प्रदान करता है, जिसमें अच्छी तरह से परिभाषित और मापने योग्य केआरए शामिल हैं। बिजनेस प्रोसेस री–इंजीनियरिंग, सक्रिय क्रेडिट मॉनिटरिंग, एसेट क्वालिटी और वसूली में सुधार, परिचालन और केवाईसी और ग्राहक अनुभव को बढ़ाने के कार्यकाल के दौरान उनकी देखरेख ने समग्र रूप से बैंक के EASE प्रदर्शन को और बेहतर बनाया।

**सेबी (सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 36(3) के अनुसार अन्य विवरण निम्नानुसार हैं:**

क. बैंक के कारोबार के संदर्भ में यथाआवश्यक कौशल/विशेषज्ञता/क्षमताओं की पहचान भारत सरकार द्वारा की जाती है और तदनुसार, बैंक के बोर्ड में निदेशक की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है।

ख. निदेशकों के बीच कोई पारस्परिक–संबंध नहीं है

ग. अन्य सूचीबद्ध संस्थाओं में निदेशक पद: पीएनबी गिल्ट्स लिमिटेड

घ. सूचीबद्ध संस्थाओं के नाम जिनमें श्री कल्याण कुमार पिछले तीन वर्षों में निदेशक नहीं हैं: शून्य

ङ. पंजाब नैशनल बैंक में शेयरधारिता: शून्य

श्री कल्याण कुमार की नियुक्ति का पारिश्रमिक और अन्य नियम एवं शर्तें भारत सरकार द्वारा जारी मौजूदा दिशानिर्देशों द्वारा निर्देशित हैं।

श्री कल्याण कुमार को छोड़कर, बैंक के किसी भी निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्ति और उनके रिश्तेदारों को किसी भी तरह से संकल्प में रुचि या सरोकार नहीं रखते हैं।

बोर्ड ने संस्तुति की है कि उनके विस्तार के प्रस्ताव को शेयरधारकों के समक्ष एजीएम में साधारण संकल्प के रूप में उनकी स्वीकृति के लिए रखा जाए।

■ **मद संख्या 7 :**

श्री डी. सुरेन्द्रन को भारत सरकार की अधिसूचना संख्या ईएफ.सं. 4/5(ii)/2023–बीओ.। दिनांक 24 मार्च, 2025 के माध्यम से,

Shri Kumar has undergone the Banks Board Bureau Training Program for Top Leadership Development and also Director Development Programme conducted by Egon Zehnder in collaboration with Harvard University.

Since the joining of Shri Kalyan Kumar as the Executive Director in Punjab National Bank, he is playing a pivotal role in Profit delivery across key business, support and control functions with responsibilities across multiple domains. He is presently leading the portfolio of Corporate Credit, MSME & Mid Corporate, Retail, Agriculture, Financial inclusion, International Banking, Treasury and Finance & Accounts.

He was instrumental in Bank's vision and strategy for overall business growth through Digital Transformation, Strategic Management, Economic Advisory, Data Analytics and Information Technology Excellence. He also directed the HR Transformation, 'PNB Udaan', which provides clarity of roles & expectations from each employee with well-defined and measurable KRAs. His oversight during the tenure in Business Process Re-engineering, proactive Credit Monitoring, improving Asset Quality and Recovery, Operations & KYC and enhancing Customer Experience further improved the EASE performance of the Bank as a whole.

**Other details in terms of Regulation 36(3) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 are as under:**

a. The skills/expertise/capabilities as required in the context of business of the Bank are identified by the Government of India and accordingly, appointment of the Director on the Board of the Bank is made by the Government of India.

b. There is no inter-se relationship between Directors

c. Directorship in other listed entities: PNB Gilts Ltd.

d. Names of listed entity in which Shri Kalyan Kumar has ceased to be Director in the past three years: Nil

e. Shareholding in Punjab National Bank: Nil

The remuneration and other terms and conditions of extension of Sh. Kalyan Kumar are guided by the extant guidelines issued by Government of India.

Except Shri Kalyan Kumar, none of the Directors, Key Managerial Persons of the Bank and their relatives is in any way, interested or concerned in the Resolution.

The Board has recommended that the proposal for his extension, be placed before the shareholders as Ordinary Resolution at the AGM, for seeking their approval.

■ **Item No. 7:**

Shri D Surendran was appointed by the Government of India as the Executive Director of the Bank under Section 9(3)(a) of the

भारत सरकार द्वारा बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(ए) के अंतर्गत बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि अर्थात दिनांक 24.03.2025 से उनकी अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने की तिथि अर्थात दिनांक 31.05.2027 तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, तक नियुक्त किया गया है, ।

सेबी (सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 17(1सी) के प्रथम प्रावधान के अनुसार, निदेशकों की नियुक्ति को बैंक के शेयरधारकों की बैठक में अनुमोदित किया जाना है।

अतः भारत सरकार द्वारा निर्धारित नियमों और शर्तों पर बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में श्री डी. सुरेन्द्रन की नियुक्ति के लिए शेयरधारकों की स्वीकृत की जाती है।

**श्री डी. सुरेन्द्रन का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है:**

श्री डी. सुरेंद्रन अन्नामलाई विश्वविद्यालय से कृषि में स्नातकोत्तर हैं और भारतीय बैंकर्स संस्थान के प्रमाणित एसोसिएट भी हैं। उन्होंने भारतीय प्रबंध ान संस्थान, बेंगलुरु में बैंक बोर्ड ब्यूरो द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम भी किया है।

उन्होंने वर्ष 1990 में केनरा बैंक में कृषि विस्तार अधिकारी (AEO) के रूप में अपना करियर शुरू किया और पिछले 34 वर्षों से कर्नाटक, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, नई दिल्ली और आंध्र प्रदेश राज्यों में विभिन्न पदों पर बैंक की सेवा की है। उन्होंने अति वृहद शाखाओं और असाधारण रूप से वृहद शाखाओं का नेतृत्व किया है। उन्होंने कर्नाटक ग्रामीण बैंक में महाप्रबंधक के रूप में कार्य किया है और केनरा बैंक मंडल कार्यालय, मदुरै का नेतृत्व किया है। आपने केनरा बैंक के प्रधान कार्यालय में मुख्य महाप्रबंधक के रूप में, मानव संसाधन विंग का नेतृत्व किया।

आपके अनुभव में शाखा बैंकिंग, प्राथमिकता ऋण, एमएसएमई, खुदरा ऋण, वसूली और मानव संसाधन शामिल हैं। एचआर विंग के प्रमुख के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान, प्रोजेक्ट आरोहण–एचआर परिवर्तन शुरू किया गया था। उन्हें केनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के बोर्ड में भी नामित किया गया था।

**सेबी (सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 36(3) के अनुसार अन्य विवरण निम्नानुसार हैं:**

ए. बैंक के कारोबार के संदर्भ में यथाआवश्यक कौशल/विशेषज्ञता/क्षमताओं की पहचान भारत सरकार द्वारा की जाती है और तदनुसार, बैंक के बोर्ड में निदेशक की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है।

बी. निदेशकों के बीच कोई पारस्परिक–संबंध नहीं है

सी. अन्य सूचीबद्ध संस्थाओं में निदेशक पदः शून्य

डी. श्री डी. सुरेन्द्रन जिनमें पिछले तीन वर्षों में निदेशक रहे सूचीबद्ध इकाई के नामः शून्य

ई. पंजाब नैशनल बैंक में शेयरधारिताः शून्य

Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, vide Government of India's Notification no. eF.No.4/5(ii)/2023-BO.I dated 24th March, 2025 with effect from the date of assumption of charge i.e. 24.03.2025 till the date of his attaining the age of superannuation i.e. 31.05.2027, or until further orders, whichever is earlier.

In terms of the First Proviso to Regulation 17(1C) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the appointment of Directors has to be approved at the meeting of shareholders of the Bank.

Therefore, the approval of shareholders is sought for the appointment of Shri D Surendran as Executive Director of the Bank on the terms and conditions as determined by the Government of India.

**The brief profile of Shri D Surendran is as under:**

Shri D. Surendran is a Post Graduate in Agriculture from Annamalai University and also a Certified Associate of the Indian Institute of Bankers. He has also undergone Leadership Development Programme for Senior Executives by Banks Board Bureau at Indian Institute of Management, Bengaluru.

He started his career in Canara Bank as an Agriculture Extension Officer (AEO) in the year 1990 and has served the Bank for last 34 years in various capacities in the States of Karnataka, Tamil Nadu, West Bengal, New Delhi and Andhra Pradesh. He has headed Very Large Branches and Exceptionally Large Branches. He has worked as General Manager in Karnataka Gramin Bank and has headed Canara Bank Circle Office, Madurai. As Chief General Manager, he headed the Human Resources Wing at Head Office of Canara Bank.

His experience includes Branch Banking, Priority Credit, MSME, Retail Credit, Recovery and Human Resources. During his tenure as Head of HR Wing, Project Aarohan-HR Transformation was rolled out. He was also nominated on the Board of Canara HSBC Life Insurance Company Ltd.

**Other details in terms of Regulation 36(3) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 are as under:**

a. The skills/expertise/capabilities as required in the context of business of the Bank are identified by the Government of India and accordingly, appointment of the Director on the Board of the Bank is made by the Government of India.

b. There is no inter-se relationship between Directors

c. Directorship in other listed entities: Nil

d. Names of listed entity in which Shri D Surendran has ceased to be Director in the past three years: Nil

e. Shareholding in Punjab National Bank: Nil

श्री डी. सुरेन्द्रन की नियुक्ति का पारिश्रमिक और अन्य नियम व शर्तें भारत सरकार द्वारा जारी मौजूदा दिशानिर्देशों द्वारा निर्देशित हैं।

श्री डी. सुरेन्द्रन के अतिरिक्त, बैंक के किसी भी निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्ति और उनके रिश्तेदारों को किसी भी तरह से संकल्प में रुचि या सरोकार नहीं रखते हैं।

बोर्ड ने संस्तुति की है कि उनके विस्तार के प्रस्ताव को शेयरधारकों के समक्ष एजीएम में साधारण संकल्प के रूप में उनकी स्वीकृति के लिए रखा जाए।

- **मद संख्या 8 :**

  सेबी (एलओडीआर) विनियम 2015 के 24ए विनियम के अनुसार, बैंक एक सूचीबद्ध इकाई होने के नाते, सचिवीय लेखा परीक्षा आयोजित करने और सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट जारी करने के लिए एक सचिवीय लेखा परीक्षक नियुक्त करने के लिए बाध्य है, जो बैंक की वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा है। इसके अलावा, बैंक की सचिवीय लेखा परीक्षा नीति के अनुसार, सचिवीय लेखा परीक्षक को वार्षिक सचिवीय अनुपालन रिपोर्ट भी जारी करने की आवश्यकता होती है, जिसे स्टॉक एक्सचेंजों को प्रस्तुत करना आवश्यक है।

  सेबी ने 31 दिसंबर, 2024 के परिपत्र के साथ पठित अपनी अधिसूचना 12 दिसंबर 2024 के माध्यम से सेबी (एलओडीआर) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2024 द्वारा सेबी (एलओडीआर) विनियमों में कुछ प्रमुख संशोधनों को अधिसूचित किया है, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ सूचीबद्ध इकाई के सचिवीय लेखा परीक्षक की नियुक्तिध्पुनर्नियुक्ति या जारी रखने के लिए पात्रता मानदंड, अर्हता, अयोग्यता आदि के संबंध में है। सेबी ने यह भी निर्धारित किया है कि सचिवीय लेखा परीक्षक की नियुक्ति पांच साल की अवधि के लिए होगी और वार्षिक आम बैठक में अनुमोदन के लिए निदेशक मंडल द्वारा शेयरधारकों को इसकी संस्तुति की जाएगी।

  बोर्ड ने संस्तुति की है कि को वित्त वर्ष 2025–26 से वित्त वर्ष 2029–30 तक 5 (पांच) वर्ष की अवधि के लिए बैंक के सचिवीय लेखा परीक्षक के रूप में मेसर्स अग्रवाल एस एंड एसोसिएट्स, कंपनी सचिव को नियुक्त करने का प्रस्ताव शेयरधारकों के समक्ष उनके अनुमोदन प्राप्त करने के लिए साधारण संकल्प के रूप में प्रस्तुत किया जाए।

निदेशक मंडल के आदेश से
**कृते पंजाब नैशनल बैंक**

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 04.06.2025

**(बिक्रमजीत शोम)**
**कंपनी सचिव**

**अनुलग्नक**

**लाभांश के स्रोत पर कर कटौती के निर्देश**

आयकर अधिनियम, 1961 (अधिनियम) के अनुसार, वित्त अधिनियम, 2020 द्वारा संशोधित, 1 अप्रैल, 2020 के बाद बैंक द्वारा भुगतान या वितरित लाभांश शेयरधारकों के लिए कर योग्य होगा। इसलिए बैंक को शेयरधारकों को उक्त लाभांश का भुगतान करते समय अधिनियम की धारा 194 या अधिनियम की धारा 195 के अंतर्गत निर्धारित दरों पर

The remuneration and other terms and conditions of appointment of Sh. D Surendran are guided by the extant guidelines issued by Government of India.

Except Shri D Surendran, none of the Directors, Key Managerial Persons of the Bank and their relatives is in any way, interested or concerned in the Resolution.

The Board has recommended that the proposal for his appointment, be placed before the shareholders as Ordinary Resolution at the AGM for seeking their approval.

- **Item No. 8:**

  Pursuant to Regulation 24A of SEBI (LODR) Regulations, 2015, the Bank, being a listed entity is required to appoint a Secretarial Auditor for conducting the Secretarial Audit and issuing the Secretarial Audit Report which forms part of the Annual Report of the Bank. Further, as per the Bank's Secretarial Audit Policy, the Secretarial Auditor is also required to issue the Annual Secretarial Compliance Report which is required to be submitted to the Stock Exchanges.

  SEBI vide its Notification dated 12th December, 2024 read with Circular dated 31st December, 2024, notified certain key amendments in the SEBI (LODR) Regulations vide SEBI (LODR) (Third Amendment) Regulations, 2024, inter alia in respect of eligibility criteria, qualifications, disqualifications, etc., for appointment/re-appointment or continuation of a Secretarial Auditor of the listed entity. SEBI has also prescribed that the appointment of Secretarial Auditor shall be for a term of five years and shall be recommended by the Board of Directors to the shareholders for approval in the Annual General Meeting.

  The Board has recommended that the proposal for appointment M/s Agarwal S. & Associates, Company Secretaries as the Secretarial Auditor of the Bank for a term of 5 (five) years from FY 2025-26 to FY 2029-30, be placed before the shareholders as Ordinary Resolution for seeking their approval.

By order of the Board of Directors
**For Punjab National Bank**

Place: New Delhi
Date: 04.06.2025

**(Bikramjit Shom)**
**Company Secretary**

**Annexure**

**Instructions on Deduction of Tax at Source on Dividend**

As per the Income-tax Act, 1961 (the Act), as amended by the Finance Act, 2020, dividend paid or distributed by Bank after April 1, 2020 shall be taxable in the hands of the shareholders. The Bank shall therefore be required to deduct tax at source (TDS) under section 194 of the Act or section 195 of the Act at the prescribed rates at the time of making the payment of the said dividend to shareholders.

स्रोत पर कर (टीडीएस) की कटौती करनी होगी। टीडीएस की दर शेयरधारक की आवासीय स्थिति और उनके द्वारा जमा किए गए और बैंक द्वारा स्वीकार किए गए दस्तावेजों के आधार पर भिन्न होगी। इसके अतिरिक्त, टीडीएस की उच्च दर लागू होगी यदि अधिनियम की धारा 206AA के अनुसार, वैध स्थायी खाता संख्या (पैन) शेयरधारक द्वारा प्रदान नहीं किया गया।

तदनुसार, बैंक द्वारा अंतिम लाभांश का भुगतान स्रोत पर कर की कटौती के बाद किया जाएगा, जैसा कि यहां स्पष्ट किया गया है।

ए. **निवासी शेयरधारक**

1. निवासी शेयरधारकों के लिए लाभांश की राशि पर 10% टीडीएस लागू होगा। यदि वैध पैन प्रदान नहीं किया गया है, तो टीडीएस लाभांश की राशि पर 20% की दर से लागू होगा। तदनुसार, जिन शेयरधारकों ने अपना पैन प्रदान नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वे इसे बैंक या उसके रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट (एसटीए) अर्थात बीटल फाइनेंशियल एंड कंप्यूटर सर्विसेज (प्राइवेट) लिमिटेड (भौतिक रूप में रखे गए शेयरों के संबंध में) या डिपॉजिटरी भागीदार (इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखे गए शेयरों के संबंध में) को तत्काल प्रदान करें।

   शेयरधारकों को रिकॉर्ड तिथि से पूर्व नियम 114 एएए के साथ पठित धारा 139 एए ( 2) के अंतर्गत अपने आधार नंबर को पैन से लिंक करना आवश्यक है। यदि कोई पैन निर्धारित समयसीमा के भीतर आधार से लिंक नहीं पाया जाता है, तो ऐसे पैन को निष्क्रिय माना जाएगा और अधिनियम की धारा 206एए के अंतर्गत उच्च दर पर टीडीएस काटा जाएगा। धारा 206एए की प्रयोज्यता के बारे में सूचित न करने या गलत जानकारी प्रदान करने के लिए बाद में बैंक से की गई किसी भी मांग को वसूलने का अधिकार बैंक के पास सुरक्षित है।

   देय लाभांश पर कोई कर नहीं काटा जाएगा यदि नीचे दी गई दो शर्तों में से कोई एक भी पूरी होती है:

   ■ एक निवासी व्यक्तिगत शेयरधारक को देय कुल लाभांश प्रति वर्ष ₹10,000 से अधिक नहीं है अथवा

   ■ शेयरधारक ने वैध पैन के साथ विधिवत भरा हुआ और हस्ताक्षरित फॉर्म 15जी (कंपनी या फर्म के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति के लिए लागू)/फॉर्म 15एच (60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति के लिए लागू) प्रदान किया है और बशर्ते कि सभी आवश्यक पात्रता शर्तें पूर्ण करता हो।

2. निम्नलिखित कर निवासी शेयरधारक बैंक की संतुष्टि के अधीन नीचे उल्लिखित दस्तावेज बैंक को उपलब्ध कराने पर टीडीएस की शून्य/निम्न दर के लिए पात्र होंगे:

The TDS rate would vary depending on the residential status of the shareholder and the documents submitted by them and accepted by the Bank. Further, higher rate of TDS would be applicable if pursuant to section 206AA of the Act, valid permanent account number (PAN) has not been provided by shareholder.

Accordingly, the final dividend will be paid by the Bank after deducting tax at source, as applicable, as explained herein.

A. **Resident Shareholders**

1. For Resident Shareholders, TDS will be applicable at 10% on the amount of dividend. In case, valid PAN is not provided, then the TDS will be applicable at 20% of the amount of dividend. Accordingly, shareholders who have not provided their PAN are requested to provide the same to the Bank or its Registrar and Share Transfer Agent (STA) viz. Beetal Financial & Computer Services (Pvt.) Ltd., (in respect of shares held in physical form) or to the Depository Participant (in respect of shares held in electronic form), immediately.

   Shareholders are required to link their Aadhaar number with PAN as required under Section 139AA(2) read with rule 114AAA, before the Record Date. If any PAN is found to have not been linked with Aadhaar within the stipulated timelines, then such PAN shall be deemed inoperative and TDS will be deducted at higher rate under section 206AA of the Act. The Bank reserves its right to recover any demand raised subsequently on the Bank for not informing or providing wrong information about applicability of Section 206AA.

   No tax shall be deducted on the dividend payable if either of the below two conditions are fulfilled:

   ■ Total dividend payable to a resident individual shareholder does not exceed ₹10,000 per year OR

   ■ The shareholder has provided duly filled and signed Form 15G (applicable to any Person other than a company or a Firm)/ Form 15H (applicable to an Individual above the age of 60 years) with valid PAN and provided that all the required eligibility conditions are met.

2. The following Tax Resident Shareholders should be eligible for Nil/Lower Rate of TDS upon providing the documents to the Bank mentioned hereunder to the satisfaction of the Bank:

| क्र. सं. | विवरण | टीडीएस की लागू दर | आवश्यक दस्तावेज़ |
| --- | --- | --- | --- |
| ए. | बीमा कंपनियां | शून्य | • घोषणापत्र कि यह अधिनियम की धारा 194 के प्रावधान के अंतर्गत निर्दिष्ट एक बीमा कंपनी है<br>• आईआरडीएआई के साथ पंजीकरण प्रमाणपत्र की स्व–सत्यापित प्रति<br>• पैन कार्ड की स्व–सत्यापित प्रति |
| बी. | सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), केंद्रीय अधिनियम द्वारा या उसके अंतर्गत स्थापित विशिष्ट निगम जिनकी आय कर से मुक्त है, और अधिनियम की धारा 10(23डी) के अंतर्गत निर्दिष्ट म्युचुअल फंड | शून्य | • घोषणापत्र कि यह जारी परिपत्रों के साथ पठित अधिनियम की धारा 196(iii) के अंतर्गत आता है।<br>• प्रासंगिक पंजीकरण दस्तावेजों की स्व–सत्यापित प्रतिलिपि।<br>• पैन कार्ड की स्व–सत्यापित प्रति। |
| सी. | भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के साथ पंजीकृत श्रेणी – I और II वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ) | शून्य | • घोषणापत्र कि इसकी आय अधिनियम की धारा 10(23FBA) के अंतर्गत छूट प्राप्त है तथा वे श्रेणी I या श्रेणी II एआईएफ के रूप में सेबी के नियमों द्वारा शासित हैं।<br>• सेबी एआईएफ पंजीकरण प्रमाण–पत्र की स्व–सत्यापित प्रति।<br>• पैन कार्ड की स्व–सत्यापित प्रति। |
| डी. | एनपीएस ट्रस्ट | शून्य | • घोषणापत्र कि ट्रस्ट पंजीकरण दस्तावेजों की स्व–सत्यापित प्रति सहित अधिनियम की धारा 10(44) [उप–धारा 1ई से धारा 197ए] के प्रावधानों द्वारा शासित है। |
| ई. | शेयरधारकों को अधिनियम या सीबीडीटी परिपत्र या अधिसूचना के किसी भी प्रावधान के संदर्भ में टीडीएस प्रावधानों से छूट दी गई है | शून्य | • घोषणापत्र कि सीबीडीटी परिपत्र या अधिसूचना के अंतर्गत कवर हो।<br>• अधिनियम या सीबीडीटी परिपत्र या अधिसूचना के किसी प्रावधान के संदर्भ में छूट की स्थिति का समर्थन करने वाला दस्तावेजी साक्ष्य।<br>• पैन कार्ड की स्व–सत्यापित प्रति। |
| एफ. | सभी निवासी शेयरधारक | आयकर विभाग द्वारा जारी न्यून कटौती प्रमाण पत्र में निर्दिष्ट दर | • अधिनियम की धारा 197 के अंतर्गत प्रमाण पत्र की स्व–सत्यापित प्रति [बैंक के TAN DELP3704D में जारी] |

| Sr. No. | Particulars | Applicable Rate of TDS | Documents Required |
| --- | --- | --- | --- |
| a) | Insurance Companies | Nil | • Declaration that it is an Insurance Company as specified under Proviso to section 194 of the Act<br>• Self-attested copy of certificate of registration with IRDAI<br>• Self-attested copy of PAN card |
| b) | Government, Reserve Bank of India (RBI), Specified Corporations established by or under Central Act whose income is exempt from tax, and Mutual Funds specified under section 10(23D) of the Act | Nil | • Declaration that it is covered by section 196(iii) of the Act read with the Circulars issued thereunder.<br>• Self-attested copy of relevant registration documents.<br>• Self-attested copy of PAN card. |
| c) | Category - I & II Alternative Investment Funds (AIF) registered with the Securities and Exchange Board of India (SEBI) | Nil | • Declaration that their income is exempt under section 10(23FBA) of the Act and they are governed by SEBI regulations as Category I or Category II AIF.<br>• Self-attested copy of SEBI AIF registration certificate.<br>• Self-attested copy of the PAN card. |
| d) | NPS Trust | Nil | • Declaration that the trust is governed by the provisions of Section 10(44) [sub-section 1E to section 197A] of the Act along with Self-attested copy of registration documents. |
| e) | Shareholders exempted from TDS provisions in terms of any provisions of the Act or CBDT Circular or notification | Nil | • Declaration that it is covered by CBDT circular or Notification.<br>• Documentary evidence supporting the exemption status in terms of any provisions of the Act or CBDT Circular or notification.<br>• Self-attested copy of PAN card. |
| f) | All resident shareholders | Rate specified in the low deduction certificate issued by the income tax department | • Self-attested copy of certificate under section 197 of the Act [issued in Bank's TAN DELP3704D] |

**बी. अनिवासी शेयरधारक**

1. अनिवासी संस्थागत शेयरधारकों, के लिए विदेशी संस्थागत निवेशक/विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (एफआईआई/एफपीआई) होने के नाते, टीडीएस अधिनियम की की धारा 196डी के अंतर्गत 20% पर या किसी भी लागू दोहरा कर बचाव समझौते (कर संधि) में दिए गए दर के अनुसार, नीचे उल्लिखित दस्तावेजों को जमा करने पर, जो भी कम हो, देय लाभांश की राशि पर लागू होगा।

2. अन्य अनिवासी शेयरधारकों के लिए, टीडीएस अधिनियम की धारा 195 के प्रावधानों के अनुसार, लागू दरों पर जो वर्तमान में 20% या नीचे उल्लिखित दस्तावेजों को प्रस्तुत करने पर किसी भी लागू कर संधि में दर के अनुसार, जो भी कम हो, देय लाभांश की राशि पर लागू होगा।

3. यदि अधिनियम की धारा 197/195 के अंतर्गत अनिवासी शेयरधारकों द्वारा करों की कम/शून्य रोक के लिए प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाता है, तो उक्त प्रमाण पत्र में निर्दिष्ट दर पर उसी की स्व–सत्यापित प्रति प्रस्तुत करने के आधार पर विचार किया जाएगा।

अधिनियम की धारा 90(2) के अनुसार, अनिवासी शेयरधारकों (एडीआर के लिए डिपॉजिटरी के अतिरिक्त) के पास भारत और उनके कर निवास वाले देशों के बीच कर संधि का लाभ उठाने का विकल्प है, जिसके लिए ऐसे अनिवासी शेयरधारकों को बैंक की संतुष्टि के लिए निम्नलिखित दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे :

1. भारतीय आयकर प्राधिकरण द्वारा आवंटित पैन की स्व–सत्यापित प्रतिय यदि पैन आवंटित नहीं किया गया है, तो कृपया स्व–घोषणा प्रस्तुत करें।

2. जिस देश का शेयरधारक निवासी है, उसके कर प्राधिकरण से प्राप्त टैक्स रेजिडेंसी सर्टिफिकेट (TRC) (वित्त वर्ष 2024–25 के लिए) की स्व–सत्यापित प्रति। यदि टीआरसी अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य भाषा में प्रस्तुत किया जाता है,के, तो उक्त टीआरसी को ऐसी अन्य भाषा से अंग्रेजी भाषा में अनुवादित करना होगा और उसके बाद टीआरसी की विधिवत नोटरीकृत और प्रमाणित (एपोस्टिल) की प्रति प्रदान करनी होगी।

3. वित्त वर्ष 2024–25 के लिए फॉर्म 10एफ में स्व–घोषणा यदि इस फॉर्म में आवश्यक सभी विवरण टीआरसी में उल्लिखित नहीं हैं।

4. अनिवासी शेयरधारक द्वारा स्व–घोषणा;

    - शेयरधारक की कर आवासीय स्थिति के आधार पर कर संधि लाभों का दावा करने की पात्रता;
    - प्रासंगिक वर्ष के दौरान किसी भी समय शेयरधारक के पास लागू कर संधि के अनुसार भारत में स्थायी स्थापनाधनिश्चित आधार नहीं था;
    - शेयरधारक इक्विटी शेयरों पर प्राप्त होने वाली लाभांश आय का लाभकारी स्वामी होता है।

**B. Non-Resident Shareholders**

1. For Non-resident institutional shareholders being Foreign Institutional Investors/Foreign Portfolio Investor (FIIs/FPIs), TDS will be applicable under section 196D of the Act, at 20% or as per the rate in any applicable Double Tax Avoidance Agreement (tax treaty) on submission of documents mentioned below, whichever is lower, on the amount of dividend payable.

2. For other Non-resident shareholders, TDS will be applicable in accordance with the provisions of section 195 of the Act, at the rates in force which is currently 20% or as per the rate in any applicable tax treaty on submission of documents mentioned below, whichever is lower, on the amount of dividend payable.

3. If certificate under section 197/195 of the Act is obtained by non-resident shareholders for lower/Nil withholding of taxes, rate specified in the said certificate shall be considered based on submission of self-attested copy of the same.

Pursuant to section 90(2) of the Act, non-resident shareholders (other than Depository for ADRs) have the option to avail the benefit of tax treaty between India and the countries of their tax residence for which such non-resident shareholders will have to provide the following documents, to the satisfaction of the Bank:

1. Self-attested copy of the PAN allotted by the Indian Income Tax Authorities; If the PAN is not allotted, please submit self-declaration.

2. Self-attested copy of Tax Residency Certificate (TRC) (for FY 2024-25) obtained from the tax authorities of the country of which the shareholder is resident. In case, the TRC is furnished in a language other than English, the said TRC would have to be translated from such other language to English language and thereafter duly notarized and apostilled copy of the TRC would have to be provided.

3. Self-declaration in Form 10F for FY 2024-25 if all the details required in this Form are not mentioned in the TRC.

4. Self-declaration by the non-resident shareholder as to:

    - Eligibility to claim tax treaty benefits based on the tax residential status of the shareholder;
    - The shareholder did not at any time during the relevant year have permanent establishment/fixed base in India in accordance with the applicable tax treaty;
    - The shareholder being the beneficial owner of the dividend income to be received on the equity shares.

कृपया ध्यान दें कि बैंक अपने एकमात्र और पूर्ण विवेकाधिकार में किसी भी अधिक जानकारी के लिए कॉल करने और/या टीडीएस के लिए डोमेस्टिक कानून/कर संधि लागू करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

**सामान्य निर्देश**

1. उपरोक्त सभी संदर्भित टीडीएस दरों में ,जहाँ भी लागू हो, लागू अधिभार और उपकर द्वारा विधिवत वृद्धि की जाएगी। हालाँकि, यदि टीडीएस दरें डीटीएए अनुसार लागू होती है, तो कोई अधिभार या उपकर नहीं लगाया जाता है।

2. डीमैटरियलाइज्ड मोड में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ अपने रिकॉर्ड जैसे कर आवासीय स्थिति, पैन, पता, बैंक खाता विवरण, ई–मेल पते और मोबाइल नंबर अपडेट करें। भौतिक रूप में शेयर धारित शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपने विवरण बैंक या बैंक के एसटीए को प्रस्तुत करें।

   कृपया ध्यान दें कि लागू टीडीएस प्रावधानों का अनुपालन करने के उद्देश्य से, बैंक डिपॉजिटरीज/बैंक के एसटीए के पास उपलब्ध विवरण के अनुसार रिकार्ड तिथि अर्थात जून, 2025 को उपर्युक्त जानकारी पर निर्भर करेगा।

3. वेबसाइटः www.pnbindia.co.in से फॉर्म/घोषणाएं डाउनलोड की जा सकती हैं। बैंक को उचित कर दर निर्धारित करने में सक्षम बनाने के लिए, जिस पर अधिनियम के संबंधित प्रावधानों के अंतर्गत स्रोत पर कर कटौती की जानी है, शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे दिनांक **20 जून, 2025 को या उससे पहले** उन पर लागू दस्तावेज beetalrta@gmail.com / hosd@pnb.co.in पर प्रदान/प्रस्तुत करें।

4. लाभांश का भुगतान स्रोत पर कर की कटौती के बाद किया जाएगा जैसा कि संबंधित शेयरधारकों द्वारा प्रदान किए गए दस्तावेजों के आधार पर निर्धारित किया जाएगा और अधिनियम के अनुसार पूर्ण और संतोषजनक पाया जाएगा। बैंक शेयरधारक को टीडीएस प्रमाणपत्र भेजने की व्यवस्था करेगा।

5. उक्त लाभांश के संबंध में कर निर्धारण/कटौती पर कोई भी संचार उपर्युक्त तिथि और समय के बाद स्वीकार नहीं किया जाएगा। यह भी ध्यान दिया जा सकता है कि यदि उपरोक्त विवरण/दस्तावेजों की प्राप्ति के अभाव में उच्च दर से कर कटौती की जाती है, तब भी शेयरधारक के पास आय की विवरणी दाखिल करने और उचित धन वापसी दावा करने का विकल्प, यदि पात्र हो, तो उपलब्ध होगा। इसके अतिरिक्त, कृपया ध्यान दें कि ऐसे कर की कटौती के लिए बैंक पर कोई दावा नहीं किया जाएगा।

6. इस संबंध में सभी संचार/प्रश्न बैंक/बैंक के एसटीए को beetalrta@gmail.com / hosd@pnb.co.in पर प्रेषित किए जाने चाहिए।

7. शेयरधारक(ओं) द्वारा प्रदान की गई/प्रदान की जाने वाली जानकारी को किसी भी गलत अर्थात त्रुटि या चूक से उत्पन्न किसी भी आयकर मांग (ब्याज, जुर्माना, आदि सहित) की स्थिति में, ऐसे शेयरधारक बैंक को क्षतिपूर्ति करने के लिए उत्तरदायी होंगे और साथ ही सभी जानकारी/दस्तावेज उपलब्ध कराने और किसी भी कार्यवाही में बैंक को सहयोग प्रदान करेंगे।

Please note that the Bank in its sole and absolute discretion reserves the right to call for any further information and/or to apply domestic law/tax treaty for TDS.

**General Instructions:**

1. All the above referred TDS rates shall be duly enhanced by applicable surcharge and cess, wherever applicable. However, if the TDS rate as per DTAA is applied, no surcharge or cess is leviable.

2. Shareholders holding shares in dematerialized mode, are requested to update their records such as tax residential status, PAN, address, bank account details, email addresses and mobile numbers with their depository participants. Shareholders holding shares in physical mode are requested to furnish their details to the Bank or Bank's STA.

   Please note that for the purpose of complying with the applicable TDS provisions, the Bank will rely on the above-mentioned information as on record date i.e. 20th June, 2025 as per the details available with the Depositories/Bank's STA.

3. The Forms/Declarations can be downloaded from the website: www.pnbindia.co.in. In order to enable the Bank to determine the appropriate tax rate at which tax has to be deducted at source under the respective provisions of the Act, Shareholders are requested to provide/submit the documents as applicable to them **on or before 20.06.2025** at beetalrta@gmail.com / hosd@pnb.co.in

4. The dividend will be paid after deduction of tax at source as determined on the basis of the documents provided by the respective shareholders as applicable to them and being found to be complete and satisfactory in accordance with the Act. The Bank shall arrange to dispatch the TDS certificate to the shareholder.

5. No communication on the tax determination/deduction in respect of the said dividend shall be entertained post the above mentioned date and time. It may be further noted that in case the tax on said dividend is deducted at a higher rate in absence of receipt of the aforementioned details/documents, there would still be an option available with the Shareholder to file the return of income and claim an appropriate refund, if eligible. Further, it may kindly be noted that no claim shall lie against the Bank for such taxes deducted.

6. All communications/queries in this respect should be sent to the Bank/Bank's STA at beetalrta@gmail.com /hosd@pnb.co.in

7. In the event of any income tax demand (including interest, penalty, etc.) arising from any misrepresentation, inaccuracy or omission of information provided/to be provided by the Shareholder(s), such Shareholder(s) will be responsible to indemnify the Bank and also, provide the Bank with all information/documents and co-operation in any proceedings.

8. इस पत्राचार को बैंक की ओर से सलाह के रूप में नहीं माना जाएगा। शेयरधारकों को अपने कर मामलों से संबंधित कर सलाह किसी कर पेशेवर से लेनी चाहिए।

9. बैंक आयकर अनुपालन का पता लगाने के लिए आयकर वेबसाइट पर उपलब्ध कार्यक्षमता या सुविधा से सत्यापित जानकारी पर निर्भर करेगा, जिसके लिए अधिनियम की धारा 206AA के तहत टीडीएस की उच्च दर लागू होगी।

10. ऐसे मामले में जहां शेयर क्लियरिंग सदस्य/मध्यस्थों/स्टॉक ब्रोकरों के पास हैं और बैंक द्वारा लाभकारी शेयरधारकों के पैन में टीडीएस लगाया जाना है, तो मध्यस्थों/स्टॉक ब्रोकरों और लाभकारी शेयरधारकों को नियम 37BA के अनुसार एक घोषणा प्रदान करनी होगी और इसे 20.06.2025 तक आरटीए को सूचित किया जाना चाहिए।

8. This communication shall not be treated as an advice from the Bank. Shareholders should obtain tax advice related to their tax matters from a tax professional.

9. The Bank will be relying on the information verified from the functionality or facility available on the Income Tax website for ascertaining the income tax compliance for whom higher rate of TDS shall be applicable under section 206AA of the Act.

10. In case where shares are held by Clearing Member/ intermediaries/ stock brokers and TDS is to be applied by the Bank in the PAN of the beneficial shareholders, then intermediaries/ stock brokers and beneficial shareholders will have to provide a declaration as per rule 37BA and should be communicated to the RTA by 20.06.2025.

BLANK PAGE

# निदेशकों की रिपोर्ट
# Directors' Report

# पीएनबी एक नजर में / PNB AT A GLANCE

(₹ करोड़ में) (Rs Cr)

| क्र.सं.<br>S. No. | पैरामीटर / PARAMETERS | वित्त वर्ष 22<br>FY'22 | वित्त वर्ष 23<br>FY'23 | वित्त वर्ष 24<br>FY'24 | वित्त वर्ष 25<br>FY'25 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | शेयर पूंजी / Share Capital | 2202 | 2202 | 2202 | 2299 |
| 2 | आरक्षित निधियाँ एवं अधिशेष / Reserves & Surplus | 93285 | 97653 | 104274 | 125064 |
| 3 | वैश्विक कारोबार / Global Business | 1931322 | 2165844 | 2353038 | 2683260 |
| 4 | वैश्विक जमाराशियां / Global Deposits | 1146219 | 1281163 | 1369713 | 1566623 |
| 5 | वैश्विक अग्रिम / Global Advances | 785104 | 884681 | 983325 | 1116637 |
| 6 | निवल अग्रिम / Net Advances | 728186 | 830834 | 934430 | 1077475 |
| 7 | निवेश (निवल) / Investment (Net) | 372168 | 395996 | 420318 | 497311 |
| 8 | कुल आस्तियां / Total Assets | 1314805 | 1461831 | 1561835 | 1818171 |
| 9 | शाखाएं (सं.) / Branches (No.) | 10098 | 10076 | 10136 | 10189 |
| 10 | एटीएम नेटवर्क (सं.) / ATM Network (No.) | 13350 | 12898 | 12131 | 11822 |
| 11 | कारोबार प्रतिनिधि (सं.) / Business Correspondents (No) | 15719 | 24227 | 33614 | 33349 |
| 12 | कुल कर्मचारी (पीटीएस को छोड़कर)– (सं.) / Total employees (Excluding PTS)- (No) | 97680 | 97574 | 95789 | 96211 |
| 13 | परिचालन लाभ / Operating Profit | 20761 | 22529 | 24931 | 26831 |
| 14 | कुल प्रावधान / Total Provisions | 17304 | 20022 | 16686 | 10201 |
| 15 | निवल लाभ / Net Profit | 3457 | 2507 | 8245 | 16630 |
| 16 | कारोबार / कर्मचारी (रु. करोड़ में) / Business/Employee (Rs. Crore) | 19.41 | 21.64 | 23.84 | 26.86 |
| 17 | जमाराशि की वैश्विक लागत (%) / Global Cost of Deposit (%) | 3.99 | 4.10 | 4.91 | 5.23 |
| 18 | अग्रिम पर वैश्विक प्रतिफल (%) / Global Yield on Advances (%) | 6.79 | 7.16 | 8.28 | 8.34 |
| 19 | निवेश पर वैश्विक प्रतिफल (%) / Global Yield on Investment (%) | 6.29 | 6.57 | 6.78 | 6.99 |
| 20 | वैश्विक निवल ब्याज मार्जिन (%) / Global Net Interest Margin (%) | 2.71 | 3.06 | 3.09 | 2.93 |
| 21 | आस्तियों पर प्रतिलाभ (%) / Return on Assets (%) | 0.26 | 0.18 | 0.54 | 0.97 |
| 22 | इक्विटी पर प्रतिलाभ (%) / Return on Equity (%) | 5.96 | 3.94 | 11.66 | 19.33 |
| 23 | आय अनुपात की लागत (%) / Cost to Income Ratio (%) | 49.38 | 51.69 | 53.37 | 54.59 |
| 24 | सकल एनपीए (%) / Gross NPAs (%) | 11.78 | 8.74 | 5.73 | 3.95 |
| 25 | निवल एनपीए (%) / Net NPAs (%) | 4.80 | 2.72 | 0.73 | 0.40 |
| 26 | पीसीआर (%) (टीडब्लूओ सहित) / PCR % (including TWO) | 81.60 | 85.90 | 95.39 | 96.82 |
| 27 | पूंजी पर्याप्तता अनुपात (%) / Capital Adequacy Ratio (%) | 14.50 | 15.50 | 15.97 | 17.01 |
| 28 | टियर 1 अनुपात (%) / Tier 1 Ratio (%) | 11.73 | 12.69 | 13.17 | 14.05 |

## प्रमुख वित्तीय स्थिति
## KEY FINANCIAL POSITION
### कारोबार स्थिति
### A. BUSINESS POSITION

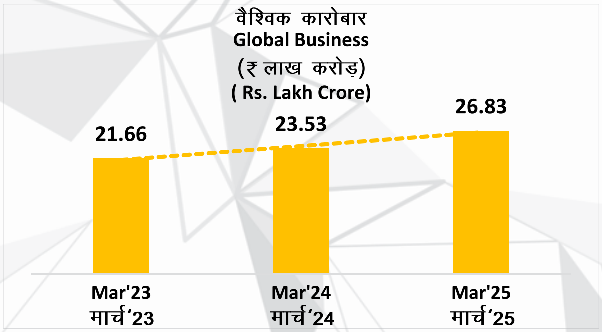


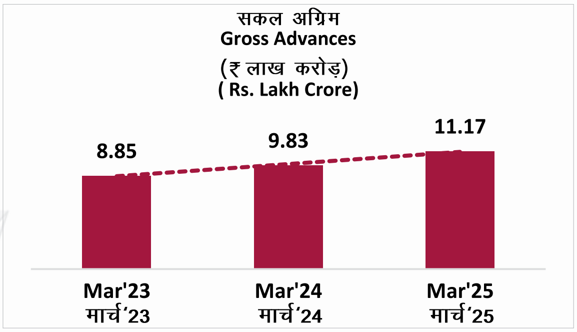


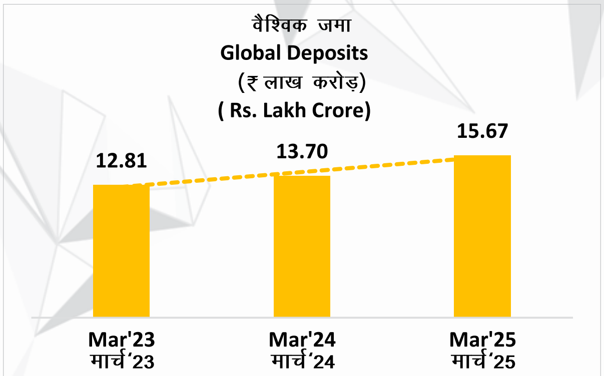


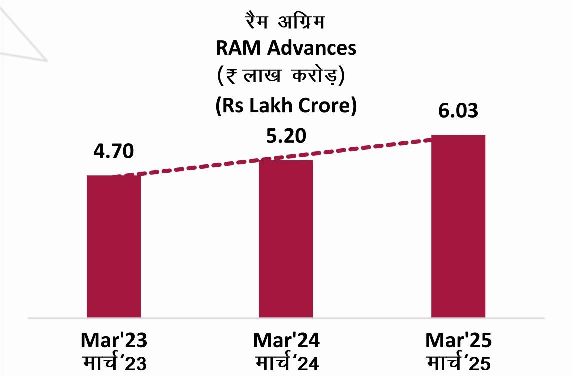


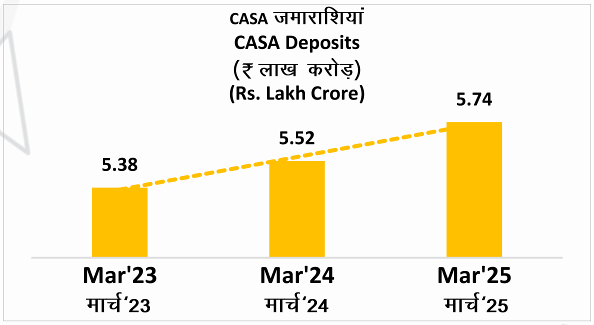


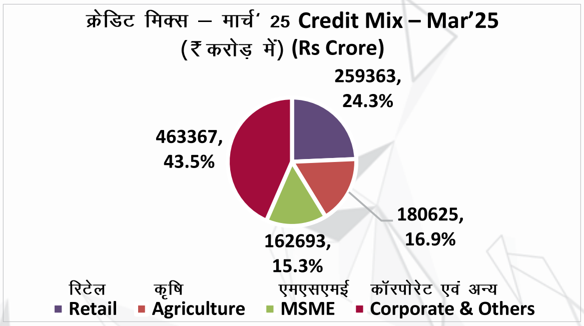


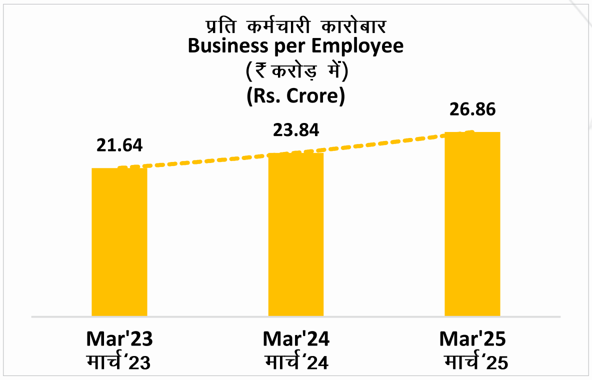


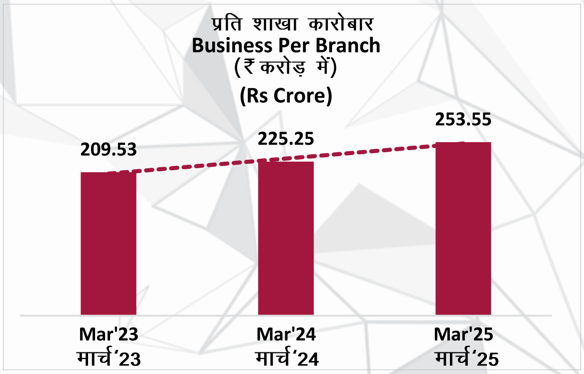

## ख. लाभ प्रदता
## B. PROFITABILITY

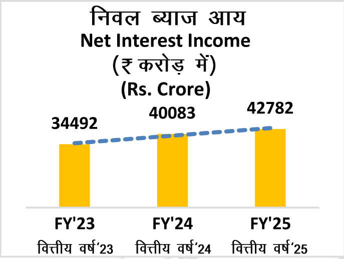


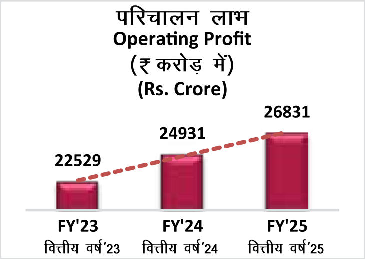


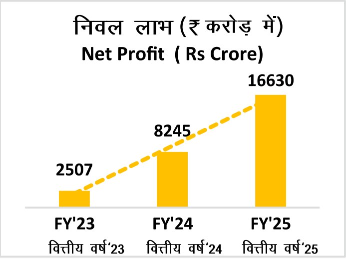


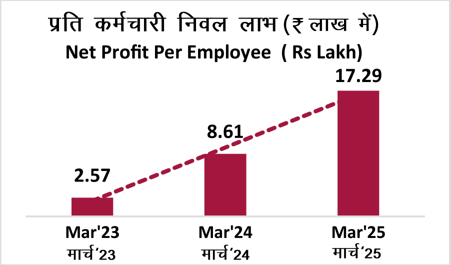


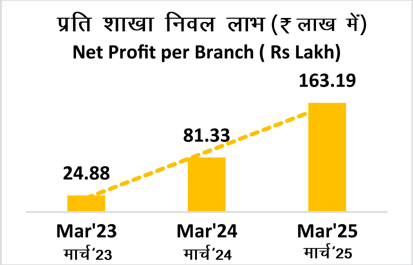


## ग. आस्ति गुणवत्ता
## C. ASSET QUALITY

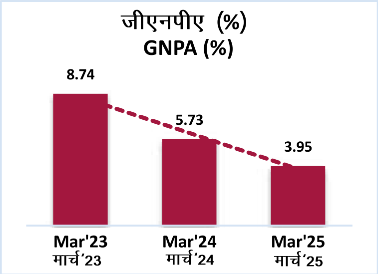


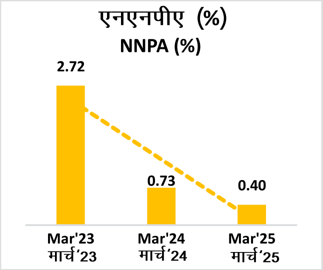


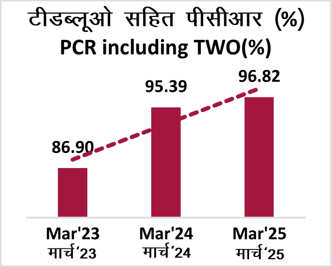


## घ. पूंजी पर्याप्तता और प्रमुख अनुपात
## D. CAPITAL ADEQUACY AND KEY RATIOS

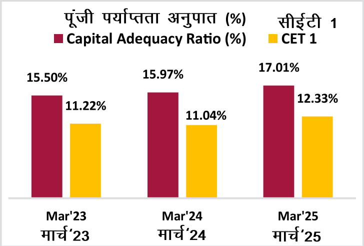


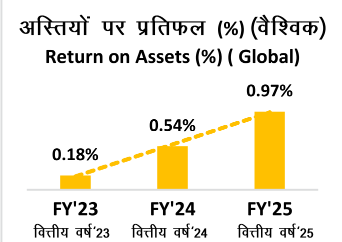


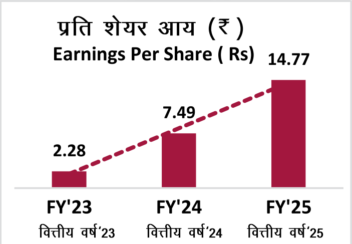


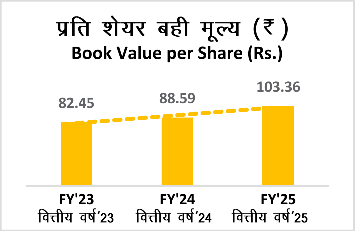

## निदेशक रिपोर्ट 2024–25

**प्रिय हितधारक,**

पूरी टीम की ओर से मुझे वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है। वित्तीय वर्ष 2024–25 कारोबार वृद्धि, आस्ति गुणवत्ता में सुधार और लाभप्रदता के संबंध में एक अच्छा वर्ष रहा है।

वित्त वर्ष 2024–25 में भारत की आर्थिक वृद्धि उल्लेखनीय रही है, राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन (एनएसओ) के अनुसार अनुमानित जीडीपी वृद्धि 6.5 प्रतिशत है। ग्रामीण क्षेत्रों में मजबूत खपत, सरकारी खर्च में वृद्धि और निजी खपत में सुधार ने समग्र वृद्धि में योगदान दिया। यद्यपि, वैश्विक व्यापार और औद्योगिक प्रदर्शन से संबन्धित चुनौतियों का समाधान किया जाना शेष है। इस विस्तार को आगे बढ़ाने वाले प्रमुख क्षेत्रों में निर्माण, व्यापार और वित्तीय सेवाएं शामिल हैं। वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत का लचीलापन इसकी सशक्त घरेलू बुनियाद एवं रणनीतिक नीति उपायों को उजागर करता है।

वित्त वर्ष 2024–25 में, भारतीय बैंकिंग क्षेत्र ने, विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के लिए मजबूत ऋण वृद्धि, बेहतर आस्ति गुणवत्ता और लाभप्रदता में वृद्धि के साथ सामान्य रूप से ठोस प्रदर्शन किया है। बैंक ने आशानुरूप प्रदर्शन किया और वर्ष के दौरान सराहनीय वृद्धि दर्ज कर बैंकिंग उद्योग मे अपनी स्थिति मजबूत की हैं। बैंक ने वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान योग्य संस्थागत नियुक्ति के माध्यम से ₹5000 करोड़ की इक्विटी पूंजी जुटाई।

कारोबार की दृष्टि से, बैंक ने 31 मार्च, 2025 तक पिछले वर्ष की तुलना में ₹3.30 लाख करोड़ की भारी वृद्धि दर्ज करते हुए ₹26.83 लाख करोड़ के कारोबार आंकडे को पार कर लिया।

31 मार्च, 2025 तक, वैश्विक जमाराशि ₹15.67 लाख करोड़ थी, जो पिछले वर्ष की तुलना में 14.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है। घरेलू जमाराशि 13.3 प्रतिशत की वृद्धि के साथ ₹15.11 लाख करोड़ तक पहुंच गई।

31 मार्च, 2025 तक वैश्विक अग्रिम राशि ₹11.17 लाख करोड़ हो गई, जो 13.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है। घरेलू अग्रिम 13.01 प्रतिशत की वृद्धि के साथ ₹10.66 लाख करोड़ तक पहुंच गया।

अग्रिमों में, खुदरा, कृषि और एमएसएमई (रैम) अग्रिमों में 15.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। खुदरा खंड के अंतर्गत, आवास ऋण, वाहन ऋण और व्यक्तिगत ऋण में वर्ष दर वर्ष आधार पर क्रमशः 18.3 प्रतिशत, 25.5 प्रतिशत और 10.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।[1]

सुदृढ़ वसूली और बेहतर हामीदारी मानकों को अपनाकर वर्ष के दौरान बैंक की आस्ति गुणवत्ता में सुधार हुआ। बैंक का जी.एन.पी.ए. प्रतिशत 31 मार्च, 2024 के 5.73 प्रतिशत की तुलना मे घटकर 31 मार्च, 2025 को 3.95 प्रतिशत हो गया। निवल एन.पी.ए. प्रतिशत भी 31 मार्च, 2024 के 0.73 प्रतिशत की तुलना मे घटकर 31 मार्च, 2025 को 0.40 प्रतिशत हो गया। बैंक का तकनीकी राइट ऑफ (टी.डब्लू.ओ.) सहित प्रावधान कवरेज अनुपात 31 मार्च, 2024 के 95.39 प्रतिशत से सुधरकर 31 मार्च, 2025 को 96.82 प्रतिशत हो गया।

[1] विकास में आईबीपीसी एवं पूल को छोड़कर

## DIRECTORS' REPORT 2024-25

**Dear Stakeholders,**

On behalf of the entire team, I am pleased to present the Annual Report for the Financial Year 2024-25. Financial Year 2024-25 has been a good year in terms of Business growth, asset quality improvements and profitability.

India's economic growth in FY 2024-25 has been notable, with a projected GDP growth 6.5 per cent as per National Statistical Organization (NSO). Strong rural consumption, increased government spending, and a revival in private consumption contributed to the overall growth. However, challenges related to global trade and industrial performance remain to be addressed. Key sectors driving this expansion include construction, trade, and financial services. India's resilience amidst global challenges highlights its strong domestic fundamentals and strategic policy measures.

In FY 2024-25, the Indian banking sector demonstrated strong performance, with healthy credit growth, improved asset quality, and increased profitability. The Bank could perform as per expectations and delivered commendable growth during the year, strengthening its foothold in the industry. The Bank raised Rs. 5000 Crore of equity capital through Qualified Institutional Placements during FY 2024-25.

In business terms, the Bank surpassed the business of Rs.26.83 Lakh Crore as on 31st March, 2025 recording a quantum increase of Rs.3.30 Lakh Crore over the previous year.

As on 31st March, 2025, Global Deposits stood at Rs.15.67 Lakh Crore registering the growth of 14.4 per cent on year on year basis. Domestic Depsoits grew by 13.3 per cent to reach Rs. 15.11 Lakh Crore.

As on 31st March, 2025, Global Advances stood at Rs.11.17 Lakh Crore registering the growth of 13.6 per cent. Domestic Advances registered the growth of 13.1 per cent and stood at Rs.10.66 Lakh Crore.

Amongst Advances, Retail, Agriculture and MSME (RAM) Advances registered the growth of 15.9 per cent. Under Retail Segment, Housing Loan, Vehicle Loan and Personal Loan exhibited the growth of 18.3 per cent, 25.5 per cent and 10.5 per cent respectively year on year basis[1].

Asset quality of the Bank improved during the year through adoption of robust recovery and enhanced underwriting standards. The Bank's GNPA per cent declined to 3.95 per cent as on 31st March, 2025 from 5.73 per cent as on 31st March, 2024. Net NPA per cent also went down to 0.40 per cent as on 31st March, 2025 from 0.73 per cent as on 31st March, 2024. Provision Coverage Ratio including Technical Write Off (TWO) of the Bank improved to 96.82 per cent as on 31st March, 2025 from 95.39 per cent as on 31st March, 2024.

[1] Growth is excluding IBPC and Pool

डिजिटल स्तर पर बैंक ने 130 से अधिक उत्पाद, प्रक्रियाएं और पोर्टल प्रस्तुत करके उल्लेखनीय प्रदर्शन किया।

डिजिटल विकास के अतिरिक्त, मानव संसाधन परिवर्तन के अंतर्गत भी विकास अग्रणी रहा और उड़ान परियोजना क्षमता निर्माण और डिजिटल प्रदर्शन प्रबंधन प्रणाली के साथ विकसित हुई।

***"इस पृष्ठभूमि में, आपके निदेशक मंडल को 31 मार्च, 2025 (वित्त वर्ष 2024–25) को समाप्त वर्ष के लिए बैंक की वार्षिक रिपोर्ट, इसके लेखापरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरणों के साथ प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है।"***

**I. 31 मार्च, 2025 तक वित्तीय कार्यनिष्पादन**

**1. शीर्ष कार्यनिष्पादन**

क. **वैश्विक कारोबार** 31 मार्च, 2024 को ₹23,53,038 करोड़ की तुलना मे 31 मार्च, 2025 को ₹26,83,260 करोड़ रहा, जिसमे वर्ष दर वर्ष 14.0 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

ख. **वैश्विक जमा राशि** 31 मार्च, 2024 को ₹13,69,713 करोड़ की तुलना मे 31 मार्च, 2025 को ₹15,66,623 करोड़ हो गई, जिसमे वर्ष दर वर्ष 14.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

ग. **कासा जमा राशि** 31 मार्च, 2024 को ₹5,52,499 करोड़ की तुलना मे 31 मार्च, 2025 को ₹5,73,543 करोड़ हो गई।

i. **चालू जमा** 31 मार्च, 2025 को ₹75,114 करोड़ थी।

ii. **बचत जमा** 31 मार्च 2025 को ₹4,98,429 करोड़ थी।

घ. **वैश्विक अग्रिम राशि** 31 मार्च 2024 को ₹9,83,325 करोड़ की तुलना मे 31 मार्च, 2025 को ₹11,16,637 करोड़ हो गई, जिसमे वर्ष दर वर्ष आधार पर 13.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

ङ. **खुदरा अग्रिम राशि** 31 मार्च, 2024 को ₹2,22,574 करोड़ की तुलना मे 31 मार्च, 2025 तक ₹2,59,363 करोड़ हो गया, जिसमे वर्ष दर वर्ष 16.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

च. **कृषि अग्रिम राशि** 31 मार्च, 2024 को ₹1,58,188 करोड़ की तुलना मे 31 मार्च, 2025 को ₹1,80,625 करोड़ हो गई, जिसमे वर्ष दर वर्ष 14.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

छ. **एमएसएमई अग्रिम राशि** 31 मार्च, 2024 को ₹1,39,288 करोड़ की तुलना मे 31 मार्च, 2025 को ₹1,62,693 करोड़ हो गया, जिसमे 16.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

ज. **खुदरा कृषि एमएसएमई (रैम) अग्रिम राशि** 31 मार्च, 2024 को ₹5,20,050 करोड़ की तुलना मे 31 मार्च, 2025

On the digital front, the Bank performed remarkably by coming out with more than 130 products, processes and portals.

Apart from digital thrust, development under Human Resource Transformation also remained at the forefront and UDAAN project continued to evolve with capacity building and coming out with digital Performance management system.

***"Against this backdrop, your Board of Directors have pleasure in presenting the Annual Report of the Bank for the year ended 31st March, 2025 (FY 2024-25) along with its audited Annual Financial Statements".***

**I. FINANCIAL PERFORMANCE AS ON 31st March, 2025**

**1. Topline**

a. **Global Business** stood at Rs. 26,83,260 Crore as on 31st March, 2025 vis-à-vis Rs. 23,53,038 Crore as on 31st March, 2024, registering year on year growth of 14.0 per cent.

b. **Global Deposits** stood at Rs.15,66,623 Crore as on 31st March, 2025 as against Rs.13,69,713 Crore as on 31st March, 2024, showing the year on year growth of 14.4 per cent.

c. **CASA Deposits** was at Rs.5,73,543 Crore as on 31st March, 2025 as against Rs.5,52,449 Crore as on 31st March, 2024.

i. **Current Deposits** was at Rs. 75,114 Crore as on 31st March, 2025.

ii. **Savings Deposits** was at Rs.4,98,429 Crore as on 31st March, 2025.

d. **Global Advances** stood at Rs.11,16,637 Crore as on 31st March, 2025 against Rs. 9,83,325 Crore as on 31st March 2024, recording the growth of 13.6 per cent on year on year basis.

e. **Retail Advances** was at Rs.2,59,363 Crore as on 31st March, 2025 as against Rs. 2,22,574 Crore as on 31st March, 2024, registering the year on year growth of 16.5 per cent.

f. **Agriculture Advances** was at Rs.1,80,625 Crore as on 31st March, 2025 as against Rs.1,58,188 Crore as on 31st March, 2024, showing the year on year growth of 14.2 per cent.

g. **MSME Advances** was at Rs.1,62,693 Crore as on 31st March, 2025 as against Rs.1,39,288 Crore as on 31st March, 2024 showing the growth of 16.8 per cent.

h. **Retail Agriculture MSME (RAM) Advances** was at Rs.6,02,682 Crore as on 31st March, 2025 vis-à-vis Rs.5,20,050 Crore as on 31st

को ₹6,02,682 करोड़ रही, जो वर्ष दर वर्ष 15.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

झ. **रैम की हिस्सेदारी घरेलू अग्रिमों के संबंध** में 31 मार्च, 2024 को 55.2% की तुलना मे 31 मार्च, 2025 को 56.5 प्रतिशत रही।

2. **बॉटम लाइन**

क. **बैंक का परिचालन लाभ** वित्त वर्ष 2024–25 में ₹26,831 करोड़ था, जो पिछले वर्ष की तुलना में 7.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

ख. **बैंक का निवल लाभ** वित्त वर्ष 2024–25 में ₹16,630 करोड़ रहा, जो पिछले वर्ष की तुलना में 101.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

ग. **शुद्ध ब्याज आय,** वर्ष–दर–वर्ष आधार पर 6.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए वित्त वर्ष 2023–24 में ₹40,083 करोड़ की तुलना में वित्त वर्ष 2024–25 में ₹42,782 करोड़ रही।

3. **आस्ति गुणवत्ता**

क. **बैंक का सकल एनपीए** 31 मार्च, 2024 के ₹56,343 करोड़ के स्तर से कम होकर 31 मार्च, 2025 तक ₹44,082 करोड़ रहा।

ख. **सकल एनपीए %** 31 मार्च, 2024 को 5.73 प्रतिशत के स्तर से 178 बीपीएस से कम होकर 31 मार्च, 2025 को 3.95 प्रतिशत पर आ गया।

ग. **बैंक का लिवल एनपीए** 31 मार्च, 2024 को ₹6799 करोड़ से घटकर 31 मार्च, 2025 को ₹4291 करोड़ तक पहुंच गया।

घ. **निवल एनपीए %** 31 मार्च, 2025 तक 33 बीपीएस से सुधर कर 0.40 प्रतिशत हो गया।

ङ. **टीडब्लयूओ सहित प्रावधान कवरेज अनुपात (पीसीआर)** 31 मार्च 2025 तक 143 बीपीएस बढ़कर 96.82 प्रतिशत हो गया।

च. **टीडब्ल्यूओ को छोड़कर प्रावधान कवरेज अनुपात (पीसीआर)** 31 मार्च 2025 तक 234 बीपीएस बढ़कर 90.27 प्रतिशत हो गया।

4. **प्रमुख अनुपात (वैश्विक)**

क. **निवल ब्याज मार्जिन** वित्त वर्ष 2024–25 में 2.93 प्रतिशत रहा।

ख. **जमा की लागत** वित्त वर्ष 2024–25 में 5.23 प्रतिशत रही।

ग. **अग्रिम पर प्रतिफल** वित्त वर्ष 2024–25 में 8.34 प्रतिशत रहा।

March, 2024 showing the year on year growth of 15.9 per cent.

i. **Share of RAM w.r.t. Domestic Advances** was at 56.5 per cent as on 31st March, 2025 as against 55.2 per cent as on 31st March, 2024.

2. **Bottom Line**

a. **Operating Profit** of the Bank was at Rs. 26,831 Crore in FY 2024-25 showing year on year growth of 7.6 per cent.

b. **Net Profit** of the Bank was at Rs. 16,630 Crore in FY 2024-25 showing year on year growth of 101.7 per cent.

c. **Net Interest Income** was at Rs. 42,782 Crore in FY 2024-25 vis-à-vis Rs. 40,083 Crore in FY 2023-24, registering the growth of 6.7 per cent on year on year basis.

3. **Asset Quality**

a. **Gross NPA** of the Bank stood at Rs. 44,082 Crore as on 31st March, 2025, reduced from the level of Rs. 56,343 Crore as on 31st March, 2024.

b. **Gross NPA %** exhibited decline of 178 bps from a level of 5.73 per cent as on 31st March, 2024 and stood at 3.95 per cent as on 31st March, 2025.

c. **Net NPA** of the Bank reduced to Rs.4,291 Crore as on 31st March, 2025 from Rs.6,799 Crore as on 31st March, 2024.

d. **Net NPA %** improved by 33 bps and stood at 0.40 per cent as on 31st March, 2025.

e. **Provision Coverage Ratio (PCR)** including TWO increased by 143 bps to 96.82 per cent as on 31st March, 2025.

f. **Provision Coverage Ratio (PCR)** excluding TWO increased by 234 bps to 90.27 per cent as on 31st March, 2025.

4. **Key Ratios (Global)**

a. **Net Interest Margin** stood at 2.93 per cent in FY 2024-25.

b. **Cost of Deposits** was 5.23 per cent in FY 2024-25.

c. **Yield on Advances** stood at 8.34 per cent in FY 2024-25.

घ. **निवेश पर प्रतिफल** वित्त वर्ष 2024–25 में बढ़कर 6.99 प्रतिशत हो गया।

ङ. **आस्तियों पर प्रतिफल** वित्त वर्ष 2023–24 में 0.54 प्रतिशत से बढ़कर वित्त वर्ष 2024–25 में 0.97 प्रतिशत हो गया।

च. **प्रति कर्मचारी कारोबार** 31 मार्च, 2024 को ₹23.84 करोड़ से बढ़कर 31 मार्च, 2025 को ₹26.86 करोड़ हो गया।

छ. **प्रति शाखा कारोबार** 31 मार्च, 2024 को ₹225.25 करोड़ से बढ़कर 31 मार्च, 2025 को ₹253.55 करोड़ हो गया।

## 5. पूंजीगत स्थिति

वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक की पूंजी पर्याप्तता में सुधार हुआ, जिसका कारण बेहतर लाभप्रदता के साथ–साथ पूंजी जुटाने में वृद्धि भी है। वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान, बैंक ने 8,000 करोड़ रुपये की पूंजी जुटाई।

टियर I बॉण्ड के अंतर्गत, योग्य संस्थागत नियुक्ति (क्यूआईपी) के माध्यम से ₹5,000 करोड़ (इक्विटी पूंजी) और टियर II बॉण्ड के माध्यम से ₹3,000 करोड़ जुटाए गए। बैंक सतत आधार पर कारोबार में वृद्धि पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखेगा। अर्थव्यवस्था की बढ़ती ऋण मांग को पूर्ण करने के लिए बैंक के पास पर्याप्त पूंजी आधार है।

**पूंजी पर्याप्तता अनुपात** 31 मार्च, 2025 तक 104 बीपीएस की वृद्धि के साथ 17.01 प्रतिशत पर पहुंच गया, जिसमें कॉमन इक्विटी टियर–1 (सीईटी–1) 12.33 प्रतिशत और एटी–1 पूंजी 1.72 प्रतिशत है।

**योग्य संस्थागत नियुक्ति (क्यूआईपी)** के कारण शेयरों की कुल संख्या 1101.10 करोड़ से बढ़कर 1149.29 करोड़ हो गई। जिसमें, 31 मार्च 2025 तक भारत सरकार की शेयरधारिता 70 प्रतिशत से अधिक रही।

## 6. अनुपालन संस्कृति

क. अनुपालन कार्यप्रणाली गतिविधियों का प्रबंधन प्रधान कार्यालय में समर्पित अधिकारियों, अंचल कार्यालयों में अंचल अनुपालन अधिकारियों तथा मंडल कार्यालयों में मंडल अनुपालन अधिकारियों द्वारा किया जाता है।

ख. **नई पहलः 'एकीकृत अनुपालन उपकरण'** आरबीआई की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विकसित किया गया है, जिसमें व्यापक, एकीकृत, उद्यम–व्यापी और वर्कफ्लो–आधारित समाधान/उपकरण को लागू करना शामिल है, ताकि सभी अनुपालन गतिविधियों को स्वचालित करके और इसे एकल प्लेटफॉर्म पर एकीकृत करके आंतरिक अनुपालन निगरानी कार्य की प्रभावशीलता को बढ़ाया जा सके।

d. **Yield on Investment** increased to 6.99 per cent in FY 2024-25.

e. **Return on Assets** improved to 0.97 per cent in FY 2024-25 from 0.54 per cent in FY 2023-24.

f. **Business Per Employee** improved to Rs.26.86 Crore as on 31st March, 2025 from Rs.23.84 Crore as on 31st March, 2024.

g. **Business Per Branch** improved to Rs.253.55 Crore as on 31st March, 2025 from Rs.225.25 Crore as on 31st March, 2024.

## 5. Capital Position

The Capital Adequacy of the Bank improved during the financial year due to improved profitability as well as on account of capital raising. During FY 2024-25, Bank raised Rs. 8,000 Crore of capital.

Under Tier I, Rs. 5,000 Crore (Equity Capital) were raised via., Qualified Institutional Placement (QIP) and Rs. 3,000 Crore through Tier II Bonds. The Bank will continue to focus on growth in Business on sustainable basis. The Bank has adequate capital base to meet the growing credit demand of the economy.

The **Capital Adequacy Ratio** of the Bank recorded increase by 104 bps to reach at 17.01 per cent, as of 31st March, 2025, with Common Equity Tier-1 (CET-1) at 12.33 per cent and AT-1 capital at 1.72 per cent.

Due to **Qualified Institutional Placement (QIP)**, the total number of shares increased from 1101.10 Crore to 1149.29 Crore with Government of India shareholding remaining above 70 per cent as on 31st March, 2025.

## 6. Compliance Culture

a. Compliance Function activities are managed by dedicated officials at Head Office, Zonal Compliance Officers at Zonal Offices and Circle Compliance Officers at Circle Offices.

b. **New Initiatives: 'Integrated Compliance Tool'** developed to meet RBI's requirements of implementing comprehensive, integrated, enterprise-wide and workflow-based solutions/ tool to enhance the effectiveness of Internal Compliance Monitoring Function by automating all the compliance activities and integrating it on single platform.

## II. परिचालन के प्रमुख अंश

### 1. प्रमुख डिजिटल पहलें एवं उपलब्धियां

वित्त वर्ष 2024–25 में, पीएनबी ने डिजिटलीकरण को अपनाना जारी रखा और डिजिटल बैंकिंग सेवाओं के क्षेत्र में अग्रणी बनकर उभरा। मोबाइल बैंकिंग सेवाओं और इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं में अब 250 से अधिक सुविधाएं हैं, जो विविध ग्राहक आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं को पूरा करती हैं। इसके अतिरिक्त, बैंक ने दिनांक 12.09.2025 को कॉर्पोरेट ग्राहकों के लिए एक मोबाइल बैंकिंग एप्लिकेशन लॉन्च किया, जो 150 से अधिक सुविधाओं से समृद्ध है।

ग्राहकों/उधारकर्ताओं की सुविधा के लिए, बैंक ने निम्नलिखित डिजिटल ऋण योजनाए शुरू की हैः

क. **डिजिटल शिक्षा ऋणः** मौजूदा और नए दोनों ग्राहकों के लिए 'पीएनबी प्रतिभा' नामक एक वेब और टैब–आधारित सुविधा को दिनांक 12.04.2024 को लाइव की गई।

ख. **डिजिटल वाहन ऋणः** बैंक में मौजूदा (ETB) और नए बैंक में नए (NTB) ग्राहकों के लिए पेश किया गया। इसे दिनांक 12.04.2024 को लाइव किया गया।

ग. **ई–पीएम विश्वकर्मा योजनाः** पीएनबी दिनांक 05.07.2024 को लाइव डिजिटल मोड में इस योजना को लॉन्च करने वाला पहला बैंक बन गया।

घ. **पीएम विद्यालक्ष्मीः** यह मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान के लिए एक सरकारी योजना है ताकि वित्तीय बाधाएं भारत के किसी भी युवा को गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा प्राप्त करने से न रोक सकें। यह योजना दिनांक 6 नवंबर, 2024 को आरंभ की गई थी और पोर्टल 25 फरवरी, 2025 को लॉन्च किया गया था।

ङ. **डिजी एमएसएमई ऋण** में बैंक में नए (एनटीबी) ग्राहकों के साथ–साथ बैंक के मौजूदा (ईटीबी) ग्राहक भी शामिल हैं, जिनकी अधिकतम ऋण राशि ₹25.00 लाख है, जो 13.12.2024 से प्रभावी है।

च. **बैंक में नए (एनटीबी) ग्राहकों के लिए जीएसटी एक्सप्रेस कार्यशील पूंजी** दिनांक 28.02.2025 को लाइव कर दी गई।

इसके अतिरिक्त, तकनीक–प्रेमी ग्राहकों की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए, बैंक ने 5 सुविधाओं की शुरुआती पेशकश के साथ व्हाट्सएप बैंकिंग शुरू की गई। अब, इसमें 80 से ज्यादा सेवाएँ हैं। वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान, कई प्रमुख नई सुविधाएँ आरंभ की गई हैं और ये व्हाट्सएप बैंकिंग के माध्यम से उपलब्ध हैं, जिनमें शामिल हैं:

क. लोक भविष्य निधि (पीपीएफ) और सुकन्या समृद्धि योजना (एसएसवाई) शेष राशि की जांच

ख. खाता एवं जमा सारांश

## II. OPERATIONAL HIGHLIGHTS

### 1. Key Digital Initiatives & Achievements

In FY 2024-25, PNB continued to embrace digitalization and emerged as a frontrunner in the domain of digital banking services. The Mobile Banking Services and Internet Banking Services now have 250+ features, catering to diverse customer needs and preferences. Additionally, the Bank launched a mobile banking application for corporate customers on 12.09.2024, which is enriched with 150+ features.

Towards customers /borrowers convenience, the Bank has launched following digital lending journeys:

a. **Digital Education Loan:** A web and tab-based journey named 'PNB Pratibha' for both existing and new customers made live on 12.04.2024.

b. **Digital Vehicle Loan:** Offered to the bank's Existing to Bank (ETB) and New to Bank (NTB) customers. It was made live on 12.04.2024.

c. **e-PM Vishwakarma Scheme:** The Bank was the first bank to launch this scheme in digital mode and was made live on 05.07.2024.

d. **PM Vidyalaxmi:** It is a Government Scheme to financial support to meritorious students so that financial constraints do not prevent any youth of India from pursuing quality higher education. The scheme was launched on 6th November, 2024 and portal was launched on 25th February, 2025.

e. **DIGI MSME Loan** includes New-to-Bank (NTB) customers along with Existing to Bank (ETB) customers, with a maximum loan amount of Rs.25.00 Lakh, effective from 13.12.2024.

f. **GST Express Working Capital for New to Bank (NTB)** customers was made live on 28.02.2025.

Further, to cater to the evolving needs of tech-savvy customers, the Bank launched WhatsApp Banking with an initial offering of 5 features. Now, it is having 80+ services. During FY 2024-25, several major new functionalities have been introduced and are available through WhatsApp Banking including:

a. Public Provident Fund (PPF) & Sukanya Samridhi Yojana (SSY) balance check

b. Account & Deposit Summary

ग. डेबिट कार्ड के लिए आवेदन करना और ग्रीन पिन ओटीपी जनरेट करना

घ. डेबिट कार्ड डिसेबल करना और डेबिट कार्ड की सीमा कम करना

ङ. सावधि जमा (फिक्स्ड डिपॉजिट) खोलना

च. ईमेल पते अपडेट करना

छ. खाता योजनाएँ बदलना

ज. फॉर्म 15 जी/एच जमा करना

**डिजिटल बिजनेस प्लेटफॉर्म (डीबीपी)** पर निम्नलिखित सुविधाएं लाइव की गई हैं:

क. स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) की डिजिटल सुविधाएं

ख. ऑनलाइन लोक भविष्य निधि (ईटीबी और एनटीबी) खाता खोलना

ग. न्यू टू बैंक (एनटीबी) ई–मुद्रा

घ. ऑनलाइन बचत खाता खोलना–डीआईवाई सुविधा

2. **प्रमुख संरचनात्मक परिवर्तन**

क. **परिचालन आघात–सहा कमांड सेंटर (ओआरसीसी):** डैशबोर्ड के माध्यम से आवेदनों की संपूर्ण निगरानी के लिए बैंकों के महत्वपूर्ण आवेदनों की वास्तविक समय निगरानी हेतु प्रधान कार्यालय में ओआरसीसी की स्थापना की गई है।

ख. **लेन–देन निगरानी प्रभाग (टीएमडी) का गठन:** व्यापक दृष्टिकोण के साथ केंद्रीकृत स्तर पर लेन–देन की निगरानी और धोखाधड़ी को रोकने के लिए लेन–देन निगरानी प्रभाग (टीएमडी) की स्थापना की गई है।

ग. **बैंक की प्रशिक्षण संरचना:** दिल्ली, लखनऊ, नोएडा और पंचकुला में चार उन्नत शिक्षण संस्थान (एएलआई) स्थापित करने और शिक्षण एवं ज्ञान प्रबंधन केंद्र (एलकेएमसी) को शिक्षण एवं नवाचार केंद्र (सीएलआई) के रूप में नव स्वरूप देने के लिए बैंक की प्रशिक्षण संरचना में सुधार किया गया है, ताकि कर्मचारी दक्षताओं में वृद्धि की जा सके, निरंतर सीखने को बढ़ावा दिया जा सके और विशिष्ट एवं भूमिका–आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करके प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त बनाए रखी जा सके।

घ. **बेंगलुरू में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सेल (एसडीसी):** बैंक और रिजर्व बैंक इनोवेशन हब (RBIH), बेंगलुरु के बीच सहयोग को सुविधाजनक बनाने हेतु, बेंगलुरु में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सेल की स्थापना की गई है। इससे बैंकिंग प्रौद्योगिकी में नवाचार और डिजिटल बैंकिंग एवं वित्तीय सेवाओं में नई संभावनाओं की खोज करने में मदद मिलेगी।

c. Applying for a Debit Card & Generating Green PIN OTP

d. Disabling Debit Card & Reducing Debit Card limits

e. Opening Fixed Deposits

f. Updating email addresses

g. Changing account schemes

h. Submitting Form 15 G/H

The following journeys have been made live on the **Digital Business Platform** (DBP):

a. Digital Journey of Self Help Group (SHG)

b. Online Public Provident Fund (ETB & NTB) account opening

c. New to Bank (NTB) e-Mudra

d. Online Savings Account opening-DIY journey

2. **Key Structural Transformations**

a. **Operational Resilience Command Centre (ORCC):** ORCC has been established at Head Office for real time monitoring of Banks critical applications for end-to-end oversight of applications through dashboard.

b. **Formation of Transaction Monitoring Division (TMD):** TMD has been established for monitoring of transactions at centralized level with comprehensive approach and to prevent the frauds.

c. **Bank's Training Structure:** Training structure of Bank revamped for establishing four Advanced Learning Institutes (ALI) at Delhi, Lucknow, Noida & Panchkula and re-designing the Learning & Knowledge Management Centre (LKMC) to the Centre for Learning & Innovation (CLI) in order to enhance employee competencies, promote continuous learning, and maintain a competitive edge by providing specialized and role-based training programs.

d. **Software Development Cell (SDC) at Bengaluru:** To facilitate collaboration between the Bank & Reserve Bank Innovation Hub (RBIH), Software Development cell at Bengaluru has been established. This will facilitate innovation in banking technology and exploring new possibilities in digital banking & financial services.

ङ. **केंद्रीकृत खरीद और साझेदारी प्रभाग (सीपीपीडी):** सीपीपीडी का उद्देश्य बैंक की खरीद प्रक्रियाओं को केंद्रीकृत और सुव्यवस्थित करना है, जिसमें सभी आईटी और गैर–आईटी संबंधित खरीद शामिल हैं। यह प्रभाग निविदाओं/प्रस्ताव के लिए अनुरोध (आरएफपी) या किसी अन्य खरीद के माध्यम से कुशल खरीद प्रणाली सुनिश्चित करने, साझेदारी/विक्रेता प्रबंधन को बढ़ाने, लागत दक्षताओं को अनुकूलित करने, विक्रेता भुगतान तथा सुलह एवं बैंक के समग्र खरीद कार्य की निगरानी के लिए उत्तरदायी है।

च. **डाटा गोपनीयता एवं प्रबंधन प्रभाग (डीपीएमडी):** भारतीय बैंक संघ (आईबीए) की अनुशंसा के अनुसार, डाटा गुणवत्ता और ग्राहक डाटा गोपनीयता की देखरेख के लिए डीपीएमडी का गठन किया गया था।

छ. **प्रधान कार्यालय में रैम इनिशिएटिव प्रभाग:** खुदरा, कृषि और एमएसएमई (रैम) और वित्तीय समावेशन (एफआई) संरचना को **रैम इनिशिएटिव प्रभाग** के गठन के माध्यम से खुदरा, कृषि और एमएसएमई ऋण को प्राथमिकता देने के लिए नया रूप दिया गया, जिसमें बैंक के कारोबार को बढ़ाने के लिए **को–लेंडिंग और पूल सेल, वित्तीय आपूर्ति प्रबंधन सेल (एफएससीएम)** तथा लीड मॉनिटरिंग एवं डाटा प्रबंधन सेल शामिल हैं।

ज. कृषि प्रभाग, प्रधान कार्यालय के अंतर्गत एक समर्पित **स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) निगरानी प्रकोष्ठ** की स्थापना स्वयं सहायता समूह (SHG) खंड के अंतर्गत ऋण देने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए लक्षित दृष्टिकोण के साथ की गई थी।

झ. **प्रधान कार्यालय में ईएसजी/स्थिरता प्रकोष्ठ:** दीर्घकालिक स्थिरता के अवसरों मे वृद्धि करने और हरित वित्तपोषण कारोबार पर ध्यान केंद्रित करने हेतु ईएसजी/स्थिरता प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है।

3. **प्रोजेक्ट उड़ान – उत्कृष्टता और नेतृत्व के लिए परिवर्तन:**

उड़ान प्रोजेक्ट के अंतर्गत पीएनबी ने मानव संसाधन परिवर्तन की डिजिटल यात्रा शुरू की, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित उपलब्धियां हासिल की गईं:

क. **डिजिटल प्रदर्शन निगरानी प्रणाली (पीएमएस):** पारदर्शिता, दक्षता और रणनीतिक उद्देश्यों के साथ संरेखण पर जोर देकर अधिकारियों के लिए मूल्यांकन प्रक्रिया के परिवर्तन की दिशा में काम करना। प्रदर्शन मूल्यांकन के लिए एक संरचित और सुव्यवस्थित दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया है, जिसमें नौकरी की भूमिकाओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने, मापने योग्य लक्ष्य निर्धारित करने एवं प्रगति की प्रभावी निगरानी करने के तरीके शामिल हैं।

e. **Centralized Procurement & Partnership Division (CPPD):** The CPPD aims to centralize and streamline the Bank's procurement processes, covering all IT and Non-IT related procurements. This division is responsible for ensuring efficient procurement system through tenders/Request for Proposal (RFPs) or any other procurement modes, enhancing partnership/ vendor management, optimizing cost efficiencies, vendor payment & reconciliation and monitoring of overall procurement function of bank.

f. **Data Privacy & Management Division (DPMD):** In accordance with the recommendations of the Indian Banks' Association (IBA), DPMD has been formed for overseeing data quality and customer data privacy.

g. **RAM Initiatives Division at Head Office:** Retail, Agriculture and MSME (RAM) & Financial Inclusion (FI) Structure has been revamped to prioritize Retail, Agriculture & MSME lending by way of formation of **RAM Initiative Division,** which consists of **Co-lending & Pool Cell, Financial Supply Management Cell (FSCM)** and **Lead Monitoring & Data Management Cell** for augmentation of Bank's Business.

h. A dedicated **Self Help Group (SHG) Monitoring Cell** under Agriculture Division, Head office has been established with a targeted approach to focus on lending under Self Help Group (SHG) segment.

i. **ESG/Sustainability Cell at Head Office:** ESG/ Sustainability Cell has been established to enhance long term sustainability opportunities and to focus on green financing business.

3. **Project UDAAN- Transformation to excel and lead**

Under the UDAAN project, PNB embarked on a digital HR transformation journey, achieving the following:

a. **Digital Performance Monitoring System (PMS):** Towards transformation of the appraisal process for officers by emphasizing transparency, efficiency, and alignment with strategic objectives. A structured and streamlined approach has been introduced for performance evaluation, incorporating methods to define job roles clearly, set measurable targets, and monitor progress effectively.

इस पहल का उद्देश्य प्रदर्शन प्रबंधन की समग्र दक्षता को बढ़ाना है। यह अधिक निष्पक्षता, दृश्यता और प्रभाव के लिए मूल्यांकन प्रणालियों के आधुनिकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

ख. **क्षमता निर्माण**: उभरते बैंकिंग परिदृश्य में कार्यबल की दक्षता और अनुकूलनशीलता को बढ़ाने के लिए एक व्यापक **क्षमता निर्माण** ढांचा प्रस्तुत किया गया। यह पहल संगठनात्मक उद्देश्यों के साथ सामरिक रूप से संरेखित है, जो मानव पूंजी के विकास के माध्यम से परिचालन दक्षता और सतत विकास को बढ़ावा देती है।

इस ढांचे में प्रमुख प्रगतियां शामिल हैं, जिनमें संरचित व्यावसायिक विकास योजनाएं, महत्वपूर्ण भूमिकाओं के लिए डाटा–संचालित अनुक्रमण योजना, तथा प्रमुख दक्षताओं को लक्षित करने वाले नेतृत्व विकास कार्यक्रम शामिल हैं। प्रशिक्षण ऑनबोर्डिंग एवं पोस्टिंग जैसी प्रक्रियाओं के डिजीटलीकरण से पारदर्शिता में सुधार हुआ है और परिचालन सुव्यवस्थित हुआ है।

ग. **कार्यबल विकास और अनुकूलन**: उपरोक्त के अतिरिक्त, बैंक ने कार्यबल प्रबंधन और परिचालन योजना को मजबूत करने के लिए कई नई पहल की हैं। ये प्रयास कर्मचारी विकास के लिए एक सर्व–समावेशी ढांचा बनाने, भर्ती प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने और जनशक्ति आवंटन को अनुकूलित करने पर केंद्रित है।

इन उपायों से न केवल निरंतर सुधार और जवाबदेही की संस्कृति को बढ़ावा मिला है, बल्कि बैंक की अपने कार्यबल को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने की क्षमता भी मजबूत हुई है।

घ. **पुरस्कार एवं सम्मान फ्रेमवर्क का कार्यान्वयन**: बैंक ने अपनी मौजूदा पुरस्कार एवं सम्मान योजनाओं तथा प्रक्रियाओं की समीक्षा की है तथा उच्च प्रदर्शन करने वालों की पहचान करने एवं उन्हें उनकी भूमिकाओं में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करने हेतु ढांचे को पुनः डिजाइन किया है।

उपलब्धियों को वस्तुनिष्ठ रूप से मान्यता देने तथा व्यावसायिक प्रदर्शन में सुधार लाने के उद्देश्य से अभियान शुरू करने के लिए एक डिजिटल पुरस्कार एवं सम्मान फ्रेमवर्क भी विकसित किया गया है।

ङ. **नेक्स्ट जेन टेलेंट पूल का निर्माण**: बाजार के लिए तैयार क्षमताओं से सुसज्जित नेक्स्ट जनरेशन टेलेंट पूल को विकसित करने और बैंक के निरंतर प्रतिस्पर्धात्मक लाभ को सुनिश्चित करने हेतु, सभी बैंकिंग गतिविधियों को कवर करते हुए 26 कौशल की पहचान की गई है।

This initiative is aimed at enhancing the overall efficiency of performance management. It marks a significant step forward in modernizing appraisal systems for greater fairness, visibility, and impact.

b. **Capability Building:** A comprehensive Capability Building Framework introduced to enhance workforce proficiency and adaptability in an evolving banking landscape. This initiative is strategically aligned with organizational objectives, promoting operational efficiency and sustainable growth through the development of human capital.

The framework encompasses key advancements, including structured career development plans, data-driven succession planning for critical roles, and leadership development programs targeting key competencies. The digitalization of processes such as training, onboarding, and postings has improved transparency and streamlined operations.

c. **Workforce Development and Optimization:** Other than above, the Bank introduced several initiatives to strengthen workforce management and operational planning. These efforts focused on creating an all-inclusive framework for employee development, streamlining recruitment processes, and optimizing manpower allocation.

These measures have not only fostered a culture of continuous improvement and accountability but have also strengthened the bank's ability to manage its workforce effectively.

d. **Implementation of Reward and Recognition Framework:** The Bank has reviewed its existing rewards & recognition schemes/processes and has redesigned the framework to identify high performers and motivate them toward excellence in their roles.

A digital rewards and recognition platform has also been developed to objectively recognize achievements and launch campaigns aimed at improving business performance.

e. **Creation of next-generation talent pool:** Towards cultivating a next-generation talent pool equipped with market-ready competencies and ensuring the Bank's sustained competitive advantage, 26 skills have been identified to cover all banking activities.

इन कौशलों को वर्तमान (मौजूदा कौशल) और भविष्य (नेक्स्ट जेन कौशल) श्रेणियों में विभाजित किया गया है। इसके अतिरिक्त, इन कौशलों को कुल 138 विशिष्ट उप–कौशलों में विभाजित किया गया है। इनमें से प्रत्येक उप–कौशल को विशिष्ट जॉब रोल के लिए सावधानीपूर्वक मैप किया गया है, ताकि परिचालन और रणनीतिक आवश्यकताओं हेतु इनकी प्रासंगिकता सुनिश्चित की जा सके।

इस संरचित दृष्टिकोण का लाभ उठाकर, बैंक का लक्ष्य नवाचार को बढ़ावा देना, उत्पादकता बढ़ाना और उभरते उद्योग रुझानों के लिए सक्रिय रूप से अनुकूलन करना है। यह पहल सतत विकास के प्रमुख प्रवर्तक के रूप में प्रतिभा विकास हेतु बैंक की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है।

च. **शिक्षण एवं विकास (एलएंडडी) प्रथाओं और प्रक्रियाओं मे सुधारः**

बैंक ने विकास और क्षमता संवर्धन के लिए बेहतर पारिस्थितिकी तंत्र बनाने हेतु अपनी शिक्षण एवं विकास (एलएंडडी) प्रथाओं और प्रक्रियाओं में सफलतापूर्वक परिवर्तन किया है। उल्लेखनीय उपलब्धियों में प्रमुख बैंकों के **उत्कृष्टता केंद्रों (सीओई)** के साथ बेंचमार्किंग, सुव्यवस्थित प्रक्रियाओं के लिए एसओपी विकसित करना और उन्हें अंतिम रूप देना, एलएंडडी (L&D) प्रतिभा अंतर विश्लेषण पूरा करना और एडवांस लर्निंग इंस्टीट्यूट्स (एएलआई) और स्टाफ प्रशिक्षण केंद्र (एसटीसी) में संकाय पदों के लिए अधिकारियों का चयन करना शामिल है। जॉब फैमिली से जुड़े विषयों को भौतिक सीओई से मैप किया गया।

प्रशिक्षण कार्यों को डिजिटल बनाने के लिए नेक्स्ट जेन अध्ययन प्रबंधन प्रणाली (LMS) को प्रारम्भ किया गया है, और अनुरूप प्रशिक्षण को सक्षम करने और प्रभावशीलता का आकलन करने हेतु एक अध्ययन एवं विकास (L&D) टूल विकसित किया गया है। उड़ान पोर्टल पर लर्निंग डैशबोर्ड अधिकारियों की प्रशिक्षण यात्रा को केंद्रीकृत करता है, जो सूचना के दो–तरफा प्रवाह के लिए **पीएनबी यूनिव और एचआरएमएस** के साथ सहजता से एकीकृत रहता है। एएलआई दिल्ली का पुर्नसृजन पूरा हो गया, जिससे निरंतर सीखने और उत्कृष्टता की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए बैंक की प्रतिबद्धता को बल मिला है।

छ. **मैनपावर लेखापरीक्षाः** उड़ान परियोजना के अंतर्गत बैंक की रणनीतिक प्राथमिकताओं के अनुरूप, उड़ान परियोजना के दूसरे वर्ष में एक व्यापक मैनपावर ऑडिट संपन्न हुआ है। यह ऑडिट विलिस टावर्स वॉटसन (डब्ल्यूटीडब्ल्यू) इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया गया था। डब्ल्यूटीडब्ल्यू ने एक विस्तृत समीक्षा रिपोर्ट सौंपी, जिसमें कहा गया कि 'कोई विसंगतियां नहीं पाई गईं'। रिपोर्ट

These skills are divided into current (existing skills) and future (Next Gen skills) categories. Furthermore, these skills are subdivided into a total of 138 unique sub-skills. Each of these sub-skills has been meticulously mapped to specific job roles, ensuring relevance to operational and strategic needs.

By leveraging this structured approach, the Bank aims to foster innovation, enhance productivity, and adapt proactively to emerging industry trends. This initiative underscores the Bank's commitment to talent development as a key enabler of sustainable growth.

f. **Revamping of Learning and Development (L&D) practices and processes:**

The Bank successfully transformed its Learning and Development (L&D) practices and processes to create a superior ecosystem for growth and capability enhancement. Amongst notable accomplishments included benchmarking with **Centers of Excellence (CoE)** from prominent banks, developing and finalizing SOPs for streamlined processes, completing L&D talent gap analysis, and selection of officers for faculty positions at Advances Leaning Institutes (ALIs) and Staff Training Centres (STCs). Themes aligned with job families were mapped to physical CoEs.

A Next Gen Learning Management System (LMS) deployed to digitize training operations, and a Learning & Development (L&D) tool has been developed to enable tailored training and assess effectiveness. Learning Dashboard on the Udaan Portal centralizes the training journey of officers, seamlessly integrating with **PNB UNIV** and **HRMS** for a two-way flow of information. The revamping of ALI Delhi was completed, reinforcing the Bank's commitment to fostering a culture of continuous learning and excellence.

g. **Manpower Audit:** In alignment with the Bank's strategic priorities under the UDAAN project, a comprehensive manpower audit has been concluded in second year of project UDAAN. The audit was conducted by Willis Towers Watson (WTW) India Private Ltd. WTW submitted a detailed review report mentioning "No Discrepancies were found". The report covers all

में उन सभी कार्यालयों को शामिल किया गया है जिनके मैनपावर का मूल्यांकन 'उड़ान' परियोजना के अंतर्गत विकसित मैनपावर मूल्यांकन उपकरणों के माध्यम से किया गया था।

4. **लाभांश**

बैंक के निदेशक मण्डल ने वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए ₹2 अंकित मूल्य वाले प्रत्येक शेयर पर ₹2.90 (145 प्रतिशत) के लाभांश की अनुशंसा की है, जो बैंक के 24वें वार्षिक आम बैठक शेयरधारकों की अनुमोदन के अधीन है।

## III. आस्ति गुणवत्ता

बैंक 31 मार्च 2024 के सकल एनपीए को ₹56,343 करोड़ से घटाकर 31 मार्च 2025 को ₹44,082 करोड़ करने में सक्षम रहा है। निवल एनपीए 31 मार्च 2024 तक ₹6,799 करोड़ से घटकर 31 मार्च 2025 तक ₹5,000 करोड़ रुपये हो गया। आस्ति गुणवत्ता पर ध्यान बैंक की सर्वोच्च प्राथमिकताओं मे से एक बना हुआ है। 31 मार्च, 2025 तक टीडब्ल्यूओ सहित प्रावधान कवरेज अनुपात (पीसीआर) 96.82 प्रतिशत था।

1. **वसूली और उन्नयन:** वित्त वर्ष 2024–25 के लिए कुल वसूली ₹14,336 करोड़ रही। इसमें से कुल नकद वसूली और उन्नयन ₹6,864 करोड़ रहा। वित्त वर्ष 2024–25 में टेक्निकल राइट ऑफ अकाउंट (टीडब्ल्यूओ) और दर्ज ब्याज (आरआई) में ₹7472 करोड़ रुपये वसूल किए गए।

2. **समाधान प्रणाली के माध्यम से उन्नयन:** राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (NCLT) के मामलों में विशेष रूप से एनपीए खातों के पुनर्गठन/समाधान एवं निपटान के लिए समाधान सेल बनाया गया था। इससे संबंधित विवरण इस प्रकार है:

| पुनर्गठित खाते (राशि ₹ करोड़ में) | | |
|---|---|---|
| | कुल स्वीकृत | |
| | खातों की संख्या | राशि |
| वित्त वर्ष 2024–25 | 02 | 147.89 |

इसके अतिरिक्त, एनसीएलटी में आईबीसी के अंतर्गत एनपीए खातों में ₹2032 करोड़ की राशी वसूल की गई है।

3. **मेगा ई–नीलामी:** वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान 11,296 संपत्तियाँ ई–बिक्रय पोर्टल पर अपलोड की गई थी जिसमें से 1952 अचल सम्पत्तियां (आईपी) सफलतापूर्वक नीलामी की गई।

4. **आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी (एआरसी)/राष्ट्रीय आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी लि० (एनएआरसीएल) को आस्तियों की बिक्री:** एआरसी और एनएआरसीएल को बेची गई वित्तीय सम्पत्तियों का विवरण इस प्रकार है:

offices whose manpower was assessed through Manpower Assessment Tools developed under the project "UDAAN".

4. **DIVIDEND**

The Board of Directors of the Bank has recommended a dividend of Rs.2.90 per equity share (145 per cent) of face value of Rs.2/- each for FY 2024-25, subject to approval of the shareholders at the 24th Annual General Meeting of the Bank.

## III. ASSET QUALITY

The Bank was able to reduce Gross NPA from the level of Rs. 56,343 Crore as on 31st March, 2024 to Rs. 44,082 Crore as on 31st March, 2025. Net NPA reduced to Rs. 4,291 Crore as on 31st March, 2025 from Rs. 6,799 Crore as on 31st March, 2024. Focus on asset quality continues to be one of the topmost priorities for the Bank. Provision Coverage Ratio (PCR) including TWO is was at 96.82 per cent as on 31st March, 2025.

1. **Recovery & Upgradation:** Total Recovery stood at Rs. 14,336 Crore for FY 2024-25. Of this, Total Cash Recovery and upgradation stood at Rs. 6,864 Crore. Rs. 7,472 Crore was recovered in Technical Write Off Accounts (TWO) and Recorded Interest (RI) in FY 2024-25.

2. **Upgradation through Resolution Mechanism:** The Resolution Cell was created to deal exclusively with restructuring/resolution of NPA accounts and recovery in National Company Law Tribunal (NCLT) cases. The details regarding the same is as under:

| Restructured Accounts (Amount in Rs. Crore) | | |
|---|---|---|
| | Total Sanctioned | |
| | No. of A/c's | Amount |
| FY 2024-25 | 02 | 147.89 |

Further, a sum of Rs. 2,032 Crore was recovered in NPA accounts under IBC in NCLT.

3. **Mega e-Auctions:** During FY 2024-25, 11,296 properties were uploaded on e-Bikray portal. Out of which, 1952 Immovable Properties (IPs) were auctioned successfully.

4. **Sale of Assets to Asset Reconstruction Company (ARC)/National Asset Reconstruction Company Ltd (NARCL):** Details of financial assets sold to ARCs/NARCL is as under:

(राशि ₹ करोड़ में)

| मदें | | वित्त वर्ष 2024-25 |
|---|---|---|
| i. | एआरसी/एनएआरसीएल को बेचे गए खातों की संख्या | 7 |
| ii. | बेचे गए खातों की बकाया बही | 1134 |
| iii. | समग्र प्राप्त प्रतिफल | 863 |

5. **वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान आस्ति गुणवत्ता में सुधार के लिए की गई पहलें**

क. संपत्ति का प्रतीकात्मक/भौतिक कब्जा लेने तथा सभी पात्र संपत्तियों को अनिवार्य रूप से नीलामी में रखे जाने को सुनिश्चित करने के लिए, SARFAESI के अंतर्गत समयबद्ध कार्रवाई शुरू की गई। ई–नीलामी को सफल बनाने के लिए संपत्तियों का उचित प्रचार–प्रसार भी किया गया।

ख. बैंक की ओटीएस/ई–ओटीएस योजनाओं को लोकप्रिय बनाना तथा वर्ष के दौरान नियमित अंतराल पर नियमित वसूली शिविरों का आयोजन करना। टर्न अराउंड टाइम (TAT) को कम करने तथा वसूली बजट में सुधार/प्राप्ति के लिए प्रधान कार्यालय में ओटीएस प्रस्तावों की नियमित निगरानी करना।

ग. समर्थ पोर्टल के उपयोग को बढ़ावा दिया गया, जो सभी वसूली कार्यों को एक मंच पर लाता है तथा एनपीए खातों में वसूली को बढ़ाने के लिए व्यापक मात्रात्मक विश्लेषण करना।

घ. बैंक ने विशिष्ट खंडों के लिए एनपीए वसूली हेतु अभियान भी शुरू किया है। वर्ष के दौरान छोटे मूल्य के खातों और आवास ऋण के समाधान के लिए अभियान भी चलाए गए।

ङ. ₹ 1 करोड़ से अधिक बकाया वाले पात्र कॉर्पोरेट मामलों में सीआईआरपी और पीआईआरपी शुरू की गई।

च. तिमाही में बैंक में वसूली एजेंसियों/समाधान एजेंटों/सहायक एजेंटों की नियमित समीक्षा।

छ. लोक अदालत में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की गई। साथ ही, डीआरटी मामलों की निरंतर निगरानी की गई, ताकि रोक को हटाया जा सके और शीघ्र समाधान किया जा सके।

ज. जहां भी समाधान नहीं हो पा रहा है, वहां एआरसी की बिक्री पर विचार किया जाना।

## IV. बढ़ता डिजिटलीकरण

प्रौद्योगिकी और बैंकिंग के संयोजन से बैंक के संचालन के तरीके में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है। मोबाइल एप्लीकेशन से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक, बैंक अपने ग्राहकों को सुविधा प्रदान करने के लिए प्रभावी ढंग से इनका उपयोग कर रहा है।

(Amount Rs. in Crore)

| Items | | FY 2024-25 |
|---|---|---|
| i. | Number of Accounts sold to ARCs/ NARCL | 7 |
| ii. | Book Outstanding of Accounts sold | 1134 |
| iii. | Aggregate Consideration received | 863 |

5. **Initiatives taken to improve Asset Quality during FY 2024-25**

a. Time bound action under SARFAESI initiated for taking symbolic/physical possession of the property and ensuring that all the eligible properties are put on auction invariably. Proper publicity of properties was also done for making e-Auction successful.

b. Popularization of OTS/e-OTS schemes of the Bank and organization of regular recovery camps at frequent intervals during the year. Regular monitoring of OTS proposals at Head Office for reducing the Turn Around Time (TAT) & improving/achieving recovery budgets.

c. Promoted the use of SAMARTH portal which brings all recovery actions on one platform and comprehensive quantitative analysis is done to maximize recovery in NPA Accounts.

d. The Bank has also launched campaign for recovery in NPA for specific segments. Campaigns to resolve small value accounts and housing loan was also launched during the year.

e. Initiated CIRP and PIRP in eligible corporate cases having balance o/s greater than Rs.1 Crore.

f. Regular review of recovery agencies/resolution agents/supporting agents of the Bank in a quarter.

g. Active participation in Lok–Adalat was ensured alongwith continuous monitoring of DRT cases for vacation of stay and early resolution.

h. Explored ARC sale wherever resolution was not forthcoming.

## IV. GROWING DIGITALISATION

The fusion of technology and banking has revolutionized the way the Bank is operating. From Mobile Applications to Artificial Intelligence, the Bank is effectively utilizing them for bringing convenience to our customers.

| क्र. सं. | मापदंड (करोड़ में) | 31.03.24 को | 31.03.25 को | वृद्धि% (वर्ष दर वर्ष) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | इन्टरनेट बैंकिंग उपयोगकर्ताओं की संख्या | 4.23 | 4.42 | 4.5 |
| 2 | पीएनबी वन सक्रिय उपयोगकर्ता | 1.73 | 2.14 | 23.7 |
| क्र. सं. | मापदंड (करोड़ में) | वित्त वर्ष 2023–24 | वित्त वर्ष 2024–25 | वृद्धि% (वर्ष दर वर्ष) |
| 1 | डिजिटल लेनदेन की संख्या | 659 | 997 | 51.4 |
| 2 | यूपीआई लेनदेन | 623 | 963 | 69.8 |

वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान बैंक ने कारोबार वृद्धि और ग्राहक सुविधा के लिए विभिन्न डिजिटल पहल कीः

1. **एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (एपीआई) एकीकरण के माध्यम से जनसमर्थ पोर्टल में सोलर रूफ टॉप योजना का समावेशः** पीएम सूर्यघर योजना के अंतर्गत ऋण प्रदान करने के लिए सरकार के जनसमर्थ पोर्टल के अंतर्गत एक नया एपीआई एकीकरण विकसित किया गया है।
2. **ग्राम पंचायत एपीआई एकीकरण (म.प्र. सरकार):** ग्राम पंचायत (एमपी) के लिए यूपीआई लेनदेन प्राप्त करने हेतु बैंक और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) के बीच एपीआई एकीकरण विकसित किया गया है। इस परियोजना में बैंक द्वारा प्रदान किए गए ग्राम पंचायत के खाते में यूपीआई लेनदेन का प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) डाटा पंचायत दर्पण पोर्टल पर बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के अपलोड किया जा सकता है।
3. **आईएफएमएस ओडिशा ऑनलाइन और ओटीसी भुगतान–एपीआई एकीकरणः** ओडिशा ट्रेजरी चालान का संग्रह (ऑनलाइन और ओटीसी मोड)
4. **INSPREM–एपीआई एकीकरणः** साझेदार बीमा कंपनी (बजाज आलियांज) से बीमा प्रीमियम का संग्रह करना।
5. **भारत आधार सीडिंग इनेबलर (BASE)–एपीआई एकीकरणः** BASE विभिन्न चैनलों, NPCI मैपर और बैंकों के बीच इंटरफेस है जिसके माध्यम से आधार सीडिंग अनुरोध किया जा सकता है। यह प्लेटफॉर्म पारिस्थितिकी तंत्र के लिए विभिन्न एपीआई का उपयोग करेगा, ताकि सीडिंग अनुरोधों के लिए ऑनलाइन/ऑफलाइन संचार किया जा सके।
6. **सीबीएस में चेक–बुक की डिलीवरी की सूचना एसएमएस के माध्यम से देना जिनकी डिलिवरी ग्राहकों को नहीं हुई है और शाखा में वापस आ गई हैः** सीबीएस में व्यक्तिगत चेक बुक के लिए परिवर्तन किए गए हैं, जिससे सीबीएस में अप्राप्त चेक बुक की डिलीवरी अंकित करते समय, सिस्टम स्वचालित रूप से ग्राहकों को उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एसएमएस भेज रहा है।
7. व्हाट्सएप बैंकिंग के माध्यम से विभिन्न सेवाएं लाइव की गईं

| S. No | Parameters (in Crore) | As on 31.03.24 | As on 31.03.25 | Gr% (YoY) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | No. of Internet Banking Users | 4.23 | 4.42 | 4.5 |
| 2 | PNB ONE Activated users | 1.73 | 2.14 | 23.7 |
| S. No | Parameters (in Crore) | FY 2023-24 | FY 2024-25 | Gr% (YoY) |
| 1 | No. of Digital Transactions | 659 | 997 | 51.4 |
| 2 | UPI Transactions | 623 | 963 | 69.8 |

The Bank, during FY 2024-25 took up various digital initiatives towards business growth and customer convenience:

1. **Incorporation of Solar Roof Top scheme in JanSamarth Portal through Application Programming Interface (API) Integration:** A new API Integration has been developed with JanSamarth Portal of the Government for providing loan under PM Surya Ghar Yojana.
2. **Gram Panchayat API Integration (MP Government):** API integration between Bank and National Informatics Centre (NIC) has been developed for Gram Panchayat (MP) for fetching UPI transactions. In this project Management Information System (MIS) data of UPI transactions in the account of Gram Panchayat provided by bank can be uploaded on the Panchayat Darpan Portal without manual intervention.
3. **IFMS Odisha Online and OTC Payment-API Integration:** Collection of Odisha treasury challans (Online and OTC Mode).
4. **INSPREM-API Integration:** Collection of Insurance Premium from Partner Insurance Company (Bajaj Alliance)
5. **Bharat Aadhaar Seeding Enabler (BASE)-API Integration:** BASE is the interface between various channels through which Aadhaar seeding request can be raised, NPCI mapper and the banks. The platform will use various APIs for the eco system to communicate online/offline for seeding requests.
6. **Sending an SMS to customers on marking of delivery of Cheque-Books in CBS which are undelivered and returned to branch:** Changes made for personalized Cheque Book in CBS such that while marking delivery of Cheque Book undelivered in CBS, system is automatically sending the SMS to customers at their registered mobile number
7. Various Services Made Live through WhatsApp Banking.

क. **व्हाट्सएप बैंकिंग (टीडीएस प्रमाणपत्र, ब्याज प्रमाणपत्र, आदि):** वर्तमान में चल रही व्हाट्सएप बैंकिंग में ऑन–बोर्डेड ग्राहकों को टीडीएस सह ब्याज प्रमाण पत्र प्रदान करना, आवास ऋण और शिक्षा ऋण के लिए अनंतिम और अंतिम ब्याज प्रमाण पत्र प्रदान करना आदि नई सुविधाएं जोड़ी गई हैं।

ख. **व्हाट्सएप बैंकिंग पूर्व–स्वीकृत ऑफर:** व्हाट्सएप बैंकिंग में विशिष्ट मेन्यू के माध्यम से ग्राहक व्यक्तिगत ग्राहकों के लिए विभिन्न पूर्व–स्वीकृत ऑफर देख सकते हैं।

8. **राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (एनसीसीआरपी) एपीआई–संदिग्ध रजिस्ट्री:** नई दिल्ली में भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (14सी) में साइबर धोखाधड़ी शमन केंद्र की स्थापना की गई है, जिसमें प्रमुख बैंकों, वित्तीय मध्यस्थों, भुगतान एग्रीगेटर्स, दूरसंचार सेवा प्रदाताओं, आईटी मध्यस्थों और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की कानून प्रवर्तन एजेंसियों (एलईए) के प्रतिनिधि सम्मिलित हैं। इसका उद्देश्य ऑनलाइन वित्तीय अपराधों से निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई करना और निर्बाध सहयोग सुनिश्चित करना है। इस पहल के एक भाग के रूप में, वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र की धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन क्षमताओं को मजबूत करने के लिए पीएनबी के सहयोग से, I4C द्वारा प्रबंधित NCCRP के आधार पर विभिन्न पहचानकर्ताओं की एक संदिग्ध सूची बनाई जा रही है।

9. **व्हाट्सएप बैंकिंग आरआरबी 1.0:** क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) के लिए व्हाट्सएप बैंकिंग का कार्यान्वयन।

10. **पीएनबी हैकाथॉन:** पीएनबी ने प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान के सहयोग से हैकाथॉन की शुरुआत की, जहां एक पोर्टल विकसित किया गया जिसमें पूरे भारत से टीमें पंजीकरण कर साइबर सुरक्षा से संबंधित परियोजनाएं प्रस्तुत कर सकती हैं।

11. **ई–एनएसीएच मेंडेट:** भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) ने ग्राहक अनुभव को बेहतर बनाने और डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए एनएसीएच मेंडेट के ऑनलाइन पंजीकरण को आसान बनाने की परिकल्पना की है। ई– मेंडेट को ग्राहक द्वारा निम्नलिखित नए विकल्पों में से किसी एक का उपयोग करके ऑनलाइन स्वयं सत्यापित किया जाएगा:

- आधार संख्या (यूआईडीएआई प्रमाणीकरण के बिना)।
- स्थायी खाता संख्या (पैन)
- ग्राहक आईडी (गंतव्य बैंक वाले ग्राहक की)

बैंक उपर्युक्त मापदंडों में से किसी एक को उसके साथ जुड़े सक्रिय खाते के साथ मान्य करेगा। इसके बाद, अन्य मौजूदा कारोबार नियमों के अतिरिक्त ई–मेंडेट को सत्यापित करने के लिए ओटीपी सत्यापन किया जाएगा। यह कार्यप्रवाह प्रति मेंडेट ₹15,000/– तक की राशि के मेंडेट के लिए लागू होगा।

a. **WhatsApp Banking (TDS Certificate, Interest Certificate, etc.):** New features added in the currently running WhatsApp banking which includes providing TDS cum Interest Certificate to on-boarded customers, providing provisional and final interest certificate for Housing Loan and Education Loan, etc.

b. **WhatsApp Banking Pre-Approved Offers:** Various Pre-approved offers for individual customers can be viewed by customers through specific menu in WhatsApp Banking.

8. **National Cyber Crime Reporting Portal (NCCRP) API-Suspect Registry:** Cyber Fraud Mitigation Centre has been established at the Indian Cyber Crime Coordination Centre (14C) in New Delhi with representatives of major banks, Financial Intermediaries, Payment Aggregators, Telecom Service Providers, IT Intermediaries and States/UTs Law Enforcement Agencies (LEAs). It aims to take immediate action and ensure seamless cooperation to tackle online financial crimes. As part of this initiative, a Suspect Registry of various identifiers is being created based on NCCRP managed by I4C, in collaboration with PNB for strengthening fraud risk management capabilities of financial ecosystem.

9. **WhatsApp Banking RRB 1.0:** Implementation of WhatsApp Banking for Regional Rural Banks (RRBs).

10. **PNB Hackathon:** PNB initiated Hackathon in collaboration with reputed Educational Institute where a portal was developed and teams from all over India can register and submit projects related to Cybersecurity.

11. **e-NACH Mandate:** National Payment Corporation of India (NPCI) envisaged to simplify the online registration of NACH mandates to improve customer experience and drive digitization. e-mandates will be self-verified by the customer online using one of the following new options:

- Aadhaar Number (without UIDAI authentication).
- Permanent Account Number (PAN)
- Customer ID (of customer with destination bank)

The Bank will validate one of the above parameters with the operative account linked with it. Thereafter, OTP verification will be done to verify the e-Mandate apart from other existing business rules. This workflow will be applicable for mandate of amount up to Rs. 15,000/- per mandate.

ई–मेंडेट के माध्यम से हमारे खुदरा उधारकर्ताओं को निम्नलिखित अतिरिक्त सुविधाएं दी गई हैं:

- **संशोधन:** यह मेंडेट के जारीकर्ता को कुछ शर्तों के अधीन मेंडेट में परिवर्तन करने की अनुमति देता है।
- **रद्द करना:** यदि ग्राहक द्वारा पीएनबी में खाता बंद कर दिया गया है तो बैंक ग्राहक मेंडेट को रद्द कर सकता है।
- **निलंबन एवं निरस्तीकरण:** ग्राहक जब भी आवश्यक हो, मेंडेट को निलंबित तथा निलंबन को निरस्त कर सकता है।

## V. एनालिटिक्स सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (ACoE)

एनालिटिक्स सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (ACoE) बैंक के भीतर एक ऐसा विशेषीकृत वर्टिकल है, जिसे रिपोर्ट, MIS समर्थन और AI/ML–आधारित समाधान (जनरल AI सहित) के विकास का काम सौंपा गया है। यह संगठन में डेटा–संचालित निर्णय लेने और डिजिटल परिवर्तन को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

ACoE रिपोर्टिंग और विश्लेषण के अतिरिक्त, कई अनुप्रयोगों और विनियामक डेटा प्रस्तुतियों के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है, जिनमें शामिल हैं:

- CIC मॉड्यूल (ब्यूरो वन)
- क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज (CIC) डेटा
- सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ सिक्यूरिटाइजेशन एसेट रिकंस्ट्रक्शन एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऑफ इंडिया (CERSAI)
- नेशनल ई–गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड (NeSL)
- आरबीएस, सीआईएमएस, डेटा एग्रीगेटर/अकाउंट एग्रीगेटर
- पीएनबी 360 एप्लीकेशन डैशबोर्ड
- एंटरप्राइज–वाइड डेटा वेयरहाउस
- डिजिटल यात्रा के लिए फनल

### 1. एंटरप्राइज–वाइड डेटा वेयरहाउस (EDW):

- विभिन्न आंतरिक परिचालन प्रणालियों और बाहरी स्रोतों से सारांशित डेटा का केंद्रीय कोष।
- सूचना का एकल स्रोत जिसका बैंक की 65 से अधिक स्रोत प्रणालियों के साथ एकीकरण है।
- बैंकों के सभी कार्यक्षेत्रों में सभी व्यावसायिक आवश्यकताओं को कवर करने वाली 1650 से अधिक रिपोर्ट प्रदान करना।
- ओएसएस, सीएएमएल आदि जैसे 35 से अधिक डाउनस्ट्रीम एप्लिकेशन को डाटा भेजना।

The following additional facilities have been given to our retail borrowers through e-Mandate:

- **Amend:** Allows the issuer of the mandate to make changes in the mandate subject to certain conditions.
- **Cancel:** Bank customer can cancel the mandate if account in PNB is closed by the customer.
- **Suspend & Revoke:** Customer can suspend a mandate and revoke suspension whenever required.

## V. ANALYTICS CENTRE OF EXCELLENCE (ACoE)

The Analytics Centre of Excellence (ACoE) is a specialized vertical within the Bank entrusted with the development of reports, MIS support, and AI/ML-based solutions (including Gen AI). It plays a pivotal role in driving data-driven decision-making and digital transformation across the organization.

In addition to reporting and analytics, ACoE is responsible for managing several applications and regulatory data submissions, including:

- CIC Module (Bureau One)
- Data submission to Credit Information Companies (CICs)
- Central Registry of Securitization Asset Reconstruction and Security Interest of India (CERSAI)
- National e-Governance Services Ltd (NeSL)
- RBS, CIMS, Data Aggregator/Account Aggregator
- PNB 360 application dashboard
- Enterprise-Wide Data Warehouse (EDW)
- Funnel for the Digital Journeys.

### 1. Enterprise-Wide Data Warehouse (EDW):

- Central repository of summarized data from different internal operational systems and external sources.
- Single Source of information having integration with Bank's 65+ source systems.
- Providing more than 1650 reports covering all-business needs across banks verticals.
- Pushing data to more than 35 downstream applications like OSS, CAML etc.

2. **डेटा एनालिटिक्स टीमः**

एनालिटिकल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (ACoE) 2018 में स्थापित, में डेटा एनालिटिक्स सेल को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के क्षेत्र में इन–हाउस क्षमताओं का निर्माण करने के लिए बनाया गया था। टीम तीन रणनीतिक कार्यक्षेत्रों में कार्य करती है: कारोबार, नियंत्रण और समर्थन, निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ:

- मूल्य सृजन में वृद्धि
- क्रॉस–सेल और अप–सेल अवसरों को बढ़ावा देना
- राजस्व में वृद्धि और लागतों का अनुकूलन
- उत्पाद पेशकशों और वितरण चौनलों को मजबूत करना
- बैंक के डिजिटल पदचिह्न का विस्तार करना
- मौजूदा और संभावित ग्राहकों दोनों के लिए जोखिम प्रोफाइलिंग में सुधार करना
- EASE सुधारों के अंतर्गत एनालिटिक्स–संबंधी अनुदेशों को पूरा करना

उच्च प्रवृत्ति वाली लीड की पहचान उनके जनसांख्यिकीय विवरण, निवेश प्रोफाइल, बैंक के साथ संबंध, लेन–देन संबंधी डेटा, भौगोलिक वितरण, डिजिटल गतिविधि, बैंक उत्पादों का उपयोग आदि के संदर्भ में ग्राहक व्यवहार जैसे विभिन्न मापदंडों का विश्लेषण करने के बाद की जाती है।

3. **नई पहल**

क. **असंगठित डेटा का उपयोग करके मूल्य सृजनः** असंगठित डेटा को संरचित डेटा में परिवर्तित करके क्षमताओं और डेटा अंतर्दृष्टि का पता लगाने के लिए, नीचे उल्लिखित उपयोग के मामलों को पायलट आधार पर उपलब्ध उपकरणों के साथ इन हाउस विकसित किया गया है।

i. **गूगल पर शाखा की समीक्षाओं के लिए डैशबोर्डः** यह ऑनलाइन डैशबोर्ड गूगल समीक्षाओं और अन्य ऑनलाइन स्रोतों से शाखा फीडबैक को एकत्रित और विश्लेषित करता है, तथा पीएनबी कर्मचारियों को एक व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करता है। इसमें शाखा समीक्षाएं, भावना विश्लेषण, तथा वित्तीय समाचार अंतर्दृष्टि और समाचार भावना के संबंध में एक अन्य डैशबोर्ड सम्मलित है, जिससे कर्मचारी ग्राहक भावनाओं और उद्योग के रुझान का शीघ्रता से आकलन सुनिश्चित कर सकता है।

ii. **न्यूज इनसाईटः** बैंक की कॉर्पोरेट वेबसाइट जनता को नवीनतम वित्त–संबंधित समाचारों तक पहुंचने के लिए लिंक (https://pnbinsightx-pnb-in/) प्रदान करती है, जिससे उन्हें उद्योग के रुझानों और विकास के संबंध में अच्छी जानकारी मिलती है।

2. **Data Analytics Team:**

Established in 2018, the Data Analytics Cell at Analytical Centre of Excellence (ACoE) was created to build in-house capabilities in the domain of Artificial Intelligence and Machine Learning. The team operates across three strategic verticals: **Business, Control, and Support,** with the following objectives:

- Enhancing value creation
- Driving cross-sell and up-sell opportunities
- Increasing revenue and optimizing costs
- Strengthening product offerings and delivery channels
- Expanding the Bank's digital footprint
- Improving risk profiling for both existing and prospective customers
- Fulfilling analytics-related mandates under the EASE reforms

The team identifies high-propensity leads by analyzing customer behavior using parameters such as demographics, investment profile, relationship with the Bank, transaction patterns, geographic presence, digital activity, and product usage.

3. **New Initiatives**

a. **Value Creation using unstructured data:** To explore the capabilities and data insights by conversion of unstructured data into structured one, below mentioned use cases have been developed in house with available tools on pilot basis.

i. **Dashboard for Branch reviews on Google:** This online dashboard aggregates and analyzes branch feedback from Google Reviews and other online sources, offering PNB employees a comprehensive view. It includes branch reviews, sentiment analysis, and another dashboard regarding financial news insights and the news sentiment. ensuring employees can quickly gauge customer sentiments and industry trends.

ii. **News Insight:** Bank's corporate website provides link (https://pnbinsightx.pnb.in/) for public to access the latest finance-related news, keeping them well-informed about industry trends and developments.

ख. **जेन एआई आधारित उपयोग के मामले:** परिपत्र सारांशीकरण और सिंथेटिक ऑडियो निर्माण: दैनिक महत्वपूर्ण परिपत्रों का सारांश तैयार करना, तथा पीडीएफ और ऑडियो फाइल तैयार करना तथा उसे कर्मचारी के ईमेल पर भेजना।

ग. **स्टेटमेंट विश्लेषक:** टीम ने व्यक्तिगत ग्राहकों के लिए ऋण निर्णय को पूरक बनाने के लिए ग्राहक व्यय और आय व्यवहार को समझने के लिए विश्लेषक विकसित किया है।

घ. **आवास, वाहन और शिक्षा ऋण के लिए लेनदेन आधारित लीड जनरेशन:** ग्राहकों द्वारा किए गए लेनदेन के आधार पर वाहन डीलरों, बिल्डरों और प्रतिष्ठित शिक्षा संस्थानों का उपयोग बैंक के उत्पाद की जानकारी देने के लिए किया जाता है।

ङ. **आरबीआईएच के समन्वय में म्यूल हंटर:** इस मॉडल को बचत खातों के लिए तैनात किया गया है, ताकि म्यूल के रूप में उपयोग किए जा रहे खातों की शीघ्र पहचान की जा सके।

4. **अन्य मुख्य विशेषताएँ:**

क. **खाता एग्रीगेटर एंड डेटा एकत्रीकरण और विश्लेषणात्मक सेवाएँ (डीएएएस):** ग्राहकों की तेज गति वाली जीवनशैली को देखते हुए यह आवश्यक हो गया है कि क्रेडिट मूल्यांकन के लिए सूचना का प्रवाह डिजिटल रूप से किया जा सके।

बैंक ग्राहक केन्द्रीकरण को ध्यान में रखते हुए खाता विवरण तक पहुँचने के लिए **'खाता एग्रीगेटर एंड डेटा एकत्रीकरण और विश्लेषणात्मक सेवाओं'** का बड़े पैमाने पर उपयोग कर रहा है, साथ ही अन्य सेवाओं जैसे आयकर रिटर्न (आईटीआर), आयात निर्यात कोड (आईईसी), उद्यम पंजीकरण, बैंक स्टेटमेंट विश्लेषण, वाहन डेटा सत्यापन, आदि का भी उपयोग कर रहा है। कुछ सुविधाएं जहाँ इनका उपयोग किया जाता है, वे निम्नलिखित हैं:

- डिजिटल होम लोन (डिजी एचएल)
- न्यू टू बैंक पर्सनल लोन (एनटीबी पीएल)
- डिजिटल कार लोन (डिजी सीएल),
- पीएनबी वन
- एनटीबी मुद्रा
- एनटीबी पीएबीएल
- डीआईवाई क्रेडिट कार्ड

ख. **पीएनबी 360 और ग्राहक 360 डैशबोर्ड:** एनालिटिक्स सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (ACoE) ने जहां डैशबोर्ड कारोबार की निगरानी में सहयोग करने के लिए उपलब्ध हैं और तेजी से, अधिक सूचित निर्णय लेने में सक्षम हैं, डेटा एक्सेसिबिलिटी

b. **GEN AI based use cases:** Circular Summarization and Synthetic Audio Generation: summarize daily important circulars and generate pdf and audio file and the same is sent to employee's email.

c. **Statement analyzer:** The team has revamped the analyzer to have better understanding of customer spending earning and investment behavior to help Bank make credit decision for individual customers.

d. **Transaction based lead generation for HL, VL and Education:** Based on the transaction initiated by the customers to Vehicle dealers, Builders and reputed education institutes are used for pitching of the Bank's product.

e. **Mule Hunter in co-ordination with RBiH:** The model is deployed for saving account for early identification of accounts being used as mule.

4. **Other Key Highlights**

a. **Account Aggregator & Data Aggregation and Analytical Services (DAAS):** With the fast-paced lifestyle the customers are having, it has become pertinent that that the flow of the information for credit appraisal can be done digitally.

Keeping customer centricity in focus the Bank has been extensively using **"Account Aggregator & Data Aggregation and Analytical Services"** for accessing the account statement alongwith other services like Income Tax Return (ITR), Import Export Code (IEC), Udyam Registration, Bank Statement Analysis, Vehicle Data Verification, etc. Some of journeys where these are consumed are below:

- Digital Home Loan (DIGI HL),
- New-to-Bank Personal Loan (NTB PL),
- Digital Car Loan (DIGI CL),
- PNB ONE
- NTB Mudra
- NTB PABL
- DIY Credit Card.

b. **PNB 360 and Customer 360 Dashboards:** The Analytics Centre of Excellence (ACoE) has developed the in-house "PNB 360" dashboard to fast-track data accessibility where in dashboards are available to

को तेज करने के लिए इन–हाउस 'पीएनबी 360' डैशबोर्ड विकसित किया है। एकीकृत 'विजिट मॉड्यूल' अंचल और मंडल अधिकारियों द्वारा शाखा दौरे की ट्रैकिंग को भी डिजिटल बनाता है।

इसके अतिरिक्त, 'ग्राहक 360' डैशबोर्ड उच्च–मूल्य वाले ग्राहक डेटा का समेकित दृश्य प्रदान करता है, जो वर्तमान में केंद्र और राज्य सरकार के विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों और एकल नोडल एजेंसी (एसएनए) खातों के लिए केवल दृश्यता मोड में उपलब्ध है। ग्राहक पीडीएफ या एक्सेल प्रारूप में रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हैं। डैशबोर्ड निधि की स्थिति, निधि गतिविधियां, अर्जित ब्याज, टीडीएस कटौती, प्राप्त सुविधाओं और तिमाहियों और वित्तीय वर्षों में टी 1 आधार पर तुलना का दृश्य सारांश प्रदान करता है।

ग. **जोखिम आधारित पर्यवेक्षण (आरबीएस):** आरबीएस पोर्टल को जोखिम–आधारित पर्यवेक्षण के अंतर्गत ट्रांच 1, 2 और 3 के डेटा के लिए एंड–टू–एंड प्रस्तुतिकरण प्रक्रिया को स्वचालित करने के लिए विकसित किया गया था। यह पोर्टल विस्तृत डेटा तक पहुंच की अनुमति देता है, जिससे बैंक को लेखा–परीक्षा के दौरान सहायता मिलती है। ACoE आरबीएस पोर्टल के माध्यम से रखरखाव और डेटा प्रस्तुतिकरण समर्थन के लिए जिम्मेदार है।

घ. **केंद्रीकृत सूचना प्रबंधन प्रणाली (सीआईएमएस):** सीआईएमएस ने भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को विनियामक रिटर्न प्रस्तुत करने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ACoE टीम इस प्लेटफॉर्म का प्रबंधन करती है, तथा केंद्रीकृत डेटा प्रबंधन के माध्यम से यथासमय और सटीक विनियामक अनुपालन सुनिश्चित करती है।

## VI. शाखा नेटवर्क

1. **घरेलू स्थिति:** दिनांक 31 मार्च 2025 तक घरेलू शाखाओं की संख्या 10,189 थी। जनसंख्या–समूह के अनुसार शाखाएँ प्रतिशत हिस्सेदारी सहित विवरण निम्नानुसार है:

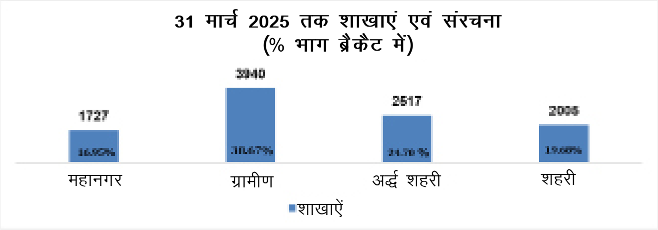


2. **अंतरराष्ट्रीय** : दिनांक 31 मार्च, 2025 तक, बैंक की 6 देशों में विदेशों में उपस्थिति है, जिसमें दुबई में 1 शाखा, गिफ्ट सिटी गुजरात में 1 अन्य शाखा (बैंक के अंतरराष्ट्रीय कारोबार प्रदान करती है), 2 सहायक कंपनियां (लंदन–यूके और भूटान), 1 संयुक्त उद्यम (नेपाल), 2 प्रतिनिधि कार्यालय (म्यांमार और बांग्लादेश)।

support business monitoring and enables faster, more informed decision-making. The integrated "Visit Module" also digitizes branch visit tracking by zonal and circle officials.

In addition, the "Customer 360" dashboard offers a consolidated view of high-value customer data, currently accessible in view-only mode for Central and State Government departments, PSUs, and Single Nodal Agency (SNA) accounts. Customers can download reports in PDF or Excel formats. The dashboard provides visual summaries of fund positions, fund movements, interest earned, TDS deductions, facilities availed, and comparisons over quarters and financial years on a T+1 basis.

c. **Risk-Based Supervision (RBS):** The RBS Portal was developed to automate the end-to-end submission process for Tranche 1, 2, and 3 data under Risk-Based Supervision. The portal allows granular data access, aiding the bank during audits. ACoE is responsible for the maintenance and data submission support through the RBS Portal.

d. **Centralised Information Management System (CIMS):** CIMS has been instrumental in streamlining the submission of regulatory returns to the Reserve Bank of India (RBI). The ACoE team manages this platform, ensuring timely and accurate regulatory compliance through centralized data handling.

## VI. BRANCH NETWORK

1. **Domestic:** As on 31st March, 2025, the number of domestic branches was at 10,189. The population-group wise branches along-with the percentage share are given as under:

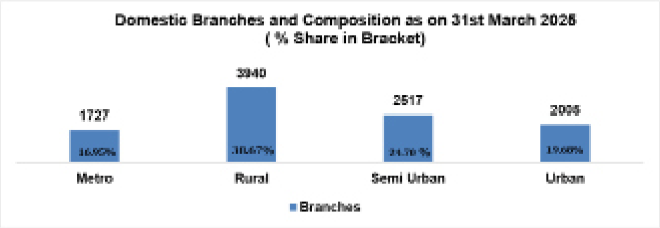


2. **International:** As on 31st March, 2025, the Bank has presence in 6 countries with 1 branch at Dubai, 1 branch at GIFT City Gujarat (caters to the international business of the bank), 2 subsidiaries (London-UK and Bhutan), 1 joint venture (Nepal), 2 representative offices (Myanmar and Bangladesh).

## VII. अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग

दिनांक 31 मार्च, 2025 तक, नई दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता और मुंबई में विदेशी मुद्रा कारोबार को संभालने के लिए अधिकृत 259 प्राधिकृत डीलर (AD) शाखाएँ और 4 व्यापार वित्त केंद्र कार्यरत हैं, जो सभी आवक प्रेषणों के लिए कारोबार लेन–देन और अंतरराष्ट्रीय सेवा शाखा (आईएसबी) के केंद्रीकृत संचालन के विशेषीकृत है।

विदेशी पर्यटकों/एनआरआई द्वारा विदेशी मुद्रा नोटों के नकदीकरण की सुविधा के लिए बैंक के पास इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 1 विनिमय ब्यूरो है।

### 1. घरेलू कारोबार

बैंक ने वित्त वर्ष 2024–25 के लिए ₹1,50,028 करोड़ (निर्यात और आयात एक साथ) का विदेशी मुद्रा कारोबार दर्ज किया।

समग्र रूप से बैंक के आवक विप्रेषणों को संभालने के लिए नई दिल्ली में हमारी एक अंतर्राष्ट्रीय सेवा शाखा (आईएसबी) कार्यरत है वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान, बैंक ने ₹ 80,527 करोड़ का धनप्रेषण कारोबार का संचालन किया।

एनआरई धन प्रेषण की सुविधा के लिए बैंक ने 8 विनिमय गृहों (गल्फ में 5, सिंगापुर, यूके और सेशेल्स प्रत्येक में 1) के साथ रुपया आहरण व्यवस्था (आरडीए) की है।

बैंक ने मनी ट्रांसफर सर्विस स्कीम (एमटीएसएस) के अंतर्गत रिया मनी ट्रांसफर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के साथ धन प्रेषण व्यवस्था भी की है।

एनआरआई कारोबार को बढ़ाने, शिकायतों के समाधान और एनआरआई ग्राहकों के लिए सहायता डेस्क के लिए एक विशेष एनआरआई सेल स्थापित है।

### 2. विदेशी कारोबार

31 मार्च, 2025 तक बैंक का विदेशी कारोबार ₹1,05,877 करोड़ रहा, जो कि 37 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर्शाता है। बैंक की दो अंतरराष्ट्रीय शाखाएँ डीआईएफसी दुबई और गिफ्ट सिटी गांधीनगर में स्थित हैं। अंतरराष्ट्रीय शाखाएँ लाभप्रदता में सुधार के लिए कम क्रेडिट जोखिम भार के साथ एक विविध ऋण पोर्टफोलियो बनाने के लिए उच्च गुणवत्ता वाले मध्यम/दीर्घकालिक आस्तियों पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं।

बैंक की दोनों अंतर्राष्ट्रीय शाखाएं भारतीय और विदेशी ग्राहकों को बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी), विदेशी मुद्रा सावधि ऋण (एफसीटीएल) और व्यापार वित्त उत्पाद प्रदान कर रही हैं।

## VII. INTERNATIONAL BANKING

As on 31st March, 2025, the Bank has 259 Authorized Dealer (AD) branches authorized to handle Foreign Exchange Business which are routing forex transactions through 4 Trade Finance Centers (TFCs) functioning at New Delhi, Chennai, Kolkata & Mumbai. TFCs are specialized for centralized handling of trade transactions and International Service Branch (ISB) is specialized for handling all Inward remittances.

The Bank has 1 Exchange Bureau at Indira Gandhi International Airport to facilitate encashment of Foreign Exchange currency notes by foreign tourists/NRIs.

### 1. Domestic Business

The Bank registered a Foreign Exchange Business Turnover of Rs.1,50,028 Crore (Exports and Imports together) for the FY 2024-25.

The Bank has an International Service Branch (ISB) functioning at New Delhi for handling Inward Remittances of the Bank as a whole. During FY 2024-25, the Bank handled remittance business of Rs. 80,527 Crore.

The Bank has Rupee Drawing Arrangements (RDA) with 8 exchange houses (5 in the Gulf, 1 each in Singapore, UK and Seychelles) to facilitate remittance from NRIs.

The Bank also has remittance arrangement under Money Transfer Service Scheme (MTSS) with Ria Money Transfer Services Pvt. Ltd.

There is a specialized NRI cell for augmenting NRI Business, resolution of complaints and Help Desk for NRI customers.

### 2. Overseas Business

Overseas Business of the Bank stood at Rs.1,05,877 Crore as on 31st March, 2025 registering YoY growth of 37 per cent. The Bank has two international branches at DIFC Dubai and GIFT City Gandhinagar. International branches are focusing on High Quality Medium/ Long term Assets to build a diversified loan portfolio with low Credit Risk Weight to improve profitability and remain sustainable.

Both international branches of the Bank are offering External Commercial Borrowing (ECB), Foreign Currency Term Loan (FCTL) and Trade Finance Products to Indian and Overseas customers.

3. नई पहल

क. **एनआरआई ग्राहक सेवा केंद्रः** वैश्विक मानकों को बनाए रखने और दुनिया भर में एनआरआई की जरूरतों को पूरा करने के लिए, एनआरआई ग्राहक सेवा केंद्र (एनसीएससी) ने दिनांक 23.11.2024 को 24*7 आधार पर अपना परिचालन आरंभ कर दिया है।

ख. **व्यापार वित्त पुनर्परिभाषित पोर्टल (आईबीपीएस) के माध्यम से भौतिक प्रति प्रस्तुत किए बिना निर्यात दस्तावेजों को संभालने की सुविधाः** ग्राहकों को एक सुविधा प्रदान की गई है, जिसमें आरबीआई/बैंक द्वारा अनुमत निर्यात दस्तावेजों के सीधे प्रेषण के मामले में, दस्तावेजों की भौतिक प्रति प्रस्तुत करने से छूट दी गई है।

ग. **निर्यातकों के लिए नई योजनाः** एमएसएमई ग्राहकों के लिए एक नई निर्यात ऋण योजना–एक्सपोर्ट एक्सप्रेस को प्रतिस्पर्धी ब्याज दर, सेवा प्रभार और विनिमय मार्जिन के साथ आरंभ किया गया।

घ. बैंक ने म्यांमार और बांग्लादेश में दस विशेष रुपया वास्ट्रो खाते (SRVA) भी खोले हैं।

ङ. **मल्टीकरेंसी वर्ल्ड ट्रैवल कार्डः** इस उत्पाद की एक अनूठी विशेषता यह है कि इसमें एक ही कार्ड में कई मुद्राएँ लोड की जा सकती हैं। बैंक 6 विदेशी मुद्राओं में कार्ड उपलब्ध करा रहा है।

च. **व्यापार वित्त उत्पादों के लिए व्यापार वित्त पोर्टलः** निर्यातक और आयातक पोर्टल के माध्यम से सभी प्रकार के व्यापार वित्त अनुरोध ऑनलाइन प्रेषित कर सकते हैं

छ. **आईबीएस और एमबीएस के माध्यम से निवासी व्यक्तियों के लिए बाह्य धन प्रेषण सुविधाः** बैंक ने मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से उदारीकृत धन प्रेषण योजना (एलआरएस) के अंतर्गत धन प्रेषण के लिए निवासी व्यक्तियों के लिए बाह्य धन प्रेषण सुविधा शुरू की है।

ज. एनआरआई पोर्टफोलियो बढ़ाने के लिए 50 शाखाओं की पहचान एनआरआई सेवा शाखाओं के रूप में की गई है।

## VIII. कारोबार विविधीकरण

### बीमा कारोबार

1. **जीवन बीमाः** बैंक निम्नलिखित जीवन बीमा कंपनियों के साथ कॉर्पोरेट एजेंसी समझौते के अंतर्गत जीवन बीमा कारोबार करता हैः

क. पीएनबी मेटलाईफ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (पीएमएलआई)

ख. भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी)

वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान कमीशन से प्राप्त आय रुपये 358.45 करोड़ रही, जबकि वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान यह रुपये 338.24 करोड़ थी, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 6.0 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है।

3. New Initiatives

a. **NRI Customer Service Centre:** To keep up with the global standards and cater to the needs of NRIs across the world, NRI Customer Service Centre (NCSC) has started its operations on 24*7 basis on 23.11.2024.

b. **Facility for handling of export documents without submission of Physical copy through Trade Finance Redefined Portal (IBPS):** A facility has been provided to customers, wherein, in case of direct dispatch of export documents permitted by RBI/Bank, submission of physical copy of documents has been exempted.

c. **New scheme for exporters:** A new export credit scheme-Export Express for MSME customers was launched with competitive rate of interest, service charges & exchange margin.

d. The Bank has also opened ten Special Rupee Vostro Account (SRVA) accounts in Myanmar and Bangladesh.

e. **Multicurrency World Travel Card:** The product has a unique feature of multiple currencies loaded in a single card. Bank is offering the cards in 6 foreign currencies.

f. **Trade Finance portal for Trade Finance Products:** Exporter and Importer can submit online all types of trade finance request through the portal

g. **Outward Remittance Facility for Resident Individuals through IBS & MBS:** The Bank has launched Outward Remittance Facility for resident individuals for remitting funds under Liberalised Remittance Scheme (LRS) through Mobile Banking.

h. 50 branches have been identified as NRI service branches to increase NRI portfolio.

## VIII. BUSINESS DIVERSIFICATION

### Insurance Business

1. **Life Insurance:** The Bank solicits Life Insurance Business under Corporate Agency Agreement with the following Life Insurance companies:

a. PNB MetLife India Insurance Co. Ltd (PMLI)

b. Life Insurance Corporation of India (LIC)

During FY 2024-25, income from commission stood at Rs.358.45 Crore against Rs. 338.24 Crore during FY 2023-24 showing the YoY growth of 6.0 per cent.

2. **गैर–जीवन बीमा:** बैंक निम्नलिखित बीमा कंपनियों के साथ कॉर्पोरेट एजेंसी समझौते के अंतर्गत गैर–जीवन बीमा कारोबार करता है:

क. ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (ओआईसीएल),

ख. बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (बीएजीआईसी),

ग. चोलामंडलम एमएस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (चोला एमएस),

घ. केयर हेल्थ इंश्योरेंस लिमिटेड (सीएचआईएल)

ङ. स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (एसएचआईसीएल)।

वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान, कमीशन से प्राप्त आय वित्त वर्ष 2023–24 के ₹109.86 करोड़ की तुलना में ₹113.86 करोड़ रही, जो पिछले वर्ष की तुलना में 3.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है।

3. **म्यूचुअल फंड:** बैंक सुंदरम एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, निप्पॉन लाइफ एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड, यूटीआई एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, आदित्य बिड़ला सनलाइफ एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, एलआईसी म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड, डीएसपी एसेट मैनेजर्स प्राइवेट लिमिटेड और फ्रैंकलिन टेम्पलटन एसेट मैनेजमेंट (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड जैसी एसेट मैनेजमेंट कंपनियों के म्यूचुअल फंड उत्पादों का वितरक है।

बैंक ने अपने सभी ग्राहकों को ऑनलाइन म्यूचुअल फंड निवेश और रोबो–सलाहकार सेवाएं प्रदान करने के लिए फिनविजार्ड टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड (FISDOM) के साथ साझेदारी की है। इस व्यवस्था के एक भाग के रूप में, FISDOM राजस्व साझेदारी के आधार पर कमीशन के माध्यम से बैंक को क्षतिपूर्ति प्रदान करता है।

वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान कमीशन से आय ₹ 11.27 करोड़ होगी, जबकि वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान यह ₹ 8.60 करोड़ थी, जो पिछले वर्ष की तुलना में 31 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है।

4. **डिपॉजिटरी सेवाएँ:** एक डिपॉजिटरी प्रतिभागी के रूप में बैंक एनएसडीएल और सीडीएसएल की डीमैट सेवाएं प्रदान करता है और चार ट्रेडिंग चौनल प्रतिभागियों जैसे एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज लिमिटेड, जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, आदित्य बिड़ला मनी लिमिटेड और आईडीबीआई कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटीज लिमिटेड के साथ गठजोड़ के माध्यम से ट्रेडिंग सेवाएं प्रदान करता है।

31 मार्च 2025 तक बैंक के पास कुल 2.19 लाख डीमैट खाते और 1.02 लाख ट्रेडिंग खाते हैं। वित्त वर्ष 2024–25 में डिपॉजिटरी सेवाओं से अर्जित आय ₹6.07 करोड़ है।

2. **Non-Life Insurance:** The Bank solicits Non-Life Insurance Business under Corporate Agency Agreement with following insurance companies

a. The Oriental Insurance Co. Ltd. (OICL),

b. Bajaj Allianz General Insurance Co. Ltd. (BAGIC),

c. Cholamandalam MS General Insurance Co. Ltd. (CHOLA MS),

d. Care Health Insurance Ltd. (CHIL)

e. Star Health & Allied Insurance Co. Ltd. (SHICL).

During FY 2024-25, income from commission is Rs.113.86 Crore against Rs. 109.69 Crore during FY 2023-24 registering YoY growth of 3.8 per cent.

3. **Mutual Funds:** The Bank is a distributor of Mutual Fund products of the Asset Management Companies namely Sundaram Asset Management Company Limited, Nippon Life Asset Management Limited, UTI Asset Management Company Limited, Aditya Birla Sunlife Asset Management Company Limited, LIC Mutual Fund Asset Management Limited, DSP Asset Managers Private Limited and Franklin Templeton Asset Management (India) Private Limited.

The Bank has partnered with Finwizard Technology Private Limited (FISDOM) to offer online mutual fund investment and robo-advisory services to all its customers. As part of the arrangement, FISDOM compensates the Bank through a commission on revenue sharing basis.

During FY 2024-25, income from commission is Rs.11.27 Crore against Rs. 8.60 Crore during FY 2023-24 showing YoY growth of 31 per cent.

4. **Depository Services:** The Bank offers Demat services as a Depository participant of NSDL and CDSL and trading services through tie-up with four trading channel partners viz., SMC global Securities Ltd., Geojit financial Services ltd., Aditya Birla Money Ltd. and IDBI Capital Market & Securities Ltd.

The Bank is having total 2.19 Lakh Demat account and 1.02 Lakh trading account as on 31st March, 2025. Income earned in FY 2024-25 from Depository services is Rs. 6.07 Crore.

5. **अवरुद्ध राशि द्वारा समर्थित एप्लिकेशन (ASBA) और मर्चेंट बैंकिंग :** बैंक के पास बैंकर टू इश्यू, डिबेंचर ट्रस्टी और मर्चेंट बैंकर के रूप में कार्य करने का लाइसेंस है। वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान 528 मामलो का निस्तारण किया गया, जबकि वित्त वर्ष 2023–24 में 427 मामलो का निस्तारण किया गया था।

वित्त वर्ष 2024–25 में ASBA के माध्यम से अवरुद्ध राशि ₹1,00,211 करोड़ थी, जबकि वित्त वर्ष 2023–24 में यह ₹45,716.29 करोड़ थी।

वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान, ASBA कारोबार से ₹2.18 करोड़ की आय अर्जित की गई, जबकि वित्त वर्ष 2023–24 में यह ₹0.78 करोड़ थी।

6. **रक्षा कारोबारः** भारतीय सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों और पुलिस बलों के साथ पीएनबी के बैंकिंग कारोबार को मजबूत करने के लिए रक्षा कारोबार प्रकोष्ठ (डीबीसी) की स्थापना की गई है। वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान, रक्षा वर्टिकल से बैंक के कारोबार ने CASA, सावधि जमा और खुदरा ऋण जैसे शीर्षकों के अंतर्गत क्रमशः 19.28 प्रतिशत, 15.85 प्रतिशत और 21.34 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाई है।

7. **सरकारी कारोबार वर्टिकल (जीबीवी)ः** 21 जीबीवी ने कुल 8,731 नए सरकारी खाते खोले हैं; 54,455 नए बचत खाते खोले हैं। जीबीवी ने ₹1033 करोड़ के खुदरा ऋण भी जुटाए हैं तथा सरकारी विभागों को ₹30,829 करोड़ के ऋण और अग्रिम स्वीकृत किए गए हैं।

8. **नई पहल**

क. बीमा कारोबारः

i. **टेलीमार्केटिंगः** टेलीमार्केटिंग सेवा का उपयोग अब नए और नवीकरण ग्राहकों के लिए किया जाता है। पहले इस सेवा का उपयोग केवल नवीनीकरण उत्पाद के लिए किया जाता था।

ii. **मशीन लर्निंगः** बैंक कारोबार वृद्धि के लिए एआई आधारित मशीन लर्निंग पर काम कर रहा है।

ख. **डिपॉजिटरी और एएसबीए (ASBA) बिजनेस–डिस्काउंट ब्रोकरेजः**

i. **बैंक ने सिंगल जर्नी डीमैट और ट्रेडिंग खाता खोलने की सुविधा शुरू की हैः** इसमें पीएनबी के साथ डीमैट खाता और ट्रेडिंग चैनल पार्टनर के साथ ट्रेडिंग खाता खोला जाएगा। यह सुविधा IBS और MBS दोनों में मेसर्स आदित्य बिड़ला मनी लिमिटेड के साथ उपलब्ध है।

ii. **बैंक ने लीन एवं ट्रेड उत्पाद शुरू कियाः** इस उपर्युक्त सुविधा में ग्राहक, अग्रिम नकद मार्जिन सुविधा

5. **Application Supported by Blocked Amount (ASBA) & Merchant Banking:** The Bank has license to act as Banker to Issue, Debenture Trustee and Merchant Banker. During FY 2024-25, 528 number of issues were handled as against 427 in FY 2023-24.

The amount blocked through ASBA was Rs.1,00,211 Crore in FY 2024-25 against Rs. 45,716 Crore in FY 2023-24.

During FY 2024-25, income of Rs.2.18 Crore was earned from ASBA business against Rs.0.78 Crore in the FY 2023-24.

6. **Defense Business:** Defense Business Cell (DBC) is established for strengthening PNB's banking business with Indian Armed forces, Paramilitary and Police forces. During FY 2024-25, the Bank's business from Defense Vertical has shown growth under the heads such as CASA, Term Deposits and Retail Loans showed the growth of 19.3 per cent, 15.9 per cent and 21.3 per cent respectively.

7. **Government Business Vertical (GBV):** 21 GBVs have sourced total new 8,731 Government Accounts; 54,455 new Savings Accounts. GBVs have also canvassed Retail Loans of Rs.1033 Crore and Loans & Advances to Government Departments of Rs. 30,829 Crore were sanctioned.

8. **New Initiatives**

a. **Insurance Business:**

i. **Telemarketing:** Telemarketing service is now used for new as well as renewal customers. Earlier the service was used only for renewal product.

ii. **Machine learning:** The Bank is working on AI based machine learning lead for business growth.

b. **Depository & ASBA Business-Discount brokerage:**

i. **Bank has launched Single Journey Demat & trading account opening:** In this Demat account will be opened with PNB and trading account with trading channel partner in a seamless journey. The functionality is live with m/s Aditya Birla money Ltd in both IBS & MBS.

ii. **Bank has launched Lien & trade product:** In this aforesaid facility the client

को छोड़कर, सीबीएस में उनके द्वारा अवरुद्ध राशि तक बिना किसी परेशानी के ट्रेडिंग सुविधा का आनंद ले सकते हैं। ग्राहक द्वारा ट्रेडिंग करने हेतु अवरुद्ध की गई निधि की राशि ईओडी पर केवल उनके जुड़े हुये सक्रिय खाते से डेबिट की जाएगी। यह सुविधा अब मेसर्स आदित्य बिड़ला मनी लिमिटेड के साथ लाइव है।

## IX. सरकारी कारोबार

केन्द्र और राज्यों से लाभार्थियों तक निधि अंतरण को सुगम बनाने में अधिक सक्रिय भूमिका निभाने के लिए, बैंक ने एक विशेष सरकारी कारोबार विभाग (जीबीडी) की स्थापना की है। यह पेंशन प्रसंस्करण और संवितरण, सरकारी लघु बचत योजनाएं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर संग्रह, तथा करेंसी चेस्ट संचालन सहित विभिन्न कार्यों का प्रबंधन करता है। इसके अतिरिक्त, बैंक 9 केन्द्रीय सरकारी विभागों के लिए मान्यता प्राप्त बैंकर के रूप में कार्य करता है तथा राज्य सरकारों की विशिष्ट वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उनके साथ अपने सहयोग को मजबूत करता रहता है।

**सरकारी कारोबार के अंतर्गत की गई प्रमुख पहलें निम्नानुसार हैं:**

1. बैंक लगभग 6.15 लाख पेंशनभोगियों अर्थात् केन्द्र सरकार, रक्षा, रेलवे, दूरसंचार और राज्य सरकार को पेंशन वितरित कर रहा है।

2. **राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस):** बैंक की सभी शाखाएँ एनपीएस लेनदेन के लिए सक्षम हैं। एनपीएस पंजीकरण और योगदान के लिए ऑनलाइन सुविधाएँ वेबसाइट (https://www.pnbindia.in/nps.html) के साथ–साथ पीएनबी वन ऐप के माध्यम से भी उपलब्ध हैं। 31 मार्च, 2025 तक जुड़े एनपीएस ग्राहकों की कुल संख्या 1,30,685 है। बैंक कॉर्पोरेट मॉडल के तहत 27 कॉर्पोरेट्स को एनपीएस सुविधाएँ भी प्रदान कर रहा है।

3. **सरकारी ई–मार्केट प्लेस (जीईएम):** बैंक विक्रेताओं और खरीदारों को सरकारी ई–मार्केट प्लेस पर जीपीए (जीईएम पूल खाता), ई–पीबीजी (प्रदर्शन बैंक गारंटी) और ई–ईएमडी (बयाना राशि जमा) की सुविधाएं प्रदान कर रहा है।

4. **लोक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस):** बैंक ने पीएफएमएस के माध्यम से पीएम किसान सम्मान निधि के तहत लगभग 84 लाख लाभार्थियों को समय पर ₹1671 करोड़ की धनराशि वितरित की है।

5. सक्रिय विपणन के माध्यम से, वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान 43,091 पीपीएफ, 61,438 एसएसए और 71,888 वरिष्ठ नागरिक बचत खाते खोले गए।

6. बैंक विभिन्न राज्यों के साथ एकीकरण करते हुये उनके साइबर ट्रेजरी पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन और ऑफलाइन करों का संग्रह कर रहा है। 19 राज्यों में वैट का संग्रह किया जा रहा है।

can enjoy the hassle-free trading facility up to the amount blocked by them in CBS, except the upfront cash margin facility. The amount of fund the client has blocked and has done trading will only be debited from their operative linked account at the EOD. This facility is now live with M/s Aditya Birla Money Limited.

## IX. GOVERNMENT BUSINESS

To take a more proactive role in facilitating fund transfers from the Centre and States to beneficiaries, the Bank has set up an exclusive Government Business Department (GBD). It manages various functions, including pension processing and disbursement, government small savings schemes, direct and indirect tax collections, and currency chest operations. Additionally, the Bank serves as an accredited banker for nine Central Government departments and continues to strengthen its collaborations with State Governments to address their specific financial needs.

**Key Initiatives taken up under Government Business are as under:**

1. The Bank is disbursing pension of approximately 6.15 lakh pensioners i.e. Central Government, Defense, Railways, Telecom and State Government.

2. **National Pension System (NPS):** All the Branches are enabled for NPS transactions. Online facilities for NPS Registration and Contribution is also available through website (https://www.pnbindia.in/nps.html) as well as PNB ONE App. Total number of NPS subscribers associated as on 31st March, 2025 is 1,30,685. The Bank is also providing NPS facilities to 27 corporates under Corporate Model.

3. **Govt. e-Market Place (GeM):** The Bank is providing the facilities of GPA (GeM Pool Account), e-PBG (Performance Bank Guarantee) & e-EMD (Earnest Money Deposit) on Government e-Marketplace to sellers and purchasers.

4. **Public Financial Management System (PFMS):** The Bank has timely disbursed funds of Rs.1671 Crore to about 84 Lakh beneficiaries under PM Kisan Samman Nidhi through PFMS.

5. Through active marketing, 43,091 PPF, 61,438 SSA and 71,888 Senior Citizen Savings Accounts were opened during the FY 2024-25.

6. Integration with various states and collecting online and offline taxes through their Cyber Treasury Portal. Collection of VAT is being done in 19 States.

7. **करों का संग्रह (प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष)** अखिल भारतीय आधार पर ऑफलाइन एवं ऑनलाइन माध्यम से किया जा रहा है। बैंक केंद्र और राज्य सरकार के लिए करों का प्रमुख संग्रहकर्ता है।

8. **पीएनबी सहायक पोर्टल** पेंशनभोगियों के लिए निम्नलिखित सुविधाओं के साथ 07 नवंबर 2024 को लॉन्च किया गया:

   ए) पीएनबी कॉर्पोरेट वेबसाइट के माध्यम से पेंशन पर्ची और फॉर्म 16।

   बी) सिविल, रेलवे और रक्षा पेंशनभोगियों के लिए नया ईपीपीओ कार्यान्वयन।

   सी) जीवन प्रमाण पत्र (एलसी) स्थिति।

   डी) 6वें और 7वें केंद्रीय वेतन आयोग (सीपीसी) संशोधन।

   ई) पेंशन से संबंधित अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) आदि।

9. **एनपीएस वात्सल्य:** पीएफआरडीए द्वारा विनियमित और प्रशासित बचत सह पेंशन योजना सभी नाबालिग नागरिकों (18 वर्ष से कम आयु) के लिए शुरू की गई थी, जिसमें न्यूनतम अंशदान ₹1000 है और कोई अधिकतम सीमा नहीं है।

## X. ट्रेजरी परिचालन

31 मार्च, 2025 तक बैंक का सकल घरेलू निवेश ₹ 4,92,305 करोड़ रहा, जो पिछले वर्ष की तुलना में 16.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

1. **सिस्टम तरलता का अवलोकन:** वित्त वर्ष 2024–25 में, भारतीय बैंकिंग प्रणाली ने औसतन H1 वित्त वर्ष 2024–25 में अधिशेष तरलता का अनुभव किया। हालाँकि, बाद में यह H2 FY 2024–25 में 3 लाख करोड़ तक बढ़ गया क्योंकि आरबीआई ने घरेलू इक्विटी बाजार में लगातार एफआईआई की बिक्री के बीच डॉलर बेचे। तरलता को कम करने के लिए, आरबीआई ने नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) में 50 बीपीएस की कटौती, खुला बाजार परिचालन (OMO) खरीद, दैनिक और दीर्घकालिक परिवर्तित रेपो परिचालन (VRR) और USD INR खरीद–बिक्री स्वैप जैसी पहल की है। जिसके परिणामस्वरूप, धीरे–धीरे तरलता की स्थिति में सुधार हुआ और वित्तीय वर्ष 2024–25 अधिशेष में समाप्त हुआ।

2. **निश्चित आय (एसएलआर/एनएसएलआर):** जेपी मॉर्गन इमर्जिंग मार्केट बॉन्ड इंडेक्स में सरकारी प्रतिभूतियों को शामिल करने से बढ़े हुए प्रवाह और विकास को समर्थन देने के लिए आरबीआई के दर कटौती चक्र की शुरुआत के कारण 10 वर्षीय बेंचमार्क उपज 31 मार्च, 2024 को 7.06% से 48 बीपीएस घटकर 31 मार्च, 2025 को 6.58 प्रतिशत हो गई। मुद्रास्फीति में कमी आने के कारण आरबीआई ने फरवरी 2025 में नीतिगत दर को 25 बीपीएस घटाकर 6.25 प्रतिशत कर दिया।

7. **Collection of taxes (Direct & Indirect)** is being done through offline and online modes on PAN India Basis. The Bank is one of the major collectors of taxes for Central & State Government.

8. **PNB Sahayak Portal** was launched on 7th November, 2024 having following functionalities for pensioners:

   a) Pension slip and Form 16 through PNB Corporate website.

   b) New EPPO implementation for Civil, Railway and Defence pensioners.

   c) Life Certificate (LC) Status.

   d) 6th and 7th Central Pay Commission (CPC) revision.

   e) Pension related Frequently Asked Questions (FAQs) etc.

9. **NPS Vatsalya:** A saving cum pension scheme regulated and administered by the PFRDA was launched for all minor citizens (age below 18 years) with minimum contribution of Rs.1000/- and there is no maximum limit.

## X. TREASURY OPERATIONS

The Bank's Gross Domestic Investments stood at Rs.4,92,305 Crore as on 31st March, 2025 registering YoY growth of 16.3 per cent.

1. **Overview of System liquidity:** In FY 2024-25, the Indian banking system on an average experienced surplus liquidity in H1 FY 2024-25. However, it subsequently turned deficit to as high as Rs.3 Lakh Crore in H2 FY 2024-25 as RBI sold dollars amid persistent FII selling in domestic equity market. To ease the liquidity RBI has taken initiatives such as Cash Reserve Ratio (CRR) cut by 50 bps, Open Market Operations (OMO) purchases, daily & long term Variable Repo Operations (VRR) and USD INR buy-sell swaps. As a result of which, liquidity situation gradually improved and ended the financial year 2024-25 in surplus.

2. **Fixed Income (SLR/NSLR):** The 10 Year benchmark yield eased by 48 bps from 7.06 per cent as on 31st March, 2024 to 6.58 per cent as on 31st March, 2025 due to increased inflows from inclusion of Government Securities in JP Morgan Emerging Market Bond Index and initiation of the Regulator's rate cutting cycle in order to support growth. The RBI reduced policy rate by 25 bps in February 2025 to 6.25 per cent as inflation eased.

तरलता में सुधार और मुद्रास्फीति के आरबीआई के लक्ष्य सीमा (बैंड) 2-6 प्रतिशत के अंदर आने के बीच 10–वर्षीय एएए (पीएसयू और एफआई और बैंक) 31 मार्च, 2024 को 7.40 प्रतिशत से घटकर 31 मार्च, 2025 को 7.10 प्रतिशत हो गई।

3. **इक्विटी:** इक्विटी मार्केट ने 1996 के बाद से 29 वर्षों में अपना सबसे खराब मासिक प्रदर्शन दर्ज किया, जो अक्टूबर 2024–फरवरी 2025 तक लगातार पांच महीनों के लिए घाटे में रहा। एसएंडपी बीएसई सेंसेक्स 77,414.92 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी50, 31 मार्च, 2025 को 23,519.35 पर बंद हुआ। पिछले एक साल में, एसएंडपी बीएसई सेंसेक्स में 5.11 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि निफ्टी 50 में 5.34 प्रतिशत की तेजी आई।

4. **विदेशी मुद्रा:** वित्त वर्ष 2024–25 में भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 2.48 प्रतिशत की गिरावट के साथ 85.47 पर बंद हुआ।

   निरंतर प्रवाह के बीच विदेशी मुद्रा बाजार के विभिन्न क्षेत्रों में आरबीआई के संभावित हस्तक्षेप ने कैलेंडर वर्ष (सीवाई) 2024 में भारतीय रुपये को सबसे स्थिर मुद्राओं में से एक बना दिया है। हालांकि, इसके परिणामस्वरूप विदेशी मुद्रा भंडार में महत्वपूर्ण गिरावट आई।

   नवंबर 2024 में ट्रम्प की राष्ट्रपति पद की जीत के बाद, मजबूत डॉलर और घरेलू इक्विटी से विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) की लगातार बिक्री के बीच रुपया फरवरी 2025 में 87.95 के निचले स्तर तक गिर गया। उल्लेखनीय रूप से, नवंबर 2024 की तुलना में दिसंबर 2024 में भारतीय रुपये में लगभग 1.34 प्रतिशत की तीव्र गिरावट घरेलू बैंकिंग प्रणाली में मार्च 2025 के मध्य तक तरलता की कमी और वैश्विक बाजारों में बढ़ती अस्थिरता के बीच डॉलर के सुदृढ़ीकरण के प्रति आरबीआई की बढ़ती सहनशीलता की ओर संकेत करती है।

   बढ़ती भू–राजनीतिक अनिश्चितताओं और ट्रम्प के पारस्परिक टैरिफ के बीच सभी प्रमुख मुद्राएं अस्थिर रहीं।

## XI. ग्राहक सेवा

ग्राहक सेवा एक व्यावसायिक दृष्टिकोण है जो ग्राहक को सभी बैंकिंग परिचालनों और निर्णयों के केंद्र में रखता है। इसमें बैंक के ग्राहकों की विशिष्ट आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं को पूरा करने के लिए उत्पादों, सेवाओं और प्रक्रियाओं को तैयार करना शामिल है। बैंक ग्राहक सेवा के महत्व को पूरी तरह से समझता है और ग्राहकों को शीघ्र और कुशल सेवा प्रदान करने को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है।

हमारे बैंक की प्राथमिक जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना है कि सभी शिकायतें विभिन्न चैनलों जैसे संपर्क केंद्र, डाक, ईमेल, केंद्रीकृत हमारे बैंक की प्राथमिक जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना है कि संपर्क केंद्र, डाक, ईमेल, **केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (CPGRAMS)**, एकीकृत शिकायत निवारण तंत्र

The 10-year AAA (Public Sector Undertakings (PSUs) & Financial Institutions (FIs) & Banks) eased from 7.40 per cent as on 31st March, 2024 to 7.10 per cent as on 31st March, 2025 amidst liquidity improvement and inflation coming in the RBI target band of 2-6 per cent.

3. **Equity:** Equity Market registered its worst monthly run in 29 years since 1996, extending losses for five straight months from October 2024-Februaray 2025. The S&P BSE Sensex closed at 77,414.92, while the Nifty 50 closed at 23,519.35 on 31st March, 2025. Over the past one year, the S&P BSE Sensex gained 5.11 per cent while the Nifty 50 surged by 5.34 per cent.

4. **Forex:** The Indian Rupee ended FY 2024-25 at 85.47, registering a fall of 2.48 per cent against the US dollar.

   Likely RBI interventions in different segments of the foreign exchange market amid continued outflows made Indian Rupee as one of the most stable currencies in Calendar Year (CY) 2024.This, however, resulted in a significant drawdown in forex reserves.

   After Trump's Presidential victory in November 2024, rupee depreciated to a low of 87.95 in February 2025 amid stronger dollar and persistent Foreign Institutional Investors (FII) selling from domestic equities. Notably, the sharper depreciation of the Indian Rupee by approximately 1.34 per cent in December 2024 over November 2024 indicates RBI's increasing tolerance towards the strengthening of the dollar amidst tight liquidity till mid-March 2025 in the domestic banking system and increased volatility in global markets.

   All the major currencies remained volatile amidst growing geopolitical uncertainties and Trump's reciprocal tariff.

## XI. CUSTOMER CARE

Customer Service is a business approach that places the customer at the center of all banking operations and decisions. It involves tailoring products, services, and processes to meet the specific needs and preferences of the bank's customers. The Bank fully realizes the importance of customer service and continues to lay utmost priority to render prompt and efficient service to customers.

The primary responsibility of the Bank is to ensure that all the grievances directed towards Bank through various channels like Contact Centre, Post, Email, **Centralized Public Grievance Redress and Monitoring System (CPGRAMS), Integrated Grievance Redressal**

(INGRAM), इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, वेबसाइट, सोशल मीडिया, एमडी और सीईओ, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI), विभिन्न मंत्रालयों/मंचों आदि को ईमेल जैसे विभिन्न चैनलों के माध्यम से बैंक को भेजी गई सभी शिकायतें बैंक के ऑनलाइन शिकायत पोर्टल (CGRMS/CRM) में दर्ज की जाती हैं। इन शिकायतों का निपटारा बैंक की शिकायत निवारण नीति के अनुसार सख्ती से किया जाता है।

शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए, बैंक ने अंचल कार्यालयों (अं. का.) में उप महाप्रबंधक के पद के अधिकारी और मंडल कार्यालयों में मुख्य प्रबंधक पद के अधिकारी को मुख्य ग्राहक कार्यकारी अधिकारी (सीसीईओ) नियुक्त किया है, जिनसे ग्राहक अपनी शिकायतों के निवारण के लिए संपर्क कर सकते हैं। सीसीईओ के संपर्क विवरण बैंक की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित किए गए हैं।

सभी शाखाओं और मंडल कार्यालयों में ग्राहक सेवा की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए **ग्राहक सेवा समितियां** मौजूद हैं। ये समितियां मासिक आधार पर बैठक करती हैं और कर्मचारियों तथा ग्राहकों को सेवा–संबंधी मुद्दों पर खुली चर्चा के लिए मंच प्रदान करती हैं। ये समितियां फीडबैक की समीक्षा करती हैं और बेहतर ग्राहक अनुभव को बढ़ावा देने के लिए सुधार का सुझाव देती हैं।

बैंक की एक मासिक पत्रिका **'ग्राहक बोलता है'** भी है, जिसमें ग्राहकों द्वारा दर्ज की गई चुनिंदा शिकायतों और उन पर की गई कार्रवाईध्शिकायतकर्ताओं को प्रदान किए गए समाधान प्रकाशित किए जाते हैं। हम पत्रिका में बैंक के अधिकारियों की सेवा की सराहना करते हुए ग्राहकों से प्राप्त प्रशंसा पत्रों का भी उल्लेख करते हैं।

**थीम आधारित बैठकों** के अतिरिक्त, जो पूर्व–निर्धारित तिथि पर शाखाओं में मासिक अंतराल पर आयोजित की जाती हैं, बैंक **ग्राहक संतुष्टि** सर्वेक्षण भी आयोजित करता है और बेहतर ग्राहक सेवा हेतु फीडबैक के आधार पर उपयुक्त उपाय करता है।

कॉल सेंटर में **ग्राहक सेवा एजेंटों (सीएसए)** को ग्राहक की कॉल को कुशलतापूर्वक संभालने की उनकी क्षमता बढ़ाने के लिए नियमित प्रशिक्षण सत्रों से गुजरना पड़ता है। इन सत्रों से यह सुनिश्चित होता है कि वे उत्पादों और सेवाओं के बारे में सटीक और अद्यतन जानकारी प्रदान करें, जिससे वे ग्राहकों की छोटी–छोटी समस्याओं को भी प्रभावी ढंग से हल करने में सक्षम हो सकें।

बैंक के पास **गुरुग्राम और नोएडा में अत्याधुनिक प्राथमिक संपर्क केंद्र** हैं, जहाँ दो प्रमुख सेवा प्रदाताओं के माध्यम से 24 x 7 x 365 आधार पर अपने ग्राहकों को टेली–बैंकिंग सेवाएँ प्रदान की जाती हैं। इन दो प्राथमिक साइटों के अतिरिक्त, बैंक ने अपने ग्राहकों को 13 भाषाओं में टेली–बैंकिंग सेवाएँ प्रदान करने के लिए देहरादून और भोपाल में दो द्वितीयक संपर्क केंद्र भी स्थापित किए हैं।

दो ऑनलाइन पोर्टल हैं, **अर्थात् सीजीआरएमएस पोर्टल और संपर्क केंद्र का सीआरएम पोर्टल**। सीजीआरएमएस पोर्टल और सीआरएम पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों की प्रकृति मुख्यतः क्रमशः गैर–डिजिटल और डिजिटल लेनदेन से संबंधित है।

**Mechanism (INGRAM),** Internet Banking, Mobile Banking, Website, Social Media, e-mail to MD & CEO, Reserve Bank of India (RBI), various ministries/forums etc. are entered in the **Online Grievance Portal (CGRMS/CRM)** of the Bank. These complaints are dealt strictly in accordance with Bank's Grievance Redressal Policy.

For faster resolution of complaints, the Bank has designated Chief Customer Executive Officer (CCEO) with the rank of Dy. General Manager at Zonal Offices (ZOs) and Chief Manager at Circle Offices who can be approached by the customers for redressal of their grievances. The contact details of CCEOs have also been displayed at Bank's website.

**Customer Service Committees** are present in all branches and Circle Offices to assess the quality of customer service. These committees meet on monthly basis and provide platform for staff and customers to engage in open discussions about service-related issues. These committees review feedback and suggest improvements for fostering a better customer experience.

The Bank also has a monthly magazine **"Customer Speaks"** in which selected complaints filed by customers and the action taken/resolution provided to the complainants are published. We also mention in the magazine about the appreciation letters received from the customers appreciating the service of officials of the Bank.

Apart from Theme **Based Meetings** which are conducted at monthly intervals in branches on a pre-decided date, the Bank also conducts Customer Satisfaction Surveys and take suitable measures based on feedback for better customer service.

**Customer Service Agents (CSAs)** at the Call Centre undergo regular training sessions to enhance their ability to handle customer calls efficiently. These sessions ensure they provide accurate and up-to-date information about products and services, enabling them to effectively resolve even the minor customer concerns.

The Bank has **State-Of-The-Art Primary Contact Centers at Gurugram and Noida** to provide tele-banking services to its customers on 24 x 7 x 365 basis through two leading Service Providers. In addition to these two Primary Sites, the Bank has also established two Secondary Contact Centers at Dehradun and Bhopal to provide tele-banking services to its customers in 13 languages.

There are two online portals i.e., **CGRMS Portal and Contact Centre's CRM Portal.** The nature of complaints received at CGRMS Portal and CRM Portal are largely Non-Digital & Digital transaction related respectively.

वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान कुल 16,80,324 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से 5,40,494 शिकायतों का समाधान उनकी प्राप्ति के T+1 दिनों के भीतर कर दिया गया। इसलिए इन्हें आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार शिकायत नहीं माना गया है।

इसलिए, वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान प्राप्त कुल शिकायतों की संख्या 11,39,830 है। वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान प्राप्त और निपटाए गए शिकायतों का विवरण इस प्रकार है:

| विवरण | गणना* |
|---|---|
| वर्ष के आरंभ में लंबित शिकायतों की संख्या | 32,351 |
| वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या | 11,39,830 |
| वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या | 11,43,326 |
| वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या | 28,855 |

*उन शिकायतों को छोड़कर जिनका समाधान प्राप्ति के T+1 दिनों के भीतर कर दिया गया हो।

**ग्राहक सेवा में सुधार के लिए वर्ष के दौरान की गई पहल**

1. बैंक की नई/मौजूदा सेवा के बारे में नवीनतम जानकारी प्रदान करने के लिए लाइव एजेंट के साथ चौट की सुविधा शुरू की गई।

2. ग्राहक सेवा अनुभव पर प्रदर्शन को ट्रैक करने और क्षेत्र स्तर पर बेहतर ग्राहक सेवा को बढ़ावा देने के लिए पात्र शाखा को पुरस्कृत करने के लिए ग्राहक अनुभव के लिए पुरस्कार और प्रेरणा कार्यक्रम विकसित किया गया है।

3. दिव्यांगजन ग्राहकों की सुविधा के लिए, शाखा में सेवाओं का लाभ उठाने के लिए संपर्क केंद्र के माध्यम से अग्रिम में समय स्लॉट बुक करने की सुविधा शुरू की गई।

4. **शाखा के माध्यम से ग्राहकों की प्रतिक्रिया** प्राप्त करने की कार्यक्षमता विकसित की गई है और इसे एकल डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत किया गया है। यह नई क्यू आर आधारित कार्यक्षमता शाखाओं को उन **ग्राहकों की प्रतिक्रिया** प्राप्त करने में सक्षम बनाती है जो बैंक की किसी भी सेवा का लाभ उठाने के लिए शाखा परिसर में आते हैं।

5. बेहतर ग्राहक सेवा प्रदान करने के लिए संपर्क केंद्रों में बैंक कर्मचारियों से युक्त **हाइब्रिड–स्क्वाड** की स्थापना की गई है।

## XII. राजभाषा का कार्यान्वयन

पंजाब नैशनल बैंक हिंदी को राजभाषा के रूप में लागू करने में अग्रणी रहा है। बैंक राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशों के साथ–साथ राजभाषा पर संसदीय समिति और वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय के दिशा–निर्देशों का पालन करने के लिए समर्पित है। इसने राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी वित्तीय वर्ष 2024–25 के वार्षिक कार्यक्रम में रेखांकित अधिकांश लक्ष्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया है।

A total of 16,80,324 complaints were received during the FY 2024-25, out of which 5,40,494 complaints were resolved within T+1 days of its receipt. As such, these have not been treated as complaints in terms of RBI guidelines.

Therefore, the total number of reported complaints received during the FY 2024-25 is 11,39,830. The details of complaints received and disposed during FY 2024-25 is as follows:

| Particular | Count* |
|---|---|
| Number of complaints pending at beginning of the Year | 32,351 |
| Number of complaints received during the Year | 11,39,830 |
| Number of complaints disposed during the Year | 11,43,326 |
| Number of complaints pending at the end of the Year | 28,855 |

** Excluding complaints which were resolved within T+1 days of its receipt.*

**Initiatives undertaken during the year for improvement in customer service**

1. Chat with live agent facility introduced to provide latest information about new/existing service of the Bank.

2. The reward and motivation programme for customer experience has been developed to track performance on customer service experience and to reward eligible branch to foster better customer service at the field level.

3. To facilitate Divyangjan Customers, facility of booking time slot was introduced in advance through contact center for availing services in the branch.

4. Functionality for capturing **Customer's feedback through Branch** has been developed and it has been integrated with single Digital Platform called Customer Feedback Portal. This new QR Code based functionality enables Branches to capture walk in Customer's feedback who come to the branch premises to avail any of the Bank's services.

5. **Hybrid-Squad** comprising of bank staff has been set up in contact centers for providing better customer service.

## XII. IMPLEMENTATION OF OFFICIAL LANGUAGE

Punjab National Bank has been a leader in implementing Hindi as the official language. The Bank remains dedicated to complying with directives from the Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, Government of India, as well as guidelines from the Committee of Parliament on Official Language and the Department of Financial Services, Ministry of Finance. It has successfully achieved most of the targets outlined in the annual program for the Financial Year 2024-25 issued by the Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, Government of India.

यह सूचित करना अत्यंत गर्व की बात है कि वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान बैंक की गृह पत्रिका **'पीएनबी प्रतिभा'** के लिए **'राजभाषा कीर्ति'** पुरस्कार के अंतर्गत **प्रथम पुरस्कार** और बैंकिंग श्रेणी के अंतर्गत **द्वितीय पुरस्कार** से सम्मानित किया गया है। इसके अतिरिक्त बैंक के विभिन्न अंचल और मंडल कार्यालयों को गृह मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय से **22 राजभाषा पुरस्कार** प्राप्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त, बैंक के विभिन्न कार्यालयों/कर्मचारियों ने विभिन्न सरकारी संस्थानों से कई पुरस्कार जीते हैं।

**1. हिंदी के उत्तरोत्तर प्रयोग के लिए वार्षिक कार्यक्रम की मदों के कार्यान्वयन हेतु की गई कार्रवाई और प्रगति**

क. बैंक के पास राजभाषा कार्यान्वयन के लिए एक सुव्यवस्थित तंत्र है, जो प्रधान कार्यालय में स्थापित राजभाषा विभाग की देखरेख में अच्छी तरह से कार्य कर रहा है। सभी अंचल कार्यालयों, मंडल कार्यालयों और प्रशिक्षण केंद्रों में राजभाषा विभाग स्थापित है, जो अपने कार्यालयों, अधीनस्थ कार्यालयों और शाखाओं में बैंक के निदेशक मंडल द्वारा विधिवत अनुमोदित राजभाषा नीति को लागू करते हैं।

ख. गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग के वार्षिक कार्यक्रम, बैंक की राजभाषा नीति और बोर्ड द्वारा विधिवत अनुमोदित राजभाषा निगमित कार्ययोजना में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए गहन निगरानी की गई।

ग. बैंक में राजभाषा के प्रयोग को बढ़ाने के लिए लाला लाजपत राय शील्ड योजना, अन्य प्रोत्साहन योजनाओं और राजभाषा प्रतियोगिताओं के अंतर्गत विजेता कार्यालयों/कर्मचारियों को पुरस्कार प्रदान किए गए।

घ. बैंक की त्रैमासिक आंतरिक पत्रिका **'पीएनबी प्रतिभा'** तथा अंचल कार्यालयों एवं मण्डल कार्यालयों की अर्धवार्षिक हिंदी पत्रिकाएं नियमित रूप से प्रकाशित की जाती हैं। विभिन्न स्तरों पर स्थापित राजभाषा पुस्तकालयों में हिंदी पुस्तकें उपलब्ध कराई गई हैं।

ङ. अखिल भारतीय स्तर पर अंतर बैंक हिंदी निबंध प्रतियोगिता, अगस्त 2024 में **"डिजिटल बैंकिंग"** विषय पर आयोजित की गई।

च. वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान बैंक द्वारा मौलिक हिंदी पुस्तक लेखन योजना (कार्यरत एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए) के अंतर्गत कुल 11 हिंदी पुस्तकें पुरस्कृत की गईं।

**2. राजभाषा समितियां एवं उनकी बैठकें**

क. प्रधान कार्यालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी की अध्यक्षता में तिमाही आधार पर आयोजित की गईं।

It is immensely a matter of pride to inform that during the FY 2024-25 the Bank has been awarded the 1st prize under the **"Rajbhasha Kirti"** award for Bank's in-house magazine **"PNB Pratibha"** and 2nd prize under Banking category. Further **22 Rajbhasha awards** were received by various Zonal and Circle offices of the Bank from the Regional Implementation Office of the Ministry of Home Affairs. Moreover, various offices/staff members of the Bank have won many awards from various Govt. Institutes.

**1. Actions taken for and progress made in implementation of the Annual Program for Progressive Use of Hindi**

a. The Bank has a well-organized mechanism for implementation of the Official Language, which is functioning well under the supervision of the Official Language Department established at the Head Office. Official Language Department is established in all the Zonal Offices, Circle Offices and Training Centres, which implement the official language policy duly approved by the Board of Directors of the Bank in their offices, subordinate offices and branches.

b. Intensive monitoring was done to achieve the targets prescribed in the Annual Programme of Department of Official Language, Ministry of Home Affairs. Official Language (OL) Policy of the Bank and Rajbhasha Corporate Action Plan are in place.

c. Awards were given to winner offices/employees under Lala Lajpat Rai Shield Scheme, other incentive schemes and Rajbhasha competitions to increase its use in the Bank.

d. The Bank's quarterly in-house magazine **"PNB Pratibha"** and half yearly Hindi magazines of Zonal Offices & Circle offices are published regularly. Hindi books were made available in Rajbhasha Libraries established at various level.

e. All India level Inter Bank Hindi Essay Competition was organized on the subject **"Digital banking"** in August 2024.

f. A total of 11 Hindi books were awarded by the Bank under the Original Hindi Book Writing Scheme (for working and retired staff) during the FY 2024-25.

**2. Official Language Committees and their meetings**

a. The meetings of the Official Language Implementation Committee of the Head Office were held quarterly under the chairmanship of the Managing Director and Chief Executive Officer.

ख. पीएनबी ने देश भर में 28 नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के संयोजक का दायित्व कुशलतापूर्वक निर्वहन किया है। इन समितियों की अर्धवार्षिक बैठकें नियमित रूप से आयोजित की गईं तथा वर्ष के दौरान हिंदी प्रतियोगिताएं, हिंदी कार्यशालाएं, हिंदी संगोष्ठियां आदि आयोजित किए गए।

ग. बैंक के सभी कार्यालयों द्वारा राजभाषा समितियों की त्रैमासिक बैठकें आयोजित की गईं।

**3. बाह्य निरीक्षण/राजभाषा संगोष्ठी/सम्मेलन**

क. प्रधान कार्यालय द्वारा दिल्ली में कार्यपालक निदेशक, श्री कल्याण कुमार की अध्यक्षता में तथा श्रीमती अंशुली आर्य, आईएएस, सचिव, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार की उपस्थिति में बैंक के राजभाषा अधिकारियों का तीन दिवसीय अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन एवं समीक्षा बैठक (19 से 21 मार्च 2025) आयोजित की गई। राजभाषा निरीक्षण एवं वार्षिक समीक्षा बैठकों के माध्यम से सभी कार्यालयों की गहन निगरानी की गई।

ख. प्रधान कार्यालय द्वारा 20 मार्च 2025 को 'राजभाषा हिंदी एवं कृत्रिम बुद्धिमत्ता' विषय पर राजभाषा संगोष्ठी का आयोजन किया गया। उन्नत अध्ययन संस्थान (एएलआई) में आयोजित संगोष्ठी में मुख्य वक्ता के रूप में श्री विजेंद्र सिंह चौहान, एसोसिएट प्रोफेसर, जाकिर हुसैन कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय उपस्थित थे।

ग. संसदीय राजभाषा समिति की तीसरी उप–समिति द्वारा अंचल कार्यालय, हैदराबाद, अंचल कार्यालय, जयपुर और मंडल कार्यालय, मुंबई पश्चिमी के निरीक्षण के दौरान राजभाषा में बैंक के कार्य की सराहना की गई।

घ. बैंक में राजभाषा (हिंदी) दिवस (4 अक्तूबर 2024) एवं राजभाषा (हिंदी) माह (14 सितंबर से 13 अक्तूबर 2024) उत्साहपूर्वक मनाया गया। प्रधान कार्यालय में आयोजित मुख्य राजभाषा समारोह में प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी तथा कार्यपालक निदेशकों द्वारा विजेताओं को लाला लाजपत राय शील्ड प्रदान की गई।

**4. सूचना प्रौद्योगिकी में हिंदी के प्रयोग में हुई प्रगति**

क. बैंक की वेबसाइट पूर्णतः द्विभाषी है तथा डिफॉल्ट रूप से हिंदी में खुलती है।

ख. एटीएम में हिंदी तथा क्षेत्रीय भाषाओं की सुविधा उपलब्ध है।

b. PNB has efficiently discharged the responsibility of convener of 28 Town Official Language Implementation Committees across the country. Half yearly meetings of these committees were organized and Hindi competitions, Hindi workshops, Hindi seminars etc. were organized during the year.

c. Quarterly meetings of official language committees were organized by all the offices of the Bank.

**3. External Inspection/Official Language Seminar/ Conference**

a. A three-day All India Official Language Conference (19th-21st March, 2025) and Review Meeting of the Official Language Officers of the Bank was organized in Delhi by the Head Office under the chairmanship of Executive Director and in the presence of Mrs. Anshuli Arya, IAS, Secretary, Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, Government of India. Intensive monitoring of all offices was done through official language inspection and annual review meetings.

b. Rajbhasha Seminar was organized on 20th March, 2025 by the Head Office on the topic "Official Language Hindi and Artificial Intelligence". Shri Vijender Singh Chauhan, Associate Professor, Zakir Husain College, Delhi University was present as the chief speaker in the seminar in Advanced Learning Institute (ALI).

c. The Bank's work in Official Language was appreciated by the Third Sub-Committee of the Parliamentary Official Language Committee during the inspections of Zonal Office Hyderabad, Zonal Office Jaipur and Circle Office Mumbai Western.

d. Rajbhasha (Hindi) Day (4th October 2024) and Rajbhasha (Hindi) Month (14th September to 13th October 2024) were celebrated enthusiastically in the Bank. Lala Lajpat Rai Shield was given to the winners by Managing Director and Chief Executive Officer and Executive Directors in the main official language function organized at Head Office.

**4. Progress made in the use of Hindi in Information Technology**

a. The website of the Bank is completely bilingual and it opens in Hindi by default.

b. Facility of Hindi and regional languages are available in ATM.

ग. ग्राहकों को उनकी पसंदीदा भाषा (हिंदी तथा क्षेत्रीय भाषा) में एसएमएस अलर्ट भेजे जाते हैं।

घ. प्रधान कार्यालय की सभी शाखाओं, मंडलों, अंचलों तथा प्रभागों की ऑनलाइन हिंदी रिपोर्टिंग **'राजभाषा वेब पोर्टल'** पर की गई।

ङ. लिंग्वाफाई सॉफ्टवेयर के अद्यतन संस्करण के माध्यम से फिनेकल तथा एचआरएमएस का द्विभाषीकरण किया गया। इसके साथ ही सभी कंप्यूटरों पर काम करने के लिए द्विभाषी सुविधा उपलब्ध है।

च. मोबाइल बैंकिंग ऐप 'पीएनबी वन' को हिंदी और विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में नए रूप में क्रियान्वित किया गया।

छ. इंटरनेट बैंकिंग हिंदी के साथ–साथ क्षेत्रीय भाषाओं में भी उपलब्ध है।

ज. बैंकिंग विषय पर दैनिक हिंदी पॉडकास्ट जारी किया जा रहा है।

झ. बैंक के ई–लर्निंग पोर्टल पीएनबी यूनिव पर कर्मचारियों के लिए ऑनलाइन हिंदी पाठ्यक्रम शुरू किए गए, जिसके आधार पर कर्मचारियों को कार्य निष्पादन मूल्यांकन फॉर्म (पीएएफ) में अंक दिए जाते हैं।

ञ. ग्राहकों के लिए व्हाट्सएप बैंकिंग का हिंदी संस्करण उपलब्ध है।

**5. हिंदी के प्रयोग के संबंध में विशेष कार्य एवं कार्यक्रम**

क. बैंक ने 28 नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (नरकास) के प्रमुखों के लिए 02 अगस्त 2024 को एक सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें हमारा बैंक संयोजक है। यह सम्मेलन प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी की अध्यक्षता एवं सचिव, श्रीमती अंशुली आर्य, गृह मंत्रालय की गरिमामयी उपस्थिति में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ।

ख. राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा भारत मंडपम, नई दिल्ली में 14–15 सितंबर 2024 को आयोजित हिंदी दिवस एवं अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में बैंक का स्टॉल लगाया गया। स्टॉल पर एक मिनी कियोस्क के माध्यम से प्रतिभागियों के लिए एक प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसका उद्घाटन प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा किया गया।

ग. विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों (महाप्रबंधकों एवं मुख्य महाप्रबंधकों) के लिए 'राजभाषा हिंदी एवं ई–टूल्स' विषय पर एक केंद्रीकृत कार्यशाला का आयोजन किया गया।

c. SMS alerts have been sent to customers in their preferred language (Hindi and regional language).

d. Online Hindi reporting of all the Branches, Circles, Zones and Divisions of the Hea**d Office was done on the** 'Rajbhasha web portal'.

e. Bilingualization of Finacle and HRMS was done through Linguify software updated version. Along with it, bilingual facility is available to work on all computers.

f. Mobile banking app 'PNB ONE' was implemented in the new revamped look in Hindi and various regional languages.

g. Internet Banking is available in Hindi as well as in regional languages.

h. A daily Hindi podcast is being released on Banking subject.

i. Online Hindi courses were introduced for the employees on the Bank's e-learning portal PNB Univ. based on which the employees are given marks in Performance Appraisal Form (PAF).

j. Hindi version of WhatsApp Banking is available for the customers.

**5. Special work and programmes regarding the use of Hindi**

a. The Bank organized a conference on 2nd August, 2024 for the Heads of 28 Nagar Rajbhasha Karyanvayan Samiti (NARAKAS) in which the Bank is convener. This conference was successfully completed under the Chairmanship of the Managing Director and Chief Executive Officer and the dignified presence of Secretary, Smt. Anshuli Arya, Ministry of Home Affairs.

b. The Bank's stall was set up at Hindi Diwas and All India Official Language Conference organized by Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, Government of India at Bharat Mandapam, New Delhi on 14-15th September 2024. A quiz competition was organized for the participants through a mini kiosk at the stall, which was inaugurated by the Managing Director and Chief Executive Officer.

c. On the occasion of World Hindi Day, a centralized workshop was organized on the topic of "Official Language Hindi and e-Tools" for the senior officials of the Bank (General Managers and Chief General Managers).

घ. राजभाषा अधिकारियों के लिए **'राजभाषा में नवीनतम तकनीकी दिशा–निर्देश एवं ई–टूल्स'** विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग से संयुक्त निदेशक–राजभाषा श्री राजेश श्रीवास्तव ने **'कंठस्थ–2.0'** के संबंध में विशेष मार्गदर्शन प्रदान किया तथा वरिष्ठ तकनीकी सलाहकार श्री केवल कृष्ण ने राजभाषा रिपोर्टिंग के संबंध में विशेष मार्गदर्शन प्रदान किया।

ङ. बैंक में राजभाषा कार्यान्वयन को डिजिटल बनाने के लिए मोबाइल ऐप **'पीएनबी आरंभ'** के राजभाषा मॉड्यूल का शुभारंभ किया गया।

च. कंप्यूटर एवं अनुवाद टूल कंठस्थ 2.0 पर हिंदी में कार्य करने के लिए हिंदी प्रशिक्षण, हिंदी कार्यशालाओं, यूनिकोड प्रशिक्षण एवं डेस्क प्रशिक्षण के माध्यम से प्रधान कार्यालय, अंचल कार्यालयों, मंडल कार्यालयों एवं प्रशिक्षण केंद्रों द्वारा स्टाफ सदस्यों को प्रदान किया गया।

**6. परिपत्रों/प्रपत्रों/अन्य दस्तावेजों की द्विभाषी स्थिति**

क. वर्ष के दौरान, प्रधान कार्यालय के प्रभागों द्वारा जारी परिपत्रों को द्विभाषी रूप में बैंक के पोर्टल पर अपलोड किया गया।

ख. ग्राहकों द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्रपत्र हिंदी/द्विभाषी और 11 क्षेत्रीय भाषाओं में भी उपलब्ध हैं।

ग. हिंदी में कार्य को सुविधाजनक बनाने के लिए, विभिन्न विभागों से संबंधित दैनिक पत्रों/कार्यालय नोटों का **"मानक प्रारूप"** बैंक के ई–पोर्टल पर उपलब्ध है।

घ. बैंक की योजनाओं और उत्पादों से संबंधित प्रचार और प्रोत्साहन अभियानों में हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं का उपयोग किया गया।

## XIII. पीएनबी की सहायक कंपनियां और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

### 1. घरेलू समनुषंगियां

क. **पीएनबी गिल्ट्स लिमिटेडः** वित्त वर्ष 2024–25 में बॉन्ड बाजार का प्रदर्शन काफी उतार–चढ़ाव वाला रहा और वैश्विक तथा घरेलू कारकों के संयोजन से प्रभावित रहा। वैश्विक स्तर पर, यू.एस. ट्रेजरी प्रतिफलों में एफएमओसी नीतिगत निर्णयों, मुद्रास्फीति संबंधी चिंताओं और अमेरिकी राष्ट्रपति की नीतियों के बारे में अनिश्चितता के कारण उतार–चढ़ाव का अनुभव हुआ। इन प्रतिफलों में पूरे वर्ष वृद्धि और तीव्र गिरावट दोनों देखी गई। उल्लेखनीय रूप से, **यू.एस. फेडरल ओपन मार्केट कमेटी (एफओएमसी)** और **यूरोपीय सेंट्रल बैंक (ईसीबी)** दोनों ने नीतिगत दरों में कटौती की पहल की, जो मौद्रिक

d. A workshop was organized for Official Language Officers on the topic **"Latest technical guidelines and e-tools in Official Language"**. On this occasion, Joint Director-Official Language from Ministry of Home Affairs, Department of Official Language, Mr. Rajesh Srivastava provided special guidance regarding **"Kanthastha-2.0"** and Senior Technical Advisor Mr. Kewal Krishna provided special guidance regarding Official Language Reporting.

e. Rajbhasha module of Mobile app **"PNB Arambh"** was launched to digitalize the official language implementation in the Bank.

f. Hindi Training for work in Hindi on Computer and Translation Tool Kanthasth 2.0 was imparted to staff members through Hindi workshops, Unicode Training and Desk Training by Head Office, Zonal Offices, Circle Offices and Training Centres.

**6. Bilingual status of circulars/forms/other documents**

a. During the year, circulars issued by the divisions of the Head Office were uploaded on Bank's Portal in bilingual form.

b. The forms used by customers are also available in Hindi/bilingual and 11 regional languages.

c. To facilitate the work in Hindi, **"Standard Draft"** of daily letters/office notes related to various departments is available on the e-portal of the Bank.

d. Hindi and regional languages were used in publicity and promotional campaigns related to the Bank's schemes and products.

## XIII. PNB'S SUBSIDIARIES AND REGIONAL RURAL BANKS

### 1. DOMESTIC SUBSIDIARIES

a. **PNB Gilts Ltd.:** The bond market's performance in FY-2025 was marked by considerable volatility and influenced by a combination of global and domestic factors. Globally, U.S. Treasury yields experienced fluctuations driven by FOMC policy decisions, inflation concerns, and uncertainty surrounding the US President's policies. These yields saw both increases and sharp declines throughout the year. Notably, both the US FOMC and the European Central Bank initiated policy rate cuts, signaling a broader trend of

नीति में ढील के व्यापक रुझान का संकेत है। घरेलू स्तर पर, भारतीय बॉन्ड बाजार में आम तौर पर प्रतिफलों में गिरावट देखी गई। इसका श्रेय आरबीआई द्वारा सरकार को अधिशेष लाभांश अंतरित करने, विदेशी खरीद में रुचि बढ़ाने और राजकोषीय विवेक की अपेक्षाओं जैसे कारकों को दिया गया। मौद्रिक नीति में आरबीआई की सक्रिय भूमिका, जिसमें सीआरआर और रेपो दर में कटौती और ओपन मार्केट ऑपरेशन और फॉरेक्स स्वैप के माध्यम से तरलता प्रबंधन शामिल है, ने बॉन्ड प्रतिफलों को काफी प्रभावित किया। इसके अतिरिक्त, घरेलू आर्थिक वृद्धि के बारे में चिंता, क्योंकि वित्त वर्ष 2024–25 की दूसरी तिमाही में जीडीपी वृद्धि घटकर 5.56 प्रतिशत रह गई, जो अपेक्षा से कम थी, जिसके कारण नीतिगत ढील और प्रतिफल पर दबाव में कमी आई। कुल मिलाकर, भारतीय 10–वर्षीय बेंचमार्क बॉन्ड के प्रतिफल ने सामान्य रूप से नीचे की ओर प्रक्षेपवक्र प्रदर्शित किया, हालांकि अंतरिम अस्थिरता के साथ, 31 मार्च, 2024 को 7.06% से बढ़कर अंततः 31 मार्च, 2025 तक 6.58 प्रतिशत की सीमा में स्थिर हो गया।

पीएनबी गिल्ट्स लिमिटेड ने प्राथमिक और द्वितीयक बाजार दोनों में आरबीआई द्वारा अनिवार्य प्राथमिक डीलर के रूप में अपने सभी दायित्वों को पूरा करना जारी रखा। कंपनी ने वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान ₹310.95 करोड़ का कर–पूर्व लाभ (पीबीटी) दर्ज किया, जबकि वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान पीबीटी ₹99 करोड़ था। वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान कर पश्चात लाभ (पीएटी) ₹233 करोड़ रहा, जबकि वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान यह रुपये 69 करोड़ था। 31 मार्च, 2025 तक पूंजी से जोखिम भारित आस्ति अनुपात (सीआरएआर) 42.68 प्रतिशत के साथ पूंजी पर्याप्तता मजबूत बनी हुई है जो प्राथमिक डीलरों (पीडी) के लिए नियामक न्यूनतम 15 प्रतिशत से काफी अधिक है।

ख. **पीएनबी इन्वेस्टमेंट सर्विसेज लिमिटेड (पीएनबीआईएसएल):** यह कंपनी अपने परिचालन के पहले वर्ष से ही लाभ कमाने वाली कंपनी है। 31 मार्च 2025 को कंपनी ने ₹10.20 करोड़ की परिचालन (शुल्क आधारित) आय और ₹13.72 करोड़ की कुल आय दर्ज की, जबकि 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए शुल्क आधारित आय ₹8.17 करोड़ और कुल आय ₹11.38 करोड़ थी। 31 मार्च, 2025 को समाप्त अवधि के दौरान कर से पहले का लाभ 31 मार्च, 2024 को ₹5.46 करोड़ की तुलना में ₹7.86 करोड़ था।

कंपनी तीन क्षेत्रों में काम करती है, अर्थात् कॉर्पोरेट सलाहकार, मर्चेंट बैंकिंग और प्रतिभूति ट्रस्टी कॉर्पोरेट एडवाइजरी वर्टिकल में, वर्ष के दौरान पीएनबीआईएसएल

monetary policy easing. Domestically, the Indian bond market generally witnessed declining yields. This was attributed to factors such as the RBI's transfer of surplus dividends to the government, increased foreign buying interest, and expectations of fiscal prudence. The RBI's active role in monetary policy, including repo rate cuts and liquidity management through Open Market Operations and forex swaps, significantly impacted bond yields. Furthermore, concerns about domestic economic growth, highlighted by lower-than-expected GDP figures, contributed to expectations of policy easing and downward pressure on yields. Overall, the Indian 10-year benchmark bond yield demonstrated a general downward trajectory, albeit with interim volatility, moving from 7.06 per cent as on 31st March 2024 and eventually settling at 6.58 per cent as on 31st March 2025.

PNB Gilts Ltd. continued to fulfill all its obligations as a Primary Dealer mandated by RBI both in Primary and Secondary market. The Company posted a Profit Before Tax (PBT) of Rs. 310.95 Crore during FY 2024-25 vis-à-vis PBT of Rs. 99 Crore during FY 2023-24. Profit after Tax (PAT) amounted to Rs. 233 Crore during FY 2024-25 as against Rs. 69 Crore during FY 2023-24. Capital Adequacy remains strong with its Capital to Risk Weighted Assets Ratio (CRAR) at 42.68 per cent as on 31st March, 2025 well above the regulatory minimum of 15 per cent for Primary Dealers (PDs).

b. **PNB Investment Services Limited (PNBISL):** During the year ended as on 31st March, 2025, the Company registered operational (fee-based) income of Rs.10.20 Crore and total income of Rs.13.72 Crore as against a fee- based income of Rs.8.17 Crore and total income of Rs.11.38 Crore for the year ended as on 31st March, 2024. Profit before Tax during the period ended as on 31st March, 2025 was Rs.7.86 Crore as against Rs.5.46 Crore as on 31st March, 2024.

The Company operates in three verticals, namely Corporate Advisory, Merchant Banking and Security Trustee. In the Corporate Advisory Vertical, during the year PNBISL advised many

ने कई प्रमुख व्यावसायिक समूहों और कॉर्पोरेट ग्राहकों को ऋण सिंडिकेशन, ऋण समाधान और अन्य कॉर्पोरेट सलाहकार कार्यों सहित विभिन्न लेनदेन पर सलाह दी। इन–हाउस विशेषज्ञता और चुनिंदा क्षेत्रों की गहरी समझ के साथ, पीएनबीआईएसएल ने अपने ग्राहकों को विश्वसनीय तकनीकी–आर्थिक व्यवहार्यता (TEV) और एलआईई (ऋणदाता स्वतंत्र इंजीनियर सेवाएँ) रिपोर्ट तैयार की और वितरित की।

कॉर्पोरेट एडवाइजरी वर्टिकल में, वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान, कंपनी मुख्य रूप से चार ऋण सिंडिकेशन असाइनमेंट पूरे करने में सक्षम रही। कंपनी ने यूपी स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटीज (UPSIDA) के लगभग 70 असाइनमेंट और लगभग 30 TEV/LIE असाइनमेंट भी पूरे किए हैं। वित्त वर्ष 2024–25 कंपनी के ऋण समाधान (स्विस चैलेंज) अभ्यास के लिए एक महत्वपूर्ण वर्ष था और कंपनी ने 4 महत्वपूर्ण ऋण समाधान को पूरा किया। अब पहले से ही मौजूद साख के साथ कंपनी का मानना है कि वित्त वर्ष 2025–26 में कारोबार में अवश्य वृद्धि होगी।

मर्चेंट बैंकिंग वर्टिकल में, वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान, कंपनी लगभग सभी ईसीएम उत्पाद वर्टिकल यानी आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (आईपीओ), योग्य संस्थागत नियुक्ति (क्यूआईपी) और ओपन ऑफर असाइनमेंट में नियामक प्राधिकरणों को समय पर दस्तावेज दाखिल करने के रूप में बाजारों में अपनी ताकत दिखाने में सक्षम है। आगे बढ़ते हुए कंपनी ने अनुभवी उम्मीदवारों को काम पर रखकर अपनी मर्चेंट बैंकिंग टीम को मजबूत किया है और उसके पास अच्छी पाइपलाइन है। मर्चेंट बैंकिंग वर्टिकल निरंतर विकास और सफलता के लिए तैयार है।

वित्त वर्ष 2024–25 में ट्रस्टीशिप खंड में वृद्धि देखी गई। ट्रस्टीशिप डिवीजन नए अवसरों का लाभ उठाने के लिए अच्छी स्थिति में है, क्योंकि इसमें मजबूत ग्राहक संबंध, रणनीतिक बाजार स्थिति और गुणवत्तापूर्ण सेवा वितरण पर अधिक ध्यान दिया गया है। कंपनी का मानना है कि ट्रस्टीशिप सेगमेंट के तहत कारोबार विकास, ग्राहक विविधीकरण और मूल्यवर्धित पेशकशों के विस्तार पर निरंतर ध्यान देने के माध्यम से इसे और मजबूत किया जाएगा।

भविष्य की ओर देखते हुए, कंपनी क्रेडिट मूल्यांकन, ऋण सिंडिकेशन, टीईवी परामर्श, मर्चेंट बैंकिंग और सुरक्षा ट्रस्टीशिप सहित विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रों में अपनी विशेषज्ञता को मजबूत करने के लिए समर्पित है। इन पहलों का उद्देश्य मूल बैंक और सभी हितधारकों को प्रदान किए जाने वाले मूल्य को बढ़ाना है।

marquees business groups and corporate clients on various transactions, including debt syndication, debt resolution and other corporate advisory assignments. With in-house expertise and deep understanding of select sectors, PNBISL prepared and delivered credible Techno-Economic Viability (TEV) & LIE (Lenders Independent Engineer services) reports to its clients.

In Corporate Advisory Vertical, during FY 2024-25, the Company was able to complete majorly four Debt Syndication assignments. The Company has also completed around 70 assignments of U P State Industrial Development Authorities (UPSIDA) and around 30 TEV/LIE assignments. FY 2024-25 was a significant year for the Debt Resolution (Swiss Challenge) practice of the Company and the Company undertook and completed 4 significant Debt Resolution. Now with the credentials already being in place, the Company believes the business may see an uptrend in FY 2025-26.

In Merchant Banking Vertical, during FY 2024-25, the Company has been able to showcase its strengths to the markets in the form of timely filing of documents to regulatory authorities in nearly all the ECM product verticals i.e., Initial Public Offers (IPOs), Qualified Institutional Placement (QIP) and Open Offer assignments. Going forward the Company has strengthened its Merchant banking team by hiring the experienced candidates and has good pipeline in hand. Merchant Banking Vertical is poised for continued growth and success.

Growth seen in trusteeship segment in FY 2024-25. The Trusteeship Division remains well-positioned to capitalize on new opportunities, given the foundation of strong client relationships, strategic market positioning, and an increased focus on quality service delivery. The Company believes that it will be further strengthened through continued focus on business development, client diversification, and expanding value-added offerings under the Trusteeship segment.

Looking ahead, the Company is dedicated to strengthening its expertise across various business verticals, including credit appraisal, debt syndication, TEV consultancy, merchant banking, and security trusteeship. These initiatives aim to enhance the value offered to the parent bank and all stakeholders.

ग. **पीएनबी कार्ड्स एंड सर्विसेज लिमिटेड (पीएनबीसीएसएल):** पंजाब नैशनल बैंक (पीएनबी) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी पीएनबीसीएसएल का गठन 16 मार्च 2021 को 7 दिसंबर 2020 की RBI की मंजूरी के बाद किया गया था। शुरुआत में पीएनबी के क्रेडिट कार्ड कारोबार के लिए गैर–वित्तीय सहायता सेवाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए, PNBCSL को अपनी सेवाओं का विस्तार करने के लिए 13 जनवरी 2023 को RBI की और मंजूरी मिली। इनमें अब सोर्सिंग, मार्केटिंग, प्रचार, प्रचार, विज्ञापन और जमाराशि की मांग और खुदरा ऋण उत्पाद शामिल हैं।

पीएनबीसीएसएल ने ₹1,200 करोड़ से अधिक के आवास ऋण, ₹600 करोड़ से अधिक के वाहन ऋण उपलब्ध कराए हैं, 90,000 से अधिक क्रेडिट कार्ड, तथा 50,000 से अधिक कासा खातों का प्रबंध 1,000 से अधिक कर्मचारियों के साथ 100 से अधिक स्थानों पर परिचालन करते हुए, किया है।

पीएनबीसीएसएल ने वित्त वर्ष 2024–25 के लिए ₹3.68 करोड़ का कर के बाद निवल लाभ प्राप्त करके अपनी लाभप्रदता ट्राजेक्टरी को बनाए रखा, इसमें 63.6 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई, जो बैंक की सफलता में इसके निरंतर योगदान को दर्शाता है। जो बैंक की सफलता में इसके निरंतर योगदान को दर्शाता है।

पीएनबीसीएसएल उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं प्रदान करने तथा व्यापक ग्राहक आधार की सेवा के लिये अपनी पहुंच का विस्तार करने के लिए प्रतिबद्ध है।

## 2. अंतरराष्ट्रीय

घ. **पीएनबी इंटरनेशनल लिमिटेड (पीएनबीआईएल):** पंजाब नैशनल बैंक (इंटरनेशनल) लिमिटेड को 13 अप्रैल 2006 को यू.के. में शामिल किया गया था एवं इंग्लैंड और वेल्स में कंपनी हाउस के साथ पंजीकृत किया गया था। बैंक को यूके में बैंकिंग कारोबार संचालित करने के लिए प्रूडेंशियल रेगुलेशन अथॉरिटी ('PRA') द्वारा अधिकृत है और वित्तीय आचरण प्राधिकरण ('FCA') द्वारा विनियमित है।

कुल जमा राशि 31 मार्च 2024 को ₹6664 करोड़ से बढ़कर 31 मार्च 2025 को ₹7688 करोड़ हो गई जो वर्ष–दर–वर्ष 15.37% की वृद्धि को दर्शाता है। 31 मार्च, 2024 तक कुल अग्रिम राशि ₹7726 करोड़ से बढ़कर 31 मार्च, 2025 तक ₹8333 करोड़ हो गई है जो वर्ष–दर–वर्ष 7.86% की वृद्धि को दर्शाता है। वित्त वर्ष 2024–25 में, पीएनबीआईएल ने भारतीय सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा सिद्धांतों (आईजीएएपी) के अनुसार ₹196.96 करोड़ और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों (आईएफआरएस) के अनुसार ₹ 3.49 करोड़ का शुद्ध लाभ दर्ज किया।

c. **PNB Cards and Services Limited (PNBCSL):** PNBCSL, a wholly-owned subsidiary of Punjab National Bank (PNB), was incorporated on 16th March, 2021 following RBI approval on 7th December, 2020. Initially focused on non-financial support services for PNB's credit card business, PNBCSL received further RBI approval on 13th January, 2023 to expand its services. These now include sourcing, marketing, promoting, publicizing, advertising, and soliciting deposits and retail products.

Operating across 100+ locations with a workforce exceeding 1,000+ employees, PNBCSL has facilitated housing loans worth over Rs. 1,200 Crore, vehicle loans exceeding Rs. 600 Crore, issued more than 90,000 credit cards, and sourced over 50,000 CASA accounts.

PNBCSL maintained its profitability trajectory, achieving a net profit after tax of Rs. 3.68 Crore for FY 2024-25, showing YoY growth of 63.6 per cent, demonstrating its continued contribution to the Bank's success.

PNBCSL remains committed to offering high-quality services and expanding its reach to serve a broader customer base.

## 2. INTERNATIONAL

d. **PNB International Limited (PNBIL):** Punjab National Bank (International) Limited was incorporated in the UK on 13th April, 2006 and registered with the Companies House in England & Wales. The Bank is authorized by the Prudential Regulation Authority ('PRA') and regulated by Financial Conduct Authority ('FCA') to conduct banking Business in UK.

The total deposits increased from Rs.6,664 Crore as on 31st March, 2024 to Rs.7,688 Crore as on 31st March, 2025, showing YoY growth of 15.37 per cent. Total advance increased from Rs. 7,726 Crore as on 31st March, 2024 to Rs. 8,333 Crore as on 31st March 2025, showing YoY growth of 7.86 per cent. In the FY 2024-25, PNBIL recorded a Net Profit of Rs.196.96 Crore as per Indian Generally Accepted Accounting Principles (IGAAP) and Rs. 3.49 Crore as per International Financial Reporting Standards (IFRS).

पीएनबीआईएल का मुख्य व्यवसाय विशेषतः यू.के. में रहने वाले भारतीय समुदाय के ग्राहकों के विभिन्न वर्गों को वाणिज्यिक और रिटेल बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना है। इसमें रिटेल और कॉर्पोरेट ग्राहक दोनों से जमा स्वीकार करनाय रिटेल, एसएमई और कॉर्पोरेट ग्राहकों को ऋण देनाय तथा मुद्रा प्रेषण जैसी लेनदेन बैंकिंग सेवाएं शामिल है।

जमा उत्पादों में प्राथमिक रूप से चालू, बचत, सावधि जमा और व्यक्तिगत बचत खाते शामिल हैं। इनमें से कुछ उत्पाद जैसे ISAs (व्यक्तिगत बचत खाते) और सावधि जमा भी यू. के. में व्यापक ग्राहकों द्वारा लाभ उठाया जा रहा है। उधार उत्पादों में रियल एस्टेट उधार शामिल है, जैसे कि आवासीय, वाणिज्यिक विकास ऋण और होटल तथा आतिथ्य, एसएमई को ऋण और एसबीएलसी द्वारा समर्थित सावधि ऋण शामिल हैं।

ङ. **ड्रुक पीएनबी बैंक लिमिटेड (डीपीएनबीएल):** ड्रुक पीएनबी बैंक लिमिटेड, भूटान, बैंकिंग कंपनी जिसका कॉर्पोरेट कार्यालय थिम्पू, भूटान में है। इसने 27 जनवरी 2010 को अपना परिचालन शुरू किया। जनवरी, 2010 में, भूटान में देश के चौथे वाणिज्यिक बैंक के रूप में इसकी स्थापना की गई, जिसमें बैंकिंग क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) और संयुक्त उद्यम दोनों शामिल हैं । वर्तमान में, बैंक की देश भर में 9 शाखाएँ और 30 एटीएम हैं।

डीपीएनबीएल की कुल जमाराशि 31 मार्च 2024 को ₹2590 करोड़ से बढ़कर 31 मार्च 2025 को ₹2828 करोड़ हो गई। वर्ष–दर–वर्ष 9.18% की वृद्धि।

डीपीएनबीएल का कुल अग्रिम 31 मार्च 2024 को ₹1914 करोड़ से बढ़कर 31 मार्च 2025 को ₹1914 करोड़ हो गया। वर्ष–दर–वर्ष 9.87% की वृद्धि।

लाभ 31 मार्च, 2024 को ₹49 करोड़ से घटकर 31 मार्च, 2025 को ₹30.41 करोड़ रह गया। 31 मार्च, 2025 तक बैंक की चुकता पूंजी ₹168 करोड़ है।

3. **क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी):** 31 मार्च, 2025 तक बैंक द्वारा प्रायोजित 9 आरआरबी हैं, जैसे दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक (डीबीजीबी), पटना; सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक (एसएचजीबी), रोहतक; हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक (एचपीजीबी); मंडी; पंजाब ग्रामीण बैंक (पीजीबी), कपूरथलाय प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक (पीयूपीजीबी), मोरादाबाद; असम ग्रामीण विकास बैंक (एजीवीबी), गुवाहाटी; बंगीय ग्रामीण विकास बैंक (बीजीवीबी), बेरहामपुर; त्रिपुरा ग्रामीण बैंक (टीजीबी), अगरतला और मणिपुर ग्रामीण बैंक (एमआरबी), इंफाल।

PNBIL's main business is to provide commercial and retail banking services to different segments of customers, with a focus on the Indian community within the UK. Its offerings include accepting deposits from both retail and corporate clients; lending to retail, SMEs and corporate clients; and transaction banking services such as currency remittances.

The deposit products primarily include current, savings, term deposits and Individual Savings Accounts. Some of these products such as ISAs (Individual Savings Accounts) and Fixed deposits are also being availed by a wider audience in the UK. The lending products includes real estate lending i.e., Buy to Let Residential, Commercial, Development Loans and Hotels & Hospitalities, lending to SME and Term loans backed by SBLC.

e. **Druk PNB Bank Ltd (DPNBL):** Druk PNB Bank Ltd, Bhutan, Banking Company having its corporate office at Thimphu, Bhutan. It started its operation on 27th January, 2010, in Bhutan as the country's fourth commercial Bank, with a component of both Foreign Direct Investment (FDI) and joint venture in the Banking Sector. Presently, the Bank has 9 branches and 30 ATMs spread across the country.

Total Deposits of DPNBL increased from Rs. 2,590 Crore as on 31st March, 2024 to Rs.2828 Crore as on 31st March, 2025 i.e. YoY increase of 9.18%.

Total Advances of DPNBL increased from Rs. 1,914 Crore as on 31st March, 2024 to Rs. 2,103 Crore as on 31st March, 2025 i.e. YoY increase of 9.87%.

Profit decreased from Rs.49 Crore as on 31st March, 2024 to Rs.30.41 Crore as on 31st March, 2025. Paid up capital of the Bank as on 31st March, 2025 is Rs.168 Crore.

3. **REGIONAL RURAL BANKS (RRBs):** As on 31st March, 2025, there are 9 RRBs sponsored by the bank namely Dakshin Bihar Gramin Bank (DBGB), Patna; Sarva Haryana Gramin Bank (SHGB), Rohtak; Himachal Pradesh Gramin Bank (HPGB); Mandi; Punjab Gramin Bank (PGB), Kapurthala; Prathama UP Gramin Bank (PUPGB), Moradabad; Assam Gramin Vikas Bank (AGVB), Guwahati; Bangiya Gramin Vikas Bank (BGVB), Berhampore; Tripura Gramin Bank (TGB), Agartala and Manipur Rural Bank (MRB), Imphal.

ये 9 आरआरबी 9 राज्यों अर्थात् बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम, मणिपुर और त्रिपुरा में 4709 शाखाओं के नेटवर्क के साथ 162 जिलों को कवर करते हुए काम कर रहे हैं।

क. 31 मार्च 2025 तक प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का कुल कारोबार ₹2,44,946 करोड़ दर्ज की गई, जो वर्ष–दर–वर्ष 9.52 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

ख. 31 मार्च 2025 तक आरआरबी की जमा राशि ₹1,52,499 करोड़ है। सकल जमाराशि में 8.06 प्रतिशत की वर्ष–दर–वर्ष वृद्धि दर्ज की गई।

ग. 31 मार्च 2025 तक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का अग्रिम 12.04 प्रतिशत की वर्ष–दर–वर्ष वृद्धि के साथ ₹92,447 करोड़ हो गया।

घ. आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार आरआरबी के लिए **9 प्रतिशत की सीआरएआर** की नियामक आवश्यकता को पूरा करना अनिवार्य है। डीबीजीबी को छोड़कर सभी आरआरबी ने वनियामक आवश्यकता से अधिक सीआरएआर प्राप्त किया है। टीजीबी (24.50 प्रतिशत), पीजीबी (15.86 प्रतिशत), एसएचजीबी (15.31 प्रतिशत), पीयूपीजीबी (13.06 प्रतिशत), बीजीवीबी (11.78 प्रतिशत) और एमआरबी (10.01 प्रतिशत), एचपीजीबी (9.09 प्रतिशत) और एजीवीबी (9.54 प्रतिशत)। डीबीजीबी का सीआरएआर विनियामक आवश्यकता (2.99 प्रतिशत) से कम है।

ङ. प्रायोजित आरआरबी ₹1131 करोड़ के लाभ में हैं। 31 मार्च, 2025 तक आरआरबी का समेकित परिचालन लाभ ₹2630 करोड़ रहा।

च. आरआरबी ने 31 मार्च, 2025 तक **प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई)/मुद्रा** के अंतर्गत संचयी रूप से ₹3021 करोड़ रुपये वितरित किए हैं, जिससे वितरण के लिए निर्धारित ₹3,600 करोड़ के लक्षित बजट का 83.93 प्रतिशत प्राप्त हुआ है।

## XIV. पुरस्कार और प्रशंसा

बैंक के प्रयासों को विभिन्न मंचों पर सराहा गया हैं। वित्त वर्ष 2024–25 के लिए विभिन्न क्षेत्रों में की गई पहलों के लिए बैंक को निम्नलिखित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है

1. EASE 6.0 के अंतर्गत, पीएनबी को दो थीम में विजेता घोषित किया गया– **शीर्ष प्रदर्शन करने वाले बैंक की श्रेणी में प्रथम उपविजेता।**

   क तकनीक और डेटा संचालित क्षमता निर्माण

   ख डिजिटल और एनालिटिक्स संचालित कारोबार सुधार

2. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के आईटी और एमआईएस विभागों के सीजीएम/जीएम के आईबीए ट्रांसयूनियन सिबिल वार्षिक

These nine RRBs are operating in nine states namely Bihar, Haryana, Himachal Pradesh, Punjab, Uttar Pradesh, West Bengal, Assam, Manipur and Tripura covering 162 districts with a network of 4709 branches.

a. **Total Business** of sponsored RRBs as on 31st March, 2025 is Rs.2,44,946 Crore registering a YoY growth of 9.52 per cent.

b. **Deposits** of RRBs are at Rs.1,52,499 Crore as on 31st March, 2025. Aggregate Deposits registered a YoY growth of 8.06 per cent.

c. **Advances** of the RRBs as on 31st March, 2025 stood at Rs. 92,447 Crore with a YoY growth of 12.04 per cent.

d. As per RBI guidelines it is mandatory for RRBs to meet the regulatory requirement of **CRAR of 9 per cent.** The RRBs except DBGB attained CRAR over and above the regulatory requirement TGB (24.50 per cent), PGB (15.86 per cent), SHGB (15.31 per cent), PUPGB (13.06 per cent), BGVB (11.78 per cent) and MRB (10.01 per cent) HPGB (9.09 per cent) and AGVB (9.54 per cent). CRAR of DBGB is below the regulatory requirement at (2.99 per cent).

e. The sponsored RRBs are in profit of Rs.1131 Crore. Consolidated Operating profit of RRBs stood at Rs.2630 Crore as on 31st March, 2025.

f. The RRBs have cumulatively disbursed Rs.3021 Crore under Pradhan Mantri Mudra Yojana (PMMY)/MUDRA as on 31st March, 2025, achieving 83.93 per cent of targeted budget of Rs.3,600 Crore for disbursement.

.

## XIV. AWARDS AND ACCOLADES

The Bank's efforts have been recognized at various platforms. The Bank has been conferred with the following for initiatives taken in various fields for FY 2024-25:

1. Under EASE 6.0, PNB was declared winner in two themes along-with **First runner-up in the category of Top Performing Bank.**

   a. Tech and Data driven capability building

   b. Digital and Analytics driven business improvement

2. **Data Quality Award "PSU Best DQI-FY'25"** in Consumer Segment from Credit Information

सम्मेलन के दौरान क्रेडिट सूचना कंपनी ट्रांसयूनियन सिबिल (टीयू सिबिल) से उपभोक्ता खंड में **डेटा गुणवत्ता पुरस्कार 'पीएसयू सर्वश्रेष्ठ डीक्यूआई–वित्त वर्ष 25'**।

3. भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) द्वारा वर्ष 2023–24 के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की श्रेणी में **वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित सिल्वर शील्ड**।

4. **CIMSME बैंकिंग उत्कृष्टता पुरस्कार:**

   क. सर्वश्रेष्ठ बैंक (विजेता)

   ख. सर्वश्रेष्ठ एमएसएमई अनुकूल बैंक (उपविजेता)

5. **IBEX इंडिया 2025** में 2 प्रविष्टियाँ – I) आरंभ और II) पीएनबी वन बिज.

6. भारतीय बैंक संघ (आईबीए) द्वारा 20 वें वार्षिक बैंकिंग प्रौद्योगिकी सम्मेलन, एक्सपो और प्रशस्ति पत्र 2024 में निम्नलिखित 2 श्रेणियों के तहत **आईबीए बैंकिंग प्रौद्योगिकी पुरस्कार**।

   क. सर्वश्रेष्ठ आईटी जोखिम प्रबंधन (विशेष उल्लेख)

   ख. सर्वश्रेष्ठ फिनटेक और डीपीआई अपनाना (विशेष उल्लेख)

7. 100वें स्कॉच शिखर सम्मेलन के दौरान बीएफएसआई श्रेणी के अंतर्गत **'एटीएम की विश्लेषणात्मक मॉडल आधारित व्युत्पन्न नकदी प्रतिधारण सीमा'** के लिए स्कॉच पुरस्कार।

8. दीन दयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा **एसएचजी लिंकेज 2023–24 में उत्कृष्ट प्रदर्शन**।

9. सोसाइटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट (एसएचआरएम) द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (पीएसई) श्रेणी के अंतर्गत समावेश, इक्विटी और विविधता के क्षेत्र में **एसएचआरएम एचआर उत्कृष्टता पुरस्कार के साथ प्रथम रनर अप पुरस्कार**।

10. **उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए उत्कृष्टता पुरस्कार** – कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा कृषि अवसंरचना निधि के अंतर्गत रैपिड अभियान के तहत दूसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला बैंक।

11. न्यूज18 द्वारा परियोजना पलाश के अंतर्गत बैंक की हरित पहल के लिए **ग्रीन रिबन चौंपियंस पुरस्कार**।

12. पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया, एनपीसीआई और फिनटेक कन्वर्जेंस काउंसिल (एफसीसी) द्वारा ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 के दौरान आधार के माध्यम से पीएनबी वन ऑनबोर्डिंग के लिए ग्रीन बैंकिंग इनिशिएटिव ऑफ द ईयर की श्रेणी में **ग्लोबल फिनटेक अवार्ड्स 2024 (प्रथम पुरस्कार)**।

13. नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार ने महात्मा मंदिर, गांधी नगर में वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा निवेशक सम्मेलन एवं एक्सपो (चौथा रीइनवेस्ट) का आयोजन किया, जिसमें बैंक को नवीकरणीय स्रोतों से 200 गीगावाट ऊर्जा उत्पादन के महत्वाकांक्षी लक्ष्य में योगदान के लिए मंत्रालय द्वारा सम्मानित किया गया।

Company TransUnion CIBIL (TU CIBIL) during IBA TransUnion CIBIL Annual Conference of CGMs/GMs of IT and MIS Departments of Public Sector Banks.

3. **Prestigious Silver Shield for Excellence in Financial Reporting** in the category of Public Sector Banks for the Year 2023-24 by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI).

4. **CIMSME Banking Excellence Awards** for:

   a. Best Bank for implementing Government Schemes (Winner)

   b. Best MSME Friendly Bank (Runner Up)

5. **IBEX India 2025** for 2 entries- I) AARAMBH and II) PNB ONE Biz.

6. **IBA Banking Technology Awards** under the following 2 categories at 20th Annual Banking Technology Conference, Expo and Citation 2024 by Indian Banks' Association (IBA).

   a. Best IT Risk Management (Special Mention)

   b. Best Fintech and DPI Adoption (Special Mention)

7. **SKOCH award for 'Analytical Model Based Derived Cash Retention Limit of ATMs'** under BFSI category during 100th SKOCH Summit.

8. **Outstanding Performance in SHG Linkage 2023-24** by Deen Dayal Antyodaya Yojana, National Rural Livelihood Mission, Ministry of Rural Development, government of India.

9. **1st Runner up award with SHRM HR Excellence Awards** in the field of Inclusion, Equity & Diversity under Public Sector Enterprise (PSE) Category by Society of Human Resource Management (SHRM).

10. **Award of Excellence for Outstanding Performance-** 2nd Best Performing Bank under RAPID campaign under Agriculture Infrastructure fund by Ministry of Agriculture and Farmer Welfare.

11. **Green Ribbon Champions award** for Bank's green initiatives under project PALASH by News18.

12. **Global Fintech Awards 2024 (First prize)** in the category of Green Banking Initiative of the Year for its PNB ONE onboarding through Aadhaar during Global Fintech Fest 2024 by Payment Council of India, NPCI and Fintech Convergence Council (FCC).

13. The Ministry of New and Renewable Energy, Govt. of India has organized Global Renewable Energy Investors Meet and Expo (4th REINVEST) at Mahatma Mandir, Gandhi Nagar wherein the Bank was felicitated by the Ministry for contribution to the ambitious 200 GW Energy Generation from Renewable Sources.

14. **राजभाषा कीर्ति पुरस्कार वर्ष 2023–24 के लिए (प्रथम पुरस्कार)** पीएनबी प्रतिभा पत्रिका के लिए तथा हमारे बैंक के लिए समग्र रूप से **द्वितीय पुरस्कार**। यह पुरस्कार राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिया गया तथा तत्कालीन एमडी एवं सीईओ द्वारा गृह मंत्री श्री अमित शाह से प्राप्त किया गया।
15. भारतीय चौंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा आयोजित द्वितीय आईसीसी इमर्जिंग एशिया बैंकिंग कॉन्क्लेव और अवार्ड्स में भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (बड़े) की श्रेणी में निम्नलिखित दो श्रेणियों में विजेता।
    - ✓ आस्ति गुणवत्ता पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन
    - ✓ लाभप्रदता पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन
16. निम्नलिखित श्रेणी में **इंफोसिस फिनेकल इनोवेशन अवार्ड्स 2024**:
    - क. पारिस्थितिकी तंत्र–आधारित नवाचार – प्लैटिनम विजेता
        - ✓ कृषि तत्काल ऋण
    - ख. चैनल इनोवेशन – स्वर्ण विजेता
        - ✓ लॉकर समझौते का डिजिटल निष्पादन
    - ग . ग्राहक सहभागिता को अधिकतम करना – स्वर्ण विजेता
        - ✓ आधार–आधारित मोबाइल ऑनबोर्डिंग
17. **पीएसई अवार्ड 2024** – एंटरप्राइज एप्लीकेशन श्रेणी–एक्सप्रेस कंप्यूटर–द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप।
18. **ट्रांसयूनियन सिबिल पुरस्कार**:
    - ए. सर्वश्रेष्ठ डेटा गुणवत्ता–पीएसबी उपभोक्ता पुरस्कार 2023–24
    - बी. सर्वश्रेष्ठ डेटा गुणवत्ता–पीएसबी वाणिज्यिक पुरस्कार 2023–24
    - सी. TUCIBIL सर्वश्रेष्ठ डेटा गुणवत्ता पुरस्कार 2023–24
19. वित्त वर्ष 2023–24 के लिए मिशन अपग्रेड अभियान के अंतर्गत बैंक को उपलब्धि पुरस्कार।

## XV. बैंक की भावी कारोबार योजना

वित्तीय वर्ष 2025–26 में बैंक एक परिवर्तनकारी यात्रा पर निकल रहा है, इसलिए वह और अधिक उड़ान भरने और अभूतपूर्व उपलब्धियाँ हासिल करने की आकांक्षा रखता है। विकास और लाभप्रदता पर रणनीतिक ध्यान केंद्रित करके, बैंक खुदरा, कृषि और एमएसएमई (आरएएम) अग्रिमों को प्राथमिकता देना जारी रखेगा, अपने सीएएसए पोर्टफोलियो को बढ़ाएगा एवं स्थायी व्यावसायिक विकास सुनिश्चित करेगा।

**बैंक अपने उत्पादों की पेशकश में विविधता** लाकर, नए बाजारों की खोज करके और अप्रयुक्त ग्राहक खंडों तक पहुँच बनाकर अपने क्षितिज का विस्तार करने पर अपना ध्यान केंद्रित रखेगा। परिचालन दक्षता मुख्य फोकस बनी रहेगी, जिससे निर्बाध सेवा वितरण संभव हो सकेगा।

14. **Rajbhasha Kirti Puruskar for 2023-24 (First Prize)** for PNB Pratibha Magazine and 2nd Prize overall for our Bank. The award by given away by Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, Government of India and received by the MD & CEO from Shri Amit Shah, Minister of Home Affairs.
15. Winner in the following two categories amongst Indian Public Sector Banks (Large) category in 2nd ICC Emerging Asia Banking Conclave & Awards organized by Indian Chamber of Commerce.
    - a. Best Performance on Asset Quality
    - b. Best Performance on Profitability
16. **Infosys Finacle Innovation Awards 2024 in following category:**
    - a. Ecosystem-led Innovation – Platinum Winner
        - ✓ Krishi Tatkal Rinn
    - b. Channel Innovation – Gold Winner
        - ✓ Digital Execution of Locker Agreement
    - c. Maximizing Customer Engagement – Gold Winner
        - ✓ AADHAR-based Mobile Onboarding
17. **PSE Award 2024 -** Enterprise Applications Category-Express Computer-The Indian Express Group.
18. **TransUnion CIBIL Award:**
    - a. Best Data Quality-PSB Consumer Award 2023-24
    - b. Best Data Quality-PSB Commercial Award 2023-24
    - c. TUCIBIL Best Data Quality Award 2023-24
19. Award of achievement to Bank under **Mission Upgrade Campaign** for the FY 2023-24.

## XV. FUTURE BUSINESS PLAN OF THE BANK

As the Bank embarks on a transformative journey in the Financial Year 2025-26, it aspires to soar higher and achieve unprecedented milestones. Guided by a strategic focus on growth and profitability, the Bank will continue to prioritize Retail, Agriculture & MSME (RAM) Advances, enhancing its CASA portfolio and ensuring sustainable business growth.

The Bank will keep its focus on expanding its horizons by **diversifying its product offerings,** exploring new markets, and tapping into untapped customer segments. Operational efficiency will remain a core focus, enabling seamless service delivery.

**अपने डिजिटल परिवर्तन को गति देते हुए**, बैंक अपने सभी ग्राहकों को वैयक्तिकृत और निर्बाध ऑनलाइन और मोबाइल बैंकिंग अनुभव प्रदान करने के लिए एआई–संचालित उपकरणों सहित अत्याधुनिक तकनीकों का लाभ उठाएगा।

**ग्राहक–केंद्रितता** बैंक के दृष्टिकोण का केंद्र बनी रहेगी। अभिनव उत्पादों और सेवाओं को पेश करके, आंतरिक प्रक्रियाओं को मजबूत करके और कर्मचारी प्रशिक्षण में निवेश करके, बैंक ग्राहकों की अपेक्षाओं को पार करने का निरंतर प्रयास करेगा।

**कर्मचारी विकास** इस यात्रा का एक और महत्वपूर्ण स्तंभ होगा। बैंक अपने कर्मचारियों के समग्र विकास में निवेश करेगा, **पीएनबी उड़ान** परियोजना जैसी पहलों के माध्यम से स्व–संचालित उत्कृष्टता की संस्कृति को बढ़ावा देगा।

**वित्त वर्ष 2025–26 विकास और परिवर्तन का वर्ष होगा।** इन रणनीतिक क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करके, बैंक ग्राहकों, कर्मचारियों और हितधारकों को समान रूप से मूल्य प्रदान करते हुए एक अग्रणी वित्तीय संस्थान के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए तैयार है।

## XVI. निदेशक मंडल में परिवर्तन

1. **डॉ. रेखा जैन** ने 11.09.2024 को अपना कार्यकाल पूरा किया।
2. **श्री अम्बरीश ओझा**, शेयरधारक निदेशक, को 12.09.2024 से बैंक के शेयरधारक निदेशक के रूप में निर्वाचित माना गया।
3. **श्री पंकज जोशी** ने अंशकालिक गैर–सरकारी निदेशक ने 20.12.2024 को अपना कार्यकाल पूरा कर लिया।
4. **श्री संजीव कुमार सिंघल** ने अंशकालिक गैर–सरकारी निदेशक ने 20.12.2024 को अपना कार्यकाल पूरा कर लिया।
5. **श्री अतुल कुमार गोयल**, एमडी और सीईओ, ने 31.12.2024 को सेवानिवृत्ति प्राप्त कर अपना कार्यकाल पूरा कर लिया।
6. **श्री बिनोद कुमार**, कार्यपालक निदेशक, ने इंडियन बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में नियुक्ति के बाद 16.01.2025 को पदमुक्त हुये।
7. **श्री अशोक चंद्र** को 16.01.2025 से बैंक का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया।
8. **श्री डी. सुरेन्द्रन** को 24.03.2025 से बैंक का कार्यपालक निदेशक नियुक्त किया गया।

## XVII. सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट

सचिवीय लेखा परीक्षक ने रिपोर्ट में (i) सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 17(1)(ए) के अंतर्गत महिला निदेशक, कामगार कर्मचारी निदेशक, कर्मचारी निदेशक जो कामगार नहीं है, बैंक के बोर्ड में बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3) (ई), (एफ), (जी) और (एच) के अंतर्गत सीए निदेशक अर्थात निदेशकों की रिक्तियों के संबंध में और

**Accelerating its digital transformation,** the Bank will leverage cutting-edge technologies, including AI-powered tools, to offer personalized and seamless online and mobile banking experiences to all our customers.

**Customer-centricity** will remain at the heart of the Bank's approach. By introducing innovative products and services, strengthening internal processes, and investing in employee training, the Bank will consistently strive to exceed customer expectations.

**Employee development** will be another key pillar of this journey. The Bank will invest in the holistic growth of its workforce, fostering a culture of self-driven excellence through initiatives like the PNB UDAAN project.

**FY 2025-26 marks a year of growth and transformation.** By focusing on these strategic areas, the Bank is poised to solidify its position as a leading financial institution, delivering value to customers, employees, and stakeholders alike.

## XVI. CHANGES IN BOARD OF DIRECTORS

1. **Dr. Rekha Jain,** Shareholder Director, completed her tenure on 11.09.2024.
2. **Shri Ambarish Ojha,** Shareholder Director, was deemed elected as Shareholder Director of the Bank w.e.f., 12.09.2024.
3. **Shri Pankaj Joshi,** Part-time Non-Official Director, completed his tenure on 20.12.2024.
4. **Shri Sanjeev Kumar Singhal,** Part-time Non-Official Director, completed his tenure on 20.12.2024.
5. **Shri Atul Kumar Goel,** MD & CEO, completed his tenure on 31.12.2024 on attaining superannuation.
6. **Shri Binod Kumar,** Executive Director, vacated the office on 16.01.2025 upon his appointment as Managing Director and Chief Executive Officer of Indian Bank
7. **Shri Ashok Chandra** was appointed as MD & CEO of the Bank w.e.f., 16.01.2025.
8. **Shri D Surendran** was appointed as Executive Director of the Bank w.e.f. 24.03.2025.

## XVII. SECRETARIAL AUDIT REPORT

The Secretarial Auditor in the Reports has made observations in respect of (i) vacancies of Women Director under regulation 17(1)(a) of SEBI (LODR) Regulations, 2015, Workmen Employee Director, Employee Director who is not a workman, CA Director i.e. Directors under section 9(3) (e), (f), (g) and (h), respectively, of Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 on the

(ii) निदेशक मंडल, बोर्ड की हितधारक संबंध समिति, बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति की संरचना के संबंध में सेबी (एलओडीआर) विनियमों का अनुपालन न करने, बोर्ड की बैठक की पूर्व सूचना न देने और बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति की बैठक की अध्यक्षता न करने के संबंध में टिप्पणियां की हैं।

## XVIII. निदेशक उत्तरदायित्व विवरण

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक खातों की तैयारी में : निदेशकगण पुष्टि करते है कि

1. महत्वपूर्ण विसंगतियाँ यदि कोई हो, से संबन्धित उचित स्पष्टीकरण के साथ लागू लेखांकन मानकों का पालन किया गया हैं;
2. भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार तैयार की गई लेखांकन नीतियों को लगातार लागू किया गयाय
3. उचित और विवेकपूर्ण निर्णय और अनुमान लगाए गए ताकि वित्तीय वर्ष के अंत में बैंक की स्थिति और 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के लाभ का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत किया जा सके।
4. भारत में बैंकों को नियंत्रित करने वाले लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड के रखरखाव के लिए उचित और पर्याप्त सावधानी बरती गई थी, और;
5. लेखाओं को **कार्यशील संस्था** के सिद्धांत के आधार पर तैयार किए गए हैं।

## XIX. आभार

निदेशक मंडल शेयरधारकों, मूल्यवान ग्राहकों, शुभचिंतकों और अन्य हितधारकों को उनकी सद्भावना, संरक्षण और समर्थन के लिए धन्यवाद देता है।

बोर्ड बैंक के कामकाज में भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, केंद्रीय सतर्कता आयोग, स्टॉक एक्सचेंजों और बैंक के सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षकों के मार्गदर्शन और समर्थन के लिए आभार व्यक्त करता है।

बोर्ड ने सभी स्तरों पर बैंक के कर्मचारियों द्वारा दिए गए बहुमूल्य योगदान की सराहना की तथा भविष्य के लक्ष्यों को प्राप्त करने में उनकी निरंतर भागीदारी की आशा व्यक्त की।

**निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से**

अशोक चंद्र
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

Board of the Bank and (ii) non-compliance of SEBI (LODR) Regulations with respect composition of Board of Directors, Stakeholder Relationship Committee of the Board, Audit Committee of the Board, Non- submission of prior intimation of Board Meeting and Chairmanship of Meeting of Risk Management Committee of the Board.

## XVIII. DIRECTORS' RESPONSIBILITY STATEMENT

The Directors confirm that in the preparation of the annual accounts for the year ended 31st March, 2025:

1. The applicable Accounting Standards have been followed along with proper explanation relating to material departures, if any;
2. The accounting policies, framed in accordance with the guidelines of the Reserve Bank of India, were consistently applied;
3. Reasonable and prudent judgment and estimates were made so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Bank at the end of the financial year and of the profit of the Bank for the year ended 31st March, 2025.
4. Proper and sufficient care was taken for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of applicable laws governing banks in India, and;
5. The accounts have been prepared based on the principle of **"going concern"**.

## XIX. ACKNOWLEDGEMENT

The Board of Directors thank the shareholders, valued customers, well-wishers and other stakeholders for their good-will, patronage and support.

The Board acknowledges with gratitude for the guidance and support of Government of India, Reserve Bank of India, Securities & Exchange Board of India, Insurance Regulatory and Development Authority of India, Central Vigilance Commission, Stock Exchanges and Statutory Central Auditors of the Bank, in the functioning of the Bank.

The Board also placed on record its appreciation for the valuable contribution made by the members of the Bank's staff at all levels and is looking forward to their continued involvement in achieving the future goals.

**For and on behalf of Board of Directors**

**Ashok Chandra**
Managing Director & CEO

BLANK PAGE

# प्रबंधन परिचर्चा एवं विश्लेषण
# Management Discussion & Analysis

# प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण

## I. उद्योग संरचना एवं विकास

निरंतर अनिश्चितताओं के चलते वैश्विक आर्थिक परिदृश्य विकास की धीमी गति दर्शाता है। आईएमएफ ने 2025 के लिए वैश्विक वृद्धि 2.8% और 2026 के लिए 3.0% रहने की संभावना व्यक्त की है, जो पहले के पूर्वानुमानों से कम है। विभिन्न जी20 अर्थव्यवस्थाओं में उच्च व्यापार बाधाओं के प्रचलन के साथ समग्र नीति में बढ़ती हुई अनिश्चितता इस प्रत्याशित मंदी में योगदान देने वाला एक प्राथमिक कारक है। इस वातावरण से कारोबारों के द्वारा निवेश निर्णयों और परिवारों द्वारा किए जाने वाले व्यय दोनों पर प्रभाव पड़ने की संभावना है।

मुद्रास्फीति का दबाव, हालांकि वैश्विक स्तर पर कम हो रहा है, फिर भी सेवाओं जैसे कुछ क्षेत्रों में यह निरंतर बना हुआ है, जिससे केंद्रीय बैंकों के लिए मौद्रिक नीति सामान्यीकरण का मार्ग जटिल हो गया है। आईएमएफ का दृष्टिकोण वैश्विक हेडलाइन मुद्रास्फीति में धीरे–धीरे गिरावट का संकेत देता है– जो 2025 में 4.3% और 2026 में 3.6% होने का अनुमान है। इससे ब्याज दरों में छूट के प्रति सावधानीपूर्ण दृष्टिकोण अपनाना पड़ता है।

विभिन्न क्षेत्रों और देशों में आर्थिक वृद्धि की संभावनाएँ काफी भिन्न हैं। 2024 में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा अनुभव किए गए मजबूत आर्थिक विस्तार में काफी कमी आने का अनुमान है। चूंकि अर्थव्यवस्था में वृद्धि धीमी हो रही है और मुद्रास्फीति बढ़ रही है, अमेरिकी अर्थव्यवस्था को मुद्रास्फीति का सामना करना पड़ सकता है, भू–राजनीतिक अनिश्चितता, उच्च ऊर्जा लागत और उपभोक्ता के कमजोर विश्वास सहित कई कारकों के संयोजन के कारण यूरो क्षेत्र में भी धीमी वृद्धि का अनुभव होने की संभावना है। उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में विकास के कई प्रकार देखे जाने की उम्मीद है, जिनमें से कुछ में मजबूत लचीलापन दिखेगा जबकि अन्य को महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।

व्यापार प्रतिबंधों में खतरनाक वृद्धि एक महत्वपूर्ण बाधा है। प्रभावी टैरिफ दरें तेजी से बढ़ी हैं, जो एक सदी में देखे गए स्तरों तक पहुंच गई हैं। संरक्षणवाद में यह उछाल, विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा हाल ही में नए टैरिफ लगाए जाने और उसके बाद अन्य देशों द्वारा जवाबी कार्रवाई के कारण वैश्विक व्यापार की मात्रा में कमी आ रही है। आईएमएफ ने अनुमान लगाया है कि वैश्विक व्यापार वृद्धि पिछले वर्ष के 3.8% से आधे से भी अधिक घटकर इस वर्ष मात्र 1.7% रह जाएगी। व्यापार गतिविधि में यह गिरावट व्यापार निवेश, आपूर्ति श्रृंखलाओं और समग्र आर्थिक भावना पर नकारात्मक प्रभाव डालती है।

दुनिया भर में सार्वजनिक ऋण का उच्च स्तर भी एक महत्वपूर्ण चुनौती प्रस्तुत करता है, जो संभावित रूप से राजकोषीय स्थिरता और वित्तीय स्थिरता को प्रभावित करता है, विशेष रूप से तब जब ब्याज दरें सामान्य हो जाती हैं।

वैश्विक आर्थिक परिदृश्य के लिए जोखिम का संतुलन लगातार नीचे की ओर जा रहा है। व्यापार विवादों का तीव्र होना, भू–राजनीतिक संघर्षों का और अधिक बढ़ना, वैश्विक वित्तीय स्थितियों में अपेक्षा से अधिक कठोरता, या मुद्रास्फीति के दबावों का फिर से उभरना, ये सभी स्पष्टतया आर्थिक मंदी को जन्म दे सकते हैं।

# MANAGEMENT DISCUSSION & ANALYSIS (MDA)

## I. Industry Structure & Developments

The global economic landscape presents a picture of decelerating growth amidst persistent uncertainties. The IMF projects global growth at 2.8 per cent for 2025 and 3.0 per cent for 2026, a downward revision from earlier forecasts. A primary factor contributing to this anticipated contraction is the prevalence of higher trade barriers across several G20 economies, coupled with an increase in overall policy uncertainty. This environment is expected to weigh on both investment decisions by businesses and spending by households.

Inflationary pressures, though easing globally, remain persistent in certain sectors like services, complicating the path of monetary policy normalization for central banks. The IMF's outlook indicates a gradual decline in global headline inflation, forecasting it to be 4.3 per cent in 2025 and 3.6 per cent in 2026. This leads to cautious approaches towards easing interest rates.

Economic growth prospects vary significantly across different regions and countries. The robust economic expansion experienced by the United States in 2024 is projected to moderate considerably. Going forward, the US Economy may face stagflation. The Euro area is also anticipated to experience subdued growth due to a combination of factors, including geopolitical uncertainty, high energy costs and weak consumer confidence. Emerging market and developing economies are expected to exhibit varied growth patterns, with some showing strong resilience while others face significant challenges.

A significant headwind is the alarming rise in trade restrictions. Effective tariff rates have climbed sharply, reaching levels not witnessed in a century. This surge in protectionism, particularly the recent imposition of new tariffs by the United States and subsequent retaliatory measures by other nations, is dampening global trade volumes. The IMF projects global trade growth to more than halve from 3.8 per cent in the previous year to a meagre 1.7 per cent for CY 2025. This decline in trade activity negatively impacts business investment, supply chains and overall economic sentiment.

High levels of public debt across the globe also present a significant challenge, potentially impacting fiscal sustainability and financial stability, especially as interest rates normalize.

The balance of risks to the global economic outlook is firmly tilted towards the downside. An intensification of trade disputes, further escalation of geopolitical conflicts, a sharper-than-anticipated tightening of global financial conditions, or a resurgence of inflationary pressures could all trigger a more pronounced economic slowdown.

## भारतीय आर्थिक परिदृश्य

मौजूदा वैश्विक चुनौतियों के विपरीत, भारतीय अर्थव्यवस्था अपेक्षाकृत मजबूत और निरंतर विकास की एक मिसाल के रूप में उभरी है।अनुमान है कि भारत दुनिया भर में सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखेगा। आईएमएफ ने 2025 में भारत की अर्थव्यवस्था के 6.2% और 2026 में 6.3% बढ़ने का अनुमान लगाया है। ओईसीडी, आरबीआई और एसएंडपी ग्लोबल जैसे संगठन वित्त वर्ष 2024–25 के लिए 6.4%–6.5% की सीमा तक का अनुमान लगाते हैं, जो भारत की मजबूत विकास गति पर व्यापक सहमति को दर्शाता है।

भारतीय अर्थव्यवस्था के मजबूत विकास में कई कारक योगदान दे रहे हैं। मांग पक्ष पर, स्वस्थ निजी खपत वृद्धि का एक प्रमुख कारक बनी हुई है, जिसे मजबूत उपभोक्ता भावना का समर्थन मिला है। निवेश गतिविधि में तेजी आई है और निरंतर उच्च क्षमता उपयोग, सरकार द्वारा बुनियादी ढांचे पर खर्च पर निरंतर जोर, बैंकों और कॉरपोरेट्स की स्वस्थ बैलेंस शीट, साथ ही वित्तीय स्थितियों में आसानी के कारण इसमें और सुधार होने की उम्मीद है। वैश्विक अनिश्चितताओं के कारण व्यापारिक निर्यात पर दबाव पड़ेगा, जबकि सेवाओं के निर्यात में लचीलापन रहने की उम्मीद है। वैश्विक व्यापार व्यवधानों से होने वाली प्रतिकूल परिस्थितियाँ अधोमुखी जोखिम पैदा करती रहती हैं।

मुद्रास्फीति में कमी, आरबीआई द्वारा नीतिगत रेपो दर में कमी और केंद्रीय बजट 2025–26 में घोषित आयकर राहत उपायों से भी घरेलू मांग को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। कृषि क्षेत्र में तेजी से वृद्धि के कारण ग्रामीण मांग भी मजबूत रहने की उम्मीद है। सहायक सरकारी पहल और हाल ही में मौद्रिक नीति में ढील से भी आर्थिक गतिविधि के लिए अनुकूल माहौल बन रहा है।

आपूर्ति पक्ष पर, स्वस्थ जलाशय स्तरों और मजबूत फसल उत्पादन के कारण कृषि क्षेत्र की संभावनाएं उज्ज्वल बनी हुई हैं। विनिर्माण गतिविधि में सुधार के संकेत दिख रहे हैं, जबकि व्यावसायिक उम्मीदें मजबूत बनी हुई हैं। वित्तीय क्षेत्र मजबूत बना हुआ है, जो आर्थिक गतिविधि को महत्वपूर्ण समर्थन प्रदान कर रहा है।, जीवंत प्रौद्योगिकी और व्यावसायिक सेवा खंड सहित भारत का सेवा क्षेत्र, लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, एवं विकास और निर्यात में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है।

भारत में हेडलाइन उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) मुद्रास्फीति में नरमी का रुझान दिखा है। हाल के आंकड़ों मार्च, 2025 में इसे छह साल के निचले स्तर 3.34% पर दिखा रहे हैं, जो मुख्य रूप से खाद्य कीमतों में सुधार के कारण है। सरकार द्वारा राजकोषीय समेकन के साथ–साथ मुद्रास्फीति में नरमी से आरबीआई को अपने दर सहजता चक्र को जारी रखने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।

भारत का बाह्य क्षेत्र काफी लचीलापन प्रदर्शित कर रहा है। वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बावजूद सेवा निर्यात में, विशेष रूप से सूचना प्रौद्योगिकी और व्यवसाय प्रक्रिया आउटसोर्सिंग जैसे क्षेत्रों में, अपेक्षाकृत वृद्धि हुई है। इसके अलावा, चालू खाता घाटे में कमी की प्रवृत्ति देखी गई है, जो भारत की आय और शेष विश्व को भुगतान के बीच बेहतर संतुलन को दर्शाता है।

## Indian Economic Outlook

In contrast to the prevailing global headwinds, the Indian economy stands out as a beacon of relatively strong and resilient growth. India is projected to maintain its position as one of the fastest-growing major economies worldwide. The IMF forecasts India's economy to expand by 6.2 per cent in 2025 and 6.3 per cent in 2026. Other estimates from organizations like the OECD, RBI and S&P Global also hover around the 6.4-6.5 per cent range for FY 2025-26, highlighting a broad consensus on India's strong growth momentum.

Several factors are contributing to the robust growth of the Indian economy. On the demand side, healthy private consumption continues to be a major engine of growth, supported by resilient consumer sentiment. Investment activity has gained traction and it is expected to improve further on the back of sustained higher capacity utilisation, government's continued thrust on infrastructure spending, healthy balance sheets of banks and corporates, along with the easing of financial conditions. Merchandise exports will be weighed down by global uncertainties, while services exports are expected to remain resilient. Headwinds from global trade disruptions continue to pose downward risks.

The cooling inflation, reduction in the policy repo rate by the RBI and income tax relief measures announced in the Union Budget 2025-26 are also expected to provide a boost to domestic demand. Rural demand is also expected to remain strong, fuelled by a thriving agricultural sector. Supportive government initiatives and recent monetary policy easing are also creating a favourable environment for economic activity.

On the supply side, prospects of agriculture sector remain bright on the back of healthy reservoir levels and robust crop production. Manufacturing activity is showing signs of revival with business expectations remaining optimistic. The financial sector remains resilient, providing crucial support to economic activity. India's services sector, including its vibrant technology and business services segments, continues to perform steadily, contributing significantly to growth and exports.

Headline Consumer Price Index (CPI) inflation in India has shown a moderating trend which has been largely by a correction in food prices. The softening of inflation along with fiscal consolidation by the government will encourage RBI to continue with its rate easing cycle.

India's external sector exhibits considerable resilience. Services exports, particularly in areas like information technology and business process outsourcing, have remained relatively buoyant despite global economic uncertainties. Furthermore, the current account deficit has shown a narrowing trend, reflecting a better balance between India's earnings from and payments to the rest of the world.

आशावादी दृष्टिकोण के बावजूद, भारतीय अर्थव्यवस्था वैश्विक चुनौतियों से पूरी तरह से अछूती नहीं है। बढ़ते व्यापार तनाव और टैरिफ अनिश्चितताएं भारत के व्यापार प्रवाह और निवेश माहौल पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती हैं। वैश्विक आर्थिक मंदी की अपेक्षा कहीं अधिक तेज गति से भारतीय वस्तुओं और सेवाओं की बाहरी मांग भी कम हो सकती है और पूंजी प्रवाह प्रभावित हो सकता है। घरेलू स्तर पर, वैश्विक कमोडिटी कीमतों में उतार–चढ़ाव और प्रतिकूल मौसम की घटनाओं की संभावना मुद्रास्फीति के लिए जोखिम पैदा करती है।

वैश्विक अर्थव्यवस्था धीमी वृद्धि के दौर से गुजर रही है, जिसका मुख्य कारण बढ़ते व्यापार तनाव और निरंतर मुद्रास्फीति का दबाव है। इसके विपरीत, भारतीय अर्थव्यवस्था में मजबूत वृद्धि की गति बने रहने का अनुमान है, जो ठोस घरेलू मांग और लचीले क्षेत्रों द्वारा प्रेरित है। जबकि भारत संभावित वैश्विक जोखिमों के प्रति सचेत है, इसके सशक्त बुनियादी ढांचे और सहायक नीतिगत वातावरण इसे वर्तमान वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में अनुकूल स्थिति में रखते हैं।

### भारतीय बैंकिंग क्षेत्र का परिदृश्य

भारतीय बैंकिंग क्षेत्र का परिदृश्य स्थिर और सकारात्मक प्रतीत होता है, जो लचीली घरेलू अर्थव्यवस्था और सुधरते वित्तीय मापदंडों पर आधारित है।

भारत की मजबूत आर्थिक वृद्धि, जिसे आरबीआई और अन्य संस्थानों द्वारा वित्त वर्ष 26 के लिए लगभग 6.5% अनुमानित किया गया है, जो विभिन्न क्षेत्रों में ऋण मांग को बढ़ावा दे रही है। जबकि हाल के महीनों में समग्र ऋण विकास में कुछ गिरावट देखी गई है (एचडीएफसी बैंक विलय प्रभाव को छोड़कर मई 2025 में 10% की वर्ष–दर–वर्ष वृद्धि), आने वाले वित्तीय वर्ष में इसमें 12–13% तक सुधार होने की उम्मीद है।

भारतीय बैंकों की आस्ति गुणवत्ता में निरंतर सुधार हुआ है। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) की सकल गैर–निष्पादित आस्तियाँ (जीएनपीए) दिसंबर 2024 तक 12 साल के निचले स्तर 2.5% पर आ गई हैं। यह प्रवृत्ति बैंकों द्वारा श्रेष्ठतर जोखिम प्रबंधन और वसूली प्रयासों का संकेत देती है।

भारतीय बैंकों की लाभप्रदता में निरंतर वृद्धि हो रही है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) ने वित्त वर्ष 2025 की पहली तीन तिमाहियों में शुद्ध लाभ में 31.3% की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की, जो ₹ 1.29 लाख करोड़ के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया। यह मजबूत परिचालन लाभ और एनपीए में गिरावट से समर्थित है। बैंकों के लिए आस्तियों पर प्रतिलाभ ( आरओए ) और रिटर्न ऑन इक्विटी ( आरओई ) में भी सुधार हुआ है।

भारतीय बैंकों के पास पर्याप्त पूंजी है, पीएसबी के लिए जोखिम–भारित परिसंपत्तियों के लिए कुल पूंजी अनुपात (सीआरएआर) 14.83% के आरामदायक अच्छे स्तर पर है, जो विनियामक आवश्यकता से काफी ऊपर है। यह संभावित झटकों को झेलने के लिए एक मजबूत बफर प्रदान करता है और भविष्य में ऋण वृद्धि का समर्थन करता है।

व्यक्तिगत ऋण, गृह ऋण और स्वर्ण ऋण की मांग के कारण खुदरा ऋण क्षेत्र में मजबूत गति जारी है। यद्यपि असुरक्षित व्यक्तिगत ऋण और क्रेडिट कार्ड की वृद्धि दर पिछले उच्च स्तर से धीमी हो गई है,

Despite the optimistic outlook, the Indian economy is not entirely immune to global headwinds. Escalating trade tensions and tariff uncertainties could negatively impact India's trade flows and investment climate. A sharper-than-anticipated global economic slowdown could also dampen external demand for Indian goods and services and affect capital flows. Domestically, volatility in global commodity prices and the potential for adverse weather events pose upside risks to the inflation trajectory.

The global economy is navigating a period of slower growth, primarily due to escalating trade tensions and persistent inflationary pressures. The Indian economy, in contrast, is projected to maintain strong growth momentum, driven by robust domestic demand and resilient sectors. While India remains mindful of potential global risks, its strong fundamentals and supportive policy environment position it favourably in the current global economic landscape.

### Indian Banking Sector Outlook

The outlook for the Indian banking sector appears stable and positive, underpinned by a resilient domestic economy and improving financial metrics.

India's robust economic growth, projected at around 6.5 per cent for FY 2025-26 by the RBI and other institutions, continues to fuel credit demand across various sectors. While overall loan growth has seen some moderation in recent months (year-on-year growth of 10 per cent in May 2025), it is expected to recover to 12-13 per cent in the ongoing fiscal year.

The asset quality of Indian banks has shown consistent improvement. Gross Non-Performing Assets (GNPAs) of Scheduled Commercial Banks (SCBs) fell to a 12-year low of 2.5 per cent as on December 2024. This trend indicates better risk management and recovery efforts by banks.

The profitability of Indian banks has been on an upward trajectory. Public Sector Banks (PSBs) recorded a significant 26.3 per cent year-on-year growth in net profit in the FY25, reaching a record high of Rs. 1.78 Lakh Crore. This is supported by strong operating profits and a decline in NPAs. The Return on Assets (RoA) and Return on Equity (RoE) for banks have also shown improvement.

Indian banks are adequately capitalized, with the Aggregate Capital to Risk-Weighted Assets Ratio (CRAR) for PSBs standing at a comfortable 14.83 per cent as of December 2024, well above the regulatory requirement. This provides a strong buffer to absorb potential shocks and support future credit growth.

The retail loan sector continues to exhibit strong momentum, driven by demand for personal loans, home loans and gold

फिर भी समग्र खुदरा ऋण बैंकों के लिए प्रमुख विकास चालक बना हुआ है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) तथा कृषि क्षेत्र ऋण वृद्धि मजबूत बनी हुई है, जो इन प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों पर बैंकों के फोकस को दर्शाती है।

भारतीय बैंकों के लिए वित्तपोषण और चलनिधि की स्थिति स्थिर रहने की उम्मीद है, तथा जमा वृद्धि, ऋण वृद्धि के अनुरूप रहेगी। यद्यपि कम लागत वाले चालू खाता और बचत खाता (सीएएसए) जमा के लिए प्रतिस्पर्धा है, फिर भी समग्र जमा आधार का विस्तार जारी है।

भारतीय बैंक डिजिटल बैंकिंग सेवाओं को अपनाने और प्रदान करने, कार्यकुशलता और ग्राहक पहुंच बढ़ाने में वैश्विक औसत से आगे निकल रहे हैं।

**संभावित चुनौतियाँ और विचार**

हालांकि कुल मिलाकर संपत्ति की गुणवत्ता में सुधार हो रहा है, लेकिन रेटिंग एजेंसी को आने वाले वर्ष में असुरक्षित खुदरा ऋण, माइक्रोफाइनेंस और छोटे व्यवसाय ऋण में संभावित तनाव के कारण थोड़ी गिरावट की उम्मीद है। बैंकों को इन खंडों की निगरानी में सतर्क रहने की आवश्यकता होगी।

आरबीआई द्वारा ब्याज दरों में मामूली कटौती से नेट इंटरेस्ट मार्जिन (एनआईएम) में थोड़ी कमी आ सकती है क्योंकि जमा से पहले ऋण दरों का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है। हालांकि, गैर–ब्याज आय मजबूत बने रहने की उम्मीद है।विशेष रूप से कम लागत वाले कासा, जमा को आकर्षित करने के लिए ऋणदाताओं के बीच तीव्र प्रतिस्पर्धा, कुछ बैंकों के लिए वित्तपोषण लागत पर दबाव डाल सकते हैं।

यद्यपि घरेलू परिदृश्य सकारात्मक है, फिर भी भारतीय बैंकिंग क्षेत्र अप्रत्यक्ष रूप से वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं, जिनमें व्यापार तनाव और संभावित वैश्विक मंदी शामिल है, के प्रति संवेदनशील बना हुआ है, जिसका प्रभाव व्यापार वित्त और समग्र आर्थिक भावना पर पड़ सकता है।

कुल मिलाकर, भारतीय बैंकिंग क्षेत्र वित्त वर्ष 26 में देश की आर्थिक वृद्धि को सहारा देने के लिए अच्छी स्थिति में है। मजबूत बुनियादी बातें, परिसंपत्ति गुणवत्ता में सुधार, स्वस्थ लाभप्रदता और पर्याप्त पूंजी बफर एक स्थिर दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। हालांकि कुछ चुनौतियाँ बनी हुई हैं, लेकिन इस क्षेत्र का लचीलापन और अनुकूलनशीलता निरंतर सकारात्मक प्रदर्शन का संकेत देती है।

**II. अवसर**

भारत का लक्ष्य 2030 तक 7 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनना है, इसलिए बैंकिंग क्षेत्र आर्थिक विकास को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार है। बैंकिंग गतिविधि को बढ़ाने के लिए डिजाइन किए गए लक्षित राजकोषीय और मौद्रिक उपायों के साथ–साथ तकनीकी नवाचारों और गतिशील ग्राहक वातावरण के समर्थन से, बैंकिंग उद्योग एक उल्लेखनीय परिवर्तन से गुजर रहा है।

केंद्रीय बजट 2025–26 में पूंजीगत व्यय, निजी खपत, कौशल और रोजगार सृजन पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जो बैंकिंग क्षेत्र के विकास के लिए कई अवसर प्रदान करता है। राजकोषीय विवेक के साथ–साथ, सरकार ने केंद्रीय बजट में बुनियादी ढांचे के निर्माण पर अपनी पकड़ बनाई हुई है, जिसमें वित्त वर्ष 2026 में पूंजीगत व्यय को वर्ष–दर–वर्ष 10 प्रतिशत बढ़ाकर 11.2 ट्रिलियन रुपये (वित्त

loans. While the growth rate of unsecured personal loans and credit cards has moderated from previous highs, overall retail credit remains a key growth driver for banks. Credit growth to Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) and the agriculture sector remains robust, reflecting the banks' focus on these sectors.

Funding and liquidity conditions for Indian banks are expected to remain stable, with deposit growth aligning with loan growth. While there is competition for Current Account and Savings Account (CASA) deposits, the overall deposit base continues to expand.

Indian banks are outpacing the global average in the adoption and provision of digital banking services, enhancing efficiency and customer reach.

**Potential Challenges and Considerations**

While overall asset quality is improving, a Moody's expects a slight deterioration in the coming year due to potential stress in unsecured retail loans, microfinance and small business loans. Banks will need to remain vigilant in monitoring these segments.

Interest rate cuts by the RBI, could lead to a slight compression in Net Interest Margins (NIMs) as loan rates are repriced before deposits. However, non-interest income is expected to remain robust. While the domestic outlook is positive, the Indian banking sector remains indirectly susceptible to global economic uncertainties, including trade tensions and a potential global slowdown, which could impact trade finance and overall economic sentiment.

Overall, the Indian banking sector appears well-positioned to support the country's economic growth in FY 2025-26. Strong fundamentals, improving asset quality, healthy profitability and adequate capital buffers provide a stable outlook. While some challenges remain, the sector's resilience and adaptability suggest continued positive performance.

**II. Opportunities**

As India aims to achieve its USD 7 trillion economy target by 2030, the banking sector is poised to play a crucial role in driving economic growth. Supported by targeted fiscal and monetary measures designed to enhance banking activity, along with technological innovations and a dynamic customer environment, the banking industry is undergoing a remarkable transformation.

The Union Budget 2025-26 with its focus on capex, private consumption, skilling and employment generation serves up several opportunities for growth of the banking sector. Alongside fiscal prudence, the government has maintained its thrust on infrastructure creation in the Union Budget with

वर्ष 25 में 10.2 ट्रिलियन के संशोधित अनुमान से) करने का बजट रखा गया है। इसके अलावा, 2025–2030 के लिए संपत्ति मुद्रीकरण योजना जिसमें बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 10 लाख रुपये की सार्वजनिक संपत्ति का मुद्रीकरण किया जाएगा, शहरों के पुनर्विकास के लिए 10,000 करोड़ रुपये का शहरी चुनौती कोष स्थापित किया जाएगा, और सड़क, रेलवे, रक्षा और दूरसंचार सहित विशिष्ट क्षेत्रों पर पूंजीगत व्यय आर्थिक विकास और ऋण मांग को बढ़ावा देगा।

इसके अलावा, केंद्रीय बजट में कई उपायों की घोषणा की गई है, जिनसे बैंकिंग उद्योग को काफी लाभ मिलने की उम्मीद है। इनमें से कुछ पर नजर डालें तो, बजट में घोषित कर उपायों से नागरिकों के बीच बचत बढ़ने के कारण बैंक जमा में वृद्धि होने की उम्मीद है। जमा में वृद्धि से बैंकिंग प्रणाली में चलनिधि बढ़ाने में मदद मिलेगी, जिससे बैंकों को गति बनाए रखने के लिए ऋण देने में सहायता मिलेगी।

केसीसी के माध्यम से बढ़े हुए ऋण से भी ऋण अवसरों को बढ़ावा मिलेगा, जो संकट और मूल्य में उतार–चढ़ाव के दौरान किसानों को राहत प्रदान करेगा और पीएम मत्स्य किसान समृद्धि सह–योजना जो ऋण प्रवाह को बढ़ावा देने के लिए मत्स्य पालन क्षेत्र को औपचारिक रूप देगी। स्वच्छ तकनीक पर सरकार का जोर अक्षय ऊर्जा, ईवी और बैटरी तकनीक, महत्वपूर्ण खनिजों आदि के उभरते क्षेत्रों में घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देगा और इन क्षेत्रों में ऋण की मांग पैदा करेगा। पीएलआई योजनाओं के लिए आबंटन में पर्याप्त वृद्धि से पीएलआई क्षेत्रों में पूंजीगत व्यय को बढ़ावा मिलेगा, जिससे कुल ऋण उठाव में वृद्धि होगी।

भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) द्वारा वित्त वर्ष 2025.26 में सामान्य से अधिक मानसून का पूर्वानुमान लगाए जाने के साथ, कृषि ऋण की मांग में वृद्धि की उम्मीद की जा सकती है। रबी और खरीफ की अच्छी फसल तथा आरामदायक जलाशय स्तरों के साथ कृषि क्षेत्र अपनी गति को आगे भी बनाए रखेगा। फसल उत्पादन गतिविधियों के लिए कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं, कृषि उपकरण खरीदने के लिए ऋण और सावधि ऋण तथा संबद्ध कृषि गतिविधियों, विशेष रूप से कृषि भंडारण तथा खाद्य एवं कृषि प्रसंस्करण के लिए वित्तपोषण के लिए कार्यशील पूंजी के लिए ऋण की मांग अधिक होने की संभावना है। औसतन, अप्रैल 2024–फरवरी 2025 के दौरान, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) द्वारा कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए बैंक ऋण में 16.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई। हालांकि, लू और मौसम की अप्रत्याशित घटनाएं अधोमुखी जोखिम पैदा करती है।

नवंबर 2023 में भारतीय रिजर्व बैंक के हस्तक्षेप के बाद, असुरक्षित ऋणों की वृद्धि में उल्लेखनीय कमी आई है। दूसरी ओर, गोल्ड लोन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इस उछाल को कृषि से खुदरा ऋणों में गोल्ड लोन के पुनर्वर्गीकरण से जोड़ा जा सकता है, क्योंकि खुदरा ऋण उच्च पात्र सीमा प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त, सोने की कीमतों में वृद्धि ने इस अवधि के दौरान खुदरा गोल्ड लोन में वृद्धि को और बढ़ावा दिया है। यह अनुमान है कि वित्त वर्ष 2026 में, बैंकों के लिए खुदरा ऋणों की प्राथमिकता बनी रहेगी, आवास की बढ़ती मांग, अपेक्षित ब्याज दरों में कमी, परिसंपत्ति की गुणवत्ता में सुधार और बड़े टिकट आकार के कारण बंधक प्रचलित रहेंगे।

capital expenditure budgeted to grow 10 per cent year-on-year in FY 2025-26 to Rs. 11.2 trillion (from the revised estimates of 10.2 trillion in FY 2024-25). Further, the Asset Monetization Plan for 2025-2030 wherein public assets worth Rs.10 Lakh Crore will be monetized for infrastructure growth, setting up of an Urban Challenge Fund of Rs. 10,000 Crore for FY 2025-26 to redevelop cities and capital expenditure on specific sectors including roads, railways, defence and telecommunications will spur economic development and credit demand.

Further, the Union Budget has announced several measures that are expected to substantially benefit the Banking industry. To touch upon a few, the tax measures announced in the Budget are expected to enhance bank deposits on the back of higher savings among citizens. The increase in deposits will help enhance liquidity in the banking system, allowing banks to extend loans to keep the momentum going.

Lending opportunities will also get a lift from the enhanced credit through KCC which will provide relief to farmers during distress and price fluctuations and PM Matsya Kisan Samridhi Sah-Yojana which will formalize the fisheries sector to boost credit flow. The Government's thrust on clean technology will drive domestic manufacturing in emerging sectors of renewable energy, EVs & battery tech, critical minerals, etc. and generate credit demand in these sectors. Substantial increase in allocation to PLI schemes in electronics and IT hardware, automobiles and auto components and textile sector will boost capex in these sectors; thereby enhancing credit offtake.

With the India Meteorological Department (IMD) forecasting an above-normal monsoon in FY 2025-26, a rise in demand for agricultural loans can be anticipated. The agriculture sector will sustain its momentum with a bumper Rabi and Kharif crop and comfortable reservoir levels. Credit demand is likely to be higher to support working capital requirements for crop production activities, loans for buying farm equipment and term loans and working capital for allied agriculture activities, especially for agriculture storage and financing for food and agro-processing. During Apr'24-Mar'25, bank credit by Scheduled Commercial Banks (SCB) to agriculture and allied activities grew 10.4 per cent YoY. However, heatwaves and the possibility of extreme weather events pose risk to the downside.

Following the Reserve Bank of India's intervention in November 2023, there has been a notable slowdown in the growth of unsecured loans. On the other hand, there has been a significant increase in gold loans. The rise in gold prices has fueled the growth in retail gold loans during this period. It is anticipated that in the fiscal year 2026, retail loans will continue to be a primary focus for banks, with mortgages remaining prevalent due to ongoing demand for housing, expected interest rate reductions, improving asset quality and larger ticket size.

भारत का बैंक ऋण–जीडीपी अनुपात अन्य देशों की तुलना में (तुलनात्मक रूप से) कम है, जो समग्र ऋण वृद्धि के लिए पर्याप्त क्षमता दर्शाता है। वित्त वर्ष 25 में, ऋण वृद्धि की गति धीमी हो गई, जिसका मुख्य कारण असुरक्षित खुदरा ऋण में कमी और गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) को ऋण में कमी है। यद्यपि, हाल ही में, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने एनबीएफसी पर लागू पहले के जोखिम–भार को बहाल कर दिया है, जिससे आगे ऋण देने के लिए बैंकों से एनबीएफसी को धन का प्रवाह बढ़ने की उम्मीद है। लिक्विडिटी कवरेज रेशियो (एलसीआर) संरचना को स्थगित करने के साथ, इनसे वित्त वर्ष 26 में बैंक ऋण में वृद्धि की उम्मीद है।

भारत का डिजिटल ऋण परिदृश्य एक महत्वपूर्ण परिवर्तन का अनुभव कर रहा है। यह परिवर्तन तकनीकी प्रगति, विनियामक अपडेट और उपभोक्ता वरीयताओं में परिवर्तन से प्रेरित है। परिणामस्वरूप, डिजिटल ऋण व्यक्तियों और व्यवसायों दोनों के ऋण प्राप्त करने के तरीके में क्रांतिकारी बदलाव ला रहा है। कागज रहित ऋण आवेदनों का उद्भव, AI–संचालित ऋण आकलन के साथ, ऋण प्रक्रिया को सुव्यवस्थित कर रहा है, इसे उधारकर्ताओं के लिए तेज, अधिक सुलभ और अधिक उपयोगकर्ता–अनुकूल बना रहा है।

पंजाब नैशनल बैंक में हमारा मिशन है, "ग्राहकों और अन्य हितधारकों के लिए मूल्य सृजन, कर्मचारियों के लिए अवसर पैदा करने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर गुणवत्तापूर्ण वित्तीय सेवाएं प्रदान करना और इस प्रकार, राष्ट्र की आर्थिक वृद्धि में योगदान देना।" वित्तीय वर्ष 2024–25 में, हमारे बैंक ने न केवल डिजिटलीकरण को अपनाया है, बल्कि डिजिटल बैंकिंग सेवाओं के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका भी निभाई है। पीएनबी वन मोबाइल बैंकिंग ऐप और इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं को 250 से अधिक सुविधाओं से समृद्ध किया गया है, जो विभिन्न ग्राहकों की जरूरतों और प्राथमिकताओं को पूरा करती हैं। इसके अतिरिक्त, बैंक ने कॉर्पोरेट ग्राहकों के लिए एक मोबाइल बैंकिंग एप्लिकेशन लॉन्च की है, जो 150 से अधिक सुविधाओं से समृद्ध है। ग्राहकों की सुविधा को और बढ़ाने के लिए, बैंक ने वर्ष के दौरान कई डिजिटल ऋण यात्राएँ शुरू की हैं। पीएनबी डिजिटल मोड में पीएम विश्वकर्मा योजना शुरू करने वाला पहला बैंक बन गया। अन्य डिजिटल यात्राओं में डिजिटल शिक्षा ऋण, डिजिटल कार्यशील पूंजी नवीनीकरण, डिजिटल वाहन ऋण आदि शामिल हैं। इसके अलावा, तकनीक–प्रेमी ग्राहकों की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए, बैंक ने 80 सेवाओं के साथ व्हाट्सएप बैंकिंग शुरू की। इस वित्तीय वर्ष में, कई प्रमुख नई कार्यक्षमताएं भी शुरू की गई हैं।

बैंकिंग क्षेत्र में कार्यनीतिक निर्णय लेने के लिए पर्यावरण, सामाजिक और शासन (ईएसजी) संबंधी विचार मुख्य बन गए हैं। हरित वित्तपोषण पहल, धारणीय ऋण प्रथाएँ और मजबूत सामाजिक प्रभाव वाले व्यवसायों का समर्थन करना अब वैकल्पिक नहीं रह गया है, बल्कि दीर्घकालिक सफलता के लिए आवश्यक है। नवीकरणीय ऊर्जा पर सरकार का ध्यान इस बदलाव को और आगे ले जाएगा। जो बैंक अपने परिचालन में ईएसजी सिद्धांतों को सक्रिय रूप से एकीकृत करते हैं, वे न केवल अधिक सुरक्षित भविष्य में योगदान दे रहे हैं, बल्कि अपनी प्रतिष्ठा भी बढ़ा रहे हैं, सामाजिक रूप से जागरूक निवेशकों को आकर्षित कर रहे हैं, और पर्यावरणीय और सामाजिक जोखिमों को कम कर रहे हैं। आधार के माध्यम से ग्राहकों को जोड़ने पर आधारित हमारी पीएनबी वन मोबाइल एप्लिकेशन के लिए हमारे बैंक को वार्षिक ग्रीन बैंकिंग पहल की श्रेणी में वित्त वर्ष 2024–25 के लिए ग्लोबल फिनटेक अवार्ड्स 2024 में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।

India's bank credit-to-GDP ratio is comparatively low relative to other nations, indicating substantial potential for overall credit growth. In FY25, the pace of credit offtake slowed, primarily due to a reduction in unsecured retail lending and a decrease in loans to non-banking financial companies (NBFCs). However, recently, the Reserve Bank of India (RBI) restored the earlier risk-weights applicable to NBFCs, which is expected to increase the flow of funds from banks to NBFCs for on-lending. Along with the postponement of the Liquidity Coverage Ratio (LCR) framework, these are expected to enhance bank credit growth in FY26.

India's digital lending landscape is experiencing a significant transformation. This change is driven by technological advancements, regulatory updates and shifting consumer preferences. As a result, digital lending is revolutionizing the way both individuals and businesses obtain credit. The emergence of paperless loan applications, combined with AI-powered credit assessments, is streamlining the lending process, making it quicker, more accessible and more user-friendly for borrowers.

In FY 2024-25, the Bank has not only embraced digitalization but has also emerged as a frontrunner in the domain of digital banking services. The PNB One Mobile Banking App and Internet Banking Services have been enriched with 250+ features, catering to diverse customer needs and preferences. Additionally, the Bank has launched a mobile banking application for corporate customers, which is enriched with 150+ features. To further enhance customer convenience, the Bank has launched several digital lending journeys during FY 2024-25. PNB became the first bank to launch PM Vishwakarma Scheme in digital mode. Other digital journeys include Digital Education Loan, Digital Working Capital Renewal, Digital Vehicle Loan, etc. Further, to cater to the evolving needs of tech-savvy customers, the Bank launched WhatsApp banking with 80+ services available. During FY 2024-25, several new functionalities have been introduced as well.

Environmental, Social and Governance (ESG) considerations have become central to strategic decision-making in the banking sector. Green financing initiatives, sustainable lending practices and supporting businesses with a strong social impact are no longer optional but are essential for long-term success. The Government's focus on renewable energy further drives this shift. Banks that proactively integrate ESG principles into their operations are not only contributing to a more sustainable future but also enhancing their reputation, attracting socially conscious investors and mitigating environmental and social risks. The Bank has been awarded the First prize in the Global Fintech Awards 2024 for FY 2024-25 in the category of Green Banking Initiative of the Year for PNB One mobile application based on-boarding of customers through Aadhaar.

आस्ति गुणवत्ता और विनियामक परिवर्तनों के बारे में चिंताओं के कारण सूक्ष्म वित्त क्षेत्र लंबे समय से चली आ रही मंदी से उबर रहा है। संकेतक अब सूक्ष्म वित्त संस्थानों (एमएफआई) की आस्ति गुणवत्ता में सुधार की ओर इशारा कर रहे हैं। एमएफआई परिदृश्य में सुधार और मजबूत ऋण वृद्धि से निवेशकों का विश्वास बढ़ रहा है– जो इस क्षेत्र में विदेशी पूंजी को आकर्षित कर रहा है। बैंक अपने आधारभूत नेटवर्क का लाभ उठाने के लिए एमएफआई के साथ साझेदारी कर सकते हैं। ये सहयोग बैंकों को बैंकिंग सुविधा से वंचित समुदायों तक पहुंचने और छोटे उधारकर्ताओं को ऋण देने से जुड़े जोखिमों को कम करने में सहायता कर सकते हैं।

### III. संकट

बैंकों को जमा अभिवृद्धि के लिए प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा, विशेष रूप से कम लागत वाली चालू और बचत खाता (सीएएसए) जमा के लिए। पिछले दो वित्तीय वर्षों में एक चिंताजनक असंतुलन सामने आया है : ऋण विस्तार ने जमा वृद्धि को पीछे छोड़ दिया है, जिससे बैंकों के लिए चलनिधि का दबाव पैदा हो रहा है। हालांकि मंदी के कारण ऋण मांग का यह असंतुलन कम हो गया है, लेकिन कम जमा वृद्धि एक संरचनात्मक मुद्दा बनी हुई है।

बैंकों को अपने निवल ब्याज मार्जिन (एनआईएम) पर दबाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि अग्रिमों का तुरंत पुनर्मूल्यांकन किया जाएगा, जबकि जमाओं का पुनर्मूल्यांकन कुछ समय बाद होगा। हालांकि, वर्ष के उत्तरार्द्ध में सावधि जमा दरों में कमी आने की संभावना है और बैंकों की जमा वृद्धि कम लागत वाली सीएएसए जमाओं की ओर स्थानांतरित होने की उम्मीद है।

बैंकिंग क्षेत्र के लिए आस्ति गुणवत्ता अभी भी एक उम्मीद बनी हुई है, सकल अनर्जक आस्तियां (जीएनपीए) वित्त वर्ष 25 की पहली छमाही में 12 साल के निचले स्तर 2.5 प्रतिशत और शुद्ध अनर्जक आस्तियां (एनएनपीए) 0.6 प्रतिशत पर हैं, प्रतिभूति रहित खुदरा ऋणों में दबाव उभर रहा है, जिसमें व्यक्तिगत ऋण और क्रेडिट कार्ड शामिल है। इन क्षेत्रों में दुर्व्यवहार में वृद्धि हुई है, विशेष रूप से स्व–रोजगार वाले व्यक्तियों और अनौपचारिक आय स्रोतों वाले युवा उधारकर्ताओं में।

इसके अलावा, यह क्षेत्र साइबर सुरक्षा खतरों का सामना कर रहा है जो अब और भी अधिक जटिल होते जा रहे हैं। रैनसमवेयर हमले अधिक लक्षित हो गए हैं, जो अक्सर महत्वपूर्ण प्रणालियों को पंगु बना देते हैं और भारी भुगतान की मांग करते हैं, तो मजबूत बैकअप और एन्क्रिप्शन की आवश्यकता पर बल देते हैं। साइबर अपराधी जटिल फिशिंग योजनाओं और अनुकूली मैलवेयर को लॉन्च करने के लिए तेजी से एआई का उपयोग कर रहे हैं, जिससे एआई–संचालित सुरक्षा अनिवार्य हो गई है।क्लाउड–आधारित बुनियादी ढांचे को अपनाने के साथ, बैंकों में डेटा उल्लंघन की संभावना अधिक होती है, जिसके लिए मजबूत एन्क्रिप्शन, मल्टीफैक्टर प्रमाणीकरण और लगातार ऑडिट की आवश्यकता होती है। थर्ड पार्टी वेंडर पर निर्भरता से जोखिम और अधिक बढ़ जाता है, जिसके लिए कड़े साइबर सुरक्षा प्रोटोकॉल और नियमित मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त, क्वांटम कंप्यूटिंग के आगमन से पारंपरिक एन्क्रिप्शन के लिए भविष्य में खतरा पैदा हो सकता है, जिससे बैंकों को क्वांटम–सुरक्षित क्रिप्टोग्राफी अपनाना आवश्यक हो जाता है। इन उभरती चुनौतियों के लिए निरंतर नवाचार और मजबूत सुरक्षा उपायों में सक्रिय निवेश की आवश्यकता है।

The micro-finance sector is recovering from its prolonged slump due to concerns about asset quality and regulatory changes. Indicators are now pointing towards improvement in the asset quality of Micro Finance Institutions (MFIs). Improvement in MFI outlook and strong loan growth is boosting investor confidence- attracting foreign capital into this sector. Banks can partner with MFIs to leverage their grassroots networks. These collaborations can help banks reach unbanked communities and reduce the risks associated with lending to small borrowers.

### III. Threats

Banks will continue to face competition for deposit accretion, especially for low-cost Current and Savings Account (CASA) deposits. The past two fiscal years exposed a worrying mismatch: credit expansion outpaced deposit growth, creating liquidity pressures for banks. Though this imbalance has eased due to a slowdown in credit demand, low deposit growth remains a challenge.

Banks are likely to witness pressure on their Net Interest Margins (NIMs) as advances will be repriced immediately while deposits will be repriced with a lag. However, during the latter part of the year, with likely reduction in fixed deposit rates, banks' deposit accretion is expected to shift towards low-cost CASA deposits.

Asset quality although remains a bright spot for the banking sector, with gross non-performing assets (GNPA) at a 12-year low of 2.5 per cent and net non-performing assets (NNPA) at 0.6 per cent as on 31st December 2024. Stress is emerging in unsecured retail loans, including personal loans, credit cards as misconducts in these segments have risen, especially among self-employed individuals and younger borrowers with informal income sources.

Further, the sector confronts cybersecurity threats which are now growing even more sophisticated. Ransomware attacks have grown more targeted, often paralyzing critical systems and demanding huge payments, highlighting the need for robust backups and encryption. Cybercriminals are increasingly using Artificial Intelligence (AI) to launch sophisticated phishing schemes and adaptive malware, making AI-driven defences indispensable. With the shift to cloud-based infrastructures, banks are vulnerable to data breaches, requiring strong encryption, multifactor authentication and consistent audits. Dependence on third-party vendors introduces further risks, necessitating stringent cybersecurity protocols and regular assessments. Additionally, the advent of quantum computing poses a future threat to traditional encryption, urging banks to adopt quantum-safe cryptography. These evolving challenges call for constant innovation and proactive investment in robust security measures.

इसके अलावा, तकनीक–प्रेमी प्रतिभाओं के लिए प्रतिस्पर्धा भी बढ़ रही है और प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए बैंकों को लगातार अपने कार्यबल का कौशल उन्नयन करना होगा तथा अपनी प्रणालियों को उन्नत करना होगा। फरवरी 2025 के महीने में प्रकाशित एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार, एआई–एमएल, उभरती हुई तकनीक (क्रिप्टो और ब्लॉकचेन), आईटी स्टार्टअप और बीएफएसआई क्षेत्र जैसे कुछ क्षेत्रों में समग्र भर्ती स्तरों में अच्छी वृद्धि देखी जा रही है। इसके अलावा, मशीन लर्निंग और निवेश बैंकिंग जैसी विशेष भूमिकाओं की भी काफी मांग है।

यद्यपि बढ़ती वैश्विक अनिश्चितताएं और कमजोर होता वैश्विक आर्थिक परिदृश्य कमजोर मांग के रूप में समग्र विकास और बैंकिंग उद्योग को प्रभावित कर सकता है, भारत अपनी मजबूत घरेलू अर्थव्यवस्था, सकल घरेलू उत्पाद में मामूली बाह्य ऋण अनुपात, निर्यात पर अपेक्षाकृत कम निर्भरता और पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार के कारण बाह्य प्रतिकूलताओं से अपेक्षाकृत सुरक्षित है। वित्त वर्ष 2024–25 में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 668.33 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा। पिछले कुछ वर्षों में विदेशी मुद्रा भंडार लगातार बढ़ रहा है और वित्त वर्ष 2025 में यह अपने उच्चतम स्तर पर था।

चूंकि विनियामक वातावरण तेजी से विकसित हो रहा है, इसलिए बैंकों के लिए यह भी जरूरी है कि वे ग्राहकों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रतिस्पर्धी और नवोन्मेषी बने रहते हुए प्रशासन, जोखिम प्रबंधन और अनुपालन को प्राथमिकता दें। निकट भविष्य में बैंकिंग उद्योग से यह अपेक्षा की जाएगी कि वह अनिश्चित विनियामक वातावरण में काम करे, वित्तीय रूप से लचीला बने, तथा गैर–वित्तीय जोखिमों और आंतरिक नियंत्रणों पर नजर रखे।इस संबंध में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ) का उपयोग कॉर्पोरेट प्रशासन को बेहतर बनाने में बहुत मदद कर सकता है। एआइ धोखाधड़ी और संदिग्ध लेनदेन की भविष्यवाणी कर सकता है, हितों के टकराव को ट्रैक कर सकता है, नियामक परिवर्तनों की निगरानी कर सकता है और सटीक वित्तीय रिपोर्टिंग प्रबंधन सुनिश्चित कर सकता है– जिससे कई अनुपालन व्यवस्थाओं को प्रबंधित करने में मदद मिलती है।

भारतीय बैंक डेटा स्थानीयकरण, ग्राहक सहमति प्रबंधन और जोखिम न्यूनीकरण जैसे नियामक ढांचे का पालन करते हुए आईटी आधारभूत संरचना में निवेश कर रहे हैं। कई संस्थान हाइब्रिड दृष्टिकोण अपना रहे हैं, मौजूदा ओपन–सोर्स मॉडल का उपयोग करके एआई–संचालित समाधानों को अनुकूलित करने के लिए इन–हाउस डेटा साइंस टीमों का निर्माण कर रहे हैं। इससे यह सुनिश्चित होता है कि एआई नवाचार भारतीय बैंकिंग की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप हों तथा अनुपालन और परिचालन नियंत्रण भी बना रहे।

इसके अलावा, बढ़ती जागरूकता और ईएसजी–पर्यावरण, सामाजिक, शासन कारकों पर बढ़ते फोकस के साथ, बैंकों के लिए प्रमुख ईएसजी मेट्रिक्स पर अपने प्रदर्शन को कुशलतापूर्वक ट्रैक करने और प्रबंधित करने के लिए तकनीक को बढ़ाने की आवश्यकता बढ़ रही है। बैंकों को, विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को अपने सिस्टम को अपग्रेड करने की आवश्यकता होगी, ताकि उनमें सॉफ्टवेयर एकीकृत किया जा सके, जिससे उन्हें जटिल अनुपालन विनियमों की ट्रैकिंग और निगरानी को स्वचालित करने, जोखिम प्रबंधन, वित्तीय रिपोर्टिंग की सटीकता सुनिश्चित करने और आकलन करने में मदद मिलेगी। हालांकि, एआई प्रणालियों को सावधानी से प्रबंधित करना और उचित सुरक्षा उपाय स्थापित करना भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि एआई के साथ डेटा पूर्वाग्रह और विश्वासघात होने का खतरा सहित कई जोखिम जुड़े हुए हैं।

Apart from this, competition for tech-savvy talent is gearing up and banks must constantly upskill their workforce and upgrade their systems to stay competitive. As per a recent Report published in the month of February'25, certain sectors such as AI-ML, emerging tech (crypto and block-chain), IT Start-ups and BFSI sector are witnessing good traction in overall hiring levels. Further, specialized roles such as Machine Learning and Investment Banking are high in demand.

Although rising global uncertainties and a weakening global economic outlook could impact overall growth and the banking industry as well in the form of weak demand, India is relatively insulated from external headwinds owing to its robust domestic economy, modest external debt to GDP ratio, relatively lower dependence on exports and substantial forex reserves. India's forex reserves stood at USD 668.3 billion at the end of the FY 2024-25. Forex reserves have been consistently rising and were at the highest in FY 2024-25.

As the regulatory environment is rapidly evolving, it is also imperative for banks to prioritize governance, risk management and compliance while remaining competitive and innovative to meet customer expectations. In the near future, banking industry will be expected to navigate an uncertain regulatory environment, exhibit financially resilient and keep an eye out for non-financial risks and internal controls. In this regard, use of AI can greatly help improve corporate governance. AI can predict fraud and suspicious transactions, track conflict of interest, monitor regulatory changes and ensure accurate financial reporting - thereby helping in managing multiple compliance regimes.

Indian banks are investing in IT infrastructure while adhering to the regulatory frameworks, such as data localization, customer consent management and risk mitigation. Many institutions are adopting a hybrid approach, building in-house data science teams to customize AI-driven solutions using existing open-source models. This ensures that AI innovations align with the unique requirements of Indian banking while maintaining compliance and operational control.

Moreover, with growing awareness and increasing focus on ESG-Environment, Social, Governance factors, there is an increasing need for banks to enhance technology to track and manage their performance on ESG metrics efficiently. Banks, especially PSBs will be required to upgrade their systems to integrate software that will help them automate the tracking and monitoring of complex compliance regulations, manage risks, ensure accuracy of financial reporting and conduct assessments. However, it is also important to manage AI systems with caution and establish appropriate safeguards as AI comes with its own share of risks including data bias and threat of breach of trust.

## IV. आउटलुक

पिछले वित्त वर्ष 2024–25 में ऋण वृद्धि पिछले तीन वर्षों में सबसे कमजोर रही है क्योंकि अर्थव्यवस्था की विकास की गति धीमी हो गई है, चलनिधि की कमी थी और बैंकों ने अपने उच्च ऋण जमा अनुपात को कम करने का प्रयास किया। वित्त वर्ष 2025 की पहली तीन तिमाहियों में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) की ऋण वृद्धि क्रमिक रूप से धीमी हो गई है। यद्यपि ऋण वृद्धि सितम्बर 2024 में 12.6 प्रतिशत से घटकर दिसम्बर 2024 में 11.8 प्रतिशत हो गई, तथापि सभी जनसंख्या समूहों (अर्थात् ग्रामीण, अर्ध–शहरी, शहरी और बैंकों की महानगरीय शाखाएँ) में दोहरे अंक की वृद्धि बनी रही, यद्यपि सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों के बैंकों में कुछ नरमी देखी गई।

विकास में कमी मुख्य रूप से व्यक्तिगत ऋणों के कारण हुई, विशेष रूप से आवास, उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं और क्रेडिट कार्ड में, कृषि और उद्योग क्षेत्रों को दिए जाने वाले ऋण की वृद्धि में भी कुछ कमी दर्ज की गई। आस्ति गुणवत्ता संबंधी चिंताओं और प्रतिभूति रहित व्यक्तिगत ऋणों पर जोखिम भार में वृद्धि के कारण दिसंबर 2023 में 30 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि के बाद, व्यक्तिगत ऋण वृद्धि क्रमिक गिरावट पर रही है – सितंबर 2024 में लगभग आधी होकर 15.2 प्रतिशत और दिसंबर 2024 में 13.7 प्रतिशत हो जाएगी। आगे चलकर, यह उम्मीद की जा रही है कि सिस्टम क्रेडिट ग्रोथ 12–13 प्रतिशत के दायरे में रहेगी। वित्त वर्ष 2025.26 में बैंकिंग सिस्टम के लिए जमा वृद्धि 10–11 प्रतिशत के दायरे में रहने की उम्मीद है।

वर्ष 2026 में भारत की मौद्रिक नीति का परिदृश्य मुद्रास्फीति संबंधी दबावों से निपटने के बजाय विकास को बढ़ावा देने पर केन्द्रित होने की उम्मीद है। भारत में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) द्वारा मापी गई खुदरा मुद्रास्फीति वित्त वर्ष 2024–25 में उल्लेखनीय रूप से गिरकर 4.6 प्रतिशत हो गई है, जो 2018–19 के बाद से सबसे कम है। इसके अलावा, मार्च 2025 के लिए वार्षिक मुद्रास्फीति दर घटकर 3.34 प्रतिशत हो गई, जो अगस्त 2019 के बाद सबसे कम मासिक मुद्रास्फीति दर है। यह भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की मौद्रिक नीति की प्रभावशीलता को उजागर करता है, जिसने मूल्य स्थिरता के साथ आर्थिक विस्तार को सफलतापूर्वक संतुलित किया है।

वित्त वर्ष 26 के लिए अपनी पहली द्विमासिक मौद्रिक नीति बैठक में, आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने लगातार दूसरी बार रेपो दर में 25 आधार अंकों (बीपीएस) की कटौती की। रेपो दर अब 6.00 प्रतिशत हो गई है। केंद्रीय बैंक ने भी अपना रुख 'तटस्थ' से बदलकर 'समायोज्य' कर दिया है, जो मांग को मजबूत करने और अर्थव्यवस्था के समग्र विकास की ओर जोर से बढ़ने का संकेत देता है। परिणामस्वरूप, विभिन्न साधनों में ब्याज दरें और प्रतिफल कम होने लगे हैं। इसके साथ ही नकदी आरक्षित अनुपात (सीआरआर) में कमी, परिवर्तनीय दर रेपो (वीआरआर) नीलामी की आवृत्ति में वृद्धि, खुले बाजार परिचालन (ओएमओ) खरीद, 56–दिवसीय वीआरआर नीलामी और यूएसडी/आईएनआर स्वैप सहित तरलता को आसान बनाने के लिए कई उपायों से भविष्य में ऋण विस्तार के लिए अनुकूल वातावरण विकसित होने की उम्मीद है। इसके अलावा, अमेरिकी शेयरों के काफी अधिक मूल्यांकित होने के कारण, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (एफपीआई) अब अन्य बाजारों की तलाश कर रहे हैं, भारत अपने स्थिर मैक्रो पर्यावरण के कारण सबसे आकर्षक निवेश स्थलों में से एक है, जो संभावित रूप से एफपीआई को आगे चलकर आकर्षित कर सकता है, जिससे तरलता में और आसानी होगी।

## IV. Outlook

Credit growth in the past FY 2024-25 has been lowest in the last three years as growth of the economy slowed down, liquidity was scarce and banks tried to moderate their high credit deposit ratios. Credit growth of Scheduled Commercial Banks (SCBs) has decelerated sequentially in the first three quarters of FY 2024-25. Though credit growth moderated to 11.8 per cent in December 2024 from 12.6 per cent in quarter ending September 2024, all the population groups in rural, semi-urban, urban and metropolitan areas of the country maintained double digit growth.

The moderation in credit growth was largely on account of personal loans, specifically in housing, consumer durables and credit card; credit to agriculture and industry sectors also recorded some tempering in the growth. After rising by over 30 per cent in December 2023, personal loan growth has been on sequential downtrend almost halving to 15.2 per cent YoY in September 2024 and further to 13.7 per cent YoY in December 2024, due to asset quality concerns and increase in risk weights on unsecured personal loans.

Going forward, it is expected that the system credit growth will remain in the range of 12-13 per cent. Deposit growth for the banking system is expected to be in the range of 9-11 per cent in FY 2025-26.

India's monetary policy landscape in 2026 is expected to shift focus from navigating inflationary pressures to bolstering growth. Retail inflation in India, measured by the Consumer Price Index (CPI), fell to a remarkable 4.6 per cent in the fiscal year 2024-25, the lowest in 6 years. Further, the YoY inflation rate for April 2025 dropped to 3.16 per cent, marking the lowest monthly inflation rate since July 2019. This highlights the effectiveness of the Reserve Bank of India's (RBI) monetary policy, which has successfully balanced economic expansion with price stability.

In its first Bi-monthly Monetary Policy meeting for FY26, the Monetary Policy Committee (MPC) of the RBI reduced the repo rate by 25 basis points (bps) for the second time in a row. The Repo rate now stands at 6.0 per cent. The Central Bank also changed its stance from 'Neutral' to 'Accommodative' indicating increasing thrust towards strengthening demand and overall growth of the economy. Consequently, interest rates and yields across various instruments have started to ease. This coupled with a series of measures to ease liquidity, including a reduction in the Cash Reserve Ratio (CRR), increased frequency of Variable Rate Repo (VRR) auctions, Open Market Operations (OMO) purchases, 56-day VRR auctions and USD/INR swaps are expected to foster a conducive environment for credit expansion going forward.

कॉर्पोरेट क्षेत्र में, विशेष रूप से बुनियादी ढांचे और विनिर्माण में निवेश में वृद्धि से व्यवसाय ऋण की मांग में वृद्धि होने की संभावना है। हाल के वर्षों में अपनी बैलेंस शीट को मजबूत करने वाले बैंकों से ऋण देने में आक्रामक बने रहने की उम्मीद है, क्योंकि सरकार द्वारा बुनियादी ढांचे के विकास और व्यापार करने में आसानी पर लगातार ध्यान दिया जा रहा है।

वित्त वर्ष 2026 में सभी बैंकों के पास पर्याप्त पूंजी रहने की उम्मीद है और कुछ बैंकों द्वारा उच्च ऋण मांग को पूरा करने के लिए पूंजी जुटाने की उम्मीद है। बैंकों के शुद्ध ब्याज मार्जिन (एनआईएम) पर वित्त वर्ष 26 में शुरुआत में असर पड़ने की उम्मीद है क्योंकि रेपो दर में कटौती से सबसे पहले उधार दरों में कमी आएगी और उसके बाद जमा दरों में कमी आएगी।

आस्ति गुणवत्ता के संबंध में, ऋण देने की पद्धति की सूक्ष्मता से निगरानी करना, मजबूत जोखिम अंकन मानकों को अपनाना, सख्त जोखिम मूल्यांकन प्रोटोकॉल का पालन करना महत्वपूर्ण रहेगा। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा ग्रामीण क्रेडिट स्कोर फ्रेमवर्क विकसित करने से, ग्रामीण क्षेत्रों में उधारकर्ताओं की ऋण पात्रता का बेहतर मूल्यांकन हो सकेगा, जिससे विशेषतरू ग्रामीण महिलाओं और स्वयं सहायता समूहों के लिए संभावित रूप से ऋण देने के अवसर और वित्तीय समावेशन में वृद्धि होगी। डेटा–संचालित ऋण मॉडल के कारण माइक्रोक्रेडिट में एनपीए कम होने की भी संभावना है। बैंक इसका लाभ उठाकर अप्रयुक्त उधारकर्ताओं तक पहुँच सकते हैं तथा समावेशी विकास में योगदान दे सकते हैं।

जबकि वैश्विक अर्थव्यवस्था लगातार भू–राजनीतिक संकटों का सामना कर रही है, भारतीय अर्थव्यवस्था अपने बड़े घरेलू बाजार और विदेशी व्यापार पर सीमित निर्भरता के कारण अपेक्षाकृत अधिक सुरक्षित बनी हुई है। जबकि सख्त व्यापार नीतियों से वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में परिवर्तन की संभावना है, भारत को लंबे समय में लाभ होगा क्योंकि यह सबसे आकर्षक निवेश स्थलों में से एक है, जो बैंकिंग उद्योग के लिए भी अच्छा संकेत है।

## V. खंड–वार या उत्पाद–वार प्रदर्शन

बैंक के प्रमुख कारोबारी क्षेत्रों के प्रदर्शन का विश्लेषण निम्नानुसार है:

### 1. संसाधन जुटाना

31 मार्च, 2025 के अनुसार कुल जमा राशि ₹ 15.66 लाख करोड़ थी। **कासा जमा राशि** 31 मार्च, 2025 के अनुसार ₹ 5,74, लाख करोड़ थी, जबकि 31 मार्च, 2024 तक यह ₹ 5,52,499 लाख करोड़ थी।

i. 31 मार्च 2025 के अनुसार चालू जमाराशि ₹ 74,763 करोड़ थी।

ii. 31 मार्च, 2025 के अनुसार बचत जमाराशि ₹ 4,97,857 करोड़ थी।

मार्च 2025 के समापन तक कुल जमा राशि में कासा जमाराशि की हिस्सेदारी 37.91 प्रतिशत थी।

In the corporate sector, an uptick in investment, especially in infrastructure and manufacturing, will likely push demand for business loans. Banks, having strengthened their balance sheets in recent years, are expected to remain aggressive in lending, being aided by the government's continued focus on infrastructural growth and ease of doing business.

All the banks are expected to remain well capitalized in FY 2025-26 and some banks are expected to raise capital to meet the high credit demand. Banks' net interest margins (NIM) are expected to come under pressure initially in FY 2025-26 as repo rate cuts will first bring down lending rates with a lagged reduction in deposit rates.

On the asset quality front, keeping a close watch over lending practices, adopting robust underwriting standards, adhering to stricter risk assessment protocols will remain important. With the banks developing a Grameen Credit Score Framework, it will allow for a better assessment of the creditworthiness of borrowers in rural areas, potentially increasing lending opportunities and financial inclusion, especially for rural women and Self-help Groups. It is also expected to lower NPAs in microcredit due to data-driven lending models. Banks can capitalize on it to reach untapped borrowers and contribute to inclusive growth.

While the global economy is reeling from persistent geo-political shocks, the Indian economy remains relatively more insulated due to its large domestic market and limited reliance on foreign trade. While stringent trade policies are likely to shift global supply chains, India stands to benefit in the long run being one the most attractive investment destinations which also augurs well for the banking industry.

## V. Segment-wise or Product-wise Performance

The performance of major business segments of the Bank is analyzed below:

### 1. Resource Mobilization

As on 31st March, 2025, Total Deposits stood at Rs.15.67 Lakh Crore. CASA Deposits was at Rs. 5.74 Lakh Crore as on 31st March, 2025 as against Rs. 5.52 Lakh Crore as on 31st March, 2024.

a. Current Deposits was at Rs. 75,114 Crore as on 31st March, 2025.

b. Savings Deposits was at Rs. 4,98,429 Crore as on 31st March, 2025.

The share of CASA deposit to Total deposit stood at 37.95 per cent as at end of March 2025.

**2. वित्त वर्ष 2024–25 में जमा जुटाने की पहलः**

बढ़ती प्रतिस्पर्धा के वर्तमान बैंकिंग परिदृश्य में, खुदरा बैंकिंग उत्पाद बैंक के कारोबार वृद्धि को बढ़ाने में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। इसे देखते हुए बैंक ने वित्त वर्ष 2024–25 में विभिन्न पहल की हैं:

**ए. "पीएनबी पलाश ग्रीन डिपॉजिट" का आरंभ**

सतत प्रथाओं को बढ़ावा देने और पर्यावरण संरक्षण में योगदान देने के लिए, बैंक ने 'पीएनबी पलाश ग्रीन डिपॉजिट' का आरंभ किया है। यह ब्याज–धारित सावधि जमा राशि जन सामान्य से एकत्रित धन को हरित वित्त पहलों से जुड़ी परियोजनाओं में निवेश करने में सक्षम बनाती है।

यह योजना पर्यावरण के अनुकूल तथा सतत परियोजनाओं के वित्तपोषण की बढ़ती आवश्यकताओं का सहयोग करने, वैश्विक जलवायु संबंधी चिंताओं को संबोधित करने और हरित निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए आरंभ की गई थी।

**बी. स्टार्ट–अप व्यवसायों के लिए पीएनबी "स्टार्ट–अप" चालू खाता योजना का शुभारंभ**

भारत 'स्टार्ट–अप इंडिया' जैसी सरकारी पहलों, निधिकरण तक पहुंच और प्रौद्योगिकी–प्रेमी युवा उद्यमियों के उदय जैसे कारकों के कारण नवाचार और उद्यमिता का केंद्र बन गया है। इस योजना का उद्देश्य बैंकिंग बाधाओं को कम करके और विकास और नवाचार की ओर उनकी यात्रा को सहयोग प्रदान करके स्टार्ट–अप के लिए अनुकूल कारोबारी वातावरण को बढ़ावा देना है।

भारत में तेजी से बढ़ते स्टार्ट–अप इकोसिस्टम को पहचानते हुए, बैंक ने अनुकूल शर्तों पर अनुरूप बैंकिंग सेवाओं के साथ उभरते उद्यमियों की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए ष्पीएनबी स्टार्ट–अप चालू खाताष् का आरंभ किया है।

**सी. नए ग्राहक संबंध प्रबंधन (सीआरएम) समाधान का शुभारंभ**

आज के प्रतिस्पर्धी बैंकिंग वातावरण में, ग्राहक संतुष्टि और उन्हें बनाए रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। सीआरएम समाधान विस्तृत ग्राहक अंतर्दृष्टि तक सहज पहुँच प्रदान करने, मजबूत संबंधों तथा व्यक्तिगत सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए पेश किया गया था। बैंक ने प्रतिधारण, अधिग्रहण और लाभप्रदता को बढ़ाकर अपने ग्राहकों के लिए बैंकिंग अनुभव को बढ़ाने के लिए एक उन्नत सीआरएम समाधान आरंभ किया है।

**डी. सीआरएम समाधान में लीड प्रबंधन मॉड्यूल का शुभारंभ**

नए सीआरएम समाधान के हिस्से के रूप में, बैंक ने लीड मैनेजमेंट मॉड्यूल आरंभ किया है, जो लीड को ट्रैक करने और प्रबंधित करने के लिए एक व्यवस्थित दृष्टिकोण प्रदान करता है, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करके कि प्रत्येक संभावित लीड को एकीकृत प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रभावी ढंग से प्रबंधित किया जाता है बिक्री और ग्राहक अधिग्रहण प्रक्रियाओं को बेहतर बनाना है। यह मॉड्यूल लीड जनरेशन और ट्रैकिंग के लिए कई चैनलों को एकीकृत करके लीड हैंडलिंग को सरल बनाता है।

**2. Deposit Mobilisation Initiatives in FY 2024-25:**

In the current banking scenario of mounting competition, Retail banking products play a major role in enhancing the business growth of the Bank. In view of this Bank has taken various initiatives in FY 24-2025:

**a. Introduction of "PNB Palaash Green Deposit"**

To promote sustainable practices and contribute to environmental preservation, Bank has introduced the "PNB Palaash Green Deposit." This interest-bearing term deposit enables funds collected from the public to be invested in projects aligned with green finance initiatives.

The scheme was launched to support the growing need for financing eco-friendly and sustainable projects, addressing global climate concerns and encouraging green investments.

**b. Introduction of PNB "Start-Up" Current Account Scheme for Start-Up Businesses**

India has become a hub for innovation and entrepreneurship due to government initiatives like "Start-up India," easy access to funding and the rise of technology-savvy young entrepreneurs. This scheme aims to foster a conducive business environment for start-ups by reducing banking hurdles and supporting their journey towards growth and innovation.

Recognizing the booming start-up ecosystem in India, Bank has introduced the "PNB Start-Up Current Account" to cater to the needs of budding entrepreneurs with tailored banking services on favorable terms.

**c. Introduction of New Customer Relationship Management (CRM) Solution**

In today's competitive banking environment, customer satisfaction and retention are pivotal. The CRM solution was introduced to provide seamless access to detailed customer insights, fostering stronger relationships and personalized services. Bank has rolled out an advanced CRM solution to elevate the banking experience for its customers by enhancing retention, acquisition and profitability.

**d. Introduction of Lead Management Module in CRM Solution**

As part of the new CRM solution, bank has launched the Lead Management module to provide a systematic approach to tracking and managing leads with an aim to improve sales and customer acquisition processes by ensuring every potential lead is effectively managed through a unified platform. This module simplifies lead handling by integrating multiple channels for lead generation and tracking.

3. **ग्राहक सहभागिता**

बैंक ने ग्राहक संबंधों को मजबूत करने तथा संतुष्टि बढ़ाने के उद्देश्य से एक ग्राहक सहभागिता कार्यक्रम लागू किया है। इस पहल के अंतर्गत, ग्राहकों को नए खोले गए खाते के सक्रियण पर एक व्यक्तिगत स्वागत संदेश प्राप्त होता है, साथ ही पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए उत्पादों और प्रभारों का विवरण भी साझा किया जाता है। इसके अतिरिक्त, गैर–लेन–देन करने वाले ग्राहकों को खाता उपयोग शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

सुधार के क्षेत्रों की पहचान के लिए खाता खोलने के अनुभव पर ग्राहकों की प्रतिक्रिया को सक्रिय रूप से एकत्रित किया जाता है। ये सभी उपाय ग्राहक–केंद्रितता, खाता गतिविधि में वृद्धि और विश्वास–आधारित, पारस्परिक रूप से लाभकारी संबंध को बढ़ावा देने के लिए बैंक की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करते हैं।

4. **ऋण परिनियोजन और वितरण**

31 मार्च, 2025 तक बैंक का सकल वैश्विक अग्रिम 11.17 लाख करोड़ रुपये रहा, जो पिछले वर्ष की तुलना में 13.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

स्वीकृतियों का एक बड़ा हिस्सा बाह्य रेटिंग 'ए' और उससे ऊपर वाली रेटिंग के नए कॉर्पोरेट स्वीकृतियों की है।

इसी तरह, बैंक ने अपना सीडी अनुपात दिनांक 31 मार्च, 2024 के 71.8 प्रतिशत से बढ़ाकर 31 मार्च, 2025 तक 71.3 कर दिया है।

कॉर्पोरेट क्रेडिट की दो स्तरीय संगठनात्मक संरचना एक विशिष्ट क्रेडिट डिलीवरी संरचना है जो सुसंगत और जिम्मेदार ऋण देने की प्रथाओं को सुनिश्चित करने के लिए समर्पित क्रेडिट डेस्क से सुसज्जित है।

यह संरचना तीन स्तंभों को सुधार कर अर्थात ग्राहक संतुष्टि समय पर डिलीवरी और उचित ऋण प्रथाएं ग्राहकों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए कार्य कर रही है।

2 स्तरीय संरचना को देश के विभिन्न हिस्सों में खोली गई 2 अतिरिक्त बड़ी कॉर्पोरेट शाखाओं (ईएलसीबी) और 13 बड़ी कॉर्पोरेट शाखाओं (एलसीबी) द्वारा पूरा किया जा रहा है।

ये 15 ईएलसीबीध्एलसीबी कुल घरेलू ऋण का लगभग 45.40. प्रतिशत हैं।

5. **रिटेल ऋण**

हमारे बैंक के रिटेल आस्ति कारोबार में पिछले 3 वर्षों के दौरान लगातार दोहरे अंकों की वृद्धि देखी गई है। यह मजबूत गति आर्थिक स्थिति में सुधार, बढ़ते मध्यम वर्ग, बढ़ते शहरीकरण, उच्च प्रयोज्य आय और उत्पाद के प्रसार को सुविधाजनक बनाने वाले तकनीकी नवाचारों द्वारा संचालित है। वृहद स्तर पर, प्रतिस्पर्धी बाजार परिदृश्य से इस वृद्धि को और गति मिली है। इस बीच, सूक्ष्म स्तर पर, उत्पाद भेदभाव, विपणन रणनीतियों, रिटेल ऋणों के लिए

3. **Customer Engagement**

Bank has implemented a Customer Engagement Program aimed at strengthening customer relationships and enhancing satisfaction. As part of this initiative, customers receive a personalized welcome message on activation of newly opened account, also details of products and charges are shared to ensure transparency. Furthermore, non-transacting customers are encouraged to initiate account usage.

Customer feedback on the account opening experience is actively gathered to identify areas for improvement. All these measures highlight bank's commitment to customer-centricity, increased account activity and fostering a trust-based, mutually beneficial relationship.

4. **Credit Deployment and Delivery**

Gross Global Advances of the Bank stood at Rs. 11.17 Lakh Crore as on 31st March, 2025 registering a YoY growth of 13.6 per cent.

Fresh Corporate Sanctions with external rating 'A' and above formed a major part of the sanctions.

The Bank's CD Ratio has declined marginally to 71.3 per cent as on 31st March, 2025 from 71.8 per cent as on 31st March, 2024.

Two tier organisational structure of Corporate Credit is a specialised Credit Delivery Structure equipped with dedicated Credit desks ensuring consistent and responsible lending practices.

The structure is functioning to meet the customer expectation by augmenting three pillars viz; Customer Ecstasy, Timely delivery and Fair Lending Practices.

The 2 tier structure is being catered by 2 Extra Large Corporate Branches (ELCBs) and 13 Large Corporate Branches (LCBs) opened in different parts of the country.

These 15 ELCBs/LCBs constitute approx. 45.40 per cent of total domestic credit.

5. **Retail Credit**

The Retail Assets business of the Bank has consistently witnessed double-digit growth over the past 3 years. This strong momentum has been driven by improvements in the economic environment, a rising middle class, increasing urbanization, higher disposable incomes and technological innovations facilitating product dissemination. At the macro level, a competitive market landscape has further fueled this growth. Meanwhile, at the micro level, initiatives such as product differentiation, strategic marketing, digital channels for retail loans, specialized verticals and cross-selling

डिजिटल चैनल, विशेष वर्टिकल और क्रॉस–सेलिंग अवसरों जैसी पहलों ने रिटेल पोर्टफोलियो के विस्तार में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उल्लेखनीय रूप से, चूक का स्तर नियंत्रण में रहा और बढ़े हुए क्रेडिट अंडरराइटिंग मानकों के कारण इसमें गिरावट आई है।

वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान, बैंक का कुल रिटेल ऋण पोर्टफोलियो बढ़कर ₹ 2,61,523 करोड़ हो गया, जिसमें वार्षिक आधार पर(YoY) 17.93% की मजबूत वृद्धि दर्ज की गई। इसमें से, कोर रिटेल क्रेडिट पोर्टफोलियो बढ़कर ₹ 1,79,250 करोड़ हो गया, जो वार्षिक आधार पर 13.27% की वृद्धि दर्शाता है।

**कोर रिटेल क्रेडिट पोर्टफोलियो के अंतर्गत प्रमुख खंडीय वृद्धि :**

ए. आवास ऋण ₹ 93,694 करोड़ से बढ़कर ₹ 1,02,672 करोड़ हो गए (वर्ष दर वर्ष वृद्धि: 9.58%)।

बी. वाहन ऋण ₹ 20,696 करोड़ से बढ़कर ₹ 25,997 करोड़ हो गए (वर्ष दर वर्ष वृद्धि: 25.64%)।

सी. व्यक्तिगत ऋण ₹ 20,766 करोड़ से बढ़कर ₹ 22,367 करोड़ हो गए (वर्ष दर वर्ष वृद्धि: 7.71%)।

### नई पहल

बैंक ने अपने रिटेल ऋण कारोबार को मजबूत करने और विस्तारित करने के लिए कई पहल की हैं:

i. **उत्पाद प्रतिस्पर्धात्मकता**: रिटेल आस्ति उत्पादों में आकर्षक उत्पाद सुविधाओं और प्रतिस्पर्धी ब्याज दरों की निरंतर पेशकश।

ii. **केंद्रित अभियान**: रिटेल पोर्टफोलियो में आवास ऋण का अंश बढ़ाने के लिए लक्षित अभियान और ग्राहक आउटरिच कार्यक्रमों को अपनाना।

iii. **शिक्षा ऋण पर फोकस**: शिक्षा ऋण योजना के अंतर्गत ऋण को बढ़ाने के लिए विशिष्ट रणनीति अपनाई जा रही है।

iv. **मजबूत साझेदारी**: कार डीलरों, होम बिल्डर्स, मार्केटिंग एसोसिएट (एमए), मार्केटिंग कंसल्टेंट (एमसी), रिटेल ऋण काउंसलर (आरएलसी) के साथ टाई–अप बढ़ाया गया, तथा संपत्ति खोज पोर्टलों के उपयोग नें गुणवत्तापूर्ण रिटेल ऋण लीड्स का निरंतर प्रवाह सुनिश्चित किया है।

v. **पीएनबी कार्ड्स एंड सर्विसेज लिमिटेड** (PNBCSL): बैंक की सहायक कंपनी और केंद्रीकृत पीएनबी लोन प्वाइंट (पीएलपी) देश भर में सक्रिय रूप से आवास, कार और शिक्षा ऋण उपलब्ध कराती है।

vi. **ग्राहक अधिग्रहण केंद्र** (CACs): रिटेल ऋण लीड प्राप्त करने तथा कॉर्पोरेट संस्थानों और गृह निर्माणकर्ताओं के साथ साझेदारी स्थापित करने के लिए देश भर में 57 समर्पित सीएसी स्थापित किए गए हैं।

vii. **सरकार–संरेखित पहल**: भारत सरकार के प्रायोजन के अंतर्गत किफायती आवास और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पीएनबी प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0, पीएम विद्यालक्ष्मी, पीएम सूर्यघर योजना और क्रेडिट जोखिम गारंटी गृह ऋण योजना जैसी योजनाओं का शुभारंभ।

opportunities have significantly contributed to the expansion of the Retail portfolio. Notably, delinquency levels have remained under control and have declined due to enhanced credit underwriting standards.

During FY 2024–25, the Bank's Total Retail Credit portfolio grew to Rs. 2,59,363 Crore, registering a robust YoY growth of 16.5 per cent. Within this, the Core Retail Credit portfolio increased to Rs. 1,99,889 Crore, reflecting a YoY growth of 18.2 per cent.

Key segmental growth within the Core Retail Credit portfolio:

a. Housing Loans grew to Rs. 1,16,312 Crore as on 31st March, 2025 from Rs. 98,293 Crore as on 31st March, 2024 (YoY growth: 18.3 per cent).

b. Vehicle Loans increased to Rs. 26,056 Crore as on 31st March, 2025 from Rs. 20,767 Crore as on 31st March, 2024 (YoY growth: 25.5 per cent).

c. Personal Loans rose to Rs. 23,281 Crore as on 31st March, 2025 from Rs. 22,493 Crore as on 31st March, 2024 (YoY growth: 3.5 per cent).

### New Initiatives

The Bank has undertaken several initiatives to strengthen and expand its Retail Credit business:

i. **Product Competitiveness:** Continued offering of attractive product features and competitive interest rates across retail asset products.

ii. **Focused Campaigns:** Adoption of targeted campaigns and customer outreach programs to increase the share of home loans within the retail portfolio.

iii. **Education Loan Focus:** A distinctive strategy is being pursued to enhance the ticket size under the education loan scheme.

iv. **Strengthened Partnerships:** Expanded tie-ups with car dealers, home builders, marketing associates (MAs), marketing consultants (MCs), retail loan counsellors (RLCs) and increased use of property search portals to ensure a steady flow of quality retail loan leads.

v. **PNB Cards & Services Ltd. (PNBCSL):** The Bank's subsidiary and centralized PNB Loan Point (PLP) continue to actively source home, car and education loan leads nationwide.

vi. **Customer Acquisition Centres (CACs):** 57 dedicated CACs have been established across the country to source retail loan leads and forge partnerships with corporate institutions and home builders.

vii. **Government-Aligned Initiatives:** Launch of schemes like PNB Pradhan Mantri Awas Yojana Urban 2.0, PM Vidyalakshmi, PM Surya Ghar scheme and Credit Risk Guarantee Home Loan Scheme, promoting affordable housing and education under Government of India's sponsorship.

viii. **युवा–केंद्रित उत्पादः** आकांक्षी युवा वर्ग (18–35 वर्ष आयु वर्ग) की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पीएनबी युवा घर, पीएनबी युवा वाहन और पीएनबी युवा सहयोग योजना की शुरूआत।

**डिजिटल पहल**

बैंक ने ग्राहक अनुभव को बेहतर बनाने और ऋण प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए अपने डिजिटल पेशकशों का आक्रामक रूप से विस्तार किया है:

,- ekStnk fMftVy mRikn % बैंक डिजिटल होम लोन, डिजिटल कार लोन, डिजिटल एजुकेशन लोन, ODeFD और PAPL प्रदान करता है। इन डिजिटल यात्राओं ने आशाजनक प्रगति दिखाई है, वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान डिजिटल उत्पादों के अंतर्गत कुल स्वीकृतियों में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है।

ch vkxkeh y,Up % डिजी सूर्य घर, डिजी टू–व्हीलर लोन और डिजी होम लोन टॉप–अप के लिए नई डिजिटल यात्राएँ योजना के उन्नत चरणों में हैं और जल्द ही लॉन्च होने की उम्मीद है। इन पहलों का उद्देश्य ग्राहकों की सुविधा में और सुधार करना और ऋण उपलब्धता को बढ़ावा देना है।

6. **प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र**

सामाजिक बैंकिंग की जिम्मेदारी संभालते हुए, बैंक ने इस वर्ष प्राथमिकता क्षेत्र के सभी लक्ष्यों को पार कर लिया है। वित्त वर्ष 2024–25 के लिए राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अनंतिम अनुमानों के अनुसार, भारत में कृषि क्षेत्र ने वित्त वर्ष 2024–25 में 4.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है। वित्त वर्ष 2024–25 में भारत की वास्तविक जीडीपी में 6.5 प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान है। रिकॉर्ड खरीफ उत्पादन और अनुकूल कृषि स्थिति के कारण ग्रामीण मांग के साथ कृषि और सेवाओं द्वारा वित्त वर्ष 2024–25 में वृद्धि को समर्थन मिला।

31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र, कृषि और उप–क्षेत्रों की तिमाही औसत आधार पर बकाया स्थिति निम्नानुसार है:

| बकाया स्थिति | खातों की संख्या (सं.) | 31.03.2025 (राशि) (तिमाही औसत आधार पर) | प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र का लक्ष्य | समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) की प्राप्ति का: |
|---|---|---|---|---|
| प्राथमिकता क्षेत्र ऋण | 74,71,105 | 3,87,688 | 40.00: | 40.36: |
| **जिसमें से:** | | | | |
| कृषि क्षेत्र को ऋण | 53,02,864 | 1,73,677 | 18.00: | 18.08: |
| लघु एवं सीमांत किसानों को ऋण | 44,00,604 | 96,696 | 10.00: | 10.07: |
| सूक्ष्म उद्यमों को ऋण | 14,65,339 | 77,981 | 7.50: | 8.12: |
| कमजोर वर्गों को ऋण | 53,94,689 | 1,29,632 | 12.00: | 13.50: |

viii. **Youth-Focused Products:** Introduction of PNB Yuva Ghar, PNB Yuva Vahan and PNB Yuva Sahyog schemes to address the credit needs of the aspirational youth segment (aged 18–35 years).

**Digital initiatives**

The Bank has aggressively expanded its digital offerings to enhance customer experience and streamline loan processes:

a. **Existing Digital Products:** The Bank offers Digital Home Loan, Digital Car Loan, Digital Education Loan, ODeFD and Pre Approved Personal Loan (PAPL). These digital journeys have shown promising traction, with total sanctions under digital products registering significant growth during FY 2024–25.

b. **Upcoming Launches:** New digital journeys for Digi Surya Ghar, Digi Two-Wheeler Loans and Digi Home Loan Top-Up are in advanced stages of planning and are expected to be launched soon. These initiatives are aimed at further improving customer convenience and boosting loan availment.

6. **Priority Sector**

Shouldering the responsibility of social banking, the Bank has surpassed all the Priority Sector goals this year. As per the National Statistical Office provisional estimates for FY 2024-25, the agriculture sector in India rebounded to a growth of 4.6 percent in FY 2024-25. India's real GDP is estimated to grow by 6.5 percent in FY 2024-25. Growth in FY 2024-25 was supported by agriculture and services with rural demand on the back of record kharif production and favourable agriculture condition.

The outstanding position of Priority Sector, Agriculture and sub-sectors as on 31st March, 2025 on quarterly average basis is as under:

**Achievement Of National Goals**

(Amount in Rs. Crore)

| Outstanding Position | No. of Accounts (Nos.) | 31.03.2025 (Amount) (Qtrly Avg. Basis) | PSL Target | % Achievement to Adjusted Net Bank Credit (ANBC) |
|---|---|---|---|---|
| Priority Sector Credit | 74,71,100 | 3,87,682 | 40.00% | 40.36% |
| **Out of which:** | | | | |
| Loan to Agriculture Sector | 53,02,864 | 1,73,676 | 18.00% | 18.08% |
| Loan to Small & Marginal farmers | 44,00,604 | 96,696 | 10.00% | 10.07% |
| Loan to Micro enterprises | 14,65,338 | 77,981 | 7.50% | 8.12% |
| Loan to Weaker Sections | 53,94,688 | 1,29,630 | 12.00% | 13.50% |

## ए. वित्त वर्ष 2024–25 के प्रदर्शन की मुख्य विशेषताएं

i. 31 मार्च 2025 तक प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण ₹ 3,87,688 करोड़ रहा। एएनबीसी को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम का प्रतिशत 40 प्रतिशत तक निर्धारित राष्ट्रीय लक्ष्य के विरुद्ध 40.36 प्रतिशत है।

ii. 31 मार्च 2025 तक कृषि क्षेत्र को ऋण ₹ 1,73,677 करोड़ रहा। एएनबीसी को कृषि अग्रिम 18.00 प्रतिशत के निर्धारित राष्ट्रीय लक्ष्य के विरुद्ध प्रतिशत 18.08 प्रतिशत रहा।

iii. मार्च 2025 तक लघु सीमांत किसानों (एसएफ/एमएफ) को ऋण ₹ 96,696 रहा। एनबीसी को एसएफ/एमएफ किसानों को अग्रिम 10.00 प्रतिशत के निर्धारित राष्ट्रीय लक्ष्य के विरुद्ध 10.07 प्रतिशत रहा।

iv. मार्च 2025 तक सूक्ष्म (पीएस) उद्योगों को ऋण ₹ 77,981 करोड़ रहा। एएनबीसी के लिए माइक्रो (पीएस) उद्यमों को अग्रिम का प्रतिशत 7.50 प्रतिशत के निर्धारित राष्ट्रीय लक्ष्य के विरुद्ध 8.12 प्रतिशत रहा।

v. मार्च 2025 तक कमजोर वर्ग के लिए अग्रिम राशि ₹ 1,29,632 करोड़ रही। एएनबीसी के 12.00 प्रतिशत के राष्ट्रीय लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धि 13.50 प्रतिशत रही।

भारत सरकार समय–समय पर किसानों के लाभ के लिए विभिन्न कदम उठा रही है। केसीसी अनुदान सीमा को ऋण के लिए ₹ 3.00 लाख से बढ़ाकर ₹ 5.00 लाख तक कर दिया गया है, जिससे योजना के अंतर्गत ऋण लेने में वृद्धि होगी।

वर्ष 2020 में भारत सरकार ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंतर्गत कृषि अवसंरचना कोष (एआईएफ), पशुपालन अवसंरचना विकास कोष (एएचआईडीएफ) और प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकीकरण योजना (पीएमएफएमई) जैसी कई योजनाएं आरंभ की हैं, जिससे बैंकों को कृषि ऋण और कटाई–पूर्व एवं कटाई–पश्चात प्रबंधन के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों के अंतर्गत लक्ष्य निर्धारण और वित्तपोषण में मदद मिली है। इन योजनाओं के अंतर्गत वित्तपोषण में अब तेजी आ रही है। ये सभी योजनाएं कृषि और प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र का हिस्सा हैं और इनसे प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी मदद मिली है। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम), राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एनयूएलएम) आदि जैसे कई अन्य कार्यक्रम भी प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र की प्रगति को बढ़ाने में सहायता कर रहे हैं।

## बी. कृषि अवसंरचना कोष (एआईएफ)

मूल्य समर्थन के माध्यम से किसानों को निश्चित लाभ सुनिश्चित करने, फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने और बाजार के बुनियादी ढांचे में सुधार करने के लिए, सरकार कृषि अवसंरचना कोष के माध्यम से बुनियादी ढांचा सुविधाओं में निवेश पर ध्यान केंद्रित कर रही है।

## a. Performance Highlights of FY 2024-25

i. Credit to Priority Sector stood at Rs. 3,87,682 Crore as on 31st March 2025. The percentage of Priority Sector Advances to ANBC is 40.36 per cent as against the prescribed National Goal of 40.00 per cent.

ii. Credit to Agriculture sector stood at Rs. 1,73,676 Crore as on 31st March 2025. The percentage of Agriculture Advances to ANBC is 18.08 per cent against the prescribed National Goal of 18.00 per cent.

iii. Loans to Small/Marginal Farmers (SF/MF) stood at Rs. 96,696 Crore as on 31st March, 2025. The percentage of advances to SF/MF farmers to ANBC is 10.07 per cent as against the prescribed National Goal of 10.00 per cent.

iv. Credit to Micro (PS) Enterprises stood at Rs. 77,981 Crore as on 31st March, 2025. The percentage of advance to Micro (PS) Enterprises to ANBC is 8.12 per cent as against the prescribed National Goal of 7.50 per cent.

v. Advances to Weaker Section stood at Rs. 1,29,630 Crore as on 31st March, 2025. The achievement is 13.50 per cent as against National goal of 12.00 per cent of ANBC.

Government of India is taking various steps for the benefit of farmers from time to time. In the union budget 2025-26, GoI announced an increase in loan limits from ₹3 lakhs to Rs. 5 Lakh for loans taken through Kisan Credit Cards under modified interest subvention scheme which shall help in increasing the credit offtake under the scheme.

The Union Budget 2025-26 recognized Agriculture as 1st Engine of growth for economy. The Indian government has launched numerous schemes to support rural and agricultural development, aiming to improve farmers' livelihoods and increase agricultural productivity. Significant credit offtake is observed under the schemes launched by Govt. of India like Agriculture Infrastructure Fund (AIF), Animal Husbandry Infrastructure Development Fund (AHIDF) and Pradhan Mantri Formalisation of Micro Food Processing Enterprises Scheme (PMFME) which has helped Banks in targeting and financing under various activities under Farm credit and pre & post-harvest management. All these schemes are part of Agriculture and Priority Sector and have helped in achieving Priority Sector targets also. In addition to this, various other programmes like National Rural Livelihood Mission (NRLM), National Urban Livelihood Mission (NULM) etc. are also helping in increasing the Priority sector advances.

## b. Agriculture Infrastructure Fund (AIF)

To ensure certainty of returns to the farmers through price support, promote crop diversification and improve market infrastructure, Government is focussing on investment in infrastructure facilities through Agriculture Infrastructure Fund.

31 मार्च, 2025 तक ₹ 7,061 करोड़ की राशि की 9172 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।

**सी. प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकीकरण (पीएमएफएमई) योजना**

इस योजना का उद्देश्य खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के असंगठित क्षेत्र में मौजूदा व्यक्तिगत सूक्ष्म उद्यमों की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना और क्षेत्र के औपचारिकीकरण को बढ़ावा देना है, जिसका प्राथमिक उद्देश्य मौजूदा सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमियों, एफपीओ, स्वयं सहायता समूहों और सहकारी समितियों द्वारा ऋण तक पहुंच बढ़ाना है।

पीएनबी ने वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान ₹ 282 करोड़ की राशि के 3561 ऋण स्वीकृत किए हैं।

**डी. पहलें:**

प्रमुख उत्पादों पर विशेष ध्यान केंद्रित करने के साथ कृषि क्षेत्र के संवर्धित विकास की परिकल्पना करते हुए, बैंक ने निम्नलिखित रणनीतिक पहलें की हैः

i. एसएचजी पोर्टफोलियो को बढ़ावा देने के लिए लक्षित दृष्टिकोण के साथ प्रधान कार्यालय–कृषि प्रभाग में एक समर्पित एसएचजी निगरानी प्रकोष्ठ का निर्माण।

ii. प्रधान कार्यालयः कृषि प्रभाग में समर्पित स्वर्ण ऋण निगरानी प्रकोष्ठ का निर्माण।

iii. चाय कारोबार पर अधिक ध्यान देने के लिए कोलकाता में चाय प्रकोष्ठ का गठन।

iv. 1000 कृषि गहन शाखाओं की पहचान करना तथा कारोबार बढ़ाने के लिए इन शाखाओं में समर्पित कृषि अधिकारियों की नियुक्ति करना।

vi. **वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान निम्नलिखित नई योजनाएं शुरू की गई हैं:**

- **पीएनबी भंडारणः** हमारे मौजूदा उधारकर्ताओं के लिए भौतिक गोदाम रसीदों (डब्ल्यूएचआर) के आधार पर वित्तपोषण की योजना।
- **पीएनबी कोल्डवेयर सिक्योरः** कोल्ड स्टोरेज/वेयरहाउस समाधान के वित्तपोषण हेतु योजना।
- **ई–गोदामः** इलेक्ट्रॉनिक परक्राम्य गोदाम रसीदों की गिरवी के प्रति वित्तपोषण की योजना।
- **एनआरएलएम श्रेष्ठः** एनआरएलएम प्रायोजित एसएचजी की महिला सदस्यों को उद्यमशीलता गतिविधियों हेतु धन की पहुंच की सुविधा प्रदान करके सशक्त बनाने के लिए, बैंक ने लखपति दीदी पहल के अंतर्गत एनआरएलएम एसएचजी श्रेष्ठ योजना शुरू की है।

**ई. रणनीतियाँ:**

**कृषि–सहायक एवं कृषि अवसंरचना**

i. इस अवधारणा के अंतर्गत, क्षमता और भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार गतिविधि आधारित क्लस्टरों की पहचान की जाती है और ग्राहकों को इन क्लस्टरों के अंतर्गत उद्योगों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए अनुकूल ऋण पेशकशें प्रदान की जाती हैं तथा अंचल प्रबंधकों की अनुशंसा के आधार पर ब्याज दर में रियायत, प्रसंस्करण शुल्क, अग्रिम शुल्क, बाह्य रेटिंग की आवश्यकता में छूट, संपार्श्विक प्रतिभूति आदि जैसे लाभ प्रदान किए जाते हैं।

PNB has sanctioned 9172 projects amounting Rs. 7,061 Crore upto 31st March, 2025.

**c. Prime Minister Formalisation of Micro Food processing Enterprises (PMFME) Scheme**

The scheme aims to enhance the competitiveness of existing individual micro-enterprises in the unorganized segment of the food processing industry and promote formalization of the sector with the primary objective of increasing access to credit by existing micro food processing entrepreneurs, FPOs, Self Help Groups and Co-operatives. The Bank has sanctioned 3561 loans amounting to Rs. 282 Crore during the FY 2024-25.

**d. Initiatives**

Envisaging enhanced growth of Agriculture segment with special focus on major products, Bank has taken following strategic initiatives:

i. Creation of a dedicated SHG Monitoring Cell at the HO-Agriculture Division with a targeted approach to boost SHG portfolio.

ii. Creation of dedicated Gold Loan Monitoring Cell at HO: Agriculture Division.

iii. Creation of Tea Cell at Kolkata for enhanced focus on Tea business.

iv. Identification of 1000 Agriculture Intensive branches and posting of dedicated Agriculture Officers in these branches for sourcing of business.

v. Following new schemes have been launched during FY 2024-25:

- **PNB Bhandaran:** Scheme for financing against Physical Warehouse Receipts (WHR) for our existing borrowers.
- **PNB Coldware Secure:** Scheme for financing to Cold Storage/Warehouse Solutions.
- **e-Godam:** Scheme for financing against pledge of Electronic Negotiable Warehouse Receipts.
- **NRLM Shreshtha:** To empower women members of NRLM sponsored SHGs by facilitating access to funds for entrepreneurial activities, Bank has launched NRLM SHG Shreshtha Scheme under Lakhpati Didi Initiative.

**e. Strategies:**

**Agri-Ancillary & Agri-Infrastructure**

i. Under the concept, activity-based clusters are identified as per the potential and geographical area and customers are provided with tailored credit offerings to meet the specific needs of industries under these clusters and benefits like concession in interest rate, processing fee, upfront fee, relaxation of requirement of external rating, collateral security etc. are being provided.

ii. हमने कृषि खंड के अंतर्गत 56 क्लस्टर स्वीकृत किए हैं, जिनमें से अभी तक 36 क्लस्टर आज की तिथि तक सक्रिय हैं। वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान, हमने खाद्य एवं कृषि प्रसंस्करण तथा कोल्ड स्टोरेज इकाइयों के लिए सक्रिय क्लस्टरों के अंतर्गत ₹1672 करोड़ स्वीकृत किए हैं। विशिष्ट भौगोलिक स्थानों में गतिविधि और क्षमता के आधार पर और अधिक क्लस्टरों की पहचान की जा रही है।

**स्वयं सहायता समूहों को वित्तपोषण**

i. एनआरएलएम योजना के अंतर्गत ऋण देने में वृद्धि करने के लिए प्रधान कार्यालय की सख्त निगरानी में एस.एच.जी. निगरानी प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है।

ii. 6 उच्च क्षमता वाले अंचलों अर्थात् अंचल कार्यालय–कोलकाता, अंचल कार्यालय–दुर्गापुर, अंचल कार्यालय–पटना, अंचल कार्यालय–भुवनेश्वर, अंचल कार्यालय–गुवाहाटी और अंचल कार्यालय–रायपुर में कारोबार निष्पादन के संचालन, समीक्षा और निगरानी के लिए समर्पित नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं।

iii. नए पात्र समूहों का क्रेडिट लिंकेज और पात्र खातों को अधिक डोज प्रदान करना हमारे एसएचजी पोर्टफोलियो को बढ़ाने के लिए फोकस क्षेत्र है। हम स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) ऋणों के औसत टिकट आकार को बढ़ाने का भी लक्ष्य बना रहे हैं जो वर्तमान में ₹2.25 लाख है। हमारे पास 445616 एसएचजी ऋण खाते हैं जिनमें केवल ₹10801 करोड़ बकाया 31 मार्च 2025 तक हैं। सरकारी पहल के अनुरूप लखपति दीदी के लिए बजट अलग से दिया गया है और ग्रामीण विकास मंत्रालय के दिशा–निर्देशों के अनुरूप नई योजना तैयार की गई है। बैंक ने मार्च 2025 तक ₹29.64 करोड़ की राशि के 2278 खातों को स्वीकृति दी है।

iv. स्वयं सहायता समूहों के वित्तपोषण को बढ़ावा देने के लिए, हमने अपने बैंक के लिए आवेदन प्रायोजित करने हेतु असम, बिहार, पंजाब, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, त्रिपुरा और केरल राज्यों में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (एसआरएलएम) के साथ गठजोड़ किया है।

v. हमने सीयूजी मोड में स्वयं सहायता समूहों को वित्तपोषित करने के लिए डिजिटल यात्रा आरंभ की है, जिसे इस खंड के अंतर्गत ऋण वृद्धि में सुधार के लिए शीघ्र ही लाइव किया जाएगा।

vi. हमारी योजना को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए एनयूएलएम के अंतर्गत ₹20 लाख तक के ऋण पर सेवा प्रभार माफ कर दिया गया है।

vi. दिनांक 01–03–2025 को एसएचजी केंद्रित ऋण आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें ₹2556 करोड़ की राशि के 49540 लीड जेनरेट की गई।

**कृषि स्वर्ण ऋण के तहत वित्तपोषण**

i. हम इस योजना के अंतर्गत वित्तपोषण को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण और अर्ध–शहरी क्षेत्रों में अपनी अधिकृत शाखाएं बढ़ाने की योजना बना रहे हैं।

ii. हमने डिजिटल स्वर्ण ऋण की सीमा ₹2.00 लाख से बढ़ाकर ₹10.00 लाख कर दी है, जिससे योजना के तहत ऋण बढ़ाने में मदद मिलेगी।

ii. We have approved 56 Clusters under Agriculture Segment. During the FY 2024-25, we have sanctioned Rs. 1672 Crore under active clusters for Food & Agro Processing and Cold Storage Units. More clusters are being identified based on the activity and potential in specific geographical locations.

**Financing to Self Help Groups**

i. SHG Monitoring Cell at H.O. has been set up to increase lending under NRLM scheme with focused monitoring through HO.

ii. Dedicated Nodal Officers have been appointed for driving, reviewing and monitoring the business performance in high-potential states.

iii. Credit linkage of new eligible groups and providing higher dosage to eligible accounts is the focus area for increasing our SHG portfolio. We are also aiming to increase the average ticket size of SHG loans which is Rs. 2.25 lakh at present. The Bank has 4,45,616 SHG loan accounts with outstanding of Rs. 10,801 Crore as on 31st March, 2025. In line with government initiative, new scheme of Lakhpati Didi has been formulated. The Bank has sanctioned 2,278 accounts amounting to Rs. 29.64 Crore till March'25 under this scheme.

iv. For boosting SHG financing, we have executed tie ups with State Rural Livelihood Mission (SRLM) in the States of Assam, Bihar, Punjab, West Bengal, Odisha, Chhattisgarh, Uttar Pradesh, Maharashtra, Tripura and Kerala for sponsoring applications to our Bank.

v. The Bank has launched digital journey for financing to SHGs which shall help in improving the credit offtake under this segment.

vi. Service charges under NULM for loans upto Rs. 20 Lakh have been waived to make scheme more attractive.

vii. A SHG centric credit outreach programme was organized on 01-03-2025 wherein 49,540 leads were generated amounting to Rs. 2556 Crore.

**Financing under Agri-Gold Loan**

i. The Bank is planning to increase our authorized branches in Rural and Semi-urban areas to boost financing under the Scheme.

ii. The Bank has increased the limit of digital gold loan journey from Rs. 2.00 Lakh to Rs. 10.00 Lakh which shall help in improving the credit offtake under the scheme.

iii. पिछले दो वर्षों के दौरान इस योजना में विभिन्न संशोधन किए गए हैं, जिससे हमारे कृषि स्वर्ण ऋण पोर्टफोलियो को बेहतर बनाने में मदद मिली है।

iv. हम सभी नियामक दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए योजना के तहत ऋण प्रदान करने की स्थिति में और सुधार लाने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।

**कृषि मशीनीकरण**

i. हमने ट्रैक्टर/कम्बाइन हार्वेस्टर के मॉडल परीक्षण रिपोर्ट की आवश्यकता को समाप्त करके ट्रैक्टर/कम्बाइन हार्वेस्टर मॉडलों के लिए अनुमोदन की प्रक्रिया को सरल बना दिया है।

ii. बैंक ने वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान 80 से अधिक ट्रैक्टर/कम्बाइन हार्वेस्टर मॉडलों को मंजूरी दी है और 22.10.2024 से लागू मॉडल अनुमोदन प्रक्रिया में संशोधनों के बाद, हमने अपनी शाखाओं द्वारा वित्तपोषण के लिए 200 से अधिक कंबाइन हार्वेस्टर और ट्रैक्टर मॉडलों को मंजूरी दी है।

iii. हम लीड उत्पन्न करने और अप्रयुक्त किसानों के लिए अपनी पेशकश का विस्तार करने के लिए कृषि–मशीनरी कंपनियों के साथ साझेदारी स्थापित कर रहे हैं।

**डिजिटल पेशकश:** परिचालन को सुव्यवस्थित करने और अपने ग्राहकों को निर्बाध अनुभव प्रदान करने के लिए, बैंक कृषि खंड के अंतर्गत निम्नलिखित डिजिटल उत्पादों की पेशकश कर रहा है:

i. किसानों के लिए किसान तत्काल ऋण

ii.. डिजिटल गोल्ड लोन

iii. केसीसी डीपी समीक्षा और संवर्द्धन

iv. सीयूजी वातावरण में डिजिटल ई–गोदाम (ईएनडब्ल्यूआर के विरुद्ध वित्तपोषण)।

v. स्वयं सहायता समूहों को वित्तपोषण हेतु डिजिटल यात्रा।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित डिजिटल यात्राएं भी पाइपलाइन में हैं:

vi. ट्रैक्टरों के वित्तपोषण के लिए डिजिटल यात्रा।

vii. केसीसी डेयरी योजना के तहत वित्तपोषण के लिए डिजिटल यात्रा।

**कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) गतिविधियाँ**

**i. किसान प्रशिक्षण केंद्र (एफटीसी):** बैंक ने 12 किसान प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए हैं। एफटीसी कृषि और संबद्ध गतिविधियों पर प्रशिक्षण प्रदान करते हैं जिनमें जैविक खेती, उर्वरक प्रबंधन, मधुमक्खी पालन, डेयरी फार्मिंग, मशरूम उत्पादन, ट्रैक्टर और अन्य कृषि मशीनरी का रखरखाव, फलों और सब्जियों का प्रसंस्करण और संरक्षण, कंप्यूटर पाठ्यक्रम, ब्यूटी पार्लर, मोमबत्ती और साबुन बनाना, पापड़ बनाना, सॉफ्ट टॉय बनाना, कटिंग, सिलाई और कढ़ाई आदि शामिल हैं। इन प्रशिक्षण केंद्रों को किसानों को सूचनात्मक वीडियो क्लिप के ऑडियो विजुअल डिस्प्ले के लिए मोबाइल वैन और एलईडी से सुसज्जित किया गया है। बैंक ने वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान इसके तहत रु.1002.38 लाख खर्च किए। स्थापना के बाद से, FTC ने 65,062 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करके 19,32,179 व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया है।

iii. Various modifications in the Scheme have been made during last 2 years' which has helped in improving our Agri Gold Loan portfolio.

iv. The Bank is focussing on further improving credit offtake under the scheme while ensuring compliance of all the regulatory guidelines.

**Farm Mechanization**

i. The Bank has simplified the process of approval for Tractor/ Combine Harvester models by doing away with requirement of model testing report of Tractors/ Combine Harvesters.

ii. The Bank had approved more than 80 Tractors/ Combine Harvester models during FY 2023-24. After the modifications in the model approval process which was implemented w.e.f. 22.10.2024, more than 200 Combine Harvester and Tractor Models approved for financing by the Bank.

iii. The Bank is establishing partnerships with farm-machinery companies to generate leads and expand offerings for untapped farmers.

**Digital Offerings:** To streamline operations and provide customers a seamless experience, the Bank is offering following digital products under Agriculture Segment:

i. Kisan Tatlkal Rin for Farmers

ii. Digital Gold Loan

iii. KCC DP review and enhancement

iv. Digital E-Godam (finance against eNWR).

v. Digital journey for financing to SHGs.

In addition to the above, following digital journeys are under customisation:

vi. Digital Journey for financing Tractors.

vii. Digital Journey for financing under KCC Dairy scheme.

**Corporate Social Responsibility (CSR) Activities**

**i. Farmers Training Centres (FTCs):** The Bank has established 12 Farmers Training Centres. FTCs provide training on agriculture & allied activities which include organic farming, fertilizer management, bee keeping, dairy farming, mushroom production, maintenance of tractor and other farm machineries, processing and preservation of fruits and vegetables, computer courses, beauty parlour, candle and soap making, papad making, making of soft toys, cutting, tailoring & embroidery, etc. These Training Centres have been equipped with the Mobile Van and LED for audio visual display of informative video clips to the farmers. During FY 2024-25, 1,04,155 persons were trained in these centres. Out of which 49,205 were women. Since inception, FTCs have imparted training to 19,32,179 persons by conducting 65,062 training programs. The Bank spent Rs. 10.02 Crore under this during FY 2024-25.

ii. **ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान** (RSETIs): ग्रामीण विकास मंत्रालय (MoRD) के तत्वावधान में 78 RSETIs और भारत में 2 ग्रामीण विकास केंद्र (पीएनबी पहल) संचालित हैं जो ग्रामीण आबादी और उनके परिवारों को स्वरोजगार उपक्रम/नौकरी करने के लिए कौशल उन्नयन हेतु प्रशिक्षण प्रदान करने में लगे हुए हैं। वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान, इन केंद्रों में 79,989 व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया, जिनमें से 65,636 गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) परिवारों के हैं और 63,535 महिलाएं थीं। स्थापना के बाद से प्रशिक्षित उम्मीदवारों की कुल संख्या 6,82,671 है, जिनमें से 3,55,307 बीपीएल परिवारों से थे और 4,66,580 महिलाएं थीं। हमारे RSETIs समावेशी विकास के लिए पर्याप्त ऋण सुनिश्चित करके प्रतिभागियों के निपटान पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान इसके अंतर्गत रु. 6767.34 लाख का प्रावधान किया गया है।

ii. **Rural Self Employment Training Institutes (RSETIs):** There are 78 RSETIs under aegis of Ministry of Rural Development (MoRD) and 2 Rural Development Centres (PNB initiatives) operating in India which are engaged in providing training to rural population and their families for skill upgradation to undertake self-employment ventures/ jobs. During the FY 2024-25, 79,989 persons were trained in these centres, out of which, 65,636 belong to Below Poverty Line (BPL) families and 63,535 were women. Total number of trained candidates since inception is 6,82,671, out of which 3,55,307 were from BPL families and 4,66,580 were women. Our RSETIs are focusing for settlement of participants by ensuring adequate credit for inclusive growth. Total settled candidates are 4,74,977 since inception. The Bank spent Rs. 67.67 Crore under this during FY 2024-25.

वित्तीय प्रशिक्षण केन्द्र, इटावा में प्रशिक्षण कार्यक्रम।
Training Program at Financial Training Centre, Etawah

iii. वित्तीय साक्षरता केंद्रः बैंक के पास 175 वित्तीय साक्षरता केंद्र (FLCs) हैं। एफएलसी द्वारा संचालित कार्यक्रमों के लक्ष्य समूह किसान, स्वयं सहायता समूह, सूक्ष्म और लघु उद्यमी, वरिष्ठ नागरिक आदि हैं। 1 अप्रैल, 2024 से 31 मार्च, 2025 तक वित्तीय शिक्षा, निवारक परामर्श और ग्राहक अधिकारों पर एफएलसी द्वारा आयोजित

iii. **Financial Literacy Centres:** The Bank has 175 Financial Literacy Centers (FLCs). The Target groups of the programmes conducted by FLCs are Farmers, Self Help Groups, Micro and Small Entrepreneurs, Senior Citizens etc. Total number of seminars/programmes/camps

आरएसईटीआई (RSETI), हमीरपुर में प्रशिक्षण कार्यक्रम
Training Program at RSETI, Hamirpur

सेमिनारों/कार्यक्रमों/शिविरों की कुल संख्या 10514 है और इन कार्यक्रमों में भाग लेने वाले व्यक्तियों की संख्या 3,72,369 है।

7. **सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई)**

31 मार्च 2025 तक एमएसएमई ऋण खंड ₹ 1,62,693 करोड़ पर रहा। सूक्ष्म और लघु उद्यमों का अग्रिम ₹ 1,34,077 करोड़ रहा, जबकि सूक्ष्म खंड में बकाया ₹ 79,695 करोड़ रहा।

**मुद्राः** बैंक ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के तहत वित्त वर्ष 2024–25 में ₹ 21,236 करोड़ वितरित किए हैं।

ए. **एमएसएमई कारोबार को बढ़ावा देने के लिए की जा रही पहलों का विवरण**

i. **क्लस्टर आधारित वित्तपोषणः** बैंक ने क्लस्टर आधारित ऋण देने का दृष्टिकोण अपनाया है और रियायती मूल्य, सेवा शुल्क, रियायती ऋण मानदंड आदि के साथ अनुकूलित योजनाओं वाले 60 क्लस्टर हैं।

(राशि ₹ करोड़ में)

| के अनुसार स्थिति | 31.03.2025 |
|---|---|
| स्वीकृत खातें | 2331 |
| स्वीकृत राशि | 6278 |

ii. **TreDS प्लेटफॉर्म के माध्यम से ऋण देनाः** हमारा बैंक TReDS के तीन प्लेटफॉर्म का उपयोग कर रहा है, अर्थात, (1) RXIL (2) M1xchange और (3) A-TredsA TReDS एक संस्थागत तंत्र है जो सरकारी विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSU) सहित कॉर्पोरेट और अन्य खरीदारों से MSMEs के व्यापार प्राप्तियों के वित्तपोषण के लिए स्थापित किया गया है।

(राशि ₹ करोड़ में)

| के अनुसार स्थिति | 31.03.2025 |
|---|---|
| खातों की संख्या | 3358 |
| बकाया राशि | 1629 |

iii. **नकदी प्रवाह आधारित वित्तपोषण – जीएसटी एक्सप्रेस** – यह योजना जीएसटी पंजीकृत व्यावसायिक उद्यमों को कार्यशील पूंजी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए निर्बाध ऋण प्रदान करती है। इस योजना की अनूठी विशेषता यह है कि वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने की कोई आवश्यकता नहीं है और अनुमत ऋण की मात्रा ₹ 10 लाख से ₹ 500 लाख तक है।

(राशि ₹ करोड़ में)

| के अनुसार स्थिति | 31.03.2025 |
|---|---|
| स्वीकृत खातें | 18314 |
| स्वीकृत राशि | 13209 |

iv. **ई–जीएसटी एक्सप्रेस** – यह मॉड्यूल एक 'near to STP' उत्पाद है, जिसमें रु. 10 लाख से रु. 1 करोड़ तक की ऋण राशि है, जिसमें जीएसटी रिटर्न (जीएसटीआर–3बी) में दर्ज बिक्री के 25 प्रतिशत या पिछले एक वर्ष (पिछले 12 महीने) में चालू खातों में व्यापार से संबंधित क्रेडिट योग जो भी कम हो, के आधार पर नकद ऋण सुविधा की अनुमति दी जाएगी।

conducted by FLCs on Financial Education, Preventive Counselling and Customer Rights from 1st April, 2024 to 31st March, 2025 is 10,514 and number of persons attended these programs are 3,72,369.

7. **Micro, Small and Medium Enterprises (MSME)**

As on 31st March 2025, credit to MSME segment stands at Rs. 1,62,693 Crore. The advance to Micro and Small Enterprises stood at Rs. 1,34,077 Crore with outstanding in Micro segment at Rs. 79,695 Crore.

**Mudra:** The Bank has disbursed Rs. 21,236 Crore in FY 2024-25 under the Pradhan Mantri MUDRA Yojana (PMMY).

a. **Details of initiatives being taken to boost MSME business**

i. **Cluster Based Financing:** The Bank has adopted the Cluster based lending approach and 60 clusters are there with customized schemes having concessional pricing, service charges, relaxed lending norms, etc.

(Amt. in Rs. Crore)

| Position As on | 31.03.2025 |
|---|---|
| Sanctioned A/c | 2331 |
| Sanctioned Amt | 6278 |

ii. **Lending through TreDS Platform:** The Bank is using three platforms of TReDS, i.e., (1) RXIL (2) M1xchange & (3) A.Treds. TReDS is an institutional mechanism set up for financing of trade receivables of MSMEs from corporate and other buyers including Government Departments and Public Sector Undertakings (PSUs).

(Amt. in Rs. Crore)

| Position As on | 31.03.2025 |
|---|---|
| No. of A/c | 3358 |
| Outstanding Amt | 1629 |

iii. **Cash Flow based Financing-GST Express-** The scheme provides hassle free credit to meet working capital requirement to GST registered business enterprises. Unique feature of the scheme is that there is no requirement of submitting financial statements and the quantum of loan permitted is above Rs. 10 Lakh to Rs. 500 Lakh.

(Amt. in Rs. Crore)

| Position As on | 31.03.2025 |
|---|---|
| Sanctioned A/c | 18314 |
| Sanctioned Amt | 13209 |

iv. **e-GST Express -** The module is a 'near to STP' product having loan amount from Rs.10 Lakh to Rs.1 Crore, wherein Cash Credit Facility shall be allowed based on 25 per cent of the sales reported in the GST returns (GSTR-3B) or the trade related credit summation in current accounts in the last one year (last 12 months) whichever is lower.

(राशि ₹ करोड़ में)

| के अनुसार स्थिति | 31.03.2025 |
|---|---|
| स्वीकृत खातें | 1029 |
| स्वीकृत राशि | 278 |

v. **एमएसएमई प्राइम प्लसः** एमएसएमई प्राइम प्लस के नाम से एक प्रमुख योजना शुरू की गई है, जिसे चार एमएसएमई योजनाओं अर्थात् पीएनबी उद्योग योजना, पीएनबी सेवा योजना, पीएनबी व्यापार योजना और पीएनबी ठेकेदार योजना को एकीकृत करके शुरू किया गया है। बाजार में अधिक प्रतिस्पर्धी और स्वीकार्य होने के लिए, बैंक निम्नलिखित पेशकश कर रहा है–

- रियायती ब्याज दर और सेवा शुल्क,
- संपार्श्विक मानदंड और मार्जिन मानदंड में छूट
- एमएसएमई विशेष (कार्यशील पूंजी सीमा में स्वतः वृद्धि) जैसी सुविधाएँ
- ओपन टर्म लोन (एक पूर्व–स्वीकृत टर्म लोन सुविधा जो हमारे बैंक से क्रेडिट सुविधाओं का आनंद लेने वाली अच्छी मौजूदा इकाइयों को लचीलापन प्रदान करती है और
- व्यक्तिगत उपयोग के लिए फर्म/कंपनी के नाम पर कार ऋण।

(राशि ₹ करोड़ में)

| के अनुसार स्थिति | 31.03.2025 |
|---|---|
| स्वीकृत खातें | 39593 |
| स्वीकृत राशि | 61875 |

vi. **पीएनबी ट्रेड ग्रोथ** – यह योजना रियायती दरों पर ₹ 1.00 करोड़ तक का निर्बाध ऋण प्रदान करती है क्योंकि मूल्यांकन के लिए किसी वित्तीय कागजात की आवश्यकता नहीं होती है, मूल्यांकन जीएसटी रिटर्न या खाते में क्रेडिट योग के आधार पर किया जाता है। इसके अलावा इस योजना में कई तरह की रियायतें भी दी जाती हैं।

(राशि ₹ करोड़ में)

| के अनुसार स्थिति | 31.03.2025 |
|---|---|
| स्वीकृत खातें | 12936 |
| स्वीकृत राशि | 4959 |

vii. **डिजी एमएसएमई ऋणः** यह मॉड्यूल एमएसएमई खंड के लिए डिजिटल ऋण के माध्यम से सीधा काम करता है, ताकि उन ग्राहकों को व्यवसाय ऋण के तहत ₹ 1 लाख से ₹ 25 लाख तक की ऋण सुविधा प्रदान की जा सके, जिनका हमारे साथ चालू खाता रखते हैं और यह पूरी तरह से सिस्टम संचालित होगा। ऋण मूल्यांकन पिछले 12 महीनों में क्रेडिट योग के माध्यम से चालू खातों में आए व्यापार संबंधी क्रेडिट (TRC) और PABL स्कोर पर आधारित होगा। PAPL की सफलता को देखते हुए, इस मॉड्यूल के तहत अच्छी संख्या में व्यवसाय मिलने की उम्मीद है।

(राशि ₹ करोड़ में)

| के अनुसार स्थिति | 31.03.2025 |
|---|---|
| स्वीकृत खातें | 15238 |
| स्वीकृत राशि | 927 |

(Amt. in Rs. Crore)

| Position As on | 31.03.2025 |
|---|---|
| Sanctioned A/c | 1029 |
| Sanctioned Amt | 278 |

v. **MSME Prime Plus:** A flag ship scheme under the name of MSME Prime Plus has been launched by consolidating four MSME schemes namely; PNB Udyog Scheme, PNB Seva Scheme, PNB Vyapar Scheme and PNB Contractor Scheme. To be more competitive and acceptable in the market, Bank is offering-

- Concessional Rate of Interest and Service Charges,
- Relaxed collateral norms and margin criteria
- Features like MSME Vishesh (Auto increase of Working Capital Limits)
- Open Term Loan (A pre-approved term loan facility which provides flexibility to the good existing units enjoying credit facilities from our Bank) and
- Car Loan in the Name of Firm/Company for Personal use.

(Amt. in Rs. Crore)

| Position As on | 31.03.2025 |
|---|---|
| Sanctioned A/c | 39593 |
| Sanctioned Amt | 61875 |

vi. **PNB Trade Growth –** The scheme provides hassle free loan above Rs. 10.00 Lakh to Rs. 1.00 Crore at concessional rates as no financial papers are required for assessment. The assessment is done on the basis of GST return or Credit summation in account. Apart from that various concessions are also provided in the scheme.

(Amt. in Rs. Crore)

| Position As on | 31.03.2025 |
|---|---|
| Sanctioned A/c | 12936 |
| Sanctioned Amt | 4959 |

vii. **Digi MSME Loan:** This module is a straight through digital lending to MSME segment to provide loan facility above Rs.1 Lakh to Rs. 25 Lakh under Business loan to those customers who are maintaining current account with us and it will be completely system driven. Loan assessment will be based on trade related credits (TRC) arrived in current accounts through credit summation in last 12 months and the Pre Approved Business Loan (PABL) Score. Keeping in view of the success of PAPL, it is expected to garner a good number of business under this module.

(Amt. in Rs. Crore)

| Position As on | 31.03.2025 |
|---|---|
| Sanctioned A/c | 15238 |
| Sanctioned Amt | 927 |

viii. **ई–नवीनीकरण योजना–** मूल्यांकन प्रक्रिया की दक्षता बढ़ाने, TAT को कम करने और छोटे उधारकर्ताओं को सुविधा प्रदान करने के लिए, सरल नवीनीकरण लागू किया गया है जहां ग्राहक केवल एसएमएस के माध्यम से अपनी सहमति देगा और पूरी प्रक्रिया बिना किसी शाखा की भागीदारी के डिजिटल रूप से पूरी हो जाएगी।

| खंड | 01.04.2024 से 31.03.2025 तक | |
|---|---|---|
| | खातो की संख्या | राशि करोड़ में |
| सरल नवीनीकरण | 100930 | 4769 |

**8. सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाएँ**

ए. **पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि):** यह आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा शुरू की गई केंद्र की योजना है, जो स्ट्रीट वेंडर्स के लिए औपचारिक रूप से रु. 10,000 तक का वित्त प्रदान करती है, जिसने इस क्षेत्र के लिए आर्थिक सीढ़ी पर आगे बढ़ने के नए अवसर खोले हैं। यह योजना 02.07.2020 को शुरू की गई थी और यह 24 मार्च, 2020 तक या उससे पहले शहरी क्षेत्रों में लगे सभी स्ट्रीट वेंडर्स के लिए उपलब्ध है। पीएम स्वनिधि योजना के तहत ऋण देने की अवधि दिसंबर 2024 तक बढ़ा दी गई है। सभी ऋणों पर ऋण गारंटी और ब्याज सब्सिडी दावों का भुगतान मार्च 2028 तक किया जाएगा।

इसके अलावा, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने पीएम स्वनिधि योजना के तहत पूर्व के ऋण के समय पर पुनर्भुगतान पर पीएम स्वनिधि लाभार्थियों को बढ़ा हुआ ऋण (₹ 20,000 की दूसरी किस्त और ₹ 50000 की तीसरी किस्त) प्रदान करने के लिए मौजूदा योजना के लाभ को विस्तार दिया गया है।

(संख्या में)

| के अनुसार स्थिति | 31.03.2025 |
|---|---|
| स्वीकृत आवेदन | 7,44,009 |
| संवितरित आवेदन | 7,41,187 |

बी. **ई–पीएम स्वनिधि–** सभी पात्र शहरी स्ट्रीट वेंडरों के लिए पीएम स्वनिधि ऋण को अधिक लचीला और आसानी से सुलभ बनाने के लिए, "ई–पीएम स्वनिधि" योजना उन सभी आवेदकों के लिए शुरू की गई है, जिनके पास सीबीएस में उपलब्ध आधार, पैन के आधार पर हमारे बैंक में केवाईसी अनुपालित बचत और चालू खाता है। इस योजना के तहत बिना किसी मैनुअल हस्तक्षेप के ऋण स्वीकृत किया जाता है और राशि सीधे उधारकर्ता के बचत, चालू खाते में वितरित की जाती है।

(राशि ₹ करोड़ में)

| के अनुसार स्थिति | 31.03.2025 |
|---|---|
| स्वीकृत खाता | 45,569 |
| स्वीकृत राशि | 49 |

सी. **पीएम विश्वकर्मा** – पीएम विश्वकर्मा को 17 सितंबर, 2023 को लॉन्च किया गया था, जो एक समग्र योजना है जिसका उद्देश्य

viii. **Easy-Renewal Scheme-** To increase efficiency of the appraisal process, reduce TAT and to provide ease to small borrowers, Easy renewal has been implemented where customer will give his/her consent through SMS only and the entire journey will be completed digitally without any Branch involvement.

| Segment | From 01.04.2024 to 31.03.2025 | |
|---|---|---|
| | No. of A/c | Amt. in Crore |
| Easy Renewal | 100930 | 4769 |

**8. GOVT. SPONSORED SCHEMES**

a. **PM Street Vendor's AtmaNirbharNidhi (PM SVANidhi):** This is a Central Sector Scheme launched by Ministry of Housing and Urban Affairs formalized for Street vendors providing finance upto Rs. 10,000 which opened up new opportunities for this sector to move up the economic ladder. The scheme was launched on 02.07.2020 and it is available to all street vendors engaged in urban areas as on or before March 24, 2020. Credit Guarantee and interest Subsidy claims on all loans will be paid till March 2028.

In addition to this, Ministry of Housing and Urban Affairs has extended the benefit of existing scheme to provide enhanced loan (2nd tranche of Rs. 20,000 and 3rd tranche of Rs.50000) to PM SVANidhi beneficiaries on timely repayment of earlier loan under PM SVANidhi Scheme.

(In Numbers)

| Position As on | 31.03.2025 |
|---|---|
| Application Sanctioned | 7,44,009 |
| Application Disbursed | 7,41,187 |

b. **e-PM SVANidhi-** To make the PM SVANidhi loan more flexible and easily accessible to all eligible urban street vendors, "e-PM SVANidhi" scheme is launched for all applicants who are having KYC complied saving and current account with bank based on Aadhar/Pan available in CBS. Under the scheme the loan is sanctioned without any manual intervention and the amount is disbursed directly into the saving/current account of the borrower.

(Amt. in Rs. Crore)

| Position As on | 31.03.2025 |
|---|---|
| Sanctioned A/c | 45,569 |
| Sanctioned Amt | 49 |

c. **PM Vishwakarma -** PM Vishwakarma was launched on 17th September, 2023, is a holistic scheme that envisages

कारीगरों और शिल्पकारों को शुरू से अंत तक सहायता प्रदान करना है।

योजना की शुरुआत पीएम विश्वकर्मा लाभार्थी के बैंक खाते के सत्यापन से हुई थी, जिसमें बैंकों को पीएमवी पोर्टल पर अपलोड किए गए लाभार्थी के बैंक खाते के विवरण को सत्यापित करना था। यह एक सतत प्रक्रिया है क्योंकि लाभार्थियों को दैनिक आधार पर पीएमवी पोर्टल पर जोड़ा जाता है।

31.03.2025 तक हमारे बैंक की स्थिति इस प्रकार है:

(संख्या में)

| प्राप्त बैंक खाता सत्या. पन | सत्यापित बैंक खाता विवरण | अस्वीकृत बैंक खाता विवरण | लंबित बैंक खाता विवरण | % लंबित |
|---|---|---|---|---|
| 19,70,617 | 16,17,803 | 2,90,570 | 60,333 | 3% |

राष्ट्रीय संचालन समिति वित्तीय सेवाएं विभाग (डीएफएस) की दिनांक 25.04.2024 को ई–मेल के माध्यम से प्राप्त निर्देशानुसार पोर्टल पर आवेदन स्वीकृत करने और संवितरित करने की कार्यक्षमता 24.04.2024 से लाइव कर दी गई है और बैंक अब पोर्टल पर प्राप्त ऋण आवेदन को स्वीकृत और संवितरित कर सकते हैं। 31.03.2025 तक हमारे बैंक की स्थिति इस प्रकार है:

(संख्या में)

| çkIr vkosnu | lalkf/kr vkosnu ¼vFkkZr Loh—r vLoh—r½ | Loh—r vkosnu | vLoh—r vkosnu | lforfjr vkosnu | yfcr vkosnu |
|---|---|---|---|---|---|
| 85,952 | 75,274 | 32,683 | 42,591 | 30,701 | 10,678 |

योजना के ऋण घटक के अंतर्गत 31.03.2025 तक बैंक की स्थिति

ऋण स्वीकृतियाः 32,683 आवेदन कुल ₹ 316.50 करोड़

ऋण संवितरणः 30,701 आवेदन कुल ₹ 296.43 करोड़

**डी. ई–पीएम विश्वकर्मा** – डिजिटल पहल के एक हिस्से के रूप में और जटिलताओं को कम करने के लिए, बैंक ने 25 जुलाई, 2024 को ई–पीएम विश्वकर्मा – एक शुरुआत से अंत तक डिजिटल यात्रा शुरू की है।

31.03.2025 तक, योजना के तहत डिजिटल चैनल के माध्यम से ₹ 206.57 करोड़ की राशि के आवेदन स्वीकृत किए गए हैं।

**ई. अन्य पहल**

i. एमएसएमई व्यवसाय को बढ़ाने के लिए क्षेत्र–स्तरीय रणनीतिक पहल शुरू की गई है। बैंक ने 1000 एमएसएमई गहन शाखाएँ खोली हैं। शाखाओं की पहचान एमएसएमई ऋण देने में तेजी लाने के लिए केन्द्र बिन्दु के रूप में की गई है। एमएसएमई विपणन और लीड

to provide end-to-end support to the artisans and craftspeople.

The scheme initially started with Bank account verification of the PM Vishwakarma beneficiary wherein the banks were required to verify the Bank account details of the beneficiary uploaded on the PMV Portal. It is an ongoing process since the beneficiaries are on boarded on the PMV portal on daily basis.

The position of the Bank as on 31st March, 2025 is as under:

(In Numbers)

| Bank Account verification received | Bank Account details verified | Bank Account details rejected | Bank Account details pending | % Pendency |
|---|---|---|---|---|
| 19,70,617 | 16,17,803 | 2,90,570 | 60,333 | 3% |

As per the instruction of National Steering Committee, DFS vide email dated 25th April, 2024 has informed that the functionality to sanction and disburse the application on the portal has been made live w.e.f., from 24th April, 2024 and banks can sanction & disburse the loan application received on the portal.

The position of the Bank as on 31st March, 2025 is as under:

(In Numbers)

| Application received | Application Processed (i.e, Sanctioned + Rejected) | Application Sanctioned | Application Rejected | Application Disbursed | Application Pending |
|---|---|---|---|---|---|
| 85,952 | 75,274 | 32,683 | 42,591 | 30,701 | 10,678 |

**Bank's position as on 31st March, 2025 under the credit component of the scheme**

**Loan sanctions:** 32,683 applications, totaling Rs. 316.50 Crore.

**Loan disbursements:** 30,701 applications, totaling Rs. 296.43 Crore.

**d. e-PM Vishwakarma -** As a part of digital initiative and to reduces the complexities, the Bank has launched e-PM Vishwakarma - an end to end digitized journey on 25th July 2024. Till 31.03.2025, 21,045 applications amounting to Rs. 206.57 Crore. have been sanctioned through Digital Channel under the scheme.

**e. Other Initiatives**

i. Field-level strategic initiatives have been introduced to augment MSME Business. The Bank has 1000 MSME intensive branches. Branches have been identified as the focal point for accelerating MSME lending through focused approach. These branches shall be supported

निर्माण के लिए विपणन अधिकारियों (एमओ) की प्रत्यक्ष भागीदारी के माध्यम से इन शाखाओं का सहयोग किया जाएगा। विपणन अधिकारी (एमओ) कारोबारी लीड सोर्सिंग, गुणवत्तापूर्ण अग्रिमों को प्रचारित करने और एमएसएमई ऋण को बढ़ावा देने में सहायता करेंगे।

ii. **ग्राहक अधिग्रहण केंद्र (सीएसी)** की स्थापना ग्राहक केंद्रित दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित करने के साथ की गई है, जिसमें ग्राहकों की प्राथमिकताओं को समझने और विपणन रणनीतियों के साथ उत्पादों और सेवाओं को विकसित करने के लिए व्यापक शोध और बाजार अध्ययन किया जाता है। एमएसएमई पर प्राथमिक रूप से ध्यान देने के साथ रु. 10 लाख से अधिक के कारोबारी ऋण की सोर्सिंग के लिए एमएसएमई कारोबारी ऋण खंड को सीएसी में अलग किया गया है।

iii. **लीड प्रबंधन मॉड्यूल** एमएसएमई लीड को प्रभावी ढंग से संभालने के लिए डिजाइन किया गया है, जो लीड निर्माण, प्रसंस्करण और समापन के लिए एक संरचित प्रक्रिया प्रदान करता है। यह मॉड्यूल शाखाओं, ग्राहक सेवा, ई–मेल, एसएमएस, इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग जैसे विभिन्न चैनलों को एकीकृत करता है, जिससे व्यापक लीड प्रबंधन सुनिश्चित होता है।

iv. **बैंक द्वारा 190 से अधिक स्थानों पर एमएसएमई आउटरीच अभियान शुरू किया गया है।** आउटरीच कार्यक्रम के तहत ₹ 23,652.04 करोड़ की राशि की 15,743 लीड प्राप्त हुई हैं, जिनमें से ₹ 5,353 करोड़ की राशि की 5,092 लीड स्वीकृत की गई हैं।

## 9. वित्तीय समावेशन (एफआई)

बैंक वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में पहल करने में अग्रणी रहा है। बैंक 2012 से व्यवसाय प्रतिनिधि (बीसी) सेवाएं प्रदान कर रहा है और उप–सेवा क्षेत्र (एसएसए) और गैर एसएसए क्षेत्र में बीसी के प्रभावी उपयोग के माध्यम से व्यापक वित्तीय समावेशन कार्यक्रम को लागू कर रहा है। एसएसए कुछ गांवों का समूह है जो बैंक की एक आधार शाखा से जुड़ा हुआ है।

**एफआई पहलों में शामिल कुछ निम्नलिखित है:**

ए. बैंक ने पूरे भारत में बी.सी. के माध्यम से प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) और अन्य वित्तीय समावेशन पहलों को लागू किया है। पात्र खाताधारकों (आयु वर्ग 18–65) को पीएमजेडीवाई खातों में 10,000 रुपये तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा प्रदान की जाती है।

बी. बी.सी. स्थानों पर बायोमेट्रिक आधारित ई–केवाईसी खाता खोलना और आधार सीडिंग।

सी. सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ (एसएसएस), अर्थात प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) और अटल पेंशन योजना (एपीवाई) सुविधाएँ, बी. सी. स्थानों, शाखाओं, साथ ही इंटरनेट बैंकिंग, मोबाईल बैंकिंग के माध्यम से उपलब्ध हैं। 31 मार्च, 2025 तक सक्रिय सामाजिक सुरक्षा योजनाओं (एसएसएस) की प्रगति निम्नानुसार है।

i. पीएमजेजेबीवाई ₹ 73.08 लाख नामांकित ग्राहक ।

ii. पीएमएसबीवाई ₹ 291.97 लाख नामांकित ग्राहक।

iii. एपीवाई ₹ 46.81 लाख नामांकित ग्राहक।

through direct involvement of Marketing Officers (MOs) for MSME marketing & lead creation. MOs shall assist in sourcing business leads, canvassing quality advances and boosting MSME credit.

ii. **Customer Acquisition Centres (CACs)** have been set up on customer centric approach by way of conducting extensive research & market study to understand the customer preferences and develop products & services along with marketing strategies. MSME Business Loans Segment have been segregated in CACs for sourcing business loans above Rs.10 Lakh with primary focus on MSME.

iii. **The Lead Management Module** is designed to handle MSME leads effectively, providing a structured process for lead creation, processing and closure. This module integrates various channels such as branches, Customer Care, e-mail, SMS, Internet & Mobile Banking, ensuring comprehensive lead management.

iv. **MSME Outreach campaign has been launched by the Bank at 190+ locations.** Under the outreach programme 15,743 number of leads amounting to Rs 23,652 Crore has been received. Out of which 5092 number of leads amounting to Rs 5353 Crore have been sanctioned.

## 9. Financial Inclusion (FI)

The Bank has been the pioneer in taking initiative in the area of financial inclusion. The Bank is providing Business Correspondents (BCs) services since 2012 & implementing comprehensive Financial Inclusion Program through effective utilization of BCs in Sub-Service Area (SSA) & non SSA area. SSA is a cluster of few villages and is linked to one base branch of the Bank.

**Some of the FI initiatives include:**

a. The Bank has implemented Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY) and other financial inclusion initiatives through BCs Pan-India. Overdraft facility up to Rs. 10,000 in PMJDY accounts is provided to eligible account holders (age group 18-65 years).

b. Biometric based e-KYC account opening and Aadhaar seeding at BC Locations.

c. Social Security Schemes (SSS), i.e. Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana (PMJJBY), Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana (PMSBY) and Atal Pension Yojana (APY) facilities, are available at BC locations, branches, as well as through Internet Banking/Mobile Banking. The Progress of active Social Security Schemes (SSS) till 31st March, 2025 is as under:

i. PMJJBY: 73.08 Lakh customers enrolled.

ii. PMSBY: 291.97 Lakh customers enrolled.

iii. APY: 46.81 Lakh customers enrolled.

डी. 31 मार्च, 2025 तक बैंक के पास 33,349 बीसी एजेंट/बैंक मित्र हैं जो बैंक की आवश्यकता के आधार पर ग्रामीण, अर्ध–शहरी, शहरी और मेट्रो क्षेत्रों में बुनियादी बैंकिंग सेवाएँ प्रदान करते हैं। बैंकिंग सेवाएँ प्रदान करने के लिए बीसी एजेंट/बैंक मित्र पैक्स/लैपटॉप/डेस्कटॉप आदि का उपयोग करते हैं। वर्तमान में वित्तीय सेवा विभाग (DFS) के EASE एजेंडे के अनुसार निम्नलिखित सेवाएँ कियोस्क बैंकिंग समाधान के माध्यम से बीसी स्थानों पर उपलब्ध हैं:

i. ई–केवाईसी खाता खोलना।

ii. सावधि जमा रसीद (टीडीआर)/ आवर्ती जमा (आरडी) खोलना, टीडी/आरडी का नवीनीकरण करना।

iii. नकद जमा (अपना बैंक/अन्य बैंक)।

iv. नकद निकासी (अपना बैंक/अन्य बैंक)।

v. निधि अंतरण (अपना बैंक), निधि अंतरण (अन्य बैंक – आधार सक्षम भुगतान प्रणाली {एईपीएस})।

vi. तत्काल भुगतान सेवा (आईएमपीएस), राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (एनईएफटी), भारत–नेपाल विप्रेषण

vii. शेष राशि की पूछताछ (अपना बैंक/अन्य बैंक)।

viii. रुपे डेबिट कार्ड के लिए आवेदन करें, डेबिट कार्ड ब्लॉक करें।

ix. सामाजिक सुरक्षा योजनाओं यानी सूक्ष्म आकस्मिक मृत्यु बीमा (पीएमएसबीवाई), सूक्ष्म जीवन बीमा (पीएमजेजेबीवाई), पेंशन योजना (एपीवाई) के लिए नामांकन करें।

x. आधार सीडिंग।

xi. स्वयं सहायता समूह (एसएचजी): गठन और संवर्धन के लिए, जिसमें क्रेडिट लिंकेज भी शामिल है।

xii. पासबुक अपडेट, मिनी स्टेटमेंट।

xiii. चेक कलेक्शन।

xiv. नई चेक बुक का अनुरोध, चेक का भुगतान रोकना, चेक की स्थिति की पूछताछ।

xv. एसएमएस अलर्ट/ईमेल स्टेटमेंट (पंजीकृत मोबाइल नंबर, ई–मेल) के लिए अनुरोध।

xvi. बैंक द्वारा स्वीकृत सीमा तक वसूली/संग्रह।

xvii. खुदरा/मुद्रा/कृषि के लिए ऋण अनुरोध।

xviii. चालू खाता खोलने के लिए अनुरोध।

xix. तीसरे पक्ष उत्पादों के लिए अनुरोध।

## VI. जोखिम और चिंताएँ

जोखिम बैंक के व्यवसाय संचालन का अभिन्न अंग है। बैंक को क्रेडिट जोखिम, बाजार जोखिम, परिचालन जोखिम, चलनिधि जोखिम, ब्याज दर जोखिम जैसे बड़े जोखिमों का सामना करना पड़ता है और इन जोखिमों को प्रबंधित करने और कम करने के लिए बैंक ने उपाय, नीतियाँ, प्रणालियाँ और प्रक्रियाएँ लागू की हैं। बैंक के पास प्रतिष्ठा जोखिम, रणनीतिक जोखिम, आईटी जोखिम, साइबर जोखिम, अनुपालन जोखिम, ईएसजी जोखिम, जलवायु जोखिम, आचरण जोखिम और अन्य अवशिष्ट जोखिमों जैसे महत्वपूर्ण जोखिमों को प्रबंधित करने के लिए एक विश्वसनीय आंतरिक नियंत्रण वातावरण भी है। बैंक के निदेशक मंडल ने रणनीतिक महत्व के विभिन्न क्षेत्रों पर विचार करने के लिए बोर्ड की विभिन्न उप–समितियों और/या कार्यात्मक समितियों का गठन किया है।

d. As on 31st March, 2025, the Bank has 33,349 BC Agents/ Bank Mitras providing basic banking services in Rural, Semi-Urban, Urban and Metro centres. The BC Agents / Bank Mitras use PAX /Laptop /Desktop etc. for providing the banking services. At present following services as per EASE agenda of Department of Financial Services (DFS) are available at BC locations through Kiosk Banking Solution:

i. e-KYC Account Opening.

ii. Term Deposit Receipt (TDR)/ Recurring Deposit (RD) opening, Renew TD/RD.

iii. Cash Deposit (own bank / other bank).

iv. Cash Withdrawal (own bank / other bank).

v. Fund transfer (own bank), Fund transfer (other bank - Aadhaar Enabled Payment System {AEPS}).

vi. Immediate Payment Service (IMPS), National Electronic Funds Transfer (NEFT), Indo-Nepal Remittance.

vii. Balance enquiry (own bank / other bank).

viii. Apply for RuPay debit cards, Block debit card.

ix. Enrollment for social security schemes i.e. micro accidental death insurance (PMSBY), micro life insurance (PMJJBY), pension scheme (APY).

x. Aadhaar Seeding.

xi. **Self Help Group (SHG):** For formation & promotion, including credit linkage.

xii. Passbook update, Mini statement.

xiii. Cheque collection.

xiv. Request new cheque book, Stop payment of cheque, cheque status enquiry.

xv. Request for SMS alert / email statement (registered mobile number/e-mail).

xvi. Recovery/Collection up to bank approved limits.

xvii. Loan request initiation for Retail/Mudra/Agriculture.

xviii. Request initiation for Current account opening.

xix. Request initiation for Third Party Products.

## VI. Risks & Concerns

Risk is integral part of the Bank's business operations. The Bank is exposed to major risks namely credit risk, market risk, operational risk, liquidity risk, interest rate risk, among others and has put in place measures, policies, systems and procedures to manage and mitigate those risks. The Bank also has a reliable internal controlling environment to manage materials risks such as Reputational risk, Strategic Risk, IT Risk, Cyber Risk, Compliance Risk, ESG Risk, Climate Risk, Conduct Risk and other residual risks. The Board of Directors of the Bank has constituted various Sub-Committees of Board and/or Functional Committees to look into different areas of strategic importance.

## 1. क्रेडिट जोखिम प्रबंधन

बैंक के पास एक मजबूत क्रेडिट जोखिम प्रबंधन ढांचा है और उसने व्यापक जोखिम स्कोरिंग/रेटिंग प्रणाली विकसित की है जो नियमित रूप से क्रेडिट निर्णय लेने के लिए प्रतिपक्षों के विविध जोखिम कारकों के एकल बिंदु संकेतक के रूप में कार्य करती है। बैंक के पास उधारकर्ताओं के जोखिम मूल्यांकन के लिए इन–हाउस क्रेडिट जोखिम रेटिंग मॉडल हैं और उसने खुदरा अग्रिम एमएसएमई और कृषि क्षेत्र अग्रिम क्रेडिट स्कोरिंग मॉडल के लिए स्कोरिंग मॉडल भी विकसित और कार्यान्वित किए हैं ताकि किसी विशेष खंड जैसे पीएनबी सम्पत्ति, पीएनबी जीएसटी एक्सप्रेस लोन, प्री–अप्रूव्ड पर्सनल लोन स्कीम, ई–मुद्रा और एनबीएफसी के साथ सह–उधार व्यवस्था के तहत उधार देने के लिए डिजाइन की गई विशिष्ट उधार योजनाओं की महत्ता को प्राप्त किया जा सके।

बैंक अपनी क्रेडिट जोखिम रेटिंग और स्कोरिंग मॉडल की प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए समय–समय पर सत्यापन अभ्यास करता है। बैंक अपने क्रेडिट जोखिम रेटिंग मॉडल की दृढ़ता का परीक्षण करने के लिए माइग्रेशन और डिफॉल्ट दर विश्लेषण भी करता है। क्रेडिट रेटिंग और स्कोरिंग मॉडल का आउटपुट, निर्णय लेने से जुड़ा हुआ है जिसमें क्रेडिट स्वीकृति, मूल्य निर्धारण, क्रेडिट पोर्टफोलियो की ऑडिट, समीक्षा और निगरानी के साथ–साथ ऋण देने की शक्तियाँ शामिल हैं। बैंक ने प्रभावी ऋण देने की प्रथाओं की एकरूपता के लिए ऋण जोखिम प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं को कवर करने वाली कई नीतियां लागू की हैं।

प्रक्रियाओं के स्वचालन और अनुपालन में वृद्धि के व्यापक उद्देश्य के अनुसरण में, बैंक ने विभिन्न ग्राहक खंडों को लक्षित करते हुए विभिन्न डिजिटल खुदरा ऋण उत्पाद लॉन्च किए हैं। ये उत्पाद नियम–आधारित, सिस्टम संचालित प्रसंस्करण और मंजूरी पर आधारित हैं, जो एंड टू एंड या एंड टू एंड के निकटतम तक होंगे। इन उत्पादों के जोखिमों का आकलन करने के लिए अलग–अलग स्कोरकार्ड विकसित किए गए हैं।

बैंक ने ई–नवीनीकरण योजना भी शुरू की है, जो एक निश्चित सीमा तक जोखिमपूर्ण कार्यशील पूंजी ऋण सुविधाओं हेतु ऋण सुविधाओं के नवीनीकरण के लिए एक स्वचालित/सीधी प्रक्रिया (एसटीपी) है।

बैंक ने ₹1 करोड़ से अधिक के अग्रिमों की प्रभावी निगरानी और ऋण खातों की स्थिति में गिरावट का शीघ्र पता लगाने के लिए एक पूर्णतया डिजिटलीकृत और स्वचालित प्रारंभिक चेतावनी निगरानी उपकरण 'पीएनबी सजग 2.0' स्थापित किया है। यह प्रणाली 133 प्रारंभिक चेतावनी संकेतों (ईडब्ल्यूएस) पर खातों की निगरानी करती है – जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) और वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) द्वारा निर्धारित सभी ईडब्ल्यूएस शामिल हैं।

बैंक ने क्रेडिट इंटेलिजेंस एंड सपोर्ट डिपार्टमेंट (सीआईएएसडी) के तहत एक अलग उद्योग अनुसंधान डेस्क की स्थापना की है जो उद्योगों का आंतरिक जोखिम मूल्यांकन करता है और गणना किए गए उद्योग जोखिम स्कोर के आधार पर 160 से अधिक उद्योगों के लिए उद्योग दृष्टिकोण तैयार करता है। उद्योग जोखिम मूल्यांकन अभ्यास आउटपुट को उद्योग हैंडआउट में अनुवादित किया जाता है जो विभिन्न उद्योग जोखिम मापदंडों का कार्यकारी सारांश और संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करता है। इसके अलावा, तिमाही के दौरान

## 1. Credit Risk Management

The Bank has a robust Credit Risk management framework and has developed comprehensive risk scoring/rating system that serves as a single point indicator of diverse risk factors of counterparties for taking credit decisions in a consistent manner. The Bank has in-house credit risk rating models for risk assessment of borrowers and has also developed and implemented scoring models for Retail advances, MSME and Farm sector advances credit scoring models to capture the peculiarity of specific lending schemes designed for a particular segment such as PNB Sampatti, PNB GST express loan, Pre-Approved Personal Loan scheme, e-Mudra and lending under co-lending arrangements with NBFCs.

The Bank undertakes periodic validation exercise of its credit risk rating and scoring models to ensure their efficacy. The Bank also conducts migration and default rate analysis to test robustness of its credit risk rating models. Output of credit rating and scoring models is linked to decision making which includes credit sanctioning, pricing, loaning powers alongside audit, review & monitoring of credit portfolio. The Bank has put in place several policies covering various aspects of credit risk management to have a uniform set of effective lending practices.

In pursuance of overarching objective of automation of processes and increased compliance, the Bank has launched various digital retail lending products targeting different customer segments. These products are based on rule-based, system driven processing & sanctioning, which shall be end-to-end or near end-to-end. Separate scorecards have been developed to assess the risks for these products.

The Bank has also launched E-Renewal Scheme, an automatic/ Straight Through Process (STP) for renewal of credit facilities for working capital credit facilities having exposure up to a certain threshold.

The Bank has in place a fully digitized and automated Early Warning monitoring tool 'PNB SAJAG 2.0' for effective monitoring of advances above Rs. 1 Crore and early detection of deterioration in health of loan accounts. The system monitors the accounts on 133 Early Warning Signals (EWS) - including all EWS prescribed by Reserve Bank of India (RBI) and Department of Financial Services (DFS).

The Bank has established a separate Industry Research Desk under Credit Intelligence and Support Department (ClaSD), which carries out in-house risk assessment of industries and prepares industry outlook for more than 160 industries based on calculated industry risk scores. Output of industry risk assessment exercise is translated into Industry Handout which presents executive summary and brief of various industry risk parameters. Further, 'Up', 'Stable' and 'Down' Quarterly

उद्योगों में महत्वपूर्ण विकास को समाहित करके उद्योग दृष्टिकोण में 'ऊपर', 'स्थिर' और 'नीचे' तिमाही रुझान भी प्रदान किए जाते हैं।

ये प्रक्रियाएं ऋण की त्वरित एवं सटीक सुपुर्दगी और निगरानी करने, मूल्यांकन में एकरूपता लाने तथा आंकड़ों के भंडारण एवं विश्लेषण में सहायता करती हैं।

## 2. बाजार जोखिम और आस्ति देयता प्रबंधन

बैंक ने बाजार जोखिम प्रबंधन के लिए एक अच्छी तरह से परिभाषित संगठनात्मक संरचना स्थापित की है जो बाजार जोखिम के समग्र प्रबंधन की प्रक्रिया को देखती है, जैसे ब्याज दर जोखिम, इक्विटी मूल्य जोखिम और विदेशी मुद्रा जोखिम और निवेश पोर्टफोलियो को स्वस्थ और तरल बनाए रखने के लिए जोखिमों को मापने और निगरानी करने के लिए कार्यप्रणाली को लागू करती है।

कोषागार परिचालन का मध्य कार्यालय, बैंक के निवेश पोर्टफोलियो के बाजार जोखिम की देखभाल करता है और ट्रेजरी परिचालन से इसके कामकाज की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए समूह मुख्य जोखिम अधिकारी (जीसीआरओ) को रिपोर्ट करता है। इसके अलावा, बाजार जोखिम प्रबंधन समिति (एमआरएमसी) बैंक की एक कार्यात्मक समिति है, जो बाजार जोखिम के समग्र प्रबंधन की देखभाल करती है।

मिड–ऑफिस निवेश पोर्टफोलियो को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए सांख्यिकीय उपकरणों जैसे VaR, दबाव परीक्षण, जोखिम सीमा जैसे एम–अवधि, PV01, जोखिम सीमा आदि के माध्यम से विभिन्न जोखिम स्थितियों की निगरानी करता है। निगरानी को मजबूत और प्रणाली संचालित बनाने के लिए, बाजार जोखिम की बेहतर निगरानी और प्रबंधन के लिए फिनेकल ट्रेजरी एप्लिकेशन में उपकरण/सीमाओं को स्वचालित किया गया है। इसके अतिरिक्त, विभिन्न देशों में जोखिम की आशंका के प्रभाव को समाविष्ट करने के लिए, प्रभावी मूल्य निर्धारण के लिए मूल्य निर्धारण संरचना में देश जोखिम प्रीमियम को सम्मिलित किया गया है।

बैंक का एक अलग आस्ति देयता प्रबंधन सेल है जो चलनिधि जोखिम और ब्याज दर जोखिम का सक्रिय रूप से प्रबंधन एवं निगरानी करता है। अल्पकालिक लचीलेपन के लिए चलनिधि जोखिम का आकलन करने के लिए, बैंक दैनिक आधार पर चलनिधि कवरेज अनुपात (LCR) की गणना और निगरानी करता है। दीर्घकालिक लचीलेपन हेतु, बैंक मासिक आधार पर निवल स्थिर निधि अनुपात (NSFR) की गणना और निगरानी करता है।

बैंक वैश्विक बाजारों में विकास पर कड़ी नजर रखता है और स्वयं को इस तरह की जोखिम घटनाओं से बचाने के लिए नियमित आधार पर अपने पोर्टफोलियो को स्कैन करता है। बैंक तिमाही आधार पर चलनिधि जोखिम के लिए विस्तृत दबाव परीक्षण करता है। दबाव परीक्षण एक ऐसा उपकरण है जो बैंक–विशेष, बाजार–व्यापी और संयुक्त दबाव की घटनाओं के मामले में बैंक की चलनिधि प्रोफाइल और चलनिधि बफर्स की पर्याप्तता का आकलन करने में सहायता करता है। दबाव परीक्षण में गंभीर लेकिन संभावित परिदृश्यों का उपयोग निम्न, मध्यम और उच्च दबाव परिदृश्यों के तहत चलनिधि स्थिति पर इसके प्रभाव का मूल्यांकन किया जाता है। इस प्रकार, बैंक चलनिधि दबाव परीक्षण और एलसीआर पर प्रभाव का आकलन करता है, इसके बाद आकस्मिक निधि योजना तैयार करता है जिससे चलनिधि की कमी से निपटा जा सके। बैंक हर समय चलनिधि आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निरंतर आधार पर अपनी आस्तियों का प्रबंधन करता है।

trends in Industry Outlook is also provided by encapsulating significant developments in industries during the quarter.

These processes help to achieve quick & accurate delivery and monitoring of credit, bring uniformity in the appraisal and facilitate storage of data & analysis thereof.

## 2. Market risk and Asset Liability Management

The Bank has in place a well-defined organizational structure for market risk management which looks into the process of overall management of market risk viz. interest rate risk, equity price risk and foreign exchange risk and implements methodologies for measuring and monitoring the risks to keep the investment portfolio healthy and liquid.

Mid-office of Treasury Operations, looks after market risk of the investment Portfolio of the Bank and reports to Group Chief Risk Officer (GCRO) to ensure the independence of its functioning from treasury operations. Further, Market Risk Management Committee (MRMC) a functional committee is also in place to look after the overall management of Market Risk.

Mid Office monitors various risk positions through statistical tools like VaR, stress tests, risk limits like M-Duration, PV01, exposure limit etc. to effectively manage the Investment portfolio. In order to make the monitoring robust and system driven, tools/limits have been automated in Finacle treasury application for better monitoring and management of Market Risk. Further, in order to incorporate the impact of riskiness of exposure in different countries, Country Risk Premium has been incorporated in the pricing structure for effective pricing.

The Bank has a separate Asset Liability Management Cell that manages and monitors liquidity risk and interest rate risk proactively. To assess liquidity risk for short term resilience, the Bank computes and monitors Liquidity Coverage Ratio (LCR) on daily basis. For long term resilience, the Bank computes and monitors Net stable Funding Ratio (NSFR) on monthly basis.

The Bank keeps a close eye on development in the global markets and scans its portfolio on regular basis to protect itself from similar kind of risk incidents. The Bank carries out detailed stress testing for liquidity risk on quarterly basis. Stress test is a tool that helps in assessing the Bank's liquidity profile and the adequacy of liquidity buffers in case of bank-specific, market-wide and combined stress events. Stress test is conducted using severe but plausible scenarios and its impact on liquidity position is assessed under low, medium and high stress scenarios. Similarly, the Bank also conducts liquidity stress test and impact on LCR, followed by preparation of Contingency Funding Plan to tide over liquidity crunch if at all it arises. The Bank manages its assets on a continuous basis in a way to withstand liquidity requirements at all times.

बैंक तिमाही आधार पर बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम (आईआरआरबीबी) की गणना करता है और आरबीआई को रिपोर्ट करता है। आईआरआरबीबी का मतलब बैंक की पूंजी और आय के लिए मौजूदा और संभावित जोखिम से है जो ब्याज दरों में प्रतिकूल बदलाव से उत्पन्न होता है जो इसकी बैंकिंग बही की स्थिति को प्रभावित करता है।

बैंक ने स्वचालित चलनिधि रिपोर्टिंग के लिए ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज एनालिटिकल एप्लीकेशन (ओएफएसएए) को शामिल किया है। सभी चलनिधि एवं ब्याज दर जोखिम संबंधी रिपोर्टें जैसे एलसीआर, एनएसएफआर, एसएलएस, टीजीए, डीजीए आदि ओएफएसएए एलआरएम और एएलएम मॉड्यूल से तैयार की जा रही हैं, जिससे रिपोर्टिंग प्रक्रिया में काफी सुधार हुआ है। सिस्टम–आधारित चलनिधि रिपोर्टिंग बैंक को संभावित चलनिधि जोखिमों और ट्रिगर्स की पहचान करने, समय पर हस्तक्षेप करने और इसे कम करने मे सहायता करती है।

### 3. परिचालन जोखिम प्रबंधन और आईटी जोखिम

परिचालन जोखिम प्रबंधन कार्यों के लिए बैंक के पास एक सुपरिभाषित संगठनात्मक ढांचा एवं रूपरेखा मौजूद है। बैंक, डेटा की आंतरिक/बाहरी हानि, घटना रिपोर्टिंग, नियर मिस ईवेंट्स, जोखिम नियंत्रण और स्व–मूल्यांकन सर्वेक्षण (आरसीएसए), प्रमुख जोखिम संकेतक (केआरआई), धन शोधन एवं आतंकवादी वित्तपोषण जोखिम के लिए तथा परिदृश्य विश्लेषण के लिए जोखिम आधारित आकलन जैसे उपकरणों के माध्यम से परिचालन जोखिम की पहचान, माप, निगरानी और नियंत्रण/कमी कर रहा है। विभिन्न स्तरों पर अनुमोदन के माध्यम से मौजूदा प्रक्रियाओं को शुरू करने/संशोधित करने से पहले उत्पाद/गतिविधियों/प्रक्रिया/सेवाओं और प्रणालियों में परिचालन जोखिम का विश्लेषण करने के लिए बैंक के पास एक मजबूत तंत्र मौजूद है। बैंक ने वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग से उत्पन्न होने वाले जोखिम के प्रभावी निरीक्षण, समुचित सावधानी और प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए ठोस और उत्तरदायी प्रथाएँ लागू की , साथ ही व्यवसाय निरंतरता योजना भी बनाई है, जिससे गंभीर व्यावसायिक व्यवधान से निपटने में तत्परता मिलती है। बैंक ने एंटरप्राइज–वाइड डेटा वेयरहाउस परियोजना के तहत एक ऑनलाइन परिचालन जोखिम समाधान सांख्यिकीय विश्लेषण सॉफ्टवेयर (एसएएस) लागू किया है और बैंक के संपूर्ण परिचालन जोखिम के प्रबंधन के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए विभिन्न स्तरों पर डेटा कैप्चरिंग और प्रबंधन सूचना प्रणाली के विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखते हुये इसे केंद्रीय सर्वर पर रखा है।

बैंक द्वारा सम्पूर्ण बैंक में प्रभावी आईटी और सूचना सुरक्षा जोखिम प्रबंधन के लिए जोखिम कार्य के तहत आईटी और सूचना सुरक्षा जोखिम प्रबंधन वर्टिकल की स्थापना की है। बैंक में घटना प्रबंधन के लिए ऑपरेशन जोखिम समाधान पोर्टल स्थापित किया गया है, जिसमें बैंक का कोई भी कर्मचारी पोर्टल में परिचालन जोखिम घटनाओं को दर्ज कर सकता है। इसके अतिरिक्त, बैंक में तृतीय पक्ष जोखिम के व्यापक प्रबंधन के लिए परिचालन जोखिम कार्य के अंतर्गत तृतीय पक्ष जोखिम प्रबंधन कक्ष की स्थापना की गई है।

बैंक ने सम्पूर्ण बैंक, में प्रभावी आईटी एवं सूचना सुरक्षा जोखिम प्रबंधन के लिए जोखिम कार्य के अंतर्गत नया आईटी और सूचना सुरक्षा जोखिम प्रबंधन वर्टिकल स्थापित किया है।

आईटी जोखिम की पहचान, आकलन, निगरानी और उसे कम करने के लिए बैंक द्वारा एक व्यापक आईटी एवं सूचना सुरक्षा जोखिम प्रबंधन ढांचा तैयार किया गया है। आंतरिक निरीक्षण को सक्षम

The Bank also computes and report Interest Rate Risk in Banking Book (IRRBB) to RBI on quarterly basis. IRRBB refers to current and prospective risk to bank's capital and earnings arising from adverse movement in interest rates that affects its banking book position.

The Bank has automated its liquidity reporting. All the liquidity & Interest rate risk related reports such as LCR, NSFR, SLS, TGA, DGA etc. are being generated from LRM and ALM modules, which has significantly improved the reporting process. The system-based liquidity reporting allows Bank to identify potential liquidity risks and triggers, for timely intervention and mitigation.

### 3. Operational Risk Management and IT Risk

The Bank has in place a well-defined organizational structure and framework for operational risk management functions. The Bank is identifying, measuring, monitoring and controlling/ mitigating the operational risk through tools viz. Internal/ External Loss Data, Incident Reporting, Near Miss Events, Risk Control & Self-Assessment surveys (RCSAs), Key Risk Indicators (KRIs), Risk Based Assessment for Money Laundering & Terrorist Financing Risk and Scenario Analysis. The Bank has a robust mechanism in place to analyse the operational risk in product/activities/process/services and systems before introducing/modifying existing processes through approvals at various levels. The Bank has in place sound and responsive practices to ensure effective oversight, due diligence and management of risk arising from outsourcing of financial services along with Business Continuity Plan that leads to readiness in tackling serious business disruption. The Bank has implemented Statistical Analysis Software (SAS), an online Operational Risk Solution under Enterprise-wide Data Warehouse Project and placed it on central server to take care of various aspects of data capturing and management information system at various levels to provide technological support for managing entire Operational Risk of the Bank.

The Bank has newly established IT and Information Security Risk Management vertical under risk function for effective IT and information security risk management bank wide. The Op Risk solution portal has been established for incident management in the Bank, wherein any employee of the bank can lodge the operational risk incidents in the portal. Further, Third-Party Risk Management Cell under Operational Risk function has been established to have comprehensive management of third-party risk in the Bank

The Bank has newly established IT and Information Security Risk Management vertical under risk function for effective IT and information security risk management bank wide.

The Bank has in place a comprehensive IT and Information Security Risk Management Framework to identify, assess, monitor and mitigate IT risk. A well-defined Incident Escalation

करने, प्रभावी प्रतिक्रिया तंत्र को सुविधाजनक बनाने के लिए एक सुपरिभाषित इंसिडेंट एस्कलेशन मैट्रिक्स मौजूद है। बैंक संवेदनशील एवं महत्वपूर्ण अनुप्रयोगों के लिए आवधिक जोखिम आकलन, तृतीय पक्ष के आईटी सेवा प्रदाताओं के अंतर्निहित जोखिमों का मूल्यांकन जैसी कई गतिविधियों के माध्यम से आईटी जोखिम की पहचान, माप, निगरानी और नियंत्रण/कमी कर रहा है।

### 4. आंतरिक पूंजी पर्याप्तता आकलन प्रक्रिया (आईसीएएपी) एवं दबाव परीक्षण

बैंक ने आंतरिक पूंजी पर्याप्तता आकलन प्रक्रिया (आईसीएएपी) पर एक व्यापक नीति बनाई है, जिसकी वार्षिक समीक्षा की जाती है और आईसीएएपी दस्तावेज को छमाही आधार पर बोर्ड के समक्ष रखा जाता है। आईसीएएपी पिलर–I और पिलर–II दोनों जोखिमों को देखता है और विभिन्न जोखिमों के प्रभाव का समग्र दृष्टिकोण रखने के लिए, जो बैंक के सामने आते है, ऐसे सभी जोखिमों को मापने/मूल्यांकन करने के लिए कार्य करता है। जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाओं को आईसीएएपी दस्तावेज में विस्तार से शामिल किया गया है। दस्तावेज को समूह स्तर पर एकल और समेकित दोनों आधारों पर तैयार किया जाता है।

बैंक ने प्रतिकूल लेकिन संभावित परिदृश्यों के तहत कमियों की पहचान करने और पूंजी/चलनिधि आवश्यकताओं का आकलन करने के लिए दबाव परीक्षण पर व्यापक नीति भी बनाई है। नियमित आधार पर ऋण जोखिम, बाजार जोखिम, परिचालन जोखिम, संकेन्द्रण जोखिम, आईआरआरबीबी, चलनिधि जोखिम, देश जोखिम, समूह जोखिम, पेंशन दायित्व जोखिम आदि, जैसे जोखिमों की सम्पूर्ण श्रेणी में दबाव परीक्षण किए जाते हैं। बैंक ने हाल ही में अनुमानों को अधिक सटीक, दूरदर्शी और विस्तृत बनाने के लिए दबाव परीक्षण ढांचे को उन्नत किया है। खुदरा और एमएसएमई पोर्टफोलियो को 1,000+ जोखिम वाले सजातीय माइक्रो क्लस्टर (खाता विशेषताओं, जनसांख्यिकी आदि के आधार पर) में विभाजित किया गया है और समष्टि आर्थिक (मैक्रो–इकोनॉमिक) परिवर्ती के साथ जोड़ा गया है।

### 5. जोखिम वहन की क्षमता रूपरेखा

बैंक के पास जोखिम वहन की क्षमता के लिए एक व्यापक रूपरेखा है। यह रूपरेखा बैंक के भीतर इसके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए शासन और निगरानी तंत्र के साथ–साथ जोखिम वहन करने की क्षमता का विवरण निर्धारित करता है। जोखिम उठाने की क्षमता को विभिन्न प्रमुख जोखिम मापदंडों के साथ–साथ प्रत्येक पैरामीटर के लिए जोखिम सीमा और जोखिम सीमा स्तर के संदर्भ में परिभाषित किया गया है। वास्तविक जोखिम स्तरों की नियमित आधार पर अनुमोदित सीमाओं के विरूद्ध निगरानी की जाती है।

### 6. समूह जोखिम

समूह स्तर पर जोखिम प्रबंधन का उद्देश्य समूह के हिस्से के रूप में बैंक के जोखिमों का प्रबंधन करना और बैंक के समग्र जोखिम प्रोफाइल पर अन्य समूह संस्थाओं के संभावित प्रभाव का आकलन करना है। बैंक के पास समूह जोखिम प्रबंधन ढांचा/संरचना है जो पिरामिड दृष्टिकोण पर आधारित है, जो शीर्ष पर समूह जोखिम नीति से शुरू होकर जोखिम क्षमता, अभिशासन, प्रक्रियाओं और जोखिम रिपोर्टिंग के माध्यम से आगे बढ़ती है। बैंक ने समूह जोखिम के

Matrix is in place to enable internal oversight, facilitate effective response mechanisms. The Bank is identifying, measuring, monitoring and controlling/mitigating the IT Risk through several activities viz. periodical Risk assessments for critical and significantly important applications, evaluating the inherent risks of third-party IT service providers.

### 4. Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) & Stress Testing

The Bank has in place a comprehensive policy on Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP), which is reviewed annually and ICAAP document is put up to the Board on half yearly basis. ICAAP addresses both the Pillar-I and Pillar-II risks and to have a holistic view of impact of various risks which the Bank is exposed to and an exercise is carried out to quantify/assess all such risks. The risk management processes are covered at length in the ICAAP document. The document is prepared on both solo and consolidated basis at the group level.

The Bank also has put in place comprehensive Policy on Stress Test to identify the vulnerabilities and assess capital/liquidity requirements under adverse but plausible scenarios. Stress tests are conducted across whole gamut of risks namely Credit risk, Market risk, Operational risk, Concentration risk, IRRBB, Liquidity risk, Country risk, Group risk, Pension Obligation risk, etc. on a regular basis. The Bank has recently upgraded the stress testing framework to make the estimates more accurate, forward looking and granular. The retail and MSME portfolios have been further segregated into 1,000+ risk homogeneous micro clusters (based on account characteristics, demographics etc.) and linked with macro-economic variables.

### 5. Risk Appetite Framework

The Bank has a comprehensive Risk Appetite Framework in place. The Framework sets out the Risk Appetite Statement along with governance and monitoring mechanism for its effective implementation within the Bank. Risk Appetite has been defined in terms of different key risk parameters along with the Risk limit and Risk threshold level for each parameter. Actual risk levels are monitored against the approved limits on an ongoing basis.

### 6. Group Risk

Risk Management at Group Level is to manage the risks of the Bank as part of the group and assess the potential impact of other group entities on the overall risk profile of the Bank. The Bank has group risk governance framework/structure which is based on pyramid approach, starting with Group Risk Policy at top and progressing through risk appetite, governance, processes and risk reporting. The Bank has formed a Group

प्रभावी प्रबंधन के लिए एक समूह जोखिम प्रबंधन समिति का गठन किया है। सहायक कंपनियों, सहयोगियों और संयुक्त उद्यम (जेवी) का समूह जोखिम मूल्यांकन, समेकित स्तर पर सहायक कंपनियों और विदेशी शाखाओं के दबाव परीक्षण का प्रभाव, समूह तरलता कवरेज अनुपात (एलसीआर), समेकित विवेकपूर्ण रिपोर्ट (सीपीआर), विवेकपूर्ण सीमा और आकस्मिक निधि योजना (सीएफपी) के माध्यम से चलनिधि जोखिम प्रबंधन सहित सभी समूह संस्थाओं का बैंक के पास एक मजबूत समूह जोखिम दृष्टिकोण है। इसके अलावा आईसीएएपी समूह होने वाले विभिन्न जोखिमों (पिलर I और पिलर II दोनों) का आकलन करने, इन जोखिमों को कम करने और इन जोखिमों के अनुरूप पूंजी पर्याप्तता के आंतरिक रूप से गणना किए गए स्तर पर पहुंचने के लिए तैयार है।

## 7. जलवायु जोखिम

जलवायु–संबंधी जोखिम उन संभावित चुनौतियों को संदर्भित करते हैं जो जलवायु परिवर्तन या इसके प्रभावों को कम करने के लिए किए गए उपायों, उनके संबन्धित प्रभाव और आर्थिक और वित्तीय परिणामों से उत्पन्न हो सकते हैं। ये जोखिम मुख्य रूप से दो चैनलों के माध्यम से वित्तीय क्षेत्र को प्रभावित कर सकते हैं– भौतिक जोखिम और संक्रमण जोखिम। भौतिक जोखिम में चरम मौसम की घटनाओं की बढ़ती आवृत्ति और गंभीरता, जलवायु में दीर्घकालिक क्रमिक बदलाव और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के क्षरण जैसे अप्रत्यक्ष प्रभावों के परिणामस्वरूप होने वाली आर्थिक लागत और वित्तीय हानि शामिल है। दूसरी ओर, संक्रमण जोखिम, निम्न–कार्बन अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने की प्रक्रिया से उत्पन्न होते हैं, जिसमें नीति, कानूनी रूपरेखा, प्रौद्योगिकी और बाजार की गतिशीलता में परिवर्तन शामिल हैं।

इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में प्रयासों को गति देने के लिए, बैंक ने एक समर्पित क्लाइमेट रिस्क मैनेजमेंट सेल का गठन किया है, जिसका काम चार रणनीतिक क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक संरचित योजना को लागू करना है। नेट जीरो महत्वाकांक्षा, जोखिम प्रबंधन, परिचालन एकीकरण और जलवायु जोखिम प्रशासन। स्थिरता पहलों की निगरानी और समन्वय को मजबूत करने के लिए, बैंक ने एक स्थिरता और लचीलापन समिति (SARC) का भी गठन किया है। इसके अतिरिक्त, बैंक ने हरित जमा नीति अपनाई है। बैंक ने स्थायी वित्तपोषण उद्देश्यों को समर्थन देने के लिए हरित बॉन्ड जारी करने की रूपरेखा के साथ हरित, सामाजिक और स्थिरता से जुड़ी गतिविधियों/परियोजनाओं के लिए एक वित्तपोषण ढांचा भी स्थापित किया है, जिसकी बाहरी समीक्षा की गई है।

बैंक ने जलवायु संबंधी जोखिमों के प्रबंधन के लिए अपनी आंतरिक क्षमताओं में उल्लेखनीय वृद्धि की है। अंतर्निहित परिसंपत्तियों की कमजोरियों के आकलन के लिए संपूर्ण ऋण पोर्टफोलियो का एक व्यापक भौतिक जोखिम मूल्यांकन किया गया है। इसके समानांतर, उधारकर्ताओं का स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन सहित उनके कार्बन उत्सर्जन डेटा को एकत्रित करके संक्रमण जोखिम मूल्यांकन किया गया है। बैंक ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत जीएचजी प्रोटोकॉल के आधार पर एक मजबूत हरित गृह गैस (जीएचजी) मापन ढांचे को लागू करने के साथ, कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल्स (पीसीएएफ) मानकों के लिए साझेदारी के अनुरूप वित्तपोषित उत्सर्जन की गणना के लिए एक पद्धति भी तैयार की है। इसके साथ ही, जलवायु जोखिम प्रबंधन में वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को ध्यान में रखते हुए एक गुणात्मक जलवायु जोखिम रणनीति तैयार की गई है।

Risk Management Committee for effective management of group risk. The Bank has a strong Group Risk oversight of all the group entities, including the group risk assessment of Subsidiaries, Associates and Joint Venture (JVs), Impact of stress testing of subsidiaries and overseas branches on consolidated level, Liquidity Risk Management through Group Liquidity Coverage Ratio (LCR), Consolidated Prudential Report (CPR), Prudential limit and Contingency Funding Plan (CFP). Further Group ICAAP is prepared to assess the various risks (both Pillar I and Pillar II) the group is exposed to, mitigation of these risks and to arrive at an internally computed level of capital adequacy consistent with these risks.

## 7. Climate Risk

Climate-related risks refer to the potential challenges that may arise from climate change or from the measures undertaken to mitigate its effects, along with the resulting economic and financial consequences. These risks can impact the financial sector primarily through two channels—physical risks and transition risks. Physical risks encompass the economic costs and financial losses resulting from the increasing frequency and severity of extreme weather events, long-term gradual shifts in climate and indirect effects such as the degradation of ecosystem services. Transition risks, on the other hand, emerge from the process of shifting towards a low-carbon economy, including changes in policy, legal frameworks, technology and market dynamics.

To accelerate efforts in this critical area, the Bank has in place a dedicated Climate Risk Management Cell, tasked with implementing a structured plan focusing on four strategic areas: Net Zero ambition, risk management, operational integration and climate risk governance. To strengthen the oversight and coordination of sustainability initiatives, the Bank has also constituted a Sustainability and Resilience Committee (SARC). Furthermore, the Bank has adopted a Green Deposit Policy. It has also established a Financing Framework for Green, Social and Sustainability-Linked Activities/Projects, which has undergone an external review, along with a Green Bond issuance Framework to support its sustainable financing objectives.

The Bank has significantly enhanced its internal capabilities for managing climate-related risks. A comprehensive physical risk assessment has been conducted across the entire lending portfolio to understand the vulnerability of underlying assets. In parallel, a transition risk assessment of borrowers has been carried out by capturing their carbon emissions data, including Scope 1 and Scope 2 emissions. The Bank has implemented a robust Greenhouse Gas (GHG) measurement framework based on the internationally accepted GHG Protocol, along with a methodology for calculating financed emissions in alignment with the Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF) standards. In addition, a qualitative climate risk strategy has been formulated, taking into account global best practices in climate risk management.

वैश्विक मानकों के अनुरूप, बैंक ने एक समर्पित जलवायु जोखिम प्रबंधन नीति प्रस्तुत की है, जिसमें टास्क फोर्स द्वारा जलवायु–संबंधित फाइनेंशियल डिस्क्लोजर (टीसीएफडी) पर रेखांकित चार स्तंभों–प्रशासन, रणनीति, जोखिम प्रबंधन, तथा मीट्रिक्स एवं लक्ष्यों को शामिल किया गया है। अपनी उधारकर्ता समर्थन रणनीति के एक भाग के रूप में, बैंक ने उनके डीकार्बोनाइजेशन प्रयासों में सहायता के लिए एक सुव्यवस्थित ग्राहक सहभागिता दृष्टिकोण भी विकसित किया है। इस पहल के पहले चरण में, बैंक ने उधारकर्ताओं को जलवायु संबंधी आवश्यकताओं को बेहतर ढंग से समझाने और कार्यान्वयन योग्य स्थिरता उपायों को अपनाने में मदद के लिए ऋण अधिकारियों को व्यावहारिक उपकरणों एवं अंतर्दृष्टि के साथ तैयार करने हेतु एक ग्राहक सहभागिता पुस्तिका जारी की है। बैंक ने वित्त वर्ष 2031 के लक्ष्य के साथ स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन को कम करने के रोडमैप के साथ एक कार्बन तटस्थता योजना का मसौदा तैयार किया है।

बैंक संगठन के सभी स्तरों पर जलवायु जोखिम पर क्षमता निर्माण में निवेश करना जारी रखेगा। इसने वित्त वर्ष 2022–23 और वित्त वर्ष 2023–24 के लिए स्कोप 1, स्कोप 2 और स्कोप 3 उत्सर्जन की सफलतापूर्वक गणना की है और इन विवरणों का खुलासा वित्त वर्ष 24 के लिए बीआरएसआर रिपोर्ट में किया है। जलवायु पारदर्शिता में नेतृत्व का प्रदर्शन करते हुए, बैंक पीसीएएफ का सदस्य बन गया है और अपनी सदस्यता दायित्वों के भाग के रूप में श्रेणी 15 (वित्तपोषित उत्सर्जन) के अंतर्गत स्कोप 3 उत्सर्जन का खुलासा करने के लिए प्रतिबद्ध होने वाला पहला भारतीय बैंक है। इसके अतिरिक्त, बैंक ने वित्त वर्ष 2023–24 के लिए सीडीपी प्लेटफॉर्म पर जलवायु संबंधी डेटा का खुलासा किया है और "सी: जागरूकता" की रेटिंग प्राप्त की है। यह खुलासा पारदर्शिता के लिए न केवल हिस्सेदारों की अपेक्षाओं को पूरा करता है, बल्कि उद्योग समकक्षों के विरूद्ध अपने पर्यावरण प्रदर्शन को बेंचमार्क बनाने में भी सक्षम बनाता है।

इन प्रगतियों के बावजूद, बैंक को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें भारत–विशेष डेटा की सीमित उपलब्धता, हरित गतिविधियों के लिए एक मानकीकृत भारतीय वर्गीकरण की अनुपस्थिति और उभरते हरित क्षेत्रों की व्यावसायिक व्यवहार्यता और रिटर्न क्षमता के बारे में अपर्याप्त साक्ष्य शामिल हैं। फिर भी, बैंक अपने जलवायु जोखिम प्रबंधन एजेंडा को आगे बढ़ाते हुए इन बाधाओं को दूर करने के लिए प्रतिबद्ध है।

### ए. विनियामक दिशानिर्देश

बैंक ने बासेल III मानदंडों के तहत जोखिम भारित परिसंपत्तियों (आरडब्ल्यूए) की गणना के लिए ऋण जोखिम हेतु मानकीकृत दृष्टिकोण, बाजार जोखिम के लिए मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण और परिचालन संबंधी जोखिम के लिए बुनियादी संकेतक दृष्टिकोण को अपनाया है।

बैंक ने नियामक से अनुमोदन के अधीन ऋण, बाजार और परिचालन जोखिमों के लिए आरडब्ल्यूए/पूंजी प्रभार की गणना के लिए उन्नत दृष्टिकोण अपनाने की भी योजना बनाई है। बैंक तिमाही आधार पर आरबीआई को फाउंडेशन इंटरनल रेटिंग बेस्ड (एफआईआरबी) के अनुसार अपनी पूंजी और आरडब्ल्यूए की गणना और रिपोर्ट कर रहा है। बैंक ने ऋण जोखिम के लिए उन्नत आंतरिक रेटिंग आधारित (एआईआरबी) दृष्टिकोण और बाजार जोखिम के लिए आंतरिक मॉडल

In line with global standards, the Bank has introduced a dedicated Climate Risk Management Policy that incorporates the four pillars outlined by the Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD)—Governance, Strategy, Risk Management and Metrics & Targets. As part of its borrower support strategy, the Bank has also developed a structured client engagement approach to assist in their decarbonisation journey. In the first phase of this initiative, the Bank released a Client Engagement Handbook designed to equip credit officers with practical tools and insights to help borrowers better understand climate-related requirements and adopt actionable sustainability measures. The Bank has drafted a Carbon Neutrality Plan, with roadmap for reducing Scope 1 and Scope 2 emissions, with a target year of FY 2031.

The Bank continues to invest in capacity building on climate risk across all levels of the organization. It has successfully computed Scope 1, Scope 2 and Scope 3 emissions for FY 2022–23 and FY 2023–24, with these details disclosed in the BRSR report for FY24. Demonstrating leadership in climate transparency, the Bank has become a member of PCAF and is the first Indian bank to commit to disclosing Scope 3 emissions under Category 15 (Financed Emissions) as part of its membership obligations. Additionally, the Bank has disclosed climate-related data on the CDP platform for FY 2023–24 and received a rating of "C: Awareness." This disclosure not only meets the expectations of stakeholders for transparency but also enables the Bank to benchmark its environmental performance against industry peers.

Despite these advancements, the Bank continues to face several challenges, including the limited availability of India-specific data, the absence of a standardized Indian taxonomy for green activities and insufficient evidence regarding the commercial viability and returns potential of emerging green sectors. Nonetheless, the Bank remains committed to addressing these constraints while advancing its climate risk management agenda.

### a. Regulatory Guidelines

The Bank has adopted Standardized Approach for Credit Risk, Standardized Duration Approach for Market Risk and Basic Indicator Approach for Operational Risk for computation of Risk Weighted Assets (RWA) under Basel III norms.

The Bank also plans to migrate to advanced approaches for computation of RWA/Capital charge for Credit, Market and Operational Risks subject to approval from the regulator. The Bank is calculating & reporting its capital and RWA as per Foundation Internal Ratings Based (FIRB) to RBI on quarterly basis. The Bank has submitted a formal Letter of Intent for adoption of Advanced Internal Rating Based (AIRB) Approach for Credit Risk and Internal Models Approach (IMA) for Market

दृष्टिकोण (आईएमए) अपनाने के लिए एक औपचारिक आशय पत्र प्रस्तुत किया है। इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

बैंक तिमाही आधार पर भारतीय लेखा मानक (इंड एएस)–109 के अनुसार अनुमानित ऋण हानि (ईसीएल) की गणना कर रहा है और परिणाम छमाही आधार पर निर्धारित प्रोफार्मा में आरबीआई को प्रस्तुत किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, बैंक वेंडर–आधारित समाधान के माध्यम से संपूर्ण ईसीएल गणना और रिपोर्ट को स्वचालित करने की प्रक्रिया में है।

बैंक ने ऋण निर्णय सक्षमता हेतु पूंजी पर जोखिम समायोजित रिटर्न (आरएआरओसी) ढांचा विकसित किया है जो बैंक को ऋण प्रस्ताव के लिए पूंजी पर रिटर्न की तुलना करने के लिए एकल पैमाना प्रदान करता है। यह ढांचा यह आकलन करने में मदद करता है कि क्या व्यवसाय प्रस्ताव द्वारा उत्पन्न रिटर्न जोखिम के अनुरूप है, जिससे शेयरधारक की इक्विटी का मूल्य अधिकतम हो सके।

**8. वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान की गई नई पहलें इस प्रकार है**

**ए. परिचालन जोखिम**

i. बैंक में घटना प्रबंधन को मजबूत एवं कारगर बनाने के लिए, ऑप रिस्क सॉल्यूशन नामक एक पोर्टल चलाया गया है, जिसमें बैंक का कोई भी कर्मचारी पोर्टल में परिचालन जोखिम की घटनाओं को दर्ज कर सकता है। परिचालन जोखिम की घटनाओं की रिपोर्टिंग को प्रोत्साहित करने के लिए प्रोत्साहन योजनाएँ भी निर्धारित की गई हैं जिससे बैंक को होने वाले नुकसान से बचने के लिए समय पर उपाय लागू किए जा सकें।

ii. बैंक में व्यापक तृतीय–पक्ष जोखिम प्रबंधन करने तथा परिचालन जोखिम एवं परिचालन लचीलेपन पर आरबीआई के मार्गदर्शन नोट के साथ संरेखित करने के लिए, जोखिम कार्य के अंतर्गत तृतीय–पक्ष जोखिम प्रबंधन प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है।

iii. बैंक में परिचालन लचीलापन और व्यवसाय निरंतरता योजना को बढ़ाने के लिए, कार्यकारी निदेशक की अध्यक्षता में व्यवसाय निरंतरता और परिचालन लचीलापन समिति (बीसीओआरई) की स्थापना की गई है।

**बी. ऋण जोखिम**

i. बैंक ने संकटग्रस्त उद्योगों की पहचान करने और उनके लिए अतिरिक्त प्रावधानों की गणना की प्रक्रिया को स्वचालित कर दिया है।

ii. ऋण जोखिम मापदंडों के मापन के लिए संशोधित और उन्नत ढांचे विकसित करके ऋण जोखिम मापन तकनीकों को बढ़ाया गया।

**सी. नीति**

i. स्टार्ट–अप्स को वित्तपोषण' के लिए एक नई योजना तैयार की गई, जिसे आईआरएमडी एलएंडए परिपत्र संख्या 44/2024 दिनांक 09.04.2024 के माध्यम से सूचित किया गया।

**डी. आईटी जोखिम**

i. आंतरिक निगरानी और प्रभावी नियंत्रण के लिए व्यापक तंत्र के लिए इंसिडेंट एस्केलेशन मैट्रिक्स को जारी किया गया है।

risk. Necessary actions required in this regard have been initiated.

The Bank is calculating Expected Credit Loss (ECL) as per Indian Accounting Standard (Ind AS)-109 on quarterly basis and the results are submitted to RBI in prescribed Proforma on half-yearly basis. Further, Bank is in process of automating the entire ECL calculation and reports through vendor-based solution.

The Bank has developed Risk Adjusted Return on Capital (RAROC) framework which provides the Bank with a single scale for comparing the return on capital for a credit proposal to enable credit decisions. The framework helps in assessing whether returns generated by the business proposition are commensurate with the risk perceived, thereby maximizing the value of shareholders' equity.

**8. New Initiatives taken during FY 2024-25 are as under**

**a. Operational Risk**

i. To strengthen & streamline the Incident management in Bank, a portal namely Op Risk solution has been made live wherein any employee of the bank can lodge the operational risk incidents in the portal. Incentive schemes are also prescribed to encourage the reporting of operational risk incidents so that mitigating measures can be implemented in time to avoid loss to the Bank.

ii. To have a comprehensive third-party risk management in the Bank and to align with RBI guidance note on operational risk & operational resilience, Third-Party Risk Management Cell has been established under Risk function.

iii. To enhance operational resilience and Business Continuity Planning in the Bank, Executive Director headed Business Continuity and Operational Resilience Committee (BCORE) has been established.

**b. Credit Risk**

i. The Bank has automated the process of identification of stressed industries and computation of additional provisions therein.

ii. Credit risk Measurement techniques were enhanced by developing revised and advanced frameworks for measurement of credit risk parameters.

**c. Policy**

i. A new scheme was formulated for 'Financing to Start-Ups' which was conveyed vide IRMD L&A circular no. 44/2024 dated 09.04.2024.

**d. IT Risk**

i. Incident Escalation Matrix for comprehensive mechanism to have internal oversight and effective control to build resilience has been issued.

ii. आईटी से संबंधित बीडीएसएफ घटना के प्रभावी और विस्तृत प्रकटीकरण के लिए आरसीए (मूल कारण विश्लेषण) विनिर्देश को प्रसारित किया गया है।

iii. आईटी सेवाओं की आउटसोर्सिंग के लिए वार्षिक आधार पर ऑनबोर्डिंग और प्रदर्शन समीक्षा से पहले तृतीय पक्ष के विक्रेताओं के जोखिम स्कोरिंग के माध्यम से आईटी विक्रेताओं/तृतीय पक्ष का जोखिम मूल्यांकन।

iv. एक नए मेट्रिक की शुरूआत – बीसीपी (बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान)/ डिजास्टर रिकवरी प्लान (DRP) के लिए सिस्टम रिस्टोरेशन टाइम (SRT) एसआरटी मेट्रिक से हमें अपनी डिजास्टर रिकवरी क्षमताओं की निगरानी और सुधार करने तथा न्यूनतम डाउनटाइम सुनिश्चित करने में मदद करेगी।

**ई. एएलएम**

i. बैंक ने सामान्य और विभिन्न दबाव परिदृश्यों के तहत चलनिधि स्थिति की पहचान, माप, निगरानी, पूर्वानुमान और प्रबंधन के लिए आंतरिक चलनिधि पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया (ILAAP) के व्यापक ढांचे को अपनाया है।

ii. ओएफएसएए परियोजना के अंतर्गत एलसीआर और एनएसएफआर रिपोर्ट का स्वचालन

**VII. साइबर सुरक्षा उत्कृष्टता केंद्र (सीसीओई)**

बैंक एक मजबूत साइबर सुरक्षा ढांचे को प्राथमिकता देता है, जिसकी देखरेख समूह मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी (GCISO) द्वारा की जाती है और समर्पित साइबर सूचना सुरक्षा प्रभाग (CISD) द्वारा क्रियान्वित किया जाता है। यह प्रभाग साइबर सुरक्षा के पूरे जीवनचक्र का प्रबंधन करता है, नियंत्रण कार्यान्वयन और तैनाती से लेकर निरंतर निगरानी तक, साइबर खतरों की एक विस्तृत श्रृंखला के विरुद्ध हमारे आईटी के बुनियादी ढांचे की प्रभावी रूप से सुरक्षा करता है।

अपनी सुरक्षा को मजबूत करने के लिए, बैंक अपने साइबर सुरक्षा घटकों का अद्यतन करता रहता है। इन प्रयासों को एक समर्पित साइबर सुरक्षा अनुपालन टीम द्वारा पूरक बनाया जाता है, जो विनियामक आदेशों का सावधानीपूर्वक पालन सुनिश्चित करती है। अटैक सरफेस मैनेजमेंट (ASM) कार्यक्रम सार्वजनिक–प्रयोग वाले अनुप्रयोगों में कमियों की निरंतर पहचान और उपचार प्रदान करके एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

प्रमुख पहलों में विभिन्न खतरा खुफिया सूचनाओं को एक खतरा खुफिया प्लेटफॉर्म में एकत्रित करना और सक्रिय खतरा पूर्वानुमान और प्रबंधन को सक्षम करने के लिए इसे साइबर सुरक्षा परिचालन केंद्र (सीएसओसी) के साथ एकीकृत करना शामिल है।

सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी जोखिम कार्य द्वारा रक्षा की एक स्वतंत्र दूसरी पंक्ति प्रदान की जाती है, जो संतुलित जोखिम प्रबंधन दृष्टिकोण सुनिश्चित करती है। लेखापरीक्षा एवं निरीक्षण विभाग में भीतर आंतरिक आईएस लेखापरीक्षा टीम द्वारा आगे स्वतंत्र आश्वासन प्रदान किया जाता है।

सुरक्षा के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता हमारे मौजूदा ISO 27001:2022 प्रमाणन के अतिरिक्त PCI DSS 4.0 प्रमाणन की उपलब्धि से और अधिक स्पष्ट होती है।

ii. RCA (Root Cause Analyses) specification for effective and detailed disclosure of IT related BDSF incident has been circulated.

iii. Risk assessment of IT Vendors/ Third Parties through Risk scoring of Third-Party vendors prior to on-boarding and performance review on yearly basis for outsourcing of IT services.

iv. Introduction of a new metric – System Restoration Time (SRT) for BCP (Business Continuity Plan)/ Disaster Recovery Plan (DRP). The SRT metric will help us to monitor and improve our disaster recovery capabilities and ensure minimal downtime.

**e. ALM**

i. The Bank has adopted Internal Liquidity Adequacy Assessment Process (ILAAP) comprehensive framework to identity, measure, monitor, forecast and manage the liquidity position under normal and various stress scenarios.

ii. Automation of LCR and NSFR reports.

**VII. Cyber Security Centre of Excellence (CCoE)**

The Bank places a strong emphasis on cybersecurity, with oversight provided by the Group Chief Information Security Officer (GCISO) and execution managed by the dedicated Cyber Information Security Division (CISD). It is looking after the entire cybersecurity lifecycle, from the implementation and deployment of controls to continuous monitoring, ensuring robust protection of the IT infrastructure against a wide range of cyber threats.

To reinforce our defences, the Bank keeps upgrading its cybersecurity components. These efforts are complemented by a dedicated Cybersecurity Compliance Team, which ensures strict adherence to regulatory mandates. The Attack Surface Management (ASM) program plays a key role by providing continuous identification and remediation of vulnerabilities in public-facing applications.

Key initiatives include aggregating various threat intelligence feeds into a Threat Intelligence Platform and integrating it with the Cyber Security Operations Center (CSOC) to enable proactive threat prediction and management.

An independent second line of defence is provided by the Information and Communication Technology Risk function, ensuring a balanced risk management approach. Further independent assurance is offered by the Internal IS Audit team within the Audit and Inspection Department.

The Bank's commitment to security is further demonstrated by our achievement of PCI DSS 4.0 certification, in addition to our existing ISO 27001:2022 certification.

पीएसबी साइबरसिक्योरिटी हैकाथॉन 2024–2025, जिसका थीम ''कोड अगेंस्ट मालवेयर'' है, वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) और भारतीय बैंक संघ (आईबीए) के निर्देशों के तहत आईआईटी कानपुर के सहयोग से आयोजित एक राष्ट्रीय स्तर की पहल है। इस हैकाथॉन का उद्देश्य मालवेयर का पता लगाने और साइबर सुरक्षा में नवाचार को बढ़ावा देना है, देश भर के प्रतिभाशाली लोगों को एक साथ उन्नत, परिमाप्य समाधान विकसित करना है जो बैंकिंग क्षेत्र और उससे आगे की साइबर सुरक्षा स्थिति को मजबूत करते हैं।

VIII. **भौतिक सुरक्षा**

बैंक के पास सुस्थापित सुरक्षा और अग्नि सुरक्षा व्यवस्था है, जिसमें प्रधान कार्यालय और फील्ड स्तर पर कार्यरत सुरक्षा संगठन को अधिकार एवं उत्तरदायित्व स्पष्ट रूप से सौंपे गए हैं।

सुरक्षा संगठन विभिन्न निर्देशों/दिशानिर्देशों के माध्यम से कार्य करता है जिन्हें भौतिक सुरक्षा नीति और अग्नि सुरक्षा नीति के रूप में समेकित किया जाता है। सुरक्षा संगठन बैंक की आस्ति की भौतिक सुरक्षा, इसकी अग्नि सुरक्षा व्यवस्था और इसके कर्मचारियों/ग्राहकों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है।

बैंक की सभी शाखाओं को नवीनतम सुरक्षा और अग्नि सुरक्षा उपकरणों से सुदृढ़ किया गया है, जिसमें क्लोजड–सर्किट टेलीविजन (सीसीटीवी) प्रणाली, बर्गलर अलार्म सिस्टम, फायर अलार्म सिस्टम, ऑटो डायलर, पैसिव इंफ्रायरेड (पीआईआर) सेंसर, लाइट सेंसर, पोर्टेबल अग्निशामक, मॉड्यूलर अग्निशामक आदि शामिल है। इसके अलावा, लॉकर सुविधा वाली शाखाओं को अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरों और हार्ड डिस्क से सुदृढ़ किया गया है, जिसमें उद्योग मानकों के अनुसार सीसीटीवी रिकॉर्डिंग संग्रहीत करने का प्रावधान है।

बैंक के पास सभी शाखाओं की सुरक्षा की व्यवस्था है, जो उनकी भौतिक सुरक्षा जोखिम प्रोफाइल के अनुसार उच्च जोखिम, मध्यम जोखिम और कम जोखिम वाली शाखाओं में वर्गीकृत है तथा उच्च जोखिम वाली शाखाओं में सुरक्षा गार्ड तैनात करने का प्रावधान है।

सर्वर रूम, डी. आर. साइट्स जैसे महत्वपूर्ण जगहों की सुरक्षा के लिए दो स्तरीय भौतिक सुरक्षा व्यवस्था, प्रारम्भिक अग्नि पहचान और अलार्म प्रणाली, स्थायी अग्निशमन प्रणाली, सर्वर रूम में स्वच्छ गैस आधारित अग्नि शमन प्रणाली और विभिन्न प्रकार के अग्निशामक यंत्र उपलब्ध कराए गए हैं।

प्रत्येक अंचल में पर्याप्त संख्या में कस्टमाइज्ड कैश वैन किराए पर ली जाती है जो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जीपीस) ट्रैकिंग सिस्टम, अग्निशामक यंत्र और सीसीटीवी सिस्टम से लैस होती है। कैश वैन के आवागमन को करेंसी चेस्ट स्तर पर नियंत्रित किया जाता है।

किसी भी तरह की आपदा से निपटने के लिए, बैंक के पास एक सुस्थापित कारोबार निरन्तरता और आकस्मिकता योजना (गैर–आईटी) है। शाखा स्तर तक के कार्यालयों में आपातकालीन प्रतिक्रिया दल है जो आग लगने की घटना, भूकंप, आतंकवादी हमले आदि जैसी किसी भी तरह की आकस्मिकता पर तुरंत प्रतिक्रिया देता है। सुरक्षा और अग्नि सुरक्षा वीडियो के माध्यम से प्रशिक्षण केंद्रों पर बैंक कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा, प्रमुख प्रशिक्षण केंद्रों पर सुरक्षा और अग्नि सुरक्षा के लिए प्रदर्शन बोर्ड लगाए

The PSB Cybersecurity Hackathon 2024-25, themed "Code Against Malware," a national-level initiative conducted under the directives of the Department of Financial Services (DFS) and the Indian Banks' Association (IBA), in collaboration with IIT Kanpur. This hackathon aims to foster innovation in malware detection and cyber defence, bringing together bright minds from across the country to develop advanced, scalable solutions that strengthen the cybersecurity posture of the banking sector and beyond.

**VIII. Physical Security**

The Bank has well established security and fire safety set-up with clear-cut delegation of authority and responsibility to the Security Organization functioning at Head Office and at the field level.

Security Organization functions through various instructions/ guidelines which are consolidated in the form of Physical Security Policy and Fire Safety Policy. Security Organization ensures physical safeguarding of the Bank's asset, its fire safety arrangements and safety of its staff/customers.

All the Bank's branches are strengthened with the latest security and fire safety gadgets such as Closed-Circuit Television (CCTV) System, Burglar Alarm System, Fire Alarm System, auto diallers, Passive Infrared (PIR) sensors, Light sensors, portable Fire Extinguishers, modular fire extinguishers etc. Furthermore, Branches dealing with locker facility are strengthened with additional CCTV cameras and hard disc with a provision to store CCTV recording as per industry standards.

The Bank has a system of guarding all the branches as per their Physical Security Risk profile categorized into High Risk, Medium Risk and Low Risk branches and there is a provision to post security guards in High-Risk branches.

For the safety of vital installations like Server Rooms, DR Sites, two-layer physical security arrangements, Early Fire Detection and Alarm System, Fixed Firefighting System, Clean Gas based Fire Suppression System in server rooms and various types of Fire-Extinguishers are provided.

Adequate number of Customized Cash Vans are hired in each Zone which are equipped with Global Positioning System (GPS) tracking system, fire extinguisher and CCTV system. The movement of Cash vans is controlled at Currency Chest level.

The Bank has a well-defined robust Business Continuity & Contingency Plan (Non-IT) to effectively manage potential disasters. Emergency Response Teams are stationed at offices, including branch levels, to provide immediate assistance during incidents such as fires, earthquakes, or terrorist attacks. To enhance staff preparedness, training centres incorporate Security and Fire Safety videos, while

गए हैं। उपर्युक्त के अलावा, बैंक के अग्निशमन अधिकारियों और सुरक्षा अधिकारियों द्वारा वर्ष मे एक बार सभी प्रशासनिक कार्यालयों में और शाखाओं/अन्य कार्यालयों का दौरा करते समय अग्निशमन और निकासी अभ्यास किया जाता है। यह संरचित दृष्टिकोण सक्रिय सुरक्षा उपायों और आपात स्थितियों में त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करता है।

अंचल एवं मंडल कार्यालयों मे सुरक्षा अधिकारियों और अग्निशमन अधिकारियों की एक समर्पित टीम को तैनात किया जाता है, जिनकी मुख्य जिम्मेदारी शाखाओं मे भौतिक सुरक्षा उपायों की लेखा परीक्षा सुरक्षा उपकरणों की स्थापना और रखरखाव करना और भौतिक सुरक्षा और अग्नि सुरक्षा के संबंध मे पुलिस/राज्य अधिकारियों के साथ संपर्क करना है। वे भौतिक सुरक्षा, अग्नि सुरक्षा और नकदी के आवाजाही से संबंधित सभी मामलों मे संबंधित अंचल प्रमुख/मंडल प्रमुख के सलाहकार के रूप में कार्य करते हैं।

## IX. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली

### 1. आंतरिक लेखा परीक्षा

वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान, 8555 शाखाओं/कार्यालयों में जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा (आरबीआईए) आरंभ/आयोजित की गई। वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान 1526 शाखाओं / कार्यालयों में आंतरिक/बाहरी लेखा परीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षा की गई, जिसमें 31 मार्च, 2024 तक बैंक के कुल कारोबार का 37.12% और अग्रिम का 83.52% शामिल था।

207 कार्यालयों/इकाइयों मे सूचना सुरक्षा (आईएस) लेखापरीक्षा आयोजित की गई। फेमा लेखापरीक्षा 263 पात्र शाखाओं/कार्यालयों अर्थात अधिकृत डीलर (एडी) शाखाओं और व्यापार वित्त केंद्रों में आयोजित की गई। सभी शाखाएं राजस्व लेखापरीक्षा के अधीन थीं।

### 2. ऑफसाइट निगरानी

शाखाओं/कार्यालयों की ऑफसाइट निगरानी को सुदृढ़ करने के लिए, बैंक ने डेटा एनालिटिक्स टीम यानी ऑफसाइट सर्विलांस यूनिट (ओएसयू) का गठन किया है। ओएसयू एक समर्पित डेटा एनालिटिक्स टीम है जो नियमित आधार पर डेटा डंप विश्लेषण कर रही है और ज्ञात परिचालन जोखिम को कम करने के लिए सिस्टम और प्रक्रिया में सुधार का सुझाव दे रही है।

वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान, टीम द्वारा 234 अध्ययन किए गए हैं। 81 मामलों में सिस्टम स्तर पर वृद्धि और 42 अध्ययनों में डेटा सुधार की सिफारिश की गई है, तथा 64 अध्ययनों में सिस्टम स्तर और डाटा दोनों में सुधार किया गया है। 77 मामलों में सिस्टम स्तर पर वृद्धि को लागू किया गया है।

ए. **ऑफसाइट सर्विलांस सिस्टम (ओएसएस)** को ई–टीएचआईसी नाम की एक एप्लिकेशन के माध्यम से स्वचालित किया गया है, जिससे आंतरिक लेनदेन निगरानी प्रणाली में निष्पक्षता, वस्तुनिष्ठता, पारदर्शिता और नवाचार सुनिश्चित किया जा सके। यह प्रणाली सीबीएस (कोर बैंकिंग सिस्टम) में ऐसे लेनदेन को कवर करती है जो उच्च जोखिम वाले, धोखाधड़ी से संबंधित और गंभीर प्रकृति के होते हैं। वर्तमान में 73 ओएसएस परिदृश्य हैं। अलर्ट्स को दैनिक, साप्ताहिक और मासिक आधार पर जेनरेट किया जाता है, जैसी स्थिति हो। अलर्ट्स को जोखिम के तीन वर्गों में विभाजित किया गया है– निम्न, मध्यम और उच्च जोखिम। इन

Demonstration Centres have been set up at major locations for hands-on awareness. Additionally, firefighting and evacuation drills are conducted annually at all administrative offices and during visits to branches or other facilities, led by the Bank's Fire and Security Officers. This structured approach ensures proactive safety measures and swift response in emergencies.

A team of dedicated Security Officers and Fire Officers are posted at Zonal Offices & Circle Offices with prime responsibility to carry out audit of physical security measures at branches, installation and maintenance of Security gadgets and to liaison with Police/State authorities in respect to Physical Security and Fire Safety. They act as advisor to respective Zonal Head/ Circle Head in all matters related to Physical Security, Fire Safety & movement of cash.

## IX. Internal Control System

### 1. Internal Audit

During FY 2024-25, Risk Based Internal Audit (RBIA) was commenced/conducted in 8555 branches/offices. During FY 2024-25, 1526 branches/offices were covered under Concurrent/Continuous audit, covering 83.52 per cent of the advances and 37.12 per cent deposits of the Bank as at 31st March, 2024.

Information Security (IS) Audit was conducted in 207 offices/ units. FEMA Audit was conducted in 263 eligible branches/ offices i.e. Authorized Dealer (AD) branches & Trade Finance Centres'. All branches were subject to revenue audit.

### 2. Offsite Monitoring

For strengthening Offsite Monitoring of branches/offices, bank has formed Data Analytics team i.e., Offsite Surveillance Unit (OSU). OSU is a dedicated Data Analytics Team which is conducting data dump analysis on regular basis and suggesting enhancement in system & procedure for mitigating the identified operational risk.

During the FY 2024-25, the team has undertaken 234 studies and recommended system level enhancement in 81 cases and data correction in 42 studies and both system level and data correction in 64 studies. System level enhancement in 77 cases has been implemented.

a. **Offsite Surveillance System (OSS)** have been automated through an application named e-THIC to bring out fairness, objectivity, transparency, innovation in the internal transaction monitoring system covering transaction in CBS which are high risk, fraudulent and critical in nature. Presently, there are 73 OSS Scenarios which are operational. Alerts are generated on daily basis, weekly basis and monthly basis as the case may be. Alerts have been further categorised into three risk categories i.e. low, medium and high risk. There are 2

परिदृश्यों में 2 निम्न जोखिम, 50 मध्यम जोखिम और 21 उच्च जोखिम वाले हैं। इन परिदृश्यों के तहत जेनरेट अलर्ट्स को "मेकर और चेकर" की अवधारणा के आधार पर निपटाया जाता है और इन्हें विभिन्न जोखिम वर्गों के अनुसार परिभाषित प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा बंद किया जाता है। जेनरेट अलर्ट्स में स्टाफ अकाउंट ट्रांजेक्शंस, ग्राहक खाता/ग्राहक आईडी ट्रांजेक्शंस, आंतरिक/कार्यालय खाते के लेनदेन और बैंक/व्यवसाय दिशानिर्देश शामिल होते हैं। अलर्ट्स को बंद करने के लिए निर्धारित टीएटी (टर्नअराउंड टाइम) इस प्रकार है: उच्च जोखिम के लिए 3 दिन, मध्यम जोखिम के लिए 4 दिन और निम्न जोखिम वाले अलर्ट्स के लिए 6 दिन।

बी. **ऑफसाइट सर्विलांस यूनिट (ओएसयू)** मॉड्यूल को सीआईएसएपी (सेंट्रलाइज़्ड इन्फॉमेंशन सिस्टम ऑडिट पोर्टल) पोर्टल पर लाइव कर दिया गया है, जिसके परिणामस्वरूप बेहतर एमआईएस और विभिन्न प्रभागों के बीच बेहतर संचार हुआ है। अध्ययनों का वर्गीकरण गंभीरतापूर्ण रूप से किया जा रहा है, जैसे उच्च, मध्यम और निम्न।

### 3. प्रशासनिक कार्यालयों की जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा

बैंक ने अपने प्रशासनिक कार्यालयों की लेखापरीक्षा करने के लिए जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली निर्धारित की है।

लेखापरीक्षा निर्णय लेने की प्रक्रिया, संचार प्रणाली, कुशल संसाधन उपयोग और लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उपयोग किये जाने वाले तरीकों आदि सहित प्रशासनिक कार्यालयों के कामकाज के विभिन्न क्षेत्रों मे निहित जोखिम धारणाऐं है।

प्र.का. के सभी प्रभागों (सतर्कता विभाग के अतिरिक्त), अंचल कार्यालय, मंडल कार्यालय, घरेलू और विदेशी सहायक कंपनियों की वार्षिक आधार पर लेखापरीक्षा की जाती है। कम जोखिम वाले कार्यालयों को छोड़कर जो दो साल में एक बार लेखापरीक्षा के अधीन होते हैं, अन्य सभी प्रशासनिक कार्यालयों की वार्षिक आधार पर लेखापरीक्षा की जाती है। निरीक्षण एवं लेखापरीक्षा प्रभाग का तीन वर्ष में एक बार बाह्य लेखा परीक्षक द्वारा लेखा परीक्षण किया जाएगा।

वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान, 227 प्रशासनिक कार्यालयों की लेखापरीक्षा की गई जिसमें 138 मंडल कार्यालय, 22 अंचल कार्यालय, 22 जेडआरएमसी, 9 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, 30 प्रधान कार्यालय के प्रभाग, 3 घरेलू सहायक कंपनियां, 2 विदेशी सहायक कंपनियां और 1 आंतरिक लोकपाल कार्यालय शामिल है।

### 4. ऋण लेखापरीक्षा एवं समीक्षा

वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान, सभी घरेलू और विदेशी दोनों तरह के कुल 7683 ऋण खातों हेतु ऋण लेखापरीक्षा आरंभ की गई थी। ऋण लेखा परीक्षा एवं समीक्षा नीति के संदर्भ में, वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान एक वर्ष मे भा.रि.बैं. और बैंक की नीति की आवश्यकता को कम से कम 30–40% पर 31 मार्च, 2024 को बैंक के कुल ऋण पोर्टफोलियों का लेखापरीक्षा कवरेज 65.52% है। बैंक ऑनलाइन ऋण लेखापरीक्षा मॉड्यूल के माध्यम से ऋण लेखापरीक्षा प्रक्रिया चला रहा है, जो ऋण लेखापरीक्षा का एक पारदर्शी, प्रभावी, सटीक और समय बचाने वाला साधन है।

### 5. अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)/धन शोधन निवारण (एएमएल)

नए और मौजूदा ग्राहकों के साथ लेनदेन करते समय सभी शाखाओं/कार्यालयों द्वारा केवाईसी में दिशानिर्देशों का सावधानीपूर्वक अनुपालन

low risk, 50 medium risk and 21 high risk scenarios. The alerts generated under these scenarios are attended on maker and checker concept and are closed by delegated authorities as defined for different risk categories. The alerts generated cover staff account transactions, customer account/customer ID transactions, Internal/Office account transactions and bank/business guidelines. The TAT for closure of alerts are 3 days for high risk, 4 days for medium risk and 6 days for low risk alerts.

b. **Offsite Surveillance Unit (OSU)** module has been made live in CISAP (Centralised Information Systems Audit Portal) portal resulting in better MIS and improved communication amongst various divisions. Classification of studies is being done based on criticality, viz. High, Medium and Low.

### 3. Risk Based Internal Audit of Administrative Office

The Bank has prescribed Risk Based Internal Audit system for conducting audit of its Administrative Offices.

The audit captures risk perceptions inherent in various areas of functioning of administrative offices including decision making process, communication systems, efficient resource utilization and ways & means used to achieve the goals, etc.

All HO Divisions (Except Vigilance Division), Zonal Offices, Circle Offices, Domestic & Overseas subsidiaries to be audited on annual basis. All other administrative offices will be audited on annual basis except Low risk rated offices, which will be subject to audit once in two years. The Inspection and Audit Division will be subject to audit once in three years by external Auditor.

During FY 2024-25, audit of 227 administrative offices comprising 138 Circle Offices, 22 Zonal Offices, 22 ZRMCs, 9 Regional Rural Banks, 30 Head Office Divisions, 3 domestic subsidiaries, 2 overseas subsidiaries and 1 Office of the Internal ombudsman was conducted.

### 4. Credit Audit and Review

During FY 2024-25, Credit Audit has been undertaken for a total of 7,683 loan accounts both domestic and overseas. In terms of Credit Audit & Review Policy, during FY 2024-25, the coverage of Credit Audit is 65.52 per cent of the Bank's total credit portfolio as on 31st March, 2024 against RBI and our Bank's policy requirement of at least 30 to 40 per cent in a year. The Bank is conducting credit audit through online Credit Audit module, which is a transparent, effective, accurate and time saving tool for better monitoring of Credit Audit.

### 5. Know Your Customer (KYC)/Anti Money Laundering (AML)

To ensure meticulous compliance of guidelines in KYC by all Branches/Offices while dealing with new as well as existing

सुनिश्चित करने हेतु, बैंक ने केवाईसी से संबंधित विभिन्न मापदंडों जैसे कि केवाईसी अद्यतनीकरण, लाभार्थी स्वामियों की पहचान, यूसीआईसी, सीकेवाईसी आदि पर आरबीआई द्वारा जारी नियामक दिशानिर्देशों के अनुरूप एक बोर्ड द्वारा अनुमोदित और पारदर्शी अपने ग्राहक को जानो (केवाईसी) नीति लागू की है, जिसे फॉर्म और सामग्री में लागू किया गया है। मौजूदा केवाईसी दिशानिर्देशों के सख्त अनुपालन के लिए, खाते खोलने, बचत और चालू केंद्रीकृत के लिए कासा बैक ऑफिस स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा, ग्राहक दस्तावेजों के डिजिटलीकरण के लिए दस्तावेज प्रबंधन प्रणाली (डीएमएस) खरीदी गई है। एएमएल अलर्ट के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग के नजरिए से ग्राहकों के लेन–देन की निगरानी और विभिन्न प्रतिबंध सूचियों के खिलाफ ग्राहकों को स्कैन करने के लिए बैंक में एएमएल प्रणाली लागू की गई है।

केवाईसी और एएमएल/सीएफटी अनुपालन के बारे में बैंक कर्मचारियों के बीच और अधिक जागरूकता लाने के लिए, 'पीएनबी यूनिव' में केवाईसी पर ऑनलाइन बुनियादी पाठ्यक्रम को शाखाओं में कार्यरत स्टाफ सदस्यों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है और प्रशिक्षण केंद्रों में प्रत्येक प्रशिक्षण कार्यक्रम में केवाईसी एएमएल पर एक सत्र अनिवार्य कर दिया गया।

**ए. सेंट्रल केवाईसी रजिस्ट्री (सीकेवाईसीआर):**

खाता–आधारित संबंध स्थापित करने, अद्यतनीकरण/आवधिक अद्यतनीकरण या ग्राहक की पहचान के सत्यापन के उद्देश्य से, बैंक ग्राहक से केवाईसी पहचानकर्ता मांगेगा या यदि उपलब्ध हो तो सीकेवाईसीआर से केवाईसी पहचानकर्ता प्राप्त करेगा और ऐसे केवाईसी पहचानकर्ता का उपयोग करके ऑनलाइन केवाईसी रिकॉर्ड प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ेगा और ग्राहक से वही केवाईसी रिकॉर्ड या जानकारी या कोई अन्य अतिरिक्त पहचान दस्तावेज या विवरण प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी। इस संबंध में, सीकेवाईसीआर नंबर का उपयोग करके खाता खोलने की सुविधा हमारी सभी शाखाओं में टैब बैंकिंग और दस्तावेज प्रबंधन प्रणाली (डीएमएस) के माध्यम से उपलब्ध है।

सीकेवाईसीआर को लोकप्रिय बनाने के लिए, आईबीएस और पीएनबी वन में दिए गए केवाईसी अपडेट करने के लिए लिंक पर क्लिक करने पर खाता विवरण, पासबुक, इंटरनेट बैंकिंग, पीएनबी वन आदि माध्यमों पर सीकेवाईसीआर नंबर प्रदर्शित किया जाता है। इससे ग्राहकों को बैंक जाए बिना ऑनलाइन रूप से केवाईसी अपडेट करवाने का अवसर मिलेगा"।

**डाटा गवर्नेंस और डी.क्यू.आई**

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में डाटा गुणवत्ता सुधार के लिए आईबीए EASE संचालन समिति की सिफारिश के संदर्भ में, बैंक का लक्ष्य बैंक में एक मजबूत डाटा गुणवत्ता कार्यक्रम हेतु अपनाए जाने वाले एक समान ढांचे को विकसित करना है।

अनुशंसा के अनुसार डाटा गवर्नेंस नीति को दिनांक 28.01.2025 को बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है। नई नीति की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं: –

प्रभावी डाटा गवर्नेंस के लिए गठित नई भूमिकाएं और समितियां: –

**i. मुख्य डाटा प्रबंधन अधिकारी** (CDMO)– बैंक में डाटा की गुणवत्ता और ग्राहक डाटा गोपनीयता की देखरेख के लिए जिम्मेदार

customers, the Bank has put in place a Board approved and transparent Know Your Customer (KYC) Policy in line with regulatory guidelines issued by RBI on various KYC related parameters such as KYC Updation, Identification of Beneficial Owners, UCIC, CKYC etc. are implemented in form and content. For strict compliance of extant KYC guidelines, CASA Back offices have been established for centralized opening of Savings & Current accounts. Further, Document Management System (DMS) has been procured for digitalization of customer documents. An AML System has been implemented in Bank for monitoring of customer's transactions from money laundering perspective through AML alerts and for scanning against various sanctions lists.

To bring greater awareness amongst Bank staff about KYC and AML/CFT compliances such as Online basic course on KYC in 'PNB UNIV' has been made mandatory for staff members at branches and one session is mandatorily taken on KYC AML in every training program at training centres.

**a. Central KYC Registry (CKYCR)**

For the purpose of establishing an account-based relationship, updation/periodic updation or for verification of identity of a customer, the Bank shall seek the KYC Identifier from the customer or retrieve the KYC Identifier, if available, from the CKYCR and proceed to obtain KYC records online by using such KYC Identifier and shall not require a customer to submit the same KYC records or information or any other additional identification documents or details. In this regard, facility of account opening using CKYCR no. is available at all our Branches through TAB Banking and Document Management System (DMS).

To popularize CKYCR, CKYCR no. is displayed on account statement, passbook, internet banking, PNB one etc. channel on clicking link for KYC updation given in IBS and PNB One. This shall provide customers an opportunity to get their KYC updated online without visiting the Bank.

**b. Data Governance & DQI:**

With reference to recommendation of IBA EASE Steering Committee for Data Quality Improvement in PSBs, bank aimed at developing a uniform Framework to be adopted for a robust Data Quality Program in bank.

As per recommendation, Data Governance Policy has been approved by board on 28.01.2025. Main highlights of this new policy: -

New Roles and Committees constituted for effective Data Governance: -

i. **Chief Data Management Officer (CDMO) -** Responsible for overseeing data quality and customer data privacy in the Bank

ii. **प्रधान कार्यालय डाटा गवर्नेंस समिति** (HODGC)– समग्र डाटा गवर्नेंस पहल को प्रायोजित करने वाला सर्वोच्च निकाय, बैंक के भीतर डाटा से संबंधित निर्देश और निर्णय स्थापित करना।

iii. **विभाग / वर्टिकल डाटा गवर्नेंस समिति** (DDGC)– डाटा गवर्नेंस नीति और HODGC निर्देश के अनुसार डाटा गवर्नेंस पहल का कार्यान्वयन।

iv. **अंचल कार्यालय डाटा गवर्नेंस समिति** (ZODGC)– डाटा गवर्नेंस पहल के कार्यान्वयन की निगरानी

v. **मंडल कार्यालय डाटा गवर्नेंस समिति** (CODGC)– डाटा गवर्नेंस पहल के कार्यान्वयन की निगरानी

vi. **विभिन्न स्तरों पर अर्थात प्र.का. प्रभाग, अं.का., मं.का. और शाखाओं में डाटा गवर्नेंस अधिकारी** (DGO)। डीजीओ संबंधित स्तर पर किसी भी डाटा गवर्नेंस गतिविधि के लिए एकल संपर्क बिंदु (एसपीओसी) रहेंगे।

आईबीए उप–समिति की सिफारिश के अनुसार, डेटा गुणवत्ता सुधार के लिए डैशबोर्ड के माध्यम से सभी 25 डीक्यूआई मानदंड लागू किए गए। सुधार और निगरानी के लिए डैशबोर्ड सभी प्र.का. प्रभागों, अंचल कार्यालयों, मंडल कार्यालयों और शाखाओं के लिए उपलब्ध है।

## 6. सतर्कता

पंजाब नेशनल बैंक में, हम अपने सभी कार्यों में ईमानदारी और पारदर्शिता को प्राथमिकता देते हैं। हमारा सतर्कता विभाग नैतिकता और अनुपालन के उच्चतम मानकों को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

बैंक धोखाधड़ी की रोकथाम और उसका पता लगाने, संभावित जोखिमों की पहचान करने और उन्हें कम करने के लिए सक्रिय उपाय करने के लिए प्रतिबद्ध है। हम विनियामक दिशा–निर्देशों, नीतियों और प्रक्रियाओं का पालन करके अनुपालन और निगरानी सुनिश्चित करते हैं, जिन्हें यह सुनिश्चित करने के लिए तैयार/डिज़ाइन किया गया है कि बैंक हर समय ईमानदारी और पारदर्शिता के उच्चतम मानक के साथ काम करता है।

सतर्कता प्रशासन का मुख्य उद्देश्य ईमानदारी की संस्कृति को बढ़ावा देना, एक ऐसा कार्य वातावरण तैयार करना है जो नैतिक व्यवहार और जवाबदेही को प्रोत्साहित करता हो।

निवारक सतर्कता उपाय, प्रभावी निगरानी तंत्र और मामलों पर पर्यवेक्षी निरीक्षण के माध्यम से प्राप्त दक्षता के कारण, बैंक वित्त वर्ष (2024–2025) के दौरान पंजीकृत 412 मामलों में से 319 मामलों का निपटान करने में सक्षम है, यानी 77.42 प्रतिशत।

बैंक ने सतर्कता प्रशासन की दक्षता में सुधार के लिए विभिन्न पहल की हैं जैसे बैंक का सतर्कता विभाग पत्रिका, ष्पीएनबी विजिलष प्रकाशित कर रहा है। बैंक के उत्पादों, परिपत्रों, परिचालन दिशा–निर्देशों, सतर्कता सलाह और सामान्य बैंकिंग जागरूकता पर ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी नियमित रूप से आयोजित की जा रही है। अखिल भारतीय स्तर पर विभिन्न प्रशिक्षण सत्र/सेमिनार आयोजित किए गए हैं, जिसमें सतर्कता विभाग के अधिकारियों ने भाग लिया और सतर्कता मामलों पर बातचीत की।

ii. **Head Office Data Governance Committee (HODGC)-** The supreme body sponsoring the overall Data Governance Initiative, establishing directives and decisions related to data within the bank.

iii. **Division/Vertical Data Governance Committee (DDGC)-** Data Governance Initiative implementation as per Data Governance Policy and HODGC directive.

iv. **Zonal Office Data Governance Committee (ZODGC)-** Data Governance Initiative Implementation Monitoring

v. **Circle Office Data Governance Committee (CODGC)-** Data Governance Initiative Implementation Monitoring

vi. **Data governance officer (DGO)** at different level i.e. HO Division, ZO, CO and Branches. DGOs will be the **Single point of Contact (SPOC)** for any Data Governance activity at respective level.

As per IBA sub-committee recommendation, all 25 DQI Parameters implemented through Dashboard for data quality improvement. Dashboard is available to all HO Divisions, ZOs, COs and Branches for rectification and monitoring

## 6. Vigilance

At Punjab National Bank, we prioritize integrity and transparency in all our operations. Our Vigilance Department plays a crucial role in maintaining the highest standards of ethics and compliance.

The Bank is committed towards prevention and detection of fraud, identifying potential risks and taking proactive measures to mitigate them. We ensure compliance and Monitoring by adhering to regulatory guidelines, policies and procedures that are formulated/designed to ensure that bank operates with the highest standard of integrity and transparency at all the times.

The main objective of vigilance administration is to promote a culture of integrity, fostering a work environment that encourages ethical behaviour and accountability.

Due to efficiency achieved through preventive vigilance measure, effective monitoring mechanism and supervisory oversight over cases, bank is able to dispose-off 319 cases out of 412 cases registered during FY (2024-2025) i.e. 77.42 per cent.

The Bank has taken various initiatives to improve the efficiency of Vigilance Administration like the vigilance department of the Bank has been publishing Magazine, “PNB Vigil”. Online quiz on the Bank’s products, circulars, operative guidelines, vigilance advisories and general banking awareness is being conducted regularly. Various training sessions/seminars have been organized on Pan-India basis wherein officials from Vigilance Department participated and interacted on Vigilance matters.

उपरोक्त के अलावा, बैंक वित्त वर्ष 2024–25 की तरह सतर्कता प्रशासन और अनुपालन को मजबूत करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहा है और नवाचारों का उपयोग कर रहा है:

ए. सतर्कता विभाग ने अनुशासनात्मक कार्रवाई की प्रक्रिया में शामिल विभिन्न क्षेत्रीय पदाधिकारियों की सहायता के लिए अनुशासनात्मक कार्यवाही पर एक लघु और संक्षिप्त फिल्म बनाई, जो सतर्कता और अनुशासनात्मक कार्य की दुनिया में प्रकाश डालती है। फिल्म सटीक रूप से दर्शाती है कि सतर्कता हर किसी की जिम्मेदारी है और अनुशासनात्मक कार्यवाही को कैसे किया जाना चाहिए।

बी. बैंक ने परिसंपत्तियों और देनदारियों को जमा करने की प्रक्रिया में भी सुधार किया है। परिसंपत्तियों और देनदारियों में भिन्नता की निगरानी के लिए रिपोर्ट को अनुकूलित किया जाता है, इससे सरलता से डेटा एकत्रीकरण और प्रसंस्करण सुनिश्चित होगा।

सी. पंजाब नेशनल बैंक द्वारा 28 अक्टूबर, 2024 से 3 नवंबर, 2024 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह (वीएडब्ल्यू) 2024 मनाया गया, जिसका विषय था "राष्ट्र की समृद्धि के लिए अखंडता की संस्कृति"।

i. कार्यशालाओं/वॉकथॉन/सेमिनारों/सार्वजनिक समारोहों/निवारक सतर्कता कार्यों/इंटरनेट बैंकिंग लॉगिन/मोबाइल बैंकिंग/एसएमएस/सोशल मीडिया/व्हाट्सएप और सीएसआर गतिविधियों आदि जैसे विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से जनता को लगभग 4.90 करोड़ इंप्रेशन प्रदान किए गए।

ii. बैंक के लर्निंग पोर्टल पीएनबी यूनिवर्सिटी पर सतर्कता जागरूकता पर दो प्रश्नोत्तरी आयोजित की गईं, जिसमें कुल 26,281 स्टाफ सदस्यों ने भाग लिया।

iii. देश भर में प्रमुख स्थानों पर होर्डिंग्स के माध्यम से सतर्कता जागरूकता सप्ताह का व्यापक प्रचार किया गया। ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में 4701 "जागरूकता ग्राम सभाओं" के माध्यम से गतिविधियाँ आयोजित की गईं, जिनमें 1,42,471 प्रतिभागी शामिल हुए।

डी. बैंक के सोशल मीडिया अकाउंट्स यानी ट्विटर, फेसबुक, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम पर आम जनता के लिए ऑनलाइन क्विज़ प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गईं, जिन्हें जनता से अच्छी प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुई।

क्षमता निर्माण कार्यक्रमों पर माननीय केंद्रीय सतर्कता आयोग के निर्देशों के अनुसार ऑनलाइन/ऑफलाइन प्रशिक्षण आयोजित किए गए और कुल 988 स्टाफ सदस्यों की भागीदारी के साथ जांच अधिकारियों और प्रस्तुतीकरण अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया।

## X. सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम

बैंक का मानना है कि पारदर्शिता बैंक के मौजूदा और संभावित ग्राहकों के साथ स्थायी विश्वास बनाने की कुंजी है। बैंक आरटीआई अधिनियम के प्रावधानों को अक्षरशः लागू करके इस उद्देश्य के लिए प्रतिबद्ध है।

1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 की अवधि के दौरान बैंक को 6444 आरटीआई से संबंधित आवेदन प्राप्त हुए।

In addition to the above, the Bank is proactively working and using innovative ideas for strengthening vigilance administration and compliance like in FY 2024-25:

a. Vigilance department made a short & concise movie on Disciplinary Proceedings for assisting various field functionaries involved in the process of Disciplinary Action, which throws light in the world of vigilance and disciplinary work. The movie aptly portrays that vigilance is everyone's responsibility and how the disciplinary proceedings should be handled.

b. The Bank has also revamped the process of submission of Assets and Liabilities. Reports are customised for monitoring variation in Assets and Liabilities, it will ensure hassle free data submission and processing.

c. Vigilance Awareness Week (VAW) 2024 was observed by Punjab National Bank from 28th October, 2024 to 3rd November, 2024 with the theme "Culture of Integrity for Nation's Prosperity".

i. Approx. 4.90 Crore impression were made to the public by way of various programmes like workshops/walkathons/seminars/public gatherings/preventive vigilance functions/Internet Banking logins/ Mobile Banking/SMS/social media/WhatsApp and CSR Activities etc.

ii. Two quizzes on Vigilance Awareness were conducted on the Bank's learning portal PNB Univ with a total participation of 26,281 staff members.

iii. Wide publicity was given to Vigilance Awareness Week through Hoardings at prominent places across the country. Activities were conducted through 4701 "Awareness Gram Sabhas" in rural and semi urban areas involving 1,42,471 participants.

d. Online quiz competitions were also organized for general public on Bank's social media accounts i.e. Twitter, Facebook, LinkedIn and Instagram attracting good response from the public.

Online/Offline trainings were organized as per the directions of Hon'ble Central Vigilance Commission on Capacity Building Programs and Trainings were imparted to Investigating officers and Presenting officers with a total participation of 988 staff members.

## X. Right to Information (RTI) Act

The Bank believes that transparency is the key towards building sustainable trust with the existing and potential customers of the Bank. The bank is committed towards this objective by implementing the provisions of RTI Act in letter and in spirit.

During the period of 1st April, 2024 to 31st March, 2025, the Bank received 6,444 Right To Information (RTI) related applications.

## XI. परिचालनगत निष्पादन के संबंध में वित्तीय निष्पादन पर चर्चा

31 मार्च, 2025 के अंत तक, बैंक का सकल वैश्विक कारोबार 26,83,260 करोड़ रुपये था, जिसमें सकल वैश्विक अग्रिम 11,16,637 करोड़ रुपये और सकल वैश्विक जमा 15,66,623 करोड़ रुपये था। चालू और बचत जमा (सीएएसए) 5,73,543 करोड़ रुपये था, जिसमें घरेलू सीएएसए की हिस्सेदारी 37.95 प्रतिशत थी। इसके अलावा, वित्त वर्ष 2024–25 के लिए बैंक का परिचालन लाभ 26,831 करोड़ रुपये और शुद्ध लाभ 16,630 करोड़ रुपये था।

## XII. ईज (EASE) निष्पादन

ईज पीएसबी सुधार एजेंडा के हिस्से के रूप में वित्तीय सेवाएँ विभाग (डीएफएस), वित्त मंत्रालय (एमओ एफ), भारत सरकार (जीओआई) द्वारा एक पहल है और अपने 8वें पुनरावृति के तहत जारी है। पिछले कुछ वर्षों में, यह सभी पीएसबी के रणनीतिक निर्णयों में गहराई से शामिल हो गया है।

उत्तरदायी और जवाबदेह सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के साथ ईज 1.0 की शुरुआत, स्वच्छ और स्मार्ट बैंकिंग की ओर बढ़ता ईज 2.0, आकांक्षी भारत के लिए स्मार्ट–टेक सक्षम बैंकिंग की ओर बढ़ता ईज 3.0, तकनीक–सक्षम सरलीकृत और सहयोगी बैंकिंग के साथ जारी ईज 4.0, उन्नत डिजिटल अनुभव के साथ बैंकिंग में क्रांति लाने से संबन्धित ईज 5.0; डेटा–संचालित, एकीकृत और समावेशी बैंकिंग, ईज 6.0 आधुनिक क्षमताओं द्वारा सक्षम ग्राहक–अनुकूल बैंकिंग के लिए प्रतिबद्ध है।

बैंक ने ईज 5.0 वार्षिक प्रदर्शन सूचकांक में समग्र रूप से तीसरा स्थान प्राप्त किया, तथा ईज 6.0 वार्षिक प्रदर्शन सूचकांक में सुधार करते हुए समग्र रूप से दूसरा स्थान प्राप्त किया।

ईज 7.0 बैंकिंग के वर्तमान संस्करण में राष्ट्रीय लक्ष्य आर्थिक विकास, ग्राहक संतुष्टि और लचीली बैंकिंग पर केंद्रित हैं।

बैंक ने ईज 7.0 पहल के तहत उल्लेखनीय प्रगति की है, जिसका ध्यान आर्थिक विकास, ग्राहक प्रसन्नता और लचीली बैंकिंग पर है। यह पहल 21 कार्य बिंदुओं में फैले पाँच विषयों द्वारा संचालित है। बैंक ने दिसंबर तिमाही के त्रैमासिक ईज प्रदर्शन सूचकांक के दौरान पीएसबी के बीच तीसरा स्थान प्राप्त किया, थीम–2 में पहला स्थान प्राप्त किया: "ग्राहक सेवाओं में उत्कृष्टता" और थीम–4 में दूसरा स्थान ''प्रभावी जोखिम/धोखाधड़ी प्रबंधन, संग्रह और वसूली'' बेसलाइन से 57.8% के समग्र स्कोर सुधार के साथ क्यू ओ क्यू प्रदर्शन को बढ़ावा दिया।

प्रमुख उपलब्धियों में शामिल हैं – चैंपियन क्षेत्रों की पहचानय संग्रह प्रबंधन का डिजिटलीकरण और दक्षता; परिचालन लचीलापन; एक डिजिटल कतार प्रबंधन प्रणाली की शुरुआत; डिजिटल, गैर–बेस शाखा, टीएबी बैंकिंग, व्हाट्सएप बैंकिंग और यूपीआई के माध्यम से अतिरिक्त सेवाएं; बॉट–आधारित वेबसाइट; ग्रीन सेल गठनय सीआरएम – ग्राहक 360, विपणन प्रबंधन, सेवाएं और शिकायत प्रबंधन; स्टाफ वाहन ऋण और ओवरड्राफ्ट सुविधा के डिजिटलीकरण सहित व्यापक मानव संसाधन सुधार।

## XI. Discussion on Financial performance with respect to operational performance

As on 31st March, 2025, the Bank's Gross Global Business stood at Rs. 26,83,260 Crore with Gross Global Advances at Rs. 11,16,637 Crore and Gross Global Deposit at Rs. 15,66,623 Crore. Current and Saving Deposits (CASA) was at Rs. 5,73,543 Crore with domestic CASA share at 37.95 per cent. In addition, the Bank's Operating Profit was at Rs. 26,831 Crore with the Net Profit of Rs. 16,630 Crore for the FY 2024-25.

## XII. Performance under EASE

EASE is an initiative by Department of Financial Services (DFS), Ministry of Finance (MOF), Government of India (GOI) as part of the PSB Reforms Agenda and is continuing under its 8th iteration. Over the years, it has become deeply ingrained in all PSBs strategic decisions.

Journey from EASE 1.0 starting with Responsive and Responsible PSBs, EASE 2.0 moving towards Clean and smart banking, EASE 3.0 stepping up to Smart-tech enabled banking for aspiring India, EASE 4.0 continuing with Tech-enabled simplified and collaborative banking, EASE 5.0 revolutionizing banking with Enhanced digital experience; Data- driven, integrated and inclusive banking, EASE 6.0 committed towards Customer-friendly banking enabled by modern capabilities.

Bank secured overall 3rd rank in EASE 5.0 Annual Performance Index, improved and secured overall 2nd rank in EASE 6.0 Annual Performance Index.

In its present version of EASE 7.0 Banking with National goals focusing on Economic development, customer delight and resilient banking.

The Bank has made notable progress under the EASE 7.0 initiative, focusing on Economic development, customer delight and resilient banking. The initiative is driven by Five themes spread across 21 action points. Bank secured 3rd rank among PSBs during the Quarterly EASE Performance Index of December quarter, achieving 1st rank in theme-2: "Excellence in customer services" and 2nd rank in Theme-4:"Effective risk/fraud management, collections and recovery" with overall score improvement of 57.8 per cent from the baseline ratcheting up Q-o-Q performance.

Key achievements include - Identification of champion sectors; Digitization and efficiency of collection management; Operational resilience; Introduction of a Digital Queue Management System; Additional services through - Digital, Non-Base Branch, TAB banking, WhatsApp Banking and UPI; Bot-based Website; Green Cell Formation; CRM – Customer 360, Marketing Management, Services and Complaint Management; Comprehensive HR reforms including Digitization of Staff Vehicle Loan & Overdraft facility.

उपर्युक्त पहल ईज सुधार एजेंडे के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है, 2018 से बैंक ने लगातार ईज प्राथमिकताओं के साथ खुद को जोड़ा है, जिससे ग्राहक अनुभव और परिचालन दक्षता में वृद्धि हुई है। ये प्रयास सुनिश्चित करते हैं कि बैंक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के बीच एक मजबूत और प्रतिस्पर्धी उपस्थिति बनाए रखे, जिससे ईज सुधार एजेंडे के तहत शीर्ष प्रदर्शन करने वाले बैंकों में इसकी स्थिति मजबूत हो।

**XIII. मानव संसाधन (एचआर)/औद्योगिक संबंध के क्षेत्र में भौतिक विकास, जिसमें नियोजित लोगों की संख्या भी शामिल है**

**1. मानव संसाधन प्रबंधन**

ए. कर्मचारियों की कुल संख्याः निम्नलिखित तालिका में दी गई कर्मचारी संख्या/कर्मचारी संख्या मार्च 2024 और मार्च 2025 के लिए पीएनबी के लिए है, जिसमें सहायक कंपनियों में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कर्मचारी भी शामिल हैं।

**कैडरवार स्टाफ संख्या**

| संवर्ग | मार्च, 2024 (31.03.2024) | | मार्च, 2025 (31.03.2025) | |
|---|---|---|---|---|
| | संख्या | संख्या | संख्या | कुल स्टाफ का % |
| अधिकारी | 51488 | 50.31% | 53137 | 51.72% |
| लिपिक | 28080 | 27.44% | 28013 | 27.26% |
| अधीनस्थ कर्मचारी (पी.टीएस सहित) | 22781 | 22.26% | 21596 | 21.02% |
| **कुल** | **102349** | **100.00%** | **102746** | **100.00%** |

बी. आरक्षण नीति : बैंक अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग और दिव्यांगों के लिए भारत सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित आरक्षण नीति का पालन करता है। इसके अलावा बैंक ने मानदंडों के अनुसार आरक्षण रोस्टर बनाए रखने, अलग से संपर्क अधिकारी रखने आदि जैसे कई कदम उठाए हैं।

**एससी/एसटी/ओबीसी/पीडब्ल्यूडी कर्मचारियों की संख्या** (संख्या में)

| संवर्ग | मार्च 2024 | | | | मार्च 2025 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | अनुसूचित जाति | अनुसूचित जनजाति | अन्य पिछड़ा वर्ग | दिव्या.ंग | अनुसूचित जाति | अनुसूचित जनजाति | अन्य पिछड़ा वर्ग | दिव्यांग |
| अधि ाकारी | 10319 | 3956 | 13237 | 1488 | 10517 | 4049 | 14266 | 1546 |
| लिपिक | 5566 | 1596 | 7644 | 893 | 5572 | 1568 | 7782 | 884 |
| अधीनस्थ कर्मचारी (पीटीएस सहित) | 8725 | 1578 | 5741 | 497 | 8361 | 1515 | 5471 | 495 |
| **कुल** | **24610** | **7130** | **26622** | **2878** | **24450** | **7132** | **27519** | **2925** |

सी. कर्मचारियों की आयु प्रोफाइल : पिछले कुछ वर्षों में कुल कर्मचारियों की औसत आयु में कमी आई है। पिछले पांच वर्षों में कैडर–वार औसत आयु में उतार–चढ़ाव इस प्रकार है:

(औसत आयु वर्षों में)

| औसत आयु | अधिकारी | लिपिक | अधीनस्थ कर्मचारी | कुल |
|---|---|---|---|---|
| मार्च 2023 | 39.23 | 38.40 | 36.86 | 38.46 |
| मार्च 2024 | 39.28 | 38.67 | 37.45 | 38.70 |
| मार्च 2025 | 39.12 | 38.70 | 38.17 | 38.81 |

The foregoing initiatives underscore the bank's commitment towards EASE reform agenda. Starting from 2018 onward bank continuously aligned itself with the EASE priorities enhancing customer experience and operational efficiency. These efforts ensure that the bank maintains a robust and competitive presence among public sector banks, reinforcing its position amongst top performing bank under EASE Reform Agenda.

**XIII. Material Developments in Human Resources (HR)/Industrial Relations front including number of people employed**

**1. Human Resources Management**

a. Total number of employees: Staff strength/Employees given in the following table are for PNB for March 2024 and for March 2025 including those on deputation in the subsidiaries.

**Cadre wise Staff Strength**

| Cadre | March, 2024 (31.03.2024) | | March, 2025 (31.03.2025) | |
|---|---|---|---|---|
| | Number | % of Total Staff | Number | % of Total Staff |
| Officer | 51488 | 50.31% | 53137 | 51.72% |
| Clerks | 28080 | 27.44% | 28013 | 27.26% |
| Sub Staff (incl. PTS) | 22781 | 22.26% | 21596 | 21.02% |
| **Total** | **102349** | **100.00%** | **102746** | **100.00%** |

b. Reservation Policy: The Bank follows the reservation policy for SCs, STs, OBCs and PWD as prescribed by Government of India from time to time. Besides as per norms, the bank has taken various steps like maintaining reservation roster, separate liasoning officer, etc.

**Strength of SC/ST/OBC/PWD Employees** (in numbers)

| Cadre | March 2024 | | | | March 2025 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | SC | ST | OBC | PWD | SC | ST | OBC | PWD |
| Officer | 10319 | 3956 | 13237 | 1488 | 10517 | 4049 | 14266 | 1546 |
| Clerks | 5566 | 1596 | 7644 | 893 | 5572 | 1568 | 7782 | 884 |
| Sub Staff | 8725 | 1578 | 5741 | 497 | 8361 | 1515 | 5471 | 495 |
| **Total** | **24610** | **7130** | **26622** | **2878** | **24450** | **7132** | **27519** | **2925** |

c. Age Profile of the Employees: The average age of overall employees has come down over the years. The movement of cadre-wise average age in the last five years is as under:

(Average age in years)

| Average Age as on | Officer | Clerical | Sub Staff | Over All |
|---|---|---|---|---|
| March 2023 | 39.23 | 38.40 | 36.86 | 38.46 |
| March 2024 | 39.28 | 38.67 | 37.45 | 38.70 |
| March 2025 | 39.12 | 38.70 | 38.17 | 38.81 |

डी. औद्योगिक संबंध : बैंक में कर्मचारी संघ/अधिकारी संघ के साथ औद्योगिक संबंध सौहार्दपूर्ण बने हुए हैं। यूनियन/एसोसिएशन द्वारा उठाए गए मुद्दों को तुरंत हल करने के लिए वर्ष के दौरान बहुसंख्यक अधिकारी संघ/कर्मचारी संघों के प्रतिनिधियों के साथ मंडल/अंचल/प्रधान कार्यालय स्तर पर विभिन्न भौतिक बैठकें आयोजित की गईं, ताकि संघ/एसोसिएशन द्वारा उठाए गए मुद्दों का तुरंत समाधान किया जा सके।

2. **प्रशिक्षण गतिविधियाँ**

गतिशील बैंकिंग माहौल में, उद्योग के रुझानों, विनियामक अपडेट और तकनीकी प्रगति से आगे रहने के लिए निरंतर सीखना महत्वपूर्ण है। पीएनबी में, एक मजबूत मानव संसाधन ढांचा कक्षा प्रशिक्षण, ई–लर्निंग, मार्गदर्शन और अनुभवात्मक शिक्षण के माध्यम से क्षमता निर्माण सुनिश्चित करता है। नए कर्मचारियों को शामिल करने के लिए परिचय कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जबकि चल रहे प्रशिक्षण में व्यक्तिगत विकास को रणनीतिक लक्ष्यों के साथ जोड़ा जाता है। वित्त वर्ष 2024–25 में, नवीन प्रशिक्षण रणनीतियों ने नेतृत्व को मजबूत किया, क्षमताओं का विस्तार किया और कर्मचारियों को उभरते वित्तीय परिदृश्य में आगे बढ़ने के लिए तैयार किया, जो प्रतिभा को पोषित करने और उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए पीएनबी की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। बैंक में सीखने के लिए अनुकूल माहौल को बढ़ावा देने और मौजूदा जनशक्ति को उपयुक्त कौशल और ज्ञान से लैस करने के लिए, वित्त वर्ष 2024–25 में निम्नलिखित नवीन उपाय किए गए:

ए. **ग्रूमिंग योजनाएँ:**

i. **पीएनबी उड़ान के तहत नेतृत्व विकास कार्यक्रम** – 'उड़ान एलीवेट' शीर्षक के तहत एक पुनश्चर्या कार्यक्रम उन अधिकारियों के लिए आयोजित किया गया, जिन्होंने इसमें भाग लिया था। पिछले साल इस कार्यक्रम में अधिकारियों की व्यवहारिक दक्षताओं में 65% सकारात्मक बदलाव देखा गया। इसके अलावा, प्रोजेक्ट उड़ान के तहत, नेतृत्व विकास कार्यक्रम 'इग्नाइटिंग पोटेंशियल' को स्केल IV अधिकारियों तक बढ़ाया गया। तीन दिवसीय कार्यक्रम में पहले दिन कार्यात्मक दक्षताओं और दूसरे और तीसरे दिन व्यवहारिक कौशल पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिसमें प्रभावोन्मुख कामकाज और ग्राहक केंद्रितता पर जोर दिया गया।

ii. **कृषि और एमएसएमई केंद्रित शाखाओं के लिए प्रशिक्षण:** कृषि–प्रधान और एमएसएमई–प्रधान शाखाओं में तैनात कृषि अधिकारियों और विपणन अधिकारियों के एक केंद्रित समूह को कार्यात्मक और व्यवहारिक दक्षताओं पर प्रशिक्षण प्रदान किया गया, जिसका उद्देश्य ग्राहक सेवा में सुधार और समग्र ग्राहक अनुभव को बढ़ाना था।

iii. **अधीनस्थ कर्मचारियों के लिए ऑन लोकेशन कार्यक्रम** – लगभग 21,700 अधीनस्थ कर्मचारी व्यवसाय की वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, यह देखा गया कि वे अक्सर नियमित प्रशिक्षण से बाहर रहते हैं। इस समस्या का समाधान करने के लिए, प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए लक्षित प्रशिक्षण आयोजित किया गया, ताकि उन्हें सशक्त और प्रेरित किया जा सके, जिससे अंततः ग्राहक सेवा में सुधार हो और बैंक के समग्र विकास में योगदान मिले। 98% स्टाफ सदस्यों ने महसूस किया कि प्रशिक्षण उनकी वृद्धि और विकास के लिए बहुत जरूरी और अनिवार्य है।

d. Industrial relations: Industrial Relations in the bank continued to be cordial with workmen union/Officer's association. Various physical meetings at Circle/ Zonal/ HO level were held with representatives of majority Officers' Association/Workmen Unions during the year to promptly resolve the issues raised by union/association.

2. **Training Activities**

In a dynamic banking environment, continuous learning is key to staying ahead of industry trends, regulatory updates and technological advancements. At PNB, a robust HR framework ensures capability-building through classroom training, e-learning, mentoring and experiential learning. Induction programs onboard new employees, while ongoing training aligns personal growth with strategic goals. In FY 2024-25, innovative training strategies strengthened leadership, expanded capabilities and prepared staff to navigate the evolving financial landscape, reflecting PNB's commitment to nurturing talent and driving excellence. To promote conducive environment in the Bank for learning and to equip the existing manpower with appropriate skills and knowledge for the Bank's growth and development, following innovative measures were taken in the FY 2024-25:

a. **Grooming Plans:**

i. **Leadership Development program under PNB Udaan-** A refresher programme under the title "Udaan Elevate" was conducted for executives who attended the program last year and there was a 65% positive variation is seen in the behavioural competencies of the said officers. Further, under Project Udaan, the Leadership Development Program "Igniting Potential" was extended to Scale IV officers. The three-day program focused on functional competencies on Day 1 and behavioural skills on Days 2 and 3, with an emphasis on impact-oriented working and customer centricity.

ii. **Training for Agriculture and MSME focused branches:** A focused group of Agriculture Officers and Marketing Officers posted in agriculture-intensive and MSME-intensive branches were provided training on functional and behavioural competencies, aimed at improving customer service and enhancing the overall customer experience.

iii. **On Location Program for Subordinate Staff –** With around 21,700 subordinate staff playing a vital role in business growth, it was observed that they often remain outside routine training. To address this, targeted training was conducted focusing key areas to empower and motivate them, ultimately enhancing customer service and contributing to the Bank's overall growth. 98 per cent of the staff members felt the training is much needed and essential for their growth and development.

बी. **तकनीकी उपकरण** –

i. **एल एंड डी टूल** – प्रशिक्षण नामांकन प्रक्रिया की गुणवत्ता में सुधार करने और पात्रता, मूल्यांकन प्रक्रिया के माध्यम से सिफारिश, कर्मचारी का प्रदर्शन आदि जैसे विभिन्न मापदंडों का उपयोग करके बैंक में प्रशिक्षण प्रबंधन प्रक्रिया को डिजिटल बनाने के लिए एक नया शिक्षण और विकास (एल एंड डी) टूल विकसित किया गया है।

ii. **उड़ान पोर्टल में पीएनबी प्रारम्भ – एमटी टूल लॉन्च किया गया :** बैंक ने परियोजना उड़ान के अंतर्गत प्रबंधन प्रशिक्षुओं की 52 सप्ताह की प्रशिक्षण यात्रा में शामिल हितधारकों के लिए एक डिजिटल टूल 'पीएनबी प्रारम्भ' लॉन्च किया है। 'पीएनबी प्रारम्भ' प्रतिभागियों, प्रशासकों, इकाई प्रमुखों के साथ–साथ सलाहकारों को 52 सप्ताह के प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रगति को डिजिटल रूप से देखने और ट्रैक करने तथा प्रशिक्षुओं को इनपुट प्रदान करने में सक्षम बनाएगा।

iii. **कौशल मूल्यांकन उपकरण** – परियोजना उड़ान के अंतर्गत कौशल मूल्यांकन प्रक्रिया शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य पंजाब नैशनल बैंक के लिए अत्यधिक कुशल और प्रतिभाशाली अधिकारियों का समूह तैयार करना है। इस मूल्यांकन का उद्देश्य स्केल 1–6 के अधिकारियों के कौशल का आकलन और मूल्यांकन करना, अधिकारियों के कौशल का एक व्यापक डेटाबेस बनाना, कौशल उन्नयन और संवारने में सहायता के लिए व्यक्तिगत रिपोर्ट प्रदान करना है।

सी. **पुरस्कार और सम्मान** –

i. **स्टार पुरस्कार** – प्रशिक्षुओं की प्रेरणा और सहभागिता को बढ़ावा देने के लिए, 'स्टार्स की पहचान' पहल की शुरुआत की गई, जिससे एसटीसी को प्रशिक्षण कार्यक्रम को प्रभावशाली और आकर्षक बनाने में मदद मिली, साथ ही कक्षा प्रशिक्षण में उनके प्रदर्शन के आधार पर उच्च प्रदर्शन करने वालों को मान्यता दी गई और उनका पोषण किया गया।

डी. **ज्ञान समर्थक**

**i. पीएनबी नॉलेज सेंटर** –

- **बहुभाषी पॉडकास्ट** – उत्पाद जागरूकता और भागीदारी बढ़ाने के लिए, अधीनस्थ कर्मचारियों के लिए क्षेत्रीय भाषाओं में एक पॉडकास्ट श्रृंखला शुरू की गई थी। यह पहल उन्हें बैंक की पेशकशों की बेहतर समझ प्रदान करती है, जिससे व्यवसाय विकास में सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा मिलता है। यह श्रृंखला असमिया, बंगाली, पंजाबी, मराठी, तमिल, कन्नड़, हिंदी और गुजराती में उपलब्ध है।

- **उड़ान लीडरशिप गैलरी** – पीएनबी नॉलेज सेंटर के होमपेज पर उड़ान लीडरशिप गैलरी आसान पहुंच और संदर्भ के लिए नेतृत्व वीडियो, किताबें, सारांश और उड़ान का अवलोकन जैसे डाउनलोड करने योग्य संसाधन प्रदान करती है।

**ii. पीएनबी यूनिव** – हमारा बैंक स्व–शिक्षण की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए ई–लर्निंग प्लेटफॉर्म पीएनबी यूनिव का व्यापक रूप से लाभ उठा रहा है। पीएनबी यूनिव पर विभिन्न कार्यात्मक दक्षताओं पर पाठ्यक्रम उपलब्ध कराए जाते हैं। पीएनबी यूनिव पर पाठ्यक्रम आबंटन संबंधित अधिकारियों के निर्धारित कार्य–परिवारों के अनुरूप है। 31.03.2025 तक ज्ञान केंद्र में 368 पाठ्यक्रम अपलोड किए जा चुके हैं।

**b. Technical Tools -**

**i. L&D Tool** -To improve the quality of training nomination process and to digitize the training management process in the Bank using various parameters like eligibility, recommendation through Appraisal process, performance of the employee, etc. a new Learning and Development (L&D) tool has been developed.

**ii. PNB Prarambh- MT tool launched in Udaan Portal:** The Bank, under the umbrella of project UDAAN, has launched 'PNB Prarambh' - a digital tool for the stakeholders involved in the 52 weeks Induction journey of Management Trainees. 'PNB Prarambh' shall enable the participants, administrators, unit heads as well as the mentors to digitally view and track the progress and provide inputs to the trainees across the 52-week training schedule.

**iii. Skill Assessment Tool -** Skill Assessment Process has been launched under Project UDAAN, aimed at building a highly skilled and talented officer pool for Punjab National Bank. This assessment aims to assess and evaluate the skillset of officers across scales 1-6, to create a comprehensive database of officers' skills, provide personalized reports to facilitate upskilling and grooming.

**c. Reward and Recognition:**

**i. Star Award -** To boost trainee motivation and engagement, the 'Identification of STARS' initiative was introduced, enabling STCs to make the training program impactful and engaging along with recognizing and nurturing the high performers based on their classroom training performance.

**d. Knowledge Enablers**

**i. PNB Knowledge Centre –**

- **Multilingual Podcasts -** To enhance product awareness and involvement, a podcast series in regional languages was introduced for subordinate staff. This initiative empowers them with better understanding of the Bank's offerings, encouraging active participation in business development. The series is available in Assamese, Bengali, Punjabi, Marathi, Tamil, Kannada, Hindi and Gujarati.

- **Udaan Leadership Gallery –** The Udaan Leadership Gallery on the PNB Knowledge Centre homepage offers downloadable resources like leadership videos, books, summaries and an overview of Udaan for easy access and reference.

**ii. PNB UNIV-** The Bank has been extensively leveraging the e-Learning platform PNB UNIV to promote the culture of self-learning. Courses on various functional competencies are made available on PNBUNIV. The course allocation on PNB Univ is in line with the assigned job-families of respective officers. 368 courses have been uploaded in knowledge centre as on 31.03.2025.

इसके अतिरिक्त, **कर्मचारियों के जीवन चक्र के अनुरूप निम्नलिखित अनुकूलित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं:**

- बैंक के सभी संवर्गों और स्तरों के कर्मचारियों के लिए नियुक्ति से लेकर संवर्ग परिवर्तन, भूमिका परिवर्तन और कौशल उन्नयन तक के कार्यक्रम आयोजित किए गए।
- पहली बार मंडल प्रमुखों और पहली बार शाखा प्रमुखों के लिए अनुकूलित कार्यक्रम आयोजित किए गए, ताकि उन्हें नई भूमिकाओं में सहजता से स्थानांतरित करने में सुविधा हो।
- सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद के जीवन में बदलाव लाने में मदद करने के लिए 'सेकंड इनिंग्स' कार्यक्रम आयोजित किए गए।
- मांग के अनुरूप एसएआरएफएईएसआई प्रावधानों, जोखिम रेटिंग, डीएमएस, सतर्कता आदि पर प्रशिक्षण जैसे कार्यक्रम आयोजित किए गए।
- विविधता, समानता और समावेश पर केंद्रित प्रशिक्षण पहलों में महिला अधिकारियों के लिए नेतृत्व और POSH दिशा–निर्देशों पर कार्यक्रम शामिल थे। अतिरिक्त सत्रों में समय प्रबंधन, कार्य–जीवन संतुलन, मानसिक स्वास्थ्य, तनाव प्रबंधन और समग्र विकास का समर्थन करने के लिए प्रेरणा जैसे आवश्यक विषयों को शामिल किया गया।
- **बाहरी प्रशिक्षण** – आईटी, आईबीसी, साइबर सुरक्षा, एआई, स्वचालन और ग्राहकों की बदलती अपेक्षाओं में तेजी से हो रहे बदलावों के साथ, बैंकिंग में कौशल की आवश्यकताएं लगातार विकसित हो रही हैं। इसे संबोधित करने के लिए, एनआईबीएम, आईडीआरबीटी, सीएबी (आरबीआई), आईआईबीएफ आदि जैसे प्रमुख संस्थानों में विशेष प्रशिक्षण के लिए 31.03.2025 तक 2,159 कर्मचारियों को नामित किया गया था।
- **कक्षा से परे क्षमता निर्माण** – बैंक अपने कर्मचारियों के ज्ञान के निरंतर उन्नयन की आवश्यकता को पहचानते हुए, अनुमोदित योजना के अनुसार विशिष्ट उच्च/पेशेवर योग्यता प्राप्त करने पर स्टाफ सदस्यों को प्रोत्साहन प्रदान करता है। विशिष्ट योग्यता प्राप्त करने/विशिष्ट पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने के लिए स्टाफ सदस्यों को प्रोत्साहन प्रदान करने की योजना के तहत अनुमोदित पाठ्यक्रमों की संख्या में वृद्धि की गई।

**भावी योजना**

निकट भविष्य में वैश्विक विकास का परिदृश्य निराशाजनक बना हुआ है, क्योंकि टैरिफ तथा विभिन्न देशों की अलग–अलग नीतिगत प्रतिक्रियाओं के संबंध में अनिश्चितता के कारण निवेश व्यय में कमी, उपभोक्ता विश्वास में कमी तथा वैश्विक व्यापार में मंदी आ सकती है।

इन विपरीत परिस्थितियों का सामना करने की भारत की ताकत, मजबूत समष्टि आर्थिक ढांचे और नरम मुद्रास्फीति तथा मजबूत घरेलू विकास इंजन द्वारा समर्थित इसकी मजबूत वृद्धि से उपजी है।

भारतीय अर्थव्यवस्था के वित्त वर्ष 2025–26 में अपनी मजबूत वृद्धि दर को बनाए रखने का अनुमान है, जिसका अनुमान आम तौर पर 6.2% और 6.5% के बीच है। भारत के 2025 और 2026 दोनों में वैश्विक स्तर पर सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था होने की उम्मीद है,

In addition to this, following **Tailor-made training programs to suit employee's life cycle have been conducted:**

- Programs ranging from induction to cadre change, role change and upskilling were conducted for employees of the Bank across all cadres and scales.
- Customized programs for First Time Circle Heads and First Time Branch Heads were conducted to facilitate their seamless switch to new roles.
- 'Second Innings' programs were conducted for superannuating employees to help them transition to post-retirement life.
- On demand programs such as Training on SARFAESI provisions, Risk Rating, DMS, Vigilance etc. was conducted.
- Training initiatives focused on Diversity, Equity and Inclusion included programs on Leadership and POSH guidelines for women officers. Additional sessions covered essential topics like time management, work-life balance, mental health, stress management and motivation to support holistic development.
- **External Trainings -** With rapid changes in IT, IBC, cybersecurity, AI, automation and evolving customer expectations, skill requirements in banking are constantly evolving. To address this, 2,159 employees were nominated till 31.03.2025 for specialized training at premier institutes like NIBM, IDRBT, CAB (RBI), IIBF, etc.
- **Capacity Building beyond classroom -** The Bank, while recognizing the need for continuous up-gradation of knowledge of its employees, offers incentive to staff members on their acquiring specific higher/professional qualifications in terms of the approved scheme. The number of approved courses under the Scheme for providing incentive to Staff Members for acquiring Specialized Qualifications/qualifying Specific Courses, was increased.

**WAY FORWARD**

In the near-term, global growth outlook remains downcast, as uncertainty surrounding tariffs and the individual policy responses of different countries could result in lower investment spending, subdued consumer confidence and a slowdown in global trade.

India's strength to withstand these headwinds stem from its robust growth fostered by a strong macroeconomic framework and moderating inflation, with strong domestic engines of growth.

The Indian economy is projected to maintain its robust growth trajectory in FY 2025-26, with estimates generally ranging between 6.2 per cent and 6.5 per cent. India is expected to be the fastest-growing major economy globally in both 2025 and

जो वैश्विक विकास अनुमानों से काफी आगे है, जो लगभग 2.8% से 3.0% है।

भारत में कृषि क्षेत्र अपनी गति को बनाए रखने के लिए तैयार है, जिसे बंपर खरीफ और रबी की फसल और आरामदायक जलाशय की स्थिति के साथ–साथ अधिक ग्रीष्मकालीन बुवाई का समर्थन प्राप्त है। हालांकि, सामान्य स्तर से ऊपर तापमान में वृद्धि और वर्तमान गर्मी के मौसम (अप्रैल–जून) में हीटवेव की संभावना से उत्पन्न होने वाले जोखिमों पर नजर रखने की आवश्यकता है। औद्योगिक और सेवा गतिविधियाँ लचीली बनी हुई हैं।

बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान केंद्रित करना, निजी निवेश को प्रोत्साहित करना और मुद्रास्फीति के दबावों का प्रबंधन करना, पूर्ण विकास क्षमता को साकार करने में महत्वपूर्ण होगा।

आगे बढ़ते हुए, भारत आपूर्ति श्रृंखला पुनर्संरेखण, विविध एफडीआई स्रोतों और वैश्विक निवेशकों के साथ जुड़ाव से लाभान्वित होने के लिए तैयार है, जो अपने पहले से स्थापित व्यापार संबंधों को देखते हुए लचीलापन और पैमाने की तलाश कर रहे हैं। इसके अलावा, सेवाओं के निर्यात और प्रेषण प्रवाह में भारत की लगातार मजबूती चालू खाते के लिए एक महत्वपूर्ण बफर प्रदान करती है। संतुलित नीति समर्थन भारत को वैश्विक अस्थिरता को अवसर में बदलने और उभरते विश्व आर्थिक परिदृश्य में अपनी स्थिति मजबूत करने में मदद कर सकता है।

भारतीय बैंकिंग क्षेत्र वित्त वर्ष 2025–26 में निरंतर वृद्धि के लिए तैयार है, हालांकि हाल के दिनों में देखी गई उच्च वृद्धि की तुलना में गति में थोड़ी कमी देखी जा सकती है। अधिकांश रिपोर्ट वित्त वर्ष 2025–26 में भारतीय बैंकिंग क्षेत्र के लिए 10.8% से 13% के बीच के अनुमान के साथ स्वस्थ ऋण वृद्धि की उम्मीद करती हैं। इस ऋण वृद्धि को चलाने वाले कारकों में आर्थिक सुधार, सरकारी बुनियादी ढाँचा खर्च और उपभोक्ता मांग में संभावित पुनरुद्धार शामिल होंगे। असुरक्षित ऋण और NBFC पर जोखिम भार से संबंधित नियामक मानदंडों में ढील से भी ऋण विस्तार का समर्थन करने की उम्मीद है। जमा जुटाना फोकस का एक प्रमुख क्षेत्र बना हुआ है और जमा वृद्धि लगभग 9–11% होने का अनुमान है। हालाँकि, बैंकों को अन्य निवेश माध्यमों से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है, जिससे कम लागत वाले CASA (चालू खाता और बचत खाता) जमा की वृद्धि प्रभावित हो सकती है। वित्त वर्ष 2025–26 में ऋण और जमा वृद्धि के बीच का अंतर कम होने की उम्मीद है।

हालांकि आस्ति की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है, परंतु खुदरा क्षेत्र में गैर–निष्पादित आस्तियों (एनपीए) में मामूली वृद्धि की संभावना है, विशेषकर असुरक्षित ऋणों में। बैंकों से अपेक्षा की जाती है कि वे इस जोखिम को प्रबंधित करने के लिए अपने खुदरा ऋण पोर्टफोलियो को समेकित करें। तथापि, मजबूत प्रावधान कवरेज अनुपात (पीसीआर) संभावित चूक के विरुद्ध एक बफर प्रदान करना चाहिए।

आरबीआई द्वारा दरों में राहत देने के क्रम को जारी रखने के कारण बैंकों को अपने नेट ब्याज मार्जिन पर दबाव का सामना करना पड़ सकता है। बैंकों के अग्रिमों को तुरंत कम दर पर पुनः मूल्यांकित किया जाएगा क्योंकि वे बाहरी बेंचमार्क से जुड़े हुए हैं। जमाराशियों को कुछ समय के लिए कम दर पर पुनः मूल्यांकित किया जाएगा। बैंकों को लाभप्रदता बनाए रखने के लिए लागत में कटौती करने के लिए इसी तरह की नई रणनीति विकसित करने की आवश्यकता होगी, साथ ही साथ जमाराशि और अग्रिम वृद्धि को भी निरंतर बनाए रखना होगा।

2026, significantly outpacing global growth projections, which are around 2.8 per cent to 3.0 per cent.

The agricultural sector in India is poised to sustain its momentum, supported by bumper kharif and rabi harvest and higher summer sowing amidst comfortable reservoir position. Risks emanating from the rise in temperature above normal levels and likelihood of heatwaves in the current summer season (April - June), however, need to be monitored. Industrial and services activity continue to remain resilient.

The focus on infrastructure development, encouraging private investment and managing inflationary pressures will be crucial in realizing the full growth potential.

Going forward, India is poised to benefit from supply chain realignments, diversified Foreign Direct Investment (FDI) and engagement with global investors seeking resilience and scale, given its already established trade linkages. Moreover, India's consistent strength in services exports and remittance inflows continues to provide a vital buffer for the current account. Calibrated policy support can help India turn global volatility into an opportunity and strengthen its position in the emerging world economic landscape.

The Indian banking sector is poised for continued growth in FY 2025-26, although the pace might see a slight moderation compared to the high growth witnessed in the recent past. Most reports anticipate a healthy credit growth for the Indian banking sector in FY 2025-26 with estimates ranging from 10.8 per cent to 13 per cent. Factors driving this credit growth will include economic recovery, government infrastructure spending and a potential revival in consumer demand. Easing of regulatory norms related to risk weights on unsecured lending and NBFCs is also expected to support credit expansion. Deposit mobilization remains a key area of focus and Deposit growth is projected to be around 9-11 per cent. However, banks might continue to face competition from other investment avenues, impacting the growth of low-cost CASA (Current Account and Savings Account) deposits. The gap between credit and deposit growth is expected to narrow in FY 2025-26.

While asset quality has improved significantly, there is a potential for a slight rise in Non-Performing Assets (NPAs) in the retail sector, particularly in unsecured loans. Banks are expected to consolidate their retail lending portfolios to manage this risk. However, strong provisioning coverage ratios (PCR) should provide a buffer against potential defaults.

Banks are likely to witness pressure on their Net Interest Margins going forward as RBI continues with its rate easing cycle. The advances of banks will be immediately repriced at lower rate as they are linked to External Benchmark. Deposits will be repriced with a lag. Thus, banks will need to evolve corresponding fresh strategies to cut costs to maintain profitability while at the same time achieving consistent deposit and advanced growth.

नए उत्पादों और सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग पर आधारित नई प्रौद्योगिकियों को अपनाना, साथ ही ऋण निगरानी और धोखाधड़ी की रोकथाम के क्षेत्र में 2025 में बैंकों को ध्यान देने की आवश्यकता वाला एक और क्षेत्र है। फिनटेक के साथ सहयोग भी टिकाऊ विकास के लिए दीर्घकालिक रणनीति के रूप में उभरने की उम्मीद है।

आशा है की विनियामक वातावरण विकास के लिए अनुकूल बना रहेगा, तथा कुछ मानदंडों में रियायत भी दी जा सकती है।

वित्त वर्ष 2025–26 में भारतीय बैंकिंग क्षेत्र की लचीलापन आर्थिक चुनौतियों से निपटने, तरलता दबावों का प्रबंधन करने और तकनीकी नवाचारों को अपनाने की क्षमता पर निर्भर करेगा।

पंजाब नैशनल बैंक (पीएनबी), जो 1895 से भारत के वित्तीय ढांचे का आधार रहा है, देश की आर्थिक वृद्धि को गति देने और विकसित भारत के सपने को साकार करने की अपनी प्रतिबद्धता में दृढ़ है। बैंक विभिन्न क्षेत्रों में ऋण प्रदान करके, प्रधानमंत्री जन धन योजना जैसी योजनाओं के माध्यम से वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देकर और मुद्रा योजना जैसे अनुकूलित वित्तपोषण विकल्पों के साथ सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) का समर्थन करके सक्रिय रूप से योगदान देता है। राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के साथ अपने ऋण और वित्तीय उत्पादों को रणनीतिक रूप से संरेखित करके, पीएनबी का लक्ष्य नागरिकों को सशक्त बनाना, कृषि आय बढ़ाना और उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करना है, जिससे 2047 तक भारत के विकसित राष्ट्र बनने की यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा सके।

यह समझते हुए कि ग्राहक संतुष्टि सर्वोपरि है, बैंक अपनी सेवाओं को बढ़ाने, पेशकशों को वैयक्तिकृत करने, तथा निर्बाध और सुविधाजनक बैंकिंग अनुभव प्रदान करने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।

सार्वजनिक निधियों के संरक्षक के रूप में अपनी भूमिका को पहचानते हुए, पीएनबी पारदर्शिता, सटीक प्रकटीकरण और आस्तियों के दुरुपयोग को रोकने और सार्वजनिक विश्वास बनाए रखने के लिए मजबूत आंतरिक जांच और संतुलन को प्राथमिकता देता है। इसने अपने आंतरिक नियंत्रण और जोखिम प्रबंधन प्रथाओं को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। आगे बढ़ते हुए, पीएनबी अपने संचालन के सभी स्तरों पर नैतिक प्रथाओं को सम्मिलित करने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि सतत विकास सुनिश्चित किया जा सके और सभी हितधारकों के हितों की रक्षा की जा सके।

अपने हितधारकों के लिए अधिकतम लाभ प्राप्त करने के प्रयास में, पीएनबी परिचालन दक्षता बढ़ाने, आस्ति की गुणवत्ता में सुधार करने और अपने व्यवसाय को रणनीतिक रूप से बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करता है। बैंक ग्राहक–केंद्रित डिजिटल उत्पादों और सेवाओं को पेश करने, अपनी पहुंच का विस्तार करने और प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए सक्रिय रूप से प्रौद्योगिकी का लाभ उठाता है। विवेकपूर्ण वित्तीय प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करके, गैर–निष्पादित आस्तियों को कम करने और भारतीय अर्थव्यवस्था के भीतर विकास के अवसरों को भुनाने के द्वारा, पीएनबी का लक्ष्य अपने हितधारकों को निरंतर और टिकाऊ मूल्य प्रदान करना है। नैतिक संचालन और मजबूत शासन के लिए बैंक की प्रतिबद्धता एक स्थिर और भरोसेमंद वित्तीय संस्थान को बढ़ावा देकर दीर्घकालिक शेयरधारक मूल्य उत्पन्न करने की इसकी क्षमता को और सुदृढ़ करती है।

Adoption of new technologies based on Artificial Intelligence and Machine Learning for promoting new products and services, as well as in the domain of credit monitoring and fraud prevention, is another area requiring attention of banks in 2025. Collaboration with fintechs is also expected to emerge as a long-term strategy for sustainable growth.

The regulatory environment is expected to remain supportive of growth, with potential easing of certain norms.

The Indian banking sector's resilience in FY 2025-26 will depend on its ability to navigate economic challenges, manage liquidity pressures and embrace technological innovations.

Punjab National Bank (PNB), a cornerstone of India's financial infrastructure since 1895, remains steadfast in its commitment to propelling the nation's economic growth and realizing the vision of a Viksit Bharat. The bank actively contributes by extending credit across diverse sectors, fostering financial inclusion through schemes like the Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY) and supporting Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) with tailored financing options such as the Mudra Yojana. By strategically aligning its lending and financial products with national priorities, PNB aims to empower citizens, enhance agricultural income and stimulate entrepreneurship, thereby playing a crucial role in India's journey towards becoming a developed nation by 2047.

Recognizing that customer satisfaction is paramount, the bank is focusing on enhancing its services, personalizing offerings and leveraging technology to create seamless and convenient banking experiences.

Recognizing its role as a trustee of public funds, PNB prioritizes transparency, disclosures and robust internal checks and balances to prevent misuse of assets and maintain public trust. It has taken significant steps to strengthen its internal controls and risk management practices. Moving forward, PNB is committed to embedding ethical practices at all levels of its operations to ensure sustainable growth and safeguard the interests of all stakeholders.

In its pursuit of maximizing returns for its stakeholders, PNB focuses on enhancing operational efficiency, improving asset quality and strategically growing its business. The bank actively leverages technology to introduce customer-centric digital products and services, expand its reach and streamline processes. By focusing on prudent financial management, reducing non-performing assets and capitalizing on growth opportunities within the Indian economy, PNB aims to deliver consistent and sustainable value to its stakeholders. The bank's commitment to ethical operations and strong governance further reinforces its ability to generate long-term shareholder value by fostering a stable and trustworthy financial institution.

## कॉरपोरेट अभिशासन पर लेखापरीक्षकों का प्रमाणपत्र

**पंजाब नैशनल बैंक के सदस्यगण**

सेबी (सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम 2015 (सेबी एलओसीआर विनियम) में यथानिर्धारित संबंधित वर्ष के दौरान जैसा लागू है, हमने 31 मार्च,2025 को समाप्त वर्ष के लिए पंजाब नैशनल बैंक द्वारा कॉर्पोरेट अभिशासन के निबंधनों के अनुपालन की जांच की है।

कॉरपोरेट अभिशासन की निबंधनों के अनुपालन का उत्तरदायित्व प्रबंधन का है। हमारी जांच भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी कॉरपोरेट अभिशासन के प्रमाणन पर मार्गदर्शी नोट के अनुसार की गई है और कॉरपोरेट अभिशासन की निबंधनों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु बैंक द्वारा अपनाई गई उनकी कार्यपद्धतियों तथा उनके क्रियान्वयन तक ही सीमित थी। यह बैंक के वित्तीय विवरणियों की न तो लेखापरीक्षा है और न ही उनके बारे अभिमत की अभिव्यक्ति की है।

हमारे अभिमत में तथा हमारी जानकारी के अनुसार और हमे दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार हम प्रमाणित करते हैं कि बैंक ने निम्नलिखित को छोड़कर सभी महत्वपूर्ण पहलुओं में, उपर्युक्त सेबी विनियमों में यथानिर्धारित कॉरपोरेट अभिशासन की निबंधनों का अनुपालन इस सीमा में किया है कि इससे बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 और बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 का खंडन न हो:

- बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(e), 9(3)(f) और 9(3)(g) के अंतर्गत एक–एक निदेशक और धारा 9(3)(h) के अंतर्गत तीन निदेशकों का पद रिक्त था।
- स्वतंत्र निदेशकों की संख्या निदेशक मंडल के एक तिहाई से भी कम है।
- बैंक के बोर्ड में एक स्वतंत्र महिला निदेशक का पद रिक्त है।

**उपयोग पर प्रतिबंध:** यह प्रमाणपत्र केवल बैंक के केवल सदस्यों को कॉरपोरेट अभिशासन से संबंधित सूचीबद्धता विनियमों की अपेक्षाओं को समझने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से संबोधित और प्रदान किया जाता है और इसका उपयोग किसी अन्य व्यक्ति द्वारा या किसी अन्य उद्देश्य के लिए नही किया जाना चाहिए। तदनुसार, हम किसी अन्य उद्देश्य के लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए जिसे यह प्रमाण–पत्र दिखाया जाना है या जिसके हाथों में यह हमारी लिखित पूर्व सहमति के बिना आ सकता है, के लिए हम किसी भी दायित्व या विधिक उत्तरदायित्व को स्वीकार या मान्य नहीं करते हैं। इस प्रमाण–पत्र की तिथि के पश्चात होने वाली किसी भी घटना या परिस्थितियों के लिए इस प्रमाण–पत्र को अपडेट करने का हमारा कोई उत्तरदायित्व नहीं है।

हम यह भी सूचित करते हैं कि इस प्रकार का अनुपालन न तो बैंक की भावी व्यवहार्यता और न ही उस कार्यकुशलता अथवा प्रभावशीलता का आश्वासन है, जिसके साथ प्रबंधन ने बैंक के कार्यों का संचालन किया है।

**कृते उमेद जैन एंड कंपनी**
**सनदी लेखाकार**
**एफआरएन: 119250डब्ल्यू**

**सनदी लेखाकार यू.एम. जैन**
**भागीदार**
**(सदस्य सं. 070863)**
**यूडीआईएन: 25070863BMLFQE8372**

**कृते एन के भार्गव एंड कंपनी**
**सनदी लेखाकार**
**एफआरएन: 000429एन**

**सनदी लेखाकार एन के भार्गव**
**भागीदार**
**(सदस्य सं. 080624)**
**यूडीआईएन: 25080624BMLCPW7377**

**कृते पी एस डी एंड एसोसिएट्स**
**सनदी लेखाकार**
**एफआरएन: 004501सी**

**सनदी लेखाकार अभिनव शर्मा**
**भागीदार**
**(सदस्य सं. 411219)**
**यूडीआईएन: 25411219BMOICD5667**

**कृते प्रेम गुप्ता एंड कं.**
**सनदी लेखाकार**
**एफआरएन: 000425एन**

**सनदी लेखाकार प्रेम बिहारी गुप्ता**
**भागीदार**
**(सदस्य सं. 080245)**
**यूडीआईएन: 25080245BMOYUX3937**

**कृते पी ए एंड एसोसिएट्स**
**सनदी लेखाकार**
**एफआरएन: 313085इ**

**सनदी लेखाकार पीएस पांडा**
**भागीदार**
**(सदस्य सं. 051092)**
**यूडीआईएन: 25051092BNUJPP1277**

**स्थान: नई दिल्ली**
**दिनांक: 07 मई, 2025**

# AUDITORS' CERTIFICATE ON CORPORATE GOVERNANCE

**To The Members of Punjab National Bank**

We have examined the compliance of conditions of Corporate Governance by Punjab National Bank for the year ended on March 31, 2025, as stipulated in SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ('SEBI LODR Regulations'), as applicable during the relevant year.

The compliance of conditions of Corporate Governance is the responsibility of the Management. Our examination was carried out in accordance with the Guidance Note on Certification of Corporate Governance, issued by the Institute of Chartered Accountants of India, and was limited to procedures and implementation thereof, adopted by the Bank for ensuring the compliance of the conditions of Corporate Governance. It is neither an audit nor an expression of opinion on the financial statements of the Bank.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us we certify that the Bank has, in all material aspects, complied with the conditions of Corporate Governance as stipulated in the above mentioned SEBI Regulations to the extent these do not contradict the Banking Regulation Act, 1949 and Banking companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, except for the following:

- The Position of one Director each under Section 9(3)(e), 9(3)(f) and 9(3)(g) and three Directors under Section 9(3)(h) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, were vacant on the Board of the Bank.
- The number of independent directors is less than one-third of the Board of Directors.
- The position of one Independent Woman Director is vacant on the Board of the Bank.

Restriction to Use: This certificate is addressed to and provided to the members of the Bank solely for the purpose of enabling them to understand the requirements of the Listing Regulations related to Corporate Governance, and it should not be used by any other person or for any other purpose. Accordingly, we do not accept or assume any liability or any duty of care for any other purpose or to any other person to whom this Certificate is shown or into whose hands it many come without our prior consent in writing. We have no responsibility to update this Certificate for any events or circumstances occurring after the date of this Certificate.

We state that no investor grievance is pending for a period exceeding one month against the Bank as per the records maintained by the Stakeholders Relationship Committee.

We further state that such compliance is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor the efficiency or effectiveness with which the Management has conducted the affairs of the Bank.

**For Ummed Jain & Co.**
**Chartered Accountants**
**FRN: 119250W**

**CA U.M. Jain**
**Partner**
**(M.No. 070863)**
**UDIN: 25070863BMLFQE8372**

**For N K Bhargava & Co.**
**Chartered Accountants**
**FRN: 000429N**

**CA N K Bhargava**
**Partner**
**(M.No.080624)**
**UDIN: 25080624BMLCPW7377**

**For P S D & Associates**
**Chartered Accountants**
**FRN: 004501C**

**CA Abhinav Sharma**
**Partner**
**(M.No. 411219)**
**UDIN: 25411219BMOICD5667**

**For Prem Gupta & Co.**
**Chartered Accountants**
**FRN: 000425N**

**CA Prem Behari Gupta**
**Partner**
**(M.No.080245)**
**UDIN: 25080245BMOYUX3937**

**For P A & Associates**
**Chartered Accountants**
**FRN: 313085E**

**CA P. S. Panda**
**Partner**
**(M.No. 051092)**
**UDIN: 25051092BNUJPP1277**

Place: New Delhi
Date: 07. 05. 2025

## कॉरपोरेट अभिशासन पर रिपोर्ट

### 1. कॉरपोरेट अभिशासन का सिद्धांत

बैंक निवेशकों और अन्य हितधारकों के विश्वास को बढ़ाने, पारदर्शिता का उच्च मानक निर्धारित करने, कार्यक्षमता में सुधार हेतु नैतिक मूल्यों व संगठन की प्रगति में विश्वास करता है। बैंक पारदर्शिता, व्यावसायिकता व उत्तरदायित्व पर आधारित सर्वोत्तम कॉरपोरेट अभिशासन नियमों का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है।

हमारा कॉरपोरेट ढांचा, कारोबार, परिचालन और प्रकटीकरण कार्यशैली उक्त कॉरपोरेट शासन के सिद्धान्त के पूर्णतया अनुरूप हैं।

बैंक बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 के अंतर्गत एक कॉरपोरेट निकाय है और यह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित होता है। सूचीबद्ध इकाई होते हुए, बैंक सेबी (सूचीबद्धता(लिस्टिंग)बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के प्रावधानों का पालन बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 के प्रावधानों का तथा इस संबंध में भारत सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशा–निर्देशों, निर्देशों आदि का उल्लंघन न किए जाने की सीमा तक करता है।

बैंक का निदेशक मण्डल सभी हितधारकों जैसे शेयरधारकों, कर्मचारियों, ग्राहकों और व्यापक समाज के लिए मूल्यों का वर्धन करने का प्रयास करता है।

### 2. निदेशक मंडल

बैंक के बोर्ड का गठन बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 और राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 के प्रावधानों के अनुसार किया गया है।

**2.1** बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 के अनुसार, उप–धारा (3) के खंड (एच) के अंतर्गत नामित या खंड (आई) के अंतर्गत चुने जाने वाले निदेशकों को एक या एक से अधिक मामलों के संबंध में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव होना चाहिए, अर्थात्: कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, बैंकिंग, सहकारिता, अर्थशास्त्र, वित्त, विधि, लघु उद्योग और (i) सूचना प्रौद्योगिकी (ii) भुगतान और निपटान प्रणाली (iii) मानव संसाधन (iv) जोखिम प्रबंधन और (v) कारोबार प्रबंधन से संबंधित मामलों या क्षेत्रों में विशेष ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव, जो बैंक के लिए उपयोगी हो।

दिनांक 31.03.2025 के अनुसार निदेशक मंडल की संरचना, उनकी नियुक्ति तिथि, श्रेणी, अन्य समितियों की सदस्यता इत्यादि, निदेशकों के कौशल/विशेषज्ञता/क्षमता का निर्धारण करने वाले चार्ट/मैट्रिक्स के साथ निम्नवत दी गई है:

| क्र. सं. | निदेशक का नाम (सुश्री/श्री/श्रीमती) | नियुक्ति तिथि | योग्यता | निदेशक की श्रेणी | अनुभव | कौशल/विशेषज्ञता/क्षमता | बैंक के निदेशक मंडल की समितियों की सदस्यता/अध्यक्षता | एसीबी और कंपनियों में शेयरधारकों/निवेशक शिकायत समितियों की सदस्यता/अध्यक्षता (पीएनबी के अलावा) | 31.03.2025 को निदेशकों द्वारा धारित पीएनबी के शेयरों की संख्या |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | के. जी. अनंतकृष्णन | 07.11.2022 | एम.एम.एम., बी.एससी. | गैर–कार्यपालक अध्यक्ष | फार्मास्यूटिकल्स उद्योग में 42 वर्षों से अधिक का प्रगतिशील नेतृत्व का अनुभव। | विपणन प्रबंधन, बिक्री और विपणन, सूचना प्रौद्योगिकी, कारोबार प्रबंधन | 1. धोखाधड़ी के मामलों की निगरानी और अनुवर्ती कार्रवाई के लिए बोर्ड की विशेष समिति – अध्यक्ष<br>2. प्रदर्शन मूल्यांकन समिति – अध्यक्ष<br>3. बोर्ड की आईटी कार्यनीति समिति – सदस्य<br>4. नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति – सदस्य | 1. सुवेन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (हितधारक संबंध समिति – अध्यक्ष और बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति – सदस्य)<br>2. रुबिकॉन रिसर्च लिमिटेड (हितधारक संबंध समिति – अध्यक्ष)<br>3. गुजरात थेमिस बायोसिन लिमिटेड (बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति – सदस्य) | 2000 |
| 2. | अशोक चंद्र | 16.01.2025 | एमए (अर्थशास्त्र), सीएआईआईबी | एमडी और सीईओ | राष्ट्रीयकृत बैंकों में 33 वर्षों से अधिक का अनुभव | बैंकिंग, अर्थशास्त्र | 1. बोर्ड की प्रबंधन समिति–अध्यक्ष<br>2. बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति–अध्यक्ष<br>3. निदेशकों की पदोन्नति समिति–अध्यक्ष<br>4. सतर्कता और गैर –सतर्कता मामलों की समीक्षा के लिए निदेशकों की समिति – अध्यक्ष | शून्य | शून्य |

# Report on Corporate Governance

## 1. Corporate Governance Philosophy

The Bank believes in enhancing investor and other stakeholders' confidence and setting high standards of transparency, ethical values for improving efficiency and growth of the organization. The Bank is committed to follow best Corporate Governance practices based on transparency, professionalism and accountability.

Our corporate structure, business, operations and disclosure practices have been strictly aligned to the above Corporate Governance Philosophy.

The Bank is a body corporate constituted under the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and is regulated by the Reserve Bank of India. Being a listed entity, the Bank complies with the provisions of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 to the extent it does not violate the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 and the Guidelines, Directives, etc. issued by the Government of India and the Reserve Bank of India in this regard.

The Board of the Bank strives to optimize value for all stakeholders like shareholders, employees, customers and the society at large.

## 2. Board of Directors

The Board of the Bank is constituted in accordance with the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and the Nationalized Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970.

**2.1** As per the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the directors to be nominated under clause (h) or to be elected under clause (i) of sub-section (3) shall have special knowledge or practical experience in respect of one or more of the matters, namely: agriculture and rural economy, banking, co-operation, economics, finance, law, small scale industry and the special knowledge of, and practical experience in matters or areas relating to (i) Information Technology (ii) Payment & Settlement Systems (iii) Human Resources (iv) Risk Management and (v) Business Management, which would be useful to the Bank.

The Composition of the Board of Directors as on 31.03.2025 with date of their appointment, category, membership of other Committees etc. along with the Chart/Matrix setting out the skills/expertise/competence of the Directors is given below:

| Sr. No. | Name of Director Shri/Smt. | Date of Appoint-ment | Qualification | Category of Director | Experience | Skills/ Expertise/ Competence | Membership/ Chairmanship of Committees of Board of the Bank | Membership/ Chairmanship of ACB and Stakeholders' Relationship Committee in Companies (other than PNB) | No. of Shares of PNB held by Directors as on 31.03.2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | K. G. Ananthakrishnan | 07.11.2022 | M. MM, B.Sc. | Non-Executive Chairman | Over 42 years of progressive leadership experience in pharmaceuticals industry. | Marketing Management, Sales and marketing, Information Technology, Business Management | 1. Special Committee of the Board for monitoring and follow up of cases of Frauds – Chairperson<br>2. Performance Evaluation Committee – Chairperson<br>3. IT Strategy Committee of the Board – Member<br>4. Nomination and Remuneration Committee – Member | 1. Suven Pharmaceuticals Limited (Stakeholders Relationship Committee – Chairperson and Audit Committee of the Board – Member)<br>2. Rubicon Research Limited (Stakeholders Relationship Committee – Chairperson)<br>3. Gujarat Themis Biosyn Limited (Audit Committee of the Board – Member) | 2000 |
| 2. | Ashok Chandra | 16.01.2025 | M.A. (Economics), CAIIB | MD&CEO | Over 33 years of experience in Nationalized Banks. | Banking, Economics | 1. Management Committee of the Board – Chairperson<br>2. Customer Service Committee of the Board – Chairperson<br>3. Directors' Promotion Committee – Chairperson<br>4. Committee of Directors to Review Vigilance and Non Vigilance Cases – Chairperson | Nil | Nil |

| क्र. सं. | निदेशक का नाम (सुश्री/श्री/श्रीमती) | नियुक्ति तिथि | योग्यता | निदेशक की श्रेणी | अनुभव | कौशल/विशेषज्ञता/क्षमता | बैंक के निदेशक मंडल की समितियों की सदस्यता/अध्यक्षता | एसीबी और कंपनियों में शेयरधारकों/निवेशक शिकायत समितियों की सदस्यता/अध्यक्षता (पीएनबी के अलावा) | 31.03.2025 को निदेशकों द्वारा धारित पीएनबी के शेयरों की संख्या |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 5. बोर्ड की ऋण स्वीकृति समिति – अध्यक्ष<br>6. शेयरधारक निदेशकों का चुनाव – सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा मतदान – अध्यक्ष<br>7. वसूली में प्रगति की निगरानी के लिए बोर्ड की समिति – अध्यक्ष<br>8. इरादतन चूककर्ताओं की पहचान की समीक्षा के लिए समिति – अध्यक्ष<br>9. मानव संसाधन पर बोर्ड की संचालन समिति – अध्यक्ष<br>10. कारोबार समीक्षा समिति – अध्यक्ष<br>11. पूंजी जुटाव समिति – अध्यक्ष<br>12. धोखाधड़ी के मामलों की निगरानी और अनुवर्ती कार्रवाई के लिए बोर्ड की विशेष समिति – सदस्य<br>13. बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति – सदस्य<br>14. हितधारक संबंध समिति – सदस्य<br>15. बोर्ड की आईटी कार्यनीति समिति – सदस्य | | |
| 3. | कल्याण कुमार | 21.10.2021 | एम.एससी., सीएआईआईबी, ट्रेड फाइनेंस, एसएमई फाइनेंस, आईटी सुरक्षा और केवाईसी–एएमएल में प्रमाणन भारतीय बैंकिंग एवं वित्त संस्थान (IIBF) | कार्यपालक निदेशक | राष्ट्रीयकृत बैंकों में 30 वर्षों से अधिक का अनुभव। | बैंकिंग, मानव संसाधन और डिजिटल परिवर्तन | 1. बोर्ड की प्रबंधन समिति – सदस्य<br>2. बोर्ड की ऋण स्वीकृति समिति – सदस्य<br>3. हितधारक संबंध समिति – सदस्य<br>4. कारोबार समीक्षा समिति – सदस्य<br>5. पूंजी जुटाव समिति – सदस्य | इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति – सदस्य) | शून्य |
| 4. | एम. परमशिवम | 01.12.2022 | बी.एस.सी. (कृषि) | कार्यपालक निदेशक | राष्ट्रीयकृत बैंकों में 35 वर्षों से अधिक का अनुभव | बैंकिंग, कृषि | 1. बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति – सदस्य<br>2. बोर्ड की प्रबंधन समिति – सदस्य<br>3. बोर्ड की आईटी कार्यनीति समिति – सदस्य<br>4. धोखाधड़ी के मामलों की निगरानी और अनुवर्ती कार्रवाई के लिए बोर्ड की विशेष समिति – सदस्य<br>5. सतर्कता और गैर सतर्कता मामलों की समीक्षा के लिए निदेशकों की समिति – सदस्य<br>6. बोर्ड की ऋण स्वीकृति समिति – सदस्य<br>7. शेयरधारक निदेशकों का चुनाव दृ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा मतदान – सदस्य<br>8. वसूली में प्रगति की निगरानी के लिए बोर्ड की समिति – सदस्य | शून्य | 6350 |

| Sr. No. | Name of Director Shri/Smt. | Date of Appoint-ment | Qualification | Category of Director | Experience | Skills/ Expertise/ Competence | Membership/ Chairmanship of Committees of Board of the Bank | Membership/ Chairmanship of ACB and Stakeholders' Relationship Committee in Companies (other than PNB) | No. of Shares of PNB held by Directors as on 31.03.2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 5. Credit Approval Committee of the Board – Chairperson<br>6. Election of Shareholder Directors – Voting by Public Sector Banks – Chairperson<br>7. Committee of the Board to monitor the progress in Recovery – Chairperson<br>8. Committee for Review of Identification of Wilful Defaulters – Chairperson<br>9. Steering Committee of the Board on HR – Chairperson<br>10. Business Review Committee – Chairperson<br>11. Capital Raising Committee – Chairperson<br>12. Special Committee of the Board for monitoring and follow up of cases of Frauds – Member<br>13. Risk Management Committee of the Board – Member<br>14. Stakeholders Relationship Committee – Member<br>15. IT Strategy Committee of the Board – Member | | |
| 3. | Kalyan Kumar | 21.10.2021 | M.Sc., CAIIB, Certifications in Trade Finance, SME Finance, IT Security and KYC-AML from Indian Institute of Banking and Finance (IIBF) | Executive Director | Over 30 years of experience in Nationalized Banks. | Banking, Human Resources and Digital Transformation | 1. Management Committee of the Board – Member<br>2. Credit Approval Committee of the Board – Member<br>3. Stakeholders Relationship Committee – Member<br>4. Business Review Committee – Member<br>5. Capital Raising Committee – Member | India Infrastructure Finance Company Limited (Audit Committee of the Board - Member) | Nil |
| 4. | M. Paramasivam | 01.12.2022 | B.Sc. (Agriculture) | Executive Director | Over 35 years of experience in Nationalized Banks | Banking, Agriculture | 1. Risk Management Committee of the Board – Member<br>2. Management Committee of the Board – Member<br>3. IT Strategy Committee of the Board – Member<br>4. Special Committee of the Board for monitoring and follow up cases of frauds – Member<br>5. Committee of Directors to Review Vigilance and Non Vigilance Cases – Member<br>6. Credit Approval Committee of the Board – Member<br>7. Election of Shareholder Directors – Voting by Public Sector Banks – Member<br>8. Committee of the Board to monitor the progress in Recovery – Member | Nil | 25 |

| क्र. सं. | निदेशक का नाम (सुश्री / श्री / श्रीमती) | नियुक्ति तिथि | योग्यता | निदेशक की श्रेणी | अनुभव | कौशल / विशेषज्ञता / क्षमता | बैंक के निदेशक मंडल की समितियों की सदस्यता / अध्यक्षता | एसीबी और कंपनियों में शेयरधारकों / निवेशक शिकायत समितियों की सदस्यता / अध्यक्षता (पीएनबी के अलावा) | 31.03.2025 को निदेशकों द्वारा धारित पीएनबी के शेयरों की संख्या |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. | बिभु प्रसाद महापात्र | 09.10.2023 | एम.ए. (राजनीति विज्ञान), सी.ए. आई.आई.बी. | कार्यपालक निदेशक | राष्ट्रीयकृत बैंकों में 35 वर्षों से अधिक का अनुभव | बैंकिंग | 1. बोर्ड की प्रबंधन समिति – सदस्य<br>2. बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति – सदस्य<br>3. बोर्ड की ऋण स्वीकृति समिति – सदस्य<br>4. शेयरधारक निदेशकों का चुनाव – सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा मतदान – सदस्य<br>5. वसूली में प्रगति की निगरानी के लिए बोर्ड की समिति – सदस्य<br>6. कारोबार समीक्षा समिति – सदस्य | शून्य | 6350 |
| 6. | डी सुरेन्द्रन | 24.03.2025 | एम.एससी. (कृषि), सीएआईआईबी | कार्यपालक निदेशक | राष्ट्रीयकृत बैंकों में 34 वर्षों से अधिक का अनुभव | बैंकिंग, कृषि | 1. बोर्ड की प्रबंधन समिति – सदस्य<br>2. बोर्ड की ऋण स्वीकृति समिति – सदस्य<br>3. बोर्ड की आईटी कार्यनीति समिति – सदस्य<br>4. बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति – सदस्य<br>5. सतर्कता और गैर सतर्कता मामलों की समीक्षा के लिए निदेशकों की समिति – सदस्य<br>6. मानव संसाधन पर बोर्ड की संचालन समिति – सदस्य<br>7. पूंजी जुटाव समिति – सदस्य | शून्य | शून्य |
| 7. | पंकज शर्मा | 11.04.2022 | एमबीए (वित्त), एम. ए (लोक प्रशासन) बी.टेक | भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक | सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन में 20 से अधिक वर्षों का अनुभव। | अर्थशास्त्र और वित्त | 1. निदेशकों की पदोन्नति समिति – सदस्य<br>2. धोखाधड़ी के मामलों की निगरानी और अनुवर्ती कार्रवाई के लिए बोर्ड की विशेष समिति – सदस्य<br>3. अपीलीय प्राधिकारी और समीक्षा प्राधिकारी – सदस्य<br>4. सतर्कता और गैर सतर्कता मामलों की समीक्षा के लिए निदेशकों की समिति – सदस्य<br>5. मानव संसाधन पर बोर्ड की संचालन समिति – सदस्य<br>6. प्रदर्शन मूल्यांकन समिति – सदस्य | शून्य | शून्य |

| Sr. No. | Name of Director Shri/Smt. | Date of Appoint-ment | Qualification | Category of Director | Experience | Skills/ Expertise/ Competence | Membership/ Chairmanship of Committees of Board of the Bank | Membership/ Chairmanship of ACB and Stakeholders' Relationship Committee in Companies (other than PNB) | No. of Shares of PNB held by Directors as on 31.03.2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. | Bibhu Prasad Mahapatra | 09.10.2023 | M.A. (Political Science), CAIIB | Executive Director | Over 35 years of experience in Nationalized Banks | Banking | 1. Management Committee of the Board – Member<br>2. Customer Service Committee of the Board – Member<br>3. Credit Approval Committee of the Board – Member<br>4. Election of Shareholder Directors – Voting by Public Sector Banks – Member<br>5. Committee of the Board to monitor the progress in Recovery – Member<br>6. Business Review Committee – Member | Nil | 6350 |
| 6. | D Surendran | 24.03.2025 | M.Sc. (Agriculture), CAIIB | Executive Director | Over 34 years of experience in Nationalized Banks | Banking, Agriculture | 1. Management Committee of the Board – Member<br>2. Credit Approval Committee of the Board – Member<br>3. IT Strategy Committee of the Board – Member<br>4. Customer Service Committee of the Board – Member<br>5. Committee of Directors to Review Vigilance and Non Vigilance Cases – Member<br>6. Steering Committee of the Board on HR – Member<br>7. Capital Raising Committee – Member | Nil | Nil |
| 7. | Pankaj Sharma | 11.04.2022 | MBA (Finance), M. A. (Public Admin istra-tion), B.Tech. | Govt. of India Nominee Director | More than 20 years of experience in Public Financial Management. | Economics and Finance | 1. Directors' Promotion Committee – Member<br>2. Special Committee of the Board for monitoring and follow up of cases of frauds – Member<br>3. Appellate Authority and Reviewing Authority – Member<br>4. Committee of Directors to Review Vigilance and Non Vigilance Cases – Member<br>5. Steering Committee of the Board on HR – Member<br>6. Performance Evaluation Committee – Member | Nil | Nil |

| क्र. सं. | निदेशक का नाम (सुश्री/श्री/श्रीमती) | नियुक्ति तिथि | योग्यता | निदेशक की श्रेणी | अनुभव | कौशल/विशेषज्ञता/क्षमता | बैंक के निदेशक मंडल की समितियों की सदस्यता/अध्यक्षता | एसीबी और कंपनियों में शेयरधारकों/निवेशक शिकायत समितियों की सदस्यता/अध्यक्षता (पीएनबी के अलावा) | 31.03.2025 को निदेशकों द्वारा धारित पीएनबी के शेयरों की संख्या |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. | उमा शंकर | 14.07.2023 | बिजनेश इकोनोमिक में स्नातकोत्तर एमएससी, बी. कॉम (ऑनर्स) | आरबीआई नामित निदेशक | केंद्रीय बैंकर के रूप में बैंको के पर्यवेक्षण, मुद्रा प्रबंधन, वित्तीय समावेशन, प्रशिक्षण, शिकायत निवारण आदि में 31 वर्ष से अधिक का अनुभव | केन्द्रीय बैंकर | 1. बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति – सदस्य<br>2. बोर्ड की प्रबंधन समिति – सदस्य<br>3. निदेशकों की पदोन्नति समिति – सदस्य<br>4. सतर्कता और गैर सतर्कता मामलों की समीक्षा के लिए निदेशकों की समिति – सदस्य | शून्य | शून्य |
| 9. | जतिंदर सिंह बजाज | 06-10-2023 | एम.ए. (अर्थशास्त्र) | शेयरधारक निदेशक | बीमा क्षेत्र में 35 वर्षों से अधिक का अनुभव | अर्थशास्त्र, विपणन,सूचना प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन, कार्मिक प्रशासन | 1. अपीलीय प्राधिकारी और समीक्षा प्राधिकारी – अध्यक्ष<br>2. नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति – अध्यक्ष<br>3. बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति – अध्यक्ष<br>4. बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति – सदस्य<br>5. धोखाधड़ी के मामलों की निगरानी और अनुवर्ती कार्रवाई के लिए बोर्ड की विशेष समिति – सदस्य<br>6. इरादतन चूककर्ताओं की पहचान की समीक्षा के लिए समिति – सदस्य<br>7. प्रदर्शन मूल्यांकन समिति – सदस्य<br>8. कारोबार समीक्षा समिति – सदस्य<br>9. पूंजी जुटाव समिति – सदस्य<br>10. शेयरधारक निदेशकों का चुनाव – सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा मतदान – सदस्य | शून्य | 100 |

| Sr. No. | Name of Director Shri/Smt. | Date of Appoint-ment | Qualification | Category of Director | Experience | Skills/ Expertise/ Competence | Membership/ Chairmanship of Committees of Board of the Bank | Membership/ Chairmanship of ACB and Stakeholders' Relationship Committee in Companies (other than PNB) | No. of Shares of PNB held by Directors as on 31.03.2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. | Uma Sankar | 14.07.2023 | Master in Business Economics, M.Sc., B.com. (Hons.) | RBI Nominee Director | More than 31 years of experience as a Central Banker covering supervision of Banks, currency management, financial inclusion, training, complaints redressal, etc. | Central Banker | 1. Audit Committee of the Board – Member<br>2. Management Committee of the Board – Member<br>3. Directors' Promotion Committee – Member<br>4. Committee of Directors to Review Vigilance and Non Vigilance Cases – Member | Nil | Nil |
| 9. | Jatinder Singh Bajaj | 06.10.2023 | M.A. (Economics) | Shareholder Director | More than 35 years of experience in Insurance sector | Economics, Marketing, Information Technology, Human Resources, Personnel Administration | 1. Appellate Authority and Reviewing Authority – Chairperson<br>2. Nomination & Remuneration Committee – Chairperson<br>3. Risk Management Committee of the Board – Chairperson<br>4. Audit Committee of the Board – Member<br>5. Special Committee of the Board for monitoring and follow up of cases of frauds – Member<br>6. Committee for Review of Identification of Wilful Defaulters – Member<br>7. Performance Evaluation Committee – Member<br>8. Business Review Committee – Member<br>9. Capital Raising Committee – Member<br>10. Election of Shareholder Directors – Voting by Public Sector Banks – Member | Nil | 100 |

| क्र. सं. | निदेशक का नाम (सुश्री/श्री/श्रीमती) | नियुक्ति तिथि | योग्यता | निदेशक की श्रेणी | अनुभव | कौशल/विशेषज्ञता/क्षमता | बैंक के निदेशक मंडल की समितियों की सदस्यता/अध्यक्षता | एसीबी और कंपनियों में शेयरधारकों/निवेशक शिकायत समितियों की सदस्यता/अध्यक्षता (पीएनबी के अलावा) | 31.03.2025 को निदेशकों द्वारा धारित पीएनबी के शेयरों की संख्या |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. | अम्बरीष ओझा | 12.09.2024 | बी.टेक. | शेयर धारक निदेशक | विभिन्न बहुराष्ट्रीय कम्पनियों में 35 वर्षों से अधिक का अनुभव | सूचना प्रौद्योगिकी, जोखिम प्रबंधन, भुगतान एवं निपटान प्रणाली और व्यवसाय प्रबंधन | 1. बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति – अध्यक्ष<br>2. आईटी कार्यनीति समिति – अध्यक्ष<br>3. हितधारक संबंध समिति–अध्यक्ष<br>4. बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति सदस्य<br>5. बोर्ड ग्राहक सेवा समिति सदस्य<br>6. अपीलीय प्राधिकारी और समीक्षा प्राधिकारी – सदस्य<br>7. वसूली में प्रगति की निगरानी के लिए बोर्ड की समिति – सदस्य<br>8. नामांकन और पारिश्रमिक समिति – सदस्य<br>9. इरादतन चूककर्ताओं और असहयोगी उधारकर्ताओं की पहचान की समीक्षा के लिए समिति– सदस्य<br>10. मानव संसाधन पर बोर्ड की संचालन समिति–सदस्य | शून्य | 100 |

*नोटः उन समितियों के नाम, जिनमें निदेशक सदस्य हैं, का उल्लेख किया गया है और जहां कहीं लागू हो, अध्यक्षता का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है।*

## 2.2 वर्ष के दौरान निम्नलिखित सदस्य निदेशकों का कार्यकाल समाप्त हुआः

| क्रमांक | निदेशक का नाम (एस/श्री) | निदेशक की श्रेणी | समापन तिथि | कारण |
|---|---|---|---|---|
| 1. | डॉ. रेखा जैन | शेयरधारक निदेशक | 11-09-2024 | अवधि समाप्त |
| 2. | पंकज जोशी | अंशकालिक गैर–सरकारी निदेशक | 20-12-2024 | अवधि समाप्त |
| 3. | संजीव कुमार सिंघल | अंशकालिक गैर–सरकारी निदेशक | 20-12-2024 | अवधि समाप्त |
| 4. | अतुल कुमार गोयल | एमडी एवं सीईओ | 31-12-2024 | अधिवर्षिता |
| 5. | बिनोद कुमार | कार्यपालक निदेशक | 16-01-2025 | इंडियन बैंक के एमडी एवं सीईओ नियुक्त |

## 2.3 अन्य सूचीबद्ध संस्थाओं के बोर्ड/समितियों में निदेशकों की सदस्यता/अध्यक्षता का विवरणः

| क्र.सं. | निदेशक का नाम (श्री/श्रीमती) | अन्य सूचीबद्ध संस्था का नाम जिसमें निदेशक बोर्ड का सदस्य है | अन्य सूचीबद्ध संस्थान के बोर्ड/समिति का नाम जहां निदेशक अध्यक्ष/सदस्य हैं | | अन्य सूचीबद्ध संस्थाओं में निदेशक पद की श्रेणी |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | के.जी.अनंतकृष्णन | सुवेन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड | बोर्ड<br>एसआरसी<br>एसीबी<br>एनआरसी<br>सीएसआर | सदस्य<br>अध्यक्ष<br>सदस्य<br>सदस्य<br>सदस्य | स्वतंत्र निदेशक |
| | | गुजरात थेमिस बायोसिन लिमिटेड | बोर्ड<br>एसीबी | सदस्य<br>सदस्य | स्वतंत्र निदेशक |
| 2. | अशोक चंद्र | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| 3. | कल्याण कुमार | पीएनबी गिल्ट्स लिमिटेड | बोर्ड | अध्यक्ष | गैर– कार्यपालक |
| 4. | एम. परमशिवम | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| 5. | बिभु प्रसाद महापात्र | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| 6. | डी सुरेन्द्रन | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| 7. | पंकज शर्मा | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| 8. | उमा शंकर | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| 9. | जतिंदर सिंह बजाज | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| 10. | अम्बरीष ओझा | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |

| Sr. No. | Name of Director Shri/Smt. | Date of Appoint-ment | Qualification | Category of Director | Experience | Skills/ Expertise/ Competence | Membership/ Chairmanship of Committees of Board of the Bank | Membership/ Chairmanship of ACB and Stakeholders' Relationship Committee in Companies (other than PNB) | No. of Shares of PNB held by Directors as on 31.03.2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. | Ambarish Ojha | 12.09.2024 | B. Tech. | Shareholder Director | More than 35 years of experience in various Multinationals | Information Technology, Risk Management, Payment & Settlement Systems and Business Management | 1. Audit Committee of the Board – Chairperson<br>2. IT Strategy Committee of the Board – Chairperson<br>3. Stakeholders Relationship Committee – Chairperson<br>4. Risk Management Committee of the Board – Member<br>5. Customer Service Committee of the Board – Member<br>6. Appellate Authority and Reviewing Authority – Member<br>7. Committee of the Board to monitor the progress in Recovery – Member<br>8. Nomination & Remuneration Committee – Member<br>9. Committee for Review of Identification of Wilful Defaulters – Member<br>10. Steering Committee of he Board on HR – Member | Nil | 100 |

**Note:** *The name of the Committees in which the Director is a member has been mentioned and the Chairmanship has been specifically indicated wherever applicable.*

### 2.2 The following members ceased to be the Directors during the year:

| Sr. No. | Name of Director (Shri) | Category of Director | Date of Cessation | Reason |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Dr. Rekha Jain | Shareholder Director | 11.09.2024 | Completion of Tenure |
| 2. | Pankaj Joshi | Part- Time Non-Official Director | 20.12.2024 | Completion of Tenure |
| 3. | Sanjeev Kumar Singhal | Part- Time Non-Official Director | 20.12.2024 | Completion of Tenure |
| 4. | Atul Kumar Goel | MD & CEO | 31.12.2024 | Superannuation |
| 5. | Binod Kumar | Executive Director | 16.01.2025 | Appointed as MD & CEO of Indian Bank |

### 2.3 Details of Membership/Chairmanship of Directors in the Board/Committees of other listed entities:

| Sr. No. | Name of Director (Shri/Smt.) | Name of other Listed Entity in which the Director is a member of the Board | Name of the Board/Committee in other listed entity where the Director is Chairperson/ Member | | Category of Directorship in other listed entities |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | K. G. Ananthakrishnan | Suven Pharmaceuticals Limited | Board<br>SRC<br>ACB<br>NRC<br>CSR | Member<br>Chairperson<br>Member<br>Member<br>Member | Independent Director |
| | | Gujarat Themis Biosyn Limited | Board<br>ACB | Member<br>Member | Independent Director |
| 2. | Ashok Chandra | Nil | Nil | Nil | Nil |
| 3. | Kalyan Kumar | PNB Gilts Ltd. | Board | Chairperson | Non-Executive |
| 4. | M. Paramasivam | Nil | Nil | Nil | Nil |
| 5. | Bibhu Prasad Mahapatra | Nil | Nil | Nil | Nil |
| 6. | D Surendran | Nil | Nil | Nil | Nil |
| 7. | Pankaj Sharma | Nil | Nil | Nil | Nil |
| 8. | Uma Sankar | Nil | Nil | Nil | Nil |
| 9. | Jatinder Singh Bajaj | Nil | Nil | Nil | Nil |
| 10. | Ambarish Ojha | Nil | Nil | Nil | Nil |

## 2.4 वर्ष के दौरान आयोजित बोर्ड की बैठकों का विवरण:

| क्र. सं. | बैठक की तिथि | निदेशक मंडल में निदेशकों की कुल संख्या | बैठक में उपस्थित निदेशकों की संख्या |
|---|---|---|---|
| 1. | 06 & 07.04.2024 | 12 | 12 |
| 2. | 26.04.2024 | 12 | 12 |
| 3. | 09.05.2024 | 12 | 10 |
| 4. | 29.05.2024 | 12 | 11 |
| 5. | 04.06.2024 | 12 | 11 |
| 6. | 27.06.2024 | 12 | 11 |
| 7. | 27.07.2024 | 12 | 12 |
| 8. | 30.07.2024 | 12 | 11 |
| 9. | 31.08.2024 | 12 | 12 |
| 10. | 26.09.2024 | 12 | 11 |
| 11. | 27.09.2024 | 12 | 10 |
| 12. | 28.10.2024 | 12 | 11 |
| 13. | 06.11.2024 | 12 | 10 |
| 14. | 26.11.2024 | 12 | 11 |
| 15. | 27.11.2024 | 12 | 11 |
| 16. | 26.12.2024 | 10 | 9 |
| 17. | 27.12.2024 | 10 | 9 |
| 18. | 28.01.2025 | 9 | 8 |
| 19. | 31.01.2025 | 9 | 9 |
| 20. | 28.02.2025 | 9 | 7 |
| 21. | 24.03.2025 | 9 | 7 |

## 2.5 वित्तीय वर्ष के दौरान बोर्ड की बैठकों और गत वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में निदेशकों की उपस्थिति की संख्या इस प्रकार है:

| क्र. सं. | निदेशकों का नाम (श्री / श्रीमती) | उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बोर्ड की बैठकें | बोर्ड की बैठकों में उपस्थिति | पिछली वार्षिक आम बैठक में उपस्थिति |
|---|---|---|---|---|
| 1. | के.जी. अनंतकृष्णन | 21 | 21 | हाँ |
| 2. | अतुल कुमार गोयल | 17 | 17 | हाँ |
| 3. | अशोक चंद्र | 4 | 4 | लागू नहीं |
| 4. | कल्याण कुमार | 21 | 18 | हाँ |
| 5. | बिनोद कुमार | 17 | 17 | हाँ |
| 6. | एम. परमशिवम | 21 | 20 | हाँ |
| 7. | बिभु प्रसाद महापात्र | 21 | 20 | हाँ |
| 8. | डी सुरेन्द्रन | शून्य* | लागू नहीं | लागू नहीं |
| 9. | पंकज शर्मा | 21 | 16 | नहीं |
| 10. | उमा शंकर | 21 | 20 | नहीं |
| 11. | पंकज जोशी | 15 | 15 | हाँ |
| 12. | संजीव कुमार सिंघल | 15 | 15 | हाँ |
| 13. | डॉ रेखा जैन | 9 | 9 | हाँ |
| 14. | जतिंदर सिंह बजाज | 21 | 11 | हाँ |
| 15. | अम्बरीष ओझा | 12 | 12 | लागू नहीं |

*नोटः 1. लागू नहीं यह दर्शाता है कि उक्त अवधि के दौरान निदेशक नहीं थे।*

*2.* दिनांक 24.03.2025 को प्रातः 10:30 बजे बोर्ड की बैठक बुलाई गई। चूँकि श्री डी. सुरेन्द्रन ने 24.03.2025 दोपहर से बैंक के बोर्ड में कार्यपालक निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है, इसलिए, उनके कार्यकाल के दौरान वित्त वर्ष 2024–25 में आयोजित बैठकों की संख्या को 'शून्य' माना गया है।*

## 2.4 Details of Board Meetings held during the year:

| Sr. No. | Date of the Meeting | Total Number of Directors on the Board | Number of Directors present in the Meeting |
|---|---|---|---|
| 1. | 06 & 07.04.2024 | 12 | 12 |
| 2. | 26.04.2024 | 12 | 12 |
| 3. | 09.05.2024 | 12 | 10 |
| 4. | 29.05.2024 | 12 | 11 |
| 5. | 04.06.2024 | 12 | 11 |
| 6. | 27.06.2024 | 12 | 11 |
| 7. | 27.07.2024 | 12 | 12 |
| 8. | 30.07.2024 | 12 | 11 |
| 9. | 31.08.2024 | 12 | 12 |
| 10. | 26.09.2024 | 12 | 11 |
| 11. | 27.09.2024 | 12 | 10 |
| 12. | 28.10.2024 | 12 | 11 |
| 13. | 06.11.2024 | 12 | 10 |
| 14. | 26.11.2024 | 12 | 11 |
| 15. | 27.11.2024 | 12 | 11 |
| 16. | 26.12.2024 | 10 | 9 |
| 17. | 27.12.2024 | 10 | 9 |
| 18. | 28.01.2025 | 9 | 8 |
| 19. | 31.01.2025 | 9 | 9 |
| 20. | 28.02.2025 | 9 | 7 |
| 21. | 24.03.2025 | 9 | 7 |

## 2.5 The details of number of Board Meetings & the last Annual General Meeting (AGM) attended by Directors during the Financial Year are as under:

| Sr. No. | Name of Directors (Shri/Smt.) | Board Meetings held during their tenure | Board Meetings attended | Attendance in last AGM |
|---|---|---|---|---|
| 1. | K. G. Ananthakrishnan | 21 | 21 | Yes |
| 2. | Atul Kumar Goel | 17 | 17 | Yes |
| 3. | Ashok Chandra | 4 | 4 | N.A. |
| 4. | Kalyan Kumar | 21 | 18 | Yes |
| 5. | Binod Kumar | 17 | 17 | Yes |
| 6. | M. Paramasivam | 21 | 20 | Yes |
| 7. | Bibhu Prasad Mahapatra | 21 | 20 | Yes |
| 8. | D. Surendran | Nil* | N.A. | N.A. |
| 9. | Pankaj Sharma | 21 | 16 | No |
| 10. | Uma Sankar | 21 | 20 | No |
| 11. | Pankaj Joshi | 15 | 15 | Yes |
| 12. | Sanjeev Kumar Singhal | 15 | 15 | Yes |
| 13. | Dr. Rekha Jain | 9 | 9 | Yes |
| 14. | Jatinder Singh Bajaj | 21 | 11 | Yes |
| 15. | Ambarish Ojha | 12 | 12 | N.A. |

*Note: 1. N.A. indicates Not a Director during the relevant period.*

*2. *A Board meeting was convened on 24.03.2025 at 10:30 AM. However, since Shri D Surendran assumed charge as Executive Director on the Board of the Bank w.e.f. 24.03.2025 afternoon, therefore, the number of meetings held in FY 2024-25 during his tenure have been considered as 'Nil'.*

**2.6 वित्तीय वर्ष के दौरान नियुक्त/नामित किये गए निदेशकों का संक्षिप्त प्रोफ़ाइल निम्नानुसार है:**

**i. श्री अशोक चंद्र, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी:**

श्री अशोक चंद्र ने दिनांक 16 जनवरी, 2025 को पंजाब नैशनल बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में पदभार ग्रहण किया। बैंकिंग उद्योग में आपके पास 33 वर्षों से अधिक का व्यापक और विविध अनुभव है। श्री चंद्र दिनांक 21 नवंबर 2022 से 15 जनवरी 2025 तक केनरा बैंक के कार्यपालक निदेशक थे।

केनरा बैंक में कार्यपालक निदेशक के रूप में आपने डिजिटल बैंकिंग और सूचना प्रौद्योगिकी, रणनीति और योजना, विपणन और जनसंपर्क, वित्तीय समावेशन, एमएसएमई, खुदरा संपत्ति, कृषि और प्राथमिकता क्षेत्र, स्वर्ण ऋण, देयता प्रबंधन, सामान्य प्रशासन आदि सहित केनरा बैंक में विभिन्न कार्यक्षेत्रों की देखरेख की है।

आप केनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, पीएसबी अलायंस लिमिटेड और केनरा वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड के बोर्ड में निदेशक भी थे।

इससे पहले, आपने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में मुख्य महाप्रबंधक के रूप में कार्य किया। सीजीएम के रूप में, आप बैंक के रिकवरी, कानूनी और दबावग्रस्त आस्ति प्रबंधन वर्टिकल के प्रभारी थे। बैंक की दबावग्रस्त परिसंपत्तियों को काफी हद तक कम करने के लिए योजनाबद्ध उपाय लागू करने में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। आप आईबीए द्वारा गठित दबावग्रस्त आस्तियों पर स्थायी समिति के सदस्य भी थे।

आपने यूनियन ट्रस्टी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के बोर्ड में निदेशक और नैशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (एनएआरसीएल) में निदेशक के रूप में भी कार्य किया।

श्री चंद्र ने अपना बैंकिंग करियर 10 सितंबर, 1991 को एक प्रोबेशनरी ऑफिसर के रूप में तत्कालीन कॉर्पोरेशन बैंक से शुरू किया था और विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में शाखा प्रमुख के रूप में काम किया और देश भर में बैंक के अंचल/क्षेत्रों के प्रमुख के रूप में कई ज़िम्मेदारियाँ संभालीं। आपने दुबई, यूएई में बैंक के प्रतिनिधि कार्यालय का नेतृत्व करते हुए विदेशी परिचालन में भी काम किया। अपने करियर में, आपने स्टार परफ़ॉर्मर, सर्वश्रेष्ठ शाखा पुरस्कार, स्वस्थ शाखा पुरस्कार, नेतृत्व पुरस्कार, चैंपियन ऑफ़ चैंपियंस पुरस्कार आदि जैसे सम्मान और प्रशंसाएँ अर्जित की हैं।

श्री चंद्र के पास अर्थशास्त्र में मास्टर डिग्री है और आप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स के प्रमाणित एसोसिएट भी हैं। आपको 2019–2020 के दौरान बैंक बोर्ड ब्यूरो द्वारा डिजाइन किए गए और आईआईएम बेंगलुरु द्वारा संचालित लीडरशिप कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए चुना गया था।

**ii- श्री डी सुरेन्द्रन, कार्यपालक निदेशक:**

श्री डी. सुरेंद्रन अन्नामलाई विश्वविद्यालय से कृषि में स्नातकोत्तर हैं और भारतीय बैंकर्स संस्थान के प्रमाणित एसोसिएट भी हैं। आपने भारतीय प्रबंधन संस्थान, बेंगलुरु में बैंक बोर्ड ब्यूरो द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम भी किया है।

**2.6 Brief Profile of Directors appointed/nominated during the Financial Year is given below:**

**i. Shri Ashok Chandra, MD & CEO:**

Shri Ashok Chandra assumed charge as Managing Director & Chief Executive Officer of Punjab National Bank on 16th January, 2025. He has a vast and varied experience in the Banking industry, spanning more than 33 years. Shri Chandra was Executive Director of Canara Bank from 21st November, 2022 to 15th January, 2025.

In his capacity as Executive Director in Canara Bank, he has overseen various Verticals including Digital Banking and Information Technology, Strategy and Planning, Marketing and Public Relations, Financial Inclusion, MSME, Retail Asset, Agriculture and Priority Sector, Gold Loan, Liability Management, General Administration, etc.

He was also a Director on the Board of Canara HSBC Life Insurance Company Limited, PSB Alliance Ltd. and Canara Venture Capital Fund Ltd.

Before this, he served as Chief General Manager in Union Bank of India. As CGM, he was incharge of Recovery, Legal and Stressed Asset Management Vertical of the Bank. He was instrumental in putting in place planned measures to drastically reduce the Stressed Assets of the Bank. He was also a member of "Standing Committee on Stressed Assets" formed by IBA.

He also served as Director on the Board of The Union Trustee Company Private Limited and as a Director in The National Asset Reconstruction Company Limited (NARCL).

Shri Chandra started his banking career with erstwhile Corporation Bank on 10th September, 1991 as a Probationary Officer and worked as Branch Head in various Geographies and handled multiple responsibilities as heading Zones / Regions of the Bank across the country. He also had a stint in Overseas Operations when he was heading the Representative Office of the Bank at Dubai, UAE. In his career, he has achieved laurels and accolades such as Star Performer, Best Branch Award, Healthy Branch Award, Leadership Award, Champion of champions Award, etc.

Shri Chandra holds a Master's Degree in Economics and is also a Certified Associate of Indian Institute of Bankers. He was chosen to be a part of the leadership programme designed by the Banks Board Bureau and conducted by IIM Bengaluru during 2019-2020.

**ii. Shri D Surendran, Executive Director:**

Shri D. Surendran is a Postgraduate in Agriculture from Annamalai University and also a Certified Associate of the Indian Institute of Bankers. He has also undergone Leadership Development Programme for Senior Executives by Banks Board Bureau at Indian Institute of Management, Bengaluru.

आपने वर्ष 1990 में केनरा बैंक में कृषि विस्तार अधिकारी (AEO) के रूप में अपना करियर शुरू किया और पिछले 34 वर्षों से कर्नाटक, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, नई दिल्ली और आंध्र प्रदेश राज्यों में विभिन्न पदों पर बैंक की सेवा की है। आपने बहुत बड़ी शाखाओं और असाधारण रूप से बड़ी शाखाओं का नेतृत्व किया है। आपने कर्नाटक ग्रामीण बैंक में महाप्रबंधक के रूप में काम किया है और केनरा बैंक मंडल कार्यालय, मदुरै का नेतृत्व किया है। मुख्य महाप्रबंधक के रूप में, आपने प्रधान कार्यालय में मानव संसाधन विंग का नेतृत्व किया।

आपके अनुभव में शाखा बैंकिंग, प्राथमिकता ऋण, एमएसएमई, खुदरा ऋण, वसूली और मानव संसाधन शामिल हैं। एचआर विंग के प्रमुख के रूप में आपके कार्यकाल के दौरान, प्रोजेक्ट आरोहण–एचआर परिवर्तन शुरू किया गया था। आपने केनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के बोर्ड में भी नामित किया गया था।

**iii- श्री अम्बरीष ओझा, शेयरधारक निदेशकः**

श्री अम्बरीष ओझा का दिनांक 12.09.2024 को बैंक के बोर्ड में शेयरधारक निदेशक के रूप में चयन किया गया है।

श्री ओझा, उम्र 60 वर्ष, रुड़की विश्वविद्यालय (अब आईआईटी, रुड़की) से इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार में इंजीनियरिंग में स्नातक हैं और आपको सूचना प्रौद्योगिकी, जोखिम प्रबंधन, भुगतान और निपटान प्रणाली और व्यवसाय प्रबंधन में विशेष ज्ञान/अनुभव है।

आपके पास 35 वर्षों का अनुभव है और आपने विभिन्न बहुराष्ट्रीय कम्पनियों में वरिष्ठ कार्यकारी पदों पर कार्य किया है। वर्तमान में, आप actyv.ai, ACTYV.AI प्लेटफ़ॉर्म इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जिसे पहले ऑटोलिटिक्स टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था, में मुख्य राजस्व अधिकारी और सह–संस्थापक हैं। यह इकाई ऐसे उत्पाद उपलब्ध कराती है जो प्रोसेस इंटेलिजेंस, जनरेटिव एआई और विज़न एआई सहित विभिन्न एआई प्रौद्योगिकियों द्वारा संचालित होते हैं, ताकि उद्यमों में एआई समाधानों को अपनाने में तेजी लाई जा सके।

आप मेसर्स यूआईपाथ रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और यूआईपाथ बिजनेस सॉल्यूशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (जुलाई 2019 से फरवरी, 2021 तक) और एसएपी लैब्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (नवंबर, 2014 से दिसंबर, 2016 तक) के बोर्ड में भी रहे हैं।

आपने वर्ष 2000 से 2018 तक एसएपी इंडिया में विभिन्न पदों पर काम किया है, जिसमें ग्राहक अनुभव प्रमुख, एसएपी ग्लोबल सर्विसेज एंड सपोर्ट इंडिया प्रमुख आदि शामिल हैं। आपने जुलाई, 2021 से जुलाई, 2022 तक एक स्वतंत्र सलाहकार के रूप में भी काम किया। इस अवधि के दौरान, आपने डिजिटल ऑटोमेशन ट्रांसफॉर्मेशन स्ट्रैटेजी पर परामर्श प्रदान किया।

आपको आईटी अवसंरचना, नेटवर्किंग और सुरक्षा, उद्यम संसाधन योजना, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, अभी खरीदें बाद में भुगतान करें आपूर्ति श्रृंखला वित्तपोषण और ऋण प्रबंधन तथा क्रेडिट स्कोरिंग सहित केवाईसी आधुनिक उपकरणों का अनुभव है।

**3. बोर्ड की समितियाँ**

बैंक के निदेशक मंडल ने भारतीय रिजर्व बैंक/भारत सरकार/सेबी के दिशानिर्देशों के अनुसार रणनीतिक महत्व के विभिन्न क्षेत्रों को देखने के

He started his career in Canara Bank as an Agriculture Extension Officer (AEO) in the year 1990 and has served the Bank for last 34 years in various capacities in the States of Karnataka, Tamil Nadu, West Bengal, New Delhi and Andhra Pradesh. He has headed Very Large Branches and Exceptionally Large Branches. He has worked as General Manager in Karnataka Gramin Bank and has headed Canara Bank Circle Office, Madurai. As Chief General Manager, he headed the Human Resources Wing at Head Office.

His experience includes Branch Banking, Priority Credit, MSME, Retail Credit, Recovery and Human Resources. During his tenure as Head of HR Wing, Project Aarohan-HR Transformation was rolled out. He was also nominated on the Board of Canara HSBC Life Insurance Company Ltd.

**iii. Shri Ambarish Ojha, Shareholder Director:**

Shri Ambarish Ojha has been deemed elected as Shareholder Director on the Board of the Bank with effect from 12.09.2024.

Shri Ojha, aged 60 years, is a Bachelor of Engineering in Electronics and Communication from University of Roorkee (now IIT, Roorkee) and has special knowledge/experience in Information Technology, Risk Management, Payment & Settlement Systems and Business Management.

He has 35 years of experience and has worked in various Multinationals at Senior Executive positions. At present, he is Chief Revenue Officer and Co-Founder at actyv.ai [ACTYV.AI Platforms India Private Limited, formerly known as Autolytics Technology Private Limited]. The entity provides products that are powered by a range of AI technologies, including Process Intelligence, Generative AI, and Vision AI to accelerate the adoption of AI solutions in Enterprises.

He has also been on the Board of M/s UiPath Robotic Process Automation India Private Limited and UiPath Business Solutions India Private Limited (from July 2019 to February, 2021) and SAP Labs India Private Limited (from November, 2014 to December, 2016).

He has worked in various capacities in SAP India from the year 2000 to 2018, including as Head of Customer Experience, Head of SAP Global Services & Support India, etc. He also worked as an independent consultant from July, 2021 to July, 2022. During this period, he provided consultancy on Digital Automation Transformation Strategy.

He has experience in IT infrastructure, Networking and Security, Enterprise Resource Planning, Supply Chain Management, Buy-now Pay-later Supply Chain Financing and Loan Management and KYC Modern tools including credit scoring.

**3. Committees of the Board**

The Board of Directors of the Bank has constituted various Committees of Directors and / or Executives to look into different

लिए निदेशकों और/या कार्यपालक अधिकारियों की विभिन्न समितियों का गठन किया है।

### 3.1 बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति (एसीबी)

**संक्षिप्त विवरण और विचारार्थ विषय:**

बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति का गठन आरबीआई अधिसूचना संख्या आरबीआई/2021–22/24 डीओआर.जीओवी.आरईसी. 8/29.67.001/2021–22 दिनांक 26.04.2021, डीएफएस, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के संचार एफ.सं. 16/11/2015–बीओ.आई दिनांक 17.06.2016 और सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 18 के अनुसार किया गया है।

**समिति के मुख्य कार्य निम्नानुसार हैं:**

- बैंक के समग्र निरीक्षण और लेखा परीक्षा कार्य की देखरेख करना, वित्तीय विवरण और उस पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट, सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षकों (एससीए) की रिपोर्ट, लेखांकन नीतियों की समीक्षा करना, व्हिसल ब्लोअर तंत्र के कामकाज की समीक्षा करना, बैंक के अनुपालन कार्य, आरबीआई की निरीक्षण रिपोर्ट में उठाए गए मुद्दों/चिंताओं के अनुपालन की देखरेख करना।

- आरबीआई के पत्र संख्या डीबीएस.एआरएस.बीसी. सं.4/08.91.020/2010–11 दिनांक 10.11.2010 के अनुसार एसीबी की समीक्षा का कैलेंडर।

- डीएफएस पत्र एफ.सं.7/22/2013–बीओए दिनांक 05.03.2015 के अनुसार, एसीबी बोर्ड की प्रबंधन समिति (एमसीबी) द्वारा स्वीकृत एकमुश्त निपटान, गैर–निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) आदि की समीक्षा करेगा।

- आरबीआई अधिसूचना संदर्भ संख्या डीओएस.सीओ.पीपीजी./एसईसी.04/11.01.005/2020–21 दिनांक 07.01.2021 के अनुसार, एसीबी एमडी और सीईओ/डब्ल्यूटीडी सहित वरिष्ठ प्रबंधन की उपस्थिति के बिना, तिमाही में कम से कम एक बार आंतरिक लेखा परीक्षा प्रमुख (एचआईए) से मुलाकात करेगा।

- आरबीआई अधिसूचना संदर्भ संख्या डीओएस.सीओ.पीपीजी./एसईसी. 02/11.01.005/2020–21 दिनांक 11.09.2020 के अनुसार, एसीबी एमडी और सीईओ सहित वरिष्ठ प्रबंधन की उपस्थिति के बिना, मुख्य अनुपालन अधिकारी (सीसीओ) से तिमाही आधार पर एक–से–एक बैठक करेगा।

- सेबी एलओडीआर के विनियमन 18(3) के अनुसार, लेखा परीक्षा समिति की भूमिका और लेखा परीक्षा समिति द्वारा समीक्षा की जाने वाली जानकारी अनुसूची II के भाग सी में निर्दिष्ट अनुसार होगी।

बैंक के कंपनी सचिव सेबी (एलओड़ीआर) विनियमावली, 2015 के विनिमय 18(1) (ई) की शर्त के अनुसार समिति के सचिव के रूप में कार्य करते है।

areas of strategic importance in terms of Reserve Bank of India/ Government of India/SEBI Guidelines.

### 3.1 Audit Committee of the Board (ACB)

**Brief description and terms of reference:**

The Audit Committee of the Board has been constituted in terms of RBI Notification No. RBI/2021-22/24 DOR.GOV.REC.8/29.67.001/2021-22 dated 26.04.2021, DFS, MoF, GoI communication F.No. 16/11/2015-BO.I dated 17.06.2016 and Regulation 18 of SEBI (LODR) Regulations, 2015.

**The main functions of the Committee are as under:**

- To oversee the overall inspection and audit function of the Bank, review financial statements and auditor's report thereon, report of Statutory Central Auditors (SCAs), accounting policies, review the functioning of the whistle blower mechanism, compliance function of the Bank, oversee compliance of issues/ concerns raised in inspection report of RBI.

- Calendar of Reviews of the ACB in terms of RBI letter no. DBS.ARS.BC.No.4/08.91.020/2010-11 dated 10.11.2010.

- In terms of DFS Letter F.No.7/22/2013-BOA dated 05.03.2015, ACB shall review One Time Settlement, Non-Performing Assets (NPAs), etc. sanctioned by Management Committee of the Board (MCB).

- In terms of RBI Notification Ref. No. DoS.CO.PPG./SEC.04/11.01.005/2020-21 dated 07.01.2021, the ACB shall meet the Head of Internal Audit (HIA) at least once in a quarter, without the presence of the senior management, including the MD & CEO/ WTDs.

- In terms of RBI Notification Ref. No. DoS.CO.PPG./SEC.02/11.01.005/2020-21 dated 11.09.2020, the ACB shall meet the Chief Compliance Officer (CCO) quarterly on one-to-one basis, without the presence of the senior management, including MD & CEO.
- In terms of Regulation 18(3) of SEBI LODR, the role of the audit committee and the information to be reviewed by the audit committee shall be as specified in Part C of Schedule II.

The Company Secretary of the Bank acts as the Secretary to the Committee in terms of Regulation 18(1)(e) of SEBI (LODR) Regulations, 2015.

**31.03.2025 की स्थिति के अनुसार समिति की संरचना:**

| क्र.सं. | निदेशक का नाम (श्री / श्रीमती) | |
|---|---|---|
| 1. | अम्बरीष ओझा | शेयरधारक निदेशक, अध्यक्ष |
| 2. | उमा शंकर | आरबीआई के नामित निदेशक, सदस्य |
| 3. | जतिंदर सिंह बजाज | शेयरधारक निदेशक, सदस्य |
| **आमंत्रित (सुश्री / श्री):** | | |
| कल्याण कुमार | | कार्यपालक निदेशक |
| एम. परमशिवम | | कार्यपालक निदेशक |
| बिभु प्रसाद महापात्र | | कार्यपालक निदेशक |
| डी सुरेन्द्रन | | कार्यपालक निदेशक |
| पंकज शर्मा | | भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक |

डॉ. रेखा जैन, शेयरधारक निदेशक, को दिनांक 27.06.2024 से श्री पंकज जोशी, अंशकालिक गैर–सरकारी निदेशक के स्थान पर समिति के सदस्य के रूप में शामिल किया गया।

श्री अम्बरीष ओझा, शेयरधारक निदेशक को डॉ. रेखा जैन, शेयरधारक निदेशक, जिनका कार्यकाल 11.09.2024 को पूरा हो गया था, उनके स्थान पर 12.09.2024 से समिति के सदस्य के रूप में शामिल किया गया।

श्री संजीव कुमार सिंघल, अंशकालिक गैर–सरकारी निदेशक, जो समिति के अध्यक्ष थे, दिनांक 20.12.2024 को अपना कार्यकाल पूरा होने पर, दिनांक 21.12.2024 से समिति के सदस्य नहीं रहेंगे।

श्री अम्बरीष ओझा, शेयरधारक निदेशक, को दिनांक 21.01.2025 से समिति का अध्यक्ष नामित किया गया।

**वित्तीय वर्ष के दौरान आयोजित बैठकों का विवरण:**

| क्र. सं. | बैठक की तिथि | समिति के निदेशकों की कुल संख्या | बैठक में उपस्थित निदेशकों की संख्या |
|---|---|---|---|
| 1. | 15.04.2024 | 4 | 4 |
| 2. | 09.05.2024 | 4 | 3 |
| 3. | 14.05.2024 | 4 | 3 |
| 4. | 18.06.2024 | 4 | 3 |
| 5. | 28.06.2024 | 4 | 4 |
| 6. | 16.07.2024 | 4 | 3 |
| 7. | 27.07.2024 | 4 | 4 |
| 8. | 16.08.2024 | 4 | 3 |
| 9. | 18.09.2024 | 4 | 3 |
| 10. | 27.09.2024 | 4 | 3 |
| 11. | 15.10.2024 | 4 | 3 |
| 12. | 28.10.2024 | 4 | 4 |
| 13. | 13.11.2024 | 4 | 3 |
| 14. | 17.12.2024 | 4 | 4 |
| 15. | 30.01.2025 | 3 | 3 |
| 16. | 31.01.2025 | 3 | 3 |
| 17. | 12.02.2025 | 3 | 3 |
| 18. | 11.03.2025 | 3 | 3 |

**Composition of the Committee as on 31.03.2025:**

| Sr.No. | Name of the Director (Shri/Smt.) | |
|---|---|---|
| 1. | Ambarish Ojha | Shareholder Director, Chairperson |
| 2. | Uma Sankar | RBI Nominee Director, Member |
| 3. | Jatinder Singh Bajaj | Shareholder Director, Member |
| **Invitees(S/Shri):** | | |
| Kalyan Kumar | | Executive Director |
| M. Paramasivam | | Executive Director |
| Bibhu Prasad Mahapatra | | Executive Director |
| D Surendran | | Executive Director |
| Pankaj Sharma | | GoI Nominee Director |

Dr. Rekha Jain, Shareholder Director, was inducted as a member of the Committee w.e.f. 27.06.2024 in place of Shri Pankaj Joshi, Part-time Non-official Director.

Shri Ambarish Ojha, Shareholder Director, was inducted as a member of the Committee w.e.f. 12.09.2024 in place of Dr. Rekha Jain, Shareholder Director, whose tenure completed on 11.09.2024.

Shri Sanjeev Kumar Singhal, Part-time Non-official Director, who was the Chairperson of the Committee ceased to be the member of the Committee w.e.f. 21.12.2024 on completion of his tenure on 20.12.2024.

Shri Ambarish Ojha, Shareholder Director, was designated as the Chairperson of the Committee w.e.f. 21.01.2025.

**Details of meetings held during the Financial Year:**

| Sr. No. | Date of Meeting | Total No. of Directors of the Committee | No of Directors Present in the Meeting |
|---|---|---|---|
| 1. | 15.04.2024 | 4 | 4 |
| 2. | 09.05.2024 | 4 | 3 |
| 3. | 14.05.2024 | 4 | 3 |
| 4. | 18.06.2024 | 4 | 3 |
| 5. | 28.06.2024 | 4 | 4 |
| 6. | 16.07.2024 | 4 | 3 |
| 7. | 27.07.2024 | 4 | 4 |
| 8. | 16.08.2024 | 4 | 3 |
| 9. | 18.09.2024 | 4 | 3 |
| 10. | 27.09.2024 | 4 | 3 |
| 11. | 15.10.2024 | 4 | 3 |
| 12. | 28.10.2024 | 4 | 4 |
| 13. | 13.11.2024 | 4 | 3 |
| 14. | 17.12.2024 | 4 | 4 |
| 15. | 30.01.2025 | 3 | 3 |
| 16. | 31.01.2025 | 3 | 3 |
| 17. | 12.02.2025 | 3 | 3 |
| 18. | 11.03.2025 | 3 | 3 |

**वित्तीय वर्ष के दौरान सदस्य–निदेशकों द्वारा बैठकों में भाग लेने की संख्याः**

| क्र. सं. | निदेशक का नाम (श्री / श्रीमती) | उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें | बैठकों में उपस्थिति |
|---|---|---|---|
| 1. | उमा शंकर | 18 | 17 |
| 2. | पंकज जोशी | 4 | 4 |
| 3. | संजीव कुमार सिंघल | 14 | 13 |
| 4. | रेखा जैन | 4 | 4 |
| 5. | जतिंदर सिंह बजाज | 18 | 11 |
| 6. | अम्बरीष ओझा | 10 | 10 |

### 3.2 जोखिम प्रबंधन समिति

**संक्षिप्त विवरण और विचारार्थ विषयः**

समिति का गठन आरबीआई अधिसूचना संख्या आरबीआई / 2021–22 / 24 डीओआर.जीओवी.आरईसी.8 / 29.67.001 / 2021–22 दिनांक 26.04.2021 और सेबी (एलओडीआर) विनियम 2015 के विनियम 21 के अनुसार है।

समिति का गठन विशेष रूप से जोखिम प्रबंधन, एकीकृत जोखिम प्रबंधन के लिए रणनीति और नीतियों के निर्माण और समीक्षा, मॉडलों में परिवर्तन आदि के लिए किया गया है।

**समिति के मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं:**

(i) आरएमसीबी एकीकृत जोखिम प्रबंधन के लिए नीति और रणनीति तैयार करेगा जिसमें क्रेडिट जोखिम, बाजार जोखिम, परिचालन जोखिम आदि सहित बैंक के विभिन्न जोखिम शामिल होंगे। इसके अलावा, दिनांक 07.11.2023 को सूचना प्रौद्योगिकी प्रशासन, जोखिम, नियंत्रण और आश्वासन प्रथाओं पर आरबीआई मास्टर निर्देश के अनुसार, बैंक की जोखिम प्रबंधन नीति में साइबर सुरक्षा से संबंधित जोखिमों सहित आईटी से संबंधित जोखिम शामिल होंगे, और आरएमसीबी बोर्ड की आईटी रणनीति समिति के परामर्श से समय–समय पर समीक्षा करेगा और कम से कम वार्षिक आधार पर इसे अद्यतन करेगा।

(ii) आरएमसीबी आस्ति देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ), ऋण जोखिम प्रबंधन समिति (सीआरएमसी), परिचालन जोखिम प्रबंधन समिति (ओआरएमसी), समूह जोखिम प्रबंधन समिति (जीआरएमसी), बाजार जोखिम प्रबंधन समिति (एमआरएमसी), आदि के बीच प्रभावी समन्वय स्थापित करेगा।

(iii) आरएमसीबी समय–समय पर बैंक की जोखिम ग्रहण क्षमता ढांचे के अनुपालन की समीक्षा करेगा तथा अनुमोदित जोखिम ग्रहण क्षमता के उल्लंघन की स्थिति में जवाबदेही तय करेगा।

(iv) पूरे बैंक में उद्यम जोखिम प्रबंधन क्षमता को बढ़ावा देना, जिसमें आईटी से संबंधित उद्यम जोखिम प्रबंधन विशेषज्ञता के विकास को सुविधाजनक बनाना शामिल है।

(v) एक सामान्य जोखिम प्रबंधन भाषा की स्थापना करना जिसमें संभावना, प्रभाव तथा जोखिम श्रेणियों के उपाय शामिल हों।

**No. of meetings attended by Member-Directors during the Financial Year:**

| Sr. No. | Name of Director (Shri/Smt.) | Meetings held during their tenure | Meetings attended |
|---|---|---|---|
| 1. | Uma Sankar | 18 | 17 |
| 2. | Pankaj Joshi | 4 | 4 |
| 3. | Sanjeev Kumar Singhal | 14 | 13 |
| 4. | Rekha Jain | 4 | 4 |
| 5. | Jatinder Singh Bajaj | 18 | 11 |
| 6. | Ambarish Ojha | 10 | 10 |

### 3.2 Risk Management Committee of the Board

**Brief description and terms of reference:**

The constitution of the Committee is in terms of RBI Notification No. RBI/2021-22/24 DOR.GOV.REC.8/29.67.001/2021-22 dated 26.04.2021 and Regulation 21 of SEBI (LODR) Regulations 2015.

The Committee has been specifically formed for the management of Risk, formulation and review of strategy and policies for integrated risk management, changes in models, etc.

**The main functions of the Committee are as under:**

(i) RMCB shall devise the policy and strategy for integrated risk management containing various risks exposures of the bank including Credit risk, Market risk, Operational risk, etc. Further, in terms of RBI Master Direction on Information Technology Governance, Risk, Controls and Assurance Practices dated 07.11.2023, the risk management policy of the Bank shall include IT related risks, including the Cyber Security related risks, and the RMCB in consultation with the IT Strategy Committee of the Board shall periodically review and update the same at least on a yearly basis.

(ii) RMCB shall effectively coordinate between the Asset Liability Management Committee (ALCO), Credit Risk Management Committee (CRMC), Operational Risk Management Committee (ORMC), Group Risk Management Committee (GRMC), Market Risk Management Committee (MRMC), etc.

(iii) The RMCB shall periodically review adherence to the Risk Appetite Framework of the Bank and fix accountability in the event of breach of approved Risk Appetite.

(iv) Promoting an enterprise risk management competence throughout the bank including facilitating development of IT-related enterprises risk management expertise.

(v) Establishing a common risk management language that includes measures around likelihood and impact and risk categories.

(vi) प्रारंभिक चेतावनी संकेत (ईडब्ल्यूएस) और रेड फ्लैग्ड अकाउंट (आरएफए) के लिए ढांचे की प्रभावशीलता की देखरेख करना।,

(vii) आरएमसीबी एमडी और सीईओ की अनुपस्थिति में, कम से कम तिमाही आधार पर मुख्य जोखिम अधिकारी (सीआरओ) से आमने सामने मुलाकात करेगा (आरबीआई अधिसूचना डीबीआर.बीपी.बीसी. सं.65/21.04.103/2016–17 दिनांक 27.04.2017 के अनुसार)।

(viii) सेबी एलओडीआर के विनियमन 21 के अनुसार, निदेशक मंडल जोखिम प्रबंधन योजना की निगरानी और समीक्षा करने का कार्य समिति को सौंप सकता है तथा ऐसे अन्य कार्य भी सौंप सकता है, जिन्हें वह उचित समझे (ऐसे कार्य विशेष रूप से साइबर सुरक्षा को कवर करेंगे), बशर्ते कि जोखिम प्रबंधन समिति की भूमिका और जिम्मेदारियों में अनुसूची II के भाग डी में निर्दिष्ट कार्यों का निष्पादन अनिवार्य रूप से शामिल होगा।

**31.03.2025 की स्थिति के अनुसार समिति की संरचनाः**

| क्र. सं. | निदेशक का नाम (श्री/श्रीमती) | |
|---|---|---|
| 1. | जतिंदर सिंह बजाज | शेयरधारक निदेशक, अध्यक्ष |
| 2. | अशोक चंद्र | प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, सदस्य |
| 3. | एम. परमशिवम | कार्यपालक निदेशक, सदस्य |
| 4. | अम्बरीष ओझा | शेयरधारक निदेशक, सदस्य |
| **आमंत्रित (सुश्री/श्री):**<br>कल्याण कुमार<br>बिभु प्रसाद महापात्र<br>डी सुरेन्द्रन | | कार्यपालक निदेशक<br>कार्यपालक निदेशक<br>कार्यपालक निदेशक |

श्री के जी अनंतकृष्णन, गैर–कार्यपालक अध्यक्ष, दिनांक 26 अप्रैल 2024 से समिति के सदस्य नहीं रहे।

श्री अम्बरीष ओझा, शेयरधारक निदेशक को दिनांक 12.09.2024 से समिति के अध्यक्ष के रूप में शामिल किया गया। वे डॉ. रेखा जैन, शेयरधारक निदेशक के स्थान पर कार्य करेंगे, जिनका कार्यकाल दिनांक 11.09.2024 को पूरा हो गया है।

श्री पंकज जोशी, अंशकालिक गैर–सरकारी निदेशक को दिनांक 27.09.2024 से समिति के सदस्य के रूप में शामिल किया गया तथा उन्हें श्री अम्बरीश ओझा, शेयरधारक निदेशक, जो समिति के सदस्य बने रहे, उनके स्थान पर समिति का अध्यक्ष नामित किया गया।

श्री पंकज जोशी और श्री संजीव कुमार सिंघल अंशकालिक गैर–सरकारी निदेशक दिनांक 20.12.2024 को अपना कार्यकाल समाप्ति पर दिनांक 21.12.2024 से समिति के सदस्य नहीं रहेंगे।

श्री अतुल कुमार गोयल, एमडी एवं सीईओ, सेवानिवृत्ति पर अपना कार्यकाल पूरा होने पर दिनांक 31.12.2024 से समिति के सदस्य नहीं रहेंगे।

दिनांक 21.01.2025 से, श्री अशोक चंद्र, एमडी एवं सीईओ को समिति के सदस्य के रूप में शामिल किया गया और श्री जतिंदर सिंह बजाज, शेयरधारक निदेशक को समिति का अध्यक्ष नामित किया गया।

(vi) Oversee the effectiveness of the framework for Early Warning Signal (EWS) and Red Flagged Account (RFA).

(vii) The RMCB shall meet the Chief Risk Officer (CRO) on one-to-one basis, without the presence of the MD & CEO, at least on a quarterly basis (in terms of RBI Notification DBR.BP.BC. No.65/21.04.103/2016-17 dated 27.04.2017).

(viii) In terms of Regulation 21 of SEBI LODR, the Board of Directors may delegate monitoring and reviewing of the risk management plan to the Committee and such other functions as it may deem fit (such function shall specifically cover cyber security), provided that the role and responsibilities of the Risk Management Committee shall mandatorily include the performance of functions specified in Part D of Schedule II.

**Composition of the Committee as on 31.03.2025:**

| SNo. | Name of the Director (Shri/Smt.) | |
|---|---|---|
| 1. | Jatinder Singh Bajaj | Shareholder Director, Chairperson |
| 2. | Ashok Chandra | MD & CEO, Member |
| 3. | M. Paramasivam | Executive Director, Member |
| 4. | Ambarish Ojha | Shareholder Director, Member |
| **Invitees(S/Shri):**<br>Kalyan Kumar<br>Bibhu Prasad Mahapatra<br>D Surendran | | Executive Director<br>Executive Director<br>Executive Director |

Shri K G Ananthakrishnan, Non-Executive Chairman, ceased to be the member of the Committee w.e.f. 26.04.2024.

Shri Ambarish Ojha, Shareholder Director, was inducted as the Chairperson of the Committee w.e.f. 12.09.2024 in place of Dr. Rekha Jain, Shareholder Director, whose tenure completed on 11.09.2024.

Shri Pankaj Joshi, Part-time Non-official Director, was inducted as a member of the Committee w.e.f. 27.09.2024 and designated as the Chairperson of the Committee in place of Shri Ambarish Ojha, Shareholder Director, who continued as a member of the Committee.

Shri Pankaj Joshi and Shri Sanjeev Kumar Singhal, Part-time Non-official Directors, ceased to be members of the Committee w.e.f. 21.12.2024 on completion of their tenure on 20.12.2024.

Shri Atul Kumar Goel, MD&CEO, ceased to be the member of the Committee w.e.f. 31.12.2024 on completion of his tenure on attaining superannuation.

W.e.f. 21.01.2025, Shri Ashok Chandra, MD&CEO, was inducted as a member of the Committee and Shri Jatinder Singh Bajaj, Shareholder Director, was designated as the Chairperson of the Committee.

वित्तीय वर्ष के दौरान आयोजित बैठकों के विवरणः

| क्र. सं. | बैठक की तिथि | समिति के निदेशकों की कुल संख्या | बैठक में उपस्थित निदेशकों की संख्या |
|---|---|---|---|
| 1. | 15.05.2024 | 5 | 4 |
| 2. | 18.06.2024 | 5 | 4 |
| 3. | 17.08.2024 | 5 | 4 |
| 4. | 14.10.2024 | 6 | 5 |
| 5. | 17.12.2024 | 6 | 5 |
| 6. | 13.01.2025 | 3 | 3 |
| 7. | 27.02.2025 | 4 | 4 |
| 8. | 15.03.2025 | 4 | 4 |

वित्तीय वर्ष के दौरान सदस्य–निदेशकों द्वारा बैठकों में भाग लेने की संख्याः

| क्र. सं. | निदेशक का नाम (श्री / श्रीमती) | उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें | बैठकों में उपस्थिति |
|---|---|---|---|
| 1. | के.जी.अनंतकृष्णन | 0 | 0 |
| 2. | अतुल कुमार गोयल | 5 | 5 |
| 3. | अशोक चंद्र | 2 | 2 |
| 4. | एम. परमशिवम | 8 | 7 |
| 5. | पंकज जोशी | 2 | 2 |
| 6. | संजीव कुमार सिंघल | 5 | 4 |
| 7. | डॉ रेखा जैन | 3 | 3 |
| 8. | जतिंदर सिंह बजाज | 8 | 5 |
| 9. | अम्बरीष ओझा | 5 | 5 |

### 3.3 हितधारक संबंध समिति

**संक्षिप्त विवरण और विचारार्थ विषयः**

सेबी (एलओडीआर) विनियमावली, 2015 के विनियम 20 की शर्तानुसार समिति का गठन किया गया है।

शेयरधारकों, डिबेंचर धारकों और अन्य प्रतिभूति धारकों के हितों के विभिन्न पहलुओं पर विशेष रूप से विचार करने के लिए समिति का गठन किया गया है।

सेबी एलओडीआर के विनियमन 20(4) के अनुसार, शेयरधारक रिलेशनशिप कमेटी की भूमिका अनुसूची II के भाग डी में विनिर्दिष्ट अनुसार होगी। अनुसूची II के अनुसार, समिति की भूमिका में अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित शामिल होंगेः

(i) बैंक के सुरक्षा धारकों की शिकायतों का समाधान करना, जिनमें शेयरों के हस्तांतरण / प्रेषण, वार्षिक रिपोर्ट की प्राप्ति न होना, घोषित लाभांश की प्राप्ति न होना, नए / डुप्लिकेट प्रमाण पत्र जारी करना, आम बैठकें आदि से संबंधित शिकायतें शामिल हैं।

**Details of meetings held during the financial year:**

| Sr. No. | Date of Meeting | Total No. of Directors of the Committee | No of Directors Present in the Meeting |
|---|---|---|---|
| 1. | 15.05.2024 | 5 | 4 |
| 2. | 18.06.2024 | 5 | 4 |
| 3. | 17.08.2024 | 5 | 4 |
| 4. | 14.10.2024 | 6 | 5 |
| 5. | 17.12.2024 | 6 | 5 |
| 6. | 13.01.2025 | 3 | 3 |
| 7. | 27.02.2025 | 4 | 4 |
| 8. | 15.03.2025 | 4 | 4 |

**No. of meetings attended by Member-Directors during the Financial Year:**

| Sr. No. | Name of Director (Shri/Smt.) | Meetings held during their tenure | Meetings attended |
|---|---|---|---|
| 1. | K G Ananthakrishnan | 0 | 0 |
| 2. | Atul Kumar Goel | 5 | 5 |
| 3. | Ashok Chandra | 2 | 2 |
| 4. | M. Paramasivam | 8 | 7 |
| 5. | Pankaj Joshi | 2 | 2 |
| 6. | Sanjeev Kumar Singhal | 5 | 4 |
| 7. | Dr. Rekha Jain | 3 | 3 |
| 8. | Jatinder Singh Bajaj | 8 | 5 |
| 9. | Ambarish Ojha | 5 | 5 |

### 3.3 Stakeholders' Relationship Committee

**Brief description and terms of reference:**

The Committee has been constituted in terms of Regulation 20 of SEBI (LODR) Regulations, 2015.

The Committee has been constituted to specifically look into various aspects of interest of shareholders, debenture holders and other security holders.

In terms of Regulation 20(4) of SEBI LODR, the role of the Stakeholders Relationship Committee shall be as specified in Part D of the Schedule II. As per Schedule II, the role of the Committee shall, inter-alia, include the following:

(i) Resolving the grievances of the security holders of the Bank including complaints related to transfer/ transmission of shares, non-receipt of annual report, non-receipt of declared dividends, issue of new/ duplicate certificates, general meetings, etc.

(ii) शेयरधारकों द्वारा मताधिकार के प्रभावी प्रयोग के लिए किए गए उपायों की समीक्षा।

(iii) रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण प्रतिनिधि द्वारा प्रदान की जा रही विभिन्न सेवाओं के संबंध में बैंक द्वारा अपनाए गए सेवा मानकों के पालन की समीक्षा।

(iv) अदावी लाभांश की मात्रा को कम करने और बैंक के शेयरधारकों द्वारा लाभांश वारंट/वार्षिक रिपोर्ट/सांविधिक नोटस की समय पर प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए बैंक द्वारा किए गए विभिन्न उपायों और पहलों की समीक्षा।

**दिनांक 31.03.2025 के अनुसार समिति की संरचना:**

| क्र.सं. | निदेशक का नाम (श्री/श्रीमती) | |
|---|---|---|
| 1. | अम्बरीष ओझा | शेयरधारक निदेशक, अध्यक्ष |
| 2. | अशोक चंद्र | प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, सदस्य |
| 3. | कल्याण कुमार | कार्यपालक निदेशक, सदस्य |

*बैठक की आवृति वार्षिक या जब भी आवश्यकता हो।*

श्री अम्बरीष ओझा, शेयरधारक निदेशक, को दिनांक 12.09.2024 से डॉ रेखा जैन, शेयरधारक निदेशक के स्थान पर समिति का सदस्य बनाया गया, जिनका कार्यकाल दिनांक 11.09.2024 को पूरा हुआ।

श्री पंकज जोशी, अंशकालिक गैर–सरकारी निदेशक, दिनांक 20.12.2024 को अपना कार्यकाल पूरा होने पर दिनांक 21.12.2024 से समिति के सदस्य नहीं रहेंगे।

श्री अतुल कुमार गोयल, एमडी एवं सीईओ, अपना कार्यकाल सेवानिवृत्ति समाप्ति पर दिनांक 31.12.2024 से समिति के सदस्य नहीं रहेंगे।

श्री बिनोद कुमार, कार्यपालक निदेशक, इंडियन बैंक के एमडी एवं सीईओ के रूप में उनकी पदोन्नति के बाद दिनांक 16.01.2025 से समिति के सदस्य नहीं रहेंगे।

श्री अशोक चंद्र, एमडी एवं सीईओ और श्री कल्याण कुमार, कार्यपालक निदेशक, को दिनांक 21.01.2025 से समिति के सदस्य के रूप में शामिल किया गया।

**वित्तीय वर्ष के दौरान आयोजित बैठकों का विवरण:**

| क्र. सं. | बैठक की तिथि | समिति के निदेशकों की कुल संख्या | बैठक में उपस्थित निदेशकों की संख्या |
|---|---|---|---|
| 1. | 26.09.2024 | 4 | 4 |

**वित्तीय वर्ष के दौरान सदस्य निदेशकों द्वारा बैठकों में उपस्थिति की संख्या:**

(ii) Review of measures taken for effective exercise of voting rights by shareholders.

(iii) Review of adherence to the service standards adopted by the Bank in respect of various services being rendered by the Registrar & Share Transfer Agent.

(iv) Review of the various measures and initiatives taken by the Bank for reducing the quantum of unclaimed dividends and ensuring timely receipt of dividend warrants/ annual reports/ statutory notices by the shareholders of the Bank.

**Composition of the Committee as on 31.03.2025:**

| Sr. No. | Name of the Director (Shri/Smt.) | |
|---|---|---|
| 1. | Ambarish Ojha | Shareholder Director, Chairperson |
| 2. | Ashok Chandra | MD & CEO, Member |
| 3. | Kalyan Kumar | Executive Director, Member |

*The frequency of the meeting is annual or as and when required.*

Shri Ambarish Ojha, Shareholder Director, was inducted as the Chairperson of the Committee w.e.f. 12.09.2024 in place of Dr. Rekha Jain, Shareholder Director, whose tenure completed on 11.09.2024.

Shri Pankaj Joshi, Part-time Non-official Director, ceased to be the member of the Committee w.e.f. 21.12.2024 on completion of his tenure on 20.12.2024.

Shri Atul Kumar Goel, MD&CEO, ceased to be the member of the Committee w.e.f. 31.12.2024 on completion of his tenure on attaining superannuation.

Shri Binod Kumar, Executive Director, ceased to be the member of the Committee w.e.f. 16.01.2025 on his elevation as MD&CEO of Indian Bank.

Shri Ashok Chandra, MD&CEO, and Shri Kalyan Kumar, Executive Director, were inducted as members of the Committee w.e.f. 21.01.2025.

**Details of meeting held during the financial year:**

| Sr. No. | Date of Meeting | Total No. of Directors of the Committee | No of Directors Present in the Meeting |
|---|---|---|---|
| 1. | 26.09.2024 | 4 | 4 |

**No. of meetings attended by Member-Directors during the Financial Year:**

| क्र. सं. | निदेशक का नाम (श्री / श्रीमती) | उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें | बैठकों में उपस्थिति |
|---|---|---|---|
| 1. | अतुल कुमार गोयल | 1 | 1 |
| 2. | अशोक चंद्र | 0 | 0 |
| 3. | कल्याण कुमार | 0 | 0 |
| 4. | बिनोद कुमार | 1 | 1 |
| 5. | पंकज जोशी | 1 | 1 |
| 6. | रेखा जैन | 0 | 0 |
| 7. | अम्बरीश ओझा | 1 | 1 |

**वित्तीय वर्ष के दौरान शेयरधारकों से प्राप्त शिकायतों की स्थिति:**

वर्ष 2024–25 के दौरान प्राप्त शिकायतों की कुल संख्या – 47

शेयरधारकों की संतुष्टि के अनुरूप शिकायतों का निपटान – शून्य

दिनांक 31.03.2025 को लम्बित शिकायतों की संख्या – शून्य

**3.4 नामांकन एवं पारिश्रामिक समिति**

**संक्षिप्त विवरण और विचारार्थ विषय:**

समिति का गठन आरबीआई मास्टर निदेश दिनांक 02.08.2019, आरबीआई अधिसूचना संख्या आरबीआई / 2021–22 / 24 डीओआर, जीओवी. आरईसी.8 / 29.67.001 / 2021–22 दिनांक 26.04.2021 और सेबी (एलओडीआर) विनियमावली 2015 के विनियम 19 के अंतर्गत यथा अपेक्षित अनुसार किया गया।

आरबीआई के मास्टर निर्देश – भारतीय रिजर्व बैंक (पीएसबी के बोर्ड में निर्वाचित निदेशकों के लिए 'उपयुक्त और उचित' मानदंड) निर्देश, 2019 दिनांक 02.08.2019 के संदर्भ में, समिति बैंकिंग कंपनी अधिनियम की धारा 9(3)(i) के अंतर्गत निदेशक के रूप में चुने जाने वाले व्यक्ति की 'उपयुक्त और उचित' स्थिति निर्धारित करने के लिए समुचित सावधानी की प्रक्रिया शुरू करेगी।

**31.03.2025 की स्थिति के अनुसार समिति की संरचना:**

| क्र.सं. | निदेशक का नाम (श्री / श्रीमती) | |
|---|---|---|
| 1. | जतिंदर सिंह बजाज | शेयरधारक निदेशक, अध्यक्ष |
| 2. | के.जी. अनंतकृष्णन | गैर–कार्यपालक अध्यक्ष, सदस्य |
| 3. | अम्बरीष ओझा | शेयरधारक निदेशक, सदस्य |

श्री अम्बरीश ओझा, शेयरधारक निदेशक, को दिनांक 12.09.2024 से डॉ रेखा जैन, शेयरधारक निदेशक के स्थान पर समिति का सदस्य बनाया गया, जिनका कार्यकाल दिनांक 11.09.2024 को पूरा हुआ।

श्री संजीव कुमार सिंघल, अंशकालिक गैर–सरकारी निदेशक, 20.12.2024 को अपना कार्यकाल पूरा होने पर 21.12.2024 से समिति के सदस्य नहीं रहेंगे।

| Sr. No. | Name of Director (Shri/Smt.) | Meetings held during their tenure | Meetings attended |
|---|---|---|---|
| 1. | Atul Kumar Goel | 1 | 1 |
| 2. | Ashok Chandra | 0 | 0 |
| 3. | Kalyan Kumar | 0 | 0 |
| 4. | Binod Kumar | 1 | 1 |
| 5. | Pankaj Joshi | 1 | 1 |
| 6. | Rekha Jain | 0 | 0 |
| 7. | Ambarish Ojha | 1 | 1 |

**Status of Shareholders' Complaints received during the year:**

Total no. of complaints received during FY 2024-25 – 47

No. of complaints not resolved to the satisfaction of shareholders – Nil

No. of complaints pending as on 31.03.2025 – Nil

**3.4 Nomination & Remuneration Committee**

**Brief description and terms of reference:**

The Committee has been constituted in terms of RBI Master Directions dated 02.08.2019, RBI Notification No. RBI/2021-22/24 DOR.GOV.REC.8/29.67.001/2021-22 dated 26.04.2021 and as required under Regulation 19 of SEBI (LODR) Regulations, 2015.

In terms of RBI's Master Direction – Reserve Bank of India ('Fit and Proper' Criteria for Elected Directors on the Boards of PSBs) Directions, 2019 dated 02.08.2019, the Committee shall undertake a process of due diligence to determine the 'fit and proper' status of the person to be elected as director under Section 9(3)(i) of The Banking Companies Act.

**Composition of the Committee as on 31.03.2025:**

| Sr. No. | Name of the Director (Shri/Smt.) | |
|---|---|---|
| 1. | Jatinder Singh Bajaj | Shareholder Director, Chairperson |
| 2. | K. G. Ananthakrishnan | Non-Executive Chairman, Member |
| 3. | Ambarish Ojha | Shareholder Director, Member |

Shri Ambarish Ojha, Shareholder Director, was inducted as a member of the Committee w.e.f. 12.09.2024 in place of Dr. Rekha Jain, Shareholder Director, whose tenure completed on 11.09.2024.

Shri Sanjeev Kumar Singhal, Part-time Non-official Director, ceased to be the member of the Committee w.e.f. 21.12.2024 on completion of his tenure on 20.12.2024.

वित्तीय वर्ष के दौरान आयोजित बैठकों के विवरण:

| क्र. सं. | बैठक की तिथि | समिति के निदेशकों की कुल संख्या | बैठक में उपस्थित निदेशकों की संख्या |
|---|---|---|---|
| 1. | 30.08.2024 | 4 | 4 |

वित्तीय वर्ष के दौरान सदस्य–निदेशकों द्वारा बैठकों में भाग लेने की संख्या:

| क्र. सं. | निदेशक का नाम (श्री/श्रीमती.) | उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें | बैठकों में उपस्थिति |
|---|---|---|---|
| 1. | के.जी. अनंतकृष्णन | 1 | 1 |
| 2. | संजीव कुमार सिंघल | 1 | 1 |
| 3. | डॉ. रेखा जैन | 1 | 1 |
| 4. | जतिंदर सिंह बजाज | 1 | 1 |
| 5. | अम्बरीष ओझा | शून्य | शून्य |

**3.5 बोर्ड की प्रबंधन समिति (एमसीबी)**

**संक्षिप्त विवरण और विचारार्थ विषय:**

राष्ट्रीयकृत बैंकों की (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1970 के खंड 13 के अनुसार समिति गठित की गई है।

योजना के खंड 13(3) के अनुसार, एमसीबी बोर्ड की ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा, जिसमें ऋण प्रस्तावों (वित्तपोषित और गैर–वित्तपोषित) और ऋण समझौता/बट्टे खाते में डालने के प्रस्तावों को स्वीकृति देने के संबंध में शक्तियां शामिल हैं, जो बोर्ड द्वारा केंद्र सरकार के अनुमोदन से उसे सौंपी जाएंगी और ऐसी स्वीकृति केंद्र सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श के बाद दी जाएगी।

**31.03.2025 की स्थिति के अनुसार समिति की संरचना:**

| क्र. सं. | निदेशक का नाम (श्री/श्रीमती) | |
|---|---|---|
| 1. | अशोक चंद्र | प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, अध्यक्ष |
| 2. | कल्याण कुमार | कार्यपालक निदेशक, सदस्य |
| 3. | एम. परमशिवम | कार्यपालक निदेशक, सदस्य |
| 4. | बिभु प्रसाद महापात्र | कार्यपालक निदेशक, सदस्य |
| 5. | डी सुरेंद्रन | कार्यपालक निदेशक, सदस्य |
| 6. | उमा शंकर | भा.रि.बैंक के नामिती निदेशक, सदस्य |

श्री पंकज जोशी, अंशकालिक गैर–सरकारी निदेशक को दिनांक 27.06.2024 से डॉ. रेखा जैन, शेयरधारक निदेशक के स्थान पर समिति के सदस्य के रूप में शामिल किया गया।

श्री पंकज जोशी, अंशकालिक गैर–सरकारी निदेशक, 20.12.2024 को अपना कार्यकाल पूरा होने पर दिनांक 21.12.2024 से समिति के सदस्य नहीं रहेंगे।

**Details of meeting held during the financial year:**

| Sr. No. | Date of Meeting | Total No. of Directors of the Committee | No of Directors Present in the Meeting |
|---|---|---|---|
| 1. | 30.08.2024 | 4 | 4 |

**No. of meetings attended by Member-Directors during the Financial Year:**

| Sr. No. | Name of Director (Shri/Smt.) | Meetings held during their tenure | Meetings attended |
|---|---|---|---|
| 1. | K. G. Ananthakrishnan | 1 | 1 |
| 2. | Sanjeev Kumar Singhal | 1 | 1 |
| 3. | Dr. Rekha Jain | 1 | 1 |
| 4. | Jatinder Singh Bajaj | 1 | 1 |
| 5. | Ambarish Ojha | 0 | 0 |

**3.5 Management Committee of the Board (MCB)**

**Brief description and terms of reference:**

The Committee has been constituted in terms of Clause 13 of Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970.

As per Clause 13(3) of the Scheme, the MCB shall exercise such powers of the Board including the powers with regard to sanctioning of credit proposals (funded and non-funded) and loan compromise/ write-off proposals, as may be delegated to it by the Board with the approval of the Central Government and such approval shall be given by the Central Government after consultation with the Reserve Bank of India.

**Composition of the Committee as on 31.03.2025:**

| Sr. No. | Name of the Director (Shri/Smt.) | |
|---|---|---|
| 1. | Ashok Chandra | MD & CEO, Chairperson |
| 2. | Kalyan Kumar | Executive Director, Member |
| 3. | M. Paramasivam | Executive Director, Member |
| 4. | Bibhu Prasad Mahapatra | Executive Director, Member |
| 5. | D Surendran | Executive Director, Member |
| 6. | Uma Sankar | RBI Nominee Director, Member |

Shri Pankaj Joshi, Part-time Non-official Director, was inducted as a member of the Committee w.e.f. 27.06.2024 in place of Dr. Rekha Jain, Shareholder Director.

Shri Pankaj Joshi, Part-time Non-official Director, ceased to be the member of the Committee w.e.f. 21.12.2024 on completion of his tenure on 20.12.2024.

श्री अतुल कुमार गोयल, एमडी एवं सीईओ, जो समिति के अध्यक्ष थे, सेवानिवृत्ति के कारण दिनांक 31.12.2024 को अपने कार्यकाल समाप्ति के पश्चात इसके सदस्य नहीं रहे।

दिनांक 03.01.2025 से, श्री कल्याण कुमार, कार्यपालक निदेशक को सरकार द्वारा बैंक के एमडी एवं सीईओ की नियुक्ति तक समिति के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया।

श्री बिनोद कुमार, कार्यपालक निदेशक, इंडियन बैंक के एमडी एवं सीईओ के रूप में उनकी नियुक्ति पर दिनांक 16.01.2025 से समिति के सदस्य नहीं रहे।

दिनांक 21.01.2025 से, श्री अशोक चंद्र, एमडी एवं सीईओ को सदस्य के रूप में शामिल किया गया तथा उन्हें श्री कल्याण कुमार, कार्यपालक निदेशक, जो समिति के सदस्य बने रहेंगे, के स्थान पर समिति का अध्यक्ष नामित किया गया।

श्री डी सुरेंद्रन, कार्यपालक निदेशक, को दिनांक 26.03.2025 से समिति का सदस्य बनाया गया।

**वित्तीय वर्ष के दौरान आयोजित बैठकों का विवरण:**

आयोजित बैठकों की संख्या: 26

**बैठकों की तिथियां:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15.04.2024 | 25.04.2024 | 14.05.2024 | 29.05.2024 | 18.06.2024 |
| 25.06.2024 | 16.07.2024 | 29.07.2024 | 16.08.2024 | 31.08.2024 |
| 10.09.2024 | 18.09.2024 | 26.09.2024 | 15.10.2024 | 30.10.2024 |
| 13.11.2024 | 27.11.2024 | 0712.2024 | 17.12.2024 | 26.12.2024 |
| 31.12.2024 | 28.01.2025 | 12.02.2025 | 27.02.2025 | 13.03.2025 |
| 25.03.2025 | | | | |

**वित्तीय वर्ष के दौरान सदस्य–निदेशकों द्वारा बैठकों में उपस्थिति की संख्या:**

| क्र. सं. | निदेशक का नाम (श्री/श्रीमती) | उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें | बैठकों में उपस्थिति |
|---|---|---|---|
| 1. | अतुल कुमार गोयल | 21 | 21 |
| 2. | अशोक चंद्र | 5 | 5 |
| 3. | कल्याण कुमार | 26 | 23 |
| 4. | बिनोद कुमार | 21 | 21 |
| 5. | एम. परमशिवम | 26 | 26 |
| 6. | बिभु प्रसाद महापात्र | 26 | 22 |
| 7. | डी सुरेंद्रन | 0 | 0 |
| 8. | उमा शंकर | 26 | 26 |
| 9. | पंकज जोशी | 13 | 13 |
| 10. | डॉ रेखा जैन | 6 | 6 |

Shri Atul Kumar Goel, MD&CEO, ceased to be the member of the Committee w.e.f. 31.12.2024 on completion of his tenure on attaining superannuation.

W.e.f. 03.01.2025, Shri Kalyan Kumar, Executive Director, was designated as the Chairperson of the Committee till the appointment of the Bank's MD&CEO by the Government.

Shri Binod Kumar, Executive Director, ceased to be the member of the Committee w.e.f. 16.01.2025 on his appointment as MD&CEO of Indian Bank.

W.e.f. 21.01.2025, Shri Ashok Chandra, MD&CEO, was inducted as a member and designated as the Chairperson of the Committee in place of Shri Kalyan Kumar, Executive Director, who continued as a member of the Committee.

Shri D Surendran, Executive Director, was inducted as a member of the Committee w.e.f. 26.03.2025.

**Details of Meetings held during the financial year:**

No. of Meetings held: 26

**Dates of Meetings:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15.04.2024 | 25.04.2024 | 14.05.2024 | 29.05.2024 | 18.06.2024 |
| 25.06.2024 | 16.07.2024 | 29.07.2024 | 16.08.2024 | 31.08.2024 |
| 10.09.2024 | 18.09.2024 | 26.09.2024 | 15.10.2024 | 30.10.2024 |
| 13.11.2024 | 27.11.2024 | 07.12.2024 | 17.12.2024 | 26.12.2024 |
| 31.12.2024 | 28.01.2025 | 12.02.2025 | 27.02.2025 | 13.03.2025 |
| 25.03.2025 | | | | |

**No. of Meetings attended by Member- Directors during the Financial Year:**

| Sr. No. | Name of Director (Shri/Smt.) | Meetings held during their tenure | Meetings attended |
|---|---|---|---|
| 1. | Atul Kumar Goel | 21 | 21 |
| 2. | Ashok Chandra | 5 | 5 |
| 3. | Kalyan Kumar | 26 | 23 |
| 4. | Binod Kumar | 21 | 21 |
| 5. | M. Paramasivam | 26 | 26 |
| 6. | Bibhu Prasad Mahapatra | 26 | 22 |
| 7. | D Surendran | 0 | 0 |
| 8. | Uma Sankar | 26 | 26 |
| 9. | Pankaj Joshi | 13 | 13 |
| 10. | Dr. Rekha Jain | 6 | 6 |

### 3.6 प्रधान कार्यालय ऋण अनुमोदन समिति (प्र.का.ऋ.अ.स–III)

**संक्षिप्त विवरण और विचारार्थ विषय:**

समिति का गठन राष्ट्रीयकृत बैंकों (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 के खंड 13ए और वित्तीय सेवाएं विभाग (डीएफएस), वित्त मंत्रालय (एमओएफ) की अधिसूचना संख्या 13/1/2006 दिनांक 05.12.2011 के अनुसार किया गया है।

डीएफएस, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या 13/1/2006–बीओ.1 दिनांक 31.01.2012 के अनुसार, बोर्ड ने निम्नलिखित मदों के संबंध में ऋण अनुमोदन समिति को शक्तियां सौंपी गई हैं:

(i) ऋण प्रस्तावों की स्वीकृति (वित्तपोषित और गैर–वित्तपोषित)

(ii) ऋण समझौता/बट्टे खातों के प्रस्ताव।

समय–समय पर संशोधित राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना के अनुसार, ऋण अनुमोद समिति ऋण प्रस्तावों के संबंध में बोर्ड की शक्तियों का प्रयोग निम्नानुसार करेगी:

| जिन बैंकों का शुद्ध एनपीए शुद्ध अग्रिम के 6% से कम है | शुद्ध एनपीए शुद्ध अग्रिम का 6% और उससे अधिक |
|---|---|
| रुपये दस लाख करोड़ से अधिक कुल कारोबार वाले बैंकों के मामले में रुपये 800 करोड़ तक; | रुपये तीन लाख करोड़ या उससे अधिक का कारोबार करने वाले श्रेणी 'ए' बैंकों के मामले में रुपये 400 करोड़ तक। |

शुद्ध एनपीए, शुद्ध अग्रिम और कुल कारोबार की गणना बैंक के अंतिम घोषित परिणामों के अनुसार की जाएगी और अभिव्यक्ति "कुल कारोबार" का अर्थ बैंक के सकल ऋण एवं अग्रिम और कुल जमा का योग है।

पिछले घोषित परिणामों के अनुसार, बैंक का कुल कारोबार रुपये 10 लाख करोड़ से अधिक है और शुद्ध एनपीए शुद्ध अग्रिमों के 6% से कम है। इसलिए, HOCAC-III की स्वीकृति शक्ति प्रति उधारकर्ता रुपये 800 करोड़ की कुल प्रतिबद्धता है।

**31.03.2025 की स्थिति के अनुसार समिति की संरचना:**

| क्र.सं. | निदेशक का नाम (श्री/श्रीमती) | |
|---|---|---|
| 1. | अशोक चंद्र | प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, अध्यक्ष |
| 2. | कल्याण कुमार | कार्यपालक निदेशक, सदस्य |
| 3. | एम. परमशिवम | कार्यपालक निदेशक, सदस्य |
| 4. | बिभु प्रसाद महापात्र | कार्यपालक निदेशक, सदस्य |
| 5. | डी सुरेंद्रन | कार्यपालक निदेशक, सदस्य |
| 6. | मुख्य महाप्रबंधक/ महाप्रबंधक (ऋण) | सदस्य |
| 7. | मुख्य महाप्रबंधक/ महाप्रबंधक (वित्त) | सदस्य |
| 8. | मुख्य महाप्रबंधक/ महाप्रबंधक (जोखिम प्रबंधन) | सदस्य |

### 3.6 Credit Approval Committee of the Board (HOCAC- III)

**Brief description and terms of reference:**

The Committee has been constituted in terms of Clause 13A of the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 and Department of Financial Services (DFS), Ministry of Finance (MoF) Notification No.13/1/2006 dated 05.12.2011.

In terms of DFS, MoF, GoI Notification No. 13/1/2006-BO.1 dated 31.01.2012, the Board has delegated powers to the Credit Approval Committee in respect of the following items:

(i) Sanction of Credit proposals (funded and Non funded)

(ii) Loan Compromise/ write off proposals.

In terms of the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, as amended from time to time, the Credit Approval Committee shall exercise the powers of the Board with regard to credit proposals as under:

| In banks with Net NPA less than 6% of net advances | Net NPA 6% and above of net advances |
|---|---|
| Up to Rs.800 crore in case of Banks having total business of more than ten lakh crore rupees; | Up to Rs.400 crore in case of the category "A" Banks having business of three lakh crore rupees or more. |

Net NPA, Net Advances and total business shall be reckoned as per the last declared results of the Bank and the expression "total business" means the summation of the gross loans and advances and the total deposits of the Bank.

As per the last declared results, Bank has total business of more than Rs.10 lakh crore and net NPA less than 6% of net advances. Therefore, sanctioning power of HOCAC-III is Rs.800 crore aggregate commitment per borrower.

**Composition of the Committee as on 31.03.2025:**

| Sr.No. | Name of the Director (S/Shri) | |
|---|---|---|
| 1. | Ashok Chandra | MD & CEO, Chairperson |
| 2. | Kalyan Kumar | Executive Director, Member |
| 3. | M. Paramasivam | Executive Director, Member |
| 4. | Bibhu Prasad Mahapatra | Executive Director, Member |
| 5. | D Surendran | Executive Director, Member |
| 6. | Chief General Manager/ General Manager (Credit) | Member |
| 7. | Chief General Manager/ General Manager (Finance) | Member |
| 8. | Chief General Manager/ General Manager (Risk Management) | Member |

श्री अतुल कुमार गोयल, एमडी एवं सीईओ, जो समिति के अध्यक्ष थे, सेवानिवृत्ति प्राप्त करने पर अपना कार्यकाल पूरा होने पर दिनांक 31.12.2024 से समिति के सदस्य नहीं रहेंगे।

दिनांक 03.01.2025 से, श्री बिनोद कुमार, कार्यपालक निदेशक को सरकार द्वारा बैंक के एमडी एवं सीईओ की नियुक्ति तक समिति के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया।

श्री बिनोद कुमार, कार्यपालक निदेशक, इंडियन बैंक के एमडी एवं सीईओ के रूप में उनकी नियुक्ति के कारण दिनांक 16.01.2025 से समिति के सदस्य का कार्यकाल समाप्त।

श्री अशोक चंद्र, एमडी एवं सीईओ को दिनांक 21.01.2025 से समिति का सदस्य बनाकर उन्हें समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया।

श्री डी सुरेंद्रन, कार्यपालक निदेशक को दिनांक 26.03.2025 से समिति का सदस्य नियुक्त किया गया।

**वित्तीय वर्ष के दौरान आयोजित बैठकों का विवरण:**

आयोजित बैठकों की संख्या: 76

बैठकों की तिथियां:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 02.04.2024 | 06.04.2024 | 10.04.2024 | 15.04.2024 | 19.04.2024 |
| 24.04.2024 | 01.05.2024 | 08.05.2024 | 15.05.2024 | 18.05.2024 |
| 22.05.2024 | 28.05.2024 | 01.06.2024 | 05.06.2024 | 07.06.2024 |
| 15.06.2024 | 19.06.2024 | 21.06.2024 | 26.06.2024 | 29.06.2024 |
| 04.07.2024 | 06.07.2024 | 10.07.2024 | 11.07.2024 | 18.07.2024 |
| 20.07.2024 | 24.07.2024 | 31.07.2024 | 03.08.2024 | 07.08.2024 |
| 13.08.2024 | 14.08.2024 | 20.08.2024 | 24.08.2024 | 28.08.2024 |
| 03.09.2024 | 06.09.2024 | 11.09.2024 | 13.09.2024 | 18.09.2024 |
| 21.09.2024 | 25.09.2024 | 03.10.2024 | 05.10.2024 | 09.10.2024 |
| 11.10.2024 | 17.10.2024 | 19.10.2024 | 23.10.2024 | 30.10.2024 |
| 02.11.2024 | 06.11.2024 | 08.11.2024 | 13.11.2024 | 18.11.2024 |
| 20.11.2024 | 25.11.2024 | 30.11.2024 | 03.12.2024 | 11.12.2024 |
| 16.12.2024 | 18.12.2024 | 24.12.2024 | 31.12.2024 | 13.01.2025 |
| 21.01.2025 | 01.02.2025 | 06.02.2025 | 14.02.2025 | 21.02.2025 |
| 27.02.2025 | 05.03.2025 | 15.03.2025 | 20.03.2025 | 26.03.2025 |
| 29.03.2025 | | | | |

**वित्तीय वर्ष के दौरान सदस्य–निदेशकों द्वारा बैठकों में उपस्थिति की संख्या:**

| क्र. सं. | निदेशक का नाम (श्री / श्रीमती) | उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें | बैठकों में उपस्थिति |
|---|---|---|---|
| 1. | अतुल कुमार गोयल | 64 | 64 |
| 2. | अशोक चंद्र | 11 | 11 |
| 3. | कल्याण कुमार | 76 | 55 |
| 4. | बिनोद कुमार | 65 | 64 |
| 5. | एम. परमशिवम | 76 | 66 |
| 6. | बिभु प्रसाद महापात्र | 76 | 65 |
| 7. | डी सुरेंद्रन | 2 | 2 |

Shri Atul Kumar Goel, MD&CEO, who was the Chairperson of the Committee, ceased to be the member of the Committee w.e.f. 31.12.2024 on completion of his tenure on attaining superannuation.

W.e.f. 03.01.2025, Shri Binod Kumar, Executive Director, was designated as the Chairperson of the Committee till the appointment of the Bank's MD&CEO by the Government.

Shri Binod Kumar, Executive Director, ceased to be the member of the Committee w.e.f. 16.01.2025 on his appointment as MD&CEO of Indian Bank.

Shri Ashok Chandra, MD&CEO, was inducted as a member and designated as the Chairperson of the Committee w.e.f. 21.01.2025.

Shri D Surendran, Executive Director, was inducted as a member of the Committee w.e.f. 26.03.2025.

**Details of meetings held during the financial year:**

No. of Meetings held: 76

Dates of Meetings:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 02.04.2024 | 06.04.2024 | 10.04.2024 | 15.04.2024 | 19.04.2024 |
| 24.04.2024 | 01.05.2024 | 08.05.2024 | 15.05.2024 | 18.05.2024 |
| 22.05.2024 | 28.05.2024 | 01.06.2024 | 05.06.2024 | 07.06.2024 |
| 15.06.2024 | 19.06.2024 | 21.06.2024 | 26.06.2024 | 29.06.2024 |
| 04.07.2024 | 06.07.2024 | 10.07.2024 | 11.07.2024 | 18.07.2024 |
| 20.07.2024 | 24.07.2024 | 31.07.2024 | 03.08.2024 | 07.08.2024 |
| 13.08.2024 | 14.08.2024 | 20.08.2024 | 24.08.2024 | 28.08.2024 |
| 03.09.2024 | 06.09.2024 | 11.09.2024 | 13.09.2024 | 18.09.2024 |
| 21.09.2024 | 25.09.2024 | 03.10.2024 | 05.10.2024 | 09.10.2024 |
| 11.10.2024 | 17.10.2024 | 19.10.2024 | 23.10.2024 | 30.10.2024 |
| 02.11.2024 | 06.11.2024 | 08.11.2024 | 13.11.2024 | 18.11.2024 |
| 20.11.2024 | 25.11.2024 | 30.11.2024 | 03.12.2024 | 11.12.2024 |
| 16.12.2024 | 18.12.2024 | 24.12.2024 | 31.12.2024 | 13.01.2025 |
| 21.01.2025 | 01.02.2025 | 06.02.2025 | 14.02.2025 | 21.02.2025 |
| 27.02.2025 | 05.03.2025 | 15.03.2025 | 20.03.2025 | 26.03.2025 |
| 29.03.2025 | | | | |

**No. of Meetings attended by Member-Directors during the Financial Year:**

| Sr. No. | Name of Director (S/Shri) | Meetings held during their tenure | Meetings attended |
|---|---|---|---|
| 1. | Atul Kumar Goel | 64 | 64 |
| 2. | Ashok Chandra | 11 | 11 |
| 3. | Kalyan Kumar | 76 | 55 |
| 4. | Binod Kumar | 65 | 64 |
| 5. | M. Paramasivam | 76 | 66 |
| 6. | Bibhu Prasad Mahapatra | 76 | 65 |
| 7. | D Surendran | 2 | 2 |

### 3.7 वसूली में प्रगति की निगरानी करने के लिए बोर्ड की समिति

**संक्षिप्त विवरण और विचारार्थ विषयः**

समिति का गठन, वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र एफ.सं.7/112/2012–बीओए दिनांक 21.11.2012 और एफ.सं. 7/2/2015–वसूली दिनांक 01.01.2016 के अनुसार किया गया है, ताकि नियमित आधार पर वसूली में प्रगति की निगरानी की जा सके। समिति के प्रमुख कार्य इस प्रकार हैं:

(i) बैंक की दबावग्रस्त आस्तियों विशेषकर बड़े एनपीए खातों की निगरानी करना।

(ii) एनपीए प्रबंधन में सुधार लाने हेतु विधियों एवं रणनीतियों की समीक्षा तथा वसूली में तेजी लाने हेतु विभिन्न टूलों के प्रभावी उपयोग।

(iii) विवेक सम्मत बट्टे खातों सहित एनपीए वसूली में हुई प्रगति की निगरानी।

(iv) डीआरटी/डीआरएटी/एनसीएलटी में लंबित मामलों/आरसी की स्थिति की समीक्षा।

(v) ऋण निगरानी तंत्र और अनियमित/कमजोर खातों की स्थिति तथा एनपीए की रोकथाम के लिए उठाए गए कदमों की समीक्षा करना।

**31.03.2025 की स्थिति के अनुसार समिति की संरचनाः**

| क्र.सं. | निदेशक का नाम (श्री/श्रीमती) | |
|---|---|---|
| 1. | अशोक चंद्र | प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, अध्यक्ष |
| 2. | एम. परमशिवम | कार्यपालक निदेशक, सदस्य |
| 3. | बिभु प्रसाद महापात्र | कार्यपालक निदेशक, सदस्य |
| 4. | अम्बरीष ओझा | शेयरधारक निदेशक, सदस्य |

श्री कल्याण कुमार और श्री बिनोद कुमार, कार्यपालक निदेशक दिनांक 31.08.2024 से समिति के सदस्य का कार्यकाल समाप्त।

श्री अम्बरीष ओझा, शेयरधारक निदेशक, को दिनांक 12.09.2024 से डॉ. रेखा जैन, शेयरधारक निदेशक के स्थान पर समिति का सदस्य बनाया गया, जिनका कार्यकाल 11.09.2024 को समाप्त हुआ।

श्री संजीव कुमार सिंघल, अंशकालिक गैर–सरकारी निदेशक का दिनांक 20.12.2024 को कार्यकाल समाप्त होने पर दिनांक 21.12.2024 से समिति के सदस्य नहीं रहे।

श्री अतुल कुमार गोयल, एमडी एवं सीईओ, जो समिति के अध्यक्ष थे, सेवानिवृत्ति के कारण दिनांक 31.12.2024 से समिति का कार्यकाल समाप्त।

दिनांक 03.01.2025 को, श्री बिभु प्रसाद महापात्र, कार्यपालक निदेशक, को सरकार द्वारा बैंक के एमडी एवं सीईओ की नियुक्ति तक समिति के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया।

दिनांक 21.01.2025 से, श्री अशोक चंद्र, एमडी एवं सीईओ को सदस्य के रूप में शामिल किया गया और श्री बिभु प्रसाद महापात्र, कार्यपालक निदेशक के स्थान पर समिति के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया, जो समिति के सदस्य के रूप में बने रहे।

### 3.7 Committee of the Board to monitor the progress in Recovery

**Brief description and terms of reference:**

The Committee has been constituted in terms of DFS, MoF, GoI letter F.No.7/112/2012-BOA dated 21.11.2012 and F.No.7/2/2015-Recovery dated 1.1.2016 to monitor the progress in recovery on regular basis. The main functions of the Committee are as under:

(i) Monitor stressed assets particularly large NPA accounts of the Bank.

(ii) Review ways and strategies to improve the NPA management and effective utilization of various tools to expedite Recovery.

(iii) Monitor the progress in Recovery of NPAs including prudential written off accounts.

(iv) Review the status of cases/ RCs pending at DRTs/ DRATs/ NCLT cases.

(v) Review the credit monitoring mechanism and status of irregular/ weak accounts and steps for prevention of NPAs.

**Composition of the Committee as on 31.03.2025:**

| Sr.No. | Name of the Director (S/Shri) | |
|---|---|---|
| 1. | Ashok Chandra | MD & CEO, Chairperson |
| 2. | M. Paramasivam | Executive Director, Member |
| 3. | Bibhu Prasad Mahapatra | Executive Director, Member |
| 4. | Ambarish Ojha | Shareholder Director, Member |

Shri Kalyan Kumar and Shri Binod Kumar, Executive Directors, ceased to be members of the Committee w.e.f. 31.08.2024.

Shri Ambarish Ojha, Shareholder Director, was inducted as a member of the Committee w.e.f. 12.09.2024 in place of Dr. Rekha Jain, Shareholder Director, whose tenure completed on 11.09.2024.

Shri Sanjeev Kumar Singhal, Part-time Non-official Director, ceased to be the member of the Committee w.e.f. 21.12.2024 on completion of his tenure on 20.12.2024.

Shri Atul Kumar Goel, MD&CEO, who was the Chairperson of the Committee, ceased to be the member of the Committee w.e.f. 31.12.2024 on completion of his tenure on attaining superannuation.

W.e.f. 03.01.2025, Shri Bibhu Prasad Mahapatra, Executive Director, was designated as the Chairperson of the Committee till the appointment of the Bank's MD&CEO by the Government.

W.e.f. 21.01.2025, Shri Ashok Chandra, MD&CEO, was inducted as a member and designated as the Chairperson of the Committee in place of Shri Bibhu Prasad Mahapatra, Executive Director, who continued as a member of the Committee.

**वित्तीय वर्ष के दौरान आयोजित बैठकों का विवरणः**

आयोजित बैठकों की संख्याः 4

**बैठकों की तिथियां**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 14.05.2024 | 16.08.2024 | 13.11.2024 | 15.03.2025 |

**वित्तीय वर्ष के दौरान सदस्य – निदेशकों द्वारा बैठकों में उपस्थिति की संख्याः**

| क्र. सं. | निदेशक का नाम (श्री/श्रीमती) | उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें | बैठकों में उपस्थिति |
|---|---|---|---|
| 1. | अतुल कुमार गोयल | 3 | 3 |
| 2. | अशोक चंद्र | 1 | 1 |
| 3. | कल्याण कुमार | 2 | 2 |
| 4. | बिनोद कुमार | 2 | 2 |
| 5. | एम. परमशिवम | 4 | 4 |
| 6. | बिभु प्रसाद महापात्र | 4 | 3 |
| 7. | संजीव कुमार सिंघल | 3 | 2 |
| 8. | रेखा जैन | 2 | 2 |
| 9. | अम्बरीष ओझा | 2 | 2 |

### 3.8 इरादतन चूककर्ताओं की पहचान की समीक्षा हेतु समिति

**संक्षिप्त विवरण एवं संदर्भ की शर्तें :**

समिति का गठन आरबीआई के दिनांक 30.07.2024 के मास्टर निर्देश 'इरादतन चूककर्ताओं और बड़े चूककर्ताओं के उपचार' के अनुसार किया गया है।

समिति का गठन इरादतन चूककर्ताओं के रूप में वर्गीकरण करने हेतु पहचान समिति के प्रस्ताव की समीक्षा करने के उद्देश्य से किया गया है।

आरबीआई के दिनांक 30.07.2024 के मास्टर निर्देश के अनुसार, एक सीमा से नीचे की ऋण सुविधाओं के संबंध में, बैंक अपने बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार, कई समीक्षा समितियाँ बना सकते हैं।

बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार, इरादतन चूक करने वालों की पहचान की समीक्षा के लिए समिति 50.00 करोड़ रुपये से अधिक बकाया वाले एनपीए खातों में इरादतन चूककर्ताओं के वर्गीकरण की समीक्षा करेगी।

इसके अलावा, आरबीआई मास्टर निर्देश दिनांक 30.07.2024 के अनुसार, समीक्षा समिति उधारकर्ता/गारंटर/प्रवर्तक/निदेशक/व्यक्तियों को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर भी प्रदान करेगी जो इकाई के मामलों के प्रबंधन के लिए प्रभारी और जिम्मेदार हैं। हालांकि, यदि अवसर का लाभ नहीं उठाया जाता है या यदि उधारकर्ता/गारंटर/प्रवर्तक/निदेशक/व्यक्ति जो इकाई के मामलों के प्रबंधन हेतु प्रभारी और जिम्मेदार हैं, व्यक्तिगत सुनवाई में शामिल नहीं होते हैं, तो समीक्षा समिति, लिखित अभ्यावेदन सहित रिकॉर्ड पर तथ्यों या सामग्री का आकलन करने के बाद, यदि कोई हो, पहचान समिति के प्रस्ताव पर विचार करेगी और निर्णय लेगी।

**Details of meetings held during the financial year:**

No. of Meetings held: 4

**Dates of Meetings:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 14.05.2024 | 16.08.2024 | 13.11.2024 | 15.03.2025 |

**No. of meetings attended by Member-Directors during the Financial Year:**

| Sr. No. | Name of Director (Shri/Smt.) | Meetings held during their tenure | Meetings attended |
|---|---|---|---|
| 1. | Atul Kumar Goel | 3 | 3 |
| 2. | Ashok Chandra | 1 | 1 |
| 3. | Kalyan Kumar | 2 | 2 |
| 4. | Binod Kumar | 2 | 2 |
| 5. | M. Paramasivam | 4 | 4 |
| 6. | Bibhu Prasad Mahapatra | 4 | 3 |
| 7. | Sanjeev Kumar Singhal | 3 | 2 |
| 8. | Rekha Jain | 2 | 2 |
| 9. | Ambarish Ojha | 2 | 2 |

### 3.8 Committee for Review of identification of Wilful Defaulters

**Brief description and terms of reference:**

The Committee has been constituted in terms of RBI Master Direction on 'Treatment of Wilful Defaulters and Large Defaulters' dated 30.07.2024.

The Committee has been formed for the purpose of reviewing the proposal of the Identification Committee for classification as a Wilful Defaulter.

In terms of RBI Master Direction dated 30.07.2024, in respect of credit facilities below a threshold, banks may, as per their Board-approved policy, form multiple Review Committees.

As per the Board-approved Policy, the Committee for Review of Identification of Wilful Defaulters shall review classification of wilful defaulters in NPA accounts having outstanding above Rs.50.00 crore.

Further, in terms of RBI Master Direction dated 30.07.2024, the Review Committee shall provide an opportunity for a personal hearing also to the borrower/ guarantor/ promoter/ director/ persons who are in charge and responsible for the management of the affairs of the entity. However, if the opportunity is not availed or if the personal hearing is not attended by the borrower/ guarantor/ promoter/ director/ persons who are in charge and responsible for the management of the affairs of the entity, the Review Committee shall, after assessing the facts or material on record, including written representation, if any, consider the proposal of the Identification Committee and take a decision.

समीक्षा समिति एक तर्कसंगत आदेश पारित करेगी तथा इससे इरादतन चूककर्ता को सूचित किया जाएगा।

**31.03.2025 तक समिति की संरचना :**

| क्र.सं. | निदेशक का नाम (श्री/श्रीमती) | |
|---|---|---|
| 1. | अशोक चंद्र | प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, अध्यक्ष |
| 2. | जतिंदर सिंह बजाज | शेयरधारक निदेशक, सदस्य |
| 3. | अम्बरीष ओझा | शेयरधारक निदेशक, सदस्य |

श्री पंकज जोशी और संजीव कुमार सिंघल अंशकालिक गैर–अधिकारिक निदेशक 21.12.2024 से समिति के सदस्य नहीं रहे क्योंकि उनका कार्यकाल 20.12.2024 को पूर्ण हो गया है।

श्री अतुल कुमार गोयल प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी जो समिति के अध्यक्ष थे दिनांक 31.12.2024 को सेवानिवृत्ति प्राप्त करने पर समिति के सदस्य नहीं रहे।

दिनांक 03.01.2025 से श्री कल्याण कुमार कार्यपालक निदेशक को समिति का सदस्य नियुक्त किया गया तथा उन्हें अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया जब तक की सरकार द्वारा बैंक के नए प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी की नियुक्ति नहीं की जाती। इसके अतिरिक्त श्री अम्बरीष ओझा, शेयरधार निदेशक को समिति का सदस्य नामित किया गया।

दिनांक 21.01.2025 से श्री अशोक चंद्र प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी को कार्यपालक निदेशक श्री कल्याण कुमार के स्थान पर समिति का सदस्य नामित किया गया।

श्री कल्याण कुमार, कार्यपालक निदेशक को दिनांक 21.01.2025 से समिति के सदस्य नहीं रहे।

**वित्तीय वर्ष के दौरान आयोजित बैठकों का विवरण:**

आयोजित बैठकों की संख्या: 4

**बैठकों की तिथियां:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 15.04.2024 | 15.07.2024 | 14.10.2024 | 15.03.2025 |

**वित्तीय वर्ष के दौरान सदस्य–निदेशकों द्वारा बैठकों में भाग लेने की संख्या:**

| क्र. सं | निदेशक का नाम (श्री/श्रीमती) | उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें | बैठकों में उपस्थिति |
|---|---|---|---|
| 1. | अतुल कुमार गोयल | 3 | 3 |
| 2. | अशोक चंद्र | 1 | 1 |
| 3. | कल्याण कुमार | 0 | 0 |
| 4. | पंकज जोशी | 3 | 3 |
| 5. | संजीव कुमार सिंघल | 3 | 3 |
| 6. | जतिंदर सिंह बजाज | 4 | 2 |
| 7. | अम्बरीष ओझा | 1 | 1 |

The Review Committee shall pass a reasoned order and the same shall be communicated to the wilful defaulter.

**Composition of the Committee as on 31.03.2025:**

| Sr.No. | Name of the Director (S/Shri) | |
|---|---|---|
| 1. | Ashok Chandra | MD & CEO, Chairperson |
| 2. | Jatinder Singh Bajaj | Shareholder Director, Member |
| 3. | Ambarish Ojha | Shareholder Director, Member |

Shri Pankaj Joshi and Shri Sanjeev Kumar Singhal, Part-time Non-official Directors, ceased to be members of the Committee w.e.f. 21.12.2024 on completion of their tenure on 20.12.2024.

Shri Atul Kumar Goel, MD&CEO, who was the Chairperson of the Committee, ceased to be the member of the Committee w.e.f. 31.12.2024 on completion of his tenure on attaining superannuation.

W.e.f. 03.01.2025, Shri Kalyan Kumar, Executive Director, was inducted as a member and designated as the Chairperson of the Committee till the appointment of the Bank's MD&CEO by the Government. Further, Shri Ambarish Ojha, Shareholder Director, was inducted as a member of the Committee.

W.e.f. 21.01.2025, Shri Ashok Chandra, MD&CEO, was inducted as a member and designated as the Chairperson of the Committee in place of Shri Kalyan Kumar, Executive Director.

Shri Kalyan Kumar, Executive Director, ceased to be a member of this Committee w.e.f. 21.01.2025.

**Details of meetings held during the financial year:**

No. of Meetings held: 4

**Dates of Meetings:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 15.04.2024 | 15.07.2024 | 14.10.2024 | 15.03.2025 |

**No. of meetings attended by Member-Directors during the Financial Year:**

| Sr. No. | Name of Director (Shri/Smt.) | Meetings held during their tenure | Meetings attended |
|---|---|---|---|
| 1. | Atul Kumar Goel | 3 | 3 |
| 2. | Ashok Chandra | 1 | 1 |
| 3. | Kalyan Kumar | 0 | 0 |
| 4. | Pankaj Joshi | 3 | 3 |
| 5. | Sanjeev Kumar Singhal | 3 | 3 |
| 6. | Jatinder Singh Bajaj | 4 | 2 |
| 7. | Ambarish Ojha | 1 | 1 |

### 3.9 धोखाधड़ी के मामलों की निगरानी और अनुवर्ती कार्रवाई के लिए बोर्ड की विशेष समिति

**संक्षिप्त विवरण एवं संदर्भ की शर्तें:**

समिति का गठन आरबीआई के 15 जुलाई, 2024 के 'वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित) और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों में धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन' पर मास्टर निर्देशों के अनुसार किया गया है।

समिति का गठन बैंक में धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन की प्रभावशीलता की निगरानी के लिए किया गया है।

समिति के मुख्य कार्य इस प्रकार हैं:

(i) बैंक में धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन की प्रभावशीलता की निगरानी करना;

(ii) मूल कारण विश्लेषण सहित धोखाधड़ी के मामलों की समीक्षा और निगरानी करना तथा आंतरिक नियंत्रण, जोखिम प्रबंधन ढांचे को मजबूत करने और धोखाधड़ी की घटनाओं को कम करने के लिए उपाय सुझाना। ऐसी समीक्षाओं की कवरेज और आवधिकता बैंक के बोर्ड द्वारा तय की जाएगी।

(iii) 180 दिनों से अधिक समय तक रेड–फ्लैग स्थिति में रहने वाले मामलों को पर्याप्त तर्क/औचित्य के साथ समीक्षा के लिए समिति को रिपोर्ट किया जाएगा।

**31.03.2025 की स्थिति के अनुसार समिति की संरचना:**

| क्र.सं. | निदेशक का नाम (श्री/श्रीमती) | |
|---|---|---|
| 1. | के. जी. अनंतकृष्णन | गैर–कार्यपालक, अध्यक्ष |
| 2. | अशोक चंद्र | प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, सदस्य |
| 3. | एम. परमशिवम | कार्यपालक निदेशक, सदस्य |
| 4. | पंकज शर्मा | सरकारी नामिती निदेशक, सदस्य |
| 5. | जतिंदर सिंह बजाज | शेयरधारक निदेशक, सदस्य |

श्री बिनोद कुमार और श्री बिभु प्रसाद महापात्र, कार्यपालक निदेशक, 31.08.2024 से समिति के सदस्य का कार्यकाल समाप्त।

श्री संजीव कुमार सिंघल, अंशकालिक गैर–सरकारी निदेशक, 20.12.2024 को कार्यकाल पूरा होने पर 21.12.2024 से समिति के सदस्य का कार्यकाल समाप्त।

श्री अतुल कुमार गोयल, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, सेवानिवृत्ति के कारण दिनांक 31.12.2024 से समिति के सदस्य का कार्यकाल समाप्त।

21.01.2025 से, श्री अशोक चंद्र, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, को समिति के सदस्य के रूप में शामिल किया गया।

श्री कल्याण कुमार, कार्यपालक निदेशक, 21.01.2025 से इस समिति के सदस्य का कार्यकाल समाप्त।

### 3.9 Special Committee of the Board for Monitoring and Follow-up of cases of Frauds

**Brief description and terms of reference:**

The Committee has been constituted in terms of RBI's Master Directions on 'Fraud Risk Management in Commercial Banks (including Regional Rural Banks) and All India Financial Institutions' dated July 15, 2024.

The Committee has been constituted to oversee the effectiveness of the fraud risk management in the Bank.

The main functions of the Committee are as under:

(i) Oversee the effectiveness of the fraud risk management in the Bank;

(ii) Review and monitor cases of frauds, including root cause analysis and suggest mitigating measures for strengthening the internal controls, risk management framework and minimising the incidence of frauds. The coverage and periodicity of such reviews shall be decided by the Board of the Bank.

(iii) Cases remaining in red-flagged status beyond 180 days shall be reported to the Committee for review with adequate reasoning/ justification thereof.

**Composition of the Committee as on 31.03.2025:**

| Sr.No. | Name of the Director (S/Shri) | |
|---|---|---|
| 1. | K. G. Ananthakrishnan | Non-Executive Chairman, Chairperson |
| 2. | Ashok Chandra | MD & CEO, Member |
| 3. | M. Paramasivam | Executive Director, Member |
| 4. | Pankaj Sharma | GoI Nominee Director, Member |
| 5. | Jatinder Singh Bajaj | Shareholder Director, Member |

Shri Binod Kumar and Shri Bibhu Prasad Mahapatra, Executive Directors, ceased to be the members of the Committee w.e.f. 31.08.2024.

Shri Sanjeev Kumar Singhal, Part-time Non-official Director, ceased to be the member of the Committee w.e.f. 21.12.2024 on completion of his tenure on 20.12.2024.

Shri Atul Kumar Goel, MD&CEO, ceased to be the member of the Committee w.e.f. 31.12.2024 on completion of his tenure on attaining superannuation.

w.e.f. 21.01.2025, Shri Ashok Chandra, MD&CEO, was inducted as a member of the Committee.

Shri Kalyan Kumar, Executive Director, ceased to be a member of this Committee w.e.f. 21.01.2025.

**वित्तीय वर्ष के दौरान आयोजित बैठकों का विवरणः**

आयोजित बैठकों की संख्याः 5

**बैठकों की तिथियां:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15.04.2024 | 15.05.2024 | 15.07.2024 | 14.10.2024 | 25.03.2025 |

**वित्तीय वर्ष के दौरान सदस्य–निदेशकों द्वारा बैठकों में उपस्थिति की संख्याः**

| क्र. सं. | निदेशक का नाम (श्री / श्रीमती) | उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें | बैठकों में उपस्थिति |
|---|---|---|---|
| 1. | के. जी. अनंतकृष्णन | 5 | 5 |
| 2. | अतुल कुमार गोयल | 4 | 4 |
| 3. | अशोक चंद्र | 1 | 1 |
| 4. | कल्याण कुमार | 4 | 2 |
| 5. | बिनोद कुमार | 3 | 2 |
| 6. | एम. परमशिवम | 5 | 5 |
| 7. | बिभु प्रसाद महापात्र | 3 | 2 |
| 8. | पंकज शर्मा | 5 | 3 |
| 9. | संजीव कुमार सिंघल | 4 | 4 |
| 10. | जतिंदर सिंह बजाज | 5 | 3 |

**3.10 बोर्ड की आई.टी. कार्यनीति समितिः**

**संक्षिप्त विवरण और संदर्भ की शर्तें:**

समिति का गठन आरबीआई के सूचना प्रौद्योगिकी अभिशासन, जोखिम, नियंत्रण और आश्वासन प्रथाओं पर दिनांक 07.11.2023 के मास्टर निर्देश के अनुसार किया गया है। समिति का गठन यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया है कि कॉर्पोरेट प्रशासन पहल के हिस्से के रूप में, आईटी प्रशासन को भी संबोधित किया जाए, ताकि आईटी पर रणनीतिक दिशा पर सलाह दी जा सके और बोर्ड की ओर से आईटी निवेश की समीक्षा की जा सके।

कार्यनीति समिती के मुख्य कार्य इस प्रकार है

(i) सुनिश्चित करना कि बैंक ने एक प्रभावी आईटी रणनीतिक नियोजन प्रक्रिया लागू की है;

(ii) आईटी कार्यनीति तैयार करने में मार्गदर्शन करना तथा यह सुनिश्चित करना कि आईटी रणनीति बैंक के कारोबारी उद्देश्यों की पूर्ति की दिशा में उसकी समग्र रणनीति के साथ संरेखित हो;

(iii) यह सुनिश्चित करना कि आईटी अभिशासन और सूचना सुरक्षा अभिशासन संरचना जवाबदेही को बढ़ावा देती है, प्रभावी और कुशल है, इसमें पर्याप्त कुशल संसाधन, अच्छी तरह से परिभाषित उद्देश्य और संगठन में प्रत्येक स्तर के लिए स्पष्ट दायित्व हैं;

(iv) सुनिश्चित करना कि बैंक ने आईटी और साइबर सुरक्षा जोखिमों का आकलन और प्रबंधन करने हेतु प्रक्रियाएं लागू की हैं;

**Details of meetings held during the financial year:**

No. of Meetings held: 5

**Dates of Meetings:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15.04.2024 | 15.05.2024 | 15.07.2024 | 14.10.2024 | 25.03.2025 |

**No. of meetings attended by Member-Directors during the Financial Year:**

| Sr. No. | Name of Director (S/Shri) | Meetings held during their tenure | Meetings attended |
|---|---|---|---|
| 1. | K. G. Ananthakrishnan | 5 | 5 |
| 2. | Atul Kumar Goel | 4 | 4 |
| 3. | Ashok Chandra | 1 | 1 |
| 4. | Kalyan Kumar | 4 | 2 |
| 5. | Binod Kumar | 3 | 2 |
| 6. | M. Paramasivam | 5 | 5 |
| 7. | Bibhu Prasad Mahapatra | 3 | 2 |
| 8. | Pankaj Sharma | 5 | 3 |
| 9. | Sanjeev Kumar Singhal | 4 | 4 |
| 10. | Jatinder Singh Bajaj | 5 | 3 |

**3.10 I.T. Strategy Committee of the Board**

**Brief description and terms of reference:**

The Committee has been constituted as per RBI Master Direction on Information Technology Governance, Risk, Controls and Assurance Practices dated 07.11.2023. The Committee has been formed to ensure that as part of the Corporate Governance initiatives, IT Governance is also addressed, so as to advice on strategic direction on IT and to review IT investments on Board's behalf.

The main functions of the Committee are as under:

(i) Ensure that the Bank has put an effective IT strategic planning process in place;

(ii) Guide in preparation of IT Strategy and ensure that the IT Strategy aligns with the overall strategy of the Bank towards accomplishment of its business objectives;

(iii) Satisfy itself that the IT Governance and Information Security Governance structure fosters accountability, is effective and efficient, has adequate skilled resources, well defined objectives and unambiguous responsibilities for each level in the organisation;

(iv) Ensure that the Bank has put in place processes for assessing and managing IT and cybersecurity risks;

(v) सुनिश्चित करना कि आईटी कार्य (आईटी सुरक्षा सहित), साइबर सुरक्षा के लिए बजटीय आवंटन बैंक की आईटी परिपक्वता, डिजिटल गहराई, खतरे के माहौल और उद्योग मानकों के अनुरूप हैं और इनका उपयोग निर्दिष्ट उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किया जाता है; और

(vi) बैंक की कारोबारी निरंतरता नियोजन और आपदा सुधार प्रबंधन की पर्याप्तता और प्रभावशीलता की कम से कम वार्षिक आधार पर समीक्षा करना।

आरबीआई ने सूचना प्रौद्योगिकी अभिशासन, जोखिम, नियंत्रण और आश्वासन प्रथाओं पर दिनांक 07.11.2023 के अपने मास्टर निर्देश के माध्यम से, जो 1 अप्रैल, 2024 से प्रभावी है, बोर्ड की आईटी रणनीति समिति के कार्यों, गठन और आवृत्ति से संबंधित दिशानिर्देशों को संशोधित किया है।

**31.03.2025 तक समिति की संरचना:**

| क्र.सं. | निदेशक का नाम (श्री/श्रीमती) | |
|---|---|---|
| 1. | अम्बरीष ओझा | शेयरधारक निदेशक, अध्यक्ष |
| 2. | के. जी. अनंतकृष्णन | गैर–कार्यपालक अध्यक्ष, सदस्य |
| 3. | अशोक चंद्र | प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, सदस्य |
| 4. | एम. परमशिवम | कार्यपालक निदेशक, सदस्य |
| 5. | डी सुरेन्द्रन | कार्यपालक निदेशक, सदस्य |
| **आमंत्रित:**<br>(i) सीआईएसओ<br>(ii) सीआईओ (मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक – आईटी)<br>(iii) आईटी सलाहकार | | |

दिनांक 07.11.2023 के आरबीआई मास्टर निर्देश के अनुसार, जो 01.04.2024 से प्रभावी है, केवल निदेशक ही समिति के सदस्य होंगे और सीआईएसओ समिति में स्थायी आमंत्रित सदस्य होंगे। इसलिए, मुख्य कार्यपालक अधिकारी (मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक–आईटी) 01.04.2024 से समिति के सदस्य नहीं रहे और उन्हें आमंत्रित सदस्य के रूप में समिति से जोड़ा गया। इसके अलावा, सीआईएसओ को समिति के लिए स्थायी आमंत्रित सदस्य बनाया गया।

श्री बिनोद कुमार और श्री बिभु प्रसाद महापात्र, कार्यपालक निदेशक, की 31.08.2024 को समिति से सदस्यता समाप्त।

श्री अम्बरीष ओझा, शेयरधारक निदेशक, को 12.09.2024 से समिति के अध्यक्ष के रूप में शामिल किया गया। वे शेयरधारक निदेशक डॉ. रेखा जैन के स्थान पर काम करेंगे, जिनका कार्यकाल 11.09.2024 को पूरा हो गया।

श्री संजीव कुमार सिंघल, अंशकालिक गैर–सरकारी निदेशक, 20.12.2024 को अपना कार्यकाल पूर्ण होने पर 21.12.2024 से समिति की सदस्यता समाप्त।

श्री अशोक चंद्र, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक निदेशक, को 21.01.2025 से समिति के सदस्य के रूप में शामिल किया गया।

(v) Ensure that the budgetary allocations for the IT function (including for IT security), cyber security are commensurate with the Bank's IT maturity, digital depth, threat environment and industry standards and are utilised in a manner intended for meeting the stated objectives; and

(vi) Review, at least on annual basis, the adequacy and effectiveness of the Business Continuity Planning and Disaster Recovery Management of the Bank.

The RBI, vide its Master Direction on Information Technology Governance, Risk, Controls and Assurance Practices dated 07.11.2023, effective from April 1, 2024, revised guidelines related to functions, constitution and frequency of IT Strategy Committee of the Board.

**Composition of the Committee as on 31.03.2025:**

| Sr.No. | Name of the Director (Shri/Smt.) | |
|---|---|---|
| 1. | Ambarish Ojha | Shareholder Director, Chairperson |
| 2. | K. G. Ananthakrishnan | Non-Executive Chairman, Member |
| 3. | Ashok Chandra | MD & CEO, Member |
| 4. | M. Paramasivam | Executive Director, Member |
| 5. | D Surendran | Executive Director, Member |
| **Invitees:**<br>(i) CISO<br>(ii) CIO (CGM/ GM – IT)<br>(iii) I.T. Advisor | | |

As per RBI Master Direction dated 07.11.2023 effective from 01.04.2024, only directors shall be members of the committee and CISO shall be a permanent invitee to the Committee. Therefore, CIO (CGM/ GM-IT) ceased to be the member of the Committee w.e.f. 01.04.2024 and was associated with the Committee as an invitee. Further, CISO was made a permanent invitee for the Committee.

Shri Binod Kumar and Shri Bibhu Prasad Mahapatra, Executive Directors, ceased to be the members of the Committee w.e.f. 31.08.2024.

Shri Ambarish Ojha, Shareholder Director, was inducted as the Chairperson of the Committee w.e.f. 12.09.2024 in place of Dr. Rekha Jain, Shareholder Director, whose tenure completed on 11.09.2024.

Shri Sanjeev Kumar Singhal, Part-time Non-official Director, ceased to be the member of the Committee w.e.f. 21.12.2024 on completion of his tenure on 20.12.2024.

Shri Ashok Chandra, MD&CEO, was inducted as a member of the Committee w.e.f. 21.01.2025.

श्री डी. सुरेन्द्रन, कार्यपालक निदेशक को 26.03.2025 से श्री कल्याण कुमार, कार्यपालक निदेशक के स्थान पर समिति के सदस्य के रूप में शामिल किया गया।

**वित्तीय वर्ष के दौरान आयोजित बैठकों का विवरण:**

आयोजित बैठकों की संख्या: 4

**बैठकों की तिथियां:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 15.05.2024 | 15.07.2024 | 14.10.2024 | 27.02.2025 |

**वित्तीय वर्ष के दौरान सदस्य–निदेशकों द्वारा बैठकों में भाग लेने की संख्या:**

| क्र. सं. | निदेशक का नाम (श्री / श्रीमती) | उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें | बैठकों में उपस्थिति |
|---|---|---|---|
| 1. | के. जी. अनंतकृष्णन | 4 | 4 |
| 2. | अशोक चंद्र | 1 | 1 |
| 3. | कल्याण कुमार | 4 | 4 |
| 4. | बिनोद कुमार | 2 | 1 |
| 5. | एम. परमशिवम | 4 | 4 |
| 6. | बिभु प्रसाद महापात्र | 2 | 2 |
| 7. | डी सुरेन्द्रन | 0 | 0 |
| 8. | संजीव कुमार सिंघल | 3 | 3 |
| 9. | डॉ. रेखा जैन | 2 | 2 |
| 10. | अम्बरीष ओझा | 2 | 2 |

### 3.11 बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति

**संक्षिप्त विवरण एवं संदर्भ की शर्तें:**

समिति का गठन 'बैंकों में ग्राहक सेवा' पर आरबीआई के दिनांक 01.07.2015 के मास्टर परिपत्र के अनुसार किया गया है।

समिति का गठन बैंक को नीतियां बनाने और आंतरिक रूप से उनके अनुपालन का आकलन करने में सक्षम बनाने के लिए किया गया है, ताकि बैंक में कॉर्पोरेट अभिशासन संरचना को मजबूत किया जा सके और बैंक द्वारा प्रदान की जाने वाली ग्राहक सेवा की गुणवत्ता में निरंतर सुधार लाया जा सके।

बैंकों में ग्राहक सेवा' पर आरबीआई के दिनांक 01.07.2015 के मास्टर परिपत्र के अनुसार:

i) बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति, उदाहरण के लिए, निम्नलिखित पर विचार कर सकती है:

- एक व्यापक जमा नीति का निर्माण,
- जमाकर्ता की मृत्यु के बाद उसके खाते के संचालन जैसे मुद्दे,
- उपयुक्तता और औचित्य की दृष्टि से उत्पाद अनुमोदन प्रक्रिया,

W.e.f. 26.03.2025, Shri D Surendran, Executive Director, was inducted as a member of the Committee in place of Shri Kalyan Kumar, Executive Director.

**Details of meetings held during the financial year:**

No. of Meetings held: 4

**Dates of Meetings:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 15.05.2024 | 15.07.2024 | 14.10.2024 | 27.02.2025 |

**No. of meetings attended by Member-Directors during the Financial Year:**

| Sr. No. | Name of Director (Shri/Smt.) | Meetings held during their tenure | Meetings attended |
|---|---|---|---|
| 1. | K. G. Ananthakrishnan | 4 | 4 |
| 2. | Ashok Chandra | 1 | 1 |
| 3. | Kalyan Kumar | 4 | 4 |
| 4. | Binod Kumar | 2 | 1 |
| 5. | M. Paramasivam | 4 | 4 |
| 6. | Bibhu Prasad Mahapatra | 2 | 2 |
| 7. | D Surendran | 0 | 0 |
| 8. | Sanjeev Kumar Singhal | 3 | 3 |
| 9. | Dr. Rekha Jain | 2 | 2 |
| 10. | Ambarish Ojha | 2 | 2 |

### 3.11 Customer Service Committee

**Brief description and terms of reference:**

The Committee has been constituted in terms of RBI Master Circular dated 01.07.2015 on 'Customer Service in Banks'.

The Committee has been formed to enable the Bank to formulate policies and assess the compliance thereof internally with a view to strengthening the corporate governance structure in the Bank and also to bring about ongoing improvement in the quality of customer service provided by the Bank.

In terms of RBI Master Circular dated 01.07.2015 on 'Customer Service in Banks':

i) Customer Service Committee of the Board, illustratively, could address the following:

- formulation of a Comprehensive Deposit Policy,
- issues such as the treatment of death of a depositor for operations of his account,
- product approval process with a view to suitability and appropriateness,

- जमाकर्ता की संतुष्टि का वार्षिक सर्वेक्षण,
- ऐसी सेवाओं का त्रि–वर्षीय लेखापरीक्षा

ii) समिति ग्राहक सेवा की गुणवत्ता पर प्रभाव डालने वाले किसी अन्य मुद्दे की भी जांच कर सकती है। बैंक को बैंक में ग्राहक सेवा/ग्राहक देखभाल पहलुओं की समीक्षा करनी चाहिए और जहां भी सेवा की गुणवत्ता/कौशल में कमी देखी गई हो, वहां त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई शुरू करनी चाहिए।

iii) समिति को विभिन्न राज्यों के बैंकिंग लोकपालों द्वारा हल की गई शिकायतों/शिकायतों के संबंध में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए और बैंकिंग लोकपाल योजना के अंतर्गत पुरस्कारों के कार्यान्वयन की निगरानी करनी चाहिए।

iv) स्थायी समिति के कार्यकाल के दौरान उसके प्रदर्शन पर एक संक्षिप्त रिपोर्ट, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ समीक्षा किए गए क्षेत्रों, पहचान की गई प्रक्रियाओं/प्रथाओं और सरलीकृत/शुरू की गई प्रक्रियाओं का उल्लेख हो, समय–समय पर बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति को प्रस्तुत की जा सकती है।

v) समिति सभी एटीएम और शाखाओं के प्रवेश द्वार पर रैंप उपलब्ध कराने के संबंध में बैंक द्वारा की गई प्रगति की निगरानी करेगी ताकि व्हीलचेयर उपयोगकर्ता/दिव्यांग व्यक्ति आसानी से उन तक पहुंच सकें।

vi) समिति सभी मौजूदा एटीएम को ब्रेल कीपैड के साथ बोलने वाले एटीएम के रूप में परिवर्तित करने की समीक्षा करेगी।

vii) बैंक को बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति को उचित अंतराल पर, निरंतर आधार पर, मृतक जमाकर्ताओं/लॉकर किराएदारों/सुरक्षित अभिरक्षा लेख खातों के जमाकर्ताओं से संबंधित प्राप्त दावों की संख्या और निर्धारित अवधि से अधिक समय तक लंबित दावों का विवरण, इसके लिए कारण बताते हुए रिपोर्ट करनी चाहिए।

**31.03.2025 तक समिति की संरचना:**

| क्र.सं. | निदेशक का नाम (श्री/श्रीमती) | |
|---|---|---|
| 1. | अशोक चंद्र | प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, अध्यक्ष |
| 2. | बिभु प्रसाद महापात्र | कार्यपालक निदेशक, सदस्य |
| 3. | डी सुरेन्द्रन | कार्यपालक निदेशक, सदस्य |
| 4. | अम्बरीष ओझा | शेयरधारक निदेशक, सदस्य |
| 5. | **आमंत्रित** : (i) ग्राहक सेवा – विशेषज्ञ<br>(ii) ग्राहक प्रतिनिधि | |

श्री बिनोद कुमार और श्री एम. परमशिवम, कार्यपालक निदेशक, की 31.08.2024 को समिति से सदस्यता समाप्त।

श्री अम्बरीष ओझा, शेयरधारक निदेशक, को 12.09.2024 से डॉ. रेखा जैन, शेयरधारक निदेशक, जिनका कार्यकाल 11.09.2024 को पूर्ण हुआ, के स्थान पर समिति के सदस्य के रूप में शामिल किया गया।

- annual survey of depositor satisfaction,
- tri-enniel audit of such services

ii) The Committee could also examine any other issues having a bearing on the quality of customer service rendered. Bank to review customer service/ customer care aspects in the Bank and initiate prompt corrective action wherever service quality/ skill gaps have been noticed.

iii) The Committee should play a pro-active role with regard to complaints/ grievances resolved by Banking Ombudsmen of the various States and monitor the implementation of awards under the Banking Ombudsman Scheme.

iv) A brief report on the performance of the Standing Committee during its tenure indicating, inter alia, the areas reviewed, procedures / practices identified and simplified / introduced may be submitted periodically to the Customer Service Committee of the Board.

v) The Committee to monitor the progress made by the Bank with regard to providing ramps at the entrance of all ATMs and branches so that wheelchair users/ persons with disabilities can easily access them.

vi) The Committee to review conversion of all existing ATMs as talking ATMs with Braille keypads.

vii) Bank should report to the Customer Service Committee of the Board, at appropriate intervals, on an ongoing basis, the details of the number of claims received pertaining to deceased depositors / locker-hirers / depositors of safe custody article accounts and those pending beyond the stipulated period, giving reasons therefor.

**Composition of the Committee as on 31.03.2025:**

| Sr.No. | Name of the Director (Shri/Smt.) | |
|---|---|---|
| 1. | Ashok Chandra | MD & CEO, Chairperson |
| 2. | Bibhu Prasad Mahapatra | Executive Director, Member |
| 3. | D Surendran | Executive Director, Member |
| 4. | Ambarish Ojha | Shareholder Director, Member |
| 5. | **Invitees:** (i) Customer Service - Specialist<br>(ii) Customer Representative | |

Shri Binod Kumar and Shri M. Paramasivam, Executive Directors, ceased to be the members of the Committee w.e.f. 31.08.2024.

Shri Ambarish Ojha, Shareholder Director, was inducted as a member of the Committee w.e.f. 12.09.2024 in place of Dr. Rekha Jain, Shareholder Director, whose tenure completed on 11.09.2024.

श्री पंकज जोशी, अंशकालिक गैर–सरकारी निदेशक, 20.12.2024 को कार्यकाल पूर्ण होने पर 21.12.2024 से समिति की सदस्यता समाप्त।

श्री अतुल कुमार गोयल, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, जो समिति के अध्यक्ष थे, 31.12.2024 को सेवानिवृत्त और कार्यकाल पूर्ण होने पर समिति से सदस्यता समाप्त।

03.01.2025 से, श्री बिभु प्रसाद महापात्र, कार्यपालक निदेशक को सरकार द्वारा बैंक के, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी की नियुक्ति तक समिति के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया।

21.01.2025 से श्री अशोक चंद्र, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी को सदस्य के रूप में शामिल किया गया तथा उन्हें श्री बिभु प्रसाद महापात्र, कार्यपालक निदेशक के स्थान पर समिति का अध्यक्ष नामित किया गया, जो समिति के सदस्य बने रहे।

26.03.2025 से श्री डी सुरेंद्रन, कार्यपालक निदेशक को श्री कल्याण कुमार, कार्यपालक निदेशक के स्थान पर समिति का सदस्य नियुक्त किया गया।

**वित्तीय वर्ष के दौरान आयोजित बैठकों का विवरण:**

आयोजित बैठकों की संख्या: 4

**बैठकों की तिथियां:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 28.05.2024 | 17.08.2024 | 17.12.2024 | 15.03.2025 |

**वित्तीय वर्ष के दौरान सदस्य–निदेशकों द्वारा बैठकों में उपस्थिति की संख्या:**

| क्र. सं. | निदेशक का नाम (श्री / श्रीमती) | उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें | बैठकों में उपस्थिति |
|---|---|---|---|
| 1. | अतुल कुमार गोयल | 3 | 3 |
| 2. | अशोक चंद्र | 1 | 1 |
| 3. | कल्याण कुमार | 4 | 4 |
| 4. | बिनोद कुमार | 2 | 2 |
| 5. | एम. परमशिवम | 2 | 2 |
| 6. | बिभु प्रसाद महापात्र | 4 | 3 |
| 7. | डी सुरेन्द्रन | 0 | 0 |
| 8. | पंकज जोशी | 3 | 3 |
| 9. | रेखा जैन | 2 | 2 |
| 10. | अम्बरीष ओझा | 2 | 2 |

### 3.12 सतर्कता और गैर–सतर्कता मामलों की समीक्षा के लिए निदेशकों की समिति

**संक्षिप्त विवरण और संदर्भ की शर्तें:**

समिति का गठन आर्थिक मामलों के विभाग – बैंकिंग प्रभाग – सतर्कता अनुभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार किया गया है, जिसके अंतर्गत दिनांक 24.10.1990 को जारी पत्र संख्या 10 / 12 / 90 / VIG / CVOs जारी किए गए थे।

Shri Pankaj Joshi, Part-time Non-official Director, ceased to be the member of the Committee w.e.f. 21.12.2024 on completion of his tenure on 20.12.2024.

Shri Atul Kumar Goel, MD&CEO, who was the Chairperson of the Committee, ceased to be the member of the Committee w.e.f. 31.12.2024 on completion of his tenure on attaining superannuation.

W.e.f. 03.01.2025, Shri Bibhu Prasad Mahapatra, Executive Director, was designated as the Chairperson of the Committee till the appointment of the Bank's MD&CEO by the Government.

W.e.f. 21.01.2025, Shri Ashok Chandra, MD&CEO, was inducted as a member and designated as the Chairperson of the Committee in place of Shri Bibhu Prasad Mahapatra, Executive Director, who continued as a member of the Committee.

W.e.f. 26.03.2025, Shri D Surendran, Executive Director, was inducted as a member of the Committee in place of Shri Kalyan Kumar, Executive Director.

**Details of meetings held during the financial year:**

No. of Meetings held: 4

**Dates of Meetings:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 28.05.2024 | 17.08.2024 | 17.12.2024 | 15.03.2025 |

**No. of meetings attended by Member-Directors during the Financial Year:**

| Sr. No. | Name of Director (Shri/Smt.) | Meetings held during their tenure | Meetings attended |
|---|---|---|---|
| 1. | Atul Kumar Goel | 3 | 3 |
| 2. | Ashok Chandra | 1 | 1 |
| 3. | Kalyan Kumar | 4 | 4 |
| 4. | Binod Kumar | 2 | 2 |
| 5. | M. Paramasivam | 2 | 2 |
| 6. | Bibhu Prasad Mahapatra | 4 | 3 |
| 7. | D Surendran | 0 | 0 |
| 8. | Pankaj Joshi | 3 | 3 |
| 9. | Dr. Rekha Jain | 2 | 2 |
| 10. | Ambarish Ojha | 2 | 2 |

### 3.12 Committee of Directors to review Vigilance and Non-Vigilance Cases

**Brief description and terms of reference:**

The Committee has been constituted in terms of guidelines issued by Department of Economic Affairs - Banking Division - Vigilance Section, MoF, GoI vide its communication No. 10/12/90/VIG/CVOs dated 24.10.1990.

समिति का गठन सतर्कता अनुशासनात्मक मामलों, विभागीय जांचों की समीक्षा तथा अनुशासनात्मक जांचों के शीघ्र निपटान की निगरानी के लिए किया गया है।

**31.03.2025 की स्थिति के अनुसार समिति की संरचना:**

| क्र.सं. | निदेशक का नाम (श्री/श्रीमती) | |
|---|---|---|
| 1. | अशोक चंद्र | प्रबन्ध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी,अध्यक्ष |
| 2. | एम. परमशिवम | कार्यपालक निदेशक, सदस्य |
| 3. | डी सुरेन्द्रन | कार्यपालक निदेशक, सदस्य |
| 4. | पंकज शर्मा | सरकारी नामिती निदेशक, सदस्य |
| 5. | उमा शंकर | आरबीआई नामित निदेशक, सदस्य |

श्री बिनोद कुमार और श्री बिभु प्रसाद महापात्र, कार्यपालक निदेशक, 31.08.2024 से समिति के सदस्य नहीं रहेंगे।

श्री अतुल कुमार गोयल, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, जो समिति के अध्यक्ष थे, सेवानिवृत्ति प्राप्त करने पर अपना कार्यकाल पूरा होने पर 31.12.2024 से समिति के सदस्य नहीं रहेंगे।

दिनांक 03.01.2025 से , श्री कल्याण कुमार, कार्यपालक निदेशक को सरकार द्वारा बैंक के प्रबन्ध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी की नियुक्ति तक समिति के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया था। श्री कल्याण कुमार, कार्यपालक निदेशक, 21.01.2025 से समिति के सदस्य नहीं रहे।

दिनांक 21.01.2025 से, श्री अशोक चंद्र, प्रबन्ध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी को सदस्य के रूप में शामिल किया गया तथा उन्हें श्री कल्याण कुमार, कार्यपालक निदेशक, जो समिति के सदस्य बने रहे, के स्थान पर समिति का अध्यक्ष नामित किया गया।

दिनांक 26.03.2025 से, श्री डी सुरेन्द्रन, कार्यपालक निदेशक को श्री कल्याण कुमार, कार्यपालक निदेशक के स्थान पर समिति के सदस्य के रूप में शामिल किया गया।

**वित्तीय वर्ष के दौरान आयोजित बैठकों का विवरण:**

आयोजित बैठकों की संख्या: 4

**बैठकों की तिथियां:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 15.04.2024 | 16.07.2024 | 15.10.2024 | 24.03.2025 |

**वित्तीय वर्ष के दौरान सदस्य-निदेशकों द्वारा बैठकों में भाग लेने की संख्या:**

| क्र. सं. | निदेशक का नाम (श्री/श्रीमती) | उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें | बैठकों में उपस्थिति |
|---|---|---|---|
| 1. | अतुल कुमार गोयल | 3 | 3 |
| 2. | अशोक चंद्र | 1 | 1 |
| 3. | कल्याण कुमार | 4 | 2 |
| 4. | बिनोद कुमार | 2 | 2 |
| 5. | एम. परमशिवम | 4 | 4 |
| 6. | बिभु प्रसाद महापात्र | 2 | 1 |
| 7. | डी सुरेन्द्रन | 0 | 0 |
| 8. | पंकज शर्मा | 4 | 0 |
| 9. | उमा शंकर | 4 | 4 |

The Committee has been formed for the review of vigilance disciplinary cases, departmental enquiries and to monitor the speedy disposal of disciplinary enquiries.

**Composition of the Committee as on 31.03.2025:**

| Sr.No. | Name of the Director (S/Shri) | |
|---|---|---|
| 1. | Ashok Chandra | MD & CEO, Chairperson |
| 2. | M. Paramasivam | Executive Director, Member |
| 3. | D Surendran | Executive Director, Member |
| 4. | Pankaj Sharma | GoI Nominee Director, Member |
| 5. | Uma Sankar | RBI Nominee Director, Member |

Shri Binod Kumar and Shri Bibhu Prasad Mahapatra, Executive Directors, ceased to be the members of the Committee w.e.f. 31.08.2024.

Shri Atul Kumar Goel, MD&CEO, who was the Chairperson of the Committee, ceased to be the member of the Committee w.e.f. 31.12.2024 on completion of his tenure on attaining superannuation.

W.e.f. 03.01.2025, Shri Kalyan Kumar, Executive Director, was designated as the Chairperson of the Committee till the appointment of the Bank's MD&CEO by the Government. Shri Kalyan Kumar, Executive Director, ceased to be a member of the Committee w.e.f. 21.01.2025.

W.e.f. 21.01.2025, Shri Ashok Chandra, MD&CEO, was inducted as a member and designated as the Chairperson of the Committee in place of Shri Kalyan Kumar, Executive Director, who continued as a member of the Committee.

W.e.f. 26.03.2025, Shri D Surendran, Executive Director, was inducted as a member of the Committee in place of Shri Kalyan Kumar, Executive Director.

**Details of meetings held during the financial year:**

No. of Meetings held: 4

**Dates of Meetings:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 15.04.2024 | 16.07.2024 | 15.10.2024 | 24.03.2025 |

**No. of meetings attended by Member-Directors during the Financial Year:**

| Sr. No. | Name of Director (S/Shri) | Meetings held during their tenure | Meetings attended |
|---|---|---|---|
| 1. | Atul Kumar Goel | 3 | 3 |
| 2. | Ashok Chandra | 1 | 1 |
| 3. | Kalyan Kumar | 4 | 2 |
| 4. | Binod Kumar | 2 | 2 |
| 5. | M. Paramasivam | 4 | 4 |
| 6. | Bibhu Prasad Mahapatra | 2 | 1 |
| 7. | D Surendran | 0 | 0 |
| 8. | Pankaj Sharma | 4 | 0 |
| 9. | Uma Sankar | 4 | 4 |

### 3.13 निदेशकों की पदोन्नति समिति

**संक्षिप्त विवरण और विचारार्थ विषयः**

समिति का गठन डीएफएस, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र एफ.सं. 4/3/1/2012–आईआर दिनांक 01.02.2023 के संदर्भ में किया गया है।

डीएफएस के दिनांक 01.02.2023 के दिशानिर्देशों के अनुसार, समिति स्केल VI (डीजीएम) से स्केल VII (जीएम) और स्केल VII (जीएम) से स्केल VIII (सीजीएम) तक अधिकारियों की पदोन्नति के लिए चयन समिति के रूप में कार्य करती है।

**31.03.2025 की स्थिति के अनुसार समिति की संरचनाः**

| क्र.सं. | निदेशक का नाम (श्री/श्रीमती) | |
|---|---|---|
| 1. | अशोक चंद्र | प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, अध्यक्ष |
| 2. | पंकज शर्मा | सरकारी नामिती निदेशक, सदस्य |
| 3. | उमा शंकर | आरबीआई नामित निदेशक, सदस्य |
| **आमंत्रितः** दो विशेषज्ञ | | |

श्री अतुल कुमार गोयल, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, जो समिति के अध्यक्ष थे, सेवानिवृत्ति प्राप्त करने पर अपना कार्यकाल पूरा होने पर दिनांक 31.12.2024 से समिति के सदस्य नहीं रहेंगे।

दिनांक 03.01.2025 से, श्री कल्याण कुमार, कार्यपालक निदेशक को सरकार द्वारा बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी की नियुक्ति तक समिति के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया था। श्री कल्याण कुमार, कार्यपालक निदेशक, 21.01.2025 से इस समिति के सदस्य नहीं रहे।

दिनांक 21.01.2025 से, श्री अशोक चंद्र, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी को सदस्य के रूप में शामिल किया गया तथा उन्हें श्री कल्याण कुमार, कार्यपालक निदेशक के स्थान पर समिति का अध्यक्ष नामित किया गया।

**वित्तीय वर्ष के दौरान आयोजित बैठकों का विवरणः**

आयोजित बैठकों की संख्या : 3

**बैठक की तिथिः**

| | | |
|---|---|---|
| 10.03.2025 | 11.03.2025 | 12.03.2025 |

**वित्तीय वर्ष के दौरान सदस्य–निदेशकों द्वारा बैठकों में भाग लेने की संख्याः**

| क्र. सं. | निदेशक का नाम (श्री/श्रीमती) | उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें | बैठकों में उपस्थिति |
|---|---|---|---|
| 1. | अतुल कुमार गोयल | शून्य | शून्य |
| 2. | अशोक चंद्र | 3 | 3 |
| 3. | कल्याण कुमार | शून्य | शून्य |
| 4. | पंकज शर्मा | 3 | 3 |
| 5. | उमा शंकर | 3 | 3 |

### 3.13 Directors' Promotion Committee

**Brief description and terms of reference:**

The Committee has been constituted in terms of DFS, MoF, GoI letter F.No.4/3/1/2012-IR dated 01.02.2023.

In terms of DFS guidelines dated 01.02.2023, the Committee acts as Selection Committee for promotion of officers from Scale VI (DGM) to Scale VII (GM) and Scale VII (GM) to Scale VIII (CGM).

**Composition of the Committee as on 31.03.2025:**

| Sr.No. | Name of the Director (S/Shri) | |
|---|---|---|
| 1. | Ashok Chandra | MD & CEO, Chairperson |
| 2. | Pankaj Sharma | GoI Nominee Director, Member |
| 3. | Uma Sankar | RBI Nominee Director, Member |
| **Invitees:** Two Experts | | |

Shri Atul Kumar Goel, MD&CEO, who was the Chairperson of the Committee, ceased to be the member of the Committee w.e.f. 31.12.2024 on completion of his tenure on attaining superannuation.

W.e.f. 03.01.2025, Shri Kalyan Kumar, Executive Director, was designated as the Chairperson of the Committee till the appointment of the Bank's MD&CEO by the Government. Shri Kalyan Kumar, Executive Director, ceased to be a member of this Committee w.e.f. 21.01.2025.

W.e.f. 21.01.2025, Shri Ashok Chandra, MD&CEO, was inducted as a member and designated as the Chairperson of the Committee in place of Shri Kalyan Kumar, Executive Director.

**Details of meetings held during the financial year:**

No. of Meetings held: 3

**Dates of Meetings:**

| | | |
|---|---|---|
| 10.03.2025 | 11.03.2025 | 12.03.2025 |

**No. of meetings attended by Member-Directors during the Financial Year:**

| Sr. No. | Name of Director (S/Shri) | Meetings held during their tenure | Meetings attended |
|---|---|---|---|
| 1. | Atul Kumar Goel | 0 | 0 |
| 2. | Ashok Chandra | 3 | 3 |
| 3. | Kalyan Kumar | 0 | 0 |
| 4. | Pankaj Sharma | 3 | 3 |
| 5. | Uma Sankar | 3 | 3 |

### 3.14 अपील प्राधिकारी और समीक्षा प्राधिकारी

**संक्षिप्त विवरण और विचारार्थ विषय:**

समिति का गठन पीएनबी अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन एवं अपील) विनियम, 1977 के अनुसार किया गया है।

पीएनबी अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन और अपील) विनियम, 1977 के अनुसार, समिति (i) शीर्ष कार्यपालक ग्रेड (टीईजी) स्केल VIII के अधिकारियों और (ii) टीईजी स्केल VI/VII के अधिकारियों के लिए अपीलीय प्राधिकारी है, यदि प्रबन्ध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी अनुपस्थित हैं या यदि वह अनुशासनात्मक प्राधिकारी के रूप में कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा, समिति टीईजी स्केल VI/VII के अधिकारियों के लिए समीक्षा प्राधिकारी है।

**31.03.2025 की स्थिति के अनुसार समिति की संरचना:**

| क्र.सं. | निदेशक का नाम (श्री/श्रीमती) | |
|---|---|---|
| 1. | जतिंदर सिंह बजाज | शेयरधारक निदेशक, अध्यक्ष |
| 2. | पंकज शर्मा | सरकारी नामिती निदेशक, सदस्य |
| 3. | अम्बरीश ओझा | शेयरधारक निदेशक, सदस्य |

श्री पंकज जोशी, अंशकालिक गैर–सरकारी निदेशक को डॉ. रेखा जैन, शेयरधारक निदेशक, जिनका कार्यकाल 11.09.2024 को पूरा हो गया था, के स्थान पर 12.09.2024 से समिति के सदस्य के रूप में शामिल किया गया।

अंशकालिक गैर–सरकारी निदेशक श्री पंकज जोशी और श्री संजीव कुमार सिंघल 20.12.2024 को अपना कार्यकाल पूरा होने पर 21.12.2024 से समिति के सदस्य नहीं रहेंगे।

श्री अम्बरीश ओझा, शेयरधारक निदेशक, को 21.01.2025 से समिति के सदस्य के रूप में शामिल किया गया।

**वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं की गई।**

### 3.15 मानव संसाधन पर बोर्ड की संचालन समिति

**संक्षिप्त विवरण और विचारार्थ विषय:**

समिति का गठन वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के दिनांक 21.10.2011 के पत्र एफ.सं.9/18/2009–आईआर के अनुसार किया गया है, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के मानव संसाधन मुद्दों पर खंडेलवाल समिति की अनुशंसा शामिल हैं।

सरकार द्वारा अनुमोदित खंडेलवाल समिति की अनुशंसा के अनुसार:

(i) समिति प्रत्येक वर्ष 5 वर्ष की अवधि के लिए विस्तृत और संरचित जनशक्ति नियोजन अभ्यास की समीक्षा करेगी तथा इसे रणनीतिक, व्यावसायिक योजनाओं और यदि आवश्यक हो तो बाहरी विशेषज्ञ सलाह की सहायता से जनशक्ति नियोजन को संस्थागत बनाने के लिए उठाए गए कदमों से जोड़ेगी।

(ii) महत्वपूर्ण पदों की समीक्षा और महत्वपूर्ण तथा नेतृत्व पदों के लिए उत्तराधिकार नियोजन की प्रणाली। प्रत्येक महत्वपूर्ण पद को रिजर्व में तीन संभावित उत्तराधिकारियों द्वारा समर्थित किया जाना चाहिए।

(iii) मानव संसाधन के अन्य सभी महत्वपूर्ण मुद्दे।

### 3.14 Appellate Authority and Reviewing Authority

**Brief description and terms of reference:**

The Committee has been constituted in terms of PNB Officer Employees' (Discipline and Appeal) Regulations, 1977.

In terms of PNB Officer Employees' (Discipline and Appeal) Regulations, 1977, the Committee is the Appellate Authority for (i) Officers in Top Executive Grade (TEG) Scale VIII and (ii) Officers in TEG Scale VI/ VII in case of absence of MD & CEO or in case he/ she is functioning as Disciplinary Authority. Further, the Committee is the Reviewing Authority for Officers in TEG Scale VI/ VII.

**Composition of the Committee as on 31.03.2025:**

| Sr. No. | Name of the Director (Shri/Smt.) | |
|---|---|---|
| 1. | Jatinder Singh Bajaj | Shareholder Director, Chairperson |
| 2. | Pankaj Sharma | GoI Nominee Director, Member |
| 3. | Ambarish Ojha | Shareholder Director, Member |

Shri Pankaj Joshi, Part-time Non-official Director, was inducted as a member of the Committee w.e.f. 12.09.2024 in place of Dr. Rekha Jain, Shareholder Director, whose tenure completed on 11.09.2024.

Shri Pankaj Joshi and Shri Sanjeev Kumar Singhal, Part-time Non-official Directors, ceased to be the members of the Committee w.e.f. 21.12.2024 on completion of their tenure on 20.12.2024.

Shri Ambarish Ojha, Shareholder Director, was inducted as a member of the Committee w.e.f. 21.01.2025.

**No meeting of the Committee was held during FY 2024-25.**

### 3.15 Steering Committee of the Board on HR

**Brief description and terms of reference:**

The Committee has been constituted as per DFS, MoF, GoI letter F.No.9/18/2009-IR dated 21.10.2011 containing the recommendations of the Khandelwal Committee on Human Resources Issues of the Public Sector Banks.

As per the recommendations of the Khandelwal Committee, as approved by the Government:

(i) Committee to review detailed and structured manpower planning exercise every year for a time spectrum of 5 years linking it with strategic, business plans and steps taken to institutionalize manpower planning with the help of outside expert advice, if required.

(ii) Review of critical positions and system of succession planning for key critical and leadership positions. Each critical position should be backed up by three potential successors in the reserve.

(iii) All other critical issues of HR.

31.03.2025 की स्थिति के अनुसार संरचनाः

| क्र.सं. | निदेशक का नाम (श्री/श्रीमती) | |
|---|---|---|
| 1. | अशोक चंद्र | प्रबन्ध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, अध्यक्ष |
| 2. | डी सुरेन्द्रन | कार्यपालक निदेशक, सदस्य |
| 3. | पंकज शर्मा | सरकारी नामिती निदेशक, सदस्य |
| 4. | अम्बरीष ओझा | शेयरधारक निदेशक, सदस्य |
| 5. | बाह्य मानव संसाधन विशेषज्ञ | सदस्य |
| **आमंत्रित(श्री/श्रीमती):**<br>कल्याण कुमार<br>एम. परमशिवम<br>बिभु प्रसाद महापात्र | | कार्यपालक निदेशक<br>कार्यपालक निदेशक<br>कार्यपालक निदेशक |

श्री अम्बरीष ओझा, शेयरधारक निदेशक को डॉ. रेखा जैन, शेयरधारक निदेशक, जिनका कार्यकाल 11.09.2024 को पूरा हो गया था, के स्थान पर 12.09.2024 से समिति के सदस्य के रूप में शामिल किया गया।

श्री अतुल कुमार गोयल, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, जो समिति के अध्यक्ष थे, सेवानिवृत्ति प्राप्त करने पर अपना कार्यकाल पूरा होने पर 31.12.2024 से समिति के सदस्य नहीं रहेंगे।

दिनांक 03.01.2025 से, श्री कल्याण कुमार, कार्यपालक निदेशक को सरकार द्वारा बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी की नियुक्ति तक समिति का अध्यक्ष नामित किया गया।

दिनांक 21.01.2025 से, श्री अशोक चंद्र, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी को सदस्य के रूप में शामिल किया गया तथा उन्हें श्री कल्याण कुमार, कार्यपालक निदेशक, जो समिति के सदस्य बने रहे, के स्थान पर समिति का अध्यक्ष नामित किया गया।

दिनांक 26.03.2025 से, श्री डी सुरेन्द्रन, कार्यपालक निदेशक को श्री कल्याण कुमार, कार्यपालक निदेशक के स्थान पर समिति के सदस्य के रूप में शामिल किया गया।

**वित्तीय वर्ष के दौरान आयोजित बैठकों का विवरणः**

आयोजित बैठकों की संख्याः 5

**बैठक की तिथिः**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 18.06.2024 | 26.09.2024 | 14.11.2024 | 17.12.2024 |
| 28.02.2025 | | | |

**वित्तीय वर्ष के दौरान सदस्य–निदेशकों द्वारा बैठकों में भाग लेने की संख्याः**

| क्र. सं. | निदेशक का नाम (श्री/श्रीमती) | उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें | बैठकों में उपस्थिति |
|---|---|---|---|
| 1. | अतुल कुमार गोयल | 4 | 4 |
| 2. | अशोक चंद्र | 1 | 1 |
| 3. | कल्याण कुमार | 5 | 4 |
| 4. | डी. सुरेन्द्रन | 0 | 0 |
| 5. | पंकज शर्मा | 5 | 4 |
| 6. | डॉ. रेखा जैन | 1 | 1 |
| 7. | अम्बरीष ओझा | 4 | 4 |

**Composition as on 31.03.2025:**

| Sr.No. | Name of the Director (Shri/Smt.) | |
|---|---|---|
| 1. | Ashok Chandra | MD & CEO, Chairperson |
| 2. | D Surendran | Executive Director, Member |
| 3. | Pankaj Sharma | GoI Nominee Director, Member |
| 4. | Ambarish Ojha | Shareholder Director, Member |
| 5. | Outside HR Expert | Member |
| **Invitees(S/Shri):**<br>Kalyan Kumar<br>M. Paramasivam<br>Bibhu Prasad Mahapatra | | Executive Director<br>Executive Director<br>Executive Director |

Shri Ambarish Ojha, Shareholder Director, was inducted as a member of the Committee w.e.f. 12.09.2024 in place of Dr. Rekha Jain, Shareholder Director, whose tenure completed on 11.09.2024.

Shri Atul Kumar Goel, MD&CEO, who was the Chairperson of the Committee, ceased to be the member of the Committee w.e.f. 31.12.2024 on completion of his tenure on attaining superannuation.

W.e.f. 03.01.2025, Shri Kalyan Kumar, Executive Director, was designated as the Chairperson of the Committee till the appointment of the Bank's MD&CEO by the Government.

W.e.f. 21.01.2025, Shri Ashok Chandra, MD&CEO, was inducted as a member and designated as the Chairperson of the Committee in place of Shri Kalyan Kumar, Executive Director, who continued as a member of the Committee.

W.e.f. 26.03.2025, Shri D Surendran, Executive Director, was inducted as a member of the Committee in place of Shri Kalyan Kumar, Executive Director.

**Details of meetings held during the financial year:**

No. of Meetings held: 5

**Dates of Meetings:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 18.06.2024 | 26.09.2024 | 14.11.2024 | 17.12.2024 |
| 28.02.2025 | | | |

**No. of meetings attended by Member-Directors during the Financial Year:**

| S.No. | Name of Director (Shri/Smt.) | Meetings held during their tenure | Meetings attended |
|---|---|---|---|
| 1. | Atul Kumar Goel | 4 | 4 |
| 2. | Ashok Chandra | 1 | 1 |
| 3. | Kalyan Kumar | 5 | 4 |
| 4. | D Surendran | 0 | 0 |
| 5. | Pankaj Sharma | 5 | 4 |
| 6. | Dr. Rekha Jain | 1 | 1 |
| 7. | Ambarish Ojha | 4 | 4 |

### 3.16 शेयरधारक निदेशकों के चुनाव पर विचार करने के लिए समिति – सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा मतदान

**संक्षिप्त विवरण और विचारार्थ विषयः**

समिति का गठन डीएफएस परिपत्र संख्या 16/11/2012–बीओ–ए दिनांक 03.04.2012 के अनुसार किया गया है।

डीएफएस परिपत्र दिनांक 03.04.2012 के अनुसार, समिति विभिन्न उम्मीदवारों की योग्यता, अनुभव, प्रोफ़ाइल और पृष्ठभूमि पर सावधानीपूर्वक विचार करेगी और विभिन्न कंपनियों में शेयरधारक निदेशकों के चुनाव में उम्मीदवारों का समर्थन करने पर निर्णय लेगी, जिसमें विभिन्न वित्तीय संस्थान शामिल हैं जिनमें बैंक की इक्विटी है।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में शेयरधारक निदेशक के चुनाव के मामले में, विभिन्न क्षेत्रों में अपेक्षित विशेषज्ञता के संदर्भ में संस्था की आवश्यकता को भी ध्यान में रखा जाएगा। यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि किसी विशेष संस्था के लिए नाम से विशिष्ट प्राधिकरण वाले व्यक्तियों को ही अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अनुमति दी जाए।

**31.03.2025 की स्थिति के अनुसार समिति की संरचनाः**

| क्र.सं. | निदेशक का नाम (श्री/श्रीमती) | |
|---|---|---|
| 1. | अशोक चंद्र | प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, अध्यक्ष |
| 2. | एम. परमशिवम | कार्यपालक निदेशक, सदस्य |
| 3. | बिभु प्रसाद महापात्र | कार्यपालक निदेशक, सदस्य |
| 4. | जतिंदर सिंह बजाज | शेयरधारक निदेशक, सदस्य |

दिनांक 31.08.2024 से, श्री कल्याण कुमार और श्री विभु प्रसाद महापात्र, कार्यपालक निदेशक, समिति के सदस्य नहीं रहे तथा श्री जतिंदर सिंह बजाज, शेयरधारक निदेशक, को समिति के सदस्य के रूप में शामिल किया गया।

श्री अतुल कुमार गोयल, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, जो समिति के अध्यक्ष थे, सेवानिवृत्ति प्राप्त करने पर अपना कार्यकाल पूरा होने पर 31.12.2024 से समिति के सदस्य नहीं रहेंगे।

दिनांक 03.01.2025 से, श्री बिनोद कुमार, कार्यपालक निदेशक को सरकार द्वारा बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी की नियुक्ति तक समिति के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया।

श्री बिनोद कुमार, कार्यपालक निदेशक, इंडियन बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में उनकी नियुक्ति पर 16.01.2025 से समिति के सदस्य नहीं रहे।

दिनांक 21.01.2025 से, श्री अशोक चंद्र, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी को समिति के सदस्य के रूप में शामिल किया गया और उन्हें समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इसके अलावा, श्री बिभु प्रसाद महापात्र, कार्यपालक निदेशक को समिति के सदस्य के रूप में शामिल किया गया।

वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं की गई।

### 3.17 प्रदर्शन मूल्यांकन समिति

समिति का गठन डीएफएस, एमओएफ, भारत सरकार की अधिसूचनाओं एफ. संख्या 9/5/2009–आईआर दिनांक 30.08.2019, एफ. संख्या 9/5/2009–आईआर दिनांक 14.11.2019, एफ. संख्या 9/5/2009–आईआर (भाग II) दिनांक 23.03.2021 और ईएफ संख्या 9/5/2009–आईआर दिनांक 06.02.2023 के अनुसार किया गया है।

### 3.16 Committee to consider election of Shareholder Directors - Voting by Public Sector Banks

**Brief description and terms of reference:**

The Committee has been constituted in terms of DFS Circular No. 16/11/2012-BO-I dated 03.04.2012.

In terms of DFS Circular dated 03.04.2012, the Committee will carefully consider the qualifications, experience, profile and background of the various candidates and take a decision on supporting the candidates in the election for Shareholder Directors in various companies including various financial institutions in which the Bank has equity.

In case of election of Shareholder director in Public Sector Banks, the requirement of the institution in terms of the expertise required in various fields would also be taken into account. It may be ensured that only persons with specific authorization by name for a particular institution are allowed to exercise their voting rights.

**Composition of the Committee as on 31.03.2025:**

| Sr.No. | Name of the Director (S/Shri) | |
|---|---|---|
| 1. | Ashok Chandra | MD & CEO, Chairperson |
| 2. | M. Paramasivam | Executive Director, Member |
| 3. | Bibhu Prasad Mahapatra | Executive Director, Member |
| 4. | Jatinder Singh Bajaj | Shareholder Director, Member |

W.e.f. 31.08.2024, Shri Kalyan Kumar and Shri Bibhu Prasad Mahapatra, Executive Directors, ceased to be the members of the Committee and Shri Jatinder Singh Bajaj, Shareholder Director, was inducted as a member of the Committee.

Shri Atul Kumar Goel, MD&CEO, who was the Chairperson of the Committee, ceased to be the member of the Committee w.e.f. 31.12.2024 on completion of his tenure on attaining superannuation.

W.e.f. 03.01.2025, Shri Binod Kumar, Executive Director, was designated as the Chairperson of the Committee till the appointment of the Bank's MD&CEO by the Government.

Shri Binod Kumar, Executive Director, ceased to be the member of the Committee w.e.f. 16.01.2025 on his appointment as MD&CEO of Indian Bank.

W.e.f. 21.01.2025, Shri Ashok Chandra, MD&CEO, was inducted as a member and designated as the Chairperson of the Committee. Further, Shri Bibhu Prasad Mahapatra, Executive Director, was inducted as a member of the Committee.

No meeting of the Committee was held during FY 2024-25.

### 3.17 Performance Evaluation Committee

The Committee has been formed as per DFS, MoF, GoI notifications F. No. 9/5/2009-IR dated 30.08.2019, F. No. 9/5/2009-IR dated 14.11.2019, F. No. 9/5/2009-IR (Pt. II) dated 23.03.2021 and eF. No. 9/5/2009-IR dated 06.02.2023.

समिति का गठन आंतरिक नियंत्रण कार्यों (जोखिम, अनुपालन और लेखा परीक्षा) के प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक, कार्यपालक निदेशकों और प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी की वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट (एपीएआर) की रिकॉर्डिंग के लिए रिपोर्टिंग/समीक्षा/स्वीकृति प्राधिकारी के रूप में किया गया है।

दिनांक 06.02.2023 के डीएफएस दिशानिर्देशों के अनुसार, समिति:

क. प्रबंध निदेशक एवं सीईओ की एपीएआर की रिकॉर्डिंग के लिए रिपोर्टिंग प्राधिकारी, समीक्षा प्राधिकारी और स्वीकृति प्राधिकारी;

ख. कार्यपालक निदेशक/निदेशकों की वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट (एपीएआर) दर्ज करने के लिए समीक्षा प्राधिकारी और स्वीकृति प्राधिकारी; तथा

ग. आंतरिक नियंत्रण कार्यों (जोखिम, अनुपालन और लेखा परीक्षा) के प्रभारी मुख्य महाप्रबंधकों/महाप्रबंधकों की वार्षिक कार्य निष्पादन रिपोर्ट (एपीएआर) की रिकॉर्डिंग के लिए स्वीकृति प्राधिकारी।

**दिनांक 14.11.2019 के डीएफएस दिशानिर्देशों के अनुसार, समिति:**

क. जीएम/सीजीएम और ईडी के प्रदर्शन के मूल्यांकन के लिए मात्रात्मक और गुणात्मक प्रमुख प्रदर्शन संकेतक (केपीआई) स्थापित करना; और

ख. प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी के कार्यनिष्पादन के मूल्यांकन के लिए गुणात्मक और मात्रात्मक केपीआई को बैंक के बोर्ड के समक्ष बोर्ड द्वारा निर्णय हेतु प्रस्तावित करना।

**31.03.2025 की स्थिति के अनुसार समिति की संरचना:**

| क्र.सं. | निदेशक का नाम (श्री/श्रीमती) | |
|---|---|---|
| 1. | श्री के.जी.अनंतकृष्णन | गैर कार्यपालक अध्यक्ष, |
| 2. | पंकज शर्मा | सरकारी नामिती निदेशक, सदस्य |
| 3. | जतिंदर सिंह बजाज | शेयरधारक निदेशक, सदस्य |

श्री पंकज जोशी, अंशकालिक गैर–सरकारी निदेशक, 20.12.2024 को अपना कार्यकाल पूरा होने पर 21.12.2024 से समिति के सदस्य नहीं रहेंगे।

**वित्तीय वर्ष के दौरान आयोजित बैठकों का विवरण:**

आयोजित बैठकों की संख्या: 3

**बैठक की तिथि:**

| | | |
|---|---|---|
| 15.05.2024 | 26.09.2024 | 25.03.2025 |

**वित्तीय वर्ष के दौरान सदस्य–निदेशकों द्वारा बैठकों में भाग लेने की संख्या:**

| क्र. सं. | निदेशक का नाम (श्री/श्रीमती) | उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें | बैठकों में उपस्थिति |
|---|---|---|---|
| 1. | के.जी.अनंतकृष्णन | 3 | 3 |
| 2. | पंकज शर्मा | 3 | 1 |
| 3. | पंकज जोशी | 2 | 2 |
| 4. | जतिंदर सिंह बजाज | 3 | 3 |

The Committee has been formed as the Reporting/ Reviewing/ Accepting Authority for recording of Annual Performance Appraisal Report (APAR) of CGM/ GM in charge of internal control functions (Risk, Compliance and Audit), Executive Directors and Managing Director & CEO.

In terms of DFS guidelines dated 06.02.2023, the Committee is the:

a) Reporting authority, Reviewing authority and Accepting authority for recording of APAR of Managing Director and CEO;

b) Reviewing authority and Accepting authority for recording of APAR of Executive Director/s; and

c) Accepting authority for recording of APAR of CGMs/ GMs in charge of internal control functions (Risk, Compliance and Audit).

In terms of DFS guidelines dated 14.11.2019, the Committee shall:

a) set up quantitative and qualitative Key Performance Indicators (KPIs) for evaluation of performance of GMs/ CGMs and EDs; and

b) propose to the Bank's Board, for decision by the Board, qualitative and quantitative KPIs for evaluation of performance of the Managing Director and CEO.

**Composition of the Committee as on 31.03.2025:**

| Sr.No. | Name of the Director (S/Shri) | |
|---|---|---|
| 1. | Shri K G Ananthakrishnan | Non-Executive Chairman, Chairperson |
| 2. | Pankaj Sharma | GoI Nominee Director, Member |
| 3. | Jatinder Singh Bajaj | Shareholder Director, Member |

Shri Pankaj Joshi, Part-time Non-official Director, ceased to be the member of the Committee w.e.f. 21.12.2024 on completion of his tenure on 20.12.2024.

**Details of meetings held during the financial year:**

No. of Meetings held: 3

**Dates of Meetings:**

| | | |
|---|---|---|
| 15.05.2024 | 26.09.2024 | 25.03.2025 |

**No. of meetings attended by Member-Directors during the Financial Year:**

| Sr. No. | Name of Director (Shri/Smt.) | Meetings held during their tenure | Meetings attended |
|---|---|---|---|
| 1. | K. G. Ananthakrishnan | 3 | 3 |
| 2. | Pankaj Sharma | 3 | 1 |
| 3. | Pankaj Joshi | 2 | 2 |
| 4. | Jatinder Singh Bajaj | 3 | 3 |

### 3.18 कारोबार समीक्षा समिति

समिति के गठन से संबंधित कोई वैधानिक/नियामक दिशानिर्देश नहीं हैं ।

राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध एवं विविध प्रावधान) योजना , 1970 की धारा 14 के अनुसार , जिसमें यह कहा गया है कि बोर्ड ऐसी अन्य समितियों का गठन कर सकता है, जो पूर्णतः निदेशकों या पूर्णतः अन्य व्यक्तियों या आंशिक रूप से अन्य व्यक्तियों से मिलकर बनी हों, जैसा वह उचित समझे, बोर्ड द्वारा 19.03.2020 को आयोजित बैठक में व्यवसाय समीक्षा समिति का गठन किया गया।

समिति का गठन सभी व्यावसायिक क्षेत्रों की बोर्ड स्तरीय व्यावसायिक समीक्षा करने के लिए किया गया है।

**31.03.2025 की स्थिति के अनुसार समिति की संरचनाः**

| क्र.सं. | निदेशक का नाम (श्री/श्रीमती) | |
|---|---|---|
| 1. | अशोक चंद्र | प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, अध्यक्ष |
| 2. | कल्याण कुमार | कार्यपालक निदेशक, सदस्य |
| 3. | बिभु प्रसाद महापात्र | कार्यपालक निदेशक, सदस्य |
| 4. | जतिंदर सिंह बजाज | शेयरधारक निदेशक, सदस्य |

श्री एम. परमशिवम, कार्यपालक निदेशक, 31.08.2024 से समिति के सदस्य नहीं रहेंगे।

श्री पंकज जोशी, अंशकालिक गैर–सरकारी निदेशक, 20.12.2024 को अपना कार्यकाल पूरा होने पर 21.12.2024 से समिति के सदस्य नहीं रहेंगे।

श्री अतुल कुमार गोयल, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, जो समिति के अध्यक्ष थे, सेवानिवृत्ति प्राप्त करने पर अपना कार्यकाल पूरा होने पर 31.12.2024 से समिति के सदस्य नहीं रहेंगे।

दिनांक 03.01.2025 से, श्री बिनोद कुमार, कार्यपालक निदेशक को सरकार द्वारा बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी की नियुक्ति तक समिति के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया।

श्री बिनोद कुमार, कार्यपालक निदेशक, इंडियन बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में उनकी नियुक्ति पर 16.01.2025 से समिति के सदस्य नहीं रहे।

दिनांक 21.01.2025 से, श्री अशोक चंद्र, प्रबन्ध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी को सदस्य के रूप में शामिल किया गया तथा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया।

**वित्तीय वर्ष के दौरान आयोजित बैठकों का विवरणः**

आयोजित बैठकों की संख्याः 4

**बैठक की तिथिः**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 28.05.2024 | 17.08.2024 | 13.11.2024 | 15.03.2025 |

**वित्तीय वर्ष के दौरान सदस्य–निदेशकों द्वारा बैठकों में भाग लेने की संख्याः**

| क्र. सं. | निदेशक का नाम (श्री/श्रीमती) | उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें | बैठकों में उपस्थिति |
|---|---|---|---|
| 1. | अतुल कुमार गोयल | 3 | 3 |
| 2. | अशोक चन्द्र | 1 | 1 |

### 3.18 Business Review Committee

There are no statutory/ regulatory guidelines relating to constitution of the Committee.

In terms of Clause 14 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme,1970, which states that the Board may constitute such other Committees whether consisting wholly of directors or wholly of other persons or partly of other persons as it deems fit, the Business Review Committee was constituted by the Board at its meeting held on 19.03.2020.

The Committee has been constituted with the mandate to carry out Board level Business Review of all Business Verticals.

**Composition of the Committee as on 31.03.2025:**

| Sr.No. | Name of the Director (S/Shri) | |
|---|---|---|
| 1. | Ashok Chandra | MD & CEO, Chairperson |
| 2. | Kalyan Kumar | Executive Director, Member |
| 3. | Bibhu Prasad Mahapatra | Executive Director, Member |
| 4. | Jatinder Singh Bajaj | Shareholder Director, Member |

Shri M. Paramasivam, Executive Director, ceased to be the member of the Committee w.e.f. 31.08.2024.

Shri Pankaj Joshi, Part-time Non-official Director, ceased to be the member of the Committee w.e.f. 21.12.2024 on completion of his tenure on 20.12.2024.

Shri Atul Kumar Goel, MD&CEO, who was the Chairperson of the Committee, ceased to be the member of the Committee w.e.f. 31.12.2024 on completion of his tenure on attaining superannuation.

W.e.f. 03.01.2025, Shri Binod Kumar, Executive Director, was designated as the Chairperson of the Committee till the appointment of the Bank's MD&CEO by the Government.

Shri Binod Kumar, Executive Director, ceased to be the member of the Committee w.e.f. 16.01.2025 on his appointment as MD&CEO of Indian Bank.

W.e.f. 21.01.2025, Shri Ashok Chandra, MD&CEO, was inducted as a member and designated as the Chairperson of the Committee.

**Details of meetings held during the financial year:**

No. of Meetings held: 4

**Dates of Meetings:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 28.05.2024 | 17.08.2024 | 13.11.2024 | 15.03.2025 |

**No. of meetings attended by Member-Directors during the Financial Year:**

| Sr. No. | Name of Director (S/Shri) | Meetings held during their tenure | Meetings attended |
|---|---|---|---|
| 1. | Atul Kumar Goel | 3 | 3 |
| 2. | Ashok Chandra | 1 | 1 |

| क्र. सं. | निदेशक का नाम (श्री/श्रीमती) | उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें | बैठकों में उपस्थिति |
|---|---|---|---|
| 3. | कल्याण कुमार | 4 | 3 |
| 4. | बिनोद कुमार | 3 | 3 |
| 5. | एम. परमशिवम | 2 | 2 |
| 6. | बिभु प्रसाद महापात्र | 4 | 4 |
| 7. | पंकज जोशी | 3 | 3 |
| 8. | जतिंदर सिंह बजाज | 4 | 3 |

### 3.19 बोर्ड की पूंजी जुटाने वाली समिति

समिति के गठन से संबंधित कोई वैधानिक दिशा–निर्देश नहीं हैं।

- राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 के खंड 14 के अनुसार, बोर्ड ऐसी अन्य समितियों का गठन कर सकता है, जो पूरी तरह से निदेशकों से या पूरी तरह से अन्य व्यक्तियों से या आंशिक रूप से अन्य व्यक्तियों से मिलकर बनी हों, जैसा कि वह उचित समझे, पूंजी जुटाने वाली समिति का गठन बोर्ड द्वारा 09.07.2020 को आयोजित अपनी बैठक में किया गया था।

समिति का गठन पूंजी जुटाने से संबंधित विभिन्न मामलों पर निर्णय लेने के लिए किया गया है, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं:

- इक्विटी शेयरों का निर्गम और आबंटन जैसे निर्गमन का प्रकार, अनुपात, निर्गमन का समय और मूल्य, अग्रणी प्रबंधको, कानूनी सलाहकार, हामीदारो. की नियुक्ति जैसा आवश्यक हो और ऐसे सभी एजेंडे जो इक्विटी शेयरों की ऐसी पेशकश में शामिल या संबंधित हो सकते हैं और साथ ही ऐसी एजेंसियों के साथ ऐसी सभी व्यवस्थाएं/करार आदि करना और उन्हें निष्पादित करना और जहां बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं उन स्टॉक एक्सचेंजों पर जारी इक्विटी शेयरों की सूचीबद्धता की मांग करना।

- एक या एक से अधिक किस्तों, कूपन, परिपक्वता, क्रय विकल्प, समय, आबंटन का आधार, आबंटन तिथि और सभी पूर्व–जारी/जारी करने के बाद की औपचारिकताओं, बॉन्ड जारी करने, रेटिंग एजेंसी/ट्रस्टी, अरेंजर्स/सलाहकार और रजिस्ट्रार की नियुक्ति के लिए नियमों और शर्तो में संशोधन बेसल II अनुपालक अतिरिक्त टियर I/टियर II बॉन्ड के माध्यम से जुटाई जाने वाली पूंजी की मात्रा को अंतिम रूप देना/अनुमोदित करना।

**31.03.2025 की स्थिति के अनुसार समिति की संरचना:**

| क्र. सं. | निदेशक का नाम (श्री/श्रीमती) | |
|---|---|---|
| 1. | अशोक चन्द्र | प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, अध्यक्ष |
| 2. | कल्याण कुमार | कार्यपालक निदेशक, सदस्य |
| 3. | डी सुरेन्द्रन | कार्यपालक निदेशक, सदस्य |
| 4. | जतिंदर सिंह बजाज | शेयरधारक निदेशक, सदस्य |

| Sr. No. | Name of Director (S/Shri) | Meetings held during their tenure | Meetings attended |
|---|---|---|---|
| 3. | Kalyan Kumar | 4 | 3 |
| 4. | Binod Kumar | 3 | 3 |
| 5. | M. Paramasivam | 2 | 2 |
| 6. | Bibhu Prasad Mahapatra | 4 | 4 |
| 7. | Pankaj Joshi | 3 | 3 |
| 8. | Jatinder Singh Bajaj | 4 | 3 |

### 3.19 Capital Raising Committee of the Board

There are no statutory guidelines relating to constitution of the Committee.

In terms of Clause 14 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme,1970, which states that the Board may constitute such other Committees whether consisting wholly of directors or wholly of other persons or partly of other persons as it deems fit, the Capital Raising Committee was constituted by the Board at its meeting held on 09.07.2020.

The Committee has been constituted for deciding on various matters relating to raising of capital including but not limited to:

- Issue and allotment of equity shares such as type of issue, proportion, timing and price of the issue, appointment of Lead Managers, Legal Advisors, Underwriters as may be necessary and all such agendas as may be involved or concerned in such offering of Equity Shares and also to enter into and execute all such arrangements/ agreements etc., with such agencies and to seek the listing of Equity Shares issued on the Stock Exchanges where the Shares of the Bank are listed

- Finalizing/ approving the quantum of capital to be raised through Basel II Compliant Additional Tier I / Tier II Bonds in one or more tranches, coupon, maturity, call option, timing, basis of allotment, allotment date and all pre-issue/ post-issue formalities, modification in terms and conditions for issuance of Bonds, appointment of Rating Agency/ Trustee, Arrangers/ Advisors and Registrar to the Issue.

**Composition of the Committee as on 31.03.2025:**

| Sr.No. | Name of the Director (S/Shri) | |
|---|---|---|
| 1. | Ashok Chandra | MD & CEO, Chairperson |
| 2. | Kalyan Kumar | Executive Director, Member |
| 3. | D Surendran | Executive Director, Member |
| 4. | Jatinder Singh Bajaj | Shareholder Director, Member |

श्री एम. परमशिवम और श्री बिभु प्रसाद महापात्र, कार्यपालक निदेशक, 31.08.2024 से समिति के सदस्य नहीं रहे।

श्री पंकज जोशी और श्री संजीव कुमार सिंघल, अंशकालिक गैर–आधिकारिक निदेशक, 20.12.2024 को अपने कार्यकाल की समाप्ति के पश्चात 21.12.2024 से समिति के सदस्य नहीं रहे।

श्री अतुल कुमार गोयल, एमडी एवं सीईओ, जो समिति के अध्यक्ष थे, 31.12.2024 को सेवानिवृत्ति पर पश्चात अपने कार्यकाल की समाप्ति पर समिति के सदस्य नहीं रहे।

दिनांक 03.01.2025 से, श्री बिनोद कुमार, कार्यपालक निदेशक, को समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया जब तक कि सरकार द्वारा बैंक के एमडी एवं सीईओ की नियुक्ति नहीं की जाती। इसके अलावा, श्री जतिंदर सिंह बजाज, शेयरधारक निदेशक, को समिति का सदस्य नियुक्त किया गया।

श्री बिनोद कुमार, कार्यपालक निदेशक, 16.01.2025 से इंडियन बैंक के एमडी एवं सीईओ के रूप में नियुक्त किए जाने पर समिति के सदस्य नहीं रहे।

दिनांक 21.01.2025 से, श्री अशोक चंद्र, एमडी एवं सीईओ, को समिति के सदस्य के रूप में नामित किया गया और उन्हें समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया।

श्री डी सुरेंद्रन, कार्यपालक निदेशक, को 26.03.2025 से समिति का सदस्य नामित किया गया।

**वित्तीय वर्ष के दौरान आयोजित बैठकों का विवरणः**

आयोजित बैठकों की संख्याः 3

बैठक की तिथिः

| | | |
|---|---|---|
| 23.09.2024 | 26.09.2024 | 27.09.2024 |

**वित्तीय वर्ष के दौरान सदस्य–निदेशकों द्वारा बैठकों में उपस्थिति की संख्याः**

| क्र. सं. | निदेशक का नाम (श्री / श्रीमती) | उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें | बैठकों में उपस्थिति |
|---|---|---|---|
| 1. | अतुल कुमार गोयल | 3 | 3 |
| 2. | अशोक चन्द्र | 0 | 0 |
| 3. | कल्याण कुमार | 3 | 3 |
| 4. | बिनोद कुमार | 3 | 3 |
| 5. | एम. परमशिवम | 0 | 0 |
| 6. | बिभु प्रसाद महापात्र | 0 | 0 |
| 7. | डी सुरेन्द्रन | 0 | 0 |
| 8. | पंकज जोशी | 3 | 3 |
| 9. | संजीव कुमार सिंघल | 3 | 3 |
| 10. | जतिंदर सिंह बजाज | 0 | 0 |

Shri M. Paramasivam and Shri Bibhu Prasad Mahapatra, Executive Directors, ceased to be the members of the Committee w.e.f. 31.08.2024.

Shri Pankaj Joshi and Shri Sanjeev Kumar Singhal, Part-time Non-official Directors, ceased to be the members of the Committee w.e.f. 21.12.2024 on completion of their tenure on 20.12.2024.

Shri Atul Kumar Goel, MD&CEO, who was the Chairperson of the Committee, ceased to be the member of the Committee w.e.f. 31.12.2024 on completion of his tenure on attaining superannuation.

W.e.f. 03.01.2025, Shri Binod Kumar, Executive Director, was designated as the Chairperson of the Committee till the appointment of the Bank's MD&CEO by the Government. Further, Shri Jatinder Singh Bajaj, Shareholder Director, was inducted as a member of the Committee.

Shri Binod Kumar, Executive Director, ceased to be the member of the Committee w.e.f. 16.01.2025 on his appointment as MD&CEO of Indian Bank.

W.e.f. 21.01.2025, Shri Ashok Chandra, MD&CEO, was inducted as a member and designated as the Chairperson of the Committee.

Shri D Surendran, Executive Director, was inducted as a member of the Committee w.e.f. 26.03.2025.

**Details of meetings held during the financial year:**

No. of Meetings held: 3

Dates of Meetings:

| | | |
|---|---|---|
| 23.09.2024 | 26.09.2024 | 27.09.2024 |

**No. of meetings attended by Member-Directors during the Financial Year:**

| Sr. No. | Name of Director (S/Shri) | Meetings held during their tenure | Meetings attended |
|---|---|---|---|
| 1. | Atul Kumar Goel | 3 | 3 |
| 2. | Ashok Chandra | 0 | 0 |
| 3. | Kalyan Kumar | 3 | 3 |
| 4. | Binod Kumar | 3 | 3 |
| 5. | M. Paramasivam | 0 | 0 |
| 6. | Bibhu Prasad Mahapatra | 0 | 0 |
| 7. | D Surendran | 0 | 0 |
| 8. | Pankaj Joshi | 3 | 3 |
| 9. | Sanjeev Kumar Singhal | 3 | 3 |
| 10. | Jatinder Singh Bajaj | 0 | 0 |

**4. निदेशकों का पारिश्रमिकः**

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी तथा कार्यपालक निदेशकों को भारत सरकार द्वारा बनाए गए निर्धारित नियमों के अनुसार वेतन के रूप में पारिश्रमिक दिया जा रहा है। वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान पूर्णकालिक निदेशकों को दिए गए पारिश्रमिक का विवरण इस प्रकार हैः

| क्र.सं. | नाम (श्री) | पदनाम | भुगतान किया गया पारिश्रमिक ¼₹ में½* | पीएफ का अंशदान ¼₹ में½* | चिकित्सा ¼₹ में½ | प्रदर्शन से संबंधित प्रोत्साहन ¼₹ में½ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | अशोक चन्द्र | प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी | 814591.74 | 53241.29 | 6774.10 | 0.00 |
| 2. | अतुल कुमार गोयल^ | प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी | 3323364.00 | 201960.00 | 147471.05 | 2154240.00 |
| 3. | कल्याण कुमार | कार्यपालक निदेशक | 3846780.00 | 244200.00 | 106126.01 | 1896480.00 |
| 4. | एम परमशिवम | कार्यपालक निदेशक | 3742230.00 | 244200.00 | 120489.00 | 1896480.00 |
| 5. | बिभु प्रसाद महापात्र | कार्यपालक निदेशक | 3527076.00 | 230160.00 | 150580.77 | 865462.00 |
| 6. | डी सुरेन्द्रन | कार्यपालक निदेशक | 69807.49 | 4562.57 | 0.00 | 0.00 |
| 7. | बिनोद कुमार# | कार्यपालक निदेशक | 2953046.13 | 192619.33 | 73776.72 | 1896480.00 |
| 8. | विजय दुबे$ | कार्यपालक निदेशक | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 805600.00 |

** इसमें सेवानिवृत्ति पर ग्रेच्युटी और अवकाश नकदीकरण शामिल है*

*^31.12.2024 को सेवानिवृत्त हुए*

*#16.01.2025 को इंडियन बैंक के एमडी एवं सीईओ के रूप में नियुक्त हुए*

*$ 31.08.2023 को निदेशक पद से मुक्त हुए*

सेवा अनुबंध और नोटिस अवधि सहित नियुक्ति की शर्तें सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुसार हैं। किसी भी निदेशक को कोई विच्छेद शुल्क देय नहीं है। इसके अलावा, बैंक द्वारा किसी भी निदेशक को कोई स्टॉक विकल्प जारी नहीं किया गया है।

बैंक गैर–कार्यपालक निदेशकों को बोर्ड और उनकी समितियों की बैठकों में भाग लेने के लिए भारत सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुसार बोर्ड द्वारा अनुमो. दित शुल्क के अलावा अन्य किसी पारिश्रमिक का भुगतान नहीं करता है। देय शुल्क निम्नानुसार हैः–

| क्र.सं. | बैठक | प्रत्येक बैठक में भाग लेने के लिये देय शुल्क (₹) |
|---|---|---|
| (ए) | बोर्ड | 70,000/- |
| (बी) | बोर्ड की समिति | 35,000/- |
| (सी) | बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता के लिए | 20,000/- [उपरोक्त (ए) के अतिरिक्त] |
| (डी) | बोर्ड समिति की बैठक की अध्यक्षता के लिए | 10,000/- [उपरोक्त (बी) के अतिरिक्त] |

**वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान गैर–कार्यपालक निदेशकों को बैठक के लिए किया गया भुगतान**

| क्र.सं. | निदेशक के नाम (श्री / श्रीमती) | प्रदत्त बैठक शुल्क (₹ में) |
|---|---|---|
| 1. | के. जी. अनंतकृष्णन | 24,25,000/- |
| 2. | पंकज जोशी | 22,60,000/- |
| 3. | संजीव कुमार सिंघल | 23,35,000/- |
| 4. | डॉ. रेखा जैन | 14,25,000/- |
| 5. | जतिंदर सिंह बजाज | 17,80,000/- |
| 6. | अम्बरीष ओझा | 18,65,000/- |

*नोटः भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक का प्रतिनिधित्व करने वाले निदेशकों और पूर्णकालिक निदेशकों को किसी बैठक शुल्क का भुगतान नहीं किया गया।*

**5. पिछले वित्तीय वर्ष तक की समाप्ति के बाद से उसमें हुए परिवर्तनों सहित वरिष्ठ प्रबंधन का विवरणः**

**ए. 31.03.2025 के अनुसार वरिष्ठ प्रबंधन का विवरणः**

| क्र.सं. | नाम (श्री / श्रीमती / सुश्री) | पदनाम | तैनाती का स्थान |
|---|---|---|---|
| 1. | राघवेन्द्र कुमार | मुख्य सतर्कता अधिकारी | प्रधान कार्यालय |
| 2. | दिलीप कुमार जैन | मुख्य वित्तीय अधिकारी – मुख्य महाप्रबंधक | वित्त विभाग, प्रधान कार्यालय |
| 3. | वी सुन्दरेसन | मुख्य महाप्रबंधक | ऋण समीक्षा एवं निगरानी प्रभाग, प्रधान कार्यालय |

**4. Remuneration of Directors:**

The Managing Director & CEO and the Executive Directors are being paid remuneration by way of salary as per rules framed by the Government of India. The details of remuneration paid to Whole Time Director(s) during the F.Y. 2024-25 are as under:

| Sr.No. | Name (Shri) | Designation | Emoluments paid (₹)* | PF Contribution (₹) | Medical (₹) | Performance Linked Incentive (₹) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ashok Chandra | MD & CEO | 814591.74 | 53241.29 | 6774.10 | 0.00 |
| 2. | Atul Kumar Goel^ | MD & CEO | 3323364.00 | 201960.00 | 147471.05 | 2154240.00 |
| 3. | Kalyan Kumar | Executive Director | 3846780.00 | 244200.00 | 106126.01 | 1896480.00 |
| 4. | M Paramasivam | Executive Director | 3742230.00 | 244200.00 | 120489.00 | 1896480.00 |
| 5. | Bibhu Prasad Mahapatra | Executive Director | 3527076.00 | 230160.00 | 150580.77 | 865462.00 |
| 6. | D Surendran | Executive Director | 69807.49 | 4562.57 | 0.00 | 0.00 |
| 7. | Binod Kumar# | Executive Director | 2953046.13 | 192619.33 | 73776.72 | 1896480.00 |
| 8. | Vijay Dube$ | Executive Director | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 805600.00 |

** includes Gratuity and Leave Encashment on retirement*

*^Superannuated on 31.12.2024*

*#Appointed as MD & CEO of Indian Bank on 16.01.2025*

*$ Ceased to be director on 31.08.2023*

Terms of appointment including service contracts and notice period are as per Government guidelines. No severance fee is payable to any Director. Further, no stock options have been issued by the Bank to any of the Director.

The Bank does not pay remuneration to the Non-Executive Directors except sitting fees approved by the Board in terms of Government of India guidelines, for attending the meetings of the Board and its Committees. The fees payable is as under :-

| Sr. No. | Meeting | Sitting Fees payable per Meeting (₹) |
|---|---|---|
| (a) | Board | 70,000/- |
| (b) | Committee of Board | 35,000/- |
| (c) | For Chairing Board Meeting | 20,000/- [in addition to (a) above] |
| (d) | For Chairing meeting of Committees | 10,000/- [in addition to (b) above] |

**The total Sitting Fee paid to the Non-Executive Directors during the Year 2024-25 is as under:**

| Sr. No. | Name of the Director (Shri/Smt.) | Sitting Fee paid (₹) |
|---|---|---|
| 1. | K. G. Ananthakrishnan | 24,25,000/- |
| 2. | Pankaj Joshi | 22,60,000/- |
| 3. | Sanjeev Kumar Singhal | 23,35,000/- |
| 4. | Dr. Rekha Jain | 14,25,000/- |
| 5. | Jatinder Singh Bajaj | 17,80,000/- |
| 6. | Ambarish Ojha | 18,65,000/- |

***Note:*** *No sitting fee is payable to whole time directors and directors representing Government of India and Reserve Bank of India.*

**5. Particulars of senior management including the changes therein since the close of the previous financial year:**

**a. Particulars of Senior Management as on 31.03.2025:**

| Sr. No. | Name (S/Shri/Ms.) | Designation | Place of Posting |
|---|---|---|---|
| 1. | Raghvendra Kumar | Chief Vigilance Officer | Head Office |
| 2. | Dilip Kumar Jain | Chief Financial Officer - CGM | Finance Division, Head Office |
| 3. | V Sundaresan | Chief General Manager | Credit Review and Monitoring Division, Head Office |

| क्र.सं. | नाम (श्री/श्रीमती/सुश्री) | पदनाम | तैनाती का स्थान |
|---|---|---|---|
| 4. | समीर बाजपेयी | अंचल प्रबंधक– मुख्य महाप्रबंधक | अंचल कार्यालय, कोलकाता |
| 5. | अमित कुमार श्रीवास्तव | समूह मुख्य जोखिम अधिकारी– मुख्य महाप्रबंधक | आईआरएमडी – एफआरएमडी, प्रधान कार्यालय |
| 6. | हेमंत वर्मा | मुख्य महाप्रबंधक | आईटी प्रभाग, प्रधान कार्यालय |
| 7. | संजय वार्ष्णेय | मुख्य महाप्रबंधक | सामान्य बैंकिंग प्रभाग, प्रधान कार्यालय |
| 8. | राकेश ग्रोवर | मुख्य महाप्रबंधक | सस्त्र प्रभाग, प्रधान कार्यालय |
| 9. | संजीवन निखर | समूह मुख्य अनुपालन अधिकारी– मुख्य महाप्रबंधक | अनुपालन प्रभाग, प्रधान कार्यालय |
| 10. | राकेश गाँधी | मुख्य महाप्रबंधक | बोर्ड एवं समन्वय प्रभाग, प्रधान कार्यालय |
| 11. | सुनील कुमार चुघ | मुख्य महाप्रबंधक | वित्तीय समावेशन प्रभाग, प्रधान कार्यालय |
| 12. | सुरेश कुमार राणा | मुख्य महाप्रबंधक | एचआरडी प्रभाग, प्रधान कार्यालय |
| 13. | फ़िरोज़ हसनैन | अंचल प्रबंधक– मुख्य महाप्रबंधक | अंचल कार्यालय, मुंबई |
| 14. | बिनय कुमार गुप्ता | मुख्य महाप्रबंधक | बीए – आरएम प्रभाग, प्रधान कार्यालय |
| 15. | सुनील कुमार गोयल | मुख्य महाप्रबंधक | डिजिटल बैंकिंग रूपांतरण प्रभाग, प्रधान कार्यालय |
| 16. | संजय गुप्ता | मुख्य महाप्रबंधक | निरिक्षण एवं लेखा परीक्षा प्रभाग |
| 17. | सुनील अग्रवाल | मुख्य महाप्रबंधक | सस्त्र प्रभाग, प्रधान कार्यालय |
| 18. | अमरेश प्रसाद | मुख्य महाप्रबंधक | लेनदेन निगरानी प्रभाग, प्रधान कार्यालय |
| 19. | एकता पसरीचा | कंपनी सचिव | बोर्ड एवं समन्वय प्रभाग, प्रधान कार्यालय |

**बी. वरिष्ठ प्रबंधन में परिवर्तन का विवरण:**

| क्र.सं. | कार्यपालक का नाम (श्री/श्रीमती) | पिछला कार्यभार | नया कार्यभार | परिवर्तन की प्रभावी तिथि |
|---|---|---|---|---|
| 1. | अमरेश प्रसाद | महाप्रबंधक, ऋण समीक्षा एवं निगरानी प्रभाग, प्रधान कार्यालय | मुख्य महाप्रबंधक, लेनदेन निगरानी – फ्रॉड जोखिम प्रबंधन प्रभाग, प्रधान कार्यालय | 03.04.2024 |
| 2. | बलबीर सिंह | महाप्रबंधक, बोर्ड एवं समन्वय प्रभाग, प्रधान कार्यालय | महाप्रबंधक, अंचल प्रबंधक, अंचल कार्यालय, मेरठ | 29.07.2024 |
| 3. | एकता पसरीचा | उप महाप्रबंधक, कंपनी सचिव | उप महाप्रबंधक, कंपनी सचिव एवं बोर्ड सचिव | 30.07.2024 |
| 4. | राजीवा | मुख्य महाप्रबंधक | कार्यपालक निदेशक, पंजाब एण्ड सिंध बैंक | 09.08.2024 |
| 5. | समीर बाजपेयी | अंचल प्रबंधक– मुख्य महाप्रबंधक, अंचल कार्यालय, दिल्ली | अंचल प्रबंधक– मुख्य महाप्रबंधक, अंचल कार्यालय, कोलकाता | 09.08.2024 |
| 6. | बिनय कुमार गुप्ता | मुख्य महाप्रबंधक, सस्त्र प्रभाग, प्रधान कार्यालय | मुख्य महाप्रबंधक, बीए – आरएम प्रभाग, नई दिल्ली, प्रधान कार्यालय | 09.08.2024 |
| 7. | सुनील कुमार अग्रवाल | मुख्य महाप्रबंधक, बीए – आरएम प्रभाग, प्रधान कार्यालय | मानव संसाधन विकास प्रभाग, प्रधान कार्यालय को रिपोर्ट किया | 09.08.2024 |

**6. विवेकाधीन अपेक्षाओं का अनुपालन**

| क्र.सं. | गैर अनिवार्य अपेक्षाएँ | कार्यान्वयन की स्थिति |
|---|---|---|
| ए | **बोर्ड** – गैर–कार्यपालक अध्यक्ष कंपनी के व्यय पर अध्यक्ष के कार्यालय का रखरखाव करने के लिए पात्र हो सकते हैं। | बैंक के बोर्ड में गैर कार्यपालक अध्यक्ष हैं जिन्हें बैंक के व्यय पर एक कार्यालय प्रदान किया जाता है तथा उन्हें संबंधित दिशानिर्देशों और विनियमन के अनुसार अन्य व्ययों की अनुमति है। |
| बी | **शेयरधारकों के अधिकार** – पिछले छ महीनों में महत्वपूर्ण घटनाओं के सार सहित वित्तीय प्रदर्शन की अर्ध–वार्षिक घोषणा प्रत्येक शेयरधारक को भेजी जा सकती है। | तिमाही/वार्षिक वित्तीय परिणाम, एनएसई/बीएसई को भेजे जाते हैं, समाचार पत्रों में प्रकाशित किये जाते हैं सेबी के दिशा निर्देशों के अनुसार वार्षिक रिपोर्ट एजीएम से पहले शेयरधारकों को भेजी जाती है। |
| सी | **लेखापरीक्षा रिपोर्ट में संशोधित मत** – सूचीबद्ध इकाई असंशोधित लेखापरीक्षा मत के साथ वित्तीय विवरणी की व्यवस्था की ओर बढ़ सकती है। | बैंक की वार्षिक वित्तीय विवरणी बिना शर्त है. महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ एवं लेखों पर टिप्पणियां अनुसूचियों में दी गई हैं जो व्याख्यात्मक प्रकृति की हैं। |

| Sr. No. | Name (S/Shri/Ms.) | Designation | Place of Posting |
|---|---|---|---|
| 4. | Sameer Bajpai | Zonal Manager- CGM | Zonal Office, Kolkata |
| 5. | Amit Kumar Srivastava | Group Chief Risk Officer- CGM | IRMD & FRMD, Head Office |
| 6. | Hemant Verma | Chief General Manager | IT Division, Head Office |
| 7. | Sanjay Varshneya | Chief General Manager | General Banking Division, Head Office |
| 8. | Rakesh Grover | Chief General Manager | SASTRA Division, Head Office |
| 9. | Sanjeevan Nikhar | Group Chief Compliance Officer-CGM | Compliance Division, Head Office |
| 10. | Rakesh Gandhi | Chief General Manager | Board & Co-ordination Division, Head Office |
| 11. | Sunil Kumar Chugh | Chief General Manager | Financial Inclusion Division, Head Office |
| 12. | Suresh Kumar Rana | Chief General Manager | HRD Division, Head Office |
| 13. | Firoz Hasnain | Zonal Manager- CGM | Zonal Office, Mumbai |
| 14. | Binay Kumar Gupta | Chief General Manager | BA & RM Division, Head Office |
| 15. | Sunil Kumar Goyal | Chief General Manager | Digital Banking Transformation Division, Head Office |
| 16. | Sanjay Gupta | Chief General Manager | Inspection & Audit Division |
| 17. | Sunil Agrawal | Chief General Manager | SASTRA Division, Head Office |
| 18. | Amresh Prasad | Chief General Manager | Transaction Monitoring Division, Head Office |
| 19. | Ekta Pasricha | Company Secretary | Board & Coordination Division, Head Office |

**b. Details of change in Senior Management:**

| Sr.No. | Name of the Executive (S/Shri) | Previous Assignment | New Assignment | Effective Date of Change |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Amresh Prasad | General Manager, Credit Review and Monitoring Division, Head Office | Chief General Manager Transaction Monitoring & Fraud Risk Management Division, Head Office | 03.04.2024 |
| 2. | Balbir Singh | General Manager, Board & Co-ordination Division, Head Office | General Manager, Zonal Manager, Zonal Office Meerut | 29.07.2024 |
| 3. | Ekta Pasricha | Deputy General Manager, Company Secretary | Deputy General Manager, Company Secretary and Board Secretary | 30.07.2024 |
| 4. | Rajeeva | Chief General Manager | Executive Director of Punjab & Sind Bank | 09.08.2024 |
| 5. | Sameer Bajpai | Zonal Manager- CGM, Zonal Office, Delhi | Zonal Manager- CGM, Zonal Office, Kolkata | 09.08.2024 |
| 6. | Binay Kumar Gupta | CGM, SASTRA Division, Head Office | CGM, BA & RM Division, New Delhi, Head Office | 09.08.2024 |
| 7. | Sunil Kumar Agrawal | CGM, BA & RM Division, Head Office | Human Resources Development Division, Head Office | 09.08.2024 |

**6. Compliance of discretionary requirements**

| Sr. No. | Non Mandatory requirements | Status of implementation |
|---|---|---|
| A | **The Board -** A Non-Executive Chairman may be entitled to maintain a Chairman's office at the listed entity's expense | The Board of the Bank has a Non-Executive Chairman who is provided with an office at Bank's expense and he is allowed other expenses as per related guidelines and regulations. |
| B | **Shareholders' Rights -** A half-yearly declaration of financial performance including summary of the significant events in last six-months, may be sent to each household of shareholders. | The quarterly / Annual Financial Results are submitted to NSE/BSE, published in newspapers and placed on Bank's website. Annual reports are also sent to the shareholders before the AGM in accordance with SEBI guidelines. |
| C | **Modified opinion(s) in Audit Report -** The listed entity may move towards a regime of financial statements with unmodified audit opinion. | The Bank's Annual Financial Statements are unqualified. Significant Accounting Policies and Notes to Accounts are contained in schedules, which are explanatory in nature. |

| | | |
|---|---|---|
| डी | गैर कार्यपालक अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी के अलग–अलग पद –सूचीबद्ध इकाई अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक या मुख्य कार्यपालक अधिकारी के पद पर अलग–अलग व्यक्ति की नियुक्ति कर सकती हैं जैसे अध्यक्ष होगा–<br><br>(ए) गैर कार्यपालक निदेशक; तथा<br>(बी) कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत "संबंधी" शब्द की परिभाषा के अनुसार प्रबंध निदेशक या मुख्य कार्यपालक अधिकारी से संबंधित नहीं है। | बैंक बोर्ड के पास अलग से गैर कार्यपालक अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी हैं। तथापि, गैर कार्यपालक अध्यक्ष प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी से संबंधित नहीं है। |
| इ | **आन्तरिक लेखा परीक्षक की रिपोर्टिंग – आन्तरिक लेखा परीक्षक सीधे लेखा परीक्षा समिति को रिपोर्ट कर सकते हैं।** | मुख्य महाप्रबंधक (निरीक्षण एवं लेखा परीक्षा), बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति को आन्तरिक लेखा परीक्षा कार्य की रिपोर्ट करते हैं । |
| एफ | **स्वतन्त्र निदेशक** – बाजार पूंजीकरण के अनुसार शीर्ष 2000 सूचीबद्ध इकाईयों के गैर–स्वतन्त्र निदेशक और प्रबंधन के सदस्यों की गैर–मौजूदगी में वर्ष में कम से कम दो बैठकें आयोजित करने का प्रयास करें और सभी स्वतन्त्र निदेशक ऐसी बैठकों में भाग लेने का प्रयास करें। | स्वतन्त्र निदेशकों की वर्ष 2024–25 के दौरान एक बैठक दिनांक 30.07.2024 को आयोजित हुई । |

**7. कॉर्पोरेट अभिशसन अपेक्षाओं के अनुपालन का प्रकटीकरण:**

| विषय सं. | शीर्षक / संक्षिप्त विवरण | अनुपालन की स्थिति |
|---|---|---|
| 17 | निदेशक मंडल | बैंक का गठन बैंककारी कंपनी(उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 के अंतर्गत किया गया<br><br>31.03.2025 बैंक बोर्ड में कुल 6 रिक्तियां थी बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3) राष्ट्रीयकृत बैंक योजना 1970 के साथ पठित के अनुसार बैंक बोर्ड में निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है सिवाय शेयरधारक निदेशकों के जो केंद्र सरकार के अलावा अन्य शेयरधारकों में से चुने जाते है।<br><br>12.09.2024 से बैंक बोर्ड में कोई भी स्वतन्त्र महिला निदेशक नहीं है।<br><br>इसके अतिरिक्त, बोर्ड की समितियों का गठन और दायरा मौजूदा आएबीई/सेबी/भारत सरकार और अन्य लागू दिशानिर्देशों के अनुसार, जैसा की रिपोर्ट में विस्तृत रूप से बताया गया है।<br><br>बोर्ड अनिवार्य रूप से बैंक की व्यावसायिक रणनीति और निष्पादन, अनुपालन, शासन और जोखिम प्रबंधन पर चर्चा करता है बोर्ड के कामकाज में पारदर्शिता तथा स्वतंत्रता सुनिश्चित की जाती है। |
| 18 | लेखा परीक्षा समिति | बी(एलओडीआर) विनियमन 18 (1)(ब) विनियमन के अनुसार लेखापरीक्षा समिति के कम से कम एक सदस्य के पास लेखांकन या वित्तीय प्रबंधन संबंधी विशेषज्ञता होनी चाहिए।<br><br>श्री संजीव कुमार सिंघल, अंशकालिक गैर–सरकारी निदेशक, जो 20.12.2023 से 20.12.2024 तक बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष थे, पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट थे और तदनुसार लेखांकन में अपेक्षित विशेज्ञ थे, उनका बैंक बोर्ड में कार्यपालक का कार्यकाल दिनांक 20.12.2024 को पूर्ण हो गया। तत्पश्चात अर्थात् दिनांक 21.12.2024 से लेखा परीक्षा समिति का कोई सदस्य लेखांकन या वित्तीय प्रबंधन संबंधी विशेषज्ञ नहीं है।<br><br>बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970, राष्ट्रीयकृत बैंक(विविध तथा प्रावधान) योजना 1970 के साथ पठित के अनुसार बैंक बोर्ड में निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है सिवाय शेयरधारक निदेशकों के जो केंद्र सरकार के अलावा अन्य शेयरधारकों में से चुने जाते है जो वर्तमान में केवल दो शेयरधारक निदेशक चुनने की अनुमति देता है। |

| | | |
|---|---|---|
| D | **Separate posts of Chairperson and the Managing Director or the Chief Executive Officer -** The listed entity may appoint separate persons to the post of the Chairperson and the Managing Director or the Chief Executive Officer, such that the Chairperson shall –<br>(a) be a non-executive director; and<br>(b) not be related to the Managing Director or the Chief Executive Officer as per the definition of the term "relative" defined under the Companies Act, 2013. | The Board of the Bank has separate Non-Executive Chairman and Managing Director & Chief Executive Officer. Further, the Non-Executive Chairman is not related to the Managing Director & Chief Executive Director. |
| E | **Reporting of Internal Auditor -** The internal auditor may report directly to the Audit Committee. | Chief General Manager (Inspection & Audit) heading the Internal Audit function reports to the Audit Committee of Board. |
| F | **Independent Directors -** The independent directors of top 2000 listed entities as per market capitalization shall endeavour to hold at least two meetings in a financial year, without the presence of non-independent directors and members of the management and all the independent directors shall endeavour to be present at such meetings. | One meeting of the Independent Directors was held during the year 2024-25 on 30.07.2024. |

**7. Disclosure of compliance with Corporate Governance Requirements:**

| Reg. No. | Title/Brief description | Compliance Status |
|---|---|---|
| 17 | Board of Directors | The Bank is constituted under the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970.<br>As on 31.03.2025, there were 6 vacancies on the Board of the Bank. In terms of Section 9(3) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 read with the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, the appointment of Directors on the Board of the Bank is done by Government of India except Shareholder Directors who are elected from amongst the shareholders, other than Central Government.<br>There is no independent woman Director on the Board of the Bank w.e.f. 12.09.2024.<br>Further, the constitution and scope of the Committees of the Board is as per extant RBI/ SEBI/ GoI and other applicable guidelines as detailed in the report above.<br>The Board extensively deliberates upon business strategy and execution, compliance, governance and risk management of the Bank. Transparency and independence in functioning of the Board is ensured. |
| 18 | Audit Committee | In terms of Regulation 18(1)(c) of SEBI (LODR) Regulations, at least one member of the Audit Committee shall have accounting or related financial management expertise.<br>Shri Sanjeev Kumar Singhal, Part-time Non-official Director, who was the Chairperson of the Audit Committee of the Board w.e.f. 06.10.2023 to 20.12.2024 was Chartered Accountant by profession and accordingly, had the requisite expertise in accounting; his tenure as Director on the Board of the Bank completed on 20.12.2024. Thereafter, w.e.f. 21.12.2024, ACB has no member with accounting or related financial management expertise.<br>In terms of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 read with the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, the appointment of Directors on the Board of the Bank is done by Government of India except Shareholder Directors who are elected to the Board as per public shareholding of the Bank which currently permits to elect only two Shareholder Directors on the Board. |

| विषय सं. | शीर्षक / संक्षिप्त विवरण | अनुपालन की स्थिति |
|---|---|---|
| 19 | नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति | अनुपालन किया गया |
| 20 | हितधारक संबंध समिति | अनुपालन किया गया |
| 21 | जोखिम प्रबंधन समिति | अनुपालन किया गया |
| 22 | सतर्कता तंत्र | अनुपालन किया गया |
| 23 | संबंधित पक्षों का लेनदेन | अनुपालन किया गया |
| 24 | सूचीबद्ध इकाई की सहायक कंपनी के संबंध में कॉर्पोरेट अभिशासन अपेक्षाएं | अनुपालन किया गया |
| 24ए | सचिवीय लेखा परीक्षा | अनुपालन किया गया |
| 25 | स्वतंत्र निदेशकों के संबंध में दायित्व | अनुपालन किया गया |
| 26 | वरिष्ठ प्रबंधन, प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्तियों, निदेशकों और प्रवर्तकों सहित कर्मचारियों के विषय में दायित्व | अनुपालन किया गया |
| 27 | अन्य कॉर्पोरेट अभिशासन अपेक्षाएं | अनुपालन किया गया |
| 46 (2) (बी) से (i) तक | वेबसाइट | अनुपालन किया गया |

## 8. आम सभा की बैठकें

शेयरधारकों की पिछले तीन वर्षों के दौरान हुई वार्षिक आम बैठकों (एजीएम) का विवरण इस प्रकार हैं :

| बैठक का प्रकार | दिन, तारीख और समय | कार्यक्रम का स्थान | उद्देश्य |
|---|---|---|---|
| 21वीं एजीएम | गुरुवार, 30 जून, 2022 सुबह 11.00 बजे | यह बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य दृश्य–श्रव्य माध्यमों से आयोजित की गई थी, जिसका स्थान बैंक का प्रधान कार्यालय माना गया था। | ❖ 31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक की लेखापरीक्षित बैलेंस शीट और लाभ एवं हानि खाते पर चर्चा, अनुमोदन एवं अंगीकरण करना।<br>❖ वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए बैंक के इक्विटी शेयरों पर लाभांश घोषित करना।<br>❖ एकमुश्त प्रतिभूति लेनदेन (प्रतिभूतियों की बिक्री / खरीद), मुद्रा बाजार लेनदेन, प्रतिभूतियों की प्राथमिक सदस्यता, ईबीपी के माध्यम से पीएनबी एनसीडी जारी करने में सुरक्षा अरेंजर सेवाएं और ऐसे अन्य लेनदेन जो पीएनबी गिल्ट्स लिमिटेड (सहायक), पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (एसोसिएट), पीएनबी मेटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (एसोसिएट) के साथ संबंधित वित्तीय वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनने वाले नोटों में प्रकट किए जा सकते हैं, महत्वपूर्ण पक्ष लेनदेन पर विचार और अनुमोदन करना जैसाकि।<br>❖ पीएनबी गिल्ट्स लिमिटेड (सहायक कंपनी) और पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (एसोसिएट) के साथ ऋण और अग्रिम के लिए महत्वपूर्ण संबंधित पार्टी लेनदेन पर विचार करना और उसे अनुमोदित करना।<br>❖ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (सहयोगी) के साथ आईबीपीसी लेनदेन के लिए महत्वपूर्ण संबंधित पक्ष लेनदेन पर विचार करना और अनुमोदन करना।<br>❖ पीएनबी गिल्ट्स लिमिटेड (सहायक कंपनी) और पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (एसोसिएट) के साथ चालू खातों में महत्वपूर्ण संबंधित पार्टी लेनदेन पर विचार करना और उसे अनुमोदित करना।<br>❖ ड्रुक पीएनबी बैंक लिमिटेड (अंतर्राष्ट्रीय सहायक कंपनी) और एवरेस्ट बैंक लिमिटेड (अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त उद्यम) के साथ नोस्ट्रो खाते में महत्वपूर्ण संबंध ीपक्ष लेनदेन पर विचार करना और अनुमोदित करना। |

| Reg. No. | Title/Brief description | Compliance Status |
|---|---|---|
| 19 | Nomination and Remuneration Committee | Complied With |
| 20 | Stakeholders Relationship Committee | Complied With |
| 21 | Risk Management Committee | Complied With |
| 22 | Vigil Mechanism | Complied With |
| 23 | Related Party Transactions | Complied With |
| 24 | Corporate governance requirements with respect to subsidiary of listed entity | Complied With |
| 24A | Secretarial Audit | Complied With |
| 25 | Obligations with respect to Independent Directors | Complied With |
| 26 | Obligations with respect to employees including Senior Management, Key Managerial Persons, Directors and Promoters | Complied With |
| 27 | Other corporate governance requirements | Complied With |
| 46 (2) (b) to (i) | Website | Complied With |

**8. General Body Meetings**

The details of Annual General Meetings (AGM) of shareholders during the last three years are as follows:

| Type of Meeting | Day, Date & Time | Venue | Purpose |
|---|---|---|---|
| 21st AGM | Thursday, June 30, 2022 at 11.00 a.m. | The meeting was convened through Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual Means with the deemed venue being the Head Office of the Bank | ❖ To discuss, approve & adopt the Audited Balance Sheet and Profit & Loss Account of the Bank for year ended 31.03.2022.<br>❖ To declare dividend on the equity shares of the Bank for the financial year 2021-22.<br>❖ To consider and approve the Material Related Party Transaction for outright securities transactions (sale/ purchase of securities), Money Market transactions, Primary subscription of securities, Security Arranger services in PNBs NCD issuances through EBP and also such other transactions as may be disclosed in the notes forming part of the Financial Statements for the relevant Financial Year with PNB Gilts Limited (Subsidiary), PNB Housing Finance Ltd. (Associate), PNB Metlife India Insurance Company Ltd. (Associate).<br>❖ To consider and approve the Material Related Party Transactions for Loans and Advances with PNB Gilts Ltd. (Subsidiary) and PNB Housing Finance Ltd. (Associate).<br>❖ To consider and approve the Material Related Party Transactions for IBPC Transactions with Regional Rural Banks (Associates).<br>❖ To consider and approve the Material Related Party Transactions in the Current Accounts with PNB Gilts Ltd. (Subsidiary) and PNB Housing Finance Ltd. (Associate).<br>❖ To consider and approve the Material Related Party Transactions in the Nostro Account with Druk PNB Bank Ltd. (International Subsidiary) & Everest Bank Ltd. (International Joint Venture). |

| बैठक का प्रकार | दिन, तारीख और समय | कार्यक्रम का स्थान | उद्देश्य |
|---|---|---|---|
| 22वीं एजीएम | शुक्रवार, 30 जून 2023, प्रातः 11.00 बजे | यह बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) / अन्य दृश्य–श्रव्य माध्यमों से आयोजित की गई थी, जिसका स्थान बैंक का प्रधान कार्यालय माना गया था। | ❖ 31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए बैक के लेखा परीक्षित तुलन पत्र एवं लाभ–हानि लेखे पर परिचर्चा करना, अनुमोदन करना एवं अपनाना।<br>❖ वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए बैंक के इक्विटी शेयरों पर लाभांश घोषित करना।<br>❖ एकमुश्त प्रतिभूति लेनदेन (प्रतिभूतियों की बिक्री/खरीद), मुद्रा बाजार लेनदेन, प्रतिभूतियों की प्राथमिक सदस्यता, ईबीपी के माध्यम से पीएनबी एनसीडी जारी करने में सुरक्षा अरेंजर सेवाएं और ऐसे अन्य लेनदेन जैसे सरकारी प्रतिभूतियों (जी–सेक), पीएसयू के बांड/डिबेंचर, अन्य निकायों की खरीद/बिक्री के लिए सामग्री संबंधित पार्टी लेनदेन पर विचार करना और अनुमोदित करना, जैसा कि पीएनबी गिल्ट्स लिमिटेड (सहायक), पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (एसोसिएट), पीएनबी मेटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (एसोसिएट) के साथ संबंधित वित्तीय वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनने वाले नोटों में प्रकट किया जा सकता है।<br>❖ पीएनबी गिल्ट्स लिमिटेड (सहायक कंपनी) और पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (एसोसिएट) के साथ ऋण और अग्रिम के लिए महत्वपूर्ण संबंधित पक्ष लेन–देन पर विचार करना और उसे अनुमोदित करना।<br>❖ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (सहयोगी) के साथ आईबीपीसी लेनदेन के लिए महत्वपूर्ण संबंधित पक्ष लेनदेन पर विचार करना और अनुमोदन करना।<br>❖ पीएनबी गिल्ट्स लिमिटेड (सहायक कंपनी) और पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (एसोसिएट) के साथ चालू खातों में महत्वपूर्ण संबंधित पक्ष लेनदेन पर विचार करना और उसे अनुमोदित करना।<br>❖ ड्रुक पीएनबी बैंक लिमिटेड (अंतर्राष्ट्रीय सहायक कंपनी) और एवरेस्ट बैंक लिमिटेड (अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त उद्यम) के साथ नोस्ट्रो खाते में महत्वपूर्ण पक्ष लेनदेन पर विचार करना और अनुमोदित करना।<br>❖ बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में श्री अतुल कुमार गोयल की नियुक्ति पर विचार करना एवं उसे अनुमोदित करना।<br>❖ बैंक के बोर्ड में भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर केन्द्र सरकार द्वारा नामित निदेशक के रूप में श्री अनिल कुमार मिश्रा की नियुक्ति पर विचार करना तथा उसे अनुमोदित करना।<br>❖ बैंक के बोर्ड में भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक के रूप में श्री पंकज शर्मा की नियुक्ति पर विचार करना और उसे अनुमोदित करना।<br>❖ बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में श्री बिनोद कुमार की नियुक्ति पर विचार करना और उसे अनुमोदित करना।<br>❖ बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में श्री एम. परमशिवम की नियुक्ति पर विचार करना और उसे अनुमोदित करना।<br>❖ बैंक के बोर्ड में अंशकालिक गैर–सरकारी निदेशक और गैर–कार्यपालक अध्यक्ष (स्वतंत्र) के रूप में श्री के.जी. अनंतकृष्णन की नियुक्ति पर विचार करना और उसे अनुमोदित करना। (विशेष प्रस्ताव)<br>❖ कर्मचारी स्टॉक खरीद योजना (ईएसपीएस) के माध्यम से कर्मचारियों को इक्विटी शेयर जारी करने पर विचार करना और उसे अनुमोदित करना। (विशेष प्रस्ताव) |

| Type of Meeting | Day, Date & Time | Venue | Purpose |
|---|---|---|---|
| 22nd AGM | Friday, June 30, 2023 at 11.00 a.m. | The meeting was convened through Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual Means with the deemed venue being the Head Office of the Bank | ❖ To discuss, approve & adopt the Audited Balance Sheet and Profit & Loss Account of the Bank for year ended 31.03.2023.<br>❖ To declare dividend on the equity shares of the Bank for the financial year 2022-23.<br>❖ To consider and approve the Material Related Party Transaction for outright securities transactions (sale/ purchase of securities), Money Market transactions, Primary subscription of securities, Security Arranger services in PNBs NCD issuances through EBP and also such other transactions such as purchase/ sale of Government Securities (G-Sec), Bonds/Debentures of PSUs, other bodies as may be disclosed in the notes forming part of the Financial Statements for the relevant Financial Year with PNB Gilts Limited (Subsidiary), PNB Housing Finance Ltd. (Associate), PNB Metlife India Insurance Company Ltd. (Associate).<br>❖ To consider and approve the Material Related Party Transactions for Loans and Advances with PNB Gilts Ltd. (Subsidiary) and PNB Housing Finance Ltd. (Associate).<br>❖ To consider and approve the Material Related Party Transactions for IBPC Transactions with Regional Rural Banks (Associates).<br>❖ To consider and approve the Material Related Party Transactions in the Current Accounts with PNB Gilts Ltd. (Subsidiary) and PNB Housing Finance Ltd. (Associate).<br>❖ To consider and approve the Material Related Party Transactions in the Nostro Account with Druk PNB Bank Ltd. (International Subsidiary) & Everest Bank Ltd. (International Joint Venture).<br>❖ To consider and approve the appointment of Shri Atul Kumar Goel as Managing Director & Chief Executive Officer of the Bank.<br>❖ To consider and approve the appointment of Shri Anil Kumar Misra as Director nominated by the Central Government on the recommendation of the Reserve Bank of India on the Board of the Bank.<br>❖ To consider and approve the appointment of Shri Pankaj Sharma as Government of India Nominee Director on the Board of the Bank.<br>❖ To consider and approve the appointment of Shri Binod Kumar as Executive Director of the Bank.<br>❖ To consider and approve the appointment of Shri M. Paramasivam as Executive Director of the Bank.<br>❖ To consider and approve the appointment of Shri K. G. Ananthakrishnan as Part-Time Non-Official Director and Non-Executive Chairman (Independent) on the Board of the Bank. (Special Resolution)<br>❖ To consider and approve Issue of equity shares to Employees through Employee Stock Purchase Scheme (ESPS). (Special Resolution) |

| बैठक का प्रकार | दिन, तारीख और समय | कार्यक्रम का स्थान | उद्देश्य |
|---|---|---|---|
| 23 वीं वार्षिक आम बैठक | शनिवार, 29 जून 2024 , प्रातः 11.00 बजे | यह बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) / अन्य दृश्य–श्रव्य माध्यमों से आयोजित की गई थी, जिसका स्थान बैंक का प्रधान कार्यालय था। | ❖ 31 मार्च 2024 तक बैंक की लेखा परीक्षित की गई तुलन पत्र , 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के लाभ और हानि खाते , खातों द्वारा कवर की गई अवधि के लिए बैंक के कामकाज और गतिविधियों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट और बैलेंस शीट और खातों पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर चर्चा, अनुमोदन और अपनाना।<br>❖ वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए बैंक के इक्विटी शेयरों पर लाभांश घोषित करना।<br>❖ एकमुश्त प्रतिभूतियों के लेनदेन (प्रतिभूतियों की बिक्री/खरीद), मुद्रा बाजार लेनदेन, प्रतिभूतियों का प्राथमिक अभिदान, ईबीपी के माध्यम से पीएनबी एनसीडी जारी करने में सुरक्षा व्यवस्था सेवाएं, जिसमें पीएनबी गिल्ट्स व्यवस्थाकर्ता/निर्गमकर्ताओं में से एक हो सकता है, के लिए सामग्री संबंधित पार्टी लेनदेन पर विचार करना और उसे अनुमोदित करना और ऐसे अन्य लेनदेन जैसे सरकारी प्रतिभूतियों (जी–सेक), पीएसयू के बांड/डिबेंचर, अन्य निकायों की खरीद/बिक्री, जैसा कि पीएनबी गिल्ट्स लिमिटेड (सहायक), पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (एसोसिएट) और पीएनबी मेटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (एसोसिएट) के साथ संबंधित वित्तीय वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनने वाले नोटों में प्रकट किया जा सकता है।<br>❖ पीएनबी गिल्ट्स लिमिटेड (सहायक कंपनी) और पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (एसोसिएट) के साथ ऋण और अग्रिम के लिए महत्वपूर्ण संबंधिपक्ष पार्टी लेनदेन पर विचार करना और उसे अनुमोदित करना।<br>❖ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (सहयोगी) के साथ आईबीपीसी लेनदेन के लिए महत्वपूर्ण संबंधित पक्ष लेनदेन पर विचार करना और अनुमोदन करना।<br>❖ पीएनबी गिल्ट्स लिमिटेड (सहायक कंपनी) और पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (एसोसिएट) के साथ चालू खातों में महत्वपूर्ण संबंधित पार्टी लेनदेन पर विचार करना और उसे अनुमोदित करना।<br>❖ ड्रुक पीएनबी बैंक लिमिटेड (अंतर्राष्ट्रीय सहायक कंपनी) और एवरेस्ट बैंक लिमिटेड (अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त उद्यम) के साथ नोस्ट्रो खाते में महत्वपूर्ण संबंध ीपक्ष लेनदेन पर विचार करना और अनुमोदित करना। |

**पोस्ट बैलेट** – बैंक ने वित्तीय वर्ष के दौरान डाक मतपत्र के माध्यम से कोई कारोबार नहीं किया है तथा वर्तमान में डाक मतपत्र के माध्यम से कोई कारोबार करने का प्रस्ताव नहीं है।

**9. सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 की अनुसूची V{सी(10)} के अनुसार अन्य प्रकटीकरण**

**9.1** वर्ष के दौरान कोई भी महत्वपूर्ण संबद्ध पक्ष लेन–देन नहीं हुआ, जिससे बैंक के हितों का संभावित टकराव होने की संभावना हो।

**9.2** पक्ष लेन–देन का खुलासा 31.03.2025 तक तुलन पत्र के लेखा नोट्स (अनुसूची 18 में) में किया गया है। संबंधित पक्ष लेन–देन पर नीति बैंक की वेबसाइट https://www.pnbindia.in/Policies.html पर उपलब्ध है। बैंक में यह प्रमाणिक प्रथा है कि निदेशक बोर्ड और बोर्ड की अन्य समितियों के एजेंडे पर विचार–विमर्श और मतदान में भाग नहीं लेते, जब उनसे या उनके रिश्तेदारों से संबंधित मामलों पर चर्चा की जाती है।

**9.3** विगत तीन वर्षों के दौरान पूंजी बाजार से संबंधित मामलों के संबंध में गैर–अनुपालन के लिए सेबी/स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा बैंक पर लगाए गए दंड का विवरण निम्नानुसार हैः

| | |
|---|---|
| 2022-23 | शून्य |
| 2023-24 | शून्य |
| 2024-25 | सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 50(1)(डी) के अंतर्गत बोर्ड बैठक की सूचना प्रस्तुत न करने के लिए बीएसई लिमिटेड द्वारा ₹ 5000 (जीएसटी अतिरिक्त) का जुर्माना लगाया गया है। |

| Type of Meeting | Day, Date & Time | Venue | Purpose |
|---|---|---|---|
| 23rd AGM | Saturday, June 29, 2024 at 11.00 a.m. | The meeting was convened through Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual Means with the deemed venue being the Head Office of the Bank | ❖ To discuss, approve and adopt the Audited Balance Sheet of the Bank as at 31st March 2024, Profit and Loss Account of the Bank for the year ended 31st March 2024, the Report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the Accounts and the Auditor's Report on the Balance Sheet and Accounts.<br>❖ To declare dividend on the equity shares of the Bank for the financial year 2023-24.<br>❖ To consider and approve the Material Related Party Transactions for Outright securities transactions (sale/purchase of securities), Money Market transactions, Primary subscription of securities, Security Arranger services in PNBs NCD issuances through EBP in which PNB Gilts may be arranger/one of the arrangers to the issue and also such other transactions such as purchase/ sale of Government Securities (G-Sec), Bonds/ Debentures of PSUs, other bodies as may be disclosed in the notes forming part of the Financial Statements for the relevant Financial Year with PNB Gilts Limited (Subsidiary), PNB Housing Finance Ltd. (Associate) and PNB Metlife India Insurance Co. Ltd. (Associate).<br>❖ To consider and approve the Material Related Party Transactions for Loans and Advances with PNB Gilts Ltd. (Subsidiary) and PNB Housing Finance Ltd. (Associate).<br>❖ To consider and approve the Material Related Party Transactions for IBPC Transactions with Regional Rural Banks (Associates).<br>❖ To consider and approve the Material Related Party Transactions in the Current Accounts with PNB Gilts Ltd. (Subsidiary) and PNB Housing Finance Ltd. (Associate).<br>❖ To consider and approve the Material Related Party Transactions in the Nostro Account with Druk PNB Bank Ltd. (International Subsidiary) & Everest Bank Ltd. (International Joint Venture). |

**Postal Ballot -** Bank has not conducted any business by way of postal ballot, during the financial year and at present no business is proposed to be conducted through postal ballot.

**9. Other Disclosures as per Schedule V {C(10)} of SEBI (LODR) Regulations, 2015**

**9.1** There has been no significant related party transaction during the year that may have had potential conflict of interest with the Bank.

**9.2** The Related Party Transactions of the Bank as per RBI/ICAI guidelines are disclosed in the Notes on Accounts (in Schedule 18) of the Balance Sheet as on 31.03.2025. The Policy on Related Party Transactions is available on the Bank's website at https://www.pnbindia.in/Policies.html It is established practice in the Bank that the Directors recuse themselves from the deliberation and voting on the agenda of the Board and other Committees of the Board, when matters relating to them or their relatives are discussed.

**9.3** Details of penalties imposed on the Bank by SEBI/Stock Exchanges for non-compliance in respect of matters related to Capital Market during the last three years are as under:

| | |
|---|---|
| 2022-23 | Nil |
| 2023-24 | Nil |
| 2024-25 | A Fine of Rs. 5000/- (plus GST) has been imposed by the BSE Ltd. for non-submission of intimation of Board Meeting under Regulation 50(1)(d) of SEBI (LODR) Regulations, 2015. |

**9.4** बैंक ने व्हिसल ब्लोअर नीति लागू की है तथा किसी भी व्यक्ति को लेखापरीक्षा समिति तक पहुंच से वंचित नहीं किया गया है।

**9.5** विवेकाधीन और अनिवार्य आवश्यकताओं के अनुपालन की स्थिति क्रमशः बिंदु 6 और 7 में विस्तृत रूप से दी गई है।

**9.6** बैंक ने निदेशक मंडल और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए एक आचार संहिता अपनाई है, जिसका विवरण बैंक की वेबसाइट www.pnbindia.in पर उपलब्ध है। सभी निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधन ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है और रिपोर्ट के अंत में इसकी पुष्टि करने वाला एक प्रमाणपत्र दिया गया है।

**9.7** महत्वपूर्ण सहायक कंपनी के निर्धारण के लिए नीति' और 'संबंधित पार्टी लेनदेन पर नीति' बैंक की वेबसाइट https://www.pnbindia.in/Policies.html पर उपलब्ध है।

**9.8** कमोडिटी मूल्य जोखिम और कमोडिटी हेजिंग गतिविधियाँ शून्य हैं।

**9.9** बैंक ने वर्ष 2024–25 के दौरान क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट (क्यूआईपी) के माध्यम से कुल 5000 करोड़ रुपये की इक्विटी पूंजी जुटाई है। क्यूआईपी के माध्यम से जुटाई गई धनराशि का उपयोग बैंक के टियर–I पूंजी आधार को बढ़ाने के लिए किया गया ताकि बैंक के व्यवसाय को बढ़ाने के लिए विकास योजनाओं का समर्थन करने के लिए बैंक की भविष्य की पूंजी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।

**9.10** हमने कार्यरत कंपनी सचिव से प्रमाण पत्र प्राप्त किया है कि बैंक के बोर्ड के किसी भी निदेशक को सेबी/कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय या किसी ऐसे वैधानिक प्राधिकरण द्वारा कंपनियों के निदेशक के रूप में नियुक्त होने या जारी रहने से वंचित या अयोग्य नहीं ठहराया गया है।

**9.11** यह पुष्टि किए जाने का ऐसा कोई उदाहरण नहीं था जहां बोर्ड ने किसी भी समिति की किसी भी सिफारिश को स्वीकार नहीं किया, जो कि वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान अनिवार्य रूप से आवश्यक है।

**9.12 बैंक और इसकी सहायक कंपनियों के सांविधिक लेखा परीक्षकों को सभी सेवाओं के लिए कुल शुल्क निम्नानुसार है:**

| क्रमांक | इकाई का नाम | राशि (रु. लाख में) |
|---|---|---|
| 1. | पंजाब नैशनल बैंक | 4290.67 |
| 2. | पीएनबी इंटरनैशनल लिमिटेड | 625.84 |
| 3. | पीएनबी गिल्ट्स लिमिटेड | 42.48 |
| 4. | पीएनबी इन्वेस्टमेंट सर्विसेज लिमिटेड | 1.97 |
| 5. | ड्रुक पीएनबी बैंक लिमिटेड | 2.85 |
| 6. | पीएनबी कार्ड्स एंड सर्विसेज लिमिटेड. | 2.50 |

**9.13 कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के संबंध में प्रकटीकरण:**

**9.4** The Bank has in place a Whistle Blower Policy and no person has been denied access to the Audit Committee.

**9.5** The status of compliance of Discretionary and Mandatory requirements is detailed at Points 6 & 7, respectively.

**9.6** The Bank has adopted a Code of Conduct for the Board of Directors and Senior Management, the text of which is available on the website of the Bank www.pnbindia.in. All the Directors and Senior Management have affirmed their compliance of Code of Conduct during the year under review and a Certificate affirming the same is given at the end of the Report.

**9.7** The 'Policy for determination of material Subsidiary' and 'Policy on Related Party Transactions' is available on the website of the Bank at https://www.pnbindia.in/Policies.html.

**9.8** Commodity Price Risks and Commodity hedging activities are Nil.

**9.9** The Bank has raised equity capital through Qualified Institutional Placement (QIP) during the year 2024-25 aggregating Rs. 5000 Crore. The funds raised through the QIP was utilized to augment Bank's Tier-I capital base to meet Bank's future capital requirements to support growth plans to enhance the business of the Bank.

**9.10** We have obtained a certificate from the Company Secretary in Practice that none of the Directors on the Board of the Bank have been debarred or disqualified from being appointed or continuing as Directors of companies by the SEBI/Ministry of Corporate Affairs or any such Statutory Authority.

**9.11** It is confirmed that there was no instance where the Board did not accept any recommendation of any Committee of the Board which is mandatorily required during the financial year 2024-25.

**9.12 The total fees for all services to Statutory Auditors of the Bank and its subsidiaries is as under:**

| Sr.No. | Name of the Entity | Amount (Rs. in Lakhs) |
|---|---|---|
| 1. | Punjab National Bank | 4290.67 |
| 2. | PNB International Limited | 625.84 |
| 3. | PNB Gilts Limited | 42.48 |
| 4. | PNB Investment Services Limited | 1.97 |
| 5. | Druk PNB Bank Limited | 2.85 |
| 6. | PNB Cards and Services Ltd. | 2.50 |

**9.13 Disclosures in relation to the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013:**

| | | |
|---|---|---|
| ए. | वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान दर्ज शिकायतों की संख्या | 24 |
| बी. | वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या | 18 |
| सी. | वित्त वर्ष 2024–25 के अंत तक लंबित शिकायतों की संख्या | 06 |
| | Posh अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार टीएटी के भीतर ) | |

**9.14** यह पुष्टि की जाती है कि बैंक सेबी (एलओडीआर) विनियमनों की अनुसूची V के उप–पैरा (2) से (10) के अनुसार कॉर्पोरेट अभिशासन रिपोर्ट के संबंध में प्रकटीकरण आवश्यकताओं का अनुपालन कर रहा है।

**9.15** वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान बैंक की प्रतिभूतियों को ट्रेडिंग से निलंबित नहीं किया गया।

**9.16** इसके अतिरिक्त यह भी पुष्टि की जाती है कि:

(i) बोर्ड की राय में, स्वतंत्र निदेशक सेबी एलओडीआर विनियमों में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करते हैं और प्रबंधन से स्वतंत्र होते हैं।

(ii) कोई भी निदेशक आपस में संबंधित नहीं है।

(iii) बैंक अपने स्वतंत्र निदेशकों के लिए परिचय कार्यक्रम प्रदान करता है, जिसका विवरण बैंक की वेबसाइट https://www.pnbindia.in/Disclosures-in-terms-of-Regulation.html पर उपलब्ध है।

**9.17** किसी भी स्वतंत्र निदेशक के कार्यकाल की समाप्ति से पहले त्याग पत्र देने का कोई मामला नहीं था।

**9.18** सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 की अनुसूची III के भाग ए के पैराग्राफ ए के खंड 5ए के अंतर्गत प्रकट किए गए कुछ प्रकार के समझौतों के संबंध में प्रकटीकरण, जो बैंक पर बाध्यकारी हैं: शून्य

**10. बैंक की चार घरेलू सहायक कंपनियाँ हैं:**

i) पीएनबी इन्वेस्टमेंट सर्विसेज लिमिटेड.

ii) पीएनबी कार्ड्स एंड सर्विसेज लिमिटेड.

iii) पीएनबी गिल्ट्स लिमिटेड

iv) पीएनबी इंश्योरेंस ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड*

**पीएनबी इंश्योरेंस ब्रोकिंग कंपनी स्वैच्छिक परिसमापन में थी और पूंजी समाप्त हो गई थी एवं परिसमापक, समापन प्रक्रिया को समाप्त करने के लिए आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करेगा।*

पीएनबी गिल्ट्स लिमिटेड एक सूचीबद्ध इकाई है जहां बैंक ने कंपनी के बोर्ड में दो निदेशकों को नामित किया है।

इसके अतिरिक्त, बैंक की दो अंतर्राष्ट्रीय समनुषंगियाँ है, यथा

i) पंजाब नैशनल बैंक (इंटरनेशनल) लिमिटेड (पीएनबीआईएल), यूके

ii) ड्रुक पीएनबी बैंक लि., भूटान।

बैंक की कोई मटेरियल सहायक कंपनी नहीं है।

| | | |
|---|---|---|
| a. | Number of complaints filed during FY 2024-25 | 24 |
| b. | Number of complaints disposed off during FY 2024-25 | 18 |
| c. | Number of complaints pending as on end of the FY 2024-25 (within TAT as per provisions of PoSH Act, 2013) | 06 |

**9.14** It is confirmed that Bank is complying with the disclosure requirements in respect of Corporate Governance Report as per sub-paras (2) to (10) of Schedule V of SEBI (LODR) Regulations.

**9.15** The securities of the Bank were not suspended from trading during FY 2024-25.

**9.16** Further it is confirmed that:

(i) In the opinion of the Board, the Independent Directors fulfill the conditions specified in SEBI LODR Regulations and are independent of the Management.

(ii) None of the Directors are related inter-se.

(iii) The Bank conducts familiarization programmes for its Independent Directors, details of which are available on the website of the Bank i.e. at https://www.pnbindia.in/Disclosures-in-terms-of-Regulation.html

**9.17** There was no case of resignation of any Independent Director before the expiry of his/her tenure.

**9.18** Disclosure in respect of certain types of agreements disclosed under clause 5A of paragraph A of Part A of Schedule III of SEBI (LODR) Regulations, 2015, which are binding on the Bank: Nil

**10. The Bank has four domestic Subsidiaries, namely:**

i) PNB Investment Services Ltd.

ii) PNB Cards and Services Ltd.

iii) PNB Gilts Ltd.

iv) PNB Insurance Broking Pvt. Ltd.*

**PNB Insurance Broking Company was in voluntary liquidation and capital stands extinguished and liquidator shall be completing the necessary formalities to conclude the winding up procedure.*

PNB Gilts Ltd. is a listed entity where the Bank has nominated two Directors on the Board of the Company.

Further, the Bank has two international subsidiaries, namely:

i) Punjab National Bank (International) Limited (PNBIL), UK

ii) Druk PNB Bank Ltd., Bhutan.

The Bank has no material subsidiary.

## 11. संचार माध्यम

तिमाही/वार्षिक वित्तीय परिणाम स्टॉक एक्सचेंजों (एनएसई और बीएसई) को प्रचार के लिए प्रस्तुत किए जाते हैं। इसके अलावा, वित्तीय परिणाम प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से भी हितधारकों को पत्राचार किए जाते हैं।

शेयरधारकों के संचार/नोटिस और वित्तीय परिणाम आदि व्यापक रूप से प्रसारित अंग्रेजी और हिंदी समाचार पत्रों जैसे फाइनेंशियल एक्सप्रेस, मिंट, बिजनेसलाइन, बिजनेस स्टैंडर्ड और जनसत्ता में भी प्रकाशित किए जाते हैं।

तिमाही/वार्षिक वित्तीय परिणाम और संस्थागत निवेशकों/विश्लेषकों के समक्ष प्रस्तुतियां बैंक की वेबसाइट (www.pnbindia.in) के अलावा स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइटों www.nseindia.com और www.bseindia.com पर भी डाली जाती हैं।

वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए वार्षिक रिपोर्ट की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियां, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ एजीएम की सूचना भी शामिल है, सेबी परिपत्र दिनांक 13.05.2022, 05.01.2023 और 07.10.2023 के अनुसार शेयरधारकों को केवल ईमेल के माध्यम से भेजी गई थी, जिसे सेबी मास्टर परिपत्र दिनांक 11.07.2023 के साथ पढ़ा गया था और इसे स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइटों के अलावा बैंक की वेबसाइट पर भी होस्ट किया गया था।

वित्त वर्ष 2024–25 के लिए वार्षिक रिपोर्ट उन शेयरधारकों को ईमेल द्वारा भेजी जाएगी, जिन्होंने सेबी परिपत्रों दिनांक 13.05.2022, 05.01.2023, 07.10.2023 और 03.10.2024 के अनुसार अपनी ईमेल आईडी पंजीकृत की है, जिन्हें सेबी मास्टर परिपत्र दिनांक 11.07.2023 के साथ पढ़ा जाएगा।

## 12. आम शेयरधारकों के लिए सूचना

### 12.1 बैंक के शेयरधारकों की वार्षिक आम बैठक:

23वीं वार्षिक आम बैठक का कार्यक्रम इस प्रकार है:

| | |
|---|---|
| दिन, तिथि व समय | शुक्रवार 27 जून, 2025 को प्रातः 11.00 बजे |
| स्थान | वीसी/ओएवीएम के माध्यम से (जैसा कि एजीएम नोटिस में विस्तृत है) |

### 12.2 वित्तीय कैलेण्डर

| | |
|---|---|
| वित्तीय वर्ष | 01 अप्रैल 2024 से 31 मार्च , 2025 तक |
| 31 मार्च, 2025 को समाप्त तिमाही/वित्तीय वर्ष के लिए बैंक के लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार करने और अनुमोदन के लिए बोर्ड की बैठक | 07 मई, 2025 |
| 24 वीं एजीएम की तिथि एवं समय | शुक्रवार 27 जून, 2025 को सुबह 11.00 बजे |
| दर्ज तिथि | शुक्रवार 20 जून , 2025 |
| बहीखाता बंद करने की तिथि | शानिवार 21 जून, 2025 से शुक्रवार 27 जून, 2025 |
| ई–वोटिंग के लिए अंतिम तिथि | शुक्रवार 20 जून , 2025 |
| ई–वोटिंग अवधि | एजीएम नोटिस के अनुसार |

## 11. Means of Communication

The Quarterly/Annual Financial Results are submitted to the Stock Exchanges (NSE & BSE) for dissemination. Further, the Financial Results are also communicated to the stakeholders through press releases via print and electronic media.

Shareholder communications/notices and financial Results etc. are also published in widely circulated English and Hindi newspapers viz. Financial Express, Mint, Businessline, Business Standard and Jansatta.

The Quarterly/Annual Financial Results and presentations made to Institutional Investors/Analysts are also placed on the website of the Bank (www.pnbindia.in) besides the websites of Stock Exchanges viz. www.nseindia.com and www.bseindia.com.

The electronic copies of Annual Report for FY 2023-24 *inter alia* containing the Notice of AGM were sent to the shareholders only through email in accordance with SEBI Circular dated 13.05.2022, 05.01.2023 and 07.10.2023 read with SEBI Master Circular dated 11.07.2023 and was also hosted on the Bank's website, besides on the websites of the Stock Exchanges.

The Annual Report for FY 2024-25 shall be sent by email to those shareholders who have registered their email ids pursuant to SEBI Circular(s) dated 13.05.2022, 05.01.2023, 07.10.2023 and 03.10.2024 read with SEBI Master Circular dated 11.07.2023.

## 12. General Shareholders' Information

### 12.1 Annual General Meeting of the shareholders of the Bank:

The following is the schedule of the 24th Annual General Meeting:

| | |
|---|---|
| Day, Date & Time | Friday 27th June, 2025 at 11.00 a.m. |
| Venue | Through VC/OAVM (as detailed in the AGM Notice) |

### 12.2 Financial Calendar

| | |
|---|---|
| Financial Year | 01st April 2024 to 31st March, 2025 |
| Board Meeting for considering and approving the Audited Financial Results of the Bank for the quarter/ financial year ended 31st March, 2025 | 07th May, 2025 |
| Date & Time of the 24th AGM | Friday 27th June, 2025 at 11.00 a.m. |
| Record Date | Friday 20th June, 2025 |
| Book Closure Dates | Saturday 21st June, 2025 to Friday 27th June 2025 |
| Cut-off Date for E-voting | Friday 20th June, 2025 |
| E- voting period | As per AGM Notice |

**12.3 लाभांश का विवरण –वित्तीय वर्ष 2024–25**

(i) **लाभांश:–** बैंक के निदेशक मंडल ने वित्त वर्ष 2024–25 के लिए ₹2 मूल्य के प्रत्येक इक्विटी शेयर पर ₹2.90 का लाभांश यानी बैंक की चुकता इक्विटी पूंजी का 145% लाभांश की सिफारिश की है।

(ii) **लाभांश वितरण नीति:–** बैंक ने आरबीआई/भारत सरकार/सेबी के दिशानिर्देशों के आधार पर लाभांश वितरण नीति तैयार की है जो बैंक की वेबसाइट https://www.pnbindia.in/Policies.html पर उपलब्ध है।

**12.4 स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीकरण:**

बैंक के शेयर निम्नलिखित स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध हैं:–

| स्टॉक एक्सचेंज | स्टॉक कोड | सूचीकरण की आरम्भिक तिथि |
|---|---|---|
| नैशनल स्टॉक एक्सचेंज़ ऑफ इंडिया लि. (एनएसई)<br>बान्द्रा – कुर्ला कम्प्लेक्स, मुम्बई | पीएनबी | 24.04.2002 |
| बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड.(बीएसई)<br>पी.जे. टॉवर्स, दलाल स्ट्रीट, मुम्बई | 532461 | 25.04.2002 |

**12.5 सूचीकरण शुल्क का भुगतान**

आज की तिथि तक एनएसई और बीएसई को वार्षिक सूचीकरण शुल्क का भुगतान कर दिया गया है।

**12.6 बही बन्दी करने की तिथियाँ और रिमोट ई–वोटिंग के लिए कट–ऑफ तिथि** – *एजीएम नोटिस में दिए गए विवरण के अनुसार*

**12.3 Dividend details – Financial Year 2024-25**

(i) **Dividend:-** The Board of Directors of the Bank has recommended a dividend of ₹2.90 per equity share of ₹2/- each i.e. 145% of the paid up equity capital of the Bank for FY 2024-25.

(ii) **Dividend Distribution Policy:-** The Bank has formulated a Dividend Distribution Policy based on RBI / Government of India / SEBI Guidelines which is available at Bank's website at https://www.pnbindia.in/Policies.html

**12.4 Listing on Stock Exchanges:**

The shares of the Bank are listed on the following Stock Exchanges:

| Stock Exchanges | Stock Code | Date of Initial Listing |
|---|---|---|
| National Stock Exchange of India Ltd. (NSE)<br>Bandra - Kurla Complex, Mumbai | PNB | 24.04.2002 |
| BSE Ltd. (BSE)<br>P. J. Towers, Dalal Street, Mumbai | 532461 | 25.04.2002 |

**12.5 Payment of Listing Fee**

The annual listing fee to NSE & BSE have been paid up to date.

**12.6 Dates of Book Closure and Cut-off date for remote e-voting-** *As per AGM Notice*

12.7 प्रति शेयर डेटाः

| | 2022.23 | 2023.24 | 2024.25 |
|---|---|---|---|
| अंकित मूल्य ( ₹ ) | 2/- | 2/- | 2/- |
| 31 मार्च को समापन मूल्य – एनएसइ ( ₹ ) | 46.60 | 124.40* | 96.13^ |
| प्रति शेयर आय ( ₹ ) | 2.28 | 7.49 | 14.77 |
| इक्विटी शेयर पर ₹ 2/– का लाभांश | 0.65 | 1.50 | 2.90 |
| लाभांश (%) | 32.5% | 75% | 145% |
| बही मूल्य ( ₹ ) | 60.70 | 67.75 | 84.83 |
| लाभांश भुगतान (शुद्ध लाभ का %) | 28.55% | 20.03% | 20.04% |

** 28-03-2024 तक, ^ 28-03-2025 तक*

**12.8 शेयर ट्रांसफर एजेंट (एसटीए)**

मेसर्स बीटल फाइनेंशियल एंड कंप्यूटर सर्विसेज (पी) लिमिटेड, एक सेबी पंजीकृत रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट है जो 01.01.2013 से बैंक का एसटीए है। एसटीए का संपर्क विवरण निम्ननुसारः

बीटल फाइनेंशियल एंड कंप्यूटर सर्विसेज (पी) लिमिटेड (यूनिटः पीएनबी)
'बीटल हाउस', तीसरी मंजिल
99, मदनगीर, लोकल शॉपिंग सेंटर के पीछे
नई दिल्ली 110062
दूरभाष. नंबर 011–29961281/82/83, फैक्सः 011–29961284

ई–मेलः beetalrta@gmail.com

**12.9 शेयर अंतरण प्रणाली**

(i) संशोधित सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियमन 2015 के विनियमन 40(1) के अनुसार, प्रतिभूतियों के अंतरण के लिए अनुरोध तब तक संसाधित नहीं किए जाएँगे जब तक कि प्रतिभूतियों को डिपॉजिटरी के पास डीमैट रूप में न रखा जाए। इसके अलावा, भौतिक या डीमैट रूप में रखी गई प्रतिभूतियों का अंतरण या स्थानांतरण केवल डीमैट रूप में ही किया जाएगा। इस प्रकार, भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपनी होल्डिंग को डीमैट रूप में परिवर्तित करें।

(ii) भौतिक शेयरों का अंतरण या स्थानांतरण लागू कानूनों/दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया।

(iii) इलेक्ट्रॉनिक रूप में इक्विटी शेयरों का अंतरण डिपॉजिटरीज अर्थात नैशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड (सीडीएसएल) के माध्यम से किया जाता है, जिसमें बैंक की कोई भागीदारी नहीं होती है।

(iv) शेयरधारकों से अमूर्त रूप मे रखे गए शेयरों के लिए पते और/या बैंक शासनादेश (बैंक का नाम, पता, खाता संख्या, माइकर कोड इत्यादि) में किसी भी परिवर्तन के मामले मे रिकॉर्ड अद्यतित करने के लिए अपने निक्षेपागार सहभागी (डीपी) को सीधे सूचित करने का अनुरोध किया जाता है।

(v) सेबी दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक ने भौतिक रूप मे बैंक के शेयर रखने वाले शेयरधारकों को उनके संपर्क विवरण, बैंक खाते के विवरण, नामांकन आदि को अद्यतन करने के लिए अनुरोध पत्र भेजे है।

**12.10 इलेक्ट्रोनिक वोटिंगः**

शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपनी नवीनतम ईमेल आईडी अपने डिपॉज़िटरी सहभागी या एसटीए, जैसी भी स्थिति हो, के पास पंजीकृत करवा ले ताकि वे रिमोट ई–वोटिंग सुविधा के लिए सक्षम हो सकें।

**12.7 Per Share Data:**

| | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 |
|---|---|---|---|
| Face Value (₹) | 2/- | 2/- | 2/- |
| Closing Price as on 31st March -NSE(₹) | 46.60 | 124.40* | 96.13^ |
| Earnings per share (₹) | 2.28 | 7.49 | 14.77 |
| Dividend per Equity Share of ₹2/- each | 0.65 | 1.50 | 2.90 |
| Dividend (%) | 32.5% | 75% | 145% |
| Book Value (₹) | 60.70 | 67.75 | 84.83 |
| Dividend payout (% of Net Profit) | 28.55% | 20.03% | 20.04% |

**as on 28.03.2024, ^ as on 28.03.2025*

**12.8 Share Transfer Agent (STA)**

M/s Beetal Financial & Computer Services (P) Ltd., a SEBI registered Registrar and Share Transfer Agent is the STA of the Bank since 01.01.2013. The contact details of the STA are given below:
Beetal Financial & Computer Services (P) Limited (Unit: PNB)
'Beetal House', 3rd Floor
99, Madangir, Behind Local Shopping Centre
New Delhi 110062
Tel. No. 011-29961281/82/83, Fax: 011-29961284
e-mail: beetalrta@gmail.com

**12.9 Share Transfer System**

(i) In terms of Regulation 40(1) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015, as amended, requests for effecting transfer of securities shall not be processed unless the securities are held in the dematerialised form with a depository. Further, the transmission or transposition of securities held in physical or dematerialised form shall be effected only in dematerialised form. As such, the shareholders holding shares in physical form are requested to convert their holdings to dematerialized form.

(ii) The transmission or transposition of physical shares was effected in accordance with the applicable laws/guidelines.

(iii) Transfer of equity shares in electronic form is effected through the Depositories, i.e., National Securities Depository Ltd, (NSDL) and the Central Depository Services Ltd. (CDSL) with no involvement of the Bank.

(iv) For shares held in Dematerialized form, shareholders are requested to inform their Depository Participant (DP) directly for updating the records in case of any change in address and/or Bank mandate (Name of Bank, Address, Account No, MICR Code etc.).

(v) In accordance with SEBI Guidelines, the Bank has sent communication to the shareholders holding shares of the Bank in physical form with a request to update their contact details, Bank account details, nomination etc.

**12.10 Electronic Voting:**

Shareholders are requested to register their latest email IDs with their Depository Participant(s) or the STA, as the case may be, for enabling remote e-voting facility.

**12.11 पीएनबी अदावी शेयर (उचंत) खाते : सेबी (एलओडीआर) विनियमन 2015 के अनुसार अदावी शेयरों का ब्यौरा निम्नानुसार है :–**

| क्र.सं. | विवरण | आईपीओ (2002) | | एफपीओ (2005) | | समामेलन के अनुसरण में दावा न किए गए शेयर (2020)# | | कुल | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | शेयरधारकों की संख्या | शेयरों की संख्या | शेयरधारकों की संख्या | शेयरों की संख्या | शेयरधारकों की संख्या | शेयरों की संख्या | | |
| 1 | वर्ष के प्रारम्भ अर्थात 01.04.2024 को प्रारम्भिक (अंकित मूल्य रू.2/– प्रत्येक) | 58 | 33500 | 351 | 59975 | 54 | 1323 | 463 | 94798 |
| 2 | वर्ष के दौरान शेयर अंतरण के लिए आए शेयरधारकों की संख्या | - | - | 1 | 395 | - | - | - | - |
| 3 | वर्ष के दौरान शेयरधारकों की संख्या जिनको शेयर अंतरित किए गए | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | वर्ष के अंत अर्थात 31.03.2025 (1–3) को बकाया | **58** | **33500** | **350** | **59580** | **54** | **1323** | **462** | **94403** |

*# ये शेयर पूर्ववर्ती ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स और पूर्ववर्ती यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के पास पड़े अदावी शेयरों से संबंधित हैं और 01.04.2020 को पंजाब नैशनल बैंक में दोनों बैंकों के समामेलन पर पीएनबी द्वारा जारी किए गए हैं।*

** यह प्रमाणित किया जाता है कि इन शेयरों पर वोटिंग अधिकार तब तक फ्रीज़ रहेगा जब तक कि इन शेयरों का असली स्वामी दावा नहीं करता।*

**12.12 दिनांक 31 मार्च 2025 की स्थिति अनुसार शेयरधारिता तथा वितरण पैटर्नः**

**i) शेयरधारिता पैटर्न**

| शेयरधारकों की श्रेणी | % धारित इक्विटी शेयर |
|---|---|
| भारत के राष्ट्रपति | 70.08 |
| एफआईआई/एनआरआई/ओसीबी | 5.93 |
| बैंक/वित्तीय संस्थान/बीमा कंपनियाँ | 9.95 |
| म्यूचुअल फंड | 4.72 |
| घरेलू कंपनियाँ/ट्रस्ट | 0.50 |
| भारतीय जनता/निवासी व्यक्ति/एचयूएफ | 8.82 |
| क्लियरिंग सदस्य | 0.00 |
| **कुल** | **100.00** |

**ii) दिनांक 31.03.2025 को शेयरधारकों की संख्याः** 27,24,898

**iii) प्रत्येक इक्विटी शेयर का सांकेतिक मूल्य** (₹) 2/-

**iv) वितरण पैटर्नः**

| शेयरधारकों की संख्या | कुल का प्रतिशत | अंकित मूल्य की शेयरधारिता (₹ में) | इक्विटी शेयरों की संख्या | राशि (₹ में) | कुल का प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|---|
| 2659187 | 97.59 | 5000 तक | 497672912 | 995345824 | 4.33 |
| 40097 | 1.47 | 5001 से 10000 | 142710534 | 285421068 | 1.24 |
| 15008 | 0.55 | 10001 से 20000 | 109186457 | 218372914 | 0.95 |
| 3863 | 0.14 | 20001 से 30000 | 47671343 | 95342686 | 0.41 |
| 2056 | 0.08 | 30001 से 40000 | 36398767 | 72797534 | 0.32 |
| 1089 | 0.04 | 40001 से 50000 | 24899043 | 49798086 | 0.22 |
| 1876 | 0.07 | 50001 से 100000 | 66552455 | 133104910 | 0.58 |
| 1722 | 0.06 | 100001 और उससे अधिक | 10567851757 | 21135703514 | 91.95 |
| **कुल : 2413083** | **100.00** | | **11492943268** | **22985886536** | **100.00** |

**12.11 PNB-Unclaimed Shares (Suspense) A/c: The details of unclaimed shares as per SEBI (LODR) Regulations, 2015 is as under:**

| Sr.No | Particulars | IPO (2002) | | FPO (2005) | | Unclaimed shares issued pursuant to Amalgamation (2020)# | | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | No. of Share holders | No. of Shares | No. of Share holders | No. of Shares | No. of Share holders | No. of Shares | | |
| 1 | Opening at the beginning of the year i.e. 01.04.2024 (Face Value Rs. 2/- each) | 58 | 33500 | 351 | 59975 | 54 | 1323 | 463 | 94798 |
| 2 | No. of shareholders who approached for transfer of shares during the year | - | - | 1 | 395 | - | - | - | - |
| 3 | No. of shareholders to whom shares were transferred during the year | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Outstanding at the end of the year i.e. 31.03.2025 (1-3) | **58** | **33500** | **351** | **59975** | **54** | **1323** | **463** | **94798** |

*# These shares relate to the unclaimed shares lying with the erstwhile Oriental Bank of Commerce and erstwhile United Bank of India and issued by PNB pursuant to amalgamation of both the Banks into Punjab National Bank on 01.04.2020.*

** It is certified that the voting rights on these shares remain frozen till the rightful owner claims the said shares.*

**12.12 Shareholding and Distribution Pattern as on 31st March 2025:**

**i) Shareholding Pattern**

| Shareholders' Category | Percentage of Equity shares held |
|---|---|
| President of India | 70.08 |
| FIIs/NRIs/OCBs | 5.93 |
| Banks/Financial Institutions/ Insurance Companies | 9.95 |
| Mutual Funds | 4.72 |
| Domestic Companies/Trusts | 0.50 |
| Indian Public/Resident Individuals/HUF | 8.82 |
| Clearing Members | 0.00 |
| **Total** | **100.00** |

**ii) Number of shareholders as on 31.03.2025** 27,24,898

**iii) Nominal value of each Equity Share** (₹) 2/-

**iv) Distribution Pattern:**

| No. of Shareholders | Percentage of Total | Shareholding of Nominal Value of (₹) | No. of Equity Shares | Amount (₹) | Percentage to Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2659187 | 97.59 | Upto 5000 | 497672912 | 995345824 | 4.33 |
| 40097 | 1.47 | 5001 to 10000 | 142710534 | 285421068 | 1.24 |
| 15008 | 0.55 | 10001 to 20000 | 109186457 | 218372914 | 0.95 |
| 3863 | 0.14 | 20001 to 30000 | 47671343 | 95342686 | 0.41 |
| 2056 | 0.08 | 30001 to 40000 | 36398767 | 72797534 | 0.32 |
| 1089 | 0.04 | 40001 to 50000 | 24899043 | 49798086 | 0.22 |
| 1876 | 0.07 | 50001 to 100000 | 66552455 | 133104910 | 0.58 |
| 1722 | 0.06 | 100001 and above | 10567851757 | 21135703514 | 91.95 |
| **Total: 2413083** | **100.00** | | **11492943268** | **22985886536** | **100.00** |

**v) दिनांक 31.03.2025 को भौगोलिक आधार पर शेयरधारकों की स्थिति:**

| शहर का नाम | इलैक्ट्रॉनिक | | | | भौतिक रूप में | | | | कुल | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | धारक | % | शेयर | % | धारक | % | शेयर | % | धारक | % | शेयर | % |
| अहमदाबाद | 59787 | 2.22 | 31872200 | 0.28 | 641 | 2.09 | 91756 | 1.15 | 60428 | 2.22 | 31963956 | 0.28 |
| बैंगलोर | 61860 | 2.29 | 37275449 | 0.32 | 631 | 2.05 | 175329 | 2.20 | 62491 | 2.29 | 37450778 | 0.33 |
| चेन्नई | 44377 | 1.65 | 27062604 | 0.24 | 848 | 2.76 | 363554 | 4.56 | 45225 | 1.66 | 27426158 | 0.24 |
| दिल्ली | 170183 | 6.32 | 8177404979 | 71.20 | 4247 | 13.82 | 920074 | 11.53 | 174430 | 6.40 | 8178325053 | 71.16 |
| हैदराबाद | 41176 | 1.53 | 22038418 | 0.19 | 611 | 1.99 | 175450 | 2.20 | 41787 | 1.53 | 22213868 | 0.19 |
| कोलकाता | 75369 | 2.80 | 50661806 | 0.44 | 1183 | 3.85 | 283872 | 3.56 | 76552 | 2.81 | 50945678 | 0.44 |
| मुंबई | 155436 | 5.77 | 2462805734 | 21.44 | 2226 | 7.24 | 539318 | 6.76 | 157662 | 5.79 | 2463345052 | 21.43 |
| एनसीआर (अन्य) | 83579 | 3.10 | 59490708 | 0.52 | 865 | 2.81 | 201522 | 2.53 | 84444 | 3.10 | 59692230 | 0.52 |
| अन्य | 2002396 | 74.32 | 616354996 | 5.37 | 19483 | 63.39 | 5225499 | 65.51 | 2021879 | 74.20 | 621580495 | 5.41 |
| कुल | **2694163** | **100.00** | **11484966894** | **100.00** | **30735** | **100.00** | **7976374** | **100.00** | **2724898** | **100.00** | **11492943268** | **100.00** |

**vi) दिनांक 31.03.2025 तक शेयरधारकों द्वारा भौतिक एवं डीमैट रूप में धारित शेयरों का विवरण:**

| क्र.सं. | विवरण | शेयरधारकों की संख्या | शेयरों की संख्या | शेयरधारिता का % |
|---|---|---|---|---|
| 1. | भौतिक रुप में | 30735 | 7976374 | 0.0694 |
| 2. | डीमैट रुप में | 2694163 | 11484966894 | 99.9306 |
| i) | एनएसडीएल | 682515 | 2841633227 | 24.7250 |
| ii) | सीडीएसएल | 2011648 | 8643333667 | 75.2056 |
| | **कुल (1+2)** | **2724898** | **11492943268** | **100.0000** |

**12.13** बैंक ने वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान कोई जीडीआर/एडीआर/वारंट या कोई परिवर्तनीय लिखत जारी नहीं किया है और 31.03.2025 तक कोई भी जीडीआर/एडीआर/वारंट या कोई परिवर्तनीय लिखत बकाया नहीं है।

**12.14** कमोडिटी मूल्य जोखिम शून्य हैं। विदेशी मुद्रा जोखिम और हेजिंग गतिविधियों के संबंध में:

- बैंक के पास मिड ऑफिस, एकीकृत जोखिम प्रबंधन प्रभाग (आईआरएमडी) द्वारा तैयार विवेकपूर्ण दिशा–निर्देशों/बैंक के दिशा–निर्देशों के अनुरूप बोर्ड द्वारा अनुमोदित निवेश नीति है, जो कि विभिन्न सीमाओं जैसे हानि सीमा को घटा कर/लाभ सीमा को जोड़कर (डीलर/मुद्रा आधारित), ओवरनाइट/फॉरवर्ड ओपन पोजीशन इत्यादि को निर्धारित करके संभावित भावी नुकसान को परिभाषित करती है। डे लाइट ओपन पोजीशन लिमिट को निर्धारित करके इंट्राडे ओपन पोजीशन से जुड़े विनिमय जोखिम का समाधान भी किया जाता है। विभिन्न परिपक्वता अवधि में विदेशी मुद्रा नकदी प्रवाह के अंतर के कारण उत्पन्न होने वाले विदेशी मुद्रा जोखिम का समाधान आईजीएल, एजीएल और वीएआर जैसी सीमाओं द्वारा किया जाता है और मिड ऑफिस, आईआरएमडी द्वारा तय और निगरानी की जाती है ।
- सभी मर्चेन्ट (निर्यात/आयात/आवक प्रेषण/जावक प्रेषण) आधारित लेनदेन को ग्राहकों की आवश्यकता के आधार पर अंतरबैंक बाजार में ओटीसी डेरिवेटिव्स (स्वैप और फॉरवर्ड) के माध्यम से रक्षित किए जाते है।
- एफसीएनआर/ईईएफसी/आरएफसी के माध्यम से सृजित यूएसडी निधि स्वाभाविक रूप से रक्षित किया जाता है, क्योंकि उसी मुद्रा मे निधियों का आगमन और बहिर्गमन होता है। यूएसडी के अलावा उपर्युक्त जमाएँ मुद्रा स्वैप तंत्र के माध्यम से यूएसडी में परिवर्तित होती है और स्वैप लागत को ध्यान में रखते हुए लाभ के रूप मे इस्तेमाल किया जाता है।
- बैंक के पास एक सुदृढ़ और सुपरिभाषित एमआईएस है जिसके माध्यम से दैनिक गतिविधियों को प्रत्येक दिन सभी स्तर पर शीर्ष प्रबंधन के समक्ष रखा जाता है, जिसे निवेश नीति में परिभाषित किया गया है।

**12.15 प्लांट का स्थान:** लागू नहीं

**12.16 इक्विटी संबंधी मामलों में पत्राचार हेतु पता:**

कंपनी सचिव
पंजाब नैशनल बैंक
शेयर विभाग, बोर्ड एवं समन्वय प्रभाग
5वीं मंजिल, पश्चिम विंग, प्लॉट सं.4, सेक्टर–10, द्वारका, नई दिल्ली–110075
दूरभाष सं. : 011- 28044857
ई–मेल : hosd@pnb.co.in

**v) Geographical spread of Shareholders as on 31.03.2025:**

| CITY NAME | ELECTRONIC | | | | PHYSICAL | | | | TOTAL | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | HOLDERS | % | SHARES | % | HOLDERS | % | SHARES | % | HOLDERS | % | SHARES | % |
| AHMEDABAD | 59787 | 2.22 | 31872200 | 0.28 | 641 | 2.09 | 91756 | 1.15 | 60428 | 2.22 | 31963956 | 0.28 |
| BANGALORE | 61860 | 2.29 | 37275449 | 0.32 | 631 | 2.05 | 175329 | 2.20 | 62491 | 2.29 | 37450778 | 0.33 |
| CHENNAI | 44377 | 1.65 | 27062604 | 0.24 | 848 | 2.76 | 363554 | 4.56 | 45225 | 1.66 | 27426158 | 0.24 |
| DELHI | 170183 | 6.32 | 8177404979 | 71.20 | 4247 | 13.82 | 920074 | 11.53 | 174430 | 6.40 | 8178325053 | 71.16 |
| HYDERABAD | 41176 | 1.53 | 22038418 | 0.19 | 611 | 1.99 | 175450 | 2.20 | 41787 | 1.53 | 22213868 | 0.19 |
| KOLKATA | 75369 | 2.80 | 50661806 | 0.44 | 1183 | 3.85 | 283872 | 3.56 | 76552 | 2.81 | 50945678 | 0.44 |
| MUMBAI | 155436 | 5.77 | 2462805734 | 21.44 | 2226 | 7.24 | 539318 | 6.76 | 157662 | 5.79 | 2463345052 | 21.43 |
| NCR (Others) | 83579 | 3.10 | 59490708 | 0.52 | 865 | 2.81 | 201522 | 2.53 | 84444 | 3.10 | 59692230 | 0.52 |
| OTHERS | 2002396 | 74.32 | 616354996 | 5.37 | 19483 | 63.39 | 5225499 | 65.51 | 2021879 | 74.20 | 621580495 | 5.41 |
| **TOTAL** | **2694163** | **100.00** | **11484966894** | **100.00** | **30735** | **100.00** | **7976374** | **100.00** | **2724898** | **100.00** | **11492943268** | **100.00** |

**vi) Details of shares held by the Shareholders in Physical & Dematerialized form as on 31.03.2025**

| Sr. No. | Particulars | No. of Shareholders | No. of Shares | Percentage of Shareholding |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Physical | 30735 | 7976374 | 0.0694 |
| 2. | Dematerialized | 2694163 | 11484966894 | 99.9306 |
| i) | NSDL | 682515 | 2841633227 | 24.7250 |
| ii) | CDSL | 2011648 | 8643333667 | 75.2056 |
| | **Total (1+2)** | **2724898** | **11492943268** | **100.0000** |

**12.13** The Bank has not issued any GDRs/ADRs/Warrants or any convertible instruments during the financial year 2024-25 and there are no outstanding GDRs/ADRs/Warrants or any convertible instruments as on 31.03.2025.

**12.14 Commodity Price Risks are Nil. As regards foreign exchange risk and hedging activities:**

- The Bank has in place a Board approved Investment Policy in line with the prudential guidelines/Bank's Guidelines framed by Mid Office, Integrated Risk Management Division (IRMD) which defines potential future losses by fixing various limits such as cut loss/take profit limits (Dealer wise/Currency wise), Overnight/forward open positions etc. Exchange risk associated with intraday open position is also addressed by fixing Daylight Open Position limit. Foreign Exchange risk arising due to mismatch of foreign currency cash flow in different maturity buckets is addressed by limits such as IGL, AGL and VaR fixed and monitored by Mid Office, IRMD.
- All merchant (Export/Import/Inward remittance/Outward remittance) based transactions are hedged through OTC derivatives (swap and forward) in Interbank market based on the requirement of the customers.
- USD funds generated through FCNR/EEFC/RFC are naturally hedged as inflow and outflow of fund takes place in the same currency. Aforesaid deposits other than USD are converted into USD through currency swap mechanism and deployed profitably after taking swap cost into account.
- Bank has a robust and well defined MIS through which activities are placed before Top Management at all levels every day which has been defined in the Investment Policy.

**12.15 Plant Location:** N.A.

**12.16** Address for Correspondence in respect of equity related issues:

The Company Secretary
Punjab National Bank
Share Department, Board & Coordination Division,
5th Floor, West Wing, Plot No.4, Sector-10, Dwarka, New Delhi - 110075
Tel. No. 011- 28044857
e-mail: hosd@pnb.co.in

### 12.17 ऑनलाईन शिकायत निवारण प्रणाली:

बैंक शेयरधारकों के प्रश्नों/शिकायतों के समाधान के लिए ऑनलाइन पूछताछ/परिवाद/शिकायत निवारण प्रणाली प्रदान करता है। इस प्रणाली के अंतर्गत, शेयरधारक बैंक की वेबसाइट www.pnbindia.in पर Investor info - > Others - > ऑनलाइन शेयरधारक प्रश्न/अनुरोध/शिकायत के अंतर्गत दिए गए पोर्टल के माध्यम से अपनी पूछताछ/शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

### 12.18 सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट

वित्त वर्ष 2024–25 के लिए सचिवीय लेखापरीक्षा के लिए, बैंक ने मेसर्स अग्रवाल एस. एंड एसोसिएट्स (प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव, नई दिल्ली) को नियुक्त किया था। सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट कॉर्पोरेट अभिशासन रिपोर्ट के अंत में संलग्न है।

**12.19 डिबेंचर न्यास** : बैंक द्वारा जारी बांड्स के लिए डिबेंचर न्यासी निम्नलिखित हैं:

1. **आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड:**
   यूनिवर्सल इंश्योरेंस बिल्डिंग, भूतल,
   सर पी एम रोड, फोर्ट,
   मुंबई – 400001
   टेली : (91) (22) 40807000
   ईमेल आईडी: itsl@idbitrustee.com
   वेबसाईट: www.idbitrustee.com

2. **एसबीआईकैप ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड:**
   मिस्त्री भवन, चतुर्थ तल, 122 दिनशॉ वच्छा रोड,
   चर्चगेट, मुंबई– 400020.
   टेली: (91) (22) 4302 5555
   ईमेल आईडी: corporate@sbicaptrustee.com
   वेबसाईट: www.sbicaptrustee.com

3. **एक्सिस ट्रस्टी सर्विसेज लिमिटेड:**
   रूबी, दूसरी मंजिल, एस डब्लू,
   29, सेनापति बापट मार्ग, दादर पश्चिम,
   मुंबई– 400 028.
   टेली: (91) (22) 6230 0451
   ईमेल आईडी: debenturetrustee@axistrustee.in
   वेबसाईट: www.axistrustee.in

### 12.20. संशोधन के साथ सभी क्रेडिट रेटिंग्स की सूची:

**ए. बैंक की क्रेडिट रेटिंग:**

| रेटिंग एजेंसी | रेटिंग |
|---|---|
| मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विसेज | Baa3/P-3/Stable |
| फिच रेटिंग्स | BBB-/F3/Stable |

### 12.17 Online grievance redressal system:

The Bank provides an online query/grievance/complaint redressal system for resolving the shareholders' queries/grievances. Under this system, the shareholder may log in their query/complaint through the Portal provided on Bank's website www.pnbindia.in under Investor info - > Others - > Online Shareholder queries/requests/grievances.

### 12.18 Secretarial Audit Report:

For conducting the Secretarial Audit for FY 2024-25, the Bank has appointed M/s Agarwal S. & Associates. (Practicing Company Secretary, New Delhi). The Secretarial Audit Report is annexed at the end of the Corporate Governance Report.

**12.19 Debenture Trustee(s):** The following are the Debenture Trustee(s) for the Bonds issued by the Bank:

1. **IDBI Trusteeship Services Ltd:**
   Universal Insurance Building, Ground Floor,
   Sir P M Road, Fort,
   Mumbai – 400 001.
   T: (91) (22) 40807000
   Email ID: itsl@idbitrustee.com
   Website: www.idbitrustee.com

2. **SBICAP Trustee Company Ltd:**
   Mistry Bhavan, 04th Floor,
   122 Dinshaw Vachha Road, Churchgate,
   Mumbai- 400020
   T: (91) (22) 4302 5555/5556
   Email Id: corporate@sbicaptrustee.com
   Website: www.sbicaptrustee.com

3. **Axis Trustee Services Ltd.:**
   The Ruby, 2nd Floor, SW,
   29, Senapati Bapat Marg, Dadar West,
   Mumbai- 400 028
   T: (91) (22) 6230 0451
   Email Id: debenturetrustee@axistrustee.in
   Website: www.axistrustee.in

### 12.20 List of all credit ratings along with revisions thereto:

**a. Credit Rating of the Bank:**

| Rating Agency | Rating |
|---|---|
| Moody's Investors Services | Baa3/P-3/Stable |
| Fitch Ratings | BBB-/F3/Stable |

बी. वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान सभी घरेलू ऋण लिखत (सावधि जमा को छोड़कर) के लिए बैंक द्वारा लिए गए क्रेडिट रेटिंग का विवरण:

b. **Details of Credit Rating obtained by the Bank during FY 2024-25 for all domestic debt instruments (other than Fixed Deposits):**

| क्र. सं. Sr. No. | लिखत Instrument | श्रृंखला Series | आईएसआईएन ISIN | केयर CARE | आईसीआरए ICRA | इंडिया रेटिंग INDIA RATING | | ब्रिकवर्क BRICKWORK | क्रिसिल CRISIL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 11.12.2024 | 09.12.2024 | 13.09.2024 | 13.12.2024 | 16.12.2024 | 04.10.2024 | 13.12.2024 |
| 1 | एटी / AT-1 | श्रृंखला / Series VII | INE160A08076* | AA+/Stable | | AA+/Stable | AA+/Stable | | | |
| 2 | एटी / AT-1 | श्रृंखला / Series XII | INE160A08183 | AA+/Stable | | AA+/Stable | AA+/Stable | AA+/Stable | | |
| 3 | एटी / AT-1 | श्रृंखला / Series XIII | INE160A08209 | | AA+/Stable | AA+/Stable | AA+/Stable | | AA+/Stable | AA+/Stable |
| 4 | एटी / AT-1 | श्रृंखला / Series XIV | INE160A08217 | | | AA+/Stable | AA+/Stable | | AA+/Stable | AA+/Stable |
| 5 | एटी / AT-1 | श्रृंखला / Series XV | INE160A08225 | | | AA+/Stable | AA+/Stable | | AA+/Stable | AA+/Stable |
| 6 | एटी / AT-1 | श्रृंखला / Series XVI | INE160A08233 | | AA+/Stable | AA+/Stable | AA+/Stable | | | |
| 7 | एटी / AT-1 | श्रृंखला / Series XVII | INE160A08258 | AA+/Stable | | AA+/Stable | AA+/Stable | | | |
| 8 | एटी / AT-1 | श्रृंखला / Series XVIII | INE160A08266 | AA+/Stable | | AA+/Stable | AA+/Stable | | | |
| 9 | एटी / AT-1 | श्रृंखला / Series XIX | INE160A08282 | AA+/Stable | | AA+/Stable | AA+/Stable | | | |
| 10 | एटी / AT-1 | श्रृंखला / Series XX | INE160A08290 | AA+/Stable | AA+/Stable | | | | AA+/Stable | AA+/Stable |
| 11 | एटी / AT-1 | श्रृंखला / Series XXI | INE160A08308 | | AA+/Stable | | | | AA+/Stable | AA+/Stable |
| 12 | टीयर / Tier II बेसल / Basel - III | श्रृंखला / Series XVI | INE160A08035* | | | | | | | |
| 13 | टीयर / Tier II बेसल / Basel - III | श्रृंखला / Series XVII | INE160A08043* | | | | | | | |
| 14 | टीयर / Tier II बेसल / Basel - III | श्रृंखला / Series XVIII | INE160A08050* | | | AAA/Stable | | | | |
| 15 | टीयर / Tier II बेसल / Basel - III | श्रृंखला / Series XIX | INE160A08092 | AAA/Stable | | AAA/Stable | AAA/Stable | | | |
| 16 | टीयर / Tier II बेसल / Basel - III | श्रृंखला / Series XX | INE160A08142 | | | AAA/Stable | AAA/Stable | | AAA/Stable | AAA/Stable |
| 17 | टीयर / Tier II बेसल / Basel - III | श्रृंखला / Series XXI | INE160A08159 | | | AAA/Stable | AAA/Stable | | AAA/Stable | AAA/Stable |
| 18 | टीयर / Tier II बेसल / Basel - III | श्रृंखला / Series XXII | INE160A08167 | | | AAA/Stable | AAA/Stable | | AAA/Stable | AAA/Stable |
| 19 | टीयर / Tier II बेसल / Basel - III | श्रृंखला / Series XXIII | INE160A08175 | | | AAA/Stable | AAA/Stable | | AAA/Stable | AAA/Stable |
| 20 | टीयर / Tier II बेसल / Basel - III | श्रृंखला / Series XIV | INE141A08019* | | | | | | | |
| 21 | टीयर / Tier II बेसल / Basel - III | श्रृंखला / Series XVI | INE141A08035 | AAA/Stable | AAA/Stable | | | | | |
| 22 | टीयर / Tier II बेसल / Basel - III | श्रृंखला / Series-XXIV | INE160A08191 | | | AAA/Stable | AAA/Stable | | AAA/Stable | AAA/Stable |
| 23 | टीयर / Tier II बेसल / Basel - III | श्रृंखला / Series-XXV | INE160A08241 | AAA/Stable | | AAA/Stable | AAA/Stable | | | |

| क्र. सं. Sr. No. | लिखत Instrument | श्रृंखला Series | आईएसआईएन ISIN | केयर CARE | आईसीआरए ICRA | इंडिया रेटिंग INDIA RATING | | ब्रिकवर्क BRICKWORK | क्रिसिल CRISIL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 11.12.2024 | 09.12.2024 | 13.09.2024 | 13.12.2024 | 16.12.2024 | 04.10.2024 | 13.12.2024 |
| 24 | टीयर / Tier II<br>बेसल / Basel - III | श्रृंखला / Series-XXVI | INE160A08274 | AAA/Stable | | AAA/Stable | AAA/Stable | | | |
| 25 | टीयर / Tier II<br>बेसल / Basel - III | श्रृंखला / Series XXVII | INE160A08316 | | | | AAA/Stable | | | AAA/Stable |
| 26 | दीर्घावधि बॉण्ड / Long Term Bond | श्रृंखला / Series 1 | INE160A08068* | AAA/Stable | | AAA/Stable | AAA/Stable | | AAA/Stable | AAA/Stable |
| 27 | दीर्घावधि बॉण्ड / Long Term Bond | श्रृंखला / Series 2 | INE160A08084* | AAA/Stable | AAA/Stable | | | | AAA/Stable | AAA/Stable |
| 28 | दीर्घावधि बॉण्ड / Long Term Bond | श्रृंखला / Series 3 | INE160A08324 | | | | AAA/Stable | | | AAA/Stable |
| 29 | जमा प्रमाणपत्र / Certicate of Deposit | | | A1+ | A1+ | A1+ | A1+ | | A1+ | A1+ |

*सूचनाः

1. ISIN INE160A08035 वाले बॉन्ड को INDIA AAA/Stable, रेटिंग दी गई थी, CRISIL AAA/Stable जो 03.04.2024 को परिपक्व हुए।
2. ISIN INE160A08043 वाले बॉन्ड को INDIA AAA/Stable, रेटिंग दी गई थी, CRISIL AAA/Stable जो 09.09.2024 को परिपक्व हुए।
3. ISIN INE160A08050 वाले बॉन्ड को INDIA AAA/Stable, रेटिंग दी गई थी, CRISIL AAA/Stable जो 30.09.2024 को परिपक्व हुए।
4. ISIN INE141A08019 वाले बॉन्ड को CARE AAA/Stable, रेटिंग दी गई थी, ICRA AAA/Stable जो 25.10.2024 को परिपक्व हुए।
5. ISIN INE160A08068 वाले बॉन्ड को CARE AAA/Stable, रेटिंग दी गई थी, CRISIL AAA/Stable जो 07.02.2025 को परिपक्व हुए।
6. ISIN INE160A08076 वाले बॉन्ड को INDIA AA+/Stable, रेटिंग दी गई थी, CARE AA+/Stable कॉल ऑप्शन का प्रयोग 13.02.2025 को किया गया।
7. ISIN INE160A08084 वाले बॉन्ड को CARE AAA/Stable, रेटिंग दी गई थी, ICRA AAA/Stable, CRISIL AAA/Stable जो 24.03.2025 को परिपक्व हुए।

*Notes:

1. The bonds having ISIN INE160A08035 was rated INDIA AAA/Stable, CRISIL AAA/Stable matured on 03.04.2024.
2. The bonds having ISIN INE160A08043 was rated INDIA AAA/Stable, CRISIL AAA/Stable matured on 09.09.2024
3. The bonds having ISIN INE160A08050 was rated INDIA AAA/Stable, CRISIL AAA/Stable matured on 30.09.2024
4. The bonds having ISIN INE141A08019 was rated CARE AAA/Stable, ICRA AAA/Stable matured on 25.10.2024
5. The bonds having ISIN INE160A08068 was rated CARE AAA/Stable, CRISIL AAA/Stable matured on 07.02.2025.
6. The bonds having ISIN INE160A08076 was rated INDIA AA+/Stable, CARE AA+/Stable call option exercised on 13.02.2025.
7. The bonds having ISIN INE160A08084 was rated CARE AAA/Stable, ICRA AAA/Stable, CRISIL AAA/Stable matured on 24.03.2025.

**कृते पंजाब नैशनल बैंक**
**For Punjab National Bank**

**(अशोक चंद्र)**
**(Ashok Chandra)**

**प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी**
**Managing Director & CEO**

स्थानः नई दिल्ली
Place: New Delhi

दिनांक : 07.05.2025
Date: 07.05.2025

## घोषणा

(सेबी (एलओडीआर) विनियमन,
2015 की अनुसूची V (डी) के अनुसार)

बैंक ने सभी बोर्ड सदस्यों तथा बैंक के वरिष्ठ प्रबंधन वर्ग के अधिकारियों के लिए आचार संहिता तैयार की है, जो बैंक की वेबसाइट https://www.pnbindia.in/model-code-of-conduct.html पर उपलब्ध है।

बोर्ड के सभी सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन ने सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 के खंड 26 (3) के अनुसार आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है।

**कृते पंजाब नैशनल बैंक**

**(अशोक चंद्र)**
**प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी**

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक : 07.05.2025

## Declaration

[As per Schedule V (D) of the SEBI
(LODR) Regulations, 2015]

The Bank has laid down a Code of Conduct for all the Board Members and Senior Management Personnel of the Bank, which is available on the website of the Bank i.e. https://www.pnbindia.in/model-code-of-conduct.html

The Board Members and Senior Management have affirmed compliance to the Code of Conduct in accordance with Clause 26(3) of SEBI (LODR) Regulations, 2015.

**For Punjab National Bank**

**(Ashok Chandra)**
**Managing Director & CEO**

Place: New Delhi
Date: 07.05.2025

# फॉर्म नं. एमआर–3

# सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट

31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) और कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम संख्या 9 के अनुसार]

प्रति,
सदस्यगण,
**पंजाब नैशनल बैंक,**
प्रधान कार्यालय प्लॉट नंबर 4,
सेक्टर 10, द्वारका, नई दिल्ली–110075

हमने **पंजाब नैशनल बैंक** (जिसे यहां आगे 'बैंक' कहा गया है) द्वारा लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन और अच्छे कॉरपोरेट सिद्धांतों के पालन का सचिवीय ऑडिट किया है। सचिवीय ऑडिट इस तरीके से किया गया था कि इससे हमें कॉरपोरेट आचरण/संवैधानिक अनुपालन का मूल्यांकन करने और उस पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए उचित आधार मिला।

सचिवीय ऑडिट करने के दौरान बैंक की बहियों, कागजात, कार्यवृत्त बहियों, फॉर्म्स एवं दाखिल की गई विवरणियों और बैंक द्वारा रखे गए अन्य रिकॉर्ड के हमारे सत्यापन तथा बैंक, इसके अधिकारियों, एजेंटों और अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर, हम एतद्द्वारा रिपोर्ट करते हैं कि हमारी राय में, बैंक ने 31 मार्च, 2025 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष को कवर करने वाली ऑडिट अवधि के दौरान, यहां सूचीबद्ध संवैधानिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और यह भी कि बैंक के पास उचित बोर्ड प्रक्रियाएं और अनुपालन व्यवस्था हैं, जो इस तरीके से और यहां की गई रिपोर्टिंग के अधीन है।

हमने 31 मार्च, 2025 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए बैंक की बहियों, कागजात, कार्यवृत्त बहियों, फॉर्म्स एवं दाखिल की गई विवरणियों और बैंक द्वारा रखे गए अन्य रिकॉर्ड की जांच निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार की है:

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') और इसके तहत बनाए गए नियम; (लागू सीमा तक);

(ii) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 ('एससीआरए') और इसके तहत बनाए गए नियम;

(iii) निक्षेपागार अधिनियम, 1996 और उसके तहत बनाए गए विनियम और उपनियम;

(iv) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, अपतटीय प्रत्यक्ष निवेश और बाह्य वाणिज्यिक ऋणों की सीमा के तहत बनाए गए नियम और विनियम;

(v) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 ('सेबी अधिनियम') के अंतर्गत निर्धारित विनियम और दिशानिर्देश यथा: –

ए. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015;

# Form No. MR-3

# SECRETARIAL AUDIT REPORT

For the financial year ended 31st March, 2025

[Pursuant to section 204(1) of the Companies Act, 2013 and rule No. 9 of the Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014]

To,

The Members,
**PUNJAB NATIONAL BANK,**
Head Office: Plot No. 4,
Sector 10, Dwarka, New Delhi–110075

We have conducted the Secretarial Audit of the Compliance of applicable statutory provisions and the adherence to good Corporate Practices by Punjab National Bank (hereinafter called the "The Bank"). Secretarial Audit was conducted in a manner that provided us a reasonable basis for evaluating the corporate conducts/statutory compliances and expressing my opinion thereon.

Based on our verification of the Bank's books, papers, Minute books, forms and returns filed and other records maintained by the Bank and also the information provided by the Bank, its officers, agents and authorized representatives during the conduct of secretarial audit, we hereby report that in our opinion, the Bank has, during the audit period covering the financial year ended on 31st March, 2025 complied with the statutory provisions listed hereunder and also that the Bank has proper Board processes and Compliance mechanism in place to the extent, in the manner and subject to the reporting made hereinafter:

We have examined the books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the Bank for the financial year ended on 31st March, 2025 according to the provisions of:

(i) The Companies Act, 2013 ('the Act') and the rules made there under; (to the extent Applicable);

(ii) The Securities Contracts (Regulations) Act, 1956 ('SCRA") and the rules made thereunder;

(iii) The Depositories Act, 1996 and the Regulations and Bye-laws framed thereunder;

(iv) Foreign Exchange Management Act, 1999 and the rules and regulations made thereunder to the extent of Foreign Direct Investment, Overseas Direct Investment and External Commercial Borrowings;

(v) The following Regulations and Guidelines prescribed under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 ('SEBI Act'): -

(a) The Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

बी. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) विनियम, 2011;

सी. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) विनियम, 2015;

डी. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2018,

ई. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ और स्वेट इक्विटी) विनियम, 2021 (लेखा परीक्षा अवधि के दौरान बैंक पर लागू नहीं);

एफ. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (असंपरिवर्तनीय प्रतिभूतियों का निर्गम (इश्यु) और इनकी सूचीबद्धता) विनियम, 2021.

जी. कंपनी अधिनियम और ग्राहकों के साथ व्यवहार से संबंधित भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निर्गम रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण अभिकर्ता) विनियम, 1993; (जिस सीमा तक लागू हो)

एच. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों की असूचीबद्धता (डीलिस्टिंग) विनियम, 2021; (लेखा परीक्षा अवधि के दौरान बैंक पर लागू नहीं)

आई. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों को क्रय द्वारा वापस लेना (बाय बैक) विनियम, 2018; (लेखा परीक्षा अवधि के दौरान बैंक पर लागू नहीं)

जे. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) विनियम, 2018;

के. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निर्गमन बैंककार) विनियम, 1994;

एल. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (डिबेंचर न्यासी) विनियम, 1993;

(vi) मैं आगे रिपोर्ट करता हूं कि बैंक में प्रचलित अनुपालन प्रणाली को ध्यान में रखते हुए और नमूना जांच के आधार पर उसके अनुसरण में प्रासंगिक दस्तावेजों और अभिलेखों की जांच करने पर, बैंक ने निम्नलिखित विशेष रूप से बैंक पर लागू कानूनों का अनुपालन किया हैं:–

ए. पूंजी बाजार मध्यस्थों, मर्चेंट बैंकरों, निर्गमन बैंकर, डिबेंचर ट्रस्टियों पर यथा लागू सेबी द्वारा जारी दिशानिर्देश, विनियम,

बी. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय–समय पर जारी मास्टर निर्देश, अधिसूचनाएं और दिशानिर्देश,

सी. बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970;

डी. बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949;

ई. राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970;

(b) The Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011;

(c) The Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015;

(d) The Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018;

(e) The Securities and Exchange Board of India (Share Based Employee Benefits and Sweat Equity) Regulations, 2021; (Not applicable to the Bank during the audit period);

(f) Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Non-Convertible Securities) Regulations, 2021;

(g) The Securities and Exchange Board of India (Registrars to an Issue and Share Transfer Agents) Regulations, 1993 regarding the Companies Act in respect of dealing with client; (to the extent applicable)

(h) The Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2021 (Not applicable to the Bank during the audit period);

(i) The Securities and Exchange Board of India (Buyback of Securities) Regulations, 2018 (Not applicable to the Bank during the audit period);

(j) The Securities and Exchange Board of India (Depository & Participants) Regulations 2018;

(k) The Securities and Exchange Board of India (Banker to an Issue) Regulations, 1994;

(l) The Securities and Exchange Board of India (Debenture Trustee) Regulations, 1993;

(vi) We Further report that, having regard to the compliance system(s) prevailing in the Bank and on examination of the relevant documents and records in pursuance thereof on test check basis, the bank has complied with the following applicable laws to the Bank:

(a) Guidelines, Regulations issued by SEBI as applicable to Capital Market Intermediaries, Merchant Bankers, Bankers to an Issue, Debenture Trustees.;

(b) Master Direction, Notification and guidelines issued by RBI from time to time;

(c) The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970;

(d) The Banking Regulation Act, 1949;

(e) The Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970;

एफ. पंजाब नैशनल बैंक (शेयर और बैठक) विनियम, 2000,

जी. भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934;

एच. भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007;

हमने निम्नलिखित के अनुपालन की भी जांच की है:

(i) भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानक– (बैंक पर लागू नहीं, जैसा कि बैंक कंपनी अधिनियम, 1956/2013 के प्रावधानों के अंतर्गत निगमित कंपनी नहीं है)।

(ii) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 – लागू सीमा तक।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान बैंक ने निम्नलिखित टिप्पणियों के अधीन अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के प्रावधानों का अनुपालन किया है:

I. *बैंककारी कंपनियां (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 (3) (ई) के प्रावधानों के अनुसरण में, बैंक के निदेशक मंडल में बैंक के ऐसे कर्मचारियों में से एक निदेशक शामिल होगा जो औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खंड (एस) के अंतर्गत कामगार हैं, जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा नामित किया जाएगा, हालांकि, बैंक के बोर्ड में उक्त पद रिक्त है।*

II. *बैंककारी कंपनियां (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 (3) (एफ) के प्रावधानों के अनुसरण में, बैंक के निदेशक मंडल में बैंक के ऐसे कर्मचारियों में से एक निदेशक शामिल होगा, जो औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 2 के खंड के अंतर्गत कामगार कर्मचारी नहीं हैं, जिसे भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श के बाद केंद्र सरकार द्वारा नामांकित किया जाना हो, हालांकि, बैंक के बोर्ड में उक्त पद रिक्त है।*

III. *बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(जी) के प्रावधानों के अनुसरण में, बैंक के निदेशक मंडल में एक निदेशक शामिल होगा जो पंद्रह वर्षों से चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, जिसे रिजर्व बैंक के परामर्श के बाद केंद्र सरकार द्वारा नामित किया जाना हो, हालांकि, बैंक के बोर्ड में यह पद रिक्त है।*

IV. *बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3) (एच) के अंतर्गत, खंड (आई) के प्रावधानों के अधीन, केंद्र सरकार द्वारा छह से अधिक निदेशकों को नामित नहीं किया जाना था, हालांकि एक निदेशक का पद दिनांक 20.12.2024 तक रिक्त था और तीन निदेशकों के पद दिनांक 20.12.2024 के बाद रिक्त थे, जिन्हें बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3) (एच) के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा नामित किया जाना था।*

V. *भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियमन 17(1) (बी) के अनुसार में, जहां निदेशक मंडल का अध्यक्ष एक गैर–कार्यपालक निदेशक है, निदेशक मंडल का कम से कम एक तिहाई हिस्सा स्वतंत्र निदेशकों से युक्त होगा,*

(f) Punjab National Bank (Shares & Meeting) Regulations, 2000;

(g) The Reserve Bank of India Act, 1934;

(h) Payment and Settlement Systems Act, 2007.

We have also examined compliance of the following:

(i) Secretarial Standards, issued by The Institute of Company Secretaries of India- (*Not applicable to the Bank, as the Bank is not a Company incorporated under the provisions of Companies Act, 1956/2013*).

(ii) The Securities & Exchange Board of India (Listings Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 -to the extent Applicable.

During the period under review the Bank has complied with the provisions of the Act, Rules, Regulations, Guidelines, Standards etc. mentioned above subject to the following observations:

I. *In pursuance to the provisions of Section 9(3) (e) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the Board of Directors of Bank shall include one Director, from among such of the employees of the bank who are workmen under clause (s) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), to be nominated by the Central Government however, the said position is vacant on the Board of the Bank.*

II. *In pursuance to the provisions of Section 9(3) (f) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the Board of Directors of Bank shall include one Director, from among the employees of the Bank who are not workmen under clause(s) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947, to be nominated by the Central Government after consultation with the Reserve Bank of India however, the said position is vacant on the Board of the Bank.*

III. *In pursuance to the provisions of Section 9(3)(g) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the Board of Directors of Bank shall include one Director who has been a Chartered Accountant for not less than fifteen years to be nominated by the Central Government after consultation with the Reserve Bank however, the Position is vacant on the Board of the Bank.*

IV. *Under section 9(3)(h) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, subject to the provisions of clause (i), not more than six directors to be nominated by the Central Government, however the position of One Director was vacant till 20.12.2024 and position of three Directors were vacant post 20.12.2024 which were to be nominated by the Central Government under Section 9(3)(h) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970.*

V. *In pursuance to Regulation 17(1)(b) of Securities and Exchange Board of India (Listings Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, where the chairperson of the Board of Directors is a non-executive director, at least one-third of the Board of Directors shall comprise of independent directors, however during the*

हालांकि समीक्षाधीन अवधि के दौरान, दिनांक 21.12.2024 से 31.12.2024 तक और दिनांक 24.03.2025 से आगे, स्वतंत्र निदेशकों की संख्या निदेशक मंडल के एक तिहाई से भी कम है।

VI. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) वि. नियम, 2015 के विनियमन 17(1)(ए) के प्रावधान के अनुसार में, शीर्ष 1000 सूचीबद्ध संस्थाओं के निदेशक मंडल में कम से कम एक स्वतंत्र महिला निदेशक होगी, हालांकि समीक्षाधीन अवधि के दौरान, बैंक के निदेशक मंडल में एक स्वतंत्र महिला निदेशक का पद दिनांक 12.09.2024 से रिक्त था।

VII. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाए) विनियम, 2015 के विनियम 17(1ई) के दूसरे प्रावधान के अनुसार, यदि सूचीबद्ध इकाई किसी निदेशक के पद की अवधि समाप्त होने के कारण इस विनियम के उप–विनियम (1), विनियम 18 के उप–विनियम (1), विनियम 19 के उप–विनियम (1) या (2), विनियम 20 के उप–विनियम (2) या (2ए) या विनियम 21 के उप–विनियम (2) या (3) के तहत आवश्यकता का गैर–अनुपालन करती है, तो परिणामस्वरूप रिक्ति को ऐसे पद के रिक्त होने की तिथि से पहले सूचीबद्ध इकाई द्वारा भरा जाएगा, तथापि निदेशक के पद की अवधि समाप्त होने के कारण विनियम 17(1ई) के दूसरे प्रावधान का अनुपालन नहीं किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप हितधारक संबंध समिति की संरचना में अनुपालन नहीं हुआ है। यह रिक्ति उस तिथि को या उससे पहले नहीं भरी गई जिस तिथि अर्थात दिनांक 01.01.2025 को यह पद रिक्त हुआ था। यह गैर–अनुपालन दिनांक 01.01.2025 से 15.01.2025 तक की अवधि का था।

VIII. विनियम 18(1) (सी) और कॉरपोरेट प्रशासन पर आरबीआई परिपत्र आरबीआई/2021–22/24DOR.GOV.REC.8/29.67.001/2021–22 दिनांक 26.04.2021 के अनुसार, कम से कम एक सदस्य के पास वित्तीय लेखांकन या वित्तीय प्रबंधन में अपेक्षित व्यावसायिक विशेषज्ञता/अर्हता होनी चाहिए। हालाँकि, बैंक की लेखा परीक्षा समिति दिनांक 21.12.2024 से इसके गैर–अनुपालन में है।,

IX. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 20 (2ए) के अनुसरण में, कम से कम तीन निदेशक हितधारक संबंध समिति के सदस्य होंगे, हालांकि उक्त समिति की संरचना दिनांक 01.01.2025 से 20.01.2025 तक इसके गैर–अनुपालन में थी।

X. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 50(1)(डी) के अनुसरण में, सूचीबद्ध इकाई को गैर–परिवर्तनीय प्रतिभूतियों के जारी करने के माध्यम से धन

*period under review, from 21.12.2024 to 31.12.2024 and from 24.03.2025 onwards, the number of independent directors is less than one-third of the board of directors.*

VI. *In pursuance to the proviso to Regulation 17(1)(a) of Securities and Exchange Board of India (Listings Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Board of Directors of the top 1000 listed entities shall have at least one independent woman Director, however during the period under review, the position of one Independent Woman Director on the Board of Directors of Bank was vacant from 12.09.2024 onwards.*

VII. *In pursuance to the second proviso to Regulation 17(1E) of Securities and Exchange Board of India (Listings Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, if the listed entity becomes non-compliant with the requirement under sub-regulation (1) of this regulation, sub- regulation (1) of regulation 18, sub-regulation (1) or (2) of regulation 19, sub-regulation (2) or (2A) of regulation 20 or sub-regulation (2) or (3) of regulation 21, due to expiration of the term of office of any Director, the resulting vacancy shall be filled by the listed entity not later than the date such office is vacated, however there is non-compliance of second proviso to Regulation 17(1E), due to expiration of the term of office of Director resulting in non-compliance in composition of Stakeholders Relationship Committee. This vacancy was not filled on or before the date on which such office was vacated i.e. 01.01.2025. This non-compliance was from 01.01.2025 to 15.01.2025.*

VIII. *In pursuance to the Regulation 18(1)(c) of Securities and Exchange Board of India (Listings Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and RBI Circular on Corporate Governance RBI/2021-22/24 DOR.GOV.REC.8/29.67.001/2021-22 dated 26.04.2021, at least one member shall have requisite professional expertise/qualification in financial accounting or financial management. However, the Audit Committee of the Bank is in non-compliance of the same w.e.f. 21.12.2024.*

IX. *In pursuance to the Regulation 20 (2A) of Securities and Exchange Board of India (Listings Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, at least three Directors shall be members of the Stakeholders Relationship Committee, however the composition of said committee was in non-compliance of the same from 01.01.2025 till 20.01.2025.*

X. *In pursuance to the Regulation 50(1)(d) of Securities and Exchange Board of India (Listings Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the listed entity shall give prior intimation to the stock exchange of at least two working days in advance, about fund raising by way of issuance of non-convertible securities. The Bank*

*जुटाने के बारे में स्टॉक एक्सचेंज को कम से कम दो कार्य दिवस पूर्व अग्रिम सूचना देनी होगी। बैंक स्टॉक एक्सचेंजों को इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड जारी करने हेतु लिए गए अनुमोदन के संबंध में सूचित करने में विफल रहा। सेबी एलओडीआर विनियम के विनियम 50(1)(डी) का अनुपालन न करने पर बीएसई द्वारा बैंक पर रुपये 5,000/– (जीएसटी सहित) का दंड लगाया गया है।*

XI. *कॉरपोरेट गवर्नेंस पर आरबीआई परिपत्र आरबीआई/2021–22/24 डीओआर.जीओवी.आरईसी.8/29 67 001/2021–22 दिनांक 26.04.2021 के अनुसरण में, बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसीबी) की बैठकों की अध्यक्षता एक स्वतंत्र निदेशक द्वारा की जाएगी, जो बोर्ड या बोर्ड की किसी अन्य समिति का अध्यक्ष नहीं होगा। हालांकि, बैंक दिनांक 01.04.2024 से 27.09.2024 तक की अवधि के लिए इसके गैर–अनुपालन में था।*

**हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि** :–

बैंक, बैंककारी  कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 तथा राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 और अन्य लागू दिशानिर्देशों के साथ पठित बैंककारी  कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 में प्रदत्त बैंक पर लागू कॉरपोरेट अभिशासन एवं बोर्ड की संरचना से संबंधित प्रावधानों के अंतर्गत गठित है।

बैंक के बोर्ड में दस (10) निदेशक हैं जिनमें पाँच (5) कार्यपालक निदेशक, पाँच (5) गैर– कार्यपालक निदेशक जिनमें (2) दो नामित निदेशक और तीन गैर–कार्यपालक–स्वतंत्र निदेशक सम्मिलित हैं।

जैसा कि ऊपर विस्तृत रूप से उल्लेखित है, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 के अंतर्गत यथाअपेक्षित बैंक के निदेशक मंडल में निर्दिष्ट निदेशकों की अपेक्षित संख्या की गैर–नियुक्ति/नामांकन को छोड़कर, बैंक के निदेशक मंडल का विधिवत गठन किया गया है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में हुए परिवर्तन उपर्युक्त विधि के प्रावधानों के अनुपालन में किए गए थे।

सामान्यतः सभी निदेशकों को बोर्ड की बैठकें निर्धारित करने के लिए पर्याप्त सूचना दी जाती है, कार्यसूची और कार्यसूची पर विस्तृत नोट कम से कम सात दिन पहले भेजे जाते हैं, और बैठक से पहले कार्यसूची मदों पर और अधिक जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त करने और बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए एक प्रणाली मौजूद है।

बोर्ड का निर्णय सर्वसम्मति के माध्यम से किया जाता है जबकि असहमत सदस्यों के विचारों को कार्यवृत के हिस्से के रूप में कैप्चर और रिकॉर्ड किया जाता है।

**हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि** लागू विधियों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों के अनुपालन की निगरानी सुनिश्चित करने के लिए बैंक के आकार और परिचालन के अनुरूप बैंक में पर्याप्त प्रणालियाँ और प्रक्रियाएँ हैं।

**हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि** लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, उपर्युक्त संदर्भित  कानूनों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के अनुसरण में कंपनी के मामलों पर प्रमुख प्रभाव डालने वाली निम्नलिखित निर्दिष्ट

*failed to intimate the Stock Exchanges about the approval taken for issue of Infrastructure Bonds. A penalty has been imposed on the Bank by BSE for an amount of Rs. 5,000/- (plus GST) for non-compliance of Regulation 50(1)(d) of SEBI LODR Regulations.*

XI. *In pursuance to the RBI Circular on Corporate Governance RBI/2021-22/24 DOR.GOV.REC.8/29.67.001/2021-22 dated 26.04.2021, meetings of Risk Management Committee of the Board (RMCB) shall be chaired by an Independent Director who shall not be a Chair of the Board or any other committee of the Board. However, the Bank was in non- compliance of the same for the period from 01.04.2024 to 27.09.2024.*

**We further report that** the Bank is constituted under the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and the provisions relating to corporate governance and composition of Board as applicable to the Bank are provided in the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 read with The Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 and other applicable guidelines.

There are Ten (10) Directors on the Board of the Bank comprising of five (5) Executive Directors, five (5) Non-Executive Directors including (2) two nominee Directors and three Non-Executive Independent Directors.

The Board of Directors of the Bank is duly constituted **except** for the non-appointment/nomination of requisite number of specified Directors on the Board of Directors of the Bank as required under Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 as mentioned in detail above. The changes in the composition of the Board of Directors that took place during the period under review were carried out in compliance with the provisions of the aforesaid Laws.

Generally, adequate notice is given to all Directors to schedule the Board Meetings, agenda and detailed notes on agenda were sent at least seven days in advance, and a system exists for seeking and obtaining further information and clarifications on the agenda items before the meeting and for meaningful participation at the meeting.

The decision of the Board is carried through majority while the dissenting members' views are captured and recorded as part of the Minutes.

**We further report that** there are adequate systems and processes in the Bank commensurate with the size and operations of the Bank to monitor and ensure compliance with applicable laws, rules, regulations and guidelines.

घटनाएँ/कार्रवाइयाँ हुईं:

- समीक्षाधीन अवधि के दौरान, बैंक ने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2018 के अध्याय VI के अनुसार 2 रुपये प्रत्येक अंकित मूल्य के इक्विटी शेयरों ("इक्विटी शेयर") का अर्हता प्राप्त संस्थागत प्लेसमेंट जारी किया है और बैंक के निदेशक मंडल द्वारा दिनांक 28.12.2023 की बैठक में दिए गए अनुमोदन और बैंक की दिनांक 05.03.2024 की असाधारण आम बैठक में बैंक के शेयरधारकों द्वारा दिए गए अनुमोदन के पश्चात सेबी आईसीडीआर विनियमों के प्रावधानों के अनुसार दिनांक 27.09.2024 की अपनी बैठक में 103.75 रुपये प्रति इक्विटी शेयर के निर्गम मूल्य पर पात्र अर्हता प्राप्त संस्थागत खरीददारों को 48,19,27,710 इक्विटी शेयरों के आबंटन को स्वीकृति दी, जो कुल मिलाकर 49,99,99,99,912.50 रुपये [चार हजार नौ सौ निन्यानबे करोड़ निन्यानबे लाख निन्यानबे हजार नौ सौ बारह और पचास पैसे मात्र] होंगे। उक्त इश्यू को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) से दिनांक 30.09.2024 को और बीएसई लिमिटेड द्वारा दिनांक 01.10.2024 से ट्रेडिंग की स्वीकृति मिल गई है।

- समीक्षाधीन अवधि के दौरान, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने अपने पत्र दिनांक 05.07.2024 के माध्यम से 'ऋण और अग्रिम – सांविधिक और अन्य प्रतिबंध', और 'भारतीय रिजर्व बैंक (अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी)) निर्देश, 2016' पर आरबीआई द्वारा जारी कुछ निर्देशों का पालन न करने के लिए बैंक पर 1,31,80,000/– रुपये (एक करोड़ इकतीस लाख अस्सी हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। इसके अलावा आरबीआई ने अपने पत्र दिनांक 18.03.2025 के माध्यम से आरबीआई में सीवीपीएस (मुद्रा सत्यापन और प्रसंस्करण) के दौरान पाई गई नोटों की कमी के लिए करेंसी चेस्ट मार्केट, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश और मैनपुरी, उत्तर प्रदेश के लिए बैंक पर रुपये 1,44,600/– (एक लाख चौवालीस हजार छह सौ रुपये मात्र) और रुपये 3,83,400/– (तीन लाख तिरासी हजार चार सौ रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया गया है।

- समीक्षाधीन अवधि के दौरान, बैंक ने दिनांक 23.12.2024 को निजी स्थान नियोजन के आधार पर 7.43% प्रति वर्ष के कूपन पर बेसल III अनुपालक टियर–II कुल 3,000/– करोड़ रुपये के बांड (असुरक्षित, अधीनस्थ, गैर–परिवर्तनीय, पूर्णतः चुकता, प्रतिदेय, कर योग्य, श्रृंखला XXVII) जारी और आवंटित किए हैं।

- समीक्षाधीन अवधि के दौरान, बैंक ने दीर्घावधि अवसंरचना बांड (पंजाब नेशनल बैंक 2035 एलटीबी श्रृंखला III, गैर–परिवर्तनीय, कर योग्य, प्रतिदेय, असुरक्षित, पूर्णतः चुकता दीर्घावधि बांड, 1 लाख रुपये प्रत्येक अंकित मूल्य के डिबेंचर के रूप में) दिनांक 14.02.2025 को निजी स्थान नियोजन के आधार पर 7.34% प्रति वर्ष के कूपन पर कुल

**We further report** that during the audit period, following specific events/actions having a major bearing on the Company's affairs in pursuance of the above referred laws, rules, regulations, guidelines, standards etc.:

- During the period under review, the Bank has issued Qualified Institutions Placement of equity shares of face value Rs. 2 each (the "Equity Shares") in terms of Chapter VI of Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 and approved the allotment of 48,19,27,710 Equity Shares to eligible Qualified Institutional Buyers at an Issue Price of Rs. 103.75 per Equity Share, aggregating to Rs. 49,99,99,99,912.50/- [Rupees Four Thousand Nine Hundred Ninety-Nine Crore Ninety-Nine Lakh Ninety-Nine Thousand Nine Hundred Twelve and Paise Fifty only] in its meeting dated 27.09.2024 in accordance with the provisions of SEBI ICDR Regulations subsequent to the approval accorded by the Board of Directors of the Bank at its meeting dated 28.12.2023 and approval accorded by the shareholders of the Bank at the Extraordinary General Meeting of the Bank dated 05.03.2024. The said issue got trading approvals dated 30.09.2024 by the National Stock Exchange of India Limited (NSE) and BSE Limited w.e.f. 01.10.2024.

- During the period under review, the Reserve Bank of India (RBI) vide its letter dated 05.07.2024 has imposed a monetary penalty of Rs. 1,31,80,000/- (Rupees One Crore Thirty-One Lakh Eighty Thousand only) on the Bank for non-compliance with certain directions issued by RBI on 'Loans and Advances Statutory and Other Restrictions', and 'Reserve Bank of India (Know Your Customer (KYC)) Direction, 2016'. Further the RBI vide its letter dated 18.03.2025 has imposed a monetary penalty of Rs. 1,44,600/- (Rupees One Lac Forty-Four Thousand and Six Hundred only) and 3,83,400/- (Rupees Three Lac Eighty-Three Thousand and Four Hundred only) on the Bank for the Shortage of notes detected during CVPS (Currency Verification and Processing) at RBI for Currency Chest Market, Ghaziabad, U.P. and Mainpuri, U.P., respectively.

- During the period under review, the Bank has issued and allotted Basel III Compliant Tier-II Bonds (Unsecured, subordinated, non-convertible, fully paid-up, redeemable, taxable, Series XXVII) at a coupon of 7.43% p.a. aggregating to Rs. 3,000/- Crore on private placement basis dated 23.12.2024.

- During the period under review, the Bank has issued and allotted Long Term Infrastructure Bonds (Punjab National Bank 2035 LTB Series III, Non-convertible, Taxable, Redeemable, Unsecured, Fully Paid up Long-Term Bonds in the nature of debentures of face value Rs. 1 lakh each) at a coupon of 7.34% p.a. aggregating to Rs. 2,950/- Crore on private placement basis dated *14.02.2025.*

2,950 करोड़ रुपये जारी और आवंटित किए हैं।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, बैंक ने निम्नलिखित प्रतिभूतियों को भुनाया:

| क्र. | संक्षिप्त विवरण | परिपक्वता / भुनाने की तिथि | राशि |
|---|---|---|---|
| 1. | बैंक ने 9.68% बेसल III टियर II बांड श्रृंखला XVI को भुनाया है | 03.04.2024 | रुपये 500 करोड़ |
| 2. | बैंक ने 9.35% बेसल III टियर II बांड श्रृंखला XVII को भुनाया है | 09.09.2024 | रुपये 500 करोड़ |
| 3. | बैंक ने 9.25% बेसल III टियर II बांड श्रृंखला XVIII को भुनाया है | 30.09.2024 | रुपये 1000 करोड़ |
| 4. | बैंक ने 9.20% बेसल III टियर II बांड भुनाया है | 27.10.2024 भुनाने की वास्तविक तिथि – 25.10.2025 | रुपये 1000 करोड़ |
| 5. | बैंक ने 8.23% दीर्घावधि बांड श्रृंखला को भुनाया है | 09.02.2025 भुनाने की वास्तविक तिथि – 07.02.2025 | रुपये 1000 करोड़ |
| 6. | बैंक ने 9.15% बेसल III अतिरिक्त टियर I बांड सीरीज VII को भुनाया है | 13.02.2025 | रुपये 1,500 करोड़ |
| 7. | बैंक ने 8.35% दीर्घावधि बांड श्रृंखला II को भुनाया है | 24.03.2025 | रुपये 1800 करोड़ |

- समीक्षाधीन अवधि के दौरान, भुवनेश्वर, स्टेशन स्क्वायर स्थित मेसर्स गुप्ता पावर इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के एनपीए खाते में रुपये 270.57 करोड़ के उधार धोखाधड़ी की रिपोर्ट आरबीआई को दी गई है, जिसके लिए बैंक ने पहले ही निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार प्रावधान कर लिया है।

**कृते अग्रवाल एस. एंड एसोसिएट्स,**
कंपनी सचिव
आईसीएसआई यूनिक कोड: P2003DE049100
पीयर रिव्यू सर्टिफ़िकेट नं.: 626/2019

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 30/04/2025

सी एस श्वेता जैन
(प्रोपराइटर)
एफसीएस सं.: 7152 | सीपी सं.: 27503

यूडीआईएन: F007152G000238735

नोट: इस रिपोर्ट को हमारे उक्त तिथि के पत्र के साथ पढ़ा जाए, जिसे "अनुलग्नक ए" के रूप में संलग्न किया गया है और जो इस रिपोर्ट का



During the period under review, the Bank redeemed the following securities:

| S. No. | Brief Particulars | Date of Maturity/ Redemption | Amount |
|---|---|---|---|
| 1. | The Bank has redeemed 9.68% Basel III Tier II Bonds Series XVI | 03.04.2024 | INR 500 Crore |
| 2. | The Bank has redeemed 9.35% Basel III Tier II Bonds Series XVII | 09.09.2024 | INR 500 Crore |
| 3. | The Bank has redeemed 9.25% Base IIII Tier II Bonds Series XVIII | 30.09.2024 | INR 1,000 Crore |
| 4. | The Bank has redeemed 9.20% Basel III Tier II Bonds | 27.10.2024 Actual Date of Redemption - 25.10.2024 | INR 1,000 Crore |
| 5. | The Bank has redeemed 8.23% Long Term Bonds Series I | 09.02.2025 Actual Date of Redemption - 07.02.2025 | INR 1,000 Crore |
| 6. | The Bank has redeemed 9.15% Basel III Additional Tier I Bond Series VII | 13.02.2025 | INR 1,500 Crore |
| 7. | The Bank has redeemed 8.35% Long Term Bonds Series II | 24.03.2025 | INR 1800 Crore |

- During the period under review, Borrowal Fraud of ₹ 270.57 Crore in NPA account of M/s Gupta Power Infrastructure Limited at Bhubaneshwar, Station Square has been reported to RBI for which the Bank has already made provisions as per the prescribed prudential norms.

For **Agarwal S. & Associates,**
Company Secretaries
ICSI Unique Code: P2003DE049100
Peer Review Cert. No.: 626/2019

Place: New Delhi
Date: 30/04/2025

CS Shweta Jain
(Prop.)
FCS No.: 7152 | CP No.: 27503

UDIN: F007152G000238735

Note: This report is to be read with our letter of even date which is annexed as "Annexure A" and forms an integral part of this report.

अभिन्न अंग है।

**अनुलग्नक–क**

प्रति,
सदस्यगण,
**पंजाब नैशनल बैंक,**

उक्त तिथि की हमारी रिपोर्ट को इस पत्र के साथ पढ़ा जाए।

1. सचिवीय अभिलेखों के रखरखाव का उत्तरदायित्व बैंक के प्रबंधन का है। हमारा उत्तरादायित्व इन सचिवीय अभिलेखों जो लेखापरीक्षा हेतु हमारे समक्ष प्रस्तुत अभिलेखों के हमारे निरीक्षण पर आधारित हैं, पर अपना अभिमत प्रस्तुत करना है।

2. हमने लेखापरीक्षा पद्धतियों और प्रक्रियाओं का पालन किया है जो सचिवीय अभिलेखों की विषय–वस्तु की सत्यता के संबंध में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त थे। सत्यापन परीक्षण के आधार पर किया गया था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सचिवीय अभिलेखों में सही तथ्य परिलक्षित हों। हम मानते हैं कि हमारे द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं और प्रथाओं का पालन किया है, जो हमारे अभिमत के लिए उचित आधार प्रदान करती हैं।

3. हमने बैंक के वित्तीय अभिलेखों और खाता–बहियों की सत्यता और उपयुक्तता की पुष्टि नहीं की है और हमारी रिपोर्ट में अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा पूर्व में बताई गई टिप्पणियों/अवलोकन/कमियों को सम्मिलित नहीं किया गया है।

4. जहां भी आवश्यक हो, हमने कानूनों, नियमों और विनियमों के अनुपालन तथा घटनाओं के घटित होने आदि के संबंध में प्रबंधन की पुष्टि प्राप्त की है।

5. कॉरपोरेट और अन्य लागू विधियों, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन प्रबंधन का उत्तरादायित्व है। हमारी जांच परीक्षण के आधार पर प्रक्रियाओं के सत्यापन तक ही सीमित थी और यह अभिमत देने के लिए थी कि बैंक के पास उचित बोर्ड प्रक्रियाएं और अनुपालन–तंत्र मौजूद है या नहीं।

6. सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट न तो बैंक की भावी व्यवहार्यता का आश्वासन है और न ही उस दक्षता या प्रभावशीलता का आश्वासन है जिसके साथ प्रबंधन ने बैंक के मामलों का संचालन किया है।

**कृते अग्रवाल एस. एण्ड एसोसिएट्स,**
कंपनी सचिव,
आईसीएसआई यूनिक कोड: P2003DE049100
पीयर रिव्यू प्रमाणपत्र सं.: 626/2019

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 30/04/2025

**सीएस श्वेता जैन**
एफसीएस सं: 7152 | सीपी सं: 27503

यूडीआईएन: F007152G000238735

**Annexure A"**

To,
The Members,
**Punjab National Bank**

Our report of even date is to be read along with this letter.

1. Maintenance of secretarial records is the responsibility of the management of the Bank. Our Responsibility is to express an opinion on these secretarial records, based on our inspection of records produced before us for Audit.

2. We have followed the audit practices and processes as were appropriate to obtain reasonable assurance about the correctness of the contents of the secretarial records. The verification was done on test basis to ensure that correct facts are reflected in secretarial records. We believe that the processes and practices, we followed provide a reasonable basis for our opinion.

3. We have not verified the correctness and appropriateness of financial records and Books of Accounts of the Bank and our report is not covering observations/comments/ weaknesses already pointed out by the other Auditors.

4. Wherever required, we have obtained the Management representation about the compliance of laws, rules and regulations, happening of events, etc.

5. The Compliance of the provisions of corporate and other applicable laws, rules, regulations, standards is the responsibility of management. Our examination was limited to the verification of procedures on test basis and to give our opinion whether Bank has proper Board-processes and Compliance-mechanism in place or not.

6. The Secretarial Audit Report is neither an assurance as to future viability of the Bank nor of the efficacy or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Bank.

For **Agarwal S. & Associates,**
Company Secretaries,
ICSI Unique Code: P2003DE049100
Peer Review Cert. No.: 626/2019

Place: New Delhi
Date: 30.04.2025

**CS Shweta Jain**
FCS No.: 7152 | C P No.: 27503

UDIN: F007152G000238735

## निदेशकों की गैर–अयोग्यता का प्रमाणपत्र

विनियम, 2015 के विनियम 34(3) और अनुसूची V पैरा सी खंड (10) (i) के अनुसार)
(सेबी (भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ)

**प्रति,**
**सदस्यगण**
**पंजाब नैशनल बैंक**
**प्लॉट नं.4, सेक्टर 10, द्वारका, नई दिल्ली–110075**

हमने **पंजाब नैशनल बैंक**, जिसका प्रधान कार्यालय **प्लॉट सं. 4, सेक्टर 10, द्वारका, नई दिल्ली 110075** (जिसे यहाँ आगे बैंक कहा गया है) में स्थित है, के निदेशकों से प्राप्त सुसंगत रजिस्टरों, अभिलेखों, प्रपत्रों, रिटर्न और प्रकटीकरण की जांच की है, जिसे बैंक द्वारा हमारे समक्ष भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 की अनुसूची V पैरा–सी उप खंड 10 (i) के साथ पठित विनियम 34(3) के अनुसार यह प्रमाण पत्र जारी करने के उद्देश्य से बैंक द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

हमारे अभिमत में तथा हमारी सर्वोत्तम/अधिकतम जानकारी के अनुसार तथा जैसा आवश्यक समझा जाए (पोर्टल www.mca.gov.in) में निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन) स्थिति सहित) के सत्यापन तथा बैंक एवं इसके निदेशक/अधिकारियों द्वारा प्रदत्त स्पष्टीकरण/अभ्यावेदन के अनुसार, हम एतद्द्वारा प्रमाणित करते हैं कि 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए बैंक के निम्नलिखित निदेशकों में से बोर्ड के किसी भी निदेशक को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय या ऐसे किसी अन्य सांविधिक प्राधिकरण द्वारा कंपनियों के निदेशक के रूप में नियुक्त होने या बने रखने से विवर्जित या अयोग्य घोषित नहीं किया गया है:–

| क्र.सं. | निदेशक का नाम | निदेशक की पहचान संख्या (डीआईएन) | बैंक में नियुक्ति की तिथि |
|---|---|---|---|
| 1 | श्री के.जी.अनंतकृष्णन | 00019325 | 07.11.2022 |
| 2 | श्री अशोक चंद्र | 09322823 | 16.01.2025 |
| 3 | श्री अतुल कुमार गोयल^ | 07266897 | 01.02.2022 |
| 4 | श्री कल्याण कुमार | 09631251 | 21.10.2021 |
| 5 | श्री बिनोद कुमार^^ | 07361689 | 21.11.2022 |
| 6 | श्री एम. परमशिवम | 08997088 | 01.12.2022 |
| 7 | श्री बिभु प्रसाद महापात्र | 08756848 | 09.10.2023 |
| 8 | श्री डी. सुरेन्द्रन | 10174317 | 24.03.2025 |
| 9 | श्री पंकज शर्मा | – | 11.04.2022 |
| 10 | श्रीमती उमा शंकर | – | 14.07.2023 |
| 11 | श्री पंकज जोशी^^^ | 06385037 | 21.12.2021 |
| 12 | श्री संजीव कुमार सिंघल^^^ | 00162680 | 21.12.2021 |
| 13 | डॉ. रेखा जैन^^^^ | 01586688 | 12.09.2021 |
| 14 | श्री जतिंदर सिंह बजाज | – | 06.10.2023 |
| 15 | श्री अम्बरीश ओझा | 07008756 | 12.09.2024 |

^31.12.2024 *को अधिवर्षिता पर अपना कार्यकाल पूर्ण कर बैंक के निदेशक का कार्यकाल समाप्त।*
^^16.01.2025 *को बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में पदोन्नत होने पर इंडियन बैंक के निदेशक का कार्यकाल समाप्त*
^^^20.12.2024 *को अपना कार्यकाल पूरा होने पर निदेशक का कार्यकाल समाप्त*
^^^^11.09.2024 *को अपना कार्यकाल पूरा होने पर निदेशक का कार्यकाल समाप्त*

बोर्ड में प्रत्येक निदेशक की नियुक्ति बने रहने की पात्रता सुनिश्चित करना बैंक के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। हमारा उत्तरदायित्व अपने सत्यापन के आधार पर इस पर अपना अभिमत व्यक्त करना है। यह प्रमाणपत्र न तो बैंक की भावी व्यवहार्यता का और न ही उसकी दक्षता या प्रभावशीलता का आश्वासन है, जिसके साथ प्रबंधन ने बैंक का कार्य किया है।

कृते **अग्रवाल एस. एंड एसोसिएट्स,**
**कंपनी सचिव,**
आईसीएसआई विशिष्ट कोड: P2003DE049100
समकक्ष समीक्षा प्रमाणपत्र संख्या 2725/2022

सीएस श्वेता जैन
एफसीएस नं. : 7152
सी पी नं. : 27503
यूडीआईएन: F007152G000256511

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 02.05.2025

# CERTIFICATE OF NON-DISQUALIFICATION OF DIRECTORS

*[Pursuant to Regulation 34(3) and Schedule V Para C clause (10)(i) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements] Regulations, 2015)*

**To,**
**The Members of**
**Punjab National Bank**
**Plot No. 4, Sector-10,**
**Dwarka, New Delhi - 110075**

We have examined the relevant registers, records, forms, returns and disclosure received from the Directors of **Punjab National Bank**, having head office at **Plot No. 4, Sector 10, Dwarka, New Delhi 110075** (hereinafter referred to as 'the Bank'), produced before us by the Bank for the purpose of issuing this Certificate, in accordance with Regulation 34(3) read with Schedule V Para-C Sub clause 10 (i) of the Securities & Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

In our opinion and to the best of our information and according to the verifications (including Directors Identification Number (DIN) status at the portal www.mca.gov.in) as considered necessary and explanations/representations furnished by the Bank & its Director/ officers, We hereby certify that none of the Directors on the Board of the Bank as stated below for the Financial Year ending on 31st March, 2025 have been debarred or disqualified from being appointed or continuing as Directors of companies by the Securities and Exchange Board of India, Ministry of Corporate Affairs, or any other such Statutory Authority:-

| Sr. No. | Name of the Director | DIN | Date of appointment in the Bank |
|---|---|---|---|
| 1 | Sh. K. G. Ananthakrishnan | 00019325 | 07.11.2022 |
| 2 | Sh. Ashok Chandra | 09322823 | 16.01.2025 |
| 3 | Sh. Atul Kumar Goel^ | 07266897 | 01.02.2022 |
| 4 | Sh. Kalyan Kumar | 09631251 | 21.10.2021 |
| 5 | Sh. Binod Kumar^^ | 07361689 | 21.11.2022 |
| 6 | Sh. M. Paramasivam | 08997088 | 01.12.2022 |
| 7 | Sh. Bibhu Prasad Mahapatra | 08756848 | 09.10.2023 |
| 8 | Sh. D Surendran | 10174317 | 24.03.2025 |
| 9 | Sh. Pankaj Sharma | - | 11.04.2022 |
| 10 | Smt. Uma Sankar | - | 14.07.2023 |
| 11 | Sh. Pankaj Joshi^^^ | 06385037 | 21.12.2021 |
| 12 | Sh. Sanjeev Kumar Singhal^^^ | 00162680 | 21.12.2021 |
| 13 | Dr. Rekha Jain^^^^ | 01586688 | 12.09.2021 |
| 14 | Sh. Jatinder Singh Bajaj | - | 06.10.2023 |
| 15 | Sh. Ambarish Ojha | 07008756 | 12.09.2024 |

*^ceased to be Director of the Bank upon completion of his tenure on superannuation on 31-12-2024.*
*^^ceased to be Director of the Bank upon elevation as MD & CEO of the Indian Bank on 16-01-2025.*
*^^^ ceased to be Directors upon completion of their tenure on 20-12-2024.*
*^^^^ ceased to be a director upon completion of her tenure on 11-09-2024.*

Ensuring the eligibility of the appointment/ continuity of every Director on the Board is the responsibility of the management of the Bank. Our responsibility is to express an opinion on these, based on our verification. This certificate is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor of the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Bank.

For **Agarwal S. & Associates,**
*Company Secretaries,*
*ICSI Unique Code: P2003DE049100*
*Peer Review Cert. No. 2725/2022*

CS Shweta Jain
FCS No.: 7152
C P No.: 27503
UDIN: F007152G000256511

Place: New Delhi
Date: 02.05.2025

BLANK PAGE

# कारोबार उत्तरदायित्व एवं स्थिरता रिपोर्ट

# Business Responsibility & Sustainability Report

*अनुबंध II*

## कारोबार उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्टिंग प्रारूप

**खंड ए** इकाई का व्यापक पुनरीक्षण प्रस्तुत करता है, जिसमें उसके उत्पाद और पेशकश, परिचालनात्मक पदचिह्न, संबंधित पक्ष, कर्मचारी, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पहल और पारदर्शिता शामिल हैं।

**खंड बी** इकाई से संबंधित प्रबंधन और प्रक्रिया प्रकटीकरण का विवरण देता हैं , एनजीआरबीसी सिद्धांतों और मुख्य तत्वों को अपनाने के लिए कार्यान्वित संरचनाओं, नीतियों और प्रक्रियाओं पर प्रकाश डालता है।

**खंड सी** में इकाई संस्थाओं को सिद्धांतों और मूल तत्वों को प्रमुख प्रक्रियाओं और निर्णयों में एकीकृत करने में अपने प्रदर्शन को प्रस्तुत करने में सहायता करने के लिए डिजाइन किया गया है। इस जानकारी को एनजीआरबीसी के नौ सिद्धांतों पर मैप किया गया है और इसे "आवश्यक" और "नेतृत्व" संकेतकों में वर्गीकृत किया गया है।

### खंड एः सामान्य प्रकटीकरण

**I. <u>सूचीबद्ध इकाई का विवरण</u>**

1. **सूचीबद्ध इकाई की कॉर्पोरेट पहचान संख्या (सीआईएन):** बैंक बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 के अंतर्गत गठित एक कॉर्पोरेट निकाय है। बैंक कंपनी अधिनियम, 1956/2013 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनी नहीं है और इसलिए सीआईएन की आवश्यकता के संबंध में कंपनी अधिनियम के प्रावधान बैंक पर लागू नहीं होते हैं। बैंक के पास एक सीआईएन–'पीयूएनबी' है जो एमसीए पोर्टल पर आईईपीएफ फॉर्म दाखिल करने के सीमित उद्देश्य के लिए है।
2. **सूचीबद्ध इकाई का नाम** पंजाब नैशनल बैंक हैं
3. **स्थापना का वर्षः** बैंक की स्थापना बैंकिंग कंपनी (अर्जन एवं अंतरण अधिनियम), 1970 के अंतर्गत 1895 में गठित हुई एवं 1970 में राष्ट्रीयकृत हुई।
4. **पंजीकृत कार्यालय का पता** पंजाब नैशनल बैंक, कॉर्पोरेट कार्यालय, प्लॉट नंबर 4, सेक्टर –10, द्वारका, नई दिल्ली
5. **कॉर्पोरेट पता** पंजाब नैशनल बैंक, कॉर्पोरेट कार्यालय, प्लॉट नंबर 4, सेक्टर –10, द्वारका, नई दिल्ली
6. **ई–मेलः** care@pnb.co.in
7. **टेलीफोनः** 011–28044436
8. **वेबसाइटः** www.pnbindia.in
9. **वित्तीय वर्ष जिसकी रिपोर्टिंग की जा रही हैः** वित्त वर्ष 2024–25
10. **स्टॉक एक्सचेंज(ओं) का नाम जहां शेयर सूचीबद्ध हैंः** बी.एस.ई. लिमिटेड और नैशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड।
11. **प्रदत्त पूंजीः** ₹2298.59 करोड़

*Annexure II*

## BUSINESS RESPONSIBILITY & SUSTAINABILITY REPORTING FORMAT

**SECTION A** offers a comprehensive overview of the entity, including its products and offerings, operational footprint, related parties, employees, Corporate Social Responsibility initiatives and transparency.

**SECTION B** details management and process disclosures related to the entity, highlighting the structures, policies, and processes implemented to adopt the NGRBC Principles and Core Elements.

**SECTION C** is designed to assist entities in demonstrating their performance in integrating the Principles and Core elements into key processes and decisions. The information is mapped to nine principles of NGRBC and is categorized into "Essential" and "Leadership" indicators.

### SECTION A: GENERAL DISCLOSURES

**I. <u>Details of the listed entity</u>**

1. **Corporate Identity Number (CIN) of the Listed Entity:** The Bank is a body corporate constituted under the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970. The Bank is not a company registered under the Companies Act, 1956/2013 and therefore the provisions of the Companies Act including with respect to requirement of CIN are not applicable to the Bank. The Bank has a CIN - 'PUNB' for the limited purpose of filing of IEPF forms on MCA portal.
2. **Name of the Listed Entity:** Punjab National Bank
3. **Year of incorporation:** Incorporated in 1895 and nationalized in 1970 under the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970
4. **Registered office address:** Punjab National Bank, Corporate Office, Plot No.4, Sector-10, Dwarka, New Delhi -110075
5. **Corporate address:** Punjab National Bank, Corporate Office, Plot No.4, Sector-10, Dwarka, New Delhi -110075
6. **E-mail:** care@pnb.co.in
7. **Telephone:** 011-28044436
8. **Website:** www.pnbindia.in
9. **Financial year for which reporting is being done:** FY 2024-25
10. **Name of the Stock Exchange(s) where shares are listed:** BSE Limited and National Stock Exchange of India Ltd.
11. **Paid-up Capital:** Rs.2298.59 crore

12. **उस व्यक्ति का नाम और संपर्क विवरण (टेलीफोन, ईमेल पता):** जिससे बीआरएसआर रिपोर्ट पर किसी भी प्रश्न के मामले में संपर्क किया जा सकता है

**नामः** श्री अजय कुमार सिंह

**पदः** महाप्रबंधक, कार्यनीति प्रबंधन और आर्थिक परामर्श प्रभाग

**टेलीफोन नंबरः** 011–28044436

**ईमेल आईडीः** eicsmead@pnb.co.in

13. **रिपोर्टिंग सीमा – क्या इस रिपोर्ट के अंतर्गत प्रकटीकरण स्टैंडअलोन आधार पर (अर्थात केवल इकाई के लिए) या समेकित आधार पर (अर्थात इकाई और सभी संस्थाओं के लिए जो इसके समेकित वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनते हैं, एक साथ लिया जाता है)।** इस रिपोर्ट में किए गए प्रकटीकरण स्टैंडअलोन आधार पर हैं जो विभिन्न कारोबार संबंधी वर्टिकल में बैंक के परिचालन पर ध्यान केंद्रित करते हैं।

14. **आश्वासन प्रदाता का नामः** मेसर्स उम्मेद जैन एंड कं. (केंद्रीय सांविधिक लेखापरीक्षक)

15. **प्राप्त आश्वासनों के प्रकारः** बीआरएसआर कोर संकेतक – उचित आश्वासन; सेलेक्ट बीआरएसआर संकेतक – उचित/सीमित आश्वासन

## II. उत्पाद/सेवाएँ

16. **कारोबारी गतिविधियों का विवरण (टर्नओवर के 90% के लिए लेखांकन):**

| क्र. सं. | प्रमुख गतिविधियों का विवरण | व्यावसायिक गतिविधि का विवरण | इकाई के टर्नओवर का % |
|---|---|---|---|
| 1. | बैंकिंग एवं वित्तीय सेवाएँ | बैंक विभिन्न बैंकिंग उत्पाद और वित्तीय सेवाएँ प्रदान करता है, जिसमें मुख्य रूप से बचत, सावधि, चालू, आवर्ती जमा आदि और ऋण वित्तपोषण जैसे विभिन्न प्रकार की जमाओं की स्वीकृति शामिल है। इसमें मूलरूप से निम्नलिखित शामिल हैंः | |
| | | **(i) रिटेल बैंकिंग** – रिटेल बैंकिंग खंड में ₹7.50 करोड़ रुपये से कम राशि वाले उधारकर्ता खाते शामिल हैं। | 27.50 |
| | | **(ii) कॉर्पोरेट/थोक बैंकिंग** – कॉर्पोरेट/थोक बैंकिंग खंड में ₹7.50 करोड़ रुपये और उससे अधिक के ऋण जोखिम वाले उधारकर्ताओं की ऋण गतिविधियाँ शामिल हैं। | 42.17 |

12. **Name and contact details (telephone, email address) of the person who may be contacted in case of any queries on the BRSR report**

**Name:** Shri Ajay Kumar Singh

**Designation:** General Manager, Strategic Management and Economic Advisory Division

**Telephone No.:** 011-28044436

**Email id:** eicsmead@pnb.co.in

13. **Reporting boundary - Are the disclosures under this report made on a standalone basis (i.e. only for the entity) or on a consolidated basis (i.e. for the entity and all the entities which form a part of its consolidated financial statements, taken together).** Disclosures made in this report are on a standalone basis focusing on the bank's operation across various business verticals including Foreign branches.

14. **Name of assurance provider:** M/s Ummed Jain & Co. (Central Statutory Auditor)

15. **Type of assurance obtained:** BRSR Core Indicators – Reasonable assurance

## II. Products/services

16. **Details of business activities (accounting for 90% of the turnover):**

| S. No. | Description of Main Activity | Description of Business Activity | % of Turnover of the entity |
|---|---|---|---|
| 1. | Banking and Financial Services | The bank provides various banking products and financial services primarily including acceptance of various kinds of deposits like savings, term, current, recurring deposit etc. and credit financing. It basically includes following: | |
| | | **(i) Retail Banking -** The Retail Banking Segment comprises of borrower accounts having exposure of less than ₹7.50 Crores. | 27.50 |
| | | **(ii) Corporate/ Wholesale Banking** - The Corporate / Wholesale Banking segment comprises the lending activities of borrowers having exposure of ₹7.50 Crores and above. | 42.17 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | **(iii) ट्रेजरी** – ट्रेजरी खंड में संपूर्ण निवेश पोर्टफोलियो और विदेशी मुद्रा अनुबंधों एवं डेरिवेटिव अनुबंधों में ट्रेडिंग शामिल है। ट्रेजरी सेगमेंट के राजस्व में मुख्य रूप से फीस और ट्रेडिंग संचालन से लाभ या हानि तथा निवेश पोर्टफोलियो पर ब्याज आय शामिल है। | **27.95** |
| | | **(iv) अन्य बैंकिंग परिचालन** – उपरोक्त (i) से (iii) के अंतर्गत वर्गीकृत न किए गए खंड इस प्राथमिक खंड के अंतर्गत वर्गीकृत किए गए हैं। | **2.38** |

**17. इकाई द्वारा बेचे गए उत्पाद/सेवाएँ *(इकाई के टर्नओवर के 90% के लिए लेखांकन)*:**

| क्र. सं. | उत्पाद/सेवाएं | एनआईसी कोड | कुल योगदान वाले टर्नओवर का % |
|---|---|---|---|
| 1. | जमा अग्रिम (कृषि ऋण, एमएसएमई ऋण, खुदरा उधार कॉर्पोरेट ऋण), ट्रेजरी उत्पाद और तृतीय पक्ष सेवाएँ | 64191 | 100% |

**III. परिचालन**

**18. उन स्थानों की संख्या जहाँ इकाई के संयंत्र और/या परिचालन/कार्यालय स्थित हैं:**

| स्थान | संयंत्र की संख्या | कार्यालयों की संख्या | कुल |
|---|---|---|---|
| **राष्ट्रीय** | लागू नहीं* | 10189 शाखाएँ, 11822 एटीएम, 1112 प्रशासनिक कार्यालय 731 जिलों में उपस्थिति | 23,123 |
| **अंतर्राष्ट्रीय** | लागू नहीं* | शाखाएँ: दुबई और गिफ्ट सिटी, अहमदाबाद | 02 |

**एक वित्तीय सेवा संस्था होने के कारण यह खंड लागू नहीं है*

**19. इकाई द्वारा सेवाएं प्रदत्त बाजार:**

**क. स्थानों की संख्या**

| स्थान | संख्या |
|---|---|
| राष्ट्रीय (राज्यों की संख्या) | 28 राज्य एवं 7 केंद्र शासित प्रदेश (लक्षदीप को छोड़कर) |
| अंतरराष्ट्रीय (देशों की संख्या) | 1 |

**ख. इकाई के कुल कारोबार में निर्यात का प्रतिशत के रूप में योगदान क्या है?**

लागू नहीं

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | **(iii) Treasury** - The Treasury Segment includes the entire investment portfolio and trading in foreign exchange contracts and derivative contracts. The revenue of the treasury segment primarily consists of fees and gains or losses from trading operations and interest income on the investment portfolio. | **27.95** |
| | | **(iv) Other Banking Operations** - Segments not classified under (i) to (iii) above are classified under this primary segment. | **2.38** |

**17. Products/Services sold by the entity *(accounting for 90% of the entity's Turnover)*:**

| S. No. | Product/Service | NIC Code | % of total contributed Turnover |
|---|---|---|---|
| 1. | Deposits, Advances (Agriculture lending, MSME Lending, Retail lending, Corporate lending), Treasury Products and Third Party Services. | 64191 | 100% |

**III. Operations**

**18. Number of locations where plants and/or operations/offices of the entity are situated:**

| Location | Number of plants | Number of offices | Total |
|---|---|---|---|
| **National** | Not Applicable* | 10189 Branches, 11822 ATMs, 1112 admin offices, Presence in 731 districts | 23,123 |
| **International** | Not Applicable* | Branches at: Dubai and Gift City, Ahmedabad | 02 |

**Being a financial service entity this section is Not Applicable.*

**19. Markets served by the entity:**

**a. Number of locations**

| Locations | Number |
|---|---|
| National (No. of States) | 28 states & 7 UTs (except Lakshadweep) |
| International (No. of Countries) | 1 |

**b. What is the contribution of exports as a percentage of the total turnover of the entity?**

Not Applicable

ग. ग्राहकों के संक्षिप्त प्रकार

एक वित्तीय सेवा संगठन होने के नाते बैंक ग्राहकों की एक विविधतापूर्ण को पूरा करता है:

बैंकिंग परिचालन में, बैंक व्यक्ति, कॉर्पोरेट्स, किसानों, सरकार, स्टार्ट–अप, एमएसएमई आदि सहित विभिन्न प्रकार के ग्राहकों को सेवाएं प्रदान करता है, और प्रत्येक खंड के लिए उसके पास उत्पादों और सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला है। हमारे ग्राहक विभिन्न उद्योगों और पृष्ठभूमि से आते हैं। बैंक अपनी प्रक्रियाओं और उत्पादों को बेहतर बनाने और समावेशी विकास सुनिश्चित करने के लिए ग्राहक केंद्रित बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए लगातार काम कर रहा है। हम व्यक्तियों, व्यक्तियों के संयुक्त खाते, अनिवासी व्यक्तियों, साझेदारी फर्म, सोसायटी, ट्रस्ट, एसोसिएशन, कंपनियों, एमएसएमई, सरकार, बड़े कॉरपोरेटस आदि सहित विविध प्रकार के ग्राहकों को सेवा प्रदान करते हैं। 31.03.2025 तक, बैंक अपने विविध नेटवर्क और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर 17.68 करोड़ से अधिक ग्राहकों को सेवा प्रदान कर रहा है।

IV. कर्मचारी

20. वित्तीय वर्ष के अंत में विवरण:

क. कर्मचारी एवं कामगार (दिव्यांग सहित):

| क्र. सं. | विवरण | कुल* (ए) | पुरुष | | महिला | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | सं. (बी) | % (बी / ए) | सं. (सी) | % (सी / ए) |
| | **कर्मचारी** | | | | | |
| 1. | स्थायी (डी) | 102746 | 77204 | 75.14% | 25542 | 24.86% |
| 2. | स्थायी के अलावा (ई) | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं |
| 3. | **कुल कर्मचारी (डी+ई)** | 102746 | 77204 | 75.14% | 25542 | 24.86% |
| | **कामगार** | | | | | |
| 4. | स्थायी (एफ) | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं |
| 5. | स्थायी के अलावा (जी) | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं |
| 6. | **कुल कामगार (एफ+जी)** | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं |

*सभी तीन संवर्ग अर्थात अधिकारी, लिपिक, अधीनस्तको क्रम संख्या 1 में शामिल किया गया है।*

ख. दिव्यांग कर्मचारी और कामगार:

| क्र. सं. | विवरण | कुल (ए) | पुरुष | | महिला | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | सं. (बी) | % (बी / ए) | सं. (सी) | % (सी / ए) |
| | **दिव्यांग कामगार** | | | | | |
| 1. | स्थायी (डी) | 2925 | 2385 | 81.54% | 540 | 18.46% |
| 2. | स्थायी के अलावा (ई) | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं |
| 3. | **पूरी तरह से दिव्यांग कामगार (एफ+जी)** | 2925 | 2385 | 81.54% | 540 | 18.46% |
| | **दिव्यांग कामगार** | | | | | |
| 4. | स्थायी (एफ) | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं |
| 5. | स्थायी के अलावा (जी) | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं |
| 6. | **पूरी तरह से दिव्यांग कामगार (एफ+जी)** | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं |

c. **A brief on types of customers**

Being a financial services organization the Bank caters to diverse range of customers:

In banking operation, the Bank caters to various types of customers including Individuals, Corporates, Farmers, Government, Start-ups, MSMEs etc. and has a wide array of products and services for each segment. Our customers come from a wide spectrum of industries and backgrounds. The bank is continuously working to provide customer centric banking services to improve its processes and products and ensure inclusive growth. We cater to diverse range of customers including individuals, joint account of individuals, Non-resident individuals, partnership firm, societies, trust, associations, companies, MSMEs, Government, Large corporates etc. As on 31.03.2025, the Bank proudly serves over 17.68 crore customers across its diverse network and digital platforms.

**IV. Employees**

**20. Details as at the end of Financial Year:**

**a. Employees and workers (including differently abled):**

| S. No. | Particulars | Total* (A) | Male | | Female | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No. (B) | % (B / A) | No. (C) | % (C / A) |
| | **EMPLOYEES** | | | | | |
| 1. | Permanent (D) | 102746 | 77204 | 75.14% | 25542 | 24.86% |
| 2. | Other than Permanent (E) | NA | NA | NA | NA | NA |
| 3. | **Total employees (D + E)** | 102746 | 77204 | 75.14% | 25542 | 24.86% |
| | **WORKERS** | | | | | |
| 4. | Permanent (F) | NA | NA | NA | NA | NA |
| 5. | Other than Permanent (G) | NA | NA | NA | NA | NA |
| 6. | **Total workers (F + G)** | NA | NA | NA | NA | NA |

**All three cadres i.e. Officer, Clerk, Sub staff have been included at Sr. No. 1.*

**b. Differently abled Employees and workers:**

| S. No. | Particulars | Total (A) | Male | | Female | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No. (B) | % (B / A) | No. (C) | % (C / A) |
| | **DIFFERENTLY ABLED EMPLOYEES** | | | | | |
| 1. | Permanent (D) | 2925 | 2385 | 81.54% | 540 | 18.46% |
| 2. | Other than Permanent (E) | NA | NA | NA | NA | NA |
| 3. | **Total differently abled employees (D + E)** | 2925 | 2385 | 81.54% | 540 | 18.46% |
| | **DIFFERENTLY ABLED WORKERS** | | | | | |
| 4. | Permanent (F) | NA | NA | NA | NA | NA |
| 5. | Other than Permanent (G) | NA | NA | NA | NA | NA |
| 6. | **Total differently abled workers (F + G)** | NA | NA | NA | NA | NA |

21. महिलाओं की भागीदारी/समावेशन/प्रतिनिधित्व (दिव्यांगों सहित)

| | कुल (ए) | महिलाओं की संख्या एवं प्रतिशत | |
|---|---|---|---|
| | | संख्या (बी) | % (बी/ए) |
| निदेशक मंडल | 10 | 1 | 10.00% |
| प्रमुख प्रबंधन कार्मिक | 7 | 1 | 14.29% |

*नोटः– स्थिति 31.03.2025 तक*

22. स्थायी कर्मचारियों और कामगारों के लिए टर्नओवर दर *(पिछले 3 वर्षों के रुझानों का प्रकटीकरण करें)*

| | वित्तीय वर्ष 2024–25 | | | वित्तीय वर्ष 2023–24 | | | वित्तीय वर्ष 2022–23 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | पुरुष | महिला | कुल | पुरुष | महिला | कुल | पुरुष | महिला | कुल |
| स्थायी कर्मचारी* | 3.27% | 3.20% | 3.26% | 3.92% | 2.86% | 3.66% | 4.48% | 3.21% | 4.17% |
| स्थायी कामगार | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं |

**टर्नओवर दर की गणना के लिए निम्नलिखित सूत्र के आधार पर सभी प्रकार के निकास (अर्थात त्यागपत्र, मृत्यु, अनिवार्य सेवानिवृत्ति, सेवा समाप्ति आदि) पर विचार किया गया हैः (वित्त वर्ष *100 में इकाई का रोजगार छोड़ने वाले व्यक्तियों की संख्या) /श्रेणी में कार्यरत व्यक्तियों की औसत संख्या)*

V. होल्डिंग, अनुषंगी और सहयोगी कम्पनियाँ (संयुक्त वेंचर्स सहित)

23. (ए) होल्डिंग/ अनुषंगी/ सहयोगी कम्पनियाँ /संयुक्त वेंचर्स के नाम

| क्र. सं. | होल्डिंग/अनुषंगी/ सहयोगी कम्पनियाँ/संयुक्त वेंचर्स के नाम (ए) | इंगित करें कि क्या होल्डिंग/ अनुषंगी/ सहयोगी/ संयुक्त वेंचर्स है | सूचीबद्ध इकाई द्वारा धारित शेयरों का % | क्या कॉलम ए में दर्शाई गई इकाई सूचीबद्ध इकाई की व्यावसायिक जिम्मेदारी पहल में भाग लेती है? (हां नहीं) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | पंजाब नैशनल बैंक (इंटरनैशनल) लिमिटेड | अनुषंगी | 100 | नहीं |
| 2. | पीएनबी इन्वेस्टमेंट सर्विसेज लिमिटेड | अनुषंगी | 100 | नहीं |
| 3. | पीएनबी कार्ड्स एंड सर्विसेज लिमिटेड | अनुषंगी | 100 | नहीं |
| 4. | पीएनबी गिल्ट्स लिमिटेड | अनुषंगी | 74.07 | नहीं |
| 5. | ड्रुक पीएनबी बैंक लिमिटेड | अनुषंगी | 51.00 | नहीं |
| 6. | जेएससी टेंगरी बैंक** | अनुषंगी | 41.64 | नहीं |
| 7. | पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड | सहयोगी | 28.10 | नहीं |
| 8. | पीएनबी मेटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | सहयोगी | 30.00 | नहीं |
| 9. | केनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | सहयोगी | 23.00 | नहीं |
| 10. | इंडिया एसएमई एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड | सहयोगी | 20.90 | नहीं |

21. Participation/Inclusion/Representation of women (including differently abled)

| | Total (A) | No. and percentage of Females | |
|---|---|---|---|
| | | No. (B) | % (B / A) |
| Board of Directors | 10 | 1 | 10.00% |
| Key Management Personnel | 7 | 1 | 14.29% |

*Note: - The position is as on 31.03.2025*

22. Turnover rate for permanent employees and workers *(Disclose trends for the past 3 years)*

| | FY 2024-25 | | | FY 2023-24 | | | FY 2022-23 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total |
| Permanent Employees* | 3.27% | 3.20% | 3.26% | 3.92% | 2.86% | 3.66% | 4.48% | 3.21% | 4.17% |
| Permanent Workers | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |

**All kinds of exits (i.e. resignations, deaths, compulsory retirement, termination etc.) have been considered for calculating turnover rate based on the following formula : (No. of persons who have left the employment of the entity in the FY *100) / Average no. of persons employed in the category)*

V. Holding, Subsidiary and Associate Companies (including joint ventures)

23. (a) Names of holding / subsidiary / associate companies / joint ventures

| S.No | Name of the holding / subsidiary / associate companies / joint ventures (A) | Indicate whether holding/ Subsidiary/ Associate/ Joint Venture | % of shares held by listed entity | Does the entity indicated at column A, participate in the Business Responsibility initiatives of the listed entity? (Yes/No) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Punjab National Bank (International) Ltd, UK | Subsidiary | 100 | No |
| 2 | PNB Investment Services Ltd | Subsidiary | 100 | No |
| 3 | PNB Cards And Services Ltd | Subsidiary | 100 | No |
| 4 | PNB Gilts Ltd | Subsidiary | 74.07 | No |
| 5 | DRUK PNB Bank Limited | Subsidiary | 51.00 | No |
| 6 | JSC Tengri Bank ** | Associate | 41.64 | No |
| 7 | PNB Housing Finance Ltd | Associate | 28.10 | No |
| 8 | PNB Metlife India Insurance Co Ltd | Associate | 30.00 | No |
| 9 | Canara HSBC Life Insurance Co Ltd | Associate | 23.00 | No |
| 10 | India SME Asset Reconstruction co. Ltd | Associate | 20.90 | No |

| क्र. सं. | होल्डिंग / अनुषंगी / सहयोगी कम्पनियाँ / संयुक्त वेंचर्स के नाम (ए) | इंगित करें कि क्या होल्डिंग / अनुषंगी / सहयोगी / संयुक्त वेंचर्स है | सूचीबद्ध इकाई द्वारा धारित शेयरों का % | क्या कॉलम ए में दर्शाई गई इकाई सूचीबद्ध इकाई की व्यावसायिक जिम्मेदारी पहल में भाग लेती है? (हां नहीं) |
|---|---|---|---|---|
| 11. | एवरेस्ट बैंक लिमिटेड | सहयोगी | 20.02 | नहीं |
| 12. | दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक | सहयोगी | 35.00 | नहीं |
| 13. | हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक | सहयोगी | 35.00 | नहीं |
| 14. | पंजाब ग्रामीण बैंक | सहयोगी | 35.00 | नहीं |
| 15. | सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक | सहयोगी | 35.00 | नहीं |
| 16. | प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक | सहयोगी | 35.00 | नहीं |
| 17. | असम ग्रामीण विकास बैंक | सहयोगी | 35.00 | नहीं |
| 18. | बंगिया ग्रामीण विकास बैंक | सहयोगी | 35.00 | नहीं |
| 19. | मणिपुर ग्रामीण बैंक | सहयोगी | 35.00 | नहीं |
| 20. | त्रिपुरा ग्रामीण बैंक | सहयोगी | 35.00 | नहीं |

***एएफआर (वित्तीय बाजार के विनियमन और विकास के लिए एजेंसी, कजाकिस्तान) ने 18.09.2020 से जेएससी टेंगरी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया, जो परिसमापन के अधीन है।*

## VI. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व विवरण

24. (i) नहीं, कंपनी अधिनियम की धारा 135 के अनुसार सीएसआर प्रावधान पंजाब नैशनल बैंक पर लागू नहीं होते हैं। हालाँकि, बड़े पैमाने पर समुदाय के साथ सामाजिक संबंधों को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध एक सामाजिक रूप से जिम्मेदार संस्था के रूप में जो है, बैंक के पास सीएसआर पर एक बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति है जिसकी वार्षिक समीक्षा की जाती है। यह कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व से संबंधित कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची VII द्वारा निर्देशित है। हमारी सीएसआर गतिविधियाँ समाज को वापस लौटाने और समुदायों के उत्थान के प्राथमिक उद्देश्य से संचालित होती हैं।

(ii) टर्नओवर (रु. में) – ₹1,38,070.10 करोड़

(iii) नेटवर्थ (रु. में) – ₹97,497.99 करोड़

| S.No | Name of the holding / subsidiary / associate companies / joint ventures (A) | Indicate whether holding/ Subsidiary/ Associate/ Joint Venture | % of shares held by listed entity | Does the entity indicated at column A, participate in the Business Responsibility initiatives of the listed entity? (Yes/No) |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Everest Bank Ltd | Associate | 20.02 | No |
| 12 | Dakshin Bihar Gramin Bank | Associate | 35.00 | No |
| 13 | Himachal Pradesh Gramin Bank | Associate | 35.00 | No |
| 14 | Punjab Gramin Bank | Associate | 35.00 | No |
| 15 | Sarva Haryana Gramin Bank | Associate | 35.00 | No |
| 16 | Prathama UP Gramin Bank | Associate | 35.00 | No |
| 17 | Assam Gramin Vikas Bank | Associate | 35.00 | No |
| 18 | Bangiya Gramin Vikas Bank | Associate | 35.00 | No |
| 19 | Manipur Rural Bank | Associate | 35.00 | No |
| 20 | Tripura Gramin Bank | Associate | 35.00 | No |

***AFR (Agency for Regulation and Development of Financial Market, Kazakhstan) revoked license of JSC Tengri Bank w.e.f.18.09.2020 which is under liquidation.*

## VI. CSR Details

**24. (i) Whether CSR is applicable as per section 135 of Companies Act, 2013: (Yes/No)**

No, CSR provisions are not applicable to Punjab National Bank as per Section 135 of Companies Act. However, as a socially responsible institution committed to strengthening social ties with the community at large, the bank has a board approved Policy on CSR which is reviewed annually. It is guided by Schedule VII of the Companies Act 2013 under Ministry of Corporate Affairs concerning Corporate Social Responsibility. Our CSR activities are driven by the primary motive of giving back to society and uplifting our communities.

(ii) Turnover (in Rs.) – Rs.1,38,070.10 Crore

(iii) Net worth (in Rs.) – Rs.97,497.99 Crore

**VII. पारदर्शिता और प्रकटीकरण अनुपालन**

**25. उत्तरदायी व्यावसायिक आचरण पर राष्ट्रीय दिशानिर्देशों के तहत किसी भी सिद्धांत (सिद्धांत 1 से 9) पर शिकायतें/परिवादः**

| हितधारक समूह जिससे शिकायत प्राप्त हुई है | स्थापित शिकायत निवारण तंत्र (हाँ/नहीं) *(यदि हां, तो शिकायत निवारण नीति के लिए वेब–लिंक प्रदान करें)* | वित्तीय वर्ष 2023–24 | | | वित्तीय वर्ष 2022–23 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | वर्ष के दौरान दर्ज की गई शिकायतों की संख्या | वर्ष के अंत में समाधान लंबित शिकायतों की संख्या | टिप्पणियां | वर्ष के दौरान दर्ज की गई शिकायतों की संख्या | वर्ष के अंत में समाधान लंबित शिकायतों की संख्या | टिप्पणियां |
| **समुदाय** | शून्य | | | | | | |
| निवेशकों (शेयरधारकों के अलावा) | www.pnbindia.in | शून्य | | | | | |
| शेयरधारकों# | हां बैंक की कॉर्पोरेट वेब साइट पर निवेशक कोर्नर में विस्तृत जानकारी दी गई हैं https://www.pnbindia.in/basic-information.html | 47 | 0 | शून्य | 32 | 0 | शून्य |
| कर्मचारी और कामगार | हां–आंतरिक इंट्रानेट पर उपलब्ध एचआरएमएस के माध्यम से "पीएनबी समाधान" (एचआर मामलों से संबंधित शिकायतें) | 3661 | 121 | लंबित शिकायतें टर्नअराउंड टाइम (टीएटी) के अंदर हैं। | 2368 | 29 | शून्य |
| ग्राहक* | हाँ, पॉलिसी को कॉर्पोरेट वेबसाइट www.pnbindia.in पर **'ग्राहक सेवा – नीतियां'** टैब के अंतर्गत रखी गई है। | सीजीआरएमएस– 1,07,136 सीआरएम– 10,32,694 कुल– 11,39,830 | 28,855 | उन शिकायतों को छोड़कर जिनका समाधान प्राप्ति के टी+1 दिन के भीतर कर दिया गया हो। | सीजीआरएमएस– 1,04,520 सीआरएम– 10,25,675 कुल– 11,30,195 | 32,351 | उन शिकायतों को छोड़कर जिनका समाधान प्राप्ति के टी+1 दिन के भीतर कर दिया गया हो। |
| मूल्य श्रंखला भागीदार | लागू नहीं | | | | | | |
| अन्य (निर्दिष्ट करें) | शून्य | | | | | | |

**सीआरएम मॉड्यूल डिजिटल शिकायतों के प्रबंधन के लिए है और सीजीआरएमएस पोर्टल गैर–डिजिटल शिकायतों का प्रबंधन करता है। डिजिटल और गैर–डिजिटल शिकायतों को एक ही प्लेटफॉर्म के माध्यम से दर्ज करने, ट्रैक करने, निगरानी करने और हल करने के लिए, वित्त वर्ष 2025–26 में सीआरएम पोर्टल के अंतर्गत एक नया मॉड्यूल पेश किया गया है। इससे शिकायतों का दक्षता और त्वरित समाधान बढ़ेगा।*

*# बॉण्डधारकों से प्राप्त शिकायतें भी शामिल हैं।*

**26. इकाई के महत्वपूर्ण उत्तरदायी व्यावसायिक आचरण के मुद्दों का अवलोकन**

**कृपया पर्यावरणीय और सामाजिक मामलों से संबंधित महत्वपूर्ण उत्तरदायी व्यावसायिक आचरण और स्थिरता के मुद्दों को इंगित करें जो आपके व्यवसाय के लिए जोखिम या अवसर प्रस्तुत करते हैं, इसकी पहचान करने के लिए तर्क, जोखिम को अनुकूलित करने या कम करने के दृष्टिकोण के साथ–साथ इसके वित्तीय निहितार्थ, निम्नलिखित प्रारूप के अनुसार**

| क्र. सं. | महत्वपूर्ण समस्या जिसकी पहचान की गई | इंगित करें कि क्या जोखिम है या अवसर (आर/ओ) | जोखिम/अवसर की पहचान करने का तर्क | जोखिम के मामले में, अनुकूलन या कम करने का दृष्टिकोण | जोखिम या अवसर के वित्तीय निहितार्थ सकारात्मक या नकारात्मक आशय इंगित करें) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | पर्यावरणः जलवायु परिवर्तन जोखिम– लू, लहरों, चक्रवातों और बाढ़ की गंभीरता में वृद्धि | आर | भौतिक आस्तियों को क्षति पहुंचने के कारण वित्तीय प्रभाव में वृद्धि, परिचालन में व्यवधान उत्पन्न होना तथा प्रतिष्ठा और ग्राहक विश्वास को प्रभावित करना | बैंक नियमित जोखिम मूल्यांकन करना, पोर्टफोलियो और खाता स्तर के जोखिम का आकलन करना, तथा जोखिम प्रबंधन योजना और आधारभूत संरचना ढांचे का तन्यकता विकसित करना। | भौतिक आस्तियों की क्षति और परिचालन में व्यवधान के कारण वित्तीय हानि। |

**VII. Transparency and Disclosures Compliances**

**25. Complaints/Grievances on any of the principles (Principles 1 to 9) under the National Guidelines on Responsible Business Conduct**

| Stakeholder group from whom complaint is received | Grievance Redressal Mechanism in Place (Yes/No) *(If Yes, then provide web-link for grievance redress policy)* | FY 2024-25 | | | FY 2023-24 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Number of complaints filed during the year | Number of complaints pending resolution at close of the year | Remarks | Number of complaints filed during the year | Number of complaints pending resolution at close of the year | Remarks |
| Communities | NIL | | | | | | |
| Investors (other than shareholders) | www.pnbindia.in | NIL | | | | | |
| Shareholders# | Yes, the details are given in Investor Corner at Bank's corporate website: https://www.pnbindia.in/basic-information.html | 47 | 0 | Nil | 32 | 0 | Nil |
| Employees and workers | Yes-Internal "PNB Samadhaan" through HRMS (complaints related to HR matters) | 3661 | 121 | Pending complaints are lying within Turnaround Time (TAT). | 2368 | 29 | Pending complaints are lying within Turnaround Time (TAT). |
| Customers* | Yes, Policy is placed at the Corporate Website www.pnbindia.in, under Tab **'Customer Care – Policies'.** | CGRMS– 1,07,136 CRM – 10,32,694 Total– 11,39,830 | 28,855 | Excluding complaints which were resolved within T+1 days of its receipt. | CGRMS– 1,04,520 CRM – 10,25,675 Total– 11,30,195 | 32,351 | Excluding complaints which were resolved within T+1 days of its receipt. |
| Value Chain Partners | Not Applicable | | | | | | |
| Other (please specify) | NIL | | | | | | |

* *CRM Module is for management of digital complaints and CGRMS portal manages non-digital complaints. To lodge, track, monitor and resolve digital and non-digital complaints through a single platform, a new module under CRM portal has been introduced in FY'2025-26. This will enhance efficiency and quick resolution of complaints.*

\# *Including complaints received from Bondholders.*

**26. Overview of the entity's material responsible business conduct issues**

**Please indicate material responsible business conduct and sustainability issues pertaining to environmental, social and governance matters that present a risk or an opportunity to your business, rationale for identifying the same, approach to adapt or mitigate the risk along-with its financial implications, as per the following format.**

| Sl No | Material issue identified | Indicate whether risk or opportunity (R/O) | Rationale for identifying the risk / opportunity | In case of risk, approach to adapt or mitigate | Financial implications of the risk or opportunity (Indicate positive or negative implications) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Environmental: Climate change Risk- Increased Severity of heatwaves, cyclones and floods | R | Increased Financial Impact due to damage to physical assets, cause Operational Disruptions and affect reputation and customer trust | The Bank conducts regular risk assessments , assessing portfolio and account level exposure, and develop risk management plan and infrastructure resilience . | Financial Loss due to damage to physical assets and disruptions in operations. |

| क्र. सं. | महत्वपूर्ण समस्या जिसकी पहचान की गई | इंगित करें कि क्या जोखिम है या अवसर (आर/ओ) | जोखिम/अवसर की पहचान करने का तर्क | जोखिम के मामले में, अनुकूलन या कम करने का दृष्टिकोण | जोखिम या अवसर के वित्तीय निहितार्थ सकारात्मक या नकारात्मक आशय इंगित करें) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | सामाजिकः संक्रमण जोखिम– कार्बन मूल्य निर्धारण तंत्र, उन्नत उत्सर्जन रिपोर्टिंग दायित्व, कम उत्सर्जन विकल्पों के साथ मौजूदा उत्पादों और सेवाओं का प्रतिस्थापन | आर | अर्थव्यवस्था में परिवर्तन के कारण, कुछ क्षेत्रों को परिसंपत्ति अवमूल्यन और ऋण चूक के उच्च जोखिमों का सामना करना पड़ सकता है, नए नियमों, प्रौद्योगिकियों और उपभोक्ता वरीयताओं के अनुकूल होने के लिए संक्रमण जोखिम का पता लगाना आवश्यक है। | शमन के लिए विभिन्न क्षेत्रों के लिए अलग रणनीति का पालन किया जाएगा 1. हरित क्षेत्रों को बढ़ावा देना 2. ब्राउन सेक्टरों के लिए सतर्क दृष्टिकोण 3. हार्ड टू एबेट क्षेत्रों में दक्षता की ओर जोर देना | नकारात्मक |
| 3 | सामाजिक/समाजीयः स्थिर/सतत वित्त | ओ | नवीकरणीय ऊर्जा, हरित परिवहन और स्थिर कृषि में उभरते बाजारों में बेहतर विकास की संभावना है। | लागू नही | सतत वित्त बैंक को नए उभरते बाजारों में प्रवेश करने और अपने जोखिम पोर्टफोलियो में विविधता लाने में सहायता करेगा। |
| 4 | अभिशासनः डेटा गोपनीयता | आर | व्यापक गोपनीय वित्तीय और व्यक्तिगत डेटा तक पहुंच के कारण बैंक निरंतर साइबर हमलों और डेटा उल्लंघनों का केंद्र बन जाता है। | बैंक एक मजबूत साइबर सुरक्षा ढांचे को प्राथमिकता देता है, जिसकी देखरेख समूह मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी (GCISO) द्वारा की जाती है और समर्पित साइबर सूचना सुरक्षा प्रभाग (ब्ैक) द्वारा क्रियान्वित किया जाता है। यह प्रभाग नियंत्रण कार्यान्वयन तथा परिनियोजन से लेकर निरंतर निगरानी तक साइबर सुरक्षा के पूरे जीवनचक्र का प्रबंधन करता है, साइबर खतरों की एक विस्तृत श्रृंखला के विरुद्ध हमारे आईटी अवसंरचना को प्रभावी ढंग से सुरक्षित रखता है। | डेटा उल्लंघन या डेटा की हानि से ग्राहकों के विश्वास का ह्रास हो सकता है और अंततः व्यापार में नुकसान हो सकता है |
| 5 | सामाजिकः वित्तीय समावेशन | ओ | बैंकों को पहले से पहुँच से दूर क्षेत्रों में प्रवेश करने और ग्राहक आधार का विस्तार करने में सहाता करता है। वित्तीय समावेशन के माध्यम से बैंक व्यक्तियों और लघु कारोबारों को सशक्त बनाकर सामाजिक और न्यायसंगत विकास को सक्षम बनाता है। | लागू नहीं | इससे बैंक की बड़े पैमाने पर ग्राहकों को सेवा प्रदान करने की क्षमता बढ़ेगी तथा बाजार में उसकी पहचान बढ़ेगी।<br>बैंक को व्यापक श्रेणी के ग्राहकों को वित्तीय उत्पाद प्रदान करने तथा अपने ग्राहक आधार को बढ़ाने में सहायता करता है। |
| 6 | सामाजिकः ग्राहक केन्द्रितता | ओ | ग्राहक–केन्द्रितता अपनाने से बैंक की स्थायी एवं पारस्परिक रूप से लाभकारी ग्राहक संबंध विकसित करने की क्षमता मजबूत होती है। | लागू नहीं | ग्राहक संतुष्टि में वृद्धि से ग्राहक प्रतिधारण बढ़ता है, नए ग्राहक जुडते हैं और राजस्व में स्थायी वृद्धि होती है। |
| 7 | अभिशासनः विनियामक अनुपालन | ओ | विनियामक अनुपालन सुनिश्चित करने से बैंकों को विधिक सीमाओं के अंतर्गत कार्य करने में सहायता मिलती है तथा अपने हितधारकों के साथ विश्वास स्थापित होता है। | लागू नहीं | नियामक उपायों के अनुपालन से बैंकों को अच्छी प्रथाओं को बढ़ावा देने में सहायता मिलेगी तथा अत्यधिक जोखिम लेने और वित्तीय अस्थिरता की संभावना कम होगी। |

| Sl No | Material issue identified | Indicate whether risk or opportunity (R/O) | Rationale for identifying the risk / opportunity | In case of risk, approach to adapt or mitigate | Financial implications of the risk or opportunity (Indicate positive or negative implications) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Societal: Transition Risk- Carbon Pricing mechanism, Enhanced emissions reporting obligations, Substitution of existing products and services with lower emissions options | R | As the economy transitions, certain sectors may face higher risks of asset devaluation and credit defaults, adapting to new regulations, technologies, and consumer preferences require addressing transition risk. | Segmented strategy for different sectors is followed for mitigation 1. Promote Green sectors 2. Cautious approach for Brown sectors 3. Push towards efficiency in Hard to Abate sectors | Negative |
| 3 | Societal: Sustainable Finance | O | Emerging markets in Renewable Energy, Green Transport & Sustainable Agriculture offer strong growth potential | NA | Sustainable finance will aid the Bank to enter into new emerging markets and diversify its risk portfolio |
| 4 | Governance:Data Privacy | R | Access to extensive confidential financial and personal data makes the Bank a constant target for cyber-attacks and data breaches. | The Bank prioritizes a strong cybersecurity framework, overseen by the Group Chief Information Security Officer (GCISO) and executed by the dedicated Cyber Information Security Division (CISD). This division manages the full lifecycle of Cybersecurity, from control implementation and deployment to continuous monitoring, effectively safeguarding our IT infrastructure against a wide range of cyber threats. To reinforce our defenses, the Bank keeps upgrading its cybersecurity components. These efforts are complemented by a dedicated Cybersecurity Compliance Team, which ensures strict adherence to regulatory mandates. | Data Breaches or Loss of Data could lead to erosion of customer trust and eventually loss in business |
| 5 | Societal: Financial Inclusion | O | Allows Banks to tap into previously unreached segments and expand customer base while enabling social and equitable development by empowering individuals and small businesses. | NA | Expands the Bank's ability to serve a wide range of customers, increasing market penetration. |
| 6 | Societal: Customer Centricity | O | Adopting customer centricity strengthens the bank's ability to cultivate lasting and mutually beneficial client relationships. | NA | Increased customer satisfaction leads to higher customer retention, securing new customers and sustainable revenue growth. |
| 7 | Governance: Regulatory Compliance | O | Ensuring regulatory compliance helps Banks to operate within the bounds of law and thus establish trust with its stakeholders. | NA | Compliance with the regulatory measures will help banks promote sound practices and reduce the likelihood of excessive risk taking and financial instability. |

## खंड बीः प्रबंधन और प्रक्रिया प्रकटीकरण

इस अनुभाग का उद्देश्य कारोबारों को एनजीआरबीसी सिद्धांतों और मूल तत्वों को अपनाने के लिए स्थापित संरचनाओं, नीतियों तथा प्रक्रियाओं को प्रदर्शित करने में सहायता करना है।

| क्र. सं. | सिद्धांत विवरण |
|---|---|
| पी1 | कारोबारों को ईमानदारी के साथ तथा नैतिक, पारदर्शी और जवाबदेह तरीके से संचालित तथा अभिशासित करना चाहिए। |
| पी2 | कारोबारों को वस्तुओं और सेवाओं को टिकाऊ और सुरक्षित तरीके से उपलब्ध कराना चाहिए। |
| पी3 | कारोबारों को अपने मूल्य शृंखला में शामिल कर्मचारियों सहित सभी कर्मचारियों के कल्याण का सम्मान करना चाहिए तथा उसे बढ़ावा देना चाहिए। |
| पी4 | कारोबारों को अपने सभी हितधारकों के हितों का सम्मान करना चाहिए तथा उनके प्रति उत्तरदायी होना चाहिए। |
| पी5 | कारोबारों को मानव अधिकारों का सम्मान करना चाहिए और उन्हें बढ़ावा देना चाहिए। |
| पी6 | कारोबारों को पर्यावरण का सम्मान करना चाहिए तथा पर्यावरण की सुरक्षा एवं पुनर्स्थापना के लिए प्रयास करना चाहिए। |
| पी7 | कारोबारों को सार्वजनिक और विनियामक नीति को प्रभावित करते समय जिम्मेदार और पारदर्शी तरीके से करना चाहिए। |
| पी8 | कारोबारों को समावेशी विकास तथा समतामूलक विकास को बढ़ावा देना चाहिए। |
| पी9 | कारोबारों को अपने उपभोक्ताओं के साथ जिम्मेदारीपूर्वक जुड़ना चाहिए और उन्हें मूल्य प्रदान करना चाहिए। |

| प्रकटीकरण प्रश्न | पी 1 | पी 2 | पी 3 | पी 4 | पी 5 | पी 6 | पी 7 | पी 8 | पी 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **नीति और प्रबंधन प्रक्रियाएँ** | | | | | | | | | |
| 1. क. क्या आपकी संस्था की नीति/नीतियाँ एनजीआरबीसी के प्रत्येक सिद्धांत और उसके मुख्य तत्वों को कवर करती हैं। (हाँ/नहीं) | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ |
| ख. क्या नीति को बोर्ड द्वारा मंजूरी दे दी गई है? (हाँ/नहीं) | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ |
| ग. नीतियों का वेब लिंक, यदि उपलब्ध हो | नीतियां बैंक की वेबसाइट www.pnbindia.in पर उपलब्ध हैं। हालांकि, कुछ नीतियां आंतरिक नीतियां हैं और केवल आंतरिक हितधारकों के लिए उपलब्ध हैं। | | | | | | | | |
| 2. क्या संस्था ने नीति को प्रक्रियाओं में परिवर्तित किया है। (हां/नहीं) | हाँ, नीतियों को प्रक्रियाओं में परिवर्तित किया गया है। | | | | | | | | |
| 3. क्या सूचीबद्ध नीतियां आपके मूल्य श्रृंखला भागीदारों पर भी लागू होती हैं? (हां/नहीं) | लागू नहीं | | | | | | | | |
| 4. राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय कोड /प्रमाणन /लेबल/मानकों (जैसे फॉरेस्ट स्टीवर्डशिप काउंसिल, फेयरट्रेड, रेनफॉरेस्ट अलायंस, ट्रस्टी ) मानकों (जैसे SA 8000, OHSAS, ISO, BIS) के नाम आपके निकाय द्वारा अपनाया गया है और प्रत्येक सिद्धांत के लिए मैप किया गया है। | लागू नहीं | | | | | | | | |
| 5. परिभाषित समयसीमा के साथ इकाई द्वारा निर्धारित विशिष्ट प्रतिबद्धताएं, ध्येय और लक्ष्य, यदि कोई हो। | नीतियों के अंतर्गत कोई विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित नहीं किया जा रहा है। | | | | | | | | |
| 6. विशिष्ट प्रतिबद्धताओं, ध्येय और लक्ष्यों के विरुद्ध इकाई का कार्यनिष्पादन और उन्हें पूरा न होने की स्थिति में कारण भी बताएं। | बैंक के अलग–अलग विभाग हैं जो नीति की प्रतिबद्धताओं, ध्येय और लक्ष्यों की निगरानी करते हैं। बोर्ड समय–समय पर कार्यनिष्पादन की समीक्षा भी करता है। | | | | | | | | |
| **अभिशासन, नेतृत्व और पर्यवेक्षण** | | | | | | | | | |

7. कारोबार उत्तरदायित्व रिपोर्ट के लिए जिम्मेदार निदेशक द्वारा वक्तव्य, जिसमें ईएसजी से संबंधित चुनौतियों, लक्ष्यों और उपलब्धियों पर प्रकाश डाला गया हो (सूचीबद्ध इकाई के पास इस प्रकटीकरण के स्थानन के संबंध में लचीलापन है)।

पंजाब नैशनल बैंक में, हम पर्यावरण, समाज और अभिशासन के सिद्धांतों के प्रति अपनी जिम्मेदारी के प्रति सचेत हैं। हम समझते हैं कि हमारी भूमिका पारंपरिक वित्तीय मध्यस्थता से परे है और इस प्रकार पर्यावरण, सामाजिक और अभिशासन (ईएसजी) प्रथाओं को परिचालन के ढांचे में एकीकृत करना न केवल एक रणनीतिक अनिवार्यता है, बल्कि हमारे सभी हितधारकों के लिए एक लचीला और जिम्मेदार भविष्य निर्माण की हमारी प्रतिबद्धता का प्रतिबिंब है।

हम अपने प्रमुख कार्यों में ईएसजी विचारों को सक्रिय रूप से शामिल कर रहे हैं। इसमें ऋण पोर्टफोलियो में पर्यावरणीय जोखिमों और अवसरों का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन, हरित परियोजनाओं के लिए संधारणीय वित्तपोषण को बढ़ावा देना और ऊर्जा दक्षता और संसाधन संरक्षण उपायों के माध्यम से परिचालन कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए गहनता से कार्य करना सम्मिलित है।

हमारे बैंक की एक जलवायु जोखिम प्रबंधन नीति है, जिसमें जलवायु संबंधी वित्तीय प्रकटीकरण (TCFD) पर टास्क फोर्स के चार स्तंभ – शासन, रणनीति, जोखिम प्रबंधन और मीट्रिक और लक्ष्य सम्मिलित हैं। बैंक ने एक समर्पित स्थिरता प्रकोष्ठ का गठन तथा एक स्थिरता सूचकांक (ईएसजी रेटिंग मॉडल) विकसित किया है,

**SECTION B: MANAGEMENT AND PROCESS DISCLOSURES**

This section is aimed at helping businesses demonstrate the structures, policies and processes put in place towards adopting the NGRBC Principles and Core Elements.

| S No. | Principle Description |
|---|---|
| P1 | Businesses should conduct and govern themselves with integrity, and in a manner that is Ethical, Transparent and Accountable. |
| P2 | Businesses should provide goods and services in a manner that is sustainable and safe. |
| P3 | Businesses should respect and promote the well-being of all employees, including those in their value chains. |
| P4 | Businesses should respect the interests of and be responsive to all its stakeholders. |
| P5 | Businesses should respect and promote human rights. |
| P6 | Businesses should respect and make efforts to protect and restore the environment. |
| P7 | Businesses, when engaging in influencing public and regulatory policy, should do so in a manner that is responsible and transparent. |
| P8 | Businesses should promote inclusive growth and equitable development. |
| P9 | Businesses should engage with and provide value to their consumers in a responsible manner. |

| Disclosure Questions | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Policy and management processes** | | | | | | | | | |
| 1. a. Whether your entity's policy/policies cover each principle and its core elements of the NGRBCs. (Yes/No) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| b. Has the policy been approved by the Board? (Yes/No) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| c. Web Link of the Policies, if available | The policies are available on the Bank's website www.pnbindia.in. However, some policies are internal policies and available to internal stakeholders only. | | | | | | | | |
| 2. Whether the entity has translated the policy into procedures. (Yes / No) | Yes, the policies have been translated into procedures. | | | | | | | | |
| 3. Do the enlisted policies extend to your value chain partners? (Yes/No) | Not Applicable | | | | | | | | |
| 4. Name of the national and international codes/certifications/labels/ standards (e.g. Forest Stewardship Council, Fairtrade, Rainforest Alliance, Trustee) standards (e.g. SA 8000, OHSAS, ISO, BIS) adopted by your entity and mapped to each principle. | Not Applicable | | | | | | | | |
| 5. Specific commitments, goals and targets set by the entity with defined timelines, if any. | No specific target is being set under the policies. | | | | | | | | |
| 6. Performance of the entity against the specific commitments, goals and targets along-with reasons in case the same are not met. | The Bank has separate departments that monitor the commitments, goals and targets of the policy. The Board also reviews the performance periodically from time to time. | | | | | | | | |
| **Governance, leadership and oversight** | | | | | | | | | |

7. Statement by director responsible for the business responsibility report, highlighting ESG related challenges, targets and achievements (listed entity has flexibility regarding the placement of this disclosure).

At Punjab National Bank, we are conscious of our responsibility towards the environment, the society, and the principles of good governance. We understand that our role extends beyond traditional financial intermediation and thus integrating Environmental, Social, and Governance (ESG) practices into the fabric of operations is not just a strategic imperative, but a reflection of our commitment to building a resilient and responsible future for all our Stakeholders.

We are proactively embedding ESG considerations across our key functions. This includes a meticulous assessment of environmental risks and opportunities in lending portfolios, promoting sustainable financing for green projects, and diligently working to minimize operational carbon footprint through energy efficiency and resource conservation measures.

Our Bank has a dedicated Climate Risk Management Policy incorporating four pillars of Task force on Climate related Financial Disclosures (TCFD's) – Governance, Strategy, Risk Management and Metrics & Targets. The Bank has also formed a dedicated Sustainability Cell and developed a Sustainability Index (ESG Rating Model) which has enabled the Bank to assess the sustainability and resilience of borrowers,

जिसने बैंक को उधारकर्ताओं की स्थिरता और लचीलेपन का आकलन करने में सक्षम बनाया है, जिससे जोखिम मूल्यांकन और शमन में सहायता मिली है। बैंक PCAF (कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल्स के लिए भागीदारी) हस्ताक्षरकर्ता भी बन गया है और वित्तपोषित उत्सर्जन के प्रकटीकरण से संबंधित अपनी प्रतिबद्धताओं का सम्मान पालन किया है। इसके अतिरिक्त, नवीकरणीय ऊर्जा को केंद्रित ऋण देने इसके विकास और वित्तपोषण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को मजबूत करने के लिए हमारा सर्वोत्तम क्षेत्र घोषित किया गया है।

हमारी सामाजिक प्रतिबद्धता वित्तीय समावेशन, वंचित समुदायों को सशक्त बनाने और कर्मचारियों के लिए विविधतापूर्ण और समावेशी कार्यस्थल को बढ़ावा देने पर अटूट ध्यान केंद्रित करने में प्रकट होती है। हम सामुदायिक सहभागिता पहलों को मजबूत कर रहे हैं और यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि बैंकिंग सेवाएँ समाज के सभी वर्गों के लिए सुलभ हों। हम वित्तीय साक्षरता में वृद्धि, कृषि और संबद्ध गतिविधियों पर ज्ञान को उन्नत करने और अपने बैंक में वित्तीय साक्षरता केंद्रों, किसान प्रशिक्षण केंद्रों और ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों जैसे पूर्ण रूप से परिभाषित सेटअप के माध्यम से स्वरोजगार उद्यमध्नौकरी शुरू करने के लिए कौशल उन्नयन गतिविधियों के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

इसके अतिरिक्त, मजबूत शासन हमारे संचालन का आधार बनता है। हम अपने सभी व्यवहारों में नैतिक आचरण, पारदर्शिता और जवाबदेही के उच्चतम मानकों को बनाए रखते हैं। हमारा बोर्ड और प्रबंधन यह सुनिश्चित करते हुए कि ये सिद्धांत अक्षरशः और भावना में अंतर्निहित हैं और हमारी निर्णय लेने की प्रक्रियाओं और कॉर्पोरेट संस्कृति का मार्गदर्शन करते हैं। सक्रिय रूप से ESG कार्यसूची का संचालन कर रहा है,

बैंकिंग परिदृश्य में ESG एकीकरण समय की मांग है। यह न केवल उभरते जोखिमों के प्रति हमारी लचीलापन बढ़ाता है और दीर्घकालिक मूल्य सृजन को मजबूत करता है, अपितु ग्राहकों, निवेशकों और नियामकों की बदलती अपेक्षाओं के साथ हमें संरेखित भी करता है। संधारणीय प्रथाओं को अपनाकर, हम एक स्वस्थ ग्रह, अधिक न्यायसंगत समाज और अधिक स्थिर वित्तीय प्रणाली में योगदान दे रहे हैं।

पंजाब नैशनल बैंक में हम ईएसजी एकीकरण की निरंतर यात्रा पर हैं। हमारा मानना है कि ईएसजी को प्राथमिकता देकर हम एक मजबूत, अधिक टिकाऊ बैंक बना सकते हैं जो राष्ट्र की प्रगति और समृद्धि में सार्थक योगदान दे।

| | |
|---|---|
| 8. कारोबार उत्तरदायित्व नीति(यों) के कार्यान्वयन और पर्यवेक्षण के लिए जिम्मेदार सर्वोच्च प्राधिकारी का विवरण। | श्री डी. सुरेन्द्रन<br>कार्यपालक निदेशक<br>(डीआईएन नं. 10174317) |
| 9. क्या संस्था के पास स्थिरता से संबंधित मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार बोर्ड/निदेशक की एक निर्दिष्ट समिति है? (हां/नहीं)। यदि हां, तो विवरण प्रदान करें। | जी हाँ।<br>स्थिरता से संबंधित गतिविधियों के संचालन के लिए एमडी एवं सीईओ की अध्यक्षता में स्थिरता एवं लचीलापन समिति (एसएआरसी) का गठन किया गया है।<br>इसके अतिरिक्त, जोखिम प्रबंधन समिति (बोर्ड की उप-समिति) को स्थिरता से संबंधित भूमिकाएं और जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। |

10. कंपनी द्वारा एनजीआरबीसी की समीक्षा का विवरण:

| समीक्षा का विषय | बताएं कि क्या निदेशक/बोर्ड की समिति/ कोई अन्य समिति द्वारा समीक्षा की गई थी | | | | | | | | | आवृत्ति (वार्षिक/ अर्धवार्षिक/ त्रैमासिक/कोई अन्य – कृपया बताएं) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | पी 1 | पी 2 | पी 3 | पी 4 | पी 5 | पी 6 | पी 7 | पी 8 | पी 9 | पी 1 | पी 2 | पी 3 | पी 4 | पी 5 | पी 6 | पी 7 | पी 8 | पी 9 |
| उपरोक्त नीतियों के विरुद्ध प्रदर्शन और अनुवर्ती कार्रवाई | बैंक बोर्ड नीतियों की समीक्षा करता है और समीक्षा के पश्चात आवश्यक परिवर्तन लागू किए जाते हैं। | | | | | | | | | वार्षिक | | | | | | | | |
| सिद्धांतों से संबंधित सांविधिक आवश्यकताओं का अनुपालन, तथा किसी भी गैर-अनुपालन का सुधार | बैंक सक्षम प्राधिकारियों की समीक्षा के अधीन लागू मौजूदा विनियमों का अनुपालन कर रहा है। | | | | | | | | | वार्षिक | | | | | | | | |

| | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. क्या संस्था ने अपनी नीतियों के कामकाज का किसी बाहरी एजेंसी से स्वतंत्र आंकलन/मूल्यांकन कराया है? (हां/नहीं) यदि हां, तो एजेंसी का नाम बताएं। | जी नहीं | | | | | | | | |

**12. यदि उपरोक्त प्रश्न (1) का उत्तर "नहीं" है, अर्थात सभी सिद्धांत पॉलिसी द्वारा कवर नहीं किए गए हैं, तो कारण बताएं:**

| प्रश्न | पी 1 | पी 2 | पी 3 | पी 4 | पी 5 | पी 6 | पी 7 | पी 8 | पी 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| संस्था अपने कारोबार के लिए सिद्धांतों को महत्वपूर्ण नहीं मानती (हां/नहीं) | लागू नहीं | | | | | | | | |
| संस्था उस स्तर पर नहीं है जहां वह निर्दिष्ट सिद्धांतों पर नीतियां तैयार करने और उन्हें लागू करने की स्थिति में हो (हां/नहीं) | | | | | | | | | |
| संस्था के पास कार्य के लिए वित्तीय या/और मानव एवं तकनीकी संसाधन उपलब्ध नहीं हैं (हां/नहीं) | | | | | | | | | |
| इसे अगले वित्तीय वर्ष में पूरा करने की योजना है (हां/नहीं) | | | | | | | | | |
| कोई अन्य कारण (कृपया बताएं) | | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| aiding in risk assessment and mitigation. Bank has also become PCAF (Partnership for Carbon Accounting Financials) signatory and honored its commitments related to disclosures of financed emissions. Additionally, Renewable Energy has been declared as our Champion Sector for focused lending, reinforcing our commitment to its growth and financing.<br><br>Our social commitment is manifested in unwavering focus on financial inclusion, empowering marginalized communities, and fostering a diverse and inclusive workplace for the employees. We are strengthening community engagement initiatives and ensuring that banking services are accessible to all segments of society. We remain committed to provide training for enhancing financial literacy, upgrading knowledge on agriculture & allied activities and skill upgradation activities to undertake self-employment ventures/jobs via well-defined setup at our Bank such as Financial Literacy Centres, Farmer Training Centres and Rural Self Employment Training Institutes.<br><br>Apart from this, Robust governance forms the basis of our operations. We uphold the highest standards of ethical conduct, transparency, and accountability in all our dealings. Our Board and management are actively steering the ESG agenda, ensuring that these principles are embedded in letter and spirit and guide our decision-making processes and corporate culture.<br><br>ESG integration in banking landscape is the need of the hour. It not only enhances our resilience to emerging risks and strengthens long-term value creation, but also aligns us with the evolving expectations of customers, investors, and regulators. By embracing sustainable practices, we are contributing to a healthier planet, a more equitable society, and a more stable financial system.<br><br>At Punjab National Bank, we are on a continuous journey of ESG integration. We believe that by prioritizing ESG, we can build a stronger, more sustainable Bank that contributes meaningfully to the progress and prosperity of the nation. | |
| 8. Details of the highest authority responsible for implementation and oversight of the Business Responsibility policy (ies). | Shri D.Surendran<br>Executive Director<br>(DIN No. 10174317) |
| 9. Does the entity have a specified Committee of the Board/ Director responsible for decision making on sustainability related issues? (Yes / No). If yes, provide details. | Yes.<br>Sustainability and Resilience Committee (SARC) headed by MD & CEO has been formed for governance of sustainability related activities.<br>Further, Risk Management Committee (sub-committee of Board) has been assigned sustainability related roles and responsibilities. |

10. Details of Review of NGRBCs by the Company:

| Subject for Review | Indicate whether review was undertaken by Director / Committee of the Board/ Any other Committee | | | | | | | | | Frequency (Annually/ Half yearly/ Quarterly/ Any other – please specify) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 |
| Performance against above policies and follow up action | Bank's Board reviews the policies and the necessary changes are implemented post review. | | | | | | | | | Annually | | | | | | | | |
| Compliance with statutory requirements of relevance to the principles, and, rectification of any non-compliances | The Bank is in compliance with the extant regulations as applicable subject to review by the competent authorities. | | | | | | | | | Annually | | | | | | | | |

| | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. Has the entity carried out independent assessment/ evaluation of the working of its policies by an external agency? (Yes/No). If yes, provide name of the agency. | NO | | | | | | | | |

**12. If answer to question (1) above is "No" i.e. not all Principles are covered by a policy, reasons to be stated:**

| Questions | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The entity does not consider the Principles material to its business (Yes/No) | Not Applicable | | | | | | | | |
| The entity is not at a stage where it is in a position to formulate and implement the policies on specified principles (Yes/No) | | | | | | | | | |
| The entity does not have the financial or/human and technical resources available for the task (Yes/No) | | | | | | | | | |
| It is planned to be done in the next financial year (Yes/No) | | | | | | | | | |
| Any other reason (please specify) | | | | | | | | | |

## खंड सीः सिद्धांतवार कार्यनिष्पादन प्रकटीकरण

इस खंड का उद्देश्य इकाई के सिद्धांतों और मुख्य तत्वों को मुख्य प्रक्रियाओं और निर्णयों के साथ एकीकृत करने में उनके प्रदर्शन को प्रदर्शित करने में मदद करना है। मांगी गई जानकारी को 'आवश्यक' और 'नेतृत्व' के रुप में वर्गीकृत किया गया है। जबकि आवश्यक संकेतकों को इस रिपोर्ट को दाखिल करने के लिए अनिवार्य प्रत्येक इकाई द्वारा प्रकट किए जाने की उम्मीद है, नेतृत्व संकेतक उन संस्थाओं द्वारा स्वेच्छा से प्रकट किए जा सकते हैं जो सामाजिक, पर्यावरणीय और नैतिक रुप से जिम्मेदार होने की अपनी खोज में उच्च स्तर पर प्रगति की आकंक्षा रखते हैं।

**सिद्धांत 1 कारोबारों को ईमानदारी के साथ तथा नैतिक, पारदर्शी और जवाबदेह तरीके से अपना संचालन और नियंत्रण करना चाहिए।**

**आवश्यक संकेतक**

1. **वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी सिद्धांत पर प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रमों द्वारा कवरेज का प्रतिशतः**

| खंड | आयोजित प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रमों की कुल संख्या | प्रशिक्षण के अंतर्गत शामिल विषय/सिद्धांत और उसका प्रभाव | जागरूकता कार्यक्रमों द्वारा कवर किए गए संबंधित श्रेणी के व्यक्तियों का प्रतिशत |
|---|---|---|---|
| निदेशक मंडल | 13 | सभी | 100.00% |
| प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक | 3 | सिद्धांत 1<br>सिद्धांत 3,<br>सिद्धांत 8,<br>सिद्धांत 9 | 100.00%* |
| निदेशक मण्डल और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक के अलावा अन्य कर्मचारी | 1949 | सभी | 59.50% |
| श्रमिक | लागू नहीं | | |

**केएमपी पद पर सीएफओ और सीएस पर विचार किया जा रहा है।*

2. **वित्तीय वर्ष में विनियामकों/कानून प्रवर्तन एजेंसियों/यायिक संस्थाओं के साथ कार्यवाही (संस्था या निदेशकों/केएमपी द्वारा) में भुगतान किए गए जुर्माने/दंड/सजा/अधिनिर्णय/यौगिक शुल्क/निपटान राशि का विवरण। (नोटः इकाई सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण दायित्व) विनियम, 2015 के विनियमन 30 में निर्दिष्ट और इकाई की वेबसाइट पर बताए अनुसार भौतिकता के आधार पर प्रकटीकरण करेगी।):**

| मौद्रिक | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | एनजीआरबीसी सिद्धांत | नियामक/ प्रवर्तन एजेंसियों/ न्यायिक संस्थाओं का नाम | राशि (भारतीय रुपये में) | मामले का संक्षिप्त विवरण | क्या कोई अपील की गई है? (हां/नहीं) |
| जुर्माना/दंड | - | भारतीय रिजर्व बैंक | ₹1,31,80,000/- | 'ऋण एवं अग्रिम – वैधानिकं और अन्य प्रतिबंध', और 'भारतीय रिजर्व बैंक (अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी)) निर्देश, 2016' पर आरबीआई द्वारा जारी कुछ निर्देशों का अनुपालन न करना। | नहीं |
| | - | भारतीय रिजर्व बैंक | ₹28,11,708/-* | भारतीय रिजर्व बैंक के मास्टर निर्देशानुसार करेंसी चेस्टों के परिचालन संबंधी दिशानिर्देशों का अनुपालन न करना। | नहीं |
| | - | बी.एस.ई. लिमिटेड | ₹5,000/- (जुर्माना) | भारतीय रिजर्व बैंक के मास्टर निर्देशानुसार करेंसी चेस्टों के परिचालन संबंधी दिशानिर्देशों का अनुपालन न करना। | नहीं |
| | - | भारतीय रिजर्व बैंक | ₹1,44,600/- | आरबीआई के करेंसी चेस्ट नवयुग मार्केट, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में सीवीपीएस (मुद्रा सत्यापन और प्रसंस्करण) के दौरान नोटों की कमी का पता चला। | नहीं |
| | - | भारतीय रिजर्व बैंक | ₹3,83,400/- | आरबीआई के करेंसी चेस्ट मेनपूरी, उत्तर प्रदेश में सीवीपीएस (मुद्रा सत्यापन और प्रसंस्करण) के दौरान नोटों की कमी का पता चला। | नहीं |

**आरबीआई द्वारा लगाया गया जुर्माना वित्त वर्ष 2024–25 के लिए समेकित है।*

## SECTION C: PRINCIPLE WISE PERFORMANCE DISCLOSURE

This section is aimed at helping entities demonstrate their performance in integrating the Principles and Core Elements with key processes and decisions. The information sought is categorized as "Essential" and "Leadership". While the essential indicators are expected to be disclosed by every entity that is mandated to file this report, the leadership indicators may be voluntarily disclosed by entities which aspire to progress to a higher level in their quest to be socially, environmentally and ethically responsible.

### PRINCIPLE 1 Businesses should conduct and govern themselves with integrity, and in a manner that is Ethical, Transparent and Accountable.

**ESSENTIAL INDICATORS**

**1. Percentage coverage by training and awareness programmes on any of the Principles during the financial year:**

| Segment | Total number of training and awareness programmes held | Topics /principles covered under the training and its impact | %age of persons in respective category covered by the awareness programmes |
|---|---|---|---|
| Board of Directors | 13 | All | 100.00% |
| Key Managerial Personnel | 3 | Principle 1, Principle 3, Principle 8, Principle 9 | 100.00%* |
| Employees other than BoD and KMPs | 1949 | All | 59.50% |
| Workers | NA | | |

** Considering CFO and CS in the KMP position.*

**2. Details of fines / penalties /punishment/ award/ compounding fees/ settlement amount paid in proceedings (by the entity or by directors / KMPs) with regulators/ law enforcement agencies/ judicial institutions, in the financial year. (Note: the entity shall make disclosures on the basis of materiality as specified in Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Obligations) Regulations, 2015 and as disclosed on the entity's website):**

| Monetary | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Details | NGRBC Principle | Name of the regulatory/ enforcement agencies/ judicial institutions | Amount (In INR) | Brief of the Case | Has an appeal been preferred? (Yes/No) |
| Penalties/ Fines | - | Reserve Bank of India | Rs. 1,31,80,000/- | Non-compliance with certain directions issued by RBI on 'Loans and Advances - Statutory and Other Restrictions', and 'Reserve Bank of India (Know Your Customer (KYC)) Direction, 2016'. | No |
| | - | Reserve Bank of India | Rs.28,11,708/-* | Non-compliance with operational guidelines of currency chests as per Master Directions of RBI | No |
| | - | BSE Ltd. | Rs.5,000/- (fine) | Non-submission of Intimation of Board Meeting under Regulation 50 (1)(d) of SEBI LODR Regulations, 2015 | No |
| | - | Reserve Bank of India | Rs.1,44,600/- | Shortage of notes detected during CVPS (Currency Verification and Processing) at RBI for Currency Chest Navyug Market, Ghaziabad, U.P. | No |
| | - | Reserve Bank of India | Rs.3,83,400/- | Shortage of notes detected during CVPS (Currency Verification and Processing) at RBI for Currency Chest Mainpuri, U.P. | No |

** The penalty by RBI is consolidated for the FY2024-25*

3. उपरोक्त प्रश्न 2 में बताए गए उदाहरणों में से, उन मामलों में पसंदीदी अपील/संशोधन का विवरण जहां मौद्रिक या गैर–मौद्रिक कार्रवाई की अपील की गई है।

| मामले का विवरण | नियामक/प्रवर्तन एजेंसियाँ/न्यायिक संस्थाओं का नाम |
|---|---|
| शून्य | |

4. क्या संस्था के पास भ्रष्टाचार विरोधी या रिश्वतखोरी विरोधी नीति है? यदि हाँ, तो संक्षिप्त विवरण प्रदान करें और यदि उपलब्ध हो, तो नीति का वेब–लिंक प्रदान करें।

जी हाँ, बैंक के पास निवारक सतर्कता उपायों के माध्यम से अनैतिक व्यवहारों, भ्रष्टाचार, कदाचार, गबन और धन की हेराफेरी की जाँच करने के लिए व्हिसल ब्लोअर नीति है। यह निवेशक और अन्य हितधारकों के विश्वास को बढ़ाने और संगठन की दक्षता और विकास में सुधार के लिए पारदर्शिता, नैतिक मूल्यों के उच्च मानकों को स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है। नीति को लागू करने का उद्देश्य पारदर्शिता, जवाबदेही पर आधारित व्यवहारों को सुनिश्चित करना और बैंक के हितों की रक्षा करना और सांविधिक और नियामक आवश्यकताओं का पालन करना है। यह नीति https://www.pnbindia.in/whistle-blower-policy.html वेबसाइट पर मौजूद है। इसके अतिरिक्त बैंक के पास कोई अन्य चौनल भी है जिनके माध्यम से ग्राहक भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी की घटनाओं की रिपोर्ट जैसे बैंक का ऑन–लाइन शिकायत निवारण पोर्टल सेंट्रलाइज्ड ग्रिवांस रिड्रेसल मॉनिटरिंग सिस्टम (CGRMS), संपर्क केंद्र, ईमेल care@pnb.co.in पर कर सकते हैं।

5. निदेशकों/केएमपी/कर्मचारियों/श्रमिकों की संख्या जिनके विरुद्ध रिश्वतखोरी/भ्रष्टाचार के आरोप में किसी कानून प्रवर्तन एजेंसी द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई की गईः

| विवरण | वित्त वर्ष 2024–25 | वित्त वर्ष 2023–24 |
|---|---|---|
| निदेशक | शून्य | शून्य |
| प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक | शून्य | शून्य |
| कर्मचारी | शून्य | शून्य |
| कामगार | शून्य | शून्य |

6. हितों के टकराव से संबंधित शिकायतों का विवरणः

| | वित्त वर्ष 2024-25 | | वित्त वर्ष 2023-24 | |
|---|---|---|---|---|
| | संख्या | टिप्पणी | संख्या | टिप्पणी |
| निदेशकों के हितों के टकराव के मुद्दों के संबंध में प्राप्त शिकायतों की संख्या | शून्य | लागू नहीं | शून्य | लागू नहीं |
| केएमपी के हितों के टकराव के मुद्दों के संबंध में प्राप्त शिकायतों की संख्या | शून्य | लागू नहीं | शून्य | लागू नहीं |

**3. Of the instances disclosed in Question 2 above, details of the Appeal/ Revision preferred in cases where monetary or non-monetary action has been appealed.**

| Case Details | Name of the regulatory/ enforcement agencies/ judicial institutions |
|---|---|
| NIL | |

**4. Does the entity have an anti-corruption or anti-bribery policy? If yes, provide details in brief and if available, provide a web-link to the policy.**

Yes, The Bank has a Whistle Blower Policy to check unethical practices, corruption, malpractices, embezzlements and misappropriation of funds through preventive vigilance measures. It is committed to enhance investor and other stakeholders' confidence and set high standards of transparency, ethical values for improving efficiency and growth of the organization. The objective of having the policy in place is to ensure practices based on transparency, accountability and protect the interest of the bank and adhere to the statutory and regulatory requirements. The policy is present on the website https://www.pnbindia.in/whistle-blower-policy.html. Besides this, bank also has various other channels through which customers can report instances of corruption and bribery like bank's on-line grievance redressal portal called Centralized Grievance Redressal Monitoring System (CGRMS), contact centers, email at care@pnb.co.in.

**5. Number of Directors/KMPs/employees/workers against whom disciplinary action was taken by any law enforcement agency for the charges of bribery/ corruption:**

| Particulars | FY 2024-25 | FY 2023-24 |
|---|---|---|
| Directors | NIL | NIL |
| KMPs | NIL | NIL |
| Employees | NIL | NIL |
| Workers | NIL | NIL |

**6. Details of complaints with regard to conflict of interest:**

| Details | FY 2024-25 | | FY 2023-24 | |
|---|---|---|---|---|
| | No. | Remarks | No. | Remarks |
| No. of complaints received in relation to issues of Conflict of Interest of the Directors. | Nil | Not Applicable | Nil | Not Applicable |
| No. of complaints received in relation to issues of Conflict of Interest of the KMPs | Nil | Not Applicable | Nil | Not Applicable |

7. भ्रष्टाचार और हितों के टकराव के मामलों पर जुर्माना/दंड/नियामकों/कानून प्रवर्तन एजेंसियों/न्यायिक संस्थाओं द्वारा की गई कार्रवाई से संबंधित मुद्दों पर की गई या चल रही सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।

लागू नहीं

8. निम्नलिखित प्रारूप में देय खातों के दिनों की संख्या (देय खाते *365)/खरीदी गई वस्तुओं/सेवाओं की लागत):

| | वित्त वर्ष 2024-25 | वित्त वर्ष 2023-24 |
|---|---|---|
| देय खातों के दिनों की संख्या | 54 दिन | 42 दिन |

9. **कारोबार का खुलापन**

व्यापारिक घरानों, डीलरों और संबंधित पक्षों के साथ खरीद और बिक्री के संकेन्द्रण का विवरण, साथ ही संबंधित पक्षों के साथ ऋण और अग्रिम तथा निवेश का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में प्रदान करें:

| मापदंड | मेट्रिक | वित्त वर्ष 2024-25 | वित्त वर्ष 2023-24 |
|---|---|---|---|
| खरीदारी का संकेन्द्रण | ए. कुल खरीद के % के रूप में व्यापारिक घरानों से खरीद | महत्वपूर्ण नहीं | महत्वपूर्ण नहीं |
| | बी. व्यापारिक घरानों की संख्या जहां से खरीदारी की जाती है | महत्वपूर्ण नहीं | महत्वपूर्ण नहीं |
| | सी. व्यापारिक घरानों से कुल खरीद के % के रूप में शीर्ष 10 व्यापारिक घरानों से खरीदारी | महत्वपूर्ण नहीं | महत्वपूर्ण नहीं |
| बिक्री का संकेन्द्रण | ए. कुल बिक्री के % के रूप में डीलरों/वितरकों को की गई बिक्री | महत्वपूर्ण नहीं | महत्वपूर्ण नहीं |
| | बी. डीलरों/वितरक की संख्या जिनको बिक्री की जाती है | महत्वपूर्ण नहीं | महत्वपूर्ण नहीं |
| | सी. डीलरों/वितरकों को की गई कुल बिक्री के % के रूप में शीर्ष 10 डीलरों/वितरकों को बिक्री | महत्वपूर्ण नहीं | महत्वपूर्ण नहीं |
| आरपीटी का हिस्सा | ए. खरीद (संबंधित पक्षों के साथ खरीद/कुल खरीद) | 0.00% | 0.00% |
| | बी. बिक्री (संबंधित पक्षों को बिक्री/कुल बिक्री)* | 0.51% | 1.21% |
| | सी. ऋण एवं अग्रिम (संबंधित पक्षों को दिए गए ऋण एवं अग्रिम/कुल ऋण एवं अग्रिम) | 0.92% | 0.96% |
| | डी. निवेश (संबंधित पक्षों में निवेश/कुल किया गया निवेश) | 0.00% | 0.18% |

*ऋण के समनुदेशन पर प्राप्त ब्याज और अन्य शुल्क, प्राप्त किराया, कमीशन, प्राप्त लाभांश आदि शामिल हैं।

7. **Provide details of any corrective action taken or underway on issues related to fines / penalties / action taken by regulators/ law enforcement agencies/ judicial institutions, on cases of corruption and conflicts of interest.**

Not Applicable

8. **Number of days of accounts payables (Accounts payable *365) / Cost of goods/services procured) in the following format:**

| | FY 2024-25 | FY 2023-24 |
|---|---|---|
| Number of days of accounts payables | 54 days | 42 days |

9. **Open-ness of business**

Provide details of concentration of purchases and sales with trading houses, dealers, and related parties along-with loans and advances & investments, with related parties, in the following format:

| Parameter | Metric | FY 2024-25 | FY 2023-24 |
|---|---|---|---|
| Concentration of Purchases | a. Purchases from trading houses as % of total purchases | Not Material | Not Material |
| | b. Number of trading houses where purchases are made from | Not Material | Not Material |
| | c. Purchases from top 10 trading houses as % of total purchases from trading houses | Not Material | Not Material |
| Concentration of Sales | a. Sales to dealers / distributors as % of total sales | Not Material | Not Material |
| | b. Number of dealers / distributors to whom sales are made | Not Material | Not Material |
| | c. Sales to top 10 dealers / distributors as % of total sales to dealers / distributors | Not Material | Not Material |
| Share of RPTs in | a. Purchases (Purchases with related parties / Total Purchases) | 0.00% | 0.00% |
| | b. Sales (Sales to related parties / Total Sales)* | 0.51% | 1.21% |
| | c. Loans & advances (Loans & advances given to related parties / Total loans & advances) | 0.92% | 0.96% |
| | d. Investments ( Investments in related parties / Total Investments made) | 0.00% | 0.18% |

*Including interest and other charges received on assignments of loan, rent received, commission, dividend received, etc.

## नेतृत्व संकेतक

1. वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी सिद्धांत पर मूल्य श्रृंखला भागीदारों के लिए आयोजित जागरूकता कार्यक्रमः

| आयोजित जागरूकता कार्यक्रमों की कुल संख्या | प्रशिक्षण के अंतर्गत शामिल विषय/सिद्धांत | जागरूकता कार्यक्रमों के अंतर्गत कवर किए गए मूल्य श्रृंखला भागीदारों का प्रतिशत (ऐसे भागीदारों के साथ किए गए व्यवसाय के मूल्य के अनुसार) |
|---|---|---|
| शून्य | | |

2. क्या संस्था के पास बोर्ड के सदस्यों से संबंधित हितों के टकराव से बचने/प्रबंधित करने के लिए प्रक्रियाएं हैं? (हां/नहीं) यदि हां, तो उसका विवरण प्रदान करें।

हां, बोर्ड के सदस्यों से जुड़े हितों के टकराव से बचनेध्प्रबंधित करने की प्रक्रियाएं बोर्ड के सभी सदस्यों के लिए आदर्श आचार संहिता में शामिल हैं। आदर्श आचार संहिता के पालन के संबंध में पुष्टि निदेशकों से ज्वाइनिंग के समय और उसके बाद वार्षिक आधार पर प्राप्त की जाती है।

## सिद्धांत 2 कारोबार को इस तरीके से सामान और सेवाएं प्रदान करना चाहिए जो स्थायी और सुरक्षित हो

1. इकाई द्वारा किए गए कुल अनुसंधान एवं विकास और पूंजीगत व्यय में उत्पाद और प्रक्रियाओं के पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों को बेहतर बनाने के लिए विशिष्ट प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान और विकास एवं पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) निवेश का प्रतिशत।

| विवरण | वित्त वर्ष 2024-25 | वित्त वर्ष 2023-24 | पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों में सुधार का विवरण |
|---|---|---|---|
| अनुसंधान एवं विकास | शून्य | शून्य | शून्य |
| पूंजीगत व्यय | शून्य | ₹26.21 लाख | **वित्त वर्ष 2024–25:** वित्त वर्ष 2024–25 में अखिल भारतीय स्तर पर 1486 किलोवाट प्रति यूनिट क्षमता के लिए रूफटॉप सौर ऊर्जा स्थापना परियोजना शुरू की गई है। परियोजना कार्यान्वयन चरण में है और भुगतान वित्त वर्ष 2025–26 में किया जाएगा, इसलिए चालू वित्त वर्ष में राशि शून्य रिपोर्ट की गई है।<br>**वित्त वर्ष 2023–24:** द्वारका बिल्डिंग में इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित किया गया है। इसमें 60 किलोवाट के 2 डुअल गन डीसी फास्ट चार्जर और 7.5 किलोवाट के 3 टाइप 2 एसी चार्जर शामिल हैं।<br>कुल लागतः ₹26.21 लाख |

## LEADERSHIP INDICATORS

1. **Awareness programs conducted for value chain partners on any of the Principles during the financial year:**

| Total no. of awareness programmes held | Topics / principles covered under the training | %age of value chain partners covered (by value of business done with such partners) under the awareness programmes |
|---|---|---|
| NIL | | |

2. **Does the entity have processes in place to avoid/ manage conflict of interests involving members of the Board? (Yes/No) If yes, provide details of the same.**

Yes, processes to avoid / manage conflicts of interests involving members of the Board are included in the Model Code of Conduct for all members of the Board. Confirmation with regard to adherence to the Model Code of Conduct is obtained from the Directors at the time of joining and thereafter, on annual basis.

## PRINCIPLE 2 Businesses should provide goods and services in a manner that is sustainable and safe

1. **Percentage of Research and Development and capital expenditure (capex) investments in specific technologies to improve the environmental and social impacts of product and processes to total R&D and capex investments made by the entity, respectively.**

| Details | FY 2024-25 | FY 2023-24 | Details of improvements in environmental and social impacts |
|---|---|---|---|
| R&D | NIL | NIL | NIL |
| Capex | NIL | ₹26.21 lacs | **FY 2024-25:** Rooftop Solar Power installation project has been initiated in FY 2024-25 for 1487 KWP capacity on PAN India basis. The project is under implementation stage and payment will be processed in FY 2025-26, hence the amount is reported as Nil in current FY.<br>**FY 2023-24:** Electrical Vehicle Charging infrastructure has been set up at HO Dwarka building. It includes 2 no. of 60 KW Dual Gun DC Fast Charger and 3 nos. of 7.5 KW Type 2 AC Charger.<br>Total cost: ₹26.21 lacs |

2. ए. **क्या इकाई के पास स्थायी सोर्सिंग के लिए प्रक्रियाएं मौजूद हैं? (हां/नहीं)**

चूंकि बैंक वित्तीय सेवा क्षेत्र में है, इसलिए परिचालन के लिए कागज को छोड़कर सामग्री की खरीद महत्वपूर्ण नहीं है। कार्यालय के लिए अन्य खरीद के लिए, बैंक के पास एक खरीद नीति है जिसमें स्थिरता सोर्सिंग दिशानिर्देश अनिवार्य हैं, जैसे ऐसी इकाइयों की स्टार रेटिंग के लिए न्यूनतम सीमा की खरीद, ऊर्जा कुशल विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की खरीद के लिए न्यूनतम मानक।

बी. **यदि हाँ, तो कितने प्रतिशत इनपुट स्थायी रूप से प्राप्त किये गये ?**

इन इनपुट को वर्तमान में हमारी रिपोर्टिंग में मात्राबद्ध नहीं किया गया है, क्योंकि बैंक के प्राथमिक कार्यों में जमा स्वीकार करना और वित्तपोषण प्रदान करना शामिल है। बैंक के मुख्य कारोबार संचालन की तुलना में स्थायी साधनों के माध्यम से प्राप्त इनपुट का अनुपात न्यूनतम रहता है। फिर भी, बैंक अपने खरीद दिशानिर्देशों के अनुपालन में वस्तुओं का स्रोत बनाता है, जिसमें व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय और केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के दिशानिर्देशों द्वारा परिचालित नीति सामान्य वित्तीय नियम शामिल होते हैं।

3. **(ए) प्लास्टिक (पैकेजिंग सहित) (बी) ई-कचरा (सी) खतरनाक अपशिष्ट और (डी) अन्य अपशिष्ट के लिए अपने उत्पादों को पुनः उपयोग, रिसाइक्लिंग और जीवन के अंत में निपटान के लिए सुरक्षित रूप से पुनरु प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाओं का वर्णन करें।**

बैंक अपने सामान्य परिचालन के दौरान 'भौतिक' उत्पाद प्रस्तुत नहीं करता है, इसलिए बैंकिंग व्यवसाय की प्रकृति को देखते हुए उत्पादों का पुनः दावा लागू नहीं होता है।

4. **क्या विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) इकाई की गतिविधियों पर लागू है (हां/नहीं)। यदि हां, तो क्या कचरा संग्रहण योजना प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को प्रस्तुत विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) योजना के अनुरूप है? यदि नहीं, तो इसके समाधान के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी प्रदान करें।**

विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) बैंक की गतिविधियों पर लागू नहीं है।

**नेतृत्व संकेतक**

1. **क्या इकाई ने अपने किसी उत्पाद (विनिर्माण उद्योग के लिए) या अपनी सेवाओं (सेवा उद्योग के लिए) के लिए जीवन चक्र परिप्रेक्ष्य/मूल्यांकन (एलसीए) संचालित किया है? यदि हाँ, तो निम्नलिखित प्रारूप में विवरण प्रदान करें?**

| एनआईसी कोड | उत्पाद/सेवाओं का नाम | कुल कारोबार का % योगदान | वह सीमा जिसके लिए जीवन चक्र परिप्रेक्ष्य/मूल्यांकन आयोजित किया गया था | क्या स्वतंत्र बाह्य एजेंसी द्वारा संचालित किया गया है (हां/नहीं) | परिणाम सार्वजनिक डोमेन में संप्रेषित किए जाएंगे (हां/नहीं) यदि हां तो वेब-लिंक प्रदान करें |
|---|---|---|---|---|---|
| बैंक ने रिपोर्टिंग अवधि के दौरान कोई जीवन चक्र परिप्रेक्ष्य/मूल्यांकन नहीं किया है। | | | | | |

2. a. **Does the entity have procedures in place for sustainable sourcing? (Yes/No)**

As the Bank is in the Financial Services sector, material purchase for operations is not significant except for paper. For other procurement for office, the Bank has a Procurement policy wherein sustainability sourcing guidelines are mandated, like purchase of minimum threshold for star ratings of AC units, minimum standards for procurement of energy efficient electrical & electronic equipments.

b. **If yes, what percentage of inputs were sourced sustainably?**

These inputs are not currently quantified in our reporting as the primary functions of the Bank include the acceptance of deposits and providing financing. The proportion of inputs sourced through sustainable means remains minimal in comparison to the Bank's core business operations. Nonetheless, the bank sources items in compliance with Bank's procurement guidelines which incorporates the General Financial Rules circulated by department of Expenditure, Ministry of Finance and Central Vigilance Commission (CVC) guidelines.

3. **Describe the processes in place to safely reclaim your products for reusing, recycling and disposing at the end of life, for (a) Plastics (including packaging) (b) E-waste (c) Hazardous waste and (d) other waste.**

The Bank does not have 'physical' product offerings in the normal course of its operations and hence reclamation of products is not applicable given the nature of the banking business.

4. **Whether Extended Producer Responsibility (EPR) is applicable to the entity's activities (Yes / No). If yes, whether the waste collection plan is in line with the Extended Producer Responsibility (EPR) plan submitted to Pollution Control Boards? If not, provide steps taken to address the same.**

Extended Producer Responsibility (EPR) is not applicable to the Bank's activities.

**LEADERSHIP INDICATORS**

1. **Has the entity conducted Life Cycle Perspective / Assessments (LCA) for any of its products (for manufacturing industry) or for its services (for service industry)? If yes, provide details in the following format?**

| NIC Code | Name of Product / Service | % of total Turnover contributed | Boundary for which the Life Cycle Perspective / Assessment was conducted | Whether conducted by independent external agency (Yes/No) | Results communicated in public domain (Yes/No) If yes, provide the web-link. |
|---|---|---|---|---|---|
| The Bank has not conducted any Life Cycle Perspective / Assessments during the reporting period. | | | | | |

2. यदि आपके उत्पादों/सेवाओं के उत्पादन या निपटान से कोई महत्वपूर्ण सामाजिक या पर्यावरणीय चिंताएं और/या जोखिम उत्पन्न होते हैं, जीवन चक्र परिप्रेक्ष्य/मूल्यांकन (एलसीए) में या किसी अन्य माध्यम से जिसकी पहचाना की गई है, तो उन्हें कम करने के लिए की गई कार्रवाई के साथ–साथ उनका संक्षेप में वर्णन करें।

| उत्पाद का नाम/सेवा | जोखिम/चिंता का विवरण | की गई कार्रवाई |
|---|---|---|
| लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं |

3. उत्पादन (विनिर्माण उद्योग के लिए) या सेवाएं प्रदान करने (सेवा उद्योग के लिए) (मूल्य के अनुसार) में उपयोग की गई कुल सामग्री में रीसाइकल या पुनःउपयोग की गई इनपुट सामग्री का प्रतिशत।

| इनपुट सामग्री का उल्लेख करें | उपयोग की गई कुल सामग्री में रीसाइकल या पुनःउपयोग की गई इनपुट सामग्री | |
|---|---|---|
| | वित्त वर्ष 2024-25 | वित्त वर्ष 2023-24 |
| शून्य | | |

4. उत्पादों की उपयोग क्षमता की समाप्ति पर बेकार उत्पाद से तैयार माल और पैकेजिंग, निम्नलिखित प्रारूप के अनुसार पुनः उपयोग, रीसाइकल और सुरक्षित रूप से निपटाए गए उत्पाद की मात्रा (मीट्रिक टन में):

| विवरण | वित्त वर्ष 2024-25 | | | वित्त वर्ष 2023-24 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | पुनः उपयोग किए | रीसाइकल | सुरक्षित रूप से निपटाए गए | पुनः उपयोग किए | रीसाइकल | सुरक्षित रूप से निपटाए गए |
| प्लास्टिक (पैकेजिंग सहित) | बैंक के उत्पादों/सेवाओं के प्रयोग के बाद कोई अपशिष्ट उत्पन्न नहीं होता है; इसलिए बैंक द्वारा ऐसे किसी अपशिष्ट को पुनः प्राप्त नहीं किया जाता है। | | | | | |
| ई–कचरा | | | | | | |
| खतरनाक अपशिष्ट | | | | | | |
| अन्य अपशिष्ट | | | | | | |

5. प्रत्येक उत्पाद श्रेणी के लिए बेकार उत्पाद से तैयार माल और उनकी पैकेजिंग सामग्री (बेचे गए उत्पादों के प्रतिशत के रूप में)।

| उत्पाद श्रेणी बताएं | संबंधित श्रेणी में बेचे गए कुल उत्पादों के प्रतिशत के रूप में बेकार उत्पाद से तैयार माल और उनकी पैकेजिंग सामग्री |
|---|---|
| लागू नही | |

2. If there are any significant social or environmental concerns and/or risks arising from production or disposal of your products / services, as identified in the Life Cycle Perspective / Assessments (LCA) or through any other means, briefly describe the same along-with action taken to mitigate the same.

| Name of Product / Service | Description of the risk / concern | Action Taken |
|---|---|---|
| Not applicable | Not applicable | Not applicable |

3. Percentage of recycled or reused input material to total material (by value) used in production (for manufacturing industry) or providing services (for service industry).

| Indicate input material | Recycled or re-used input material to total material | |
|---|---|---|
| | FY 2024-25 | FY 2023-24 |
| Nil | | |

4. Of the products and packaging reclaimed at end of life of products, amount (in metric tonnes) reused, recycled, and safely disposed, as per the following format:

| Particulars | FY 2024-25 | | | FY 2023-24 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Re-Used | Recycled | Safely Disposed | Re-Used | Recycled | Safely Disposed |
| Plastics (including packaging) | Bank's products/services do not result in post consumption waste generation; hence no such waste is reclaimed by the Bank. | | | | | |
| E-waste | | | | | | |
| Hazardous waste | | | | | | |
| Other waste | | | | | | |

5. Reclaimed products and their packaging materials (as percentage of products sold) for each product category.

| Indicate product category | Reclaimed products and their packaging materials as % of total products sold in respective category |
|---|---|
| Not Applicable | |

**सिद्धांत 3 कारोबारों को अपने मूल्य श्रृंखलाओं में शामिल कर्मचारियों सहित सभी कर्मचारियों के कल्याण का ध्यान रखना चाहिए और उसे बढ़ावा देना चाहिए।**

**आवश्यक संकेतक**

1. ए. कर्मचारियों के कल्याण हेतु किए गए उपायों का विवरण:

| वर्ग | कुल (ए) | इसके अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों का % | | | | | | | | डे केयर सुविधाएं | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | स्वास्थ्य बीमा | | दुर्घटना बीमा | | मातृत्व लाभ | | पितृत्व लाभ | | | |
| | | संख्या (बी) | % (बी/ए) | संख्या (सी) | % (सी/ए) | संख्या (डी) | % (डी/ए) | संख्या (इ) | % (इ/ए) | संख्या (एफ) | % (एफ/ए) |
| | | स्थायी कर्मचारी | | | | | | | | | |
| पुरुष | 77204 | 77204 | 100 | 77204 | 100 | 0 | 0 | 77204 | 100 | 09 | 0.01% |
| महिला | 25542 | 25542 | 100 | 25542 | 100 | 25542 | 100 | 0 | 0 | 51 | 0.20% |
| **कुल** | 102746 | 102746 | 100 | 102746 | 100 | 25542 | 100 | 77204 | 100 | 60 | 0.06% |
| स्थायी कर्मचारियों के अलावा | | | | | | | | | | | |
| पुरुष | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं |
| महिला | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं |
| **कुल** | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं |

बी. कामगारों के कल्याण हेतु किए गए उपायों का विवरण:

| वर्ग | कुल (ए) | इसके अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों का % | | | | | | | | डे केयर सुविधाएं | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | स्वास्थ्य बीमा | | दुर्घटना बीमा | | मातृत्व लाभ | | पितृत्व लाभ | | | |
| | | संख्या (बी) | % (बी/ए) | संख्या (सी) | % (सी/ए) | संख्या (डी) | % (डी/ए) | संख्या (इ) | % (इ/ए) | संख्या (एफ) | % (एफ/ए) |
| | | स्थायी कर्मचारी | | | | | | | | | |
| पुरुष | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं |
| महिला | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं |
| **कुल** | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं |
| स्थायी कर्मचारियों के अलावा | | | | | | | | | | | |
| पुरुष | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं |
| महिला | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं |
| **कुल** | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं |

सी. कर्मचारियों और कामगारों (स्थायी और गैर–स्थायी सहित) के कल्याण के हेतु किए गए उपायों पर निम्नलिखित प्रारूप में व्यय

| | वित्त वर्ष 2024-25 | वित्त वर्ष 2023-24 |
|---|---|---|
| कंपनी के कुल राजस्व के प्रतिशत के रूप में कल्याणकारी उपायों पर व्यय | 0.29% | 0.47% |

**PRINCIPLE 3 Businesses should respect and promote the well-being of all employees, including those in their value chains**

**ESSENTIAL INDICATORS**

1. a. **Details of measures for the well-being of employees:**

| Category | Total (A) | % of employees covered by | | | | | | | | Day Care facilities | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Health insurance | | Accident insurance | | Maternity benefits | | Paternity Benefits | | | |
| | | Number (B) | % (B / A) | Number (C) | % (C / A) | Number (D) | % (D / A) | Number (E) | % (E / A) | Number (F) | % (F/ A) |
| | | Permanent employees | | | | | | | | | |
| Male | 77204 | 77204 | 100 | 77204 | 100 | 0 | 0 | 77204 | 100 | 09 | 0.01% |
| Female | 25542 | 25542 | 100 | 25542 | 100 | 25542 | 100 | 0 | 0 | 51 | 0.20% |
| **Total** | 102746 | 102746 | 100 | 102746 | 100 | 25542 | 100 | 77204 | 100 | 60 | 0.06% |
| Other than Permanent employees | | | | | | | | | | | |
| Male | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Female | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| **Total** | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |

b. **Details of measures for the well-being of workers:**

| Category | Total (A) | % of workers covered by | | | | | | | | Day Care facilities | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Health insurance | | Accident insurance | | Maternity benefits | | Paternity Benefits | | | |
| | | Number (B) | % (B / A) | Number (C) | % (C / A) | Number (D) | % (D / A) | Number (E) | % (E / A) | Number (F) | % (F / A) |
| | | Permanent workers | | | | | | | | | |
| Male | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Female | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| **Total** | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Other than Permanent workers | | | | | | | | | | | |
| Male | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Female | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| **Total** | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |

c. **Spending on measures towards well-being of employees and workers (including permanent and other than permanent) in the following format**

| | FY 2024-25 | FY 2023-24 |
|---|---|---|
| Cost incurred on wellbeing measures as a % of total revenue of the company | 0.29% | 0.47% |

2. **चालू वित्तीय वर्ष और गत वित्तीय वर्ष के लिए सेवानिवृत्ति लाभों का विवरण।**

| लाभ | वित्त वर्ष 2024-25 | | | वित्त वर्ष 2023-24 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | कुल कर्मचारियों के % के रूप में कवर किए गए कर्मचा. रियों की संख्या | कुल कामगारों के % के रूप में कवर किए गए कामगारों की संख्या | कटौती की गई और प्राधिकरण में जमा की गई (हाँ/नहीं/लागू नहीं) | संख्या % के रूप में कवर किए गए कर्मचारी कुल कर्मचारी | संख्या कुल श्रमिकों के प्रतिशत के रूप में कवर किए गए श्रमिक | कटौती की गई और प्राधिकरण में जमा की गई (हाँ/नहीं/लागू नहीं) |
| पीएफ | 0.16% | लागू नहीं | हाँ * | 0.2% | लागू नहीं | हाँ * |
| ग्रेच्युटी | 100% | लागू नहीं | लागू नहीं | 100% | लागू नहीं | लागू नहीं |
| ईएसआई | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं |
| अन्य – पेंशन | 19.34% | लागू नहीं | हाँ * | 21.93% | लागू नहीं | हाँ * |
| अन्य –एनपीएस | 80.50% | लागू नहीं | हाँ | 77.88% | लागू नहीं | हाँ |

**कटौती की गई और बैंक के स्वयं के पीएफ और पेंशन ट्रस्ट में जमा की गई*

3. **कार्यस्थलों तक पहुंच**

**क्या दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की अपेक्षाओं के अनुसार इकाई के परिसर/कार्यालय दिव्यांग कर्मचारियों और कामगारों के लिए सुलभ हैं? यदि नहीं, तो क्या इकाई द्वारा इस संबंध में कोई कदम उठाए जा रहे हैं।**

- बैंक लगातार प्रयास कर रहा है कि उसके सभी कार्यालय/शाखाएं दिव्यांगजनों (कर्मचारी और ग्राहक दोनों) के लिए बिना किसी असुविधा के पहुँच योग्य हों, इसके लिए रैंप सुविधा और दिव्यांगजन अनुकूल सुविधाएं सुनिश्चित की जा रही है। बैंक के अपने भवनों के निर्माण और लीज के आधार पर परिसर किराए पर लेने के दौरान इसका ध्यान रखा जाता है।
- स्थायी रैंप प्रदान करने के प्रयास किए जाते है, हालांकि, ऐसे मामलों में जहाँ लीज के परिसर में स्थायी रैंप उपलब्ध नहीं है, वहाँ अस्थायी रैंप की सुविधा प्रदान की जाती है। दिव्यांगजनों के लिए बाधा मुक्त वातावरण प्रदान करने के दिशा–निर्देश बैंक द्वारा लीज परिसर किराए पर लेने की नीति में शामिल किए गए है। इस संबंध में वित्तीय सेवाएं विभाग (डीएफएस), भारत सरकार को नियमित आधार पर इसके अनुपालन की सूचना भी दी जाती है।
- इसके अलावा, बैंक दिव्यांगजनों को डोरस्टेप बैंकिंग के माध्यम से वित्तीय सेवाओं की डोरस्टेप डिलीवरी भी प्रदान करता है।
- दिनांक 31.03.2025 तक बैंक के कुल 11,822 एटीएम में से 11,141 एटीएम (अर्थात 94.24% एटीएम) और बैंक की कुल 10,189 शाखाओं में से 8,525 शाखाओं (अर्थात 83.67% शाखाएं) में रैम्प की सुविधा है। शेष शाखाओं (16.33%) और एटीएम (5.76%) के लिए रैंप सुविधा प्रदान करना व्यावहारिक नहीं है, जहाँ आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुपालन में नोटिस प्रदर्शित किए गए हैं। हालांकि, ऐसे मामलों में जहां पट्टे पर दिए गए परिसर में स्थायी रैंप उपलब्ध नहीं है, वहां अस्थायी रैंप की सुविधा प्रदान की जाती है।
- इसके अलावा, बैंक दृष्टिबाधित ग्राहकों के लिए पीएनबी अन्तः दृष्टि नाम से ब्रेल डेबिट कार्ड भी प्रदान करता है। इस कार्ड पर ब्रेल लिपि में बिंदु अंकित हैं, जिससे ग्राहकों को बैंक और उनके कार्ड की पहचान करने में सहायता मिलेगी। जबकि कार्ड में ब्रेल लिपि की विशेषताएं हैं, पीएनबी एटीएम मानक कीपैड से लैस हैं, जिनमें संख्यात्मक कुंजियों पर उभरे हुए निशान हैं और इसके उपयोगकर्ताओं को मार्गदर्शन करने के लिए "एंटर," "कैंसल," और "क्लियर" जैसी संचालन कुंजियाँ हैं।

4. **क्या इकाई के पास दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुसार समान अवसर नीति है? यदि हाँ, तो नीति का वेब–लिंक प्रदान करें।**

हां, बैंक के पास दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुसार समान अवसर नीति है। समान अवसर का अर्थ है कि सभी कर्मचारियों को कार्यस्थल पर न्यायोचित, निष्पक्ष और सभी कैरियर में आगे बढ़ने के लिए समान पहुंच का अनुभव हो।यह एक समावेशी कार्य के वातावरण को बढ़ावा देता है जो अपने कर्मचारियों की विविध, सांस्कृतिक और सामाजिक पृष्ठभूमि को महत्व देता है और स्वीकार करता है। पंजाब नैशनल बैंक एक समावेशी कार्यस्थल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है जो रोजगार में समान अवसर प्रदान करता है और जहां हर कर्मचारी के साथ सम्मान और गरिमा के साथ व्यवहार किया जाता है। वर्तमान नीति दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 और दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 के अनुरूप है। नीति का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कार्य वातावरण समावेशी हो और विकलांग लोगों के प्रति किसी भी प्रकार के भेदभाव से मुक्त हो।

समान अवसर नीति पंजाब नैशनल बैंक की भारत में स्थित सभी शाखाओं/कार्यालयों पर लागू होगी और इसमें बैंक में कार्यरत सभी दिव्यांग व्यक्तियों तथा अपनी सेवा अवधि/कार्य अवधि के दौरान दिव्यांगता प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को शामिल किया जाएगा। यह नीति रोजगार के सभी पहलुओं पर लागू होती है जो भर्ती, प्रशिक्षण, कार्य की स्थिति, वेतन और भत्ते, कर्मचारी कल्याण, सुविधाएं और भत्ते, स्थानांतरण और तैनाती से लेकर अलगाव आदि तक होती है। इस पॉलिसी को हमारी आधिकारिक वेबसाइट ीजजचेरुध्ध्ूूचदइपदकपं.पदध् पर ग्राहक सेवा अनुभाग के अंतर्गत देखा जा सकता है।

**2. Details of retirement benefits, for Current FY and Previous Financial Year.**

| Benefits | FY 2024-25 | | | FY 2023-24 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | No. of employees covered as a % of total employees | No. of workers covered as a % of total workers | Deducted and deposited with the authority (Y/N/N.A.) | No. of employees covered as a % of total employees | No. of workers covered as a % of total workers | Deducted and deposited with the authority (Y/N/N.A.) |
| PF | 0.16% | NA | Y * | 0.2% | NA | Y * |
| Gratuity | 100% | NA | NA | 100% | NA | NA |
| ESI | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Others – Pension | 19.34% | NA | Y * | 21.93% | NA | Y * |
| Others – NPS | 80.50% | NA | Y | 77.88% | NA | Y |

** Deducted and deposited in Bank`s own PF and Pension Trust*

**3. Accessibility of workplaces**

**Are the premises / offices of the entity accessible to differently abled employees and workers, as per the requirements of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016? If not, whether any steps are being taken by the entity in this regard.**

- The Bank is continuously making efforts that all its offices/branches are accessible without any inconvenience to Divyangjans (both employees and customers), by ensuring ramp facility and disabled friendly amenities. This is taken care of while construction of the bank's own buildings & during hiring of premises on lease basis.
- The guidelines for providing barrier free environment for "Divyangjans" are incorporated in the Policy for Hiring Lease Premises by Bank. The compliance is also reported to DFS, GOI in this regard on a regular basis.
- Further, the Bank also provides doorstep delivery of financial services to Divyangjans through doorstep banking.
- As on 31.03.2025, Bank's 11,141 ATMs out of total 11,822 ATMs (i.e. 94.24 % ATMs) and Bank's 8,525 branches out of total 10,189 branches (i.e. 83.67% Branches) have ramp facilities. For, the remaining branches (16.33%) and ATMs (5.76%) it is impractical to provide ramp facility, where notice has been displayed in compliance of RBI guidelines. However, in cases where the permanent ramp is not available in leased premises, temporary ramp facilities are provided.
- Also, Bank offers a Braille Debit Card called the PNB ANTAH DRISHTI for visually impaired customers. This card has Braille dots embossed on it to help customers identify the bank and their card. While the card itself has Braille features, PNB ATMs are equipped with standard keypads with raised markings on the numerical keys and operational keys like "enter," "cancel," and "clear," to guide its users.

**4. Does the entity have an equal opportunity policy as per the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016? If so, provide a web-link to the policy.**

Yes the Bank has an equal opportunity policy as per the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016. Equal opportunity means that all employees experience fairness, impartiality and equal access to all career initiatives at workplace. It promotes an inclusive work environment that values and accepts the diverse, cultural and social background of its staff. Punjab National Bank is committed to create an inclusive workplace which provides equal opportunities in employment and where every employee is treated with respect and dignity. The present policy is in compliance with the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 and the Rights of Persons with Disabilities Rules, 2017. The objective of the Policy is to ensure that the work environment is inclusive and free from any form of discrimination against people with disabilities.

The Equal Opportunity Policy is applicable to all Branches/ Offices of Punjab National Bank located in India and it covers all persons with disability in the Bank and who acquire disability during their service period / work tenure. The policy applies to all facets of employment that commences from recruitment, training, working conditions, salary and allowances, staff welfare, facilities and perquisites, transfer and deployment and up to Separation etc. The policy can be referred at our official website **https://www.pnbindia.in/**, under Customer Care section.

5. स्थायी कर्मचारियों और पितृत्व अवकाश लेने वाले कामगारों की काम पर वापसी और प्रतिधारण दर।

| लिंग | स्थायी कर्मचारी | | स्थायी कामगारों | |
|---|---|---|---|---|
| | काम पर वापसी दर | प्रतिधारण दर* | काम पर वापसी दर | प्रतिधारण दर |
| पुरुष | 100% | 99.88% | लागू नहीं | लागू नहीं |
| महिला | 100% | 99.62% | लागू नहीं | लागू नहीं |
| कुल | 100% | 99.80% | लागू नहीं | लागू नहीं |

**उन कर्मचारियों को ध्यान में रखते हुए जिनका मातृत्व/पितृत्व अवकाश वित्त वर्ष 2023–24 में समाप्त हो गया और वित्त वर्ष 2024–25 में उन्होंने (इस्तीफा) बैंक छोड़ (किसी भी कारण से) दिया।*

6. क्या निम्नलिखित श्रेणियों के कर्मचारियों और कामगारों के लिए शिकायतें प्राप्त करने और उनका निवारण करने के लिए कोई तंत्र उपलब्ध है? यदि हाँ, तो संक्षेप में तंत्र का विवरण दें।

| विवरण | हां/नही<br>*(यदि हां, तो संक्षेप में तंत्र का विवरण दें)* |
|---|---|
| स्थायी कर्मचारी | लागू नहीं |
| स्थायी कामगारों के अलावा | लागू नहीं |
| स्थायी कर्मचारी | हाँ,<br>बैंक के कर्मचारियों के सामने आने वाली विभिन्न शिकायतों/समस्याओं के निवारण के लिए बैंक के पास 'पीएनबी समाधान' नामक एक औपचारिक मंच है, जिसके लिए सभी कर्मचारियों को एचआरएमएस में एक कार्यक्षमता प्रदान की गई है ताकि वे एचआरएमएस के माध्यम से अपनी शिकायतें ऑनलाइन दर्ज कर सकें।<br>पीएनबी समाधान में सेवारत कर्मचारियों द्वारा सामना की जाने वाली सभी कार्य संबंधी और व्यक्तिगत समस्याओं को शामिल किया गया है। यदि कर्मचारियों को लगता है कि नियमों का उल्लंघन हो रहा है या स्पष्ट तौर पर अन्याय या उत्पीड़न का मामला है, तो अन्य मामलों पर विचार किया जा सकता है। |
| स्थायी कर्मचारियों के अलावा | लागू नहीं |

7. सूचीबद्ध इकाई द्वारा मान्यता प्राप्त एसोसिएश या यूनियनों में कर्मचारियों और कामगारों की सदस्यता:

| वर्ग | वित्त वर्ष 2023-24 | | | वित्त वर्ष 2022-23 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | संबंधित श्रेणी में कुल कर्मचारी/कामगार (ए) | संबंधित श्रेणी में कर्मचारियों/कामगारों की संख्या, जो एसोसिएशन या यूनियन का हिस्सा हैं (बी) | % (बी/ए) | संबंधित श्रेणी में कुल कर्मचारी/कामगार (सी) | संबंधित श्रेणी में कर्मचारियों/कामगारों की संख्या, जो एसोसिएशन या यूनियन का हिस्सा हैं (डी) | % (डी/सी) |
| कुल स्थायी कर्मचारी | 102746 | 100360 | 97.68% | 102349 | 100595 | 98.29% |
| पुरुष | 77204 | 75306 | 97.54% | 77359 | 76049 | 98.31% |
| महिला | 25542 | 25054 | 98.09% | 24990 | 24546 | 98.22% |
| **कुल स्थायी कामगार** | लागू नहीं | | | | | |
| पुरुष | | | | | | |
| महिला | | | | | | |

5. **Return to work and Retention rates of permanent employees and workers that took parental leave.**

| Gender | Permanent employees | | Permanent workers | |
|---|---|---|---|---|
| | Return to work rate | Retention rate* | Return to work rate | Retention rate |
| Male | 100% | 99.88% | NA | NA |
| Female | 100% | 99.62% | NA | NA |
| Total | 100% | 99.80% | NA | NA |

**Considering those employees whose maternity/Paternity leave ended in FY 2023-24 and Left (Resignation) the Bank (Because of any reason) in FY 2024-25*

6. **Is there a mechanism available to receive and redress grievances for the following categories of employees and worker? If yes, give details of the mechanism in brief.**

| Particulars | Yes/No<br>*(If Yes, then give details of the mechanism in brief)* |
|---|---|
| Permanent Workers | N.A. |
| Other than Permanent Workers | N.A. |
| Permanent Employees | Yes,<br>Bank has a formal platform "PNB Samadhaan" for redressal of various grievances/ problems faced by the employees of the Bank, for which a functionality has been provided in HRMS for all the employees to enable them to lodge their grievances/ complaints online through HRMS.<br>PNB SAMADHAAN covers all work related and personal problems faced by serving staff members. Other matters may be considered if the employees feel there is violation of rules or that there is a clear cut case of injustice or victimization. |
| Other than Permanent Employees | N.A. |

7. **Membership of employees and worker in association(s) or Unions recognised by the listed entity:**

| Category | FY 2024-25 | | | FY 2023-24 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Total employees/ workers in respective category (A) | No. of employees / workers in respective category, who are part of association(s) or Union (B) | %(B/A) | Total employees / workers in respective category (C ) | No. of employees / workers in respective category, who are part of association(s) or Union (D) | %(D/C) |
| Total Permanent Employees | 102746 | 100360 | 97.68% | 102349 | 100595 | 98.29% |
| Male | 77204 | 75306 | 97.54% | 77359 | 76049 | 98.31% |
| Female | 25542 | 25054 | 98.09% | 24990 | 24546 | 98.22% |
| **Total Permanent Workers** | Not Applicable | | | | | |
| Male | | | | | | |
| Female | | | | | | |

## 8. कर्मचारियों एवं कामगारों को दिए गए प्रशिक्षण का विवरण:

| वर्ग | वित्त वर्ष 2024-25 | | | | | | वित्त वर्ष 2023-24 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | कुल ए) | स्वास्थ्य एवं सुरक्षा उपायों पर | | कौशल उन्नयन पर | | कुल (डी) | स्वास्थ्य एवं सुरक्षा उपायों पर | | कौशल उन्नयन पर | |
| | | सं. (बी) | % (बी / ए) | सं. (सी) | % (सी / ए) | | सं. (इ) | % (इ / डी) | सं. (एफ) | % (एफ / डी) |
| | **कर्मचारी** | | | | | | | | | |
| पुरुष | 77204 | 28658 | 37.11 | 48139 | 62.35 | 77359 | 2043 | 2.65 | 56998 | 73.68 |
| महिला | 25542 | 7015 | 27.46 | 12995 | 50.87 | 24990 | 799 | 3.20 | 17581 | 70.35 |
| कुल | 102746 | 35673 | 34.72 | 61134 | 59.50 | 102349 | 2842 | 2.77 | 74579 | 72.87 |
| *पॉश पर प्रिशिक्षण | - | - | - | - | - | - | 219* | | - | - |
| कुल | 102349 | 3061 | 3.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | **कामगार** | | | | | | | | | |
| पुरुष | लागू नहीं | | | | | | | | | |
| महिला | | | | | | | | | | |
| कुल | | | | | | | | | | |

*यौन उत्पीड़न की रोकथाम पर एक इन–हाउस ओपन वेबिनार (पंजीकरण आवश्यक नहीं था) आयोजित किया गया जिसमें 219 कर्मचारियों ने भाग लिया।*

## 9. कर्मचारियों और कामगारों के प्रदर्शन और कैरियर विकास समीक्षा का विवरण:

| वर्ग | वित्त वर्ष 2024-25* | | | वित्त वर्ष 2023-24* | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | कुल (ए) | सं.(बी) | %(बी / ए) | कुल (सी) | सं. (डी) | % (डी / सी) |
| | **कर्मचारी** | | | | | |
| पुरुष | 79054 | 38166 | 48.28% | 78857 | 38234 | 48.49% |
| महिला | 25066 | 12488 | 49.82% | 24287 | 12263 | 50.49% |
| कुल | 104120 | 50654 | 48.65% | 103144 | 50497 | 48.96% |
| | **कामगार** | | | | | |
| पुरुष | लागू नहीं | | | | | |
| महिला | | | | | | |
| कुल | | | | | | |

** वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन समीक्षा केवल अधिकारियों के लिए वार्षिक आधार पर की जाती है। जब भी आवश्यक समझा गया है, आंकड़ों को फिर से समूहीकृत किया गया है क्योंकि वित वर्ष 2023–24 के लिए वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन वित्त वर्ष 2024–25 में किया जा रहा है। इसी तरह, वित्त वर्ष 2022–23 के लिए वार्षिक प्रदर्शन वित्त वर्ष 2023–24 में किया गया था।*

*# दिनांक 31.03.2024 तक कर्मचारी संख्या*

*नोटः– कॉलम 'बी' और 'डी' में वे कर्मचारी शामिल हैं जो प्रदर्शन और कैरियर विकास समीक्षा के लिए पात्र हैं।*

## 10. स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली

**क. क्या इकाई द्वारा व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली क्रियान्वित की गई है? (हां / नहीं) यदि हां, तो ऐसी प्रणाली का कवरेज क्षेत्र क्या है?**

हां, मानक मानदंडों के अनुसार, बैंक ने व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के लिए भौतिक सुरक्षा और अग्नि सुरक्षा नीतियों को लागू किया है।

बैंक की सभी शाखा परिसरों को आईबीए द्वारा जोखिम मूल्यांकन प्रारूप में निर्धारित विभिन्न मापदंडों (स्थान, परिचालन और आर्थिक, मनोवैज्ञानिक और संरचना और लेआउट) के अनुसार विभिन्न जोखिम श्रेणियों (कम जोखिम, मध्यम जोखिम और उच्च जोखिम) में वर्गीकृत किया गया है।

## 8. Details of training given to employees and workers:

| Category | FY 2024-25 | | | | | | FY 2023-24 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Total (A) | On Health and safety measures | | On Skill upgradation | | Total (D) | On Health and safety measures | | On Skill upgradation | |
| | | No. (B) | % (B / A) | No. (C) | % (C / A) | | No. (E) | % (E / D) | No. (F) | % (F / D) |
| | **Employees** | | | | | | | | | |
| Male | 77204 | 28658 | 37.11 | 48139 | 62.35 | 77359 | 2043 | 2.65 | 56998 | 73.68 |
| Female | 25542 | 7015 | 27.46 | 12995 | 50.87 | 24990 | 799 | 3.20 | 17581 | 70.35 |
| Total | 102746 | 35673 | 34.72 | 61134 | 59.50 | 102349 | 2842 | 2.77 | 74579 | 72.87 |
| *Training on POSH | - | - | - | - | - | - | 219* | | - | - |
| Total | 102746 | 35673 | 34.72 | 61134 | 59.50 | 102349 | 3061 | 3.00 | 74579 | 72.87 |
| | **Workers** | | | | | | | | | |
| Male | NA | | | | | | | | | |
| Female | | | | | | | | | | |
| Total | | | | | | | | | | |

**An in-house open webinar (registration was not required) was conducted on Prevention of Sexual Harassment which was attended by 219 employees.*

## 9. Details of performance and career development reviews of employees and worker:

| Category | FY 2024-25* | | | FY 2023-24* | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Total (A)# | No.(B) | % (B/A) | Total (C) | No. (D) | % (D/C) |
| | **Employees** | | | | | |
| Male | 77359 | 37145 | 48.02% | 79054 | 38166 | 48.28% |
| Female | 24990 | 12523 | 50.11% | 25066 | 12488 | 49.82% |
| Total | 102349 | 49668 | 48.53% | 104120 | 50654 | 48.65% |
| | **Workers** | | | | | |
| Male | Not Applicable | | | | | |
| Female | | | | | | |
| Total | | | | | | |

**Annual performance appraisal reviews are done on yearly basis for officers only. Figures have been regrouped whenever considered necessary as annual performance appraisal for FY 2023-24 is being done in FY 2024-25. Similarly, annual performance appraisal for FY 2022-23 was done in FY 2023-24.*

*# employee strength as on 31.03.2024*

*Note:- Columns 'B' & 'D' comprises of employees which are eligible for performance and career development review.*

## 10. Health and safety management system:

**a. Whether occupational health and safety management system has been implemented by the entity? (Yes/ No). If yes, the coverage such system?**

Yes, as per standard norms, the Bank has implemented Physical Security & Fire Safety policies for occupational health and safety management system.

All the Bank's branch premises are classified in various risk categories (Low Risk, Medium Risk and High Risk) according to various parameters (Location, Operational & Economic, Psychological and Structure & Layout) prescribed in Risk Assessment Format by the IBA and as defined in Physical Security Policy of the Bank duly approved by the Board.

बैंक के पास सुरक्षा अधिकारियों और अग्निशमन अधिकारियों की एक टीम है जो शाखाओं में नियमित सुरक्षा और अग्नि सुरक्षा निरीक्षण करती है। जोखिम/खतरों की पहचान करने के लिए नियमित निरीक्षण और लेखा परीक्षा के लिए अच्छी तरह से परिभाषित जांच सूची और निरीक्षण/लेखा परीक्षा के प्रारूप निर्धारित किए गए हैं।

इसके अलावा, किसी भी घटना की स्थिति में, यदि घटना के दौरान सुरक्षा अधिकारी/अग्निशमन अधिकारी द्वारा जांच में कोई गैप पाया जाता है तो जोखिम को कम करने के लिए उपयुक्त उपाय लागू किए जाते हैं।

**ख. कार्य–संबंधी खतरों की पहचान करने तथा इकाई द्वारा नियमित एवं गैर–नियमित आधार पर जोखिमों का आकलन करने के लिए कौन–सी प्रक्रियाएं अपनाई जाती है?**

कर्मचारियों की सुरक्षा और विनियामक अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए बैंक कार्य–संबंधी जोखिम की पहचान, आकलन और शमन हेतु एक संरचित और सक्रिय दृष्टिकोण अपनाता है। बैंक के सभी शाखा परिसरों को आईबीए द्वारा जोखिम मूल्यांकन प्रारूप में निर्धारित विभिन्न मापदंडों (स्थान, परिचालन और आर्थिक, मनोवैज्ञानिक और संरचना और लेआउट) के अनुसार विभिन्न जोखिम श्रेणियों (कम जोखिम, मध्यम जोखिम और उच्च जोखिम) में वर्गीकृत किया गया है।

- बैंक के पास सुरक्षा अधिकारियों और अग्निशमन अधिकारियों की एक टीम है जो शाखाओं में नियमित रूप से सुरक्षा और अग्नि सुरक्षा निरीक्षण करती है।
- सुरक्षा/अग्निशमन अधिकारियों द्वारा प्रशासनिक/शाखा कार्यालयों में मॉक ड्रिल का आयोजन भी किया जा रहा है, ताकि कर्मचारियों को अग्नि संबंधी विभिन्न जोखिमों के बारे में जागरूक किया जा सके। सुरक्षा/अग्निशमन अधिकारी शाखाओं में अपने अनिवार्य दौरे के दौरान शाखा कर्मचारियों को विभिन्न सुरक्षा और अग्नि संबंधी जोखिमों के बारे में जानकारी देते हैं।
- शाखाओं/कार्यालयों का नियमित विद्युत ऑडिट सक्रिय कार्रवाई करने के लिए किया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप विद्युत स्थापना के कारण आग के खतरों की संभावना कम होती है, ऊर्जा दक्षता में सुधार होता है और बिजली के बिलों की लागत की भी बचत होती है।

इसके अलावा, किसी भी घटना के मामले में, यदि सुरक्षा अधिकारी/अग्निशमन अधिकारी द्वारा घटना की जांच के दौरान कोई गैप पाया जाता है तो गैप का अध्ययन, विश्लेषण किया जाता है और उसके बाद जोखिम को कम करने के लिए उपयुक्त उपाय लागू किए जाते हैं।

**ग. क्या आपके पास कामगारों के लिए कार्य से संबंधित खतरों की रिपोर्ट करने तथा स्वयं को ऐसे जोखिमों से दूर रखने की प्रक्रियाएं है? (हाँ/नहीं)**

लागू नहीं

**घ. क्या इकाई के कर्मचारियों/कामगारों की गैर–व्यावसायिक चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच है? (हाँ/नहीं)**

जी हाँ, बैंक के पास अपने कर्मचारियों और आश्रितों के लिए एक चिकित्सा बीमा योजना है। इसके अलावा, कर्मचारियों को समय रहते अपने और अपने जीवनसाथी के स्वास्थ्य की उचित देखभाल में सहाता हेतु, बैंक के सभी पूर्णकालिक कर्मचारियों (35 वर्ष और उससे अधिक आयु) (उनके जीवनसाथी सहित) को वार्षिक स्वास्थ्य जांच की सुविधा प्रदान की जाती है।

Regular security and fire safety inspections at the Branches are carried out by the Security/Fire Officers in the Bank. Well defined checklists and formats of inspection/ audits are prescribed for regular inspection and audits to identify risk/ hazards.

Further, in case of any incident thorough investigation is carried out, if any gaps are observed during the incident investigation by Security Officer/ Fire Officer and suitable measures are implemented to mitigate the risk.

**b. What are the processes used to identify work-related hazards and assess risks on a routine and non-routine basis by the entity?**

The Bank follows a structured and proactive approach to identify, assess and mitigate work-related hazards to ensure employees safety and regulatory compliance. All the Bank's branch premises are classified in various risk categories (Low Risk, Medium Risk and High Risk) according to various parameters (Location, Operational & Economic, Psychological and Structure & Layout) prescribed in Risk Assessment Format by the IBA.

- Bank has a team of Security Officers and Fire Officers who conduct regular security and fire safety inspections at the Branches.
- Mock drills are also being conducted in Admin/Branch Offices by the Security/ Fire Officers to make staff aware on various fire related risks. Security/Fire Officers also brief branch staff on various security and fire related risks during their mandatory visits to branches.
- The regular electrical audit of branches/offices is done to take the pro-active actions, which results in less chances of fire hazards due to electrical installation, improvement in energy efficiency, and cost savings in electricity bills.

Further, in case of any incident, if any gaps are observed during the incident investigation by Security Officer/ Fire Officer then the gaps are studied, analyzed and thereafter, suitable measures are implemented to mitigate the risk.

**c. Whether you have processes for workers to report the work related hazards and to remove themselves from such risks. (Y/N)**

Not Applicable

**d. Do the employees/ worker of the entity have access to non-occupational medical and healthcare services? (Yes/ No)**

Yes, Bank has a medical insurance scheme for its employees and dependents. Further, for helping the employees to take proper care of self and their spouse's health well in time, the facility of Annual Health Check-up is provided to all full-time employees (age of 35 years and above) (including their spouse) of the Bank.

बैंक ने केंद्रीय रूप से 2 अनुभवी मनोवैज्ञानिक/वेलनेस टेलीकंसल्टेंट नियुक्त किए हैं, अर्थात मातृत्व अवकाश के बाद कार्यभार ग्रहण करने वाली महिला कर्मचारियों के लिए मातृत्व अवकाश के बाद टेलीकंसल्टेशन देने के लिए एक मनोवैज्ञानिक और सभी कर्मचारियों के लिए एक मनोवैज्ञानिक भी है।

**11. सुरक्षा संबंधी घटनाओं का विवरण, निम्नलिखित प्रारूप में:**

| सुरक्षा घटना/संख्या | वर्ग | वित्त वर्ष 2024-25 | वित्त वर्ष 2023-24 |
|---|---|---|---|
| लॉस्ट टाइम इंजरी फ्रीक्वेंसी रेट (एलटीआईएफआर) (प्रति दस लाख–व्यक्ति काम के घंटे) | कर्मचारी | 0.00 | 1.48^ |
| | कामगार | लागू नहीं | लागू नहीं |
| कुल रिकॉर्ड योग्य कार्य–संबंधी चोटें | कर्मचारी | 0.00 | 4.00* |
| | कामगार | लागू नहीं | लागू नहीं |
| मृतकों की संख्या | कर्मचारी | शून्य | शून्य |
| | कामगार | लागू नहीं | लागू नहीं |
| गंभीर परिणाम वाली कार्य–संबंधी चोट या अस्वस्थता (मृत्यु को छोड़कर) | कर्मचारी | शून्य | शून्य |
| | कामगार | लागू नहीं | लागू नहीं |

*^प्रति वर्ष न्यूनतम 250 कार्य दिवस मानकर। काम के घंटे किसी बैंक में ग्राहक डीलिंग के औसत समय पर आधारित होते है।*

** 2023–24 में 4 में से 1 कर्मचारी 38 दिन की अवकाश लिया था।*

- चूंकि बैंकिंग उद्योग एक सेवा उद्योग है और निर्माण स्थलों पर कोई काम नहीं किया जाता है, इसलिए बैंक में कम करते समय मृत्यु या चोट लगने की घटनाएं बहुत कम होती है।
- इसके अलावा, बैंक को ऐसे आंकड़ें रखने की आवश्यकता नहीं है।

**12. सुरक्षित और स्वस्थ कार्यस्थल सुनिश्चित करने के लिए इकाई द्वारा उठाए गए उपायों का वर्णन करें।**

- बैंक मानता है कि सुरक्षित और स्वस्थ कार्यस्थल उसकी सफलता और विकास का अभिन्न अंग है। कार्यस्थल सुरक्षा संबंधी प्रमुख जोखिमों में परिसर, शाखा, प्रशासनिक भवनों में अग्नि सुरक्षा और एटीएम सुरक्षा, करेंसी चेस्ट और पारगमन में नकदी की सुरक्षा, परिसर की विद्युत सुरक्षा आदि शामिल है। सुरक्षित और स्वस्थ कार्यस्थल सुनिश्चित करने के लिए बैंक ने अग्नि सुरक्षा नीति, शारीरिक सुरक्षा नीति आदि जैसी विभिन्न नीतियां बनाई है।
- बैंक अग्नि सुरक्षा उपकरण और सीसीटीवी निगरानी स्थापित करके कार्यस्थल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उपाय करता है। बैंक की नीति दिसानिर्देशों के अनुसार अग्निशमन अधिकारियों द्वारा नियमित लेखापरीक्षा आयोजित करके इसे सुनिश्चित किया जाता है। इसके अलावा, बैंक ने स्वतंत्र लेखापरीक्षकों से नियमित अंतराल पर अपने सभी परिसरों का विद्युतीय ऑडिट कराने के लिए अनिवार्य दिशानिर्देश बनाए हैं।
- भौतिक सुरक्षा नीति का उद्देश्य नकदी हानि की घटनाओं, दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं और प्राकृतिक आपदा के प्रभाव को कम करके बैंक की सभी शाखाओं और कार्यालयों को एक सुरक्षित वातावरण प्रदान करना है।
- स्वस्थ कार्यस्थल के लिए बैंक ने बैंक के मुख्यालय, प्रशिक्षण केन्द्र आदि प्रमुख भवनों में जिम सुविधाएं और मनोरंजन सुविधाएं स्थापित की हैं। कार्यालय परिसर में बेहतर वायु गुणवत्ता के लिए, बैंक के परिसर उचित वेंटिलेशन सुविधाओं से सुसज्जित हैं।

Bank has engaged 2 experienced Psychologists/Wellness Teleconsultants centrally i.e. one psychologist for offering post maternity leave teleconsulting for women employees returning to work post maternity break and one psychologist for all employees.

**11. Details of safety related incidents, in the following format:**

| Safety Incident/Number | Category | FY 2024-25 | FY 2023-24 |
|---|---|---|---|
| Lost Time Injury Frequency Rate (LTIFR) (per one million-person hours worked) | Employees | 0.00 | 1.48^ |
| | Workers | NA | NA |
| Total recordable work-related injuries | Employees | 0.00 | 4.00* |
| | Workers | NA | NA |
| No. of fatalities | Employees | Nil | Nil |
| | Workers | NA | NA |
| High consequence work-related injury or ill-health (excluding fatalities) | Employees | Nil | Nil |
| | Workers | NA | NA |

*^ Assuming minimum of 250 working days per annum. Work hours have been based on average consumer dealing time in a bank*

** 1 Employee out of 4 availed the leaves of 38 days in 2023-24.*

- As the Banking industry is a service industry and no work is being done on construction sites, there may be very rare incidents of fatalities or injuries that take place while working in the Bank.
- Further, the Bank is not required to maintain such data.

**12. Describe the measures taken by the entity to ensure a safe and healthy work place.**

- The Bank recognizes that safe and healthy workplace is integral to its success and growth. The major workplace safety related risks include fire safety at branches, administrative buildings and ATM security, security of currency chests and cash in transit, electrical safety of premises etc. To ensure safe and healthy workplace, bank has formulated various policies like the safety policy, physical security policy etc.
- The Bank takes measures to ensure safety of workplace by installation of Fire safety equipment and CCTV surveillance. The same is ensured by conducting regular audits by fire officers as per Bank's policy guidelines. Further, Bank has mandatory guidelines for Electrical audit of all its premises on regular intervals from independent auditors.
- The Physical Security Policy aims to provide a safe and secure environment to all the Branches and Offices of the Bank by minimizing impact of cash loss incidents, unfortunate incidents and the natural disaster.
- For a healthier workplace, the Bank has setup Gym facilities and recreational facilities at major building like HO, training centres etc. of the Bank. For the improved air quality in the office premises, Bank's premises are equipped with proper ventilation facilities.

इसके अलावा, बैंक के पास शाखा परिवेश के संबंध में एक नीति है, जिसमे अपने सभी कर्मचारियों और ग्राहकों को सुविधा सुनिश्चित करने के लिए प्रदान की जाने वाली सुविधाएं शामिल है।

**13. कर्मचारियों और कामगारों द्वारा निम्नलिखित पर की गई शिकायतों की संख्याः**

| विवरण | वित्त वर्ष 2024-25 | | | वित्त वर्ष 2023-24 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | वर्ष के दौरान दायर की गई | वर्ष के अंत में लंबित समाधान | टिप्पणियां | वर्ष के दौरान दायर की गई | वर्ष के अंत में लंबित समाधान | टिप्पणियां |
| कार्य परिस्थितियां<br>स्वास्थ्य और सुरक्षा | "पीएनबी समाधान" बैंक के कर्मचारियों द्वारा सामना की जाने वाली विभिन्न शिकायतों/समस्याओं के निवारण के लिए एक औपचारिक मंच है, जिसमें सेवारत स्टाफ सदस्यों द्वारा सामना की जाने वाली सभी कार्य–संबंधी और व्यक्तिगत समस्याएं शामिल हैं। यदि कर्मचारियों को लगता है कि नियमों का उल्लंघन हुआ है या अन्याय या उत्पीड़न का स्पष्ट मामला है, तो अन्य मामलों पर विचार किया जा सकता है। यह भलीभाँति सुव्यवस्थित प्रक्रिया है और प्राप्त सभी शिकायतों का निवारण बैंक के दिशा–निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार तय समय सीमा में संबंधित प्राधिकारी द्वारा किया जाता है। | | | | | |

**14. वर्ष के लिए मूल्यांकनः**

| विवरण | आपके संयंत्रों और कार्यालयों का % जिसका मूल्यांकन किया गया (इकाई या वैधानिक प्राधिकरणों या तृतीय पक्ष द्वारा) |
|---|---|
| स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रथाएँ | 100% शाखाओं का विद्युतीय लेखापरीक्षा स्वतंत्र लेखा परीक्षकों से 2 वर्ष की अवधि में एक बार कराया जाता है। |
| कार्य परिस्थितियां | सभी शाखाओं के माहौल का मूल्यांकन इकाई द्वारा किया जाता है तथा मूल्यांकन से प्राप्त टिप्पणियों के समाधान के लिए बैंक के आंतरिक पोर्टल के माध्यम से उपाय किए जाते हैं। |

**15. सुरक्षा संबंधी घटनाओं (यदि कोई हो) के समाधान के लिए की गई या चल रही किसी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें तथा स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रथाओं और कार्य स्थितियों के आकलन से उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण जोखिमोंधचिंताओं का विवरण प्रदान करें।**

अपने स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के भाग के रूप में, बैंक नियमित रूप से जोखिमों का आकलन करता है और सुरक्षा संबंधी घटनाओं और उभरती चिंताओं को दूर करने के लिए सुधारात्मक और निवारक कार्रवाई लागू करता है। हालाँकि, बैंकिंग क्षेत्र आमतौर पर भौतिक खतरों के मामले में कम जोखिम वाला उद्योग है, लेकिन बैंक कर्मचारी कल्याण, कार्यस्थल सुरक्षा और आपातकालीन तैयारियों से संबंधित परिचालन जोखिमों की पहचान करने में सतर्क रहता है।

बैंक नियमित रूप से अपने कर्मचारियों को आग जैसी घटनाओं के दौरान सुरक्षित निकासी, अग्निशामक उपकरणों के संचालन आदि के बारे में जानकारी देता है और उन्हें प्रशिक्षण प्रदान करता है। बैंक के कार्यालय अग्नि सुरक्षा उपकरणों से सुसज्जित हैं और यह सुनिश्चित करने के लिए नियमित रूप से ऑडिट किया जाता है कि ऐसी कोई घटना न घटे।

Further, Bank has a policy in respect of Branch Ambience, which includes the amenities to be provided for ensuring convenience to all its employees and customers.

**13. Number of Complaints on the following made by employees and workers:**

| Details | FY 2024-25 | | | FY 2023-24 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Filed during the year | Pending resolution at the end of year | Remarks | Filed during the year | Pending resolution at the end of year | Remarks |
| Working Conditions<br>Health & Safety | "PNB SAMADHAAN" a formal platform for redressal of various grievances/ problems faced by the employees of the Bank, which covers all work related and personal problems faced by serving staff members. Other matters may be considered if the employees feel there is violation of rules or that there is a clear cut case of injustice or victimization. This is well streamlined process and all grievances received are redressed by the respective authority within TAT as per provisions of Bank's guidelines. | | | | | |

**14. Assessments for the year:**

| Particulars | % of your plants and offices that were assessed (by entity or statutory authorities or third parties) |
|---|---|
| Health and safety practices | The Electrical audit of 100% of branches is conducted once in period of 2 years by the independent auditors. |
| Working Conditions | The ambience of all the branches is assessed by the entity and measures are taken to address the observations from assessment through an internal portal of the Bank. |

**15. Provide details of any corrective action taken or underway to address safety-related incidents (if any) and on significant risks / concerns arising from assessments of health & safety practices and working conditions.**

As part of its health & safety management system, the bank regularly assesses risks and implements corrective and preventive actions to address safety related incidents and emerging concerns. Although, the Banking sector is typically a low risk industry in terms of physical hazards, the Bank remains vigilant in identifying operational risks related to employee wellbeing, workplace safety, and emergency preparedness.

The Bank regularly communicates and provides training to its employees regarding safe evacuation, operating of fire extinguisher equipments etc. during instances such as fire. Further, the Bank's offices are equipped with fire safety instrument and regular audit is done to ensure that no such incidents happen.

## नेतृत्व संकेतक

1. **नेतृत्व संकेतकक्या संस्था (ए) कर्मचारियों (हां) (बी) कामगारों (हां) की मृत्यु की स्थिति में कोई जीवन बीमा या कोई प्रतिपूरक पैकेज प्रदान करती है।**

   हां, बैंक मृतक कर्मचारी के परिजनों को एकमुश्त अनुग्रह राशि का भुगतान करता है। मृतक कर्मचारी के जीवनसाथीध्आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति की पेशकश की जाती है। कर्मचारी के सेवांत लाभों का निपटान प्राथमिकता के आधार पर किया जाता है।

2. **यह सुनिश्चित करने के लिए कि मूल्य श्रृंखला भागीदारों द्वारा वैधानिक बकाया राशि काट ली गई है और जमा कर दी गई है, इकाई द्वारा किए गए उपायों की जानकारी प्रदान करें।**

   लागू नहीं

3. **ऐसे कर्मचारियों / कामगारों की संख्या बताएं, जिन्हें गंभीर परिणाम वाली कार्य–संबंधित चोट / बीमारी / मृत्यु (जैसा कि ऊपर आवश्यक संकेतकों के प्रश्न 11 में बताया गया है) का सामना करना पड़ा है, जिनका पुनर्वास किया गया है और उन्हें उपयुक्त रोजगार प्रदान किया गया है या जिनके परिवार के सदस्यों को उपयुक्त रोजगार प्रदान किया गया:**

| विवरण | प्रभावित कर्मचारियों / कामगारों की कुल संख्या | | उन कर्मचारियों / कामगारों की संख्या जिन्हें पुनर्वासित किया गया है या जिनके परिवार के सदस्यों को उपयुक्त रोजगार प्रदान किया गया है | |
|---|---|---|---|---|
| | वित्त वर्ष 2024-25 | वित्त वर्ष 2023-24 | वित्त वर्ष 2024-25 | वित्त वर्ष 2023-24 |
| कार्मिक / कामगार | शून्य | 4* | शून्य | शून्य |

**डकैती और लूट का विरोध करते हुए घायल हुए कर्मचारियों को सम्मानित किया गया है और वे अब अपनी ड्यूटी पर वापस लौट आए हैं।*

4. **क्या संस्था सेवानिवृत्ति या रोजगार की समाप्ति के परिणामस्वरूप निरंतर रोजगार प्रदान करने और आजीविका के समाप्ति के प्रबंधन की सुविधा के लिए ट्रांजिशन सहायता कार्यक्रम प्रदान करती है? (हां / नहीं)**

   हां, सेवानिवृत्ति के अंतिम महीने में सेवानिवृत्ति के कगार पर खड़े सभी कर्मचारियों को ट्रांजिशन सहायता प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। तदनुसार, वित्त वर्ष 2024–25 में सेवानिवृत्ति होने वाले 1,528 कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। इस प्रशिक्षण में सेवानिवृत्ति के प्रबंधन के साथ–साथ बैंक के भीतर और बैंक के बाहर मौजूद अवसरों पर भी सत्र शामिल थे।

5. **मूल्य श्रृंखला साझेदारों के मूल्यांकन पर विवरण:**

| | मूल्य शृंखला साझेदारों का % (ऐसे साझेदारों के साथ किए गए कारोबार के मूल्य के अनुसार) जिनका मूल्यांकन किया गया |
|---|---|
| स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रथाएँ | लागू नहीं |
| कार्य परिस्थितियाँ | |

6. **मूल्य श्रृंखला भागीदारों के स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रथाओं और कार्य परिस्थितियों के आकलन से उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण जोखिमोंध्चिंताओं को दूर करने के लिए किए गए या चल रहे किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।**

   लागू नहीं

## LEADERSHIP INDICATORS

1. **Does the entity extend any life insurance or any compensatory package in the event of death of (A) Employees (Yes/No) (B) Workers (Yes/No).**

   Yes, the Bank offers Payment of Lump sum Ex-gratia amount to the kins of the deceased employee. Compassionate Appointment is offered to the spouse/dependent of the deceased employee. Terminal benefits of the employee are settled on a priority basis.

2. **Provide the measures undertaken by the entity to ensure that statutory dues have been deducted and deposited by the value chain partners.**

   Not Applicable

3. **Provide the number of employees / workers having suffered high consequence work related injury / ill-health / fatalities (as reported in Q11 of Essential Indicators above), who have been rehabilitated and placed in suitable employment or whose family members have been placed in suitable employment:**

| Particulars | Total no. of affected employees/ workers | | No. of employees/ workers that are rehabilitated or whose family members have been placed in suitable employment | |
|---|---|---|---|---|
| | FY 2024-25 | FY 2023-24 | FY 2024-25 | FY 2023-24 |
| Employees/workers | Nil | 4* | Nil | Nil |

**Employees who have got injured while resisting dacoity and robbery. They have been appropriately rewarded and have resumed their duties.*

4. **Does the entity provide transition assistance programs to facilitate continued employability and the management of career endings resulting from retirement or termination of employment? (Yes/No)**

   Yes, transition assistance training is provided to all the employees on verge of retirement in the last month of their retirement. Accordingly, 1,528 employees were provided training on verge of retirement in FY 2024-25. This training included sessions on managing the retirement as well as opportunities' that exist within bank and outside bank as well.

5. **Details on assessment of value chain partners:**

| | % of value chain partners (by value of business done with such partners) that were assessed |
|---|---|
| Health and safety practices | NA |
| Working Conditions | |

6. **Provide details of any corrective actions taken or underway to address significant risks / concerns arising from assessments of health and safety practices and working conditions of value chain partners.**

   Not Applicable

**सिद्धांत 4: कारोबार को अपने सभी हितधारकों के हितों का सम्मान करना चाहिए और उनके प्रति उत्तरदायी होना चाहिए।**

<u>आवश्यक संकेतक</u>

1. **इकाई के प्रमुख हितधारक समूहों की पहचान करने की प्रक्रियाओं का वर्णन करें।**

   हितधारकों की पहचान करने के लिए कोई निर्धारित प्रक्रिया नहीं है।

   हितधारकों की पहचान बैंक द्वारा संबंधों, अंतःक्रियाओं और कारोबार के प्रदर्शन, बैंक संचालन और कारोबार पर पड़ने वाले उनके मूल्य संवर्धन पर पड़ने वाले प्रभाव के आधार पर की गई है। एक बैंक एक परस्पर जुड़े हुए विश्व में काम करता है और इसके हितधारकों पर इसकी गतिविधियों के प्रभाव को समझना महत्वपूर्ण है।

   हमारे बैंक के प्रमुख हितधारक समूहों में मुख्य रूप से शेयरधारक, ग्राहक, कर्मचारी, निवेशक, भारत सरकार, नियामक और समुदाय शामिल हैं। बैंक का कार्य हितधारकों को सहायता करना और बैंक के संचालन और प्रदर्शन के लिए प्रासंगिक क्षेत्रों में हितधारकों को शामिल करना है। हितधारकों के समूहों के साथ नियमित चर्चा की जाती है ताकि उनकी अपेक्षाओं का मूल्यांकन किया जा सके और उन्हें कुशल तरीके प्रभावी तरीके से पूरा किया जा सके।

   पीएनबी अपने सभी हितधारकों को असाधारण बैंकिंग सेवाएं और रिटर्न प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

2. **अपनी इकाई के लिए महत्वपूर्ण माने जाने वाले हितधारक समूहों की सूची बनाएं और प्रत्येक हितधारक समूह के साथ व्यवसाय की आवृत्ति।**

| हितधारक समूह | क्या कमजोर एवं वंचित समूह के रूप में पहचाना गया है (हां/नहीं) | संचार के चैनल (ईमेल, एसएमएस, समाचार पत्र, पैम्फलेट, विज्ञापन, सामुदायिक बैठकें, नोटिस बोर्ड, वेबसाइट), अन्य | कारोबार की आवृत्ति (वार्षिक/छमाही/तिमाही/अन्य – कृपया उल्लेख करें) | कारोबार के दौरान उठाए गए प्रमुख विषयों और चिंताओं सहित कारोबार का उद्देश्य और दायरा |
|---|---|---|---|---|
| शेयरधारकों | नहीं | ईमेल, समाचार पत्र, पत्र, नोटिस, वेबसाइट, स्टॉक एक्सचेंज प्रकटीकरण, वेबकास्ट/ऑडियो कॉल, निवेशक सम्मेलन, आम बैठकें | तिमाही/आवश्यकता के आधार पर | • लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों के लिए अनुमोदन,<br>• लाभांश की घोषणा,<br>• शेयरधारकों के निदेशक का चुनाव,<br>• इक्विटी पूंजी जुटाना।<br>• निवेशकों/विश्लेषकों आदि के साथ बातचीत,<br>आम बैठकों के दौरान उठाए गए प्रश्नों/चिंताओं का समयबद्ध तरीके से समाधान किया जाता है। |
| कार्मिक | हां, कर्मचारियों का निम्नलिखित समूहः– विशेष योग्यता वाले कर्मचारी | आंतरिक संचार जैसे ईमेल और परिपत्र, वेबिनार, टाउनहॉल बैठकें, क्षेत्रीय प्रबंधकों के सम्मेलन, समाधान पोर्टल, वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा संबोधन, समाचार पत्र और प्रकाशन | निरंतर | कर्मचारियों की अपेक्षाओं को समझना और उन्हें संबोधित करना, साथ ही कर्मचारियों को प्रबंधन की अपेक्षाओं से अवगत कराना। इसके अतिरिक्त यह कर्मचारियों के विभिन्न मुद्दों को उचित तरीके से हल करने का भी प्रयास करता है। |
| ग्राहक | हां, विशेष रूप से ग्राहकों के निम्नलिखित समूहः– वरिष्ठ नागरिक, विशेष योग्यता वाले नागरिक। | ईमेल, समाचार पत्र, पत्र, वेबसाइट | दैनिक/लगातार | बेहतर सेवाएँ और विपणन |
| सरकार | नहीं | ईमेल, पत्र, बैठकें | आवश्यकता के आधार पर | बैंक का प्रदर्शन। दिशा–निर्देशों का अनुपालन |
| विनियामक | नहीं | ईमेल, पत्र, बैठकें, ऑफसाइट और ऑनसाइट निगरानी | आवश्यकता के आधार पर | बैंक का प्रदर्शन। दिशा–निर्देशों का अनुपालन |

<u>नेतृत्व संकेतक</u>

1. **हितधारकों और बोर्ड के बीच आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक विषयों पर परामर्श के लिए प्रक्रियाएं प्रदान करें या यदि प्रत्यायोजित किया जाता है, तो ऐसे परामर्शों से फीडबैक बोर्ड को कैसे प्रदान किया जाता है।**

**PRINCIPLE 4: Businesses should respect the interests of and be responsive to all its stakeholders**

**ESSENTIAL INDICATORS**

**1. Describe the processes for identifying key stakeholder groups of the entity.**

There is no defined process to identify stakeholders.

The stakeholders have been identified by the bank on the basis of relationships, interactions and impact they have on the business performance, bank operations and their value addition to the business. A bank operates in an inter-connected world and it is significant to understand the impact of its activities on its stakeholders and vice versa.

The key stakeholder groups of our Bank majorly comprise of shareholders, customers, employees, Investors, Government of India, Regulators and Community. The Bank's role is to aid and engage with the stakeholders in areas which are relevant for operations and performance of the bank. Regular interactions are undertaken with the stakeholder groups to evaluate and address their expectations in an efficient manner.

PNB is committed to provide exceptional Banking services and returns to all its Stakeholders.

**2. List stakeholder groups identified as key for your entity and the frequency of engagement with each stakeholder group.**

| Stakeholder Group | Whether identified as Vulnerable & Marginalized Group (Yes/No) | Channels of communication (Email, SMS, Newspaper, Pamphlets, Advertisement, Community Meetings, Notice Board, Website), Other | Frequency of engagement (Annually/ Half yearly/ Quarterly / others – please specify) | Purpose and scope of engagement including key topics and concerns raised during such engagement |
|---|---|---|---|---|
| Shareholders | No | Emails, Newspapers, Letters, Notices, Website, Stock Exchange Disclosures, Webcast/Audio Calls, Investor Conferences, General Meetings | Quarterly/Need Basis | • Approval for the Audited Financial Results,<br>• Declaration of Dividend,<br>• Election of Shareholders' Director,<br>• Raising of Equity Capital.<br>• Interactions with Investors/Analysts etc.,<br>The queries/ concern raised during the General Meetings are addressed in a time bound manner. |
| Employees | Yes, the following group of employee: employees with special abilities | Internal communication like emails and circulars, webinars, townhall meetings, Zonal Managers' Conferences, SAMADHAAN Portal, address by Senior Management, Newsletters & Publications | Regular Basis | To address and learn the expectations of employees while also communicating management's expectations to employees. Additionally it also seeks to resolve various issues of employees suitably. |
| Customers | Yes, especially the following group of customer:-<br>Senior Citizens, people with special abilities. | Emails, Newspapers, Letters, Website | Daily/Continuous | Better services and marketing |
| Government | No | Emails, Letters, Meetings | Need Basis | Performance of the Bank. Compliance of guidelines |
| Regulator | No | Emails, Letters, Meetings, Offsite and Onsite monitoring | Need Basis | Performance of the Bank. Compliance of guidelines |

**LEADERSHIP INDICATORS**

**1. Provide the processes for consultation between stakeholders and the Board on economic, environmental, and social topics or if consultation is delegated, how is feedback from such consultations provided to the Board.**

बैंक ग्राहक प्रतिक्रिया, कर्मचारी सर्वेक्षण, विक्रेता बैठकें और सीएसआर परामर्श जैसे संरचित तंत्रों के माध्यम से समय–समय पर हितधारक सहभागिता आयोजित करता है। इन सहभागिता आयोजनों से प्राप्त तथ्यों को संबंधित फंक्शनल टीमों द्वारा संकलित किया जाता है और तिमाही ईएसजी/सीएसआर अपडेट और जोखिम रिपोर्ट के माध्यम से बोर्ड को भेजा जाता है। कर्मचारी कल्याण, जलवायु–संबंधी जोखिम और सामाजिक प्रभाव जैसे प्रमुख मुद्दों की समीक्षा बोर्ड या संबंधित समितियों (जैसे, सीएसआर समिति, जोखिम प्रबंधन समिति) द्वारा रणनीतिक कार्यों का मार्गदर्शन करने के लिए की जाती है।

आम बैठकों में शेयरधारकों के साथ कार्यसूची मदों जैसे लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों की स्वीकृति, लाभांश की घोषणा, इक्विटी पूंजी जुटाना, शेयरधारक निदेशक का चुनाव आदि पर चर्चा भी की जाती है, जिसमें बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष, हितधारक संबंध समिति और नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति सहित बैंक के निदेशक भी मौजूद होते हैं और शेयरधारकों से प्राप्त फीडबैक को रिकॉर्ड में लिया जाता है।

विनियामकों को महत्वपूर्ण हितधारकों के रूप में मान्यता देते हुए, बैंक बैठकों, सम्मेलनों और लिखित संचार जैसे संरचित चौनलों के माध्यम से संवाद स्थापित करता है। ये चर्चाएं नए शुरू किए गए विनियमों, अनुपालन आवश्यकताओं और आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय क्षेत्रों में व्यापक मुद्दों पर खुली बातचीत को बढ़ावा देती है। विनियामक प्राधिकरणों (जैसे, RBI,SEBI) के साथ महत्वपूर्ण बैठकों या चर्चाओं का दस्तावेजीकरण किया जाता है, और निगरानी और निर्देश के लिए प्रमुख कार्रवाई बिंदुओं को बोर्ड के साथ साझा किया जाता है।

बैंक अपने कर्मचारियों के साथ खुला संवाद बनाए रखता है और कर्मचारी सर्वेक्षण, टाउन हॉल मीटिंग, आंतरिक संचार पोर्टल और ईमेल जैसे कई चौनलों के माध्यम से सक्रिय रूप से फीडबैक को प्रोत्साहित करता है। सभी सुझावों और चिंताओं का उचित संगठनात्मक स्तरों पर दस्तावेजीकरण और चर्चा की जाती है। जहाँ संभव हो, प्रासंगिक सिफारिशों पर कार्रवाई की जाती है, जिससे निरंतर सुधार और समावेशिता की संस्कृति में योगदान मिलता है।

बैंक अपने ग्राहकों की बदलती जरूरतों को भी समझता है और विभिन्न चौनलों पर लेन–देन में आसानी के लिए ग्राहकों की पसंद को पूरा करने के लिए नए उत्पाद पेश करता है। बैंक शाखाओं के दौरे, सर्वेक्षण, क्यूआर फीडबैक सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से शिकायतों और अन्य मामलों के बारे में ग्राहकों से चर्चा करता है।

2. **क्या पर्यावरण और सामाजिक विषयों की पहचान और प्रबंधन में सहायता के लिए हितधारकों से परामर्श का उपयोग किया जाता है (हां/नहीं)। यदि हां, तो ऐसे उदाहरणों का विवरण प्रदान करें कि इन विषयों पर हितधारकों से प्राप्त इनपुट को इकाई की नीतियों और गतिविधियों में कैसे शामिल किया गया।**

हां, पर्यावरण और सामाजिक विषयों की पहचान और प्रबंधन में सहायता के लिए हितधारक परामर्श का उपयोग किया जाता है। बैंक अपने हितधारकों के लिए सबसे प्रासंगिक पर्यावरण और सामाजिक विषयों की पहचान करने और नीतियों और कार्यक्रमों के नियमित अपडेट के माध्यम से उन्हें संबोधित करने के लिए निरंतर आधार पर अपने प्रमुख हितधारकों के साथ जुड़ता है।

इस संरचित सहभागिता के माध्यम से, बैंक **संभावित ईएसजी जोखिमों और अवसरों का आकलन करने में भी सक्षम** रहा है, जिससे बैंक उत्तरदायी रणनीतियों को विकसित करने में सक्षम हुआ है, जो नकारात्मक प्रभावों को कम करते हैं और सकारात्मक परिणामों को बढ़ाते हैं।

The Bank conducts periodic stakeholder engagement through structured mechanisms like customer feedback, employee surveys, vendor meetings, and CSR consultations. Insights from these engagements are compiled by the respective functional teams and escalated to the Board through quarterly ESG/CSR updates and risk reports. Key issues such as employee well-being, climate-related risks, and social impact are reviewed by the Board or relevant committees (e.g., CSR Committee, Risk Management Committee) to guide strategic actions.

Interactions are held with the shareholders on agenda items viz. approval of the Audited Financial Results, Declaration of Dividend, Raising of Equity Capital, Election of Shareholder Director, etc., at the General Meetings wherein the Directors of the Bank including the Chairman of Audit Committee of the Board, Stakeholders Relationship Committee and the Nomination & Remuneration Committee are also present and the feedback received from the shareholders is taken on record.

Recognizing regulators as vital stakeholders, the Bank engages with them through structured channels such as meetings, conferences and written communications. These interactions foster open dialogue on newly introduced regulations, compliance requirements and broader issues spanning economic, social, and environmental domains. Significant meetings or interactions with regulatory authorities (e.g., RBI, SEBI) are documented, and key action points are shared with the Board for oversight and direction.

The Bank maintains open lines of communication with its employees and actively encourages feedback through multiple channels such as employee surveys, town hall meetings, internal communication portals, and emails. All suggestions and concerns are documented and discussed at appropriate organizational levels. Where feasible, relevant recommendations are acted upon, contributing to a culture of continuous improvement and inclusivity.

The Bank is also cognizant of the evolving needs of its customers and offers new products to cater to customers' preference for ease of transactions across channels. The Bank interacts with customers regarding grievances and other matters through branch visits, surveys, QR Feedback system and social media platforms.

2. **Whether stakeholder consultation is used to support the identification and management of environmental, and social topics (Yes / No). If so, provide details of instances as to how the inputs received from stakeholders on these topics were incorporated into policies and activities of the entity.**

Yes, stakeholder consultation is used to support the identification and management of environmental, and social topics. Bank engages with its key stakeholders on an ongoing basis to identify the most relevant environmental and social topics of interest to its stakeholders and address them through regular updates to policies and programs.

Through this structured engagement, the Bank has also been able to **assess potential ESG risks and opportunities,** enabling the Bank to develop responsive strategies that mitigate negative impacts and enhance positive outcomes.

हितधारकों के इनपुट के आधार पर, बैंक ने नवीकरणीय ऊर्जा और टिकाऊ बुनियादी ढांचे में परियोजनाओं के समर्थन के लिए **हरित वित्तपोषण समाधान** प्रस्तुत किए।

वंचित समुदायों से प्राप्त फीडबैक के परिणामस्वरूप **वित्तीय समावेशन पहल** को बढ़ावा मिला, जिसमें सरलीकृत डिजिटल बैंकिंग सेवाएं और वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम शामिल हैं।

कर्मचारियों के फीडबैक से बैंक की **समान अवसर नीति** को मजबूत बनाने तथा अधिक समावेशी और विस्तृत कार्यस्थल को बढ़ावा देने में मदद मिली।

**3. कमजोर/वंचित हितधारक समूहों की चिंताओं को दूर करने के लिए की गई कार्रवाई और उनके साथ संबद्धता के उदाहरणों का विवरण दें।**

बैंक समाज के वंचित, बैंकिंग सेवाओं से रहित और आर्थिक रूप से उपेक्षित वर्गों की मदद करता है जिससे वे अर्थव्यवस्था में अपना योगदान दे सकें। इन वंचित वर्गों को सशक्त बनाने और उनके सामाजिक और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए वित्तीय सेवाओं तक पहुँच अत्यंत महत्वपूर्ण है।

बैंक ने वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग ग्राहकों के लिए डोरस्टेप बैंकिंग सुविधा शुरू की है।

बैंक लगातार यह प्रयास कर रहा है कि उसके सभी कार्यालयध्शाखाएँ दिव्यांगजनों (कर्मचारी और ग्राहक दोनों) के लिए बिना किसी असुविधा के सुलभ हों, इसके लिए बैंक रैंप सुविधा और दिव्यांगों के अनुकूल सुविधाएँ सुनिश्चित करता है। साथ ही, बैंक दृष्टिबाधित ग्राहकों के लिए पीएनबी अन्तः दृष्टि नामक ब्रेल डेबिट कार्ड भी प्रदान करता है। इस कार्ड पर ब्रेल लिपि में डॉट्स उभरे हुए हैं, जिससे ग्राहक बैंक और अपने कार्ड की पहचान कर सकते हैं। जबकि कार्ड में ब्रेल लिपि की विशेषताएँ हैं, पीएनबी एटीएम अपने उपयोगकर्ताओं को मार्गदर्शन करने के लिए संख्यात्मक कुंजियों और परिचालन कुंजियों जैसे कि 'एंटर', 'कैंसल' और 'क्लियर' पर उभरे हुए चिह्नों सहित मानक कीपैड के साथ हैं।

बैंक वित्तीय समावेशन को बढ़ाने के लिए अपनी अपरिहार्य भूमिका को समझता है। बैंक भारत भर में अपनी उपस्थिति का विस्तार करने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है, खासकर दूरदराज के इलाकों और बैंकिंग सेवाओं से वंचित क्षेत्रों में। बैंक अपनी शाखाओं और बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट के मजबूत नेटवर्क का लाभ उठाकर वित्तीय समावेशन के लिए सरकारी पहलों का समर्थन करता रहा है।

बैंक ने 12 किसान प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए हैं जो किसानों को कृषि और संबद्ध गतिविधियों जैसे जैविक खेती, उर्वरक प्रबंधन, मधुमक्खी पालन, डेयरी फार्मिंग आदि पर प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं। बैंक ने वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान इसके तहत 1002.38 लाख रुपये व्यय किए। ग्रामीण विकास मंत्रालय (MoRD) के तत्वावधान में 78 RSETI और भारत में 2 ग्रामीण विकास केंद्र (PNB पहल) संचालित हैं जो ग्रामीण आबादी और उनके परिवारों को स्वरोजगार उपक्रम/नौकरी शुरू करने हेतु कौशल उन्नयन के लिए प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं। वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान, इन केंद्रों में 79,989 व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया, जिनमें से 65,636 गरीबी रेखा से नीचे (BPL) परिवारों के हैं और 63,535 महिलाएं थीं। हमारे RSETI समावेशी विकास के लिए पर्याप्त ऋण सुनिश्चित करके प्रतिभागियों के निपटान पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।

बैंक के पास 175 वित्तीय साक्षरता केंद्र (एफएलसी) हैं जो वित्तीय शिक्षा, निवारक परामर्श और ग्राहक अधिकारों पर कई सेमिनार/कार्यक्रम/शिविर आयोजित करते हैं। एफएलसी द्वारा संचालित कार्यक्रमों के लक्ष्य समूह किसान, स्वयं सहायता समूह, सूक्ष्म और लघु उद्यमी, वरिष्ठ नागरिक आदि हैं।

Based on stakeholder input, the Bank introduced **green financing solutions** to support projects in renewable energy and sustainable infrastructure.

Feedback from underserved communities led to **enhanced financial inclusion** initiatives, including simplified digital banking services and financial literacy programs.

Employee feedback helped strengthen the Bank's **Equal Opportunity Policy** and promote a more inclusive and diverse workplace.

**3. Provide details of instances of engagement with, and actions taken to, address the concerns of vulnerable/ marginalized stakeholder groups.**

Bank helps the marginalized, unbanked and financially excluded sections of the society to enable them to contribute their share to the economy. Access to financial services is of utmost importance to strengthen these marginalized sections and make a significant contribution to their social and economic development.

Bank extends Doorstep Banking facility for senior citizens and differently abled customers.

The Bank is continuously making efforts that all its offices/ branches are accessible without any inconvenience to Divyangjans (both employees and customers), by ensuring ramp facility and disabled friendly amenities. Also, Bank offers a Braille Debit Card called the PNB ANTAH DRISHTI for visually impaired customers. This card has Braille dots embossed on it to help customers identify the bank and their card. While the card itself has Braille features, PNB ATMs are equipped with standard keypads with raised markings on the numerical keys and operational keys like "enter," "cancel," and "clear," to guide its users.

The Bank has established 12 Farmers Training Centres which provide training on agriculture & allied activities which include organic farming, fertilizer management, bee keeping, dairy farming, etc. to the farmers. The Bank spent Rs. 1002.38 Lakh under this during FY 2024-25. There are 78 RSETIs under aegis of Ministry of Rural Development (MoRD) and 2 Rural Development Centres (PNB initiatives) operating in India which are engaged in providing training to rural population and their families for skill upgradation to undertake self-employment ventures/jobs. During the FY 2024-25, 79,989 persons were trained in these centers out of which 65,636 belong to Below Poverty Line (BPL) families and 63,535 were women. Our RSETIs are focusing for settlement of participants by ensuring adequate credit for inclusive growth.

The Bank has 175 Financial Literacy Centers (FLCs) conducting number of seminars/programmes/camps on Financial Education, Preventive Counselling and Customer Rights. The Target groups of the programmes conducted by FLCs are Farmers, Self Help Groups, Micro and Small Entrepreneurs, Senior Citizens etc.

## सिद्धांत 5 कारोबार को मानव अधिकारों का सम्मान करना चाहिए और उन्हें बढ़ावा देना चाहिए

**आवश्यक संकेतक**

1. कार्मिक और कामगार जिन्हें निम्नलिखित प्रारूप में मानवाधिकार मुद्दों और इकाई की नीति(यों) पर प्रशिक्षण प्रदान किया गया है:

| वर्ग | वित्त वर्ष 2024-25 | | | वित्त वर्ष 2023-24 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | कुल (ए) | कवर किए गए कार्मिकों/कामगारों की संख्या (बी) | % (बी/ए) | कुल (सी) | कवर नही किए गए कार्मिकों/कामगारों की संख्या (डी) | % (डी/सी) |
| **कार्मिक** | | | | | | |
| स्थायी | 102746 | 35673 | 34.72 | 102349 | 3061 | 3.00 |
| स्थायी के अलावा अन्य | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| **कुल कार्मिक** | 102746 | 35673 | 34.72 | 102349 | 3061 | 3.00 |
| **कामगार** | | | | | | |
| स्थायी | शून्य | | | | | |
| स्थायी के अलावा अन्य | | | | | | |
| **कुल कामगार** | | | | | | |

2. कर्मचारियों और श्रमिकों को भुगतान की जाने वाली न्यूनतम मजदूरी का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में है:

| वर्ग | वित्त वर्ष 2024-25 | | | | | वित्त वर्ष 2023-24 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | कुल (ए) | न्यूनतम वेतन के बराबर | | न्यूनतम वेतन से अधिक | | कुल (डी) | न्यूनतम वेतन के बराबर | | न्यूनतम वेतन से अधिक | |
| | | सं. (बी) | % (बी/ए) | सं. (सी) | % (सी/ए) | | सं. (बी) | % (बी/ए) | सं. (सी) | % (सी/ए) |
| **कार्मिक** | | | | | | | | | | |
| **स्थायी** | सभी कर्मचारियों को द्विपक्षीय समझौते/संयुक्त नोट के अनुसार भुगतान किया जाता है जो न्यूनतम मजदूरी से अधिक है। | | | | | | | | | |
| पुरुष | | | | | | | | | | |
| महिला | | | | | | | | | | |
| **स्थायी के अतिरक्त** | | | | | | | | | | |
| पुरुष | | | | | | | | | | |
| महिला | | | | | | | | | | |
| **कामगार** | | | | | | | | | | |
| **स्थायी** | लागू नहीं | | | | | | | | | |
| पुरुष | | | | | | | | | | |
| महिला | | | | | | | | | | |
| **स्थायी के अतिरक्त** | | | | | | | | | | |
| पुरुष | | | | | | | | | | |
| महिला | | | | | | | | | | |

## PRINCIPLE 5 Businesses should respect and promote human rights

**ESSENTIAL INDICATORS**

1. **Employees and workers who have been provided training on human rights issues and policy(ies) of the entity, in the following format:**

| Category | FY 2024-25 | | | FY 2023-24 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Total (A) | No. of employees / workers covered (B) | %(B/A) | Total (C) | No. Employees/ workers covered (D) | % (D/C) |
| **Employees** | | | | | | |
| Permanent | 102746 | 35673 | 34.72 | 102349 | 3061 | 3.00 |
| Other than permanent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| **Total Employees** | 102746 | 35673 | 34.72 | 102349 | 3061 | 3.00 |
| **Workers** | | | | | | |
| Permanent | Not Applicable | | | | | |
| Other than permanent | | | | | | |
| **Total Workers** | | | | | | |

2. **Details of minimum wages paid to employees and workers, in the following format:**

| Category | FY 2024-25 | | | | | FY 2024-25 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Total (A) | Equal to Minimum Wage | | More than minimum wage | | Total (D) | Equal to Minimum Wage | | More than minimum wage | |
| | | No. (B) | % (B/A) | No. (C) | % (C/A) | | No. (E) | % (E/D) | No. (F) | % (F/D) |
| **Employees** | | | | | | | | | | |
| **Permanent** | All Employees are paid in line with Bipartite Settlement/Joint Note which is more than minimum wages. | | | | | | | | | |
| Male | | | | | | | | | | |
| Female | | | | | | | | | | |
| **Other than permanent** | | | | | | | | | | |
| Male | | | | | | | | | | |
| Female | | | | | | | | | | |
| **Workers** | | | | | | | | | | |
| **Permanent** | Not Applicable | | | | | | | | | |
| Male | | | | | | | | | | |
| Female | | | | | | | | | | |
| **Other than permanent** | | | | | | | | | | |
| Male | | | | | | | | | | |
| Female | | | | | | | | | | |

**3. निम्नलिखित प्रारूप में पारिश्रमिक/वेतन/मजदूरी का विवरण:**

क. औसत पारिश्रमिक /मजदूरी

| | पुरुष | | महिला | |
|---|---|---|---|---|
| | सं. | संबंधित श्रेणी का औसत पारिश्रमिक /मजदूरी वेतन^ | सं. | संबंधित श्रेणी का औसत पारिश्रमिक /मजदूरी वेतन^ |
| निदेशक मण्डल (बीओडी)* | 5 | ₹ 22,60,000.00 | 1 | ₹ 14,25,000.00 |
| प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक# | 6 | ₹ 37,18,350.00 | 1 | ₹ 23,75,553.47 |
| निदेशक मण्डल और केएमपी के अलावा अन्य कार्मिक | 77,203 | ₹ 8,28,737.62 | 25541 | ₹ 7,72,052.41 |
| कामगार | लागू नही | | | |

*#केएमपी – क) प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी; ख) कार्यकारी निदेशक; ग) मुख्य वित्तीय अधिकारी; तथा घ) कंपनी सचिव*

*^मार्च 2025 तक बेसिक और डीए के आधार पर प्रति माह औसत वेतन*

**वर्ष 2024–25 के दौरान गैर–कार्यकारी निदेशकों को 31.03.2025 तक भुगतान की गई सिटिंग फीस के आधार पर*

ख. निम्नलिखित प्रारूप में संस्था द्वारा महिलाओं को दिए गए कुल वेतन के प्रतिशत के रूप में सकल वेतन:

| | वित्त वर्ष 2024-25 | वित्त वर्ष 2023-24 |
|---|---|---|
| कुल मजदूरी के % के रूप में महिलाओं को दिया गया सकल वेतन | 22.63% | 22.28% |

**4. क्या आपके पास कारोबार द्वारा मानवाधिकारों को प्रभावित करने या इसके कारण उत्पन्न या इससे जनित मुद्दों का समाधान करने के लिए कोई केन्द्रित बिन्दु (व्यक्तिगत/समिति) (हां/नहीं)**

हां, प्रधान कार्यालय–मानव संसाधन विकास (आरक्षण प्रकोष्ठ) में ऐसी शिकायतों का निपटारा किया जाता है।

**5. मानवाधिकार मामलों से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए आंतरिक तंत्र का वर्णन करें।**

बैंक के पास कार्मिकों के लिए एक ऑनलाइन शिकायत निवारण पोर्टल 'समाधान' है, जहाँ मानवाधिकार संबंधी शिकायतों सहित सभी शिकायतें की जा सकती हैं। बैंक के पास कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम, निषेध और निवारण, 'कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013' के प्रावधानों के कार्यान्वयन के संबंध में एक बेहतर स्थापित नीति है। इसके अलावा, बैंक के पास व्हिसल ब्लोअर नीति है, जो बैंक के किसी भी कर्मचारी के खिलाफ भ्रष्टाचार या शक्ति के इरादातन या विवेक के जानबूझकर दुरुपयोग के किसी भी आरोप से संबंधित संरक्षित प्रकटीकरण प्राप्त करने के लिए एक तंत्र स्थापित करती है। बैंक बाल या जबरन श्रम के सभी रूपों पर भी प्रतिबंध लगाता है।

बैंक ने कार्यस्थल पर किसी भी तरह के भेदभाव से बचने के लिए समान अवसर नीति भी स्थापित की है। यह भारत में स्थित पंजाब नेशनल बैंक की सभी शाखाओं/कार्यालयों पर लागू होगी और बैंक में सभी विकलांग व्यक्तियों को शामिल करेगी और जो अपनी

**3. Details of remuneration / salary / wages, in the following format:**

a. Median remuneration/wages

| | Male | | Female | |
|---|---|---|---|---|
| | No. | Median remuneration/ salary/ wages of respective category^ | No. | Median remuneration/ salary/ wages of respective category^ |
| Board of Directors (BoD)* | 5 | Rs.22,60,000.00 | 1 | Rs.14,25,000.00 |
| Key Managerial Personnel# | 6 | Rs.37,18,350.00 | 1 | Rs.23,75,553.47 |
| Employees other than BoD and KMP | 77,203 | Rs.8,28,737.62 | 25541 | Rs.7,72,052.41 |
| Workers | NA | | | |

*# KMP – a) the Managing Director & Chief Executive Officer; b) Executive Directors(s); c) Chief Financial Officer; and d) Company Secretary*

*^Annual median salary based on Basic and DA for FY 2024-25*

** based on the Sitting Fee paid to the Non-Executive Directors during the year 2024-25*

b. Gross wages paid to females as % of total wages paid by the entity, in the following format:

| | FY 2024-25 | FY 2023-24 |
|---|---|---|
| Gross Wages paid to females as % of total wages | 22.63% | 22.28% |

**4. Do you have a focal point (Individual/ Committee) responsible for addressing human rights impacts or issues caused or contributed to by the business? (Yes/No)**

Yes, Cell at HO-HRD (Reservation Cell) deals with such complaints.

**5. Describe the internal mechanisms in place to redress grievances related to human rights issues.**

The Bank has an online grievance redressal portal "Samadhaan" for employees where all complaints including Human rights related complaints may be made. The Bank has a well-established policy - The Policy for Prevention, Prohibition and Redressal of Sexual Harassment of Women at Work Place regarding implementation of the provisions of "The Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013." Also, the bank has Whistle Blower Policy to establish a mechanism to receive protected disclosure relating to any allegation of corruption or wilful misuse of power or wilful misuse of discretion against any employee of the bank. The bank also prohibits all forms of child or forced labour.

Bank has also established an Equal Opportunity Policy to avoid any kind of workplace discrimination. It shall be applicable to all Branches/ Offices of Punjab National Bank located in India and covers all persons with disability in the Bank and who acquire disability during their service period / work tenure.

सेवा अवधि/कार्य अवधि के दौरान विकलांग हुए हैं। यह नीति रोजगार के सभी पहलुओं पर लागू होती है जो भर्ती, प्रशिक्षण, कार्य स्थितियों, वेतन और भत्ते, कर्मचारी कल्याण, सुविधाओं और सुविधाओं, स्थानांतरण और पदस्थापन से लेकर सेवामुक्ति आदि तक होती है।

**6. कर्मचारियों और श्रमिकों द्वारा निम्नलिखित पर की गई शिकायतों की संख्या:**

| विवरण | वित्त वर्ष 2024-25 | | | वित्त वर्ष 2023-24 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | वर्ष के दौरान दर्ज की गई | वर्ष के अंत में लंबित समाधान | टिप्पणी | वर्ष के दौरान दर्ज की गई | वर्ष की समाप्ति पर लंबित समाधान | टिप्पणी |
| यौन उत्पीड़न | 24 | 6 | POSH अधिनियम 2013 के अनुसार आईसीसी जांच समय सीमा के भीतर प्रक्रियाधीन है | 29 | 7 | समाधान के बाद से |
| कार्यस्थल पर भेदभाव (विभिन्न आयोगों के माध्यम से प्राप्त) | 32 (2024 – कैलेंडर वर्ष*) | 0 | लागू नही | 50 (2023 – कैलेंडर वर्ष*) | 0 | लागू नहीं |
| बाल श्रम | शून्य | | | | | |
| जबरन श्रम/ अनैच्छिक श्रम | शून्य | | | | | |
| वेतन | शून्य | | | | | |
| अन्य मानव अधिकार संबंधित मामले | शून्य | | | | | |

** CY= कैलेंडर वर्ष*

**7. कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के अंतर्गत निम्नलिखित प्रारूप में दर्ज की गई शिकायतें:**

| | वित्त वर्ष 2024-25 | वित्त वर्ष 2023-24 |
|---|---|---|
| कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 (POSH) के अंतर्गत दर्ज कुल शिकायतें | 24 | 29 |
| POSH पर महिला कर्मचारियों/कामगारों की शिकायतों का प्रतिशत | 0.09% | 0.12% |
| POSH पर शिकायतें बरकरार रखी गईं | 9 | 10 |

**8. भेदभाव और उत्पीड़न के मामलों में शिकायतकर्ता को होने वाले प्रतिकूल परिणामों से बचाव के लिए तंत्र**

बैंक ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिक, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के कार्मिकों के हितों की रक्षा करने तथा भेदभाव और उत्पीड़न के कारण शिकायतकर्ता को होने वाले प्रतिकूल परिणामों को रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

- बैंक के कार्मिकों द्वारा सामना की जाने वाली विभिन्न शिकायतों/समस्याओं के निवारण हेतु एक औपचारिक मंच "पीएनबी समाधान" उपलब्ध है तथा सभी कार्मिकों को एचआरएमएस के माध्यम से ऑनलाइन अपनी शिकायतें/समस्याएं दर्ज करने में सक्षम बनाने के लिए एचआरएमएस में एक सुविधा प्रदान की गई है। पीएनबी समाधान में सेवारत कार्मिकों द्वारा सामना की जाने वाली सभी कार्य

The policy applies to all facets of employment that commences from recruitment, training, working conditions, salary and allowances, staff welfare, facilities and perquisites, transfer and deployment and up to Separation etc.

**6. Number of Complaints on the following made by employees and workers:**

| Category | FY 2024-25 | | | FY 2023-24 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Filed during the year | Pending resolution at the end of year | Remarks | Filed during the year | Pending resolution at the end of year | Remarks |
| Sexual Harassment | 24 | 6 | ICC Enquiry in under process within time line as per POSH Act 2013 | 29 | 7 | Since Resolved |
| Discrimination at workplace (Received through various Commissions) | 32 (2024 –CY*) | 0 | NA | 50 (2023 –CY*) | 0 | NA |
| Child Labour | Nil | | | | | |
| Forced Labour/ Involuntary Labour | Nil | | | | | |
| Wages | Nil | | | | | |
| Other human Rights related issues | Nil | | | | | |

**CY= Calendar Year*

**7. Complaints filed under the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013, in the following format:**

| Particulars | FY 2024-25 | FY 2023-24 |
|---|---|---|
| Total Complaints reported under Sexual Harassment on of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 (POSH) | 24 | 29 |
| Complaints on POSH as a % of female employees / workers | 0.09% | 0.12% |
| Complaints on POSH upheld | 9 | 10 |

**8. Mechanisms to prevent adverse consequences to the complainant in discrimination and harassment cases.**

Bank has undertaken following steps to safeguard interest of SC/ST/OBC/PwBD/Ex-SERVICEMEN/EWS employees and prevent adverse consequence to the complainant in discrimination and harassment:

- "PNB SAMADHAAN", a formal platform for redressal of various grievances/ problems faced by the employees of the Bank is available and a functionality has been provided in HRMS or all the employees to enable them to lodge their grievances/ complaints online through HRMS. PNB SAMADHAAN covers all work related and personal problems faced by serving staff members which have a

संबंधी और व्यक्तिगत समस्याओं को शामिल किया गया है, जिनका उनके काम पर असर पड़ता है। यदि कर्मचारियों को लगता है कि नियमों का उल्लंघन हुआ है या अन्याय या उत्पीड़न का स्पष्ट मामला है, तो अन्य मामलों पर विचार किया जा सकता है। इसमे कड़ी गोपनीयता बरती जाती है।

- प्रधान कार्यालय स्तर पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिक, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और दिव्यांग वर्ग के कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए महाप्रबंधक के पद पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए मुख्य संपर्क अधिकारी की नियुक्ति की गई है। इसके अलावा, मंडल कार्यालय के साथ–साथ क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर भी संपर्क अधिकारी नियुक्त किए गए हैं।
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के कर्मचारियों की शिकायतों पर गौर करने के लिए प्रत्येक मंडल कार्यालय/अंचल कार्यालय/प्रधान कार्यालय में आरक्षण सेल की स्थापना की गई है।
- मंडल कार्यालय/अंचल कार्यालय/प्रधान कार्यालय में यौन उत्पीड़न की शिकायतों पर गौर करने के लिए आंतरिक शिकायत समिति की स्थापना की गई है। बैंक यह भी सुनिश्चित करता है कि यौन उत्पीड़न की शिकायतों से निपटने के दौरान पीड़ित महिला या गवाहों को पीड़ित या भेदभाव नहीं किया जाए। सख्त गोपनीयता बनाए रखी जाती है, और शिकायतों का विवरण केवल आंतरिक समिति (आईसी) के पास उपलब्ध होता है, जो शिकायतों के निवारण के लिए उचित कदम उठाती है।
- इसके अतिरिक्त, बैंक की व्हिसल ब्लोअर नीति में व्हिसल ब्लोअर की सुरक्षा के लिए अलग–अलग प्रावधान हैं, जो गोपनीयता सुनिश्चित करते हैं और किसी भी गलत आचरण के खुलासे के बदले में कर्मचारियों के खिलाफ कोई प्रतिकूल दंडात्मक कार्रवाई नहीं करते हैं। जाँच अधिकारी को व्हिसल–ब्लोअर की पहचान नहीं बताई जाती है।

**9. क्या मानवाधिकार आवश्यकताएं आपके व्यावसायिक/कारोबारी समझौतों और अनुबंधों का हिस्सा हैं? (हां/नहीं)**

हां, बैंक मानवाधिकारों को कायम रखने की प्रथाओं का पालन कर रहा है और वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के लिए अपने सभी अनुबंधों में सख्ती से अनुपालन के लिए, न्यूनतम मजदूरी, कामगारों का बीमा, कामगारों की सुरक्षा आदि के अनुपालन को अनुबंध का हिस्सा बनाया गया है।

**10. वर्ष के लिए मूल्यांकन:**

| विवरण | आपके संयंत्रों और कार्यालयों का % जिसका मूल्यांकन किया गया (संस्था या वैधानिक प्राधिकरणों द्वारा या तृतीय पक्ष) |
|---|---|
| बाल श्रम | लागू नहीं |
| जबरन/अनैच्छिक श्रम | लागू नहीं |
| यौन उत्पीड़न | शून्य |
| कार्यस्थल पर भेदभाव | शून्य |
| वेतन | लागू नहीं |
| अन्य, कृपया उल्लेख करें | लागू नहीं |

**11. उपरोक्त प्रश्न 10 में दिए गए आकलनों से उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण जोखिमों/चिंताओं को दूर करने के लिए की गई या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण दें।**

लागू नहीं

bearing on their work. Other matters may be considered if the employees feel there is violation of rules or that there is clear cut case of injustice or victimization. Strict confidentiality is maintained.

- The Chief Liaison Officer for SC/ST and OBC has been appointed in the rank of General Manager to safeguard the interest of employees belonging to SC/ST, OBC, Ex-Servicemen, EWS and PwBD at Head Office level. Further, Liaison Officer have also been appointed at Circle Office as well as Zonal Office level.
- A reservation cell has been set up at every Circle Office/ Zonal Office/ Head Office to look into the grievances of SC/ ST and OBC employees.
- Internal Complaint Committee has been set up to look into the sexual harassment complaints at Circle Offices/ Zonal Offices and Head Office. Bank also ensures that the aggrieved woman or witnesses are not victimized or discriminated against while dealing with the complaints of sexual harassment. Strict confidentiality is maintained, and the details of the complaints are only available to the Internal Committee (IC), which takes appropriate steps for redressal of the complaints.
- Further, the Bank's Whistle Blower Policy has in place distinct clauses for protection of the whistle blower, which ensures confidentiality and no adverse penal action against employees in retaliation to their disclosure of any wrongful conduct. Identity of the whistle-blower is not disclosed to the investigating official.

**9. Do human rights requirements form part of your business agreements and contracts? (Yes/No)**

Yes, Bank is following the practices for upholding of human rights and in all its contracts for procurement of works & services, the compliance of minimum wages, workmen insurance, workmen safety etc. are made part of the contract for strict compliance.

**10. Assessments for the year:**

| | % of your plants and offices that were assessed (by entity or statutory authorities or third parties) |
|---|---|
| Child labour | Not Applicable |
| Forced/involuntary labour | Not Applicable |
| Sexual harassment | Nil |
| Discrimination at workplace | Nil |
| Wages | Not Applicable |
| Others – please specify | Not Applicable |

**11. Provide details of any corrective actions taken or underway to address significant risks / concerns arising from the assessments at Question 10 above.**

Not Applicable

## नेतृत्व संकेतक

1. **मानवाधिकारों की शिकायतों के समाधान के परिणामस्वरूप संशोधित/प्रवर्तित की जा रही व्यावसायिक प्रक्रिया का विवरण।**

   नहीं। ऐसी कोई मानवाधिकार शिकायत प्राप्त नहीं हुई है जिसके कारण किसी भी व्यावसायिक प्रक्रिया की समीक्षा, संशोधन या कार्यान्वयन किया गया हो। हालाँकि, बैंक यह सुनिश्चित करता है कि उसके सभी लेन–देन में उसकी व्यावसायिक प्रक्रियाएँ मौलिक मानवाधिकारों का सख्ती से पालन करें, जैसा कि मानवाधिकार वक्तव्य में कहा गया है। यह प्रतिबद्धता इसके संचालन के हर पहलू में दिखाई देती है, जो नैतिक और जिम्मेदार आचरण के प्रति बैंक के समर्पण को रेखांकित करती है। इसके अतिरिक्त, बैंक अपने कार्मिकों को नैतिक व्यवहार, मानवाधिकारों के प्रति सम्मान और अपने सभी व्यावसायिक लेन–देन में ईमानदारी बनाए रखने के महत्व के बारे में संवेदनशील बनाने के लिए डिजाइन किए गए विभिन्न जागरूकता और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है।

2. **किसी भी मानवाधिकार संबंधी जाँच के दायरे और कवरेज का विवरण।**

   बैंक ने सभी हितधारकों के लिए निष्पक्ष और न्यायसंगत व्यवहार के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हुए कोई भेदभाव न करने की नीति लागू की है। बैंक सभी गतिविधियाँ और निर्णय समुचित सावधानी के साथ करना सुनिश्चित करता है।

3. **क्या दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की आवश्यकताओं के अनुसार संस्था का परिसरध्कार्यालय दिव्यांग आगंतुकों के लिए सुलभ है?**

   बैंक निरंतर प्रयास कर रहा है कि उसके सभी कार्यालय/शाखाएँ दिव्यांग आगंतुकों के लिए बिना किसी असुविधा के सुलभ हों। 31.03.2025 तक, बैंक के कुल 11,822 एटीएम में से 11,141 एटीएम (अर्थात् 94.24% एटीएम) और बैंक की कुल 10,189 शाखाओं में से 8,525 शाखाओं (अर्थात् 83.67% शाखाएँ) में रैंप की सुविधा है। शेष शाखाओं (16.33%) और एटीएम (5.76%) जहाँ आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुपालन में नोटिस प्रदर्शित किए गए हैं। के लिए रैंप की सुविधा प्रदान करना अव्यावहारिक है।

   बैंक विशेष आवश्यकताओं वाले ग्राहकों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक और आईबीए के बैंकर गाइड का संदर्भ लेता है। बैंक बिना किसी भेदभाव के दृष्टिबाधित सहित दिव्यांग ग्राहकों को अपनी सभी बैंकिंग सेवाएं और उत्पाद प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

4. **श्रृंखला साझेदारों के मूल्यांकन विवरणः**

| विवरण | मूल्य श्रृंखला साझेदारों का % (ऐसे साझेदारों के साथ किए गए व्यवसाय के मूल्य के अनुसार) जिनका मूल्यांकन किया गया |
|---|---|
| यौन उत्पीड़न | लागू नहीं |
| कार्यस्थल पर भेदभाव | |
| बाल श्रम | |
| बलपूर्वक श्रम/अनैच्छिक श्रम | |
| वेतन | |
| अन्य, कृपया उल्लेख करें | |

5. **उपर्युक्त प्रश्न 4 में दिए गए आकलनों से उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण जोखिमों/चिंताओं को दूर करने के लिए की गई या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण दें।**

   लागू नहीं

## LEADERSHIP INDICATORS

1. **Details of a business process being modified / introduced as a result of addressing human rights grievances/complaints.**

   No. There have been no human rights complaints that have led to the review, modification, or implementation of any business processes. However, the Bank ensures that its business processes strictly adhere to fundamental human rights in all its transactions, as articulated in Human Rights Statement. This commitment is reflected in every aspect of its operations, underscoring the Bank's dedication to ethical and responsible conduct. Additionally, the bank conducts various awareness and training programmes designed to sensitize its employees regarding ethical behaviour, respect for human rights and the importance of maintaining integrity in all its business dealings.

2. **Details of the scope and coverage of any Human rights due-diligence conducted.**

   The Bank has put in place no discrimination policy underscoring its commitment to fair and equitable treatment for all stakeholders. It ensures that all activities and decisions are conducted with due diligence.

3. **Is the premise/office of the entity accessible to differently abled visitors, as per the requirements of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016?**

   The Bank is continuously making efforts that all its offices/branches are accessible without any inconvenience to differently abled visitors. As on 31.03.2025, Bank's 11,141 ATMs (i.e. 94.24 % ATMs) out of total 11,822 ATMs and Bank's 8,525 branches (i.e. 83.67% Branches) out of total 10,189 branches have ramp facilities. For, the remaining branches (16.33%) and ATMs (5.76%) it is impractical to provide ramp facility, where notice has been displayed in compliance with RBI guidelines.

   The Bank refers the Reserve Banks of India and IBA's Banker's guide for customers with special needs. Bank is committed to offer all its banking services and products to customers with disabilities including visually impaired without discrimination.

4. **Details on assessment of value chain partners:**

| | % of value chain partners (by value of business done with such partners) that were assessed |
|---|---|
| Sexual Harassment | NA |
| Discrimination at workplace | |
| Child Labour | |
| Forced Labour/Involuntary Labour | |
| Wages | |
| Others – please specify | |

5. **Provide details of any corrective actions taken or underway to address significant risks / concerns arising from the assessments at Question 4 above.**

   Not Applicable

## सिद्धांत 6: कारोबारों को पर्यावरण का ध्यान रखने वाले तथा इसका संरक्षण करने और इसे बहाल करने के लिए प्रयास करने चाहिए

**आवश्यक संकेतक**

1. निम्नलिखित प्रारूप में कुल ऊर्जा उपभोग (जूल या गुणकों में) और ऊर्जा तीव्रता का विवरण:

| मापदंड | वित्त वर्ष 2024-25 | वित्त वर्ष 2023-24 |
|---|---|---|
| **नवीकरणीय स्रोतों से** | | |
| कुल विद्युत उपभोग (ए) | 1,036 गीगा जूल@ | 1,065 गीगा जूल@ |
| कुल ईंधन उपभोग (बी) | शून्य | शून्य |
| अन्य स्रोतों के माध्यम से ऊर्जा खपत (सी) | शून्य | शून्य |
| **नवीकरणीय स्रोतों से उपभोग की गई कुल ऊर्जा (ए+बी+सी)** | 1,036 गीगा जूल | 1,065 गीगा जूल |
| **गैर–नवीकरणीय स्रोतों से** | | |
| कुल बिजली उपभोग (डी) | 8,62,117 गीगा जूल# | 9,90,950 गीगा जूल# |
| कुल ईंधन उपभोग (ई) | 2,68,065 गीगा जूल# | 2,32,086 गीगा जूल# |
| अन्य स्रोतों के माध्यम से ऊर्जा उपभोग (एफ) | लागू नही | लागू नही |
| **गैर–नवीकरणीय स्रोतों से उपभोग की गई कुल ऊर्जा (डी+ई+एफ)** | 11,30,182 गीगा जूल | 12,23,036 गीगा जूल |
| **कुल ऊर्जा उपभोग (ए+बी+सी+डी+ई+एफ)** | 11,31,218 गीगा जूल | 12,24,101 गीगा जूल |
| **प्रति रुपया कारोबार पर ऊर्जा तीव्रता** (कुल ऊर्जा उपभोग / परिचालन से राजस्व) | 0.08 | 0.10 |
| **क्रय शक्ति समता (पीपीपी) के लिए समायोजित प्रति रुपया कारोबार की ऊर्जा तीव्रता** (कुल ऊर्जा खपत/परिचालन से राजस्व पीपीपी के लिए समायोजित) | 1.66 | 2.06 |
| **भौतिक उत्पादन के संदर्भ में ऊर्जा तीव्रता** | 11.01 | 11.96 |
| ऊर्जा तीव्रता (वैकल्पिक) – इकाई द्वारा प्रासंगिक मीट्रिक चुना जा सकता है | - | - |

*नोटः बताएं कि क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र आंकलन/मूल्यांकन/आश्वासन किया गया है? – हाँ, उम्मेद जैन एंड कंपनी*

** विश्व बैंक द्वारा भारत के लिए वर्ष 2023 के लिए प्रकाशित पीपीपी रूपांतरण दर 20.2 रुपये/यूएसडी है।*

*@ वर्तमान में, नवीकरणीय ऊर्जा खपत डेटा केवल दो बड़ी इमारतों यानी द्वारका और गुरुग्राम इमारत से संबंधित है*

*# दिया गया गैर–नवीकरणीय ऊर्जा डेटा पैन इंडिया के आधार पर बैंक की संपूर्ण शाखाओं/कार्यालयों से संबंधित है।*

## PRINCIPLE 6: Businesses should respect and make efforts to protect and restore the environment

**ESSENTIAL INDICATORS**

1. **Details of total energy consumption (in Joules or multiples) and energy intensity, in the following format:**

| Parameter | FY 2024-25 | FY 2023-24 |
|---|---|---|
| **From renewable sources** | | |
| Total electricity consumption (A) | 1,036 Giga Joule@ | 1,065 Giga Joule@ |
| Total fuel consumption (B) | NIL | NIL |
| Energy consumption through other sources (C) | NIL | NIL |
| **Total energy consumed from renewable sources (A+B+C)** | 1,036 Giga Joule | 1,065 Giga Joule |
| **From non-renewable sources** | | |
| Total electricity consumption (D) | 8,62,117 Giga Joule# | 9,90,950 Giga Joule# |
| Total fuel consumption (E) | 2,68,065 Giga Joule# | 2,32,086 Giga Joule# |
| Energy consumption through other sources (F) | NA | NA |
| **Total energy consumed from non-renewable sources (D+E+F)** | 11,30,182 Giga Joule | 12,23,036 Giga Joule |
| **Total energy consumed (A+B+C+D+E+F)** | 11,31,218 Giga Joule | 12,24,101 Giga Joule |
| **Energy intensity per rupee of turnover** (Total energy consumed / Revenue from operations in INR Lacs) | 0.08 | 0.10 |
| **Energy intensity per rupee of turnover adjusted for Purchasing Power Parity (PPP*)** (Total energy consumed / Revenue from operations adjusted for PPP) (INR Lacs) | 1.66 | 2.06 |
| **Energy intensity in terms of physical output** (Total energy consumed / Full Time Employees) | 11.01 | 11.96 |
| Energy intensity (optional) – the relevant metric may be selected by the entity | - | - |

*Note: Indicate if any independent assessment/ evaluation/assurance has been carried out by an external agency? – Yes, Ummed Jain & Co.*

** PPP conversion rate used is 20.2Rs/ USD as published by the World Bank for India, for the year 2023*

*@ At Present, Renewable energy consumption data pertains exclusively for two large buildings i.e. Dwarka and Gurugram building*

*# Non-renewable energy data given is pertaining to the bank's entire branches/ offices on PAN India basis.*

2. **क्या इकाई के पास भारत सरकार की प्रदर्शन, उपलब्धि और व्यापार (पीएटी) योजना के तहत नामित उपभोक्ता (डीसी) के रूप में पहचानी गई कोई स्थल/सुविधाएँ हैं? (हां/नहीं) यदि हाँ, तो बताएं कि क्या पीएटी योजना के तहत निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त किया गया है। यदि लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया गया है, तो की गई सुधारात्मक कार्रवाई की जानकारी दें, यदि कोई हो तो।**

हमारे बैंक की पहचान डीसी के रूप में नहीं है, इसलिए यह लागू नहीं है।

3. **जल से संबंधित निम्नलिखित प्रकटीकरण का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में उपलब्ध कराएं:**

| पैरामीटर | वित्त वर्ष 2023-24 | वित्त वर्ष 2022-23 |
|---|---|---|
| **स्रोत द्वारा जल निकासी (किलोलीटर में)** | | |
| (i) भू-पृष्ठ जल | 2,39,403 | 3,68,461 |
| (ii) भूजल | लागू नहीं | लागू नहीं |
| (iii) थर्ड पार्टी वाटर | 9,94,275 | 11,28,752 |
| (iv) समुद्री जल/अलवणीकृत जल | लागू नहीं | लागू नहीं |
| (v) अन्य | लागू नहीं | लागू नहीं |
| ***जल निकासी का कुल आयतन (किलोलीटर में) (i + ii + iii + iv + v)*** | 12,33,678 | 14,97,213 |
| **जल उपभोग का कुल आयतन (किलोलीटर में)** | 12,33,678 | 14,97,213 |
| **जल की गहनता प्रति रुपए टर्नओवर** (कुल जल उपभोग/परिचालन से राजस्व) | 0.09 | 0.12 |
| **क्रय शक्ति समता (पीपीपी) के लिए समायोजित प्रति रुपया कारोबार में जल की गहनता** (कुल जल उपभोग/परिचालन से राजस्व, पीपीपी के लिए समायोजित) | 1.80 | 2.51 |
| **भौतिक आउटपुट के संदर्भ में जल की गहनता** | 12.01 | 14.63 |
| **जल की गहनता** (वैकल्पिक) – प्रासंगिक मीट्रिक का इकाई द्वारा चयन किया जा सकता है | लागू नहीं | लागू नहीं |

*नोटः बताएं कि क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र मूल्यांकन/मूल्यांकन/आश्वासन किया गया है? (हां/नहीं) – हाँ*

**विश्व बैंक द्वारा भारत के लिए वर्ष 2023 के लिए प्रकाशित पीपीपी रूपांतरण दर 20.2 रु./यूएसडी है।*

4. **निस्सरित जल से संबंधित निम्नलिखित विवरण प्रदान करें:**

| पैरामीटर | वित्त वर्ष 2023-24 | वित्त वर्ष 2022-23 |
|---|---|---|
| **गंतव्य और जल-शोधन के स्तर के अनुसार जल निस्सरण (किलोलीटर में)** | | |
| (i) भू-पृष्ठ जल | बैंक औद्योगिक अपशिष्ट जल जनरेट नहीं करता है। हालाँकि, उत्पादित सीवेज के लिए, बैंक ने हमारे कुछ बड़े कार्यालय परिसरों में सीवेज जल-शोधन संयंत्र (एसटीपी) स्थापित करके सक्रिय कदम उठाए हैं। बैंक के अधिकांश कार्यालय देश भर में फैली शाखाएँ हैं, जहाँ सीवेज को | |
| – कोई जल-शोधन नहीं | | |
| – जल-शोधन के साथ – कृपया जल-शोधन का स्तर निर्दिष्ट करें | | |
| (ii) भूजल | | |
| कोई जल-शोधन नहीं | | |
| –जल-शोधन के साथ – कृपया जल-शोधन का स्तर निर्दिष्ट करें | | |

2. **Does the entity have any sites / facilities identified as designated consumers (DCs) under the Performance, Achieve and Trade (PAT) Scheme of the Government of India? (Y/N) If yes, disclose whether targets set under the PAT scheme have been achieved. In case targets have not been achieved, provide the remedial action taken, if any.**

Our Bank is not identified as DC, hence the same is not applicable.

3. **Provide details of the following disclosures related to water, in the following format:**

| Parameter | FY 2024-25 | FY 2023-24 |
|---|---|---|
| **Water withdrawal by source (in kilolitres)** | | |
| (i) Surface water | 2,39,403 | 3,68,461 |
| (ii) Groundwater | NA | NA |
| (iii) Third party water | 9,94,275 | 11,28,752 |
| (iv) Seawater / desalinated water | NA | NA |
| (v) Others | NA | NA |
| ***Total volume of water withdrawal (in kilolitres) (i + ii + iii + iv + v)*** | 12,33,678 | 14,97,213 |
| **Total volume of water consumption (in kilolitres)** | 12,33,678 | 14,97,213 |
| **Water intensity per rupee of turnover** (Total water consumption / Revenue from operations in INR Lacs) | 0.09 | 0.12 |
| **Water intensity per rupee of turnover adjusted for Purchasing Power Parity (PPP)** (Total water consumption / Revenue from operations adjusted for PPP*) (INR Lacs) | 1.80 | 2.51 |
| **Water intensity in terms of physical output** (Total water consumption / Full Time Employee) | 12.01 | 14.63 |
| **Water intensity (optional)** – the relevant metric may be selected by the entity | NA | NA |

*Note: Note: Indicate if any independent assessment/ evaluation/assurance has been carried out by an external agency? (Y/N) – Yes, Ummed Jain & Co.*

**PPP conversion rate used is 20.2 Rs/ USD as published by the World Bank for India, for the year 2023*

4. **Provide the following details related to water discharged:**

| Parameter | FY 2024-25 | FY 2023-24 |
|---|---|---|
| **Water discharge by destination and level of treatment (in kilolitres)** | | |
| (i) To Surface water | The Bank does not generate industrial wastewater. However, for the sewage that is produced, Bank has taken proactive steps by installing sewage treatment plants (STP) at some of our larger office premises. The majority of offices of Bank are branches spread nationwide, wherein the sewage is discharged as per | |
| - No treatment | | |
| - With treatment – please specify level of treatment | | |
| (ii) To Groundwater | | |
| - No treatment | | |
| - With treatment – please specify level of treatment | | |

| | |
|---|---|
| (iii) समुद्री जल | स्थानीय दिशा–निर्देशों के अनुसार निस्सरित किया जाता है, यानी नगरपालिका या अन्य निकायों को निस्सरित किया जाता है, जहाँ उनके द्वारा उपयुक्त जल–शोधन किया जाता है। इसलिए, इसे बैंक की रिपोर्टिंग में शामिल नहीं किया गया है। |
| – कोई जल–शोधन नहीं | |
| – जल–शोधन के साथ – कृपया जल–शोधन का स्तर निर्दिष्ट करें | |
| (iv) थर्ड पार्टी वाटर | |
| – कोई जल–शोधन नहीं | |
| – जल–शोधन के साथ – कृपया जल–शोधन का स्तर निर्दिष्ट करें | |
| (v) अन्य | |
| – कोई जल–शोधन नहीं | |
| – जल–शोधन के साथ – कृपया जल–शोधन का स्तर निर्दिष्ट करे | |
| **कुल निस्सरित जल (किलोलीटर में)** | |

*नोटः प्रकट करें कि क्या किसी बाह्य एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र मूल्यांकन/आश्वासन किया गया है? (हां/नहीं) – नहीं*

5. **क्या इकाई ने जीरो लिक्विड डिस्चार्ज के लिए कोई तंत्र लागू किया है? यदि हाँ, तो इसके कवरेज और कार्यान्वयन का विवरण प्रदान करें।**

बैंक के प्रधान कार्यालय में जीरो लिक्विड डिस्चार्ज सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित है। इसके अलावा, अन्य प्रमुख इमारतों जैसे कि पीएनबी प्रगति टावर्स बीकेसी, मुंबई और गुरुग्राम में पीएनबी बिल्डिंग में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए गए हैं। इस प्रकार, इन इमारतों में बागवानी और शौचालय फ्लश के लिए एसटीपी से शोधित पानी का पुनरू उपयोग किया जाता है।

इसके अलावा, बैंक की 7 इमारतों जैसे कि प्रधान कार्यालय, द्वारका, दिल्ली, बीकेसी मुंबई, प्रशिक्षण केन्द्रों एसटीसी दिल्ली, एसटीसी लखनऊ 1, एसटीसी लखनऊ 2, एसटीसी फरीदाबाद और एसटीसी लुधियाना में वर्षा जल संचयन प्रणाली भी लागू की गई है।

6. **कृपया इकाई द्वारा वायु उत्सर्जन (जीएचजी उत्सर्जन के अलावा) का विवरण प्रदान करें।**

हमारे बैंक के कारोबार की प्रकृति में ऐसी गतिविधियाँ शामिल नहीं हैं जो वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 में परिभाषित वायु प्रदूषक उत्पन्न करती हैं, अतः वायु प्रदूषण में योगदान नहीं देती हैं। इसके अतिरिक्त, प्रधान कार्यालय और प्रशासनिक कार्यालयों ने इनडोर वायु गुणवत्ता को बनाए रखने और सुधारने के लिए एक सक्रिय उपाय के रूप में अपने परिसर में इनडोर पौधे लगाए हैं।

| ***पैरामीटर*** | ***कृपया इकाई निर्दिष्ट करें*** | ***वित्त वर्ष 2024-25*** | ***वित्त वर्ष 2023-24*** |
|---|---|---|---|
| एनओएक्स | लागू नहीं | | |
| एसोएक्स | | | |
| पार्टिकुलेट मैटर (पीएम) | | | |
| स्थायी जैविक प्रदूषक (पीओपी) | | | |
| वाष्पशील कार्बनिक यौगिक (वीओसी) | | | |
| संकटजनक वायु प्रदूषक (एचएपी) | | | |
| अन्य – कृपया निर्दिष्ट करें | | | |

*नोटः बताएं कि क्या किसी बाह्य एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र मूल्यांकन/आश्वासन किया गया है? (हां/नहीं) – लागू नहीं*

| | |
|---|---|
| (iii) To Seawater | local guidelines i.e. discharge is made to municipality or other bodies as applicable, wherein suitable treatment is done by them. Hence, it not included in Bank's reporting. |
| - No treatment | |
| - With treatment – please specify level of treatment | |
| (iv) Sent to third-parties | |
| - No treatment | |
| - With treatment – please specify level of treatment | |
| (v) Others | |
| - No treatment | |
| - With treatment – please specify level of treatment | |
| **Total water discharged (in kilolitres)** | |

*Note: Indicate if any independent assessment/ evaluation/assurance has been carried out by an external agency? (Y/N) - No*

5. **Has the entity implemented a mechanism for Zero Liquid Discharge? If yes, provide details of its coverage and implementation.**

The Bank's Head Office has a zero liquid discharge Sewage Treatment Plant. Further, in other major buildings like PNB Pragati Towers BKC, Mumbai and PNB Building at Gurugram, Sewage Treatment Plants have been installed. As such, the STP treated water is reused towards horticulture and toilet flush in these buildings.

Further, Rainwater harvesting systems are also implemented in 7 nos. of Bank buildings like HO Dwarka Delhi, BKC Mumbai, Training Centres at STC Delhi, STC Lucknow 1, STC Lucknow 2, STC Faridabad & STC Ludhiana.

6. **Please provide details of air emissions (other than GHG emissions) by the entity.:**

The nature of our Bank's business does not involve activities that produce air pollutants as defined under the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981, and therefore does not contribute to air pollution. Additionally, the Head Office and administrative offices have placed indoor plants within their premises as a proactive measure to maintain and improve indoor air quality.

| ***Parameter*** | ***Please specify unit*** | ***FY 2024-25*** | ***FY 2023-24*** |
|---|---|---|---|
| NOx | NOT APPLICABLE | | |
| SOx | | | |
| Particulate matter (PM) | | | |
| Persistent organic pollutants (POP) | | | |
| Volatile organic compounds (VOC) | | | |
| Hazardous air pollutants (HAP) | | | |
| Others –please specify | | | |

*Note: Indicate if any independent assessment/ evaluation/assurance has been carried out by an external agency? (Y/N) - NA*

## 7. ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन (स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन) और इसकी तीव्रता का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में प्रदान करें:

| पैरामीटर | इकाई | वित्त वर्ष 2024–25 | वित्त वर्ष 2023–24 |
|---|---|---|---|
| **कुल स्कोप 1 उत्सर्जन** ($CO_2$, $CH_4$, $N_2O$, HFCs, PFCs, $SF_6$, $NF_3$, में जीएचजी का ब्रेक–अप यदि उपलब्ध हो) | *मीट्रिक टन $CO_2$ के समकक्ष* | 10,621 | 8,494 |
| **कुल स्कोप 2 उत्सर्जन** (CO2, CH4, N2O, HFCs, PFCs, SF6, NF3 में जीएचजी का ब्रेक–अप यदि उपलब्ध हो) | *मीट्रिक टन $CO_2$ समकक्ष* | 1,74,100 | 1,97,089 |
| **प्रति रुपया कारोबार पर कुल स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन तीव्रता** (कुल स्कोप 1 और स्कोप 2 जीएचजी उत्सर्जन/परिचालन से राजस्व) | *मीट्रिक टन $CO_2$ समकक्ष/राजस्व INR में* | 0.01 | 0.02 |
| **क्रय शक्ति समता (पीपीपी) के लिए** (कुल स्कोप 1 और स्कोप 2 जीएचजी उत्सर्जन/परिचालन से राजस्व समायोजित किया गया पीपीपी) | *मीट्रिक टन $CO_2$ पीपीपी के लिए समायोजित समतुल्य/राजस्व (लाख रुपये में)* | 0.27 | 0.35 |
| **भौतिक आउटपुट के संदर्भ में कुल स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन तीव्रता** | *मीट्रिक टन $CO_2$ पीपीपी के लिए समायोजित समतुल्य/राजस्व* | 1.80 | 2.01 |
| **कुल स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन तीव्रता (वैकल्पिक)** – इकाई द्वारा प्रासंगिक मीट्रिक चुना जा सकता है | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं |

*प्रकट करें कि क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र आकलन/मूल्यांकन/आश्वासन किया गया है? (हां/नहीं) – जी हां*

** विश्व बैंक द्वारा भारत के लिए वर्ष 2023 के लिए प्रकाशित पीपीपी रूपांतरण दर 20.2रु/यूएसडी है।*

*नोटः– **बैंक के स्कोप 1 ग्रीनहाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन संगठन** के स्वामित्व वाले या उसके नियंत्रण वाले प्रत्यक्ष स्रोतों से उत्पन्न होते हैं। इनमें शामिल हैं: (i) बैंक के स्वामित्व वाले वाहनों और डीजल जनरेटर (डीजी) सेटों में ईंधन का दहनय (ii) एयर कंडीशनिंग (एसी) और एचवीएसी सिस्टम में रेफ्रिजरेंट लीक से होने वाला उत्सर्जन; और (iii) नियमित अग्नि अभ्यास और सुरक्षा प्रदर्शनों के दौरान अग्निशामक यंत्रों के उपयोग से होने वाला $CO_2$ उत्सर्जन। ईंधन पर खर्च के आंकड़ों का उपयोग ईंधन की खपत के लीटर को जानने के लिए किया जाता है। पेट्रोल और डीजल के लिए उत्सर्जन कारक भारत जीएचजी कार्यक्रम, भारत विशिष्ट सड़क परिवहन उत्सर्जन कारकरु संस्करण 1, 2015 से प्राप्त किया गया है। रेफ्रिजरेंट्स का जीडब्ल्यूपी कारक (उत्सर्जन को $CO_2$ समतुल्य में परिवर्तित करने के लिए) जलवायु परिवर्तन पर अंतर–सरकारी पैनल (आईपीसीसी) की पांचवीं आकलन रिपोर्ट 2014 से प्राप्त किया गया है। बैंक के मुख्यालय भवन और 14 प्रशिक्षण केंद्रों के लिए रेफ्रिजरेंट रिसाव और रिफिलिंग से होने वाले उत्सर्जन की गणना की गई है।*

***बैंक के स्कोप 2 ग्रीनहाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन** इसकी शाखाओं, कार्यालयों, डेटा केंद्रों और अन्य सुविधाओं के संचालन के लिए खरीदी गई बिजली की खपत से उत्पन्न होते हैं। ये बाहरी ऊर्जा प्रदाताओं से खरीदी गई बिजली के उत्पादन से होने वाले अप्रत्यक्ष उत्सर्जन हैं। बिजली पर खर्च के आंकड़ों का उपयोग खपत की गई बिजली की इकाइयों को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। बिजली की प्रति यूनिट उत्सर्जन कारक केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) की रिपोर्ट 'भारतीय विद्युत क्षेत्र के लिए $CO_2$ बेसलाइन डेटाबेस, उपयोगकर्ता गाइड–दिसंबर 2023 का संस्करण 19.0 और दिसंबर 2024 का संस्करण 20.0) से लिया गया है।*

## 7. Provide details of greenhouse gas emissions (Scope 1 and Scope 2 emissions) & its intensity, in the following format:

| *Parameter* | *Unit* | *FY 2024-25* | *FY 2023-24* |
|---|---|---|---|
| **Total Scope 1 emissions** (Break-up of the GHG into $CO_2$, $CH_4$, $N_2O$, HFCs, PFCs, $SF_6$, $NF_3$, if available) | *Metric tonnes of $CO_2$ equivalent* | 10,621 | 8,494 |
| **Total Scope 2 emissions** (Break-up of the GHG into $CO_2$, $CH_4$, $N_2O$, HFCs, PFCs, $SF_6$, $NF_3$, if available) | *Metric tonnes of $CO_2$ equivalent* | 1,74,100 | 1,97,089 |
| **Total Scope 1 and Scope 2 emission intensity per rupee of turnover** (Total Scope 1 and Scope 2 GHG emissions / Revenue from operations) | *Metric tonnes of $CO_2$ Equivalent/ Revenue in INR Lacs* | 0.01 | 0.02 |
| **Total Scope 1 and Scope 2 emission intensity per rupee of turnover adjusted for Purchasing Power Parity (PPP)*** (Total Scope 1 and Scope 2 GHG emissions / Revenue from operations adjusted for PPP) | *Metric tonnes of $CO_2$ Equivalent/ Revenue adjusted for PPP (INR Lacs)* | 0.27 | 0.35 |
| **Total Scope 1 and Scope 2 emission intensity in terms of physical output** | *Metric tonnes of $CO_2$ Equivalent/Full Time Employees* | 1.80 | 2.01 |
| **Total Scope 1 and Scope 2 emission intensity (optional)** – the relevant metric may be selected by the entity | NA | NA | NA |

*Indicate if any independent assessment/ evaluation/assurance has been carried out by an external agency? (Y/N) – Yes, Ummed Jain & Co.*

** PPP conversion rate used is 20.2Rs/ USD as published by the World Bank for India, for the year 2023*

*Note: - **Scope 1 greenhouse gas (GHG) emissions of the Bank** arise from direct sources owned or controlled by the organization. These include: (i) fuel combustion in Bank-owned vehicles and diesel generator (DG) sets; (ii) fugitive emissions from refrigerant leaks in air conditioning (AC) and HVAC systems; and (iii) $CO_2$ emissions from the use of fire extinguishers during routine fire drills and safety demonstrations. Spend data on fuel is used to arrive at the litres of fuel consumed. Emission factor for petrol and diesel has been sourced from India GHG Program, India Specific Road Transport Emission Factors: Version 1, 2015. GWP factor of refrigerants (for converting emission to tCO2 equivalent) is sourced from Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) Fifth Assessment Report 2014. Emission from refrigerant leakage and refilling is calculated for HO building and 14 training centres of the Bank.*

***Scope 2 greenhouse gas (GHG) emissions of the Bank** arise from the consumption of purchased electricity for the operation of its branches, offices, data centres, and other facilities. These are indirect emissions resulting from the generation of electricity purchased from external energy providers. Spend data on electricity is used to arrive at the units of electricity consumed. Emission factor per unit of electricity is taken from the Central Electricity Authority (CEA) in its report "$CO_2$ Baseline Database for Indian Power Sector, User Guide-Version 19.0 of December 2023 & Version 20.0 of December 2024).*

8. **क्या इकाई के पास ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने से संबंधित कोई परियोजना है? यदि हाँ, तो विवरण प्रदान करें।**

बैंक ने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने से संबंधित अनेक परियोजनाएं शुरू की हैं। कुछ शुरू की गई प्रमुख परियोजनाएं जो भविष्य की योजना के लिए बनाई गई है, नीचे दी गई हैं:

क) जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली की खपत को कम करके जीएचजी उत्सर्जन को कम करने के लिए बैंक के स्वामित्व वाले भवनों में सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की जा रही हैरू

- बैंक भवनों में 1100 किलोवाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र पहले ही स्थापित किए जा चुके हैं।
- बैंक की निर्माणाधीन बड़ी इमारत परियोजनाओं में 625 किलोवाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्रों का कार्यान्वयन किया जा रहा है।
- अखिल भारतीय स्तर पर विभिन्न बैंक स्वामित्व वाली मौजूदा इमारतों में 1487 किलोवाट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजना वित्त वर्ष 2024–25 में शुरू की गई है और पूरी होने वाली है।
- अगले चरण में पट्टे पर दिए गए परिसरों में भी सौर ऊर्जा स्थापना की संभावना तलाशी जाएगी।

ख) ऊर्जा की खपत को कम करने के लिए 5 स्टार एसी, वीआरएफ एसी, लाइट फिक्सर, पंखे आदि जैसे ऊर्जा कुशल उपकरणों की स्थापना और इस प्रकार जीएचजी उत्सर्जन में कमी लाने में योगदान करना।

ग) उत्सर्जन को कम करने के लिए डीजल जेनसेट्स के स्थान पर प्रधान कार्यालय द्वारका भवन में प्राकृतिक गैस आधारित जेनसेट्स (2 सं. x 1000 केवीए) की स्थापना।

घ) बैंक जीवाश्म ईंधन आधारित वाहनों से अपने अधिकारियों के लिए हाइब्रिड/ईवी वाहनों में बदलाव की योजना बना रहा है। वर्तमान में बैंक के पास अखिल भारतीय स्तर पर कुल 1455 कारों के फ्लीट में 196 हाइब्रिड कारें हैं।

ङ) बैंक ने ईवी के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए प्रधान कार्यालय भवन में ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया है। बैंक ने ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए पेट्रोलध्डीजल वाहनों के स्थान पर साइकिल से आवागमन को प्रोत्साहित करने के लिए प्रधान कार्यालय भवन में साइकिल स्टैंड स्थापित किया है।

च) पूरे भारत में शाखाओं में डीजी सेट को हरित समाधान से बदलने के एक हिस्से के रूप में, ओपेक्स मॉडल पर प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट (पीओसी) के आधार पर सोलर हाइब्रिड यूपीएस सिस्टम की स्थापना के लिए एक परियोजना शुरू की गई है, जिसमें एक शाखा में 8.5 किलोवाट क्षमता की सोलर यूपीएस प्रणाली स्थापित की गई है। इस प्रणाली के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के बाद, अन्य शाखाओं में इस प्रकार की प्रणाली को लागू करने का निर्णय लिया जाएगा। इससे डीजी सेट में डीजल की खपत में कमी करके उत्सर्जन को कम करने में सहायता मिलेगी।

छ) बैंक ने उत्सर्जन को रोकने के लिए प्रोजेक्ट पलाश के अंतर्गत लगभग 3 लाख पौधे लगाए हैं।

8. **Does the entity have any project related to reducing Green House Gas emission? If Yes, then provide details.**

The Bank has taken up numerous project related to reducing Green House Gas emission. Some of the major projects undertaken and planned for future are given hereunder:

A) Solar Power Plant installation in Bank's owned buildings are being done to reduce the GHG emissions by reducing consumption of fossil fuel based electricity:

- 1100 KWp solar power plants already installed in bank buildings.
- 625 KWp solar power plants are under implementation in under-construction large building projects of Bank.
- 1487 KWp of solar power project at various bank owned existing buildings on PAN India basis is initiated in FY 2024-25 and at the verge of completion.
- In the next phase, the solar power installation will be explored in leased premises also.

B) Installation of energy efficient equipment like 5 Star ACs, VRF AC, light fixtures, fans etc. to reduce the energy consumption and thereby contributing in reduction of GHG emissions.

C) Installation of Natural Gas Based Gensets (2 Nos x 1000 KVA) at HO Dwarka building to replace Diesel Gensets to reduce emissions.

D) The Bank is planning to transitioning to Hybrid/EV vehicles for the executives from the fossil fuel based vehicles. At present the Bank has 196 Hybrid cars in its fleet of total 1455 cars at PAN India level.

E) The Bank has installed EV charging station at HO building to encourage use of EVs. The Bank has installed Cycle Stand in the Head Office building to encourage commuting by bicycles in place of Petrol/Diesel vehicles to reduce GHG emissions.

F) As a part of replacing the DG sets in branches on PAN India basis with a greener solution, a project for installation of Solar Hybrid UPS system on Proof of Concept (POC) basis on Opex model has been undertaken, wherein a Solar UPS system of 8.5 KW capacity has been installed at one branch. After evaluating the performance of this system, the decision shall be taken for implementing such type of system in other branches. This will help in reducing emissions by reduction in diesel consumption in DG sets.

G) The Bank has planted approx. 3 lacs plants under Project Palaash for sequestering the emissions.

ज) बैंक में स्थापित किए जा रहे सभी नए एसी और एसी संयंत्र, जीएचजी उत्सर्जन को कम करने के लिए कम जीडब्ल्यूपी रेफ्रिजरेंट गैस का उपयोग कर रहे हैं।

झ) बैंक की शाखाओं में एलईडी ग्लो साइन बोर्ड की स्थापना, जिसमें टाइमर सुविधा है जो दिन की रोशनी में स्वचालित रूप से बंद हो जाती है।

ञ) द्वारका, नई दिल्ली में स्थित बैंक का प्रधान कार्यालय भवन फाइव स्टार जीआरआईएचए रेटेड भवन है। निर्माणाधीन भवन परियोजनाओं में बैंक ग्रीन बिल्डिंग की योजना बना रहा है।

ट) बैंक अपने छोटे कार्यालयों के लिए, जिनके पास एलटी कनेक्शन है, डिस्कॉम्स से ग्रीन टैरिफ (जिसमें ऊर्जा का स्रोत नवीकरणीय ऊर्जा है) के विकल्प की खोज कर रहा है, जिससे जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली की खपत कम होगी और परिणामस्वरूप जीएचजी उत्सर्जन में कमी आएगी।

ठ) बैंक ओपन एक्सेस सौर ऊर्जा प्राप्त करने का विकल्प तलाश रहा है, जिसमें 100 किलोवाट और उससे अधिक के कनेक्टेड लोड वाले अपने बड़े कार्यालयों के लिए विद्युत क्रय समझौता सीधे विद्युत उत्पादन कंपनी के साथ किया जाएगा, जिससे जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली की खपत कम होगी और परिणामस्वरूप जीएचजी उत्सर्जन में कमी आएगी।

**9. इकाई द्वारा अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित विवरण निम्नलिखित प्रारूप में उपलब्ध कराएं:**

| *पैरामीटर* | *वित्त वर्ष 2024–25* | *वित्त वर्ष 2023–24* |
|---|---|---|
| *कुल उत्पन्न अपशिष्ट (मीट्रिक टन में)* | | |
| प्लास्टिक अपशिष्ट (ए)* | 6.03 मीट्रिक टन | 6.58 मीट्रिक टन |
| ई–कचरा (बी) | 1.1 मीट्रिक टन (कुल राशि ₹ 2,87,200) | 10 मीट्रिक टन (कुल राशि ₹ 93,18,160) |
| जैव–चिकित्सा अपशिष्ट (सी) | लागू नहीं | |
| निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट (डी) | लागू नहीं | |
| बैटरी अपशिष्ट (ई) | बैटरी की आयु समाप्त होने पर उसे बाय–बैक ऑफर के तहत बेचा जाता है, जबकि नई बैटरी खरीदी जाती है। इसलिए, बैटरी अपशिष्ट का निपटानध्पुनर्चक्रण हम सीधे नहीं करते हैं और इसलिए इसके लिए कोई मात्रा निर्धारण उपलब्ध नहीं है। | |
| रेडियोधर्मी अपशिष्ट (एफ) | लागू नहीं | |
| अन्य संकटजनक अपशिष्ट, यदि कोई हो, कृपया उल्लेख करें। (जी) | लागू नहीं | |
| अन्य गैर– संकटजनक अपशिष्ट जनरेट किए गए (एच)। यदि कोई हो तो कृपया बताएं। संरचना के अनुसार ब्रेक–अप (अर्थात क्षेत्र से संबंधित सामग्री के अनुसार) | 17.61 मीट्रिक टन | 18.97 मीट्रिक टन |
| ***कुल (एबी+सी+डी+ई+एफ+जी+एच)*** | **24.74 मीट्रिक टन** | **35.55 मीट्रिक टन** |
| **प्रति रुपया टर्नओवर में अपशिष्ट की तीव्रता** (कुल उत्पन्न अपशिष्ट / परिचालन से राजस्व) | 0.00 | 0.00 |

H) All the new ACs and AC plant being installed in the Bank are with Low GWP Refrigerant Gas to reduce the GHG emissions.

I) Installation of LED Glow Sign Boards at branches of the bank, with timer facility which automatically switched off in daylight.

J) Bank's Head Office building situated at Dwarka, New Delhi is a five star GRIHA rated building. The Bank is planning for GREEN buildings in ongoing building construction projects.

K) Bank is exploring the option of green tariff (wherein the energy source is renewable energy) from DISCOMS for its small offices having LT connections, thereby reducing the consumption of fossil fuel based electricity leading to reduced GHG emissions.

L) Bank is exploring the option of procuring Open access solar power wherein the Power Purchase Agreement will be made directly with Power Generation Company, for its large offices having connected load of 100 KW & above, thereby reducing the consumption of fossil fuel based electricity leading to reduced GHG emissions.

**9. Provide details related to waste management by the entity, in the following format:**

| *Parameter* | *FY 2024-25* | *FY 2023-24* |
|---|---|---|
| *Total Waste generated (in metric tonnes)* | | |
| Plastic waste *(A)** | 6.03 MT | 6.58 MT |
| E-waste *(B)* | 1.1 MT (amounting to Rs.2,87,200) | 10 MT (amounting Rs.93,18,160) |
| Bio-medical waste *(C)* | Not Applicable | |
| Construction and demolition waste *(D)* | Not Applicable | |
| *Battery waste (E)* | Batteries at the end of its life are sold under the buy-back offer while procuring new batteries. So, battery waste is not disposed/recycled by us directly and hence no quantification is available for same. | |
| Radioactive waste *(F)* | Not Applicable | |
| *Other Hazardous waste. Please specify, if any. (G)* | Not Applicable | |
| Other Non-hazardous waste generated *(H)*#. Break-up by composition i.e. by materials relevant to the sector) | 17.61 MT | 18.97 MT |
| ***Total (A + B + C + D + E + F + G + H)*** | **24.74 MT** | **35.55 MT** |
| **Waste intensity per rupee of turnover** (Total waste generated / Revenue from operations) (INR Lacs) | 0.00 | 0.00 |

| पैरामीटर | वित्त वर्ष 2024–25 | वित्त वर्ष 2023–24 |
|---|---|---|
| **शक्ति समता (पीपीपी) के लिए समायोजित प्रति रुपया टर्नओवर की अपशिष्ट तीव्रता** (कुल उत्पन्न अपशिष्ट/परिचालन से राजस्व पीपीपी के लिए समायोजित) | 0.00 | 0.00 |
| **भौतिक आउटपुट के संदर्भ में अपशिष्ट तीव्रता** | 0.00 | 0.00 |
| **अपशिष्ट तीव्रता** (वैकल्पिक)– इकाई द्वारा प्रासंगिक मीट्रिक चुना जा सकता है | लागू नहीं | लागू नहीं |
| **उत्पन्न अपशिष्ट की प्रत्येक श्रेणी के लिए, पुनर्चक्रण, पुनः उपयोग या अन्य पुनर्प्राप्ति कार्यों के माध्यम से पुनर्प्राप्त कुल अपशिष्ट (मीट्रिक टन में)** | | |
| **अपशिष्ट की श्रेणी** | | |
| (i) पुनर्चक्रित | लागू नहीं | |
| (ii) पुनः उपयोग | | |
| (iii) अन्य पुनर्प्राप्ति कार्य | | |
| ***कुल*** | | |
| **उत्पन्न अपशिष्ट की प्रत्येक श्रेणी के लिए, निपटान विधि की प्रकृति के अनुसार निपटाया गया कुल अपशिष्ट (मीट्रिक टन में)** | | |
| **अपशिष्ट की श्रेणी** | | |
| (i) भस्मीकरण | हमारे यहां अपशिष्ट उत्पादन न्यूनतम है, जिसके परिणामस्वरूप उसे जलाने या लैंडफिलिंग की आवश्यकता नहीं है। | |
| (ii) लैंडफिलिंग | | |
| (iii) अन्य निपटान कार्य | | |
| ***कुल*** | लागू नहीं | लागू नहीं |

*नोटः बताएं कि क्या किसी बाह्य एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र मूल्यांकन/आश्वासन किया गया है? (हां/नहीं) – नहीं*

**बैंक में प्लास्टिक कचरा पानी की बोतलों आदि जैसे उत्पादों के उपभोग के कारण उत्पन्न होता है। अखिल भारतीय आधार पर सभी शाखाओं/कार्यालयों का डेटा अभी तक उपलब्ध नहीं है और बैंक अखिल भारतीय स्तर पर इसे मापने के लिए एक प्रणाली विकसित करने का प्रयास कर रहा है। दिया गया प्लास्टिक अपशिष्ट डेटा बैंक के प्र.का द्वारका भवन के लिए है।*

*# प्र.का. द्वारका भवन में सूखा और गीला कचरा जिसमें कार्डबोर्ड, कागज और खाद्य अपशिष्ट शामिल हैं।*

**10. अपने प्रतिष्ठानों में अपनाए गए अपशिष्ट प्रबंधन प्रथाओं का संक्षेप में वर्णन करें। अपने उत्पादों और प्रक्रियाओं में खतरनाक और विषैले रसायनों के उपयोग को कम करने के लिए आपकी कंपनी द्वारा अपनाई गई रणनीति और ऐसे अपशिष्टों के प्रबंधन के लिए अपनाई गई प्रथाओं का वर्णन करें।**

एबैंक कचरे के उत्पादन को कम करने और जितना संभव हो सके उसे रीसाइकिल करने का प्रयास करता है। हमारे कचरे में मुख्य रूप से भोजन, कचरा, कागज और ई–कचरा शामिल है।

- **प्लास्टिक कचरे में कमी:** हमने प्लास्टिक दस्तावेज फोल्डरों की खरीद बंद कर दी है और अपने कार्मिकों को अपने कार्यालयों में कांच की बोतलों का इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित किया है ताकि इस्तेमाल के बाद फेंकी जाने वाली प्लास्टिक की बोतलों की संख्या कम हो सके। हमारी सभी सुविधाएँ सूखे और गीले कचरे को इकट्ठा करने और निपटाने के लिए 100% बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक कचरा बैग का उपयोग करती हैं।

| Parameter | FY 2024-25 | FY 2023-24 |
|---|---|---|
| **Waste intensity per rupee of turnover adjusted for Purchasing Power Parity (PPP)** (Total waste generated/ Revenue from operations adjusted for PPP) (INR Lacs) | 0.00 | 0.00 |
| **Waste intensity in terms of physical output** | 0.00 | 0.00 |
| **Waste intensity** (optional) – the relevant metric may be selected by the entity | NA | NA |
| **For each category of waste generated, total waste recovered through recycling, re-using or other recovery operations (in metric tonnes)** | | |
| **Category of waste** | | |
| (i) Recycled | NA | |
| (ii) Re-used | | |
| (iii) Other recovery operations | | |
| ***Total*** | | |
| **For each category of waste generated, total waste disposed by nature of disposal method (in metric tonnes)** | | |
| **Category of waste** | | |
| (i) Incineration | Our waste generation is minimal and consequently there is no requirement of incineration or landfilling activities. | |
| (ii) Landfilling | | |
| (iii) Other disposal operations | | |
| ***Total*** | NA | NA |

*Note: Indicate if any independent assessment/ evaluation/assurance has been carried out by an external agency? (Y/N) – No*

**Plastic waste is generated in Bank is due to consumption of products like water bottles etc. The data for all the branches/offices on PAN India basis is not yet available and Bank is making efforts to develop a system to quantify the same at PAN India level. The plastic waste data given is for Bank's HO Dwarka building.*

*# Dry and wet waste at HO Dwarka building comprising of cardboard, paper and food waste.*

**10. Briefly describe the waste management practices adopted in your establishments. Describe the strategy adopted by your company to reduce usage of hazardous and toxic chemicals in your products and processes and the practices adopted to manage such wastes.**

Bank strives to reduce waste production and recycle as much as possible. Our waste primarily comprises of food, waste, paper and e-waste.

- **Reduction of plastic waste:** We have stopped procurement of plastic document folders and encourage our employees to use glass bottles at our offices to reduce the number of plastic bottles being discarded after use. All our facilities use 100% biodegradable plastic garbage bags to collect and dispose of dry and wet waste.

- **कागज और छपाई की उपभोग कम करना:** हमने कागज की जरूरत को कम करने के लिए प्रक्रियाओं को डिजिटल बनाने के लिए मजबूत उपाय लागू किए हैं। कार्यालयों में कागज के इस्तेमाल को और कम करना एक सतत गतिविधि है।
- **ई–कचरा प्रबंधन:** हमारे ई–कचरे में मोटे तौर पर कंप्यूटर, सर्वर, स्कैनर, यूपीएस, बैटरी आदि शामिल हैं। ऐसे सभी ई–कचरे का निपटान पंजीकृत ई–कचरा विक्रेताओं के माध्यम से किया जा रहा है।
- **सीवेज ट्रीटमेंट:** बैंक ने अपने प्रमुख भवनों में एसटीपी स्थापित किए हैं, जिनमें प्र. का. द्वारका भवन भी शामिल है। इस पहल से जल दक्षता में वृद्धि हुई है और बागवानी तथा सेंट्रल एसी प्लांट में आंतरिक उपयोग के लिए रीसाइकिल पानी का उपयोग किया जा रहा है।

**11. यदि इकाई का परिचालन/कार्यालय पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों (जैसे राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, जैवमंडल रिजर्व, आर्द्रभूमि, जैव विविधता हॉटस्पॉट, वन, तटीय विनियमन क्षेत्र आदि) मेंध्आसपास है, जहां पर्यावरणीय अनुमोदन/स्वीकृति की आवश्यकता है, तो कृपया निम्नलिखित प्रारूप में विवरण निर्दिष्ट करें:**

बैंक की पारिस्थितिकी दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों में कोई शाखा/कार्यालय नहीं है। तदनुसार, यह नियम बैंक पर लागू नहीं होता।

| क्र. सं. | परिचालन/कार्यालयों का स्थान | परिचालन प्रकार | क्या पर्यावरणीय अनुमोदन/स्वीकृति की शर्तों का अनुपालन किया जा रहा है? (हां/नहीं) यदि नहीं, तो इसके कारण तथा यदि कोई उपचारात्मक कार्रवाई की गई हो, तो उसका विवरण दीजिए। |
|---|---|---|---|
| लागू नहीं | | | |

**12. चालू वित्त वर्ष में लागू विधियों के आधार पर इकाई द्वारा शुरु की गई परियोजनाओं के पर्यावरणीय प्रभाव आकलन का विवरण:**

| परियोजना का नाम एवं संक्षिप्त विवरण | ईआईए अधिसूचना संख्या | तिथि | क्या स्वतंत्र बाह्य एजेंसी द्वारा संचालित किया गया है (हां/नहीं) | परिणाम सार्वजनिक डोमेन में संप्रेषित किए जाएंगे (हां/नहीं) | प्रासंगिक वेब लिंक |
|---|---|---|---|---|---|
| शून्य | | | | | |

**13. क्या संस्था भारत में लागू पर्यावरण विधि/विनियम/दिशानिर्देशों का अनुपालन करती हैय जैसे जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम और उसके अंतर्गत नियम (हां/नहीं)। यदि नहीं, तो निम्नलिखित प्रारूप में ऐसे सभी गैर–अनुपालनों का विवरण प्रदान करें:**

| क्र. सं. | उस विधि/विनियम/दिशानिर्देश को निर्दिष्ट करें जिसका अनुपालन नहीं किया गया | गैर–अनुपालन का विवरण प्रदान करें | प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या न्यायालय जैसी नियामक एजेंसियों द्वारा लगाया गया कोई जुर्माना/दंड/कार्रवाई | यदि कोई सुधारात्मक कार्रवाई की गई हो, तो |
|---|---|---|---|---|
| शून्य | | | | |

- **Reducing paper and printing consumption:** We have implemented strong measures for digitising processes to reduce the need for paper. Further minimising the usage of paper across offices is an ongoing activity.
- **E-waste management:** Our E-waste broadly includes computers, servers, scanners, UPSs, Batteries, etc. All such E-wastes are being disposed off through registered E-waste vendors.
- **Sewage Treatment:** Bank has installed STPs at its major buildings including HO Dwarka building. This initiative has led to water efficiency and use of recycle water for internal use in gardening and Central AC plant.

**11. If the entity has operations/offices in/around ecologically sensitive areas (such as national parks, wildlife sanctuaries, biosphere reserves, wetlands, biodiversity hotspots, forests, coastal regulation zones etc.) where environmental approvals / clearances are required, please specify details in the following format:**

The Bank does not have branches/offices inside the ecologically sensitive areas. Accordingly, the same is not applicable to Bank.

| S. No. | Location of operations/ offices | Type of operations | Whether the conditions of environmental approval / clearance are being complied with? (Y/N) If no, the reasons thereof and corrective action taken, if any. |
|---|---|---|---|
| Not Applicable | | | |

**12. Details of environmental impact assessments of projects undertaken by the entity based on applicable laws, in the current financial year:**

| Name and brief details of project | EIA Notification No | Date | Whether conducted by independent external agency (Yes / No) | Results communicated in public domain (Yes / No) | Relevant Web link |
|---|---|---|---|---|---|
| Nil | | | | | |

**13. Is the entity compliant with the applicable environmental law/ regulations/ guidelines in India; such as the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, Air (Prevention and Control of Pollution) Act, Environment protection act and rules thereunder (Y/N). If not, provide details of all such non-compliances, in the following format:**

| S.No. | Specify the law / regulation / guidelines which was not complied with | Provide details of the non-compliance | Any fines / penalties / action taken by regulatory agencies such as pollution control boards or by courts | Corrective action taken, if any |
|---|---|---|---|---|
| The Bank is complying with applicable statutory guidelines. | | | | |

## नेतृत्व संकेतक

1. **जल संकट वाले क्षेत्रों में जल निकासी, उपभोग और निस्सरण (किलोलीटर में):**

**जल संकट वाले क्षेत्रों में स्थित प्रत्येक सुविधा/संयंत्र के लिए निम्नलिखित जानकारी प्रदान करें:**

**(i) क्षेत्र का नाम** – लागू नहीं

**(ii) परिचालन की प्रकृति** – लागू नहीं

**(iii) जल निकासी, उपभोग और निस्सरण निम्नलिखित प्रारूप में:**

| i|jkehVj | foÙk o"k 2024&25 | foÙk o"k 2023&24 |
|---|---|---|
| **स्रोत द्वारा जल निकासी (किलोलीटर में)** | | |
| (i) सतह जल | लागू नहीं | |
| (ii) भूजल | | |
| (iii) थर्ड पार्टी वाटर | | |
| (iv) समुद्री जल/अलवणीकृत जल | | |
| (v) अन्य | | |
| ***जल निकासी की कुल मात्रा (किलोलीटर में)*** | | |
| ***जल उपभोग की कुल मात्रा (किलोलीटर में)*** | | |
| ***प्रति रुपया टर्नओवर पर जल तीव्रता*** (जल उपभोग/कारोबार) | | |
| **जल तीव्रता** (वैकल्पिक) – प्रासंगिक मीट्रिक इकाई द्वारा चुना जा सकता है | | |
| **गंतव्य और उपचार के स्तर के अनुसार जल निस्सरण (किलोलीटर में)** | | |
| (i) सतह जल | लागू नहीं | |
| –कोई शोधन नहीं | | |
| –शोधन के साथ–कृपया शोधन का स्तर निर्दिष्ट करें | | |
| (ii) भूजल में | | |
| –कोई शोधन नहीं | | |
| –शोधन के साथ–कृपया शोधन का स्तर निर्दिष्ट करें | | |
| (iii) समुद्री जल में | | |
| –कोई शोधन नहीं | | |
| –शोधन के साथ–कृपया शोधन का स्तर निर्दिष्ट करें | | |
| (iv) थर्ड पार्टी वाटर में | | |
| –कोई शोधन नहीं | | |
| –शोधन के साथ–कृपया शोधन का स्तर निर्दिष्ट करें | | |
| (v) अन्य | | |
| –कोई शोधन नहीं | | |
| –शोधन के साथ–कृपया शोधन का स्तर निर्दिष्ट करें | | |
| **कुल जलस्राव (किलोलीटर में)** | | |

*नोटः बताएं कि क्या किसी बाह्य एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र मूल्यांकन/आश्वासन किया गया है? (हां/नहीं) – नहीं*

## LEADERSHIP INDICATORS

1. **Water withdrawal, consumption and discharge in areas of water stress (in kilolitres):**

**For each facility / plant located in areas of water stress, provide the following information:**

**(i) Name of the area** - NA

**(ii) Nature of operations** - NA

**(iii) Water withdrawal, consumption and discharge in the following format:**

| Parameter | FY 2024-25 | FY 2023-24 |
|---|---|---|
| **Water withdrawal by source (in kilolitres)** | | |
| (i) Surface water | Not Applicable | |
| (ii) Groundwater | | |
| (iii) Third party water | | |
| (iv) Seawater / desalinated water | | |
| (v) Others | | |
| ***Total volume of water withdrawal (in kilolitres)*** | | |
| ***Total volume of water consumption (in kilolitres)*** | | |
| **Water intensity per rupee of turnover** (Water consumed / turnover) | | |
| **Water intensity** *(optional)* – the relevant metric may be selected by the entity | | |
| **Water discharge by destination and level of treatment (in kilolitres)** | | |
| (i) Into Surface water | Not Applicable | |
| - No treatment | | |
| - With treatment – please specify level of treatment | | |
| (ii) Into Groundwater | | |
| - No treatment | | |
| - With treatment – please specify level of treatment | | |
| (iii) Into Seawater | | |
| - No treatment | | |
| - With treatment – please specify level of treatment | | |
| (iv) Sent to third-parties | | |
| - No treatment | | |
| - With treatment – please specify level of treatment | | |
| (v) Others | | |
| - No treatment | | |
| - With treatment – please specify level of treatment | | |
| **Total water discharged (in kilolitres)** | | |

*Note: Indicate if any independent assessment/ evaluation/assurance has been carried out by an external agency? (Y/N) – No*

2. कृपया निम्नलिखित प्रारूप में कुल स्कोप 3 उत्सर्जन और उसकी तीव्रता का विवरण प्रदान करें:

| पैरामीटर | इकाई | **वित्त वर्ष 2023–24 | वित्त वर्ष 2022–23 |
|---|---|---|---|
| श्रेणी 1–खरीदी गई वस्तु और सेवाएं | $CO_2$ समतुल्य मीट्रिक टन | 605.00 | 525.00 |
| श्रेणी 3: ईंधन और ऊर्जा संबंधी गतिविधियाँ (क्षेत्र 1 और क्षेत्र 2 में शामिल नहीं) | | 8,717.75 | 8,175.48 |
| श्रेणी 5–परिचालन में उत्पन्न अपशिष्ट (कागज अपशिष्ट और ई–कचरा) के | | 94.82 | 82.88 |
| श्रेणी 6 – व्यावसायिक यात्रा | | 12,069.99 | 11,336.00 |
| श्रेणी 7: कर्मचारी आवागमन | | 80,084.00 | 81,787.00 |
| श्रेणी 15– निवेश (वित्तपोषित उत्सर्जन) | | 6,76,98,831.03 | 6,76,48,195.13 |
| **कुल स्कोप 3 उत्सर्जन*** ** | $MtCO_2e$ | 6,78,00,402.60 | 6,77,50,101.49 |
| **प्रति रुपया कारोबार पर कुल स्कोप 3 उत्सर्जन*** | $MtCO_2e$ / रुपया लाख | 4.91 | 5.63 |

*नोट: बताएं कि क्या किसी बाह्य एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र मूल्यांकन/आश्वासन किया गया है? : हां*

***नोट:– स्कोप 3 – श्रेणी 1 – खरीदी गई वस्तुएँ और सेवाएँ:*** *इस श्रेणी में आंतरिक उपभोग के लिए A4 पेपर की खरीद से जुड़े ग्रीनहाउस गैस (GHG) उत्सर्जन शामिल हैं। वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान खरीदे गए ।4 पेपर की मात्रा के आधार पर उत्सर्जन का अनुमान लगाया गया है। पर्यावरण पेपर नेटवर्क के पेपर कैलकुलेटर (संस्करण 4.0, c-environmentalpaper.org पर उपलब्ध) का उपयोग पेपर खरीद से अनुमानित उत्सर्जन की गणना करने के लिए किया गया है। बैंक के प्र.का. प्रभागों और 14 प्रशिक्षण केंद्रों के लिए खरीदे गए ए4 पेपर को उत्सर्जन गणना के लिए माना जाता है।*

***स्कोप 3 – श्रेणी 3: ईंधन और ऊर्जा से संबंधित उत्सर्जन जो स्कोप 1 या स्कोप 2 में शामिल नहीं हैं:*** *किराए पर लिए गए डीजल जेनरेटर सेट में ईंधन की खपत का उपयोग उत्सर्जन का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है। ईंधन पर खर्च किए गए डेटा का उपयोग ईंधन की खपत के लीटर का पता लगाने के लिए किया जाता है। पेट्रोल और डीजल के लिए उत्सर्जन कारक भारत जीएचजी कार्यक्रम, भारत विशिष्ट सड़क परिवहन उत्सर्जन कारक: संस्करण 1, 2015 से लिया गया है।*

***स्कोप 3 – श्रेणी 5: संचालन में उत्पन्न अपशिष्ट:*** *उत्सर्जन का अनुमान लगाने के लिए कागज के कचरे और ई–कचरे की मात्रा का उपयोग किया जाता है। उत्सर्जन कारक USEPA वेबसाइट से लिए गए हैं। बैंक के मुख्यालय प्रभागों और 14 प्रशिक्षण केंद्रों से निकलने वाले कागज के कचरे को उत्सर्जन की गणना के लिए माना जाता है।*

***स्कोप 3 – श्रेणी 6 – व्यावसायिक यात्रा:*** *व्यावसायिक यात्रा से ग्रीनहाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन का अनुमान बैंक के आंतरिक यात्रा डेटाबेस से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर लगाया गया है। रिपोर्टिंग अवधि के लिए परिवहन के विभिन्न साधनों – अर्थात् हवाई, रेल, बस, कार, दोपहिया और जल परिवहन – के माध्यम से यात्रा की गई दूरी (किलोमीटर में) को ध्यान में रखा गया है। यात्रा–संबंधी उत्सर्जन की गणना के लिए उपयोग किए जाने वाले उत्सर्जन कारक इस प्रकार हैं:*

*i. सड़क और रेल परिवहन: उत्सर्जन कारक भारत जीएचजी कार्यक्रम – भारत विशिष्ट सड़क परिवहन उत्सर्जन कारक संस्करण 1.0 (2015) और यात्री और सामग्री परिवहन संस्करण 1.0 (2015) के लिए भारत विशिष्ट रेल परिवहन उत्सर्जन कारक पर आधारित हैं।*

*ii. वायु और जल परिवहन: उत्सर्जन कारक जीएचजी प्रोटोकॉल – क्रॉस–सेक्टर टूल्स से उत्सर्जन कारक (13 मार्च 2024) से प्राप्त किए गए हैं।*

***स्कोप 3 – श्रेणी 7: कर्मचारी आवागमन:*** *इस श्रेणी में कर्मचारियों द्वारा अपने निर्दिष्ट कार्य स्थानों पर आने–जाने से होने वाले ग्रीनहाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन शामिल हैं। उत्सर्जन अनुमान मोड–वार आवागमन पैटर्न और यात्रा दूरी को पकड़ने के लिए आयोजित एक प्राथमिक पैन–बैंक सर्वेक्षण के माध्यम से प्राप्त प्रतिक्रियाओं पर आधारित हैं।*

*उत्सर्जन कारकों के लिए निम्नलिखित स्रोतों का उपयोग किया गया हैरू*

*i. सड़क और रेल परिवहन: भारत विशिष्ट सड़क परिवहन उत्सर्जन कारक संस्करण 1.0 (2015) और यात्री और सामग्री परिवहन के लिए भारत विशिष्ट रेल परिवहन उत्सर्जन कारक संस्करण 1.0 (2015)।*

*ii. मेट्रो रेल: उत्सर्जन कारक ऊर्जा और संसाधन संस्थान (टेरी) से प्राप्त किए गए हैं।*

**2. Please provide details of total Scope 3 emissions & its intensity, in the following format:**

| Parameter | Unit | FY 2024-25 | FY 2023-24 |
|---|---|---|---|
| Category 1- Purchased Goods and Services | Metric tonnes of $CO_2$ equivalent | 605.00 | 525.00 |
| Category 3: Fuel and Energy Related activities (not included in scope 1 and scope 2) | | 8,717.75 | 8,175.48 |
| Category 5 – Waste generated in operations (Paper Waste and E-Waste) | | 94.82 | 82.88 |
| Category 6 – Business Travel | | 12,069.99 | 11,336.00 |
| Category 7: Employee Commuting | | 80,084.00 | 81,787.00 |
| Category 15- Investments (Financed Emissions) | | 6,76,98,831.03 | 6,76,48,195.13 |
| **Total Scope 3 emissions** | $MtCO_2e$ | 6,78,00,402.60 | 6,77,50,101.49 |
| **Total Scope 3 emissions per rupee of turnover** | $MtCO_2e$ / Revenue | 4.91 | 5.63 |

*Indicate if any independent assessment/ evaluation/assurance has been carried out by an external agency? :Yes, Ummed Jain & Co.*

*Note:- **Scope 3 - Category 1 – Purchased Goods and Services:** This category includes greenhouse gas (GHG) emissions associated with the purchase of A4 paper for internal consumption. Emissions have been estimated based on the quantity of A4 paper purchased during FY 2024–25. The Environmental Paper Network's Paper Calculator (version 4.0, available at c.environmentalpaper.org) has been used to calculate the estimated emissions from paper purchases. A4 paper purchased for HO Divisions and 14 training centres of the Bank is considered for emission calculation.*

***Scope 3 - Category 3: Fuel-and energy-related emissions not included in Scope 1 or Scope 2:** Fuel consumption in rented Diesel Generator Sets is used to estimate emissions. Spend data on fuel is used to arrive at the litres of fuel consumed. Emission factor for petrol and diesel has been sourced from India GHG Program, India Specific Road Transport Emission Factors: Version 1, 2015.*

***Scope 3 - Category 5: Waste generated in operations:** Quantity of Paper waste and E-waste is used to estimate emission. Emission factors have been taken from the USEPA website. Paper waste from HO Divisions and 14 training centres of the Bank is considered for emission calculation.*

***Scope 3 - Category 6 – Business Travel:** Greenhouse gas (GHG) emissions from business travel have been estimated based on data sourced from the Bank's internal travel database. Distance travelled (in kilometers) across multiple modes of transport—namely air, rail, bus, car, two-wheeler, and water transport—has been considered for the reporting period. Emission factors used for calculating travel-related emissions are as follows:*

*i. Road and Rail Transport: Emission factors are based on the India GHG Program – India Specific Road Transport Emission Factors Version 1.0 (2015) and India Specific Rail Transport Emission Factors for Passenger and Material Transport Version 1.0 (2015).*

*ii. Air and Water Transport: Emission factors have been sourced from the GHG Protocol – Emission Factors from Cross-Sector Tools (13 March 2024).*

***Scope 3 – Category 7: Employee Commuting:** This category includes greenhouse gas (GHG) emissions resulting from employees commuting to and from their designated work locations. Emission estimates are based on responses received through a primary pan-bank survey conducted to capture mode-wise commuting patterns and travel distances.*

*The following sources have been used for emission factors:*

*i. Road and Rail Transport: India Specific Road Transport Emission Factors Version 1.0 (2015) and India Specific Rail Transport Emission Factors for Passenger and Material Transport Version 1.0 (2015).*

*ii. Metro Rail: Emission factors have been sourced from The Energy and Resources Institute (TERI).*

*स्कोप 3 – श्रेणी 15: वित्तपोषित उत्सर्जन:* बैंक ने कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंसियल्स (PCAF) ग्लोबल GHG अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड फॉर द फाइनेंशियल इंडस्ट्री (द्वितीय संस्करण, 2022) के लिए पार्टनरशिप का उपयोग करके अपने स्कोप 3 – श्रेणी 15 (वित्तपोषित उत्सर्जन) का अनुमान लगाया, जिसमें इसके शुद्ध अग्रिम और निवेश पोर्टफोलियो का 88.59% शामिल है। बैंक के पोर्टफोलियो को PCAF–परिभाषित परिसंपत्ति वर्गों के साथ संरेखित किया गया है। निवेशित और उधारकर्ता कंपनियों की BRSR फाइलिंग से उत्सर्जन डेटा का उपयोग बैंक के वित्तपोषित उत्सर्जन की गणना करने के लिए किया गया है। वित्त वर्ष 2023–24 के लिए वित्तपोषित उत्सर्जन की निम्नलिखित कारणों से पुनर्गणना की गई है:

*i. अद्यतित उत्सर्जन डेटा का उपयोग: BRSR वित्त वर्ष 2023–24 के लिए वित्तपोषित उत्सर्जन गणना में उपयोग किए गए उद्योग उत्सर्जन तीव्रता (BRSR प्रकटीकरण से कंपनी–स्तरीय स्कोप 1 और 2 उत्सर्जन के आधार पर) के साथ–साथ स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन डेटा को वित्त वर्ष 2023 BRSR डेटा से प्राप्त किया गया था, क्योंकि उस समय वित्त वर्ष 2024 का डेटा उपलब्ध नहीं था। BRSR वित्त वर्ष 2024–25 प्रकटीकरण के लिए, वित्त वर्ष 2024 ठत्ै फाइलिंग से अपडेट किए गए वित्त वर्ष 2024 स्कोप 1 और 2 डेटा और संशोधित उद्योग उत्सर्जन तीव्रता का उपयोग करके वित्त वर्ष 2024 BRSR का उपयोग करके पुनर्गणना की गई है।*

*ii. एक साल का डेटा अंतराल: उत्सर्जन डेटा में लगातार एक साल का अंतराल बना हुआ है। तदनुसार, वित्त वर्ष 2025 का वित्तपोषित उत्सर्जन वित्त वर्ष 2024 BRSR डेटा पर आधारित होगा।*

**3. उपर्युक्त आवश्यक संकेतकों के प्रश्न 11 में सूचित पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों के संबंध में, ऐसे क्षेत्रों में जैव विविधता पर इकाई के महत्वपूर्ण प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव के विवरण के साथ–साथ रोकथाम और उपचारात्मक गतिविधियों का विवरण प्रदान करें।**

बैंक की पारिस्थितिकी दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों में कोई शाखा/कार्यालय नहीं है। तदनुसार, यह नियम बैंक पर लागू नहीं होता।

**4. यदि इकाई ने संसाधन दक्षता में सुधार करने, या उत्सर्जन/अपशिष्ट निर्वहन/उत्पन्न अपशिष्ट के कारण होने वाले प्रभाव को कम करने के लिए कोई विशिष्ट पहल की है या नवीन प्रौद्योगिकी या समाधान का उपयोग किया है, तो कृपया निम्नलिखित प्रारूप के अनुसार इसके विवरण के साथ–साथ ऐसी पहलों के परिणाम भी प्रदान करें:**

| क्र. स. | की गई पहल | पहल का विवरण (वेब–लिंक, यदि कोई हो तो, सारांश सहित उपलब्ध कराया जाए) | पहल |
|---|---|---|---|
| 1. | सौर ऊर्जा | स्थापित क्षमता:<br>विभिन्न बैंक भवनों में 1100 किलोवाट प्रति घंटा के सौर ऊर्जा संयंत्र पहले ही स्थापित किए जा चुके हैं।<br>स्थापना के अधीन:<br>बैंक की नई निर्माणाधीन बड़ी इमारत परियोजनाओं में 625 किलोवाट प्रति घंटा के सौर ऊर्जा संयंत्र कार्यान्वयन के अधीन हैं।<br>अखिल भारतीय आधार पर विभिन्न बैंक स्वामित्व वाली मौजूदा इमारतों में 1487 किलोवाट प्रति घंटा की सौर ऊर्जा परियोजना वित्त वर्ष 2024–25 में शुरू की गई है और कार्यान्वयन के अधीन है। | इस पहल के कार्यान्वयन से बैंक ने जीवाश्म ईंधन उत्पादन संयंत्रों से ऊर्जा की खपत को कम कर दिया है, जिसके परिणामस्वरूप बैंक के कार्बन फुटप्रिंट में कमी आई है। |
| 2. | हरित भवन | वर्तमान मेंरू प्र का द्वारका बिल्डिंग निर्माणाधीनरू गुड़गांव, देहरादून इमारतें | इस पहल से बैंक ने ऊर्जा, जल एवं अन्य संसाधनों के कुशल उपयोग में योगदान दिया है। |
| 3. | ऊर्जा बचत उपाय | बैंक ने ऊर्जा बचत के उपाय अपनाए हैं, जैसे बीईई स्टार रेटेड उपकरण, एलईडी फिक्सचर, ऑक्यूपेंसी सेंसर और एलईडी ग्लो साइन बोर्ड लगाना तथा अपने सभी कार्यालयों में एसी का तापमान 24 डिग्री सेल्सियस पर सेट करना। | इस पहल से बैंक ने ऊर्जा की बचत की है और इसके परिणामस्वरूप बैंक के कार्बन उत्सर्जन में कमी आई है। |

***Scope 3 – Category 15: Financed Emission:** The Bank estimated its Scope 3 – Category 15 (Financed Emissions) using the Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF) Global GHG Accounting and Reporting Standard for the Financial Industry (2nd Edition, 2022), covering 88.59% of its net advances and investments portfolio. The Bank's portfolio has been aligned with PCAF-defined asset classes. Emission data from BRSR filings of investee and borrower companies has been used to calculate the Bank's financed emissions. Financed emissions for FY 2023–24 have been recalculated due to the following reasons:*

*i. Use of Updated Emission Data: The Scope 1 and Scope 2 emission data, along with industry emission intensity (based on company-level Scope 1 and 2 emissions from BRSR disclosures), used in the financed emissions calculation for BRSR FY 2023–24 were derived from FY 2023 BRSR data, as FY 2024 data were unavailable at the time. For the BRSR FY 2024–25 disclosure, financed emissions have been recalculated using updated FY 2024 Scope 1 and 2 data and revised industry emission intensities from FY 2024 BRSR filings.*

*ii. One-Year Data Lag: A consistent one-year lag in emissions data persists. Accordingly, FY 2025 financed emissions will be based on FY 2024 BRSR data.*

**3. With respect to the ecologically sensitive areas reported at Question 11 of Essential Indicators above, provide details of significant direct & indirect impact of the entity on biodiversity in such areas along-with prevention and remediation activities.**

The Bank does not have branches/offices inside the ecologically sensitive areas. Accordingly, the same is not applicable to Bank.

**4. If the entity has undertaken any specific initiatives or used innovative technology or solutions to improve resource efficiency, or reduce impact due to emissions / effluent discharge / waste generated, please provide details of the same as well as outcome of such initiatives, as per the following format:**

| Sr. No. | Initiative undertaken | Details of the initiative *(Web-link, if any, may be provided along-with summary)* | Outcome of the initiative |
|---|---|---|---|
| 1. | Solar Power | Installed Capacity:<br>1100 KWp solar power plants already installed at various bank buildings.<br>Under installation:<br>625 KWp solar power plants are under implementation in new under-construction large building projects of Bank.<br>1487 KWp of solar power project at various bank owned existing buildings on PAN India basis is initiated in FY 2024-25 & is under implementation. | By implementation of this initiative, Bank has reduced its consumption of energy from fossil fuel generating plants thereby resulting in reduction of carbon footprints of Bank. |
| 2. | Green Building | At Present: HO Dwarka Building<br>Under-construction: Gurgaon, Dehradun buildings | By this initiative, bank has contributed in efficient use of energy, water and other resources. |
| 3. | Energy Saving Measures | The Bank has adopted the energy saving measures like installation of BEE Star rated equipments, LED fixtures, Occupancy sensors and LED glow sign board and setting the AC temperature at 24 deg C at all its offices. | By this initiative, Bank has achieved energy saving and thereby resulted in reduction on carbon emission of the Bank. |

| क्र. स. | की गई पहल | पहल का विवरण (वेब–लिंक, यदि कोई हो तो, सारांश सहित उपलब्ध कराया जाए) | पहल |
|---|---|---|---|
| 4. | वृक्षारोपण अभियान | बैंक ने अखिल भारतीय स्तर पर प्रोजेक्ट पलाश के अंतर्गत लगभग 3 लाख पौधे लगाए हैं। | इस पहल के द्वारा बैंक ने जीएचजी उत्सर्जन को रोकने में योगदान दिया है। |
| 5. | विद्युत लेखा परीक्षा | बैंक प्रत्येक दो वर्ष में एक बार अपनी सभी शाखाओंध्कार्यालयों का विद्युत लेखा–परीक्षण (इलेक्ट्रीकल ऑडिट) कराता है। | शाखाओंध्कार्यालयों का नियमित विद्युत ऑडिट सक्रिय कार्रवाई करने के लिए किया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप विद्युत स्थापना के कारण आग लगने की संभावना कम होती है, ऊर्जा दक्षता में सुधार होता है, तथा बिजली बिलों में लागत बचत होती है। |
| 6. | सीवेज उपचार संयंत्र (एसटीपी) | बैंक ने मुख्यालय द्वारका भवन सहित अपने प्रमुख भवनों में एसटीपी स्थापित किए हैं। | इस पहल से जल दक्षता में वृद्धि हुई है तथा बागवानी और सेंट्रल एसी प्लांट में आंतरिक उपयोग के लिए पुनर्चक्रित जल का उपयोग किया जा रहा है। |
| 7. | वर्षा जल संचयन प्रणाली | बैंक ने 7 भवनों में वर्षा जल संचयन प्रणाली स्थापित की है। | इस पहल के माध्यम से बैंक भूजल भंडार को पुनः भरने में योगदान दे रहा है। |

**5. क्या संस्था के पास कारोबार निरंतरता और आपदा प्रबंधन योजना है?**

**कारोबार निरंतरता योजना**

बैंक ने बोर्ड द्वारा अनुमोदित कारोबार निरंतरता योजना (बीसीपी) और आपदा प्रबंधन योजना के लिए नीति बनाई है, जो आईटी, गैर–आईटी और मानव संसाधन से संबंधित पहलुओं सहित बैंक के सभी व्यावसायिक संचालन को कवर करती है। यह नियामक दिशानिर्देशों के अनुरूप एक प्रभावी बीसीपी स्थापित करने, उसकी देखरेख करने और उसे लागू करने के लिए अच्छी तरह से परिभाषित शासन संरचना की रूपरेखा तैयार करता है। इसमें आपातकालीन प्रतिक्रिया योजना, आपदा रिकवरी योजना, महामारी प्रतिक्रिया के साथ–साथ परीक्षण, प्रशिक्षण, बैकअप, वैकल्पिक साइट, रिकवरी व्यवस्था का प्रावधान शामिल है, जो बैंक को आपदा से निपटने और उससे उबरने में सक्षम बनाता है और संचालन की विश्वसनीयता और निर्बाध निरंतरता सुनिश्चित करता है। इसकी प्रभावशीलता के लिए समय–समय पर समीक्षा और ऑडिट भी किए जाते हैं।

**6. इकाई की मूल्य श्रृंखला से उत्पन्न होने वाले पर्यावरण पर किसी भी महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव का प्रकटीकरण करें। इस संबंध में इकाई द्वारा क्या शमन या अनुकूलन उपाय किए गए हैं।**

लागू नहीं

**7. मूल्य श्रृंखला साझेदारों का प्रतिशत (ऐसे साझेदारों के साथ किए गए कारोबार के मूल्य के आधार पर) जिनका पर्यावरणीय प्रभावों के लिए मूल्यांकन किया गया।**

लागू नहीं

| Sr. No. | Initiative undertaken | Details of the initiative *(Web-link, if any, may be provided along-with summary)* | Outcome of the initiative |
|---|---|---|---|
| 4. | Plantation Drive | Bank has planted approx. 3 lacs plants under Project Palaash at all India level. | By this initiative, Bank has contributed in sequestering the GHG emissions. |
| 5. | Electrical audit | Bank conducts the Electrical Audit of all its branches/offices once in every two years. | The regular electrical audit of branches/offices is done to take the pro-active actions, which results in less chances of fire hazards due to electrical installation, improvement in energy efficiency, and cost savings in electricity bills. |
| 6. | Sewage Treatment Plants (STP) | Bank has installed STPs at its major buildings including HO Dwarka building. | The initiative has led to water efficiency and use of recycle water for internal use in gardening and Central AC plant |
| 7. | Rainwater harvesting system | Bank has installed Rainwater harvesting system at 7 buildings. | Through this initiative, Bank is contributing in the replenishing groundwater reserves. |

**5. Does the entity have a business continuity and disaster management plan?**

**Business Continuity Plan**

Bank has in place a Board approved Policy for Business Continuity Management and Operational Resilience which covers all the business operations of the Bank including IT, Non-IT and HR related activities. It outlines well defined governance structures to establish, oversee and implement an effective Business Continuity Plan (BCP) and Disaster Management Plan aligned with the regulatory guidelines. It incorporates emergency response plan, disaster recovery plan, pandemic response along with the provision of testing, training, backup, alternate site, recovery arrangements which together enable bank to respond and recover from disaster and ensure seamless continuity of operations. The document is periodically reviewed and undergoes audit for its effectiveness.

**6. Disclose any significant adverse impact to the environment, arising from the value chain of the entity. What mitigation or adaptation measures have been taken by the entity in this regard.**

Not Applicable

**7. Percentage of value chain partners (by value of business done with such partners) that were assessed for environmental impacts.**

Not Applicable

**सिद्धांत 7 ऐसे कारोबार जो सार्वजनिक और विनियामक नीति को प्रभावित करते को कारोबार जिम्मेदारीपूर्ण और पारदर्शी तरीके से करना चाहिए।**

1. **क) व्यापार एवं उद्योग मंडलों/संघों से संबद्धता की संख्या।**

व्यापार और उद्योग मंडलों/संघो के साथ आठ (7) संबद्धताएं हैं

**ख) उन शीर्ष 10 व्यापार और उद्योग मंडलों/संघों (ऐसे निकाय के कुल सदस्यों के आधार पर निर्धारित) की सूची बनाएं, जिनकी संस्था सदस्य है/संबद्ध है।**

| क्र. सं | व्यापार एवं उद्योग मंडलों/संघों का नाम | व्यापार एवं उद्योग मंडलों/संघों की पहुंच (राज्य/राष्ट्रीय) |
|---|---|---|
| 1 | अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य मंडल (आईसीसी), नई दिल्ली | राष्ट्रीय |
| 2 | एसोसिएट चौंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया (ेब्भ्।ड) | राष्ट्रीय |
| 3 | च्भ्क चौंबर ऑफ कॉमर्स | राष्ट्रीय |
| 4 | फेडरेशन ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (थ्प्ब्ब्) | राष्ट्रीय |
| 5 | भारतीय उद्योग परिसंघ (ब्प्), नई दिल्ली | राष्ट्रीय |
| 6 | सार्वजनिक उपक्रमों की स्थायी परिषद ेंब्व्च्म्) | राष्ट्रीय |
| 7 | भारतीय बैंक संघ (प्ठ।) | राष्ट्रीय |
| 8 | कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंसियल्स के लिए भागीदारी (च्ब्।थ्) | अंतर्राष्ट्रीय |

2. **नियामक प्राधिकरणों के प्रतिकूल आदेशों के आधार पर, इकाई द्वारा प्रतिस्पर्धा–विरोधी आचरण से संबंधित किसी भी मुद्दे पर की गई या चल रही सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।**

| प्राधिकरण का नाम | मामले के संक्षिप्त विवरण | की गई सुधारात्मक कार्रवाई |
|---|---|---|
| शून्य | | |

**नेतृत्व संकेतक**

1. संस्था द्वारा समर्थित सार्वजनिक नीति पदों का विवरणः

| क्र. सं. | समर्थित सार्वजनिक नीति | इस तरह के समर्थन के लिए अपनाई गई विधि | क्या जानकारी सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध है? (हां/नहीं) | बोर्ड द्वारा समीक्षा की आवृत्ति (वार्षिक/अर्ध वार्षिक/त्रैमासिक/अन्य–कृपया निर्दिष्ट करें) | वेब लिंक, यदि उपलब्ध हो |
|---|---|---|---|---|---|
| शून्य | | | | | |

**PRINCIPLE 7 Businesses, when engaging in influencing public and regulatory policy, should do so in a manner that is responsible and transparent**

1. **a) Number of affiliations with trade and industry chambers/ associations.**

There are thirteen (13) affiliations with trade and industry chambers/ associations

**b) List the top 10 trade and industry chambers/ associations (determined based on the total members of such body) the entity is a member of/ affiliated to.**

| S. No. | Name of the trade and industry chambers/ associations | Reach of trade and industry chambers/ associations (State/National) |
|---|---|---|
| 1 | International Chambers of Commerce (ICC), New Delhi | National |
| 2 | Associate Chambers of Commerce and Industry of India (ASSOCHAM) | National |
| 3 | PHD Chamber of Commerce | National |
| 4 | Federation of Commerce and Industry (FICCI) | National |
| 5 | Confederation of Indian Industry (CII), New Delhi | National |
| 6 | Standing Council of Public Enterprises (SCOPE) | National |
| 7 | Indian Banks' Association (IBA) | National |
| 8 | Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF) | International |

2. **Provide details of corrective action taken or underway on any issues related to anti-competitive conduct by the entity, based on adverse orders from regulatory authorities.**

| Name of authority | Brief of the case | Corrective action taken |
|---|---|---|
| NIL | | |

**LEADERSHIP INDICATORS**

1. Details of public policy positions advocated by the entity:

| S. No. | Public policy advocated | Method resorted for such advocacy | Whether information available in public domain? (Yes/No) | Frequency of Review by Board (Annually/ Half yearly/ Quarterly / Others – please specify) | Web Link, if available |
|---|---|---|---|---|---|
| NIL | | | | | |

सिद्धांत 8 व्यवसायों को समावेशी विकास और न्यायसंगत विकास को बढ़ावा देना चाहिए

आवश्यक संकेतक

1. चालू वित्त वर्ष में लागू विधियों के आधार पर इकाई द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं के सामाजिक प्रभाव आकलन (एसआईए) का विवरण।

| परियोजना का नाम एवं संक्षिप्त विवरण | एसआईए अधिसूचना संख्या | अधिसूचना की तिथि | क्या स्वतंत्र बाह्य एजेंसी द्वारा संचालित किया गया है (हां/नहीं) | परिणाम सार्वजनिक डोमेन में संप्रेषित किए जाएंगे (हां/नहीं) | प्रासंगिक वेब लिंक |
|---|---|---|---|---|---|
| शून्य | | | | | |

2. निम्नलिखित प्रारूप में उन परियोजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान करें जिनके लिए आपकी संस्था द्वारा पुनर्वास और पुनर्स्थापन (आर एंड आर) का कार्य किया जा रहा है:

| क्र. सं. | परियोजना का नाम जिसके लिए आर और आर चल रहा है | राज्य | जिला | परियोजना प्रभावित परिवारों (पीएएफ) की संख्या | आर और आर द्वारा कवर किए गए परियोजना प्रभावित परिवारों का % | वित्तीय वर्ष में परियोजना प्रभावित परिवारों को भुगतान की गई राशि (भारतीय रुपये में) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| लागू नहीं | | | | | | |

3. समुदाय की शिकायतें प्राप्त करने और उनके निवारण के तंत्र का वर्णन करें।

बैंक आर्थिक और सामाजिक रूप से वंचित समुदायों के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है, साथ ही उनकी शिकायतों का प्रभावी ढंग से समाधान करता है। शिकायत निवारण के लिए, ग्राहक और समुदायों के पास अपनी चिंताओं को व्यक्त करने और प्रतिक्रिया देने के लिए निम्नलिखित चैनल हैं:

- संपर्क केंद्र (टोल फ्री/टोल नंबर)
- इंटरनेट बैंकिंग सेवा/मोबाइल बैंकिंग ऐप/कॉर्पोरेट वेबसाइट।
- ईमेल करें care@pnb.co.in
- एमडी एवं सीईओ/चेयरमैन/वित्त मंत्रालय/आरबीआई आदि।
- लोक शिकायत विभाग (सीपीजीआरएएम)/आईएनजीआरएएम।
- सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म।
- डाक
- शाखा कार्यालयों में व्यक्तिगत रूप से शिकायत।

  बैंक द्वारा प्राप्त शिकायतों का समयबद्ध तरीके से समाधान किया जाता है।

**PRINCIPLE 8 Businesses should promote inclusive growth and equitable development**

**ESSENTIAL INDICATORS**

**1. Details of Social Impact Assessments (SIA) of projects undertaken by the entity based on applicable laws, in the current financial year.**

| Name and brief details of project | SIA Notification No | Date of notification | Whether conducted by independent external agency (Yes / No) | Results communicated in public domain (Yes / No) | Relevant Web link |
|---|---|---|---|---|---|
| Nil | | | | | |

**2. Provide information on project(s) for which ongoing Rehabilitation and Resettlement (R&R) is being undertaken by your entity, in the following format:**

| S. No. | Name of Project for which R&R is ongoing | State | District | No. of Project Affected Families (PAFs) | % of PAFs covered by R&R | Amounts paid to PAFs in the FY (In INR) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Not Applicable | | | | | | |

**3. Describe the mechanisms to receive and redress grievances of the community.**

The Bank is committed to uplifting economically and socially disadvantaged communities while effectively addressing their grievances. For grievance redressal, customer and communities have following channels to voice their concerns and provide feedback:

- The Bank has an on-line Grievance Redressal Management Portal called Centralized Grievance Redressal Monitoring System (CGRMS), which is in-house Portal. Through this system, the customer gets an immediate acknowledgement and can keep a track of the complaint also.
- Contact centres (Toll free/ Toll numbers)
- Internet Banking Service / Mobile Banking app / Corporate Website.
- Email at care@pnb.co.in
- MD & CEO / Chairman/ Ministry of Finance/RBI etc.
- Department of Public Grievance (CPGRAM)/INGRAM.
- Social Media such as Facebook, Twitter, LinkedIn and other social media platforms.
- Post.
- Complaints in Person at Branch Offices.

  The grievances received by the Bank are resolved in a time bound manner.

4. आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त इनपुट सामग्री का प्रतिशत (कुल इनपुट में इनपुट का मूल्य):

(करोड़ रुपए में)

| | वित्त वर्ष 2023–24 | वित्त वर्ष 2023–24 |
|---|---|---|
| सीधे छोटे उत्पादकों/ एमएसएमई से प्राप्त | 20% (₹252.73 crore) | 15.68% (₹124.79 crore) |
| सीधे भारत के भीतर से | 100% (₹1267.03 crore)* | 100% (₹766.17 crore)* |

*एमएसई खरीद केवल ळमड के माध्यम से की गई खरीद के लिए उपलब्ध है। इसलिए उपरोक्त आंकड़े केवल ळमड के माध्यम से बैंक की खरीद के लिए हैं।*

**यह आंकड़ा एमएसई से प्राप्त सामग्री (अर्थात जीईएम के माध्यम से कुल खरीद) सहित है।*

5. छोटे शहरों में रोजगार सृजन–निम्नलिखित स्थानों पर कार्यरत व्यक्तियों (स्थायी या गैर–स्थायी/अनुबंध के आधार पर कार्यरत कर्मचारियों या श्रमिकों सहित) को भुगतान की गई मजदूरी का खुलासा, कुल मजदूरी लागत के प्रतिशत के रूप में करें

| स्थान | वित्त वर्ष 2024–25 | वित्त वर्ष 2023–24 |
|---|---|---|
| ग्रामीण | 23.12% | 21.58% |
| अर्ध शहरी | 18.93% | 18.05% |
| शहरी | 34.86% | 32.35% |
| महानगर | 23.10% | 28.03% |

## नेतृत्व संकेतक

1. सामाजिक प्रभाव आकलन में पहचाने गए किसी भी नकारात्मक सामाजिक प्रभाव को कम करने के लिए की गई कार्रवाई का विवरण प्रदान करें (संदर्भः उपरोक्त आवश्यक संकेतकों का प्रश्न 1):

| पहचाने गए नकारात्मक सामाजिक प्रभाव का विवरण | सुधारात्मक कार्रवाई की गई |
|---|---|
| लागू नहीं | |

2. सरकारी निकायों द्वारा चिन्हित आकांक्षी जिलों में आपकी संस्था द्वारा शुरू की गई सीएसआर परियोजनाओं के बारे में निम्नलिखित जानकारी प्रदान करें:

| क्र. सं. | राज्य | आकांक्षी जिला | खर्च की गई राशि (भारतीय रुपये में) |
|---|---|---|---|
| 1 | असम | बारपेटा | 47292 |
| 2 | पंजाब | मोगा | 99990 |
| 3 | तमिल नाडु | वायनाड | 50000 |
| 4 | हिमाचल प्रदेश | चम्बा | 49500 |
| 5 | भूबनेश्वर | मल्कानगिरी | 45000 |
| 6 | गुवाहाटी | हैलाकांडी | 98000 |
| 7 | भोपाल | विदिशा | 38400 |
| 8 | बिहार | औरंगाबाद | 49500 |
| | | पूर्णिया | 99400 |
| | | मुजफ्फरपुर | 36590 |
| 9 | झारखंड | रामगढ | 50152 |
| | | रांची | 100967 |
| 10 | उत्तराखंड | उधम सिंह नगर | 198639 |
| | | हरिद्वार | 134800 |

4. **Percentage of input material (inputs to total inputs by value) sourced from suppliers:**

| | FY 2024-25 | FY 2023-24 |
|---|---|---|
| Directly sourced from MSMEs/ Small producers | 20% (₹252.73 crore) | 15.68% (₹124.79 crore) |
| Directly from within India | 100% (₹1267.03 crore)* | 100% (₹766.17 crore)* |

*The MSE procurement is available only for the procurement done through GeM. Hence the above figures are for the procurement of Bank through GeM only.*

**The figure is inclusive of materials sourced from MSEs (i.e. total procurement through GeM)*

5. **Job creation in smaller towns – Disclose wages paid to persons employed (including employees or workers employed on a permanent or non-permanent / on contract basis) in the following locations, as % of total wage cost**

| Location | FY 2024-25 | FY 2023-24 |
|---|---|---|
| Rural | 23.12% | 21.58% |
| Semi-urban | 18.93% | 18.05% |
| Urban | 34.86% | 32.35% |
| Metropolitan | 23.10% | 28.03% |

## LEADERSHIP INDICATORS

1. **Provide details of actions taken to mitigate any negative social impacts identified in the Social Impact Assessments (Reference: Question 1 of Essential Indicators above):**

| Details of negative social impact identified | Corrective action taken |
|---|---|
| Not Applicable | |

2. **Provide the following information on CSR projects undertaken by your entity in designated aspirational districts as identified by government bodies:**

| S. No. | State | Aspirational District | Amount spent (In INR) |
|---|---|---|---|
| 1 | Assam | Barpeta | 47292 |
| 2 | Punjab | Moga | 99990 |
| 3 | Tamil Nadu | Wayanad | 50000 |
| 4 | Himanchal Pradesh | Chamba | 49500 |
| 5 | Bhubhaneshwar | Malkangiri | 45000 |
| 6 | Guwahati | Hailakandi | 98000 |
| 7 | Bhopal | Vidisha | 38400 |
| 8 | Bihar | Aurangabad | 49500 |
| | | Purnia | 99400 |
| | | Muzzaffarpur | 36590 |
| 9 | Jharkhand | Ramgarh | 50152 |
| | | Ranchi | 100967 |
| 10 | Uttarakhand | Udham Singh Nagar | 198639 |
| | | Haridwar | 134800 |

3. क) **क्या आपके पास कोई अधिमान्य खरीद नीति है जिसके तहत आप हाशिए पर पड़े/कमजोर समूहों के आपूर्तिकर्ताओं से खरीद को प्राथमिकता देते हैं? (हां/नहीं)**

बैंक के पास बोर्ड द्वारा अनुमोदित खरीद नीति है जो मोटे तौर पर वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा प्रसारित सामान्य वित्तीय नियमों पर आधारित है। इसके अलावा, नीति में सूक्ष्म और लघु उद्यम (MSE's) के माध्यम से अधिमान्य खरीद के लिए एमएसएमई मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देश भी शामिल हैं। स्टार्ट–अप को बैंक की खरीद के लिए निविदा में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कुछ छूट भी दी जाती है। दिशा–निर्देशों के तहत एससी/एसटी उद्यमियों के एमएसई से खरीद के लिए कुछ लक्ष्य भी तय किए गए हैं।

इसके अलावा बैंक की खरीद नीति में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा जारी खरीद वरीयता नीति भी शामिल है।

ख) **आप किन उपेक्षित/कमजोर समूहों से खरीदारी करते हैं?**

सूक्ष्म एवं लघु उद्यम, स्टार्ट–अप।

ग) **यह कुल खरीद (मूल्य के अनुसार) का कितना प्रतिशत है?**

बैंक के प्राथमिक कार्यों में जमाराशि स्वीकार करना और ऋण वित्तपोषण का प्रावधान शामिल है एवं बैंक की कुल खरीद की तुलना में हाशिए पर /कमजोर समूह से खरीद करना न्यूनतम है। हालाँकि, हमने सीधे छोटे/एमएसएमई उत्पादकों से स्रोत प्राप्त किया है। इसे पहले ही सिद्धांत 8 (आवश्यक संकेतक) के बिंदु 4 में उद्धृत किया जा चुका है।

4. **पारंपरिक ज्ञान के आधार पर आपकी संस्था के स्वामित्व वाली या उसके द्वारा अर्जित बौद्धिक संपदा से प्राप्त और साझा किए गए लाभों का विवरण (चालू वित्तीय वर्ष में):**

| क्र.सं. | पारंपरिक ज्ञान पर आधारित बौद्धिक संपदा | स्वामित्व/अधिग्रहित (हां/नहीं) | लाभ साझा किया गया (हाँ/नहीं) | लाभ हिस्सेदारी की गणना का आधार |
|---|---|---|---|---|
| लागू नहीं | | | | |

5. **बौद्धिक संपदा से संबंधित विवादों में किसी प्रतिकूल आदेश के आधार पर की गई या चल रही सुधारात्मक कार्रवाइयों का विवरण, जिसमें पारंपरिक ज्ञान का उपयोग शामिल हो।**

| प्राधिकारी का नाम | मामले का संक्षिप्त विवरण | की गई सुधारात्मक कार्रवाई |
|---|---|---|
| लागू नहीं | | |

6. **सीएसआर परियोजनाओं के लाभार्थियों का विवरण: वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान**

बैंक सामाजिक कल्याण के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता के साथ सीएसआर गतिविधियां चलाता है, तथा यह सुनिश्चित करता है कि जाति, पंथ आदि की परवाह किए बिना समाज के सभी वर्गों को समान रूप से इसका लाभ मिले।

3. a) **Do you have a preferential procurement policy where you give preference to purchase from suppliers comprising marginalized /vulnerable groups? (Yes/No)**

Yes, Bank has a Board approved Procurement Policy which is broadly based on General Financial rules circulated by department of Expenditure, Ministry of Finance. Further, the policy also includes guidelines issued by MSME Ministry for Preferential Procurement through Micro and Small Enterprise (MSE's). Start-ups are also given certain relaxations to ensure their participation in the tender for Bank's procurement. Under guidelines, certain targets are also fixed for procurement from MSE's of SC/ST Entrepreneur.

Also Bank's Procurement Policy includes Purchase Preference Policy issued by Department for Promotion of Industry and Internal Trade, Ministry of Commerce & Industry.

b) **From which marginalized /vulnerable groups do you procure?**

Micro and Small enterprises.

c) **What percentage of total procurement (by value) does it constitute?**

The primary functions of the Bank include the acceptance of deposits and providing financing. The proportion of inputs sourced through marginalized/vulnerable group remains minimal in comparison to the Bank's core business operations. Further, procurement preference is given to small/MSEs producers as per Govt. guidelines.

4. **Details of the benefits derived and shared from the intellectual properties owned or acquired by your entity (in the current financial year), based on traditional knowledge:**

| S.No. | Intellectual Property based on traditional knowledge | Owned/ Acquired (Yes/No) | Benefit shared (Yes / No) | Basis of calculating benefit share |
|---|---|---|---|---|
| Not Applicable | | | | |

5. **Details of corrective actions taken or underway, based on any adverse order in intellectual property related disputes wherein usage of traditional knowledge is involved.**

| Name of authority | Brief of the Case | Corrective Action Taken |
|---|---|---|
| Not Applicable | | |

6. **Details of beneficiaries of CSR Projects: during FY 2024-25**

The Bank undertakes CSR activities with a strong commitment to social welfare, ensuring that all sections of society benefit equally, regardless of caste, creed, etc.

इसके अतिरिक्त, बैंक ने अपनी सीएसआर नीति में सामाजिक–आर्थिक विकास और राहत तथा समाज के वंचित वर्ग के कल्याण के लिए केंद्र सरकार या राज्य सरकारों द्वारा स्थापित किसी अन्य ऐसे कोष में योगदान देने का प्रावधान किया है। उपर्युक्त निधियों से संबंधित किसी भी प्रस्ताव पर प्राथमिकता के आधार पर विचार किया जाता है। वित्त वर्ष 24–25 के दौरान की गई सीएसआर गतिविधियाँ इस प्रकार हैं:

**वित्त वर्ष 2024–2025 की अवधि के दौरान, निम्नलिखित सीएसआर गतिविधियाँ शुरू की गई हैं:**

| क्र. सं. | सीएसआर परियोजनाऐं | सीएसआर परियोजनाओं से लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या | कमजोर और हाशिए पर पड़े समूहों से लाभार्थियों का प्रतिशत |
|---|---|---|---|
| 1 | लोगों की मदद के लिए एआई चौटबॉट के विकास हेतु सहायता प्रदान करके कुंभ मेला 2025, प्रयागराज को सीएसआर समर्थन। | | |
| 2 | स्कूल के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, गुरुग्राम को सीएसआर सहायता | | |
| 3 | पार्क के विकास के लिए GIDA (गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण) को सीएसआर सहायता | | |
| 4 | पीएनबी राइजिंग स्टार छात्रवृत्ति कार्यक्रम के अंतर्गत 100 वंचित बच्चों को युवा अनस्टॉपेबल के माध्यम सीएसआर सहायता प्रदान की गई। | | |
| 5 | हरियाणा के नूंह जिले की ग्रामीण आबादी में एनीमिया का त्वरित निदान करने के लिए उन्नत चिकित्सा उपकरण खरीदने हेतु बिसनौली सर्वोदय ग्रामोद्योग सेवा संस्थान को सीएसआर सहायता। | | |
| 6 | बैंक के प्रचार के लिए बस दान करके गुरुद्वारा पटना साहिब, बिहार को सीएसआर समर्थन दिया गया। | | |
| 7 | पैराशूट रेजिमेंट प्रशिक्षण केंद्र, बैंगलोर को एम्बुलेंस के लिए सीएसआर सहायता। | | |
| 8 | महाकालेश्वर मंदिर और ओंकारेश्वर मंदिर को ई–कार्ट और जनरेटर सेट खरीदने के लिए सीएसआर सहायता। | डेटा एकत्रित नहीं किया गया | |
| 9 | त्रिपुरा अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी को सीएसआर सहायता। | | |
| 10 | बादामपहाड़, जिला मयूरभंज, ओडिशा में स्थित एसएलएस मेमोरियल आवासीय विद्यालय के लिए कक्षा की आवश्यक वस्तुओं के लिए सीएसआर। | | |
| 11 | हौसूर नगर पालिका के अंतर्गत सरकारी स्कूलों के लिए 500 डेस्क और बेंच खरीदने के लिए सीएसआर के तहत वित्तीय सहायता। | | |
| 12 | जयपुर में आयोजित कार्बन फ्री साइक्लोथॉन कार्यक्रम को सीएसआर समर्थन दिया गया। | | |
| 13 | योगक्षेम सेवा न्यास को रसोई उपकरण, सहायक सामग्री और बर्तन खरीदने के लिए सीएसआर सहायता। | | |
| 14 | हमारे बैंक के 130वें स्थापना दिवस पर स्कूल के बुनियादी ढांचे के उन्नयन के लिए दिल्ली सरकार के स्कूलों को सीएसआर सहायता प्रदान की गई। | | |
| 15 | सीता रसोई न्यास को सीएसआर सहायता से बड़ी मात्रा में भोजन बनाने के लिए रसोई उपकरण और साधन खरीदने के लिए दिया गया। | | |
| 16 | दिल्ली में स्कूलों के उन्नयन के लिए बसंत सोशल फाउंडेशन को सीएसआर सहायता। | | |

Additionally, Bank in its CSR policy has provision to contribute any other such fund set-up by the Central Government or the State Governments for socio-economic development & relief and funds for the welfare of the marginalized section of the society. Any proposal related to above mentioned funds are considered on priority basis. CSR activities undertaken during FY 24-25 are as follows:

**During the period FY 2024-2025, the following CSR activities have been undertaken:**

| S. No. | CSR Projects | No. of person benefitted from CSR Projects | % of beneficiaries from vulnerable & marginalized groups |
|---|---|---|---|
| 1 | CSR support to Kumbh Mela 2025, Praygraj by providing aid for development of AI chatbot to help people. | | |
| 2 | CSR support to Government senior secondary school, Gurugram for school infrastructure development | | |
| 3 | CSR support to GIDA (Gorakhpur Industrial Development Authority) for development of park | | |
| 4 | CSR support to Yuva Unstoppable under PNB rising star scholarship program to 100 under privileged children. | | |
| 5 | CSR to Bisnouli Sarvodaya Gramodyog Sewa Sansthan for procuring an advanced medical equipment to conduct rapid diagnosis of anemia among the rural population of Distt. Nuh, Haryana. | | |
| 6 | CSR support to Gurudwara Patna Sahib, Bihar by donating Bus for publicity of the Bank. | | |
| 7 | CSR support to Parachute Regiment Training Centre Bangalore for an ambulance. | | |
| 8 | CSR support to Mahakaleshwar Temple & Omkareshwar Temple for purchasing e-kart & generator set. | Data not collated | |
| 9 | CSR support to Tripura Renewable Energy Development Agency. | | |
| 10 | CSR for Classroom essentials to SLS Memorial Residential School located in Pahadpur, Badampahar, Distt Mayurbhanj, Odisha. | | |
| 11 | Financial assistance under CSR for procuring 500 desk and benches for government schools under Housur Municipality. | | |
| 12 | CSR support to Carbon Free Cyclothon event held in Jaipur. | | |
| 13 | CSR support to Yogakshem Seva Nayas for purchasing kitchen equipment, accessories and utensils. | | |
| 14 | CSR help to Delhi Government schools for school infrastructure upgradation on the 130th Foundation Day of our Bank. | | |
| 15 | CSR support to Sita Rasoi Nyas for purchasing kitchen equipment and appliances for making food in large quantity. | | |
| 16 | CSR to Basant Social Foundation for upgrading school in Delhi. | | |

| क्र. सं. | सीएसआर परियोजनाएँ | सीएसआर परियोजनाओं से लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या | कमजोर और हाशिए पर पड़े समूहों से लाभार्थियों का प्रतिशत |
|---|---|---|---|
| 17 | हेराल्ड अकादमी जूनियर पब्लिक स्कूल, उत्तराखंड को स्कूल भवन की मरम्मत और नवीनीकरण के लिए सीएसआर। | | |
| 18 | हैप्पी मील वितरण कार्यक्रम के साथ 750 हैप्पीनेस किट के वितरण के लिए इस्कॉन को सीएसआर सहायता। | | |
| 19 | सच्ची सहेली को उनकी परियोजना चेतना के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सीएसआर सहायता। | | |
| 20 | सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापना के लिए अर्थ सेवियर फाउंडेशन को सीएसआर समर्थन। | | |
| 21 | वृद्धाश्रम के दैनिक खर्चों के लिए एनजीओ सेव द ह्यूमैनिटी को सीएसआर सहायता प्रदान की गई। | | |
| 22 | विकलांग बच्चों के लिए स्कूल स्थापित करने हेतु बीएसएफ वाइव्स वेलफेयर एसोसिएशन को सीएसआर सहायता। | | |
| 23 | भारत वंदना पार्क, द्वारका में वृक्षारोपण अभियान के लिए सीएसआर समर्थन। | | |
| 24 | 8 बच्चों की शिक्षा के लिए ऑरो–मीरा सर्विस सोसाइटी द्वारा संचालित ऑरो–मीरा विद्या मंदिर को सीएसआर सहायता। | | |
| 25 | पुरस्कार और फेलोशिप के लिए योग शिक्षा आध्यात्म को सीएसआर। | | |
| 26 | परियोजना पोषण: स्वास्थ्य एवं पोषण के लिए परिचय फाउंडेशन को सीएसआर। | | |
| 27 | सीएसआर दिल्ली–एनसीआर में कैंसर रोगियों के लिए राशन सहायता हेतु कैन सपोर्ट को सहयोग। | | |
| 28 | सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सुलभ हेलमेट वितरण हेतु हेलमेट बैंक को सीएसआर प्रदान किया गया। | डेटा एकत्रित नहीं किया गया | |
| 29 | समुदायों को सशक्त बनाने, जीवन में परिवर्तन लाने के लिए उत्तम जय राम फाउंडेशन को सीएसआर। | | |
| 30 | दिल्ली में नो हॉर्निंग अभियान के लिए राहगीरी फाउंडेशन को सीएसआर सहायता । | | |
| 31 | कम्प्यूटर क्रय हेतु चौधरी फाउंडेशन को सीएसआर सहायता। | | |
| 32 | सीएसआर से नई लर्निंग हाइट्सरू विशेष स्कूल और उपचारात्मक केंद्र। | | |
| 33 | भारत में वित्तीय जागरूकता अभियान के लिए वेल बीइंग शिक्षा फाउंडेशन को सीएसआर सहायता। | | |
| 34 | स्कूल में बुनियादी ढांचे के उन्नयन के लिए सर्वोदय बाल विद्यालय को सीएसआर प्रदान किया गया। | | |
| 35 | वाटर प्यूरीफायर की स्थापना के लिए पिंगलाखी लोक कल्याण संगठन, पंजाब को सीएसआर । | | |
| 36 | कलिंगा सामाजिक विज्ञान संस्थान को 100 वंचित आदिवासी छात्रों की शिक्षा के लिए सीएसआर प्रदान किया गया | | |
| 37 | जल संरक्षण के लिए परियोजना "हार्वेस्ट फॉर रेजिलिएंस"के लिए वाटर फॉर पीपल इंडिया ट्रस्ट को सीएसआर। | | |
| 38 | सीएसआर से स्वर्ण मंदिर, अमृतसर तक 32 सीटर वातानुकूलित बस। | | |

| S. No. | CSR Projects | No. of person benefitted from CSR Projects | % of beneficiaries from vulnerable & marginalized groups |
|---|---|---|---|
| 17 | CSR to Herald Academy Junior Public School, Uttarakhand for Repair and Renovation of school building. | | |
| 18 | CSR to ISKCON for distribution of 750 Happiness Kits along with Happy Meals distribution Program. | | |
| 19 | CSR support to Sachi Saheli for empowering women through their project Chetna. | | |
| 20 | CSR support to the Earth Saviour Foundation for Solar plant installation. | | |
| 21 | CSR support to NGO Save the Humanity for old age home for their day to day expenses. | | |
| 22 | CSR support to BSF wives Welfare Association for setting up their school for disabled children. | | |
| 23 | CSR support for plantation drive in Bharat Vandana Park, Dwarka. | | |
| 24 | CSR to Auro-Mira Vidya Mandir run by Auro-Mira service society for education of 8 children. | | |
| 25 | CSR to Yoga Education Spirituality for Awards and Fellowships. | | |
| 26 | CSR to Parichay Foundation for Project Poshan: Health & Nutrition. | | |
| 27 | CSR to CanSupport for Ration Support for Cancer Patients in Delhi-NCR. | | |
| 28 | CSR to Helmet Bank for Accessible Helmet Distribution for ensuring Road Safety. | Data not collated | |
| 29 | CSR to Uttam Jai Ram Foundation for Empowering Communities, Transforming Lives. | | |
| 30 | CSR to Raahgiri Foundation for No Honking Campaign in Delhi. | | |
| 31 | CSR to Choudhary Foundation for purchasing Computers. | | |
| 32 | CSR to The New Learning Heights: Special School & Remedial Centre. | | |
| 33 | CSR to Well Being Shiksha Foundation for financial awareness drive in India. | | |
| 34 | CSR to Sarvodaya Bal Vidyalaya for infrastructure upgrade in school. | | |
| 35 | CSR to Pingalakhi public welfare organization, Punjab for installation of water purifier. | | |
| 36 | CSR to Kalinga Institute of Social Sciences for education of 100 underprivileged Tribal Students Studying | | |
| 37 | CSR to Water for People India Trust for Project name "Harvest for Resilience" for water conservation. | | |
| 38 | CSR to Golden Temple, Amritsar for 32-Seater air-conditioned bus. | | |

## सिद्धांत 9 व्यवसायों को अपने उपभोक्ताओं के साथ जिम्मेदार तरीके से जुड़ना चाहिए और उन्हें महत्व देना चाहिए

### आवश्यक संकेतक

1. **उपभोक्ता शिकायतों और फीडबैक को प्राप्त करने और उनका जवाब देने के लिए मौजूद तंत्र का वर्णन करें।**

   बैंक के पास एक ऑनलाइन शिकायत निवारण निगरानी पोर्टल है जिसे सेंट्रलाइज्ड शिकायत निवारण निगरानी प्रणाली (सीजीआरएमएस) कहा जाता है, जो इन–हाउस पोर्टल है। इस प्रणाली के माध्यम से, ग्राहक को तत्काल पावती मिलती है और वह शिकायत पर नजर भी रख सकता है। ग्राहक बैंक की वेबसाइट, इंटरनेट बैंकिंग सेवा और मोबाइल बैंकिंग सेवा के माध्यम से सीजीआरएमएस में अपने अनुरोधध्शिकायत दर्ज कर सकते हैं। शिकायतों का समयबद्ध तरीके से निपटान किया जाता है।

   बैंक के पास गुरुग्राम और नोएडा में प्राथमिक संपर्क केंद्र हैं, जहाँ दो प्रमुख सेवा प्रदाताओं के माध्यम से 24*7 आधार पर अपने ग्राहकों को टेली–बैंकिंग सेवाएँ प्रदान की जाती हैं। इन दो प्राथमिक साइटों के अलावा, बैंक ने अपने ग्राहकों को टेली–बैंकिंग सेवाएँ प्रदान करने के लिए देहरादून और भोपाल में दो द्वितीयक संपर्क केंद्र भी स्थापित किए हैं। ये सेवाएँ हिंदी, अंग्रेजी और 11 क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध हैं)

   बैंक ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण आयोजित करता है। सर्वेक्षण के निष्कर्षों का विश्लेषण किया जाता है, जिसके आधार पर आवश्यक प्रणालीगत सुधार किए जाते हैं।

   बैंक का टोल फ्री ग्राहक सेवा नंबर – 18001800 और 18002021

   शिकायत दर्ज करें - https://www-pnbindia-in/hi/Lodge&Complaint-html

2. **सभी उत्पादों/सेवाओं के टर्नओवर के प्रतिशत के रूप में उत्पादों और/सेवाओं का टर्नओवर, जिसमें निम्नलिखित के बारे में जानकारी होती है:**

| | कुल कारोबार के प्रतिशत के रूप में |
|---|---|
| उत्पाद से संबंधित पर्यावरणीय और सामाजिक मापदंड | लागू नहीं |
| सुरक्षित और जिम्मेदार उपयोग | |
| पुनर्चक्रण और/या सुरक्षित निपटान | |

3. **निम्नलिखित के संबंध में उपभोक्ता शिकायतों की संख्या:**

| | वित्त वर्ष 2024–25 | | | वित्त वर्ष 2023–24 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | वर्ष के दौरान प्राप्त | वर्ष के अंत तक लंबित समाधान | टिप्पणी | वर्ष के दौरान प्राप्त | वर्ष के अंत तक लंबित समाधान | टिप्पणी |
| डेटा गोपनीयता | . | . | | . | . | |
| विज्ञापन | . | . | | . | . | |
| साइबर सुरक्षा | . | . | | . | . | |
| आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति* | 11,39,830 | 28,855 | शून्य | 11,30,195 | 32,351 | शून्य |
| प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रथाएँ | लागू नहीं | | | | | |
| अनुचित व्यापार प्रथाएँ | लागू नहीं | | | | | |
| अन्य | . | . | | . | . | |

**पोर्टल पर शिकायतों की श्रेणी निर्धारित प्रारूप में नहीं रखी जाती है। हालाँकि, आरबीआई के दिशा–निर्देशों के अनुसार प्रकटीकरण निम्नानुसार है:*

## PRINCIPLE 9 Businesses should engage with and provide value to their consumers in a responsible manner

### ESSENTIAL INDICATORS

1. **Describe the mechanisms in place to receive and respond to consumer complaints and feedback.**

   The Bank has an on-line Grievance Redressal Monitoring Portal called Centralized Grievance Redressal Monitoring System (CGRMS), which is in-house Portal. Through this system, the customer gets an immediate acknowledgement and can keep a track of the complaint also. Customers can lodge their requests/ complaints in the CGRMS through Bank's website, Internet Banking Service & Mobile Banking Service. The complaints are resolved in a time bound manner.

   The Bank has Primary Contact Centers at Gurugram and Noida to provide tele-banking services to its customers on 24*7 basis through two leading Service Providers. In addition to these two Primary Sites, the Bank has also established two Secondary Contact Centers at Dehradun and Bhopal to provide tele-banking services to its customers. (These services are available in Hindi, English and 11 other regional languages)

   Bank conducts Customer Satisfaction Surveys. The findings of the Survey are analyzed, based upon which necessary systemic improvements are carried out.

   Toll free customer care number of the Bank – 18001800 & 18002021

   Lodge Complaint - https://www.pnbindia.in/hi/Lodge-Complaint.html

2. **Turnover of products and/ services as a percentage of turnover from all products/service that carry information about:**

| | As a percentage to total turnover |
|---|---|
| Environmental and social parameters relevant to the product | Not Applicable |
| Safe and responsible usage | |
| Recycling and/or safe disposal | |

3. **Number of consumer complaints in respect of the following:**

| | FY 2024-25 | | | FY 2023-24 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Received during the year | Pending resolution at end of the year | Re-marks | Received during the year | Pending resolution at end of the year | Re-marks |
| **Data privacy** | - | - | | - | - | |
| **Advertising** | - | - | | - | - | |
| **Cyber-security** | - | - | | - | - | |
| **Delivery of essential services*** | 11,39,830 | 28,855 | Nil | 11,30,195 | 32,351 | Nil |
| **Restrictive trade practices** | Not Applicable | | | | | |
| **Unfair trade practices** | Not Applicable | | | | | |
| **Other** | - | - | | - | - | |

** The grievance categories are currently not maintained on the portal in the prescribed format. However, disclosures are made in accordance with the applicable RBI guidelines, as detailed below:*

| शिकायत का आधार, (अर्थात संबंधित शिकायतें) | वर्ष के प्रारम्भ में लंबित शिकायतों की संख्या | वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या | पिछले वर्ष की तुलना में प्राप्त शिकायतों की संख्या में : की वृद्धि/कमी | वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या | 30 दिनों से अधिक समय से लंबित शिकायतों की संख्या 5 है। |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| वित्त वर्ष 2024–25 | | | | | |
| इंटरनेट/मोबाइल/इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग | 12,262 | 4,04,168 | -17.46 | 3,386 | 589 |
| एटीएम/डेबिट कार्ड | 5,054 | 3,83,578 | 21.04 | 1,806 | 195 |
| खाता खोलना/खाते के परिचालन में कठिनाई | 458 | 23,394 | 8.40 | 254 | 21 |
| ऋण और अग्रिम | 332 | 10,734 | 24.90 | 364 | 50 |
| वरिष्ठ नागरिको/दिव्यांगों के लिए पेंशन एवं सुविधाएं | 225 | 7,444 | -48.77 | 107 | 4 |
| अन्य | 14,020 | 3,10,512 | 11.32 | 22,938 | 8,175 |
| कुल | **32,351** | **11,39,830** | **0.85** | **28,855** | **9,034** |
| वित्त वर्ष 2023–24 | | | | | |
| इंटरनेट/मोबाइल/इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग | 13,442 | 4,89,664 | -35.08 | 12,262 | 457 |
| एटीएम/डेबिट कार्ड | 1,814 | 3,16,892 | -13.89 | 5,054 | 38 |
| खाता खोलना/खाते के परिचालन में कठिनाई | 303 | 21,582 | -38.29 | 458 | 10 |
| वरिष्ठ नागरिकों/दिव्यांगों के लिए पेंशन एवं सुविधाएं | 106 | 14,532 | 107.54 | 225 | 9 |
| ऋण और अग्रिम | 128 | 8,594 | 37.07 | 332 | 14 |
| अन्य | 7,392 | 2,78,931 | 51.16 | 14,020 | 1,673 |
| कुल | **23,185** | **11,30,195** | **-16.59** | **32,351** | **2,201** |

**4. सुरक्षा मुद्दों के कारण उत्पाद वापस मंगाए जाने के मामलों का विवरण:**

| विवरण | संख्या | वापस बुलाने के कारण |
|---|---|---|
| स्वैच्छिक वापसी | लागू नहीं | |
| जबरन वापस बुलाना | | |

**5. क्या संस्था के पास साइबर सुरक्षा और डेटा गोपनीयता से संबंधित जोखिमों पर कोई रूपरेखा/नीति है? (हां/नहीं) यदि उपलब्ध हो, तो नीति का वेब–लिंक प्रदान करें।**

बैंक के पास बोर्ड द्वारा अनुमोदित ष्साइबर सुरक्षा नीतिष है। यह साइबर सुरक्षा (सीएस) नीति आरबीआई के निर्धारित दिशा–निर्देशों, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के आधार पर तैयार की गई है। इसमें बैंक की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार साइबर सुरक्षा के बारे में प्रबंधन के विचारों और स्थिति को घोषित करने वाले संक्षिप्त और व्यावहारिक बयान शामिल हैं।

| Grounds of complaints, (i.e. complaints relating to) | Number of complaints pending at the beginning of the year | Number of complaints received during the Year | % Increase/ decrease in the number of complaints received over the Previous year | Number of complaints pending at the end of the Year | Of 5, number of complaints pending beyond 30 days |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **FY 2024-25** | | | | | |
| Internet/Mobile/ Electronic Banking | 12,262 | 4,04,168 | -17.46 | 3,386 | 589 |
| ATM/Debit Cards | 5,054 | 3,83,578 | 21.04 | 1,806 | 195 |
| Account opening/ difficulty in operation of accounts | 458 | 23,394 | 8.40 | 254 | 21 |
| Loans and advances | 332 | 10,734 | 24.90 | 364 | 50 |
| Pension and facilities for senior citizens/ differently abled | 225 | 7,444 | -48.77 | 107 | 4 |
| **Others** | 14,020 | 3,10,512 | 11.32 | 22,938 | 8,175 |
| **Total** | **32,351** | **11,39,830** | **0.85** | **28,855** | **9,034** |
| **FY 2023-24** | | | | | |
| Internet/Mobile/ Electronic Banking | 13,442 | 4,89,664 | -35.08 | 12,262 | 457 |
| ATM/Debit Cards | 1,814 | 3,16,892 | -13.89 | 5,054 | 38 |
| Account opening/ difficulty in operation of accounts | 303 | 21,582 | -38.29 | 458 | 10 |
| Pension and facilities for senior citizens/ differently abled | 106 | 14,532 | 107.54 | 225 | 9 |
| Loans and advances | 128 | 8,594 | 37.07 | 332 | 14 |
| **Others** | 7,392 | 2,78,931 | 51.16 | 14,020 | 1,673 |
| **Total** | **23,185** | **11,30,195** | **-16.59** | **32,351** | **2,201** |

**4. Details of instances of product recalls on account of safety issues:**

| | No. | Reasons for recall |
|---|---|---|
| Voluntary recalls | Not Applicable | |
| Forced recalls | | |

**5. Does the entity have a framework/ policy on cyber security and risks related to data privacy? (Yes/No) If available, provide a web-link of the policy.**

Bank has a Board approved "Cyber Security Policy". This Cyber Security (CS) Policy has been framed based on stipulated RBI guidelines, the Information Technology Act and International Standards. It consists of concise and practical series of statements, declaring the management's views and position regarding Cyber Security, according to Bank's specific requirements.

https://www-pnbindia-in/advisories-html – ग्राहकों के लिए साइबर धोखाधड़ी और खतरों से खुद को बचाने के लिए वेब लिंक।

6. **विज्ञापन और आवश्यक सेवाओं की डिलीवरी से संबंधित मुद्दों पर उठाए गए या चल रहे सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें या ग्राहकों की साइबर सुरक्षा और डेटा गोपनीयता उत्पाद रिकॉल की घटनाओं की पुनरावृति या उत्पादों/सेवाओं की सुरक्षा पर नियामक प्राधिकरणों द्वारा की गई कार्रवाई दण्ड।**

बैंक ने विभिन्न विनियामक दिशा–निर्देशों के अनुसार भौतिक सुरक्षा, नेटवर्क सुरक्षा, एप्लीकेशन सुरक्षा, डेटा सुरक्षा, एंड–पॉइंट सुरक्षा, विशेषाधिकार प्राप्त पहुँच प्रबंधन, डेटा लीकेज सुरक्षा की श्रेणी में आने वाले आवश्यक तकनीकी नियंत्रणों को तैनात किया है । ये तकनीकी नियंत्रण नीतियों और प्रक्रियाओं जैसे विभिन्न प्रबंधन नियंत्रणों द्वारा समर्थित हैं

उपरोक्त के अतिरिक्त, बैंक द्वारा ग्राहकों के साथ–साथ कर्मचारियों के बीच साइबर सुरक्षा जागरूकता फैलाने और विज्ञापित करने के लिए कई पहल की गई हैं।

1. बैंक के ग्राहकों के बीच साइबर स्वच्छता के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और बैंक की वेबसाइट पर साइबर जागरूकता क्रिएटिव पोस्ट किए जाते हैं।
2. बैंक प्रत्येक माह के पहले बुधवार को साइबर जागरूकता दिवस का आयोजन करता है, ताकि अंतिम बिंदुओं पर सक्रिय निर्देशिका और सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर साइबर सुरक्षा जागरूकता पृष्ठ पोस्ट करके क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं और ग्राहकों के बीच जागरूकता फैलाई जा सके।
3. और अन्य कार्यालयों के प्रमुख स्थानों पर प्रदर्शित किया जा सके, जिससे साइबर सुरक्षा पर क्षेत्रीय स्तर पर जागरूकता पैदा की जा सके।

7. **डेटा उल्लंघनों से संबंधित निम्नलिखित जानकारी प्रदान करें:**

| | | |
|---|---|---|
| ए. | डेटा उल्लंघन की घटनाओं की संख्या | शून्य |
| बी. | ग्राहकों की व्यक्तिगत पहचान योग्य जानकारी से संबंधित डेटा उल्लंघनों का प्रतिशत | शून्य |
| सी. | डडेटा उल्लंघनों का प्रभाव, यदि कोई हो, | लागू नहीं |

<u>**नेतृत्व संकेतक**</u>

1. **चैनल/प्लेटफॉर्म जहां से इकाई के उत्पादों और सेवाओं की जानकारी प्राप्त की जा सकती है (यदि उपलब्ध हो तो वेब लिंक प्रदान करें)।**

कॉर्पोरेट वेबसाइट ( www.pnbindia.in ), इंटरनेट बैंकिंग सेवा, मोबाइल बैंकिंग सेवा और संपर्क केंद्र ।

उत्पाद एवं सेवाओं की जानकारी हमारी वेबसाइट ( www.pnbindia.in ) पर उपलब्ध है।

इसके अलावा, बैंक अपने उत्पादों और सेवाओं के बारे में ग्राहकों को शिक्षित करने और उनसे जुड़े रहने के लिए विभिन्न स्थानीय माध्यमों, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म का सक्रिय रूप से उपयोग करता है। विभिन्न सोशल मीडियाधडिजिटल प्लेटफॉर्म का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है:

– मोबाइल एप्लीकेशन – "पीएनबी वन"

https://www.pnbindia.in/advisories.html - web link for customers to protect themselves from cyber frauds and threats.

6. **Provide details of any corrective actions taken or underway on issues relating to advertising, and delivery of essential services; cyber security and data privacy of customers; re-occurrence of instances of product recalls; penalty/action taken by regulatory authorities on safety of products/ services.**

Bank has deployed the necessary technical controls falling in the category of Physical Security, Network Security, Application Security, Data Security, End-point Security, Privileged Access Management, Data Leakage Protection in accordance with various regulatory guidelines. These technical controls are backed by different management controls like policies and procedures

In addition to the above, several initiatives have been taken by the bank to spread and advertise cybersecurity awareness among both customers and the bank's staff. –

1. Cyber awareness creatives are posted on various social media platform and bank's website to spread awareness on cyber hygiene among the Bank's customers.
2. Bank conducts Cyber Jagrookta Diwas on 1st Wednesday of each month to spread awareness among the field functionaries & customers through posting cyber security awareness pages through active directory on end points and on social media platforms.
3. Cyber Security related posters/Banners are shared through emails with the zonal Offices for display at prominent locations of the branches and other offices to create awareness at the field level on Cyber Security.

7. **Provide the following information relating to data breaches:**

| | | |
|---|---|---|
| a. | Number of instances of data breaches | - NIL |
| b. | Percentage of data breaches involving personally identifiable information of customers | - NIL |
| c. | Impact, if any, of the data breaches | - NIL |

<u>**LEADERSHIP INDICATORS**</u>

1. **Channels / platforms where information on products and services of the entity can be accessed (provide web link, if available).**

Corporate Website (www.pnbindia.in), Internet Banking Service, Mobile Banking Service & Contact Centers.

Product & Services information is available on our website (www.pnbindia.in)

In addition to this, the Bank actively uses various local avenues, print media, social media and digital platforms to educate and to stay connected with our customers on its products and services. Brief details of various social media/ digital platforms are as below:

- Mobile Application – "PNB ONE"

- फेसबुक
- इंस्टाग्राम
- X (ट्विटर) हैंडल
- व्हाट्सएप –. 91 9264092640
- कॉल सेंटर – 1800 1800, 18002021–

2. **उत्पादों और/या सेवाओं के सुरक्षित और जिम्मेदार उपयोग के बारे में उपभोक्ताओं को सूचित और शिक्षित करने के लिए उठाए गए कदम।**

बैंक के विभिन्न उत्पादों और सेवाओं के सुरक्षित उपयोग के बारे में जानकारी ग्राहकों को विभिन्न चौनलों जैसे कॉर्पोरेट वेबसाइट (www.pnbindia.in), एसएमएस, इंटरनेट बैंकिंग सेवाएं, मोबाइल बैंकिंग सेवाएं, संपर्क केंद्र, सोशल मीडिया आदि के माध्यम से दी जाती है।

इसके अलावा, सक्रिय ग्राहकों को समय–समय पर संदेश भेजे जाते हैं ताकि उन्हें केवाईसी आदि जमा करने के लिए फर्जी कॉल और झूठी कॉल के बारे में जानकारी दी जा सके। इसके अलावा, फर्जी कॉल अस्वीकरण हमारे ग्राहक संचार का हिस्सा है। हम इन–हाउस डिजिटल प्लेटफॉर्म को बढ़ावा देते हैं जो समय–समय पर ग्राहकों को विभिन्न ग्राहक सेवाएँ प्रदान करते हैं। सोशल मीडिया पर अलर्ट भेजे जाते हैं।

3. **आवश्यक सेवाओं में व्यवधान/बंद होने के किसी भी जोखिम के बारे में उपभोक्ताओं को सूचित करने के लिए तंत्र मौजूद होना चाहिए।**

संबंधित उत्पाद स्वामी प्रभागों द्वारा नियमित आधार पर आउटेज के बारे में सूचना का प्रसार किया जाता है ।

4. **क्या संस्था स्थानीय विधियों के अनुसार अनिवार्य जानकारी के अतिरिक्त उत्पाद पर उत्पाद जानकारी प्रदर्शित करती है? (हां/नहीं/लागू नहीं) यदि हां, तो संक्षेप में विवरण प्रदान करें। क्या आपकी संस्था ने संस्था के प्रमुख उत्पादों/सेवाओं, संस्था के संचालन के महत्वपूर्ण स्थानों या समग्र रूप से संस्था से संबंधित उपभोक्ता संतुष्टि के संबंध में कोई सर्वेक्षण किया है? (हां/नहीं)**

हाँ। बैंक के उत्पादों और सेवाओं के बारे में जानकारी जनता की जानकारी के लिए बैंक की वेबसाइट पर रखी जाती है। शाखाओं में व्यापक सूचना पट्टों पर भी जानकारी होती है। बैंक ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण आयोजित करता है। सर्वेक्षण के निष्कर्षों का विश्लेषण किया जाता है, जिसके आधार पर आवश्यक प्रणालीगत सुधार किए जाते हैं।

- Facebook
- Instagram
- X (Twitter) handle - https://x.com/pnbindia
- WhatsApp - +91 9264092640
- Call Centre – 1800 1800, 18002021

2. **Steps taken to inform and educate consumers about safe and responsible usage of products and/or services.**

The information regarding safe usage of Bank's various products and services are disseminated to the customers through various channels such as, Corporate Website (www.pnbindia.in), SMS, Internet Banking Services, Mobile Banking Services, Contact Centre, Social Media etc.

Also, periodical communication is sent to active customers to educate them on spurious calls and false calls for submission of KYC etc. Also spurious call disclaimer forms part of our customer communications. We promote in-house digital platforms that provide various customer services to customers periodically. Alerts are conveyed on Social Media.

3. **Mechanisms in place to inform consumers of any risk of disruption/discontinuation of essential services.**

Dissemination of information regarding outages are done on regular basis by concerned product owner Divisions.

4. **Does the entity display product information on the product over and above what is mandated as per local laws? (Yes/No/Not Applicable) If yes, provide details in brief. Did your entity carry out any survey with regard to consumer satisfaction relating to the major products / services of the entity, significant locations of operation of the entity or the entity as a whole? (Yes/No)**

Yes. Information about the Bank's products and services are placed on the Bank's website for information of the public. Comprehensive Notice Boards at branches also contain information. Bank conducts Customer Satisfaction Surveys. The findings of the Survey are analyzed, based upon which necessary systemic improvements are carried out.

उमेद जैन एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

51, स्नेहधारा,
जीवन विकास केंद्र मार्ग,
अंधेरी (ई), मुंबई – 69
फ़ोनः 91–22–26827498
91–9323600966, 8890033333
ईमेलः ujc1981@gmail.com

## स्वतंत्र प्रेक्टिसनरों की उचित आश्वासन रिपोर्ट

**निदेशक मंडल, पंजाब नैशनल बैंक**

कारोबार उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्टिंग (बीआरएसआर) में स्थिरता प्रकटीकरण पर आश्वासन रिपोर्ट फ्रेमवर्क रिपोर्टिंग मानदंडों के अनुसार 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक की अवधि के लिए पंजाब नैशनल बैंक ('बैंक') की सामूहिक रूप से चिन्हित स्थिरता सूचना' (आईएसआई) कहा जाता है,

### अभिमत

हमने 15 अप्रैल 2025 के अनुबंध के अंतर्गत पंजाब नैशनल बैंक के लिए एक उचित युक्त आश्वासन का कार्य निष्पादित करने का वचन दिया है जो कि बीआरएसआर कोर (अनुलग्नक 1) से संबन्धित नीचे सूचीबद्ध बैंक की स्थिरता प्रकटीकरण ('चिन्हित स्थिरता सूचना') सेबी द्वारा 11 नवंबर 2024 तथा 28 मार्च 2025 के परिपत्रों द्वारा अधिसूचित के संबंध में है । यह स्थिरता सूचना 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 की अवधि के लिए बैंक के बीआरएसआर में शामिल है। यह कार्य आश्वासन प्रेक्टिसनरों, पर्यावरण और सामाजिक पेशेवरों सहित एक बहु–विषयक टीम द्वारा संचालित किया गया था।

| आश्वासन के अधीन चिह्नित स्थिरता सूचना (आईएसआई) | आश्वासन के अधीन अवधि | रिपोर्टिंग मानदंड |
|---|---|---|
| बीआरएसआर कोर (अनुलग्नक 1) को सेबी परिपत्र संख्या सेबीध्एचओ/ सीएफडी/पीओडी2/ सीआईआर/ पी/0155 दिनांक 11 नवंबर, 2024, तथा सेबी/एचओ/ सीएफडी–पीओडी–1/ सीआईआर/2025/ 42 दिनांक 28 मार्च, 2025 द्वारा अधिसूचित किया गया है।<br><br>*(अनुलग्नक 'क' का संदर्भ लें)* | 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक | • भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) (सूचीबद्धता(लिस्टिंग) बाध्याएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ), विनियम, 2015 के विनियम 34(2)(एफ) में यथा संशोधित।<br>• सेबी द्वारा जारी बीआरएसआर प्रारूप के लिए मार्गदर्शन नोट।<br>• बीआरएसआर कोर की रिपोर्टिंग पर उद्योग मानक सेबी परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी– पीओडी 1/ डी/सीआईआर/2024/177 दिनांक 20 दिसंबर 2024 के अनुसार।<br>• विश्व संसाधन संस्थान (WRI) / सतत विकास हेतु विश्व व्यापार परिषद (WBCSD) ग्रीनहाउस गैस (GHG) प्रोटोकॉल (एक कॉरपोरेट लेखा और रिपोर्टिंग मानक)<br>• स्टैण्डर्ड ऑन सस्टेनेबिलिटी एश्योरेंस एंगेजमेंट(SSAE)3000, "एश्योरेंस एंगेजमेंट ऑन सस्टेनेबिलिटी इन्फोर्मेशन जो "भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान के स्थिरता रिपोर्टिंग मानक बोर्ड द्वारा जारी किया गया है। |

UMMED JAIN & CO.
Chartered Accountants

51, Snehdhara,
JeevanVikas Kendra Marg,
Andheri (E), Mumbai - 69
Ph: 91-22-26827498
91-9323600966, 8890033333
E-mail: ujc1981@gmail.com

## Independent Practitioners' Reasonable Assurance Report

**To the Board of Directors of Punjab National Bank,**

Reasonable Assurance Report on the sustainability disclosures in the Business Responsibility and Sustainability Reporting (BRSR) Framework [together called 'Identified Sustainability Information' (ISI)] of Punjab National Bank (the' Bank') for the period from 1st April 2024 to 31st March 2025 in accordance with the reporting criteria.

### Opinion

We have undertaken to perform a Reasonable Assurance engagement for Punjab National Bank vide agreement dated 15th April 2025 in respect of the agreed Bank's sustainability disclosures listed below (the 'Identified Sustainability Information') pertaining to BRSR Core (Annexure 1) as notified by SEBI vide circulars dated 11th November 2024 and 28th March 2025. This Sustainability Information is included in BRSR of the bank for the period from 1st April 2024 to 31st March 2025. This engagement was conducted by a multidisciplinary team including assurance practitioners, environmental and social professionals.

| Identified Sustainability Information (ISI) subject to assurance | Period subject to assurance | Reporting criteria |
|---|---|---|
| BRSR Core (Annexure 1) notified by SEBI Circular No. SEBI/HO/ CFD/PoD2/ CIR/P/0155 dated November 11, 2024, and SEBI/ HO/CFD-PoD- 1/ CIR/2025/42 dated 28th March, 2025<br><br>*(Refer to Annexure A)* | From 1st April 2024 to 31st March 2025 | • Regulation 34(2)(f) of the Securities and Exchange Board of India (SEBI) (Listing Obligations and Disclosure Requirements), Regulations, 2015 as amended.<br>• Guidance notes for BRSR format issued by SEBI.<br>• Industry Standards on Reporting of BRSR Core vide SEBI circular no. SEBI/HO/CFD-PoD-1/D/CIR/2024/177 dated 20th December 2024.<br>• World Resource Institute (WRI) / World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) Greenhouse Gas (GHG) Protocol (A Corporate Accounting and Reporting Standards<br>• Standard on Sustainability Assurance Engagement (SSAE) 3000, "Assurance Engagements on Sustainability Information", issued by the Sustainability Reporting Standards Board of Institute of Chartered Accountants of India. |

हमारा उचित आश्वासन का कार्य 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के संबंध में था, जब तक कि अन्यथा उल्लेख न हो, केवल सूचना प्रदान करना तथा हमने पहले की अवधियों या बीआरएसआर में शामिल किसी अन्य तत्व के संबंध में कोई प्रक्रिया नहीं की है और इसलिए, हम उस पर कोई निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं।

### चिन्हित स्थिरता सूचना के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

बैंक का प्रबंधन स्थिरता सूचना तैयार करने के लिए उपयुक्त मानदंड चयन अथवा स्थापित करने के लिए उत्तरदायी है, लागू विधि और विनियमों को ध्यान में रखते हुए, यदि कोई हो, रिपोर्टिंग से संबंधित स्थिरता की सूचना, प्रमुख पहलुओं की पहचान, हितधारकों के साथ जुड़ाव, सामग्री, तैयारी और मानदंडों के अनुसार चिन्हित स्थिरता सूचना की प्रस्तुति। इस उत्तरदायित्व में बीआरएसआर की तैयारी के लिए प्रासंगिक आंतरिक नियंत्रण का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव और चिन्हित स्थिरता सूचना का प्रमाण शामिल है, जो धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण भौतिक गलत विवरणों से मुक्त है।

### अंतर्निहित सीमाएं

बैंक की बीआरएसआर सूचना तैयार करने के लिए प्रबंधन को मानदंड स्थापित करने या उसकी व्याख्या करने, शामिल की जाने वाली सूचना की प्रासंगिकता का निर्धारण, तथा रिपोर्ट की गई सूचना को प्रभावित करने वाले अनुमान और धारणाएं बनाने की आवश्यकता होती है। कुछ राशि और बीआरएसआर मेट्रिक्स का मापन, जिनमें से कुछ अनुमान हैं, पर्याप्त अंतर्निहित माप उदाहरण के लिए जीएचजी उत्सर्जन, वाटर फुटप्रिंट, एनर्जी फुटप्रिंट अनिश्चितता के अधीन हैं। हमारी अभिमत/निष्कर्ष का समर्थन करने के लिए पर्याप्त उचित साक्ष्य प्राप्त करना राशि और मेट्रिक्स में अनिश्चितता को कम नहीं करता है।

### हमारी स्वतंत्रता और गुणवत्ता नियंत्रण

हमने अपनी स्वतंत्रता बनाए रखी है और पुष्टि करते हैं कि हमने भारतीय इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी आचार संहिता की आवश्यकताओं को पूरा किया है और इस आश्वासन के कार्य का संचालन करने के लिए आवश्यक योग्यताएं और अनुभव हैं।

फर्म गुणवत्ता नियंत्रण मानक (एसक्यूसी) 1, 'ऐतिहासिक वित्तीय जानकारी और अन्य आश्वासन और संबंधित सेवा अनुबंधों की लेखा परीक्षा और समीक्षा करने वाली फर्मों के लिए गुणवत्ता नियंत्रण' को लागू करती है, और तदनुसार नैतिक आवश्यकताओं, पेशेवर मानकों और लागू विधिक तथा विनियामक आवश्यकताओं के अनुपालन के संबंध में प्रलेखित नीतियों और प्रक्रियाओं सहित गुणवत्ता नियंत्रण की एक व्यापक प्रणाली को शामिल करती है।

### चिन्हित स्थिरता सूचना (आईएसआई) के लिए हमारा उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व है कि हमारे द्वारा की गई प्रक्रियाओं और प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर चिन्हित स्थिरता सूचना के आधार पर, हमारे द्वारा एक उचित आश्वासन निष्कर्ष व्यक्त करना है।

हमने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के स्थिरता रिपोर्टिंग मानक बोर्ड द्वारा जारी स्थिरता आश्वासन जुड़ाव (SSAE) 3000, 'स्थिरता सूचना पर आश्वासन जुड़ाव' के मानक के अनुसार अपना कार्य संचालित किया था। इस मानक के अनुसार हमें उचित या सीमित आश्वासन प्राप्त करने के लिए कार्य की योजना बनाने जो कि सहमत आश्वासन के स्तर पर निर्भर करता है को निष्पादित करने की आवश्यकता है,

Our Reasonable Assurance engagement was with respect to the year ended March 31st 2025, information only unless otherwise stated and we have not performed any procedures with respect to earlier periods or any other elements included in the BRSR and, therefore, do not express any conclusion thereon.

### Management's Responsibility for the Identified Sustainability Information

The Bank's Management is responsible for selecting or establishing suitable criteria for preparing the Sustainability Information, taking into account applicable laws and regulations, if any, related to reporting on the Sustainability Information, Identification of key aspects, engagement with stakeholders, content, preparation, and presentation of the Identified Sustainability Information in accordance with the Criteria. This responsibility includes design, implementation, and maintenance of internal control relevant to the preparation of the BRSR and measurement of the Identified Sustainability Information, which is free from material misstatement, whether due to fraud or error.

### Inherent limitations

The preparation of the BRSR information of the bank requires the management to establish or interpret the criteria, make determinations about the relevancy of information to be included, and make estimates and assumptions that affect the reported information. Measurement of certain amounts and BRSR metrics, some of which are estimates, is subject to substantial inherent measurement uncertainty, for example GHG emissions, water footprint, energy footprint. Obtaining sufficient appropriate evidence to support our opinion/conclusion does not reduce the uncertainty in the amount and metrics.

### Our Independence and Quality Control

We have maintained our independence and confirm that we have met the requirements of the Code of Ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India and have the required competencies and experience to conduct this assurance engagement.

The firm applies Standard on Quality Control (SQC) 1, "Quality Control for Firms that Perform Audits and Reviews of Historical Financial Information, and Other Assurance and Related Services Engagements", and accordingly maintains a comprehensive system of quality control including documented policies and procedures regarding compliance with ethical requirements, professional standards, and applicable legal and regulatory requirements.

### Our Responsibilities for the Identified Sustainability Information (ISI)

Our responsibility is to express a reasonable assurance conclusion on the Identified Sustainability Information based on the procedures we have performed and evidence we have obtained.

Our engagement was conducted in accordance with the Standard on Sustainability Assurance Engagements (SSAE) 3000, "Assurance Engagements on Sustainability Information," issued by the Sustainability Reporting Standards Board of the Institute of Chartered Accountants of India. This standard requires us to plan and perform the engagement to obtain either reasonable or limited assurance, depending on the level of assurance agreed upon.

उचित आश्वासन कार्यों में पूछताछ, निरीक्षण, अवलोकन और पुनः निष्पादन जैसी प्रक्रियाओं के माध्यम से पर्याप्त और उचित साक्ष्य प्राप्त करना शामिल है। इसमें चिन्हित स्थिरता सूचना में भौतिक गलत विवरण के जोखिमों का आकलन शामिल है, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, और परिस्थितियों में आवश्यकतानुसार मूल्यांकन किए गए जोखिमों का जवाब देना शामिल है।

हमारे द्वारा की गईं प्रक्रियाएं हमारे पेशेवर निर्णय पर आधारित थीं और इसमें पूछताछ, निष्पादित प्रक्रियाओं का अवलोकन, दस्तावेजों का निरीक्षण, परिमाणीकरण विधियों यों की उपयुक्तता का मूल्यांकन करना और नीतियों की रिपोर्टिंग करना, विश्लेषणात्मक प्रक्रियाएं और अंतर्निहित रिकॉर्ड के साथ सहमति या सामंजस्य स्थापित करना शामिल था।

कार्य की परिस्थितियों को देखते हुए, ऊपर सूचीबद्ध प्रक्रियाओं को करने में, हमने:

1. ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव (जीआरआई) मानकों और बीआरएसआर कोर के लिए सेबी परिपत्र के अनुसार विषय वस्तु एकत्र करने, मिलान करने और रिपोर्ट करने की प्रक्रिया को समझने के लिए स्थिरता, पर्यावरणीय सामाजिक शासन (ईएसजी) और बैंक के सलाहकार और उनकी टीम के लिए उत्तरदायी बैंक के प्रबंधन के प्रासंगिक कर्मियों का साक्षात्कार लिया।
2. रिपोर्ट किए जा रहे डेटा की पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न शाखाओं, कार्यालयों और अन्य स्थानों (अंतर्राष्ट्रीय परिचालनों को छोड़कर) के लिए समेकन की जाँच की।
3. टर्नओवर आधारित गहन संकेतकों के लिए प्रकाशित लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों की कुल आय पर भरोसा किया।
4. नमूना शाखाओं, कार्यालयों और कवर किए गए अन्य स्थानों पर चिह्नित स्थिरता संकेतकों के प्रतिद्रर्श आधार पर पर्याप्त परीक्षण किया गया है, ताकि यह सत्यापित किया जा सके कि डेटा को दर्ज किए गए अंतर्निहित दस्तावेजों के साथ उचित रूप से मापा गया था, एकत्र किया गया और रिपोर्ट किया गया था। इसमें नमूना डेटा की पुनर्गणना सहित रिकॉर्ड का आकलन और परीक्षण करना शामिल था।
5. एक्सट्रपलेशन के लिए प्रतिदर्श शाखाओं के चयन के लिए उपयोग किए जाने वाले आधार की उपयुक्तता का आकलन किया।
6. अनुमानित वार्षिक डेटा पर पहुंचने के लिए नमूना शाखाओं के लिए डेटा के एक्सट्रपलेशन के लिए उपयोग की जाने वाली गणनाओं की उपयुक्तता का आकलन किया।
7. डेटा विश्लेषण के लिए बैंक और उसके सलाहकार द्वारा उपयोग की जाने वाली विभिन्न मान्यताओं, अनुमानों और भौतिकता थ्रेसहोल्ड की उपयुक्तता का आकलन किया।
8. ऐतिहासिक डेटा में रुझानों का विश्लेषण करने के लिए विश्लेषणात्मक प्रक्रियाओं का प्रदर्शन किया और तदनुसार चालू वर्ष में रिपोर्ट किए गए डेटा की तर्कसंगतता का पता लगाया।

**अपवादः**

हमारे आश्वासन के दायरे में निम्नलिखित शामिल नही है और इसलिए हम उस पर निष्कर्ष व्यक्त नही करते हैं:

- "आश्वासन के दायरे" में उल्लिखित लोगों के अलावा बैंक के परिचालन।
- बीआरएसआर के पहलू और चिन्हित स्थिरता सूचना के अतिरिक्त डेटा/सूचना (गुणात्मक या मात्रात्मक)।
- परिभाषित रिपोर्टिंग अवधि के बाहर डेटा और जानकारी अर्थात 1 अप्रैल 2024 तक 31 वीं मार्च 2025.

A Reasonable Assurance engagement involves obtaining sufficient and appropriate evidence through procedures such as inquiries, inspection, observation, and re-performance. It includes an assessment of the risks of material misstatement in the Identified Sustainability Information, whether due to fraud or error, and responding to the assessed risks as necessary in the circumstances.

The procedures we performed were based on our professional judgment and included inquiries, observation of processes performed, inspection of documents, evaluating the appropriateness of quantification methods and reporting policies, analytical procedures and agreeing or reconciling with underlying records.

Given the circumstances of the engagement, in performing the procedures listed above, we:

1. Interviewed relevant personnel of Bank's management responsible for Sustainability, Environmental Social Governance (ESG) and the bank's consultant and their team for understanding the process of collecting, collating, and reporting the subject matter as per Global Reporting Initiative (GRI) Standards and SEBI circular for BRSR core.
2. Checked the consolidation for various branches, offices, and other locations (excluding international operations) to ensure the completeness of data being reported.
3. Relied on the total income from the published audited financial statements for turnover based intensity indicators.
4. Performed substantive testing on a sample basis of the Identified Sustainability Indicators at sample branches, offices and other locations covered, to verify that data had been appropriately measured with the underlying documents recorded, collated, and reported. This included assessing records and performing testing including recalculation of sample data.
5. Assessed the appropriateness of basis used for selecting sample branches for extrapolation.
6. Assessed the appropriateness of calculations used for extrapolation of data for sample branches to arrive at estimated annual data.
7. Assessed the appropriateness of various assumptions, estimations and materiality thresholds used by the bank and its consultant for data analysis.
8. Performed analytical procedures to analyze trends in the historical data and accordingly ascertain the reasonableness of the data reported in the current year.

**Exclusions:**

Our assurance scope excludes the following and therefore we do not express a conclusion on the same:

- Operations of the Bank other than those mentioned in the "Scope of Assurance".
- Aspects of the BRSR and the data/information (qualitative or quantitative) other than the Identified Sustainability Information.
- Data and information outside the defined reporting period i.e. 1st April 2024 to 31st March 2025.

- ऐसे कथन जो बैंक द्वारा प्रदान की गई राय, विश्वास, आकांक्षा, अपेक्षा, उद्देश्य या भविष्य के लक्ष्यों की अभिव्यक्ति का वर्णन करते हैं।
- रिपोर्ट में व्यक्त रणनीति और अन्य संबंधित लिंकेज
- रिपोर्ट को विशेष रूप से उल्लेखित के अतिरिक्त अन्य रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के साथ मैप करना
- हमने व्यक्तिगत रूप से किसी भी संचालित सुविधा पर स्रोत डेटा सत्यापन नहीं किया।

**उचित आश्वासन अभिमत**

हमारे अभिमत में, 1 अप्रैल, 2024 से 31 मार्च, 2025 की अवधि के लिए कारोबार उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्टिंग में चिन्हित स्थिरता जानकारी, उचित आश्वासन के अधीन, सभी भौतिक मामलों में, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) लिस्टिंग बाध्यताओं और प्रकटीकरण अपेक्षाओं (एलओडीआर) और विश्व संसाधन संस्थान (डब्ल्यूआरआई)/सतत विकास के लिए विश्व व्यापार परिषद (डब्ल्यूबीसीएसडी) ग्रीनहाउस गैस (जीएचजी) प्रोटोकॉल (एक कॉर्पोरेट लेखा और रिपोर्टिंग मानक) (संशोधित) के विनियम 34 (2) (एफ) के अनुसार तैयार की गई है।

**उपयोग प्रतिबंध**

हमारी उचित आश्वासन रिपोर्ट तैयार की गई है और बैंक के अनुरोध पर पंजाब नैशनल बैंक के निदेशक मंडल को संबोधित की गई है, ताकि बैंक की स्थिरता प्रदर्शन और गतिविधियों पर रिपोर्ट करने में बैंक की सहायता की जा सके। तदनुसार, हम बैंक के अलावा किसी अन्य के प्रति कोई दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं। हमारे प्रदेय का उपयोग किसी अन्य उद्देश्य के लिए या हमारे प्रदेय के पते के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा नहीं किया जाना चाहिए। फर्म न तो किसी अन्य उद्देश्य या किसी अन्य उद्देश्य ,के लिए या किसी अन्य पार्टी के लिए देखभाल या दायित्व के किसी भी कर्तव्य को स्वीकार करती है और न ही मानती है। जिसे हमारे प्रदेय दिखाए जाते हैं या जिनके हाथों में यह लिखित रूप में हमारी पूर्व सहमति के बिना आ सकता है।

**कृते उम्मेद जैन एंड कंपनी**
सनदी लेखाकार
एफआरएन नंबर 119250डब्ल्यू

**सी.ए. अखिल जैन**
भागीदार
सदस्य सं. 137970
यूडीआईएनः 25137970BMLFJF9824

**दिनांकः 31/05/2025**
**स्थानः नई दिल्ली**

- The statements that describe expression of opinion, belief, aspiration, expectation, aim, or future intentions provided by the Bank.
- Strategy and other related linkages expressed in the Report
- Mapping of the Report with reporting frameworks other than those mentioned specifically
- We did not undertake source data verification in-person at any operated facilities

**Reasonable Assurance Opinion**

In our opinion, Identified Sustainability Information in the Business Responsibility and Sustainability Reporting for the period 1st April, 2024 to 31st March, 2025, subject to reasonable assurance is prepared, in all material respects, in accordance with the Regulation 34(2)(f) of the Securities and Exchange Board of India (SEBI) Listing Obligations and Disclosure Requirements (LODR) and World Resources Institute (WRI) / World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) Greenhouse Gas (GHG) Protocol (A Corporate Accounting and Reporting Standards) (Revised).

**Restriction on use**

Our Reasonable Assurance report has been prepared and addressed to the Board of Directors of Punjab National Bank at the request of the Bank solely, to assist Bank in reporting on Bank's sustainability performance and activities. Accordingly, we accept no liability to anyone other than the Bank. Our Deliverables should not be used for any other purpose or by any person other than the addresses of our Deliverables. The firm neither accepts nor assumes any duty of care or liability for any other purpose or to any other party to whom our Deliverables are shown or into whose hands it may come without our prior consent in writing.

**For Ummed Jain & Co.**
Chartered Accountants
FRN No. 119250W

**CA. AKHIL JAIN**
Partner
M. No. 137970
UDIN: 25137970BMLFJF9824

Date: 31/05/2025
Place: New Delhi

BLANK PAGE

**अनुबंध 1**

| बीआरएसआर मुख्य विशेषताएँ | आश्वासन का प्रकार |
|---|---|
| **बीआरएसआर संकेतक** | |
| **सिद्धांत 6: कारोबारों को पर्यावरण का ध्यान रखना चाहिए तथा पर्यावरण की सुरक्षा और बहाली के लिए प्रयास करना चाहिए।** | |
| **विशेषता 1: ग्रीन–हाउस गैस (जीएचजी) फुट प्रिंट** | |
| प्रश्न 7: ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन (स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन) का विवरण और इसकी मात्राः | यथोचित |
| कुल स्कोप 1 उत्सर्जन | |
| कुल स्कोप 2 उत्सर्जन | |
| प्रति करोड़ रुपये के टर्नओवर पर कुल स्कोप 1 और स्कोप 2 पर उत्सर्जन की मात्रा | |
| क्रय शक्ति समता के लिए समायोजित प्रति करोड़ रुपये के कारोबार पर कुल स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन की मात्रा | |
| भौतिक आउटपुट/किसी अन्य प्रासंगिक मीट्रिक के संदर्भ में कुल स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन की मात्रा | |
| **विशेषता 2: जल फुट प्रिंट** | |
| प्रश्न 3: जल से संबंधित निम्नलिखित प्रकटीकरण का विवरणः | यथोचित |
| स्रोत द्वारा जल निकासी (किलोलीटर में) | |
| जल निकासी की कुल मात्रा (किलोलीटर में) | |
| जल उपभोग की कुल मात्रा (किलोलीटर में) | |
| प्रति करोड़ रुपये के टर्नओवर पर जल मात्रा (कुल जल खपत/परिचालन से राजस्व) | |
| क्रय शक्ति समता (पीपीपी) के लिए समायोजित प्रति | |
| क्रय शक्ति समता (पीपीपी) के लिए समायोजित प्रति करोड़ रुपये के कारोबार में जल की मात्रा | |
| भौतिक आउटपुट/किसी अन्य प्रासंगिक मीट्रिक के संदर्भ में जल की मात्रा | |
| प्रश्न 4: निस्सरित जल से संबंधित विवरणः | |
| गंतव्य और उपचार के स्तर के अनुसार जल निर्वहन (किलोलीटर में) | |
| कुल निस्सरित जल (किलोलीटर में) | |
| **विशेषता 3: ऊर्जा फुट प्रिंट** | |
| प्रश्न 1: कुल ऊर्जा उपभोग/खपत (जूल या गुणकों में) और ऊर्जा की मात्रा का विवरणः | यथोचित |
| नवीकरणीय स्रोतों से उपभोग/खपत की गई कुल ऊर्जा | |
| गैर–नवीकरणीय स्रोतों से उपभोग/खपत की गई कुल ऊर्जा | |
| प्रति करोड़ रुपये के टर्नओवर पर जल मात्रा (कुल जल खपत/परिचालन से राजस्व) | |
| क्रय शक्ति समता (पीपीपी) के लिए समायोजित प्रति करोड़ रुपये के कारोबार/टर्नओवर पर ऊर्जा की मात्रा | |
| भौतिक उत्पादन/किसी अन्य प्रासंगिक मीट्रिक के संदर्भ में ऊर्जा की मात्रा | |
| **विशेषता 4: परिपत्रता को अपनाना – इकाई द्वारा कचरा प्रबंधन से संबंधित विवरण** | |
| प्रश्न 9: इकाई द्वारा कचरा प्रबंधन से संबंधित विवरण प्रदान करें: | यथोचित |
| कुल उत्पन्न कचरा (मीट्रिक टन में) | |
| प्रति करोड़ रुपये के कारोबार/टर्नओवर पर पर कचरा मात्रा (कुल उत्पन्न कचरा/परिचालन से राजस्व) | |
| क्रय शक्ति समता (पीपीपी) के लिए समायोजित प्रति करोड़ रुपये के टर्नओवर पर कचरे की मात्रा | |
| भौतिक उत्पादन/किसी अन्य प्रासंगिक मीट्रिक के संदर्भ में कचरे की मात्रा | |
| उत्पन्न कचरे की प्रत्येक श्रेणी के लिए, पुनर्चक्रण, पुनः उपयोग या अन्य पुनर्प्राप्ति कार्यों के माध्यम से पुनर्प्राप्त कुल कचरा (मीट्रिक टन में) | |
| उत्पन्न कचरा की प्रत्येक श्रेणी के लिए, निपटान विधि की प्रकृति के अनुसार निपटाया गया कुल कचरा (मीट्रिक टन में) | |

## Annexure-1

| ANNEXURE A- BRSR CORE ATTRIBUTES | |
|---|---|
| **BRSR Indicator** | **Type of Assurance** |
| **Principle 6: Businesses should respect and make efforts to protect and restore the environment.** | |
| **Attribute 1: Green-House Gas (GHG) footprint** | |
| Question 7: Details of Greenhouse Gas Emissions (Scope 1 and Scope 2 emissions) & its intensity: | Reasonable |
| Total Scope 1 Emissions | |
| Total Scope 2 Emissions | |
| Total Scope 1 and Scope 2 Emission Intensity per rupee crore of turnover | |
| Total Scope 1 and Scope 2 Emission Intensity per rupee crore of turnover adjusted for Purchasing Power Parity | |
| Total Scope 1 and Scope 2 Emission Intensity in terms of physical output/any other relevant metric | |
| **Attribute 2: Water Footprint** | |
| Question 3: Details of the following disclosures related to water: | Reasonable |
| Water withdrawal by source (in kilolitres) | |
| Total volume of water withdrawal (in kilolitres) | |
| Total volume of water consumption (in kilolitres) | |
| Water intensity per rupee crore of turnover (Total water consumption/Revenue from operations) | |
| Water intensity per rupee crore of turnover adjusted for Purchasing Power Parity (PPP) | |
| Water intensity in terms of physical output/any other relevant metric | |
| Question 4: Details related to water discharged: | |
| Water discharge by destination and level of treatment (in kilolitres) | |
| Total water discharged (in kilolitres) | |
| **Attribute 3: Energy Footprint** | |
| Question 1: Details of total Energy Consumption (in joules or multiples) and energy intensity: | Reasonable |
| Total Energy consumed from Renewable sources | |
| Total Energy consumed from Non-renewable sources | |
| Energy Intensity per rupee crore of turnover (Total energy consume/revenue from operation) | |
| Energy Intensity per rupee Crore of turnover adjusted for Purchasing Power Parity (PPP) | |
| Energy Intensity in terms of physical output/ any other relevant metric | |
| **Attribute 4: Embracing circularity -Details related to waste management by the entity** | |
| Question 9: Provide details related to waste management by the entity: | Reasonable |
| Total waste generated (in metric tonnes) | |
| Waste intensity per rupee crore of turnover (total waste generated/revenue from operations) | |
| Waste intensity per rupee crore of turnover adjusted for Purchasing Power Parity (PPP) | |
| Waste intensity in terms of Physical output /any other relevant metric | |
| For each category of waste generated, total waste recovered through recycling, reusing or other recovery operations (in metric tonnes) | |
| For each category of waste generated, total waste disposed by nature of disposal method (in metric tonnes) | |

| बीआरएसआर मुख्य विशेषताएँ | आश्वासन का प्रकार |
|---|---|
| **सिद्धांत 3: कारोबारों को अपने मूल्य श्रृंखलाओं में शामिल सभी कर्मचारियों सहित सभी कर्मचारियों के कल्याण का ध्यान रखना चाहिए और उसे बढ़ावा देना चाहिए** | |
| **विशेषता 5: कर्मचारी कल्याण और सुरक्षा बढ़ाना** | |
| प्रश्न 1(ग): कर्मचारियों एवं कामगारों (स्थायी एवं गैर–स्थायी सहित) के कल्याण हेतु उपायों पर व्यय: | यथोचित |
| कंपनी के कुल राजस्व के प्रतिशत के रूप में कल्याणकारी उपायों पर व्यय | |
| प्रश्न 11: कर्मचारियों एवं कामगारों हेतु सुरक्षा संबंधी घटनाओं का विवरण: | |
| सबसे कम समय की चोट आवृत्ति दर (एलटीआईएफआर) (प्रति दस लाख व्यक्ति कार्य घंटे) | |
| रिकॉर्ड योग्य कुल कार्य–संबंधी चोटें | |
| मृतकों की संख्या | |
| गंभीर परिणाम वाली कार्य–संबंधी चोट या अस्वस्थता (मृत्यु को छोड़कर) | |
| | |
| **सिद्धांत 5: कारोबारों को मानवाधिकारों का सम्मान करना चाहिए और उन्हें बढ़ावा देना चाहिए** | |
| **विशेषताएँ 6: कारोबार में जेंडर विविधता को सक्षम बनाना** | |
| प्रश्न 3 (बी): संस्था द्वारा भुगतान की गई कुल मजदूरी के प्रतिशत के रूप में महिलाओं को भुगतान किया गया सकल वेतन: | यथोचित |
| प्रश्न 7: कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के अंतर्गत शिकायत क्षेत्र | |
| कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 (POSH) के अंतर्गत दर्ज कुल शिकायतें | |
| POSH पर महिला कर्मचारियों/कामगारों के प्रतिशत के अनुसार शिकायतें | |
| POSH पर शिकायतें बरकरार रखी गईं/लंबित | |
| | |
| **सिद्धांत 8: कारोबार को समावेशी विकास और न्यायसंगत विकास को बढ़ावा देना चाहिए** | |
| **विशेषता 7: समावेशी विकास को सक्षम बनाना** | |
| प्रश्न 4: आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त इनपुट सामग्री का प्रतिशत (मूल्य के अनुसार कुल इनपुट में इनपुट):<br>क. एमएसएमई/लघु उत्पादकों से सीधे प्राप्त।<br>ख. सीधे भारत के अंतर्गत | यथोचित |
| प्रश्न 5: छोटे शहरों में रोजगार सृजन– छोटे शहरों में कार्यरत व्यक्तियों (स्थायी या गैर–स्थायी/अनुबंध आधार पर कार्यरत कर्मचारियों सहित) को भुगतान किया गया वेतन, कुल वेतन लागत के प्रतिशत के रूप में बताएं। | |
| | |
| **सिद्धांत 9: कारोबारों को अपने उपभोक्ताओं के साथ जिम्मेदार तरीके से जुड़ना चाहिए और उन्हें महत्व देना चाहिए** | |
| **विशेषता 8: ग्राहकों और आपूर्तिकर्ताओं के साथ निष्पक्षता** | |
| प्रश्न 7: डेटा उल्लंघनों से संबंधित निम्नलिखित जानकारी प्रदान करें:<br>क. डेटा उल्लंघनों संबन्धित घटनाओं की संख्या<br>ख. ग्राहकों की व्यक्तिगत पहचान योग्य जानकारी से जुड़े डेटा उल्लंघनों का प्रतिशत<br>सी. डेटा उल्लंघन का प्रभाव, यदि कोई हो | यथोचित |

| ANNEXURE A- BRSR CORE ATTRIBUTES | |
|---|---|
| **BRSR Indicator** | **Type of Assurance** |
| **Principle 3: Businesses should respect and promote the Well -being of all Employees, including those in their value chains** | |
| **Attribute 5: Enhancing employee Well-being and Safety** | |
| Question 1 (c): Spending on measures towards Well-being of employees and workers (including permanent and other than permanent): | Reasonable |
| Cost incurred on wellbeing measures as a %age of total revenue of the company | |
| Question 11: Details of Safety related incidents for employees and workers: | |
| Lost time injury frequency rate (LTIFR) (per one million -person hours worked) | |
| Total recordable work -related injuries | |
| No. of Fatalities | |
| High consequence work - related injury or ill -health (excluding fatalities) | |
| | |
| **Principle 5: Businesses should respect and promote Human Rights** | |
| **Attributes 6: Enabling Gender Diversity in in business** | |
| Question 3 (b): Gross wages paid to females as % of total wages paid by the entity: | Reasonable |
| Question 7: Complaints field under the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, prohibition, and Redressal) Act, 2013 | |
| Total Complaints reported under Sexual Harassment of Women at workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 (POSH) | |
| Complaints on POSH as a % of female employees/workers | |
| Complaints on POSH upheld | |
| | |
| **Principle 8: Business should promote inclusive growth and Equitable Development** | |
| **Attribute 7: Enabling Inclusive Development** | |
| Question 4: Percentage of input material (Inputs to total inputs by value) sourced from suppliers:<br>a. Directly sourced from MSME's/small producers.<br>b. Directly from within India | Reasonable |
| Question 5: Job creation in smaller towns- Disclose wages paid to persons employed (including employees of workers employed on a permanent or non- permanent/ on contract basis) in smaller towns, as % of total wage cost | |
| | |
| **Principle 9: Businesses should engage with and provide value to their Consumers in a Responsible manner** | |
| **Attribute 8: Fairness in Engaging with Customers and Suppliers** | |
| Question 7: Provide the following information relating to data breaches:<br>a. Number of instances of data breaches<br>b. Percentage of data Breaches involving personally identifiable information of customers<br>c. Impact, if any, of the data breaches | Reasonable |

| बीआरएसआर मुख्य विशेषताएँ | आश्वासन का प्रकार |
|---|---|
| **सिद्धांत 1: कारोबारों को ईमानदारी और नैतिक, पारदर्शी और जवाबदेह तरीके से संचालन करना चाहिए** | |
| **विशेषता 9: व्यवसाय का खुलापन** | |
| प्रश्न 8: देय खातों के दिनों की संख्या ((देय खाते *365)/खरीदी गई वस्तुओं/सेवाओं की लागत) | यथोचित |
| प्रश्न 9: व्यापारिक घरानों, डीलरों और संबंधित पक्षों के साथ खरीद और बिक्री के संकेन्द्रण का ब्यौरा, साथ ही संबंधित पक्षों के साथ अग्रिम और निवेश: | |
| खरीदारी का संकेन्द्रण | |
| बिक्री का संकेन्द्रण | |
| आरपीटी के शेयर<br>क. खरीद (संबंधित पक्षों के साथ खरीद/कुल खरीद)<br>ख. बिक्री (संबंधित पक्षों को बिक्री/कुल बिक्री)<br>सी. ऋण एवं अग्रिम (संबंधित पक्षों को दिए गए ऋण एवं अग्रिम/कुल ऋण एवं अग्रिम)<br>डी. निवेश (संबंधित पक्षों में निवेश/कुल किया गया निवेश) | |

| ANNEXURE A- BRSR CORE ATTRIBUTES | |
|---|---|
| **BRSR Indicator** | **Type of Assurance** |
| **Principle 1: Businesses should conduct and govern themselves with Integrity and in a manner that is Ethical, Transparent and Accountable** | |
| **Attribute 9: Open-ness of Business** | |
| Question 8: Number of days of Accounts Payable ((Accounts payable *365)/Cost of goods/services procured) | Reasonable |
| Question 9: Details of concentration of purchases and sales with trading houses, dealers, and related parties along with advances &investments, with related parties: | |
| Concentration of Purchases | |
| Concentration of Sales | |
| Shares of RPTs in<br>a. Purchases (Purchases with related parties/Total Purchases)<br>b. Sales (Sales to related parties/Total Sales)<br>c. Loans &Advances (Loans &Advances given to Related Parties/Total loans & Advances)<br>d. Investments (Investments in Related Parties/ Total Investments Made) | |

BLANK PAGE

# कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व रिपोर्ट 2024-25

# Corporate Social Responsibility Report 2024-25

# वार्षिक सीएसआर रिपोर्ट 2024–25 के लिए एमडी एवं सीईओ का संदेश
# MD & CEO's Message for Annual CSR Report 2024-25

वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए पंजाब नैशनल बैंक (पीएनबी) की कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व(सीएसआर) रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए मैं अत्यंत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। यह रिपोर्ट एक वर्ष के केंद्रित प्रयासों, संवर्धित परिचालन दक्षता तथा हमारी व्यावसायिक प्रथाओं में स्थिरता को एकीकृत करने की दिशा में निरंतर प्रगति पर प्रकाश डालती है।

हमारा सीएसआर दृष्टिकोण विकास के लिए एक समग्र दृष्टिकोण को अपनाता है – जो समान अवसरों को बढ़ावा देता है, वंचित वर्ग को सशक्त बनाता है, तथा सतत भविष्य के लिए पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देता है।

**उद्देश्यपरक विकास**

पीएनबी की सीएसआर पहल स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण, ग्रामीण विकास, वित्तीय साक्षरता, कौशल प्रशिक्षण और महिला सशक्तिकरण की दिशा में किए गए संधारणीय और प्रभावी कार्यों पर केंद्रित है।

हम अपनी गतिविधियों को राष्ट्रीय प्राथमिकताओं और सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के साथ जोड़ते हुए यह सुनिश्चित करते हैं कि हमारे प्रयास सार्थक, मापनीय और समावेशी हों। हमारी प्रतिबद्धता हितधारकों के हितों को ध्यान में रखते हुए आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय रूप से उत्तरदायित्वपूर्ण तरीके से कार्य करने की है।

वित्त वर्ष 2024–25 में, कार्यों ने देशभर में प्रत्यक्ष सहयोग, साझेदारी और नवीन समाधानों के माध्यम से कई लोगों के जीवन को प्रभावित किया है।

**शिक्षा और कौशल विकास के माध्यम से समुदायों को सशक्त बनाना**

शिक्षा हमारे सीएसआर कार्यक्रम का एक प्रमुख स्तंभ बनी हुई है क्योंकि हमारा मानना है कि यह व्यक्तियों को अपना भविष्य संवारने और अपने समुदायों का उत्थान करने में सक्षम बनाती है। इस वर्ष के दौरान, पीएनबी ने छात्रों के लिए समावेशी और समृद्ध शिक्षण वातावरण को बढ़ावा देने के लिए शैक्षणिक सामग्री, खेल किटों के वितरण और स्कूल के आधारभूत ढांचे के विकास सहित विभिन्न शैक्षिक पहलों में सक्रिय रूप से सहायता की है।

साथ ही, कौशल विकास पर हमारा ध्यान निरंतर बना रहा। ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी) के तत्वावधान में हमारे 78 ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों (आरएसईटीआई) और 12 किसान प्रशिक्षण केंद्रों (एफटीसी) के माध्यम से, हमने देश भर में 1.8 लाख से अधिक व्यक्तियों को उद्यमिता विकास से लेकर सिलाई, कंप्यूटर कौशल, कृषि और मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन, बकरी पालन, सूअर पालन आदि जैसी संबद्ध गतिविधियों में व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया है। हमारे इस प्रकार के कार्यक्रम आजीविका को बढ़ावा देते हैं और आत्मनिर्भर बनाते हैं।

पीएनबी विकास योजना के अंतर्गत, हमने 307 गांवों में विकासपरक कार्यों की एक श्रृंखला शुरू की, जो समग्र ग्रामीण परिवर्तन पर केंद्रित थी – जिससे भारत के बुनियादी स्तर को सशक्त बनाने और सतत सामुदायिक विकास को बढ़ावा देने के प्रति हमारी प्रतिबद्धता सुदृढ़ हुई है।

**स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच और आरोग्य सेवाओं को बढ़ावा देना**

स्वास्थ्य और आरोग्य राष्ट्रीय विकास की आधारशिला है। पीएनबी में, हम मजबूत स्वास्थ्य सेवा की आधारभूत संरचना का सहयोग करने तथा वंचित समुदायों को सहायता प्रदान करने में विश्वास करते हैं। वित्त वर्ष 25 में, हमारे योगदान में एम्बुलेंस प्रदान करना, पोषण कार्यक्रमों में सहायता करना तथा गृह–आधारित कैंसर इलाज की सुविधा प्रदान करना शामिल था।

महिलाओं के स्वास्थ्य को महत्वपूर्ण प्राथमिकता मानते हुए, पीएनबी प्रेरणा – जो बैंक की वरिष्ठ महिला अधिकारियों तथा वरिष्ठ बैंक अधिकारियों की पत्नियों का संगठन है – ने विभिन्न गैर सरकारी संगठनों के साथ मिलकर शहरों में स्वच्छता जागरूकता अभियान

I am deeply honored to present the Corporate Social Responsibility (CSR) Report of Punjab National Bank (PNB) for the financial year 2024–25. This report highlights a year of focused efforts, enhanced operational efficiency, and continued progress towards integrating sustainability into our business practices.

Our CSR vision embraces a holistic approach to development—one that promotes equitable opportunities, empowers the marginalized, and champions environmental stewardship for a sustainable future.

**Growth with Purpose**

PNB's CSR initiatives focus on sustainable and impactful interventions across health, education, environment, rural development, financial literacy, skill training, and women empowerment.

We align our activities with national priorities and Sustainable Development Goals (SDGs), ensuring our efforts are meaningful, measurable, and inclusive. Our commitment is to operate in an economically, socially, and environmentally responsible manner, while recognising the interests of our stakeholders.

In FY 2024–25, our initiatives spanned the length and breadth of the country, touching many lives through direct support, partnerships, and innovative solutions.

**Empowering Communities through Education and Skill Development**

Education remains a key pillar of our CSR programme as we believe it empowers individuals to build their future and to uplift their communities. During the year, PNB actively supported various educational initiatives, including distribution of academic materials, sports kits, and development of school infrastructure in fostering an inclusive and enriching learning environment for students.

In parallel, our focus on skill development remained unwavering. Through our 78 Rural Self Employment Training Institutes (RSETIs), under the aegis of Ministry of Rural Development (MoRD), and 12 Farmers' Training Centres (FTCs), we trained over 1.8 lakh individuals across the country, from entrepreneurship development to vocational training in tailoring, computer skills, agriculture and allied activities like fisheries, bee-keeping, goatery, piggery etc. Our such programmes continue to fuel livelihoods and enable self-reliance.

Under the PNB Vikas Yojana, we undertook a range of developmental initiatives in 307 villages, that focused on holistic rural transformation—reinforcing our commitment to empowering India's grassroots and fostering sustainable community growth.

**Advancing Healthcare Access and Well-being**

Health and wellness form the cornerstone of national development. At PNB, we believe in supporting robust healthcare infrastructure and extending aid to underserved sections. In FY25, our contribution included providing ambulances, supporting nutrition programmes and facilitating home-based cancer therapy.

Recognising women's health as a vital priority, PNB Prerna— an association comprising of senior women officials of the bank and the wives of senior bank officials—partnered with various NGOs to organize hygiene awareness drives

एवं स्त्री रोग संबंधी स्वास्थ्य शिविरों सहित आदिवासी लड़कियों के लिए शैक्षिक सहायता कार्यक्रम आयोजित किए।

ये प्रयास हमारे इस विश्वास की पुष्टि करते हैं कि एक समुत्थानशील समाज के निर्माण में सुलभ और समावेशी स्वास्थ्य सेवा महत्वपूर्ण है।

**खेलों को बढ़ावा देना**
भारतीय हॉकी में गौरवशाली विरासत के संरक्षक के रूप में, पीएनबी ने सदैव खेलों के लिए अपना सहयोग दिया है। इस वर्ष हमारी सीनियर पुरुष हॉकी टीम ने पद्म श्री मोहम्मद शाहिद हॉकी टूर्नामेंट में विजेता का खिताब जीतकर सुर्खियाँ बटोरीं।

यह बहुत गर्व का विषय है कि हमारे पीएनबी कर्मचारी – **श्री अभिषेक और श्री सुखजीत सिंह – ने 2024 पेरिस ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम का प्रतिनिधित्व किया और कांस्य पदक जीता।** उनके योगदान को प्रतिष्ठित अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिससे प्रतिभा को निखारने और उत्कृष्टता का जश्न मनाने के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को बल मिला।

हमारा मानना है कि खेल अनुशासन सिखाते हैं, एकता को बढ़ावा देते हैं तथा नई पीढ़ी को प्रेरित करते हैं – और हम भारत के राष्ट्रीय खेल और उसकी भावना को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

**नवाचार तथा आधारभूत संरचना में निवेश**
डिजिटल नवाचार की दिशा में एक उल्लेखनीय कदम उठाते हुए, पीएनबी ने एक जनरेटिव एआई चैटबॉट के विकास में सहयोग किया, जो 13 जनवरी से 26 फरवरी, 2025 तक प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ मेले के दौरान श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ। इस बहुभाषी सोल्यूशन ने परिवहन, आवास, मौसम, आपातकालीन सेवाओं और हेल्पलाइनों के संबंध में वास्तविक समय की जानकारी प्रदान की – जिससे सार्वजनिक सेवाओं को सुचारू बनाने तथा सांस्कृतिक अनुभवों को बढ़ाने में प्रौद्योगिकी की भूमिका का प्रदर्शन हुआ।

हमने उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर को ई–कार्ट्स तथा नेत्र अस्पतालों और विशेष विद्यालयों को आवश्यक फर्नीचर भी दान किया, जिससे उन लोगों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें जिन्हें इनकी सबसे अधिक आवश्यकता है।

**पर्यावरणीय उत्तरदायित्व का समर्थन**
पर्यावरणीय स्थिरता वैश्विक स्तर पर चिंता का एक प्रमुख विषय बनी हुई है। इसी को ध्यान में रखते हुए, हमने पूरे भारत में वृक्षारोपण अभियान चलाए, वर्षा जल संचयन पर जागरूकता अभियान चलाए तथा हरित निर्माण पद्धतियों को बढ़ावा दिया। हमारे प्रयास न केवल प्रकृति के संरक्षण, अपितु हम जिन समुदायों की सेवा करते हैं, उनमें पारिस्थितिक जिम्मेदारी की संस्कृति को बढ़ावा देने के संबंध में भी हैं।

**हृदय से स्वयं सेवा करना**
हमारे कर्मचारियों की उदार भावना का उल्लेख किए बिना हमारी सीएसआर यात्रा अधूरी रहेगी। विभिन्न अंचलों में, हमारे कर्मचारियों ने सामुदायिक विकास के कार्यों में सक्रिय रूप से सहभागिता की जैसे अनाथालयों को वाशिंग मशीन दान करना, बच्चों को शिक्षा सामग्री वितरित करना और स्वास्थ्य शिविर का आयोजन। पीएनबी प्रेरणा ने हेलमेटमैन फाउंडेशन के सहयोग से सड़क सुरक्षा अभियानों में सहयोग तथा कई राज्यों में वंचित छात्रों के उत्थान में एक अनुकरणीय भूमिका निभाई। उनकी निस्वार्थ सेवा पीएनबी के संस्थागत प्रयासों के पीछे मानवीय भावना को रेखांकित करती है।

**एक साझा प्रतिबद्धता**

पीएनबी में, हम समावेशी, एक समान और सतत विकास का उत्प्रेरक बनने की अपनी प्रतिबद्धता पर दृढ़ हैं। हर पहल एक मजबूत, अधिक अनुक्रियाशील भारत की दिशा में एक कदम है – जहां अवसर, सम्मान और प्रगति प्रत्येक की पहुंच में हो।

जब हम अपनी सीएसआर यात्रा पर विचार करते हैं, तो हम अपने हितधारकों द्वारा हम पर किए गए भरोसे से अभिभूत होते हैं तथा जिन लोगों के जीवन को हमने प्रभावित किया है, उनसे प्रेरित होते हैं। ये उपलब्धियाँ हमारे कर्मचारियों के अटूट समर्पण, हमारे भागीदारों के सहयोग तथा हमारे लाभार्थियों के विश्वास के बिना संभव नहीं होतीं। मैं इस यात्रा को सुगम बनाने में आपकी भूमिका के लिए आप सभी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ।

**अशोक चंद्र**
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी
पंजाब नैशनल बैंक

and gynecological health camps across cities as well as educational support programmes for tribal girls.

These efforts reaffirm our belief that accessible and inclusive healthcare is important in building a resilient society.

**Nurturing Sports**
As custodian of a proud legacy in Indian Hockey, PNB has always championed the cause of sports. Our senior men's hockey team continued to make headlines during the year, clinching the winner's title at the Padma Shri Mohd. Shahid Hockey Tournament.

It is a matter of great pride that our PNB employees - **Shri Abhishek and Shri Sukhjeet Singh - represented Indian Hockey Team, at the 2024 Paris Olympics, bringing home a Bronze medal.** Their contributions were further recognized with the prestigious Arjuna Award, reinforcing our dedication to nurturing talent and celebrating excellence.

We believe that sports instill discipline, foster unity, and inspire a generation—and we remain committed to promoting India's national game and the spirit it represents.

**Investing in Innovation and Infrastructure**
In a remarkable step towards digital innovation, PNB supported in development of a Generative AI Chatbot, which was of great use to devotees and tourists during the Maha Kumbh Mela held at Prayagraj from 13th January to 26th February 2025. This multilingual solution provided real-time information on transportation, accommodation, weather, emergency services, and helplines—showcasing the role of technology in smoothening public services and enhancing cultural experiences.

We also donated E-Karts to the Mahakaleshwar Temple in Ujjain, and essential furniture to eye hospitals and special schools, ensuring better facilities for those who need them most.

**Championing Environmental Responsibility**
Environmental sustainability remains a key area of concern globally. Catering to the same, we conducted tree plantation drives Pan-India, led awareness campaigns on rainwater harvesting and promoted green construction practices. Our efforts are not only about preserving nature but also about instilling a culture of ecological responsibility within the communities, we serve.

**Volunteering with Heart**
Our CSR journey would be incomplete without mentioning the generous spirit of our employees. Across zones, our staff actively participated in community development, such as donating washing machines to orphanages, distributing study materials to children, and organising health camps. PNB Prerna played an exemplary role in supporting road safety campaigns through collaborations with the Helmetman Foundation, and uplifting underprivileged students across several states. Their selfless service underscores the human heart behind PNB's institutional efforts.

**A Shared Commitment**
At PNB, we remain steadfast in our commitment to be a catalyst for inclusive, equitable, and sustainable development. Every initiative undertaken is a step towards a stronger, more resilient India—one where opportunity, dignity, and progress are within everyone's reach.

As we reflect on our CSR journey, we are humbled by the trust bestowed upon us by our stakeholders and inspired by the lives we have touched. These achievements would not have been possible without the unwavering dedication of our employees, the support of our partners, and the belief of our beneficiaries. I extend my sincere gratitude to each of you for your role in shaping this journey.

**Ashok Chandra**
MD & CEO
Punjab National Bank

## पंजाब नैशनल बैंक का कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व दृष्टिकोण

पंजाब नैशनल बैंक कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) को आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय रूप से संधारणीय/संवहनीय ढंग से संचालन करने की प्रतिबद्धता के रूप में देखता है, जबकि इसके हितधारकों जैसे निवेशकों, ग्राहकों, कार्मिकों, कारोबार पार्टनर/भागीदारों, स्थानीय समुदायों, पर्यावरण और समाज के हितों को मान्यता/चिन्हित दी जाती है और समाज के जीवन की गुणवत्ता में योगदान दिया जाता है। इस रणनीति के केंद्र में जीवंत समुदायों के निर्माण और उन्हें बनाए रखने के प्रति हमारे बैंक की अटूट प्रतिबद्धता निहित है। हमारे निवेश के माध्यम से यह प्रतिबद्धता संस्थानों और कार्यक्रमों में जीवंत होती है, ताकि सामुदायिक विकास को स्थायी रूप से सहयोग दिया जाए और बढ़ाया जा सके। वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान, बैंक की सीएसआर गतिविधियों का ध्यान स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण, ग्रामीण विकास, वित्तीय साक्षरता, महिला सशक्तिकरण और कौशल सशक्तिकरण कार्यक्रमों को बेहतर/सुधार करने तथा अपने फील्ड कार्यालयों के माध्यम से अखिल भारतीय स्तर पर सामाजिक कल्याण गतिविधियों पर केन्द्रित था।

1. बैंक अपनी सीएसआर रणनीति के भाग के रूप में निम्नलिखित प्रतिबद्धताएं करता है:

### 1.1 स्थिरता

पीएनबी का उद्देश्य ऐसे बदलाव के लिए उत्प्रेरक बनना है जिससे वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों को लाभ हो। स्थिरता पीएनबी की गतिविधियों का एक अभिन्न अंग है – हमारे मूल कारोबार में और उससे परे। इस प्रकार, हम अपने सभी हितधारकों, समाज और पर्यावरण के प्रति ज़िम्मेदार होने में विश्वास रखते हैं।

## Punjab National Bank's Corporate Social Responsibility Approach

Punjab National Bank Views Corporate Social Responsibility (CSR) as a commitment to operate in an economically, socially and environmentally sustainable manner, while recognizing the interests of its stakeholders such as investors, customers, employees, business partners, local communities, the environment and society at large and contribute to the quality of life of society. At the heart of this strategy is our Bank's unwavering commitment to build vibrant communities. This commitment comes to life through our investment in institutions and programmes to support and enhance community development in a sustainable fashion. During F.Y. 2024-25, focus of Bank's CSR activities was towards improving health, education, environment, rural development, financial literacy, women empowerment, & skill empowerment programmes to the public and social welfare activities on Pan India basis through its field offices.

1. The Bank makes the following commitments as part of its CSR strategy:

### 1.1 Sustainability

PNB intends to be a catalyst for change that benefits present and future generations. Sustainability is an integral part of PNB's activities – in our core business and beyond. Thus, we believe in being responsible to all our stakeholders, society and the environment.

उत्तराखंड के हेराल्ड जूनियर पब्लिक स्कूल को आधारभूत ढांचे के विकास के लिए सीएसआर सहायता

CSR to Herald Junior Public School, Uttrakhand for infrastructure development

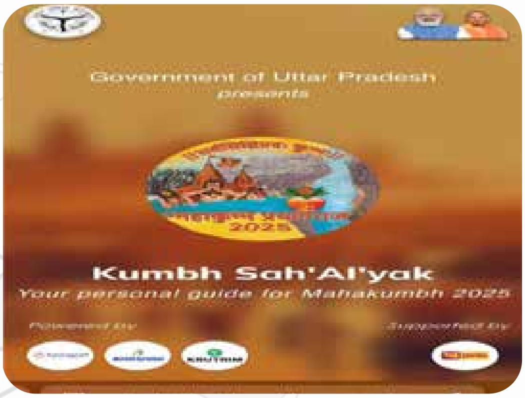


जेन–एआई चौटबॉट विकसित करने के लिए, जो श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए परिवहन, आवास, स्मार्ट पार्किंग, वास्तविक समय मौसम अपडेट, खोई–पाई सेवाएं, आपातकालीन सहायता और कुंभ मेला हेल्पलाइन सेवाओं के संबंध में कई भाषाओं में जानकारी प्राप्त करने के लिए वन–स्टॉप समाधान के रूप में कार्य करता है, को सीएसआर सहायता प्रदान करना।

CSR for developing Gen-AI Chatbot that serve as a one-stop solution for the devotees and tourists to get information on transportation, accommodation, smart parking, real-time weather updates, lost and found services, emergency assistance, and Kumbh Mela helpline services in multiple languages.

### 2.2 कॉर्पोरेट स्वयंसेवा

हमारी सीएसआर गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य "समाज को वापस देना" है। सीएसआर के बारे में हम अपने कार्मिकों को यह संदेश देते हैं कि आज हम जो कुछ भी करेंगे उसका प्रभाव आने वाली पीढ़ियों पर पड़ेगा। इसलिए, हम स्टाफ सदस्यों तथा स्थानीय लोगों की सक्रिय की भागीदारी के साथ सीएसआर गतिविधियाँ करते हैं।

### 2.2 Corporate Volunteering

"Giving back to the society" is the prime motive behind our CSR activities. The message that we give to our staff regarding CSR is that whatever we do today will have an impact on future generations. Thus, we undertake CSR activities with active participation of staff members and participation of local populace.

श्रीमती रजनीगंधा, अध्यक्ष पीएनबी प्रेरणा, श्रीमती यामिनी कुमार, उपाध्यक्ष ने परिचय फाउंडेशन फॉर हेल्थ एंड न्यूट्रिशन को सीएसआर के अंतर्गत सहायता प्रदान की।

Smt. Rajnigandha, President PNB Prerna, Smt. Yamini Kumar, Vice President provided CSR to Parichay Foundation for Health and Nutrition.

चंडीगढ़ अंचल में अपने दौरे के दौरान कार्यपालक निदेशक श्री कल्याण कुमार तथा अंचल प्रबंधक, चंडीगढ़ डॉ. राजेश प्रसाद द्वारा कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत गुरु का लंगर नेत्र अस्पताल/हॉस्पिटल को बेंच भेंट की गई।

Sh. Kalyan Kumar, Executive Director and Dr. Rajesh Prasad, Zonal Manager, Chandigarh donating benches to Guru ka Langar Eye Hospital under Corporate Social Responsibility during their Chandigarh Zone visit

महाकालेश्वर मंदिर, उज्जैन को 2 ई–कार्ट भेंट की गई

Donation of 2 E-Kart to Mahakaleshwar Temple, Ujjain

### 2.3 सामाजिक निवेश

एक सामाजिक रूप से जिम्मेदार/उत्तरदायी संगठन होने के नाते, हम किसान प्रशिक्षण केंद्रों और ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों, वित्तीय साक्षरता केंद्रों, वित्तीय साक्षरता केंद्रों, पीएनबी प्रेरणा तथा अन्य पहलों के माध्यम से समाज में योगदान करते हैं। हम वंचित समुदायों को बेरोजगारी तथा गरीबी दूर करने और शिक्षा एवं कौशल विकास कार्यक्रमों के माध्यम से अपना भविष्य संवारने में सहायता प्रदान करते हैं। इन सभी पहलों को सामाजिक निवेश के रूप में माना जाता है।

**किसान प्रशिक्षण केंद्र (FTCs):** बैंक ने 12 किसान प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना की है जो पीएनबी किसान कल्याण ट्रस्ट के अंतर्गत आते हैं, जो कि कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों तथा कम्प्यूटर, कटिंग एवं टेलरिंग/कढ़ाई और उद्यमिता विकास कार्यक्रमों पर निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं। स्थापना के बाद से, एफटीसी ने 65,062 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करके 19,32,179 व्यक्तियों को प्रशिक्षण प्रदान किया है। इन प्रशिक्षण केंद्रों को किसानों के खेतों में मृदा परीक्षण की सुविधा वाली एक मोबाइल वैन और किसानों को सूचनात्मक वीडियो क्लिप के ऑडियो विजुअल प्रदर्शन के लिए एलईडी से भी सुसज्जित किया गया है। बैंक ने वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान इस पहल के अंतर्गत रुपये 1002.38 लाख खर्च किए।

| वित्त वर्ष | कार्यक्रमों की सं. | प्रशिक्षुओं की सं. |
|---|---|---|
| 2024–25 | 3506 | 1,04,155 |

### 2.3 Social Investments

Being a socially responsible organization, we contribute to society through Farmers Training Centers & Rural Self Employment Training Institutes, Financial Literacy Centres, Centres for Financial Literacy, PNB Prerna and other initiatives. We help the underprivileged communities to overcome unemployment and poverty and shape their own future through education and skill development programmes. All these initiatives are considered as social investment.

**Farmers' Training Centres (FTCs):** Bank has established 12 Farmers' Training Centres which come under the ambit of PNB Farmers Welfare Trust which are providing free of cost training on agriculture & allied activities and for Computers, cutting & tailoring/embroidery and entrepreneurship development programmes. Since inception, FTCs have imparted training to 19,32,179 persons by conducting 65,062 training programs. These Training Centres have been equipped with the Mobile Van having Soil testing facilities at the farmers' fields and LED for audio visual display of informative video clips to the farmers. The Bank spent Rs.1002.38 Lakhs under this initiative during FY 2024-25.

| Financial Year | No. of Programs | No. of Trainees |
|---|---|---|
| 2024-25 | 3506 | 1,04,155 |

वित्तीय प्रशिक्षण केन्द्र, इटावा में प्रशिक्षण कार्यक्रम

Training Program at Financial Training Centre, Etawah

**ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरसेटी):** भारत में 78 आरसेटी (ग्रामीण विकास मंत्रालय के तत्वावधान में) और 2 ग्रामीण विकास केंद्र (पीएनबी की पहलें) कार्यरत हैं, जो स्वरोजगार उद्यम आरंभ करने के लिए ग्रामीण आबादी और उनके परिवारों को कौशल उन्नयन हेतु प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं। वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान इन केंद्रों में 79,989 व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया, जिनमें से 65,636 बीपीएल परिवारों से संबंधित थे और 63,535 महिलाएं थीं।

आरसेटी ने अपनी स्थापना से अब तक 6,82,671 व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया है, जिनमें से 4,66,580 महिलाएं और 2,17,557 अनुसूचित जाति वर्ग के और 41,962 अनुसूचित जनजाति वर्ग के हैं।

**स्वरोजगार में आरसेटी का प्रभाव:** आरसेटी ने अपनी स्थापना से अब तक इन संस्थानों से प्रशिक्षण प्राप्त कर 4,74,977 व्यक्तियों ने स्वरोजगार प्राप्त किया। समीक्षा वर्ष (अप्रैल 2024 – मार्च 2025) के दौरान कुल व्यय रुपये 6767.34 लाख था।

**Rural Self Employment Training Institutes (RSETIs):** There are 78 RSETIs (under the aegis of MoRD) and 2 Rural Development Centers (PNB initiatives) operating in India and are engaged in providing training to rural population and their families for skill up-gradation to undertake self-employment ventures. During the FY 2024-25, 79,989 persons were trained in these centers, out of which 65,636 belonged to BPL families and 63,535 were women.

Since inception, RSETIs have trained 6,82,671 persons, out of which 4,66,580 are women and 2,17,557 are of SC category and 41,962 are of ST category.

**Impact of RSETIs in Self-Employment:** Since inception 4,74,977 people got self-employed after getting training from these institutions. Total expenditure done during review year (April 2024- March 2025) was Rs.6767.34 Lakhs.

आरसेटी, हमीरपुर में प्रशिक्षण कार्यक्रम

Training Program at RSETI, Hamirpur

**पीएनबी विकास योजनाः** बैंक की एक पीएनबी विकास योजना नामक योजना है जिसके अंतर्गत 307 गांवों को विभिन्न कल्याणकारी/विकासात्मक गतिविधियों के माध्यम से उनके समग्र विकास के लिए गोद लिया गया है। वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान इस योजना के अंतर्गत रुपये 106.22 लाख की राशि खर्च की गई थी।

**2.4 स्वास्थ्य**

हम इस अवधारणा का दृढ़ता से समर्थन करते हैं कि स्वस्थ वातावरण में स्वस्थ मन और शरीर राष्ट्र के समग्र विकास के लिए आवश्यक है। इसालिए, हम ऐसे क्षेत्रों में निवेश करते हैं जो इस तरह के संवर्द्धन को सुविधाजनक बनाते हैं। वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान, बैंक ने जन सामान्य के कल्याण के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र में सीएसआर गतिविधियाँ आरंभ की हैं।

**वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान,** बैंक ने स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में कल्याणकारी गतिविधियों जैसे पैराशूट रेजिमेंट प्रशिक्षण केंद्र को एम्बुलेंस का वितरण, तथा समाज के जरूरतमंद वर्गों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं के समर्थन हेतु अन्य गतिविधियों को सफलतापूर्वक संचालित किया है,

**PNB VIKAS YOJANA:** Bank has a scheme titled PNB VIKAS YOJANA under which 307 villages are adopted for their holistic development through various welfare/developmental activities. During FY 2024-25, an amount of Rs. 106.22 lakh was spent under the scheme.

**2.4 Health**

We strongly endorse the view that "healthy mind and body" in a clean environment is essential for overall growth of the nation. Thus, we invest in areas that facilitate such enhancements. During FY 2024-25, the Bank has undertaken CSR activities in health sector for well-being of general public.

**During FY 2024-25**, Bank successfully carried out welfare activities in healthcare sector viz. distribution of an ambulance to Parachute Regiment Training Center, and other activities to support healthcare services for the needy sections of the society.

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंटल सेंटर, अहमदनगर को एम्बुलेंस दान की गई।

Ambulance donated to Mechanized Infantry Regimental Centre, Ahmednagar under Corporate Social Responsibility.

एनजीओ कैनसपोर्ट कैंसर रोगियों के घर जाकर उन्हें चिकित्सा सहायता प्रदान करता है

NGO CanSupport providing therapy to cancer patients by visiting their homes

**छाया चित्र 1**: सीएसआर पहल के अंतर्गत पैराशूट रेजिमेंट प्रशिक्षण केंद्र, बैंगलोर को एम्बुलेंस का दान.

**छायाचित्र 2**: परियोजना पोषण के लिए परिचय फाउंडेशन को सीएसआरः स्वास्थ्य एवं पोषण.

**Pic 1:** Donation of Ambulance to Parachute Regiment Training Center, Bangalore under CSR initiative.

**Pic 2:** CSR to Parichay Foundation for Project Poshan : Health & Nutrition.

## 2.5 हरित पहल

बैंक मौजूदा भवनों में जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से वर्षा जल संचयन का प्रयास कर रहा है तथा पर्यावरण के अनुकूल नए निर्माण को प्रोत्साहित कर रहा है और हमारे विभिन्न सोशल–मीडिया चौनलों के माध्यम से लोगों के बीच जागरूकता फैला रहा है। समीक्षा अवधि के दौरान वृक्षारोपण अभियान जैसी कई अन्य हरित पहल की गईं।

## 2.5 Green Initiatives

Bank is making efforts through awareness programs on rain water harvesting in existing buildings and encourage environment friendly new constructions and spreading awareness among masses through our various social-media channels. Various other green initiatives like Tree plantations drive were carried out during the review period.

**हरित पहल अभियानः स्वच्छ और हरित पर्यावरण के लिए एमडी और सीईओ श्री अशोक चंद्र पौधा रोपण करते हुए**

**Green Initiative Drive: MD & CEO Sh. Ashok Chandra planting a sapling for clean & green environment**

## 2.6 शिक्षा

बैंक समाज में शिक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में अपनी सीएसआर गतिविधियों को जारी रखने के लिए निरंतर प्रयासरत है और युवा पीढ़ी के बेहतर भविष्य निर्माण में सहायक है।

## 2.6 Education

The Bank continuously strives for carrying its CSR activities towards promotion of education in the society and thus helping in preparing a better tomorrow for the young generation.

ऑरो–मीरा विद्या मंदिर (AMVM) को CSR द्वारा 8 वंचित बच्चों की शिक्षा के लिए ओडिशा के कोरापुट जिले में एक पूर्णतः आवासीय विद्यालय (छात्रावास सुविधाओं सहित) प्रदान किया गया है।

CSR to The Auro-Mira Vidya Mandir (AMVM) is a fully residential school (with hostel facilities) in Koraput district of Odisha for education of 8 underprivileged children

पीएनबी अमृतसर द्वारा सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जहांगीर में छात्रों को स्पोर्ट्स किट का वितरण ।

Sports Kits distributed to the students by PNB Amritsar in Government Senior Secondary School, Jahangir

पीएनबी द्वारा दयानंद मॉडल स्कूल जालंधर में जरूरतमंद छात्रों को पुस्तकों एवं स्टेशनरी का वितरण।

Distribution of Books and Stationery Items to needy students at Dayanand Model School Jalandhar by PNB

## 2.7 खेलों को प्रोत्साहन

बैंक निरंतर हमारे राष्ट्रीय खेल अर्थात हॉकी को बढ़ावा दे रहा है। अप्रैल 2004 में, बैंक ने अपनी सीनियर हॉकी टीम का गठन किया। वर्तमान में हमारी सीनियर हॉकी टीम में 23 खिलाड़ी हैं। वरिष्ठ खिलाड़ी बैंक के कर्मचारी हैं।

बैंक खिलाड़ियों में पेशेवर कौशल विकसित करने के लिए सभी लॉजिस्टिक्स सहायता और बुनियादी सुविधाएं प्रदान करता है। सीनियर हॉकी टीम के खिलाड़ियों को खेल किट, आहार भत्ता, कोच, आहार विशेषज्ञ, फिजियोथेरेपिस्ट की सेवाएं, एस्ट्रो टर्फ मैदान, बीमा आदि प्रदान किया जाता है।

पीएनबी सीनियर हॉकी टीम द्वारा अब तक भाग लिए गए हॉकी टूर्नामेंटों का विवरण नीचे दिया गया है:

| क्र.सं | टूर्नामेंट की तिथि | टूर्नामेंट/चौम्पियनशिप | पीएनबी हॉकी टीम की स्थिति |
|---|---|---|---|
| 1 | 05/09/2024–15/09/2024 | चौथी हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष अंतर–विभागीय राष्ट्रीय चौम्पियनशिप | क्वार्टर फाइनलिस्ट |
| 2 | 18/11/2024–25/11/2024 | 34वां लाल बहादुर शास्त्री हॉकी टूर्नामेंट | लीग स्टेज |
| 3 | 27/11/2024–07/12/2024 | 60वां सीनियर नेहरू हॉकी टूर्नामेंट | लीग स्टेज |
| 4 | 17/02/2025–24/02/2025 | पद्म श्री मोहम्मद शाहिद हॉकी टूर्नामेंट | विजेता |

## 2.7 Promotion of Sports

Bank is continuously promoting our National Sport i.e. Hockey. In April 2004, the Bank formed its Senior Hockey team. Presently our senior hockey team has 23 players. The senior players are employees of the Bank.

Bank provides all logistics support and infrastructure facilities to the players for developing professional skills. Senior Hockey team players are provided with playing kit, diet allowance, coach, dietician, physiotherapist's services, astro turf ground, insurance etc.

The details of Hockey tournaments in which PNB senior hockey team participated till date are mentioned as below:

| S. No. | Date of Tournament | Tournaments/ championships | PNB Hockey team Position |
|---|---|---|---|
| 1 | 05/09/2024-15/09/2024 | 4th Hockey India Senior Men Inter-Department National Championship | Quarter-Finalist |
| 2 | 18/11/2024-25/11/2024 | 34th Lal Bahadur Shastri Hockey Tournament | League stage |
| 3 | 27/11/2024-07/12/2024 | 60th Senior Nehru Hockey Tournament | League stage |
| 4 | 17/02/2025-24/02/2025 | Padma Shri Mohd. Shahid Hockey Tournament | Winner |

हमारी सीनियर हॉकी टीम के तीन खिलाड़ियों ने विभिन्न टूर्नामेंटों में भारतीय राष्ट्रीय टीम का प्रतिनिधित्व किया। श्री अभिषेक और सुखजीत सिंह ने भारतीय हॉकी टीम का प्रतिनिधित्व किया जिसने पेरिस ओलंपिक, 2024 में कांस्य पदक और एशियाई चौंपियंस ट्रॉफी 2024 में स्वर्ण पदक जीता। श्री मंदीप मोर ने एफआईएच हॉकी विश्व कप ओमान 2024 में भाग लिया और स्वर्ण पदक जीता।

**श्री अभिषेक (हॉकी खिलाड़ी) द्वारा जीते गए पुरस्कार**

**1. अर्जुन अवॉर्ड 2024 में**

**2. वर्ष 2023 में फॉरवर्ड के लिए हॉकी इंडिया धनराज पिल्लै पुरस्कार।**

**श्री सुखजीत सिंह (हॉकी खिलाड़ी) द्वारा जीते गए पुरस्कार**

**अर्जुन अवॉर्ड 2024 में**

Three players of our senior hockey team represented Indian National Team in various tournaments. Sh. Abhishek and Sukhjeet Singh represented Indian Hockey Team which won **Bronze Medal** in Paris Olympic, 2024 and **Gold medal** in Asian Champions Trophy 2024. Sh. Mandeep Mor participated in FIH Hockey5s World cup Oman 2024 and won **Gold medal**.

**Awards won by Sh. Abhishek (Hockey Player)**

**1. Arjuna Award in 2024**

**2. Hockey India Dhanraj Pillay Award for Forward of the year 2023.**

**Awards win by Sh. Sukhjeet Singh (Hockey Player)**

**Arjuna Award in 2024.**

पद्मश्री मोहम्मद शाहिद हॉकी टूर्नामेंट की एक झलक

Glimpse of Padma Shri Mohd. Shahid Hockey Tournament

## 2.8 अन्य सीएसआर पहल

**क. पीएनबी प्रेरणा,** बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों के पति/पत्नी के साथ–साथ बैंक की वरिष्ठ महिला अधिकारियों का एक संघ है, जो बैंक की सीएसआर गतिविधियों को शुरू करने/बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। संस्था का मुख्य उद्देश्य बैंक की कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पहलों का समर्थन करना है।

## 2.8 Other CSR Initiatives

**A. PNB Prerna,** an association of the spouses of the senior officials of the Bank as well as senior lady officials of the Bank is performing a vital role in undertaking/promoting the Bank's CSR activities. The prime objective of the Association is to support the Corporate Social Responsibility initiatives of the Bank.

श्रीमती रजनीगंधा, अध्यक्षा पीएनबी प्रेरणा, श्रीमती साधना कुमारी, श्रीमती लावण्या और श्रीमती यामिनी कुमार उपाध्यक्ष पीएनबी प्रेरणा ने 100 वंचित आदिवासी छात्रों के अध्ययन के लिए कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज को सीएसआर प्रदान किया।

Smt. Rajnigandha, President PNB Prerna, Smt. Sadhana Kumari, Smt. Lavanya & Smt. Yamini Kumar Vice Presidents PNB Prerna, provided CSR to Kalinga Institute of Social Sciences for study of 100 underprivileged Tribal Students

श्रीमती रजनीगंधा, अध्यक्षा पीएनबी प्रेरणा, श्रीमती सुमति, श्रीमती अनीता महापात्र और श्रीमती यामिनी कुमार उपाध्यक्ष पीएनबी प्रेरणा ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर स्वच्छता–मुक्त स्वास्थ्य और स्त्री रोग जांच शिविर के लिए उत्तम जय राम फाउंडेशन को सीएसआर प्रदान किया।

Smt. Rajnigandha, President PNB Prerna, Smt. Sumathi, Smt. Anita Mahapatra & Smt. Yamini Kumar Vice Presidents PNB Prerna, provided CSR to Uttam Jai Ram Foundation for Hygiene-Free Health & Gynecological check-up camp on the occasion of International Women's Day.

श्रीमती रजनीगंधा अध्यक्षा पीएनबी प्रेरणा, श्रीमती यामिनी कुमार उपाध्यक्ष पीएनबी प्रेरणा ने सड़क सुरक्षा जागरूकता के लिए हेलमेट मैन ऑफ इंडिया को वित्तीय सहायता प्रदान की

Smt. Rajnigandha, President PNB Prerna, Smt. Yamini Kumar, Vice President PNB Prerna, provided financial support to Helmet man of India for road safety awareness

**B. सीएसआर के तहत अन्य कल्याणकारी गतिविधियां**

**B. Other Welfare activities under CSR**

सरकारी प्राथमिक स्मार्ट स्कूल सेखेवाल, लुधियाना के बच्चों को सीएसआर के अंतर्गत अध्ययन सामग्री प्रदान की गयी।

CSR for providing study materials to children of Government Primary Smart School Sekhewal, Ludhiana.

अंचल कार्यालय, मेरठ द्वारा कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत "दिशा – विशेष बच्चों के लिए स्कूल" को एक स्कूल बस भेंट की गई।

Zonal Office, Meerut presenting a school bus to "Disha – School for Special Children" under Corporate Social Responsibility

पीएनबी चंडीगढ़ द्वारा बैंक की कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत स्थानीय अनाथाश्रम को वॉशिंग मशीन का वितरण।

Distribution of Washing Machine to local orphanage by PNB Chandigarh as part of the bank's Corporate Social Responsibility.

पीएनबी, गुवाहाटी द्वारा कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत गुवाहाटी स्थित "गरभंगा पारिजात अकादमी" के छात्रों को डेस्क, बेंच, लेखन सामग्री और खेल से संबंधित सामग्री प्रदान की गई।

PNB, Guwahati provided desks, benches, writing materials and sports related material to the students of "Garbhanga Parijata Academy" located in Guwahati under Corporate Social Responsibility

श्री परमेश कुमार, अंचल प्रबंधक, लुधियाना द्वारा बैंक की सीएसआर योजना के अंतर्गत गुरु आसरा ट्रस्ट अनाथाश्रम, मोहाली को भोजन और स्टेशनरी का वितरण।

Sh. Parmesh Kumar, Zonal Manager, Ludhiana providing food and stationery to Guru Asra Trust Orphanage, Mohali under the Bank's CSR scheme.

## स्तम्भ-3: 31.03.2025 (समेकित) के लिए बासेल III के अंतर्गत प्रकटीकरण

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशानुसार 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए बेसल III (समेकित आधार और महत्वपूर्ण अनुपात अर्थात पूंजी, एनपीए और उद्योगवार प्रकटीकरण एकल आधार पर) फ्रेमवर्क के अंतर्गत स्तम्भ 3 का प्रकटीकरण बैंक की वेबसाइट पर अलग से प्रदर्शित किया गया। विस्तृत जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइटः www.pnbindia.in > विनियामक प्रकटीकरण > बेसल III प्रकटीकरण > वित्तीय वर्ष 2024-2025 देखें

(वेब लिंकः https://www.pnbindia.in/Basel-III-Disclosures.html)

**इस खण्ड में निम्नलिखित प्रकटीकरण सम्मिलित हैंः–**

| क्रम सं. | तालिकाएं | विवरण |
|---|---|---|
| 1. | तालिका DF - 1 | प्रयोज्यता का दायरा |
| 2. | तालिका DF - 2 | पूंजी पर्याप्तता |
| 3. | तालिका DF - 3 | ऋण जोखिम : सामान्य प्रकटीकरण |
| 4. | तालिका DF - 4 | ऋण जोखिम : मानक दृष्टिकोण के अधीन पोर्टफोलियो हेतु प्रकटीकरण |
| 5. | तालिका DF - 5 | ऋण जोखिम न्यूनीकरण : मानक दृष्टिकोण हेतु प्रकटीकरण |
| 6. | तालिका DF - 6 | प्रतिभूतिकरण : मानक दृष्टिकोण प्रकटीकरण |
| 7. | तालिका DF - 7 | ट्रेडिंग बही में बाजार जोखिम |
| 8. | तालिका DF - 8 | परिचालनगत जोखिम |
| 9. | तालिका DF - 9 | बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम (आईआरआरबीबी) |
| 10. | तालिका DF - 10 | प्रतिपक्षकार ऋण जोखिम से संबंधित एक्सपोजर के लिए सामान्य प्रकटीकरण |
| 11. | तालिका DF - 11 | पूंजी की संरचना |
| 12. | तालिका DF - 12 | पूंजी की संरचना – मिलान संबंधी अपेक्षाएँ |
| 13. | तालिका DF - 13 | विनियामक पूंजी लिखतों की मुख्य विशेषताएं |
| 14. | तालिका DF - 14 | विनियामक पूंजी लिखतों की पूर्ण नियम एवं शर्तें। |
| 15. | तालिका DF - 15 | पारिश्रमिक के लिए प्रकटीकरण की आवश्यकताएँ |
| 16. | तालिका DF - 16 | इक्विटीज़ – बैंकिंग बही की स्थिति के लिए प्रकटीकरण |
| 17. | तालिका DF - 17 | लेखांकन आस्तियां बनाम लीवरेज अनुपात एक्स्पोजर माप की संक्षिप्त तुलना |
| 18. | तालिका DF - 18 | लीवरेज अनुपात सामान्य प्रकटीकरण टैम्पलेट |

## Pillar-3: Disclosures under Basel III for 31.03.2025 (CONSOLIDATED)

Pillar 3 Disclosures under Basel III (Consolidated Basis and Important Ratios i.e. Capital, NPA and Industry Wise Exposure on Solo Basis) Framework for the Year ended March 31, 2025 as per guidelines of RBI have been disclosed separately on Bank's website. For details, please visit our website: www.pnbindia.in > Regulatory Disclosures > Basel III Disclosures > Financial year 2024-2025

(web link: https://www.pnbindia.in/Basel-III-Disclosures.html)

The section contains following disclosures: -

| Sl. No. | Tables | Particulars |
|---|---|---|
| 1. | Table DF - 1 | Scope of Application |
| 2. | Table DF - 2 | Capital Adequacy |
| 3. | Table DF - 3 | Credit Risk: General Disclosures |
| 4. | Table DF - 4 | Credit Risk: Disclosures for Portfolios Subject to the Standardised Approach |
| 5. | Table DF - 5 | Credit Risk Mitigation: Disclosures for Standardised Approach |
| 6. | Table DF - 6 | Securitisation: Disclosure for Standardised Approach |
| 7. | Table DF - 7 | Market Risk in Trading Book |
| 8. | Table DF - 8 | Operational Risk |
| 9. | Table DF - 9 | Interest Rate Risk in the Banking Book (IRRBB) |
| 10. | Table DF - 10 | General Disclosure for Exposures Related to Counterparty Credit Risk |
| 11. | Table DF - 11 | Composition of Capital |
| 12. | Table DF - 12 | Composition of Capital – Reconciliation Requirements |
| 13. | Table DF - 13 | Main features of Regulatory Capital Instruments |
| 14. | Table DF - 14 | Full Terms and Conditions of Regulatory Capital Instruments. |
| 15. | Table DF - 15 | Disclosure Requirements for Remuneration |
| 16. | Table DF - 16 | Equities – Disclosures for Banking Book Positions |
| 17. | Table DF - 17 | Summary Comparison of Accounting Assets vs Leverage Ratio Exposure Measure |
| 18. | Table DF - 18 | Leverage Ratio Common Disclosure Template |

# एकल वित्तीय विवरणियां
# Standalone Financial Statements

## लेखापरीक्षकों की स्वतंत्र रिपोर्ट

पंजाब नैशनल बैंक के सदस्यों के लिए

एकल वित्तीय विवरणियों की लेखा–परीक्षा पर रिपोर्ट

### अभिमत

1. हमने 31 मार्च 2025 को पंजाब नैशनल बैंक (बैंक), के एकल वित्तीय विवरणियों, उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए तुलनपत्र, एकल लाभ और हानि लेखा और एकल नकदी प्रवाह विवरणी और महत्वपूर्ण, लेखांकन नीतियों के सार और इसके साथ संलग्न अन्य व्याख्यात्मक जानकारी की लेखा परीक्षा की है, जिसमें प्रधान कार्यालय, 22 अंचल कार्यालयों और उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए रिटर्न शामिल हैं:
   - i. 20 शाखाएँ, ट्रेजरी विभाग, क्रेडिट कार्ड विभाग और अन्य 39 कार्यालय हमारे द्वारा लेखा परीक्षा किए गए।
   - ii. 1984 भारतीय शाखाएँ और अन्य कार्यालय सांविधिक शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षा किए गए।
   - iii. 1 विदेशी शाखा स्थानीय लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षा की गई।
   - iv. गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक–सिटी (गिफ्ट सिटी) में स्थित 1 अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग इकाई सांविधिक शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षा की गई।

   भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक को जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार हमारे द्वारा और अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षा की गई शाखाओं का चयन किया गया। बैलेंस शीट, लाभ–हानि खाता और नकदी प्रवाह विवरण में 9290 शाखाओं से प्राप्त रिटर्न भी शामिल हैं, जिनका लेखा परीक्षा नहीं किया गया है। इन गैर–लेखापरीक्षित शाखाओं में अग्रिम राशि का 24.31%, जमाराशि का 55.76%, ब्याज आय का 18.74% और ब्याज व्यय का 51.09% हिस्सा है।

2. हमारे अभिमत में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी में तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार उपर्युक्त एकल वित्तीय विवरण बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (अधिनियम) द्वारा आवश्यक जानकारी प्रदान करते हैं और आमतौर पर भारत में स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप हैं और:
   - क. टिप्पणियों सहित पठित, एकल तुलन पत्र सभी आवश्यक विवरणों सहित एक पूर्ण और निष्पक्ष तुलन पत्र है, जिसमें आवश्यक विवरण दिए गए हैं और सही प्रकार से बनाया गया है ताकि 31 मार्च, 2025 को बैंक के मामलों की स्थिति के बारे में सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदर्शित किया जा सके,
   - ख. टिप्पणियों सहित पठित, एकल लाभ और हानि लेखा, सही लाभ शेष दर्शाता है, तथा
   - ग. उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए नकद प्रवाह विवरण, नकद प्रवाह का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करता है।

### अभिमत का आधार

3. हमने इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेन्ट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा लेखा परीक्षा पर जारी मानकों (एस ए) के अनुसार लेखापरीक्षा की है। उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियाँ आगे हमारी रिपोर्ट के एकल वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक

## INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To the Members of Punjab National Bank

Report on Audit of the Standalone Financial Statements

### Opinion

1. We have audited the accompanying Standalone Financial Statements of Punjab National Bank (the Bank), which comprise the Balance Sheet as at 31st March 2025, the Profit and Loss Account and the Statement of Cash Flow for the year then ended, and notes to financial statements including a summary of significant accounting policies and other explanatory information in which are included the returns for the year ended on that date of the Central Office, 22 Zonal Offices and
   - i. 20 branches, Treasury division, Credit Card division and 39 other offices audited by us.
   - ii. 1984 Indian branches and other offices audited by statutory branch auditors.
   - iii. 1 foreign branch audited by local auditors.
   - iv. 1 International Banking Unit situated at Gujarat International Finance Tec-City (Gift City) audited by Statutory Branch Auditors.

   The branches audited by us and those audited by other auditors have been selected by the Bank in accordance with the guidelines issued to the Bank by the Reserve Bank of India. Also incorporated in the Balance Sheet, the Profit and Loss Account and the Statement of Cash Flows are the returns from 9290 branches which have not been subjected to audit. These unaudited branches account for 24.31% of advances, 55.76 % of deposits, 18.74% of interest income and 51.09% of interest expenses.

2. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid standalone financial statements give the information required by the Banking Regulation Act, 1949 in the manner so required for bank and are in conformity with accounting principles generally accepted in India and:
   - a. The Balance Sheet, read with the notes thereon is a full and fair Balance Sheet containing all the necessary particulars, is properly drawn up so as to exhibit a true and fair view of the state of affairs of the Bank as at 31st March, 2025;
   - b. The Profit and Loss Account, read with the notes thereon shows a true balance of profit for the year ended on that date and
   - c. The Statement of Cash Flow gives a true and fair view of the cash flows for the year ended on that date.

### Basis for Opinion

3. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing (SAs) issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI). Our responsibilities under those Standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit

की जिम्मेदारियाँ खंड में वर्णित की गई हैं। भारत में एकल वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के लिए प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं सहित इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंटस ऑफ इंडिया द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार हम समूह से स्वतंत्र है. और हमने इन आवश्यकताओं और आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हमें विश्वास है कि हमने जो लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं. वे हमारे अभिमत के लिए आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

### मुख्य लेखा परीक्षा मामले

4. लेखा परीक्षा के प्रमुख मामले वे मामले हैं. जो हमारे पेशेवर निर्णय हे वर्तमान अवधि के लिए एकल वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण रहे हैं। ये मामले एकल वित्तीय विवरण की हमारी लेखा परीक्षा के सन्दर्भ में और उन पर अपना मत बनाने में समग्र रूप से देखे गए हैं और हमने इन मामलों पर अलग से मत नहीं दिया है। हमने अपनी रिपोर्ट में वर्णित किए जाने हेतु महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा मामलों के रूप में वर्णित निम्नलिखित मामलों को निर्धारित किया है।

| मुख्य लेखा परीक्षा मामले | लेखा परीक्षा में हमारे मामले को किस प्रकार से दर्शाया गया है |
|---|---|
| **अग्रिम – वर्गीकरण एवं प्रावधानीकरण**<br><br>(लेखा नीति संख्या 5 के साथ पठित एकल वित्तीय विवरणों की अनुसूची 9 का संदर्भ लें.)<br><br>अग्रिमों को निष्पादित और गैर–निष्पादित अग्रिमों (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत किया गया है और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार इन पर प्रावधानीकरण किया गया है। बैंक ने कोर बैंकिंग सॉल्यूशन (सीबीएस) के अंतर्गत एसएएससीएल एप्लीकेशन में अग्रिमों की पूरी प्रणाली द्वारा संचालित निर्धारण और उनके वर्गीकरण को लागू किया है। विवेकपूर्ण मानदंडों के अंतर्गत एनपीए के प्रावधानीकरण की सीमा मुख्य रूप से इसकी अवधि और अन्तर्निहित प्रतिभूति की वसूली योग्यता पर आधारित है। आवश्यकता के आधार पर इसकी मैन्युअल रूप से समीक्षा भी की जाती है।<br><br>विवेकपूर्ण मानदंडों के किसी भी अनुचित उपयोग या प्रतिभूति के गलत मूल्य निर्धारण की स्थिति में, क्योंकि प्रतिभूति के मूल्य निर्धारण में उच्च स्तर का अनुमान और निर्णय शामिल होता है, अग्रिमों का वहन मूल्य व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से वस्तुतः गलत तरीके से प्रस्तुत किया सकता है, और एकल वित्तीय विवरणों में अग्रिमों की राशि की महत्ता को ध्यान में रखते हुए अग्रिमों का वर्गीकरण और इसके प्रावधानीकरण को हमारी लेखा परीक्षा में मुख्य लेखा परीक्षा मामला माना गया है। | अग्रिम के प्रति हमारे लेखापरीक्षा दृष्टिकोण में बैंक के सॉफ्टवेयर, परिपत्रों, भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा–निर्देशों और निर्देशों तथा नमूना आधार पर परिसंपत्तियों के वर्गीकरण और उसके प्रावधान के संबंध में बैंक के आंतरिक निर्देशों और प्रक्रियाओं की समझ शामिल थी और निम्नलिखित लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को अपनाया गयाः<br><br>• अग्रिमों पर विभिन्न आंतरिक नियंत्रणों की प्रभावकारिता की नमूना जांच के आधार पर जांच की गई, ताकि मूल प्रक्रियाओं की प्रकृति, समय और सीमा का निर्धारण किया जा सके तथा इन अग्रिमों से संबंधित आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान के संबंध में बैंक और आरबीआई निरीक्षण के निगरानी तंत्र के अनुसार किए गए विभिन्न लेखापरीक्षाओं की टिप्पणियों के अनुपालन का पता लगाया जा सके।<br><br>• तर्क/डेटा की सटीकता को लागू करने/कार्यान्वयन में त्रुटियों और चूक की पहचान करने और इसके सुधारात्मक कार्रवाई के लिए बैंक के निगरानी तंत्र की समीक्षा की गई। |

of the standalone Financial Statements section of our report. We are independent of the Bank in accordance with the Code of Ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India together with ethical requirements that are relevant to our audit of the Standalone financial statements and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the Code of Ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

### Key Audit Matters

4. Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the standalone financial statements for the year ended 31st March 2025. These matters were addressed in the context of our audit of the standalone financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters. We have determined the matters prescribed below to be the key audit matters to be communicated in our report.

| Key Audit Matters | How our matter was addressed in the audit |
|---|---|
| **Advances – classification and provisioning**<br><br>(Refer Schedule 9. to the Standalone Financial Statements, read with the Accounting Policy No 5)<br><br>The advances are classified as performing and non-performing advances (NPA) and provisioning thereon is made in accordance with the prudential norms as prescribed by the Reserve Bank of India (RBI). The Bank has implemented complete system driven recognition of advances and their classification in SASCL Application under Core Banking Solution (CBS). The extent of provisioning of NPA under the prudential norms are mainly based on its ageing and recoverability of the underlined security. The same are also reviewed manually based on necessity.<br><br>In the event of any improper application of the prudential norms or consideration of the incorrect value of the security, as the valuation of the security involves high degree of estimation and judgement, the carrying value of the advances could be materially misstated either individually or collectively, and in view of the significance of the amount of advances in the Standalone Financial Statements the classification of the advances and provisioning thereon has been considered as Key Audit Matter in our audit. | Our audit approach towards advance included an understanding of the Bank's software, circulars, guidelines and directives of the Reserve Bank of India and the Bank's internal instructions and procedures in respect of the assets classification and its provisioning on sample basis and adopted the following audit procedures:<br><br>• Examined on test check basis the efficacy of various internal controls over advances to determine the nature, timing and extent of the substantive procedures and compliance with the observations of the various audits conducted as per the monitoring mechanism of the Bank and RBI Inspection with respect to income recognition, asset classification and provisioning pertaining to these advances.<br><br>• Reviewed the Bank's monitoring mechanisms to identify errors and omission in applying/ implementation of logic / data integrity and its corrective action. |

| | |
|---|---|
| | • हमारे द्वारा लेखापरीक्षित शाखाओं में मूलभूत प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए, हमने अग्रिम खातों के दस्तावेजीकरण, परिचालन/निष्पादन और निगरानी की समीक्षा की है, ताकि किसी भी अग्रिम खाते में किसी भी अतिदेय, असंतोषजनक आचरण या दुर्बलता का पता लगाया जा सके, जिसमें आरबीआई के मास्टर परिपत्रों/दिशानिर्देशों/न्यायिक घोषणाओं के अनुपालन में नमूना आधार पर वर्गीकरण की जांच शामिल है। इसके लिए हमने अन्य वैधानिक शाखा लेखापरीक्षकों की लेखापरीक्षा रिपोर्टों पर भी भरोसा किया है, जिनके साथ हमने विशिष्ट पत्राचार भी किया है।<br>• एनपीए वर्गीकरण समाधान के लिए आधारभूत आवश्यकताओं की समीक्षा सहित सीबीएस द्वारा उपयोग किए गए एसएएससीएल एप्लिकेशन (आय निर्धारण और संपत्ति वर्गीकरण समाधान) की समीक्षा पर स्वतंत्र आईटी विशेषज्ञ की रिपोर्ट की समीक्षा की। तदनुसार, हमने एनपीए की पहचान और आय के अनुरूप प्रतिवर्तन तथा प्रावधान सृजन की प्रक्रिया का आकलन और मूल्यांकन किया है।<br>• बैंक की नीतियों और प्रक्रियाओं के अनुसार ऐसे निगरानी तंत्रों के अस्तित्व और प्रभावशीलता का पता लगाने के लिए क्रेडिट ऑडिट, निरीक्षण ऑडिट, जोखिम आधारित आंतरिक ऑडिट, समवर्ती ऑडिट, नियामक ऑडिट की रिपोर्टों की नमूना जांच के आधार पर समीक्षा की गई। |
| **निवेश–मूल्यांकन और गैर–निष्पादित निवेश की पहचान तथा प्रावधानीकरण**<br>(लेखा नीति संख्या 4 के साथ पठित एकल वित्तीय विवरणों की अनुसूची 8 का संदर्भ ले)<br>बैंक के निवेश पोर्टफोलियो में सरकारी प्रतिभूतियों, बांड, डिबेंचर, शेयर, प्रतिभूति रसीदें और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश शामिल हैं, जिन्हें तीन श्रेणियों, परिपक्वता तक धारित (एचटीएम), बिक्री के लिए उपलब्ध (एएफएस) और लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीपीएल) में वर्गीकृत किया गया है।<br>निवेशों का मूल्यांकन, गैर–निष्पादित निवेशों (एनपीआई) की पहचान और आय का तदनुरूपी गैर–निर्धारण तथा उस पर प्रावधान आरबीआई के संबंधित परिपत्रों/दिशानिर्देशों/निर्देशों के अनुसार किया जाता है। | भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्रों /निदेशों के संदर्भ सहित निवेश के प्रति हमारे लेखा परीक्षा के दृष्टिकोण में आंतरिक नियंत्रण की संरचना, कार्यान्वयन, परिचालन प्रभाव का परीक्षण एवं समीक्षा शामिल की गई है और गैर–निष्पादित निवेशों की पहचान, वर्गीकरण, मूल्यांकन से संबंधित लेखा परीक्षा प्रक्रियाएं, निवेशों से संबंधित प्रावधान/अवमूल्यन भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार हैं।<br>• हमने इन निवेशों का उचित मूल्य निर्धारित करने के लिए विभिन्न स्रोतों से जानकारी एकत्र करने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया की समीक्षा और मूल्यांकन किया है। |

| | |
|---|---|
| | • In carrying out substantive procedures at the branches audited by us, we have reviewed the documentations, operations / performance and monitoring of the advance accounts, to ascertain any overdue, unsatisfactory conduct or weakness in any advance account including, examination of classification on sample basis in compliance with the RBI Master Circulars / Guidelines/ Judicial pronouncements Reliance is also placed on Audit Reports of other Statutory Branch Auditors with whom we have also made specific communication.<br>• Reviewed the report of independent IT Expert on review of SASCL Application (Income Recognition and Asset Classification solution) used by CBS including the review of "Baseline Requirements for the NPA classification Solution". Accordingly, we have assessed and evaluated the process of identification of NPAs and corresponding reversal of income and creation of provision<br>• Reviewed on test check basis the reports of the credit audit, inspection audit, risk based internal audit, concurrent audit, regulatory audit to ascertain existence and effectiveness of such monitoring mechanisms as per the policies and procedures of the Bank |
| **Investments – valuation and identification and provisioning for Non-Performing Investments**<br>(Refer Schedule 8 to the Standalone Financial Statements, read with the Accounting Policy No 4)<br>Investment portfolio of the bank comprises of Investments in Government Securities, Bonds, Debentures, Shares, Security Receipts and other Approved Securities which are classified under three categories, Held to Maturity (HTM), Available for Sale (AFS) and Fair Value through Profit or Loss (FVTPL)<br>Valuation of Investments, identification of Non-performing Investments (NPI) and the corresponding non-recognition of income and provision thereon, is carried out in accordance with the relevant circulars / guidelines / directions of RBI. | Our audit approach towards Investments with reference to the RBI circulars / directives included the review and testing of the design, implementation, operating effectiveness of internal controls and audit procedures in relation to valuation, classification, identification of Non-Performing Investments, provisioning / depreciation related to Investments as per RBI guidelines.<br>• We reviewed and evaluated the process adopted for collection of information from various sources for determining fair value of these investments. |

| | |
|---|---|
| उपर्युक्त प्रतिभूति की प्रत्येक श्रेणी (प्रकार) का मूल्यांकन आरबीआई द्वारा जारी परिपत्रों और निर्देशों में निर्धारित पद्धति के अनुसार किया जाना है, जिसमें एफआईएमएमडीए दरें, बीएसई/एनएसई द्वारा उद्धृत दरें, गैर–सूचीबद्ध कंपनियों के वित्तीय विवरण, म्यूचुअल फंड के मामले में एनएवी और प्रतिभूति रसीदें आदि जैसे विभिन्न स्रोतों से प्राप्त आंकड़े/सूचना का संग्रह शामिल है। कुछ निवेश मूल्यांकन पद्धतियों पर आधारित होते हैं जिनमें अंतर्निहित धारणाओं सहित सांख्यिकीय मॉडल, वित्तीय विवरणों पर आधारित मूल्यांकन के लिए मूल्य का निर्धारण आदि शामिल होते हैं।<br><br>इसलिए, इन निवेशों के मूल्यांकन के लिए निर्धारित की गई कीमत सही द्योतक नहीं हो सकती, लेकिन आज तक के निवेशों का एक निष्पक्ष निर्धारण हो सकता है। इसलिए निवेश के मूल्यांकन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है और आगे वित्तीय विवरणों में निवेश की राशि के महत्व को देखते हुए, उक्त को हमारे लेखापरीक्षा में मुख्य लेखा परीक्षा मामला माना गया है। | • निवेश के चयनित नमूने के लिए (प्रतिभूति की प्रकृति के आधार पर निवेश की सभी श्रेणियों को कवर करते हुए) हमने आरबीआई मास्टर परिपत्रों और निदेशों के साथ सटीकता और अनुपालन का परीक्षण किया है। नमूने का चयन यह सुनिश्चित करने के बाद किया गया था कि निवेश की सभी श्रेणियां (प्रतिभूति की प्रकृति के आधार पर) नमूने में शामिल थीं।<br>• हमने एनपीआई की पहचान, और आय के तदनुरूपी रिवर्सल और प्रावधान करने की प्रक्रिया का आकलन और मूल्यांकन किया है।<br>• हमने आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार विभिन्न श्रेणियों में निवेशों के वर्गीकरण के लिए बैंक द्वारा अपनाई गई कार्यप्रणाली को समझा और उसकी समीक्षा की।<br>• हमने आरबीआई के परिपत्रों और निर्देशों के अनुसार बनाए रखने के लिए प्रावधान और प्रदान किए जाने वाले मूल्यह्रास को स्वतंत्र रूप से पुनर्गणना करने के लिए मूल लेखा परीक्षा प्रक्रियाएं कीं। तदनुसार, हमने प्रत्येक श्रेणी के निवेशों से नमूने चुने और आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार एनपीआई के लिए परीक्षण किया और एनपीआई के उन चयनित नमूनों के लिए आरबीआई परिपत्र के अनुसार बनाए रखने के लिए प्रावधान की पुनर्गणना की। |
| **सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) का आकलन:**<br><br>आईआरएसी मानदंडों सहित आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुपालन में लेनदेन की रिकॉर्डिंग, विभिन्न रिपोर्ट तैयार करने के संबंध में आईटी नियंत्रण।<br><br>नियामकों आदि का अन्य अनुपालन, प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण भाग है। इस तरह की रिपोर्टिंग कोर बैंकिंग सॉफ्टवेयर और अन्य संबद्ध प्रणालियों के प्रभावी रूप से कार्य करने पर निर्भर है।<br><br>हमने इसे मुख्य लेखा परीक्षा माना है क्योंकि नियंत्रण में किसी भी चूक, सत्यापन विफलताएं, गलत इनपुट डेटा और गलत डेटा निकालने के परिणामस्वरूप प्रबंधन और विनियामकों को डेटा की गलत रिपोर्टिंग हो सकती है। | **हमारे लेखापरीक्षा दृष्टिकोण में निम्नलिखित शामिल हैं: –**<br>• विभिन्न श्रेणियों के ग्राहकों के लिए बैंक द्वारा अपनाए गए कोडिंग सिस्टम को समझना<br>• बैंक के आईटी नियंत्रणों के डिजाइन, कार्यान्वयन और परिचालन प्रभावशीलता की समीक्षा करना, जिसमें एप्लिकेशन, अभिगम नियंत्रण शामिल है, जो नमूना जाँच के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए महत्वपूर्ण हैं।<br>• सिस्टम में डेटा की फीडिंग को समझना और बैंक में मौजूद आईटी सिस्टम से वित्तीय जानकारी और विवरणों को निकालना।<br>• बैंक के विनियमों/नीति में किसी भी बदलाव के कारण उपयोगकर्ता की आवश्यकताओं की जाँच करना।<br>• सिस्टम द्वारा नमूना आधार पर जनरेट रिपोर्टों की समीक्षा करना।<br>• सीबीएस द्वारा उपयोग किए जाने वाले एसएएससीएल एप्लीकेशन (आय मान्यता और आस्ति वर्गीकरण समाधान) की समीक्षा पर स्वतंत्र आईटी विशेषज्ञ की रिपोर्ट की समीक्षा की गई, जिसमें "एनपीए वर्गीकरण समाधान के लिए आधारभूत आवश्यकताओं" की समीक्षा भी शामिल है। |

| | |
|---|---|
| The valuation of each category (type) of aforesaid security is to be carried out as per the methodology prescribed in circulars and directives issued by the RBI which involves collection of data/ information from various sources such as FIMMDA rates, rates quoted on BSE/ NSE, financial statements of unlisted companies, NAV in case of mutual funds & security receipts etc. Certain investments are based on the valuation methodologies that include statistical models with inherent assumptions, assessment of price for valuation based on financial statements etc.<br><br>Hence, the price discovered for the valuation of these Investments may not be the true representative but only a fair assessment of the Investments as on date. Hence the valuation of Investments requires special attention and further in view of the significance of the amount of Investments in the financial statements the same has been considered as Key Audit Matter in our audit. | • For the selected sample of investments in hand, we tested accuracy and compliance with the RBI Master Circulars and directions by re-performing valuation for each category of security. Samples were selected after ensuring that all the categories of investments (based on nature of security) were covered in the sample<br>• We assessed and evaluated the process of identification of NPIs, and corresponding reversal of income and creation of provision.<br>• We understood and reviewed the methodology adopted by the Bank for classification of investments into various categories as per RBI guidelines<br>• We carried out substantive audit procedures to recompute independently the provision to be maintained and depreciation to be provided in accordance with the circulars and directives of the RBI. Accordingly, we selected samples from the investments of each category and tested for NPIs as per the RBI guidelines and recomputed the provision to be maintained in accordance with the RBI Circular for those selected sample of NPIs |
| **Assessment of Information Technology (IT):**<br><br>IT controls with respect to recording of transactions, generating various reports in compliance with RBI guidelines including IRAC norms.<br><br>Other regulatory compliances is also an important part of the process. Such reporting is highly dependent on the effective working of Core Banking Software and other allied systems.<br><br>We have considered this as key audit matter as any control lapses, validation failures, incorrect input data and wrong extraction of data may result in wrong reporting of data to the management and regulators | **Our audit approach included: -**<br>• Understanding the coding system adopted by the Bank for various categories of customers.<br>• Reviewed the design, implementation and operating effectiveness of the Bank's IT controls including application, access controls that are critical to financial reporting on test check basis.<br>• Understanding the feeding of the data in the system and going through the extraction of the financial information and statements from the IT system existing in the Bank.<br>• Checking of the user requirements for any changes in the regulations/ policy of the Bank.<br>• Reviewed the reports generated by the system on sample basis.<br>• Reviewed the report of independent IT Expert on review of SASCL Application (Income Recognition and Asset Classification solution) used by CBS including the review of "Baseline Requirements for the NPA classification Solution". |

| मुकदमेबाजी और आकस्मिक देयताएँ | हमारे लेखापरीक्षा दृष्टिकोण में निम्न शामिल रहे :– |
|---|---|
| (लेखांकन नीति संख्या 12 के साथ पठित एकल वित्तीय विवरण की अनुसूची 12 का संदर्भ लें)<br><br>हमारे लेखापरीक्षा दृष्टिकोण में निम्न शामिल रहे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों सहित कुछ मुकदमों और बैंक द्वारा बाध्यता के रूप में स्वीकार नहीं किए जाने पर अन्य पक्षों द्वारा दायर किए गए विभिन्न अन्य दावों के संबंध में आकस्मिक देनदारियों का आकलन।<br><br>बैंक का मूल्यांकन, मामले के तथ्यों, उनके स्वयं के निर्णय, पूर्व अनुभव और जहाँ भी आवश्यक समझा गया, कानूनी एवं स्वतंत्र कर सलाहकारों की सलाह, द्वारा समर्थित है।<br><br>तदनुसार, अप्रत्याशित प्रतिकूल परिणाम बैंक के रिपोर्ट किए गए लाभ और तुलन पत्र को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकते हैं।<br><br>हमने उपर्युक्त क्षेत्र को मुकदमों के परिणाम से संबंधित अनिश्चितता के मद्देनजर एक मुख्य लेखापरीक्षा मामले के रूप में निर्धारित किया है, जिसे कानून की व्याख्या में निर्णय की प्रयोज्यता की आवश्यकता होती है।<br><br>तदनुसार, हमारी लेखापरीक्षा तथ्यों का विश्लेषण करने और निर्णय /कानून की व्याख्या के अंतर्गत संबंधित विषय के विश्लेषण पर केंद्रित थी। | • लेखापरीक्षा से संबंधित आंतरिक नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना ताकि हम अपनी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को ऐसी डिजाइन कर सकें जो परिस्थितियों के अनुरूप हों;<br>• कर मुकदमों और आकस्मिक देयताओं की वर्तमान स्थिति को जानना;<br>• विभिन्न कर प्राधिकरणों /न्यायिक मंचों से प्राप्त आदेशों और/या पत्राचार और उस पर अनुवर्ती कार्रवाई की जांच करना;<br>• उसमें प्रस्तुत किए गए आधारों के संदर्भ में और विचाराधीन विषय के गुण–दोष, उपलब्ध स्वतंत्र कानूनी / कर सलाह का मूल्यांकन करना; तथा<br>• जहां भी आवश्यकता हुई, कानूनी और कर सलाहकारों की राय का सहारा लिया गया है।<br>• महत्वपूर्ण मुकदमों और कराधान मामलों से संबंधित प्रकटीकरण का सत्यापन। |

| Litigation & Contingent Liabilities | Our audit approach involved: - |
|---|---|
| (Refer Schedule 12. to the Standalone Financial Statements, read with the Accounting Policy No 12)<br><br>Assessment of Contingent liabilities in respect of certain litigations including Direct and Indirect Taxes and various other claims filed by other parties upon the Bank not acknowledged as debts.<br><br>The Bank's assessment is supported by the facts of matter, their own judgment, past experience, and advice from legal and independent tax consultants wherever considered necessary.<br><br>Accordingly, unexpected adverse outcomes may significantly impact the Bank's reported profit and the Balance Sheet.<br><br>We determined the above area as a Key Audit Matter in view of associated uncertainty relating to the outcome of litigations which requires application of judgment in interpretation of law.<br><br>Accordingly, our audit was focused on analysing the facts of subject matter under consideration and judgments/ interpretation of law involved. | • Obtaining an understanding of internal controls relevant to the audit in order to design our audit procedures that are appropriate in the circumstances;<br>• Going through the current status of the tax litigations and contingent liabilities;<br>• Examining the orders and/or communication received from various Tax Authorities/ Judicial forums and follow up action thereon;<br>• Evaluating the merits of the subject matter under consideration with reference to the grounds presented therein and available independent legal / tax advice; and<br>• Wherever required, reliance is placed on the opinion of legal and tax consultants.<br>• Verification of disclosures related to significant litigations and taxation matters. |

## वित्तीय विवरण और उस पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी

5. बैंक का निदेशक मंडल अन्य जानकारी तैयार करने के लिए जिम्मेदार है। अन्य जानकारी में निदेशकों की रिपोर्ट, अनुलग्नक, कॉर्पोरेट प्रशासन रिपोर्ट और अन्य रिपोर्ट शामिल हैं (लेकिन इसमें एकल वित्तीय विवरण और उस पर हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है)। एकल वित्तीय विवरणों पर हमारी राय अन्य जानकारी को कवर नहीं करती है और हम उस पर किसी भी तरह का आश्वासन निष्कर्ष नहीं देते हैं और न ही देंगे।

   एकल वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी अन्य जानकारी को पढ़ना है और ऐसा करते समय, इस बात पर विचार करना है कि क्या अन्य जानकारी एकल वित्तीय विवरणों से भौतिक रूप से असंगत है या लेखा परीक्षा में प्राप्त हमारी जानकारी या अन्यथा भौतिक रूप से गलत प्रतीत होती है।

   यदि, हमारे द्वारा किए गए कार्य के आधार पर, हम निष्कर्ष निकालते हैं कि इस अन्य जानकारी में कोई महत्वपूर्ण गलत विवरण है, तो हमें उस तथ्य की रिपोर्ट करना आवश्यक है। इस संबंध में रिपोर्ट करने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है।

## Information Other than the Standalone Financial Statements and Auditor's Report thereon

5. The Bank's Board of Directors is responsible for preparation of the other information. The other information comprises the Directors' Report, including annexures, Corporate Governance Report and other reports (but does not include the financial statements and our auditor's report thereon). Our opinion on the Standalone Financial Statements does not cover the other information and we do not and will not express any form of assurance conclusion thereon.

   In connection with our audit of the Standalone Financial Statements, our responsibility is to read the other information and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the Standalone Financial Statements or our knowledge obtained in the audit or otherwise appears to be materially misstated.

   If, based on the work we have performed, we conclude that there is a material misstatement of this other information, we are required to report that fact. We have nothing to report in this regard.

**एकल वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन तथा शासन प्रभारियों के उत्तरदायित्व**

6. बैंक का निदेशक मंडल इन एकल वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में उत्तरदायी है जो आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानकों तथा बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 की धारा 29 के प्रावधानों तथा समय–समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी परिपत्रों तथा दिशानिर्देशों सहित भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुरूप बैंक की वित्तीय स्थिति, वित्तीय कार्यनिष्पादन तथा नकदी प्रवाह का सही एवं निष्पक्ष दृष्टिकोण दर्शाते हैं। इस उत्तरदायित्व में बैंक के आस्तियों की सुरक्षा हेतु तथा धोखाधड़ी से बचाव एवं पता लगाने हेतु तथा अन्य अनियमितताओं हेतु, उचित लेखा नीतियों के चयन एवं आवेदन, निर्णय लेने तथा यह अनुमानित करना कि, ये उचित एवं विवेकपूर्ण हैं; तथा डिजाइन, कार्यान्वयन एवं पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण; जो लेखा अभिलेखों की सटीकता एवं पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से परिचालन कर रहे थे, जो वित्तीय विवरणों की तैयारी एवं प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक है; जो सत्य एवं निष्पक्ष दृष्टि करता है तथा या तो धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण, त्रुटिपूर्ण विवरण से मुक्त हों, ऐसे अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा अभिलेखों के रखरखाव भी शामिल हैं।

   वित्तीय विवरणों को तैयार करने में, प्रबंधन, एक कार्यशील संस्थान के रूप में बने रहने के लिए बैंक के सामर्थ्य के मूल्यांकन, प्रकटीकरण, जैसा लागू हो, कार्यशील संस्थान से संबंधित मामले तथा लेखा के आधार पर कार्यशील संस्थान को तब तक उपयोग करने जब तक कि प्रबंधन या तो बैंक का परिसमापन करने या संचालन को बंद करने का इरादा नहीं रखता है, या ऐसा करने के अलावा अन्य कोई वास्तविक विकल्प नहीं है, के लिए उत्तरदायी है। ये निदेशक मंडल बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए भी उत्तरदायी हैं।

**एकल वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा हेतु लेखापरीक्षकों का उत्तरदायित्व**

7. हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि का एकल वित्तीय विवरण समग्र रूप से वास्तविक त्रुटिपूर्ण विवरण से मुक है चाहे वह धोखाधडी या त्रुटि के कारण हो और एक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी करना है जिसमें हमारा अभिमत शामिल हो। उचित आश्वासन एक उच्च स्तर का आश्वासन है परंतु यह गारंटी नहीं है कि लेखामानकों (SAs) के अनुसार की गई लेखा परीक्षा सदैव ही त्रुटिपूर्ण विवरण का पता लगाएगी, जब यह मौजूद हो। धोखाधडी या त्रुटि से त्रुटिपूर्ण विवरण सुजित हो सकता है तथा यदि वैयक्तिक रूप से या समग्र रूप से इसे सही विवरणी माना जाता है. तो इन एकल वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों के प्रभावित होने की अपेक्षा की जा सकती है। लेखामानकों (SAs) के अनुसार लेखा परीक्षा के एक हिस्से के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरी लेखा परीक्षा के दौरान पेशेवर संदेह बनाए रखते हैं। साथ ही हम:

- एकल वित्तीय विवरणों के वास्तविक त्रुटिपूर्ण विवरण के जोखिमों की पहचान एवं मूल्यांकन करना, चाहे वो धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हों. उन जोखिमों के प्रति उत्तरदायी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन एवं निष्पादित करना, एवं लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करना जो हमारे

**Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Standalone Financial Statements**

6. The Bank's Board of Directors is responsible with respect to the preparation of these Standalone Financial Statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance and cash flows of the Bank in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the applicable Accounting Standards issued by ICAI to the extent applicable, and provisions of Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 and circulars and guidelines issued by the Reserve Bank of India ('RBI') from time to time. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the above mentioned Act for safeguarding of the assets of the Bank and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the standalone financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

   In preparing the Standalone Financial Statements, management is responsible for assessing the Bank's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Bank or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so. Those Board of Directors are also responsible for overseeing the Bank's financial reporting process.

**Auditor's Responsibilities for the Audit of the Standalone Financial Statements**

7. Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the standalone financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these standalone financial statements. As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain

अभिमत के लिए आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त तथा उपयुक्त हो। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप होने वाले त्रुटिपूर्ण विवरण का पता नहीं लगाने का जोखिम त्रुटि से उत्पन्न होने वाली अशुद्धि की तुलना में अधिक है. क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, इरादतन चूक, गलतबयानी या आंतरिक नियंत्रण की अवहेलना शामिल हो सकती है।

- परिस्थितियों के अनुरूप लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के लिए लेखापरीक्षा से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करें।
- उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता तथा निदेशक मंडल द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों एवं संबंधित प्रकटीकरण की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करना।
- लेखांकन के आधार पर कार्यशील संस्थान के प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष एवं, प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर, कि क्या घटनाओं या स्थितियों से संबंधित किसी विवरण में अनिश्चितता मौजूद है जो कार्यशील संस्था के रूप में संचालन जारी रखने की बैंक की क्षमता पर उल्लेखनीय संदेह पैदा कर सकती है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि एक उल्लेखनीय अनिश्चितता मौजूद है, तो हमारे अभिमत को बदलने के लिए वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरणों या यदि ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त है, के लिए हमारे लेखा परीक्षकों का ध्यान आकर्षित करने की आवश्यकता है। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं। हालांकि, भविष्य की घटनाओं या स्थितियों के कारण बैंक कार्यशील संस्था के रूप में संचालन बंद कर सकता है।
- प्रकटीकरण सहित एकल वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना एवं सामग्री का मूल्यांकन करना, और क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेनों तथा घटनाओं को इस तरह से दर्शाते हैं जो निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त करते हैं। वास्तविकता वित्तीय विवरणों में त्रुटिपूर्ण विवरणों की महत्ता है, जो वैयक्तिक रूप से या समग्र रूप से, यह संभव बनाता है कि वित्तीय विवरणों की यथोचित जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित कर सकते हैं। हम अपने लेखा परीक्षा कार्य के दायरे में और मूल्यांकन करने में मात्रात्मक भौतिकता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं

(i) हमारे लेखापरीक्षा कार्य की संभाव्यता की योजना बनाने और हमारे कार्य के परिणामों का मूल्यांकन करने और

(ii) वित्तीय विवरणों में किसी पहचानी गई त्रुटिपूर्ण सामग्री के प्रभाव का मूल्यांकन करने में मात्रात्मक वास्तविकता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं;

हम अन्य मामलों के मध्य आंतरिक नियंत्रण में किसी भी महत्वपूर्ण कमियों सहित, जिन्हें हम अपनी लेखापरीक्षा के दौरान पहचानते हैं. लेखापरीक्षा के नियोजित दायरे एवं समय तथा महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों के विषय में, अभिशासन प्रभारियों के साथ संवाद करते हैं। हम अभिशासन प्रभारियों को यह विवरण भी प्रदान करते हैं जो हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है, एवं उनके साथ उन सभी संबंधों तथा अन्य मामलों के बारे में संवाद करने हेतु जो उचित रूप से हमारी स्वतंत्रता, और जहां लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपायों पर तर्कसंगत रूप से विचार कर सकते हैं।

audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.

- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the bank's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the bank to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation. Materiality is the magnitude of the misstatements in the standalone financial statements that, individually or aggregate, makes it probable that the economic decisions of a reasonably knowledgeable user of the financial statements may be influenced. We consider quantitative materiality and qualitative factors in

(i) Planning of the scope of our audit work and in evaluating the results of our work; and

(ii) To evaluate the effect of any identified misstatement in the financial statements.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit. We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

अभिशासन प्रभारियों के साथ संप्रेषित मामलों से, हम उन मामलों का निर्धारण करते हैं जो वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे और इसलिए प्रमुख लेखापरीक्षा मामले हैं। हम अपने लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में इन मामलों का वर्णन करते हैं जब तक कि विधि या विनियमन मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण को रोकता नहीं है या जब, अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि किसी मामले को हमारी रिपोर्ट में संप्रेषित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के प्रतिकूल परिणाम ऐसे संचार के सार्वजनिक हित लाभों से अधिक हो सकते हैं।

### अन्य मामले

8. हमने बैंक के एकल वित्तीय विवरणों में शामिल 1984 शाखाओं और अन्य कार्यालयों, 1 विदेशी शाखा और गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक–सिटी (गिफ्ट सिटी) में स्थित 1 अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग इकाई के वित्तीय विवरणों/सूचनाओं का ऑडिट नहीं किया, जिनके वित्तीय विवरण/वित्तीय जानकारी 31 मार्च 2025 तक 3,53,931.58 करोड़ रुपये की कुल संपत्ति और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए 24,893.19 करोड़ रुपये की कुल आय दर्शाती है, जैसा कि एकल वित्तीय विवरणों में माना जाता है। ये शाखाएं तथा अन्य कार्यालय और विदेशी शाखाएं 31 मार्च 2025 तक 25.48% अग्रिम, 35.46% जमा और 36.08% गैर–निष्पादित आस्तियां तथा 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए 18.03% राजस्व को कवर करती हैं। इन शाखाओं के वित्तीय विवरण/सूचना का लेखा–परीक्षण उन शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा किया गया है जिनकी रिपोर्ट हमें प्रस्तुत की गई है, और जहां तक शाखाओं के संबंध में शामिल राशियों और प्रकटीकरणों का संबंध है, हमारी राय पूरी तरह से ऐसे शाखा लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है।

9. 31 मार्च, 2024 को समाप्त गत वर्ष के लिए बैंक के एकल वित्तीय परिणामों की संयुक्त लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षा की गई थी. उनमें से तीन पूर्ववर्ती लेखा परीक्षक फर्म हैं और उन्होंने 09 मई. 2024 की रिपोर्ट के माध्यम से ऐसे वित्तीय परिणामों पर असंशोधित राय व्यक्त की है। उपर्युक्त मामलों के संबंध में विवरण पर हमारा अभिमत संशोधित नहीं है।

### अन्य सांविधिक एवं नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

10. तुलन पत्र एवं लाभ और हानि लेखा बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के अनुसार तैयार किया गया है;

11. उपर्युक्त 8 से 9 पैराग्राफ में इंगित लेखापरीक्षा की सीमाओं के अधीन तथा बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 की आवश्यकतानुसार और इसके अंतर्गत आवश्यक प्रकटीकरण की सीमाओं के भी अधीन, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

    ए. हमने सभी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं, जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, हमारी लेखापरीक्षा के उद्देश्यों के लिए आवश्यक थे और उन्हें संतोषजनक पाया गया है:

    बी. बैंक के लेन–देन, जो हमारे संज्ञान में आए हैं, बैंक की शक्तियों के अंतर्गत हुए हैं; और

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

### Other Matters

8. We did not audit the financial statements / information of 1984 branches and other offices, 1 foreign branch and 1 International Banking Unit situated in Gujarat International Finance Tec-City {Gift City) included in the standalone financial statements of the Bank whose financial statements / financial information reflect total assets of Rs. 3,53,931.58 crores as at 31st March 2025 and total revenue of Rs. 24,893.19 crores for the year ended on that date, as considered in the standalone financial statements. These branches and other offices and foreign branches cover 25.48% of advances, 35.46% of deposits and 36.08% of non-performing assets as at 31st March 2025 and 18.03% of revenue for the year ended 31st March 2025. The financial statements / information of these branches has been audited by the branch auditors whose reports have been furnished to us, and our opinion in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of branches, is based solely on the report of such branch auditors.

9. The Standalone Financial results of the Bank for the previous year ended 31st March, 2024 were audited by the joint auditors, two of them are predecessor audit firms and have expressed unmodified opinion on such financial results vide report dated May 9, 2024. Our opinion is not modified in respect of this matter. Our opinion is not modified in respect of this matter.

### Report on Other Legal and Regulatory Requirements

10. The Balance Sheet and the Profit and Loss Account have been drawn up in accordance with Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949;

11. Subject to the limitations of the audit indicated in paragraphs 8 and 9 above and as required by the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980, and subject also to the limitations of disclosure required therein, we report that:

    a. We have obtained all the information and explanations which, to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purposes of our audit and have found them to be satisfactory.

    b. The transactions of the Bank, which have come to our notice, have been within the powers of the Bank; and

सी. बैंक के कार्यालयों एवं शाखाओं से प्राप्त रिटर्नों को हमारी लेखापरीक्षा के उद्देश्यों के लिए पर्याप्त पाया गया है।

12. आरबीआई द्वारा जारी 19 मई, 2020 के अनुवर्ती पत्र के साथ पठित, 17 मार्च 2020 के पत्र क्रमांक डीओएस. एआरजी. सं. 6270/08.91.001/2019–20 द्वारा यथा अपेक्षित, "सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षकों (एससीए) की नियुक्ति वित्त वर्ष 2019–20" से एससीए के लिए रिपोर्टिंग दायित्व हम उपर्युक्त पत्र के पैराग्राफ 2 में निर्दिष्ट मामलों पर आगे रिपोर्ट करते हैं:

क) हमारे अभिमत में. उपर्युक्त एकल वित्तीय विवरण, आईसीएआई द्वारा जारी लागू लेखा मानकों का उस सीमा तक अनुपालन करते हैं, जिस सीमा तक वे भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित लेखांकन नीतियों के साथ असंगत नहीं होते हैं।

ख) वित्तीय लेनदेनों या मामलों पर ऐसा कोई अवलोकन या टिप्पणी नहीं है जिसका बैंक की कार्यक्षमता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो।

ग) चूंकि बैंक कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत पंजीकृत नहीं है। अतः कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 की उप–धारा (2) के अनुसार बैंक के निदेशक होने की अयोग्यता बैंक पर लागू नहीं होती है।

घ) खातों के रखरखाव और उससे संबन्धित अन्य मामलों से संबंधित कोई योग्यता, आरक्षण या प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की गई है।

ङ) वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और परिचालन प्रभावशीलता पर हमारी लेखा परीक्षा रिपोर्ट इस रिपोर्ट के अनुलग्नक ए में दी गई है। हमारी रिपोर्ट 31 मार्च 2025 तक वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर एक अपरिवर्तित अभिमत व्यक्त करती है।

**13. हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि:**

ए. हमारे अभिमत में, बैंक ने विधि द्वारा अपेक्षित रूप से बहियों को रखा गया है। जैसाकि यह हमारी उन बहियों की जांच से प्रकट होता है और हमारे द्वारा संपर्क नहीं की गई शाखाओं से हमारी लेखापरीक्षा के उद्देश्यों के लिए पर्याप्त उचित विवरणियाँ प्राप्त की गई हैं;

बी. इस रिपोर्ट द्वारा अवलोकित तुलन पत्र, लाभ एवं हानि लेखे और नकदी प्रवाह की विवरणियाँ, लेखा बही के साथ और हमारे द्वारा संपर्क नहीं की गई शाखाओं से प्राप्त विवरणियों के साथ मेल खाती हैं;

सी. बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के अंतर्गत बैंक के शाखा लेखा–परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित शाखा कार्यालयों के खातों की रिपोर्ट हमें भेज दी गई हैं और इस रिपोर्ट को तैयार करने में हमारे द्वारा पर्याप्त ध्यान रखा गया है; और

डी. हमारे अभिमत में, तुलन पत्र, लाभ एवं हानि लेखे और नकदी प्रवाह का

c. The returns received from the offices and branches of the Bank have been found adequate for the purposes of our audit.

12. As required by letter No. DOS. ARG. No. 6270/08.91.001/2019-20 dated 17th March 2020 on "Appointment of Statutory Central Auditors (SCAs) in Public Sector Banks – Reporting obligations for SCAs from FY 2019-20", read with subsequent communication dated 19 May 2020 issued by the RBI, we further report on the matters specified in paragraph 2 of the aforesaid letter as under:

a) In our opinion, the aforesaid Standalone Financial Statements comply with the applicable Accounting Standards issued by ICAI, to the extent they are not inconsistent with the accounting policies prescribed by the RBI.

b) There are no observations or comments on financial transactions or matters which have any adverse effect on the functioning of the Bank.

c) As the Bank is not registered under the Companies Act, 2013 the disqualification from being a director of the bank under sub-section (2) of section 164 of the Companies Act, 2013 do not apply to the Bank.

d) There are no qualifications, reservations or adverse remarks relating to the maintenance of accounts and other matters connected therewith.

e) Our audit report on the adequacy and operating effectiveness of the Bank's internal financial controls over financial reporting is given in Annexure A to this report. Our report expresses an unmodified opinion on the Bank's internal financial controls over financial reporting as at 31st March 2025.

**13. We further report that:**

a. In our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Bank so far as it appears from our examination of those books and proper returns adequate for the purposes of our audit have been received from branches/offices not visited by us;

b. the Balance Sheet, the Profit and Loss Account and the Statement of Cash Flow dealt with by this report are in agreement with the books of account and with the returns received from the branches/offices not visited by us.

c. The reports on the accounts of the branch/offices audited by branch auditors of the Bank under section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 have been sent to us and have been properly dealt with by us in preparing this report; and

d. In our opinion, the Balance Sheet, the Profit and Loss Account

विवरण लागू लेखांकन मानकों का उस सीमा तक अनुपालन करता है जब तक कि वे आरबीआई द्वारा निर्धारित लेखांकन नीतियों के साथ असंगत नहीं होते।

and the Statement of Cash Flows comply with the applicable accounting standards, to the extent they are not inconsistent with the accounting policies prescribed by RBI.

कृते उमेद जैन एंड कंपनी
**For Ummed Jain & Co.**
सनदी लेखाकार
**Chartered Accountants**
एफआरएनः 119250डब्ल्यू
**FRN: 119250W**

सनदी लेखाकार यू.एम. जैन
**CA U.M. Jain**
भागीदार
**Partner**
(सदस्य सं. 070863)
**(M.No. 070863)**
यूडीआईएनः 25070863BMLFQA8952
**UDIN: 25070863BMLFQA8952**

कृते एन के भार्गव एंड कंपनी
**For N K Bhargava & Co.**
सनदी लेखाकार
**Chartered Accountants**
एफआरएनः 000429एन
**FRN: 000429N**

सनदी लेखाकार एन के भार्गव
**CA N K Bhargava**
भागीदार
**Partner**
(सदस्य सं. 080624)
**(M.No. 080624)**
यूडीआईएनः 25080624BMLCPS2762
**UDIN: 25080624BMLCPS2762**

कृते पी एस डी एंड एसोसिएट्स
**For P S D & Associates**
सनदी लेखाकार
**Chartered Accountants**
एफआरएनः 004501सी
**FRN: 004501C**

सनदी लेखाकार अभिनव शर्मा
**CA Abhinav Sharma**
भागीदार
**Partner**
(सदस्य सं. 411219)
**(M.No. 411219)**
यूडीआईएनः 25411219BMOICE1886
**UDIN: 25411219BMOICE1886**

कृते प्रेम गुप्ता एंड कं.
**For Prem Gupta & Co.**
सनदी लेखाकार
**Chartered Accountants**
एफआरएनः 000425एन
**FRN: 000425N**

सनदी लेखाकार प्रेम बिहारी गुप्ता
**CA Prem Behari Gupta**
भागीदार
**Partner**
(सदस्य सं. 080245)
**(M.No. 080245)**
यूडीआईएनः 25080245BMOYUV1329
**UDIN: 25080245BMOYUV1329**

कृते पी एस एंड एसोसिएट्स
**For P A & Associates**
सनदी लेखाकार
**Chartered Accountants**
एफआरएनः 313085इ
**FRN: 313085E**

सनदी लेखाकार पीएस पांडा
**CA P.S. Panda**
भागीदार
**Partner**
(सदस्य सं. 051092)
**(M.No. 051092)**
यूडीआईएनः 25051092BNUJPL7274
**UDIN: 25051092BNUJPL7274**

स्थानः नई दिल्ली
**Place: New Delhi**

दिनांकः 07 मई, 2025
**Date: May 07, 2025**

## स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट हेतु अनुबंध 'ए'

**(हमारी उस तिथि की रिपोर्ट के अनुभाग 'अन्य सांविधिक और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' के तहत पैराग्राफ 12 (ई) में संदर्भित)**

**भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) पत्र डीओएस. एआरजी सं. 6270/08 91.001/2019–20 दिनांक 17 मार्च 2020 (यथासंशोधित) (आरबीआई संचार) द्वारा अपेक्षित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट।**

हमने उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के एकल वित्तीय विवरणों को हमारी लेखापरीक्षा के साथ 31 मार्च 2025 तक की पंजाब नैशनल बैंक (बैंक) की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को लेखापरीक्षित किया है, जिसमें बैंक की शाखाओं की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण सम्मिलित है।

### आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए बैंक प्रबंधन का उत्तरदायित्व

बैंक प्रबंधन पर भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए बैंक द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने का उत्तरदायित्व है। इन उत्तरदायित्वों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की रचना, क्रियान्वयन और रखरखाव जो बैंक की नीतियों के पालन सहित इसके कारोबार के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे और इसकी आस्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और उसका पता लगाना, लेखा रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता और बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी परिपत्रों और दिशानिर्देशों के अंतर्गत यथोपेक्षित विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी निहित है।

### लेखा परीक्षक के उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर एक मत व्यक्त करना है। हमने आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के लिए लागू सीमा तक भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (**"आईसीएआई"**) द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग (**"मार्गदर्शन नोट"**) पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट और आईसीएआई द्वारा लेखा परीक्षा पर जारी मानकों (एसए) के अनुसार अपनी लेखापरीक्षा की है। उन मानकों और मार्गदर्शन नोट के लिए आवश्यक है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन करें और इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए योजना बनाएं और लेखा परीक्षा करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और बनाए रखे गए थे और क्या ऐसे नियंत्रण सभी भौतिक मामलों में प्रभावी ढंग से परिचालित होते हैं।

हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और उनकी परिचालन प्रभावशीलता के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए कार्यनिष्पादन प्रक्रियाएं शामिल है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय

## ANNEXURE "A" TO THE INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

**(Referred to in paragraph 12 (e) under 'Report on Other Legal and Regulatory Requirements' section of our report of even date)**

**Report on the Internal Financial Controls over Financial Reporting as required by the Reserve Bank of India (the "RBI") Letter DOS.ARG. No.6270/08.91.001/2019-20 dated March 17, 2020 (as amended) (the "RBI communication")**

We have audited the internal financial controls over financial reporting of Punjab National Bank ("**the Bank**") as of 31 March, 2025 in conjunction with our audit of the Standalone Financial Statements of the Bank for the year ended on that date which includes internal financial controls over financial reporting of the Bank's branches/offices.

### Management's Responsibility for Internal Financial Controls

The Bank's management is responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on the internal control over financial reporting criteria established by the Bank considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India. These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to the Bank's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Banking Regulation Act, 1949 and the circulars and guidelines issued by the Reserve Bank of India.

### Auditor's Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the Bank's internal financial controls over financial reporting based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting (**"the Guidance Note"**) issued by the Institute of Chartered Accountants of India (**"the ICAI"**) and the Standards on Auditing (SAs) issued by the ICAI, to the extent applicable to an audit of internal financial controls. Those Standards and the Guidance Note require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial controls over financial reporting were established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.

Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial controls over financial reporting and their operating effectiveness. Our audit of internal financial controls over financial reporting included obtaining an

नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, जोखिम का आंकलन करना कि भौतिक कमी मौजूद है और मूल्यांकन किये गए जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन और भाव का परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल है। चुनी गई प्रक्रियाएं लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती है, जिसमें वित्तीय विवरणों के भौतिक चूक के जोखिमों का आकलन शामिल है, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो।

हम मानते है कि हमने जो लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं और शाखा लेखापरीक्षको द्वारा प्राप्त अंकेक्षण साक्ष्य नीचे दिए गए अन्य मामलों के पैराग्राफ में संदर्भित उनकी रिपोर्ट के अनुसार, वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक के वित्तीय नियंत्रणों पर हमारी लेखापरीक्षा मत के लिए एक आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

### वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे सामान्य तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय रिपोर्टिंग को विश्वसनीयता और बाह्य उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरण तैयार करने सबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं जो (1) रिकॉर्डों के रखरखाव से संबंधित है, जो उचित विवरण में, बैंक की परिसंपत्तियों के लेनदेन और निपटान को सटीक और निष्पक्ष रूप से दर्शाती हैं, (2) उचित आश्वासन प्रदान करना कि लेनदेन को आम तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करने की अनुमति देने के लिए आवश्यकतानुसार दर्ज किया गया है, और बैंक की प्राप्तियां और व्यय केवल बैंक के प्रबंधन वर्ग और निदेशकों के प्राधिकरणानुसार किए जा रहे हैं, तथा (3) बैंक की आस्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण उपयोग या निपटान की रोकथाम या समय पर पता लगाने के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करना जिसका वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकता है।

### वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएं

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, जिसमें गठबंधन की संभावना या नियंत्रण के अनुचित प्रबंधन अभिमाव शामिल हैं त्रुटि या घोखाधड़ी के हो सकते हैं और जिसका पता नहीं लगाया जा सकता है। इसके अलावा भविष्य की अवधि के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान इस जोखिम के अधीन है कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आतरिक वित्तीय नियंत्रण शर्तों में परिवर्तन के कारण अपर्याप्त हो सकता है, या कि नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन में गिरावट से विवरण में भौतिक चूक हो सकती है।

### अभिमत

हमारे मतानुसार और हमारी सर्वोत्तम जानकारी में तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार और नीचे दिए गए अन्य मामलों के पैराग्राफ में संदर्भित शाखा लेखा परीक्षकों की रिपोटों पर विचार के आधार पर, बैंक के पास सभी महत्वपूर्ण मामलों के संबंध में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आतरिक वित्तीय नियंत्रण है जो 31 मार्च 2025 तक प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, आंतरिक वित्तीय

understanding of internal financial controls over financial reporting, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal financial controls based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditor's judgement, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

We believe that the audit evidence we have obtained and the audit evidence obtained by the branch auditors, in terms of their reports referred to in the Other Matters paragraph below, is sufficient and appropriate to provide a basis for our unqualified audit opinion on the Bank's internal financial controls over financial reporting.

### Meaning of Internal Financial Controls over Financial Reporting

A Bank's internal financial controls over financial reporting is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. A Bank's internal financial controls over financial reporting includes those policies and procedures that (1) pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the Bank; (2) provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of financial statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the Bank are being made only in accordance with authorizations of management and directors of the Bank; and (3) provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorized acquisition, use, or disposition of the Bank's assets that could have a material effect on the financial statements.

### Inherent Limitations of Internal Financial Controls over Financial Reporting

Because of the inherent limitations of internal financial controls over financial reporting, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls over financial reporting to future periods are subject to the risk that the internal financial controls over financial reporting may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

### Opinion

In our opinion, and to the best of our information and according to the explanations given to us and based on the consideration of the reports of the branch auditors referred to in the Other Matters paragraph below, the Bank has, in all material respects, adequate internal financial controls over financial reporting and such internal financial controls over financial reporting were operating effectively

नियंत्रण की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए बैंक द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी मानदंडों के आधार पर पर्याप्त है।

**अन्य मामले**

हमारी पूर्वोक्त रिपोर्ट जहां तक 1986 शाखाओं/कार्यालयों की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता से संबंधित है, उन शाखाओं के संबंधित केंद्रीय सांविधिक लेखापरीक्षकों / शाखा लेखा परीक्षकों की संबंधित रिपोर्टों पर आधारित है।

इन मामले के संबंध में हमारा अभिमत बदला नहीं है।

as at 31 March, 2025, based on the criteria for internal financial control over financial reporting established by the Bank considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

**Other Matters**

Our aforesaid report in so far as it relates to the operating effectiveness of internal financial controls over financial reporting of 1986 branches/offices is based on the corresponding reports of the respective branch auditors of those branches / offices.

Our opinion is not modified in respect of this matter.

कृते उमेद जैन एंड कंपनी
**For Ummed Jain & Co.**
सनदी लेखाकार
**Chartered Accountants**
एफआरएन: 119250डब्ल्यू
**FRN: 119250W**

सनदी लेखाकार यू.एम. जैन
**CA U.M. Jain**
भागीदार
**Partner**
(सदस्य सं. 070863)
**(M.No. 070863)**
यूडीआईएन: 25070863BMLFQA8952
**UDIN: 25070863BMLFQA8952**

कृते एन के भार्गव एंड कंपनी
**For N K Bhargava & Co.**
सनदी लेखाकार
**Chartered Accountants**
एफआरएन: 000429एन
**FRN: 000429N**

सनदी लेखाकार एन के भार्गव
**CA N K Bhargava**
भागीदार
**Partner**
(सदस्य सं. 080624)
**(M.No. 080624)**
यूडीआईएन: 25080624BMLCPS2762
**UDIN: 25080624BMLCPS2762**

कृते पी एस डी एंड एसोसिएट्स
**For P S D & Associates**
सनदी लेखाकार
**Chartered Accountants**
एफआरएन: 004501सी
**FRN: 004501C**

सनदी लेखाकार अभिनव शर्मा
**CA Abhinav Sharma**
भागीदार
**Partner**
(सदस्य सं. 411219)
**(M.No. 411219)**
यूडीआईएन: 25411219BMOICE1886
**UDIN: 25411219BMOICE1886**

कृते प्रेम गुप्ता एंड कं.
**For Prem Gupta & Co.**
सनदी लेखाकार
**Chartered Accountants**
एफआरएन: 000425एन
**FRN: 000425N**

सनदी लेखाकार प्रेम बिहारी गुप्ता
**CA Prem Behari Gupta**
भागीदार
**Partner**
(सदस्य सं. 080245)
**(M.No. 080245)**
यूडीआईएन: 25080245BMOYUV1329
**UDIN: 25080245BMOYUV1329**

कृते पी एस एंड एसोसिएट्स
**For P A & Associates**
सनदी लेखाकार
**Chartered Accountants**
एफआरएन: 313085इ
**FRN: 313085E**

सनदी लेखाकार पीएस पांडा
**CA P.S. Panda**
भागीदार
**Partner**
(सदस्य सं. 051092)
**(M.No. 051092)**
यूडीआईएन: 25051092BNUJPL7274
**UDIN: 25051092BNUJPL7274**

स्थान: नई दिल्ली
**Place: New Delhi**

दिनांक: 07 मई, 2025
**Date: May 07, 2025**

# पंजाब नैशनल बैंक – 31 मार्च, 2025 तक एकल तुलन पत्र
# PUNJAB NATIONAL BANK — STANDALONE BALANCE SHEET AS ON MARCH 31, 2025

(Rs.000 को छोड़ दिया गया हैं) (Rs.000's omitted)

| विवरण<br>Particulars | अनुसूची<br>Schedule | 31.03.2025 को<br>As on 31.03.2025 | 31.03.2024 को<br>As on 31.03.2024 |
|---|---|---|---|
| **पूंजी एवं देयताएं**<br>**Capital and Liabilities** | | | |
| पूंजी<br>Capital | 1 | 2298,58,87 | 2202,20,31 |
| आरक्षित निधियाँ और अधिशेष<br>Reserves and Surplus | 2 | 125063,65,73 | 104274,37,03 |
| जमाराशियाँ<br>Deposits | 3 | 1566623,28,30 | 1369712,80,55 |
| उधार<br>Borrowings | 4 | 83776,71,52 | 50429,85,35 |
| अन्य देयताएं और प्रावधान<br>Other liabilities and provisions | 5 | 40408,48,71 | 35215,77,49 |
| **कुल / Total** | | **1818170,73,13** | **1561835,00,73** |
| **आस्तियाँ**<br>**Assets** | | | |
| भारतीय रिजर्व बैंक के पास नकदी और शेष<br>Cash and balances with Reserve Bank of India | 6 | 64304,60,79 | 65032,91,16 |
| बैंकों के पास शेष तथा मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि<br>Balances with banks and money at call and short notice | 7 | 84415,23,38 | 64071,66,93 |
| निवेश<br>Investments | 8 | 497311,25,22 | 420318,20,69 |
| अग्रिम<br>Advances | 9 | 1077474,57,19 | 934430,59,24 |
| अचल आस्तियाँ<br>Fixed Assets | 10 | 13053,38,67 | 12318,77,37 |
| अन्य आस्तियाँ<br>Other Assets | 11 | 81611,67,88 | 65662,85,34 |
| **कुल / Total** | | **1818170,73,13** | **1561835,00,73** |
| आकस्मिक देयताएं<br>Contingent liabilities | 12 | 652244,40,02 | 223523,68,66 |
| वसूली के लिए बिल<br>Bills for Collection | | 39512,92,10 | 36019,11,64 |

**प्रमुख लेखांकन नीतियां**
**Significant Accounting Policies** — 17

**लेखों पर टिप्पणियां**
**Notes on Accounts** — 18

उपर्युक्त अनुसूचियां तुलन–पत्र का एक अभिन्न अंग हैं।
Schedules referred to above form an integral part of the Balance Sheet.

| प्रबुद्ध शर्मा<br>**Prabudh Sharma**<br>सहायक महाप्रबंधक<br>**Asstt. General Manager** | आर के खीची<br>**R K Khichi**<br>उप महाप्रबंधक<br>**Deputy General Manager** | प्रवीण कुमार शर्मा<br>**Praveen Kumar Sharma**<br>महाप्रबंधक<br>**General Manager** | महेश धवन<br>**Mahesh Dhawan**<br>महाप्रबंधक<br>**General Manager** |
|---|---|---|---|

डी के जैन
D K Jain
मुख्य महाप्रबंधक और सीएफओ
Chief General Manager & CFO

डी. सुरेंद्रन
D. Surendran
कार्यपालक निदेशक
Executive Director

एम परमशिवम
M Paramasivam
कार्यपालक निदेशक
Executive Director

कल्याण कुमार
Kalyan Kumar
कार्यपालक निदेशक
Executive Director

अशोक चंद्र
Ashok Chandra
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी
Managing Director & CEO

के जी अनंतकृष्णन
K G Ananthakrishnan
अध्यक्ष
Chairman

अम्बरीश ओझा
Ambarish Ojha
निदेशक
Director

जतिंदर सिंह बजाज
Jatinder Singh Bajaj
निदेशक
Director

पंकज शर्मा
Pankaj Sharma
निदेशक
Director

कृते उमेद जैन एंड कंपनी
For Ummed Jain & Co.
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
एफआरएन/FRN: 119250W

कृते एन.के. भार्गव एंड कंपनी
For N K Bhargava & Co.
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
एफआरएन/FRN: 000429N

कृते पी एस डी एंड एसोसिएट्स
For P S D & Associates
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
एफआरएन/FRN: 004501C

सनदी लेखाकार यू.एम. जैन
CA U.M. Jain
भागीदार
Partner
(सदस्य सं./M.No. 070863)

सनदी लेखाकार एन के भार्गव
CA N K Bhargava
भागीदार
Partner
(सदस्य सं./M.No.080624)

सनदी लेखाकार अभिनव शर्मा
CA Abhinav Sharma
भागीदार
Partner
(सदस्य सं./M.No. 411219)

कृते प्रेम गुप्ता एंड कंपनी
For Prem Gupta & Co.
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
एफआरएन/FRN: 000425N

कृते पी ए एंड एसोसिएट्स
For P A & Associates
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
एफआरएन/FRN: 313085E

सनदी लेखाकार प्रेम बिहारी गुप्ता
CA Prem Behari Gupta
भागीदार
Partner
(सदस्य सं./M.No.080245)

सनदी लेखाकार पी एस पांडा
CA P. S. Panda
भागीदार
Partner
(सदस्य सं./M.No. 051092)

स्थान: नई दिल्ली
Place: New Delhi

दिनांक: 7 मई, 2025
Date: May 07, 2025

# पंजाब नैशनल बैंक – 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए एकल लाभ व हानि लेखा

# PUNJAB NATIONAL BANK — STANDALONE PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2025

(Rs.000 को छोड़ दिया गया हैं) (Rs.000's omitted)

| | विवरण<br>Particulars | अनुसूची<br>Schedule | 31.03.2025 को समाप्त वर्ष<br>Year ended 31.03.2025 | 31.03.2024 को समाप्त वर्ष<br>Year ended 31.03.2024 |
|---|---|---|---|---|
| I. | **आय**<br>**Income** | | | |
| | अर्जित ब्याज<br>Interest earned | 13 | 121760,72,70 | 106901,62,00 |
| | अन्य आय<br>Other Income | 14 | 16309,37,13 | 13383,53,96 |
| | **कुल / Total** | | **138070,09,83** | **120285,15,96** |
| II. | **व्यय**<br>**Expenditure** | | | |
| | व्यय किया गया ब्याज<br>Interest expended | 15 | 78978,55,72 | 66818,55,20 |
| | परिचालन खर्च<br>Operating expenses | 16 | 32260,87,15 | 28535,79,80 |
| | प्रावधान और आकस्मिकताएँ<br>Provisions and Contingencies | | 10200,46,84 | 16686,19,41 |
| | **कुल / Total** | | **121439,89,71** | **112040,54,41** |
| III. | **लाभ / हानि**<br>**Profit/Loss** | | | |
| | **वर्ष के लिए निवल लाभ / (हानि)**<br>**Net Profit/(Loss) for the year** | | **16630,20,12** | **8244,61,55** |
| | जोड़ें: लाभ और हानि खाते में शेष राशि<br>Add: Balance in Profit and Loss A/c | | 80,81 | 79,25 |
| | **विनियोजन हेतु उपलब्ध लाभ**<br>**Profit available for Appropriation** | | **16631,00,93** | **8245,40,80** |
| IV. | **विनियोजन**<br>**Appropriations** | | | |
| | सांविधिक आरक्षित निधि में अंतरण<br>Transfer to Statutory Reserves | | 4157,55,03 | 2061,15,39 |
| | पूंजी आरक्षित निधि में अंतरण<br>Transfer to Capital Reserves | | 474,19,86 | 46,28,24 |
| | निवेश उतार–चढ़ाव आरक्षित निधि में अंतरण<br>Transfer to Investment Fluctuation Reserve | | 1049,66,29 | 288,95,13 |

(रु.000 को छोड़ दिया गया है) (Rs. 000's omitted)

| विवरण<br>Particulars | अनुसूची<br>Schedule | 31.03.2025 को समाप्त वर्ष<br>Year ended 31.03.2025 | 31.03.2024 को समाप्त वर्ष<br>Year ended 31.03.2024 |
|---|---|---|---|
| आयकर अधिनियम के अनुसार विशेष आरक्षित निधि में अंतरण<br>Transfer to Special Reserve as per Income Tax Act | | 1700,00,00 | 397,12,00 |
| प्रस्तावित लाभांश<br>Proposed Dividend | | 3332,95,35 | 1651,65,23 |
| अन्य आरक्षित निधि में अंतरण<br>Transfer to Other Reserves | | 5915,00,00 | 3799,44,00 |
| लाभ और हानि खाते में शेष राशि<br>Balance in Profit and Loss Account | | 164,40 | 80,81 |
| **कुल / Total** | | **16631,00,93** | **8245,40,80** |
| **प्रति शेयर आय (रु.) (मूल / डाईल्युटेड) (अंकित मूल्य 2 रु. प्रति शेयर)**<br>**Earning per Share (Rs.) (Basic/Diluted) (Nominal Value Rs.2 per share)** | | **14.77** | **7.49** |
| **महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां**<br>**Significant Accounting Policies** | **17** | | |
| **लेखों पर टिप्पणियां**<br>**Notes on Accounts** | **18** | | |

उपर्युक्त अनुसूचियां लाभ और हानि लेखों का एक अभिन्न अंग हैं
Schedules referred to above form an integral part of the Profit and Loss Account

**प्रबुद्ध शर्मा**
**Prabudh Sharma**
**सहायक महाप्रबंधक**
**Asstt. General Manager**

**आर के खीची**
**R K Khichi**
**उप महाप्रबंधक**
**Deputy General Manager**

**प्रवीण कुमार शर्मा**
**Praveen Kumar Sharma**
**महाप्रबंधक**
**General Manager**

**महेश धवन**
**Mahesh Dhawan**
**महाप्रबंधक**
**General Manager**

**डी के जैन**
**D K Jain**
**मुख्य महाप्रबंधक और सीएफओ**
**Chief General Manager & CFO**

**डी. सुरेंद्रन**
**D. Surendran**
**कार्यपालक निदेशक**
**Executive Director**

**एम परमशिवम**
**M Paramasivam**
**कार्यपालक निदेशक**
**Executive Director**

**कल्याण कुमार**
**Kalyan Kumar**
**कार्यपालक निदेशक**
**Executive Director**

अशोक चंद्र
**Ashok Chandra**
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी
**Managing Director & CEO**

के जी अनंतकृष्णन
**K G Ananthakrishnan**
अध्यक्ष
**Chairman**

अम्बरीश ओझा
**Ambarish Ojha**
निदेशक
**Director**

जतिंदर सिंह बजाज
**Jatinder Singh Bajaj**
निदेशक
**Director**

पंकज शर्मा
**Pankaj Sharma**
निदेशक
**Director**

कृते उमेद जैन एंड कंपनी
**For Ummed Jain & Co.**
सनदी लेखाकार
**Chartered Accountants**
एफआरएन/**FRN: 119250W**

सनदी लेखाकार यू.एम. जैन
**CA U.M. Jain**
भागीदार
**Partner**
(सदस्य सं./**M.No. 070863)**

कृते एन.के. भार्गव एंड कंपनी
**For N K Bhargava & Co.**
सनदी लेखाकार
**Chartered Accountants**
एफआरएन/**FRN: 000429N**

सनदी लेखाकार एन के भार्गव
**CA N K Bhargava**
भागीदार
**Partner**
(सदस्य सं./**M.No.080624)**

कृते पी एस डी एंड एसोसिएट्स
**For P S D & Associates**
सनदी लेखाकार
**Chartered Accountants**
एफआरएन/**FRN: 004501C**

सनदी लेखाकार अभिनव शर्मा
**CA Abhinav Sharma**
भागीदार
**Partner**
(सदस्य सं./**M.No. 411219)**

कृते प्रेम गुप्ता एंड कंपनी
**For Prem Gupta & Co.**
सनदी लेखाकार
**Chartered Accountants**
एफआरएन/**FRN: 000425N**

सनदी लेखाकार प्रेम बिहारी गुप्ता
**CA Prem Behari Gupta**
भागीदार
**Partner**
(सदस्य सं./**M.No.080245)**

कृते पी ए एंड एसोसिएट्स
**For P A & Associates**
सनदी लेखाकार
**Chartered Accountants**
एफआरएन/**FRN: 313085E**

सनदी लेखाकार पीएस पांडा
**CA P. S. Panda**
भागीदार
**Partner**
(सदस्य सं./**M.No. 051092)**

स्थानः नई दिल्ली
**Place: New Delhi**
दिनांकः 7 मई, 2025
**Date: May 07, 2025**

# एकल लेखों की अनुसूची (पंजाब नैशनल बैंक)
# SCHEDULES TO THE STANDALONE ACCOUNTS (PUNJAB NATIONAL BANK)

(रु.000 को छोड़ दिया गया है) (Rs. 000's omitted)

| विवरण<br>Particulars | | 31.03.2025 को<br>As on 31.03.2025 | | 31.03.2024 को<br>As on 31.03.2024 |
|---|---|---|---|---|
| **अनुसूची 1–पूँजी**<br>**SCHEDULE 1 - CAPITAL** | | | | |
| **प्राधिकृत**<br>**Authorised** | | | | |
| प्रत्येक रु. 2 के 1500,00,00,000 इक्विटी शेयर<br>1500,00,00,000 Equity Shares of Rs. 2 each<br>(पिछले वर्ष प्रत्येक रु. 2 के 1500,00,00,000 इक्विटी शेयर)<br>(Previous year 1500,00,00,000 Equity Shares of Rs. 2 each) | | 3000,00,00 | | 3000,00,00 |
| **जारी एवं अभिदत्त**<br>**Issued and Subscribed** | | | | |
| प्रत्येक रु.2 के 1149,29,43,268 इक्विटी शेयर<br>1149,29,43,268 Equity Shares of Rs. 2 each<br>(पिछले वर्ष प्रत्येक रु.2 रुपये के 1101,10,15,558 इक्विटी शेयर)<br>(Previous year 1101,10,15,558 Equity Shares of Rs. 2 each) | | 2298,58,87 | | 2202,20,31 |
| **प्रदत्त**<br>**Paid Up** | | | | |
| प्रत्येक रु.2 के 1149,29,43,268 इक्विटी शेयर<br>1149,29,43,268 Equity Shares of Rs. 2 each<br>(पिछले वर्ष प्रत्येक रु.2 के 1101,10,15,558 इक्विटी शेयर)<br>(Previous year 1101,10,15,558 Equity Shares of Rs. 2 each) | | 2298,58,87 | | 2202,20,31 |
| [उपर्युक्त में प्रत्येक रु. 2 के केंद्र सरकार द्वारा धारित 805,41,25,685 (पिछले वर्ष प्रत्येक रु. 2 के 805,41,25,685 इक्विटी शेयर) शामिल हैं]<br>[The above includes 805,41,25,685 equity shares of Rs. 2 each (Previous Year 805,41,25,685 Equity shares of Rs. 2 each) held by Central Government] | | | | |
| **कुल / Total** | | **2298,58,87** | | **2202,20,31** |
| **अनुसूची 2 – आरक्षित निधियां और अधिशेष**<br>**SCHEDULE 2 - RESERVES AND SURPLUS** | | | | |
| **I. सांविधिक आरक्षित निधियां**<br>**Statutory Reserves** | | | | |
| प्रारंभिक शेष<br>Opening Balance | 17839,43,77 | | 15778,28,38 | |
| जोड़ें: लाभ व हानि विनियोग खाते से अंतरित<br>Add: Transfer from P&L Appropriation A/c | 4157,55,03 | **21996,98,80** | 2061,15,39 | **17839,43,77** |

(रु.000 को छोड़ दिया गया है) (Rs. 000's omitted)

| विवरण<br>Particulars | | 31.03.2025 को<br>As on 31.03.2025 | | 31.03.2024 को<br>As on 31.03.2024 |
|---|---|---|---|---|
| **II. पूंजीगत आरक्षित निधियां**<br>**Capital Reserves** | | | | |
| **क) पुनर्मूल्यांकन अरक्षित निधियां**<br>**a) Revaluation Reserve** | | | | |
| प्रारंभिक शेष<br>Opening Balance | 8305,62,99 | | 8455,12,74 | |
| वर्ष के दौरान वृद्धि (निवल)<br>Addition during the year (net) | 103,12,50 | | 20,39,61 | |
| वर्ष के दौरान कटौती<br>Deduction during the year | 0 | | 1,22,08 | |
| आरक्षित निधियों में अंतरित (निवल)<br>Transfer to Other Reserves (net) | 100,32,30 | **8308,43,19** | 168,67,28 | **8305,62,99** |
| **ख) अन्य**<br>**b) Others** | | | | |
| (9268.29 करोड़ रुपये के समामेलन आरक्षित निधि सहित)<br>(including Amalgamation Reserve of Rs. 9268.29 Crore) | | | | |
| प्रारंभिक शेष<br>Opening Balance | 16673,84,36 | | 16627,56,12 | |
| जोड़ें: लाभ व हानि विनियोजन खाते से अंतरित<br>Add: Transfer from P&L Appropriation A/c | 474,19,86 | | 46,28,24 | |
| वर्ष के दौरान वृद्धि<br>Addition during the year | 45,87 | **17148,50,09** | 0 | **16673,84,36** |
| **III. शेयर प्रीमियम**<br>**Share Premium** | | | | |
| प्रारंभिक शेष<br>Opening Balance | 46012,18,78 | | 46012,18,78 | |
| वर्ष के दौरान वृद्धि<br>Addition during the year | 4891,18,15 | **50903,36,93** | 0 | **46012,18,78** |
| **IV. राजस्व एवं अन्य आरक्षित निधियाँ**<br>**Revenue and Other Reserves** | | | | |
| **क) निवेश आरक्षित निधियाँ**<br>**a) Investment Reserve** | | | | |
| प्रारंभिक शेष<br>Opening Balance | 386,34,51 | | 386,34,51 | |
| घटाएं: निवेश घट–बढ़ आरक्षित निधि में अंतरित<br>Less: Transfer to Investment Fluctuation Reserve | 386,34,51 | **0** | 0 | **386,34,51** |

(रु.000 को छोड़ दिया गया है) (Rs. 000's omitted)

| विवरण<br>Particulars | | 31.03.2025 को<br>As on 31.03.2025 | | 31.03.2024 को<br>As on 31.03.2024 |
|---|---|---|---|---|
| **ख) निवेश घट–बढ़ आरक्षित निधियाँ<br>b) Investment Fluctuation Reserve** | | | | |
| प्रारंभिक शेष<br>Opening Balance | 1877,35,20 | | 1588,40,07 | |
| जोड़ें: निवेश आरक्षित निधि से अंतरित<br>Add: Transferred from Investment Reserve | 386,34,51 | | 0 | |
| जोड़ें: लाभ व हानि विनियोजन खाते से अंतरित<br>Add: Transfer from P&L Appropriation A/c | 1049,66,29 | **3313,36,00** | 288,95,13 | **1877,35,20** |
| **ग) विनिमय घट–बढ़ आरक्षित निधियाँ<br>c) Exchange Fluctuation Reserve** | | | | |
| प्रारंभिक शेष<br>Opening Balance | 238,88,44 | | 230,10,87 | |
| जोड़ें: वर्ष के दौरान वृद्धि<br>Add: Addition during the year | 21,26,87 | | 9,63,91 | |
| घटाएं: वर्ष के दौरान कटौती<br>Less: Deduction during the year | 2,21,99 | **257,93,32** | 86,34 | **238,88,44** |
| **घ) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षित निधि<br>d) Special Reserve under Sec.36(1) (viii) of Income Tax Act, 1961** | | | | |
| प्रारंभिक शेष<br>Opening Balance | 4015,78,00 | | 3618,66,00 | |
| वर्ष के दौरान वृद्धि<br>Addition during the year | 1700,00,00 | **5715,78,00** | 397,12,00 | **4015,78,00** |
| **ङ) अन्य आरक्षित निधि<br>e) Other Reserve** | | | | |
| प्रारंभिक शेष<br>Opening Balance | 8924,10,17 | | 4955,98,89 | |
| जोड़ें: निवेश पोर्टफोलियो के परिवर्तन का प्रभाव<br>Add: Impact of transition of Investment Portfolio | 2098,67,84 | | 0 | |
| जोड़ें: लाभ एवं हानि विनियोजन खाते से अंतरित<br>Add: Transfer from P&L Appropriation A/c | 5915,00,00 | | 3799,44,00 | |
| जोड़ें: पुर्नमूल्यांकन आरक्षित निधि से अंतरित (निवल)<br>Add: Transfer from Revaluation Reserves (net) | 100,32,30 | **17038,10,31** | 168,67,28 | **8924,10,17** |
| **च) एएफएस – आरक्षित निधि<br>f) AFS - Reserve** | | | | |
| प्रारंभिक शेष<br>Opening Balance | 0 | | 0 | |
| जोड़ें: निवेश पोर्टफोलियो के परिवर्तन का प्रभाव<br>Add: Impact of transition of Investment Portfolio | -46,30,50 | | 0 | |
| जोड़ें: अवधि के दौरान वृद्धि (कर प्रभाव सहित निवल)<br>Add: Addition during the period (net including tax impact) | 425,85,19 | | 0 | |
| घटाएं: अवधि के दौरान कटौती<br>Less: Deduction during the period | 0 | **379,54,69** | 0 | **0** |

(रु.000 को छोड़ दिया गया है) (Rs. 000's omitted)

| विवरण<br>Particulars | | 31.03.2025 को<br>As on 31.03.2025 | | 31.03.2024 को<br>As on 31.03.2024 |
|---|---|---|---|---|
| **V. लाभ और हानि खाते में शेष राशि**<br>**Balance in Profit and Loss Account** | | | | |
| प्रारंभिक शेष<br>Opening Balance | 80,81 | | 79,25 | |
| वर्ष के दौरान वृद्धि<br>Addition during the year | 16630,20,12 | | 8244,61,55 | |
| घटाएं: लाभ और हानि विवरणी के अनुसार विनियोजन<br>Less: Appropriations as per Statement of Profit & Loss | 16629,36,53 | **1,64,40** | 8244,59,99 | **80,81** |
| **कुल (I, II, III, IV और V)**<br>**Total (I, II, III, IV and V)** | | **125063,65,73** | | **104274,37,03** |

**अनुसूची 3 – जमाराशियां**
**SCHEDULE 3 - DEPOSITS**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **क. I मांग जमाराशियाँ**<br>**A.I. Demand Deposits** | | | | |
| (i) बैंकों से<br>From Banks | 3448,35,21 | | 3334,39,70 | |
| (ii) अन्य से<br>From Others | 71665,16,36 | | 68866,63,11 | |
| | | **75113,51,57** | | **72201,02,81** |
| **II. बचत बैंक जमाराशियाँ**<br>**Savings Bank Deposits** | | **498429,41,22** | | **480298,32,81** |
| **III. मियादी जमाराशियाँ**<br>**Term Deposits** | | | | |
| (i) बैंकों से<br>From Banks | 95890,89,09 | | 66126,76,26 | |
| (ii) अन्य से<br>From Others | 897189,46,42 | | 751086,68,67 | |
| | | **993080,35,51** | | **817213,44,93** |
| **कुल (I, II और III)**<br>**Total (I, II and III)** | | **1566623,28,30** | | **1369712,80,55** |
| ख. B. (i) भारत में स्थित शाखाओं की जमाराशियाँ<br>Deposits of branches in India | | 1511335,50,28 | | 1333364,99,49 |
| (ii) भारत से बाहर स्थित शाखाओं की जमाराशियाँ<br>Deposits of branches outside India | | 55287,78,02 | | 36347,81,06 |
| **कुल / Total** | | **1566623,28,30** | | **1369712,80,55** |

(रु.000 को छोड़ दिया गया है) (Rs. 000's omitted)

| विवरण<br>Particulars | | 31.03.2025 को<br>As on 31.03.2025 | | 31.03.2024 को<br>As on 31.03.2024 |
|---|---|---|---|---|
| कुल जमाराशियों में से, वह जमाराशियाँ जिसके विरुद्ध ग्रहणाधिकार अंकित किया गया है<br>Out of the total deposits, the amount of deposits against which lien is marked | | 75664,12,66 | | 65146,93,21 |
| **अनुसूची 4 – उधार**<br>**SCHEDULE 4 - BORROWINGS** | | | | |
| I. **भारत में उधार राशियाँ**<br>**Borrowings in India** | | | | |
| (क) भारतीय रिज़र्व बैंक से<br>(a) Reserve Bank of India | | 28673,00,00 | | 0 |
| (ख) अन्य बैंकों से<br>(b) Other Banks | | 59,60 | | 15,43 |
| (ग) अन्य संस्थाओं और एजेंसियो से<br>(c) Other Institutions and Agencies | | 6501,54,80 | | 3458,15,14 |
| (घ) असुरक्षित प्रतिदेय बॉण्ड<br>(d) Unsecured Redeemable Bonds | | | | |
| (i) टियर–I बॉण्ड (शाश्वत ऋण लिखत)<br>Tier-I Bonds (Perpetual Debt Instruments) | 14692,00,00 | | 16192,00,00 | |
| (ii) अपर टियर–II बॉण्ड<br>Upper Tier-II Bonds | 0 | | 0 | |
| (iii) टियर–II पूंजी के लिए अधीनस्थ ऋण<br>Subordinate debts for Tier II Capital | 20003,00,00 | | 20003,00,00 | |
| (iv) दीर्घकालिक अवसंरचना बॉण्ड<br>Long term infrastructure bonds | 2950,00,00 | | 2800,00,00 | |
| | | **37645,00,00** | | **38995,00,00** |
| II. **भारत के बाहर उधार राशियाँ**<br>**Borrowings outside India** | | 10956,57,12 | | 7976,54,78 |
| **कुल (I और II) TOTAL (I and II)** | | **83776,71,52** | | **50429,85,35** |
| उपर्युक्त I और II में शामिल प्रतिभूत उधार राशियाँ<br>Secured Borrowings included in I and II above | | 35539,62,77 | | 2168,53,00 |
| **अनुसूची 5 – अन्य देयताएं और प्रावधान**<br>**SCHEDULE 5 - OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS** | | | | |
| I. देय बिल<br>Bills Payable | | 4378,02,44 | | 3313,46,84 |
| II. अंतर–कार्यालय समायोजन (निवल)<br>Inter-office adjustments (net) | | 76,88,89 | | 0 |
| III. उपचित ब्याज<br>Interest accrued | | 4468,76,39 | | 4060,33,03 |
| IV. आस्थगित कर देयता (निवल)<br>Deferred Tax Liability (Net) | | 0 | | 0 |
| V. अन्य (प्रावधानों सहित)<br>Others (including provisions) | | 31484,80,99 | | 27841,97,62 |
| **कुल / Total** | | **40408,48,71** | | **35215,77,49** |

(रु.000 को छोड़ दिया गया है) (Rs. 000's omitted)

| विवरण<br>Particulars | | | 31.03.2025 को<br>As on 31.03.2025 | | 31.03.2024 को<br>As on 31.03.2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| **अनुसूची 6 – भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकदी और शेष**<br>**SCHEDULE 6 - CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA** | | | | | |
| I. | हाथ में नकदी (विदेशी मुद्रा नोटों सहित)<br>Cash in hand (including foreign currency notes) | | 3211,99,65 | | 3534,16,93 |
| II. | भारतीय रिज़र्व बैंक के पास शेष<br>Balance with Reserve Bank of India | | | | |
| | (क) चालू खाते में<br>(a) in Current Account | | 59401,61,14 | | 61498,74,23 |
| | (ख) अन्य खातों में<br>(b) in Other Accounts | | 1691,00,00 | | 0 |
| | **कुल (I और II) Total (I and II)** | | **64304,60,79** | | **65032,91,16** |
| **अनुसूची 7 – बैंकों के पास शेष तथा मांग एवं अल्प सूचना पर देय राशि**<br>**SCHEDULE 7 - BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE** | | | | | |
| **I.** | **भारत में**<br>**In India** | | | | |
| | (i) बैंकों में शेष राशि:<br>Balances with Banks | | | | |
| | (क) चालू खातों में<br>(a) in Current Accounts | 847,97,83 | | 4,05,08 | |
| | (ख) अन्य जमा खातों में<br>(b) in Other Deposit Accounts | 19628,57,11 | | 22148,15,56 | |
| | | | **20476,54,94** | | **22152,20,64** |
| | (ii) मांग एवं अल्प सूचना पर देय राशि<br>Money at Call and Short Notice | | | | |
| | (क) बैंकों के साथ<br>(a) with Banks | 0 | | 0 | |
| | (ख) अन्य संस्थाओं के साथ<br>(b) with Other Institutions | 16247,76,82 | | 22766,84,06 | |
| | | | **16247,76,82** | | **22766,84,06** |
| | कुल (i और ii)<br>**Total (i and ii)** | | **36724,31,76** | | **44919,04,70** |
| **II.** | **भारत से बाहर**<br>**Outside India** | | | | |
| | (i) बैंकों में शेष राशि:<br>Balances with Banks | | | | |
| | (क) चालू खातों में<br>(a) in Current Accounts | 12646,16,62 | | 3764,39,98 | |
| | (ख) अन्य जमा खातों में<br>(b) in Other Deposit Accounts | 35044,75,00 | | 15388,22,25 | |
| | | | **47690,91,62** | | **19152,62,23** |

(रु.000 को छोड़ दिया गया है) (Rs. 000's omitted)

| विवरण<br>Particulars | 31.03.2025 को<br>As on 31.03.2025 | 31.03.2024 को<br>As on 31.03.2024 |
|---|---|---|
| (ii) मांग एवं अल्प सूचना पर देय राशि:<br>Money at Call and Short Notice | 0 | 0 |
| **कुल (i और ii)**<br>**Total (i and ii)** | **47690,91,62** | **19152,62,23** |
| **समग्र जोड़ (I और II)**<br>**Grand Total (I and II)** | **84415,23,38** | **64071,66,93** |

## अनुसूची 8 – निवेश
## SCHEDULE 8 - INVESTMENTS

| विवरण<br>Particulars | 31.03.2025 को<br>As on 31.03.2025 | 31.03.2024 को<br>As on 31.03.2024 |
|---|---|---|
| **I. भारत में निवेश**<br>**Investments in India in** | | |
| (i) सरकारी प्रतिभूतियाँ<br>Government securities | 419628,18,67 | 372073,67,28 |
| (ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ<br>Other approved securities | 0 | 15,00 |
| (iii) शेयर<br>Shares | 7195,86,03 | 2841,30,04 |
| (iv) डिबेंचर और बॉण्ड<br>Debentures and Bonds | 38406,40,91 | 32202,40,72 |
| (v) सहायक, सहयोगी और/या संयुक्त उद्यम (प्रायोजित संस्थानों सहित)<br>Subsidiaries, associates and/or joint ventures (including sponsored institutions) | 2113,61,46 | 2483,16,42 |
| (vi) अन्य<br>Others | 18145,03,80 | 3752,18,96 |
| म्यूचुअल फंड, वेंचर कैपिटल फंड, एआरसीआईएल वाणिज्यिक पत्र और जमा प्रमाण–पत्र आदि।<br>Mutual Funds, Venture Capital Funds, ARCIL, Commercial Papers & Certificate of Deposits, etc. | | |
| **कुल / Total** | **485489,10,87** | **413352,88,42** |
| **II. भारत से बाहर निवेश**<br>**Investments outside India in** | | |
| (i) सरकारी प्रतिभूतियाँ (स्थानीय प्राधिकरणों सहित)<br>Government securities (including local authorities) | 9305,49,19 | 4109,93,85 |
| (ii) विदेश में सहायक और/या संयुक्त उद्यम<br>Subsidiaries and/or Joint ventures abroad | 1819,61,98 | 2218,69,55 |
| (iii) अन्य<br>Others | 697,03,18 | 636,68,87 |
| **कुल / Total** | **11822,14,35** | **6965,32,27** |
| **समग्र जोड़ (I और II) Grand Total (I and II)** | **497311,25,22** | **420318,20,69** |

(रु.000 को छोड़ दिया गया है) (Rs. 000's omitted)

| विवरण<br>Particulars | 31.03.2025 को<br>As on 31.03.2025 | 31.03.2024 को<br>As on 31.03.2024 |
|---|---|---|
| **III. भारत में निवेश**<br>**Investments in India** | | |
| (i) निवेश का सकल मूल्य<br>Gross value of investments | 490113,43,95 | 421618,63,16 |
| (ii) घटाएँ: मूल्यह्रास और हानि के लिए प्रावधानों का कुल योग<br>Less: Aggregate of provisions for depreciation & impairment | 4624,33,08 | 8265,74,74 |
| (iii) निवल निवेश (देखें उपर्युक्त I)<br>Net investment (vide I above) | **485489,10,87** | **413352,88,42** |
| **IV. भारत से बाहर निवेश**<br>**Investments outside India** | | |
| (i) निवेश का सकल मूल्य<br>Gross value of investments | 12562,80,68 | 7382,91,54 |
| (ii) घटाएँ: मूल्यह्रास और हानि के लिए प्रावधानों का कुल योग<br>Less: Aggregate of provisions for depreciation & impairment | 740,66,33 | 417,59,27 |
| (iii) निवल निवेश (देखें उपर्युक्त II)<br>Net investment (vide II above) | **11822,14,35** | **6965,32,27** |
| **समग्र जोड़ (III और IV) Grand Total (III and IV)** | **497311,25,22** | **420318,20,69** |

## अनुसूची 9 – अग्रिम
## SCHEDULE 9 - ADVANCES

| | | |
|---|---|---|
| **क. A.** (i) खरीदे गए और भुनाए गए बिल<br>Bills purchased and discounted | 5985,23,92 | 5598,87,94 |
| (ii) नकद ऋण, ओवरड्राफ्ट और मांग पर चुकौती–योग्य ऋण<br>Cash credits, overdrafts and loans repayable on demand | 448069,66,32 | 402744,86,45 |
| (iii) मियादी ऋण<br>Term loans | 623419,66,95 | 526086,84,85 |
| **कुल / Total** | **1077474,57,19** | **934430,59,24** |
| **ख. B.** (i) मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत (इसमें बही ऋणों पर दिए गए अग्रिम शामिल हैं)<br>Secured by tangible assets (includes advances against Book Debts) | 810835,54,43 | 688040,94,19 |
| (ii) बैंक / सरकार की गारंटी द्वारा प्रतिभूत<br>Covered by Bank/Government guarantees | 25370,91,91 | 32372,64,42 |
| (iii) अप्रतिभूत<br>Unsecured | 241268,10,85 | 214017,00,63 |
| **कुल / Total** | **1077474,57,19** | **934430,59,24** |
| **ग. I C. I भारत में अग्रिम**<br>**Advances in India** | | |
| (i) प्राथमिकता क्षेत्र<br>Priority Sector | 293804,35,31 | 257461,03,15 |
| (ii) सार्वजनिक क्षेत्र<br>Public Sector | 189063,19,28 | 161112,74,10 |
| (iii) बैंक<br>Banks | 0 | 0 |
| (iv) अन्य<br>Others | 544018,04,75 | 476546,79,76 |
| **कुल / Total** | **1026885,59,34** | **895120,57,01** |

(रु.000 को छोड़ दिया गया है) (Rs. 000's omitted)

| विवरण<br>Particulars | | | 31.03.2025 को<br>As on 31.03.2025 | 31.03.2024 को<br>As on 31.03.2024 |
|---|---|---|---|---|
| ग. II. भारत के बाहर अग्रिम<br>C. II. Advances outside India | | | | |
| (i) बैंकों से प्राप्य<br>Due from banks | | | 26197,45,61 | 18279,55,88 |
| (ii) अन्य से प्राप्य<br>Due from others | | | | |
| (a) खरीदे और भुनाए गए बिल<br>Bills purchased and discounted | | | 1740,73,92 | 1563,61,33 |
| (b) सामूहिक ऋण<br>Syndicated loans | | | 5520,37,59 | 5849,20,33 |
| (c) अन्य<br>Others | | | 17130,40,73 | 13617,64,69 |
| **कुल / Total** | | | **50588,97,85** | **39310,02,23** |
| **समग्र जोड़ (ग.I और ग.II)<br>Grand Total (C.I and C.II)** | | | **1077474,57,19** | **934430,59,24** |

## अनुसूची 10 – अचल आस्तियाँ
## SCHEDULE 10 - FIXED ASSETS

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **क. मूर्त आस्तियाँ<br>A Tangible Assets** | | | | |
| **I. परिसर<br>Premises** | | | | |
| पिछले वर्ष की 31 मार्च को लागत / मूल्यांकन पर<br>At cost / valuation as on 31st March of the preceding year | 12214,74,13 | | 12087,14,86 | |
| जोड़ेः पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि में वृद्धि (निवल)<br>Add: Addition to Revaluation Reserve (net) | 103,12,50 | | 19,17,53 | |
| अवधि के दौरान वृद्धि<br>Addition during the period | 226,38,08 | | 109,39,03 | |
| | **12544,24,71** | | **12215,71,42** | |
| घटाएंः वर्ष के दौरान कटौती<br>Less: Deduction during the year | 1230,79,60 | | 97,29 | |
| | **11313,45,11** | | **12214,74,13** | |
| घटाएंः अब तक मूल्यह्रास (पुनर्मूल्यांकित राशि सहित)<br>Less: Depreciation to date (Including on revalued amount) | 947,07,41 | | 2028,32,45 | |
| | | **10366,37,70** | | **10186,41,68** |
| **II. अन्य अचल आस्तियां (फर्नीचर और फिक्सचर सहित)<br>Other Fixed Assets (including Furniture and Fixtures)** | | | | |
| पिछले वर्ष की 31 मार्च को लागत / मूल्यांकन पर<br>At cost as on 31st March of the preceding year | 10704,74,55 | | 9787,29,49 | |

(रु.000 को छोड़ दिया गया है) (Rs. 000's omitted)

| | विवरण<br>Particulars | | 31.03.2025 को<br>As on 31.03.2025 | | 31.03.2024 को<br>As on 31.03.2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| | जोड़ेः अवधि के दौरान वृद्धि<br>Add: Addition during the period | 1088,23,57 | | 930,46,74 | |
| | | **11792,98,12** | | **10717,76,23** | |
| | घटाएंः अवधि के दौरान कटौती<br>Less: Deduction during the period | 1532,66,07 | | 13,01,68 | |
| | | **10260,32,05** | | **10704,74,55** | |
| | घटाएंः अब तक मूल्यह्रास<br>Less: Depreciation to date | 7931,59,97 | | 8776,36,72 | |
| | | | **2328,72,08** | | **1928,37,83** |
| III | **पट्टे वाली आस्तियाँ**<br>**Leased Assets** | | | | |
| | पिछले वर्ष की 31 मार्च को लागत पर<br>At cost as on 31st March of the preceding year | 25,23,86 | | 25,23,86 | |
| | जोड़ेः वर्ष के दौरान वृद्धि/समायोजन<br>Add: Addition/adjustment during the year | 0 | | 0 | |
| | | **25,23,86** | | **25,23,86** | |
| | घटाएंः वर्ष के दौरान कटौती<br>Less: Deduction during the year | 0 | | 0 | |
| | | **25,23,86** | | **25,23,86** | |
| | घटाएंः आज तक का परिशोधन/पट्टा समायोजन<br>Less: Amortisation/lease adjustment to date | 25,23,86 | | 25,23,86 | |
| | | | 0 | | 0 |
| | **(I, II और III) का जोड़ Total (I, II and III)** | | **12695,09,78** | | **12114,79,51** |
| ख.<br>B | **अमूर्त आस्तियां**<br>**Intangible Assets** | | | | |
| | **कंप्यूटर सॉफ्टवेयर**<br>**Computer Software** | | | | |
| | पिछले वर्ष की 31 मार्च को लागत पर<br>At cost as on 31st March of the preceding year | 1368,44,43 | | 1251,32,90 | |
| | जोड़ेः वर्ष के दौरान जोड़<br>Add: Addition during the period | 276,30,57 | | 117,90,53 | |
| | | **1644,75,00** | | **1369,23,43** | |
| | घटाएंः वर्ष के दौरान कटौती<br>Less: Deduction during the year | 0 | | 79,00 | |
| | | **1644,75,00** | | **1368,44,43** | |
| | घटाएंः आज तक परिशोधित<br>Less: Amortised to date | 1286,46,11 | | 1164,46,57 | |
| | **कुल/Total** | | **358,28,89** | | **203,97,86** |
| | **(क और ख) का कुल योग Grand Total (A and B)** | | **13053,38,67** | | **12318,77,37** |

(रु.000 को छोड़ दिया गया है) (Rs. 000's omitted)

| विवरण<br>Particulars | 31.03.2025 को<br>As on 31.03.2025 | 31.03.2024 को<br>As on 31.03.2024 |
|---|---|---|
| **अनुसूची 11 – अन्य आस्तियाँ**<br>**SCHEDULE 11 - OTHER ASSETS** | | |
| I. अंतर–कार्यालय समायोजन (निवल)<br>Inter-office adjustments (net) | 0 | 0 |
| II. उपचित ब्याज<br>Interest accrued | 18524,26,63 | 11678,04,11 |
| III. अग्रिम अदा किया गया कर/स्रोत पर काटा गया कर<br>Tax paid in advance/tax deducted at source | 9366,73,06 | 11061,58,95 |
| IV. स्टेशनरी और स्टांप<br>Stationery and stamps | 6,37,41 | 7,79,30 |
| V. दावों के निपटान से प्राप्य गैर–बैंकिंग आस्तियाँ<br>Non-banking assets acquired in satisfaction of claims | 24,66,57 | 26,44,97 |
| VI. आस्थगित कर आस्ति (निवल)<br>Deferred tax asset (net) | 20939,60,17 | 22741,53,03 |
| VII. अन्य<br>Others<br>[प्राथमिकता क्षेत्र के लक्ष्यों में कमी के कारण रु. 21400,43,62 हजार नाबार्ड/सिडबी/एनएचबी आदि के साथ जमाराशियां शामिल हैं; पिछले वर्ष रु. 12231,82,68 हजार]<br>[includes deposits with NABARD/SIDBI/NHB, etc. Rs.21400,43,62 thousands on account of shortfall in priority sector targets; Previous year Rs.12231,82,68 thousands] | 32750,04,04 | 20147,44,98 |
| **कुल/Total** | **81611,67,88** | **65662,85,34** |
| **अनुसूची 12 – आकस्मिक देयताएं**<br>**SCHEDULE 12 - CONTINGENT LIABILITIES** | | |
| I (i) बैंक के विरुद्ध ऐसे दावे जिन्हें ऋण नहीं माना गया है<br>Claims against the bank not acknowledged as debts | 846,87,84 | 771,34,69 |
| (ii) अपील, संदर्भों आदि के अधीन विवादित आयकर व ब्याज कर मांग<br>Disputed income tax and interest tax demands under appeals, references etc. | 12017,79,06 | 7362,88,10 |
| II. आंशिक रूप से प्रदत्त निवेशों के लिए देयताएं<br>Liability for partly paid investments | 179,59,82 | 209,36,02 |
| III. बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के कारण देयता<br>Liability on account of outstanding forward exchange contracts | 550400,94,12 | 132782,70,12 |
| IV. ग्राहकों की ओर से दी गई गारंटियां<br>Guarantees given on behalf of constituents | | |
| (क) भारत में<br>(a) In India | 60593,27,47 | 54421,03,84 |
| (ख) भारत के बाहर<br>(b) Outside India | 3753,13,48 | 4298,42,83 |
| V. स्वीकृतियां, पृष्ठांकन और अन्य दायित्व<br>Acceptances, endorsements and other obligations | 17886,98,57 | 18178,62,64 |
| VI. ऐसी अन्य मदें जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है<br>Other items for which the Bank is contingently liable | 6565,79,66 | 5499,30,42 |
| **कुल/Total** | **652244,40,02** | **223523,68,66** |

(रु.000 को छोड़ दिया गया है) (Rs. 000's omitted)

| विवरण<br>Particulars | | 31.03.2025 को समाप्त वर्ष<br>Year ended 31.03.2025 | | 31.03.2024 को समाप्त वर्ष<br>Year ended 31.03.2024 |
|---|---|---|---|---|
| **अनुसूची 13 – अर्जित ब्याज**<br>**SCHEDULE 13 - INTEREST EARNED** | | | | |
| I. अग्रिम / बिल पर ब्याज / छूट<br>Interest/discount on advances/bills | | 86100,95,08 | | 75939,30,89 |
| II. निवेश पर आय<br>Income on investments | | 30700,55,00 | | 27644,79,80 |
| III. भारतीय रिज़र्व बैंक के पास जमा शेष और अंतर–बैंक निधियों पर ब्याज<br>Interest on balances with Reserve Bank of India and other inter-bank funds | | 3465,85,69 | | 2778,89,10 |
| IV. अन्य<br>Others | | 1493,36,93 | | 538,62,21 |
| **कुल / Total** | | **121760,72,70** | | **106901,62,00** |
| **अनुसूची 14 – अन्य आय**<br>**SCHEDULE 14 - OTHER INCOME** | | | | |
| I. कमीशन, विनिमय और दलाली<br>Commission, exchange and brokerage | | 4573,96,92 | | 4226,21,40 |
| II. निवेश की बिक्री पर लाभ<br>Profit on sale of Investments | 2845,00,50 | | 1483,92,46 | |
| घटाएँ: निवेश की बिक्री पर हानि<br>Less: Loss on sale of Investments | 77,85,85 | | 130,26,94 | |
| | | 2767,14,65 | | 1353,65,52 |
| III. निवेश के पुनर्मूल्यन पर लाभ<br>Profit on revaluation of investments | 1602,40,77 | | 1668,80,91 | |
| घटाएँ: निवेश के पुनर्मूल्यन पर हानि<br>Less: Loss on revaluation of investments | 446,35,65 | | 2331,37,28 | |
| | | 1156,05,12 | | -662,56,37 |
| IV. भूमि, भवन और अन्य आस्तियों की बिक्री पर लाभ<br>Profit on sale of land, buildings and other assets | 4,42,32 | | 7,07,04 | |
| घटाएँ: भूमि, भवन और अन्य आस्तियों की बिक्री पर हानि<br>Less: Loss on sale of land, buildings and other assets | 36,31 | | 39,74 | |
| | | 4,06,01 | | 6,67,30 |
| V. विनिमय लेन–देन पर लाभ<br>Profit on exchange transactions | 437,30,23 | | 498,36,65 | |
| घटाएं: विनिमय लेन–देन पर हानि<br>Less: Loss on exchange transactions | 46,91,00 | | 32,22,17 | |
| | | 390,39,23 | | 466,14,48 |
| VI. विदेशों / भारत में सहायक कंपनियों / कंपनियों और / या संयुक्त उद्यमों से लाभांश आदि के माध्यम से अर्जित आय<br>Income earned by way of dividends, etc. from subsidiaries/ companies and/or joint ventures abroad/in India | | 40,70,00 | | 33,44,99 |
| VII विविध आय<br>Miscellaneous Income | | 7377,05,20 | | 7959,96,64 |
| **कुल / Total** | | **16309,37,13** | | **13383,53,96** |

(रु.000 को छोड़ दिया गया है) (Rs. 000's omitted)

| विवरण<br>Particulars | 31.03.2025 को समाप्त वर्ष<br>Year ended 31.03.2025 | 31.03.2024 को समाप्त वर्ष<br>Year ended 31.03.2024 |
|---|---|---|
| **अनुसूची 15 – व्ययित ब्याज**<br>**SCHEDULE 15 - INTEREST EXPENDED** | | |
| I. जमाराशियों पर ब्याज<br>Interest on Deposits | 74136,24,13 | 62310,79,96 |
| II. भारतीय रिज़र्व बैंक/अंतर–बैंक उधारों पर ब्याज<br>Interest on Reserve Bank of India/Inter-bank borrowings | 1601,45,41 | 1289,86,25 |
| III. अन्य<br>Others | 3240,86,18 | 3217,88,99 |
| **कुल/Total** | **78978,55,72** | **66818,55,20** |
| **अनुसूची 16 – परिचालन व्यय**<br>**SCHEDULE 16 - OPERATING EXPENSES** | | |
| I. कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान<br>Payments to and provisions for employees | 21357,72,09 | 18486,31,04 |
| II. किराया, कर और प्रकाश व्यवस्था<br>Rent, taxes and lighting | 1391,73,78 | 1325,76,52 |
| III. मुद्रण और लेखन सामग्री<br>Printing and stationery | 171,24,75 | 169,28,55 |
| IV. विज्ञापन और प्रचार<br>Advertisement and publicity | 123,81,43 | 93,49,05 |
| V. बैंक की संपत्ति पर मूल्यह्रास<br>Depreciation on bank's property | 947,57,49 | 895,24,94 |
| VI. निदेशकों की फीस, भत्ते और व्यय<br>Directors' fees, allowances and expenses | 2,68,63 | 2,83,17 |
| VII. लेखापरीक्षकों की फीस और व्यय (शाखा लेखापरीक्षकों सहित)<br>Auditors' fees and expenses (including branch auditors) | 54,85,82 | 43,90,34 |
| VIII. विधि प्रभार<br>Law charges | 112,01,76 | 141,08,88 |
| IX. पोस्टेज, टेलीग्राम, दूरभाष आदि<br>Postage, Telegrams, Telephones, etc. | 329,67,66 | 331,98,05 |
| X. मरम्मत और रखरखाव<br>Repairs and maintenance | 866,98,54 | 795,86,16 |
| XI. बीमा<br>Insurance | 1899,16,77 | 1697,99,34 |
| XII. अन्य व्यय<br>Other expenditure | 5003,38,43 | 4552,03,76 |
| **कुल/Total** | **32260,87,15** | **28535,79,80** |

अनुसूची 17:

वित्त 2024–25 के लिए महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

1. तैयारी का आधार:

वित्तीय विवरणियां परंपरागत लागत के आधार पर तैयार की गई हैं और समस्त महत्वपूर्ण दृष्टिकोण से भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) के अनुरूप हैं, जब तक अन्यथा उल्लिखित न हो, जिनमें लागू संविधिक प्रावधान, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा निर्धारित विनियामक मानदंड, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय–समय पर जारी परिपत्र तथा दिशानिर्देश, बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखांकन मानदण्ड (एएस) और ज्ञापन व भारत में बैंकिंग उद्योग में मौजूदा प्रथाएं भी शामिल हैं।

विदेशी कार्यालयों के संबंध में, अन्यत्र विनिर्दिष्ट के अतिरिक्त संबंधित विदेशी राष्ट्रों में लागू सांविधिक प्रावधानों और प्रथाओं का पालन किया है।

वित्तीय विवरणियों को उपार्जित अवधारणा के साथ कार्यशील संस्था के आधार पर तैयार किया गया है तथा यह लेखांकन नीतियों के अनुसार तथा निरंतर अपनाई गई प्रथाओं के अनुरूप हैं, जब तक अन्यथा उल्लिखित न हो।

2. अनुमानों का उपयोग:

वित्तीय विवरणियां तैयार करने के लिए प्रबंधन को वित्तीय विवरणों की तिथि तक रिपोर्ट की गई आस्तियों एवं देयताओं (आकस्मिक देयताओं सहित) तथा रिपोर्ट अवधि के लिए रिपोर्ट की गई आय और व्यय में किए गए विचारार्थ अनुमान तथा धारणाएं बनाने की आवश्यकता पड़ती है। प्रबंधन को विश्वास है कि वित्तीय विवरणियां तैयार करने में उपयोग किए गए अनुमान विवेकसम्मत और तर्कसंगत हैं।

भविष्य के परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं। वास्तविक परिणामों और अनुमानों के बीच के अंतर को उस अवधि में स्वीकार किया गया है जिसमें परिणाम ज्ञात/कार्यान्वित हुए है।

लेखांकन अनुमानों में किसी भी संशोधन को वर्तमान और भविष्य की अवधियों में भविष्यलक्षी प्रभाव से माना जाता है, जब तक कि अन्यथा उल्लिखित न किया गया हो।

3. राजस्व निर्धारण:

3.1 आय और व्यय (पैरा 3.5 और 3.2 में संदर्भित मदों से भिन्न) को सामान्यतः उपचय के आधार पर लेखांकित किया जाता है।

3.2 अग्रिमों और निवेशों को शामिल करते हुए गैर–अनर्जक आस्तियों (एनपीए) से आय का निर्धारण वसूली होने पर किया जाता है, जो भारतीय रिज़र्व बैंक/विदेशी कार्यालयों के मामले में संबन्धित देशों के विनियम (जिसे इसके पश्चात समेकित रूप से विनियामक प्राधिकारी कहा गया है) द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार है।

SCHEDULE 17 :

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES FOR THE FY 2024-25

1. BASIS OF PREPARATION:

The financial statements have been prepared on historical cost basis and conform, in all material aspects, to Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) in India unless otherwise stated encompassing applicable statutory provisions, regulatory norms prescribed by the Reserve Bank of India (RBI), circulars and guidelines issued by the Reserve Bank of India ('RBI') from time to time, Banking Regulation Act 1949, Accounting Standards (AS) and pronouncements issued by The Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) and prevailing practices in banking industry in India.

In respect of foreign offices, statutory provisions and practices prevailing in respective foreign countries are complied with except as specified elsewhere.

The financial statements have been prepared on going concern basis with accrual concept and in accordance with the accounting policies and practices consistently followed unless otherwise stated.

2. USE OF ESTIMATES:

The preparation of financial statements requires the management to make estimates and assumptions considered in the reported amounts of assets and liabilities (including contingent liabilities) as on the date of the financial statements and the reported income and expenses for the reporting period. Management believes that the estimates used in the preparation of the financial statements are prudent and reasonable.

Future results could differ from these estimates. Difference between the actual results and estimates is recognized in the period in which the results are known / materialized.

Any revision to the accounting estimates is recognized prospectively in the current and future periods unless otherwise stated.

3. REVENUE RECOGNITION:

3.1 Income & expenditure (other than items referred to in paragraph 3.2 & 3.5) are generally accounted for on accrual basis.

3.2 Income from Non- Performing Assets (NPAs), comprising of advances and investments, is recognized upon realization, as per the prudential norms prescribed by the RBI/ respective country regulators in the case of foreign offices (hereafter collectively referred to as Regulatory Authorities).

3.3 प्राथमिकता के क्रम में वसूली के विनियोजन का तरीका इस प्रकार है :

(क) एनपीए खातों में वसूली का विनियोजन (वसूली कार्रवाई के विधि/स्थिति/चरण पर विचार किए बिना ) निम्न प्राथमिकता के क्रम में विनियमित किया जाएगा:

i. वसूली के लिए किया गया व्यय / फुटकर खर्च (पूर्व में ज्ञापन देयों में रिकॉर्ड किए गए);

ii. इसके बाद ब्याज अनियमितताओं/उपार्जित ब्याज के लिए;

iii. प्रमुख अनियमितताएँ अर्थात खाते में एनपीए बकाया

iv. दंडात्मक शुल्क

ऐसे उधारकर्ताओं के मामले में जिनके पास एकाधिक खाते हैं – एक खाते में वसूली प्राप्त करने पर, सिस्टम उसी खाते के व्यय, ब्याज, मूलधन और दंडात्मक प्रभार के लिए वसूली को विनियोजित कर देता है। इसके अतिरिक्त, अधिशेष वसूली राशि यदि हो तो, को उसी ग्राहक के लिए दूसरे खाते के व्यय, ब्याज, मूलधन और दंडात्मक प्रभार के लिए विनियोजित कर दिया जाता है।

(ख) हालांकि, एनसीएलटी के माध्यम से किए जाने वाले समझौते, समाधान/निपटान के मामले में, तकनीकी रूप से राईट ऑफ़ (टीडब्लूओ) और सीजीटीएमएसई/ईसीजीसी/जीईसीएल/ सीजीएफएमयू के कारण प्राप्त क्रेडिट और सब्सिडी, यदि कोई हो, को मूलधन, व्यय/वसूली के लिए किए गए फुटकर खर्च (पहले ज्ञापन बकाया में दर्ज), ब्याज और दंडात्मक प्रभार के क्रम में विनियोजित किया जाएगा।

(ग) वाद दायर / डिक्री वाले खातों के मामले में , वसूली निम्नानुसार विनियोजित की जाएगी:–

i. संबन्धित न्यायालय के निर्देशानुसार

ii. न्यायालय से विशिष्ट निर्देशों के आभाव में, जैसा कि ऊपर बिन्दु (ए) में उल्लेख किया गया है।

उपर्युक्त में किसी भी प्रकार की विसंगतियों पर एचओसीएसी– III (एचओसीएसी– III तक की विभिन्न समितियों की शक्तियों के अंतर्गत आने वाले प्रस्तावों के लिए) और प्रबंधन समिति द्वारा निहित शक्तियों के अंतर्गत प्रस्तावों पर विचार किया जा सकता है।

3.4 एनपीए की बिक्री को आरबीआई द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों तथा पैरा 5.3 के अंतर्गत जैसा निर्धारित है, लेखांकित किया जाता है।

3.5 कमीशन (सरकारी कारोबार, बीमा कारोबार, म्यूचुअल फंड कारोबार, साख पात्र और बैंक गारंटी को छोड़कर), विदेशी मुद्रा, लॉकर किराया, 'ट्रेडिंग' के रूप में नामित रुपया व्युत्पन्न पर आय और म्यूचुअल फंड, वैकल्पिक निवेश फंड तथा अन्य ऐसे पूल/समेकित निवेश निधि की इकाइयों से आय को वसूली तथा बीमा दावों के निपटान पर लेखंकित किया जाता है। अतिदेय अंतर्देशीय बिलों पर ब्याज को वसूली एवं अतिदेय विदेशी बिल पर ब्याज, इसके क्रिस्टलीकरण का हिसाब क्रिस्टलीकरण पर और उसके बाद वसूली लेखंकित किया जाता है।

3.3 Mode of appropriation of recovery in order of priority will be as below:

(a) Appropriation of Recoveries in NPA accounts (irrespective of the mode / status / stage of recovery actions) shall be regulated in the following order of priority:

i. Expenditure/Out of Pocket Expenses incurred for Recovery (earlier recorded in Memorandum Dues);

ii. Thereafter towards the interest irregularities / accrued interest;

iii. Principal irregularities i.e. NPA outstanding in the account.

iv. Penal Charges

In case of borrowers who are having multiple accounts – On receiving recovery in one account, system appropriates recovery towards Expenditure, Interest, Principal and penal charges. Further, surplus recovery amount, if any, is appropriated towards Expenditure, Interest, Principal and penal charges of another account for same customer.

(b) However, in case of Compromise, Resolution/ Settlement through NCLT, Technically Written Off (TWO) & Credits received on account of CGTMSE / ECGC / GECL / CGFMU and subsidy if any, shall be appropriated in the order of Principal, Expenditure / out of pocket expenses incurred for recovery (earlier recorded in Memorandum Dues), Interest and penal charges.

(c) In case of suit filed/decreed accounts, recovery is appropriated as under:

i. As per the directives of the concerned Court.

ii. In the absence of specific directives from the Court, as mentioned at point (a) above.

Any exceptions to the above may be considered by HOCAC-III (for proposals falling under the powers of various committees upto HOCAC-III) & Management Committee / Board for proposals under their vested powers.

3.4 The sale of NPA is accounted as per guidelines prescribed by RBI and as disclosed under Para 5.3.

3.5 Commission (excluding on Government Business, Insurance Business, Mutual Fund Business, Letter of Credit and Bank Guarantee), exchange, locker rent, Income on Rupee Derivatives designated as 'Trading' and Income from units of mutual funds, alternative investment funds & other such pooled/ collective investment funds are accounted for on realization and insurance claims are accounted for on settlement. Interest on overdue inland bills is accounted for on realization and interest on overdue foreign bill, till its crystallization is accounted for on crystallization and thereafter on realization.

3.6 वाद दाखिल खातों के मामले में, सम्बंधित कानूनी और अन्य खर्चे लाभ और हानि लेखा में प्रभारित किए जाते हैं और इनकी वसूली होने पर उनकी गणना तदानुसार की जाती है।

3.7 आयकर के रिफंड पर ब्याज से होने वाली आय को सम्बंधित प्राधिकारियों द्वारा पारित आदेश के वर्ष में लेखांकित किया जाता है।

3.8 परिचालनगत पट्टे पर ली गयी आस्तियों के लिए वृद्धि लागत सहित पट्टे का भुगतान पट्टे अवधि के ऊपर आईसीएआई द्वारा जारी एएस19 (पट्टे) के अनुसार लाभ और हानि लेखे में लिया जाता है।

3.9 क्रेडिट कार्ड पर रिवार्ड प्वाइंट के लिए प्रावधान प्रत्येक श्रेणी में संचित बकाया प्वाइंटों पर आधारित है।

3.10 मीयादी जमा (टीडी) परिपक्व हो जाती है और आय राशि का भुगतान नहीं किया जाता है, तो बैंक के पास दावा न की गयी राशि पर बचत खाते पर लागू ब्याज दर या परिपक्व मीयादी जमा पर ब्याज की अनुबंधित दर, जो भी कम हो, देय होगी।

3.11 बैंक कॉर्पोरेट निकायों के शेयरों के लिए उपार्जन के आधार पर लाभांश आय को मान्यता देता है, बशर्ते कि कॉर्पोरेट निकाय द्वारा अपनी वार्षिक आम बैठक में लाभांश घोषित किया गया हो और भुगतान प्राप्त करने का स्वामी का अधिकार स्थापित हो। एएफएस के अंतर्गत रखे गए इक्विटी निवेशों पर लाभांश आय को भी लाभ और हानि खाते में मान्यता दी जाती है

**4. निवेशः**

4.1 जैसे ही समझौता हो जाता है (चाहे निपटान हुआ हो या नहीं) आवश्यक वाउचर पास कर दिए जाते हैं। इक्विटी समझौते के लिए, समझौते के दिन लेनदेन वाउचर पास किए जाते हैं और अन्य समझौतों के लिए, कॉन्ट्रा वाउचर समझौते के दिन पास किए जाते हैं तथा प्रतिभूतियों में लेनदेन वाउचर निपटान के दिन ही पास किए जाते हैं।

4.2 निवेशों को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की तीसरी अनुसूची में यथानिर्दिष्ट निवेश को छह श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। (फॉर्म ए–अनुसूची 8 – निवेश)

4.3 संपूर्ण निवेश पोर्टफोलियो (निजी सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों और सहयोगी कम्पनियों के अतिरिक्त) को तीन श्रेणियों अर्थात, परिपक्वता तक धारित (एचटीएम), बिक्री के लिए उपलब्ध (एएफएस) और लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीपीएल) में वर्गीकृत किया गया है। ट्रेडिंग के लिए धारित (एचएफटी) एफवीटीपीएल के अंतर्गत एक अलग निवेश उपश्रेणी है। निवेश की श्रेणी अधिग्रहण से पूर्व या उस समय तय की जाती है।

(क) एचटीएम (HTM): निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने वाली प्रतिभूतियों को एचटीएम के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है:

(i) परिपक्वता तक धारण करने के इरादे और उद्देश्य से अर्जित प्रतिभूति, अर्थात् वित्तीय आस्तियों को संविदागत नकदी प्रवाह एकत्र करने के उद्देश्य से धारण किया जाता है; तथा

3.6 In case of suit filed accounts, related legal and other expenses incurred are charged to Profit & Loss Account and on recovery, the same are accounted for as such.

3.7 Income from interest on refund of income tax is accounted for in the year the order is passed by the concerned authority.

3.8 Lease payments including cost escalation for assets taken on operating lease are recognized in the Profit and Loss Account over the lease term in accordance with the AS 19 (Leases) issued by ICAI.

3.9 Provision for Reward Points on Credit cards is made based on the accumulated outstanding points in each category.

3.10 If Term Deposit (TD) matures and proceeds are unpaid, the amount left unclaimed with the Bank attracts rate of interest as applicable to savings account or the contracted rate of interest on the matured TD, whichever is lower.

3.11 Bank recognizes dividend income on accrual basis for shares of corporate bodies provided dividend has been declared by the corporate body in its Annual General Meeting and the owner's right to receive payment is established. Dividend income on equity investments held under AFS is also recognised in the Profit and Loss Account.

**4. INVESTMENTS:**

4.1 As soon as the deal is entered into (whether settled or not) necessary vouchers are passed. For the equity deals, transaction vouchers are passed on the deal date and for other deals, contra vouchers are passed on deal date and transaction vouchers in securities are passed on the date of settlement.

4.2 Investments are classified into six categories as stipulated in Third Schedule to the Banking Regulation Act, 1949 (Form A- Schedule 8- Investment).

4.3 Entire investment portfolio (except investments in own subsidiaries, joint ventures and associates) has been classified under three categories, viz., Held to Maturity (HTM), Available for Sale (AFS) and Fair Value through Profit and Loss (FVTPL). Held for Trading (HFT) is a separate investment subcategory within FVTPL. The category of the investment is decided before or at the time of acquisition.

(a) HTM: Securities fulfilling the following conditions are classified under HTM:

(i) The security acquired with the intention and objective of holding it to maturity, i.e., the financial assets are held with an objective to collect the contractual cash flows; and

(ii) प्रतिभूति की संविदात्मक शर्तें नकदी प्रवाह को जन्म देती हैं जो निर्दिष्ट तिथियों पर केवल मूलधन और बकाया मूलधन पर ब्याज का भुगतान ('एसपीपीआई मानदंड') होता है।

(ख) एएफएस: निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने वाली प्रतिभूतियों को एएफएस के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है:

(i) किसी ऐसे उद्देश्य से अर्जित प्रतिभूति जो संविदात्मक नकदी प्रवाह को एकत्रित करने और प्रतिभूतियों का विक्रय दोनों द्वारा प्राप्त की जाती है; और

(ii) प्रतिभूति की संविदात्मक शर्तें 'एसपीपीआई मानदंड' को पूरा करती हैं।

(iii) इक्विटी शेयर जहां, प्रारंभिक मान्यता पर, एएफएस में वर्गीकृत करने के अपरिवर्तनीय विकल्प का प्रयोग किया गया है।

(iv) एएफएस प्रतिभूतियों में आस्ति देयता प्रबंधन (एएलएम) उद्देश्यों के लिए रखी गई ऋण प्रतिभूतियां भी शामिल हैं जो एसपीपीआई मानदंड को पूरा करती हैं जहां बैंक का प्रयोजन परिपक्वता तक धारण करने या परिपक्वता से पहले विक्रय के संबंध में लचीला है।

(ग) एफवीटीपीएल: जो प्रतिभूतियाँ एचटीएम या एएफएस में शामिल होने के योग्य नहीं हैं, उन्हें एफवीटीपीएल के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। इनमें अन्य बातों के साथ–साथ शामिल हैं:

(i) इक्विटी शेयर, (ए) सहायक कंपनियों, सहयोगियों एवं संयुक्त उद्यमों के इक्विटी शेयरों और (बी) एएफएस के अंतर्गत वर्गीकृत इक्विटी शेयरों के अतिरिक्त।

(ii) म्यूचुअल फंड, वैकल्पिक निवेश फंड, रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश ट्रस्ट आदि में निवेश।

(iii) प्रतिभूतिकरण नोटों में निवेश जो एसपीपीआई मानदंड को पूरा नहीं करते हैं।

(iv) बांड, डिबेंचर आदि, जहां भुगतान ब्याज दर बेंचमार्क के बजाय किसी विशेष सूचकांक जैसे इक्विटी सूचकांक में होने वाले उतार–चढ़ाव से जुड़ा होता है।

एचएफटी: एफवीटीपीएल के अंतर्गत ही एचएफटी नामक अलग उप–श्रेणी बनाई गई है और इसमें निम्नलिखित सभी उपकरण शामिल हैं –

- अल्पकालिक पुनर्विक्रय;
- अल्पकालिक मूल्य परिवर्तनों से लाभ उठाना;
- मध्यस्थता लाभ को लॉक करना; या
- उपर्युक्त साधनों से उत्पन्न होने वाला प्रतिरक्षा जोखिम।
- ऐसे उपकरण जो बैंकिंग बही में सकल लघु ऋण या इक्विटी स्थिति को जन्म देंगे।

(ii) The contractual terms of the security give rise to cash flows that are solely payments of principal and interest on principal outstanding ('SPPI criterion') on specified dates.

(b) AFS: Securities fulfilling the following conditions are classified under AFS:

(i) The security acquired with an objective that is achieved by both collecting contractual cash flows and selling securities; and

(ii) The contractual terms of the security meet the 'SPPI criterion'.

(iii) Equity shares where, at initial recognition, the irrevocable option to classify in AFS has been exercised.

(iv) AFS securities also include debt securities held for asset liability management (ALM) purposes that meet the SPPI criterion where the Bank's intent is flexible with respect to holding to maturity or selling before maturity.

(c) FVTPL: Securities that do not qualify for inclusion in HTM or AFS are classified under FVTPL. These inter-alia include:

(i) Equity shares, other than (a) equity shares of subsidiaries, associates or joint ventures and (b) equity shares classified under AFS.

(ii) Investments in Mutual Funds, Alternative Investment Funds, Real Estate Investment Trusts, Infrastructure Investment Trusts, etc.

(iii) Investment in securitisation notes which do not meet SPPI criterion.

(iv) Bonds, debentures, etc. where the payment is linked to the movement in a particular index such as an equity index rather than an interest rate benchmark.

HFT: Separate sub-category called HFT is created within FVTPL and it consists of all instruments set out in the following –

- short-term resale;
- profiting from short-term price movements;
- locking in arbitrage profits; or
- hedging risks that arise from instruments meeting above.
- instruments that would give rise to a net short credit or equity position in the banking book.

- कोई वित्तीय साधन, जिसे बेचने या प्रतिरक्षा के विरुद्ध पूर्णतः कोई कानूनी बाधा न हो।

4.4 समनुषंगियों, सहयोगियों और संयुक्त उद्यमों में निवेश समनुषंगियों, सहयोगी कंपनियों और संयुक्त उद्यमों में सभी निवेशों को अन्य निवेश श्रेणियों से अलग एक विशिष्ट श्रेणी में रखा जाता है।

4.5 एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में निवेशों के पुनर्वर्गीकरण के मामले में, लेखांकन विधि नीचे दी गई तालिका में दिया गया है:

| क्र.सं. | से | हेतु | लेखांकन विधि |
|---|---|---|---|
| ए. | एचटीएम | एएफएस | संशोधित वहन मूल्य, पुनर्वर्गीकरण तिथि पर मापा गया उचित मूल्य है। संशोधित वहन मूल्य और पिछले वहन मूल्य के बीच अंतर से होने वाले किसी भी लाभ या हानि को एएफएस–रिजर्व माना जाता है है। |
| बी. | | एफवीटीपीएल | पुनर्वर्गीकरण तिथि पर मापा गया उचित मूल्य संशोधित वहन मूल्य है। निवेशों के संशोधित वहन मूल्य और पिछले वहन मूल्य के बीच अंतर से होने वाले किसी भी लाभ या हानि को अनुसूची 14: 'अन्य आय' के अंतर्गत मद (III): 'निवेशों के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ' के अंतर्गत लाभ और हानि खाते में मान्यता दी जाती है। |
| सी. | एएफएस | एचटीएम | निवेशों को पुनर्वर्गीकरण तिथि पर उसके उचित मूल्य पर पुनर्वर्गीकृत किया जाता है। हालाँकि, एएफएस –रिजर्व में पहले से मान्य संचयी लाभ/हानि को वापस ले लिया जाता है और संशोधित वहन मूल्य पर पहुँचने के लिए पुनर्वर्गीकरण तिथि पर निवेशों के उचित मूल्य के विरुद्ध समायोजित किया जाता है। |
| डी. | | एफवीटीपीएल | निवेशों को उचित मूल्य पर मापा जाना जारी है। एएफएस रिजर्व में पहले से मान्यता प्राप्त संचयी लाभ या हानि को वापस ले लिया गया है और अनुसूची 14: 'अन्य आय' के अंतर्गत मद (III): 'निवेशों के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ' के अंतर्गत लाभ और हानि खाते में मान्यता दी गई है। |
| ई. | एफवीटीपीएल | एचटीएम | पुनर्वर्गीकरण तिथि पर उचित मूल्य को दर्शाने वाली वहन राशि यथावत रहती है। |
| एफ. | | एएफएस | |

पुनर्वर्गीकरण तिथि से पुनर्वर्गीकरण को भावी रूप से लागू किया जाता है और पुनर्वर्गीकरण समायोजन सहित ऐसे पुनर्वर्गीकरण का विवरण वित्तीय विवरणों के नोटों में प्रकटीकरण के रूप में प्रदान किया जाता है, यदि मामला जारी रहता है। प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में निवेश का मूल्यांकन श्रेणी (एचटीएम और एएफएस) पर ध्यान दिए बिना वहन लागत पर किया जाएगा।

- Any financial instrument when there is no legal impediment against selling or fully hedging it.

4.4 Investments in Subsidiaries, Associates and Joint Ventures. All investments in subsidiaries, associates and joint ventures are held in a distinct category separate from the other investment categories.

4.5 In case of Reclassification of investments from one category to another category, the accounting treatment is as given in the table below:

| S. No. | From | To | Accounting Treatment |
|---|---|---|---|
| a. | HTM | AFS | The fair value measured at the reclassification date is the revised carrying value. Any gain or loss arising from a difference between the revised carrying value and the previous carrying value is recognized in AFS-Reserve. |
| b. | | FVTPL | The fair value measured at the reclassification date is the revised carrying value. Any gain or loss arising from a difference between the revised carrying value and previous carrying value of the investments is recognised in the Profit and Loss Account under Item (III): 'Profit on revaluation of investments' under Schedule 14: 'Other Income'. |
| c. | AFS | HTM | The investments are reclassified at its fair value at the reclassification date. However, the cumulative gain/loss previously recognised in the AFS-Reserve is withdrawn and adjusted against the fair value of the investments at the reclassification date to arrive at the revised carrying value. |
| d. | | FVTPL | The investments are continuing to be measured at fair value. The cumulative gain or loss previously recognised in AFS Reserve is withdrawn and recognised in the Profit and Loss Account, under Item (III): 'Profit on revaluation of investments' under Schedule 14: 'Other Income'. |
| e. | FVTPL | HTM | The carrying amount representing the fair value at the reclassification date remains unchanged. |
| f. | | AFS | |

The reclassification is applied prospectively from reclassification date and details of such reclassification including the reclassification adjustments is provided as disclosure in the notes to the financial statements, if the case persists.

4.6 **किसी निवेश की अधिग्रहण लागत निर्धारित करने में**

(क) प्रतिभूतियों के अधिग्रहण के संबंध में भुगतान किए गए ब्रोकरेज, कमीशन, प्रतिभूति लेनदेन कर (एसटीटी) आदि को राजस्व व्यय के रूप में माना जाता है और लागत से बाहर रखा जाता है।

(ख) प्रतिभूतियों के अधिग्रहण/बिक्री की तिथि तक अर्जित ब्याज अर्थात खंडित अवधि का ब्याज अधिग्रहण लागत/बिक्री प्रतिफल से बाहर रखा जाता है और उसे अर्जित ब्याज के रूप में गिना जाता है, अपितु देय के रूप में नहीं।

(ग) निवेशों की सभी श्रेणियों के लिए लागत का निर्धारण भारित औसत लागत पद्धति पर किया जाता है।

(घ) सभी निवेशों को प्रारंभिक मान्यता पर उचित मूल्य पर मापा जाता है। जब तक तथ्य और परिस्थितियाँ यह न बताएँ कि उचित मूल्य, अर्जन लागत से भौतिक रूप से भिन्न है, तब तक यह माना जाता है कि अधिग्रहण लागत ही उचित मूल्य है। अन्य मामलों में, निम्नलिखित कदम उठाए जाते हैं:

- ➢ जहां प्रतिभूतियों को उद्धृत किया जाता है या उचित मूल्य बाजार अवलोकनीय इनपुट (जैसे कि उपज वक्र, क्रेडिट स्प्रेड, आदि) के आधार पर निर्धारित किया जाता है, किसी भी दिवस 1 लाभ/हानि को अनुसूची 14: उपशीर्षक 'निवेश के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ' या 'निवेश के पुनर्मूल्यांकन पर हानि' के अंतर्गत 'अन्य आय' के अंतर्गत लाभ और हानि खाते में मान्यता दी जाती है।
- ➢ स्तर 3 निवेश से उत्पन्न किसी भी किसी भी दिवस 1 की हानि को तुरंत मान्यता दी जाती है।
- ➢ लेवल 3 निवेशों से होने वाले किसी भी पहले दिवस के लाभ को स्थगित कर दिया जाता है। ऋण साधनों के मामले में, दिवस 1 लाभ को परिपक्वता तिथि (या सतत साधनों के लिए सबसे प्रारंभिक कॉल तिथि) तक स्ट्रैट–लाइन के आधार पर परिशोधित किया जाता है, जबकि सूची से इतर इक्विटी साधनों के लिए, लाभ को देयता के रूप में तब तक अलग रखा जाता है जब तक कि प्रतिभूति सूचीबद्ध या अमान्य नहीं किया जाता।

4.7 आरबीआई/एफआईएमएमडीए के दिशानिर्देशानुसार निवेश का मूल्यांकन निम्नलिखित आधार पर किया जाता है:

I. परिपक्वता तक धारित

एचटीएम में धारित प्रतिभूतियों को लागत पर रखा जाता है तथा प्रारंभिक मान्यता के बाद उन्हें बाजार मूल्य (एमटीएम) पर अंकित नहीं किया जाता है।

II. एएफएस

एएफएस में धारित प्रतिभूतियों का दैनिक आधार पर उचित मूल्यांकन किया जाता है। एएफएस के अंतर्गत धारित सभी कार्य–निष्पादित निवेशों, वर्गीकरण पर ध्यान दिए बिना (जैसे सरकारी प्रतिभूतियां, अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियां, बांड और डिबेंचर आदि) में मूल्यांकन लाभ और हानि को समेकित किया जाता है और निवल मूल्यवृद्धि या मूल्यह्रास को लाभ और हानि खाते के माध्यम से रूट किए बिना सीधे एएफएस रिजर्व में जमा या डेबिट किया जाता है।

4.6 In determining acquisition cost of an investment

(a) Brokerage, commission, Securities Transaction Tax (STT) etc. paid in connection with acquisition of securities are treated as revenue expenses upfront and excluded from cost.

(b) Interest accrued up to the date of acquisition/sale of securities i.e. broken-period interest is excluded from the acquisition cost/sale consideration and the same is accounted as interest accrued but not due.

(c) Cost is determined on the weighted average cost method for all categories of investments.

(d) All investments are measured at fair value on initial recognition. Unless facts and circumstances suggest that the fair value is materially different from the acquisition cost, it is presumed that the acquisition cost is the fair value. In other cases, following treatment is done:

- ➢ Where the securities are quoted or the fair value is determined based on market observable inputs (such as yield curve, credit spread, etc.) any Day 1 gain/ loss is recognised in the Profit and Loss Account, under Schedule 14: 'Other Income' within the subhead 'Profit on revaluation of investments' or 'Loss on revaluation of investments'.
- ➢ Any Day 1 loss arising from Level 3 investments is recognised immediately.
- ➢ Any Day 1 gains arising from Level 3 investments is deferred. In the case of debt instruments, the Day 1 gain is amortized on a straight-line basis up to the maturity date (or earliest call date for perpetual instruments), while for unquoted equity instruments, the gain is set aside as a liability until the security is listed or derecognised.

4.7 Investments are valued as per RBI/ FIMMDA guidelines, on the following basis:

I. Held to Maturity

Securities held in HTM are carried at cost and are not marked to market (MTM) after initial recognition.

II. AFS

The securities held in AFS are fair valued on daily basis. The valuation gains and losses across all performing investments, irrespective of classification (i.e., Government securities, Other approved securities, Bonds and Debentures, etc.), held under AFS are aggregated and net appreciation or depreciation, is directly credited or debited to AFS Reserve without routing through the Profit and Loss account.

III. एफवीटीपीएल

एफवीटीपीएल में रखी गई प्रतिभूतियों का उचित मूल्यांकन किया जाता है और ऐसे मूल्यांकन पर होने वाले शुद्ध लाभ या हानि को लाभ और हानि खाते में जमा या डेबिट किया जाता है। उपर्युक्त में से, एफवीटीपीएल में एचएफटी उप–श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत प्रतिभूतियों का दैनिक आधार पर उचित मूल्यांकन किया जाता है और एफवीटीपीएल के अंतर्गत अन्य प्रतिभूतियों का दैनिक आधार पर मूल्यांकन किया जाता है।

IV. सहायक कंपनियों, सहयोगियों और संयुक्त उद्यमों में निवेश:

सहायक कंपनियों, सहयोगी कंपनियों और संयुक्त उद्यमों में सभी निवेश (अर्थात ऋण और इक्विटी सहित) अधिग्रहण लागत पर रखे जाते हैं। सहायक कंपनियों, सहयोगी कंपनियों या संयुक्त उद्यमों में निवेश की हानि का मूल्यांकन तिमाही आधार पर और यदि आवश्यक हो, तो अधिक बार किया जाता है। हानि के मामले में, निवेश का मूल्यांकन एक स्वतंत्र पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता द्वारा किया जा रहा है और हानि के लिए प्रावधान लाभ और हानि खाते से किया जाता है। यदि हानि में कमी आती है, तो इसे बाद में लाभ और हानि खाते के माध्यम से इसे रिवर्स किया जा सकता है।

V. परिशोधन/अभिवृद्धि

एचटीएम/एएफएस/एफवीटीपीएल/सहायक, सहयोगी और संयुक्त उद्यम श्रेणी में ऋण प्रतिभूतियों के अधिग्रहण पर कोई छूट या प्रीमियम साधन के शेष जीवन पर परिशोधित किया जाता है। परिशोधित राशि 8: 'निवेश' में कॉण्ट्रा के साथ अनुसूची 13 के मद II 'निवेश पर आय' के अंतर्गत वित्तीय विवरणों में दर्शाई गई है: 'अर्जित ब्याज' अनुसूची । निवेश के परिशोधन और अभिवृद्धि के लिए, बैंक 'स्ट्रेट लाइन पद्धति' का पालन जारी रखता है।

**निवेश का उचित मूल्य:**

निवेश की प्रारंभिक पहचान और आवधिक मूल्यांकन के प्रयोजन के लिए उचित मूल्य नीचे दी गई तालिका के अनुसार निर्धारित किया जाता है:

| | | |
|---|---|---|
| (क) | कोटेड प्रतिभूतियां | कोटेड प्रतिभूतियों के लिए उचित मूल्य वित्तीय बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एफबीआईएल) द्वारा घोषित मूल्य हैं। जिन प्रतिभूतियों की कीमतें एफबीआईएल द्वारा प्रकाशित नहीं की जाती हैं, उनके लिए कोटेड प्रतिभूति का उचित मूल्य मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों, रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म या आरबीआई/सेबी द्वारा अधिकृत ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर ट्रेड/कोट्स से उपलब्ध उद्धृत मूल्य या फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एफआईएमएमडीए) द्वारा घोषित कीमतों पर आधारित है। |
| (ख) | अनकोटेड एसएलआर प्रतिभूतियां | (i) ट्रेजरी बिलों का मूल्यनिर्धारण वहन लागत पर किया जाता है।<br>(ii) अनकोटेड केन्द्रीय/राज्य सरकार की प्रतिभूतियों का मूल्यांकन एफबीआईएल द्वारा जारी कीमतों/वाईटीएम दरों के आधार पर किया जाता है।<br>(iii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों का मूल्यांकन वाईटीएम पद्धति को लागू करके किया जाता है, तथा उन्हें एफबीआईएल द्वारा जारी समतुल्य परिपक्वता की केन्द्रीय सरकार की प्रतिभूतियों के प्रतिफल से 25 आधार अंक अधिक मूल्य पर अंकित किया जाता है। |

III. FVTPL

The securities held in FVTPL are fair valued and the net gain or loss arising on such valuation is credited or debited to the Profit and Loss Account. Out of above, Securities that are classified under the HFT sub-category within FVTPL are fair valued on daily basis and other securities under FVTPL on daily basis.

IV. Investments in Subsidiaries, Associates and Joint Ventures

All investments (i.e., including debt and equity) in subsidiaries, associates and joint ventures are held at acquisition cost. Investments in subsidiaries, associates or joint ventures are evaluated for impairment on quarterly basis and if required, on more frequent basis. In case of impairment, valuation of the investment is being done by an independent registered valuer and provision for impairment is made from Profit and Loss Account. It can be subsequently reversed through Profit and Loss Account, if there is a reversal of the diminution.

V. Amortization/ Accretion

Any discount or premium on the acquisition of debt securities in HTM/ AFS/ FVTPL/ Subsidiaries, Associates and Joint Ventures category is amortised over the remaining life of the instrument. The amortised amount is reflected in the financial statements under item II 'Income on Investments' of Schedule 13: 'Interest Earned' with a contra in Schedule 8: 'Investments'. For amortization and accretion of investments, the Bank continues to follow the 'straight line method'.

**Fair Value of Investments:**

The fair value for the purpose of initial recognition and periodical valuation of Investments is determined as per table below:

| | | |
|---|---|---|
| (a) | Quoted Securities | The fair value for the quoted securities are the prices declared by the Financial Benchmarks India Private Ltd. (FBIL). For securities whose prices are not published by FBIL, the fair value of the quoted security is based upon quoted price as available from the trades/ quotes on recognised stock exchanges, reporting platforms or trading platforms authorized by RBI/SEBI or prices declared by the Fixed Income Money Market and Derivatives Association of India (FIMMDA). |
| (b) | Unquoted SLR Securities | (i) Treasury Bills are valued at carrying cost.<br>(ii) Unquoted Central / State Government securities are valued on the basis of the prices/ YTM rates published by FBIL.<br>(iii) Other approved securities are valued by applying YTM method by marking them up by 25 basis points above the yields of the Central Government Securities of equivalent maturity put out by FBIL. |

| | | |
|---|---|---|
| (ग) | अनकोटेड गैर–एसएलआर प्रतिभूतियां | अनकोटेड डिबेंचर और बांड का मूल्यांकन, एफबीआईएल/ एफआईएमएमडीए द्वारा निर्धारित केन्द्रीय सरकारी प्रतिभूतियों के लिए वाईटीएम दरों पर उचित मार्क–अप लागू करके किया जाता है। |
| (घ) | उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) बांड और राज्य वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) द्वारा जारी बांड | (i) उदय बांड का मूल्यांकन एफबीआईएल द्वारा प्रकाशित कीमतों/प्रतिफल के आधार पर किया जाता है।<br>(ii) डिस्कॉम द्वारा जारी और सेवित राज्य सरकार गारंटीकृत बांडों का मूल्यांकन, एफबीआईएल द्वारा प्रकाशित सामान परिपक्वता की केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों के लिए वाईटीएम दरों पर 75 आधार अंकों का मार्क–अप लागू करके किया जाता है।<br>(iii) डिस्कॉम द्वारा जारी और सेवित अन्य बांडों का मूल्यांकन, एफबीआईएल द्वारा प्रकाशित समतुल्य परिपक्वता की केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों के लिए वाईटीएम दरों पर 100 आधार अंकों का मार्क–अप लागू करके किया जाता है।<br>(iv) राज्य सरकार द्वारा जारी और सेवित बांडों का मूल्यांकन, एफबीआईएल द्वारा प्रकाशित समतुल्य परिपक्वताओं वाली केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों के लिए वाईटीएम दरों पर 50 आधार अंकों का मार्क–अप लागू करके किया जाता है। |
| (ड़) | विशेष प्रतिभूतियाँ | भारत सरकार द्वारा जारी विशेष प्रतिभूतियाँ, जिन्हें एसएलआर का दर्जा प्राप्त नहीं है, का मूल्यांकन समतुल्य परिपक्वता वाली केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों पर प्राप्त प्रतिफल से 25 आधार अंक अधिक पर किया जाता है। |
| (च) | जीरो कूपन बांड (जेडसीबी) | बाजार मूल्य के अभाव में, जेडसीबी के वर्तमान मूल्य के संदर्भ में बाजार मूल्य पर जेडसीबी को अंकित किया जाता है। इस प्रकार निर्धारित उचित मूल्य की तुलना मूल्यांकन लाभ या हानि का निर्धारण करने के लिए वहन लागत से की जाती है। |
| (छ) | अधिमान शेयर | कोटेडः यदि मूल्यांकन तिथि से 15 दिन पहले एक्सचेंज पर कारोबार किया जाता है, तो मूल्य उस कीमत से अधिक नहीं लिया जाता है जिस पर शेयर का कारोबार किया गया था। |
| (ज) | इक्विटी शेयर | इक्विटी शेयर जिन्हें इलिक्विड के रूप में वर्गीकृत किया गया है या किसी मान्यता प्राप्त एक्सचेंज पर सूचीबद्ध नहीं किया गया है, उसके उचित मूल्य को ब्रेक–अप मूल्य ('पुनर्मूल्यांकन रिजर्व', यदि कोई हो, पर विचार किए बिना) माना जाता है और इसे कंपनी की नवीनतम ऑडिटेड बैलेंस शीट से पता लगाया जाता है। यदि नवीनतम ऑडिटेड बैलेंस शीट उपलब्ध नहीं है या 18 महीने से अधिक पुरानी है, तो शेयरों का मूल्य प्रति कंपनी ₹1 होता है। |
| (झ) | म्यूच्यूअल फंड यूनिट (एमएफ यूनिट) | (क) अनकोटेड एमएफ यूनिटों में निवेश का मूल्यांकन प्रत्येक योजना के संबंध में एमएफ द्वारा घोषित नवीनतम पुनर्खरीद मूल्य के आधार पर किया जाता है।<br>(ख) लॉक–इन अवधि संबंधी निधि के मामले में या जहां पुनर्खरीद मूल्य/बाजार भाव उपलब्ध नहीं है, यूनिटों का मूल्यांकन योजना के नेट एसेट वैल्यू (एनएवी) पर किया जाता है। यदि एनएवी उपलब्ध नहीं है, तो इनका मूल्यांकन लॉक–इन अवधि के अंत तक लागत पर किया जाता है। |
| (ञ) | सीडी/ सीपी | जमा प्रमाणन या वाणिज्यिक पत्र का मूल्यांकन वहन लागत पर किया जाता है। |

| | | |
|---|---|---|
| (c) | Unquoted Non-SLR Securities | Unquoted debentures and bonds are valued by applying the appropriate mark-up over the YTM rates for Central Government Securities as put out by FBIL/FIMMDA. |
| (d) | Ujjwal DISCOM Assurance Yojana (UDAY) bonds and bonds issued by state distribution companies (DISCOMs) | (i) UDAY bonds are valued on basis of prices/ yields published by FBIL.<br>(ii) State government guaranteed bonds issued and serviced by DISCOM are valued by applying a mark-up of 75 basis points on YTM rates for Central Government securities of equivalent maturities as published by FBIL.<br>(iii) Other bonds issued and serviced by DISCOMs are valued by applying a mark-up of 100 basis points on YTM rates for Central Government Securities of equivalent maturities published by FBIL.<br>(iv) Bonds issued and serviced by the State Government are valued by applying a mark-up of 50 basis points on YTM rates for Central Government Securities of equivalent maturities as published by FBIL. |
| (e) | Special securities | Special securities issued by Government of India but do not carry SLR status are valued at a spread of 25 basis points above the corresponding yield on Central Government securities of equivalent maturity. |
| (f) | Zero coupon bonds (ZCBs) | In the absence of market value, the ZCBs are marked to market with reference to the present value of the ZCB. The fair value so determined is compared with the carrying cost to determine valuation gain or loss. |
| (g) | Preference Shares | Quoted: If traded on exchange within 15 days prior to the valuation date, the value is not taken higher than the price at which the share was traded.<br>Unquoted: On YTM basis with appropriate mark-up over the YTM rates for Central Government Securities of equivalent maturity put out by FBIL subject to ceiling of redemption value of such preference shares. |
| (h) | Equity shares | For equity shares which are classified as illiquid or not listed on a recognised exchange, the fair value considered is break-up value (without considering 'revaluation reserves', if any) and the same is ascertained from the company's latest audited balance sheet. In case, the latest audited balance sheet is not available or is more than 18 months old, the shares are valued at ₹ 1 per company. |
| (i) | Mutual Funds Units (MF Units) | (a) Investment in un-quoted MF units are valued on the basis of the latest repurchase price declared by the MF in respect of each scheme.<br>(b) In case of funds with a lock-in period or where repurchase price/ market quote is not available, units are valued at Net Asset Value (NAV) of the scheme. If NAV is not available, these are valued at cost, till the end of the lock-in period. |
| (j) | CD/ CP | Certificate of Deposits or Commercial paper is valued at the carrying cost. |

| | | |
|---|---|---|
| (ट) | आस्ति पुनर्निर्माणन कंपनी (एआरसी) द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदें (एसआर) और अन्य उपकरण | एआरसी (आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों) द्वारा जारी एसआर (प्रतिभूति रसीदें) / अन्य प्रतिभूतियों में उधारदाताओं द्वारा किए गए निवेश का मूल्यांकन समय–समय पर एआरसी द्वारा घोषित निवल आस्ति मूल्य (एनएवी) की गणना करके किया जाता है, जो ऐसे उपकरणों के लिए प्राप्त वसूली रेटिंग पर आधारित होता है।<br>यदि बैंक एआरसी द्वारा एआरसी को हस्तांतरित किए गए दबावग्रस्त ऋणों के संबंध में उनके द्वारा जारी एसआर/पीटीसी में निवेश करता है, तो बैंक, अंतरण या वसूली होने तक, अंतरण के समय अंतरित संकटग्रस्त ऋण के एनएवी और एनबीवी के आधार पर एसआर के प्रतिदेय मूल्य में से जो भी कम हो, उस पर, निवेश को निरंतर आधार पर बही में रखता है।<br>यदि अन्तरणकर्ता (बैंक) द्वारा उसके द्वारा अंतरित ऋणों के विरूद्ध जारी एस.आर. में किया गया निवेश, अंतरित आस्ति के विरूद्ध जारी सभी एस.आर. का 10 प्रतिशत से अधिक है, तो अन्तरणकर्ता की बही में एस.आर. का मूल्यांकन निम्नलिखित में से कम होगा:<br>i) ऐसे साधनों के लिए प्राप्त रिकवरी रेटिंग के आधार पर एआरसी द्वारा घोषित निवल आस्ति मूल्य (एनएवी); और<br>ii) एसआर का अंकित मूल्य, यदि ऋण बैंक बहियों में जारी रहे तो लागू कल्पित प्रावधान दर से कम हो जाएगा।<br>इसके अलावा, भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत प्रतिभूति रसीदों का मूल्यांकन एआरसी द्वारा घोषित निवल आस्ति मूल्य (एनएवी) की गणना करके तिमाही आधार पर किया जाता है। हालांकि, सरकारी गारंटी के अंतिम निपटान या गारंटी अवधि की समाप्ति के बाद बकाया सुरक्षा रसीदों का मूल्यांकन ₹1 पर किया जाता है। |
| (ठ) | वैकल्पिक निवेश निधि (एआईएफ) में निवेश | यदि उद्धृत किया गया है, तो बाजार मूल्य के अनुसार। एआईएफ के अनकोटेड इंस्ट्रूमेंट्स का मूल्यांकन एआईएफ द्वारा बताए गए एनएवी पर किया जाता है। जहां एआईएफ अपने निवेशों का मूल्यांकन करने और उसका खुलासा करने में विफल रहता है, वहां उसकी इकाइयों का मूल्य ₹1 माना जाता है। |
| (ड) | जोखिम पूंजी निधि | वीसीएफ द्वारा घोषित निवल आस्ति मूल्य (एनएवी) पर |
| (ढ) | अन्य निवेश | वहन लागत घटा कर मूल्य में कमी |

4.8 जब मूलधन और/या ब्याज को इक्विटी, डिबेंचर, बॉन्ड आदि में परिवर्तित किया जाता है, तो ऐसे उपकरणों को प्रारंभिक मान्यता के समय एचटीएम, एएफएस या एफवीटीपीएल (एचएफटी सहित) में वर्गीकृत किया जाता है। इसके अलावा, ऐसे उपकरणों का आस्ति वर्गीकरण ऋण के समान ही होता है और प्रावधान प्रासंगिक मानदंडों के अनुसार किए जाते हैं।

4.9 निवेश की बिक्री/परिपक्वता पर लेखांकन कदम (उपचार):

I. एचटीएम: एचटीएम में निवेश की बिक्री पर किसी भी लाभ या हानि को अनुसूची 14: 'अन्य आय' के मद II के अंतर्गत लाभ और हानि खाते में मान्यता दी जा रही है। एचटीएम में निवेश की बिक्री पर लाभ को लाभ और हानि खाते से 'पूंजी आरक्षित खाते' में विनियोजित किया जाता है। इस प्रकार विनियोजित राशि करों को घटाकर और वैधानिक आरक्षित राशि में स्थानांतरित की जाने वाली राशि होगी।

| | | |
|---|---|---|
| (k) | Security receipts (SRs) and other instruments issued by Asset Reconstr-uction Company (ARC) | Investments by lenders in SRs (Security Receipts) / other securities issued by ARCs (Asset Reconstruction Companies) are valued periodically by reckoning the Net Asset Value (NAV) declared by the ARC based on the recovery ratings received for such instruments.<br>If the Bank invests in the SRs / PTCs issued by ARCs in respect of the stressed loans transferred by them to the ARC, the Bank carries the investment in books on ongoing basis, until its transfer or realization, at lower of the redemption value of SRs arrived based on the NAV and the NBV of the transferred stressed loan at the time of transfer.<br>If the investment by the transferor (Bank) in SRs issued against loans transferred by it is more than 10 percent of all SRs issued against the transferred asset, then the valuation of the SRs on the books of the transferor is the lower of the following:<br>i) Net Asset Value (NAV) declared by the ARC based on the recovery ratings received for such instruments; and<br>ii) Face value of the SRs reduced by the notional provisioning rate applicable if the loans had continued on the books of the Bank.<br>Further, Security Receipts guaranteed by the Government of India are valued quarterly by reckoning the Net Asset Value (NAV) declared by the ARC. However, security receipts outstanding after the final settlement of the government guarantee or the expiry of the guarantee period, whichever is earlier, is valued at ₹1. |
| (l) | Investment in Alternative Investment Funds (AIFs) | If Quoted, as per market price. Unquoted instruments of AIFs are valued at the NAV as disclosed by the AIF. Where an AIF fails to carry out and disclose the valuation of its investments, the value of its units is treated as ₹1. |
| (m) | Venture Capital Funds | At net asset value (NAV) declared by the VCF |
| (n) | Other Investments | At carrying cost less diminution in value |

4.8 When principal and/or interest are converted into equity, debentures, bonds, etc., such instruments are categorised in HTM, AFS or FVTPL (including HFT) at the time of initial recognition. Further, the asset classification of such instruments are same as the loan and provision are made as per the relevant norms.

4.9 Accounting Treatment on sale/ maturity of investments:

I. HTM: Any profit or loss on the sale of investments in HTM is being recognised in the Profit and Loss Account under Item II of Schedule 14: 'Other Income'. The profit on sale of an investment in HTM is appropriated from the Profit and Loss Account to the 'Capital Reserve Account'. The amount so appropriated will be net of taxes and the amount to be transferred to Statutory Reserve.

II- एएफएसः

क. प्रारंभिक मान्यता के समय एएफएस के अंतर्गत नामित इक्विटी साधनों के मामले में, ऐसे निवेशों की बिक्री पर होने वाली कोई भी लाभ या हानि एएफएस–रिजर्व से पूंजी रिजर्व में परिवर्तित कर दी जाती है।

ख. एएफएस श्रेणी में ऋण साधन की बिक्री या परिपक्वता पर, एएफएस–रिजर्व में उस सुरक्षा के लिए संचित लाभ/हानि को एएफएस रिजर्व से परिवर्तित कर दिया जाता है और अनुसूची 14– अन्य आय के अंतर्गत निवेश की बिक्री पर मद II लाभ के अंतर्गत लाभ और हानि खाते में मान्यता दी जाती है।

III. एफवीटीपीएलः बिक्री पर किसी भी लाभ या हानि को एचएफटी प्रतिभूतियों सहित लाभ और हानि खाते के माध्यम से सीधे मान्यता दी जाती है।

IV. सहायक कंपनियां, सहयोगी और संयुक्त उद्यमः किसी सहायक कंपनी, सहयोगी या संयुक्त उद्यम में निवेश के पुनर्वर्गीकरण/बिक्री पर होने वाले किसी भी लाभ/लाभप्रदता को सबसे पहले लाभ और हानि खाते में स्वीकृति दी जाती है और फिर लाभ और हानि खाते से 'पूंजी आरक्षित खाते' में विनियोजित किया जाता है। इस प्रकार विनियोजित राशि कर को घटाकर निवल होगी और राशि को सांविधिक आरक्षित निधि में स्थानांतरित किया जाएगा।

वाणिज्यिक बैंकों (निर्देश) के निवेश पोर्टफोलियो के वर्गीकरण, मूल्यांकन और संचालन पर आरबीआई मास्टर निर्देश (निर्देश), 2023 दिनांक 12 सितंबर, 2023 के सभी अन्य दिशानिर्देश और तदानुसार जारी दिशानिर्देश/स्पष्टीकरणों का पालन किया जाता है।

4.10 बायबैक व्यवस्था के अंतर्गत पुनर्खरीद/पुनर्विक्रय प्रतिभूतियों का लेखा मूल लागत पर किया जाता है।

4.11 भारतीय रिजर्व बैंक के एनपीआई वर्गीकरण के विवेकेपूर्ण मानदंडों के अनुरूप निवेश उपयुक्त प्रावधानीकरण तथा आय गैर–निर्धारण के अधीन है । एक बार जब किसी निवेश को एनपीआई के रूप में वर्गीकृत कर दिया जाता है, तो उसे शेष पोर्टफोलियो से अलग कर दिया जाता है तथा मूल्यांकन लाभ और हानि को घटाने के लिए उस पर विचार नहीं किया जाता है।

एक इकाई द्वारा प्राप्त की गई ऋण सुविधा यदि बैंक की बही में एनपीए है, तो उसी इकाई द्वारा जारी प्रतिभूतियों में कोई भी निवेश एनपीआई के रूप में या इसके विपरीत क्रम में माना जाएगा। तथापि, एनपीआई अधिमानी शेयरों के संबंध में जहां लाभांश का भुगतान नहीं किया जाता है, वहां तदनुरूपी ऋण सुविधा को एनपीए नहीं माना जाएगा।

प्रतिभूतियों, अर्थात् बांड, डिबेंचर आदि के मामले में प्रावधान निम्नलिखित राशियों में से उच्चतर के रूप में किया जाता है –

(i) एनपीआई के रूप में वर्गीकृत किए जाने से ठीक पहले निवेश के वहन मूल्य पर गणना की गई आईआरएसीपी मानदंडों के अनुसार आवश्यक प्रावधान की राशि; तथा

(ii) एनपीआई के रूप में वर्गीकरण की तिथि पर इसके अग्रणीत मूल्य के संदर्भ में निवेश पर मूल्यह्रास।

आईआरएसीपी मानदंडों के अनुसार खाते को अपग्रेड किए जाने पर, पहले से निर्धारित किसी भी प्रावधान को रिवर्स दिया जाएगा और एमटीएम लाभ

II. AFS:

a. In the case of equity instruments designated under AFS at the time of initial recognition, any gain or loss on sale of such investments is transferred from AFS-Reserve to the Capital Reserve.

b. On sale or maturity of a debt instrument in AFS category, the accumulated gain/ loss for that security in the AFS-Reserve is transferred from the AFS Reserve and recognized in the Profit and Loss Account under item II Profit on sale of investments under Schedule 14-Other Income.

III. FVTPL: Any profit or loss on the sale is recognised directly through Profit and Loss Account including HFT securities.

IV. Subsidiaries, Associates and Joint Ventures: Any gain/ profit arising on the reclassification/ sale of an investment in a subsidiary, associate or joint venture is first recognised in the Profit and Loss Account and then appropriated from the Profit and Loss Account to the 'Capital Reserve Account'. The amount so appropriated will be net of taxes and the amount to be transferred to Statutory Reserves.

All other guidelines of RBI Master Direction on Classification, Valuation and Operation of Investment Portfolio of Commercial Banks (Directions), 2023 dated September 12, 2023, and other subsequent guidelines/ clarifications are adhered to.

4.10 Securities repurchased/resold under buy back arrangement are accounted for at original cost.

4.11 Investments are subject to appropriate provisioning/ de-recognition of income, in line with the prudential norms of Reserve Bank of India for NPI classification. Once an investment is classified as an NPI, it is segregated from rest of the portfolio and not considered for netting valuation gains and losses.

If any credit facility availed by an entity is NPA in the books of the Bank, investment in any of the securities issued by the same entity is also treated as NPI and vice versa. However, in respect of NPI preference share where the dividend is not paid, the corresponding credit facility is not treated as NPA.

In case of securities, i.e., bonds, debentures, etc. the provision is made as higher of the following amounts –

(i) The amount of provision required as per IRACP norms computed on the carrying value of the investment immediately before it was classified as NPI; and

(ii) The depreciation on the investment with reference to its carrying value on the date of classification as NPI.

Upon an account being upgraded as per IRACP norms, any provision previously recognised is reversed and symmetric

और हानि की सममित निर्धारण फिर से शुरू हो जाएगा।

किसी कंपनी के अनकोटेड शेयरों में निवेश के मामले में, जिनका मूल्य नवीनतम तुलन पत्र की अनुपलब्धता के कारण ₹1 प्रति कंपनी है, उन इक्विटी शेयरों की गणना एनपीआई के रूप में की जाती है। लेखापरीक्षित तुलन पत्र प्राप्त होने पर एनपीआई को बाद में अपग्रेड किया जा सकता है।

एएफएस (बिक्री के लिए उपलब्ध) के अंतर्गत वर्गीकृत निवेशों के लिए प्रावधान निम्नानुसार प्रबंधित किए जाते हैं:

- जब एएफएस–रिजर्व में संचयी लाभ होता है, तो इन लाभों की राशि तक एएफएस–रिजर्व प्रभारित कर आवश्यक प्रावधान सृजित किया जा सकता है।
- जब एएफएस–रिजर्व में संचयी घाटा होता है, तो इन घाटे को एएफएस–रिजर्व से लाभ और हानि खाते में स्थानांतरित कर दिया जाता है।

4.12 रेपो या रिवर्स रेपो लेन–देन के अंतर्गत पुनर्खरीद या पुनर्विक्रय समझौते के साथ बेची या खरीदी गई प्रतिभूतियाँ, जिनमें भारतीय रिजर्व बैंक के साथ चलनिधि समायोजन सुविधा (LAF) के तहत प्रतिभूतियाँ शामिल हैं, को उधार या उधारी के रूप में दर्ज किया जाएगा। रेपो समझौते के अंतर्गत बेची गई प्रतिभूतियाँ निवेश के अंतर्गत वर्गीकृत रहेंगी, जबकि रिवर्स रेपो समझौते के अंतर्गत खरीदी गई प्रतिभूतियों को निवेश में शामिल नहीं किया जाएगा। संबंधित लागतों और राजस्व को क्रमशः ब्याज व्यय या आय के रूप में दर्ज किया जाएगा।

4.13 व्युत्पन्न (डेरिवेटिव) लेन–देन व्यापार या प्रतिरक्षा के प्रयोजन से किए गए हैं। व्यापारिक लेन–देन बाजार मूल्य पर है। भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशानुसार, अदला–बदली की विभिन्न श्रेणियों का मूल्यांकन निम्न प्रकार से किया गया है:

**हेज स्वैप**

ब्याज दर अदला–बदली जो ब्याज वाहक आस्ति अथवा देयता की प्रतिरक्षा करती है, को उपचय आधार पर लेखांकित किया जाता है, किसी आस्ति अथवा देयता के साथ अभिहित अदलाबदली को छोडकर जो वित्तीय विवरणी मे बाजार मूल्य अथवा लागत मे से कम कीमत पर लिया जाता है।

अदला बदली की समाप्ति पर लाभ या हानि को अदला बदली की शेष संविदागत अवधि या आस्ति/देयताओं की शेष अवधि में से जो भी कम हो, पर माना जाता है।

**व्यापारिक अदला–बदली**

व्यापारिक अदला बदली को लेन–देन को वित्तीय विवरणियों में दर्ज किए गए परिवर्तनों सहित  बाजार मूल्य पर चिह्नित किया जाता है । व्यापारिक उद्देश्यों के लिए किए गए लेन–देन ट्रेडेड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज द्वारा दी गई दरों के आधार पर प्रचलित ब्याज दर पर मूल्यांकित किए जाते हैं और प्राप्त लाभों एवं हानियों को लाभ व हानि लेखे में लिया जाता है

4.14 विदेशी मुद्रा विकल्पः

अन्य बैंक के साथ बैक–टू–बैक अनुबंध के रूप मे बैंक द्वारा किया गया विदेशी मुद्रा विकल्प बाजार मूल्य पर नहीं है, क्योंकि इसमें बाजार जोखिम नहीं है।

recognition of MTM gains and losses will be resumed.

In the case of investment in the unquoted shares of any company which are valued at ₹1 per company on account of the non-availability of the latest balance sheet, those equity shares are reckoned as NPI. The NPI may be upgraded subsequently on receipt of audited balance sheet.

Provisions for investments classified under AFS (Available for Sale) are managed as follows:

- When there are cumulative gains in the AFS-Reserve, the required provision may be created by charging the AFS-Reserve up to the amountof these gains.
- When there are cumulative losses in the AFS-Reserve, these losses are transferred from the AFS-Reserve to the Profit and Loss Account.

4.12 Securities sold or purchased with an agreement to repurchase or resell under Repo or Reverse Repo transactions, including those under the Liquidity Adjustment Facility (LAF) with the RBI, shall be recorded as borrowings or lending. Securities sold under Repo agreements remain classified under investments, while securities purchased under Reverse Repo agreements shall not be included in investments. The associated costs and revenues shall be accounted for as interest expenditure or income, respectively.

4.13 The derivative transactions are undertaken for trading or hedging purposes. Trading transactions are marked to market. As per RBI guidelines, different categories of swaps are valued as under:

**Hedge Swaps**

Interest rate swaps with hedge interest bearing asset or liability are accounted for on accrual basis except the swaps designated with an asset or liability that are carried at lower of market value or cost in the financial statement.

Gain or losses on the termination of swaps are recognized over the shorter of the remaining contractual life of the swap or the remaining life of the asset/ liabilities.

**Trading Swaps**

Trading swap transactions are marked to market with changes recorded in the financial statements. Exchange Traded Derivatives entered into for trading purposes are valued at prevailing market rates based on rates given by the Exchange and the resultant gains and losses are recognized in the Profit and Loss Account.

4.14 Foreign Currency Options:

Foreign currency options written by the Bank with a back-to-back contract with another bank are not marked to market since there is no market risk.

प्राप्त प्रीमियम को देयता के रूप में रखा गया है तथा परिपक्वता/ निरस्तीकरण पर लाभ और हानि लेखे में अंतरित किया गया है।

5. **ऋण/अग्रिम और इसके लिए प्रावधानः**

5.1 अग्रिमों को निष्पादित और गैर–निष्पादित आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और उनके लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार प्रावधान किए जाते हैं।

(क) अग्रिमों को उधारकर्ता के अनुसार मानक, अवमानक, संदिग्ध और हानि आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

(ख) अग्रिमों को विशिष्ट ऋण हानि प्रावधानों, पुनर्गठित अग्रिमों के उचित मूल्यहास के लिए प्रावधान को घटाकर उल्लेखित किया गया है।

5.2 विदेशी कार्यालयों के संबंध में, ऋणों और अग्रिमों का वर्गीकरण तथा एनपीए के लिए प्रावधान स्थानीय विनियमों या भारतीय रिजर्व बैंक के मानक, जो भी अधिक कठोर हो, के अनुसार किया गया हैं।

विदेशी शाखाओं में रखे गए ऋण और अग्रिम, जिन्हें वसूली के रिकॉर्ड के अलावा अन्य कारणों से मेजबान देश के विनियमों के अनुसार क्षति के रूप में चिन्हित किया गया है, लेकिन जो भारतीय रिजर्व बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार मानक हैं, उन्हें मेजबान देश में बकाया राशि की सीमा तक एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

5.3 बेची गई वित्तीय आस्तियों को निम्नलिखित रूप मे माना गया है:

(क) एआरसी मे अंतरण लेन–देन के लिए विवेकपूर्ण मानदंडः

जब अंतरण के समय दबावग्रस्त ऋण को एनबीवी से कम कीमत पर एआरसी में हस्तांतरित किया जाता है, तो बैंक उस वर्ष के लिए लाभ और हानि खाते में कमी को डेबिट कर देता है जिसमें हस्तांतरण हुआ है।जब हस्तांतरण एनबीवी से कम कीमत पर होता है बैंकों को दबावग्रस्त ऋण के हस्तांतरण पर किसी भी कमी को पूरा करने के लिए प्रतिचक्रीय या फ्लोटिंग प्रावधानों का उपयोग करने की अनुमति होती है।

दूसरी ओर, जब हस्तांतरण के समय दबावग्रस्त ऋण को एनबीवी से अधिक मूल्य पर एआरसी को हस्तांतरित किया जाता है, तो ऋणदाता राशि प्राप्त होने के वर्ष में लाभ और हानि खाते में हस्तांतरण पर अतिरिक्त प्रावधान को रिवर्स कर देंगे और केवल तभी जब प्रारंभिक प्रतिफल के माध्यम से प्राप्त नकदी की राशि और / या एआरसी द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों (एसआर) / पास थ्रू सर्टिफिकेट (पीटीसी) / अन्य प्रतिभूतियों का मोचन या हस्तांतरण, हस्तांतरण के समय ऋण के एनबीवी से अधिक है। इसके अलावा, अतिरिक्त प्रावधान का रिवर्सल उस सीमा तक सीमित हैं, जिस सीमा तक प्राप्त नकदी आस्ति के एनबीवी से अधिक है।

दिनांक 29 मार्च, 2025 के RBI/DOR/2024&25/135 DOR.STR. REC-72/21.04.048/2024–25 के अनुसार, भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत एसआर के संबंध में एक विभेदित दृष्टिकोण अपनाने के उद्देश्य से, ऐसे एसआर के मूल्यांकन से संबंधित विवेकपूर्ण व्यवहार

Premium received is held as a liability and transferred to the Profit and Loss Account on maturity/cancellation.

5. **LOANS / ADVANCES AND PROVISIONS THEREON:**

5.1 Advances are classified as performing and non-performing assets; provisions are made in accordance with prudential norms prescribed by RBI.

(a) Advances are classified: Standard, Sub Standard, Doubtful and Loss assets borrower wise.

(b) Advances are stated net of specific loan loss provisions, provision for diminution in fair value of restructured advances.

5.2 In respect of foreign offices, the classification of loans and advances and provisions for NPAs are made as per the local regulations or as per the norms of RBI, whichever is more stringent.

Loans and advances held at the overseas branches that are identified as impaired as per host country regulations for reasons other than record of recovery, but which are standard as per the extant RBI guidelines, are classified as NPAs to the extent of amount outstanding in the host country.

5.3 Financial Assets sold are recognized as under:

(a) Prudential norms for the transfer transactions to ARCs:

When the stressed loan is transferred to ARC at a price below the NBV at the time of transfer, the Bank has debited the shortfall to the profit and loss account for the year in which the transfer has taken place. Banks are permitted to use countercyclical or floating provisions for meeting any shortfall on transfer of stressed loan when the transfer is at a price below the NBV.

On the other hand, when the stressed loan is transferred to an ARC for a value higher than the NBV at the time of transfer, lenders shall reverse the excess provision on transfer to the profit and loss account in the year the amounts are received and only when the sum of cash received by way of initial consideration and / or redemption or transfer of Security Receipts (SR) / Pass Through Certificates (PTCs)/ other securities issued by ARCs is higher than the NBV of the loan at the time of transfer. Further, such reversals are limited to the extent to which cash received exceeds the NBV of the loan at the time of transfer.

As per RBI/DOR/2024-25/135 DOR.STR. REC.72/21.04.048/2024-25 dated March 29, 2025, with a view to adopting a differentiated approach in respect of SRs guaranteed by the Government of India, the prudential treatment relating to valuation of such SRs

इस प्रकार है कि यदि किसी ऋण को निवल बही मूल्य (NBV) से अधिक मूल्य के लिए एआरसी को हस्तांतरित किया जाता है, यदि बिक्री प्रतिफल में केवल नकद और भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत एसआर शामिल हैं, तो हस्तांतरण के वर्ष में अतिरिक्त प्रावधान लाभ और हानि खाते में रिवर्स कर दिया जाता है। हालांकि, एसआर के रूप में गैर–नकद घटक को सीईटी 1 पूंजी से घटाया जाता है, और इस घटक से कोई लाभांश नहीं दिया जाता है।

(ख) एआरसी के अतिरिक्त अन्य हस्तांतरियों को हस्तांतरण लेनदेन के लिए विवेकपूर्ण मानदंड – प्रावधान मानदंडः

i. जब बैंक अपने एनपीए को एआरसी के अलावा अन्य हस्तांतरितियों को हस्तांतरित करता है, तो सम्पूर्ण हस्तांतरण राशि प्राप्त होने पर उसे बहीखातों से हटा दिया जाता है।

ii. यदि एआरसी के अलावा अन्य हस्तांतरियों को हस्तांतरण, हस्तांतरण के समय शुद्ध एनबीवी से कम कीमत पर होता है, तो कमी को उस वर्ष के लाभ और हानि खाते में डेबिट कर दिया जाता है जिसमें हस्तांतरण हुआ है।

iii. यदि हस्तांतरण के समय विक्रय मूल्य एनबीवी से अधिक है, तो अतिरिक्त प्रावधानों को रिवर्स किया गया है।

(ग) ज्ञापन देय राशि से अधिक प्राप्त अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, को आनुपातिक रूप से ऋण और अग्रिम पर आय ब्याज के संबंधित शीर्षों में जमा किया जाता है, जैसे कि सीसी/ सावधि ऋण पर आय ब्याज, आदि।

यदि अतिरिक्त राशि को बाद में, उदाहरण के लिए डी.आर.टी. /न्यायालय के आदेश या किसी अन्य घटना के कारण वापस किया जाना है, तो वसूली गई अतिरिक्त राशि को वापस करने के लिए उसी मद को डेबिट किया जाएगा।

5.4 पुनः संरचित आस्तियां:

अग्रिमों के पुनःसंरचना/पुनः निर्धारण के मामले मे, समय–समय पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार प्रावधान किए जाते हैं। पुनरूसंरचित अग्रिमों के उचित मूल्य में कमी के लिए प्रावधान को उन खातों के लिए आरबीआई के दिशा–निर्देशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य शर्तों पर मापा जाता है, जहां बैंक को कुल देय राशि एक करोड़ रुपये और उससे अधिक है। अन्य खातों के लिए, उचित मूल्य में कमी के प्रावधान की गणना आरबीआई के दिशा–निर्देशों के अनुसार बैंक को कुल जोखिम के 5: पर अनुमानित रूप से की जाती है।

5.5 एनपीए पर विशिष्ट प्रावधान के अतिरिक्त, आरबीआई के मौजूदा दिशा–निर्देशों के अनुसार मानक आस्तियों के लिए सामान्य प्रावधान भी किए गए हैं। ये प्रावधान तुलन पत्र की अनुसूची 5 में श्अन्य देयताएं व प्रावधान – अन्यश शीर्षक के अंतर्गत दर्शाए गए हैं और निवल एनपीए की गणना के लिए इन पर विचार नहीं किया जाता है।

5.6 पूर्व वर्षों में बट्टे खाते ऋणों के विरुद्ध वसूल की गई राशि तथा प्रावधानों

is such that if a loan is transferred to an ARC for a value higher than the net book value (NBV), the excess provision is reversed to the Profit and Loss Account in the year of transfer if the sale consideration comprises only of cash and SRs guaranteed by the Government of India. However, the non-cash component in the form of SRs is deducted from CET 1 capital, and no dividends are paid out of this component.

(b) Prudential norms for the transfer transactions to transferee(s) other than ARCs - Provisioning norms:

(i) When the bank transfers its NPAs to transferee(s) other than ARCs, the same are removed from the books on receipt of the entire transfer consideration.

(ii) If the transfer to transferee(s) other than ARCs is at a price below the net NBV at the time of transfer, the shortfall is debited to the profit and loss account of the year in which transfer has taken place.

(iii) If the sale consideration is for a value higher than the NBV at the time of transfer, the excess provisions has been reversed.

(c) The excess amount received, if any, over & above memoranda dues is credited proportionately to the respective heads of Income Interest on Loans and Advances say Income Interest on CC/ Term Loan, etc.

In case, the excess amount is to be returned subsequently due to, e.g., DRT/Court orders or any other eventuality, the same head is debited to refund the excess amount recovered.

5.4 Restructured Assets:

For restructured/rescheduled advances, provisions are made in accordance with guidelines issued by RBI from time to time. Provision for diminution in fair value of restructured advances is measured at net present value terms as per RBI guidelines for accounts where total dues to the bank are Rupees One Crore and above. For other accounts, the provision for diminution in fair value is computed notionally at 5% of total exposure to the bank as per RBI guidelines.

5.5 In addition to the specific provision on NPAs, general provisions are also made for standard assets as per extant RBI Guidelines. These provisions are reflected in Schedule 5 of the Balance Sheet under the head 'Other Liabilities & Provisions – Others' and are not considered for arriving at the Net NPAs.

5.6 Amounts recovered against debts written-off in earlier years

को उधारकर्ता की वर्तमान स्थिति के संदर्भ में अब आवश्यक नहीं समझा गया है और इसे लाभ–हानि खाते में लिया जाता है।

5.7 कंट्री एक्सपोजर के लिए प्रावधान:

आस्ति वर्गीकरण स्थिति के अनुसार किए गए विशिष्ट प्रावधानों के अतिरिक्त, किसी देश के एक्सपोजर (अपने देश के अलावा) के लिए भी प्रावधान किए जाते हैं। देशों को सात जोखिम श्रेणियों अर्थात् मामूली, कम, कम मध्यम, मध्यम, उच्च मध्यम, उच्च और बहुत उच्च में वर्गीकृत किया जाता है और प्रावधान आरबीआई के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार किए जाते हैं। प्रत्येक देश के मामले में, यदि बैंक का देश एक्सपोजर (निवल) कुल वित्तपोषित आस्तियों के 1% से अधिक नहीं है, तो ऐसे देश एक्सपोजर पर कोई प्रावधान नहीं रखा जाता है। यह प्रावधान तुलन पत्र की अनुसूची 5 में 'अन्य देयताएं और प्रावधान' – 'अन्य'' के अंतर्गत प्रदर्शित किया गया है।

5.8 भारतीय कंपनियों की स्टेप डाउन अनुषंगियों के सभी एक्सपोजर का प्रतिनिधित्व करने वाली मानक आस्तियों के विरुद्ध 2% का अतिरिक्त प्रावधान (कंट्री एक्सपोजर प्रावधान के अतिरिक्त जो सभी ओवरसीज जोखिमों पर लागू है) किया गया है, ताकि संरचना की जटिलता होने से उत्पन्न अतिरिक्त जोखिम को कवर किया जा सके, विभिन्न क्षेत्राधिकारों में विभिन्न मध्यस्थ संस्थाओं की अवस्थिति होने से भारतीय कंपनी और उससे काफी हद तक राजनीतिक और नियामक जोखिम के लिए बैंक एक्सपोजर हो सकता है। (आरबीआई परिपत्र संख्या आरबीआई/2015.16/279 डीबीआर. आईबीडी.बीसी संख्या 68/23.37.001/2015–16 दिनांक 31.12.2015 के अनुसार)।

5.9 अस्थायी प्रावधान:

अस्थायी प्रावधान के निर्माण और उपयोग के लिए बैंक की अपनी नीति है। इस प्रकार बनाए गए अस्थायी प्रावधान का उपयोग केवल भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्व अनुमति के साथ बैंक बोर्ड की मंजूरी प्राप्त करने के बाद नीति में निर्दिष्ट असाधारण परिस्थितियों में आकस्मिकताओं के लिए किया जा सकता है। अस्थायी प्रावधान को अग्रिमों से इस सीमा तक घटाया जाता है कि इसे टियर 2 पूंजी के रूप में नहीं माना जाता है।

## 6. संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण:

6.1 उन परिसरों के अतिरिक्त, जिनका पुनर्मूल्यांकन बैंक की नीति के अनुसार अर्थात प्रत्येक तीन वर्ष मे, हो चुका है, संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण का विवरण परंपरागत लागत में से, जहां भी लागू हो, संचित मूल्यह्रास/परिशोधन घटाकर दिया गया है पुनर्मूल्यांकन पर मूल्यवृद्धि को पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि में जमा किया जाता है और पुनर्मूल्यांकित राशि के कारण वृद्धिशील मूल्यह्रास को उसमें से घटा दिया जाता है।

6.2 सॉफ्टवेयर को पूंजीकृत कर अमूर्त आस्तियों के साथ जोड़ दिया गया है।

6.3 लागत में खरीद की लागत और साइट की तैयारी, संस्थापना लागत और पूंजीकरण के समय तक आस्ति पर खर्च की गई व्यवसायिक फीस जैसे सभी व्यय शामिल हैं। आस्तियों पर खर्च किए गए परिवर्ती व्यय/यों केवल तभी पूंजीकृत किए जाते हैं जब ऐसी आस्तियों से या उनकी कार्यक्षमता से भविष्य के लाभ में वृद्धि होती है।

and provisions no longer considered necessary in the context of the current status of the borrower are recognized in the profit and loss account.

5.7 Provision for Country Exposure:

In addition to the specific provisions held according to the asset classification status, provisions are also made for individual country exposures (other than the home country). Countries are categorized into seven risk categories, namely, insignificant, low, moderately low, moderate, moderately high, high and very high, and provisioning made as per extant RBI guidelines. If the country exposure (net) of the Bank in respect of each country does not exceed 1% of the total funded assets, no provision is maintained on such country exposures. The provision is reflected in Schedule 5 of the Balance Sheet under the 'Other Liabilities & Provisions – Others'.

5.8 An additional provision of 2% (in addition to country risk provision that is applicable to all overseas exposures) against standard assets representing all exposures to step down subsidiaries of Indian Corporates has been made to cover the additional risk arising from complexity in the structure, location of different intermediary entities in different jurisdictions exposing the Indian Company, and hence the Bank, to a greater political and regulatory risk. (As per RBI Cir.No. RBI/2015.16/279 DBR. IBD.BC No. 68/ 23.37.001/ 2015-16 dated 31.12.2015).

5.9 Floating Provision:

The Bank has a policy for creation and utilisation of floating provision. The floating provision, so created can be utilised only for contingencies under extraordinary circumstances specified in the policy after obtaining Bank's Board approval and with prior permission of Reserve Bank of India. Floating provision is netted off from advances to the extent it is not treated as Tier 2 capital.

## 6. PROPERTY, PLANT & EQUIPMENT:

6.1 Property, Plant & Equipment are stated at historical cost less accumulated depreciation/amortization, wherever applicable, except those premises, which have been revalued in terms of Bank's policy, i.e., every three years. The appreciation on revaluation is credited to revaluation reserve and incremental depreciation attributable to the revalued amount is deducted there from.

6.2 Software is capitalized and clubbed under Intangible assets.

6.3 Cost includes cost of purchase and all expenditure such as site preparation, installation costs and professional fees incurred on the asset till the time of capitalization. Subsequent expenditure/s incurred on the assets are capitalized only when it increases the future benefits from such assets or their functioning capability.

6.4 मूल्यह्रास

क. आस्तियों (भूमि सहित, जहां मूल्य पृथक नहीं किया जा सकता) पर मूल्यह्रास के लिए प्रावधान आस्ति की प्रत्याशित आयु पर सीधी रेखा पद्धति के अनुसार किया जाता है । कम्प्यूटरों को छोडकर जहां इसकी गणना भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित दर पर सीधी रेखा पद्धति से की जाती है।

ख . ऐसी आस्तियों पर मूल्यह्रास निम्नलिखित दरों पर किया गया है:

| विवरण | मूल्यह्रास की दर |
|---|---|
| **परिसर** | |
| **फ्रीहोल्ड संपत्ति** | |
| **भूमि** | **शून्य** |
| निर्माण लागत पर प्रदान की जाने वाली मूल्यह्रास दर जहां भूमि की लागत अलग की गई है और कुल लागत पर जहां भूमि लागत सुनिश्चित नहीं की जा सकती है और उसे अलग नहीं किया जा सकता है | 2.50% (40 वर्ष सीधी रेखा पद्धति या शेष अवधि जो भी कम हो) |
| स्थायी पट्टे पर अधिग्रहित भूमि, जहां पट्टे की अवधि का उल्लेख नहीं किया गया हो | शून्य |
| पट्टे पर ली गई भूमि जहां पट्टे की अवधि का उल्लेख किया गया हो | पट्टे की अवधि पर |
| **भवन** | |
| फ्रीहोल्ड भूमि तथा पट्टे पर ली गई भूमि पर निर्मित, जहां पट्टे की अवधि 40 वर्ष से अधिक है | 2.50% |
| पट्टे पर ली गई भूमि पर निर्मित जहां पट्टे की अवधि 40 वर्ष से कम है | पट्टे की अवधि पर |
| **परिसरों के अतिरिक्त अचल आस्तियाँ** | |
| फर्नीचर और फिक्सचर्स– स्टील के सामान | 5.00% |
| फर्नीचर और फिक्सचर–लकड़ी के सामान | 10.00% |
| गद्दे | 20.00% |
| मोबाइल फोन उपकरण | 33.33% |
| मशीनरी, बिजली और विविध वस्तुएं | 15.00% |
| मोटर कारें और साइकिलें | 15.00% |
| कंप्यूटर, एटीएम और संबंधित वस्तुएं, लैपटॉप, आईपैड, आदि सर्वर, नेटवर्क, उपकरण एवं स्वचालित टेलर मशीनें (कंप्यूटर हार्डवेयर का अनिवार्य भाग सॉफ्टवेयर निर्माण के साथ) | 33.33% |
| सॉफ्टवेयर (कंप्यूटर हार्डवेयर के अनिवार्य भाग वाले सॉफ्टवेयर को छोड़कर) | 33.33% |
| ₹25,000/– से कम राशि वाली कार्यालय की अचल आस्तियाँ तथा/या जिनका उपयोगी जीवन अधिग्रहण की तिथि से 12 माह से कम है, को व्यय के रूप में माना जाता है (स्टाफ तथा रुपए 1,500/– से कम लागत वाली मदों के अतिरिक्त, जिन्हे अलग से प्रयोग किया जा सकता है)। ₹1,500/– से कम लागत वाली प्रत्येक आस्ति की खरीद का वर्ष में 100% की दर से मूल्यह्रास किया जाता है।<br>₹25,000/– तक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर/ऑपरेटिंग सिस्टम/डेटा बेस की लागत पर राजस्व प्रभारित किया जाता है। | |

ग. बैंक के अपने परिसर के अतिरिक्त नई आस्तियों पर मूल्यह्रास की दर उस दिन से प्रदान की जाती है जिस दिन आस्तियों को पूंजीकृत किया जाता है और वर्ष के दौरान बेची गई/निपटान की गई आस्तियों के मामले में, उस तारीख तक जब उन्हें बेचा/निपटान किया जाता है।

6.4 Depreciation:

A. Depreciation on assets (including land where value is not separable) is provided on straight-line method based on estimated life of the asset, except in respect of computers where it is calculated on the straight-line method, at the rates prescribed by RBI.

B. Depreciation on assets has been provided at the rates furnished below:

| Particulars | Rate of Depreciation |
|---|---|
| **PREMISES** | |
| **Freehold Properties** | |
| Land | NIL |
| Depreciation to be provided on Construction Cost where the land cost is segregated and on total cost where the land cost is not ascertainable and cannot be segregated | 2.50% (40 years Straight Line Method or remaining life whichever is lower) |
| Land acquired on perpetual lease where no lease period is mentioned | NIL |
| Land acquired on lease where lease period is mentioned | Over lease period |
| Building | |
| Constructed on free hold land and on leased land, where lease period is above 40 years | 2.50% |
| Constructed on leased land where lease period is below 40 years | Over lease period |
| **FIXED ASSETS EXCEPT PREMISES** | |
| Furniture and fixtures- Steel articles | 5.00% |
| Furniture and fixtures-wooden articles | 10.00% |
| Mattresses | 20.00% |
| Mobile Phone Instruments | 33.33% |
| Machinery, electrical and miscellaneous articles | 15.00% |
| Motor cars and cycles | 15.00% |
| Computers, ATMs and related items, Laptop, I- pad, etc., Servers, Network, Equipment & Automated Teller Machines (Including software forming an integral part of computer hardware) | 33.33% |
| Software (excluding software forming an integral part of computer hardware) | 33.33% |
| Items of office fixed assets amounting less than Rs. 25,000/- and / or having useful life of less than 12 months from the date of acquisition are recognized as expense (except to staff and items costing more than Rs.1,500/- which can be separately used). Assets costing less than Rs.1,500/- each are depreciated @100% in the year of purchase.<br>Cost of Application Software / Operating System / Data base amounting up to Rs. 25,000/- are charged to revenue. | |

C. Depreciation on fresh additions to assets other than Bank's own premises is provided from the day in which the assets are capitalized and in the case of assets sold/disposed-off during the year, up to the date in which it is sold/ disposed-off.

घ. वर्ष के अंत में मौजूद बैंक के अपने स्वामित्व परिसरों पर मूल्यह्रास पूरे वर्ष के लिए प्रभारित किया जाता है। निर्माण लागत का मूल्यह्रास तभी किया जाता है जब भवन सभी प्रकार से पूरा हो जाता है। जहां भूमि और भवन की लागत का अलग से पता नहीं लगाया जा सकता है, वहाँ मूल्यहास भवन पर लागू दर से समग्र लागत पर की जाती है।

ङ. पट्टाधारित परिसर के संबंध में, पट्टा प्रीमियम, यदि कोई हो, पट्टे की सम्पूर्ण अवधि पर परिशोधित है और पट्टा किराया संबंधित वर्ष(वर्षों) में प्रभारित किया जाता है।

च. पुनर्मूल्यांकित आस्तियों के मूल्यह्रास की दर पुनर्मूल्यांकन के समय निर्धारित की गई आस्तियों के शेष उपयोगी आयु के आधार पर निश्चित की जाती है।

**7. आस्तियों की अपसामान्यता**

आस्तियों की रख–रखाव लागत को आंतरिक/बाह्य तथ्यों के आधार पर कोई अपसामान्यता दिखाई देने पर प्रत्येक तुलन पत्र तिथि को समीक्षित किया जाता है। एक अपसामान्य हानि तभी मानी जाती है जहां एक आस्ति की रख–रखाव लागत इसकी वसूली राशि से ज्यादा होती है । वसूली योग्य राशि आस्ति की निवल बिक्री कीमत और उपयोगिता मूल्य से ज्यादा होती है । उपयोगिता मूल्य के निर्धारण मे, अनुमानित भावी नकदी प्रवाह कर पूर्व मे छूट दर में प्रयुक्त उसके वर्तमान मूल्य को घटाया जाता है जो उस समय धन के वर्तमान बाजार मूल्य और आस्ति के वर्गीकृत जोखिमों को दर्शाता है।

अपसामान्यता के पश्चात, यदि कोई है, मूल्यहास आस्ति की शेष उपयोगी अवधि मे संशोधित रख–रखाव लागत पर किया जाता है। पूर्व में हुई अपसामान्यता हानि परिस्थितियों में परिवर्तन के आधार पर बढ़ाई या रिवर्स की जाती है। हालाँकि, रिवर्सल के बाद रखाव मूल्य उस रखाव मूल्य से ऊपर नहीं बढ़ता है जो यदि कोई अपसामान्यता नहीं हो तो सामान्य मूल्यहास प्रभारित करके विद्यमान होगा।

दावा पूर्ति मे प्राप्त गैर–बैंकिंग आस्तियों के संबंध में यदि कोई अपसामान्यता होती है, तो तत्काल उसे लाभ–हानि विवरण में व्यय के रूप में माना जाता है तथा गैर–बैंकिंग आस्तियों के अग्रणीत मूल्य को समायोजित किया जाता है।

**8. रोजगार लाभः**

**भविष्य निधिः**

भविष्य निधि एक सुपरिभाषित अंशदान योजना है क्योंकि बैंक पूर्व–निर्धारित दरों पर निश्चित अंशदान का भुगतान करता है। बैंक का दायित्व ऐसे निश्चित अंशदान तक सीमित है। अंशदान को लाभ और हानि खाते में प्रभारित किया जाता है।

**उपदानः**

उपदान देयता एक सुपरिभाषित लाभ दायित्व है और बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर प्रदान किया जाता है। यह योजना बैंक द्वारा वित्तपोषित है और एक अलग ट्रस्ट द्वारा प्रबंधित की जाती है।

**पेंशनः**

पेंशन देयता एक सुपरिभाषित लाभ दायित्व है और बीमांकिक मूल्यांकन

D. The depreciation on bank's own premises existing at the close of the year is charged for full year. The construction cost is depreciated only when the building is complete in all respects. Where the cost of land and building cannot be separately ascertained, depreciation is provided on the composite cost, at the rate applicable to buildings.

E. In respect of leasehold premises, the lease premium, if any, is amortized over the period of lease and the lease rent is charged in the respective year(s).

F. The Revalued assets are depreciated over the balance useful life of the asset as assessed at the time of revaluation.

**7. IMPAIRMENT OF ASSETS:**

The carrying costs of assets are reviewed at each Balance Sheet date if there is any indication of impairment based on internal/external factors, an impairment loss is recognized wherever the carrying cost of an asset exceeds its recoverable amount. The recoverable amount is the greater of the assets net selling price and value in use. In assessing value in use, the estimated future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and risks specific to the asset.

After impairment, if any, depreciation is provided on the revised carrying cost of the asset over its remaining useful life. A previously recognized impairment loss is increased or reversed depending on changes in circumstances. However, the carrying value after reversal is not increased beyond the carrying value that would have prevailed by charging usual depreciation if there was no impairment.

Impairment loss, if any, in respect of non-banking assets acquired in satisfaction of claims is recognized as an expense in the statement of profit and loss immediately and carrying value of Non-Banking Assets is adjusted.

**8. EMPLOYMENT BENEFITS:**

**PROVIDENT FUND:**

Provident fund is a defined contribution scheme as the Bank pays fixed contribution at pre-determined rates. The obligation of the Bank is limited to such fixed contribution. The contribution is charged to Profit & Loss A/c.

**GRATUITY:**

Gratuity liability is a defined benefit obligation and is provided for on the basis of an actuarial valuation. The scheme is funded by the Bank and is managed by a separate trust.

**PENSION:**

Pension liability is a defined benefit obligation and is provided

के आधार पर प्रदान की जाती है। यह योजना बैंक द्वारा वित्तपोषित है और एक अलग ट्रस्ट द्वारा प्रबंधित की जाती है।

बैंक 01.04.2010 को या उसके बाद बैंक मे कार्यग्रहण करने वाले सभी अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए एक नई पेंशन योजना (एनपीएस) संचालित कर रहा है। योजना के अनुसार, कवर किए गए कर्मचारी अपने मूल वेतन और महंगाई भत्ते के 10% के साथ–साथ अपने मूल वेतन और महंगाई भत्ते को 14% के अंशदान के साथ योजना मे योगदान करते हैं । संबंधित कर्मचारियों की पंजीकरण प्रक्रिया पूरी होने तक, ये अंशदान रखे जाते हैं। बैंक ऐसे वार्षिक अंशदान को उस वर्ष के व्यय के रूप में मानता है, जिससे वे संबंधित हैं। स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या (PRAN) प्राप्त होने पर, समेकित योगदान राशि एनपीएस ट्रस्ट में अंतरित कर दी जाती है।

**क्षतिपूर्ति अनुपस्थितियां:**

उपचित क्षतिपूर्ति अनुपस्थितियां जैसे अर्जित छुट्टियाँ (पीएल – सेवानिवृत्ति) और बीमारी छुट्टी (अप्रयुक्त आकस्मिक छुट्टी सहित) को बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर प्रदान किया जाता है। अर्जित अवकाश (पीएल – सेवानिवृत्ति) की योजना बैंक द्वारा वित्तपोषित है और एक अलग ट्रस्ट द्वारा प्रबंधित की जाती है।

सेवानिवृत्ति के अतिरिक्त, अन्य अर्जित छुट्टी (पीएल) नकदीकरण का भुगतान सीधे बैंक व्यय खाते से किया जा रहा है।

**अन्य कर्मचारी लाभ:**

अन्य कर्मचारी लाभ, जैसे छुट्टी किराया रियायत (एलएफसी), रजत जयंती पुरस्कार इत्यादि, बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर प्रदान किए जाते हैं।

विदेशी शाखाओं और कार्यालयों के संबंध में, प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारियों के अतिरिक्त अन्य कर्मचारियों के लाभ संबंधित देश में प्रचलित कानून के अनुसार मूल्यांकित एवं लेखांकित किए गए है।

कर्मचारी लाभों के लिए परिभाषित लाभ दायित्वों के लिए प्रयुक्त मूल्यांकन पद्धति 'प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट पद्धति' है।

**9. विदेशी मुद्रा से संबन्धित लेनदेनों का परिवर्तन एवं शेष**

विदेशी विनिमय मे शामिल लेनदेन लेखामानक 11, 'विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन का प्रभाव' के अनुसार लेखांकित किए जाते है।

9.1 पूर्ववर्ती लंदन शाखाओं के अग्रिमों को छोड़कर, जिनका लेखांकन भारत में अंतरण की तिथि को लागू विनिमय दर पर किया जाता है, भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (एफईडीएआई) के दिशानिर्देशों के अनुसार तुलन पत्र तिथि पर विनिमय दरों के आधार पर अन्य सभी मौद्रिक आस्तियों और देयताओं, गारंटियों, स्वीकृतियों, पृष्ठांकनों व अन्य दायित्वों को प्रारम्भिक रूप से कल्पित दर पर दर्ज किया जाता है और समतुल्य भारतीय रुपये में परिवर्तित किया जाता है।

9.2 अचल आस्तियों जिसे परंपरागत दर पर रखा जाता है, से इतर गैर–मौद्रिक मदों को लेनदेन की तिथि को प्रभावी विनिमय दर पर परिवर्तित किया जाता है।

for on the basis of an actuarial valuation. The scheme is funded by the Bank and is managed by a separate trust.

The Bank operates a New Pension Scheme (NPS) for all officers/ employees who have joined the Bank on or after 01.04.2010. As per the scheme, the covered employees contribute 10% of their basic pay plus dearness allowance to the scheme together with contribution of 14% of their basic pay plus dearness allowance from the Bank. Pending completion of the registration procedures of the employees concerned, these contributions are retained. The Bank recognizes such annual contributions as an expense in the year to which they relate. Upon the receipt of the Permanent Retirement Account Number (PRAN), the consolidated contribution amounts are transferred to the NPS Trust.

**COMPENSATED ABSENCES:**

Accumulating compensated absences such as Privilege Leave (PL - Superannuation) and Sick Leave (including unavailed casual leave) are provided for based on actuarial valuation. The scheme for Privilege Leave (PL - Superannuation) is funded by the Bank and is managed by a separate trust.

Privilege Leave (PL) encashment other than superannuation are being paid from Bank expenditure account directly.

**OTHER EMPLOYEE BENEFITS:**

Other Employee Benefits such as Leave Fare Concession (LFC), Silver Jubilee Award, etc., are provided for based on actuarial valuation.

In respect of overseas branches and offices, the benefits in respect of employees other than those on deputation are accounted for as per laws prevailing in the respective countries.

The valuation method used for defined benefit obligations for employee benefits is 'Projected Unit Credit Method'.

**9. TRANSLATION OF FOREIGN CURRENCY TRANSACTIONS & BALANCES:**

Transactions involving foreign exchange are accounted for in accordance with AS 11, 'The Effect of Changes in Foreign Exchange Rates'.

9.1 Except advances of erstwhile London branches which are accounted for at the exchange rate prevailing on the date of parking in India, all other monetary assets and liabilities, guarantees, acceptances, endorsements and other obligations are translated in Indian Rupee equivalent at the exchange rates prevailing as on the Balance Sheet date as per Foreign Exchange Dealers' Association of India (FEDAI) guidelines.

9.2 Non-monetary items other than fixed assets which are carried at historical cost are translated at exchange rate prevailing on the date of transaction.

9.3 बकाया विदेशी विनिमय स्पॉट और वायदा संविदाओं को भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ द्वारा तुलन पत्र तिथि पर अधिसूचित विनिमय दरों पर परिवर्तित किया जाता है और परिवर्तन पर परिणामी लाभ/हानि को लाभ और हानि खाते में ले जाया जाता है।

तुलन पत्र की तिथि पर बकाया फंडिंग स्वैप भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ पुनर्मूल्यांकन दिशा–निर्देशों के दायरे से बाहर है। वायदा विनिमय अनुबंध के आरंभ में मिलने वाले प्रीमियम या छूट को अनुबंध के अंत में ब्याज व्यय या आय के रूप में परिशोधित किया जाता है।

9.4 आय तथा व्यय मदों का लेखांकन लेनदेन की तिथि को प्रभावी विनिमय दर पर किया जाता है।

मौद्रिक मदों के निपटान पर उनसे भिन्न दरों पर उत्पन्न विनिमय अंतर, जिस पर उन्हें आरंभ में दर्ज किया गया था, उस अवधि में, जिसमें वे उत्पन्न हुये,आय या व्यय के रूप में माने जाते हैं।

मुद्रा फ्यूचर व्यापार में खुली स्थिति के विनिमय दरों में परिवर्तन के कारण खाते मे लाभ/हानि का निपटान दैनिक आधार पर विनिमय समाशोधन गृह के साथ किया जाता है और ऐसे लाभ/हानि को लाभ व हानि खाते में लिया जाता है।

9.5 विदेशी शाखाएँ/अपतटीय बैंकिंग इकाइयाँ:

(i) विदेशी शाखाओं और अपतटीय बैंकिंग इकाई के परिचालन को 'गैर समाकलित विदेशी परिचालन' के रूप में वर्गीकृत किया गया है और विदेश में प्रतिनिधि कार्यालयों के परिचालन को 'समाकलित विदेशी परिचालन' के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

(ii) समाकलित विदेशी परिचालनों और गैर– समाकलित विदेशी परिचालनों के विदेशी मुद्रा लेनदेन का लेखांकन लेखामानक –11 द्वारा मे दिये गए निर्धारण के अनुसार किया जाता है।

(iii) गैर– समाकलित परिचालनों के लाभ/हानि के परिणामस्वरूप होने वाले विनिमय उतार–चढ़ाव को विनिमय उतार–चढ़ाव प्रारक्षित निधि में जमा/नामे किया जाता है।

**10. आय पर कर**

आयकर व्यय, न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी) सहित, जहाँ भी लागू हो, वर्तमान कर की कुल राशि एवं बैंक द्वारा किया गया आस्थगित कर व्यय है। वर्तमान कर और आस्थगित कर का निर्धारण आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों और लेखांकन मानक 22 – मे क्रमश: विदेशी कार्यालयों में भुगतान किए गए करों को ध्यान में रखते हुए आय पर करों के लिए लेखांकन किया जाता है, जो संबंधित क्षेत्राधिकार के कर नियमों पर आधारित होते हैं।

एमएटी क्रेडिट को केवल तभी आस्ति के रूप में मान्यता दी जाती है जब और जिस सीमा तक इस बात के ठोस प्रमाण हों कि आयकर अधिनियम, 1961 के तहत निर्दिष्ट अवधि के दौरान सामान्य आयकर का भुगतान किया जाएगा।

आस्थगित कर समायोजन में वर्ष के दौरान आस्थगित कर आस्तियों या देयताओं में हुआ परिवर्तन शामिल होता है। आस्थगित कर आस्तियों और देयताओं को वर्तमान वर्ष के लिए कर योग्य आय और लेखांकन आय

9.3 Outstanding Foreign Exchange Spot and Forward contracts are translated as on the Balance Sheet date at the rates notified by FEDAI and the resultant gain/loss on translation is taken to Profit & Loss Account.

Funding Swaps that are outstanding on the Balance Sheet date is out of purview of FEDAI revaluation guidelines. The premium or discount arising at the inception of such a forward exchange contract is amortized as interest expense or income over the life of the contract.

9.4 Income and expenditure items are accounted for at the exchange rate prevailing on the date of transaction.

Exchange differences arising on the settlement of monetary items at rates different from those at which they were initially recorded are recognized as income or as expense in the period in which they arise.

Gains/Losses on account of changes in exchange rates of open position in currency futures trades are settled with the exchange clearing house on daily basis and such gains/losses are recognized in the Profit and Loss Account.

9.5 Offices outside India / Offshore Banking Units:

(i) Operations of foreign branches and off shore banking unit are classified as 'Non-integral foreign operations' and operations of representative offices abroad are classified as 'integral foreign operations'.

(ii) Foreign currency transactions of integral foreign operations and non-integral foreign operations are accounted for as prescribed by AS-11.

(iii) Exchange Fluctuation resulting into Profit / loss of non-integral operations is credited /debited to Exchange Fluctuation Reserve.

**10. TAXES ON INCOME**

Income tax expense is the aggregate amount of current tax including Minimum Alternate Tax (MAT), wherever applicable and deferred tax expense incurred by the Bank. The current tax and deferred tax are determined in accordance with the provisions of the Income Tax Act, 1961 and as per Accounting Standard 22 - Accounting for Taxes on Income respectively after taking into account taxes paid at the foreign offices, which are based on the tax laws of respective jurisdictions.

MAT credit is recognized as an asset only when and to the extent there is convincing evidence that there will be payment of normal income tax during the period specified under the Income Tax Act, 1961.

Deferred Tax adjustments comprises of changes in the deferred tax assets or liabilities during the year. Deferred tax assets and liabilities are recognized by considering the impact

के बीच समय अंतराल के प्रभाव को ध्यान मे रखते हुये तय की जाती है । आस्थगित कर आस्तियों और देयताओं की गणना मे कर दरों और कर नियमों का प्रयोग, जो कि तुलन पत्र की तिथि मे अधिनियमित या वास्तविक रूप से अधिनियमित किया गया हो, किया जाता है। आस्थगित कर आस्तियों और देयताओं में परिवर्तन के प्रभाव लाभ और हानि खाते में दिखता है। आस्थगित कर आस्तियों को प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर पुनरू आकलित किया जाता है, जो प्रबंधन के निर्णय पर आधारित होता है कि क्या उनकी वसूली उचित/वस्तुतः निश्चित मानी गई है।

**11. प्रति शेयर आयः**

बैंक की प्रति शेयर आधारभूत और ह्रासित आय की आईसीएआई द्वारा जारी AS 20 – 'प्रति शेयर आय' के अनुसार होती है। आधारभूत प्रति शेयर आय की गणना वर्ष के लिए इक्विटी शेयरधारकों को कर के बाद शुद्ध लाभ को वर्ष के लिए बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित करके की जाती है।

प्रति शेयर ह्रासित आय उस संभावित कमजोर क्षमता को दर्शाती है जो तब हो सकती है जब वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर जारी करने के लिए प्रतिभूतियों या अन्य अनुबंधों का प्रयोग किया गया या उन्हें परिवर्तित किया गया। प्रति शेयर ह्रासित आय की गणना इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या और बकाया ह्रासित संभावित इक्विटी शेयरों का उपयोग करके की जाती है।

**12. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं तथा आकस्मिक आस्तियां:**

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी एएस 29, 'प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियां' के अनुरूप, बैंक प्रावधानों को केवल तभी मान्यता देता है, जब किसी पूर्व घटना के परिणामस्वरूप उसका कोई वर्तमान दायित्व हो, और यह संभावना हो कि दायित्व निपटान के लिए आर्थिक लाभ वाले संसाधनों के बहिर्गमन की आवश्यकता है तथा दायित्व की विश्वसनीय राशि का अनुमान लगाया जा सकता हो।

आकस्मिक देयता पैसे के संदर्भ मे, एक संभावित देयता है, जो किसी अनिश्चित विशिष्ट घटना के परिणाम के आधार पर उत्पन्न हो सकती है। एक संभावित दायित्व जो भविष्य की घटना के आधार पर प्रकट हो भी सकता है और नहीं भी, उसे आकस्मिक देयता के रूप में मान्यता दी गई है।

इसके अलावा, जो मामले हालांकि बैंक के खिलाफ दायर किए गए हैं, लेकिन उन मामलों में बैंक पर किसी भी दायित्व के उत्पन्न होने की संभावना कम है, उन्हें आकस्मिक देयता में शामिल नहीं किया गया है।

आकस्मिक आस्तियों को वित्तीय विवरणों में मान्यता नहीं दी जाती है।

**13. बुलियन लेनदेनः**

बैंक अपने ग्राहकों को, विक्रय के लिए प्रेषण आधार पर बहुमूल्य मेटल बार सहित बुलियन का आयात करता है। आयात विशेषतः बैक–टू–बैक आधार पर होता है और ग्राहक द्वारा आपूर्तिकर्ता द्वारा अंकित मूल्य के आधार पर कीमत दी जाती है। बैंक ऐसे बुलियन लेनदेन पर शुल्क अर्जित करता है।

of timing differences between taxable income and accounting income for the current year, and carry forward losses. Deferred tax assets and liabilities are measured using tax rates and tax laws that have been enacted or substantively enacted at the balance sheet date. The impact of changes in deferred tax assets and liabilities is recognized in the profit and loss account. Deferred tax assets are recognized and re-assessed at each reporting date, based upon management's judgment as to whether their realization is considered as reasonably/ virtually certain.

**11. EARNINGS PER SHARE:**

The Bank reports basic and diluted earnings per share in accordance with AS 20 - 'Earnings per Share' issued by the ICAI. Basic Earnings per Share is computed by dividing the Net Profit after Tax for the year attributable to equity shareholders by the weighted average number of equity shares outstanding for the year.

Diluted Earnings per Share reflects the potential dilution that could occur if securities or other contracts to issue equity shares were exercised or converted during the year. Diluted Earnings per Share is computed using the weighted average number of equity shares and dilutive potential equity shares outstanding.

**12. PROVISIONS, CONTINGENT LIABILITIES AND CONTINGENT ASSETS:**

In conformity with AS 29, 'Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets', issued by the Institute of Chartered Accountants of India, the Bank recognizes provisions only when it has a present obligation as a result of a past event, and it is probable that outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, and when a reliable estimate of the amount of the obligation can be made.

A Contingent Liability is a potential liability, in terms of money, which may arise depending on the outcome of an uncertain specific event. A possible obligation which may or may not arise depending on how a future event unfolds has been recognized as Contingent Liability.

Further, the cases which although have been filed against the Bank, but possibility of any obligation arising upon the Bank in those case is remote, have not been construed and included in Contingent Liability.

Contingent Assets are not recognized in the financial statements.

**13. BULLION TRANSACTIONS:**

The Bank imports bullion including precious metal bars on a consignment basis for selling to its customers. The imports are typically on a back-to-back basis and are priced to the customer based on price quoted by the supplier. The Bank earns a fee on such bullion transactions.

शुल्क को कमीशन आय के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। बैंक स्वर्ण जमा भी स्वीकार करता है और उस पर ऋण भी देता है, जिसे प्रदत्त/प्राप्त ब्याज के साथ ब्याज व्यय/आय के रूप में वर्गीकृत कर जमाराशि/अग्रिम के रूप में माना जाता है ।

**14. खंड रिपोर्टिंग:**

बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों और आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन मानक 17 के अनुपालन में, व्यवसाय खंड को प्राथमिक रिपोर्टिंग खंड और भौगोलिक खंड को द्वितीयक रिपोर्टिंग खंड के रूप में मान्यता देता है।

बैंक, आरबीआई परिपत्र FIDD-CO-Plan-BC-23/04.09.01/2015–16 दिनांक 7 अप्रैल, 2016 के अनुसार, पीएसएलसी को विक्रय या क्रय कर प्राथमिकता क्षेत्र पोर्टफोलियो में व्यापार करता है। इन लेन–देन में जोखिम या ऋण आस्तियों का कोई हस्तांतरण नहीं होता है। पीएसएलसी के क्रय के लिए भुगतान किया गया शुल्क श्व्ययश के रूप में माना जाता है और पीएसएलसी की बिक्री से प्राप्त शुल्क को श्अन्य आयश के रूप में माना जाता है।

**16. नकद एवं नकद समतुल्य**

नकद और नकद समतुल्य में शामिल हैं:

क) भारतीय रिजर्व बैंक के पास नकद और जमा शेष, बैंक के पास जमा शेष और मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि।

ख) रिवर्स रेपो में शेष राशि आरबीआई द्वारा दिए गए दिशा–निर्देशों के अनुसार रिपोर्ट की जाती है (अर्थात, अनुसूची 6, अनुसूची 7 और अनुसूची 9 के तहत, जैसा लागू हो)। बैंक द्वारा स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ) के तहत रखी गई शेष राशि भी इसी तरह रिपोर्ट की जाती है।

The fee is classified under commission income. The Bank also accepts deposits and lends gold, which is treated as deposits/ advances as the case may be with the interest paid / received classified as interest expense/income.

**14. SEGMENT REPORTING:**

The Bank recognizes the Business segment as the Primary reporting segment and Geographical segment as the Secondary reporting segment, in accordance with the RBI guidelines and in compliance with the Accounting Standard 17 issued by ICAI.

15. The Bank, in accordance with RBI Circular FIDD.CO.Plan. BC.23/ 04.09.01/ 2015-16 dated April 7, 2016, trades in Priority Sector portfolio by selling or buying PSLC. There is no transfer of risks or loan assets in these transactions. The fee paid for purchase of the PSLC is treated as an 'Expense' and the Fee received from sale of PSLCs is treated as 'Other Income'.

**16. CASH & CASH EQUIVALENTS**

Cash and cash equivalents include:

a) Cash and Balances with RBI, Balances with Bank and money at call and short notice.

b) The balances in Reverse Repo are reported as per the guidelines provided by RBI (i.e., under schedule 6, schedule 7 and schedule 9, as applicable). The balance held by the Bank under Standing Deposit Facility (SDF) is also reported similarly.

## अनुसूची 18 : लेखों से संबंधित टिप्पणियां (एकल) – 31.03.2025

### 1. विनियामक पूंजी

### 1.ए विनियामक पूंजी की संरचना

*(राशि ₹ करोड़ में)*

| क्र.सं. | विवरण | वर्तमान वर्ष | गत वर्ष |
|---|---|---|---|
| i) | सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी (सीईटी 1) (कटौती को घटाकर) | 1,02,015.99 | 81,187.00 |
| ii) | अतिरिक्त टियर 1 पूंजी | 14,218.91 | 15,698.26 |
| iii) | टियर 1 पूंजी (i + ii) | 1,16,234.90 | 96,885.26 |
| iv) | टियर 2 पूंजी | 24,520.01 | 20,581.01 |
| **v)** | **कुल पूंजी (टियर 1+टियर 2)** | **1,40,754.91** | **1,17,466.27** |
| **vi)** | **कुल जोखिम भारित आस्तियां(आरडब्ल्यूए)** | **8,27,667.51** | **7,35,434.54** |
| vii) | सीईटी 1 अनुपात (आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में सीईटी 1) | 12.33% | 11.04% |
| viii) | टियर 1 अनुपात (आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में टियर 1 पूंजी) | 14.05% | 13.17% |
| ix) | टियर 2 अनुपात (आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में टियर 2 पूंजी) | 2.96% | 2.80% |
| x) | पूंजी से जोखिम भारित आस्तियां अनुपात (सीआरएआर) (आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में कुल पूंजी) | 17.01% | 15.97% |
| xi) | लीवरेज अनुपात | 6.01% | 5.95% |
| xii) | भारत सरकार की शेयरधारिता का प्रतिशत | 70.08% | 73.15% |
| xiii) | वर्ष के दौरान जुटाई गई प्रदत्त इक्विटी पूंजी की राशि* | 96.39 (कुल जुटाई गई पूंजी ₹5,000 करोड़) | शून्य |
| xiv) | वर्ष के दौरान जुटाई गई गैर–इक्विटी टियर 1 पूंजी की राशि, जिसमें | शून्य | 6,012.00 |
| | क. बासेल III अनुपालक सतत गैर–संचयी वरीयता शेयर | शून्य | शून्य |
| | ख. बासेल III अनुपालक स्थायी ऋण लिखत | शून्य | 6,012.00 |
| xv) | वर्ष के दौरान जुटाई गई टियर 2 पूंजी की राशि जिसमें बासेल III अनुरूपः | 3,000.00 | 3,090.00 |
| | क. टियर 2 पूंजी के रूप में ऋण पूंजी लिखत | 3,000.00 | 3,090.00 |
| | ख. स्थायी संचयी वरीयता शेयर | शून्य | शून्य |
| | ग. प्रतिदेय गैर–संचयी वरीयता शेयर | शून्य | शून्य |
| | घ. प्रतिदेय संचयी वरीयता शेयर | शून्य | शून्य |

## SCHEDULE 18: NOTES TO ACCOUNTS (STANDALONE) – 31.03.2025

### 1. Regulatory Capital

### 1.a Composition of Regulatory Capital

*(Amount in ₹ Crore)*

| Sr. No. | Particulars | Current Year | Previous Year |
|---|---|---|---|
| i) | Common Equity Tier 1 Capital (CET 1) (Net of deductions) | 1,02,015.99 | 81,187.00 |
| ii) | Additional Tier 1 capital | 14,218.91 | 15,698.26 |
| iii) | Tier 1 capital (i + ii) | 1,16,234.90 | 96,885.26 |
| iv) | Tier 2 capital | 24,520.01 | 20,581.01 |
| **v)** | **Total capital (Tier 1+Tier 2)** | **1,40,754.91** | **1,17,466.27** |
| **vi)** | **Total Risk Weighted Assets (RWAs)** | **8,27,667.51** | **7,35,434.54** |
| vii) | CET 1 Ratio (CET 1 as a percentage of RWAs) | 12.33% | 11.04% |
| viii) | Tier 1 Ratio (Tier 1 capital as a percentage of RWAs) | 14.05% | 13.17% |
| ix) | Tier 2 Ratio (Tier 2 capital as a percentage of RWAs) | 2.96% | 2.80% |
| x) | Capital to Risk Weighted Assets Ratio (CRAR) (Total Capital as a percentage of RWAs) | 17.01% | 15.97% |
| xi) | Leverage Ratio | 6.01% | 5.95% |
| xii) | Percentage of the shareholding of Government of India | 70.08% | 73.15% |
| xiii) | Amount of paid-up equity capital raised during the year* | 96.39 (Total capital raised ₹5,000 Crore) | Nil |
| xiv) | Amount of non-equity Tier 1 capital raised during the year, of which: | Nil | 6,012.00 |
| | a) Basel III compliant Perpetual Non-Cumulative Preference Shares, | Nil | Nil |
| | b) Basel III compliant Perpetual Debt Instruments | Nil | 6,012.00 |
| xv) | Amount of Tier 2 capital raised during the year, of which Basel III compliant: | 3,000.00 | 3,090.00 |
| | a) Debt Capital Instruments as Tier 2 Capital | 3,000.00 | 3,090.00 |
| | b) Perpetual Cumulative Preference Shares | Nil | Nil |
| | c) Redeemable Non-Cumulative Preference Shares | Nil | Nil |
| | d) Redeemable Cumulative Preference Shares | Nil | Nil |

*वर्ष के दौरान, बैंक ने भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (पूंजी निर्गम और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2018 के प्रावधानों के अनुसार, योग्य संस्थागत प्लेसमेंट (क्यूआईपी) के अनुरूप योग्य पात्र खरीदारों को नकद के रूप में 2 रुपये प्रत्येक के अंकित मूल्य वाले 48,19,27,710 इक्विटी शेयर जारी किए हैं, जो 101.75 रुपये प्रति शेयर के प्रीमियम पर लगभग 5,000 करोड़ रुपये है। इसके परिणामस्वरूप जारी और चुकता प्रदत्त शेयर पूंजी में रु. 96.39 करोड़ और शेयर प्रीमियम खाते में 4,891.18 करोड़ रुपये (शेयर निर्गम व्यय के बाद निवल) की वृद्धि हुई है।

आरबीआई ने परिपत्र संख्या DOR.CAP.REC.15/21.06.201/2023–24 दिनांक 12 मई, 2023 के के माध्यम से बैंकों को सीईटी–1 पूंजी अनुपात के रूप में पूंजी पर्याप्तता की गणना के उद्देश्य से पुनर्मूल्यांकन रिजर्व, विदेशी मुद्रा ट्रांसलेशन रिजर्व और आस्थगित कर आस्ति पर विचार करने का विवेकाधिकार दिया है। बैंक ने उपर्युक्त गणना में विकल्प का प्रयोग किया है।

### 1.बी प्रारक्षित निधियों से राशि निकालना

*(राशि ₹ करोड़ में)*

| क्र.सं. | प्रारक्षित निधि | आहरित राशि | | प्रयोजन |
|---|---|---|---|---|
| | | वर्तमान वर्ष | गत वर्ष | |
| 1. | एक्सचेंज उतार–चढ़ाव रिजर्व | 2.22 | 0.00 | विदेशी आस्तियों और देनदारियों का ट्रांसलेशन |
| 2. | पुनर्मूल्यांकन निधि (निवल) | 0.00 | 1.22 | पुनर्मूल्यांकित संपत्ति की वहन लागत में कमी। |
| 3. | निवेश निधि | 386.35 | 0.00 | निवेश रिजर्व निधि का निवेश उतार–चढ़ाव रिजर्व निधि में स्थानांतरण |

### 2. आस्ति देयता प्रबंधन

### 2.ए आस्तियों और देयताओं की कुछ मदों के परिपक्वता स्वरूप वर्तमान अवधि वित्त वर्ष 2024–25

*(राशि ₹ करोड़ में)*

| परिपक्वता अवधि | जमाराशि | अग्रिम | निवेश (सकल) | उधार | विदेशी मुद्रा आस्तियां | विदेशी मुद्रा देयताएं |
|---|---|---|---|---|---|---|
| दिन 1 | 19,966.21 | 3,947.30 | - | 0.57 | 12,690.29 | 1,524.66 |
| 2 से 7 दिन | 40,470.55 | 30,398.33 | 1,449.58 | 33,767.65 | 10,674.13 | 3,492.49 |
| 8 से 14 दिन | 24,437.41 | 21,203.09 | 2,141.95 | 99.38 | 5,411.32 | 4,947.16 |
| 15 से 30 दिन | 34,351.71 | 38,156.20 | 3,760.44 | 2,581.35 | 11,717.15 | 14,440.96 |
| 31 दिन से 2 माह तक | 56,447.79 | 53,121.68 | 9,575.06 | 954.19 | 8,869.12 | 10,961.78 |
| 2 माह से अधिक और 3 माह तक | 57,287.65 | 78,045.50 | 4,130.08 | 693.23 | 8,341.95 | 7,460.77 |

* During the year, the Bank has issued 48,19,27,710 equity shares having Face Value of Rs.2 each for cash to Qualified Eligible Buyers pursuant to Qualified Institutional Placement (QIP) in accordance with the provisions of Securities & Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018, as amended at a premium of Rs.101.75 per share aggregating to Rs.5,000 Crore approx. This has resulted in an increase of Rs.96.39 Crore in the issued and paid-up Equity Share Capital and Rs.4,891.18 Crore (Net of share Issue Expenses) in Share Premium Account.

RBI vide circular no. DOR.CAP.REC.15/21.06.201/2023-24 dated May 12, 2023, has given discretion to banks to consider Revaluation Reserve, Foreign Currency Translation Reserve and Deferred Tax Asset for purpose of computation of Capital Adequacy as CET-1 capital ratio. The Bank has exercised the option in the above computation.

### 1.b Draw down from Reserves

*(Amount in ₹ Crore)*

| Sr. No. | Reserves | Amount drawn | | Purpose |
|---|---|---|---|---|
| | | Current Year | Previous Year | |
| 1. | Exchange Fluctuation Reserve | 2.22 | 0.00 | Translation of overseas assets & liabilities |
| 2. | Revaluation Reserve (Net) | 0.00 | 1.22 | Reduction in carrying cost of revalued property. |
| 3. | Investment Reserve | 386.35 | 0.00 | Investment reserve transferred to Investment fluctuations reserve. |

### 2. Asset Liability Management

### 2.a Maturity Pattern of certain items of Assets and Liabilities Current Period FY 2024-25

*(Amount in ₹ Crore)*

| Maturity period | Deposits | Advances | Investments (Gross) | Borrowings | Foreign Currency Assets | Foreign Currency Liabilities |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Day 1 | 19,966.21 | 3,947.30 | - | 0.57 | 12,690.29 | 1,524.66 |
| 2 to 7 days | 40,470.55 | 30,398.33 | 1,449.58 | 33,767.65 | 10,674.13 | 3,492.49 |
| 8 to 14 days | 24,437.41 | 21,203.09 | 2,141.95 | 99.38 | 5,411.32 | 4,947.16 |
| 15 to 30 Days | 34,351.71 | 38,156.20 | 3,760.44 | 2,581.35 | 11,717.15 | 14,440.96 |
| 31 days to 2 months | 56,447.79 | 53,121.68 | 9,575.06 | 954.19 | 8,869.12 | 10,961.78 |
| Over 2 months and up to 3 months | 57,287.65 | 78,045.50 | 4,130.08 | 693.23 | 8,341.95 | 7,460.77 |

| परिपक्वता अवधि | जमाराशि | अग्रिम | निवेश (सकल) | उधार | विदेशी मुद्रा आस्तियां | विदेशी मुद्रा देयताएं |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 माह से अधिक और 6 माह तक | 93,834.64 | 84,038.86 | 11,098.10 | 2,108.64 | 16,063.97 | 20,306.04 |
| 6 माह से अधिक और 1 वर्ष तक | 2,19,771.22 | 87,859.70 | 17,459.74 | 2,733.96 | 12,032.50 | 7,724.03 |
| 1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक | 1,79,534.98 | 3,63,463.01 | 56,183.86 | 4,725.18 | 15,674.87 | 12,828.08 |
| 3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक | 4,39,506.46 | 1,16,556.79 | 83,254.09 | 2,379.46 | 10,608.38 | 11,842.64 |
| 5 वर्ष से अधिक | 4,01,014.66 | 2,00,684.11 | 3,13,623.35 | 33,733.11 | 2,727.57 | 2,758.64 |
| **कुल** | **15,66,623.28** | **10,77,474.57** | **5,02,676.25** | **83,776.72** | **1,14,811.25** | **98,287.25** |

**पिछली अवधि वित्त वर्ष 2023–24**

*(राशि ₹ करोड़ में)*

| परिपक्वता अवधि | जमाराशि | अग्रिम | निवेश (सकल) | उधार | विदेशी मुद्रा आस्तियां | विदेशी मुद्रा देयताएं |
|---|---|---|---|---|---|---|
| दिन 1 | 21,771.17 | 3,654.28 | - | 50.56 | 2,983.29 | 1,208.07 |
| 2 से 7 दिन | 37,650.59 | 5,721.96 | 324.93 | 500.08 | 4,513.36 | 3,728.19 |
| 8 से 14 दिन | 37,146.10 | 13,806.14 | 199.50 | 181.52 | 86.93 | 1,564.36 |
| 15 से 30 दिन | 34,448.16 | 35,042.51 | 1,423.82 | - | 8,677.93 | 10,389.14 |
| 31 दिन से 2 माह तक | 38,878.58 | 66,321.11 | 2,876.98 | 210.93 | 6,208.87 | 6,346.10 |
| 2 माह से अधिक और 3 माह तक | 30,851.88 | 55,582.74 | 1,183.85 | 1,066.56 | 6,347.57 | 5,015.51 |
| 3 माह से अधिक और 6 माह तक | 70,675.55 | 80,195.75 | 2,564.08 | 2,223.18 | 16,448.96 | 16,028.15 |
| 6 माह से अधिक और 1 वर्ष तक | 1,56,010.44 | 79,092.74 | 6,405.17 | 10,170.42 | 5,670.58 | 11,490.48 |
| 1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक | 1,81,583.02 | 3,18,831.17 | 54,353.29 | 4,406.28 | 16,368.25 | 12,016.00 |
| 3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक | 3,93,399.82 | 1,01,720.59 | 60,741.11 | 826.99 | 6,084.24 | 5,056.52 |
| 5 वर्ष से अधिक | 3,67,297.49 | 1,74,461.60 | 2,98,928.81 | 30,793.33 | 2,453.10 | 2,483.15 |
| **कुल** | **13,69,712.80** | **9,34,430.59** | **4,29,001.54** | **50,429.85** | **75,843.08** | **75,325.67** |

**2.बी चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर)**

**चलनिधि कवरेज अनुपात पर गुणात्मक प्रकटीकरण**

बैंक ने 1 जनवरी 2015 से चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) पर आरबीआई के दिशानिर्देशों का क्रियान्वयन किया है।

एलसीआर मानक का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बैंक पर्याप्त मात्रा में भार रहित उच्च गुणवत्ता पूर्ण चल निधि आस्तियां (एचक्यूएलए) रहें, जिससे कि चलनिधि दवाबग्रस्त परिदृश्य के अंतर्गत 30 दिनों के लिए चलनिधि आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए कम हानि पर/बिना किसी हानि के आसानी से नकदी में परिवर्तित किया जा सके।

| Maturity period | Deposits | Advances | Investments (Gross) | Borrowings | Foreign Currency Assets | Foreign Currency Liabilities |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Over 3 months and up to 6 Months | 93,834.64 | 84,038.86 | 11,098.10 | 2,108.64 | 16,063.97 | 20,306.04 |
| Over 6 months and up to 1 year | 2,19,771.22 | 87,859.70 | 17,459.74 | 2,733.96 | 12,032.50 | 7,724.03 |
| Over 1 year and up to 3 years | 1,79,534.98 | 3,63,463.01 | 56,183.86 | 4,725.18 | 15,674.87 | 12,828.08 |
| Over 3 years and up to 5 years | 4,39,506.46 | 1,16,556.79 | 83,254.09 | 2,379.46 | 10,608.38 | 11,842.64 |
| Over 5 years | 4,01,014.66 | 2,00,684.11 | 3,13,623.35 | 33,733.11 | 2,727.57 | 2,758.64 |
| **Total** | **15,66,623.28** | **10,77,474.57** | **5,02,676.25** | **83,776.72** | **1,14,811.25** | **98,287.25** |

**Previous Period FY 2023-24**

*(Amount in ₹ Crore)*

| Maturity period | Deposits | Advances | Investments (Gross) | Borrowings | Foreign Currency Assets | Foreign Currency Liabilities |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Day 1 | 21,771.17 | 3,654.28 | - | 50.56 | 2,983.29 | 1,208.07 |
| 2 to 7 days | 37,650.59 | 5,721.96 | 324.93 | 500.08 | 4,513.36 | 3,728.19 |
| 8 to 14 days | 37,146.10 | 13,806.14 | 199.50 | 181.52 | 86.93 | 1,564.36 |
| 15 to 30 Days | 34,448.16 | 35,042.51 | 1,423.82 | - | 8,677.93 | 10,389.14 |
| 31 days to 2 months | 38,878.58 | 66,321.11 | 2,876.98 | 210.93 | 6,208.87 | 6,346.10 |
| Over 2 months and up to 3 months | 30,851.88 | 55,582.74 | 1,183.85 | 1,066.56 | 6,347.57 | 5,015.51 |
| Over 3 months and up to 6 Months | 70,675.55 | 80,195.75 | 2,564.08 | 2,223.18 | 16,448.96 | 16,028.15 |
| Over 6 months and up to 1 year | 1,56,010.44 | 79,092.74 | 6,405.17 | 10,170.42 | 5,670.58 | 11,490.48 |
| Over 1 year and up to 3 years | 1,81,583.02 | 3,18,831.17 | 54,353.29 | 4,406.28 | 16,368.25 | 12,016.00 |
| Over 3 years and up to 5 years | 3,93,399.82 | 1,01,720.59 | 60,741.11 | 826.99 | 6,084.24 | 5,056.52 |
| Over 5 years | 3,67,297.49 | 1,74,461.60 | 2,98,928.81 | 30,793.33 | 2,453.10 | 2,483.15 |
| **Total** | **13,69,712.80** | **9,34,430.59** | **4,29,001.54** | **50,429.85** | **75,843.08** | **75,325.67** |

**2.b Liquidity Coverage Ratio (LCR)**

**Qualitative Disclosure On Liquidity Coverage Ratio**

The bank has implemented RBI guidelines on Liquidity Coverage Ratio (LCR) from 1st January 2015.

The LCR standard aims to ensure that a bank maintains an adequate level of unencumbered High Quality Liquid Assets (HQLAs) that can be readily converted into cash at little/no loss of value to meet its liquidity needs for a 30-calendar daytime horizon under a liquidity stress scenario.

## एलसीआर के दो घटक हैं:

i. उच्च गुणवत्तापूर्ण चलनिधि आस्तियों के स्टॉक का मूल्य (एचक्यूएलए) – द न्यूमरेटर।

ii. कुल शुद्ध नकदी प्रवाह: 30 दिनों के लिए दबाव परिदृश्य में कुल अनुमानित नकदी का बहिर्गमन घटाकर कुल अनुमानित नकदी का आगमन(इनफ़्लो)– द डिनोमिनेटर।

## एलसीआर की परिभाषा:

$$\frac{\text{उच्च गुणवत्ता पूर्ण चलनिधि आस्तियों का स्टॉक (एचक्यूएलएएस)}}{\text{अगले 30 दिनों में कुल निवल नकदी बहिर्गमन}} \geq 100\text{: (01.04.2021 से प्रभावी)}$$

नीचे दी गई समय–सीमा के साथ निम्नलिखित न्यूनतम आवश्यक स्तर के साथ एलसीआर की आवश्यकता बैंकों पर बाध्यकारी हो गई है:

| | 1 जनवरी, 2015 | 1 जनवरी, 2016 | 1 जनवरी, 2017 | 1 जनवरी, 2018 | **1 जनवरी, 2019** |
|---|---|---|---|---|---|
| न्यूनतम एलसीआर | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% |

वित्त वर्ष 2024–25 की चतुर्थ तिमाही के लिए, 100% की नियामक अपेक्षाओं के समेकित स्तर पर दैनिक औसत एलसीआर 133.03% (दैनिक अवलोकनों के साधारण औसत पर आधारित) रहा।

बैंक के एलसीआर के मुख्य घटक, पर्याप्त उच्च गुणवत्तापूर्ण चलनिधि आस्तियां हैं (एचक्यूएलए) जिससे हर समय बैंक की चलनिधि आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके तथा खुदरा एवं छोटे कारोबारी ग्राहकों से बुनियादी निधियां प्राप्त की जा सके। बैंक के कुल जमा संविभाग का लगभग 61.80% खुदरा और छोटे कारोबारी ग्राहक बैंक के का योगदान करते हैं, जो दिनांक 31.03.2025 को 5/10% का लो रन–ऑफ फैक्टर आकर्षित करता है।

## उच्च गुणवत्तापूर्ण चल आस्ति की संरचना (एचक्यूएलए)

एचक्यूएलए में स्तर 1 व स्तर 2 की आस्तियां समाविष्ट हैं। स्तर 2 की आस्तियों को उनकी बाजार क्षमता और कीमत अस्थिरता को ध्यान में रखते हुए स्तर 2ए और स्तर 2बी की आस्तियों में विभाजित किया जाता है।

स्तर –1 आस्तियां वे आस्तियां हैं जो उच्च प्रवाही हैं। 31 मार्च, 2025 को समाप्त तिमाही के लिए, स्तर–1 आस्तियों में हाथ में नकदी, अधिक सीआरआर, न्यूनतम एसएलआर से अधिक सरकारी प्रतिभूतियाँ, विदेशी सॉवरेन द्वारा जारी या गारंटी प्रदत्त, विपणन योग्य प्रतिभूतियाँ एमएसएफ व एफएएलएलसीआर जिनका मूल्य रु. 3,46,769.59 करोड़ (दैनिक अवलोकनों के साधारण औसत पर आधारित) है।

स्तर–2ए और 2बी वे आस्तियां हैं जो न्यून प्रवाही हैं, और जिनकी भार राशि रु. 6,431.41 करोड़ (दैनिक अवलोकनों के साधारण औसत पर आधारित) है। 31 मार्च, 2025 को समाप्त तिमाही के दौरान दैनिक अवलोकन औसत एचक्यूएलए का विवरण निम्नानुसार दिया गया है:

| **उच्च गुणवत्ता चलनिधि आस्तियाँ (एचक्यूएलए)** | **एचक्यूएलए में औसतन योगदान%** |
|---|---|
| **स्तर 1 आस्तियां** | |
| हाथ में नकदी | 1.77% |
| अतिरिक्त सीआरआर शेष | 0.68% |
| आवश्यक न्यूनतम एसएलआर के अतिरिक्त सरकारी प्रतिभूतियाँ | 20.84% |

## LCR has two components:

i. The value of the stock of High-Quality Liquid Assets (HQLA)–The Numerator.

ii. Total Net Cash Outflows: Total expected cash outflows minus Total expected cash inflows, in stress scenario, for the subsequent 30 calendar days - The denominator.

## Definition of LCR:

$$\frac{\text{Stock of high quality liquid assets (HQLAs)}}{\text{Total net cash outflows over the next 30 calendar days}} \geq 100\% \text{ (w.e.f 01.04.2021)}$$

The LCR requirement has become binding on the banks with the following minimum required level as per the timeline given below:

| | Jan 1, 2015 | Jan 1, 2016 | Jan 1, 2017 | Jan 1, 2018 | **Jan 1, 2019** |
|---|---|---|---|---|---|
| Minimum LCR | 60% | 70% | 80% | 90% | **100%** |

For Q4 FY'2024-25, the daily average LCR was 133.03% (based on simple average of daily observations) at consolidated level, as against the regulatory requirement of 100%.

The main drivers of LCR of the bank are High Quality Liquid Assets (HQLAs) to meet the liquidity needs of the bank at all times and basic funding from retail and small business customers. The retail and small business customers contribute about 61.80% of total deposit portfolio of the bank, which attracts low run-off factor of 5/10% as on 31.03.2025.

## Composition of High Quality Liquid Assets (HQLA)

HQLAs comprises of Level 1 and Level 2 assets. Level 2 assets are further divided into Level 2A and Level 2B assets, keeping in view their marketability and price volatility.

Level-1 assets are those assets which are highly liquid. For quarter ended March 31, 2025, the Level-1 asset of the bank includes Cash in Hand, Excess CRR, Government Securities in excess of minimum SLR, Marketable securities issued or guaranteed by foreign sovereign, MSF and FALLCR totalling to Rs. 3,46,769.59 Cr (based on simple average of daily observations).

Level-2A & 2B assets are those assets which are less liquid, and their weighted amount comes to Rs. 6,431.41 Cr (based on simple average of daily observations). Break-up of daily observation Average HQLA during quarter ended March 31, 2025, is given hereunder:

| **High Quality Liquid Assets (HQLAs)** | **Average %age contribution to HQLA** |
|---|---|
| **Level 1 Assets** | |
| Cash in hand | 1.77% |
| Excess CRR balance | 0.68% |
| Government Securities in excess of minimum SLR requirement | 20.84% |

| उच्च गुणवत्ता चलनिधि आस्तियाँ (एचक्यूएलए) | एचक्यूएलए में औसतन योगदान% |
|---|---|
| एमएसएफ के अंतर्गत आरबीआई द्वारा अनुमत सीमा तक अनिवार्य एसएलआर आवश्यकता के भीतर सरकारी प्रतिभूतियाँ, (वर्तमान में एनडीटीएल के 2 प्रतिशत की सीमा तक) | 8.19% |
| बासेल II मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत 0% जोखिम–भार वाली विदेशी स्वायतों द्वारा जारी या गारंटीकृत विपणन योग्य प्रतिभूतियाँ | 1.18% |
| चलनिधि कवरेज अनुपात के लिए चलनिधि लेने की सुविधा – एफ़एएलएलसीआर (वर्तमान में NDTL के 16 % तक) | 65.52% |
| **कुल स्तर 1 आस्तियां** | **98.18%** |
| **कुल स्तर 2ए आस्तियां** | **1.71%** |
| **कुल स्तर 2बी आस्तियां** | **0.11%** |
| **एचक्यूएलए का कुल स्टॉक** | **100.00%** |

**निधियन स्रोतों का संकेन्द्रण**

इस मैट्रिक में निधियों के वे स्रोत शामिल हैं, जिनका आहरण चलनिधियों को बढ़ा सकता है। इसका उद्देश्य प्रत्येक महत्वपूर्ण प्रतिपक्ष और प्रत्येक महत्वपूर्ण उत्पाद/लिखत से अपेक्षित इसके निधीयन की निगरानी द्वारा बैंक के निधियन संकेन्द्रण को व्यक्त करना है। भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, "महत्वपूर्ण प्रतिपक्ष/लिखत/उत्पाद" को एकल प्रतिपक्ष/लिखत/उत्पाद या बैंक के कुल दायित्व का 1% से अधिक दायित्व वाले प्रतिपक्षी से जुड़े या संबद्ध समूह के रूप में परिभाषित किया गया है।

31.03.2025 तक बैंक के पास कोई महत्वपूर्ण प्रतिपक्ष (जमा/उधार) नहीं है। बैंक के शीर्ष 20 जमाकर्ताओं का 31 मार्च, 2025 तक बैंक की कुल जमा राशि का 3.41% हैं। महत्वपूर्ण उत्पाद/साधन में बचत निधि, चालू जमाराशि और स्थायी मियादी जमाराशि शामिल है, जो कि व्यापक रूप से फैला हुआ है और बैंक के लिए संकेन्द्रण जोखिम सृजित नहीं कर सकता है।

**व्युत्पन्न एक्सपोजर**

बैंक के पास व्युत्पन्न में कम एक्सपोजर है, जो कि चलनिधि तरलता पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नही डालता है ।

**मुद्रा असंतुलन**

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा–निर्देशों के अनुसार, मुद्रा "महत्वपूर्ण" मानी जाती है यदि उस मुद्रा की कुल देयता बैंक की कुल देयता का 5% या इससे अधिक होती हैं। हमारे मामले में, इस मानक पर केवल यूएसडी (बैंक की कुल देयताओं का 17%) जिसका एलसीआर होरिजन में कुल बाह्य प्रवाह पर प्रभाव आसानी से प्रबंधित किया जा सकता है क्योंकि बैंक के तुलन पत्र के आकार को देखते हुए प्रभाव बहुत ही कम है।

**समूह की इकाइयों के बीच तरलता प्रबंधन और अंतः क्रिया के केंद्रीकरण का स्तर**

समूह की इकाइयां स्वयं तरलता का प्रबंध कर रही हैं। हालांकि, बैंक ने तनाव की अवधि में समूह की तरलता की आवश्यकता का ध्यान रखने के लिए एक समूह–व्यापी आकस्मिक निधि योजना बनाई है ।

| High Quality Liquid Assets (HQLAs) | Average %age contribution to HQLA |
|---|---|
| Government securities within the mandatory SLR requirement, to the extent allowed by RBI under MSF (presently to the extent of 2 per cent of NDTL) | 8.19% |
| Marketable securities issued or guaranteed by foreign sovereigns having 0% risk-weight under Basel II Standardized Approach | 1.18% |
| Facility to avail Liquidity for Liquidity Coverage Ratio – FALLCR (presently to the extent of 16 per cent of NDTL) | 65.52% |
| **Total Level 1 Assets** | **98.18%** |
| **Total Level 2A Assets** | **1.71%** |
| **Total Level 2B Assets** | **0.11%** |
| **Total Stock of HQLAs** | **100.00%** |

**Concentration of Funding Sources**

This metric includes those sources of funding, whose withdrawal could trigger liquidity risks. It aims to address the funding concentration of bank by monitoring its funding requirement from each significant counterparty and each significant product/ instrument. As per RBI guidelines, a "significant counterparty/ Instrument/product" is defined as a single counterparty/Instrument/ product or group of connected or affiliated counter-parties accounting in aggregate for more than 1% of the bank's total liabilities.

The bank has no significant counterparty (deposits/borrowings) as at 31.03.2025. Top 20 depositors of the bank constitute 3.41% of bank's total Deposit as on March 31, 2025. The significant product/ instrument includes Saving Fund, Current deposit and Core Term Deposit the funding from which are widely spread and cannot create concentration risk for the bank.

**Derivative exposure**

The bank has low exposure in derivatives having negligible impact on its liquidity position.

**Currency Mismatch**

As per RBI guidelines, a currency is considered as "significant" if the aggregate liabilities denominated in that currency amount to 5 per cent or more of the bank's total liabilities. In our case, only USD (17 % of bank's total liabilities) falls in this criterion whose impact on total outflows in LCR horizon can be managed easily as the impact is not large considering the size of balance sheet of the bank.

**Degree of centralization of liquidity management and interaction between group's units**

The group entities are managing liquidity on their own. However, the bank has put in place a group-wide contingency funding plan to take care of the liquidity requirement of the group as a whole in the stress period.

## चलनिधि कवरेज अनुपात पर मात्रात्मक प्रकटीकरण

*(राशि ₹ करोड़ में)*

| | एलसीआर घटक | मार्च 2025 को समाप्त तिमाही | | दिसंबर 2024 को समाप्त तिमाही | | सितंबर 2024 को समाप्त तिमाही | | जून 2024 को समाप्त तिमाही | | मार्च 2024 को समाप्त तिमाही | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | कुल अनिर्धारित मूल्य (औसत)* | कुल निर्धारित मूल्य (औसत)* | कुल अनिर्धारित मूल्य (औसत)* | कुल निर्धारित मूल्य (औसत)* | कुल अनिर्धारित मूल्य (औसत)* | कुल निर्धारित मूल्य (औसत)* | कुल अनिर्धारित मूल्य (औसत)* | कुल निर्धारित मूल्य (औसत)* | कुल अनिर्धारित मूल्य (औसत)* | कुल निर्धारित मूल्य (औसत)* |
| | दैनिक जांच की साधारण औसत के आधार पर | 69 डेटापॉइंट | | 65 डेटापॉइंट | | 64 डेटापॉइंट | | 62 डेटापॉइंट | | 63 डेटापॉइंट | |
| | **उच्च गुणवत्तापूर्ण तरल आस्तियां** | | | | | | | | | | |
| 1 | कुल उच्च गुणवत्तापूर्ण तरल आस्तियां (एचक्यूएलए) | | **3,53,200.10** | | **3,43,637.22** | | **3,38,001.52** | | **3,09,416.10** | | **3,12,259.36** |
| | **नकदी का बहिर्गमन** | | | | | | | | | | |
| 2 | छोटे व्यवसाय ग्राहकों से खुदरा जमा और जमा जिनमें से: | **9,70,183.69** | **91,824.73** | **9,60,309.98** | **90,848.30** | **9,30,043.28** | **87,988.77** | **9,23,041.17** | **87,343.02** | **9,04,026.17** | **85,482.28** |
| (i) | स्थिर जमा | 1,03,872.82 | 5,193.64 | 1,03,654.05 | 5,182.70 | 1,00,311.16 | 5,015.56 | 99,222.02 | 4,961.10 | 98,406.71 | 4,920.34 |
| (ii) | कम स्थिर जमा | 8,66,310.87 | 86,631.09 | 8,56,655.93 | 85,665.60 | 8,29,732.12 | 82,973.21 | 8,23,819.15 | 82,381.92 | 8,05,619.46 | 80,561.94 |
| 3 | असुरक्षित थोक निधि, जिनमें से: | **3,57,611.47** | **2,16,653.24** | **3,18,118.91** | **1,90,974.68** | **3,10,288.04** | **1,85,417.32** | **2,67,945.61** | **1,54,514.53** | **2,71,070.14** | **1,51,887.56** |
| (i) | परिचालन जमा (सभी प्रतिपक्ष) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (ii) | गैर–परिचालन जमा (सभी प्रतिपक्ष) | 3,57,611.47 | 2,16,653.24 | 3,18,118.91 | 1,90,974.68 | 3,10,288.04 | 1,85,417.32 | 2,67,945.61 | 1,54,514.53 | 2,71,070.14 | 1,51,887.56 |
| (iii) | असुरक्षित ऋण | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | सुरक्षित थोक वित्त पोषण | | - | | - | | - | | - | | - |
| 5 | अतिरिक्त आवश्यकताएं, जिनमें से | **1,05,959.42** | **14,700.35** | **1,22,412.71** | **20,673.07** | **1,39,650.62** | **22,465.45** | **99,158.70** | **14,384.81** | **64,112.79** | **5,922.71** |
| (i) | व्युत्पन्न जोखिम और अन्य संपार्श्विक आवश्यकताओं से संबंधित बहिर्वाह | - | - | 182.35 | 182.35 | 722.12 | 722.12 | 938.88 | 938.88 | 558.13 | 558.13 |
| (ii) | ऋण उत्पादों पर धन की हानि से संबंधित बहिर्वाह | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (iii) | ऋण और चलनिधि की सुविधाएं | 1,05,959.42 | 14,700.35 | 1,22,230.36 | 20,490.72 | 1,38,928.50 | 21,743.33 | 98,219.82 | 13,445.93 | 63,554.66 | 5,364.58 |
| 6 | अन्य संविदात्मक वित्तपोषण दायित्व | **17,163.66** | **17,163.66** | **16,993.00** | **16,993.00** | **22,883.75** | **22,883.75** | - | - | - | - |
| 7 | अन्य आकस्मिक वित्तपोषण दायित्व | **1,49,087.84** | **5,817.42** | **1,47,738.38** | **5,799.10** | **1,45,086.59** | **5,712.70** | **1,61,320.65** | **23,801.72** | **1,32,117.80** | **5,768.02** |
| 8 | कुल नकदी का बहिर्गमन | | **3,46,159.39** | | **3,25,288.15** | | **3,24,467.98** | | **2,80,044.08** | | **2,49,060.56** |
| | **नकदी अंतर्वाह** | | | | | | | | | | |
| 9 | सुरक्षित ऋण (जैसे रिवर्स रेपो) | 8,321.23 | - | 1,992.76 | - | 5,037.67 | - | 2,207.73 | - | 5,461.28 | - |
| 10 | पूरी तरह से प्रदर्शन कर जोखिम से अंतर्वाह | 1,01,825.61 | 72,024.07 | 99,322.55 | 67,988.64 | 86,908.86 | 54,242.74 | 80,601.22 | 47,804.87 | 30,110.61 | 23,354.22 |
| 11 | अन्य नकदी अंतर्वाह | 16,344.96 | 8,638.14 | 12,221.30 | 5,814.66 | 12,620.52 | 8,649.06 | 4,483.23 | 2,636.26 | 5,650.95 | 5,194.65 |
| 12 | कुल नकदी अंतर्वाह | **1,26,491.80** | **80,662.21** | **1,13,536.61** | **73,803.30** | **1,04,567.05** | **62,891.80** | **87,292.18** | **50,441.13** | **41,222.84** | **28,548.87** |
| 13 | कुल एचक्यूएलए | | 3,53,200.10 | | 3,43,637.22 | | 3,38,001.52 | | 3,09,416.10 | | 3,12,259.36 |
| 14 | कुल निवल नकद बहिर्वाह | | 2,65,497.18 | | 2,51,484.84 | | 2,61,576.18 | | 2,29,602.96 | | 2,20,511.69 |
| 15 | चलनिधि कवरेज अनुपात (%) | | **133.03%** | | **136.64%** | | **129.22%** | | **134.76%** | | **141.61%** |

**पिछली तिमाही की तुलना में दैनिक प्रेक्षणों का सामान्य औसत।*

## QUANTITATIVE DISCLOSURE ON LIQUIDITY COVERAGE RATIO

*(Amount in ₹ crore)*

| | LCR COMPONENTS | Quarter ended Mar'25 | | Quarter ended Dec'24 | | Quarter ended Sep'24 | | Quarter ended June'24 | | Quarter ended Mar'24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Total Unweighted Value (average)* | Total Weighted Value (average)* | Total Unweighted Value (average)* | Total Weighted Value (average)* | Total Unweighted Value (average)* | Total Weighted Value (average)* | Total Unweighted Value (average)* | Total Weighted Value (average)* | Total Unweighted Value (average)* | Total Weighted Value (average)* |
| | Based on the simple average of daily observations | 69 Data Points | | 65 Data Points | | 64 Data Points | | 62 Data Points | | 63 Data Points | |
| | **High Quality Liquid Assets** | | | | | | | | | | |
| 1 | **Total High Quality Liquid Assets (HQLA)** | | **3,53,200.10** | | **3,43,637.22** | | **3,38,001.52** | | **3,09,416.10** | | **3,12,259.36** |
| | **Cash Outflows** | | | | | | | | | | |
| 2 | **Retail deposits and deposits from small business customers of which :** | **9,70,183.69** | **91,824.73** | **9,60,309.98** | **90,848.30** | **9,30,043.28** | **87,988.77** | **9,23,041.17** | **87,343.02** | **9,04,026.17** | **85,482.28** |
| (i) | Stable deposits | 1,03,872.82 | 5,193.64 | 1,03,654.05 | 5,182.70 | 1,00,311.16 | 5,015.56 | 99,222.02 | 4,961.10 | 98,406.71 | 4,920.34 |
| (ii) | Less stable deposits | 8,66,310.87 | 86,631.09 | 8,56,655.93 | 85,665.60 | 8,29,732.12 | 82,973.21 | 8,23,819.15 | 82,381.92 | 8,05,619.46 | 80,561.94 |
| 3 | **Unsecured wholesale funding, of which:** | **3,57,611.47** | **2,16,653.24** | **3,18,118.91** | **1,90,974.68** | **3,10,288.04** | **1,85,417.32** | **2,67,945.61** | **1,54,514.53** | **2,71,070.14** | **1,51,887.56** |
| (i) | Operational deposits (all counterparties) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (ii) | Non-operational deposits (all counterparties) | 3,57,611.47 | 2,16,653.24 | 3,18,118.91 | 1,90,974.68 | 3,10,288.04 | 1,85,417.32 | 2,67,945.61 | 1,54,514.53 | 2,71,070.14 | 1,51,887.56 |
| (iii) | Unsecured debt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | **Secured wholesale funding** | | - | | - | | - | | - | | - |
| 5 | **Additional requirements, of which** | **1,05,959.42** | **14,700.35** | **1,22,412.71** | **20,673.07** | **1,39,650.62** | **22,465.45** | **99,158.70** | **14,384.81** | **64,112.79** | **5,922.71** |
| (i) | Outflows related to derivative exposures and other collateral requirements | - | - | 182.35 | 182.35 | 722.12 | 722.12 | 938.88 | 938.88 | 558.13 | 558.13 |
| (ii) | Outflows related to loss of funding on debt products | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (iii) | Credit and liquidity facilities | 1,05,959.42 | 14,700.35 | 1,22,230.36 | 20,490.72 | 1,38,928.50 | 21,743.33 | 98,219.82 | 13,445.93 | 63,554.66 | 5,364.58 |
| 6 | **Other contractual funding obligations** | **17,163.66** | **17,163.66** | **16,993.00** | **16,993.00** | **22,883.75** | **22,883.75** | - | - | - | - |
| 7 | **Other contingent funding obligations** | **1,49,087.84** | **5,817.42** | **1,47,738.38** | **5,799.10** | **1,45,086.59** | **5,712.70** | **1,61,320.65** | **23,801.72** | **1,32,117.80** | **5,768.02** |
| 8 | **Total Cash Outflows** | | **3,46,159.39** | | **3,25,288.15** | | **3,24,467.98** | | **2,80,044.08** | | **2,49,060.56** |
| | **Cash Inflows** | | | | | | | | | | |
| 9 | **Secured lending (e.g. reverse repos)** | 8,321.23 | - | 1,992.76 | - | 5,037.67 | - | 2,207.73 | - | 5,461.28 | - |
| 10 | **Inflows from fully performing exposures** | 1,01,825.61 | 72,024.07 | 99,322.55 | 67,988.64 | 86,908.86 | 54,242.74 | 80,601.22 | 47,804.87 | 30,110.61 | 23,354.22 |
| 11 | **Other cash inflows** | 16,344.96 | 8,638.14 | 12,221.30 | 5,814.66 | 12,620.52 | 8,649.06 | 4,483.23 | 2,636.26 | 5,650.95 | 5,194.65 |
| 12 | **Total Cash Inflows** | **1,26,491.80** | **80,662.21** | **1,13,536.61** | **73,803.30** | **1,04,567.05** | **62,891.80** | **87,292.18** | **50,441.13** | **41,222.84** | **28,548.87** |
| 13 | **TOTAL HQLA** | | 3,53,200.10 | | 3,43,637.22 | | 3,38,001.52 | | 3,09,416.10 | | 3,12,259.36 |
| 14 | **Total Net Cash Outflows** | | 2,65,497.18 | | 2,51,484.84 | | 2,61,576.18 | | 2,29,602.96 | | 2,20,511.69 |
| 15 | **Liquidity Coverage Ratio (%)** | | **133.03%** | | **136.64%** | | **129.22%** | | **134.76%** | | **141.61%** |

**Simple averages of Daily observations over previous quarter.*

## 2.सी निवल स्थिर निधियन अनुपात (एनएसएफआर)

**निवल स्थिर निधियन अनुपात पर गुणात्मक प्रकटीकरण**

निवल स्थिर निधियन अनुपात (एनएसएफ़आर) और चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) बासेल III सुधारों के महत्वपूर्ण घटक हैं। बैंक की चलनिधि प्रोफ़ाइल के अल्पकालिक लचीलेपन को बढ़ावा देने वाले एलसीआर दिशा–निर्देश 9 जून, 2014 के परिपत्र DBOD.BP.BC.No. 120/21.04.098/2013–14 के माध्यम से जारी किए गए हैं। **दूसरी ओर एनएसएफ़आर दिशा–निर्देश भविष्य के वित्तपोषण दबाव के जोखिम को कम करने के लिए बैंकों को पर्याप्त रूप से स्थिर वित्तपोषण के स्रोतों के साथ अपनी गतिविधियों को वित्तपोषित करने की आवश्यकता के द्वारा दीर्घ अवधि के दौरान वित्त पोषण जोखिम में कमी सुनिश्चित करते हैं।**

भारतीय संदर्भ में, एनएसएफ़आर के लिए दिशा–निर्देश 1 अक्टूबर, 2021 से प्रभावी थे। एनएसएफ़आर को आवश्यक स्थिर निधियन की राशि के सापेक्ष उपलब्ध स्थिर निधियन की राशि के रूप में परिभाषित किया गया है। "उपलब्ध स्थिर निधियन" (एएसएफ़) को पूंजी और देयताओं के हिस्से के रूप में परिभाषित किया गया है, जो एनएसएफ़आर द्वारा निर्धारित किए गए समय क्षितिज पर विश्वसनीय होने की उम्मीद है, जो एक वर्ष तक प्रदान की जाती है। किसी विशिष्ट संस्थान के लिए आवश्यक स्थिर निधियन ("आवश्यक स्थिर निधियन") (आरएसएफ़) की राशि उस संस्था द्वारा धारित विभिन्न आस्तियों की चलनिधि विशेषताओं और अवशिष्ट परिपक्वताओं के साथ–साथ उसके इसकी तुलन पत्रेतर (ओबीएस) एक्सपोजर का एक कार्य है। विभिन्न श्रेणियों की देयताओं (अर्थात, जमाराशि, असुरक्षित और सुरक्षित थोक उधार), अनाहरित प्रतिबद्धताओं, व्युत्पन्न–संबंधित एक्सपोजर, और उसी अवधि के भीतर परिपक्व होने वाली आस्तियों से निकलने वाले अंतर्वाह के साथ ऑफसेट के लिए तनावग्रस्त परिदृश्यों के लिए रन–ऑफ कारक द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। एकल बैंक के लिए और 1 अक्टूबर, 2021 से प्रभावी समूह के लिए आरबीआई दिशानिर्देश में निर्धारित न्यूनतम एनएसएफआर आवश्यकता 100% है।

पीएनबी ने 31 मार्च, 2025 को समेकित आधार पर ₹ 10,35,812 करोड़ की आरएसएफ आवश्यकता के विरुद्ध ₹ 13,54,199 करोड़ की उपलब्ध स्थिर निधियन (एएसएफ) बनाए रखा। 31 मार्च, 2025 को समाप्त तिमाही के लिए एनएसएफआर 130.74% था।

उपलब्ध स्थिर निधियन(एएसएफ़) मुख्य रूप से आरबीआई द्वारा निर्धारित बासेल III पूंजी पर्याप्तता दिशानिर्देशों और खुदरा ग्राहकों, छोटे व्यवसाय ग्राहकों और गैर–वित्तीय कॉर्पोरेट ग्राहकों से प्राप्त जमाराशियों के अनुसार कुल नियामक पूंजी से जमा द्वारा संचालित होता है। आवश्यक स्थिर निधियन (आरएसएफ़) के तहत, प्राथमिक संचालक एक वर्ष या उससे अधिक की अवशिष्ट परिपक्वता के साथ भार रहित प्रदर्शन कर रहे हैं।

## 2.c Net Stable Funding Ratio (NSFR)

**Qualitative Disclosure on Net Stable Funding Ratio**

The Net Stable Funding Ratio (NSFR) and Liquidity Coverage Ratio (LCR) are significant components of the Basel III reforms. The LCR guidelines which promote short term resilience of a bank's liquidity profile have been issued vide circular DBOD.BP.BC.No.120/21.04.098/2013-14 dated June 9, 2014. **The NSFR guidelines on the other hand ensure reduction in funding risk over a longer time horizon by requiring banks to fund their activities with sufficiently stable sources of funding in order to mitigate the risk of future funding stress.**

In the Indian context, the guidelines for NSFR were effective from October 1, 2021. The NSFR is defined as the amount of available stable funding relative to the amount of required stable funding. "Available stable funding" (ASF) is defined as the portion of capital and liabilities expected to be reliable over the time horizon considered by the NSFR, which extends to one year. The amount of stable funding required ("Required stable funding") (RSF) of a specific institution is a function of the liquidity characteristics and residual maturities of the various assets held by that institution as well as those of its off-balance sheet (OBS) exposures. The run-off factors for the stressed scenarios are prescribed by the RBI, for various categories of liabilities (viz., deposits, unsecured and secured wholesale borrowings), undrawn commitments, derivative-related exposures, and offset with inflows emanating from assets maturing within the same time period. The minimum NSFR requirement set out in the RBI guideline for the standalone Bank and for Group effective October 1, 2021, is 100%.

The PNB on a consolidated basis at 31st March, 2025 maintained Available Stable Funding (ASF) of ₹ 13,54,199 Crore against the RSF requirement of ₹ 10,35,812 Crore. The NSFR for the quarter ended March 31, 2025, was at 130.74%.

The Available Stable Funding (ASF) is primarily driven by the total regulatory capital as per Basle III Capital Adequacy guidelines stipulated by RBI and deposits from retail customers, small business customers and non-financial corporate customers. Under the Required Stable Funding (RSF), the primary drivers are unencumbered performing loans with residual maturities of one year or more.

BLANK PAGE

## निवल स्थिर निधियन अनुपात पर मात्रात्मक प्रकटीकरण

*(राशि ₹ करोड़ में)*

| | निवल स्थिर निधियन अनुपात (समेकित) | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | एनएसएफआर प्रकटीकरण यथावत | 31.03.2025 | | | | | 31.12.2024 | | | | |
| | एनएसएफआर घटक | अवशिष्ट परिपक्वता द्वारा अनिर्धारित मूल्य | | | | निर्धारित मूल्य | अवशिष्ट परिपक्वता द्वारा अनिर्धारित मूल्य | | | | निर्धारित मूल्य |
| | | कोई परिपक्वता नहीं | < 6 माह | 6 माह से < 1 वर्ष | ≥ 1 वर्ष | | कोई परिपक्वता नहीं | < 6 माह | 6 माह से < 1 वर्ष | ≥ 1 वर्ष | |
| | **एएसएफ मद** | | | | | | | | | | |
| 1 | पूंजी: (2+3) | 1,24,762 | 0 | 495 | 36,593 | 1,61,849 | 1,12,389 | 0 | 0 | 36,058 | 1,48,447 |
| 2 | विनियामक पूंजी | 1,24,762 | 0 | 495 | 31,400 | 1,56,657 | 1,12,389 | 0 | 0 | 33,695 | 1,46,084 |
| 3 | अन्य पूंजी लिखत | 0 | 0 | 0 | 5,193 | 5,193 | 0 | 0 | 0 | 2,363 | 2,363 |
| 4 | छोटे व्यवसाय के ग्राहकों से जमा और खुदरा जमा: (5+6) | 4,86,639 | 1,81,653 | 3,75,640 | 729 | 9,45,792 | 4,81,725 | 2,12,155 | 3,37,063 | 836 | 9,34,234 |
| 5 | स्थिर जमा | 74,549 | 15,680 | 20,236 | 213 | 1,05,156 | 75,365 | 17,655 | 17,953 | 241 | 1,05,665 |
| 6 | कम स्थिर जमा | 4,12,090 | 1,65,973 | 3,55,404 | 515 | 8,40,636 | 4,06,360 | 1,94,500 | 3,19,110 | 595 | 8,28,569 |
| 7 | थोक वित्तपोषण: (8+9) | 82,677 | 1,50,524 | 1,72,024 | 42,077 | 2,44,690 | 75,984 | 1,75,062 | 1,04,865 | 40,714 | 2,18,669 |
| 8 | परिचालन जमा | 0 | 15 | 0 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0 | 8 |
| 9 | अन्य थोक निधियन | 82,677 | 1,50,509 | 1,72,024 | 42,077 | 2,44,682 | 75,984 | 1,75,047 | 1,04,865 | 40,714 | 2,18,662 |
| 10 | अन्य देयताएं: (11+12) | 21,514 | 2,08,876 | 2,759 | 3,629 | 1,868 | 23,304 | 2,15,905 | 2,455 | 86 | 86 |
| 11 | एनएसएफआर व्युत्पन्न देनदारियां | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | अन्य सभी देयताएं और इक्विटी जो उपरोक्त श्रेणियों में शामिल नहीं हैं | 21,514 | 1,97,764 | 2,671 | 1,868 | 1,868 | 23,304 | 2,15,905 | 2,455 | 86 | 86 |
| **13** | **कुल एएसएफ (1+4+7+10)** | | | | | **13,54,199** | | | | | **13,01,436** |
| | **आरएसएफ मद** | | | | | | | | | | |
| 14 | कुल एनएसएफआर उच्च गुणवत्ता वाली तरल संपत्ति (एचक्यूएलए) | | | | | 19,435 | | | | | 19,143 |
| 15 | परिचालन उद्देश्यों के लिए अन्य वित्तीय संस्थानों में जमाराशियां | 13,496 | 116 | 0 | 0 | 6,806 | 14,585 | 57 | 0 | 0 | 7,321 |
| 16 | ऋण और प्रतिभूतियों का निष्पादन: (17+18+19+21+23) | 3,263 | 3,38,786 | 83,632 | 8,22,406 | 8,43,411 | 4,497 | 3,13,484 | 1,02,747 | 7,78,624 | 8,19,489 |
| 17 | स्तर 1 एचक्यूएलए द्वारा सुरक्षित वित्तीय संस्थानों को ऋण देना | 0 | 16,801 | 126 | 195 | 1,728 | 0 | 1,531 | 332 | 0 | 319 |
| 18 | गैर–स्तर 1 एचक्यूएलए द्वारा सुरक्षित वित्तीय संस्थानों के लिए कार्यशील ऋण और वित्तीय संस्थानों के लिए असुरक्षित कार्यशील ऋण | 0 | 91,408 | 29,456 | 1,14,289 | 1,42,728 | 0 | 1,04,919 | 30,698 | 1,11,421 | 1,42,508 |
| 19 | गैर–वित्तीय कॉर्पोरेट ग्राहकों के लिए कार्यशील ऋण, खुदरा और लघु व्यवसाय ग्राहकों को ऋण देना, और संप्रभु, केंद्रीय बैंकों और सार्वजनिक उपक्रमों को ऋण देना, जिनमें से: | 0 | 1,70,105 | 47,125 | 5,34,794 | 5,29,904 | 0 | 1,50,500 | 63,044 | 4,98,464 | 5,10,760 |
| 20 | ऋण जोखिम के लिए बेसल II मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत 35% से कम या उसके बराबर के जोखिम भार के साथ | 0 | 1,04,454 | 21,403 | 1,66,427 | 1,71,106 | 0 | 69,493 | 37,448 | 98,533 | 1,17,517 |
| 21 | कार्यशील आवासीय बंधक, जिनमें से: | 0 | 41,611 | 2,479 | 90,902 | 84,731 | 0 | 52,539 | 2,359 | 86,249 | 86,808 |
| 22 | ऋण जोखिम के लिए बेसल II मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत 35% से कम या उसके बराबर के जोखिम भार के साथ | 0 | 27,809 | 2,168 | 72,901 | 62,374 | 0 | 36,047 | 2,083 | 69,761 | 64,590 |
| 23 | प्रतिभूतियां जो डिफ़ॉल्ट रूप से नहीं हैं और एक्सचेंज–ट्रेडेड इक्विटी सहित एचक्यूएलए के रूप में योग्य नहीं हैं | 3,263 | 18,860 | 4,446 | 82,226 | 84,319 | 4,497 | 3,995 | 6,314 | 82,491 | 79,094 |
| 24 | अन्य संपत्तियां: (25 से 29 पंक्तियों का योग) | 1,23,235 | 1,323 | 606 | 28,129 | 1,53,226 | 1,24,636 | 1,242 | 670 | 27,667 | 1,54,133 |
| 25 | सोने सहित भौतिक व्यापार वाली वस्तुएं | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | व्युत्पन्न अनुबंधों के लिए प्रारंभिक मार्जिन के रूप में पोस्ट की गई संपत्तियां और सीसीपी के डिफ़ॉल्ट फंड में योगदान | 448 | 0 | 0 | 0 | 381 | 549 | 0 | 0 | 0 | 467 |
| 27 | एनएसएफआर व्युत्पन्न आस्तियां | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | पोस्ट किए गए भिन्नता मार्जिन की कटौती से पहले एनएसएफआर व्युत्पन्न देयताएं | 0 | 1 | 1 | 33 | 35 | 0 | 1 | 1 | 19 | 20 |
| 29 | अन्य सभी आस्तियां उपरोक्त श्रेणियों में शामिल नहीं हैं | 1,22,787 | 1,322 | 606 | 28,096 | 1,52,810 | 1,24,087 | 1,241 | 669 | 27,649 | 1,53,646 |
| 30 | तुलन–पत्रोत्तर मद | 0 | 44,303 | 17,031 | 2,30,293 | 12,934 | 0 | 43,801 | 17,235 | 1,76,632 | 10,251 |
| **31** | **कुल आरएसएफ** | | | | | **10,35,812** | | | | | **10,10,337** |
| **32** | **निवल स्थिर निधियन अनुपात (%)** | | | | | **130.74%** | | | | | **128.81%** |

## Quantitative Disclosure On Net Stable Funding Ratio (NSFR)

*(Amount in ₹ crore)*

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **NET STABLE FUNDING RATIO (CONSOLIDATED)** | | | | | | | | | | | |
| **NSFR Disclosure as on** | | **31.03.2025** | | | | | **31.12.2024** | | | | |
| **NSFR Components** | | **Unweighted value by residual maturity** | | | | **Weighted value** | **Unweighted value by residual maturity** | | | | **Weighted value** |
| | | **No maturity** | **< 6 months** | **6 months to < 1yr** | **≥ 1yr** | | **No maturity** | **< 6 months** | **6 months to < 1yr** | **≥ 1yr** | |
| **ASF Item** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Capital: (2+3) | 1,24,762 | 0 | 495 | 36,593 | 1,61,849 | 1,12,389 | 0 | 0 | 36,058 | 1,48,447 |
| 2 | Regulatory capital | 1,24,762 | 0 | 495 | 31,400 | 1,56,657 | 1,12,389 | 0 | 0 | 33,695 | 1,46,084 |
| 3 | Other capital instruments | 0 | 0 | 0 | 5,193 | 5,193 | 0 | 0 | 0 | 2,363 | 2,363 |
| 4 | Retail deposits and deposits from small business customers: (5+6) | 4,86,639 | 1,81,653 | 3,75,640 | 729 | 9,45,792 | 4,81,725 | 2,12,155 | 3,37,063 | 836 | 9,34,234 |
| 5 | Stable deposits | 74,549 | 15,680 | 20,236 | 213 | 1,05,156 | 75,365 | 17,655 | 17,953 | 241 | 1,05,665 |
| 6 | Less stable deposits | 4,12,090 | 1,65,973 | 3,55,404 | 515 | 8,40,636 | 4,06,360 | 1,94,500 | 3,19,110 | 595 | 8,28,569 |
| 7 | Wholesale funding: (8+9) | 82,677 | 1,50,524 | 1,72,024 | 42,077 | 2,44,690 | 75,984 | 1,75,062 | 1,04,865 | 40,714 | 2,18,669 |
| 8 | Operational deposits | 0 | 15 | 0 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0 | 8 |
| 9 | Other wholesale funding | 82,677 | 1,50,509 | 1,72,024 | 42,077 | 2,44,682 | 75,984 | 1,75,047 | 1,04,865 | 40,714 | 2,18,662 |
| 10 | Other liabilities: (11+12) | 21,514 | 2,08,876 | 2,759 | 3,629 | 1,868 | 23,304 | 2,15,905 | 2,455 | 86 | 86 |
| 11 | NSFR derivative liabilities | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | All other liabilities and equity not included in the above categories | 21,514 | 1,97,764 | 2,671 | 1,868 | 1,868 | 23,304 | 2,15,905 | 2,455 | 86 | 86 |
| **13** | **Total ASF (1+4+7+10)** | | | | | **13,54,199** | | | | | **13,01,436** |
| **RSF Item** | | | | | | | | | | | |
| 14 | Total NSFR high-quality liquid assets (HQLA) | | | | | 19,435 | | | | | 19,143 |
| 15 | Deposits held at other financial institutions for operational purposes | 13,496 | 116 | 0 | 0 | 6,806 | 14,585 | 57 | 0 | 0 | 7,321 |
| 16 | Performing loans and securities: (17+18+19+21+23) | 3,263 | 3,38,786 | 83,632 | 8,22,406 | 8,43,411 | 4,497 | 3,13,484 | 1,02,747 | 7,78,624 | 8,19,489 |
| 17 | Performing loans to financial institutions secured by Level 1 HQLA | 0 | 16,801 | 126 | 195 | 1,728 | 0 | 1,531 | 332 | 0 | 319 |
| 18 | Performing loans to financial institutions secured by non-Level 1 HQLA and unsecured performing loans to financial institutions | 0 | 91,408 | 29,456 | 1,14,289 | 1,42,728 | 0 | 1,04,919 | 30,698 | 1,11,421 | 1,42,508 |
| 19 | Performing loans to non- financial corporate clients, loans to retail and small business customers, and loans to sovereigns, central banks, and PSEs, of which: | 0 | 1,70,105 | 47,125 | 5,34,794 | 5,29,904 | 0 | 1,50,500 | 63,044 | 4,98,464 | 5,10,760 |
| 20 | With a risk weight of less than or equal to 35% under the Basel II Standardised Approach for credit risk | 0 | 1,04,454 | 21,403 | 1,66,427 | 1,71,106 | 0 | 69,493 | 37,448 | 98,533 | 1,17,517 |
| 21 | Performing residential mortgages, of which: | 0 | 41,611 | 2,479 | 90,902 | 84,731 | 0 | 52,539 | 2,359 | 86,249 | 86,808 |
| 22 | With a risk weight of less than or equal to 35% under the Basel II Standardised Approach for credit risk | 0 | 27,809 | 2,168 | 72,901 | 62,374 | 0 | 36,047 | 2,083 | 69,761 | 64,590 |
| 23 | Securities that are not in default and do not qualify as HQLA, including exchange- traded equities | 3,263 | 18,860 | 4,446 | 82,226 | 84,319 | 4,497 | 3,995 | 6,314 | 82,491 | 79,094 |
| 24 | Other assets: (sum of rows 25 to 29) | 1,23,235 | 1,323 | 606 | 28,129 | 1,53,226 | 1,24,636 | 1,242 | 670 | 27,667 | 1,54,133 |
| 25 | Physical traded commodities, including gold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Assets posted as initial margin for derivative contracts and contributions to default funds of CCPs | 448 | 0 | 0 | 0 | 381 | 549 | 0 | 0 | 0 | 467 |
| 27 | NSFR derivative assets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | NSFR derivative liabilities before deduction of variation margin posted | 0 | 1 | 1 | 33 | 35 | 0 | 1 | 1 | 19 | 20 |
| 29 | All other assets not included in the above categories | 1,22,787 | 1,322 | 606 | 28,096 | 1,52,810 | 1,24,087 | 1,241 | 669 | 27,649 | 1,53,646 |
| 30 | Off-balance sheet items | 0 | 44,303 | 17,031 | 2,30,293 | 12,934 | 0 | 43,801 | 17,235 | 1,76,632 | 10,251 |
| **31** | **Total RSF** | | | | | **10,35,812** | | | | | **10,10,337** |
| **32** | **Net Stable Funding Ratio (%)** | | | | | **130.74%** | | | | | **128.81%** |

# निवल स्थिर निधियन अनुपात पर मात्रात्मक प्रकटीकरण

*(राशि ₹ करोड़ में)*

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **निवल स्थिर निधियन अनुपात (समेकित)** | | | | | | | | | | |
| **एनएसएफआर प्रकटीकरण यथावत** | | **30.09.2024** | | | | | **30.06.2024** | | | | |
| **एनएसएफआर घटक** | | **अवशिष्ट परिपक्वता द्वारा अनिर्धारित मूल्य** | | | | **निर्धारित मूल्य** | **अवशिष्ट परिपक्वता द्वारा अनिर्धारित मूल्य** | | | | **निर्धारित मूल्य** |
| | | **कोई परिपक्वता नहीं** | **< 6 माह** | **6 माह से < 1 वर्ष** | **≥ 1 वर्ष** | | **कोई परिपक्वता नहीं** | **< 6 माह** | **6 माह से < 1 वर्ष** | **≥ 1 वर्ष** | |
| **एएसएफ मद** | | | | | | | | | | | |
| 1 | पूंजी: (2+3) | 1,12,766 | 0 | 0 | 34,841 | 1,47,607 | 1,07,034 | 0 | 0 | 34,900 | 1,41,934 |
| 2 | विनियामक पूंजी | 1,12,766 | 0 | 0 | 31,195 | 1,43,961 | 1,07,034 | 0 | 0 | 31,195 | 1,38,229 |
| 3 | अन्य पूंजी लिखत | 0 | 0 | 0 | 3,646 | 3,646 | 0 | 0 | 0 | 3,705 | 3,705 |
| 4 | छोटे व्यवसाय के ग्राहकों से जमा और खुदरा जमा: (5+6) | 4,75,428 | 2,70,164 | 2,74,367 | 860 | 9,24,313 | 4,51,101 | 1,53,363 | 3,85,245 | 975 | 8,97,183 |
| 5 | स्थिर जमा | 74,187 | 20,540 | 15,081 | 280 | 1,04,597 | 73,234 | 13,600 | 22,591 | 265 | 1,04,219 |
| 6 | कम स्थिर जमा | 4,01,241 | 2,49,624 | 2,59,287 | 580 | 8,19,716 | 3,77,867 | 1,39,762 | 3,62,654 | 710 | 7,92,965 |
| 7 | थोक वित्तपोषण: (8+9) | 76,893 | 1,53,132 | 90,605 | 35,811 | 1,96,126 | 83,151 | 1,40,963 | 97,941 | 34,669 | 1,95,697 |
| 8 | परिचालन जमा | 0 | 17 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | अन्य थोक निधियन | 76,893 | 1,53,115 | 90,605 | 35,811 | 1,96,118 | 83,151 | 1,40,963 | 97,941 | 34,669 | 1,95,697 |
| 10 | अन्य देयताएं: (11+12) | 22,305 | 1,94,948 | 122 | 1,722 | 1,722 | 48,540 | 1,23,263 | 2,833 | 1,811 | 1,811 |
| 11 | एनएसएफआर व्युत्पन्न देनदारियां | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | अन्य सभी देयताएं और इक्विटी जो उपरोक्त श्रेणियों में शामिल नहीं हैं | 22,305 | 1,94,948 | 122 | 1,722 | 1,722 | 48,540 | 1,23,263 | 2,833 | 1,811 | 1,811 |
| **13** | **कुल एएसएफ (1+4+7+10)** | | | | | **12,69,768** | | | | | **12,36,625** |
| **आरएसएफ मद** | | | | | | | | | | | |
| 14 | कुल एनएसएफआर उच्च गुणवत्ता वाली तरल संपत्ति (एचक्यूएलए) | | | | | 18,982 | | | | | 18,311 |
| 15 | परिचालन उद्देश्यों के लिए अन्य वित्तीय संस्थानों में जमाराशियां | 7,469 | 47 | 0 | 0 | 3,758 | 4,164 | 85 | 0 | 0 | 2,125 |
| 16 | ऋण और प्रतिभूतियों का निष्पादन: (17+18+19+21+23) | 3,983 | 2,55,964 | 1,13,690 | 7,70,488 | 7,88,920 | 12,108 | 2,84,398 | 90,145 | 7,17,323 | 7,43,001 |
| 17 | स्तर 1 एचक्यूएलए द्वारा सुरक्षित वित्तीय संस्थानों को ऋण देना | 0 | 921 | 0 | 0 | 92 | 0 | 3,210 | 0 | 0 | 321 |
| 18 | गैर–स्तर 1 एचक्यूएलए द्वारा सुरक्षित वित्तीय संस्थानों के लिए कार्यशील ऋण और वित्तीय संस्थानों के लिए असुरक्षित कार्यशील ऋण | 0 | 64,421 | 26,332 | 1,06,371 | 1,29,200 | 0 | 93,873 | 18,656 | 92,690 | 1,16,099 |
| 19 | गैर–वित्तीय कॉर्पोरेट ग्राहकों के लिए कार्यशील ऋण, खुदरा और लघु व्यवसाय ग्राहकों को ऋण देना, और संप्रभु, केंद्रीय बैंकों और सार्वजनिक उपक्रमों को ऋण देना, जिनमें से: | 0 | 1,40,255 | 76,258 | 4,99,577 | 4,98,850 | 0 | 1,53,226 | 66,231 | 4,63,084 | 4,72,465 |
| 20 | ऋण जोखिम के लिए बेसल II मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत 35% से कम या उसके बराबर के जोखिम भार के साथ | 0 | 80,205 | 49,194 | 1,70,235 | 1,75,352 | 0 | 84,540 | 43,855 | 1,54,422 | 1,64,572 |
| 21 | कार्यशील आवासीय बंधक, जिनमें से: | 0 | 41,803 | 2,200 | 81,878 | 78,398 | 0 | 32,990 | 2,235 | 83,631 | 75,533 |
| 22 | ऋण जोखिम के लिए बेसल II मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत 35% से कम या उसके बराबर के जोखिम भार के साथ | 0 | 32,039 | 1,931 | 66,003 | 59,887 | 0 | 26,049 | 1,923 | 65,832 | 56,777 |
| 23 | प्रतिभूतियां जो डिफ़ॉल्ट रूप से नहीं हैं और एक्सचेंज–ट्रेडेड इक्विटी सहित एचक्यूएलए के रूप में योग्य नहीं हैं | 3,983 | 8,564 | 8,900 | 82,662 | 82,381 | 12,108 | 1,100 | 3,024 | 77,918 | 78,584 |
| 24 | अन्य संपत्तियां: (25 से 29 पंक्तियों का योग) | 1,17,261 | 1,559 | 777 | 18,921 | 1,38,457 | 92,244 | 1,358 | 1,306 | 17,691 | 1,12,500 |
| 25 | सोने सहित भौतिक व्यापार वाली वस्तुएं | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | व्युत्पन्न अनुबंधों के लिए प्रारंभिक मार्जिन के रूप में पोस्ट की गई संपत्तियां और सीसीपी के डिफ़ॉल्ट फंड में योगदान | 400 | 0 | 0 | 0 | 340 | 419 | 0 | 0 | 0 | 357 |
| 27 | एनएसएफआर व्युत्पन्न आस्तियां | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | पोस्ट किए गए भिन्नता मार्जिन की कटौती से पहले एनएसएफआर व्युत्पन्न देयताएं | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 29 | अन्य सभी आस्तियां उपरोक्त श्रेणियों में शामिल नहीं हैं | 1,16,831 | 1,558 | 777 | 18,921 | 1,38,086 | 91,807 | 1,358 | 1,306 | 17,691 | 1,12,127 |
| 30 | तुलन–पत्रोत्तर मद | 0 | 848 | 2,04,743 | 77,940 | 12,618 | 0 | 793 | 1,86,865 | 64,411 | 11,315 |
| **31** | **कुल आरएसएफ** | | | | | **9,62,735** | | | | | **8,87,252** |
| **32** | **निवल स्थिर निधियन अनुपात (%)** | | | | | **131.89%** | | | | | **139.38%** |

## QUANTITATIVE DISCLOSURE ON NET STABLE FUNDING RATIO

*(Amount in ₹ crore)*

| NET STABLE FUNDING RATIO (CONSOLIDATED) | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **NSFR Disclosure as on** | | **30.09.2024** | | | | | **30.06.2024** | | | | |
| **NSFR Components** | | **Unweighted value by residual maturity** | | | | **Weighted value** | **Unweighted value by residual maturity** | | | | **Weighted value** |
| | | **No maturity** | **< 6 months** | **6 months to < 1yr** | **≥ 1yr** | | **No maturity** | **< 6 months** | **6 months to < 1yr** | **≥ 1yr** | |
| **ASF Item** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Capital: (2+3) | 1,12,766 | 0 | 0 | 34,841 | 1,47,607 | 1,07,034 | 0 | 0 | 34,900 | 1,41,934 |
| 2 | Regulatory capital | 1,12,766 | 0 | 0 | 31,195 | 1,43,961 | 1,07,034 | 0 | 0 | 31,195 | 1,38,229 |
| 3 | Other capital instruments | 0 | 0 | 0 | 3,646 | 3,646 | 0 | 0 | 0 | 3,705 | 3,705 |
| 4 | Retail deposits and deposits from small business customers: (5+6) | 4,75,428 | 2,70,164 | 2,74,367 | 860 | 9,24,313 | 4,51,101 | 1,53,363 | 3,85,245 | 975 | 8,97,183 |
| 5 | Stable deposits | 74,187 | 20,540 | 15,081 | 280 | 1,04,597 | 73,234 | 13,600 | 22,591 | 265 | 1,04,219 |
| 6 | Less stable deposits | 4,01,241 | 2,49,624 | 2,59,287 | 580 | 8,19,716 | 3,77,867 | 1,39,762 | 3,62,654 | 710 | 7,92,965 |
| 7 | Wholesale funding: (8+9) | 76,893 | 1,53,132 | 90,605 | 35,811 | 1,96,126 | 83,151 | 1,40,963 | 97,941 | 34,669 | 1,95,697 |
| 8 | Operational deposits | 0 | 17 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Other wholesale funding | 76,893 | 1,53,115 | 90,605 | 35,811 | 1,96,118 | 83,151 | 1,40,963 | 97,941 | 34,669 | 1,95,697 |
| 10 | Other liabilities: (11+12) | 22,305 | 1,94,948 | 122 | 1,722 | 1,722 | 48,540 | 1,23,263 | 2,833 | 1,811 | 1,811 |
| 11 | NSFR derivative liabilities | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | All other liabilities and equity not included in the above categories | 22,305 | 1,94,948 | 122 | 1,722 | 1,722 | 48,540 | 1,23,263 | 2,833 | 1,811 | 1,811 |
| **13** | **Total ASF (1+4+7+10)** | | | | | **12,69,768** | | | | | **12,36,625** |
| **RSF Item** | | | | | | | | | | | |
| 14 | Total NSFR high-quality liquid assets (HQLA) | | | | | 18,982 | | | | | 18,311 |
| 15 | Deposits held at other financial institutions for operational purposes | 7,469 | 47 | 0 | 0 | 3,758 | 4,164 | 85 | 0 | 0 | 2,125 |
| 16 | Performing loans and securities: (17+18+19+21+23) | 3,983 | 2,55,964 | 1,13,690 | 7,70,488 | 7,88,920 | 12,108 | 2,84,398 | 90,145 | 7,17,323 | 7,43,001 |
| 17 | Performing loans to financial institutions secured by Level 1 HQLA | 0 | 921 | 0 | 0 | 92 | 0 | 3,210 | 0 | 0 | 321 |
| 18 | Performing loans to financial institutions secured by non-Level 1 HQLA and unsecured performing loans to financial institutions | 0 | 64,421 | 26,332 | 1,06,371 | 1,29,200 | 0 | 93,873 | 18,656 | 92,690 | 1,16,099 |
| 19 | Performing loans to non- financial corporate clients, loans to retail and small business customers, and loans to sovereigns, central banks, and PSEs, of which: | 0 | 1,40,255 | 76,258 | 4,99,577 | 4,98,850 | 0 | 1,53,226 | 66,231 | 4,63,084 | 4,72,465 |
| 20 | With a risk weight of less than or equal to 35% under the Basel II Standardised Approach for credit risk | 0 | 80,205 | 49,194 | 1,70,235 | 1,75,352 | 0 | 84,540 | 43,855 | 1,54,422 | 1,64,572 |
| 21 | Performing residential mortgages, of which: | 0 | 41,803 | 2,200 | 81,878 | 78,398 | 0 | 32,990 | 2,235 | 83,631 | 75,533 |
| 22 | With a risk weight of less than or equal to 35% under the Basel II Standardised Approach for credit risk | 0 | 32,039 | 1,931 | 66,003 | 59,887 | 0 | 26,049 | 1,923 | 65,832 | 56,777 |
| 23 | Securities that are not in default and do not qualify as HQLA, including exchange- traded equities | 3,983 | 8,564 | 8,900 | 82,662 | 82,381 | 12,108 | 1,100 | 3,024 | 77,918 | 78,584 |
| 24 | Other assets: (sum of rows 25 to 29) | 1,17,261 | 1,559 | 777 | 18,921 | 1,38,457 | 92,244 | 1,358 | 1,306 | 17,691 | 1,12,500 |
| 25 | Physical traded commodities, including gold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Assets posted as initial margin for derivative contracts and contributions to default funds of CCPs | 400 | 0 | 0 | 0 | 340 | 419 | 0 | 0 | 0 | 357 |
| 27 | NSFR derivative assets | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | NSFR derivative liabilities before deduction of variation margin posted | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 29 | All other assets not included in the above categories | 1,16,831 | 1,558 | 777 | 18,921 | 1,38,086 | 91,807 | 1,358 | 1,306 | 17,691 | 1,12,127 |
| 30 | Off-balance sheet items | 0 | 848 | 2,04,743 | 77,940 | 12,618 | 0 | 793 | 1,86,865 | 64,411 | 11,315 |
| **31** | **Total RSF** | | | | | **9,62,735** | | | | | **8,87,252** |
| **32** | **Net Stable Funding Ratio (%)** | | | | | **131.89%** | | | | | **139.38%** |

## 3. निवेश

3.ए रिज़र्व पर प्रभाव का प्रकटीकरण – परिर्वतन पर (आरबीआई की अधिसूचना संख्या RBI/DOR/2023-24/104 DOR.MRG.36/21.04.141/2023–24 dated 12.09.2023 के अनुसार – निवेश पोर्टफोलियो के वर्गीकरण, मूल्यांकन और संचालन पर मास्टर निर्देश),

संशोधित वहन मूल्य (01.04.2024) बनाम पहले वहन मूल्य (31.03.2024) में सुरक्षा प्रकार के अनुसार भिन्नता – परिवर्तन पर

*(राशि ₹ करोड़ में)*

| श्रेणी | पुनर्वर्गीकरण | तंत्र | राशि | कुल |
|---|---|---|---|---|
| **ए. सामान्य रिज़र्व** | | | | |
| जी–सेक | HTM to HTM | Accretion | 354.44 | (587.72) |
| | AFS to HTM | Amort. / Acc. | (4.46) | |
| | HTM to AFS | On FV | (812.29) | |
| | HFT to AFS | On FV | 2.75 | |
| | AFS to AFS | On FV | (127.76) | |
| | HFT to HFT | On FV | (0.40) | |
| अन्य स्वीकृत | HTM to FVTPL | On FV | (0.01) | (0.01) |
| एनएसएलआर | HTM to HTM | Accretion | 0.15 | (402.65) |
| | HTM / AFS to AFS / FVTPL | On FV | (402.80) | |
| अधिमानी शेयर | AFS to FVTPL | On FV | (143.21) | (143.21) |
| बॉन्ड पुर्न. | AFS to FVTPL | On FV | (2,032.90) | (2,032.90) |
| एसआर | AFS to FVTPL | On FV | (789.11) | (789.11) |
| वीसीएफ | AFS to FVTPL | On FV | (157.65) | (157.65) |
| इक्विटी | HTM / AFS to FVTPL | On FV | 3,614.02 | 3,614.02 |
| स्विफ्ट–फ़ॉरेन | AFS to FVTPL | On FV | 2.19 | 2.19 |
| म्यूचल फंड | AFS to FVTPL | On FV | 75.79 | 75.79 |
| **कुल अन्य रिज़र्व** | | | | **(421.25)** |
| **बी. एएफएस रिज़र्व** | | | | |
| **इक्विटी** | AFS to AFS (AFS Reserve) | On FV | (71.18) | (71.18) |
| **कुल एएफएस रिज़र्व** | | | | **(71.18)** |

### परिवर्तन का रिज़र्व पर प्रभाव

*(राशि ₹ करोड़ में)*

| विवरण | सामान्य रिज़र्व | एएफएस रिज़र्व | कर का प्रभाव | | निवल | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | सामान्य रिज़र्व | एएफएस रिज़र्व | सामान्य रिज़र्व | एएफएस रिज़र्व |
| निवेश पोर्टफोलियो के पुनर्वर्गीकरण के कारण परिवर्तन (उपर्युक्तानुसार) | (421.25) | (71.18) | (147.20) | (24.87) | (274.05) | (46.30) |
| मानक निवेश पर मूल्यह्रास के प्रावधान में परिवर्तन | 3,647.21 | 0.00 | 1,274.48 | 0.00 | 2,372.73 | 0.00 |
| **रिज़र्व पर निवल प्रभाव** | **3,225.96** | **(71.18)** | **1,127.28** | **(24.87)** | **2,098.68** | **(46.30)** |

## 3. Investments

**3.a Disclosure on impact on Reserves - On Transition (In terms of RBI vide notification no. RBI/DOR/2023-24/104 DOR. MRG.36/21.04.141/2023-24 dated 12.09.2023 - Master Direction on Classification, Valuation and Operation of Investment Portfolio.)**

**Security type wise variation in revised carrying value (01.04.2024) vs. earlier carrying value (31.03.2024) - On Transition**

***(Amount in ₹ Crore)***

| Category | Reclassification | Mechanism | Amount | Total |
|---|---|---|---|---|
| **A. General Reserve** | | | | |
| G-Sec | HTM to HTM | Accretion | 354.44 | (587.72) |
| | AFS to HTM | Amort. / Acc. | (4.46) | |
| | HTM to AFS | On FV | (812.29) | |
| | HFT to AFS | On FV | 2.75 | |
| | AFS to AFS | On FV | (127.76) | |
| | HFT to HFT | On FV | (0.40) | |
| Other Approved | HTM to FVTPL | On FV | (0.01) | (0.01) |
| NSLR | HTM to HTM | Accretion | 0.15 | (402.65) |
| | HTM / AFS to AFS / FVTPL | On FV | (402.80) | |
| Pref. Sh. | AFS to FVTPL | On FV | (143.21) | (143.21) |
| Bond Restr. | AFS to FVTPL | On FV | (2,032.90) | (2,032.90) |
| SR | AFS to FVTPL | On FV | (789.11) | (789.11) |
| VCF | AFS to FVTPL | On FV | (157.65) | (157.65) |
| Equity | HTM / AFS to FVTPL | On FV | 3,614.02 | 3,614.02 |
| Swift - Foreign | AFS to FVTPL | On FV | 2.19 | 2.19 |
| Mutual Fund | AFS to FVTPL | On FV | 75.79 | 75.79 |
| **Total Other Reserve** | | | | **(421.25)** |
| **B. AFS Reserve** | | | | |
| **Equity** | AFS to AFS (AFS Reserve) | On FV | (71.18) | (71.18) |
| **Total AFS Reserve** | | | | **(71.18)** |

**Impact of Transition on Reserves**

***(Amount in ₹ Crore)***

| Particulars | General Reserve | AFS Reserve | Tax Impact | | Net | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | General Reserve | AFS Reserve | General Reserve | AFS Reserve |
| Movement on account of reclassification of investment portfolio (As stated above) | (421.25) | (71.18) | (147.20) | (24.87) | (274.05) | (46.30) |
| Reversal of provision for depreciation on standard investment | 3,647.21 | 0.00 | 1,274.48 | 0.00 | 2,372.73 | 0.00 |
| **Net Impact on Reserve** | **3,225.96** | **(71.18)** | **1,127.28** | **(24.87)** | **2,098.68** | **(46.30)** |

## 3बी. निवेश पोर्टफोलियों की संरचना

**चालू वर्ष (वित्त वर्ष 2024–25)**

*(राशि ₹ करोड़ में)*

| | भारत में निवेश | | | | | | | भारत के बाहर निवेश | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | सरकारी प्रतिभूतियाँ | अन्य स्वीकृति प्रतिभूतियाँ | शेयर | डिबेंचर और बांड | समनुषंगी और/या संयुक्त उद्यम | अन्य | भारत में कुल निवेश | सरकारी प्रतिभूतियाँ (स्थानीय प्राधिकरणों सहित) | समनुषंगी और/या संयुक्त उद्यम | अन्य | भारत से बाहर निवेश | कुल निवेश |
| **परिपक्वता के लिए धारित** | | | | | | | | | | | | |
| सकल | 3,46,015.32 | 0.00 | 0.00 | 2,539.11 | 0.00 | 0.00 | 3,48,554.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,48,554.43 |
| घटाएं: अनर्जक निवेश (एनपीआई) के लिए प्रावधान | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **निवल** | **3,46,015.32** | **0.00** | **0.00** | **2,539.11** | **0.00** | **0.00** | **3,48,554.43** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **3,48,554.43** |
| **बिक्री के लिए उपलब्ध** | | | | | | | | | | | | |
| सकल | 71,315.32 | 0.00 | 663.07 | 30,499.34 | 0.00 | 13,299.08 | 1,15,776.81 | 9,305.49 | 0.00 | 695.13 | 10,000.62 | 1,25,777.43 |
| घटाएं: मूल्यह्रास और एनपीआई के लिए प्रावधान | 0.00 | 0.00 | 69.38 | 262.81 | 0.00 | 0.00 | 332.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 332.19 |
| **निवल** | **71,315.32** | **0.00** | **593.69** | **30,236.53** | **0.00** | **13,299.08** | **1,15,444.62** | **9,305.49** | **0.00** | **695.13** | **10,000.62** | **1,25,445.24** |
| **ट्रेडिंग के लिए धारित** | | | | | | | | | | | | |
| सकल | 2,297.55 | 0.00 | 2,714.40 | 1,929.64 | 0.00 | 3,111.70 | 10,053.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,053.29 |
| घटाएं: मूल्यह्रास और एनपीआई के लिए प्रावधान | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **निवल** | **2,297.55** | **0.00** | **2,714.40** | **1,929.64** | **0.00** | **3,111.70** | **10,053.29** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **10,053.29** |
| **कुल निवेश** | **4,19,628.19** | **0.00** | **3,377.47** | **34,968.09** | **0.00** | **16,410.78** | **4,74,384.53** | **9,305.49** | **0.00** | **695.13** | **10,000.62** | **4,84,385.15** |
| घटाएं: अनर्जक निवेश (एनपीआई) के लिए प्रावधान | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| घटाएं: मूल्यह्रास और एनपीआई के लिए प्रावधान | 0.00 | 0.00 | 69.38 | 262.81 | 0.00 | 0.00 | 332.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 332.18 |
| **निवल** | **4,19,628.19** | **0.00** | **3,308.09** | **34,705.28** | **0.00** | **16,410.78** | **4,74,052.34** | **9,305.49** | **0.00** | **695.13** | **10,000.62** | **4,84,052.97** |

01.04.2024 से लागू नए RBI दिशा–निर्देशों के अनुसार 2 नई श्रेणियाँ परिभाषित की गई हैं, अर्थात् FVTPL और सहायक कंपनियाँ, संयुक्त उद्यम और सहयोगी (SBJVAS)। ऊपर उल्लिखित HFT FVTPL की उपश्रेणी है। FVTPL (गैर–HFT) और SBJVA के लिए सकल और शुद्ध निवेश की स्थिति नीचे दी गई है।

| **लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीपीएल–गैर एचएफटी)** | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| सकल | 0.00 | 0.00 | 5,730.93 | 5,281.09 | 0.00 | 1,734.26 | 12,746.28 | 0.00 | 0.00 | 1.90 | 1.90 | 12,748.18 |
| घटाएं: मूल्यह्रास और एनपीआई के लिए प्रावधान | 0.00 | 0.00 | 1,843.16 | 1,579.96 | 0.00 | 0.00 | 3,423.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,423.12 |
| **निवल** | **0.00** | **0.00** | **3,887.77** | **3,701.13** | **0.00** | **1,734.26** | **9,323.16** | **0.00** | **0.00** | **1.90** | **1.90** | **9,325.06** |

### 3.b Composition of Investment Portfolio

**Current Year (FY 2024-25)**

***(Amount in ₹ Crore)***

| | Investments in India | | | | | | | Investments outside India | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Government Securities | Other Approved Securities | Shares | Debentures and Bonds | Subsidiaries and/or joint ventures | Others | Total investments in India | Government securities (including local authorities | Subsidiaries and/or joint ventures | Others | Total Investments outside India | Total Investments |
| **Held to Maturity** | | | | | | | | | | | | |
| Gross | 3,46,015.32 | 0.00 | 0.00 | 2,539.11 | 0.00 | 0.00 | 3,48,554.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,48,554.43 |
| Less: Provision for non-performing investments (NPI) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **Net** | **3,46,015.32** | **0.00** | **0.00** | **2,539.11** | **0.00** | **0.00** | **3,48,554.43** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **3,48,554.43** |
| **Available for Sale** | | | | | | | | | | | | |
| Gross | 71,315.32 | 0.00 | 663.07 | 30,499.34 | 0.00 | 13,299.08 | 1,15,776.81 | 9,305.49 | 0.00 | 695.13 | 10,000.62 | 1,25,777.43 |
| Less: Provision for depreciation and NPI | 0.00 | 0.00 | 69.38 | 262.81 | 0.00 | 0.00 | 332.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 332.19 |
| **Net** | **71,315.32** | **0.00** | **593.69** | **30,236.53** | **0.00** | **13,299.08** | **1,15,444.62** | **9,305.49** | **0.00** | **695.13** | **10,000.62** | **1,25,445.24** |
| **Held for Trading** | | | | | | | | | | | | |
| Gross | 2,297.55 | 0.00 | 2,714.40 | 1,929.64 | 0.00 | 3,111.70 | 10,053.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,053.29 |
| Less: Provision for depreciation and NPI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **Net** | **2,297.55** | **0.00** | **2,714.40** | **1,929.64** | **0.00** | **3,111.70** | **10,053.29** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **10,053.29** |
| **Total Investments** | **4,19,628.19** | **0.00** | **3,377.47** | **34,968.09** | **0.00** | **16,410.78** | **4,74,384.53** | **9,305.49** | **0.00** | **695.13** | **10,000.62** | **4,84,385.15** |
| Less: Provision for non-Performing investments (NPI) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Less: Provision for depreciation and NPI | 0.00 | 0.00 | 69.38 | 262.81 | 0.00 | 0.00 | 332.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 332.18 |
| **Net** | **4,19,628.19** | **0.00** | **3,308.09** | **34,705.28** | **0.00** | **16,410.78** | **4,74,052.34** | **9,305.49** | **0.00** | **695.13** | **10,000.62** | **4,84,052.97** |

There are 2 new categories defined as per new RBI guidelines w.e.f 01.04.2024 namely FVTPL and Subsidiaries, Joint Ventures & Associates (SBJVAS). Above mentioned HFT is subcategory of FVTPL. The position of gross and net investment for FVTPL (non-HFT) and SBJVAS are mentioned below.

| **Fair Value Through Profit and Loss (FVTPL-Non HFT)** | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross | 0.00 | 0.00 | 5,730.93 | 5,281.09 | 0.00 | 1,734.26 | 12,746.28 | 0.00 | 0.00 | 1.90 | 1.90 | 12,748.18 |
| Less: Provision for depreciation and NPI | 0.00 | 0.00 | 1,843.16 | 1,579.96 | 0.00 | 0.00 | 3,423.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,423.12 |
| **Net** | **0.00** | **0.00** | **3,887.77** | **3,701.13** | **0.00** | **1,734.26** | **9,323.16** | **0.00** | **0.00** | **1.90** | **1.90** | **9,325.06** |

| | भारत में निवेश | | | | | | | भारत के बाहर निवेश | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | सरकारी प्रतिभूतियाँ | अन्य स्वीकृति प्रतिभूतियाँ | शेयर | डिबेंचर और बांड | समनुषंगी और/या संयुक्त उद्यम | अन्य | भारत में कुल निवेश | सरकारी प्रतिभूतियाँ (स्थानीय प्राधिकरणों सहित) | समनुषंगी और/या संयुक्त उद्यम | अन्य | भारत से बाहर निवेश | कुल निवेश |
| | | | | | | | | | | | | |
| **सहायक कंपनियां, संयुक्त उद्यम और सहयोगी (एसबीजेवीएएस)** | | | | | | | | | | | | |
| सकल | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,982.64 | 0.00 | 2,982.64 | 0.00 | 2,560.28 | 0.00 | 2,560.28 | 5,542.92 |
| घटाएं: मूल्यह्रास और एनपीआई के लिए प्रावधान | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 869.03 | 0.00 | 869.03 | 0.00 | 740.66 | 0.00 | 740.66 | 1,609.69 |
| **निवल** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **2,113.61** | **0.00** | **2,113.61** | **0.00** | **1,819.62** | **0.00** | **1,819.62** | **3,933.23** |
| | | | | | | | | | | | | |
| **कुल निवेश** | 4,19,628.19 | 0.00 | 9,108.40 | 40,249.18 | 2,982.64 | 18,145.04 | 4,90,113.45 | 9,305.49 | 2,560.28 | 697.03 | 12,562.80 | 5,02,676.25 |
| घटाएं: अनर्जक निवेश (एनपीआई) के लिए प्रावधान | 0.00 | 0.00 | 1,912.54 | 1,842.77 | 869.03 | 0.00 | 4,624.34 | 0.00 | 740.66 | 0.00 | 740.66 | 5,365.00 |
| **कुल निवल** | **4,19,628.19** | **0.00** | **7,195.86** | **38,406.41** | **2,113.61** | **18,145.04** | **4,85,489.11** | **9,305.49** | **1,819.62** | **697.03** | **11,822.14** | **4,97,311.25** |

**पिछला वर्ष (वित्त वर्ष 2023–24)**

*(राशि ₹ करोड़ में)*

| | भारत में निवेश | | | | | | | भारत के बाहर निवेश | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | सरकारी प्रतिभूतियां | अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ | शेयर | डिबेंचर और बांड | सहायक कंपनियां और/या संयुक्त उद्यम | अन्य | भारत में कुल निवेश | सरकारी प्रतिभूतियाँ (स्थानीय प्राधिकरणों सहित) | सहायक कंपनियां और/या संयुक्त उद्यम | अन्य | भारत के बाहर कुल निवेश | कुल निवेश |
| परिपक्वता तक धारित | | | | | | | | | | | | |
| सकल | 3,18,422.64 | 0.15 | 5.13 | 4,200.65 | 2,882.64 | 149.32 | 3,25,660.53 | 0.00 | 2,560.28 | 0.20 | 2,560.49 | 3,28,221.02 |
| घटाएँ: गैर–निष्पादित निवेशों के लिए प्रावधान (एनपीआई) | 0.00 | 0.00 | 0.99 | 0.00 | 498.45 | 0.00 | 499.44 | 0.00 | 341.59 | 0.00 | 341.59 | 841.03 |
| निवल | **3,18,422.64** | **0.15** | **4.14** | **4,200.65** | **2,384.19** | **149.32** | **3,25,161.09** | **0.00** | **2,218.70** | **0.20** | **2,218.90** | **3,27,379.99** |
| | | | | | | | | | | | | |
| **बिक्री हेतु उपलब्ध** | | | | | | | | | | | | |
| सकल | 51,868.50 | 0.00 | 5,174.07 | 32,576.05 | 100.00 | 4,456.94 | 94,175.57 | 4,154.31 | 0.00 | 668.12 | 4,822.43 | 98,998.00 |
| घटाएँ: गैर–निष्पादित निवेशों के लिए प्रावधान (एनपीआई) | 0.00 | 0.00 | 2,336.91 | 4,574.29 | 1.03 | 854.08 | 7,766.31 | 44.37 | 0.00 | 31.63 | 76.01 | 7,842.31 |
| निवल | **51,868.50** | **0.00** | **2,837.16** | **28,001.76** | **98.97** | **3,602.87** | **86,409.26** | **4,109.94** | **0.00** | **636.49** | **4,746.42** | **91,155.69** |

| | Investments in India | | | | | | | Investments outside India | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Government Securities | Other Approved Securities | Shares | Debentures and Bonds | Subsidiaries and/or joint ventures | Others | Total investments in India | Government securities (including local authorities) | Subsidiaries and/or joint ventures | Others | Total Investments outside India | Total Investments |
| | | | | | | | | | | | | |
| **Subsidiaries, Joint Ventures and Associates (SBJVAS)** | | | | | | | | | | | | |
| Gross | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,982.64 | 0.00 | 2,982.64 | 0.00 | 2,560.28 | 0.00 | 2,560.28 | 5,542.92 |
| Less: Provision for depreciation and NPI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 869.03 | 0.00 | 869.03 | 0.00 | 740.66 | 0.00 | 740.66 | 1,609.69 |
| **Net** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **2,113.61** | **0.00** | **2,113.61** | **0.00** | **1,819.62** | **0.00** | **1,819.62** | **3,933.23** |
| | | | | | | | | | | | | |
| Total Investments | 4,19,628.19 | 0.00 | 9,108.40 | 40,249.18 | 2,982.64 | 18,145.04 | 4,90,113.45 | 9,305.49 | 2,560.28 | 697.03 | 12,562.80 | 5,02,676.25 |
| Less: Provision for non – Performing Investments (NPI) | 0.00 | 0.00 | 1,912.54 | 1,842.77 | 869.03 | 0.00 | 4,624.34 | 0.00 | 740.66 | 0.00 | 740.66 | 5,365.00 |
| **Total Net** | **4,19,628.19** | **0.00** | **7,195.86** | **38,406.41** | **2,113.61** | **18,145.04** | **4,85,489.11** | **9,305.49** | **1,819.62** | **697.03** | **11,822.14** | **4,97,311.25** |

## Previous Year (FY 2023-24)

***(Amount in ₹ Crore)***

| | Investments in India | | | | | | | Investments outside India | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Government Securities | Other Approved Securities | Shares | Debentures and Bonds | Subsidiaries and/or joint ventures | Others | Total investments in India | Government securities (including local authorities) | Subsidiaries and/or joint ventures | Others | Total Investments outside India | Total Investments |
| **Held to Maturity** | | | | | | | | | | | | |
| Gross | 3,18,422.64 | 0.15 | 5.13 | 4,200.65 | 2,882.64 | 149.32 | 3,25,660.53 | 0.00 | 2,560.28 | 0.20 | 2,560.49 | 3,28,221.02 |
| Less: Provision for non-performing investments (NPI) | 0.00 | 0.00 | 0.99 | 0.00 | 498.45 | 0.00 | 499.44 | 0.00 | 341.59 | 0.00 | 341.59 | 841.03 |
| **Net** | **3,18,422.64** | **0.15** | **4.14** | **4,200.65** | **2,384.19** | **149.32** | **3,25,161.09** | **0.00** | **2,218.70** | **0.20** | **2,218.90** | **3,27,379.99** |
| | | | | | | | | | | | | |
| **Available for Sale** | | | | | | | | | | | | |
| Gross | 51,868.50 | 0.00 | 5,174.07 | 32,576.05 | 100.00 | 4,456.94 | 94,175.57 | 4,154.31 | 0.00 | 668.12 | 4,822.43 | 98,998.00 |
| Less: Provision for depreciation and NPI | 0.00 | 0.00 | 2,336.91 | 4,574.29 | 1.03 | 854.08 | 7,766.31 | 44.37 | 0.00 | 31.63 | 76.01 | 7,842.31 |
| **Net** | **51,868.50** | **0.00** | **2,837.16** | **28,001.76** | **98.97** | **3,602.87** | **86,409.26** | **4,109.94** | **0.00** | **636.49** | **4,746.42** | **91,155.69** |

| | भारत में निवेश | | | | | | | भारत के बाहर निवेश | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | सरकारी प्रतिभूतियां | अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ | शेयर | डिबेंचर और बांड | सहायक कंपनियां और/या संयुक्त उद्यम | अन्य | भारत में कुल निवेश | सरकारी प्रतिभूतियाँ (स्थानीय प्राधिकरणों सहित) | सहायक कंपनियां और/या संयुक्त उद्यम | अन्य | भारत के बाहर कुल निवेश | कुल निवेश |
| **कारोबार पर धारित** | | | | | | | | | | | | |
| सकल | 1,782.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,782.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,782.53 |
| घटाएं: मूल्यह्रास और एनपीआई के लिए प्रावधान | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **निवल** | **1,782.53** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1,782.53** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1,782.53** |
| **कुल निवेश** | **3,72,073.67** | **0.15** | **5,179.21** | **36,776.69** | **2,982.64** | **4,606.27** | **4,21,618.63** | **4,154.31** | **2,560.28** | **668.32** | **7,382.92** | **4,29,001.55** |
| घटाएँ: गैर–निष्पादित निवेश (एनपीआई) के लिए प्रावधान | 0.00 | 0.00 | 0.99 | 0.00 | 498.45 | 0.00 | 499.44 | 0.00 | 341.59 | 0.00 | 341.59 | 841.03 |
| घटाएं: मूल्यह्रास और एनपीआई के लिए प्रावधान | 0.00 | 0.00 | 2,336.91 | 4,574.29 | 1.03 | 854.08 | 7,766.31 | 44.37 | 0.00 | 31.63 | 76.01 | 7,842.31 |
| **निवल** | **3,72,073.67** | **0.15** | **2,841.30** | **32,202.41** | **2,483.16** | **3,752.19** | **4,13,352.88** | **4,109.94** | **2,218.70** | **636.69** | **6,965.32** | **4,20,318.21** |

*# HTM मात्र*

### 3.सी. मूल्यह्रास और निवेश अस्थिर रिज़र्व के प्रावधानों का उतार–चढ़ाव

### 3.सी.i निवेशों पर मूल्यह्रास के लिए धारित प्रावधानों में उतार–चढ़ाव

*(राशि ₹ करोड़ में)*

| विवरण | चालू वर्ष | गत वर्ष |
|---|---|---|
| प्रारम्भिक शेष | **8,683.35** | **9,433.85** |
| जोड़ें: वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान | 240.91 | 28.39 |
| जोड़ें: पुनर्गठन के कारण आनुपातिक प्रावधान को एनपीआई प्रावधान में स्थानांतरित कर दिया गया | 0.00 | 1,772.06 |
| घटाएं: संक्रमणकालीन प्रभाव | 3,647.21 | 0.00 |
| घटाएं: वर्ष के दौरान किए गए अधिक प्रावधानों के लिए बट्टे खाते में डाली गयी/प्रतिलिखित राशि | 0.00 | 1,748.70 |
| घटाएं: बेची/पुनर्गठित/बट्टे खाते में डाली गयी प्रतिभूतियों के विरुद्ध प्रावधान | (87.94) | 802.25 |
| घटाएं: विदेशी मुद्रा दर में उतार–चढ़ाव के कारण परिवर्तन | 0.00 | 0.00 |
| अंतिम शेष | **5,364.99** | **8,683.35** |

### 3.सी.ii निवेश उतार–चढ़ाव आरक्षित निधि की गतिविधि

*(राशि ₹ करोड़ में)*

| विवरण | चालू वर्ष | गत वर्ष |
|---|---|---|
| **प्रारम्भिक शेष** | **1877.35** | **1,588.40** |
| जोड़ें: लाभ एवं हानि विनियोजन खाते से अंतरित राशि | 1,049.66 | 288.95 |
| जोड़ें: निवेश रिजर्व से स्थानांतरित | 386.35 | 0.00 |
| घटाएं: लाभ एवं हानि विनियोजन खाते में अंतरित राशि | 0.00 | 0.00 |
| घटाएं: गिरावट | 0.00 | 0.00 |
| **अंतिम शेष** | **3,313.36** | **1,877.35** |
| **एएफएस और एचएफटी/चालू श्रेणी (निवल) में निवेश के अंतिम शेष के प्रतिशत के रूप में आईएफआर में अंतिम शेष** | **2.29%** | **2.02%** |

| | Investments in India | | | | | | | Investments outside India | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Government Securities | Other Approved Securities | Shares | Debentures and Bonds | Subsidiaries and/or joint ventures | Others | Total investments in India | Government securities (including local authorities | Subsidiaries and/or joint ventures | Others | Total Investments outside India | Total Investments |
| | | | | | | | | | | | | |
| **Held for Trading** | | | | | | | | | | | | |
| Gross | 1,782.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,782.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,782.53 |
| Less: Provision for depreciation and NPI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **Net** | **1,782.53** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1,782.53** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1,782.53** |
| | | | | | | | | | | | | |
| **Total Investments** | **3,72,073.67** | **0.15** | **5,179.21** | **36,776.69** | **2,982.64** | **4,606.27** | **4,21,618.63** | **4,154.31** | **2,560.28** | **668.32** | **7,382.92** | **4,29,001.55** |
| Less: Provision for non-Performing investments (NPI)# | 0.00 | 0.00 | 0.99 | 0.00 | 498.45 | 0.00 | 499.44 | 0.00 | 341.59 | 0.00 | 341.59 | 841.03 |
| Less: Provision for depreciation and NPI | 0.00 | 0.00 | 2,336.91 | 4,574.29 | 1.03 | 854.08 | 7,766.31 | 44.37 | 0.00 | 31.63 | 76.01 | 7,842.31 |
| **Net** | **3,72,073.67** | **0.15** | **2,841.30** | **32,202.41** | **2,483.16** | **3,752.19** | **4,13,352.88** | **4,109.94** | **2,218.70** | **636.69** | **6,965.32** | **4,20,318.21** |

*# HTM only*

### 3.c Movement of Provisions for Depreciation and Investment Fluctuation Reserve

#### 3.c.i Movement of provisions held towards depreciation on investments

*(Amount in ₹ crore)*

| Particulars | Current Year | Previous Year |
|---|---|---|
| **Opening balance** | **8,683.35** | **9,433.85** |
| Add: Provision made during the year | 240.91 | 28.39 |
| Add: Proportionate Provision transferred to NPI Provision on account of restructuring | 0.00 | 1,772.06 |
| Less: Transitional Impact | 3,647.21 | 0.00 |
| Less: Write off / write back of excess provisions during the Year | 0.00 | 1,748.70 |
| Less: Provisions against securities sold/restructured/ write-off | (87.94) | 802.25 |
| Less: Variation due to Forex Rate Fluctuation | 0.00 | 0.00 |
| **Closing balance** | **5,364.99** | **8,683.35** |

#### 3.c.ii Movement of Investment Fluctuation Reserves

*(Amount in ₹ crore)*

| Particulars | Current Year | Previous Year |
|---|---|---|
| **Opening balance** | **1877.35** | **1,588.40** |
| Add: Transfer from P&L Appropriation A/c | 1,049.66 | 288.95 |
| Add: Transferred from Investment reserve | 386.35 | 0.00 |
| Less: Transfer to P&L Appropriation A/c | 0.00 | 0.00 |
| Less: Drawdown | 0.00 | 0.00 |
| **Closing balance** | **3,313.36** | **1,877.35** |
| **Closing balance in IFR as a percentage of closing balance of investments in AFS and HFT/Current category (Net)** | **2.29%** | **2.02%** |

### 3.डी. एचटीएम श्रेणी में/से बिक्री एवं अंतरण

1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 के दौरान आरबीआई मास्टर परिपत्र संख्या DOR.MRG.36/21.04.141/2023–24 दिनांक 12.09.2023 के अनुसार निवल अनुमत छूट के बाद एचटीएम श्रेणी से प्रतिभूतियों की बिक्री का कुल मूल्य 01.04.2024 को एचटीएम श्रेणी में रखे गए निवेशों के प्रारंभिक वहन मूल्य के 5% से अधिक नहीं बढ़ा।

इसलिए आरबीआई के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार कोई प्रकटीकरण नहीं किया गया है।

(पिछले वर्ष: 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 के दौरान आरबीआई मास्टर परिपत्र संख्या DOR.MRG.42/21.04.141/2021–22 दिनांक 25.08.2021 के अनुसार निवल अनुमत छूट के बाद एचटीएम श्रेणी में/से प्रतिभूतियों की बिक्री और अंतरण का दिनांक 31.03.2023 को एचटीएम श्रेणी में कुल मूल्य धारित निवेश के बही मूल्य के 5% से अधिक नहीं बढ़ा।

इसलिए आरबीआई के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार कोई प्रकटीकरण नहीं किया गया है।)

### 3. गैर–एसएलआर निवेश पोर्टफोलियो

3.ई.i अनर्जक गैर–एसएलआर निवेश

*(राशि ₹ करोड़ में)*

| विवरण | चालू वर्ष | गत वर्ष |
|---|---|---|
| **प्रारम्भिक शेष** | **6,660.40** | **7,002.58** |
| वर्ष के दौरान परिवर्धन | 109.86 | 1,456.86 |
| उपरोक्त अवधि के दौरान कमी | 1,168.15 | 1,799.05 |
| **अंतिम शेष** | **5,602.11** | **6,660.39** |
| **कुल धारित प्रावधान** | **5,602.11** | **6,660.39** |

### 3.d Sale and transfers to/from HTM category:

The total value of sales of securities from HTM category after netting permitted exclusions in terms of RBI Master Circular No. DOR. MRG.36/21.04.141/ 2023-24 dated 12.09.2023 during 1st April 2024 to 31st March 2025 has not exceeded 5% of the opening carrying value of investments held in HTM category as on 01.04.2024.

As such no disclosure is to be made in terms of extant RBI guidelines.

(Previous year: The total value of sales and transfers of securities to / from HTM category after netting permitted exclusions in terms of RBI Master Circular No. DOR.MRG.42/21.04.141/ 2021-22 dated 25.08.2021 during 1st April 2023 to 31st March 2024 has not exceeded 5% of the book value of investments held in HTM category as on 31.03.2023.)

As such no disclosure is to be made in terms of extant RBI guidelines.

### 3.e Non-SLR investment portfolio

3.e.i Non-performing non-SLR investments

*(Amount in ₹ crore)*

| Particulars | Current Year | Previous Year |
|---|---|---|
| **Opening balance** | **6,660.40** | **7,002.58** |
| Additions during the year | 109.86 | 1,456.86 |
| Reductions during the above period | 1,168.15 | 1,799.05 |
| **Closing balance** | **5,602.11** | **6,660.39** |
| **Total provisions held** | **5,602.11** | **6,660.39** |

### 3.ई.ii गैर एसएलआर निवेशों की निर्गमकर्ता संरचना

*(राशि ₹ करोड़ में)*

| क्र.सं. | निर्गमकर्ता | राशि | | निजी प्लेसमेंट की मात्रा | | "निवेश श्रेणी से नीचे" की प्रतिभूतियों की मात्रा | | "बिना रेटिंग की" प्रतिभूतियों की मात्रा | | "गैर सूचीबद्ध प्रतिभूतियों" की मात्रा | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | | (4) | | (5) | | (6) | | (7) | |
| | | चालू वर्ष | गत वर्ष | चालू वर्ष | गत वर्ष | चालू वर्ष | गत वर्ष | चालू वर्ष | गत वर्ष | चालू वर्ष | गत वर्ष |
| a) | पीएसयू | 14,940.51 | 14,079.89 | 14,432.91 | 13,063.09 | 948.35 | 1,082.14 | 0.00 | 0.00 | 1,561.90 | 1,782.98 |
| b) | एफआई | 11,549.29 | 6,777.09 | 11,451.35 | 6,432.53 | 23.50 | 44.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| c) | बैंक | 22,751.06 | 6,703.22 | 21,696.08 | 5,682.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| d) | निजी कॉर्पोरेट | 9,164.62 | 11,311.40 | 8,381.15 | 7,934.97 | 3,731.57 | 5,619.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| e) | अनुषंगियाँ/ संयुक्त उद्यम | 3,959.93 | 3,960.13 | 3,959.93 | 3,960.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| f) | अन्य* | 76,444.26 | 70,109.14 | 11,010.75 | 9,554.46 | 35.23 | 920.29 | 0.00 | 0.00 | 180.00 | 0.00 |
| g) | घटाएं: मूल्यह्रास के लिए प्रावधान | (5,364.99) | (8,683.34) | (5,009.61) | (8,266.13) | (2,796.37) | (5,355.76) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **जोड़**** | **1,33,444.69** | **1,04,257.53** | **65,922.56** | **38,361.64** | **1,942.28** | **2,309.69** | **0.00** | **0.00** | **1,741.90** | **1,782.98** |

*****अन्य में ₹55,761.62/– करोड़ की विशेष सरकारी प्रतिभूतियाँ और अनुसूची 8 में सरकारी प्रतिभूतियों के अंतर्गत ₹9,305.49 करोड़ का अमेरिकी ट्रेजरी को दर्शाया गया है।

*नोट– उपरोक्त कॉलम में 4, 5, 6 और 7 के अंतर्गत दर्शायी गयी राशियाँ परस्पर अनन्य नहीं हो सकतीं।*

### 3.e.ii Issuer composition of non-SLR investments

*(Amount in ₹ crore)*

| Sr. No. | Issuer | Amount | | Extent of Private Placement | | Extent of 'Below Investment Grade' Securities | | Extent of 'Unrated' Securities | | Extent of 'Unlisted' Securities | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | | (4) | | (5) | | (6) | | (7) | |
| | | Current Year | Previous Year | Current Year | Previous Year | Current Year | Previous Year | Current Year | Previous Year | Current Year | Previous Year |
| a) | PSUs | 14,940.51 | 14,079.89 | 14,432.91 | 13,063.09 | 948.35 | 1,082.14 | 0.00 | 0.00 | 1,561.90 | 1,782.98 |
| b) | FIs | 11,549.29 | 6,777.09 | 11,451.35 | 6,432.53 | 23.50 | 44.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| c) | Banks | 22,751.06 | 6,703.22 | 21,696.08 | 5,682.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| d) | Private Corporates | 9,164.62 | 11,311.40 | 8,381.15 | 7,934.97 | 3,731.57 | 5,619.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| e) | Subsidiaries/ Joint Ventures | 3,959.93 | 3,960.13 | 3,959.93 | 3,960.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| f) | Others* | 76,444.26 | 70,109.14 | 11,010.75 | 9,554.46 | 35.23 | 920.29 | 0.00 | 0.00 | 180.00 | 0.00 |
| g) | Less: Provision held towards depreciation | (5,364.99) | (8,683.34) | (5,009.61) | (8,266.13) | (2,796.37) | (5,355.76) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **Total** | **1,33,444.69** | **1,04,257.53** | **65,922.56** | **38,361.64** | **1,942.28** | **2,309.69** | **0.00** | **0.00** | **1,741.90** | **1,782.98** |

**Others includes Special Govt. Securities of ₹55,761.62/- Crore and US Treasury of ₹9,305.49/- Crore shown under Govt. securities in schedule 8.*

*Note - Amounts reported under columns 4, 5, 6 and 7 above may not be mutually exclusive.*

### 3.एफ़. रेपो लेनदेन (अंकित मूल्य और बाजार मूल्य के संदर्भ में)

चालू वर्ष 2024–25

*(राशि ₹ करोड़ में)*

| विवरण | वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया | | वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया | | वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया | | 31 मार्च 2025 तक बकाया | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | अंकित मूल्य | बाजार मूल्य | अंकित मूल्य | बाजार मूल्य | अंकित मूल्य | बाजार मूल्य | अंकित मूल्य | बाजार मूल्य |
| **रेपो के अंतर्गत बेची गई प्रतिभूतियाँ** | | | | | | | | |
| i) सरकारी प्रतिभूतियाँ | 0.00 | 0.00 | 4,910.24 | 4,981.14 | 462.63 | 478.76 | 0.00 | 0.00 |
| ii) कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियाँ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| iii) कोई अन्य प्रतिभूतियाँ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **रिवर्स रेपो के अंतर्गत खरीदी गई प्रतिभूतियाँ** | | | | | | | | |
| i) सरकारी प्रतिभूतियाँ | 0.00 | 0.00 | 32,141.48 | 33,162.03 | 2,734.90 | 2,797.09 | 12,452.98 | 12,598.45 |
| ii) कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियाँ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| iii) कोई अन्य प्रतिभूतियाँ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

गत वर्ष 2023–24

*(राशि ₹ करोड़ में)*

| विवरण | वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया | | वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया | | वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया | | 31 मार्च 2024 तक बकाया | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | अंकित मूल्य | बाजार मूल्य | अंकित मूल्य | बाजार मूल्य | अंकित मूल्य | बाजार मूल्य | अंकित मूल्य | बाजार मूल्य |
| **रेपो के अंतर्गत बेची गई प्रतिभूतियाँ** | | | | | | | | |
| i) सरकारी प्रतिभूतियाँ | 4.00 | 3.93 | 4,312.53 | 4,299.94 | 744.79 | 742.69 | 0.00 | 0.00 |
| ii) कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियाँ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| iii) कोई अन्य प्रतिभूतियाँ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **रिवर्स रेपो के अंतर्गत खरीदी गई प्रतिभूतियाँ** | | | | | | | | |
| i) सरकारी प्रतिभूतियाँ | 5.00 | 5.13 | 14,012.19 | 14,064.35 | 670.04 | 685.46 | 33.00 | 34.84 |
| ii) कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियाँ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| iii) कोई अन्य प्रतिभूतियाँ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

### 3.f. Repo Transactions (In Face Value and Market Value Terms)

**Current Year 2024-25**

*(Amount in ₹ crore)*

| Particulars | Minimum outstanding during the Year | | Maximum outstanding during the Year | | Daily average outstanding during the year | | Outstanding as on 31.03.2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Face Value | Market Value | Face Value | Market Value | Face Value | Market Value | Face Value | Market Value |
| **Securities sold under Repo** | | | | | | | | |
| i) Government securities | 0.00 | 0.00 | 4,910.24 | 4,981.14 | 462.63 | 478.76 | 0.00 | 0.00 |
| ii) Corporate debt securities | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| iii) Any other securities | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **Securities purchased under Reverse Repo** | | | | | | | | |
| i) Government securities | 0.00 | 0.00 | 32,141.48 | 33,162.03 | 2,734.90 | 2,797.09 | 12,452.98 | 12,598.45 |
| ii) Corporate debt securities | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| iii) Any other securities | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**Previous Year 2023-24**

*(Amount in ₹ crore)*

| Particulars | Minimum outstanding during the Year | | Maximum outstanding during the Year | | Daily average outstanding during the year | | Outstanding as on 31.03.2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Face Value | Market Value | Face Value | Market Value | Face Value | Market Value | Face Value | Market Value |
| **Securities sold under Repo** | | | | | | | | |
| i) Government securities | 4.00 | 3.93 | 4,312.53 | 4,299.94 | 744.79 | 742.69 | 0.00 | 0.00 |
| ii) Corporate debt securities | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| iii) Any other securities | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **Securities purchased under Reverse Repo** | | | | | | | | |
| i) Government securities | 5.00 | 5.13 | 14,012.19 | 14,064.35 | 670.04 | 685.46 | 33.00 | 34.84 |
| ii) Corporate debt securities | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| iii) Any other securities | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

### 3.जी. सरकारी प्रतिभूतियों के उधार से संबंधित प्रकटीकरण

**चालू वर्ष 2024—25**

*(राशि ₹ करोड़ में)*

| विवरण | अवधि के दौरान न्यूनतम बकाया | अवधि के दौरान अधिकतम बकाया | अवधि के दौरान दैनिक औसत बकाया | अवधि के दौरान लेनदेन की कुल मात्रा | 31 मार्च 2025 तक बकाया |
|---|---|---|---|---|---|
| जीएसएल लेनदेन के माध्यम से उधार दी गई प्रतिभूतियाँ | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| जीएसएल लेनदेन के माध्यम से उधार ली गई प्रतिभूतियाँ | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| जीएसएल लेनदेन के अंतर्गत संपार्श्विक के रूप में रखी गई प्रतिभूतियाँ | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| जीएसएल लेनदेन के तहत संपार्श्विक के रूप में प्राप्त प्रतिभूतियाँ | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |

**गत वर्ष 2023—24**

*(राशि ₹ करोड़ में)*

| विवरण | अवधि के दौरान न्यूनतम बकाया | अवधि के दौरान अधिकतम बकाया | अवधि के दौरान दैनिक औसत बकाया | अवधि के दौरान लेनदेन की कुल मात्रा | 31 मार्च 2024 तक बकाया |
|---|---|---|---|---|---|
| जीएसएल लेनदेन के माध्यम से उधार दी गई प्रतिभूतियाँ | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| जीएसएल लेनदेन के माध्यम से उधार ली गई प्रतिभूतियाँ | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| जीएसएल लेनदेन के अंतर्गत संपार्श्विक के रूप में रखी गई प्रतिभूतियाँ | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| जीएसएल लेनदेन के तहत संपार्श्विक के रूप में प्राप्त प्रतिभूतियाँ | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |

### 4. आस्ति गुणवत्ता

### 4.ए अग्रिमों और धारित प्रावधानों का वर्गीकरण:

*(राशि ₹ करोड़ में)*

| चालू वित्त वर्ष 2024—25 | मानक | अनर्जक | | | | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | कुल मानक अग्रिम | अवमानक | संदिग्ध | हानि | कुल अनर्जक अग्रिम | |
| **सकल मानक अग्रिम और एनपीए** | | | | | | |
| प्रारंभिक शेष | 9,26,981.65 | 4,875.91 | 39,550.75 | 11,916.39 | 56,343.05 | 9,83,324.70 |
| जोड़ें: वर्ष के दौरान परिवर्धन | | | | | 6,761.25 | |
| घटाएं: वर्ष के दौरान कटौती* | | | | | 19,022.70 | |
| **अंतिम शेष** | **10,72,555.49** | **5,558.59** | **21,740.16** | **16,782.85** | **44,081.60** | **11,16,637.09** |
| **निम्न के कारण सकल एनपीए में कमी:** | | | | | | |
| i) उन्नयन | | | | | 1,858.97 | |
| ii) वसूली (उन्नयन खातों से वसूली को छोड़कर) | | | | | 5,005.16 | |
| iii) तकनीकी/विवेकपूर्ण बट्टे खाते में डालना | | | | | 9,992.70 | |
| iv) ऊपर (iii) के तहत के अलावा अन्य को बट्टे खाते में डालना | | | | | 2,165.88 | |
| **प्रावधान (उतार—चढ़ाव प्रावधानों को छोड़कर)** | | | | | | |

### 3.g Disclosure related to Government Securities Lending

**Current Year 2024-25**

*(Amount in ₹ crore)*

| Particulars | Minimum outstanding during the period | Maximum outstanding during the period | Daily average outstanding during the period | Total volume of transactions during the period | Outstanding as on 31st March 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Securities lent through GSL transactions | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil |
| Securities borrowed through GSL transactions | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil |
| Securities placed as collateral under GSL transactions | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil |
| Securities received as collateral under GSL Transactions | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil |

**Previous Year 2023-24**

*(Amount in ₹ crore)*

| Particulars | Minimum outstanding during the period | Maximum outstanding during the period | Daily average outstanding during the period | Total volume of transactions during the period | Outstanding as on 31st March 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Securities lent through GSL transactions | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil |
| Securities borrowed through GSL transactions | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil |
| Securities placed as collateral under GSL transactions | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil |
| Securities received as collateral under GSL Transactions | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil |

### 4. Asset Quality

### 4.a Classification of Advances and Provisions held

*(Amount in ₹ crore)*

| Current FY 2024-25 | Standard | Non-Performing | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Total Standard Advances | Sub-standard | Doubtful | Loss | Total Non-Performing Advances | |
| **Gross Standard Advances and NPAs** | | | | | | |
| Opening Balance | 9,26,981.65 | 4,875.91 | 39,550.75 | 11,916.39 | 56,343.05 | 9,83,324.70 |
| Add: Addition during the year | | | | | 6,761.25 | |
| Less: Reduction during the year* | | | | | 19,022.70 | |
| **Closing Balance** | **10,72,555.49** | **5,558.59** | **21,740.16** | **16,782.85** | **44,081.60** | **11,16,637.09** |
| ***Reductions in Gross NPAs due to:** | | | | | | |
| i) Upgradation | | | | | 1,858.97 | |
| ii) Recoveries (excluding recoveries from upgraded accounts) | | | | | 5,005.16 | |
| iii) Technical/ Prudential Write-offs | | | | | 9,992.70 | |
| iv) Write-offs other than those under (iii) above | | | | | 2,165.88 | |
| **Provisions (Excluding Floating Provisions)** | | | | | | |

| चालू वित्त वर्ष 2024–25 | मानक | अनर्जक | | | | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | कुल मानक अग्रिम | अवमानक | संदिग्ध | हानि | कुल अनर्जक अग्रिम | |
| धारित प्रावधानों का प्रारम्भिक शेष | 7,768.19 | 1,934.27 | 35,048.10 | 11,731.08 | 48,713.45 | 56,481.64 |
| जोड़ें: वर्ष के दौरान किए गए नए प्रावधान | | | | | 7,469.83 | |
| घटाएं: अतिरिक्त प्रावधान रिवर्सड/बट्टे खाते में डाले गए ऋण | | | | | 17,786.17 | |
| **धारित प्रावधानों का अंतिम शेष** | **7,543.39** | **1,158.11** | **20,593.76** | **16,645.24** | **38,397.11** | **45,940.50** |
| **निवल एनपीए** | | | | | | |
| प्रारंभिक शेष | | 2,941.65 | 3,671.81 | 185.31 | 6,798.77 | |
| जोड़ें: वर्ष के दौरान नए परिवर्धन | | | | | 3,192.07 | |
| घटाएं: वर्ष के दौरान कटौती | | | | | 5,700.29 | |
| **अंतिम शेष** | | **4,119.51** | **33.43** | **137.61** | **4,290.55** | |

*(राशि ₹ करोड़ में)*

| गत वित्त वर्ष 2023–24 | मानक | अनर्जक | | | | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | कुल मानक अग्रिम | अवमानक | संदिग्ध | हानि | कुल अनर्जक अग्रिम | |
| सकल मानक अग्रिम और एनपीए | | | | | | |
| प्रारंभिक शेष | 8,07,353.02 | 12,226.61 | 43,413.63 | 21,687.43 | 77,327.67 | 8,84,680.69 |
| जोड़ें: वर्ष के दौरान परिवर्धन | | | | | 5,826.20 | |
| घटाएं: वर्ष के दौरान कटौती* | | | | | 26,810.81 | |
| **अंतिम शेष** | **9,26,981.65** | **4,875.91** | **39,550.75** | **11,916.39** | **56,343.05** | **9,83,324.70** |
| ***निम्न के कारण सकल एनपीए में कमी:** | | | | | | |
| i) उन्नयन | | | | | 3,447.81 | |
| ii) वसूली (उन्नयन खातों से वसूली को छोड़कर) | | | | | 7,105.78 | |
| iii) तकनीकी/विवेकपूर्ण बट्टे खाते में डालना | | | | | 12,495.85^ | |
| iv) ऊपर (iii) के तहत के अलावा अन्य को बट्टे खाते में डालना | | | | | 3,761.37 | |
| **प्रावधान (उतार–चढ़ाव प्रावधानों को छोड़कर)** | | | | | | |
| धारित प्रावधानों का प्रारम्भिक शेष | 7,746.99 | 1,793.48 | 30,479.17 | 21,551.14 | 53,823.79 | 61,570.78 |
| जोड़ें: वर्ष के दौरान किए गए नए प्रावधान | | | | | 18,217.40 | |
| घटाएं: अतिरिक्त प्रावधान रिवर्सड/बट्टे खाते में डाले गए ऋण | | | | | 23,327.74 | |
| **धारित प्रावधानों का अंतिम शेष** | **7,768.19** | **1,934.27** | **35,048.10** | **11,731.08** | **48,713.45** | **56,481.64** |
| **निवल एनपीए** | | | | | | |
| प्रारंभिक शेष | | 10,433.12 | 12,015.63 | 136.29 | 22,585.04 | |
| जोड़ें: वर्ष के दौरान नए परिवर्धन | | | | | 3,519.69 | |
| **घटाएं: वर्ष के दौरान कटौती** | | | | | 19,305.96 | |
| **अंतिम शेष** | | **2,941.65** | **3,671.81** | **185.31** | **6,798.77** | |

^तकनीकी राइट–ऑफ के लिए बैंक की नीति के अनुरुप 2,060.14 करोड़ रुपये के दो खातों को अनमार्क करने के बाद।

| Current FY 2024-25 | Standard | Non-Performing | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Total Standard Advances | Sub-standard | Doubtful | Loss | Total Non-Performing Advances | |
| Opening balance of provision held | 7,768.19 | 1,934.27 | 35,048.10 | 11,731.08 | 48,713.45 | 56,481.64 |
| Add: Fresh provision made during the year | | | | | 7,469.83 | |
| Less: Excess provision reversed/ Write-off loans | | | | | 17,786.17 | |
| **Closing balance of provisions held** | **7,543.39** | **1,158.11** | **20,593.76** | **16,645.24** | **38,397.11** | **45,940.50** |
| **Net NPAs** | | | | | | |
| Opening Balance | | 2,941.65 | 3,671.81 | 185.31 | 6,798.77 | |
| Add: Fresh additions during the year | | | | | 3,192.07 | |
| Less: Reduction during the year | | | | | 5,700.29 | |
| **Closing Balance** | | **4,119.51** | **33.43** | **137.61** | **4,290.55** | |

*(Amount in ₹ crore)*

| Previous FY 2023-24 | Standard | Non-Performing | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Total Standard Advances | Sub-standard | Doubtful | Loss | Total Non-Performing Advances | |
| **Gross Standard Advances and NPAs** | | | | | | |
| Opening Balance | 8,07,353.02 | 12,226.61 | 43,413.63 | 21,687.43 | 77,327.67 | 8,84,680.69 |
| Add: Addition during the year | | | | | 5,826.20 | |
| Less: Reduction during the year* | | | | | 26,810.81 | |
| **Closing Balance** | **9,26,981.65** | **4,875.91** | **39,550.75** | **11,916.39** | **56,343.05** | **9,83,324.70** |
| ***Reductions in Gross NPAs due to:** | | | | | | |
| i) Upgradation | | | | | 3,447.81 | |
| ii) Recoveries (excluding recoveries from upgraded accounts) | | | | | 7,105.78 | |
| iii) Technical/ Prudential Write-offs | | | | | 12,495.85^ | |
| iv) Write-offs other than those under (iii) above | | | | | 3,761.37 | |
| **Provisions (Excluding Floating Provisions)** | | | | | | |
| Opening balance of provision held | 7,746.99 | 1,793.48 | 30,479.17 | 21,551.14 | 53,823.79 | 61,570.78 |
| Add: Fresh provision made during the year | | | | | 18,217.40 | |
| Less: Excess provision reversed/ Write-off loans | | | | | 23,327.74 | |
| **Closing balance of provisions held** | **7,768.19** | **1,934.27** | **35,048.10** | **11,731.08** | **48,713.45** | **56,481.64** |
| **Net NPAs** | | | | | | |
| Opening Balance | | 10,433.12 | 12,015.63 | 136.29 | 22,585.04 | |
| Add: Fresh additions during the year | | | | | 3,519.69 | |
| Less: Reduction during the year | | | | | 19,305.96 | |
| **Closing Balance** | | **2,941.65** | **3,671.81** | **185.31** | **6,798.77** | |

^After netting off unmarking of TWO a/c of ₹2,060.14 Crores in line with the Bank's Policy for Technical Write-off

उतार चढ़ाव प्रावधानः

*(राशि ₹ करोड़ में)*

| विवरण | चालू वर्ष | गत वर्ष |
|---|---|---|
| प्रारंभिक शेष | **150.00** | **0.00** |
| जोड़ेंः वर्ष के दौरान किए गए अतिरिक्त प्रावधान | 600.00 | 150.00 |
| घटाएंः वर्ष के दौरान आहरित राशि | 0.00 | 0.00 |
| **उतार–चढ़ाव प्रावधानों का अंतिम शेष** | **750.00** | **150.00** |

तकनीकी बट्टे खाते में डालना और उस पर की गई वसूलीः

*(राशि ₹ करोड़ में)*

| विवरण | चालू वर्ष | गत वर्ष |
|---|---|---|
| तकनीकी/प्रूडेंशियल बट्टे खाते में डाले गए खातों का प्रारंभिक शेष | **91,165.75** | **95,122.55** |
| जोड़ेंः वर्ष के दौरान तकनीकी/विवेकपूर्ण बट्टे खाते में डालना | 10,205.78 | 14,695.31 |
| घटाएंः वर्ष के दौरान पूर्व के तकनीकी/विवेकपूर्ण बट्टे खाते में डाले गए खातों से की गई वसूली | 10,484.23 | 18,652.11 |
| **अंतिम शेष** | **90,887.30** | **91,165.75** |

अनुपातः

| विवरण | 31.03.2025 को | 31.03.2024 को |
|---|---|---|
| सकल एनपीए से सकल अग्रिम | 3.95% | 5.73% |
| निवल एनपीए से निवल अग्रिम | 0.40% | 0.73% |
| प्रावधान कवरेज अनुपात | 96.82% | 95.39% |

4.ख क्षेत्रवार अग्रिम और सकल एनपीएः

*(राशि ₹ करोड़ में)*

| क्र. सं | क्षेत्र | 31.03.2025 को | | | 31.03.2024 को | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | बकाया कुल अग्रिम | सकल एनपीए | सकल एनपीए का उस क्षेत्र में कुल अग्रिमों का प्रतिशत | बकाया कुल अग्रिम | सकल एनपीए | सकल एनपीए का उस क्षेत्र में कुल अग्रिमों का प्रतिशत |
| **A.** | **प्राथमिकता क्षेत्र** | | | | | | |
| 1 | कृषि और संबद्ध गतिविधियां | 1,36,815.63 | 19,548.82 | 14.29% | 1,20,321.34 | 21,247.52 | 17.66% |
| 2 | प्राथमिकता–प्राप्त क्षेत्र को उधार के रूप में पात्र उद्योग क्षेत्र को अग्रिम | 56,057.93 | 5,795.31 | 10.34% | 48,757.77 | 6,020.69 | 12.35% |
| 3 | सेवाएं | 1,07,055.13 | 13,176.33 | 12.31% | 90,642.21 | 13,709.39 | 15.12% |
| 4 | व्यक्तिगत ऋण | 30,981.32 | 1,263.62 | 4.08% | 33,240.69 | 1,829.62 | 5.50% |
| | जिसमे से | | | | | | |
| i | शिक्षा ऋण | 5,874.42 | 426.22 | 7.26% | 5,245.27 | 727.02 | 13.86% |
| ii | आवास ऋण | 24,785.91 | 834.54 | 3.37% | 27,923.25 | 1,074.32 | 3.85% |
| | **उप जोड़ (ए)** | **3,30,910.01** | **39,784.08** | **12.02%** | **2,92,962.07** | **42,807.21** | **14.61%** |
| **B.** | **गैर प्राथमिकता क्षेत्र** | | | | | | |
| 1 | कृषि और संबद्ध गतिविधियां | 43,809.49 | 264.09 | 0.60% | 37,866.38 | 731.68 | 1.93% |
| 2 | उद्योग | 1,35,535.83 | 1,748.19 | 1.29% | 1,22,938.43 | 4,988.65 | 4.06% |
| | जिसमे से | | | | | | |
| i | बिजली उत्पादन | 20,715.31 | 949.19 | 4.58% | 17,384.34 | 1,216.77 | 7.00% |
| ii | सड़कें और पुल | 33,768.65 | 91.08 | 0.27% | 29,843.83 | 782.88 | 2.62% |
| 3 | सेवाएं | 3,77,999.59 | 238.00 | 0.06% | 2,39,198.91 | 526.35 | 0.22% |
| | एनबीएफसीएस | 1,42,455.46 | 0.07 | 0.00% | 1,13,316.54 | 6.27 | 0.01% |
| 4 | व्यक्तिगत ऋण | 2,28,382.17 | 2,047.25 | 0.90% | 2,90,358.91 | 7,289.17 | 2.51% |
| | जिसमे से | | | | | | |
| i | आवास ऋण | 1,31,611.56 | 852.58 | 0.65% | 1,08,190.14 | 1,656.63 | 1.53% |

**Floating Provisions:**

*(Amount in ₹ crore)*

| Particulars | Current Year | Previous Year |
|---|---|---|
| **Opening Balance** | **150.00** | **0.00** |
| Add: Additional provisions made during the year | 600.00 | 150.00 |
| Less: Amount drawn down during the year | 0.00 | 0.00 |
| **Closing balance of floating provisions** | **750.00** | **150.00** |

**Technical Write-Offs and the Recoveries Made Thereon:**

*(Amount in ₹ crore)*

| Particulars | Current Year | Previous Year |
|---|---|---|
| **Opening balance of Technical/ Prudential written-off accounts** | **91,165.75** | **95,122.55** |
| Add: Technical/ Prudential write-offs during the year | 10,205.78 | 14,695.31 |
| Less: Recoveries made from previously technical/ prudential written-off accounts during the year | 10,484.23 | 18,652.11 |
| **Closing balance** | **90,887.30** | **91,165.75** |

**Ratios:**

| Particulars | As on 31.03.2025 | As on 31.03.2024 |
|---|---|---|
| Gross NPA to Gross Advances | 3.95% | 5.73% |
| Net NPA to Net Advances | 0.40% | 0.73% |
| Provision Coverage Ratio | 96.82% | 95.39% |

**4.b Sector-wise Advances and Gross NPAs**

*(Amount in ₹ crore)*

| Sl. No. | Sector | AS ON 31.03.2025 | | | AS ON 31.03.2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Outstanding Total Advances | Gross NPAs | Percentage of Gross NPAs to Total Advances in that sector | Outstanding Total Advances | Gross NPAs | Percentage of Gross NPAs to Total Advances in that sector |
| **A.** | **Priority Sector** | | | | | | |
| 1 | Agriculture and allied activities | 1,36,815.63 | 19,548.82 | 14.29% | 1,20,321.34 | 21,247.52 | 17.66% |
| 2 | Advances to industries sector eligible as priority sector lending | 56,057.93 | 5,795.31 | 10.34% | 48,757.77 | 6,020.69 | 12.35% |
| 3 | Services | 1,07,055.13 | 13,176.33 | 12.31% | 90,642.21 | 13,709.39 | 15.12% |
| 4 | Personal Loan | 30,981.32 | 1,263.62 | 4.08% | 33,240.69 | 1,829.62 | 5.50% |
| | of which | | | | | | |
| i | Education loans | 5,874.42 | 426.22 | 7.26% | 5,245.27 | 727.02 | 13.86% |
| ii | Housing loans | 24,785.91 | 834.54 | 3.37% | 27,923.25 | 1,074.32 | 3.85% |
| | **Sub-total (A)** | **3,30,910.01** | **39,784.08** | **12.02%** | **2,92,962.07** | **42,807.21** | **14.61%** |
| **B.** | **Non Priority Sector** | | | | | | |
| 1 | Agriculture and allied activities | 43,809.49 | 264.09 | 0.60% | 37,866.38 | 731.68 | 1.93% |
| 2 | Industry | 1,35,535.83 | 1,748.19 | 1.29% | 1,22,938.43 | 4,988.65 | 4.06% |
| | of which | | | | | | |
| i | Electricity Generation | 20,715.31 | 949.19 | 4.58% | 17,384.34 | 1,216.77 | 7.00% |
| ii | Roads and Bridges | 33,768.65 | 91.08 | 0.27% | 29,843.83 | 782.88 | 2.62% |
| 3 | Services | 3,77,999.59 | 238.00 | 0.06% | 2,39,198.91 | 526.35 | 0.22% |
| | NBFCS | 1,42,455.46 | 0.07 | 0.00% | 1,13,316.54 | 6.27 | 0.01% |
| 4 | Personal Loan | 2,28,382.17 | 2,047.25 | 0.90% | 2,90,358.91 | 7,289.17 | 2.51% |
| | of which | | | | | | |
| i | Housing loans | 1,31,611.56 | 852.58 | 0.65% | 1,08,190.14 | 1,656.63 | 1.53% |

| क्र. सं | क्षेत्र | 31.03.2025 को | | | 31.03.2024 को | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | बकाया कुल अग्रिम | सकल एनपीए | सकल एनपीए का उस क्षेत्र में कुल अग्रिमों का प्रतिशत | बकाया कुल अग्रिम | सकल एनपीए | सकल एनपीए का उस क्षेत्र में कुल अग्रिमों का प्रतिशत |
| ii | बंधक ऋण | 25,860.86 | 379.02 | 1.47% | 19,812.99 | 670.94 | 3.39% |
| iii | वाहन/ऑटो ऋण | 28,751.77 | 219.10 | 0.76% | 23,766.16 | 508.59 | 2.14% |
| | **उप जोड़ (B)** | **7,85,727.08** | **4,297.52** | **0.55%** | **6,90,362.62** | **13,535.84** | **1.96%** |
| | **कुल (A+B)** | **11,16,637.09** | **44,081.60** | **3.95%** | **9,83,324.70** | **56,343.05** | **5.73%** |

**4.सी) विदेशी आस्तियां, एनपीए और राजस्व**

*(राशि ₹ करोड़ में)*

| क्र. सं. | विवरण | चालू वर्ष | गत वर्ष |
|---|---|---|---|
| 1. | कुल आस्तियां | 93,091.99 | 70,205.70 |
| 2. | कुल एनपीए | 1,734.48 | 1,695.86 |
| 3. | कुल राजस्व | 4,606.49 | 3,672.18 |

**4.डी समाधान योजना एवं पुनर्गठन का विवरण**

**4.डी.i आरबीआई परिपत्र संख्या डीबीआर.सं.बीपी.बीसी.45/21.04.048/2018–19 दिनांक 07.06.2019 के अनुसार वर्ष के दौरान कार्यान्वित समाधान योजना से संबंधित प्रकटीकरण:**

*(राशि ₹ करोड़ में)*

| विवरण | चालू वर्ष | | गत वर्ष | |
|---|---|---|---|---|
| | खातों की संख्या | राशि | खातों की संख्या | राशि |
| पुनर्गठन आदि के अधीन ऋण आस्तियों की कुल राशि | 3 | 320.10 | 4 | 3,392.73 |
| पुनर्गठन आदि के अधीन मानक आस्तियों की राशि | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| पुनर्गठन आदि के अधीन अवमानक आस्तियों की राशि | 3 | 320.10 | 4 | 3,392.73 |
| अवधि के दौरान पुनर्गठन पर इक्विटी के रूपांतरण के कारण शेयरों का अधिग्रहणू | 1 | इक्विटी – शून्य<br>एनसीडी –10.44 | 4 | इक्विटी – शून्य<br>एनसीडी:1,034.77<br>ओसीसीपीएस:25.75 |

**4.डी.ii दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान के लिए विवेकपूर्ण ढांचे पर दिनांक 7 जून 2019 के आरबीआई परिपत्र डीबीआर संख्या बीपी.बीसी 45/21.04.048/2018–19 के अनुसार, कुल बैंकिंग एक्स्पोजर रु 1500.00 करोड़ और उससे अधिक है:**

चालू वर्ष (वित्त वर्ष 2024–25) – बैंक के पास 31.03.2025 को 14 खातों में ₹1,763.02 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान है, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

*(राशि ₹ करोड़ में)*

| आरबीआई परिपत्र से प्रभावित ऋण की राशि (एफबी+एनएफबी) | 31.03.2025 तक ऋण एनपीए की राशि (ए) से बाहर (एफबी+एनएफबी) | एफबी एनपीए ऋणों की राशि (बी) | 31.03.2025 तक मानक ऋणों की राशि (ए) में से | 31.12.2024 तक रखा गया कुल अतिरिक्त प्रावधान | तिमाही के दौरान अतिरिक्त प्रावधान/(रिवर्सल) किया गया | 31.03.2025 तक कुल धारित प्रावधान |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (ए) | (बी) | (सी) | (डी) | (ई) | (एफ) | (जी) |
| 7,144.32 | 1,605.99 | 0.00 | 5,538.33 | 992.43 | 770.59 | 1,763.02 |

गत वर्ष (वित्त वर्ष 2023–24) – बैंक के पास 31.03.2024 को 21 खातों में 2,196.18 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान है, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

| आरबीआई परिपत्र से प्रभावित ऋण की राशि (एफबी+एनएफबी) | 31.03.2024 तक ऋण एनपीए की राशि (ए) से बाहर (एफबी+एनएफबी) | एफबी एनपीए ऋणों की राशि (बी) | 31.03.2024 तक मानक ऋणों की राशि (ए) में से) | 31.12.2023 तक रखा गया कुल अतिरिक्त प्रावधान | तिमाही के दौरान अतिरिक्त प्रावधान/(रिवर्सल) किया गया | 31.03.2024 तक धारित प्रावधान |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (ए) | (बी) | (सी) | (डी) | (ई) | (एफ) | (जी) |
| 6,396.95 | 3,392.77 | 434.75 | 3,004.18 | 2,308.36 | (112.18) | 2,196.18 |

| Sl. No. | Sector | AS ON 31.03.2025 | | | AS ON 31.03.2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Outstanding Total Advances | Gross NPAs | Percentage of Gross NPAs to Total Advances in that sector | Outstanding Total Advances | Gross NPAs | Percentage of Gross NPAs to Total Advances in that sector |
| ii | Mortgage loan | 25,860.86 | 379.02 | 1.47% | 19,812.99 | 670.94 | 3.39% |
| iii | Vehicle/auto loans | 28,751.77 | 219.10 | 0.76% | 23,766.16 | 508.59 | 2.14% |
| | **Sub-total (B)** | **7,85,727.08** | **4,297.52** | **0.55%** | **6,90,362.62** | **13,535.84** | **1.96%** |
| | **Total (A+B)** | **11,16,637.09** | **44,081.60** | **3.95%** | **9,83,324.70** | **56,343.05** | **5.73%** |

**4.c Overseas Assets, NPAs and Revenue**

*(Amount in ₹ crore)*

| Sr. No. | Particulars | Current Year | Previous Year |
|---|---|---|---|
| 1. | Total Assets | 93,091.99 | 70,205.70 |
| 2. | Total NPAs | 1,734.48 | 1,695.86 |
| 3. | Total Revenue | 4,606.49 | 3,672.18 |

**4.d Particulars of Resolution Plan and Restructuring**

**4.d.i Disclosure related to Resolution Plan implemented during the year in terms of RBI Circular No. DBR.No.BP.BC.45/21.04.048/2018-19 dated 07.06.2019**

*(Amount in ₹ crore)*

| Particulars | Current Year | | Previous Year | |
|---|---|---|---|---|
| | No. of Accts | Amount | No. of Accts | Amount |
| Total amount of Loan assets subjected to restructuring etc. | 3 | 320.10 | 4 | 3,392.73 |
| The amount of standard assets subjected to restructuring etc. | Nil | Nil | Nil | Nil |
| The amount of Sub-standard assets subjected to restructuring etc. | 3 | 320.10 | 4 | 3,392.73 |
| Acquisition of shares due to conversion of equity on re-structuring during the year | 1 | Equity – Nil<br>NCD – 10.44 | 4 | Equity – Nil<br>NCD: 1,034.77<br>OCCPS: 25.75 |

**4.d.ii. In terms of RBI Circular DBR No. BP. BC 45/21.04.048/2018-19 dated June 7, 2019, on Prudential Framework for Resolution of Stressed Assets, having total banking exposure of Rs.1500.00 Crore and above:**

**Current Year (FY 2024-25)** - The Bank is holding additional provision of ₹1,763.02 Crores as on 31.03.2025 in 14 accounts as summarized below:

*(Amount in ₹ crore)*

| Amount of loans impacted by RBI Circular (FB+NFB) | Amount of NPA Loans as on 31.03.2025 out of (a) (FB+NFB) | Amount of FB NPA Loans out of (b) | Amount of Standard loans as on 31.03.2025 out of (a) | Total Additional Provisions held as on 31.12.2024 | Additional Provision / (Reversal) made during quarter | Total Provision held as on 31.03.2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | (g) |
| 7,144.32 | 1,605.99 | 0.00 | 5,538.33 | 992.43 | 770.59 | 1,763.02 |

**Previous Year (FY 2023-24) -** The Bank is holding additional provision of Rs. 2,196.18 Crore as on 31.03.2024 in 21 accounts as summarized below:

*(Amount in ₹ crore)*

| Amount of loans impacted by RBI Circular (FB+NFB) | Amount of NPA Loans as on 31.03.2024 out of (a) (FB+NFB) | Amount of FB NPA Loans out of (b) | Amount of Standard loans as on 31.03.2024 out of (a) | Total Additional Provisions held as on 31.12.2023 | Additional Provision / (Reversal) made during quarter | Total Provision held as on 31.03.2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | (g) |
| 6,396.95 | 3,392.77 | 434.75 | 3,004.18 | 2,308.36 | (112.18) | 2,196.18 |

## 4.डी iii पुनर्गठित खातों का प्रकटीकरण

### चालू वर्ष (वित्त वर्ष 2024–25)

*(राशि ₹ लाखो में)*

| क्र. सं. | पुनर्गठन के प्रकार → / आस्ति वर्गीकरण → / विवरण | | सीडीआर तंत्र के तहत स्टैण्डर्ड (ए) | सब–स्टैण्डर्ड (बी) | संदिग्ध (सी) | हानि (डी) | कुल (ई) | एसएमई ऋण पुर्नगठन तंत्र के तहत स्टैण्डर्ड (एफ) | सब–स्टैण्डर्ड (जी) | संदिग्ध (एच) | हानि (आई) | कुल (जे) | अन्य स्टैण्डर्ड (के) | सब–स्टैण्डर्ड (एल) | संदिग्ध (एम) | हानि (एन) | कुल (ओ) | कुल स्टैण्डर्ड | सब–स्टैण्डर्ड | संदिग्ध | हानि | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 अप्रैल 2024 तक पुनर्संरचित खाते (प्रारंभिक आंकड़े) | उधारकर्ताओं की संख्या | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 147 | 15 | 93 | 0 | 255 | 933 | 26 | 8 | 0 | 967 | 1,080 | 41 | 103 | 0 | 1,224 |
| | | बकाया राशि | 0.00 | 0.00 | 6,371.63 | 0.00 | 6,371.63 | 2,528.42 | 1,155.14 | 7,793.46 | 0.00 | 11,477.02 | 6,35,263.95 | 189.09 | 600.52 | 0.00 | 6,36,053.56 | 6,37,792.37 | 1,344.23 | 14,765.61 | 0.00 | 6,53,902.21 |
| | | उस पर प्रावधान | 0.00 | 0.00 | 171.85 | 0.00 | 171.85 | 252.84 | 57.76 | 2,784.92 | 0.00 | 3,095.52 | 24,211.49 | 0.86 | 38.99 | 0.00 | 24,251.34 | 24,464.33 | 58.62 | 2,995.76 | 0.00 | 27,518.71 |
| 2 | वर्ष 2024–25 के दौरान नवीनतम पुनर्गठन (वर्तमान खातों में बकाया जोड़ | उधारकर्ताओं की संख्या | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 11 | 37 | 1 | 4 | 0 | 42 | 37 | 10 | 6 | 0 | 53 |
| | | बकाया राशि | 0.00 | 0.00 | -387.59 | 0.00 | -387.59 | 0.00 | 355.35 | 100.72 | 0.00 | 456.07 | 1,71,891.32 | 709.78 | 692.43 | 0.00 | 1,73,293.53 | 1,71,891.32 | 1,065.13 | 405.56 | 0.00 | 1,73,362.01 |
| | | उस पर प्रावधान | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.90 | 0.00 | 0.00 | 20.90 | 8,551.80 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 8,551.85 | 8,551.80 | 20.90 | 0.05 | 0.00 | 8,572.75 |
| 3 | वर्ष 2024–25 के दौरान पुनर्गठित मानक श्रेणी के लिए अपग्रेडेशन | उधारकर्ताओं की संख्या | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| | | बकाया राशि | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.75 | -30.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.75 | -30.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | उस पर प्रावधान | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.53 | -1.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.53 | -1.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | वर्ष 2024–25 के आरम्भ में पुनर्गठित मानक अग्रिम जो वित्त वर्ष 2024–25 की तिमाही के अंत में उच्च प्रावधान और/ या अतिरिक्त जोखिम भार को आकर्षित करना बंद कर देते हैं और इसलिए उन्हें आगामी वित्तीय वर्ष के अंत में पुनर्गठित मानक अग्रिमों के रूप में दिखाने की आवश्यकता नहीं है। | उधारकर्ताओं की संख्या | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | -20 | -20 | 0 | 0 | 0 | -20 |
| | | बकाया राशि | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,69,473.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,69,473.26 | -1,69,473.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,69,473.26 |
| | | उस पर प्रावधान | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -8,473.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -8,473.66 | -8,473.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -8,473.66 |
| 5 | वर्ष 2024–25 के दौरान पुनर्गठित खातों का डाउनग्रेडेशन | उधारकर्ताओं की संख्या | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -10 | 12 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | -2 | -3 | -11 | 12 | 0 | -2 |
| | | बकाया राशि | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -15.17 | -1,007.27 | 1,022.44 | 0.00 | 0.00 | -3,206.75 | -172.66 | 0.00 | 0.00 | -3,379.41 | -3,221.92 | -1,179.93 | 1,022.44 | 0.00 | -3,379.41 |
| | | उस पर प्रावधान | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.52 | -50.21 | 51.73 | 0.00 | 0.00 | -160.34 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | -160.38 | -161.86 | -50.25 | 51.73 | 0.00 | -160.38 |
| 6 | वर्ष 2024–25 के दौरान पुनर्गठित खातों के शेष में कमी/बट्टे खाते में डालना | उधारकर्ताओं की संख्या | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | -41 | -2 | -71 | 0 | -114 | -905 | -25 | -7 | 0 | -937 | -946 | -27 | -79 | 0 | -1,052 |
| | | बकाया राशि | 0.00 | 0.00 | -4,003.79 | 0.00 | -4,003.79 | -336.69 | -99.28 | -5,860.63 | 0.00 | -6,296.60 | -70,437.02 | -16.43 | -1,106.14 | 0.00 | -71,559.59 | -70,773.71 | -115.71 | -10,970.56 | 0.00 | -81,859.98 |
| | | उस पर प्रावधान | 0.00 | 0.00 | -171.85 | 0.00 | -171.85 | -95.07 | -6.03 | -2,567.80 | 0.00 | -2,668.90 | -3,288.77 | -0.82 | -36.07 | 0.00 | -3,325.66 | -3,383.84 | -6.85 | -2,775.72 | 0.00 | -6,166.41 |
| 7 | 31.03.25 तक पुनर्गठित खाते (अंतिम आंकड़े)* | उधारकर्ताओं की संख्या | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 105 | 11 | 36 | 0 | 152 | 44 | 1 | 5 | 0 | 50 | 149 | 12 | 42 | 0 | 203 |
| | | बकाया राशि | 0.00 | 0.00 | 1,980.25 | 0.00 | 1,980.25 | 2,207.31 | 373.19 | 3,055.99 | 0.00 | 5,636.49 | 5,64,038.24 | 709.78 | 186.81 | 0.00 | 5,64,934.83 | 5,66,245.55 | 1,082.97 | 5,223.05 | 0.00 | 5,72,551.57 |
| | | उस पर प्रावधान | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 157.78 | 20.89 | 268.85 | 0.00 | 447.52 | 20,840.52 | 0.00 | 2.97 | 0.00 | 20,843.49 | 20,998.30 | 20.89 | 271.82 | 0.00 | 21,291.01 |

संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार पुनर्गठित खातों का प्रकटीकरण (दिनांक 31.03.2025 तक)

## 4.d.iii. Disclosure of Restructured Accounts

### Current Year (FY 2024-25)

*(Amount in ₹ Lakhs)*

| Sl No. | Type of Restructuring → | | Under CDR Mechanism | | | | | Under SME Debt Restructuring Mechanism | | | | | Others | | | | | Total | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Asset Classification → | | Standard | Sub-Standard | Doubtful | Loss | Total | Standard | Sub-Standard | Doubtful | Loss | Total | Standard | Sub-Standard | Doubtful | Loss | Total | Standard | Sub-Standard | Doubtful | Loss | Total |
| | Details | | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | (g) | (h) | (i) | (j) | (k) | (l) | (m) | (n) | (o) | | | | | |
| 1 | Restructured Accounts as on April 1 2024 (opening figure) | No. of borrowers | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 147 | 15 | 93 | 0 | 255 | 933 | 26 | 8 | 0 | 967 | 1,080 | 41 | 103 | 0 | 1,224 |
| | | Amount outstanding | 0.00 | 0.00 | 6,371.63 | 0.00 | 6,371.63 | 2,528.42 | 1,155.14 | 7,793.46 | 0.00 | 11,477.02 | 6,35,263.95 | 189.09 | 600.52 | 0.00 | 6,36,053.56 | 6,37,792.37 | 1,344.23 | 14,765.61 | 0.00 | 6,53,902.21 |
| | | Provision thereon | 0.00 | 0.00 | 171.85 | 0.00 | 171.85 | 252.84 | 57.76 | 2,784.92 | 0.00 | 3,095.52 | 24,211.49 | 0.86 | 38.99 | 0.00 | 24,251.34 | 24,464.33 | 58.62 | 2,995.76 | 0.00 | 27,518.71 |
| 2 | Fresh restructuring during the year 2024-25 (plus addition in o/s in existing a/cs) | No. of borrowers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 11 | 37 | 1 | 4 | 0 | 42 | 37 | 10 | 6 | 0 | 53 |
| | | Amount outstanding | 0.00 | 0.00 | -387.59 | 0.00 | -387.59 | 0.00 | 355.35 | 100.72 | 0.00 | 456.07 | 1,71,891.32 | 709.78 | 692.43 | 0.00 | 1,73,293.53 | 1,71,891.32 | 1,065.13 | 405.56 | 0.00 | 1,73,362.01 |
| | | Provision thereon | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.90 | 0.00 | 0.00 | 20.90 | 8,551.80 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 8,551.85 | 8,551.80 | 20.90 | 0.05 | 0.00 | 8,572.75 |
| 3 | Upgradation to restructured standard category during the FY 2024-25 | No. of borrowers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| | | Amount outstanding | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.75 | -30.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.75 | -30.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | Provision thereon | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.53 | -1.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.53 | -1.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Restructured standard advances at the begining of the FY 2024-25, which cease to attract higher provisionining and / or additional risk weight at the end of FY 2024-25 and hence need not be shown as restructured standard | No. of borrowers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | -20 | -20 | 0 | 0 | 0 | -20 |
| | | Amount outstanding | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,69,473.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,69,473.26 | -1,69,473.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,69,473.26 |
| | | Provision thereon | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -8,473.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -8,473.66 | -8,473.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -8,473.66 |
| 5 | downgrada-tion of restructured accounts during the FY 2024-25 | No. of borrowers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -10 | 12 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | -2 | -3 | -11 | 12 | 0 | -2 |
| | | Amount outstanding | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -15.17 | -1,007.27 | 1,022.44 | 0.00 | 0.00 | -3,206.75 | -172.66 | 0.00 | 0.00 | -3,379.41 | -3,221.92 | -1,179.93 | 1,022.44 | 0.00 | -3,379.41 |
| | | Provision thereon | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.52 | -50.21 | 51.73 | 0.00 | 0.00 | -160.34 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | -160.38 | -161.86 | -50.25 | 51.73 | 0.00 | -160.38 |
| 6 | Write-offs of restructured accounts during the FY 2024-25 | No. of borrowers | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | -41 | -2 | -71 | 0 | -114 | -905 | -25 | -7 | 0 | -937 | -946 | -27 | -79 | 0 | -1,052 |
| | | Amount outstanding | 0.00 | 0.00 | -4,003.79 | 0.00 | -4,003.79 | -336.69 | -99.28 | -5,860.63 | 0.00 | -6,296.60 | -70,437.02 | -16.43 | -1,106.14 | 0.00 | -71,559.59 | -70,773.71 | -115.71 | -10,970.56 | 0.00 | -81,859.98 |
| | | Provision thereon | 0.00 | 0.00 | -171.85 | 0.00 | -171.85 | -95.07 | -6.03 | -2,567.80 | 0.00 | -2,668.90 | -3,288.77 | -0.82 | -36.07 | 0.00 | -3,325.66 | -3,383.84 | -6.85 | -2,775.72 | 0.00 | -6,166.41 |
| 7 | Accounts Restructured as on Mar 31, 25 (Closing Figures) | No. of borrowers | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 105 | 11 | 36 | 0 | 152 | 44 | 1 | 5 | 0 | 50 | 149 | 12 | 42 | 0 | 203 |
| | | Amount outstanding | 0.00 | 0.00 | 1,980.25 | 0.00 | 1,980.25 | 2,207.31 | 373.19 | 3,055.99 | 0.00 | 5,636.49 | 5,64,038.24 | 709.78 | 186.81 | 0.00 | 5,64,934.83 | 5,66,245.55 | 1,082.97 | 5,223.05 | 0.00 | 5,72,551.57 |
| | | Provision thereon | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 157.78 | 20.89 | 268.85 | 0.00 | 447.52 | 20,840.52 | 0.00 | 2.97 | 0.00 | 20,843.49 | 20,998.30 | 20.89 | 271.82 | 0.00 | 21,291.01 |

Table heading: Disclosure of Restructured Accounts (As on 31.03.2025) as per revised guidelines

## गत वर्ष (वित्त वर्ष 2023–24)

*(राशि ₹ लाखो में)*

| क्र. सं. | पुनर्गठन के प्रकार → | | सीडीआर तंत्र के तहत | | | | | एसएमई ऋण पुनर्गठन तंत्र के तहत | | | | | अन्य | | | | | कुल | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | आस्ति वर्गीकरण → | | स्टैण्डर्ड | सब–स्टैण्डर्ड | संदिग्ध | हानि | कुल | स्टैण्डर्ड | सब–स्टैण्डर्ड | संदिग्ध | हानि | कुल | स्टैण्डर्ड | सब–स्टैण्डर्ड | संदिग्ध | हानि | कुल | स्टैण्डर्ड | सब– स्टैण्डर्ड | संदिग्ध | हानि | कुल |
| | विवरण | | (ए) | (बी) | (सी) | (डी) | (ई) | (एफ) | (जी) | (एच) | (आई) | (जे) | (के) | (एल) | (एम) | (एन) | (ओ) | | | | | |
| 1 | 1 अप्रैल 2023 तक पुनर्गठित खाते (प्राम्भिक आंकड़े) | उधारकर्ताओं की संख्या | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 175 | 16 | 134 | 0 | 325 | 182 | 9 | 114 | 0 | 305 | 357 | 25 | 250 | 0 | 632 |
| | | बकाया राशि | 0.00 | 0.00 | 6,373.89 | 0.00 | 6,373.89 | 2,921.01 | 1,373.73 | 8,594.19 | 0.00 | 12,888.93 | 7,58,598.83 | 66.29 | 36,151.27 | 0.00 | 7,94,816.39 | 7,61,519.84 | 1,440.02 | 51,119.35 | 0.00 | 8,14,079.21 |
| | | उस पर प्रावधान | 0.00 | 0.00 | 219.59 | 0.00 | 219.59 | 239.35 | 17.56 | 2,901.94 | 0.00 | 3,158.85 | 29,594.20 | 1.37 | 104.34 | 0.00 | 29,699.91 | 29,833.55 | 18.93 | 3,225.87 | 0.00 | 33,078.35 |
| 2 | वर्ष 2023–24 के दौरान नवीनतम पुनर्गठन (वर्तमान खातों में बकाया जोड़ | उधारकर्ताओं की संख्या | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 8 | 882 | 18 | 1 | 0 | 901 | 882 | 25 | 2 | 0 | 909 |
| | | बकाया राशि | 0.00 | 0.00 | -2.26 | 0.00 | -2.26 | 0.00 | 1,060.98 | 315.31 | 0.00 | 1,376.29 | 6,155.86 | 182.87 | 14.57 | 0.00 | 6,353.30 | 6,155.86 | 1,243.85 | 327.62 | 0.00 | 7,727.33 |
| | | उस पर प्रावधान | 0.00 | 0.00 | -47.74 | 0.00 | -47.74 | 0.00 | 53.04 | 15.77 | 0.00 | 68.81 | 615.59 | 0.55 | 0.04 | 0.00 | 616.18 | 615.59 | 53.59 | -31.93 | 0.00 | 637.25 |
| 3 | वर्ष 2023–24 के दौरान पुनर्गठित मानक श्रेणी के लिए अपग्रेडेशन | उधारकर्ताओं की संख्या | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | -4 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | -4 | -3 | 0 | 0 |
| | | बकाया राशि | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 291.83 | -280.13 | -11.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 291.83 | -280.13 | -11.70 | 0.00 | 0.00 |
| | | उस पर प्रावधान | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.60 | -14.01 | -0.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.60 | -14.01 | -0.59 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | वर्ष 2023–24 के आरम्भ में पुनर्गठित मानक अग्रिम जो वित्त वर्ष 2023–24 की तिमाही के अंत में उच्च प्रावधान और/ या अतिरिक्त जोखिम भार को आकर्षित करना बंद कर देते हैं और इसलिए उन्हें आगामी वित्तीय वर्ष के अंत में पुनर्गठित मानक अग्रिमों के रूप में दिखाने की आवश्यकता नहीं है। | उधारकर्ताओं की संख्या | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | बकाया राशि | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | उस पर प्रावधान | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | वर्ष 2023–24 के दौरान पुनर्गठित खातों का डाउनग्रेडेशन | उधारकर्ताओं की संख्या | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | -1 | 7 | 0 | 0 | -53 | -1 | -107 | 0 | -161 | -61 | 0 | -100 | 0 | -161 |
| | | बकाया राशि | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -94.15 | 66.75 | 27.40 | 0.00 | 0.00 | -990.92 | 0.00 | -19,020.51 | 0.00 | -20,011.43 | -1,085.07 | 66.75 | -18,993.11 | 0.00 | -20,011.43 |
| | | उस पर प्रावधान | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.71 | 3.34 | 1.37 | 0.00 | 0.00 | -49.55 | 0.00 | -64.28 | 0.00 | -113.83 | -54.26 | 3.34 | -62.91 | 0.00 | -113.83 |
| 6 | वर्ष 2023–24 के दौरान पुनर्गठित खातों के शेष में कमी/बट्टे खाते में डालना | उधारकर्ताओं की संख्या | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -27 | -5 | -46 | 0 | -78 | -78 | 0 | 0 | 0 | -78 | -105 | -5 | -46 | 0 | -156 |
| | | बकाया राशि | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -590.27 | -1,066.19 | -1,131.74 | 0.00 | -2,788.20 | -1,28,499.82 | -60.07 | -16,544.81 | 0.00 | -1,45,104.70 | -1,29,090.09 | -1,126.26 | -17,676.55 | 0.00 | -1,47,892.90 |
| | | उस पर प्रावधान | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | -2.17 | -133.57 | 0.00 | -132.14 | -5,948.75 | -1.06 | -1.11 | 0.00 | -5,950.92 | -5,945.15 | -3.23 | -134.68 | 0.00 | -6,083.06 |
| 7 | 31.03.24 तक पुनर्गठित खाते (अंतिम आंकड़े)* | उधारकर्ताओं की संख्या | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 147 | 15 | 93 | 0 | 255 | 933 | 26 | 8 | 0 | 967 | 1,080 | 41 | 103 | 0 | 1,224 |
| | | बकाया राशि | 0.00 | 0.00 | 6,371.63 | 0.00 | 6,371.63 | 2,528.42 | 1,155.14 | 7,793.46 | 0.00 | 11,477.02 | 6,35,263.95 | 189.09 | 600.52 | 0.00 | 6,36,053.56 | 6,37,792.37 | 1,344.23 | 14,765.61 | 0.00 | 6,53,902.21 |
| | | उस पर प्रावधान | 0.00 | 0.00 | 171.85 | 0.00 | 171.85 | 252.84 | 57.76 | 2,784.92 | 0.00 | 3,095.52 | 24,211.49 | 0.86 | 38.99 | 0.00 | 24,251.34 | 24,464.33 | 58.62 | 2,995.76 | 0.00 | 27,518.71 |

Table title: संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार पुनर्गठित खातों का प्रकटीकरण (दिनांक 31.03.2025 तक)

## Previous Year (FY 2023-24)

*(Amount in ₹ Lakhs)*

| Sl No. | Type of Restructuring → | | Under CDR Mechanism | | | | | Under SME Debt Restructuring Mechanism | | | | | Others | | | | | Total | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Assest Classification → | | Standard | Sub-Standard | Doubtful | Loss | Total | Standard | Sub-Standard | Doubtful | Loss | Total | Standard | Sub-Standard | Doubtful | Loss | Total | Standard | Sub-Standard | Doubtful | Loss | Total |
| | Details | | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | (g) | (h) | (i) | (j) | (k) | (l) | (m) | (n) | (o) | | | | | |
| 1 | Restructured Accounts as on April 1 2023 (opening figure) | No. of borrowers | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 175 | 16 | 134 | 0 | 325 | 182 | 9 | 114 | 0 | 305 | 357 | 25 | 250 | 0 | 632 |
| | | Amount outstanding | 0.00 | 0.00 | 6,373.89 | 0.00 | 6,373.89 | 2,921.01 | 1,373.73 | 8,594.19 | 0.00 | 12,888.93 | 7,58,598.83 | 66.29 | 36,151.27 | 0.00 | 7,94,816.39 | 7,61,519.84 | 1,440.02 | 51,119.35 | 0.00 | 8,14,079.21 |
| | | Provision thereon | 0.00 | 0.00 | 219.59 | 0.00 | 219.59 | 239.35 | 17.56 | 2,901.94 | 0.00 | 3,158.85 | 29,594.20 | 1.37 | 104.34 | 0.00 | 29,699.91 | 29,833.55 | 18.93 | 3,225.87 | 0.00 | 33,078.35 |
| 2 | Fresh restructuring during the year 2023-24 (plus addition in o/s in existing a/cs) | No. of borrowers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 8 | 882 | 18 | 1 | 0 | 901 | 882 | 25 | 2 | 0 | 909 |
| | | Amount outstanding | 0.00 | 0.00 | -2.26 | 0.00 | -2.26 | 0.00 | 1,060.98 | 315.31 | 0.00 | 1,376.29 | 6,155.86 | 182.87 | 14.57 | 0.00 | 6,353.30 | 6,155.86 | 1,243.85 | 327.62 | 0.00 | 7,727.33 |
| | | Provision thereon | 0.00 | 0.00 | -47.74 | 0.00 | -47.74 | 0.00 | 53.04 | 15.77 | 0.00 | 68.81 | 615.59 | 0.55 | 0.04 | 0.00 | 616.18 | 615.59 | 53.59 | -31.93 | 0.00 | 637.25 |
| 3 | Upgradation to restructured standard category during the FY 2023-24 | No. of borrowers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | -4 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | -4 | -3 | 0 | 0 |
| | | Amount outstanding | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 291.83 | -280.13 | -11.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 291.83 | -280.13 | -11.70 | 0.00 | 0.00 |
| | | Provision thereon | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.60 | -14.01 | -0.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.60 | -14.01 | -0.59 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Restructured standard advances at the begining of the FY 2023-24, which cease to attract higher provisionining and / or additional risk weight at the end of FY 2023-24 and hence need not be shown as restructured standard | No. of borrowers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Amount outstanding | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | Provision thereon | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | downgrada-tion of restructured accounts during the FY 2023-24 | No. of borrowers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | -1 | 7 | 0 | 0 | -53 | -1 | -107 | 0 | -161 | -61 | 0 | -100 | 0 | -161 |
| | | Amount outstanding | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -94.15 | 66.75 | 27.40 | 0.00 | 0.00 | -990.92 | 0.00 | -19,020.51 | 0.00 | -20,011.43 | -1,085.07 | 66.75 | -18,993.11 | 0.00 | -20,011.43 |
| | | Provision thereon | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.71 | 3.34 | 1.37 | 0.00 | 0.00 | -49.55 | 0.00 | -64.28 | 0.00 | -113.83 | -54.26 | 3.34 | -62.91 | 0.00 | -113.83 |
| 6 | Write-offs of restructured accounts during the FY 2023-24 | No. of borrowers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -27 | -5 | -46 | 0 | -78 | -78 | 0 | 0 | 0 | -78 | -105 | -5 | -46 | 0 | -156 |
| | | Amount outstanding | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -590.27 | -1,066.19 | -1,131.74 | 0.00 | -2,788.20 | -1,28,499.82 | -60.07 | -16,544.81 | 0.00 | -1,45,104.70 | -1,29,090.09 | -1,126.26 | -17,676.55 | 0.00 | -1,47,892.90 |
| | | Provision thereon | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | -2.17 | -133.57 | 0.00 | -132.14 | -5,948.75 | -1.06 | -1.11 | 0.00 | -5,950.92 | -5,945.15 | -3.23 | -134.68 | 0.00 | -6,083.06 |
| 7 | Accounts Restructured as on Mar 31, 24 (Closing Figures) | No. of borrowers | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 147 | 15 | 93 | 0 | 255 | 933 | 26 | 8 | 0 | 967 | 1,080 | 41 | 103 | 0 | 1,224 |
| | | Amount outstanding | 0.00 | 0.00 | 6,371.63 | 0.00 | 6,371.63 | 2,528.42 | 1,155.14 | 7,793.46 | 0.00 | 11,477.02 | 6,35,263.95 | 189.09 | 600.52 | 0.00 | 6,36,053.56 | 6,37,792.37 | 1,344.23 | 14,765.61 | 0.00 | 6,53,902.21 |
| | | Provision thereon | 0.00 | 0.00 | 171.85 | 0.00 | 171.85 | 252.84 | 57.76 | 2,784.92 | 0.00 | 3,095.52 | 24,211.49 | 0.86 | 38.99 | 0.00 | 24,251.34 | 24,464.33 | 58.62 | 2,995.76 | 0.00 | 27,518.71 |

Disclosure of Restructured Accounts (As on 31.03.2024) as per revised guidelines

**4.डी.iv दबावग्रस्त आस्तियों (एस4ए) की धारणीय संरचना की योजना का प्रकटीकरण**

*(राशि ₹ करोड़ में)*

| तक | विवरण | खातों की संख्या जहां एस 4 ए लागू किया गया है | कुल बकाया राशि | बकाया राशि | | धारित प्रावधान |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | भाग ए में | भाग बी में | |
| **31.03.2025** | मानक के रूप में वर्गीकृत | 3 | 97.90 | 25.54 | 72.36 | 29.24 |
| | एनपीए के रूप में वर्गीकृत | 2 | 282.63 | 11.29 | 271.34 | 282.63 |
| **31.03.2024** | मानक के रूप में वर्गीकृत | 3 | 998.84 | 102.84 | 896.00 | 853.63 |
| | एनपीए के रूप में वर्गीकृत | 2 | 323.12 | 14.21 | 308.91 | 323.12 |

**4.डी.v रणनीतिक ऋण पुनर्गठन योजना पर प्रकटीकरण (खाते जो स्थिर अवधि के अंतर्गत हैं):**

*(राशि ₹ करोड़ में)*

| विवरण | | 31.03.2025 तक | 31.03.2024 तक |
|---|---|---|---|
| उन खातों की संख्या जहां एसडीआर लागू की गई है | | शून्य | शून्य |
| रिपोर्टिंग तिथि को बकाया राशि (करोड़ रुपए में) | मानक के रूप में वर्गीकृत | शून्य | शून्य |
| | एनपीए के रूप में वर्गीकृत | शून्य | शून्य |
| खाते जहां ऋण का इक्विटी में परिवर्तन लंबित है, उनके संबंध में रिपोर्टिंग तिथि को बकाया राशि (₹करोड़ में) | मानक के रूप में वर्गीकृत | शून्य | शून्य |
| | एनपीए के रूप में वर्गीकृत | शून्य | शून्य |
| खाते जहां ऋण का इक्विटी में परिवर्तन हो गया है, उनके संबंध में रिपोर्टिंग तिथि को बकाया राशि (₹करोड़ में) | मानक के रूप में वर्गीकृत | शून्य | शून्य |
| | एनपीए के रूप में वर्गीकृत | शून्य | शून्य |

**4.डी.viरणनीतिक ऋण पुनर्संरचना योजना के बाहर स्वामित्व में परिवर्तन पर प्रकटीकरण (खाते जो वर्तमान में स्थिर अवधि के अंतर्गत हैं)**

*(राशि ₹ करोड़ में)*

| विवरण | | 31.03.2025 तक | 31.03.2024 तक |
|---|---|---|---|
| खातों की संख्या जहां बैंक ने स्वामित्व में परिवर्तन करने का निर्णय लिया है | | शून्य | शून्य |
| रिपोर्टिंग तिथि तक बकाया राशि (रुपए करोड़ में) | मानक के रूप में वर्गीकृत | शून्य | शून्य |
| | एनपीए के रूप में वर्गीकृत | शून्य | शून्य |
| उन खातों के संबंध में रिपोर्टिंग तिथि तक बकाया राशि जहां ऋण का इक्विटी में रूपांतरण / शेयरों की गिरवी का आह्वान लंबित है (₹करोड़ में) | मानक के रूप में वर्गीकृत | शून्य | शून्य |
| | एनपीए के रूप में वर्गीकृत | शून्य | शून्य |
| उन खातों के संबंध में रिपोर्टिंग तिथि तक बकाया राशि जहां ऋण का इक्विटी में रूपांतरण/शेयरों की गिरवी का आह्वान किया गया है ₹ करोड़ में) | मानक के रूप में वर्गीकृत | शून्य | शून्य |
| | एनपीए के रूप में वर्गीकृत | शून्य | शून्य |
| उन खातों के संबंध में रिपोर्टिंग तिथि तक बकाया राशि जहां नए शेयर जारी करने या प्रमोटर की इक्विटी की बिक्री द्वारा स्वामित्व में परिवर्तन की परिकल्पना की गई है | मानक के रूप में वर्गीकृत | शून्य | शून्य |
| | एनपीए के रूप में वर्गीकृत | शून्य | निल |

**4.डी.vii मौजूदा ऋणों पर लचीली संरचना के अनुप्रयोग पर प्रकटीकरण**

*(राशि ₹ करोड़ में)*

| विवरण | | 31.03.2025 तक | 31.03.2024 तक |
|---|---|---|---|
| लचीली संरचना के लिए उठाए गए उधारकर्ताओं की संख्या | | शून्य | शून्य |
| लचीली संरचना के लिए किए गए ऋणों की राशि (करोड़ रुपए में) | मानक के रूप में वर्गीकृत | शून्य | शून्य |
| | एनपीए के रूप में वर्गीकृत | शून्य | शून्य |
| लचीली संरचना के लिए लिए गए ऋणों की जोखिम भारित औसत अवधि (करोड़ रुपए में) | लचीली संरचना लागू करने से पहले | शून्य | शून्य |
| | लचीली संरचना लागू करने के बाद | शून्य | शून्य |

**4.d.iv Disclosures on the Scheme for Sustainable Structuring of Stress Assets (S4A)**

*(Amount in ₹ Crore)*

| As on | Particulars | No. of accounts where S4A has been applied | Aggregate amount outstanding | Amount outstanding | | Provision Held |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | In Part A | In Part B | |
| 31.03.2025 | Classified as Standard | 3 | 97.90 | 25.54 | 72.36 | 29.24 |
| | Classified as NPA | 2 | 282.63 | 11.29 | 271.34 | 282.63 |
| 31.03.2024 | Classified as Standard | 3 | 998.84 | 102.84 | 896.00 | 853.63 |
| | Classified as NPA | 2 | 323.12 | 14.21 | 308.91 | 323.12 |

**4.d.v Disclosures on the Strategic Debt Restructuring Scheme (Accounts which are under the stand-still period):**

*(Amount in ₹ Crore)*

| Particulars | | As on 31.03.2025 | As on 31.03.2024 |
|---|---|---|---|
| No. of accounts where SDR has been invoked | | Nil | Nil |
| Amount outstanding as on reporting date (₹ in Crore) | Classified as Standard | Nil | Nil |
| | Classified as NPA | Nil | Nil |
| Amount outstanding as on reporting date with respect to the accounts where conversion of debt to equity is pending (₹ in Crore) | Classified as Standard | Nil | Nil |
| | Classified as NPA | Nil | Nil |
| Amount outstanding as on reporting date with respect to the accounts where conversion of debt to equity has been taken place (₹ in Crore) | Classified as Standard | Nil | Nil |
| | Classified as NPA | Nil | Nil |

**4.d.vi Disclosures on Change in ownership outside Strategic Debt Restructuring Scheme (Accounts which are currently under the stand-still period):**

*(Amount in ₹ Crore)*

| Particulars | | As on 31.03.2025 | As on 31.03.2024 |
|---|---|---|---|
| No. of accounts where banks have decided to effect change in ownership | | Nil | Nil |
| Amount outstanding as on reporting date (₹ in Crore) | Classified as Standard | Nil | Nil |
| | Classified as NPA | Nil | Nil |
| Amount outstanding as on reporting date with respect to the accounts where conversion of debt to equity / invocation of pledge of shares is pending (₹ in Crore) | Classified as Standard | Nil | Nil |
| | Classified as NPA | Nil | Nil |
| Amount outstanding as on reporting date with respect to the accounts where conversion of debt to equity/ invocation of pledge of shares has been taken place (₹ in Crore) | Classified as Standard | Nil | Nil |
| | Classified as NPA | Nil | Nil |
| Amount outstanding as on reporting date with respect to the accounts where change in ownership is envisaged by issuance of fresh shares or sale of promoter's equity | Classified as Standard | Nil | Nil |
| | Classified as NPA | Nil | Nil |

**4.d.vii Disclosures on application of Flexible Structuring to Existing Loans**

*(Amount in ₹ Crore)*

| Particulars | | As on 31.03.2025 | As on 31.03.2024 |
|---|---|---|---|
| No. of borrowers taken up for flexible structuring | | Nil | Nil |
| Amount of loans taken up for flexible structuring (₹ in Crore) | Classified as Standard | Nil | Nil |
| | Classified as NPA | Nil | Nil |
| Exposure weighted average duration of loans taken up for flexible structuring (₹ in Crore) | Before applying flexible structuring | Nil | Nil |
| | After applying flexible structuring | Nil | Nil |

**4.डी) vii) कार्यान्वयनाधीन परियोजनाओं के स्वामित्व में परिवर्तन पर प्रकटीकरण (खाते जो वर्तमान में स्थिर अवधि के अंतर्गत हैं):**

*(राशि ₹ करोड़ में)*

| विवरण | | 31.03.2025 तक | 31.03.2024 तक |
|---|---|---|---|
| परियोजना ऋण खातों की संख्या जहां बैंकों ने स्वामित्व में परिवर्तन करने का निर्णय लिया है | | शून्य | शून्य |
| रिपोर्टिंग तिथि तक बकाया राशि (करोड़ रुपए में) | मानक के रूप में वर्गीकृत | शून्य | शून्य |
| | मानक पुनर्गठित के रूप में वर्गीकृत | शून्य | शून्य |
| | एनपीए के रूप में वर्गीकृत | शून्य | शून्य |

**4.ई. आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान में विचलन**

वित्तीय विवरणों पर आरबीआई मास्टर निर्देश – प्रस्तुति और प्रकटीकरण संख्या DOR.ACC.REC.N0.45/21.04.018/2021–22 दिनांक 30 अगस्त, 2021 (25 अक्टूबर, 2023 तक अद्यतन) के अनुसार, यदि आरबीआई द्वारा अपनी पर्यवेक्षी प्रक्रिया के हिस्से के रूप में मूल्यांकन किए गए एनपीए के लिए अतिरिक्त प्रावधान, संदर्भ अवधि के लिए प्रावधानों और आकस्मिकताओं से पहले रिपोर्ट किए गए लाभ के 5% से अधिक है और/या आरबीआई द्वारा इसकी पर्यवेक्षी प्रक्रिया के हिस्से के रूप में पहचाने गए अतिरिक्त सकल एनपीए, संदर्भ अवधि के लिए रिपोर्ट किए गए वृद्धिशील सकल एनपीए के 5% से अधिक हैं, तो बैंकों को आय पहचान, संपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान पर विवेकपूर्ण मानदंडों से विचलन का खुलासा करना आवश्यक है।

आरबीआई द्वारा उपरोक्त पहलू पर किसी भी विचलन का आकलन नहीं किया गया है, इसलिए वित्त वर्ष 2023–24 के लिए आरबीएल की वार्षिक पर्यवेक्षी प्रक्रिया के संबंध में किसी प्रकटीकरण आवश्यक नहीं है।

आरबीआई मास्टर निर्देश संख्या आरबीआई/डीओआर/2021–22/83 डीओआर.एसीसी.आरईसी.सं. 45/21.04.018/2021–22 दिनांक 30 अगस्त, 2021 (25 अक्टूबर, 2023 तक अद्यतन) में उल्लिखित शर्तों के आधार पर 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए आरबीआई की वार्षिक पर्यवेक्षी प्रक्रिया के संबंध में आस्ति वर्गीकरण और एनपीए के लिए प्रावधान में विचलन पर प्रकटीकरण की आवश्यकता नहीं है।

**4.एफ आरबीआई के परिपत्र संख्या डीओआर.एसटीआर.आरईसी. 51/21.04.048/2021–22 दिनांक 24 सितंबर 2021 के अनुसार ऋण एक्सपोज़र के हस्तांतरण का प्रकटीकरण (अन्य संस्थाओं से/को हस्तांतरित और प्राप्त किए गए ऋणों की कुल राशि, जो चूक/दबाव (एसएमए और एनपीए) में नहीं है:**

**4.एफ.i ऋण जो चूक में नहीं, हस्तांतरित किए गए (समनुदेशन/नवीकरण और ऋण भागीदारी के माध्यम से):**

समनुदेशन/ नवीकरण के माध्यम से अंतरित ऋण जो चूक में नहीं और ऋण भागीदारी चालू वित्तीय वर्ष (वित्त वर्ष 2024–25) और पिछले वित्तीय वर्ष (वित्त वर्ष 2023–24) के लिए शून्य है।

**4.d.viii Disclosures on Change in Ownership of Projects Under Implementation (Accounts which are currently under the stand-still period):**

*(Amount in ₹ Crore)*

| Particulars | | As on 31.03.2025 | As on 31.03.2024 |
|---|---|---|---|
| No. of project loan accounts where banks have decided to effect change in ownership | | Nil | Nil |
| Amount outstanding as on the reporting date (₹ in Crore) | Classified as Standard | Nil | Nil |
| | Classified as Standard restructured | Nil | Nil |
| | Classified as NPA | Nil | Nil |

**4.e Divergence in Asset Classification and Provisioning**

As per RBI Master Direction on Financial Statements – Presentation and Disclosures No. DOR.ACC.REC.N0.45/21.04.018/2021-22 dated August 30, 2021 (updated as on October 25, 2023), in case the additional provisioning for NPAs assessed by RBI as part of its supervisory process, exceeds 5% of the reported profit before provisions and contingencies for the reference period and/or additional gross NPAs identified by RBI as part of its supervisory process, exceed 5% of the reported incremental Gross NPAs for the reference period, then the banks are required to disclose divergence from prudential norms on income recognition, assets classification and provisioning.

No divergences on the above aspect have been assessed by RBI, hence no disclosure is required with respect to RBI's annual supervisory process for FY 2023-24

(Previous year Disclosure on divergence in Asset classification and provisioning for NPAs is not required w.r.t. RBI's annual supervisory process for the year ended March 31, 2023 based on conditions mentioned in RBI Master Direction no. RBI/DOR/2021-22/83 DOR.ACC.REC.No.45/21.04.018/2021-22 dated August 30, 2021 (Updated as on October 25, 2023).

**4.f Disclosure of Transfer of Loan Exposures (Total amount of loans not in default / stressed (SMA & NPA) loans transferred and acquired to / from other entities) in terms of RBI Circular No. DOR.STR.REC.51/21.04.048/ 2021-22 dated 24th September 2021:**

**4.f.i Loans not in default transferred (through assignment/ novation and loan participation):**

Loans not in default transferred through assignment/ novation and loan participation is Nil for the current financial year (FY 2024-25) & previous financial year (FY 2023-24).

### 4.एफ.ii हस्तांतरित दबावग्रस्त ऋणों का विवरण – एसएमए के रूप में वर्गीकृत ऋण:

वर्तमान वर्ष (वित्त वर्ष 2024–25)

*राशि ₹ करोड़ में)*

| विवरण | एआरसी को | अनुमत अंतरितियों के लिए | अन्य अंतरितियों के लिए |
|---|---|---|---|
| खातों की संख्या | शून्य | शून्य | शून्य |
| हस्तांतरित ऋणों का बकाया कुल मूलधन | शून्य | शून्य | शून्य |
| हस्तांतरित ऋणों की भारित औसत अवशिष्ट अवधि | शून्य | शून्य | शून्य |
| हस्तांतरित ऋणों का निवल बही मूल्य (हस्तांतरण के समय) | शून्य | शून्य | शून्य |
| कुल प्रतिफल | शून्य | शून्य | शून्य |
| पूर्व के वर्षों में हस्तांतरित खातों के संबंध में अतिरिक्त प्रतिफल की वसूली | शून्य | शून्य | शून्य |
| दबावग्रस्त ऋणों की बिक्री के कारण लाभ और हानि खाते में वापस की गई अतिरिक्त प्रावधान की मात्रा | शून्य | शून्य | शून्य |

गत वर्ष (वित्त वर्ष 2023–24)

*राशि ₹ करोड़ में)*

| विवरण | एआरसी को | अनुमत अंतरितियों के लिए | अन्य अंतरितियों के लिए |
|---|---|---|---|
| खातों की संख्या | शून्य | शून्य | शून्य |
| हस्तांतरित ऋणों का कुल बकाया मूलधन | शून्य | शून्य | शून्य |
| हस्तांतरित ऋणों की भारित औसत अवशिष्ट अवधि | शून्य | शून्य | शून्य |
| हस्तांतरित ऋणों का निवल बही मूल्य (हस्तांतरण के समय) | शून्य | शून्य | शून्य |
| कुल प्रतिफल | शून्य | शून्य | शून्य |
| पूर्व के वर्षों में हस्तांतरित खातों के संबंध में अतिरिक्त प्रतिफल की वसूली | शून्य | शून्य | शून्य |
| दबावग्रस्त ऋणों की बिक्री के कारण लाभ और हानि खाते में वापस की गई अतिरिक्त प्रावधान की मात्रा | शून्य | शून्य | शून्य |

### 4.एफ.iii हस्तांतरित दबावग्रस्त ऋणों का विवरण – एनपीए के रूप में वर्गीकृत ऋण:

वर्तमान वर्ष (वित्त वर्ष 2024–25) *(राशि ₹ करोड़ में)*

| विवरण | एआरसी को | अनुमत अंतरितियों के लिए | अन्य अंतरितियों के लिए |
|---|---|---|---|
| खातों की संख्या | 7 | शून्य | शून्य |
| हस्तांतरित ऋणों का कुल बकाया मूलधन | 1,201.71 | शून्य | शून्य |
| हस्तांतरित ऋणों की भारित औसत अवशिष्ट अवधि | शून्य | शून्य | शून्य |

### 4.f.ii Details of stressed loans transferred – loans classified as SMA:

**Current Year (FY 2024-25)**

*(Amount in ₹ Crore)*

| Particulars | To ARCs | To permitted transferees | To other transferees |
|---|---|---|---|
| No. of accounts | Nil | Nil | Nil |
| Aggregate principal outstanding of loans transferred | Nil | Nil | Nil |
| Weighted average residual tenor of the loans transferred | Nil | Nil | Nil |
| Net book value of loans transferred (at the time of transfer) | Nil | Nil | Nil |
| Aggregate consideration | Nil | Nil | Nil |
| Additional consideration realized in respect of accounts transferred in earlier years | Nil | Nil | Nil |
| Quantum of excess Provision reversed to the Profit & Loss account on account of sale of stressed loans | Nil | Nil | Nil |

**Previous Year (FY 2023-24)**

*(Amount in ₹ Crore)*

| Particulars | To ARCs | To permitted transferees | To other transferees |
|---|---|---|---|
| No. of accounts | Nil | Nil | Nil |
| Aggregate principal outstanding of loans transferred | Nil | Nil | Nil |
| Weighted average residual tenor of the loans transferred | Nil | Nil | Nil |
| Net book value of loans transferred (at the time of transfer) | Nil | Nil | Nil |
| Aggregate consideration | Nil | Nil | Nil |
| Additional consideration realized in respect of accounts transferred in earlier years | Nil | Nil | Nil |
| Quantum of excess Provision reversed to the Profit & Loss account on account of sale of stressed loans | Nil | Nil | Nil |

### 4.f.iii Details of stressed loans transferred – loans classified as NPA:

**Current Year (FY 2024-25)**

*(Amount in ₹ Crore)*

| Particulars | To ARCs | To permitted transferees | To other transferees |
|---|---|---|---|
| No. of accounts | 7 | Nil | Nil |
| Aggregate principal outstanding of loans transferred | 1,201.71 | Nil | Nil |
| Weighted average residual tenor of the loans transferred | Nil | Nil | Nil |

| विवरण | एआरसी को | अनुमत अंतरितियों के लिए | अन्य अंतरितियों के लिए |
|---|---|---|---|
| हस्तांतरित ऋणों का शुद्ध बही मूल्य (स्थानांतरण के समय) | शून्य | शून्य | शून्य |
| कुल प्रतिफल | 863.05 | शून्य | शून्य |
| पूर्व के वर्षों में हस्तांतरित खातों के संबंध में अतिरिक्त प्रतिफल की वसूली | 145.68 | शून्य | शून्य |
| दबावग्रस्त ऋणों की बिक्री के कारण लाभ और हानि खाते में वापस की गई अतिरिक्त प्रावधान की मात्रा | 733.60 | शून्य | शून्य |

**गत वर्ष (वित्त वर्ष 2023–24)**

*(राशि ₹ करोड़ में)*

| विवरण | एआरसी को | अनुमत अंतरितियों के लिए | अन्य अंतरितियों के लिए |
|---|---|---|---|
| खातों की संख्या | 20 | शून्य | शून्य |
| हस्तांतरित ऋणों का कुल बकाया मूलधन | 4,928.70 | शून्य | शून्य |
| हस्तांतरित ऋणों की भारित औसत अवशिष्ट अवधि | शून्य | शून्य | शून्य |
| हस्तांतरित ऋणों का शुद्ध निवल बही मूल्य (स्थानांतरण के समय) | शून्य | शून्य | शून्य |
| कुल प्रतिफल | 1,247.66 | शून्य | शून्य |
| पूर्व के वर्षों में हस्तांतरित खातों के संबंध में अतिरिक्त प्रतिफल की वसूली | 46.99 | शून्य | शून्य |
| दबावग्रस्त ऋणों की बिक्री के कारण लाभ और हानि खाते में वापस की गई अतिरिक्त प्रावधान की मात्रा | 73.68 | शून्य | शून्य |

**4.एफ.iv ऋण डिफ़ॉल्ट रूप से प्राप्त नहीं किए गए (असाइनमेंट/नवीकरण और ऋण भागीदारी के माध्यम से):**

**समनुदेशन के माध्यम से:**

*(राशि ₹ करोड़ में)*

| | वर्तमान वर्ष | गत वर्ष |
|---|---|---|
| ऋण की राशि | 22,338.66 | 11,732.99 |
| भारित औसत परिपक्वता (महीनों में) | 147.99 | 69.57 |
| भारित औसत धारण अवधि (महीनों में) | 24.38 | 11.69 |
| लाभकारी आर्थिक हितों की अवधारणा (प्रवर्तक द्वारा) | 10% | 10% |
| मूर्त प्रतिभूति कवरेज | 215.82% | 150.07% |
| श्रेणीकृत ऋणों का श्रेणी वार वितरण | लागू नहीं | लागू नहीं |

**नोट–नवप्रवर्तन और ऋण भागीदारी के माध्यम से प्राप्त ऋण चालू वित्तीय वर्ष (वित्त वर्ष 2024–25) और पिछले वित्तीय वर्ष (वित्त वर्ष 2023–24) के लिए शून्य है।**

**4.एफ.v प्राप्त दबावग्रस्त ऋणों का विवरण – एसएमए के रूप में वर्गीकृत ऋण:**

वर्तमान वित्त वर्ष (वित्त वर्ष 2024–25) और पिछले वित्त वर्ष (वित्त वर्ष 2023–24) के लिए प्राप्त दबावग्रस्त ऋण (एसएमए के रूप में वर्गीकृत) शून्य है।

| Particulars | To ARCs | To permitted transferees | To other transferees |
|---|---|---|---|
| Net book value of loans transferred (at the time of transfer) | Nil | Nil | Nil |
| Aggregate consideration | 863.05 | Nil | Nil |
| Additional consideration realized in respect of accounts transferred in earlier years | 145.68 | Nil | Nil |
| Quantum of excess Provision reversed to the Profit & Loss account on account of sale of stressed loans | 733.60 | Nil | Nil |

**Previous Year (FY 2023-24)**

*(Amount in ₹ Crore)*

| Particulars | To ARCs | To permitted transferees | To other transferees |
|---|---|---|---|
| No. of accounts | 20 | Nil | Nil |
| Aggregate principal outstanding of loans transferred | 4,928.70 | Nil | Nil |
| Weighted average residual tenor of the loans transferred | Nil | Nil | Nil |
| Net book value of loans transferred (at the time of transfer) | Nil | Nil | Nil |
| Aggregate consideration | 1,247.66 | Nil | Nil |
| Additional consideration realized in respect of accounts transferred in earlier years | 46.99 | Nil | Nil |
| Quantum of excess Provision reversed to the Profit & Loss account on account of sale of stressed loans | 73.68 | Nil | Nil |

**4.f.iv Loans not in default acquired (through assignment/novation and loan participation):**

**Through Assignment:**

*(Amount in ₹ Crore)*

| | Current Year | Previous Year |
|---|---|---|
| Amount of Loan | 22,338.66 | 11,732.99 |
| Weighted average maturity (in months) | 147.99 | 69.57 |
| Weighted average holding period (in months) | 24.38 | 11.69 |
| Retention of beneficial economic interest (by originator) | 10% | 10% |
| Tangible security coverage | 215.82% | 150.07% |
| Rating wise distribution of rated loans | NA | NA |

**Note – Loans acquired through novation and loan participation is Nil for the current financial year (FY 2024-25) & previous financial year (FY 2023-24).**

**4.f.v Details of stressed loans acquired – loans classified as SMA:**

Stressed loans acquired (classified as SMA) is Nil for the current financial year (FY 2024-25) & previous financial year (FY 2023-24).

**4.एफ.vi प्राप्त दबावग्रस्त ऋणों का विवरण – एनपीए के रूप में वर्गीकृत ऋण:**

वर्तमान वित्त वर्ष (वित्त वर्ष 2024–25) और पिछले वित्त वर्ष (वित्त वर्ष 2023–24) के लिए प्राप्त दबावग्रस्त ऋण (एनपीए के रूप में वर्गीकृत) शून्य है।

**4.एफ.vii क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा ऐसे एसआर को सौंपी गई वसूली रेटिंग की विभिन्न श्रेणियों में आयोजित एसआर का वितरण:**

*(राशि ₹ करोड़ में)*

| वसूली रेटिंग बैंड | अंकित मूल्य | वहन मूल्य |
|---|---|---|
| आरआर1+ | 91.12 | 22.43 |
| आरआर1 | 784.87 | 705.52 |
| आरआर2 | 411.09 | 120.67 |
| आरआर3 | 42.10 | 0.00 |
| आरआर4 | 7.39 | 0.00 |
| आरआर5 | 105.80 | 0.00 |
| अनरेटेड | 2,156.21 | 871.11 |
| कुल | **3,598.58** | **1,719.73** |

आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार 8 वर्ष के बाद रेटिंग लागू नहीं होती।

"मास्टर निर्देश – वाणिज्यिक बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो का वर्गीकरण, मूल्यांकन और संचालन (निर्देश), 2023" के अनुसार, एसआर में संपूर्ण निवेश को एफवीटीपीएल के रूप में वर्गीकृत किया गया है। एफवीटीपीएल में रखी गई प्रतिभूतियों का उचित मूल्यांकन किया गया है। दिनांक 31.03.2024 तक मानक एसआर का विद्यमान बही मूल्य इन निवेशों के प्रति बनाए गए 100% प्रावधान के प्रति शुद्ध किया गया था। इस प्रकार, दिनांक 01.04.2024 से एसआर में निवेश का वहन मूल्य शून्य है।

8 वर्ष की अवधि पूरी होने के बाद एनपीआई के रूप में वर्गीकृत एसआर के मामले में, मानक एसआर की तरह प्रावधान को शुद्ध नहीं किया गया है, तथापि ऐसे एसआर के प्रति 100% प्रावधान बनाए रखा गया है।

परिपक्व एसआर के वहन मूल्य के प्रति ₹394.34 करोड़ का प्रावधान रखा गया है।

**4.f.vi Details of stressed loans acquired – loans classified as NPA:**

Stressed loans acquired (classified as NPA) is Nil for the current financial year (FY 2024-25) & previous financial year (FY 2023-24).

**4.f.vii Distribution of the SRs held across the various categories of Recovery Ratings assigned to such SRs by the credit rating agencies:**

*(Amount in ₹ Crore)*

| Recovery Rating Band | Face Value | Carrying Value |
|---|---|---|
| RR1+ | 91.12 | 22.43 |
| RR1 | 784.87 | 705.52 |
| RR2 | 411.09 | 120.67 |
| RR3 | 42.10 | 0.00 |
| RR4 | 7.39 | 0.00 |
| RR5 | 105.80 | 0.00 |
| Unrated | 2,156.21 | 871.11 |
| **Total** | **3,598.58** | **1,719.73** |

As per RBI guidelines post 8 years Rating is not applicable.

As per the "Master Direction - Classification, Valuation and Operation of Investment Portfolio of Commercial Banks (Directions), 2023", entire investments in SRs have been classified as FVTPL. The securities held in FVTPL are fair valued. The existing book value of standard SRs as on 31.03.2024 was netted against the 100% provision maintained against these investments. Thus, the carrying value of investments in SRs since 01.04.2024 is Nil.

In case of SRs classified as NPI after completion of 8 years, the provision has not been netted, as in the case of standard SRs, however 100% provision is maintained against such SRs.

Provision of ₹394.34 Crore is held against carrying value of matured SR.

**4.एफ.viii 31.03.2025 तक प्रतिभूति रसीदों (एसआर) में निवेश:**

| क्र. सं. | विवरण | पिछले 5 वर्षों के भीतर जारी किए गए एसआर | | 5 से अधिक वर्ष पहले जारी किए गए एसआर लेकिन पिछले 8 वर्षों के भीतर | | 8 से अधिक वर्ष पहले जारी किए गए एसआर | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | अंकित मूल्य | वहन मूल्य | अंकित मूल्य | वहन मूल्य | अंकित मूल्य | वहन मूल्य |
| ए) | उन एसआर का बही मूल्य जहां बैंक द्वारा बेचे गए एनपीए अंतर्निहित हैं | 1,346.74 | 1,325.39 | 575.91 | 0.00 | 1,675.94 | 394.34 |
| | (ए) के प्रति किया गया प्रावधान | - | (0.00) | - | (0.00) | - | (394.34) |
| बी) | उन एसआर का बही मूल्य जहां अन्य बैंकों/वित्तीय संस्थानों/गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा बेचे गए एनपीए अंतर्निहित हैं | - | - | - | - | - | - |
| | (बी) के प्रति किया गया प्रावधान | - | - | - | - | - | - |
| **कुल (ए) + (बी)** | | **1,346.74** | **1,325.39** | **575.91** | **0.00** | **1,675.94** | **394.34** |

**नोट** – सरकार गारंटीकृत प्रतिभूति रसीदों के दिशानिर्देशों पर आरबीआई परिपत्र संख्या RBI/DOR/2024-25/135 DOR-STR-REC-72/21.04.048/2024–25 दिनांक 29 मार्च 2025 के अनुसार, बैंकों को किसी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को नेट बुक वैल्यू (NBV) से अधिक मूल्य के लिए ऋण के हस्तांतरण के वर्ष में लाभ और हानि खाते में किसी भी अतिरिक्त प्रावधान को उलटने की अनुमति है, बशर्ते कि विचार में केवल नकद और भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत एसआर सम्मिलित हों। ऐसे उपकरणों के लिए प्राप्त रिकवरी रेटिंग के आधार पर एआरसी द्वारा घोषित नेट एसेट वैल्यू (NAV) की गणना करके ऐसे SR का समय–समय पर मूल्यांकन किया जाएगा।

ऐसे एसआर का मूल्यांकन समय–समय पर ऐसे उपकरणों के लिए प्राप्त रिकवरी रेटिंग के आधार पर एआरसी द्वारा घोषित निवल आस्ति मूल्य (एनएवी) की गणना करके किया जाएगा।

उक्त परिपत्र के अनुसार, बैंक ने दिनांक 31 मार्च, 2025 को समाप्त तिमाही/वर्ष के दौरान एआरसी द्वारा घोषित निवल आस्ति मूल्य (एनएवी) पर भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत एसआर को लाभ और हानि खाते में रुपये 1,325.29 करोड़ जमा करके आगे बढ़ाया है।

**4.जी धोखाधड़ी की रिपोर्ट और प्रावधान:**

| विवरण | वर्तमान वर्ष (वित्त वर्ष 2024–25) | | | | गत वर्ष (वित्त वर्ष 2023–24) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | उधार धोखाधड़ी | गैर उधार धोखाधड़ी | डिजिटल धोखाधड़ी | कुल | उधार धोखाधड़ी | गैर उधार धोखाधड़ी | डिजिटल धोखाधड़ी | कुल |
| रिपोर्ट की गई धोखाधड़ी की संख्या | 84 | 90 | 2,746 | **2,920** | 52 | 79 | 6981 | **7,112** |
| धोखाधड़ी में शामिल राशि (₹ करोड़ में) | 4,358.05^ | 51.61 | 6.34 | **4,416.00** | 1,752.91 | 31.25 | 19.43 | **1,803.59** |
| ऐसी धोखाधड़ी के लिए किए गए प्रावधान की राशि (₹करोड़ में) | 2,326.03$ | 49.16* | 0.00 | **2,375.19** | 1,425.70 | 16.97 | 0.00 | **1,442.67** |
| वर्ष के अंत में 'अन्य आरक्षित निधियों' से आहरित किए गए असंशोधित प्रावधान की राशि (₹ करोड़ में) | - | - | - | **-** | - | - | - | **-** |

^ भारतीय रिजर्व बैंक को धोखाधड़ी के समय धोखाधड़ी के रूप में रिपोर्ट की गई राशि।

$31.03.2025 तक बकाया वर्तमान पर 100% प्रावधान ।

नोट–

1. 84 उधार धोखाधड़ी मामलों में ₹3,444.54 करोड़ की राशि के 23 मामले सम्मिलित हैं, जिन्हें माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के आलोक में धोखाधड़ी को निष्क्रिय करने के बाद फिर से आरबीआई को सूचित किया गया है।
2. *जहां बैंकों की कोई जिम्मेदारी नहीं होती, आरबीआई को सूचित किए गए डिजिटल धोखाधड़ी के मामलों के लिए प्रावधान नहीं किया गया है।

**4.एच आरबीआई परिपत्र संख्या डीबीआर.सं.बीपी.बीसी.18/21.04.048/2018–19 दिनांक 01 जनवरी, 2019, डीओआर.सं.बीपी.बीसी.34/21.4.048/2019–20 दिनांक 11 फरवरी, 2020 और डीओआर.सं.बीपी.बीसी /4/21.04.048/2020–21 दिनांक 06 अगस्त, 2020 के अनुसार, "सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र – एमएसएमई पुनर्गठित खातों का विवरण निम्नानुसार है:**

| विवरण | 31.03.2025 तक |
|---|---|
| पुनर्गठित खातों की संख्या | 2,419 |
| राशि (₹ करोड़ में) | 413.42 |
| किया गया प्रावधान (₹करोड़ में) | 32.23 |

**4.आई "संकल्प रूपरेखा 2.0 – सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के कोविड–19 संबंधित दबाव का समाधान" आरबीआई परिपत्र संख्या DOR.STR.REC.12/21.04.048/2021–22 दिनांक 05 मई, 2021 के अनुसार, पर पुनर्गठित खातों का विवरण निम्नानुसार है:**

| विवरण | 31.03.2025 तक |
|---|---|
| पुनर्गठित खातों की संख्या | 13,800 |
| राशि (₹ करोड़ में) | 1,455.69 |
| प्रावधानित राशि (₹ करोड़ में) | 181.95 |

**4.f.viii Investments in Security Receipts (SRs) as on 31.03.2025:**

*(Amount in ₹ Crore)*

| Sr. No. | Particulars | SRs issued within past 5 years | | SRs issued more than 5 years ago but within past 8 years | | SRs issued more than 8 years ago | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Face Value | Carrying value | Face Value | Carrying value | Face Value | Carrying value |
| a) | Value of SRs where NPAs sold by the bank are the underlying | 1,346.74 | 1,325.39 | 575.91 | 0.00 | 1,675.94 | 394.34 |
| Provision held against (a) | | - | (0.00) | - | (0.00) | - | (394.34) |
| b) | Value of SRs where NPAs sold by other banks / financial institutions / non- banking financial companies are the underlying | - | - | - | - | - | - |
| Provision held against (b) | | - | - | - | - | - | - |
| **Total (a) + (b)** | | **1,346.74** | **1,325.39** | **575.91** | **0.00** | **1,675.94** | **394.34** |

**Note** - As per RBI circular no. RBI/DOR/2024-25/135 DOR.STR.REC.72/21.04.048/2024-25 dated 29th March 2025, on guidelines for Government-guaranteed security Receipts, banks are permitted to reverse any excess provision to the profit and Loss Account in the year of transfer of a loan to an Asset Reconstruction company (ARC) for a value higher than the net book value (NBV), provided the consideration consists solely of cash and SRs guaranteed by the Government of India. Such SRs shall be valued periodically by reckoning the Net Asset Value (NAV) declared by the ARC based on the recovery ratings received for such instruments.

In accordance with the said circular, the Bank has carried SRs guaranteed by the Government of India at the Net Asset Value (NAV) as declared by the ARC during the quarter/year ended March 31, 2025, by crediting Rs. 1,325.29 crore to the Profit and Loss account.

**4.g Fraud Reported and Provision Made:**

| Particulars | Current Year (FY 2024-25) | | | | Previous Year (FY 2023-24) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Borrowal Fraud | Non Borrowal Fraud | Digital Fraud | Total | Borrowal Fraud | Non Borrowal Fraud | Digital Fraud | Total |
| Number of frauds reported | 84 | 90 | 2,746 | **2,920** | 52 | 79 | 6981 | **7,112** |
| Amount involved in fraud (₹ in Crore) | 4,358.05^ | 51.61 | 6.34 | **4,416.00** | 1,752.91 | 31.25 | 19.43 | **1,803.59** |
| Amount of provision made for such frauds (₹ in Crore) | 2,326.03$ | 49.16* | 0.00 | **2,375.19** | 1,425.70 | 16.97 | 0.00 | **1,442.67** |
| Amount of Un-amortised provision debited from 'other reserves' as at the end of the year. (₹ in Crore) | - | - | - | **-** | - | - | - | **-** |

*^Amount reported to Reserve Bank of India as fraud at the time of fraud.*
*$ 100% provision held on present outstanding as on 31.03.2025.*

Note –

1. 84 borrowal fraud cases include 23 cases of amount ₹3,444.54 Crore, which have been reported to RBI again after deactivation of fraud in light of judgement by Hon'ble Supreme Court.
2. *Provision is not made for Digital fraud cases reported to RBI, where banks have no liability.

**4.h In accordance with RBI circular no. DBR.No.BP.BC.18/21.04.048/2018-19 dated January 01, 2019, DOR.No.BP.BC.34/21.4.048/2019-20 dated February 11, 2020 and DOR.No.BP.BC/4/21.04.048/2020-21 dated August 06, 2020 on "Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) sector – Restructuring of Advances", the detail of MSME restructured accounts is as under:**

| Particulars | As on 31.03.2025 |
|---|---|
| No. of Accounts Restructured | 2,419 |
| Amount (₹ in Crore) | 413.42 |
| Provision held (₹ in Crore) | 32.23 |

**4.i In accordance with RBI circular no. DOR.STR.REC.12/21.04.048/2021-22 dated May 05, 2021, on "Resolution Framework 2.0 - Resolution of Covid-19 related stress of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs)" the details of accounts restructured is as under:**

| Particulars | As on 31.03.2025 |
|---|---|
| No. of Accounts Restructured | 13,800 |
| Amount (₹ in Crore) | 1,455.69 |
| Provision held (₹ in Crore) | 181.95 |

4.जे. 31.03.2025 के वित्तीय वर्ष के अंत तक के लिए आरबीआई परिपत्र आरबीआई/2020–21/16 डीओआर.सं. बीपी.बीसी /3/21.04.048/2020–21 दिनांक 06 अगस्त, 2020 और आरबीआई/2021–22/31 डीओआर.एसटीआर.आरईसी.11/21.04.048/2021–22 दिनांक 5 मई, 2021 के अनुसार कोविड–19 संबंधित दबाव के लिए समाधान ढांचे के अंतर्गत कार्यान्वित समाधान योजना का विवरण नीचे दिए गए है:

*(राशि ₹ करोड़ में)*

| उधारकर्ता का प्रकार | (ए) समाधान योजना के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप मानक के रूप में वर्गीकृत खातों के लिए एक्सपोज़र – 30.09.2024 (ए) के अनुसार स्थिति | (बी) (ए) का, कुल ऋण जो छमाही के दौरान एनपीए में चला गया | (सी) (ए) का, छमाही के दौरान बट्टे खाते में डाली गई राशि | (डी) (ए) का, छमाही के दौरान उधारकर्ताओं द्वारा भुगतान की गई राशि | (ई) समाधान योजना के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप मानक के रूप में वर्गीकृत खातों के लिए एक्सपोज़र –31.03.2025 के अनुसार स्थिति |
|---|---|---|---|---|---|
| व्यक्तिगत ऋण | 394.93 | 9.39 | 0.00 | 31.98 | 360.82 |
| कॉर्पोरेट व्यक्ति' | 1,476.62 | 54.57 | 0.00 | 456.53 | 1,213.75 |
| *जिनमें से एमएसएमई | 208.91 | 54.57 | 0.00 | 18.61 | 156.82 |
| अन्य | 2.74 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 2.89 |
| **कुल ओटीआर 1.0** | **1,874.29** | **63.96** | **0.00** | **488.64** | **1,577.46** |
| व्यक्तिगत ऋण | 3,463.61 | 89.61 | 0.00 | 248.29 | 3,277.09 |
| कारोबार ऋण | 161.94 | 5.88 | 0.00 | 37.44 | 162.56 |
| छोटा कारोबार | 398.77 | 10.08 | 0.00 | 48.28 | 368.04 |
| **कुल ओटीआर 2.0** | **4,024.32** | **105.57** | **0.00** | **334.01** | **3,807.69** |
| **कुल योग** | **5,898.61** | **169.53** | **0.00** | **822.65** | **5,385.15** |

*249 उधारकर्ता खाते हैं, जिनका बैंक में कुल 17.81 करोड़ रुपये का एक्सपोज़र है, जहां समाधान योजनाओं को लागू किया गया था और अब 5 मई, 2021 को आरबीआई के समाधान ढांचे 2.0 के अंतर्गत संशोधित किया गया हैं।*

## 5. एक्सपोजर्स

### 5. ए. स्थावर संपदा क्षेत्र को एक्सपोज़र

*(राशि ₹ करोड़ में)*

| क्रमांक | विवरण | वर्तमान वर्ष | गत वर्ष |
|---|---|---|---|
| I) | **प्रत्यक्ष एक्सपोजर (i + ii + iii)** | **2,00,754.75** | **1,77,613.14** |
| | i. आवासीय बंधक (ए + बी)<br>(आवासीय संपत्ति, जो ऋणी द्वारा अधिकार में ली गई है या ली जाएगी या किराये पर दी गई है, पर बंधक द्वारा पूर्णतः प्रतिभूत ऋण) | **1,76,046.39** | **1,54,179.53** |
| | ए. प्राथमिकता क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत आवास ऋण | 26,115.12 | 27,245.87 |
| | बी. अन्य आवासीय बंधक | 1,49,931.27 | 1,26,933.66 |
| | ii. वाणिज्यिक स्थावर संपत्ति (ए + बी)<br>वाणिज्यिक स्थावर संपदा (कार्यालय भवन, रिटेल स्पेस, बहुउद्देशीय वाणिज्यिक परिसर, औद्योगिक या गोडाउन स्पेस, भूमि अधिग्रहण, विकास और निर्माण आदि।) पर बंधक द्वारा प्रतिभूत ऋण | **24,708.36** | **23,433.61** |
| | ए. निधि आधारित | 24,015.99 | 22,719.46 |
| | बी. गैर–निधि आधारित | 692.37 | 714.15 |
| | iii. बंधक–समर्थित प्रतिभूतियों (एमबीएस) और अन्य प्रतिभूत एक्सपोजर में निवेश (ए + बी) | **0.00** | **0.00** |
| | ए. आवासीय | - | - |
| | बी. वाणिज्यिक स्थावर संपदा | - | - |
| II) | **अप्रत्यक्ष एक्सपोजर (i+ii)** | **63,422.31** | **48,166.57** |
| | i. विदेशी कार्यालयों सहित राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) और आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) हेतु निधि आधारित और गैर–निधि आधारित एक्सपोजर। | 56,063.74 | 42,808.75 |
| | ii. बैंक द्वारा आवास कम्पनियों और निगमों में किया गया निवेश | 7,358.57 | 5,357.82 |
| | **स्थावर संपदा को कुल (I+II)** | **2,64,177.06** | **2,25,779.71** |

**4.j Details of resolution plan implemented under Resolution Framework for COVID 19 related stress as per RBI Circular RBI/2020-21/16 DOR.No.BP.BC/3/21.04.048/2020-21 dated August 06, 2020 and RBI/2021-22/31 DOR.STR.REC.11/21.04.048/2021-22 dated May 5, 2021 for the financial year ended 31.03.2025 are given below:**

*(Amount in ₹ Crore)*

| Type of borrower | (A) Exposure to accounts classified as Standard consequent to implementation of resolution plan - Position as at 30.09.2024 (A) | (B) Of (A), aggregate debt that slipped into NPA during the half-year | (C) Of (A) amount written off during the half-year | (D) Of (A) amount paid by the borrowers during the half year | (E) Exposure to accounts classified as Standard consequent to implementation of resolution plan - Position as at 31.03.2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Personal Loans | 394.93 | 9.39 | 0.00 | 31.98 | 360.82 |
| Corporate persons* | 1,476.62 | 54.57 | 0.00 | 456.53 | 1,213.75 |
| *Of which, MSMEs | 208.91 | 54.57 | 0.00 | 18.61 | 156.82 |
| Others | 2.74 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 2.89 |
| **Total OTR 1.0** | **1,874.29** | **63.96** | **0.00** | **488.64** | **1,577.46** |
| Personal Loans | 3,463.61 | 89.61 | 0.00 | 248.29 | 3,277.09 |
| Business Loans | 161.94 | 5.88 | 0.00 | 37.44 | 162.56 |
| Small Business | 398.77 | 10.08 | 0.00 | 48.28 | 368.04 |
| **Total OTR 2.0** | **4,024.32** | **105.57** | **0.00** | **334.01** | **3,807.69** |
| **Grand Total** | **5,898.61** | **169.53** | **0.00** | **822.65** | **5,385.15** |

*There are 249 borrower accounts having aggregate exposure of Rs.17.81 Crores to the Bank where resolution plans had been implemented and now modified under RBI's resolution framework 2.0 dated May 5, 2021.*

## 5. Exposures

### 5.a Exposure to Real Estate Sector

*(Amount in ₹ Crore)*

| Sr. No. | Particulars | Current Year | Previous Year |
|---|---|---|---|
| **I)** | **Direct Exposure (i + ii + iii)** | **2,00,754.75** | **1,77,613.14** |
| | i. Residential Mortgages (a+b)<br>(Lending fully secured by mortgages on residential property that is or will be occupied by the borrower or that is rented.) | **1,76,046.39** | **1,54,179.53** |
| | a. Housing loans classified as priority sector | 26,115.12 | 27,245.87 |
| | b. Others Residential Mortgages | 1,49,931.27 | 1,26,933.66 |
| | ii. Commercial Real Estate (a+b)<br>Lending secured by mortgages on commercial real estate (office buildings, retail space, multipurpose commercial premises, industrial or warehouse space, land acquisition, development and construction, etc.) | **24,708.36** | **23,433.61** |
| | a. Fund Based | 24,015.99 | 22,719.46 |
| | b. Non Fund Based | 692.37 | 714.15 |
| | iii. Investments in Mortgage-Backed Securities (MBS) and other securitized exposures (a+b) | **0.00** | **0.00** |
| | a. Residential | - | - |
| | b. Commercial Real Estate | - | - |
| **II)** | **Indirect Exposure (i+ii)** | **63,422.31** | **48,166.57** |
| | i. Fund based and non-fund-based exposures to National Housing Bank (NHB) and Housing Finance Companies (HFCs) including Foreign Offices. | 56,063.74 | 42,808.75 |
| | ii. Investments made by the Bank in Housing Companies and Corporations | 7,358.57 | 5,357.82 |
| | **Total Exposure to Real Estate Sector (I+II)** | **2,64,177.06** | **2,25,779.71** |

### 5.बी. पूँजी बाज़ार को एक्सपोज़र

*(राशि ₹ करोड़ में)*

| क्र.सं. | विवरण | वर्तमान वर्ष | गत वर्ष |
|---|---|---|---|
| i) | इक्विटी शेयरों, परिवर्तनीय बंधपत्रों, परिवर्तनीय ऋण पत्रों और इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों के यूनिटों में प्रत्यक्ष निवेश जो निगमित ऋण की मूल निधि में ही एक मात्र निवेश नहीं है; | 3,778.00 | 2,297.05 |
| ii) | शेयरों (आईपीओ/ ईएसओपी सहित) परिवर्तनीय बंधपत्रों, परिवर्तनीय ऋण पत्रों और इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों में निवेश के लिए व्यक्तियों को शेयरों/बंध पत्रों/ऋण पत्रों या अन्य प्रतिभूतियों पर या प्रतिभूति के बिना अग्रिम; | 0.83 | 0.62 |
| iii) | किसी अन्य प्रयोजन के लिए अग्रिम जहां शेयरों या परिवर्तनीय बंध पत्रों या परिवर्तनीय ऋण पत्रों या इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों के यूनिटों को प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में रखा गया हो; | शून्य | शून्य |
| iv) | किसी अन्य प्रयोजन के लिए अग्रिम जहां शेयरों या परिवर्तनीय बांड या परिवर्तनीय डिबेंचर या इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों के यूनिटों की संपार्श्विक प्रतिभूति तक प्रतिभूति दी गई हो अर्थात् जहाँ परिवर्तनीय बॉण्ड/परिवर्तनीय ऋण पत्रों/इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों के यूनिटों से भिन्न प्राथमिक प्रतिभूति अग्रिमों को पूरी तरह कवर नहीं करती हैं; | 203.38 | 204.88 |
| v) | स्टॉक ब्रोकरों को प्रतिभूत तथा अप्रतिभूत अग्रिम और स्टॉक ब्रोकरों तथा मार्केट मेकर की ओर से दी गई गारंटियाँ; | 120.00 | 25.40 |
| vi) | संसाधनों को जुटाने की संभावना में नयी कम्पनियों की इक्विटी में प्रवर्तकों के अंशदान की आवश्यकता को पूरा करने के लिए शेयरों/बॉण्डों/ऋण पत्रों या अन्य प्रतिभूतियों पर या प्रतिभूति के बिना निगमित कंपनियों को स्वीकृत ऋण; | शून्य | शून्य |
| vii) | संभावित इक्विटी प्रवाहों/निर्गमों के प्रति कम्पनियों को पूरक ऋण | शून्य | शून्य |
| viii) | शेयरों या परिवर्तनीय बंध पत्रों या परिवर्तनीय ऋण पत्रों या इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों के यूनिटों के प्राइमरी इश्यू के सम्बन्ध में बैंकों द्वारा हामीदारी प्रतिबद्धताएं | शून्य | शून्य |
| ix) | मार्जिन ट्रेडिंग के लिए स्टॉक ब्रोकरों को वित्त | शून्य | शून्य |
| x) | वेंचर कैपिटल फंड्स के लिए सभी एक्सपोज़र (पंजीकृत और अपंजीकृत दोनों) | 158.14 | 306.30 |
| | **पूंजी बाजार को कुल एक्सपोज़र** | **4,260.35** | **2,834.25** |

### 5. सी) जोखिम श्रेणीवार–देश सम्बन्धी एक्सपोज़र

31.03.2025 तक कुल शुद्ध वित्तपोषित एक्सपोजर ₹57,726.95 करोड़ है। 31.12.2024 को बैंक की कुल आस्ति ₹17,62,410.00 करोड़ थी, कुल आस्ति का 1% ₹17,624.10 करोड़ है। 31.12.2024 तक बैंक का यूएसए देश में एक्सपोजर बैंक की कुल आस्ति के 1% से अधिक है। इसलिए, 31.03.2025 के अनुसार देश जोखिम एक्सपोजर के संबंध में ₹25.33 करोड़ का प्रावधान आवश्यक है।

(पिछली अवधिः 31.03.2024 तक कुल शुद्ध वित्त पोषित एक्सपोजर ₹38,157.97 करोड़ है। 31.12.2023 तक बैंक की कुल आस्ति ₹15,23,992 करोड़ थी, कुल आस्ति का 1% ₹15,239.92 करोड़ है। किसी भी देश के लिए बैंक एक्सपोजर 31.12.2023 तक बैंक की कुल आस्ति के 1% से अधिक नहीं है। इसलिए, 31.03.2024 तक देश जोखिम एक्सपोजर के संबंध में कोई प्रावधान आवश्यक नहीं है।)

*(राशि ₹ करोड़ में)*

| जोखिम श्रेणी | ईसीजीसी रेटिंग | 31.03.2025 तक | | 31.03.2024 तक | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | निवल निधिक एक्सपोजर | धारित प्रावधान | निवल निधिक एक्सपोजर | धारित प्रावधान |
| नगण्य | A1 | 35,773.45 | 25.33 | 20,274.91 | 0.00 |
| कम | A2 | 21,151.42 | 0.00 | 17,264.01 | 0.00 |
| सामान्य से कम | B1 | 566.81 | 0.00 | 473.01 | 0.00 |
| सामान्य | B2 | 224.02 | 0.00 | 11.02 | 0.00 |
| सामान्य से उच्च | C1 | 8.08 | 0.00 | 130.97 | 0.00 |
| उच्च | C2 | 3.12 | 0.00 | 0.42 | 0.00 |
| अति उच्च | D | 0.05 | 0.00 | 3.63 | 0.00 |
| **कुल** | | **57,726.95** | **25.33** | **38,157.97** | **0.00** |

### 5.b Exposure to Capital Market

*(Amount in ₹ Crore)*

| Sr. No. | Particulars | Current Year | Previous Year |
|---|---|---|---|
| i) | Direct investment in equity shares, convertible bonds, convertible debentures, and units of equity oriented mutual funds the corpus of which is not exclusively invested in corporate debt. | 3,778.00 | 2,297.05 |
| ii) | Advances against shares / bonds / debentures or other securities or on clean basis to individuals for investment in shares (including IPOs / ESOPs), convertible bonds, convertible debentures, and units of equity oriented mutual funds; | 0.83 | 0.62 |
| iii) | Advances for any other purposes where shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds are taken as primary security; | Nil | Nil |
| iv) | Advances for any other purposes to the extent secured by the collateral security of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds i.e. where the primary security other than shares / convertible bonds / convertible debentures / units of equity oriented mutual funds does not fully cover the advances; | 203.38 | 204.88 |
| v) | Secured and unsecured advances to stockbrokers and guarantees issued on behalf of stockbrokers and market makers; | 120.00 | 25.40 |
| vi) | Loans sanctioned to corporates against the security of shares / bonds / debentures or other securities or on clean basis for meeting promoter's contribution to the equity of new companies in anticipation of raising resources; | Nil | Nil |
| vii) | Bridge loans to companies against expected equity flows /issues; | Nil | Nil |
| viii) | Underwriting commitments taken up by the banks in respect of primary issue of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds; | Nil | Nil |
| ix) | Financing to stockbrokers for margin trading; | Nil | Nil |
| x) | All exposures to Venture Capital Funds (both registered and unregistered) | 158.14 | 306.30 |
| **Total exposure to capital market** | | **4,260.35** | **2,834.25** |

### 5.c Risk Category-wise Country Exposure:

Total Net Funded Exposure as on 31.03.2025 is ₹57,726.95 Crore. Total assets of the Bank as on 31.12.2024 were ₹17,62,410.00 Crores, 1% of total asset is ₹17,624.10 Crore. Bank exposure to USA country is beyond 1% of total assets of the bank as on 31.12.2024. Hence, ₹25.33 Crore provision is required with respect to country risk exposure as on 31.03.2025.

(Previous Period: Total Net Funded Exposure as on 31.03.2024 is ₹38,157.97 Crore. Total assets of the Bank as on 31.12.2023 were ₹15,23,992 Crore, 1% of total asset is ₹15,239.92 Crore. Bank exposure to any country is not beyond 1% of total assets of the bank as on 31.12.2023. Hence, no provision is required with respect to country risk exposure as on 31.03.2024.)

*(Amount in ₹ Crore)*

| Risk Category | ECGC Rating | As at 31.03.2025 | | As at 31.03.2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Net Funded Exposure | Provision held | Net Funded Exposure | Provision held |
| Insignificant | A1 | 35,773.45 | 25.33 | 20,274.91 | 0.00 |
| Low | A2 | 21,151.42 | 0.00 | 17,264.01 | 0.00 |
| Moderately Low | B1 | 566.81 | 0.00 | 473.01 | 0.00 |
| Moderate | B2 | 224.02 | 0.00 | 11.02 | 0.00 |
| Moderately High | C1 | 8.08 | 0.00 | 130.97 | 0.00 |
| High | C2 | 3.12 | 0.00 | 0.42 | 0.00 |
| Very High | D | 0.05 | 0.00 | 3.63 | 0.00 |
| **Total** | | **57,726.95** | **25.33** | **38,157.97** | **0.00** |

5.डी अप्रतिभूत अग्रिम

*(राशि ₹ करोड़ में)*

| विवरण | वर्तमान वर्ष | गत वर्ष |
|---|---|---|
| बैंक के कुल अप्रतिभूत अग्रिम | 2,41,268.11 | 2,14,017.01 |
| उपरोक्त में से, अग्रिम की राशि जिसके लिए अमूर्त प्रतिभूतियां जैसे अधिकार, लाइसेंस, प्राधिकरण आदि पर प्रभार लिया गया है। | 0.00 | 0.00 |
| ऐसी अमूर्त प्रतिभूतियों का अनुमानित मूल्य | 0.00 | 0.00 |

**5.ई फैक्टरिंग एक्सपोजर (टीआरईडीएस के अंतर्गत):**

*(राशि ₹ करोड़ में)*

| विवरण | 31.03.2025 तक | 31.03.2024 तक |
|---|---|---|
| बकाया शेष | 1,621.79 | 981.19 |

**5.एफ इंट्रा–ग्रुप एक्सपोज़र**

*(राशि ₹ करोड़ में)*

| विवरण | 31.03.2025 तक | 31.03.2024 तक |
|---|---|---|
| इंट्रा–ग्रुप एक्सपोजर की कुल राशि | 10,304.24 | 6,974.66 |
| शीर्ष 20 इंट्रा–ग्रुप एक्सपोजर की कुल राशि | 10,304.24 | 6,974.66 |
| उधारकर्ता / ग्राहकों पर बैंक के कुल एक्सपोजर के लिए इंट्रा–ग्रुप एक्सपोजर का प्रतिशत | 0.70% | 0.54% |
| इंट्रा–ग्रुप एक्सपोजर और नियामक कार्रवाई, यदि कोई हो पर सीमाओं के उल्लंघन का विवरण | लागू नहीं | लागू नहीं |

**5.जी अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोज़र**

बैंक ने मुद्रा उत्प्रेरित ऋण जोखिम के प्रबंधन करने के लिए एक नीति तैयार की है और इसे बैंक की ऋण प्रबंधन और जोखिम नीति 2024–25 में निम्नानुसार शामिल किया गया है:

भारतीय रिज़र्व बैंक दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक ने मुद्रा प्रेरित ऋण जोखिम के प्रबंधन के लिए एक नीति तैयार की है और इसे बैंक की वर्तमान क्रेडिट प्रबंधन और जोखिम नीति में निम्नानुसार शामिल किया है:

"आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक ब्याज और मूल्यह्रास से पहले वार्षिक आय ईबीआईडी के साथ तिमाही के अंत में उधारकर्ताओं की बहियों में मुद्रा के अनुसार अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर की निगरानी करता है। वृद्धिशील प्रावधान (मानक परिसंपत्ति प्रावधान के ऊपर कुल ऋण एक्सपोजर पर 0 से 80 बीपीएस तक) और पूंजी की आवश्यकता संभावित नुकसान (विदेशी मुद्रा में उतार–चढ़ाव के कारण) पर निर्भर करेगी, उधारकर्ताओं को उनके बहियों में अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर के कारण जिनका सामना करना पड़ सकता है। बैंक अलग प्रभार रखता है और ऐसे एक्सपोजर के लिए जो उधारकर्ताओं की लागत को प्रभावित कर सकता है, उनके प्रावधान की आवश्यकता होती है। बैंक के वित्तीय विवरणों में उचित प्रकटीकरण भी किया जाएगा।"

**5.d Unsecured Advances:**

*(Amount in ₹ Crore)*

| Particulars | Current Year | Previous Year |
|---|---|---|
| Total Unsecured Advances of the Bank | 2,41,268.11 | 2,14,017.01 |
| Out of the above, amount of advances for which intangible securities such as charge over the rights, licenses, authority, etc. have been taken | 0.00 | 0.00 |
| Estimated value of such intangible securities | 0.00 | 0.00 |

**5.e Factoring Exposures (Under TReDS):**

*(Amount in ₹ Crore)*

| Particulars | As at 31.03.2025 | As at 31.03.2024 |
|---|---|---|
| Balance outstanding | 1,621.79 | 981.19 |

**5.f Intra-group Exposures:**

*(Amount in ₹ Crore)*

| Particulars | As at 31.03.2025 | As at 31.03.2024 |
|---|---|---|
| Total amount of intra-group exposures | 10,304.24 | 6,974.66 |
| Total amount of top 20 intra-group exposures | 10,304.24 | 6,974.66 |
| Percentage of intra-group exposures to total exposure of the Bank on borrower/ customers | 0.70% | 0.54% |
| Details of breach of limits on intra-group exposures and regulatory action if any | NA | NA |

**5.g Unhedged Foreign Currency Exposure:**

The Bank has framed a policy to manage Currency Induced Credit Risk and has been incorporated in Bank's Credit Management & Risk Policy 2024-25 as follows:

In terms of RBI guidelines, the Bank has framed a policy to manage currency induced credit risk and has incorporated the same in bank's current Credit Management & Risk Policy as follows:

In terms of RBI guidelines, Bank monitors the currency wise Unhedged Foreign Currency Exposure in the books of borrowers at quarter ends along-with the Annualized Earnings before Interest & Depreciation (EBID). The incremental provision (ranging from 0 to 80 bps on total credit exposure, over and above the standard asset provisioning) and capital requirement will depend on likely loss (due to foreign currency fluctuation), that borrowers may face due to their un-hedged forex exposure in their books. Bank maintains separate charge and provisioning requirement on account of such exposures which may impact the cost to the borrowers. Appropriate disclosures in the financial statements of the Bank shall also be made.

*(राशि ₹ करोड़ में)*

| विवरण | 31.03.2025 के अनुसार | 31.03.2024 के अनुसार |
|---|---|---|
| वृद्धिशील प्रावधान (घरेलू) | 230.28 | 132.22 |
| वृद्धिशील प्रावधान (विदेशी) | 6.84 | 0.83 |
| **कुल वृद्धिशील प्रावधान** | **237.12** | **133.05** |
| **जोखिम भारित आस्तियाँ (आरडब्ल्यूए)** | **2,976.84** | **809.34** |
| वृद्धिशील पूंजी धारित आरडब्ल्यूए (@11.50%) | 342.34 | 93.07 |

बैंक ने आरबीआई परिपत्र आरबीआई/2022–23/131 डीओआर.एमआरजी. आरईसी.76/00–00–007/2022–23 दिनांक 11 अक्टूबर, 2022 के संदर्भ में अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर के लिए देयता का अनुमान लगाया है, और 31.03.2025 को ₹237.12 करोड़ (पिछली अवधि – 31.03.2024 तक ₹133.05 करोड़) का प्रावधान किया है।

**6. जमाराशियों, अग्रिमों, एक्सपोजरों और एनपीए का संकेन्द्रण**

**6.ए. जमाराशियों का संकेन्द्रण**

| विवरण | 31.03.2025 के अनुसार | 31.03.2024 के अनुसार |
|---|---|---|
| बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं की कुल जमाराशि (रु. करोड़ में) | 53,441 | 53,012 |
| बैंक की कुल जमाराशियों में बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं की जमाराशियों का प्रतिशत | 3.41% | 3.87% |

**6.बी. अग्रिमों का संकेन्द्रण**

| विवरण | 31.03.2025 के अनुसार | 31.03.2024 के अनुसार |
|---|---|---|
| बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं की कुल जमाराशि (रु. करोड़ में) | 1,90,348.02 | 1,77,171.32 |
| बैंक की कुल जमाराशियों में बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं की जमाराशियों का प्रतिशत | 13.60% | 18.02% |

**6.सी. एक्सपोजर का संकेन्द्रण**

| विवरण | 31.03.2025 के अनुसार | 31.03.2024 के अनुसार |
|---|---|---|
| बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं/ग्राहकों को कुल एक्सपोजर (रु. करोड़ में) | 2,64,435.81 | 2,22,717.18 |
| उधारकर्ताओं/ग्राहकों को बैंक के कुल एक्सपोजर में बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं/ग्राहकों के एक्सपोजर का प्रतिशत | 18.04% | 17.36% |

*(Amount in ₹ Crore)*

| Particulars | As at 31.03.2025 | As at 31.03.2024 |
|---|---|---|
| Incremental Provision (Domestic) | 230.28 | 132.22 |
| Incremental Provision (Overseas) | 6.84 | 0.83 |
| **Total incremental Provision** | **237.12** | **133.05** |
| **Risk Weighted Assets (RWA)** | **2,976.84** | **809.34** |
| Incremental Capital held RWA (@11.50%) | 342.34 | 93.07 |

The Bank has estimated the liability for Unhedged Foreign Currency Exposure in terms of RBI Circular RBI/2022-23/131 DOR.MRG. REC.76/00-00-007/2022-23 dated October 11, 2022, and is holding a provision of ₹237.12 Crore as on 31.03.2025. (Previous Period - ₹133.05 Crore as on 31.03.2024).

**6. Concentration of Deposits, Advances, Exposures and NPAs**

**6.a. Concentration of Deposits**

| Particulars | As at 31.03.2025 | As at 31.03.2024 |
|---|---|---|
| Total deposits of the twenty largest depositors (₹ in Crore) | 53,441 | 53,012 |
| Percentage of deposits of twenty largest depositors to total deposits of the Bank | 3.41% | 3.87% |

**6.b. Concentration of Advances**

| Particulars | As at 31.03.2025 | As at 31.03.2024 |
|---|---|---|
| Total advances to the twenty largest borrowers (₹ in Crore) | 1,90,348.02 | 1,77,171.32 |
| Percentage of advances to twenty largest borrowers to total advances of the Bank | 13.60% | 18.02% |

**6.c. Concentration of Exposures**

| Particulars | As at 31.03.2025 | As at 31.03.2024 |
|---|---|---|
| Total exposure to the twenty largest borrowers/customers (₹ in Crore) | 2,64,435.81 | 2,22,717.18 |
| Percentage of exposures to the twenty largest borrowers/ customers to the total exposure of the Bank on borrowers/ customers | 18.04% | 17.36% |

## 6.डी. अनर्जक आस्तियों का संकेन्द्रण

| विवरण | 31.03.2025 के अनुसार | 31.03.2024 के अनुसार |
|---|---|---|
| शीर्ष बीस एनपीए खातों में कुल एक्सपोजर (रु. करोड़ में) | 2,859.40 | 5,378.09 |
| कुल सकल एनपीए में बीस सबसे बड़े एनपीए एक्सपोजर के एक्सपोजर का प्रतिशत। | 6.49% | 9.55% |

## 7. व्युत्पन्न

### 7.ए ब्याज दर की अदला–बदली (स्वैप)

*(राशि ₹ करोड़ में)*

| क्र. सं. | विवरण | 31.03.2025 के अनुसार | 31.03.2024 के अनुसार |
|---|---|---|---|
| i) | अदलाबदली करारों का कल्पित सिद्धांत | 895.37 | 25.00 |
| ii) | यदि काउंटर पार्टियां समझौतों के तहत अपने अपने दायित्वों को पूरा करने में विफल रहीं, उनसे होने वाला नुकसान | 903.93 | 0.00 |
| iii) | अदलाबदली में शामिल होने बैंकों द्वारा अपेक्षित संपार्श्विक प्रतिभूति | शून्य | शून्य |
| iv) | अदलाबदली के करना उत्पन्न ऋण जोखिम + | - | - |
| v) | अदलाबदली बही का उचित मूल्य @ | 0.00 | (0.1757) |

*नोट : स्वैप की प्रकृति और शर्तों सहित क्रेडिट और बाजार जोखिम की जानकारी और स्वैप को रिकॉर्ड करने के लिए अपनाई गई लेखांकन नीतियों का भी खुलासा किया जाना चाहिए।*

*$ संकेन्द्रण के उदाहरण विशेष उद्योगों में एक्सपोज़र या उच्च क्षमता वाली कंपनियों के साथ अदला–बदली हो सकते हैं।*

*@ ये सभी स्वैप सौदे ट्रेडिंग स्वैप हैं और उचित मूल्य इसका मार्क टू मार्केट वैल्यू है.*

*"उपरोक्त ट्रेड इंटरबैंक के साथ ₹0.00 करोड़ (पिछले वर्ष की अवधि में ₹25.00 करोड़) और वित्तीय संस्थान के साथ ₹0.00 करोड़ (पिछले वर्ष की अवधि में ₹0.00 करोड़) के लिए किया गया ब्याज दर स्वैप सौदा है।*

### 7.बी एक्सचेंज ट्रेडिंग वाले ब्याज दर व्युत्पन्न

*(राशि ₹ करोड़ में)*

| क्र. सं. | विवरण | 31.03.2025 तक | 31.03.2024 तक |
|---|---|---|---|
| i) | वर्ष के दौरान एक्सचेंज ट्रेडिंग वाले ब्याज दर व्युत्पन्न की अनुमानिक मूल राशि (लिखतवार)<br>ए) ब्याज दर वायदा | शून्य | शून्य |
| ii) | 31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार बकाया एक्सचेंज ट्रेडिंग वाले ब्याज दर व्युत्पन्न की आनुमानिक मूल राशि (लिखतवार)<br>ए) ब्याज दर वायदा | शून्य | शून्य |

## 6.d. Concentration of NPAs

| Particulars | As at 31.03.2025 | As at 31.03.2024 |
|---|---|---|
| Total Exposure to the top twenty NPA accounts (₹ in Crore) | 2,859.40 | 5,378.09 |
| Percentage of exposures to the twenty largest NPA exposure to total Gross NPAs. | 6.49% | 9.55% |

## 7. Derivatives

### 7.a Interest Rate Swap

*(Amount in ₹ Crore)*

| Sr. No. | Particulars | As at 31.03.2025 | As at 31.03.2024 |
|---|---|---|---|
| i) | The notional principle of swap agreements | 895.37 | 25.00 |
| ii) | Losses which would be incurred if counterparties failed to fulfil their obligations under the agreements | 903.93 | 0.00 |
| iii) | Collateral required by the Bank upon entering into swaps | Nil | Nil |
| iv) | Concentration of credit risk arising from the swaps$ | - | - |
| v) | The fair value of the swap book@ | 0.00 | (0.1757) |

*Note: Nature and terms of swaps including information on Credit and Market Risk and the accounting policies adopted for recording the swaps should also be disclosed.*

*$Examples of concentration could be exposure to particular industries or swaps with highly geared companies.*

*@All these swaps deals are Trading swap and the fair value is its mark to market value.*

*"The above Trades are Interest rate Swap Deal done with Interbank for ₹0.00 Crores (Previous Period ₹ 25.00 Crores) and with Financial Institution ₹0.00 Crore (Previous Period ₹ 0.00 Crore).*

### 7.b Exchange traded Interest Rate Derivatives

*(Amount in ₹ Crore)*

| Sr. No. | Particulars | As at 31.03.2025 | As at 31.03.2024 |
|---|---|---|---|
| i) | Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives undertaken during the year (instrument wise)<br>a. Interest Rate Swaps | Nil | Nil |
| ii) | Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding as on 31st March 2025 (instrument wise)<br>a. Interest Rate Futures | Nil | Nil |

| क्र. सं. | विवरण | 31.03.2025 तक | 31.03.2024 तक |
|---|---|---|---|
| iii) | बकाया एक्सचेंज ट्रेडिंग वाले ब्याज दर व्युत्पन्न की आनुमानिक मूल राशि तथा जो ''अत्यधिक प्रभावी'' नहीं है (लिखतवार) | शून्य | शून्य |
| iv) | एक्सचेंज ट्रेडिंग वाले ब्याज दर डेरिवेटिव्ज़ की आनुमानिक मूल राशि का बकाया बाजार भाव पर अंकित मूल्य (मार्क–टू–मार्केट) जो ''अत्यधिक प्रभावी'' नहीं है (लिखतवार) | शून्य | शून्य |

### 7.सी व्युत्पन्नों में जोखिम एक्सपोज़र पर प्रकटीकरण

### 7.सी i गुणात्मक प्रकटीकरण

बैंक अपने स्वयं के तुलन पत्र मदों की बचाव–व्यवस्था तथा कारोबारी उद्देश्यों के लिए व्युत्पन्नों उत्पादों का उपयोग करता है। व्युत्पन्नों परिचालन का जोखिम प्रबंधन एक वरिष्ठ कार्यपालक के नेतृत्व में होता है, जो आनुक्रमिक कार्यों से स्वतंत्र, शीर्ष प्रबंधन को रिपोर्ट करता है। कारोबार की स्थिति को दैनिक आधार पर बाजार भाव पर अंकित किया जाता है।

व्युत्पन्नों नीति को एकीकृत जोखिम प्रबंधन प्रभाग द्वारा तैयार किया जाता है, जिसमें ऋण जोखिम एवं बाजार जोखिम का मापन शामिल है।

तुलन पत्र प्रबंधन के लिए बचाव–व्यवस्था वाले लेनदेन किए जाते हैं। जोखिमों की रिपोर्टिंग एवं निगरानी के लिए उचित प्रणाली विद्यमान है। बचाव–व्यवस्था के लिए नीति एवं उसकी निगरानी हेतु प्रक्रियाएं विद्यमान हैं।

बचाव–व्यवस्था एवं गैर– बचाव–व्यवस्था लेनदेन रिकॉर्ड करने के लिए लेखांकन नीति विद्यमान है, जिसमें आय, प्रीमियम एवं छूट की पहचान शामिल है।

बकाया अनुबंधों, प्रावधानीकरण, संपार्श्विक का मूल्यांकन एवं ऋण जोखिम का न्यूनीकरण किया जा रहा है।

| Sr. No. | Particulars | As at 31.03.2025 | As at 31.03.2024 |
|---|---|---|---|
| iii) | Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not 'highly effective' (instrument wise) | Nil | Nil |
| iv) | Mark to market value of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not 'highly effective' (instrument wise) | Nil | Nil |

### 7.c Disclosure on Risk Exposure in Derivatives

### 7.c.i Qualitative disclosures

The Bank uses derivatives products for hedging its own balance sheet items as well as for trading purposes. The risk management of derivative operation is headed by a senior executive, who reports to top management, independent of the line functions. Trading positions are marked to market on daily basis.

The derivative policy is framed by Integrated Risk Management Division, which includes measurement of credit risk and market risk.

The hedge transactions are undertaken for balance sheet management. Proper system for reporting and monitoring of risks are in place. Policy for hedging and processes for monitoring the same is in place.

Accounting policy for recording hedge and non-hedge transactions are in place, which includes recognition of income, premiums, and discounts.

Valuation of outstanding contracts, provisioning, collateral, and credit risk mitigation are being done.

### 7.सी ii मात्रात्मक प्रकटीकरण

*(राशि ₹ करोड़ में)*

| क्र. सं. | विवरण | | 31-03-2025 तक | | 31-03-2024 तक | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | मुद्रा व्युत्पन्नों | ब्याज दर व्युत्पन्नों | मुद्रा व्युत्पन्नों | ब्याज दर व्युत्पन्नों |
| ए. | व्युत्पन्न (अनुमानित मूलधन राशि) | | | | | |
| | i) बचाव–व्यवस्था के लिए | | 895.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | ii) कारोबार के लिए | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 |
| बी. | बाजार की स्थिति के लिए चिह्नित | | | | | |
| | i. बचाव–व्यवस्था | | | | | |
| | ए) आस्ति (+) | | 8.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | बी) देयता (-) | | -2.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | ii. कारोबार | | | | | |
| | ए) आस्ति (+) | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.00 |
| | बी) देयता (-) | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.1757 |
| सी. | ऋण एक्सपोज़र [1] | | 26.47 | 0.00 | 0.00 | 0.1250 |
| डी | ब्याज दर में एक प्रतिशत परिवर्तन का संभावित प्रभाव (100*PV01) | | | | | |
| | i) हेजिंग डेरिवेटिव्स पर | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | ii) कारोबार डेरिवेटिव्स पर | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 |
| ई. | वर्ष के दौरान देखे गए अधिकतम और न्यूनतम 100* PV01 | | | | | |
| | i) बचाव–व्यवस्था पर | अधिकतम | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | न्यूनतम | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | ii) कारोबार पर अधिकतम | अधिकतम | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.16 |
| | | न्यूनतम | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 |

*[1] बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशों के अनुसार व्युत्पन्न उत्पादों के क्रेडिट एक्सपोजर के मापन पर वर्तमान एक्सपोजर पद्धति को अपनाया हैं।*

### 7.c.ii Quantitative disclosures

*(Amount in ₹ Crore)*

| Sr. No. | Particulars | | As at 31.03.2025 | | As at 31.03.2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Currency Derivatives | Interest rate Derivatives | Currency Derivatives | Interest rate derivatives |
| a. | Derivatives (Notional Principal Amount) | | | | | |
| | i. For hedging | | 895.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | ii. For trading | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 |
| b. | Marked to Market Positions | | | | | |
| | i. Hedging | | | | | |
| | a. Asset (+) | | 8.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | b. Liability (-) | | -2.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | ii. Trading | | | | | |
| | a. Asset (+) | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.00 |
| | b. Liability (-) | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.1757 |
| c. | Credit Exposure [1] | | 26.47 | 0.00 | 0.00 | 0.1250 |
| d. | Likely impact of one percent change in interest rate (100*PV01) | | | | | |
| | i. On hedging derivatives | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | ii) on trading derivatives | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 |
| e. | Maximum and Minimum of 100* PV01 observed during the year | | | | | |
| | i. On hedging | Maximum | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | Minimum | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | ii. On trading | Maximum | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.16 |
| | | Minimum | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 |

[1] *Banks adopt the Current Exposure Method on Measurement of Credit Exposure of Derivative Products as per Reserve Bank of India instructions.*

### 7.डी ऋण चूक अदला–बदली

चूंकि बैंक ऋण चूक अदला–बदली(क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप) अनुबंधों के मूल्य निर्धारण के लिए किसी स्वामित्व वाले मूल्य निर्धारण मॉडल का उपयोग नहीं कर रहा है, एवं यह काउंटर अनुबंध (ओटीसी) पर आधारित है, जिसमें बाजार की गतिशीलता द्वारा निर्धारित की जाती है।

## 8. प्रतिभूतिकरण से संबंधित प्रकटीकरण

*(संख्या/राशि ₹ करोड़ में)*

| क्र. सं. | विवरण | | सरल, पारदर्शी एवं तुलनीय (एसटीसी) | | गैर–एसटीसी लेनदेन | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 31.03.2025 | 31.03.2024 | 31.03.2025 | 31.03.2024 |
| 1. | प्रवर्तक द्वारा उत्पन्न प्रतिभूतिकरण लेनदेन के लिए आस्ति रखने वाले एसपीई की संख्या (यहां केवल बकाया प्रतिभूतिकरण जोखिमों से संबंधित एसपीवी को रिपोर्ट किया जाना है) | | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| 2. | एसपीई की बहियों के अनुसार प्रतिभूतिकृत आस्तियों की कुल राशि | | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| 3. | तुलन पत्र की तारीख को एमआरआर का अनुपालन करने के लिए प्रवर्तक द्वारा रखे गए एक्सपोज़र की कुल राशि | | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| | ए) तुलन–पत्र में न आने वाले एक्सपोज़र | • प्रथम हानि | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| | | • अन्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| | बी) तुलन–पत्र पर एक्सपोज़र | • प्रथम हानि | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| | | • अन्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| 4. | एमआरआर के अलावा अन्य प्रतिभूतिकरण लेनदेन के लिए जोखिम की राशि | | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| | ए) तुलन–पत्र में न आने वाले एक्सपोज़र | | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| | i) स्व– प्रतिभूतिकरण के लिए एक्सपोज़र | • प्रथम हानि | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| | | • अन्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| | ii) तृतीय पक्ष के प्रतिभूतिकरण के लिए एक्सपोज़र | • प्रथम हानि | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| | | • अन्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| | बी) तुलन–पत्र पर एक्सपोज़र | | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| | I) स्व– प्रतिभूतिकरण के लिए एक्सपोज़र | • प्रथम हानि | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| | | • अन्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| | ii) तृतीय पक्ष के प्रतिभूतिकरण के लिए एक्सपोज़र | • प्रथम हानि | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| | | • अन्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| 5. | प्रतिभूतिकृत आस्तियों के लिए प्राप्त बिक्री प्रतिफल एवं प्रतिभूतिकरण के कारण बिक्री पर लाभ/हानि | | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| 6. | चलनिधि सहयोग, पोस्ट–सिक्योरिटाइजेशन एसेट सर्विसिंग आदि के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सेवाओं का स्वरूप एवं मात्रा (बकाया मूल्य) | | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| 7. | प्रदान की गई सुविधा का कार्यनिष्पादन, कृपया प्रत्येक सुविधा जैसे ऋण वृद्धि, चलनिधि सहायता, सर्विसिंग एजेंट आदि के लिए अलग से विवरण प्रदान करें। प्रदान की गई सुविधा के कुल मूल्य के अनुसार कोष्ठक में प्रतिशत का उल्लेख करें।<br>ए) भुगतान की गई राशि<br>बी) प्राप्त चुकौती<br>सी) बकाया राशि | | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| 8. | विगत में देखे गए पोर्टफोलियो की औसत चूक दर। कृपया प्रत्येक आस्ति वर्ग अर्थात आरएमबीएस, वाहन ऋण आदि के लिए अलग से ब्रेकअप प्रदान करें। | | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| 9. | समान अंतर्निहित आस्ति पर दिए गए अतिरिक्त/टॉप अप ऋण की राशि एवं संख्या। कृपया प्रत्येक आस्ति वर्ग यानी आरएमबीएस, वाहन ऋण आदि के लिए अलग से ब्रेकअप प्रदान करें। | | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| 10. | निवेशक की शिकायतें<br>ए) प्रत्यक्ष/ अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त एवं<br>बी) लंबित शिकायतें | | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |

### 7.d Credit Default Swaps

Since the Bank is not using any proprietary pricing model for pricing Credit Default Swaps (CDS) contracts, and it is Over the Counter (OTC) contract, the price is determined by the market dynamics. As such no disclosure is to be made in terms of extant RBI guidelines.

## 8. Disclosures relating to Securitization

*(Numbers / Amount in ₹ crore)*

| Sr. No | Particulars | | Simple, Transparent and Comparable (STC) 31.03.2025 | Simple, Transparent and Comparable (STC) 31.03.2024 | Non-STC transactions 31.03.2025 | Non-STC transactions 31.03.2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | No of SPEs holding assets for securitization transactions originated by the originator (only the SPVs relating to outstanding securitization exposures to be reported here) | | Nil | Nil | Nil | Nil |
| 2. | Total amount of securitized assets as per books of the SPEs | | Nil | Nil | Nil | Nil |
| 3. | Total amount of exposures retained by the originator to comply with MRR as on the date of balance sheet | | Nil | Nil | Nil | Nil |
| | a) Off-balance sheet exposures | • First loss | Nil | Nil | Nil | Nil |
| | | • Others | Nil | Nil | Nil | Nil |
| | b) On-balance sheet exposures | • First loss | Nil | Nil | Nil | Nil |
| | | • Others | Nil | Nil | Nil | Nil |
| 4. | Amount of exposures to securitization transactions other than MRR | | Nil | Nil | Nil | Nil |
| | a) Off-balance sheet exposures | | Nil | Nil | Nil | Nil |
| | i) Exposure to own securitizations | • First loss | Nil | Nil | Nil | Nil |
| | | • Others | Nil | Nil | Nil | Nil |
| | ii) Exposure to third party securitizations | • First loss | Nil | Nil | Nil | Nil |
| | | • Others | Nil | Nil | Nil | Nil |
| | b) On-balance sheet exposures | | Nil | Nil | Nil | Nil |
| | I) Exposure to own securitizations | • First loss | Nil | Nil | Nil | Nil |
| | | • Others | Nil | Nil | Nil | Nil |
| | ii) Exposure to third party securitizations | • First loss | Nil | Nil | Nil | Nil |
| | | • Others | Nil | Nil | Nil | Nil |
| 5. | Sale consideration received for the securitized assets and gain/loss on sale on account of securitization. | | Nil | Nil | Nil | Nil |
| 6. | Form and quantum (outstanding value) of services provided by way of liquidity support, post-securitization asset servicing, etc. | | Nil | Nil | Nil | Nil |
| 7. | Performance of facility provided, please provide separately for each facility viz. Credit enhancement, liquidity support, servicing agent etc. Mention percent in bracket as of total value of facility provided.<br>(a) Amount paid<br>(b) Repayment received<br>(c) Outstanding amount | | Nil | Nil | Nil | Nil |
| 8. | Average default rate of portfolios observed in the past. Please provide breakup separately for each asset class i.e. RMBS, Vehicle Loans etc. | | Nil | Nil | Nil | Nil |
| 9. | Amount and number of additional/top up loan given on same underlying asset. Please provide breakup separately for each asset class i.e. RMBS, Vehicle Loans etc. | | Nil | Nil | Nil | Nil |
| 10. | Investor complaints<br>(a) Directly / Indirectly received and<br>(b) Complaints out standing | | Nil | Nil | Nil | Nil |

9. तुलन–पत्र में न आने वाले प्रायोजित एसपीवी (जिन्हें लेखांकन मानदंडों के अनुसार समेकित किया जाना आवश्यक है)

*(राशि ₹ करोड़ में)*

| प्रायोजित एस.पी. वी. का नाम | 31.03.2025 तक | | 31.03.2024 तक | |
|---|---|---|---|---|
| | घरेलू | विदेशी | घरेलू | विदेशी |
| शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |

10. जमाकर्ता शिक्षा एवं जागरूकता कोष (डीईएएफ) में अंतरण

*(राशि ₹ करोड़ में)*

| विवरण | वर्तमान वर्ष | गत वर्ष |
|---|---|---|
| डीईए फंड में अंतरित राशि का प्रारंभिक शेष | 5,470.55 | 5,345.97 |
| जोड़: वर्ष के दौरान डीईए कोष में अंतरित राशि | 1,173.04 | 452.84 |
| घटाएँ: वर्ष के दौरान दावों के लिए डीईए फंड द्वारा प्रतिपूर्ति की गई राशि* | 88.25 | 328.26 |
| डीईए फंड में स्थानान्तरित राशि का अंतिम शेष | 6,555.34 | 5,470.55 |

*यह राशि आकस्मिक देयताओं – अन्य मदों के रूप में दिखाई जाएगी जिनके लिए बैंक 31.03.2025 को वित्तीय विवरण की अनुसूची 12 के तहत आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है।

11. शिकायतों का प्रकटीकरण

11.ए बैंक को एटीएम शिकायतों सहित ग्राहकों एवं लोकपाल के कार्यालयों से प्राप्त शिकायतों पर संक्षिप्त जानकारी

| क्र. सं. | विवरण | वर्तमान वर्ष | चालू वर्ष |
|---|---|---|---|
| **बैंक को अपने ग्राहकों से प्राप्त शिकायतें** | | | |
| 1. | वर्ष के आरंभ में लंबित शिकायतों की संख्या | 32,351 | 23,185 |
| 2. | वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या | 11,39,830 | 11,30,195 |
| 3. | वर्ष के दौरान निस्तारित शिकायतों की संख्या | 11,43,326 | 11,21,029 |
| | 3.1. जिनमें से, बैंक द्वारा निरस्त की गई शिकायतों की सख्या | 5,15,885 | 6,18,884 |
| 4. | वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या | 28,855 | 32,351 |
| **बैंक को लोकपाल कार्यालय से प्राप्त की जाने वाली अनुरक्षणीय शिकायतें** | | | |
| 5. | **बैंकों को लोकपाल के कार्यालय से प्राप्त अनुरक्षणीय शिकायतों की संख्या** | 7,880 | 10,188 |
| | 5.1. 5 में से लोकपाल कार्यालय द्वारा बैंक के पक्ष में निपटाई गई शिकायतों की संख्या। | 3,209 | 3,749 |
| | 5.2 5 में से, लोकपाल कार्यालय द्वारा जारी सुलह/मध्यस्थता/परामर्श के माध्यम से सुलझाई गई शिकायतों की संख्या | 4,670 | 6,438 |
| | 5.3 5 में से, बैंक के विरुद्ध लोकपाल कार्यालय द्वारा न निर्णय पारित करने के बाद हल की गई शिकायतों की संख्या | 1 | 1 |
| 6. | निर्धारित समय के भीतर लागू न किए गए निर्णयों की संख्या (अपील के अलावा) | 0 | 0 |

*नोट:*

*1. अनुरक्षणीय शिकायतें एकीकृत लोकपाल योजना, 2021 (पूर्ववर्ती बैंकिंग लोकपाल योजना, 2006) में विशेष रूप से उल्लिखित आधारों पर की गई शिकायतों को संदर्भित करती हैं एवं योजना के दायरे में आती हैं।*

**9. Off Balance Sheet SPVs Sponsored (which are required to be consolidated as per accounting norms):**

*(Amount in ₹ Crore)*

| Name of the SPV sponsored | As at 31.03.2025 | | As at 31.03.2024 | |
|---|---|---|---|---|
| | Domestic | Overseas | Domestic | Overseas |
| Nil | Nil | Nil | Nil | Nil |

**10. Transfers To Depositor Education and Awareness Fund (DEAF)**

*(Amount in ₹ Crore)*

| Particulars | Current Year | Previous Year |
|---|---|---|
| Opening balance of amounts transferred to DEA Fund | 5,470.55 | 5,345.97 |
| Add: Amounts transferred to DEAF during the year | 1,173.04 | 452.84 |
| Less: Amounts reimbursed by DEAF towards claims during the year | 88.25 | 328.26 |
| Closing balance of amounts transferred to DEA Fund* | 6,555.34 | 5,470.55 |

*The amount is reflected as Contingent Liabilities – Others, items for which the Bank is contingently liable under Schedule 12 of the financial statements as on 31.03.2025

**11. Disclosure of Complaints**

**11.a Summary Information on Complaints received by the bank from customers and from the offices of Ombudsman, including ATM complaints**

| Sr. No. | Particulars | Current Year | Previous Year |
|---|---|---|---|
| **Complaints received by the Bank from its customers** | | | |
| 1. | Number of complaints pending at beginning of the year | 32,351 | 23,185 |
| 2. | Number of complaints received during the year | 11,39,830 | 11,30,195 |
| 3. | Number of complaints disposed during the year | 11,43,326 | 11,21,029 |
| | 3.1. Of which, number of complaints rejected by the Bank | 5,15,885 | 6,18,884 |
| 4. | Number of complaints pending at the end of the year | 28,855 | 32,351 |
| **Maintainable complaints received by the Bank from Office of Ombudsman** | | | |
| 5. | Number of maintainable complaints received by the Banks from Office of Ombudsman | 7,880 | 10,188 |
| | 5.1. Of 5, number of complaints resolved in favour of the Bank by Office of Ombudsman | 3,209 | 3,749 |
| | 5.2. Of 5, number of complaints resolved through conciliation/mediation/advisories issued by Office of Ombudsman | 4,670 | 6,438 |
| | 5.3. Of 5, number of complaints resolved after passing of Awards by Office of Ombudsman against the Bank | 1 | 1 |
| 6. | Number of Awards unimplemented within the stipulated time (other than those appealed) | 0 | 0 |

*Note:*

*1. Maintainable complaints refer to complaints on the grounds specifically mentioned in Integrated Ombudsman Scheme, 2021 (Previously Banking Ombudsman Scheme, 2006) and covered within the ambit of the Scheme.*

### 11.बी बैंक को ग्राहकों से प्राप्त शिकायतों के शीर्ष पाँच आधार*

| शिकायतों का आधार, (अर्थात् निम्नलिखित से संबंधित शिकायतें) | वर्ष के आरंभ में लंबित शिकायतों की संख्या | वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या | गत वर्ष की तुलना में प्राप्त शिकायतों की संख्या में % की वृद्धि/कमी | वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या | 5 में से 30 दिनों से अधिक समय से लंबित शिकायतों की संख्या |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **वर्तमान वर्ष (वित्त वर्ष 2024–25)** | | | | | |
| इंटरनेट/ मोबाइल/ इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग | 12,262 | 4,04,168 | -17.46% | 3,386 | 589 |
| एटीएम/डेबिट कार्ड | 5,054 | 3,83,578 | 21.04% | 1,806 | 195 |
| खाता खोलना/खाते के परिचालन में कठिनाई | 458 | 23,394 | 8.40% | 254 | 21 |
| ऋण और अग्रिम | 332 | 10,734 | 24.90% | 364 | 50 |
| वरिष्ठ नागरिकों/दिव्यांगों के लिए पेंशन एवं सुविधाएं | 225 | 7,444 | -48.77% | 107 | 4 |
| अन्य | 14,020 | 3,10,512 | 11.32% | 22,938 | 8,175 |
| **कुल** | **32,351** | **11,39,830** | **0.85%** | **28,855** | **9,034** |
| **गत वर्ष (वित्त वर्ष 2023–24)** | | | | | |
| इंटरनेट/मोबाइल/इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग | 13,442 | 4,89,664 | -35.08% | 12,262 | 457 |
| एटीएम/डेबिट कार्ड | 1,814 | 3,16,892 | -13.89% | 5,054 | 38 |
| खाता खोलना/खातों के परिचालन में कठिनाई | 303 | 21,582 | -38.29% | 458 | 10 |
| वरिष्ठ नागरिकों/दिव्यांगों के लिए पेंशन एवं सुविधाएं | 106 | 14,532 | 107.54% | 225 | 9 |
| ऋण और अग्रिम | 128 | 8,594 | 37.07% | 332 | 14 |
| अन्य | 7,392 | 2,78,931 | 51.16% | 14,020 | 1,673 |
| **कुल** | **23,185** | **11,30,195** | **-16.59%** | **32,351** | **2,201** |

*27 जनवरी, 2021 के परिपत्र CEPD.CO.PRD.Cir.No. 01/13.01.013/2020–21 के परिशिष्ट 1 में प्रदान की गई शिकायतों के आधार की पहचान करने के लिए मास्टर सूची के अनुसार 'बैंकों के शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत करना'।

### 11.b Top five grounds* of complaints received by the Bank from Customers

| Grounds of complaints, (i.e. complaints relating to) | Number of complaints pending at the beginning of the year | Number of complaints received during the year | % Increase/ decrease in the number of complaints received over the Previous year | Number of complaints pending at the end of year | Of 5, number of complaints pending beyond 30 days |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Current Year (FY 2024-25)** | | | | | |
| Internet/ Mobile/ Electronic Banking | 12,262 | 4,04,168 | -17.46% | 3,386 | 589 |
| ATM/ Debit Cards | 5,054 | 3,83,578 | 21.04% | 1,806 | 195 |
| Account opening/difficulty in operation of accounts | 458 | 23,394 | 8.40% | 254 | 21 |
| Loans and advances | 332 | 10,734 | 24.90% | 364 | 50 |
| Pension and facilities for senior citizens/differently abled | 225 | 7,444 | -48.77% | 107 | 4 |
| Others | 14,020 | 3,10,512 | 11.32% | 22,938 | 8,175 |
| **Total** | **32,351** | **11,39,830** | **0.85%** | **28,855** | **9,034** |
| **Previous Year (FY 2023-24)** | | | | | |
| Internet/ Mobile/ Electronic Banking | 13,442 | 4,89,664 | -35.08% | 12,262 | 457 |
| ATM/ Debit Cards | 1,814 | 3,16,892 | -13.89% | 5,054 | 38 |
| Account opening/difficulty in operation of accounts | 303 | 21,582 | -38.29% | 458 | 10 |
| Pension and facilities for senior citizens/differently abled | 106 | 14,532 | 107.54% | 225 | 9 |
| Loans and advances | 128 | 8,594 | 37.07% | 332 | 14 |
| Others | 7,392 | 2,78,931 | 51.16% | 14,020 | 1,673 |
| **Total** | **23,185** | **11,30,195** | **-16.59%** | **32,351** | **2,201** |

**As per Master List for identifying grounds of complaints as provided in Appendix 1 to circular CEPD.CO.PRD.Cir.No.01/13.01.013/2020-21 dated January 27, 2021 on 'Strengthening the Grievance Redress Mechanism of Banks'.*

12. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लगाए गए जुर्माने का प्रकटीकरण

12.ए बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949

| वर्तमान वर्ष (31.03.2025 को समाप्त वित्त वर्ष) | गत वर्ष (31.03.2024 को समाप्त वित्त वर्ष) |
|---|---|
| आरबीआई द्वारा दिनांक 03.07.2024 के आदेश के अंतर्गत 'ऋण और अग्रिम – वैधानिक और अन्य प्रतिबंध' पर आरबीआई के कुछ निर्देशों और 'अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) निर्देश 2016' पर रिजर्व बैंक के निर्देशों का पालन न करने पर बैंक पर ₹131.80 लाख (एक करोड़ इकतीस लाख अस्सी हजार रुपये) का नियामक जुर्माना लगाया गया है। | बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 की धारा 46(4)(i) और 51(1) के साथ पठित धारा 47ए (1) (सी) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आरबीआई ने 30 अक्तूबर 2023 के मौखिक आदेश के अंतर्गत, 'भारतीय रिजर्व बैंक (जमा पर ब्याज दर) दिशानिर्देश, 2016', 'भारतीय रिजर्व बैंक (अग्रिमों पर ब्याज दर) निर्देश, 2016' और 'बैंकों में ग्राहक सेवा पर मास्टर परिपत्र' के कुछ प्रावधानों का पालन न करने पर बैंक पर ₹72 लाख (बहत्तर लाख रुपये) का जुर्माना लगाया। |

12.बी भुगतान एवं निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के प्रावधानों के अंतर्गत उल्लंघन के लिए बैंक पर कोई जुर्माना नहीं लगाया गया है।

12.सी सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 (एसजीएल बाउंसिंग के लिए) के प्रावधानों के अंतर्गत उल्लंघन के लिए बैंक पर कोई जुर्माना नहीं लगाया गया है।

12.डी रिवर्स रेपो लेन–देन के अंतर्गत चूक से संबंधित प्रकटीकरण :

| विवरण | चालू वर्ष | गत वर्ष |
|---|---|---|
| दृष्टांतों की संख्या | शून्य | शून्य |
| आरबीआई को भुगतान की गई जुर्माने की राशि (₹ में) | शून्य | शून्य |

13. पूर्णकालिक निदेशकों / मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पारिश्रमिक पर प्रकटीकरण:

*(राशि ₹ करोड़ में)*

| नाम | पदनाम | वर्तमान वर्ष | गत वर्ष |
|---|---|---|---|
| श्री अशोक चंद्र | प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी | 0.09 | - |
| श्री कल्याण कुमार | कार्यपालक निदेशक | 0.61 | 0.39 |
| श्री एम. परमशिवम | कार्यपालक निदेशक | 0.60 | 0.39 |
| श्री बिभु प्रसाद महापात्र | कार्यपालक निदेशक | 0.48 | 0.17 |
| श्री डी. सुरेन्द्रन | कार्यपालक निदेशक | 0.01 | - |
| श्री अतुल कुमार गोयल | पूर्व प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी | 0.58 | 0.44 |
| श्री विजय दुबे | पूर्व कार्यपालक निदेशक | 0.08 | 0.63 |
| श्री बिनोद कुमार | पूर्व कार्यपालक निदेशक | 0.51 | 0.38 |
| **कुल** | | **2.96** | **2.40** |

**12. Disclosure of Penalties imposed by the Reserve Bank of India**

**12.a Banking Regulation Act, 1949**

| Current Year (FY ended 31.03.2025) | Previous Year (FY Ended 31.03.2024) |
|---|---|
| A regulatory penalty amounting to ₹131.80 Lakh (Rupees One Crore Thirty-One Lakh and Eighty Thousand) has been imposed on the Bank by RBI vide order dated 03.07.2024 for non-compliance with certain RBI directions on 'Loans and Advances – Statutory and other Restrictions' and Reserve Bank directions on 'Know Your Customer (KYC) Directions 2016' | In exercise of powers conferred under section 47A (1) (c) read with sections 46(4)(i) and 51 (1) of the Banking Regulation Act 1949, RBI vide speaking order dated 30th October 2023 imposed, a penalty of ₹ 72 Lakhs (Rupees Seventy-Two Lakh) on Bank for non-compliance with certain provisions of 'Reserve Bank of India (Interest Rate on Deposits) Directions, 2016' , 'Reserve Bank of India (Interest Rate on Advances) Directions, 2016' and 'Master Circular on Customer Service in Banks' |

**12.b No penalty has been imposed on the bank for the contravention under the provisions of Payment and Settlement Systems Act, 2007.**

**12.c No penalty has been imposed on the bank for contravention under the provisions of Government Securities Act, 2006 (for bouncing of SGL).**

**12.d Disclosure relating to default under Reverse Repo Transaction:**

| Particulars | Current Year | Previous Year |
|---|---|---|
| Number of instances | Nil | Nil |
| Quantum of penalty paid to RBI (in ₹) | Nil | Nil |

**13. Disclosure on remuneration of Whole Time Directors / Chief Executive Officer**

*(Amount in ₹ Crore)*

| Name | Designation | Current Year | Previous Year |
|---|---|---|---|
| Shri Ashok Chandra | Managing Director & CEO | 0.09 | - |
| Shri Kalyan Kumar | Executive Director | 0.61 | 0.39 |
| Shri M Paramasivam | Executive Director | 0.60 | 0.39 |
| Shri Bibhu Prasad Mahapatra | Executive Director | 0.48 | 0.17 |
| Shri D. Surendran | Executive Director | 0.01 | - |
| Shri Atul Kumar Goel | Ex - MD & CEO | 0.58 | 0.44 |
| Shri Vijay Dube | Ex-ED | 0.08 | 0.63 |
| Shri Binod Kumar | Ex-ED | 0.51 | 0.38 |
| **Total** | | **2.96** | **2.40** |

## 14. अन्य प्रकटीकरण

### 14.ए कारोबार अनुपात

| विवरण | 31.03.2025 तक | 31.03.2024 तक |
|---|---|---|
| कार्यशील निधि के प्रतिशत के रूप में ब्याज आय | 7.13% | 6.98% |
| कार्यशील निधि के प्रतिशत के रूप में गैर–ब्याज आय | 0.96% | 0.87% |
| जमा की लागत | 5.23% | 4.91% |
| निवल ब्याज मार्जिन | 2.93% | 3.09% |
| कार्यशील निधि के प्रतिशत के रूप में परिचालन लाभ | 1.57% | 1.63% |
| आस्तियों पर प्रतिलाभ | 0.97% | 0.54% |
| प्रति कर्मचारी व्यवसाय (जमा और अग्रिम) (₹ करोड़ में) | 26.86 | 23.84 |
| प्रति कर्मचारी लाभ (₹करोड़ में) | 0.17 | 0.09 |

### 14.बी बैंकएश्योरेंस कारोबार

बैंक द्वारा किए गए बीमा ब्रोकिंग, एजेंसी और बैंकएश्योरेंस व्यवसाय के संबंध में अर्जित शुल्क/ब्रोकरेज का विवरण:

*(राशि ₹ करोड़ में)*

| विवरण | वर्तमान वर्ष | गत वर्ष |
|---|---|---|
| (i) जीवन बीमा कारोबार | 358.45 | 338.24 |
| (ii) गैर–जीवन बीमा कारोबार | 113.86 | 109.70 |
| (iii) प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) | 5.12 | 5.63 |
| (iv) प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना | 2.57 | 2.26 |
| **कुल** | **480.00** | **455.83** |

### 14.सी विपणन और वितरण

बैंक द्वारा किए गए विपणन और वितरण कार्य (बैंकएश्योरेंस व्यवसाय को छोड़कर) के संबंध में प्राप्त शुल्क/पारिश्रमिक का विवरण:

*(राशि ₹ करोड़ में)*

| विवरण | चालू वर्ष | गत वर्ष |
|---|---|---|
| (i) म्युचुअल फंड व्यवसाय | 11.27 | 8.60 |
| (ii) अटल पेंशन योजना (एपीवाई) | 13.96 | 11.07 |
| (iii) आधार पर आय/कमीशन | 0.91 | 2.30 |
| (iv) पेंशन | 101.94 | 114.47 |
| (v) कर एवं अन्य | 40.93 | 48.67 |
| (vi) सरकारी जमा योजना | 17.02 | 22.99 |
| (vii) करेंसी चेस्ट | 2.10 | 2.36 |
| **कुल** | **188.13** | **210.46** |

## 14. Other Disclosure

### 14.a Business ratios

| Particular | As at 31.03.2025 | As at 31.03.2024 |
|---|---|---|
| Interest Income as a percentage to Working Funds | 7.13% | 6.98% |
| Non-interest income as a percentage to Working Funds | 0.96% | 0.87% |
| Cost of Deposits | 5.23% | 4.91% |
| Net Interest Margin | 2.93% | 3.09% |
| Operating Profit as a percentage to Working Funds | 1.57% | 1.63% |
| Return on Assets | 0.97% | 0.54% |
| Business (Deposits plus Advances) per employee (₹ in Crore) | 26.86 | 23.84 |
| Profit per employee (₹ in Crore) | 0.17 | 0.09 |

### 14.b Bancassurance Business

Details of Fees/ Brokerage earned in respect of Insurance broking, agency and bancassurance business undertaken by the Bank:

*(Amount in ₹ Crore)*

| Particulars | Current Year | Previous Year |
|---|---|---|
| (i) Life Insurance Business | 358.45 | 338.24 |
| (ii) Non-life Insurance Business | 113.86 | 109.70 |
| (iii) Prime Minister Jeevan Jyoti Bima Yojana (PMJJBY) | 5.12 | 5.63 |
| (iv) Prime Minister Suraksha Bima Yojna | 2.57 | 2.26 |
| **TOTAL** | **480.00** | **455.83** |

### 14.c Marketing and Distribution

Details of Fee/remuneration received in respect of the marketing and distribution function (excluding bancassurance business) undertaken by the Bank:

*(Amount in ₹ Crore)*

| Particulars | Current Year | Previous Year |
|---|---|---|
| (i) Mutual Fund Business | 11.27 | 8.60 |
| (ii) Atal Pension Yojna (APY) | 13.96 | 11.07 |
| (iii) Income / Commission on Aadhar | 0.91 | 2.30 |
| (iv) Pension | 101.94 | 114.47 |
| (v) Taxes & Others | 40.93 | 48.67 |
| (vi) Govt. Deposit Scheme | 17.02 | 22.99 |
| (vii) Currency Chest | 2.10 | 2.36 |
| **TOTAL** | **188.13** | **210.46** |

## 14.डी प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण प्रमाण पत्रों (पीएलएससी) के संबंध में प्रकटीकरण

*(राशि ₹ करोड़ में)*

| क्र. सं. | पीएसएलसी के प्रकार | वर्तमान वर्ष | | गत वर्ष | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | खरीदा गया | बेचा गया | खरीदा गया | बेचा गया |
| 1 | कृषि | 10,000.00 | 5,500.00 | 11,990.00 | 0.00 |
| 2 | छोटे एवं सीमांत किसान | 25,356.00 | 0.00 | 29,010.00 | 4,000.00 |
| 3 | अति लघु उद्योग | 5,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 |
| 4 | सामान्य | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **कुल** | | **58,356.00** | **5,500.00** | **56,000.00** | **4,000.00** |
| खरीदे/बेचे गए पीएसएलसी के लिए भुगतान/प्राप्त किया गया शुल्क (जीएसटी को छोड़कर) | | 512.17 | 36.80 | 547.28 | 23.70 |

## 14.ई प्रावधान और आकस्मिकताएं

*(राशि ₹ करोड़ में)*

| | लाभ और हानि खाते में नामे किया गया प्रावधान | चालू वर्ष | गत वर्ष |
|---|---|---|---|
| i. | एनपीए/क्षति के लिए प्रावधान | (11.65) | (1,407.33) |
| ii. | एनपीए के लिए प्रावधान | 1,896.83 | 12,345.01 |
| iii. | आयकर के लिए किया गया प्रावधान | 8,525.87 | 4,949.59 |
| | - वर्तमान कर | 6,927.81 | 3,929.96 |
| | - आस्थगित कर | 1,598.06 | 1,019.63 |
| iv. | मानक आस्तियों के लिए प्रावधान | (225.28) | 1.68 |
| v. | अन्य प्रावधान और आकस्मिकताएँ | 14.70 | 797.25 |
| | - एफआईटीएल सहित मानक पुनर्रचित | (77.82) | 85.52 |
| | - अन्य | 92.52 | 711.73 |
| **कुल** | | **10,200.47** | **16,686.19** |

## 14.एफ आईएफआरएस अभिसरण भारतीय लेखा मानकों (इंड एएस) का कार्यान्वयन:

दिनांक 18 जनवरी 2016 को केंद्रीय कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर), बीमाकर्ता/बीमा कंपनियों और गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के लिए इंड एएस रोडमैप जारी किया था। एमसीए की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार इंड एएस वित्तीय वर्ष 2018–19 से बैंक पर लागू था, जिसे आरबीआई की 5 अप्रैल 2018 की प्रेस विज्ञप्ति (2017–18/2642) के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2019–20 तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। आरबीआई ने अपने परिपत्र संख्या डीबीआर.बीपी.बीसी.सं. 29/21.07.001/2018–19 दिनांक 22.03.2019 के अंतर्गत अगली सूचना तक इंड एएस के कार्यान्वयन को स्थगित कर दिया है। तदनुसार, बैंक ने इंड एएस के कार्यान्वयन में सहायता के लिए एक सलाहकार नियुक्त किया है। बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति को समय–समय पर हुई प्रगति से अवगत कराया जा रहा है। बैंक ने भारतीय लेखा मानक के कार्यान्वयन के लिए एक सुनियोजित रणनीति बनाई है जिसमे पर्याप्त प्रगति हुई है। इसके अतिरिक्त, बैंक निर्धारित आवधिकता के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक को भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण प्रोफार्मा प्रस्तुत कर रहा है।

## 14.जी डीआईसीजीसी बीमा प्रीमियम का भुगतान

*(राशि ₹ करोड़ में)*

| क्र.सं. | विवरण | चालू वर्ष | गत वर्ष |
|---|---|---|---|
| i) | डीआईसीजीसी बीमा प्रीमियम का भुगतान | 1,871.34 | 1,736.45 |
| ii) | डीआईसीजीसी प्रीमियम भुगतान में बकाया | शून्य | शून्य |

## 14.d Disclosures regarding Priority Sector Lending Certificates (PSLCs)

*(Amount in ₹ Crore)*

| Sr. No. | Types of PSLCs | Current Year | | Previous Year | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Bought | Sold | Bought | Sold |
| 1 | Agriculture | 10,000.00 | 5,500.00 | 11,990.00 | 0.00 |
| 2 | Small and Marginal Farmers | 25,356.00 | 0.00 | 29,010.00 | 4,000.00 |
| 3 | Micro Enterprises | 5,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 |
| 4 | General | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **TOTAL** | | **58,356.00** | **5,500.00** | **56,000.00** | **4,000.00** |
| Fee Paid/received for PSLCs purchased/Sold (Excluding GST) | | 512.17 | 36.80 | 547.28 | 23.70 |

## 14.e Provisions and Contingencies

*(Amount in ₹ Crore)*

| | Provision debited to Profit and Loss Account | Current Year | Previous Year |
|---|---|---|---|
| i. | Provisions for NPI / Impairment | (11.65) | (1,407.33) |
| ii. | Provision towards NPA | 1,896.83 | 12,345.01 |
| iii. | Provision made towards Income Tax | 8,525.87 | 4,949.59 |
| | - Current Tax | 6,927.81 | 3,929.96 |
| | - Deferred Tax | 1,598.06 | 1,019.63 |
| iv. | Provision towards Standard Assets | (225.28) | 1.68 |
| v. | Other Provisions and Contingencies | 14.70 | 797.25 |
| | - Standard Restructured including FITL | (77.82) | 85.52 |
| | - Others | 92.52 | 711.73 |
| **TOTAL** | | **10,200.47** | **16,686.19** |

## 14.f Implementation of IFRS converged Indian Accounting Standards (Ind AS):

IND AS roadmap for scheduled commercial banks (excluding regional rural banks), insurers/insurance companies and non-banking financial companies (NBFCs) was issued by Union Ministry of Corporate Affairs (MCA) through press release dated 18 January 2016. IND AS was applicable to the Bank in accordance with the MCA press release from financial year 2018-19 which was deferred to financial year 2019-20 vide RBI's Press Release (2017-18/2642) dated 5 April 2018. RBI has further deferred implementation of IND AS till further notice vide its Circular no DBR.BP.BC.No. 29/21.07.001/2018-19 dated 22.03.2019. The Bank, accordingly, has appointed a Consultant to assist in implementation of the Ind AS. The Audit Committee of the Board is being apprised of the progress made from time to time. The Bank has a well-planned strategy for Ind AS implementation and has made substantial progress in this regard. Further, Bank is submitting the Proforma Ind AS Financial Statements to the RBI as per prescribed periodicity.

## 14.g Payment of DICGC Insurance Premium

*(Amount in ₹ Crore)*

| Sr. No. | Particulars | Current Year | Previous Year |
|---|---|---|---|
| i) | Payment of DICGC Insurance Premium | 1,871.34 | 1,736.45 |
| ii) | Arrears in payment of DICGC premium | NIL | NIL |

### 14.एच हरित जमाराशियों से एकत्रित की गई धनराशि के उपयोग पर पोर्टफोलियो–स्तर की जानकारी

*(राशि ₹ करोड़ में)*

| विवरण | चालू वर्ष | गत वर्ष | संचयी 31.03.2025 तक | संचयी 31.03.2024 तक |
|---|---|---|---|---|
| जुटाई गई कुल हरित जमा (ए) | 394.31 | 0.00 | 394.31 | 0.00 |
| हरित जमा निधि का उपयोग | | | | |
| (1) नवीकरणीय ऊर्जा | 820.99 | 0.00 | 820.99 | 0.00 |
| (2) ऊर्जा दक्षता | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (3) स्वच्छ परिवहन | 271.24 | 0.00 | 271.24 | 0.00 |
| (4) जलवायु परिवर्तन अनुकूलन | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (5) सतत जल और अपशिष्ट प्रबंधन | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (6) प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (7) हरित इमारतें | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (8) जीवित प्राकृतिक संसाधनों और भूमि उपयोग का सतत प्रबंधन | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (9) स्थलीय एवं जलीय जैव विविधता संरक्षण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| आवंटित कुल हरित जमा निधि (बी = 1 से 9 का योग) | 1,092.24 | 0.00 | 1,092.24 | 0.00 |
| *आवंटित नहीं की गई हरित जमा निधि की राशि (सी = ए – बी) | (697.93) | 0.00 | (697.93) | 0.00 |
| हरित जमा आय के अस्थायी आवंटन विवरण जो पात्र हरित गतिविधियों/प्रोजेक्ट/परियोजनाओं के आवंटन के लिए लंबित है । | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**C* का ऋणात्मक अंकन एकत्रित की गई हरित जमाराशि की तुलना में हरित वित्त की अधिकता को दर्शाता है।*

### 15. कुछ लेखांकन मानकों के संबंध में अन्य प्रकटीकरण

### 15.ए लेखामानक 5 – अवधि के लिए शुद्ध लाभ या हानि, पूर्व अवधि की मदें और लेखा नीति में परिवर्तन

वर्तमान एवं पिछले वर्ष के दौरान लेखामानक 5 के अंतर्गत प्रकटीकरण की आवश्यकता वाली कोई भी पूर्व अवधि की आय/व्यय मदें नहीं थीं।

31 मार्च 2025 को समाप्त तिमाही और वर्ष के लिए वित्तीय परिणामों की तैयारी हेतु अपनाई गई महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों में 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों की तैयारी हेतु अपनाई गई नीतियों की तुलना में परिवर्तनों का कोई भौतिक प्रभाव नहीं है, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 12 सितंबर, 2023 को जारी मास्टर निर्देश संख्या RBI/DOR/2023–24/104 DOR.MRG.36/21.04.141/2023–24 वाणिज्यिक बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो के वर्गीकरण, मूल्यांकन और संचालन पर (निर्देश), 2023 के अनुपालन

### 14.h Portfolio-level information on the use of funds raised from green deposits

*(Amount in ₹ Crore)*

| Particulars | Current year | Previous year | Cumulative Up to 31.03.2025 | Cumulative Up to 31.03.2024 |
|---|---|---|---|---|
| Total green deposits raised (A) | 394.31 | 0.00 | 394.31 | 0.00 |
| Use of green deposit funds | | | | |
| (1) Renewable Energy | 820.99 | 0.00 | 820.99 | 0.00 |
| (2) Energy Efficiency | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (3) Clean Transportation | 271.24 | 0.00 | 271.24 | 0.00 |
| (4) Climate Change Adaptation | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (5) Sustainable Water and Waste Management | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (6) Pollution Prevention and Control | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (7) Green Buildings | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (8) Sustainable Management of Living Natural Resources and Land Use | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (9) Terrestrial and Aquatic Biodiversity Conservation | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Green Deposit funds allocated (B = Sum of 1 to 9) | 1,092.24 | 0.00 | 1,092.24 | 0.00 |
| *Amount of Green Deposit funds not allocated (C = A – B) | (697.93) | 0.00 | (697.93) | 0.00 |
| Details of the temporary allocation of green deposit proceeds pending their allocation to the eligible green activities/ projects | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

** Negative figure of C denotes excess of Green Finance over Green Deposits raised.*

### 15. Other Disclosure with respect to certain Account Standards

### 15.a Accounting Standard 5 – Net Profit or Loss for the period, Prior Period Items and Change in Accounting Policy

During the Current and Previous year there were no material prior period income/ expenditure items requiring disclosure under Accounting Standard 5.

There is no material impact of changes in Significant Accounting Policies followed for preparation of financial results for the quarter and year ended March 31, 2025 as compared to those followed for the preparation of financial statements for the year ended March 31, 2024, except those pertaining to classification, valuation and accounting of investments in compliance of Master Direction No. RBI/DOR/2023-24/104 DOR.MRG.36/21.04.141/2023-24 on Classification, Valuation and Operation of Investment Portfolio of Commercial Banks (Directions), 2023 dated September 12, 2023, issued by

में एफआईएमएमडीए द्वारा जारी स्पष्टीकरण के साथ पठित, निवेशों के वर्गीकरण, मूल्यांकन और लेखांकन से संबंधित मामलों को छोड़कर, 1 अप्रैल, 2024 से लागू हो गए हैं। उपर्युक्त दिशानिर्देशों के अनुसार, अन्य तथ्यों के साथ–साथ, बैंक ने 31 मार्च 2025 तक सामान्य रिजर्व में रुपये 2,098.68 करोड़ (करों के बाद) और एएफएस रिजर्व में रुपये 379.55 करोड़ (करों के बाद ) का शुद्ध लाभ दर्ज किया है।

इन दिशानिर्देशों के प्रभाव की सीमा तक, संबंधित पिछली अवधियों/वर्षों के आंकड़े वर्तमान अवधि के साथ तुलनीय नहीं हैं।

**15.बी लेखामानक 9 – राजस्व मान्यता**

आय की कुछ मदों को लेखांकन नीति संख्या 3.5 के अनुसार वसूली के आधार पर मान्यता दी जाती है। हालाँकि, उक्त आय को भौतिक नहीं माना जाता है। (पिछले वर्ष: आय की कुछ मदों को लेखांकन नीति संख्या 3.5 के अनुसार वसूली के आधार पर मान्यता दी जाती है। हालाँकि, उक्त आय को भौतिक नहीं माना जाता है)।

**15.सी लेखा मानक 10 – संपतियां, संयंत्र और उपकरण**

प्रत्येक श्रेणी की आस्तियों हेतु वर्ष के लिए कुल मूल्यह्रास का विवरण:

*(राशि ₹ करोड़ में)*

| आस्ति का वर्ग | चालू वर्ष | गत वर्ष |
|---|---|---|
| परिसर | 147.34 | 223.03 |
| अन्य अचल संपत्तियां | 676.75 | 573.84 |
| पट्टे पर दी गई संपत्तियां | 0.00 | 0.00 |
| कंप्यूटर सॉफ्टवेयर | 123.48 | 98.38 |
| **कुल** | **947.57** | **895.25** |

**15.डी लेखांकन मानक 11 – विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन के प्रभाव:**

**एक्सचेंज रिज़र्व में उतार–चढ़ाव की गतिविधियाँ**

*(राशि ₹ करोड़ में)*

| विवरण | चालू वर्ष | गत वर्ष |
|---|---|---|
| प्रारम्भिक शेष | 238.88 | 230.11 |
| लाभ और हानि खाते में परिवर्तन के कारण वर्ष के दौरान वृद्धि/कटौती | 1.96 | 1.12 |
| वर्ष के दौरान आस्तियों एवं देनदारियों के अंतरण के कारण वृद्धि/कटौती | 17.09 | 7.65 |
| अंतिम शेष | **257.93** | **238.88** |

**15.ई लेखामानक 15 – कर्मचारी लाभ**

एएस–15(आर) के अनुसार प्रकटीकरण – लेखांकन नीति के अनुरूप और लेखामानक–15(आर) के अनुसार, रोजगार लाभों की संक्षिप्त स्थिति निम्नानुसार है:

**15.ई.i परिभाषित लाभ योजनाएँ**

**तालिका I – प्रमुख बीमांकिक अनुमान और इन अनुमानो का आधार**

| बीमांकिक अनुमान | पेंशन | | उपदान | | छुट्टी नकदीकरण | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 31.03.2025 | 31.03.2024 | 31.03.2025 | 31.03.2024 | 31.03.2025 | 31.03.2024 |
| छूट दर | 6.79% | 7.25% | 6.78% | 7.20% | 6.78% | 7.20% |
| योजनागत आस्तियों पर संभावित लाभ | 6.79% | 7.25% | 6.78% | 7.20% | 6.78% | 7.20% |
| वेतन वृद्धि की दर | 6.00% | 6.00% | 6.00% | 6.00% | 6.00% | 6.00% |
| पलायन दर | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% |

Reserve Bank of India, read with clarification issued by FIMMDA, which have become applicable from April 1, 2024. Pursuant to the above guidelines, inter-alia, the Bank has recognised a net gain of Rs. 2,098.68 crore (net of taxes) in General Reserve and Rs.379.55 crore (net of taxes) in AFS Reserve as on March 31, 2025.

To the extent of impact of these guidelines, the corresponding previous periods' / year's figures are not comparable with that of the current period.

### 15.b Accounting Standard 9 – Revenue Recognition

Certain items of income are recognized on realization basis as per Accounting Policy No. 3.5. However, the said income is not considered to be material. (Previous year: Certain items of income are recognized on realization basis as per Accounting Policy No. 3.5. However, the said income is not considered to be material).

### 15.c Accounting Standard 10 – Properties, Plant and Equipment

**Break-up of total depreciation for the year, for each class of assets:**

*(Amount in ₹ Crore)*

| Class of assets | Current Year | Previous Year |
|---|---|---|
| Premises | 147.34 | 223.03 |
| Other fixed assets | 676.75 | 573.84 |
| Leased assets | 0.00 | 0.00 |
| Computer software | 123.48 | 98.38 |
| **Total** | **947.57** | **895.25** |

### 15.d Accounting Standard 11 – The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates

**Movement of Exchange Fluctuation Reserve**

*(Amount in ₹ Crore)*

| Particulars | Current Year | Previous Year |
|---|---|---|
| Opening balance | 238.88 | 230.11 |
| Addition/Deduction during the year due to change in Profit & Loss account | 1.96 | 1.12 |
| Addition/Deduction during the year due to translation of Assets & Liabilities | 17.09 | 7.65 |
| **Closing Balance** | **257.93** | **238.88** |

### 15.e Accounting Standard 15 – Employee Benefits

Disclosure in accordance with AS – 15(R) - In line with the accounting policy and as per the Accounting Standard – 15(R), the summarized position of employment benefits is as under:

### 15.e.i Defined Benefit Plans

**Table I – Principal Actuarial Assumptions and the basis of these assumptions**

| Actuarial Assumptions | PENSION | | GRATUITY | | LEAVE ENCASHMENT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 31.03.2025 | 31.03.2024 | 31.03.2025 | 31.03.2024 | 31.03.2025 | 31.03.2024 |
| Discount Rate | 6.79% | 7.25% | 6.78% | 7.20% | 6.78% | 7.20% |
| Expected Return on Plan Assets | 6.79% | 7.25% | 6.78% | 7.20% | 6.78% | 7.20% |
| Rate of Escalation In salary | 6.00% | 6.00% | 6.00% | 6.00% | 6.00% | 6.00% |
| Attrition Rate | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% |

### तालिका II – दायित्वों के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन

*(राशि ₹ करोड़ में)*

| विवरण | पेंशन | | उपदान | | छुट्टी नकदीकरण | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 31.03.2025 | 31.03.2024 | 31.03.2025 | 31.03.2024 | 31.03.2025 | 31.03.2024 |
| वर्ष के आरंभ में दायित्व का वर्तमान मूल्य | 51,990.77 | 49,177.52 | 3,901.43 | 3,835.58 | 3,923.67 | 3,791.63 |
| जोड़ें: ब्याज लागत | 3,653.00 | 3,544.18 | 255.49 | 256.00 | 240.68 | 239.20 |
| जोड़ें: वर्तमान सेवा लागत | 446.11 | 393.87 | 221.41 | 213.18 | 488.55 | 393.54 |
| घटाएँ: प्रदत्त लाभ | 4,643.28 | 4,170.79 | 561.51 | 532.33 | 307.39 | 643.53 |
| बीमांकिक (लाभ) / दायित्वों पर हानि (शेष आंकड़ा) | 4,763.73 | 3,045.99 | 269.52 | 129.00 | 105.24 | 142.83 |
| **वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य** | **56,210.33** | **51,990.77** | **4,086.34** | **3,901.43** | **4,450.75** | **3,923.67** |

### तालिका III – योजना आस्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन

*(राशि ₹ करोड़ में)*

| विवरण | पेंशन | | उपदान | | छुट्टी नकदीकरण | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 31.03.2025 | 31.03.2024 | 31.03.2025 | 31.03.2024 | 31.03.2025 | 31.03.2024 |
| वर्ष के आरंभ में योजना आस्तियों का उचित मूल्य | 50,876.65 | 49,133.26 | 3,860.18 | 4,042.76 | 3,919.56 | 3,416.31 |
| जोड़ें: योजना आस्तियों पर संभावित प्रतिफल | 3,572.22 | 3,540.89 | 260.49 | 279.37 | 257.97 | 225.90 |
| जोड़ें: बैंक द्वारा प्रदत्त अंशदान | 4,959.74 | 1,887.74 | 343.75 | 48.12 | 508.36 | 840.52 |
| घटाएँ: प्रदत्त लाभ | 4,643.28 | 4,170.79 | 561.51 | 532.33 | 307.39 | 643.53 |
| बीमांकिक (हानि)/योजना आस्तियों पर लाभ (संतुलनकारी आंकड़ा) | 750.06 | 485.55 | 54.26 | 22.26 | 69.60 | 80.36 |
| **वर्ष के अंत में योजना आस्तियों का उचित मूल्य** | **55,515.39** | **50,876.65** | **3,957.17** | **3,860.18** | **4,448.10** | **3,919.56** |

### तालिका IV – योजना आस्तियों पर वास्तविक प्रतिफल

*(राशि ₹ करोड़ में)*

| विवरण | पेंशन | | उपदान | | छुट्टी नकदीकरण | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 31.03.2025 | 31.03.2024 | 31.03.2025 | 31.03.2024 | 31.03.2025 | 31.03.2024 |
| योजनागत आस्तियों पर संभावित लाभ | 3,572.22 | 3,540.89 | 260.49 | 279.37 | 257.97 | 225.90 |
| जोड़ें: बीमांकिक (हानि) / योजना आस्तियों पर लाभ | 750.06 | 485.55 | 54.26 | 22.26 | 69.60 | 80.36 |
| **योजना आस्तियों पर वास्तविक रिटर्न** | **4,322.28** | **4,026.44** | **314.75** | **301.63** | **327.57** | **306.26** |

**TABLE II - Changes in Present value of the obligation**

*(Amount in ₹ Crore)*

| Particulars | PENSION | | GRATUITY | | LEAVE ENCASHMENT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 31.03.2025 | 31.03.2024 | 31.03.2025 | 31.03.2024 | 31.03.2025 | 31.03.2024 |
| Present value of the obligation at the beginning of the year | 51,990.77 | 49,177.52 | 3,901.43 | 3,835.58 | 3,923.67 | 3,791.63 |
| Add: Interest Cost | 3,653.00 | 3,544.18 | 255.49 | 256.00 | 240.68 | 239.20 |
| Add: Current Service Cost | 446.11 | 393.87 | 221.41 | 213.18 | 488.55 | 393.54 |
| Less: Benefits Paid | 4,643.28 | 4,170.79 | 561.51 | 532.33 | 307.39 | 643.53 |
| Actuarial (Gains) / Losses on obligations (Balancing Figure) | 4,763.73 | 3,045.99 | 269.52 | 129.00 | 105.24 | 142.83 |
| **Present value of obligation as at the end of year** | **56,210.33** | **51,990.77** | **4,086.34** | **3,901.43** | **4,450.75** | **3,923.67** |

**TABLE III - Changes in the FV of the Plan Assets**

*(Amount in ₹ Crore)*

| Particulars | PENSION | | GRATUITY | | LEAVE ENCASHMENT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 31.03.2025 | 31.03.2024 | 31.03.2025 | 31.03.2024 | 31.03.2025 | 31.03.2024 |
| Fair Value of Plan Assets, as at the beginning of the year | 50,876.65 | 49,133.26 | 3,860.18 | 4,042.76 | 3,919.56 | 3,416.31 |
| Add: Expected return on Plan Assets | 3,572.22 | 3,540.89 | 260.49 | 279.37 | 257.97 | 225.90 |
| Add: Contribution paid by Bank | 4,959.74 | 1,887.74 | 343.75 | 48.12 | 508.36 | 840.52 |
| Less: Benefits Paid | 4,643.28 | 4,170.79 | 561.51 | 532.33 | 307.39 | 643.53 |
| Actuarial (Loss) / Gain on Plan Assets (Balancing Figure) | 750.06 | 485.55 | 54.26 | 22.26 | 69.60 | 80.36 |
| **Fair Value of Plan Assets, as at the end of the year** | **55,515.39** | **50,876.65** | **3,957.17** | **3,860.18** | **4,448.10** | **3,919.56** |

**TABLE IV - Actual Return on Plan Assets**

*(Amount in ₹ Crore)*

| Particulars | PENSION | | GRATUITY | | LEAVE ENCASHMENT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 31.03.2025 | 31.03.2024 | 31.03.2025 | 31.03.2024 | 31.03.2025 | 31.03.2024 |
| Expected return on Plan Assets | 3,572.22 | 3,540.89 | 260.49 | 279.37 | 257.97 | 225.90 |
| Add: Actuarial (Loss) / Gain on Plan Assets | 750.06 | 485.55 | 54.26 | 22.26 | 69.60 | 80.36 |
| **Actual return on Plan Assets** | **4,322.28** | **4,026.44** | **314.75** | **301.63** | **327.57** | **306.26** |

तालिका V – शुद्ध बीमांकिक (लाभ)/हानि की मान्यता प्राप्त

*(राशि ₹ करोड़ में)*

| विवरण | पेंशन | | उपदान | | छुट्टी नकदीकरण | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 31.03.2025 | 31.03.2024 | 31.03.2025 | 31.03.2024 | 31.03.2025 | 31.03.2024 |
| अवधि के लिए दायित्वों पर बीमांकिक हानि/(लाभ) | 4,763.73 | 3,045.99 | 269.52 | 129.00 | 105.24 | 142.83 |
| अवधि के लिए योजना आस्तियों पर बीमांकिक (लाभ)/हानि | -750.06 | -485.55 | -54.26 | -22.26 | -69.60 | -80.36 |
| अवधि के लिए कुल (लाभ)/हानि | 4,013.67 | 2,560.44 | 215.26 | 106.74 | 35.64 | 62.47 |
| वर्ष में मान्य बीमांकिक (लाभ) / हानि | 4,013.67 | 2,560.44 | 215.26 | 106.74 | 35.64 | 62.47 |
| वर्ष के अंत में अनभिज्ञात बीमांकिक (लाभ)/ हानि | - | - | - | - | - | - |

तालिका VI – तुलन पत्र में मान्य राशि

*(राशि ₹ करोड़ में)*

| विवरण | पेंशन | | उपदान | | छुट्टी नकदीकरण | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 31.03.2025 | 31.03.2024 | 31.03.2025 | 31.03.2024 | 31.03.2025 | 31.03.2024 |
| परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य | 56,210.33 | 51,990.77 | 4,086.34 | 3,901.43 | 4,450.75 | 3,923.67 |
| घटाएँ: योजना आस्तियों का उचित मूल्य | 55,515.39 | 50,876.65 | 3,957.17 | 3,860.18 | 4,448.10 | 3,919.56 |
| घाटा / (अधिशेष) | 694.94 | 1,114.12 | 129.17 | 41.25 | 2.65 | 4.11 |
| **शुद्ध देयता/ (आस्ति)** | **694.94** | **1,114.12** | **129.17** | **41.25** | **2.65** | **4.11** |
| तुलन पत्र में राशियाँ | | | | | | |
| तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त देयता | 694.94 | 1,114.12 | 129.17 | 41.25 | 2.65 | 4.11 |
| तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त संपत्तियां (पारिवारिक पेंशन देयता पर) | | | | | | |
| **शुद्ध देयता/ (आस्ति)** | **694.94** | **1,114.12** | **129.17** | **41.25** | **2.65** | **4.11** |
| एएस–15 (आर) के पैरा 55 के अंतर्गत निर्धारित नकारात्मक राशि | - | - | - | - | - | - |
| भावी अंशदानों मे कटौती और उपलब्ध भावी कटौती का वर्तमान मूल्य | - | - | - | - | - | - |
| एएस–15 (आर) के पैरा 59 (बी) के अनुसार मान्य आस्ति | - | - | - | - | - | - |

तालिका VII – लाभ और हानि खाते में मान्यता प्राप्त व्यय

*(राशि ₹ करोड़ में)*

| विवरण | पेंशन | | उपदान | | छुट्टी नकदीकरण | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 31.03.2025 | 31.03.2024 | 31.03.2025 | 31.03.2024 | 31.03.2025 | 31.03.2024 |
| वर्तमान सेवा लागत | 446.11 | 393.87 | 221.41 | 213.18 | 488.55 | 393.54 |
| जोड़ें: ब्याज लागत | 3,653.00 | 3,544.18 | 255.49 | 256.00 | 240.68 | 239.20 |
| घटाएँ: योजना आस्तियों पर संभावित प्रतिफल | -3,572.22 | -3,540.89 | -260.49 | -279.37 | -257.97 | -225.90 |
| **जोड़ें: वर्ष में मान्यता प्राप्त शुद्ध बीमांकिक (लाभ)/ हानि** | 4,013.67 | 2,560.44 | 215.26 | 106.74 | 35.64 | 62.47 |
| जोड़ें: पिछली सेवा लागत–मान्यता प्राप्त (पारिवारिक पेंशन देयता पर) | - | - | - | - | - | - |
| **लाभ और हानि विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय** | **4,540.56** | **2,957.60** | **431.67** | **296.55** | **506.90** | **469.31** |

**Table V – Net Actuarial (Gain) / Loss Recognized**

*(Amount in ₹ Crore)*

| Particulars | PENSION | | GRATUITY | | LEAVE ENCASHMENT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 31.03.2025 | 31.03.2024 | 31.03.2025 | 31.03.2024 | 31.03.2025 | 31.03.2024 |
| Actuarial (Gain) / Loss for the period – Obligations | 4,763.73 | 3,045.99 | 269.52 | 129.00 | 105.24 | 142.83 |
| Actuarial (Gain) / Loss for the period – Plan Assets | -750.06 | -485.55 | -54.26 | -22.26 | -69.60 | -80.36 |
| Total (Gain) / Loss for the period | 4,013.67 | 2,560.44 | 215.26 | 106.74 | 35.64 | 62.47 |
| Actuarial (Gain) / Loss recognized in the year | 4,013.67 | 2,560.44 | 215.26 | 106.74 | 35.64 | 62.47 |
| Unrecognized Actuarial (Gain) / Loss at the end of the year | - | - | - | - | - | - |

**Table VI – Amount recognized in Balance Sheet**

*(Amount in ₹ Crore)*

| Particulars | PENSION | | GRATUITY | | LEAVE ENCASHMENT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 31.03.2025 | 31.03.2024 | 31.03.2025 | 31.03.2024 | 31.03.2025 | 31.03.2024 |
| Present value of Defined Benefit Obligation | 56,210.33 | 51,990.77 | 4,086.34 | 3,901.43 | 4,450.75 | 3,923.67 |
| Less: Fair value of Plan Assets | 55,515.39 | 50,876.65 | 3,957.17 | 3,860.18 | 4,448.10 | 3,919.56 |
| Deficit / (Surplus) | 694.94 | 1,114.12 | 129.17 | 41.25 | 2.65 | 4.11 |
| **Net Liability/ (Asset)** | **694.94** | **1,114.12** | **129.17** | **41.25** | **2.65** | **4.11** |
| Amounts in the Balance Sheet | | | | | | |
| Liability Recognized in the Balance Sheet | 694.94 | 1,114.12 | 129.17 | 41.25 | 2.65 | 4.11 |
| Assets Recognized in the Balance Sheet (on Family Pension liability) | | | | | | |
| **Net Liability/ (Asset)** | **694.94** | **1,114.12** | **129.17** | **41.25** | **2.65** | **4.11** |
| Negative amount determined under Paragraph 55 of AS-15 (R) | - | - | - | - | - | - |
| Present value of available refunds and reductions in future contributions | - | - | - | - | - | - |
| Asset recognized as per Paragraph 59 (b) of AS-15 (R) | - | - | - | - | - | - |

**TABLE VII - Expense to be recognized in Profit and loss Account**

*(Amount in ₹ Crore)*

| Particulars | PENSION | | GRATUITY | | LEAVE ENCASHMENT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 31.03.2025 | 31.03.2024 | 31.03.2025 | 31.03.2024 | 31.03.2025 | 31.03.2024 |
| Current Service Cost | 446.11 | 393.87 | 221.41 | 213.18 | 488.55 | 393.54 |
| Add: Interest cost | 3,653.00 | 3,544.18 | 255.49 | 256.00 | 240.68 | 239.20 |
| Less: Expected return on Plan assets | -3,572.22 | -3,540.89 | -260.49 | -279.37 | -257.97 | -225.90 |
| Add: Net Actuarial (Gain) / Loss recognized in year | 4,013.67 | 2,560.44 | 215.26 | 106.74 | 35.64 | 62.47 |
| Add: Past Service Cost-Recognized (on Family Pension liability) | - | - | - | - | - | - |
| **Expenses recognized in the statement of profit and loss** | **4,540.56** | **2,957.60** | **431.67** | **296.55** | **506.90** | **469.31** |

### तालिका VIII – तुलन पत्र में निर्धारित की जाने वाली शुद्ध देयता में संचलन

*(राशि ₹ करोड़ में)*

| विवरण | पेंशन | | उपदान | | छुट्टी नकदीकरण | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 31.03.2025 | 31.03.2024 | 31.03.2025 | 31.03.2024 | 31.03.2025 | 31.03.2024 |
| प्रारम्भिक शुद्ध देयता | 1,114.12 | 44.26 | 41.25 | -207.18 | 4.11 | 375.32 |
| जोड़ें: व्यय | 4,540.56 | 2,957.60 | 431.67 | 296.55 | 506.90 | 469.31 |
| घटाएँ: संदत्त अंशदान | -4,959.74 | -1,887.74 | -343.75 | -48.12 | -508.36 | -840.52 |
| घटाएँ: कंपनी द्वारा भुगतान किए गए लाभ | - | - | - | - | - | - |
| अंतिम शुद्ध देयता (आस्ति) (चालू अवधि में तुलन पत्र में निर्धारित देयता) | 694.94 | 1,114.12 | 129.17 | 41.25 | 2.65 | 4.11 |

### तालिका IX – चालू अवधि के लिए राशि

*(राशि ₹ करोड़ में)*

| विवरण | पेंशन | | उपदान | | छुट्टी नकदीकरण | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 31.03.2025 | 31.03.2024 | 31.03.2025 | 31.03.2024 | 31.03.2025 | 31.03.2024 |
| दायित्व का वर्तमान मूल्य | 56,210.33 | 51,990.77 | 4,086.34 | 3,901.43 | 4,450.75 | 3,923.67 |
| घटाएँ: योजना आस्तियों का उचित मूल्य | 55,515.39 | 50,876.65 | 3,957.17 | 3,860.18 | 4,448.10 | 3,919.56 |
| अधिशेष/ (घाटा) | -694.94 | -1,114.12 | -129.17 | -41.25 | -2.65 | -4.11 |
| योजना देयताओ में आनुभविक समायोजन – हानि/ (लाभ) | 2,299.69 | 4,214.81 | 114.23 | 47.86 | -55.61 | 110.94 |
| योजना आस्तियों में समायोजन (हानि) / लाभ | 750.06 | 485.55 | 54.26 | 22.26 | 69.60 | 80.36 |

### तालिका X – ट्रस्ट द्वारा प्रबंधित योजना आस्तियों की प्रमुख श्रेणियाँ (कुल योजना आस्तियों का प्रतिशत)

*(राशि ₹ करोड़ में)*

| विवरण | पेंशन | | उपदान | | छुट्टी नकदीकरण | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 31.03.2025 | 31.03.2024 | 31.03.2025 | 31.03.2024 | 31.03.2025 | 31.03.2024 |
| भारत सरकार की प्रतिभूतियाँ | 2.08% | 2.80% | 3.64% | 4.93% | 0.00% | 0.00% |
| राज्य सरकार की प्रतिभूति | 9.39% | 9.48% | 9.51% | 7.64% | 0.00% | 0.00% |
| उच्च किस्म के कॉर्पोरेट बांड | 4.66% | 5.77% | 3.24% | 2.97% | 0.00% | 0.00% |
| सूचीबद्ध कम्पनियों के इक्विटी शेयर/म्यूच्यूअल फण्ड निवेश | 0.19% | 0.23% | 0.22% | 0.54% | 0.00% | 0.00% |
| संपत्ति | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| विशेष जमा योजना/एफडीआर | 2.26% | 3.27% | 1.64% | 5.07% | 0.00% | 0.00% |
| बीमाकर्ता द्वारा प्रबंधित निधियाँ/जीवन बीमा कंपनियों में निवेश | 78.11% | 75.12% | 79.12% | 75.36% | 100.00% | 100.00% |
| अन्य जमाराशियां, उपचय आदि | 3.31% | 3.33% | 2.63% | 3.49% | 0.00% | 0.00% |
| **कुल जोड़** | **100.00%** | **100.00%** | **100.00%** | **100.00%** | **100.00%** | **100.00%** |

**TABLE VIII - Movement in Net Liability to be recognized in Balance Sheet**

*(Amount in ₹ Crore)*

| Particulars | PENSION | | GRATUITY | | LEAVE ENCASHMENT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 31.03.2025 | 31.03.2024 | 31.03.2025 | 31.03.2024 | 31.03.2025 | 31.03.2024 |
| Opening Net Liability | 1,114.12 | 44.26 | 41.25 | -207.18 | 4.11 | 375.32 |
| Add: Expense | 4,540.56 | 2,957.60 | 431.67 | 296.55 | 506.90 | 469.31 |
| Less: Contributions Paid | -4,959.74 | -1,887.74 | -343.75 | -48.12 | -508.36 | -840.52 |
| Less: Benefits Paid by the company | - | - | - | - | - | - |
| Closing Net Liability/ (Asset) recognized in B/S in current year) | 694.94 | 1,114.12 | 129.17 | 41.25 | 2.65 | 4.11 |

**TABLE IX - Amount for the Current Period**

*(Amount in ₹ Crore)*

| Particulars | PENSION | | GRATUITY | | LEAVE ENCASHMENT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 31.03.2025 | 31.03.2024 | 31.03.2025 | 31.03.2024 | 31.03.2025 | 31.03.2024 |
| Present value of Obligation | 56,210.33 | 51,990.77 | 4,086.34 | 3,901.43 | 4,450.75 | 3,923.67 |
| Less: Fair value of Plan Assets | 55,515.39 | 50,876.65 | 3,957.17 | 3,860.18 | 4,448.10 | 3,919.56 |
| Surplus / (Deficit) | -694.94 | -1,114.12 | -129.17 | -41.25 | -2.65 | -4.11 |
| Experience Adjustments in Plan Liabilities - Loss/ (Gain) | 2,299.69 | 4,214.81 | 114.23 | 47.86 | -55.61 | 110.94 |
| Experience Adjustments in Plan Assets (Loss) / Gain | 750.06 | 485.55 | 54.26 | 22.26 | 69.60 | 80.36 |

**Table X – Major Categories of Plan Assets (As percentage of Total Plan Assets) as Managed by Trust**

*(Amount in ₹ Crore)*

| Particulars | PENSION | | GRATUITY | | LEAVE ENCASHMENT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 31.03.2025 | 31.03.2024 | 31.03.2025 | 31.03.2024 | 31.03.2025 | 31.03.2024 |
| Government of India Securities | 2.08% | 2.80% | 3.64% | 4.93% | 0.00% | 0.00% |
| State Govt. Securities | 9.39% | 9.48% | 9.51% | 7.64% | 0.00% | 0.00% |
| High Quality Corporate Bonds | 4.66% | 5.77% | 3.24% | 2.97% | 0.00% | 0.00% |
| Equity Shares of listed companies/ Mutual fund investments | 0.19% | 0.23% | 0.22% | 0.54% | 0.00% | 0.00% |
| Property | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Special deposit scheme/ FDRs | 2.26% | 3.27% | 1.64% | 5.07% | 0.00% | 0.00% |
| Funds managed by Insurer/ Investment in Life Insurance Companies | 78.11% | 75.12% | 79.12% | 75.36% | 100.00% | 100.00% |
| Other Deposits, Accruals etc. | 3.31% | 3.33% | 2.63% | 3.49% | 0.00% | 0.00% |
| **Total** | **100.00%** | **100.00%** | **100.00%** | **100.00%** | **100.00%** | **100.00%** |

### तालिका XI – आगामी वर्ष के दौरान उद्यम के योगदान का श्रेष्ठतम अनुमान

*(राशि ₹ करोड़ में)*

| विवरण | पेंशन (निधिक) | | ग्रेच्युटी (निधिक) | | छुट्टी नकदीकरण (निधिक) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **31.03.2026** | **31.03.2025** | **31.03.2026** | **31.03.2025** | **31.03.2026** | **31.03.2025** |
| आगामी वर्ष के दौरान बैंक के श्रेष्ठतम अंशदान का अनुमान | 2,090.00 | 1,950.00 | 260.00 | 240.00 | 420.00 | 510.00 |

### तालिका XII – अन्य दीर्घावधि कर्मचारी लाभ (गैर निधिक)

*(राशि ₹ करोड़ में)*

| विवरण | बीमारी की छुट्टी तथा अन्य छुट्टी (गैर निधिक) | | छुट्टी किराया रियायत (गैर निधिक) | | सिल्वर जुबली बोनस (गैर निधिक) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **31.03.2025** | **31.03.2024** | **31.03.2025** | **31.03.2024** | **31.03.2025** | **31.03.2024** |
| दायित्व का वर्तमान मूल्य | 1,320.85 | 1,207.03 | 87.87 | 91.68 | 25.26 | 22.11 |
| संक्रमणशील देयता का प्रारम्भिक शेष | - | - | - | - | - | - |
| वर्ष के दौरान मान्य संक्रमणशील देयता | - | - | - | - | - | - |
| संक्रमणशील देयता का अंतिम शेष | - | - | - | - | - | - |
| तुलनपत्र में मान्य देयता | 1,320.85 | 1,207.03 | 87.87 | 91.68 | 25.26 | 22.11 |

| विवरण | धारणा का आधार |
|---|---|
| बट्टा दर | दायित्वों की अनुमानित अवधि तथा मुद्रा के अनुरूप अवधि के सरकारी बंध पत्रों (एफबीआईएल द्वारा प्रकाशित) पर तुलन पत्र की तिथि को बाज़ार प्राप्तियों के अनुसार बट्टा दर निर्धारित की गयी है। |
| योजना आस्तियों पर प्रतिफल की संभावित दर | यह माना जाता है कि पेंशन से संबंधित योजना परिसंपत्तियों पर रिटर्न 6.79% होगा और ग्रेच्युटी और अवकाश नकदीकरण निधि पर 6.78% प्रति वर्ष होगा। |
| वेतनवृद्धि दर (एसईआर) | आईबीए द्वारा प्रदान किए गए व्यापक मार्गदर्शन के आधार पर, बैंक के लिए एसईआर 6.00% प्रति वर्ष लिया गया है। |
| पलायन दर | सम्बंधित गत अनुभव और स्वैछिक निकासी से सम्बंधित अपेक्षित भावी अनुभव के संदर्भ में पलायन दर 1% निर्धारित की गई है। |

### 15.ई.ii परिभाषित अंशदान योजनाएं

बैंक ने 01.04.2010 को या उसके बाद बैंक में कार्यग्रहण करने वाले सभी श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए एक परिभाषित अंशदान योजना लागू की है। इस योजना का प्रबंधन पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण के तत्वावधान में एनपीएस ट्रस्ट द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (प्रोटेन ई–गवर्नेंस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड) को एनपीएस के लिए केंद्रीय रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है।

अंशदान का विवरण इस प्रकार है: –

| | |
|---|---|
| 31.03.2025 को समाप्त वर्ष के दौरान = ₹1,551.89 करोड़ | } अंशदान में बैंक + कर्मचारी दोनों का अंशदान शामिल है |
| 31.03.2024 को समाप्त वर्ष के दौरान = ₹1,382.37 करोड़ | |

**Table XI – Enterprise's Best Estimate of Contribution during Next Year**

*(Amount in ₹ Crore)*

| Particulars | Pension (Funded) | | Gratuity (Funded) | | Leave Encashment (Funded) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 31.03.2026 | 31.03.2025 | 31.03.2026 | 31.03.2025 | 31.03.2026 | 31.03.2025 |
| Bank's best estimate of Contribution during next year | 2,090.00 | 1,950.00 | 260.00 | 240.00 | 420.00 | 510.00 |

**TABLE XII - Other Long Term employee benefits (Unfunded)**

*(Amount in ₹ Crore)*

| Particulars | Sick Leave & Other Leaves (Unfunded) | | Leave Fare concession (unfunded) | | Silver Jubilee Bonus (unfunded) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 31.03.2025 | 31.03.2024 | 31.03.2025 | 31.03.2024 | 31.03.2025 | 31.03.2024 |
| Present Value of Obligation | 1,320.85 | 1,207.03 | 87.87 | 91.68 | 25.26 | 22.11 |
| Opening Balance of Transitional Liability | - | - | - | - | - | - |
| Transitional Liability recognized in the year | - | - | - | - | - | - |
| Closing Balance of Transitional Liability | - | - | - | - | - | - |
| Liability Recognized in Balance Sheet | 1,320.85 | 1,207.03 | 87.87 | 91.68 | 25.26 | 22.11 |

| Particulars | Basis of assumption |
|---|---|
| Discount Rate | Discount Rate has been determined by reference to market yields at the balance Sheet date on Government bonds (published by FBIL) of terms consistent with currency and estimated term of the obligations. |
| Expected Rate of Return on Plan Assets | It is assumed that return on the plan assets pertaining to the Pension will be 6.79% and for Gratuity and Leave Encashment fund will be 6.78% p.a. |
| Salary Escalation Rate (SER) | Based on the broad guidance provided by IBA, SER for the bank has been taken at 6.00% p.a. |
| Attrition Rate | Attrition rate is assumed at 1% taken with reference to past experience and expected future experience related to voluntary withdrawals. |

**15.e.ii Defined Contribution Plans**

The Bank has Defined Contribution Plan applicable to all categories of employees joining the Bank on or after 01.04.2010. The scheme is managed by NPS trust under the aegis of the Pension Fund Regulatory and Development Authority. National Securities Depository Limited (Protean e-Gov Technologies Limited) has been appointed as the Central Record Keeping Agency for the NPS.

The details of contribution are as under: -

| | |
|---|---|
| During the year ended 31.03.2025 = ₹1,551.89 Crores | } Contribution includes both Bank + Employee contribution |
| During the year ended 31.03.2024 = ₹1,382.37 Crores | |

15.एफ लेखामानक 17 – खंडवार रिपोर्टिंग

**खंड पहचान**

**ए. प्राथमिक (कारोबार खंड): बैंक के प्राथमिक खंड निम्नलिखित हैं।**

i- **ट्रेजरी:** ट्रेजरी खंड में संपूर्ण निवेश पोर्टफोलियो और विदेशी मुद्रा अनुबंधों और व्युत्पन्न अनुबंधों में व्यापार शामिल है। ट्रेजरी खंड का राजस्व मुख्य रूप से फीस और कारोबार संचालन से होने वाले लाभ या हानि और निवेश पोर्टफोलियो पर ब्याज आय से मिलकर बनता है।

ii- **कॉर्पोरेट/थोक बैंकिंग:** भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देश आरबीआई/2020–21/53, डीओआर.सं.बीपी.बीसी.23/21.06.201/2020–21, दिनांक 12 अक्टूबर 2020 के अनुसार , कॉर्पोरेट / थोक बैंकिंग खंड में ₹ 7.50 करोड़ और उससे अधिक के जोखिम वाले उधारकर्ताओं की उधार गतिविधियां शामिल हैं।

iii. रिटेल बैंकिंग: खुदरा बैंकिंग खंड में उन उधारकर्ताओं के खातों को शामिल किया गया है जिनका एक्सपोज़र 7.50 करोड़ रुपये से कम है।

भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र आरबीआई/2022–23/19 ऑटो.आरईसी. 12/22.01.001/2022–23 दिनांक 07 अप्रैल, 2022 के अनुसार, आईसीएआई द्वारा जारी लेखामानक 17, सेगमेंट रिपोर्टिंग के तहत प्रकटीकरण के उद्देश्य से, डिजिटल बैंकिंग सेगमेंट को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा खुदरा बैंकिंग के तहत उप–खंड के रूप में पहचाना गया है। 31 मार्च, 2025 तक, बैंक की 8 (आठ) डिजिटल बैंकिंग इकाइयाँ (DBU) परिचालन कर रही हैं और खुदरा बैंकिंग परिचालन के तहत डिजिटल बैंकिंग के रूप में प्रकट की गई खंड जानकारी उक्त DBU से संबंधित है।

iv. **अन्य बैंकिंग परिचालन:** खंड उपरोक्त ( i ) से (iii) के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं किए गए खंड को इस प्राथमिक खंड के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है।

**बी द्वितीयक (भौगोलिक खंड)**

i. **घरेलू परिचालन** – भारत में परिचालन करने वाली शाखाएँ/कार्यालय।

ii. **विदेशी परिचालन** – भारत के बाहर परिचालन वाली शाखाएँ/कार्यालय तथा भारत में परिचालन वाली अपतटीय बैंकिंग इकाइयाँ।

**सी. आवंटन का आधार:**

i. ब्याज आय का आवंटन विभिन्न खंडों से प्राप्त वास्तविक ब्याज के आधार पर किया जाता है।

ii. प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार न ठहराए जाने वाले व्ययों को थोक बैंकिंग/खुदरा बैंकिंग खंड/अन्य बैंकिंग खंड द्वारा अर्जित ब्याज आय के आधार पर आवंटित किया जाता है।

iii. विशेष खंड की आस्तियां और देनदारियों के आधार पर की जाती है।

iv. बैंक की कुछ सामान्य परिसंपत्तियां और देयताएं हैं, जिन्हें किसी भी खंड के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है, और उन्हें असंबद्ध माना जाता है।

**खंड जानकारी**

**भाग ए कारोबार खंड (एकल)**

**चालू वित्त वर्ष (2024–25)**

*(राशि ₹ करोड़ में)*

| कारोबार खंड | कोष | निगमित/थोक बैंकिंग | खुदरा बैंकिंग | | | अन्य बैंकिंग परिचालन | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | डिजिटल बैंकिंग | अन्य खुदरा बैंकिंग | कुल | | |
| राजस्व | 38,594.12 | 58,222.41 | 0.33 | 37,963.83 | 37,964.16 | 3,289.41 | 1,38,070.10 |
| परिणाम | 9,831.94 | 11,612.80 | (7.39) | 8,250.74 | 8,243.35 | 1,330.89 | 31,018.98 |
| अनाबंटित व्यय | | | | | | | 5,862.91 |
| कर पूर्व लाभ | | | | | | | 25,156.07 |
| कर का प्रावधान | | | | | | | 8,525.87 |
| असाधारण मदें | | | | | | | 0.00 |
| शुद्ध लाभ | | | | | | | 16,630.20 |
| **अन्य सूचना** | | | | | | | |
| आस्तियां | 5,25,192.88 | 7,74,267.31 | 2.48 | 4,31,876.27 | 4,31,878.75 | 45,726.45 | 17,77,065.39 |
| अनाबंटित आस्तियां | | | | | | | 41,105.34 |
| कुल आस्तियां | | | | | | | 18,18,170.73 |
| देयताएं | 4,98,714.05 | 7,35,230.80 | 34.05 | 4,10,070.52 | 4,10,104.57 | 43,421.03 | 16,87,470.45 |
| अनाबंटित देयताएं | | | | | | | 3,338.03 |
| कुल देयताएं | | | | | | | 16,90,808.48 |
| व्यवसाय के लिए आवश्यक मूलधन | 26,478.83 | 39,036.51 | (31.57) | 21,805.75 | 21,774.18 | 2,305.42 | 89,594.94 |
| अनाबंटित व्यवसाय के लिए आवश्यक मूलधन | | | | | | | 37,767.31 |
| कुल नियोजित पूंजी | | | | | | | 1,27,362.25 |

**15.f Accounting Standard 17 – Segment Reporting**

**Segment Identification**

**A. Primary (Business Segment): The following are the primary segments of the Bank.**

i. **Treasury:** The Treasury Segment includes the entire investment portfolio and trading in foreign exchange contracts and derivative contracts. The revenue of the treasury segment primarily consists of fees and gains or losses from trading operations and interest income on the investment portfolio.

ii. **Corporate / Wholesale Banking:** As per the RBI guidelines RBI/2020-21/53, DOR.No.BP.BC.23/21.06.201/2020-21, dated 12th October 2020, the Corporate / Wholesale Banking segment comprises the lending activities of borrowers having exposure of ₹7.50Crores and above.

iii. **Retail Banking:** The Retail Banking Segment comprises of borrower accounts having exposure of less than ₹7.50 Crores.

As per RBI Circular RBI/2022-23/19 DOR.AUT.REC. 12/22.01.001/2022-23 dated April 07, 2022, for the purpose of disclosure under Accounting Standard 17, Segment Reporting issued by ICAI, Digital Banking Segment has been identified as sub-segment under Retail Banking by Reserve Bank of India (RBI). As on March 31, 2025, 8 (eight) Digital Banking Units (DBUs) of the Bank are operating and the segment information disclosed as Digital Banking under Retail Banking Operations is related to the said DBUs.

iv. **Other Banking Operations:** Segments not classified under (i) to (iii) above are classified under this primary segment.

**B. Secondary (Geographical Segment)**

i. **Domestic Operations -** Branches/Offices having operations in India.

ii. **Foreign Operations -** Branches/Offices having operations outside India and offshore banking units having operations in India.

**C. Basis of Allocation:**

i. The interest income is allocated on the basis of actual interest received from different segments.

ii. Expenses not directly attributable are allocated on the basis of Interest income earned by the wholesale banking / retail banking segment/ other banking segment.

iii. Capital employed for each segment is calculated based on the assets and liabilities of that particular segment.

iv. The Bank has certain common assets and liabilities, which cannot be attributed to any segment, and the same are treated as unallocated.

**Segment Information**

**Part A Business Segments (Standalone)**

**Current FY (2024-25)**

*(Amount in ₹ Crore)*

| Business Segment | Treasury | Corporate/ Wholesale Banking | Retail Banking | | | Other Banking Operations | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Digital Banking | Other Retail Banking | Total | | |
| Revenue | 38,594.12 | 58,222.41 | 0.33 | 37,963.83 | 37,964.16 | 3,289.41 | 1,38,070.10 |
| Result | 9,831.94 | 11,612.80 | (7.39) | 8,250.74 | 8,243.35 | 1,330.89 | 31,018.98 |
| Unallocated Expenditure | | | | | | | 5,862.91 |
| Profit before Tax | | | | | | | 25,156.07 |
| Provision for Tax | | | | | | | 8,525.87 |
| Extraordinary items | | | | | | | 0.00 |
| Net profit | | | | | | | 16,630.20 |
| **Other Information** | | | | | | | |
| Segment Assets | 5,25,192.88 | 7,74,267.31 | 2.48 | 4,31,876.27 | 4,31,878.75 | 45,726.45 | 17,77,065.39 |
| Unallocated Assets | | | | | | | 41,105.34 |
| Total Assets | | | | | | | 18,18,170.73 |
| Liabilities | 4,98,714.05 | 7,35,230.80 | 34.05 | 4,10,070.52 | 4,10,104.57 | 43,421.03 | 16,87,470.45 |
| Unallocated Liabilities | | | | | | | 3,338.03 |
| Total Liabilities | | | | | | | 16,90,808.48 |
| Capital Employed | 26,478.83 | 39,036.51 | (31.57) | 21,805.75 | 21,774.18 | 2,305.42 | 89,594.94 |
| Unallocated Capital Employed | | | | | | | 37,767.31 |
| Total Capital Employed | | | | | | | 1,27,362.25 |

## पिछला वित्तीय वर्ष (2023–24)

*(राशि ₹ करोड़ में)*

| कारोबार खंड | कोष | निगमित/थोक बैंकिंग | खुदरा बैंकिंग | | | अन्य बैंकिंग परिचालन | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | डिजिटल बैंकिंग | अन्य खुदरा बैंकिंग | कुल | | |
| राजस्व | 31,591.96 | 51,613.87 | 0.13 | 34,668.00 | 34,668.13 | 2,411.20 | 1,20,285.16 |
| परिणाम | 7,599.64 | 4,505.80 | (6.39) | 5,695.49 | 5,689.10 | 748.15 | 18,542.69 |
| अनाबंटित व्यय | | | | | | | 5,348.48 |
| कर पूर्व लाभ | | | | | | | 13,194.21 |
| कर का प्रावधान | | | | | | | 4,949.59 |
| असामान्य मदें | | | | | | | 0.00 |
| शुद्ध लाभ | | | | | | | 8,244.62 |
| **अन्य सूचना** | | | | | | | |
| आस्तियां | 4,69,259.29 | 6,64,707.59 | 2.30 | 3,41,972.34 | 3,41,974.64 | 41,868.31 | 15,17,809.83 |
| अनाबंटित आस्तियां | | | | | | | 44,025.18 |
| कुल संपत्ति | | | | | | | 15,61,835.01 |
| देयताएं | 4,49,440.63 | 6,36,634.39 | 21.44 | 3,27,510.27 | 3,27,531.71 | 40,100.05 | 14,53,706.78 |
| अनाबंटित देयताएं | | | | | | | 1,651.66 |
| कुल देयताएं | | | | | | | 14,55,358.44 |
| व्यवसाय के लिए आवश्यक मूलधन | 19,818.66 | 28,073.20 | (19.14) | 14,462.07 | 14,442.93 | 1,768.26 | 64,103.05 |
| अनाबंटित नियोजित पूंजी | | | | | | | 42,373.52 |
| कुल नियोजित पूंजी | | | | | | | 1,06,476.57 |

### भाग बी भौगोलिक खंड (एकल)

### चालू वित्त वर्ष (2024–25)

*(राशि ₹ करोड़ में)*

| विवरण | घरेलू | अंतरराष्ट्रीय | कुल |
|---|---|---|---|
| आय | 1,33,510.24 | 4,559.86 | 1,38,070.10 |
| संपत्ति | 17,25,078.74 | 93,091.99 | 18,18,170.73 |

### चालू वित्त वर्ष (2024–25)

| विवरण | घरेलू | अंतरराष्ट्रीय | कुल |
|---|---|---|---|
| आय | 1,16,632.53 | 3,652.63 | 1,20,285.16 |
| संपत्ति | 14,91,629.31 | 70,205.70 | 15,61,835.01 |

**टिप्पणियाँ:**

1. खंड देयताएं उनकी संबंधित खंड आस्तियां के अनुपात में वितरित की गई है।
2. जहां कहीं भी आवश्यक समझा गया है, पिछली अवधि के आंकड़ों को तुलनीय बनाने के लिए पुनः समूहीकृत/पुनः वर्गीकृत किया गया है।
3. भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र आरबीआई/2022–23/19 डीओआर.एयूटी.आरईसी. 12/22.01.001/2022–23दिनांक 07 अप्रैल, 2022 के अनुसार, आईसीएआई द्वारा जारी लेखामानक 17, खंड रिपोर्टिंग के तहत प्रकटीकरण के उद्देश्य से, डिजिटल बैंकिंग सेगमेंट को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा रिटेल बैंकिंग के तहत उप–खंड के रूप में माना गया है। 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान, 8 (आठ) डिजिटल बैंकिंग इकाइयाँ (DBU) परिचालन शुरू कर दिया है और रिटेल बैंकिंग परिचालन के तहत डिजिटल बैंकिंग के रूप में प्रकटीकृत किया गया खंड जानकारी उक्त डीबीयू से संबंधित है।

**Previous FY (2023-24)**

*(Amount in ₹ Crore)*

| Business Segment | Treasury | Corporate/ Wholesale Banking | Retail Banking | | | Other Banking Operations | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Digital Banking | Other Retail Banking | Total | | |
| Revenue | 31,591.96 | 51,613.87 | 0.13 | 34,668.00 | 34,668.13 | 2,411.20 | 1,20,285.16 |
| Result | 7,599.64 | 4,505.80 | (6.39) | 5,695.49 | 5,689.10 | 748.15 | 18,542.69 |
| Unallocated Expenditure | | | | | | | 5,348.48 |
| Profit before Tax | | | | | | | 13,194.21 |
| Provision for Tax | | | | | | | 4,949.59 |
| Extraordinary items | | | | | | | 0.00 |
| Net profit | | | | | | | 8,244.62 |
| **Other Information** | | | | | | | |
| Segment Assets | 4,69,259.29 | 6,64,707.59 | 2.30 | 3,41,972.34 | 3,41,974.64 | 41,868.31 | 15,17,809.83 |
| Unallocated Assets | | | | | | | 44,025.18 |
| Total Assets | | | | | | | 15,61,835.01 |
| Liabilities | 4,49,440.63 | 6,36,634.39 | 21.44 | 3,27,510.27 | 3,27,531.71 | 40,100.05 | 14,53,706.78 |
| Unallocated Liabilities | | | | | | | 1,651.66 |
| Total Liabilities | | | | | | | 14,55,358.44 |
| Capital Employed | 19,818.66 | 28,073.20 | (19.14) | 14,462.07 | 14,442.93 | 1,768.26 | 64,103.05 |
| Unallocated Capital Employed | | | | | | | 42,373.52 |
| Total Capital Employed | | | | | | | 1,06,476.57 |

**Part B Geographical Segments (Standalone)**

**Current FY (2024-25)**

*(Amount in ₹ Crore)*

| Particulars | Domestic | International | Total |
|---|---|---|---|
| Revenue | 1,33,510.24 | 4,559.86 | 1,38,070.10 |
| Assets | 17,25,078.74 | 93,091.99 | 18,18,170.73 |

**Previous FY (2023-24)**

| Particulars | Domestic | International | Total |
|---|---|---|---|
| Revenue | 1,16,632.53 | 3,652.63 | 1,20,285.16 |
| Assets | 14,91,629.31 | 70,205.70 | 15,61,835.01 |

**Notes:**

1. Segment Liabilities are distributed in the ratio of their respective Segment Assets.
2. Figures for the previous period have been re-grouped/re-classified wherever necessary.
3. As per RBI Circular RBI/2022-23/19 DOR.AUT.REC. 12/22.01.001/2022-23 dated April 07, 2022, for the purpose of disclosure under Accounting Standard 17, Segment Reporting issued by ICAI, Digital Banking Segment has been identified as sub-segment under Retail Banking by Reserve Bank of India (RBI). As on March 31, 2025, 8 (eight) Digital Banking Units (DBUs) of the Bank are operating and the segment information disclosed as Digital Banking under Retail Banking Operations is related to the said DBUs.

**15.जी. लेखा मानक 18 – आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक – 18 के अनुसार संबंधित पक्षों का प्रकटीकरणः**

**संबंधित पक्षों के नाम और बैंक के साथ उनका संबंधः**

**ए- प्रबंधन के प्रमुख कार्मिक (केएमपी):**

i. श्री अशोक चंद्र, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी
ii. श्री अतुल कुमार गोयल, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी*
iii. श्री कल्याण कुमार, कार्यपालक निदेशक
iv. श्री एम. परमशिवम, कार्यपालक निदेशक
v. श्री विभु प्रसाद महापात्र, कार्यपालक निदेशक
vi. श्री डी सुरेन्द्रन, कार्यपालक निदेशक
vii. श्री बिनोद कुमार, कार्यपालक निदेशक^

* दिनांक 31.12.2024 को कार्यकाल समाप्त
^ 16.01.2025 तक

**बी. समनुषंगीः**

i. पीएनबी गिल्ट्स लिमिटेड
ii. पीएनबी इन्वेस्टमेंट सर्विसेज लिमिटेड.
iii. पीएनबी कार्ड्स एंड सर्विसेज लिमिटेड.
iv. पंजाब नैशनल बैंक (इंटरनेशनल) लिमिटेड, यू.के.
v. ड्रक पीएनबी बैंक लिमिटेड, भूटान।

**सी- सहयोगीः**

i. पीएनबी मेटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
ii. पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड
iii. जेएससी (टेंगरी बैंक), अल्माटी, कजाकिस्तान '
iv. केनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड.
v. इंडिया एसएमई एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड.
vi. एवरेस्ट बैंक लिमिटेड, काठमांडू, नेपाल
vii. दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक, पटना
viii. हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक, मंडी
ix. पंजाब ग्रामीण बैंक, कपूरथला
x. सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक, रोहतक
xi. प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक, मुरादाबाद
xii. असम ग्रामीण विकास बैंक, गुवाहाटी
xiii. बंगीय ग्रामीण विकास बैंक, पश्चिम बंगाल
xiv. मणिपुर ग्रामीण बैंक, इम्फाल
xv. त्रिपुरा ग्रामीण बैंक, अगरतला

*एएफआर (वित्तीय बाजार के विनियमन और विकास के लिए एजेंसी, कजाकिस्तान) ने 18.09.2020 से जेएससी टेंगरी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया, जो परिसमापन के अधीन है।

**डी. अन्य**

i. पंजाब नैशनल बैंक शताब्दी ग्रामीण विकास ट्रस्ट
ii. पंजाब नैशनल बैंक किसान कल्याण ट्रस्ट

**15.g Accounting Standard 18 – Disclosure of Related Parties as per Accounting Standard – 18 issued by ICAI:**

**Names of Related Parties and their relationship with the bank:**

**A. Key Management Personnel (KMP):**

i. Shri Ashok Chandra, MD & CEO
ii. Shri Atul Kumar Goel, MD & CEO*
iii. Shri Kalyan Kumar, Executive Director
iv. Shri M. Paramasivam, Executive Director
v. Shri Bibhu Prasad Mahapatra, Executive Director
vi. Shri D Surendran, Executive Director
vii. Shri Binod Kumar, Executive Director^

*Tenure Completed on 31.12.2024
^Till 16.01.2025

**B. Subsidiaries:**

i. PNB Gilts Ltd.
ii. PNB Investment Services Ltd.
iii. PNB Cards and Services Ltd.
iv. Punjab National Bank (International) Ltd., UK.
v. Druk PNB Bank Ltd, Bhutan.

**C. Associates:**

i. PNB Metlife India Insurance Co. Ltd
ii. PNB Housing Finance Limited
iii. JSC (Tengri Bank), Almaty, Kazakhstan*
iv. Canara HSBC Life Insurance Co. Ltd.
v. India SME Asset Reconstruction Co. Ltd.
vi. Everest Bank Limited, Kathmandu, Nepal
vii. Dakshin Bihar Gramin Bank, Patna
viii. Himachal Pradesh Gramin Bank, Mandi
ix. Punjab Gramin Bank, Kapurthala
x. Sarva Haryana Gramin Bank, Rohtak
xi. Prathama UP Gramin Bank, Moradabad
xii. Assam Gramin Vikas Bank, Guwahati
xiii. Bangiya Gramin Vikas Bank, West Bengal
xiv. Manipur Rural Bank, Imphal
xv. Tripura Gramin Bank, Agartala

*AFR (Agency for Regulation and Development of Financial Market, Kazakhstan) revoked license of JSC Tengri Bank w.e.f. 18.09.2020 which is under Liquidation.

**D. Others**

i. Punjab National Bank Centenary Rural Development Trust
ii. Punjab National Bank Farmers Welfare Trust

## संबंधित पक्षों के साथ लेन–देनः

*(राशि ₹ करोड़ में)*

| विवरण | सहयोगी/संयुक्त उद्यम | मुख्य प्रबंधन कार्मिक एवं उनके रिश्तेदार | कुल | सहयोगी/ संयुक्त उद्यम | मुख्य प्रबंधन कार्मिक एवं उनके रिश्तेदार | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **वर्तमान स्थिति के अनुसार बकाया** | **31 मार्च 2025** | | | **31 मार्च 2024** | | |
| उधार | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.98 | 0.00 | 24.98 |
| जमाराशि | 968.17 | 0.00 | 968.17 | 892.02 | 0.00 | 892.02 |
| अन्य देयताएं | 5.37 | 0.00 | 5.37 | 2.12 | 0.00 | 2.12 |
| कॉल और अल्प सूचना पर बैंकों और धन के साथ शेष राशि | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| अग्रिम | 5,149.99 | 0.00 | 5,149.99 | 2,691.63 | 0.00 | 2,691.63 |
| निवेश | 1,316.29 | 0.00 | 1,316.29 | 1,316.29 | 0.00 | 1,316.29 |
| अन्य आस्तियां | 88.33 | 0.00 | 88.33 | 104.41 | 0.00 | 104.41 |
| गैर निधिक प्रतिबद्धताएं (एलसी/बीजी) | 43.39 | 0.00 | 43.39 | 8.92 | 0.00 | 8.92 |
| **अधिकतम बकाया** | **वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान** | | | **वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान** | | |
| उधार | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.98 | 0.00 | 24.98 |
| जमाराशी | 1,070.41 | 0.00 | 1,070.41 | 1,135.78 | 0.00 | 1,135.78 |
| अन्य देयताएं | 5.82 | 0.00 | 5.82 | 2.12 | 0.00 | 2.12 |
| कॉल और अल्प सूचना पर बैंकों और धन के साथ शेष राशि | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| अग्रिम | 5,149.99 | 0.00 | 5,149.99 | 4,892.67 | 0.00 | 4,892.67 |
| निवेश | 1,316.29 | 0.00 | 1,316.29 | 1,316.29 | 0.00 | 1,316.29 |
| अन्य आस्तियां | 99.33 | 0.00 | 99.33 | 121.58 | 0.00 | 121.58 |
| गैर निधिक प्रतिबद्धताएं (एलसी/बीजी) | 43.39 | 0.00 | 43.39 | 8.92 | 0.00 | 8.92 |
| **वर्ष के दौरान** | **वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान** | | | **वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान** | | |
| ब्याज आय | 561.40 | 0.00 | 561.40 | 555.96 | 0.00 | 555.96 |
| लाभांश के माध्यम से अर्जित आय | 12.51 | 0.00 | 12.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| अन्य आय | 428.66 | 0.00 | 428.66 | 393.53 | 0.00 | 393.53 |
| ब्याज व्यय | 1.83 | 0.00 | 1.82 | 2.12 | 0.00 | 2.12 |
| अन्य व्यय | 38.77 | 0.00 | 38.77 | 37.73 | 0.00 | 37.73 |
| भूमि/भवन और अन्य संपत्ति की बिक्री पर लाभ/(हानि) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| निवेश की बिक्री | 41.95 | 0.00 | 41.95 | 25.03 | 0.00 | 25.03 |
| प्रबंधन अनुबंध | 0.54 | 0.00 | 0.54 | 0.54 | 0.00 | 0.54 |

टिप्पणियाँः

1. सहायक कंपनियों और कुछ सहयोगियों के साथ लेनदेन को एएस–18 'संबंधित पार्टी प्रकटीकरण' के पैरा–9 को प्रकटीकृत नहीं किया गया है, जो राज्य–नियंत्रित उद्यमों को अन्य संबंधित पक्षों के साथ अपने लेनदेन से संबंधित कोई भी प्रकटीकरण करने से छूट देता है, जो राज्य नियंत्रित भी हैं।
2. इसके अतिरिक्त, एएस 18 के पैराग्राफ 5 के अनुसार, बैंकर–ग्राहक संबंध की प्रकृति के लेन–देन का प्रकटीकरण नहीं किया गया है, जिसमें प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों और प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों के रिश्तेदारों के साथ लेन–देन भी शामिल हैं।
3. रिपोर्ट की गई राशि प्रावधान (यदि कोई हो) को घटाकर है।
4. पिछले वर्ष से संबंधित आंकड़े जहां भी आवश्यक हो, उन्हें पुनः समूहीकृत/पुनर्व्यवस्थित/पुनर्वर्गीकृत किया गया है।

**Transactions with Related Parties:**

*(Amount in ₹ Crore)*

| Particulars | Associates/ Joint ventures | Key Management Personnel & their relatives | Total | Associates/ Joint ventures | Key Management Personnel & their relatives | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Outstanding as at** | | **31st March 2025** | | | **31st March 2024** | |
| Borrowings | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.98 | 0.00 | 24.98 |
| Deposits | 968.17 | 0.00 | 968.17 | 892.02 | 0.00 | 892.02 |
| Other Liabilities | 5.37 | 0.00 | 5.37 | 2.12 | 0.00 | 2.12 |
| Balance with Banks and Money at call and short notice | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Advances | 5,149.99 | 0.00 | 5,149.99 | 2,691.63 | 0.00 | 2,691.63 |
| Investments | 1,316.29 | 0.00 | 1,316.29 | 1,316.29 | 0.00 | 1,316.29 |
| Other Assets | 88.33 | 0.00 | 88.33 | 104.41 | 0.00 | 104.41 |
| Non fund Commitments (LCs / BGs) | 43.39 | 0.00 | 43.39 | 8.92 | 0.00 | 8.92 |
| **Maximum Outstanding** | | **During FY 2024-25** | | | **During FY 2023-24** | |
| Borrowings | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.98 | 0.00 | 24.98 |
| Deposits | 1,070.41 | 0.00 | 1,070.41 | 1,135.78 | 0.00 | 1,135.78 |
| Other Liabilities | 5.82 | 0.00 | 5.82 | 2.12 | 0.00 | 2.12 |
| Balance with Banks and Money at call and short notice | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Advances | 5,149.99 | 0.00 | 5,149.99 | 4,892.67 | 0.00 | 4,892.67 |
| Investments | 1,316.29 | 0.00 | 1,316.29 | 1,316.29 | 0.00 | 1,316.29 |
| Other Assets | 99.33 | 0.00 | 99.33 | 121.58 | 0.00 | 121.58 |
| Non fund Commitments (LCs / BGs) | 43.39 | 0.00 | 43.39 | 8.92 | 0.00 | 8.92 |
| **During the Year** | | **During FY 2024-25** | | | **During FY 2023-24** | |
| Interest Income | 561.40 | 0.00 | 561.40 | 555.96 | 0.00 | 555.96 |
| Income earned by way of Dividend | 12.51 | 0.00 | 12.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Other Income | 428.66 | 0.00 | 428.66 | 393.53 | 0.00 | 393.53 |
| Interest expenditure | 1.83 | 0.00 | 1.82 | 2.12 | 0.00 | 2.12 |
| Other expenditure | 38.77 | 0.00 | 38.77 | 37.73 | 0.00 | 37.73 |
| Profit/ (loss) on sale of land/building and other assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Sale of Investments | 41.95 | 0.00 | 41.95 | 25.03 | 0.00 | 25.03 |
| Management contracts | 0.54 | 0.00 | 0.54 | 0.54 | 0.00 | 0.54 |

Notes:

1. The transactions with the subsidiaries and certain associates have not been disclosed in view of para-9 of AS-18 ‘Related Party Disclosure’, which exempts state controlled enterprises from making any disclosures pertaining to their transactions with other related parties, which are also state controlled.
2. Further, in terms of Paragraph 5 of AS 18, transactions in the nature of Banker-Customer relationship have not been disclosed including those with Key Management Personnel and relatives of Key Management Personnel.
3. The amounts reported are net of provision, if any.
4. Figures related to previous year have been regrouped / rearranged / reclassified wherever necessary.

## 15.एच लेखा मानक 19 – पट्टा

15.एच.i परिचालन पट्टे में मुख्य रूप से कार्यालय परिसर शामिल होता है, जिसे बैंक के विकल्प पर सामान्यतः प्रत्येक तीसरे/पांचवें वर्ष के अंत में नवीनीकृत किया जाता है।

15.एच.ii उपलब्ध जानकारी के अनुसार, 31.03.2025 तक गैर–रद्द करने योग्य पट्टाः शून्य (31.03.2024 तक पिछली अवधिः शून्य)।

15.एच.iii बैंक ने 31 मार्च 2025 को समाप्त अवधि के लिए सीधी रेखा पद्धति पर ₹24.41 करोड़ का और 31 मार्च 2024 को समाप्त पिछले वर्ष के लिए ₹21.70 करोड़ का समकारी आरक्षित निधि का निर्माण किया है।

15.एच.iv परिचालन पट्टे के लिए लाभ एवं हानि लेखे में मान्यता प्राप्त पट्टा भुगतान की राशि निम्नानुसार है:

| विवरण | चालू वर्ष | गत वर्ष |
|---|---|---|
| पट्टे/किराए के परिसर की संख्या | 14,909 | 15,912 |
| राशि (करोड़ रूपये में) | 868.27 | 814.59 |

## 15.आई लेखा मानक 20 – प्रति शेयर अर्जन

| क्र.सं. | विवरण | चालू वर्ष | गत वर्ष |
|---|---|---|---|
| ए | ईपीएस – बेसिक/ह्रासित (₹) | 14.77 | 7.49 |
| बी | कर के पश्चात गणक के रूप में उपयोग की गई राशि पर लाभ/(हानि) (₹ हजारों में) | 16,63,02,012 | 8,24,46,155 |
| सी | शेयर का अंकित मूल्य (₹) | 2.00 | 2.00 |
| डी | डिनोमिनेटर के रूप में प्रयुक्त इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या | 11,25,66,00,638 | 11,01,10,15,558 |

## 15.जे लेखामानक 22 – आय पर करों का लेखांकन

15.जे.i बैंक ने लेखांकन नीति संख्या 10 के अनुसार आस्थगित कर आस्तियों और देयताओं को मान्यता दी है। जिसके प्रमुख घटक निम्नलिखित हैं:

*(राशि ₹ करोड़ में)*

| विवरण | चालू वर्ष | गत वर्ष |
|---|---|---|
| **आस्थगित कर आस्तियां (डीटीए)** | | |
| छुट्टी नकदीकरण एवं अन्य के लिए प्रावधान | 475.03 | 426.79 |
| अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान | 22,004.87 | 23,107.83 |
| एएफएस रिजर्व | 0.67 | 0.00 |
| अन्य आकस्मिकताएं | 299.68 | 259.68 |
| **कुल** | **22,780.25** | **23,794.30** |
| **आस्थगित कर देयताएं (डीटीएल)** | | |
| अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास | (345.96) | (335.25) |
| आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36 (1) (अपपप) के तहत विशेष आरक्षित निधि | 1,982.07 | 1,388.02 |
| एएफएस रिजर्व | 204.54 | 0.00 |
| **कुल** | **1,840.65** | **1,052.77** |
| **निवल आस्थगित कर आस्तियां / (देयताएं)** | **20,939.60** | **22,741.53** |

## 15.h Accounting Standard 19 – Lease

15.h.i Operating lease primarily comprise office premises, which are renewable at the option of the bank normally at the end of every 3rd / 5th year.

15.h.ii As per the information available, non-cancellable lease as on 31.03.2025: Nil (Previous Period as on 31.03.2024: Nil).

15.h.iii Bank has created a lease equalization reserve of ₹24.41 Crore on the straight-line method for the period ended 31st March 2025 and previous year ended 31st March 2024 ₹21.70 Crore

15.h.iv The amount of lease payment recognized in P & L Account for operating lease is as below:

| Particulars | Current Year | Previous Year |
|---|---|---|
| No. of Leased / Rented Premises | 14,909 | 15,912 |
| Amount (₹ in Crore) | 868.27 | 814.59 |

## 15.i Accounting Standard 20 – Earning Per Share

| Sr. No. | Particulars | Current Year | Previous Year |
|---|---|---|---|
| A | EPS - Basic / Diluted (₹) | 14.77 | 7.49 |
| B | Amount used as numerator Profit/ (Loss) after tax (₹ in Thousands) | 16,63,02,012 | 8,24,46,155 |
| C | Nominal value of share (₹) | 2.00 | 2.00 |
| D | Weighted average number of equity shares used as the denominator | 11,25,66,00,638 | 11,01,10,15,558 |

## 15.j Accounting Standard 22 – Accounting for Taxes on Income

15.j.i The Bank has recognized deferred tax assets and liability as per accounting policy no. 10. Major components of which are set out below:

*(Amount in ₹ Crore)*

| Particulars | Current Year | Previous Year |
|---|---|---|
| **Deferred Tax Assets (DTA)** | | |
| Provision for Leave encashment & others | 475.03 | 426.79 |
| Provision for bad & doubtful debts | 22,004.87 | 23,107.83 |
| AFS Reserve | 0.67 | 0.00 |
| Other Contingencies | 299.68 | 259.68 |
| **Total** | **22,780.25** | **23,794.30** |
| **Deferred Tax Liabilities (DTL)** | | |
| Depreciation on fixed assets | (345.96) | (335.25) |
| Special Reserve u/s 36 (1) (viii) of Income Tax Act 1961. | 1,982.07 | 1,388.02 |
| AFS Reserve | 204.54 | 0.00 |
| **Total** | **1,840.65** | **1,052.77** |
| **Net Deferred Tax Assets / (Liabilities)** | **20,939.60** | **22,741.53** |

चालू वर्ष – 31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए ₹1,598.06 करोड़ की आस्थगित कर आस्तियां को लाभ और हानि लेखे में डेबिट किया गया है।

(पिछले वर्ष – ₹1,019.63 करोड़ डेबिट)

चालू वर्ष – 31.03.2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए निवेश के संबंध में एएफएस रिजर्व (क्रेडिट बैलेंस) से ₹204.54 करोड़ की आस्थगित आस्ति के नामे डाली गई हैं। (पिछला वर्ष – शून्य)।

चालू वर्ष – 31.03.2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए निवेश के संबंध में ₹0.67 करोड़ की आस्थगित कर आस्ति एएफएस रिजर्व (डेबिट बैलेंस) के नामे जमा की गई है। (पिछला वर्ष – शून्य)।

15.जे.ii वर्तमान करः 31.03.2025 को समाप्त चालू वित्त वर्ष के दौरान बैंक ने लाभ और हानि खाते में ₹6,927.81 करोड़ डेबिट किए हैं। (पिछले वित्त वर्ष को समाप्त 31.03.2024: डेबिट ₹3,929.96 करोड़) पिछले वर्ष के ₹1,062.92 करोड़ के प्रावधान को उलटने के बाद चालू कर के कारण (पिछले वित्त वर्ष को समाप्त 31.03.2024: शून्य)। तदनुसार, लाभ और हानि खाते में चालू कर और आस्थगित कर के कारण कुल कर व्यय ₹8,525.87 करोड़ है।

15.जे.iii "अन्य आस्तियां" के अंतर्गत प्रदर्शित अग्रिम रूप से भुगतान किया गया कर/स्रोत पर कर कटौती में विभिन्न मूल्यांकन वर्षों के लिए कर मांगों के संबंध में विभाग/बैंक द्वारा समायोजित विवादित राशि शामिल है।

15.जे.iv 31.03.2025 को समाप्त चालू वित्त वर्ष (31.03.2024 को समाप्त पिछले वित्त वर्ष में – ₹6,956.02 करोड़) के अनुसार ₹11,413.24 करोड़ की विवादित आयकर मांगों के संबंध में कोई प्रावधान आवश्यक नहीं माना गया है, क्योंकि बैंक के विचार में, विशेषज्ञ की राय और/या उन्हीं मुद्दों पर बैंक की अपनी अपीलों में निर्णय के अनुसमर्थन के अनुसार विधिवत समर्थित, किए गए परिवर्धन/ अस्वीकृति धारणीय नहीं हैं।

15.जे.v बैंक ने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115बीएए के अंतर्गत उपलब्ध विकल्पों का मूल्यांकन किया है तथा आयकर अधिनियम, 1961 के पूर्ववर्ती प्रावधानों के अनुसार 31.03.2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए आय पर करों को मान्यता देना जारी रखने का विकल्प चुना है।

15.जे.vi वर्तमान कर व्यय और अस्थगित कर व्यय क्रमशः आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों और भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक 22– 'आय पर करों के लिए लेखांकन' के अनुसार निर्धारित किए जाते हैं। भारत में वर्तमान कर की गणना विदेशी क्षेत्राधिकार पर भुगतान किए गए करों के लिए उचित राहत लेने के बाद आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अनुसार की गई है।

**15.के. लेखामानक 23 – समेकित वित्तीय विवरणों में सहयोगी संस्थाओं में निवेशों के लिए लेखांकन**

चूंकि बैंक की अपनी सहयोगी संस्थाओं में सहभागी स्वरूप का निवेश है और बैंक को उनकी गतिविधियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने का अधिकार है, अतः बैंक की समेकित वित्तीय विवरणों में ऐसे निवेशों को मान्यता दी गई है। (गत वर्षः चूंकि बैंक के अपने सहयोगियों में निवेश प्रकृति में सहभागी स्वरूप का होता है और बैंक के पास उनकी गतिविधियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने की शक्ति होती है, ऐसे निवेशों को बैंक के समेकित वित्तीय विवरणों में मान्यता दी गई है)।

Current Year – The deferred tax assets of ₹1,598.06 Crore is debited to Profit & Loss Account for the year ended 31.03.2025.

(Previous Year – Debited ₹1,019.63 Crore).

Current Year – The deferred tax liabilities of ₹204.54 Crore have been created from AFS reserve (Credit Balance) in relation to Investment for the financial year ended 31.03.2025. (Previous Year – Nil).

Current Year – The deferred tax assets of ₹0.67 Crore have been credited on AFS reserve (Debit Balance) in relation to investment for the financial year ended 31.03.2025. (Previous Year – Nil).

15.j.ii Current Tax: During the current financial year ended 31.03.2025 the Bank has debited ₹6,927.81 Crore to Profit & Loss Account. (Previous financial year ended 31.03.2024: Debited ₹3,929.96 Crore) on account of current tax after reversal of provision of earlier years of ₹1,062.92 Crore (Previous financial year ended 31.03.2024: Nil). Accordingly, the total tax expenses on account of current tax & deferred tax charged to Profit & Loss account amounts to ₹8,525.87 Crore.

15.j.iii Tax Paid in advance/Tax deducted at source appearing under "Other Assets" includes disputed amount adjusted by the department/paid by the Bank in respect of tax demands for various assessment years.

15.j.iv No provision is considered necessary in respect of disputed Income Tax demands of ₹11,413.24 Crore as on current financial year ended 31.03.2025 (Previous financial year ended 31.03.2024 – ₹6,956.02 Crore) as in the Bank's view, duly supported by expert opinion and/or decision in Bank's own appeals on same issues, additions / disallowances made are not sustainable.

15.j.v The Bank has evaluated the options available under section 115BAA of Income Tax Act, 1961 and opted to continue to recognize the taxes on income for the financial year ended 31.03.2025, as per the earlier provisions of Income Tax Act, 1961.

15.j.vi The current tax expenses and deferred tax expenses are determined in accordance with the provisions of the Income Tax Act, 1961 and as per the Accounting Standard 22- "Accounting for Taxes on Income" issued by the Institute of Chartered Accountants of India respectively. The current Tax in India has been calculated in accordance with the provisions of Income Tax Act 1961 after taking appropriate relief for taxes paid on foreign jurisdiction.

**15.k Accounting Standard 23 – Accounting for Investments in Associates, in Consolidated Financial Statements**

Since Investments of the bank in its Associates are participative in nature and the Bank having the power to exercise significant influence on their activities, such Investments are recognized in the Consolidated Financial Statements of the Bank.

(Previous year: Since Investments of the bank in its Associates are participative in nature and the Bank having the power to exercise significant influence on their activities, such Investments are recognized in the Consolidated Financial Statements of the Bank).

## 15.एल. लेखामानक 24 – परिचालन बंद होना

चालू वित्त वर्ष (वित्त वर्ष 2024–25) के दौरान, बैंक ने अपनी किसी भी शाखा का परिचालन बंद नहीं किया है, जिसके परिणामस्वरूप देयताओं की शेडिंग और आस्तियों का भुगतान हुआ हो और किसी परिचालन को पूरी तरह से बंद करने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है, जिससे उक्त प्रभाव पड़े।

(गत वर्षः पिछले वित्तीय वर्ष (वित्त वर्ष 2023–24) के दौरान, बैंक ने अपनी किसी भी शाखा का परिचालन बंद नहीं किया है, जिसके परिणामस्वरूप देयताओं की शेडिंग और आस्तियां की वसूली हुई हो और किसी भी परिचालन को पूरी तरह से समाप्त करने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है जिससे उक्त प्रभाव पड़े ।

## 15. एम) लेखा मानक 26 – अमूर्त आस्ति

| विवरण | उपयोगी अवधि (वर्षों की संख्या) | प्रयुक्त की गई परिशोधन दरें | परिशोधन पद्धति |
|---|---|---|---|
| सॉफ़्टवेयर | 03 | 33.33% | सीधी रेखा विधि |

### अमूर्त संपत्ति

*(राशि ₹ करोड़ में)*

| विवरण | कुल ब्लॉक | | | | | कुल ब्लॉक | | | | कुल ब्लॉक | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 01.04.24 तक | परिवर्धन | अन्य समायोजन | पुनर्वर्गीकरण / हटाना | 31.03.25 तक | 01.04.24 तक | वर्ष के लिए | पुनर्वर्गीकरण / हटाना | 31.03.25 तक | 31.03.25 तक | 31.03.24 तक |
| सॉफ़्टवेयर | 1,368.44 | 276.31 | 0.00 | 0.00 | 1,644.75 | 1,164.46 | 123.48 | -1.48 | 1,286.46 | 358.29 | 203.98 |
| अन्य यदि कोई हो तो कृपया उल्लेख करें | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **कुल** | **1,368.44** | **276.31** | **0.00** | **0.00** | **1,644.75** | **1,164.46** | **123.48** | **-1.48** | **1,286.46** | **358.29** | **203.98** |
| गत वित्त वर्ष 2023.24 | 1,251.33 | 117.90 | 0.79 | 0.00 | 1,368.44 | 1,066.88 | 98.38 | 0.79 | 1,164.46 | 203.98 | |

## 15.एन. लेखा मानक 28 – आस्तियों का ह्रास

बैंक की आस्तियों में एक बड़ा हिस्सा 'वित्तीय आस्तियों' का है, जिन पर लेखा मानक 28 'आस्तियों का ह्रास' लागू नहीं है। बैंक की राय में दिनांक 31.03.2025 तक इसकी आस्तियों (जिन पर मानक लागू होता है) में किसी भी भौतिक सीमा तक हानि नही हुई है, जिसके लिए उक्त मानक के अनुसार मान्यता की आवश्यकता है।

(गत वर्षः बैंक की आस्तियों में एक बड़ा हिस्सा वित्तीय आस्तियों का है, जिन पर लेखामानक 28 'आस्तियों का ह्रास' लागू नहीं है। बैंक की राय में दिनांक 31.03.2024 तक इन आस्तियों (जिन पर मानक लागू होता है) में किसी भी सीमा तक ह्रास नही है, जिसके लिए उक्त मानक के संदर्भ में मान्यता की आवश्यकता है।)

## 15.l Accounting Standard 24 – Discontinuing Operations

During the current financial year (FY 2024-25), the Bank has not discontinued any operations of any of its branches, which resulted in shedding of liability and realization of assets and no decision has been finalized to discontinue an operation in its entirety which have the above effect.

(Previous year: During the previous financial year (FY 2023-24), the Bank has not discontinued operations of any of its branches, which resulted in shedding of liability and realization of assets and no decision has been finalized to discontinue an operation in its entirety which have the above effect).

## 15.m Accounting Standard 26 – Intangible Assets

| Particulars | Useful life (No. of Years) | Amortization rates used | Amortization Method |
|---|---|---|---|
| Software | 03 | 33.33% | Straight Line Method |

### Intangible Assets

**(Amount in ₹ Crores)**

| Particulars | Gross Block | | | | | Amortization | | | | Net Block | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | As at 01.04.2024 | Additions | Other Adjustments | Reclassifications / Deletions | As at 31.03.2025 | As at 01.04.2024 | For the year | Reclassifications / Deletions | As at 31.03.2025 | As at 31.03.2025 | As at 31.03.2024 |
| Software | 1,368.44 | 276.31 | 0.00 | 0.00 | 1,644.75 | 1,164.46 | 123.48 | -1.48 | 1,286.46 | 358.29 | 203.98 |
| Other if any, please specify | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **TOTAL** | **1,368.44** | **276.31** | **0.00** | **0.00** | **1,644.75** | **1,164.46** | **123.48** | **-1.48** | **1,286.46** | **358.29** | **203.98** |
| FY 2023-24 | 1,251.33 | 117.90 | 0.79 | 0.00 | 1,368.44 | 1,066.88 | 98.38 | 0.79 | 1,164.46 | 203.98 | |

## 15.n Accounting Standard 28 – Impairment of Assets

A substantial portion of the bank's assets comprises 'Financial Assets' to which Accounting Standard 28 'Impairment of Assets' is Not Applicable. In the opinion of the Bank, there is no impairment of its assets (to which the standard applies) to any material extent as at 31.03.2025 requiring recognition in terms of the said standard.

(Previous Period: A substantial portion of the bank's assets comprises 'financial assets' to which Accounting Standard 28 'Impairment of Assets' is Not Applicable. In the opinion of the Bank, there is no impairment of its assets (to which the standard applies) to any material extent as at 31.03.2024 requiring recognition in terms of the said standard).

15.ओ लेखा मानक 29 – प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियां

15.ओ.i आकस्मिक देयताओं पर अनुसूची–12 देखें

*(राशि ₹ करोड़ में),*

| विवरण | चालू वर्ष | | पिछला वर्ष | |
|---|---|---|---|---|
| | वेतन बकाया | कानूनी मामले / आकस्मिकताएँ | वेतन बकाया | कानूनी मामले / आकस्मिकताएँ |
| **प्रारंभिक शेष** | **150.00** | **119.65** | **459.51** | **85.58** |
| वर्ष के दौरान जोड़ / प्रदान की गई राशियाँ | 0.00 | 54.66 | 1,779.10 | 43.30 |
| वर्ष के दौरान उपयोग की गई राशियाँ / उलट दी गई राशियाँ | 0.00 | 28.60 | 2,088.61 | 9.23 |
| समापन शेष | **150.00** | **145.71** | **150.00** | **119.65** |
| बहिर्वाह / अनिश्चितताओं का समय | वास्तविक भुगतान पर | निपटान / क्रिस्टलीकरण पर बहिर्वाह | वास्तविक भुगतान पर | निपटान / क्रिस्टलीकरण पर बहिर्वाह |

15.ओ.ii आकस्मिक देयताओं पर अनुसूची–12 देखें

क्रम संख्या (I), (II), (III), (IV), (V) एवं (VI) में ऐसी देयताएं क्रमशः न्यायालय / मध्यस्थता / न्यायालय के बाहर समझौते के परिणाम, अपीलों के निपटान, मांगी जा रही राशि, संविदागत दायित्वों की शर्तों, हस्तांतरण और संबंधित पक्षों द्वारा मांग उठाने पर निर्भर हैं।

**अन्य प्रकटीकरण:**

**16. व्यक्तिगत / समूह उधारकर्ताओं के लिए आरबीआई द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण एक्सपोजर (एलई) ढांचे के अनुसार ऋण जोखिम जहां अधिक था, उसके संबंध में बैंक का प्रकटीकरण :**

ऐसे खातों का विवरण जहां बैंक ने बड़े एक्सपोजर (एलई) ढांचे के अनुसार किसी भी व्यक्तिगत (बैंक की टियर–1 पूंजी का निर्धारित अधिकतम सीमा 20%) और समूह खातों (बैंक की टियर–1 पूंजी का निर्धारित अधिकतम सीमा 25%) के संबंध में एलई ढांचे के लिए टियर – 1 पूंजी ₹1,01,866.30 करोड़ (पिछले वर्ष: ₹89,617.67 करोड़) के आधार पर विवेकपूर्ण एक्सपोजर सीमा को पार कर लिया है: –

**चालू वर्ष (2024–25)**

*(राशि ₹ करोड़ में)*

| क्र. सं. | उधारकर्ता का नाम | निर्धारित सीमा (टियर 1 पूंजी का 20:) | प्रकटीकरण 31.03.25 तक | 31.03.25 तक टियर 1 पूंजी के : के रूप में कुल एक्सपोजर | 31.03.25 तक के कार्य | 31.03.25 तक टियर –1 पूंजी के : के रूप में एलई फ्रेमवर्क के अनुसार कुल बकाया एक्सपोजर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **A.** | **वैयक्तिक** | | | | | |
| 1. | सिडबी | 20,373.26 | 24,340.17 | 23.89%* | 24,340.16 | 23.89% |
| 2. | नाबार्ड | 20,373.26 | 24,151.72 | 23.71%^ | 24,151.72 | 23.71% |
| **B.** | **समूह** | | | | | |
| 1. | - | - | - | - | - | - |

**15.o Accounting Standard 29 - Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets**

**15.o.i Movement of provisions for liabilities**

*(Amount in ₹ Crore)*

| Particulars | Current Year | | Previous Year | |
|---|---|---|---|---|
| | Salary arrears | Legal cases/ Contingencies | Salary arrears | Legal cases/ Contingencies |
| **Opening Balance** | **150.00** | **119.65** | **459.51** | **85.58** |
| Addition / Provided during the year | 0.00 | 54.66 | 1,779.10 | 43.30 |
| Amounts used/ Reversed during the year | 0.00 | 28.60 | 2,088.61 | 9.23 |
| **Closing Balance** | **150.00** | **145.71** | **150.00** | **119.65** |
| Timing of outflow/ uncertainties | On actual Payment | Outflow on settlement / crystallization | On actual Payment | Outflow on settlement / crystallization |

**15.o.ii Refer Schedule – 12 on Contingent Liabilities**

Such liabilities at Sr. No.(I), (II), (III), (IV), (V) & (VI) are dependent upon the outcome of Court / arbitration / out of court settlement, disposal of appeals, the amount being called up, terms of contractual obligations, devolvement and raising of demand by concerned parties, respectively.

**Other Disclosures:**

**16. Bank's Disclosure in respect of Credit Exposures where the same had exceeded the Prudential Exposure limits as per Large Exposure (LE) framework prescribed by RBI for Individual/Group Borrowers:**

Details of accounts where Bank has exceeded prudential exposure ceilings as per Large Exposure (LE) framework in respect of any Individual (Prescribed Ceiling 20% of Tier-1 Capital of the Bank) and Group Accounts (Prescribed Ceiling 25% of Tier-1 Capital of the Bank) based on Tier – 1 Capital of ₹1,01,866.30 Crores (Previous Year: ₹89,617.67 Crores) for LE framework:-

**Current Year (2024-25)**

*(Amount in ₹ Crore)*

| S. No. | Name of the Borrower | Prescribed Ceiling (20% of Tier 1 Capital) | Exposure As on 31.03.25 | Total exposure as % of Tier 1 Capital as on 31.03.25 | O/s as on 31.03.25 | Total O/s Exposure as per LE Framework as % of Tier – 1 Capital as on 31.03.25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **A.** | **Individual** | | | | | |
| 1. | SIDBI | 20,373.26 | 24,340.17 | 23.89%* | 24,340.16 | 23.89% |
| 2. | NABARD | 20,373.26 | 24,151.72 | 23.71%^ | 24,151.72 | 23.71% |
| **B.** | **Group** | | | | | |
| 1. | - | - | - | - | - | - |

गत वर्ष (2023–24)

*(राशि ₹ करोड़ में)*

| क्र. सं. | उधारकर्ता का नाम | निर्धारित सीमा (टियर 1 पूंजी का 20%) | प्रकटीकरण 31.03.24 तक | 31.03.24 तक टियर 1 पूंजी के % के रूप में कुल एक्सपोजर | 31.03.24 तक के बकाया | 31.03.24 तक टियर –1 पूंजी के % के रूप में एलई फ्रेमवर्क के अनुसार कुल बकाया एक्सपोजर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. | वैयक्तिक | | | | | |
| 1. | सिडबी | 17,923.53 | 20,785.63 | 23.19%* | 20,535.62 | 22.91% |
| B. | समूह | | | | | |
| 1. | - | - | - | - | - | - |

आरबीआई के परिपत्र दिनांक 03.06.2019 ने बैंक के बोर्ड की शक्तियों के तहत एकल प्रतिपक्ष के 20% की सीमा के अतिरिक्त 5% का लाभ दिया है। बोर्ड ने दिनांक 28.03.2017 की अपनी बैठक में इस बात को मंजूरी दी है कि बैंक असाधारण परिस्थितियों में बड़े एक्सपोजर के रूप में वर्गीकृत एकल प्रतिपक्षकार के लिए एक्सपोजर सीमा को 20% की उच्चतम सीमा के अतिरिक्त 5% तक बढ़ाने पर विचार कर सकता है।

^ इसे बोर्ड द्वारा दिनांक 27.02.2024 की बैठक में अनुमोदित किया गया था।

* बोर्ड की दिनांक 16.11.2023 की बैठक में इसे अनुमोदित किया गया।

31.03.2025 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए व्यक्तिगत और समूह खातों के सभी एक्सपोजर (छूट प्राप्त एक्सपोजर के अलावा) एलई फ्रेमवर्क के अनुसार निर्धारित नियामक सीमाओं के भीतर हैं।

### 17. प्रकटीकरण: आश्वासन पत्र (एलओसी)

#### 17.ए आरआरबी के संबंध में

दिनांक 31.03.2025 तक, पीएनबी (एक प्रायोजक बैंक के रूप में) ने असम ग्रामीण विकास बैंक (एजीवीबी), मणिपुर ग्रामीण बैंक (एमआरबी) की ओर से माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड (मुद्रा लिमिटेड) के पक्ष में लेटर ऑफ कंफर्ट जारी किया है ताकि ये प्रायोजित आरआरबी मुद्रा ऋण के लिए सदस्य ऋण देने वाली संस्थाएं (एमएलआई) बन सकें।

उपर्युक्त आरआरबी की वित्तीय स्थिति और हमारे द्वारा जारी लेटर ऑफ कंफ़र्ट के आधार पर, मुद्रा ने एजीवीबी और एमआरबी के लिए एक्सपोजर सीमा निर्धारित की और इन आरआरबी को क्रमशः ₹71.00 करोड़ और ₹1.92 करोड़ की एक्सपोजर सीमा तक एमएलआई के रूप में स्वीकार किया गया। इसके अलावा यह पुष्टि करने के लिए कि 31.03.2025 तक दोनों बैंकों एजीवीबी और एमआरबी ने मुद्रा से कोई पुनर्वित्त नहीं लिया है। हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक के लिए, हमने 26.09.2024 को मुद्रा को एलओसी जारी किया है। हालाँकि, मुद्रा द्वारा सीमा का निर्धारण प्रतीक्षित है। इसलिए, कोई वित्तीय प्रभाव नहीं है।,

#### 17.बी समनुषगियां और अन्य सहयोगी कंपनियां के संबंध में:

बैंक ने यूनाइटेड किंगडम के नियामक, प्रूडेंशियल रेगुलेशन अथॉरिटी (पीआरए) को एक लेटर ऑफ कंफ़र्ट जारी किया है, जिसमें यह प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है कि बैंक अपनी सहायक कंपनी, पंजाब नैशनल बैंक (इंटरनेशनल) लिमिटेड, यूके को वित्तीय सहायता प्रदान करेगा, ताकि वह अपनी वित्तीय प्रतिबद्धताओं को समय पर पूरा कर सके।

हमारे बोर्ड से हमारी सहायक कंपनी पीएनबीआईएल के संबंध में पीआरए के पक्ष में अनुमोदन प्राप्त करने के बाद उक्त लेटर ऑफ कंफ़र्ट को 18.02.2025 को नवीकृत किया गया है, जिसमें हमने अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। नवीकरण पीआरए और आरबीआई के निर्देशानुसार किया

**Previous Year (2023-24)**

*(Amount in ₹ Crore)*

| S. No. | Name of the Borrower | Prescribed Ceiling (20% of Tier 1 Capital) | Exposure As on 31.03.24 | Total exposure as % of Tier 1 Capital as on 31.03.24 | O/s as on 31.03.24 | Total O/s Exposure as per LE Framework as % of Tier – 1 Capital as on 31.03.24 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. | Individual | | | | | |
| 1. | SIDBI | 17,923.53 | 20,785.63 | 23.19%* | 20,535.62 | 22.91% |
| B. | Group | | | | | |
| 1. | - | - | - | - | - | - |

RBI Circular dated 03.06.2019 has given leverage of 5% over and above the ceiling of 20% of single counterparty under the Bank's Board Power. Board in its meeting dated 28.03.2017 has approved that bank may in exceptional circumstances consider enhancement of the exposure ceiling for single counterparty classified as Large Exposure up to 5% over and above ceiling of 20%.

^ The same was approved by the Board in its meeting dated 27.02.2024.

* The same was approved by the Board in its meeting dated 16.11.2023.

All the exposure (other than exempted exposure) of Individual and Group Accounts for the year ended 31.03.2025, are within the prescribed regulatory limits, as per LE Framework.

### 17. Disclosure: Letter of Comfort (LoC)

#### 17.a Regarding RRBs

As on 31.03.2025, PNB (as a Sponsor Bank) has issued Letters of Comfort in favour of Micro Units Development & Refinance Agency Limited (MUDRA Ltd.) on behalf of Assam Gramin Vikash Bank (AGVB), Manipur Rural Bank (MRB) for enabling these Sponsored RRBs to become Member Lending Institutions (MLIs) for MUDRA Loans.

On the basis of the financials of the above RRBs and Letter of Comfort issued by us, MUDRA worked out the exposure limits for AGVB and MRB and these RRBs were accepted as MLI up to the exposure limit under MUDRA for ₹71.00 Crore and ₹1.92 Crore respectively. Further to confirm that both the banks AGVB and MRB have not availed any refinance from MUDRA as on 31.03.2025. For Himachal Pradesh Gramin Bank, we have issued LOC to MUDRA on 26.09.2024. However, fixation of limit by MUDRA is awaited. Hence, there is no financial impact.

#### 17.b Regarding Subsidiaries and other Associates

The Bank has issued a Letter of Comfort to Prudential Regulation Authority (PRA), the regulator in United Kingdom, committing that the Bank shall provide financial support to its subsidiary, Punjab National Bank (International) Ltd., UK so that it meets its financial commitments as and when they fall due.

The said Letter of Comfort has been renewed on 18.02.2025 after seeking approval of our Board in favor of PRA w.r.t. our subsidiary PNBIL wherein we have reiterated our commitment. The renewal was done as per instruction of PRA and RBI. Further, Annual assessment

गया था। इसके अलावा, 28.02.2025 को आयोजित बोर्ड की बैठक में एलओसी के प्रभाव के वार्षिक मूल्यांकन को मंजूरी दी गई, जिसके अनुसार बैंक को वित्तीय दायित्व के किसी भी क्रिस्टलीकरण की उम्मीद नहीं है। इसलिए, वित्त वर्ष 2024–25 के लिए इस एलओसी के कारण कोई वित्तीय प्रभाव नहीं है।

उपरोक्त के अलावा, बैंक ने समूह इकाइयों (समनुषगियां और सहयोगी कंपनियां) को कोई भी लेटर ऑफ कंफ़र्ट जारी नहीं किया है।

**18. प्रकटीकरणः वचन पत्र (LoU)**

बैंक ने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (आईएफएससीए) के विनियमन 3(3) के तहत पीएनबी आईबीयू गिफ्ट सिटी शाखा के लिए एक वचन पत्र प्रदान किया है कि:

"बैंक इस बात की पुष्टि करता है कि वह इस तरह का समर्थन और सहायता प्रदान करेगा (जब भी आवश्यक हो, चलनिधि सहित) तथा संचालन के दौरान दायित्वों को पूरा करने में सक्षम बनाने के लिए विनियोजित हो सकता है।

उपरोक्त के अलावा बैंक ने विदेशी शाखाओं के लिए कोई चुकौती आश्वासन पत्र जारी नहीं किया है तथा चुकौती आश्वासन पत्र के अंतर्गत कोई संचयी वित्तीय दायित्व नहीं है।

**19. क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड पॉइंट**

पीएनबी क्रेडिट कार्ड धारक जब कभी अपने क्रेडिट कार्ड का प्रयोग करके खरीददारी करते हैं तो उन्हे रिवॉर्ड के अंक प्रदान किए जाते हैं। ये रिवॉर्ड के अंक मर्चेन्ट संस्थान पर कार्डधारक द्वारा क्रेडिट कार्ड का उपयोग करते समय जारी किए जाते हैं। कार्डधारक इन एकत्रित अंकों को रिडीम कर सकता है। रिवॉर्ड पॉइंट के कारण देय राशि को दैनिक आधार पर लाभ और हानि खाते में प्रभारित किया जाता है और विविध प्रावधान खाते में क्रेडिट किया जाता है।

**क्रेडिट कार्ड के बकाया रिवॉर्ड पॉइंट्स की स्थिति और उस पर प्रावधानः**

| विवरण | चालू वर्ष | गत वर्ष |
|---|---|---|
| बकाया शेष रिवॉर्ड प्वाइंट | 1,09,16,08,838 | 43,08,66,133 |
| इन प्वाइंट के लिए किया गया प्रावधान (₹ करोड़ में)* | 8.65 | 5.39 |

*क्रेडिट कार्ड के संबंध में रिवॉर्ड पॉइंट्स के प्रति 1 पॉइंट के लिए ₹0.50 का प्रावधान किया गया है। क्रेडिट कार्ड रिवॉर्ड पॉइंट्स के ट्रेंड एनालिसिस पर नवीनतम एक्चुअरी रिपोर्ट के अनुसार पिछले वर्ष की तरह अनुमानित आधार पर संचित रिवार्ड पॉइंट्स के 25% की दर से रिडेम्पशन का प्रावधान किया गया है।

**20. गैर–बैंकिंग आस्तियों से संबंधित प्रकटीकरण**

*(राशि ₹ करोड़ में)*

| विवरण | चालू वर्ष | गत वर्ष |
|---|---|---|
| संपत्तियों की संख्या | 12 | 12 |
| बकाया शेष राशि (₹ करोड़ में) | 24.67 | 26.45 |

**21. रेपो या रिवर्स रेपो लेनदेन के तहत उधार दी गई या अर्जित की गई कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियाँ**

31.03.2025 को समाप्त चालू वित्त वर्ष और 31.03.2024 को समाप्त पिछले वित्त वर्ष के दौरान रेपो या रिवर्स रेपो के तहत कोई कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूति उधार नहीं दी गई या अर्जित नहीं की गई।

of impact of LOC was approved by the Board in its meeting held on 28.02.2025, as per which the Bank does not foresee any crystallization of financial obligation. Therefore, there is no financial impact on account of this LOC for FY 2024-25.

Apart from the above, the Bank has not issued any Letter of Comfort to Group Entities (subsidiaries and associates).

**18. Disclosure: Letter of Undertaking (LoU)**

The Bank has provided a Letter of Undertaking for PNB IBU Gift City Branch under Regulation 3 (3) of International Financial Service Centre Authority (IFSCA):

- That Bank will provide support and assistance (including liquidity, whenever needed) and as may be appropriate to enable the banking unit to meet its obligations in the course of its obligation.

Apart from the above the Bank has not issued any Letter of Undertaking for overseas branches and there are no cumulative financial obligations under the Letter of Undertaking.

**19. Reward Points of Credit Card**

PNB Credit Card holders are rewarded as and when they make purchases through usage of Credit Card. Reward Points are generated at the time of usage of Credit Card by Cardholder at merchant Establishment. Card holders can redeem the accumulated reward points. The amount payable on account of reward points is charged to the Profit and Loss account and credited to Sundry Provision Account on daily basis.

**Position of outstanding reward points of Credit Cards and Provision thereon:**

| Particulars | Current Year | Previous Year |
|---|---|---|
| Balance Reward Points outstanding | 1,09,16,08,838 | 43,08,66,133 |
| Provision held for these points (₹ in Crore)* | 8.65 | 5.39 |

*The provision held against Rewards points in respect of Credit Cards has been worked out at ₹0.25 for 1 point (Previous Period ₹0.50 for 1 point). As per the latest actuary report on Trend Analysis of Credit Card rewards points redemption provision has been made @ 31.69% (Previous Period @ 25%) of accumulated Reward points.

**20. Disclosure related to Non -Banking assets:**

*(Amount in ₹ Crore)*

| Particulars | Current Year | Previous Year |
|---|---|---|
| No. of Properties | 12 | 12 |
| Balance Outstanding (₹ in Crore) | 24.67 | 26.45 |

**21. Corporate Debt Securities Lent or Acquired under Repo or Reverse Repo transactions**

No corporate debt securities lent or acquired under Repo or Reverse Repo during the current financial year ended 31.03.2025 & previous financial year ended 31.03.2024.

22. आरबीआई के दिशा–निर्देशों के अनुसार, बैंक ने अवरुद्ध खाते तैयार करने के लिए 5 वर्षों से अधिक समय से बकाया अंतर शाखा क्रेडिट प्रविष्टियों की राशि की गणना की। तदनुसार, ₹ शून्य करोड़ (पिछली अवधि ₹ शून्य करोड़) की राशि ख्समायोजन को घटाकर अनुसूची–5 में "अन्य देयताएं–अन्य" के अंतर्गत शामिल किया गया है,।

23. परिसर में 3.72 करोड़ रुपये (लागत) की 10 संपत्तियां शामिल हैं। जिनकी कीमत और मूल्यह्रास राशि 2.40 करोड़ रुपये है, जो स्वामित्व विलेखों के पंजीकरण की प्रतीक्षा कर रही हैं।

गत अवधि (31.03.2024): परिसर में 3.72 करोड़ रुपये (लागत) और 2.27 करोड़ रुपये मूल्यह्रास राशि वाली आस्तियां शामिल हैं, जो शीर्षक विलेखों के पंजीकरण की प्रतीक्षा कर रही हैं।

24. परिसर में 31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए ₹295.62 करोड़ का पूंजीगत कार्य शामिल है (31.03.2024 को समाप्त पिछले वर्ष में ₹115.23 करोड़)।

25. मार्च 2025 (वित्त वर्ष 2024–25) को समाप्त वर्ष के दौरान की गई खरीद के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 में दिए गए दिशा–निर्देशों का अनुपालन किया गया है और अधिनियम के अनुसार विक्रेताओं को समय पर भुगतान किया गया है। चूंकि भुगतान में कोई देरी नहीं हुई है, इसलिए मार्च 2025 (वित्त वर्ष 2024–25) को समाप्त वर्ष के दौरान कोई दंडात्मक ब्याज लागू नहीं होगा।

26. मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए परिसर के पुनर्मूल्यांकित हिस्से पर मूल्यह्रास ₹100.09 करोड़ (मार्च 2024 को समाप्त पिछले वर्ष के लिए ₹167.79 करोड़) है।

27. आरबीआई के पत्र संख्या बीपीसी.7201 / 21.04.132 / 2017–18 दिनांक 08.02.2018 के अनुपालन में, बैंक ने पंजाब सरकार के दीर्घकालिक ऋण (एलटीएल) के लिए अग्रिम के संबंध में 31.03.2025 की स्थिति के अनुसार ₹1,624.00 करोड़ के मौजूदा बकाया का 5% के रूप में ₹81.20 करोड़ का प्रावधान किया है।

28. दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) के प्रावधानों के तहत शामिल किए गए खातों के लिए आरबीआई के पत्र संख्या डीबीआर.सं. बीपी.15199 / 21.04.048 / 2016–17 दिनांक 23 जून 2017 (आरबीआई सूची–1) और पत्र संख्या डीबीआर.बीपी.1908 / 21.04.048 / 2017–18 दिनांक 28 अगस्त 2017 (आरबीआई सूची–2) के अनुसार, जहां बैंक का एक्सपोजर है, बैंक के पास 31.03.2025 तक कुल ₹6,749.62 करोड़ का प्रावधान है (आरबीआई सूची 1 और सूची 2 खातों के लिए कुल प्रावधान 100% है)। (पिछली अवधिः ₹7,991.75 करोड़ (आरबीआई सूची 1 और सूची 2 खातों का कुल प्रावधान 31.03.2024 तक 100% है)।

29. 31 मार्च 2025 तक, बैंक ने इन क्षेत्रों में जोखिम और तनाव के मूल्यांकन के आधार पर बैंक की नीति के अनुसार, कोविड 19 रिज़ॉल्यूशन फ्रेमवर्क 1.0 और 2.0 के तहत पुनर्गठित मानक खातों पर 5% / 10% की निर्धारित दर से अधिक पर ₹134.19 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान रखा है। यह नीति आय मान्यता, परिसंपत्ति वर्गीकरण और अग्रिमों से संबंधित प्रावधान पर विवेकपूर्ण मानदंडों के संबंध में 01 अप्रैल 2025 के आरबीआई मास्टर परिपत्र के अनुसार है।

30. निदेशक मंडल ने अपेक्षित अनुमोदन के अधीन, 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए प्रति इक्विटी शेयर ₹2.90 (145.00%) का लाभांश देने की सिफारिश की है।

31. आरबीआई परिपत्र संख्या DOR-ACC-REC-No.91 / 21.04.018 / 2022–23 दिनांक 13.12.2022 के संदर्भ में , कुल आय का एक प्रतिशत से

22. As per RBI guidelines, the Bank worked out the amount of Inter Branch Credit entries outstanding for more than 5 years to create a Blocked Account. Accordingly, a sum of ₹ Nil Crore (Previous Period ₹ Nil Crore) [net of adjustments since carried out has been included under "Other Liabilities-others" in Schedule-5].

23. Premises include 10 properties amounting to ₹3.72 Crore (Cost) & depreciation amount to Rs. 2.40 Crore are awaiting registration of title deeds.

Previous Period (31.03.2024): Premises include properties amounting to ₹3.72 Crore (Cost) & depreciation amount to Rs. 2.27 Crore are awaiting registration of title deeds.

24. Premises include Capital work in progress of ₹295.62 Crore for the year ended 31.03.2025 (₹115.23 Crore in the previous year ended 31.03.2024).

25. Guidelines given in Micro, Small and Medium Enterprises Development Act 2006 have been complied with for purchases made during the year ended March 2025 (FY 2024-25) and payments have been made to the Vendors in time as per Act. Since there had been no delay in payment, no penal interest applicable during the year ended March 2024 (FY 2024-25).

26. Depreciation on Revalued Portion of Premises for the year ended March 2025 is ₹100.09 Crores (₹167.79 Crore for the previous year ended March 2024).

27. In compliance of RBI letter no. BPC.7201/21.04.132/2017-18 dated 08.02.2018, Bank has made a provision of ₹81.20 Crore being 5 % of the existing outstanding of ₹1,624.00 Crore as on 31.03.2025 in respect of Advance to Government of Punjab Long term Loan (LTL).

28. As per RBI Letter no. DBR.No.BP.15199/21.04.048/2016-17 dated June 23, 2017 (RBI List-1) and Letter no. DBR.BP.1908/21.04.048/2017-18 dated August 28, 2017 (RBI List-2) for the accounts under the provisions of Insolvency & Bankruptcy Code (IBC), where the Bank is having exposure, the Bank is holding total provision of ₹6,749.62 Crore (Aggregate provision for RBI List 1 and List 2 accounts is 100%) as on 31.03.2025. (Previous Period: ₹7,991.75 Crore (Aggregate provision of RBI List 1 and List 2 accounts is 100%) as on 31.03.2024).

29. As on March 31, 2025, the Bank is holding an additional provision of Rs.134.19 Crore on standard accounts restructured under COVID 19 Resolution Framework 1.0 and 2.0, at higher than prescribed rate of 5%/10%, as per Bank's policy based on the evaluation of risk and stress in these sectors, in terms of RBI Master Circular dated April 01, 2025 regarding Prudential norms on Income Recognition, Asset Classification and Provisioning pertaining to Advances.

30. The Board of Directors has recommended a dividend of ₹2.90 per equity share (145.00%) for the year ended March 31, 2025, subject to requisite approvals.

31. In terms of RBI Circular no. DOR.ACC.REC.No.91/21.04.018/2022-23 dated 13.12.2022, the disclosure

अधिक 'अनुसूची 14 – अन्य आय' के अंतर्गत उपशीर्षक 'विविध आय' के तहत मद से संबंधित प्रकटीकरण, निम्नानुसार है:

*(राशि ₹ करोड़ में)*

| उप–शीर्ष के अंतर्गत मदें | चालू वर्ष | गत वर्ष |
|---|---|---|
| बट्टे खाते में डाले गए खातों में वसूली | 4,925.88 | 6,100.58 |

- अनुसूची 16: परिचालन व्यय में 'अन्य व्यय' के अंतर्गत कोई भी ऐसा मद नहीं है जो कुल आय के 1% से अधिक हो।
- अनुसूची 5: 'अन्य (प्रावधानों सहित)' के अंतर्गत कोई मद नहीं है: अन्य देयताएं और प्रावधान में जो कुल आस्तियां के 1% से अधिक हो।
- अनुसूची 11 में 'अन्य' अन्य आस्तियां जो कुल आस्तियां के 1% से अधिक हैं, निम्नानुसार हैं:

| उप–शीर्ष के अंतर्गत मदें | चालू वर्ष | गत वर्ष |
|---|---|---|
| आरआईडीएफ योजना–नाबार्ड के अंतर्गत जारी | 21,400.44 | 1% से अधिक नहीं |

**32. पिछली अवधि के आंकड़ों को वर्तमान अवधि के वर्गीकरण के अनुरूप बनाने के लिए जहां भी आवश्यक हो, पुनः समूहीकृत/पुनर्व्यवस्थित/पुनर्वर्गीकृत किया गया है।**

relating to item under the subhead 'Miscellaneous Income' under the head 'Schedule 14 - Other Income' exceeding one percent of total income, is as under:

*(Amount in ₹ Crore)*

| Items under the Sub-head | Current Year | Previous Year |
|---|---|---|
| Realisation in written off A/Cs | 4,925.88 | 6,100.58 |

- There is no item under 'Other expenditure' in schedule 16: Operating Expenses that exceeds 1% of total income.
- There is no item under 'Others (including provisions)' in schedule 5: Other Liabilities and Provisions that exceeds 1% of total assets.
- 'Others' in schedule 11: Other Assets that exceeds 1% of total assets is as under:

*(Amount in ₹ Crore)*

| Items under the Sub-head | Current Year | Previous Year |
|---|---|---|
| Cont. made under RIDF scheme-NABARD | 21,400.44 | Not exceeding 1% |

**32. Figures of the previous periods have been regrouped / rearranged / reclassified wherever necessary to conform to current period's classification.**

# 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए एकल नकदी प्रवाह का विवरण

# STATEMENT OF STANDALONE CASH FLOW FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2025

(Rs.000 को छोड़ दिया गया हैं) (Rs.000's omitted)

| | विवरण<br>**Particulars** | | **31.03.2025 को समाप्त वर्ष<br>Year ended 31.03.2025** | **31.03.2024 को समाप्त वर्ष<br>Year ended 31.03.2024** |
|---|---|---|---|---|
| क.<br>A. | **परिचालन कार्यकलापों से नकद प्रवाह<br>Cash Flow from Operating Activities** | | | |
| | कर के पश्चात निवल लाभ/(हानि)<br>Net Profit/ (Loss) after Tax | | 16630,20,12 | 8244,61,55 |
| | कर के लिए प्रावधान<br>Provision for Tax | | 8525,86,55 | 4949,58,97 |
| (I) | **कर से पूर्व निवल लाभ<br>Net Profit/ (Loss) before tax** | (i) | **25156,06,67** | **13194,20,52** |
| (II) | **निम्नलिखित के लिए समायोजनः<br>Adjustments for:** | | | |
| | अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास<br>Depreciation on Fixed Assets | | 947,57,49 | 895,24,94 |
| | निवेश [निवल] पर मूल्यह्रास/(रिलीज)<br>Depreciation/(Release) and Provision on Investments (Net] | | -1167,52,75 | -742,11,83 |
| | अनार्जक आस्तियों के लिए प्रावधान<br>Provisions for Non Performing Assets | | 1896,83,44 | 12345,01,25 |
| | मानक आस्तियों पर प्रावधान<br>Provision on Standard Assets | | -303,10,52 | 87,19,80 |
| | अन्य प्रावधान (निवल)<br>Other Provision (net) | | 92,52,38 | 711,72,66 |
| | सहायक/अन्य से लाभांश<br>Dividend from Subsidiary / Others | | -40,70,00 | -33,44,99 |
| | अचल आस्तियों (निवल) की बिक्री से लाभ/हानि<br>(Profit)/Loss on sale of Fixed Assets (net) | | -4,06,01 | -6,67,30 |
| | एएफएस में रखे गए इक्विटी निवेश की बिक्री से लाभ<br>Profit on sale of equity investments held in AFS | | 45,87 | 0 |
| | सहायक कंपनियों/संयुक्त उद्यमों/सहयोगियों में निवेश से आय<br>Income from investment in Subsidiaries/Joint Ventures/Associates | | 0 | -137,39,47 |
| | बॉण्ड पर प्रदत्त ब्याज<br>Interest paid on Bonds | | 3108,58,56 | 2956,57,66 |
| | **उप–जोड़<br>Sub Total** | (ii) | **4530,58,46** | **16076,12,72** |
| (III) | **निम्नलिखित के लिए समायोजनः<br>Adjustment for :** | | | |
| | निवेश में ह्रास/(वृद्धि)<br>Decrease / (Increase) in Investments | | -73347,29,24 | -22810,50,39 |

(Rs.000 को छोड़ दिया गया हैं) (Rs.000's omitted)

| | विवरण<br>Particulars | | 31.03.2025<br>को समाप्त वर्ष<br>Year ended<br>31.03.2025 | 31.03.2024<br>को समाप्त वर्ष<br>Year ended<br>31.03.2024 |
|---|---|---|---|---|
| | अग्रिम में ह्रास / (वृद्धि)<br>Decrease / (Increase) in Advances | | -144397,65,39 | -115941,62,37 |
| | अन्य आस्तियों में ह्रास / (वृद्धि)<br>Decrease / (Increase) in Other Assets | | -19426,56,42 | -1134,06,25 |
| | जमा राशियों में वृद्धि / (ह्रास)<br>Increase / (Decrease) in Deposits | | 196910,47,75 | 88549,70,10 |
| | उधार में वृद्धि / (ह्रास)<br>Increase / (Decrease) in Borrowings | | 34696,86,18 | -7963,87,73 |
| | अन्य देयताओं व प्रावधानों में वृद्धि / (ह्रास)<br>Increase / (Decrease) in Other Liabilities & Provisions | | 3178,83,23 | 3960,04,63 |
| | **उप–जोड़**<br>**Sub Total** | **(iii)** | **-2385,33,89** | **-55340,32,01** |
| | **परिचालनों से निर्मित नकदी**<br>**Cash generated from Operations** | **(i+ii+iii)** | **27301,31,24** | **-26069,98,77** |
| | प्रदत्त प्रत्यक्ष कर (प्रतिदेय को घटाकर)<br>Direct Taxes paid (net off refund) | | -5029,07,80 | -1824,61,17 |
| | **निवेश कार्यकलापों में (प्रयुक्त) निवल नकदी**<br>**Net Cash from/(used) Operating Activities** | **(ए)<br>(A)** | **22272,23,44** | **-27894,59,94** |
| **(ख)<br>(B)** | **निवेश कार्यकलापों से नकदी प्रवाह**<br>**Cash Flow from Investing Activities** | | | |
| | अचल सम्पत्तियों की खरीद (बिक्री के पश्चात निवल)<br>Purchase of Fixed Assets (net off Sales) | | -1590,92,23 | -1157,76,30 |
| | अचल आस्तियों की बिक्री<br>Sale of Fixed Assets | | 15,91,95 | 20,66,26 |
| | सहायक / अन्य से प्राप्त लाभांश<br>Dividend recd from Subsidiary/Others | | 40,70,00 | 33,44,99 |
| | सहायक / अन्य में निवेश (निवल)<br>Investment in Subsidiary/Others (net) | | 0 | -435,68,49 |
| | **निवेश कार्यकलापों में (प्रयुक्त) निवल नकदी**<br>**Net Cash from/(used) in Investing Activities** | **(बी)<br>(B)** | **-1534,30,28** | **-1539,33,54** |
| **(ग)<br>(C)** | **वित्तपोषण कार्यकलापों से नकदी प्रवाह**<br>**Cash flow from Financing Activities** | | | |
| | शेयर प्रीमियम सहीत इक्विटी शेयरों के निर्गम से प्राप्त आय (निर्गम व्यय के बाद)<br>Share Capital/Share Application Money/Share Premium (net of issue expenses) | | 4987,56,71 | 0 |
| | जारी / बॉण्ड जारी करना (निवल) का (मोचन)<br>Issue/(Redemption) of Bonds (net) | | -1350,00,00 | 7102,00,00 |
| | बॉण्ड पर प्रदत्त ब्याज<br>Interest paid on Bonds | | -3108,58,56 | -2956,57,66 |
| | प्रदत्त लाभांश<br>Dividend paid | | -1651,65,23 | -715,71,60 |
| | **वित्तपोषण कार्यकलापों से निवल नकदी**<br>**Net Cash from Financing Activities** | **(सी)<br>(C)** | **-1122,67,08** | **3429,70,74** |

(Rs.000 को छोड़ दिया गया हैं) (Rs.000's omitted)

| विवरण<br>Particulars | | 31.03.2025<br>को समाप्त वर्ष<br>Year ended<br>31.03.2025 | 31.03.2024<br>को समाप्त वर्ष<br>Year ended<br>31.03.2024 |
|---|---|---|---|
| **(घ) नकदी तथा नकदी तुल्यों में निवल परिवर्तन**<br>**(D) Net Change in Cash and Cash Equivalents** | **(ए+बी+सी)**<br>**(A+B+C)** | **19615,26,08** | **-26004,22,74** |
| **अवधि के आरम्भ में नकदी तथा नकदी तुल्य**<br>**Cash and Cash Equivalents at the beginning of the year** | | | |
| भारतीय रिजर्व बैंक के पास नकदी और शेष<br>Cash and Balances with Reserve Bank of India | | 65032,91,16 | 78176,57,52 |
| बैंकों के पास शेष और मांग व अल्प सूचना पर देय राशि<br>Balances with Banks & Money at Call & Short Notice | | 64071,66,93 | 76932,23,31 |
| | | **129104,58,09** | **155108,80,83** |
| **अवधि के समापन में नकदी तथा नकदी तुल्य**<br>**Cash and Cash Equivalents at the end of the year** | | | |
| भारतीय रिजर्व बैंक के पास नकदी और शेष<br>Cash and Balances with Reserve Bank of India | | 64304,60,79 | 65032,91,16 |
| बैंकों के पास शेष और मांग व अल्प सूचना पर देय राशि<br>Balances with Banks & Money at Call & Short Notice | | 84415,23,38 | 64071,66,93 |
| | | **148719,84,17** | **129104,58,09** |

**टिप्पणियाँ**
**Notes :-**

1 नकदी प्रवाह विवरण अप्रत्यक्ष विधि के तहत तैयार किया गया है और जहां भी आवश्यक समझा गया, आंकड़ों को पुनः समूहीकृत किया गया है।
Cash flow statement has been prepared under the Indirect Method and figures have been regrouped wherever considered necessary.

2 प्रत्यक्ष करों का भुगतान (प्रतिदेय को घटाकर) को परिचालन कार्यकलापों से निर्मित माना जाता है तथा उन्हें निवेश और वित्तपोषण गतिविधियों के बीच विभाजित नहीं किया जाता है।
Direct taxes paid (net off refund) are treated as arising from operating activities and are not bifurcated between investing and financing activities.

3 वर्तमान अवधि के वर्गीकरण के अनुरूप, जहां भी आवश्यक समझा गया, पिछली अवधि के आंकड़ों को पुनः समूहीकृत किया गया है।
Figures of previous period have been regrouped wherever considered necessary to conform current period classification.

4 नकदी तथा नकदी तुल्य में हाथ में नकदी, आरबीआई और अन्य बैंकों के पास शेष राशि और कॉल और अल्प सूचना पर देय राशि शामिल है
Cash and Cash equivalents includes Cash on hand, Balance with RBI & Other Banks and Money at Call and Short Notice.

| प्रबुद्ध शर्मा<br>**Prabudh Sharma**<br>सहायक महाप्रबंधक<br>**Asstt. General Manager** | आर के खीची<br>**R K Khichi**<br>उप महाप्रबंधक<br>**Deputy General Manager** | प्रवीण कुमार शर्मा<br>**Praveen Kumar Sharma**<br>महाप्रबंधक<br>**General Manager** | महेश धवन<br>**Mahesh Dhawan**<br>महाप्रबंधक<br>**General Manager** |
|---|---|---|---|

डी के जैन
**D K Jain**
मुख्य महाप्रबंधक एवं सीएफओ
**Chief General Manager & CFO**

| डी. सुरेंद्रन<br>**D. Surendran**<br>कार्यपालक निदेशक<br>**Executive Director** | एम परमशिवम<br>**M Paramasivam**<br>कार्यपालक निदेशक<br>**Executive Director** | कल्याण कुमार<br>**Kalyan Kumar**<br>कार्यपालक निदेशक<br>**Executive Director** |
|---|---|---|

अशोक चंद्र
**Ashok Chandra**
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी
**Managing Director & CEO**

के जी अनंतकृष्णन
**K G Ananthakrishnan**
अध्यक्ष
**Chairman**

अम्बरीष ओझा
**Ambarish Ojha**
निदेशक
**Director**

जतिंदर सिंह बजाज
**Jatinder Singh Bajaj**
निदेशक
**Director**

पंकज शर्मा
**Pankaj Sharma**
निदेशक
**Director**

कृते उमेद जैन एंड कंपनी
**For Ummed Jain & Co.**
सनदी लेखाकार
**Chartered Accountants**
एफआरएन/**FRN: 119250W**

कृते एन.के. भार्गव एंड कंपनी
**For N K Bhargava & Co.**
सनदी लेखाकार
**Chartered Accountants**
एफआरएन/**FRN: 000429N**

कृते पी एस डी एंड एसोसिएट्स
**For P S D & Associates**
सनदी लेखाकार
**Chartered Accountants**
एफआरएन/**FRN: 004501C**

सनदी लेखाकार यू.एम. जैन
**CA U.M. Jain**
भागीदार
**Partner**
(सदस्य सं./**M.No. 070863**)

सनदी लेखाकार एन के भार्गव
**CA N K Bhargava**
भागीदार
**Partner**
(सदस्य सं./**M.No.080624**)

सनदी लेखाकार अभिनव शर्मा
**CA Abhinav Sharma**
भागीदार
**Partner**
(सदस्य सं./**M.No. 411219**)

कृते प्रेम गुप्ता एंड कंपनी
**For Prem Gupta & Co.**
सनदी लेखाकार
**Chartered Accountants**
एफआरएन/**FRN: 000425N**

कृते पी ए एंड एसोसिएट्स
**For P A & Associates**
सनदी लेखाकार
**Chartered Accountants**
एफआरएन/**FRN: 313085E**

सनदी लेखाकार प्रेम बिहारी गुप्ता
**CA Prem Behari Gupta**
भागीदार
**Partner**
(सदस्य सं./**M.No.080245**)

सनदी लेखाकार पीएस पांडा
**CA P. S. Panda**
भागीदार
**Partner**
(सदस्य सं./**M.No. 051092**)

स्थान: नई दिल्ली
**Place: New Delhi**

दिनांक: 7 मई, 2025
**Date: May 07, 2025**

BLANK PAGE

# समेकित वित्तीय विवरण
# Consolidated Financial Statements

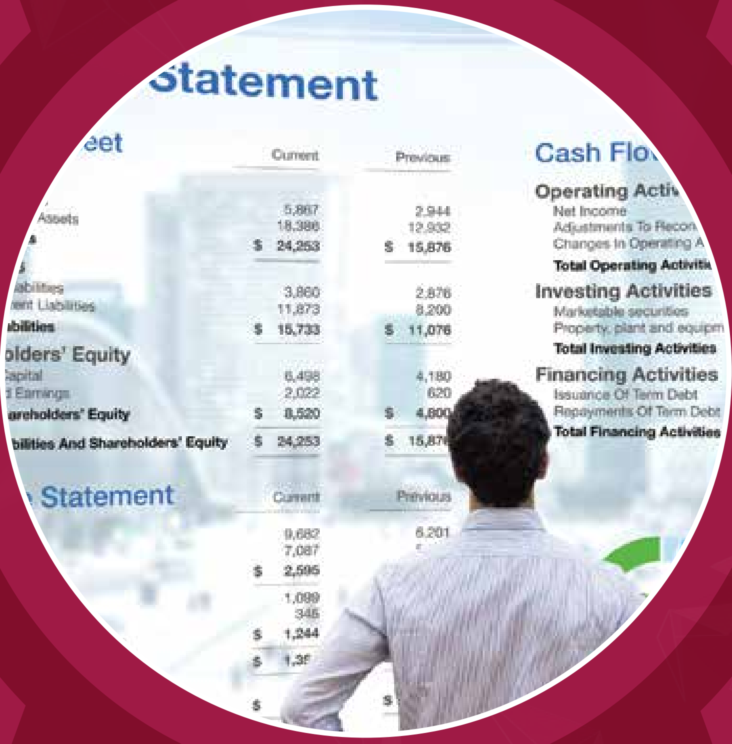

# स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

**प्रति,**
**पंजाब नैशनल बैंक के सदस्य**

**समेकित वित्तीय विवरणियों की लेखा परीक्षा पर रिपोर्ट**

**अभिमत**

1. हमने 31 मार्च 2025 को पंजाब नैशनल बैंक (''बैंक''), इसकी समनुषंगियों (मूल और इसकी समनुषंगियों को एक साथ ''समूह'' कहा जाता है), और सहायक कंपनियों की संलग्न समेकित वित्तीय विवरणियों, उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ और हानि लेखा और समेकित नकदी प्रवाह विवरणी और महत्वपूर्ण, लेखांकन नीतियों के सार और इसके साथ संलग्न अन्य व्याख्यात्मक जानकारी की लेखा परीक्षा की है, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

   i. हमारी लेखा परीक्षा रिपोर्ट दिनांक 7 मई 2025 के माध्यम से हमारे द्वारा की गई लेखा परीक्षा, पंजाब नैशनल बैंक (बैंक) की लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणियां,

   ii. अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा 03 समनुषंगी और 6 सहायक कंपनियों की लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणियां और,

   iii. 02 समनुषंगी और 8 सहायक कंपनी के अलेखापरीक्षित लेखे।

2. हमारे अभिमत में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी में तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार एवं समनुषंगियों और सहायक कंपनियों की अलग–अलग वित्तीय विवरणियों पर अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट, प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत की गई समनुषंगिया/सहायक कंपनियों की अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरणियों और अन्य वित्तीय जानकारी पर हमारे विचार के आधार पर, उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरण बैंक के लिए अपेक्षित तरीके से बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (अधिनियम) द्वारा आवश्यक जानकारी प्रदान करते हैं और आमतौर पर भारत में स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप हैं और:

   ए. टिप्पणियों सहित पठित, समेकित तुलन पत्र सभी आवश्यक विवरणों सहित एक पूर्ण और निष्पक्ष तुलन पत्र है, जिसमें आवश्यक विवरण दिए गए हैं और सही प्रकार से बनाया गया है ताकि 31 मार्च, 2025 को बैंक के मामलों की स्थिति के बारे में सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदर्शित किया जा सके,

   बी. टिप्पणियों सहित पठित, समेकित लाभ और हानि लेखा, सही लाभ शेष दर्शाता है, तथा

   सी. उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए समेकित नकद प्रवाह विवरण, नकद प्रवाह का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करता है।

**अभिमत का आधार**

3. हमने इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेन्ट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा लेखा परीक्षा पर जारी मानकों (आईसीएआई) के अनुसार लेखापरीक्षा की है। उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियाँ आगे हमारी रिपोर्ट

# INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

**To,**
**The Members of Punjab National Bank**

**Report on Audit of the Consolidated Financial Statements**

**Opinion**

1. We have audited the attached Consolidated Financial Statements of Punjab National Bank ("the Bank"), its subsidiaries (the parent and its subsidiaries together referred to as ("the Group"), and associates as at 31st March 2025, the Consolidated Profit and Loss Account and the Consolidated Cash Flow Statement for the year ended on that date and a summary of significant accounting policies and other explanatory information annexed thereto, in which the following are incorporated:

   i. Audited Financial Statements of Punjab National Bank (the Bank), audited by us, vide our audit report dated 07 May 2025;

   ii. Audited Financial Statements of 3 Subsidiary and 6 Associates, audited by other auditors; and

   iii. Unaudited accounts of 2 Subsidiary and 8 Associates.

2. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us and based on our consideration of the reports of other auditors on separate financial statements of subsidiaries and associates, the unaudited financial statements and the other financial information of subsidiaries/associates as furnished by the management the aforesaid consolidated financial statements give the information required by the Banking Regulation Act, 1949 ("the Act") in the manner so required for bank and are in conformity with accounting principles generally accepted in India and :

   a. The Consolidated Balance Sheet, read with the notes thereon is a full and fair view of Balance Sheet containing all the necessary particulars, is properly drawn up so as to exhibit a true and fair view of the state of affairs of the Bank as at 31st March, 2025;

   b. The Consolidated Profit and Loss Account, read with the notes thereon shows a true balance of profit; and

   c. The Consolidated Cash Flow Statement gives a true and fair view of the cash flows for the year ended on that date.

**Basis for Opinion**

3. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing (SAs) issued by the Institute of Chartered Accountants of India ("the ICAI"). Our responsibilities under those Standards are further described in the Auditor's

के समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियाँ खंड में वर्णित की गई हैं। भारत में समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के लिए प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं सहित इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंटस ऑफ इंडिया द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार हम समूह से स्वतंत्र है. और हमने इन आवश्यकताओं और आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हमें विश्वास है कि हमने जो लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं. वे हमारे अभिमत के लिए आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

**मुख्य लेखा परीक्षा मामले**

4. लेखा परीक्षा के प्रमुख मामले वे मामले हैं. जो हमारे पेशेवर निर्णय हैं 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण रहे हैं। ये मामले समेकित वित्तीय विवरण की हमारी लेखा परीक्षा के सन्दर्भ में और उन पर अपना मत बनाने में समग्र रूप से देखे गए हैं और हमने इन मामलों पर अलग से मत नहीं दिया है। हमने अपनी रिपोर्ट में वर्णित किए जाने हेतु महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा मामलों के रूप में वर्णित निम्नलिखित मामलों को निर्धारित किया है।

| मुख्य लेखा परीक्षा मामले | लेखा परीक्षा में हमारे मामले को किस प्रकार से दर्शाया गया है |
|---|---|
| **अग्रिम – वर्गीकरण एवं प्रावधानीकरण**<br><br>लेखा नीति संख्या 5 के साथ पठित समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूची 9 का संदर्भ लें.)<br><br>अग्रिमों को निष्पादित और गैर–निष्पादित अग्रिमों (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत किया गया है और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार इन पर प्रावधानीकरण किया गया है। बैंक ने कोर बैंकिंग सॉल्यूशन (सीबीएस) के अंतर्गत एसएएससीएल एप्लीकेशन में अग्रिमों की पूरी प्रणाली द्वारा संचालित निर्धारण और उनके वर्गीकरण को लागू किया है। विवेकपूर्ण मानदंडों के अंतर्गत एनपीए के प्रावधानीकरण की सीमा मुख्य रूप से इसकी अवधि और अन्तर्निहित प्रतिभूति की वसूली योग्यता पर आधारित है। आवश्यकता के आधार पर इसकी मैन्युअल रूप से समीक्षा भी की जाती है। | अग्रिम के प्रति हमारे लेखापरीक्षा दृष्टिकोण में बैंक के सॉफ्टवेयर, परिपत्रों, भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा–निर्देशों और निर्देशों तथा नमूना आधार पर परिसंपत्तियों के वर्गीकरण और उसके प्रावधान के संबंध में बैंक के आंतरिक निर्देशों और प्रक्रियाओं की समझ शामिल थी और निम्नलिखित लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को अपनाया गया :<br><br>• अग्रिमों पर विभिन्न आंतरिक नियंत्रणों की प्रभावकारिता की नमूना जांच के आधार पर जांच की गई, ताकि मूल प्रक्रियाओं की प्रकृति, समय और सीमा का निर्धारण किया जा सके तथा इन अग्रिमों से संबंधित आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान के संबंध में बैंक और आरबीआई निरीक्षण के निगरानी तंत्र के अनुसार किए गए विभिन्न लेखापरीक्षाओं की टिप्पणियों के अनुपालन का पता लगाया जा सके। |

Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements' section of our report. We are independent of the Group in accordance with the code of ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India together with ethical requirements that are relevant to our audit of the Consolidated Financial Statements in India, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the code of ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

**Key Audit Matters**

4. Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the Consolidated Financial Statements for the year ended 31,March 2025. These matters were addressed in the context of our audit of the Consolidated Financial Statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters. We have determined the matters described below to be the key audit matters to be communicated in our report.

| Key Audit Matters | How our matter was addressed in the audit |
|---|---|
| **Advances – classification and provisioning**<br><br>(Refer Schedule 9. to the Consolidated Financial Statements, read with the Accounting Policy No 5)<br><br>The advances are classified as performing and non-performing advances (NPA) and provisioning thereon is made in accordance with the prudential norms as prescribed by the Reserve Bank of India (RBI). The Bank has implemented complete system driven recognition of advances and their classification in SASCL Application under Core Banking Solution (CBS). The extent of provisioning of NPA under the prudential norms are mainly based on its ageing and recoverability of the underlined security. The same are also reviewed manually based on necessity. | Our audit approach towards advance included an understanding of the Bank's software, circulars, guidelines and directives of the Reserve Bank of India and the Bank's internal instructions and procedures in respect of the assets classification and its provisioning on sample basis and adopted the following audit procedures:<br><br>• Examined on test check basis the efficacy of various internal controls over advances to determine the nature, timing and extent of the substantive procedures and compliance with the observations of the various audits conducted as per the monitoring mechanism of the Bank and RBI Inspection with respect to income recognition, asset classification and provisioning pertaining to these advances. |

| | |
|---|---|
| विवेकपूर्ण मानदंडों के किसी भी अनुचित उपयोग या प्रतिभूति के गलत मूल्य निर्धारण की स्थिति में, क्योंकि प्रतिभूति के मूल्य निर्धारण में उच्च स्तर का अनुमान और निर्णय शामिल होता है, अग्रिमों का वहन मूल्य व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से वस्तुतः गलत तरीके से प्रस्तुत किया सकता है, और समेकित वित्तीय विवरणों में अग्रिमों की राशि की महत्ता को ध्यान में रखते हुए अग्रिमों का वर्गीकरण और इसके प्रावधानीकरण को हमारी लेखा परीक्षा में मुख्य लेखा परीक्षा मामला माना गया है। | • तर्क / डेटा की सटीकता को लागू करने / कार्यान्वयन में त्रुटियों और चूक की पहचान करने और इसके सुधारात्मक कार्रवाई के लिए बैंक के निगरानी तंत्र की समीक्षा की गई।<br><br>• हमारे द्वारा लेखापरीक्षित शाखाओं में मूलभूत प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए, हमने अग्रिम खातों के दस्तावेजीकरण, परिचालन / निष्पादन और निगरानी की समीक्षा की है, ताकि किसी भी अग्रिम खाते में किसी भी अतिदेय, असंतोषजनक आचरण या दुर्बलता का पता लगाया जा सके, जिसमें आरबीआई के मास्टर परिपत्रों / दिशानिर्देशों / न्यायिक घोषणाओं के अनुपालन में नमूना आधार पर वर्गीकरण की जांच शामिल है। इसके लिए हमने अन्य वैधानिक शाखा लेखापरीक्षकों की लेखापरीक्षा रिपोर्टों पर भी भरोसा किया है, जिनके साथ हमने विशिष्ट पत्राचार भी किया है।<br><br>• 'एनपीए वर्गीकरण समाधान के लिए आधारभूत आवश्यकताओं की समीक्षा सहित सीबीएस द्वारा उपयोग किए गए एसएएससीएल एप्लिकेशन (आय निर्धारण और संपत्ति वर्गीकरण समाधान) की समीक्षा पर स्वतंत्र आईटी विशेषज्ञ की रिपोर्ट की समीक्षा की। तदनुसार, हमने एनपीए की पहचान और आय के अनुरूप प्रतिवर्तन तथा प्रावधान सृजन की प्रक्रिया का आकलन और मूल्यांकन किया है। |

| | |
|---|---|
| In the event of any improper application of the prudential norms or consideration of the incorrect value of the security, as the valuation of the security involves high degree of estimation and judgement, the carrying value of the advances could be materially misstated either individually or collectively, and in view of the significance of the amount of advances in the Consolidated Financial Statements the classification of the advances and provisioning thereon has been considered as Key Audit Matter in our audit. | • Reviewed the Bank's monitoring mechanisms to identify errors and omission in applying/ implementation of logic / data integrity and its corrective action.<br><br>• In carrying out substantive procedures at the branches audited by us, we have reviewed the documentations, operations / performance and monitoring of the advance accounts, to ascertain any overdue, unsatisfactory conduct or weakness in any advance account including, examination of classification on sample basis in compliance with the RBI Master Circulars / Guidelines/ Judicial pronouncements Reliance is also placed on Audit Reports of other Statutory Branch Auditors with whom we have also made specific communication.<br><br>• Reviewed the report of independent IT Expert on review of SASCL Application (Income Recognition and Asset Classification solution) used by CBS including the review of "Baseline Requirements for the NPA classification Solution". Accordingly, we have assessed and evaluated the process of identification of NPAs and corresponding reversal of income and creation of provision |

| | |
|---|---|
| | • बैंक की नीतियों और प्रक्रियाओं के अनुसार ऐसे निगरानी तंत्रों के अस्तित्व और प्रभावशीलता का पता लगाने के लिए क्रेडिट ऑडिट, निरीक्षण ऑडिट, जोखिम आधारित आंतरिक ऑडिट, समवर्ती ऑडिट, नियामक ऑडिट की रिपोर्टों की नमूना जांच के आधार पर समीक्षा की गई। |
| **निवेश–मूल्यांकन और गैर–निष्पादित निवेश की पहचान तथा प्रावधानीकरण**<br><br>(लेखा नीति संख्या 4 के साथ पठित समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूची 8 का संदर्भ लें)<br><br>बैंक के निवेश पोर्टफोलियो में सरकारी प्रतिभूतियों, बांड, डिबेंचर, शेयर, प्रतिभूति रसीदें और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश शामिल हैं, जिन्हें तीन श्रेणियों, परिपक्वता तक धारित (एचटीएम), बिक्री के लिए उपलब्ध (एएफएस) और लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीपीएल) में वर्गीकृत किया गया है।<br><br>निवेशों का मूल्यांकन, गैर–निष्पादित निवेशों (एनपीआई) की पहचान और आय का तदनुरूपी गैर–निर्धारण तथा उस पर प्रावधान आरबीआई के संबंधित परिपत्रों/दिशानिर्देशा/निर्देशों के अनुसार किया जाता है।<br><br>उपर्युक्त प्रतिभूति की प्रत्येक श्रेणी (प्रकार) का मूल्यांकन आरबीआई द्वारा जारी परिपत्रों और निर्देशों में निर्धारित पद्धति के अनुसार किया जाना है, जिसमें एफआईएमएमडीए दरें, बीएसई/एनएसई द्वारा उद्धृत दरें, गैर–सूचीबद्ध कंपनियों के वित्तीय विवरण, म्यूचुअल फंड के मामले में एनएवी (NAV) और प्रतिभूति रसीदें आदि जैसे विभिन्न स्रोतों से प्राप्त आंकड़े/सूचना का संग्रह शामिल है। | भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्रों / निदेशों के संदर्भ सहित निवेश के प्रति हमारे लेखा परीक्षा के दृष्टिकोण में आंतरिक नियंत्रण की संरचना, कार्यान्वयन, परिचालन प्रभाव का परीक्षण एवं समीक्षा शामिल की गई है और गैर–निष्पादित निवेशों की पहचान, वर्गीकरण, मूल्यांकन से संबंधित लेखा परीक्षा प्रक्रियाएं, निवेशों से संबंधित प्रावधान/अवमूल्यन भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार हैं।<br><br>• हमने इन निवेशों का उचित मूल्य निर्धारित करने के लिए विभिन्न स्रोतों से जानकारी एकत्र करने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया की समीक्षा और मूल्यांकन किया है।<br><br>• निवेश के चयनित नमूने के लिए (प्रतिभूति की प्रकृति के आधार पर निवेश की सभी श्रेणियों को कवर करते हुए) हमने आरबीआई मास्टर परिपत्रों और निदेशों के साथ सटीकता और अनुपालन का परीक्षण किया है। नमूने का चयन यह सुनिश्चित करने के बाद किया गया था कि निवेश की सभी श्रेणियां (प्रतिभूति की प्रकृति के आधार पर) नमूने में शामिल थीं।<br><br>• हमने एनपीआई की पहचान, और आय के तदनुरूपी रिवर्सल और प्रावधान करने की प्रक्रिया का आकलन और मूल्यांकन किया है। |

| | |
|---|---|
| | • Reviewed on test check basis the reports of the credit audit, inspection audit, risk based internal audit, concurrent audit, regulatory audit to ascertain existence and effectiveness of such monitoring mechanisms as per the policies and procedures of the Bank |
| **Investments – valuation and identification and provisioning for Non-Performing Investments**<br><br>(Refer Schedule 8 to the Consolidated Financial Statements, read with the Accounting Policy No 4)<br><br>Investment portfolio of the bank comprises of Investments in Government Securities, Bonds, Debentures, Shares, Security Receipts and other Approved Securities which are classified under three categories, Held to Maturity (HTM), Available for Sale (AFS) and Fair Value through Profit or Loss (FVTPL)<br><br>Valuation of Investments, identification of Non-performing Investments (NPI) and the corresponding non-recognition of income and provision thereon, is carried out in accordance with the relevant circulars / guidelines / directions of RBI.<br><br>The valuation of each category (type) of aforesaid security is to be carried out as per the methodology prescribed in circulars and directives issued by the RBI which involves collection of data/ information from various sources such as FIMMDA rates, rates quoted on BSE/ NSE, financial statements of unlisted companies, NAV in case of mutual funds | Our audit approach towards Investments with reference to the RBI circulars / directives included the review and testing of the design, implementation, operating effectiveness of internal controls and audit procedures in relation to valuation, classification, identification of Non-Performing Investments, provisioning / depreciation related to Investments as per RBI guidelines.<br><br>• We reviewed and evaluated the process adopted for collection of information from various sources for determining fair value of these investments.<br><br>• For the selected sample of investments in hand, we tested accuracy and compliance with the RBI Master Circulars and directions by re-performing valuation for each category of security. Samples were selected after ensuring that all the categories of investments (based on nature of security) were covered in the sample<br><br>• We assessed and evaluated the process of identification of NPIs, and corresponding reversal of income and creation of provision. |

| | |
|---|---|
| कुछ निवेश मूल्यांकन पद्धतियों पर आधारित होते हैं जिनमें अंतर्निहित धारणाओं सहित सांख्यिकीय मॉडल, वित्तीय विवरणों पर आधारित मूल्यांकन के लिए मूल्य का निर्धारण आदि शामिल होते हैं।<br><br>इसलिए, इन निवेशों के मूल्यांकन के लिए निर्धारित की गई कीमत सही द्योतक नहीं हो सकती, लेकिन आज तक के निवेशों का एक निष्पक्ष निर्धारण हो सकता है। इसलिए निवेश के मूल्यांकन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है और आगे वित्तीय विवरणों में निवेश की राशि के महत्व को देखते हुए, उक्त को हमारे लेखापरीक्षा में मुख्य लेखा परीक्षा मामला माना गया है। | • हमने आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार विभिन्न श्रेणियों में निवेशों के वर्गीकरण के लिए बैंक द्वारा अपनाई गई कार्यप्रणाली को समझा और उसकी समीक्षा की।<br><br>• हमने आरबीआई के परिपत्रों और निर्देशों के अनुसार बनाए रखने के लिए प्रावधान और प्रदान किए जाने वाले मूल्यह्रास को स्वतंत्र रूप से पुनर्गणना करने के लिए मूल लेखा परीक्षा प्रक्रियाएं कीं। तदनुसार, हमने प्रत्येक श्रेणी के निवेशों से नमूने चुने और आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार एनपीआई के लिए परीक्षण किया और एनपीआई के उन चयनित नमूनों के लिए आरबीआई परिपत्र के अनुसार बनाए रखने के लिए प्रावधान की पुनर्गणना की। |
| **सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) का आकलनः**<br><br>आईआरएसी मानदंडों सहित आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुपालन में लेनदेन की रिकॉर्डिंग, विभिन्न रिपोर्ट तैयार करने के संबंध में आईटी नियंत्रण।<br><br>नियामकों आदि का अन्य अनुपालन, प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण भाग है। इस तरह की रिपोर्टिंग कोर बैंकिंग सॉफ्टवेयर और अन्य संबद्ध प्रणालियों के प्रभावी रूप से कार्य करने पर निर्भर है।<br><br>हमने इसे मुख्य लेखा परीक्षा माना है क्योंकि नियंत्रण में किसी भी चूक, सत्यापन विफलताएं, गलत इनपुट डेटा और गलत डेटा निकालने के परिणामस्वरूप प्रबंधन और विनियामकों को डेटा की गलत रिपोर्टिंग हो सकती है। | **हमारे लेखापरीक्षा दृष्टिकोण में निम्नलिखित शामिल हैं: –**<br><br>• विभिन्न श्रेणियों के ग्राहकों के लिए बैंक द्वारा अपनाए गए कोडिंग सिस्टम को समझना<br><br>• बैंक के आईटी नियंत्रणों के डिजाइन, कार्यान्वयन और परिचालन प्रभावशीलता की समीक्षा करना, जिसमें एप्लिकेशन, अभिगम नियंत्रण शामिल है, जो नमूना जाँच के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए महत्वपूर्ण हैं।<br><br>• सिस्टम में डेटा की फीडिंग को समझना और बैंक में मौजूद आईटी सिस्टम से वित्तीय जानकारी और विवरणों को निकालना।<br><br>• बैंक के विनियमों/नीति में किसी भी बदलाव के कारण उपयोगकर्ता की आवश्यकताओं की जाँच करना। |

| | |
|---|---|
| & security receipts etc. Certain investments are based on the valuation methodologies that include statistical models with inherent assumptions, assessment of price for valuation based on financial statements etc.<br><br>Hence, the price discovered for the valuation of these Investments may not be the true representative but only a fair assessment of the Investments as on date. Hence the valuation of Investments requires special attention and further in view of the significance of the amount of Investments in the financial statements the same has been considered as Key Audit Matter in our audit. | • We understood and reviewed the methodology adopted by the Bank for classification of investments into various categories as per RBI guidelines<br><br>• We carried out substantive audit procedures to recompute independently the provision to be maintained and depreciation to be provided in accordance with the circulars and directives of the RBI. Accordingly, we selected samples from the investments of each category and tested for NPIs as per the RBI guidelines and recomputed the provision to be maintained in accordance with the RBI Circular for those selected sample of NPIs |
| **Assessment of Information Technology (IT):**<br><br>IT controls with respect to recording of transactions, generating various reports in compliance with RBI guidelines including IRAC norms.<br><br>Other regulatory compliances is also an important part of the process. Such reporting is highly dependent on the effective working of Core Banking Software and other allied systems.<br><br>We have considered this as key audit matter as any control lapses, validation failures, incorrect input data and wrong extraction of data may result in wrong reporting of data to the management and regulators | Our audit approach involved: -<br><br>• Understanding the coding system adopted by the Bank for various categories of customers.<br><br>• Reviewed the design, implementation and operating effectiveness of the Bank's IT controls including application, access controls that are critical to financial reporting on test check basis.<br><br>• Understanding the feeding of the data in the system and going through the extraction of the financial information and statements from the IT system existing in the Bank.<br><br>• Checking of the user requirements for any changes in the regulations/ policy of the Bank. |

| | |
|---|---|
| | • सिस्टम द्वारा नमूना आधार पर जनरेट रिपोर्टों की समीक्षा करना। <br> • सीबीएस द्वारा उपयोग किए जाने वाले एसएएससीएल एप्लीकेशन (आय मान्यता और आस्ति वर्गीकरण समाधान) की समीक्षा पर स्वतंत्र आईटी विशेषज्ञ की रिपोर्ट की समीक्षा की गई, जिसमें 'एनपीए वर्गीकरण समाधान के लिए आधारभूत आवश्यकताओं' की समीक्षा भी शामिल है। |
| **मुकदमेबाजी और आकस्मिक देयताएँ** <br> (लेखांकन नीति संख्या 12 के साथ पठित समेकित वित्तीय विवरण की अनुसूची 12 का संदर्भ लें) <br> हमारे लेखापरीक्षा दृष्टिकोण में निम्न शामिल रहेः– <br> प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों सहित कुछ मुकदमों और बैंक द्वारा बाध्यता के रूप में स्वीकार नहीं किए जाने पर अन्य पक्षों द्वारा दायर किए गए विभिन्न अन्य दावों के संबंध में आकस्मिक देनदारियों का आकलन। <br> बैंक का मूल्यांकन, मामले के तथ्यों, उनके स्वयं के निर्णय, पूर्व अनुभव और जहाँ भी आवश्यक समझा गया, कानूनी एवं स्वतंत्र कर सलाहकारों की सलाह, द्वारा समर्थित है। <br> तदनुसार, अप्रत्याशित प्रतिकूल परिणाम बैंक के रिपोर्ट किए गए लाभ और तुलन पत्र को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकते हैं। <br> हमने उपर्युक्त क्षेत्र को मुकदमों के परिणाम से संबंधित अनिश्चितता के मद्देनजर एक मुख्य लेखापरीक्षा मामले के रूप में निर्धारित किया है, जिसे कानून की व्याख्या में निर्णय की प्रयोज्यता की आवश्यकता होती है। <br> तदनुसार, हमारी लेखापरीक्षा तथ्यों का विश्लेषण करने और निर्णय/कानून की व्याख्या के अंतर्गत संबंधित विषय के विश्लेषण पर केंद्रित थी। | **हमारे लेखापरीक्षा दृष्टिकोण में निम्न शामिल रहेः–** <br> • लेखापरीक्षा से संबंधित आंतरिक नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना ताकि हम अपनी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को ऐसी डिजाइन कर सकें जो परिस्थितियों के अनुरूप हों; <br> • कर मुकदमों और आकस्मिक देयताओं की वर्तमान स्थिति को जानना; <br> • विभिन्न कर प्राधिकरणों/न्यायिक मंचों से प्राप्त आदेशों और/या पत्राचार और उस पर अनुवर्ती कार्रवाई की जांच करना; <br> • उसमें प्रस्तुत किए गए आधारों के संदर्भ में और विचाराधीन विषय के गुण–दोष, उपलब्ध स्वतंत्र कानूनी / कर सलाह का मूल्यांकन करना; तथा <br> • जहां भी आवश्यकता हुई, कानूनी और कर सलाहकारों की राय का सहारा लिया गया है। <br> • महत्वपूर्ण मुकदमों और कराधान मामलों से संबंधित प्रकटीकरण का सत्यापन। |

| | |
|---|---|
| | • Reviewed the reports generated by the system on sample basis. <br> • Reviewed the report of independent IT Expert on review of SASCL Application (Income Recognition and Asset Classification solution) used by CBS including the review of "Baseline Requirements for the NPA classification Solution". |
| **Litigation & Contingent Liabilities** <br> (Refer Schedule 12. to the Consolidated Financial Statements, read with the Accounting Policy No 12) <br> Assessment of Contingent liabilities in respect of certain litigations including Direct and Indirect Taxes and various other claims filed by other parties upon the Bank not acknowledged as debts. <br> The Bank's assessment is supported by the facts of matter, their own judgment, past experience, and advice from legal and independent tax consultants wherever considered necessary. <br> Accordingly, unexpected adverse outcomes may significantly impact the Bank's reported profit and the Balance Sheet. <br> We determined the above area as a Key Audit Matter in view of associated uncertainty relating to the outcome of litigations which requires application of judgment in interpretation of law. <br> Accordingly, our audit was focused on analysing the facts of subject matter under consideration and judgments/ interpretation of law involved. | **Our audit approach involved: -** <br> • Obtaining an understanding of internal controls relevant to the audit in order to design our audit procedures that are appropriate in the circumstances; <br> • Going through the current status of the tax litigations and contingent liabilities; <br> • Examining the orders and/or communication received from various Tax Authorities/ Judicial forums and follow up action thereon; <br> • Evaluating the merits of the subject matter under consideration with reference to the grounds presented therein and available independent legal / tax advice; and <br> • Wherever required, reliance is placed on the opinion of legal and tax consultants. <br> • Verification of disclosures related to significant litigations and taxation matters. |

**समेकित वित्तीय विवरण के अतिरिक्त अन्य जानकारी और उस पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट**

5. अन्य जानकारी के लिए बैंक का निदेशक मंडल उत्तरदायी है। अन्य जानकारी में निदेशकों की रिपोर्ट, अनुलग्नक सहित, कॉर्पोरेट अभिशासन रिपोर्ट तथा अन्य रिपोर्ट (किंतु इसमें वित्तीय विवरण और उस पर हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है) शामिल हैं। वित्तीय विवरणों पर हमारे अभिमत में अन्य जानकारी शामिल नहीं है और हम उस पर किसी भी प्रकार के आश्वस्त निष्कर्ष को व्यक्त नहीं करते हैं और न ही करेंगे। वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारा उत्तरदायित्व अन्य सूचनाओं को पढ़ना और ऐसा करने में, यह विचार करना है कि क्या अन्य जानकारी वित्तीय विवरणों या लेखापरीक्षा में प्राप्त हमारी जानकारी के अनुसार वास्तविक रूप से असंगत है या अन्यथा वास्तविक रूप से गलत प्रतीत होती है। यदि, हमारे द्वारा किए गए कार्यनिष्पादन के आधार पर, हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इस अन्य जानकारी के तथ्य गलत विवरण हैं, तो हमें उस तथ्य की रिपोर्ट करना आवश्यक है। इस संबंध में हमारे पास रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है।

**समेकित वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन तथा अभिशासन प्रभारियों के उत्तरदायित्व**

6. बैंक का निदेशक मंडल इन समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में उत्तरदायी है जो आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानकों तथा बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 की धारा 29 के प्रावधानों तथा समय–समय पर भारतीय रिजर्व बैंक ('RBI') द्वारा जारी परिपत्रों तथा दिशानिर्देशों सहित भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुरूप बैंक की वित्तीय स्थिति, वित्तीय कार्यनिष्पादन तथा नकदी प्रवाह का सही एवं निष्पक्ष दृष्टिकोण दर्शाते हैं। इस उत्तरदायित्व में बैंक के आस्तियों की सुरक्षा हेतु तथा धोखाधड़ी से बचाव एवं पता लगाने हेतु तथा अन्य अनियमितताओं हेतु, उचित लेखा नीतियों के चयन एवं आवेदन, निर्णय लेने तथा यह अनुमानित करना कि, ये उचित एवं विवेकपूर्ण हैं; तथा डिजाइन, कार्यान्वयन एवं पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणय जो लेखा अभिलेखों की सटीकता एवं पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से परिचालन कर रहे थे, जो वित्तीय विवरणों की तैयारी एवं प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक है; जो सत्य एवं निष्पक्ष दृष्टि करता है तथा या तो धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण, त्रुटिपूर्ण विवरण से मुक्त हों, ऐसे अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा अभिलेखों के रखरखाव भी शामिल हैं।

वित्तीय विवरणों को तैयार करने में, प्रबंधन, एक कार्यशील संस्थान के रूप में बने रहने के लिए बैंक के सामर्थ्य के मूल्यांकन, प्रकटीकरण, जैसा लागू हो, कार्यशील संस्थान से संबंधित मामले तथा लेखा के आधार पर कार्यशील संस्थान को तब तक उपयोग करने जब तक कि प्रबंधन या तो बैंक का परिसमापन करने या संचालन को बंद

**Information Other than the Financial Statements and Auditor's Report thereon**

5. The Bank's Board of Directors is responsible for the preparation of the other information. The other information comprises the Directors' Report, including annexures, Corporate Governance Report and other reports (but does not include the consolidated financial statements and our auditor's report thereon). Our opinion on the Consolidated Financial Statements does not cover the other information and we do not and will not express any form of assurance conclusion thereon. In connection with our audit of the consolidated financial statements, our responsibility is to read the other information and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the consolidated financial statements or our knowledge obtained in the audit or otherwise appears to be materially misstated. If, based on the work we have performed, we conclude that there is a material misstatement of this other information, we are required to report that fact. We have nothing to report in this regard.

**Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Consolidated Financial Statements**

6. The Bank's Board of Directors is responsible with respect to the preparation of these Consolidated Financial Statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance and cash flows of the Bank in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Accounting Standards issued by ICAI, and provisions of Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 and circulars and guidelines issued by the Reserve Bank of India ('RBI') from time to time. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Bank and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the consolidated financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the consolidated financial statements, management is responsible for assessing the Bank's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either

करने का इरादा नहीं रखता है, या ऐसा करने के अलावा अन्य कोई वास्तविक विकल्प नहीं है, के लिए उत्तरदायी है।

## समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा हेतु लेखा परीक्षकों का उत्तरदायित्व

7. हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि समेकित वित्तीय विवरण समग्र रूप से वास्तविक त्रुटिपूर्ण विवरण से मुक्त है चाहे वह धोखाधडी या त्रुटि के कारण हो और एक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी करना है जिसमें हमारा अभिमत शामिल हो। उचित आश्वासन एक उच्च स्तर का आश्वासन है परंतु यह गारंटी नहीं है कि लेखामानको (SAs) के अनुसार की गई लेखा परीक्षा सदैव ही त्रुटिपूर्ण विवरण का पता लगाएगी, जब यह मौजूद हो। धोखाधडी या त्रुटि से त्रुटिपूर्ण विवरण सुजित हो सकता है तथा यदि वैयक्तिक रूप से या समग्र रूप से इसे सही विवरणी माना जाता है. तो इन एकल वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों के प्रभावित होने की अपेक्षा की जा सकती है। लेखामानको (SAs) के अनुसार लेखा परीक्षा के एक हिस्से के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरी लेखा परीक्षा के दौरान पेशेवर संदेह बनाए रखते हैं। साथ ही हम :

- समेकित वित्तीय विवरणों के वास्तविक त्रुटिपूर्ण विवरण के जोखिमों की पहचान एवं मूल्यांकन करना, चाहे वो धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हों. उन जोखिमों के प्रति उत्तरदायी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन एवं निष्पादित करना, एवं लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करना जो हमारे अभिमत के लिए आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त तथा उपयुक्त हो। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप होने वाले त्रुटिपूर्ण विवरण का पता नहीं लगाने का जोखिम त्रुटि से उत्पन्न होने वाली अशुद्धि की तुलना में अधिक है. क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, इरादतन चूक, गलतबयानी या आंतरिक नियंत्रण की अवहेलना शामिल हो सकती है।
- परिस्थितियों के अनुरूप लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के लिए लेखापरीक्षा से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करें, जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक के पत्र DOS.ARG.No.6270/08.91.001/2019-20 दिनांक 17 मार्च, 2020 (संशोधित) द्वारा अपेक्षित है, हम इस बारे में अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या मूल कंपनी के पास वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण हैं और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता है।
- उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता तथा निदेशक मंडल द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों एवं संबंधित प्रकटीकरण की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करना।
- लेखांकन के आधार पर कार्यशील संस्थान के प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष एवं, प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर, कि क्या घटनाओं या स्थितियों से संबंधित किसी विवरण में अनिश्चितता मौजूद है जो कार्यशील संस्था के रूप में संचालन जारी रखने की बैंक की क्षमता पर उल्लेखनीय संदेह पैदा कर सकती है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि एक उल्लेखनीय अनिश्चितता मौजूद है. तो हमारे अभिमत को बदलने के लिए वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरणों या यदि ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त है, के लिए हमारे लेखा परीक्षकों का ध्यान आकर्षित करने की आवश्यकता है। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं। हालांकि, भविष्य की घटनाओं या स्थितियों के कारण बैंक कार्यशील संस्था के रूप में संचालन बंद कर सकता है।

intends to liquidate the Bank or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

## Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements

7. Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements. As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, As required by the Reserve Bank of India's letter DOS.ARG.No.6270/08.91.001/2019-20 dated March 17, 2020 (as amended), we are also responsible for expressing our opinion on whether the Parent has adequate internal financial controls with reference to financial statements in place and the operating effectiveness of such controls.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by the Board of Directors.
- Conclude on the appropriateness of Board of Director's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Bank's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the bank to cease to continue as a going concern.

- प्रकटीकरण सहित समेकित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना एवं सामग्री का मूल्यांकन करना, और क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेनों तथा घटनाओं को इस तरह से दर्शाते हैं जो निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त करते हैं।
- समेकित वित्तीय विवरणों पर अभिमत व्यक्त करने के लिए समूह और उसके सहयोगियों के भीतर संस्थाओं के समेकित वित्तीय परिणामों/वित्तीय जानकारी के संबंध में पर्याप्त उपयुक्त लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करना। हम समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल ऐसी संस्थाओं की वित्तीय जानकारी के निर्देशन, पर्यवेक्षण और लेखापरीक्षा के कार्यनिष्पादन के लिए उत्तरदायी हैं, जिनके हम स्वतंत्र लेखापरीक्षक हैं। समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल अन्य संस्थाओं के लिए, जिनकी लेखापरीक्षा अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा की गई है. ऐसे अन्य लेखा परीक्षक उनके द्वारा किए गए लेखा परीक्षा के निर्देशन, पर्यवेक्षण और कार्यनिष्पादन के लिए उत्तरदायी हैं। हम अपनी लेखापरीक्षा अभिमत के लिए पूर्णतः उत्तरदायी हैं।

  वास्तविकता वित्तीय विवरणों में त्रुटिपूर्ण विवरणों की महत्ता है, जो वैयक्तिक रूप से या समग्र रूप से, यह संभव बनाता है कि वित्तीय विवरणों की यथोचित जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित कर सकते हैं। हम (i) हमारे लेखापरीक्षा कार्य की संभाव्यता की योजना बनाने और हमारे कार्य के परिणामों का मूल्यांकन करने; और (ii) वित्तीय विवरणों में किसी पहचानी गई त्रुटिपूर्ण सामग्री के प्रभाव का मूल्यांकन करने में मात्रात्मक वास्तविकता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं।

  हम अन्य मामलों के मध्य आंतरिक नियंत्रण में किसी भी महत्वपूर्ण कमियों सहित, जिन्हें हम अपनी लेखापरीक्षा के दौरान पहचानते हैं. लेखापरीक्षा के नियोजित दायरे एवं समय तथा महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों के विषय में, अभिशासन प्रभारियों के साथ संवाद करते हैं।

  हम अभिशासन प्रभारियों को यह विवरण भी प्रदान करते हैं जो हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है, एवं उनके साथ उन सभी संबंधों तथा अन्य मामलों के बारे में संवाद करने हेतु जो उचित रूप से हमारी स्वतंत्रता, और जहां लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपायों पर तर्कसंगत रूप से विचार कर सकते हैं।

  अभिशासन प्रभारियों के साथ संप्रेषित मामलों से, हम उन मामलों का निर्धारण करते हैं जो वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे और इसलिए प्रमुख लेखापरीक्षा मामले हैं। हम अपने लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में इन मामलों का वर्णन करते हैं जब तक कि विधि या विनियमन मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण को रोकता नहीं है या जब, अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि किसी मामले को हमारी रिपोर्ट में संप्रेषित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के प्रतिकूल परिणाम ऐसे संचार के सार्वजनिक हित लाभों से अधिक हो सकते हैं।

**अन्य मामले**

8. संलग्न समेकित वित्तीय विवरणों में निम्नलिखित के संबंध में लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण और अन्य वित्तीय जानकारी शामिल है:

- Evaluate the overall presentation, structure and content of the consolidated financial statements, including the disclosures, and whether the consolidated financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.
- Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the consolidated financial results/financial information of the entities within the Group and its associates to express an opinion on the consolidated financial statements. We are responsible for the direction, supervision and performance of the audit of financial information of such entities included in the consolidated financial statements of which we are the independent auditors. For the other entities included in the consolidated financial statements, which have been audited by other auditors, such other auditors remain responsible for the direction, supervision and performance of the audits carried out by them. We remain solely responsible for our audit opinion.

  Materiality is the magnitude of the misstatements in the statements that, individually or aggregate, makes it probable that the economic decisions of a reasonably knowledgeable user of the financial statements may be influenced. We consider quantitative materiality and qualitative factors in; (i) planning of the scope of our audit work and evaluating the results of our work; and (ii) to evaluate the effect of any identified misstatement in the consolidated financial statements.

  We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

  We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards

  From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

**Other Matter**

8. The accompanying consolidated financial statements includes the audited financial statements and other financial information, in respect of:

तीन समनुषंगियां अर्थात (i) ड्रुक पीएनबी बैंक लिमिटेड, भूटान (ii) पीएनबी गिल्ट्स लिमिटेड, (iii) पीएनबी कार्ड्स एंड सर्विसेज लिमिटेड जिनके वित्तीय विवरण और वित्तीय जानकारी 31 मार्च, 2025 तक रुपये 27,735.51 करोड की कुल आस्तियां दर्शाती है, रुपये 1,929.87 करोड़ का कुल राजस्व एवं कर के बाद कुल निवल लाभ/(हानि) में समूह का रुपये 182.30 करोड का हिस्सा उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए इसके संबधित स्वतंत्र लेखा परीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा की गई है, जिनकी रिपोर्ट हमें प्रस्तुत की गई है और हमारा अभिमत केवल उक्त लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है।

छः (6) घरेलू सहयोगी कंपनी जिनके वित्तीय परिणामों/विवरणों में कर के बाद निवल लाभ में समूह का हिस्सा रु. 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए क्रमशः रु. 750.15 करोड जैसा कि समेकित वित्तीय विवरणों में माना गया है. जिनके वित्तीय परिणाम/वित्तीय विवरण अन्य वित्तीय जानकारी उनके संबंधित स्वतंत्र लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षा की गई है. जिनकी लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है. और हमारा अभिमत उक्त लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर पूर्णतः आधारित है।

31 मार्च, 2024 को समाप्त गत वर्ष के लिए बैंक के समेकित वित्तीय परिणामों की संयुक्त लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षा की गई थी. उनमें से तीन पूर्ववर्ती लेखा परीक्षक फर्म हैं और उन्होंने 09 मई. 2024 की रिपोर्ट के माध्यम से ऐसे वित्तीय परिणामों पर असंशोधित राय व्यक्त की है।

9. संलग्न समेकित वित्तीय विवरणों में निम्नलिखित के संबंध में अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम/विवरण और अन्य अलेखापरीक्षित वित्तीय जानकारी शामिल हैं:

- दो (02) समनुषंगी अर्थात (1) पंजाब नैशनल बैंक (इंटरनेशनल) लिमिटेड (ii) पीएनबी इन्वेस्टमेंट सर्विसेज लिमिटेड जिसके वित्तीय विवरण/वित्तीय जानकारी 31 मार्च, 2025 तक रुपये 9859.29 करोड़ की कुल आस्तियां दर्शाती है, रुपये 640.60 करोड़ का कुल राजस्व तथा उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए कर के बाद कुल निवल लाभ का हिस्सा 202.77 करोड़ रुपये है जिसे बैंक के प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत किया गया है।
- एक (01) विदेशी सहयोगी कंपनी जिसके वित्तीय परिणामों / विवरणों में 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए क्रमशः रुपये 55.29 करोड़ के कर के बाद निवल लाभ/(हानि) का समूह का हिस्सा शामिल है, जैसा कि समेकित वित्तीय विवरणों में माना गया है. जिनके वित्तीय परिणाम/वित्तीय विवरण, अन्य वित्तीय जानकारी बैंक के प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत की गई है।
- सात (07) घरेलू सहयोगी कंपनी जिनके वित्तीय परिणाम/ विवरणों में 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए ₹307.54 करोड़ रुपये का कर के बाद शुद्ध लाभ / (हानि) में समूह का हिस्सा शामिल है. जैसा कि समेकित वित्तीय विवरणों में माना गया है, जिनके वित्तीय परिणाम / वित्तीय विवरण, अन्य वित्तीय जानकारी बैंक के प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत की गई है।

Three (03) subsidiaries viz. (i) Druk PNB Bank Limited, Bhutan (ii) PNB Gilts Limited, and (iii) PNB Cards and Services Limited whose financial statements / financial information reflect total assets of Rs. Rs. 27,735.51 crores as at 31st March 2025, total revenues of Rs. 1,929.87crore, and the Group's share of total net profit/(loss) after tax of Rs.182.30 crore for the year ended on that date have been audited by its respective independent auditor whose reports have been furnished to us, and our opinion is based solely on the reports of the said auditors.

Six (6) domestic associates whose financial results/ statements include Group's share of net profit after tax of Rs. 750.15 crore for the year ended 31st March 2025 respectively, as considered in the consolidated financial statements whose financial results/financial statements, other financial information has been audited by their respective independent auditors whose audit reports have been furnished, and our opinion is based solely on the reports of the said auditors.

The Consolidated Financial results of the Bank for the previous year ended 31st March, 2024 were audited by the joint auditors, two of them are predecessor audit firms and have expressed unmodified opinion on such financial results vide report dated May 9, 2024.

9. The accompanying consolidated financial statements includes the unaudited financial results/statements and other unaudited financial information, in respect of:

- Two (02) subsidiary viz. (i) Punjab National Bank (International) Ltd. And (ii) PNB investment services ltd. whose financial statements / financial information reflect total assets of Rs. 9859.29 crores as at 31st March, 2025, total revenues of Rs. 640.60 crores and share of total net profit after tax of Rs. 202.77 crores for the year ended on that date have been furnished by the management of the Bank.
- One (01) foreign associate whose financial results/ statements include Group's share of net profit/ (loss) after tax of Rs. 55.29 crores for the year ended 31st March 2025 respectively, as considered in the Consolidated Financial Statements whose financial results/financial statements, other financial information has been furnished by the management of the Bank.
- Seven (07) domestic associate whose financial results/ statements include Group's share of net profit/ (loss) after tax of Rs. 307.54 crores for the year ended 31st March 2025 respectively, as considered in the Consolidated Financial Statements whose financial results/financial statements, other financial information has been furnished by the management of the Bank.

हमारे अभिमत में एवं निदेशक मंडल द्वारा हमें दी गई जानकारी तथा स्पष्टीकरण के अनुसार, ये वित्तीय विवरण/वित्तीय परिणाम / वित्तीय जानकारी समूह के लिए महत्वपूर्ण नहीं है।

उपर्युक्त मामलों के संबंध में विवरण पर हमारा अभिमत संशोधित नहीं है।

**अन्य सांविधिक एवं नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट**

10. तुलन पत्र एवं लाभ और हानि लेखा बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के अनुसार तैयार किया गया है;

11. उपर्युक्त 8 से 9 पैराग्राफ में इंगित लेखापरीक्षा की सीमाओं के अधीन तथा बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 की आवश्यकतानुसार और इसके अंतर्गत आवश्यक प्रकटीकरण की सीमाओं के भी अधीन, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

    ए. हमने सभी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं, जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, हमारी लेखापरीक्षा के उद्देश्यों के लिए आवश्यक थे और उन्हें संतोषजनक पाया गया है:

    बी. बैंक के लेन–देन, जो हमारे संज्ञान में आए हैं, बैंक की शक्तियों के अंतर्गत हुए हैं; और

    सी. बैंक के कार्यालयों एवं शाखाओं से प्राप्त रिटर्न को हमारी लेखापरीक्षा के उद्देश्यों के लिए पर्याप्त पाया गया है और

12. आरबीआई द्वारा जारी 19 मई, 2020 के अनुवर्ती पत्र के साथ पठित, 17 मार्च 2020 के पत्र क्रमांक डीओएस. एआरजी. सं. 6270/08. 91.001/2019–20 द्वारा यथा अपेक्षित, ''सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षकों (एससीए) की नियुक्ति वित्त वर्ष 2019–20 से एससीए के लिए रिपोर्टिंग दायित्व हम उपर्युक्त पत्र के पैराग्राफ 2 में निर्दिष्ट मामलों पर आगे रिपोर्ट करते हैं:

    ए. हमारे अभिमत में. उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरण, आईसीएआई द्वारा जारी लागू लेखा मानकों का उस सीमा तक अनुपालन करते हैं, जिस सीमा तक वे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित लेखांकन नीतियों के साथ असंगत नहीं होते हैं।

    बी. वित्तीय लेनदेनों या मामलों पर ऐसा कोई अवलोकन या टिप्पणी नहीं है जिसका बैंक की कार्यक्षमता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो।

    सी. चूंकि बैंक कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत पंजीकृत नहीं है. अतः कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 की उप–धारा (2) के अनुसार बैंक के निदेशक होने की अयोग्यता बैंक पर लागू नहीं होती है।

    डी. खातों के रखरखाव और बैंक से जुड़े अन्य मामलों से संबंधित कोई योग्यता, आरक्षण या प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की गई है।

In our opinion and according to the information and explanations given to us by the Board of Directors, these financial statements / financial results/ financial information are not material to the Group.

Our opinion on the Statement is not modified in respect of the above matters.

**Report on Other Legal and Regulatory Requirements**

10. The Balance Sheet and the Profit and Loss Account have been drawn up in accordance with Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949;

11. Subject to the limitations of the audit indicated in paragraphs 8 and 9 above and as required by the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980, and subject also to the limitations of disclosure required therein, we report that:

    a) We have obtained all the information and explanations which, to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purposes of our audit and have found them to be satisfactory;

    b) The transactions of the Bank, which have come to our notice, have been within the powers of the Bank;

    c) The returns received from the offices and branches of the Bank have been found adequate for the purposes of our audit; and

12. As required by letter No. DOS.ARG. No.6270/08.91.001/2019-20 dated March 17, 2020 on “Appointment of Statutory Central Auditors (SCAs) in Public Sector Banks – Reporting obligations for SCAs from FY 2019-20”, read with subsequent communication dated May 19, 2020 issued by the RBI, we further report on the matters specified in paragraph 2 of the aforesaid letter as under:

    a) In our opinion, the aforesaid Consolidated Financial Statements comply with the applicable Accounting Standards issued by ICAI, to the extent they are not inconsistent with the accounting policies prescribed by the RBI.

    b) There are no observations or comments on financial transactions or matters which have any adverse effect on the functioning of the Bank.

    c) As the Bank is not registered under the Companies Act, 2013 the disqualification from being a director of the bank under sub-section (2) of section 164 of the Companies Act, 2013 do not apply to the Bank.

    d) There are no qualifications, reservations or adverse remarks relating to the maintenance of accounts and other matters connected therewith of the Bank.

ई. वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण समेकित वित्तीय विवरण पर लागू नहीं होता है।

**हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि:**

ए. हमारे अभिमत में, बैंक ने विधि द्वारा अपेक्षित रूप से बहियों को रखा है। जैसाकि यह हमारी उन बहियों की जांच से प्रकट होता है और हमारे द्वारा संपर्क नहीं की गई शाखाओं से हमारी लेखापरीक्षा के उद्देश्यों के लिए पर्याप्त उचित विवरणियाँ प्राप्त की गई हैं।

बी. इस रिपोर्ट द्वारा अवलोकित तुलन पत्र, लाभ एवं हानि लेखा और नकदी प्रवाह की विवरणियाँ, लेखा बही के साथ और हमारे द्वारा दौरा नहीं की गई शाखाओं से प्राप्त विवरणियों के साथ मेल खाती हैं;

सी. बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के अंतर्गत बैंक के शाखा लेखा–परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित शाखा कार्यालयों की रिपोर्ट हमें भेज दी गई हैं और इस रिपोर्ट को तैयार करने में हमारे द्वारा पर्याप्त ध्यान रखा गया है; और

डी. हमारे अभिमत में, तुलन पत्र, लाभ एवं हानि लेखा और नकदी प्रवाह का विवरण लागू लेखांकन मानकों का उस सीमा तक अनुपालन करता है जब तक कि वे आरबीआई द्वारा निर्धारित लेखांकन नीतियों के साथ असंगत नहीं होते।

e) The Bank's internal financial controls over financial reporting is not applicable on the Consolidated Financial Statement.

**We further report that:**

a. In our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Bank so far as it appears from our examination of those books and proper returns adequate for the purposes of our audit have been received from branches/offices not visited by us;

b. The Balance Sheet, the Profit and Loss Account and the Cash Flow Statement dealt with by this report are in agreement with the books of account and with the returns received from the branches/offices not visited by us;

c. The reports on the accounts of the branches/ offices audited by branch auditors of the Bank under section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 have been sent to us and have been properly dealt with by us in preparing this report; and

d. In our opinion, the Balance Sheet, the Profit and Loss Account and the Cash Flow Statement comply with the applicable accounting standards, to the extent they are not inconsistent with the accounting policies prescribed by RBI.

**कृते उम्मेद जैन एंड कंपनी**
**For Ummed Jain & Co.**
**सनदी लेखाकार**
**Chartered Accountants**
**एफआरएन: 119250W**
**FRN: 119250W**

**कृते एन.के. भार्गव एंड कंपनी**
**For N K Bhargava & Co.**
**सनदी लेखाकार**
**Chartered Accountants**
**एफआरएन: 000429एन**
**FRN: 000429N**

**कृते पी एस डी एवं एसोसिएट्स**
**For P S D & Associates**
**सनदी लेखाकार**
**Chartered Accountants**
**एफआरएन: 004501सी**
**FRN: 004501C**

सनदी लेखाकार यूएम जैन
**CA U.M. Jain**
भागीदार
**Partner**
(सदस्य सं. 070863)
**(M.No. 070863)**
यूडीआईएन: **25070863BMLFQB8179**
**UDIN: 25070863BMLFQB8179**

सनदी लेखाकार एनके भार्गव
**CA N K Bhargava**
भागीदार
**Partner**
(सदस्य सं. 080624)
**(M.No.080624)**
यूडीआईएन: **25080624BMLCPX873**
**UDIN: 25080624BMLCPX8736**

सनदी लेखाकार अभिनव शर्मा
**CA Abhinav Sharma**
भागीदार
**Partner**
(सदस्य सं. 411219)
**(M.No. 411219)**
यूडीआईएन: **25411219BMOICF6397**
**UDIN: 25411219BMOICF6397**

कृते प्रेम गुप्ता एंड कंपनी
**For Prem Gupta & Co.**
सनदी लेखाकार
**Chartered Accountants**
एफआरएन: 000425एन
**FRN: 000425N**

कृते पीए एवं एसोसिएट्स
**For P A & Associates**
सनदी लेखाकार
**Chartered Accountants**
एफआरएन: 313085ई
**FRN: 313085E**

सनदी लेखाकार प्रेम बिहारी गुप्ता
**CA Prem Behari Gupta**
भागीदार
**Partner**
(सदस्य सं. 080245)
**(M.No. 080245)**
यूडीआईएन: **25080245BMOYUW2169**
**UDIN: 25080245BMOYUW2169**

सनदी लेखाकार पीएस पांडा
**CA P.S. Panda**
भागीदार
**Partner**
(सदस्य सं. 051092)
**(M.No. 051092)**
यूडीआईएन: **25051092BNUJPM7419**
**UDIN: 25051092BNUJPM7419**

स्थान: नई दिल्ली
**Place: New Delhi**
दिनांक: 7 मई 2025
**Date: 07 May 2025**

## पंजाब नैशनल बैंक–31 मार्च 2025 तक समेकित तुलन पत्र
## PUNJAB NATIONAL BANK-CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS ON MARCH 31, 2025

(रु. करोड़ में) (Rs. in Crore)

| विवरण<br>Particulars | अनुसूची<br>Schedule | 31.03.2025 को<br>As on 31.03.2025 | 31.03.2024 को<br>As on 31.03.2024 |
|---|---|---|---|
| **पूंजी और देयताएं**<br>**CAPITAL AND LIABILITIES** | | | |
| पूंजी<br>Capital | 1 | 2298.59 | 2202.20 |
| आरक्षित निधि और अधिशेष<br>Reserves and Surplus | 2 | 130839.37 | 108184.53 |
| अल्पांश ब्याज<br>Minority Interest | 2A | 628.43 | 560.77 |
| जमाराशि<br>Deposits | 3 | 1577019.88 | 1379225.24 |
| उधार राशि<br>Borrowings | 4 | 105806.55 | 72585.62 |
| अन्य देयताएं और प्रावधान<br>Other Liabilities and Provisions | 5 | 40950.81 | 35877.60 |
| **कुल TOTAL** | | **1857543.63** | **1598635.96** |
| **आस्तियां**<br>**ASSETS** | | | |
| भारतीय रिजर्व बैंक के पास नकदी और शेष<br>Cash and Balances with Reserve Bank of India | 6 | 64389.22 | 65325.13 |
| बैंकों में शेष राशि तथा मांग और अल्प सूचना पर देय राशि<br>Balances with banks and money at call and short notice | 7 | 86370.36 | 66075.06 |
| निवेश<br>Investments | 8 | 524840.31 | 446421.27 |
| अग्रिम<br>Advances | 9 | 1086273.14 | 941762.47 |
| अचल आस्तियां<br>Fixed Assets | 10 | 13083.30 | 12347.84 |
| अन्य आस्तियां<br>Other Assets | 11 | 82587.30 | 66704.19 |
| समेकन पर गुडविल<br>Goodwill on Consolidation | | | |
| **कुल TOTAL** | | **1857543.63** | **1598635.96** |
| आकस्मिक देयताएं<br>Contingent Liabilities | 12 | 654196.64 | 224540.02 |
| वसूली के लिए बिल<br>Bills for Collection | | 39512.92 | 36019.12 |
| महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और लेखों पर टिप्पणियाँ<br>Significant Accounting Policies and Notes on Accounts | 18 | | |

अनुसूची 1 से 18 लेखाओं का अभिन्न अंग हैं।
The Schedules 1 to 18 form an integral part of the Accounts.

प्रबुद्ध शर्मा
**Prabudh Sharma**
सहायक महाप्रबंधक
**Asstt. General Manager**

आर के खीची
**R K Khichi**
उप महाप्रबंधक
**Deputy General Manager**

प्रवीण कुमार शर्मा
**Praveen Kumar Sharma**
महाप्रबंधक
**General Manager**

महेश धवन
**Mahesh Dhawan**
महाप्रबंधक
**General Manager**

डी के जैन
**D K Jain**
मुख्य महाप्रबंधक और सीएफओ
**Chief General Manager & CFO**

डी. सुरेंद्रन
**D. Surendran**
कार्यपालक निदेशक
**Executive Director**

एम परमशिवम
**M Paramasivam**
कार्यपालक निदेशक
**Executive Director**

कल्याण कुमार
**Kalyan Kumar**
कार्यपालक निदेशक
**Executive Director**

अशोक चंद्र
**Ashok Chandra**
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी
**Managing Director & CEO**

के जी अनंतकृष्णन
**K G Ananthakrishnan**
अध्यक्ष
**Chairman**

अम्बरीश ओझा
**Ambarish Ojha**
निदेशक
**Director**

जतिंदर सिंह बजाज
**Jatinder Singh Bajaj**
निदेशक
**Director**

पंकज शर्मा
**Pankaj Sharma**
निदेशक
**Director**

कृते उमेद जैन एंड कंपनी
**For Ummed Jain & Co.**
सनदी लेखाकार
**Chartered Accountants**
एफआरएन/**FRN: 119250W**

सनदी लेखाकार यूएम जैन
**CA U.M. Jain**
भागीदार
**Partner**
(सदस्य सं./**M.No. 070863)**

कृते एन.के. भार्गव एंड कंपनी
**For N K Bhargava & Co.**
सनदी लेखाकार
**Chartered Accountants**
एफआरएन/**FRN: 000429N**

सनदी लेखाकार एन के भार्गव
**CA N K Bhargava**
भागीदार
**Partner**
(सदस्य सं./**M.No.080624)**

कृते पी एस डी एंड एसोसिएट्स
**For P S D & Associates**
सनदी लेखाकार
**Chartered Accountants**
एफआरएन/**FRN: 004501C**

सनदी लेखाकार अभिनव शर्मा
**CA Abhinav Sharma**
भागीदार
**Partner**
(सदस्य सं./**M.No. 411219)**

कृते प्रेम गुप्ता एंड कंपनी
**For Prem Gupta & Co.**
सनदी लेखाकार
**Chartered Accountants**
एफआरएन/**FRN: 000425N**

सनदी लेखाकार प्रेम बिहारी गुप्ता
**CA Prem Behari Gupta**
भागीदार
**Partner**
(सदस्य सं./**M.No.080245)**

कृते पी ए एंड एसोसिएट्स
**For P A & Associates**
सनदी लेखाकार
**Chartered Accountants**
एफआरएन/**FRN: 313085E**

सनदी लेखाकार पीएस पांडा
**CA P. S. Panda**
भागीदार
**Partner**
(सदस्य सं./**M.No. 051092)**

स्थानः नई दिल्ली
**Place: New Delhi**
दिनांकः 7 मई, 2025
**Date: May 07, 2025**

# पंजाब नैशनल बैंक–31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ और हानि खाता
# PUNJAB NATIONAL BANK-CONSOLIDATED PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2025

(रु. करोड़ में) (Rs. in Crore)

| विवरण<br>Particulars | अनुसूची<br>Schedule | 31.03.2025 को समाप्त वर्ष<br>Year ended 31.03.2025 | 31.03.2024 को समाप्त वर्ष<br>Year ended 31.03.2024 |
|---|---|---|---|
| **I. आय**<br>**I. INCOME** | | | |
| अर्जित आय<br>Interest earned | **13** | 124009.85 | 109064.58 |
| अन्य आय<br>Other income | **14** | 16446.96 | 13329.43 |
| **कुल / TOTAL** | | **140456.81** | **122394.01** |
| **II. व्यय**<br>**II. EXPENDITURE** | | | |
| व्यय किया गया ब्याज<br>Interest expended | **15** | 80703.84 | 68534.16 |
| परिचालन व्यय<br>Operating expenses | **16** | 32550.46 | 28808.98 |
| प्रावधान और आकस्मिकताएं<br>Provisions and contingencies | | 9762.88 | 16721.96 |
| **कुल / TOTAL** | | **123017.18** | **114065.10** |
| सहयोगी संस्थाओं में अर्जन का अंश (निवल)<br>Share of earnings in Associates (net) | **17** | 1112.98 | 828.24 |
| अल्पांश हित में कटौती से पहले वर्ष के लिए समेकित लाभ / (हानि)<br>Consolidated Profit/(Loss) for the year before deducting Minorities' Interest | | 18552.61 | 9157.15 |
| घटाएं: अल्पांश हित<br>Less : Minorities Interest | | 72.32 | 49.95 |
| **समूह के लिए स्त्रोतजन्य अवधि हेतु समेकित लाभ / (हानि)**<br>**Consolidated Profit/(loss) for the period attributable to the group** | | **18480.29** | **9107.20** |
| जोड़ें: समूह के लिए स्त्रोतजन्य समेकित लाभ / (हानि)<br>Add: Brought forward consolidated profit/(loss) attributable to the group | | 3971.57 | 3280.03 |
| **विनियोजन हेतु उपलब्ध लाभ**<br>**Profit available for Appropriation** | | **22451.86** | **12387.23** |

(रु. करोड़ में) (Rs. in Crore)

| विवरण<br>Particulars | अनुसूची<br>Schedule | 31.03.2025 को समाप्त वर्ष<br>Year ended 31.03.2025 | 31.03.2024 को समाप्त वर्ष<br>Year ended 31.03.2024 |
|---|---|---|---|
| **III. विनियोजन**<br>**III. APPROPRIATIONS** | | | |
| सांविधिक आरक्षित निधि में अंतरण<br>Transfer to Statutory Reserves | | 4192.07 | 2091.66 |
| पूंजी आरक्षित निधि में अंतरण<br>Transfer to Capital Reserves | | 474.20 | 46.28 |
| निवेश उतार–चढ़ाव आरक्षित निधि में अंतरण<br>Transfer to Investment Fluctuation Reserve | | 1049.66 | 288.95 |
| अन्य आरक्षित निधि में अंतरण<br>Transfer to Other Reserves | | 6007.43 | 3935.56 |
| आयकर अधिनियम के अनुसार विशेष आरक्षित निधि में अंतरण<br>Transfer to Special Reserves as per Income Tax Act | | 1700.00 | 401.56 |
| प्रस्तावित लाभांश<br>Proposed Dividend | | 3332.95 | 1651.65 |
| समेकित तुलन पत्र में अंतरित की गई शेष राशि<br>Balance carried over to consolidated balance sheet | | 5695.55 | 3971.57 |
| | | **22451.86** | **12387.23** |
| **प्रति शेयर आय (रु. में) (मूल/डाइल्यूटेड)**<br>**Earnings per Share (In Rs.) (Basic/ Diluted)** | | **16.42** | **8.27** |
| महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और लेखा टिप्पणियाँ<br>Significant Accounting Policies and Notes on Accounts | 18 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| प्रबुद्ध शर्मा<br>**Prabudh Sharma**<br>सहायक महाप्रबंधक<br>**Asstt. General Manager** | आर के खीची<br>**R K Khichi**<br>उप महाप्रबंधक<br>**Deputy General Manager** | प्रवीण कुमार शर्मा<br>**Praveen Kumar Sharma**<br>महाप्रबंधक<br>**General Manager** | महेश धवन<br>**Mahesh Dhawan**<br>महाप्रबंधक<br>**General Manager** |

डी के जैन
**D K Jain**
मुख्य महाप्रबंधक और सीएफओ
**Chief General Manager & CFO**

| | | |
|---|---|---|
| डी. सुरेंद्रन<br>**D. Surendran**<br>कार्यपालक निदेशक<br>**Executive Director** | एम परमशिवम<br>**M Paramasivam**<br>कार्यपालक निदेशक<br>**Executive Director** | कल्याण कुमार<br>**Kalyan Kumar**<br>कार्यपालक निदेशक<br>**Executive Director** |

अशोक चंद्र
**Ashok Chandra**
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी
**Managing Director & CEO**

के जी अनंतकृष्णन
**K G Ananthakrishnan**
अध्यक्ष
**Chairman**

अम्बरीश ओझा
**Ambarish Ojha**
निदेशक
**Director**

जतिंदर सिंह बजाज
**Jatinder Singh Bajaj**
निदेशक
**Director**

पंकज शर्मा
**Pankaj Sharma**
निदेशक
**Director**

कृते उमेद जैन एंड कंपनी
**For Ummed Jain & Co.**
सनदी लेखाकार
**Chartered Accountants**
एफआरएन/**FRN: 119250W**

कृते एन.के. भार्गव एंड कंपनी
**For N K Bhargava & Co.**
सनदी लेखाकार
**Chartered Accountants**
एफआरएन/**FRN: 000429N**

कृते पी एस डी एंड एसोसिएट्स
**For P S D & Associates**
सनदी लेखाकार
**Chartered Accountants**
एफआरएन/**FRN: 004501C**

सनदी लेखाकार यू.एम. जैन
**CA U.M. Jain**
भागीदार
**Partner**
(सदस्य सं./**M.No. 070863**)

सनदी लेखाकार एन के भार्गव
**CA N K Bhargava**
भागीदार
**Partner**
(सदस्य सं./**M.No.080624**)

सनदी लेखाकार अभिनव शर्मा
**CA Abhinav Sharma**
भागीदार
**Partner**
(सदस्य सं./**M.No. 411219**)

कृते प्रेम गुप्ता एंड कंपनी
**For Prem Gupta & Co.**
सनदी लेखाकार
**Chartered Accountants**
एफआरएन/**FRN: 000425N**

कृते पी ए एंड एसोसिएट्स
**For P A & Associates**
सनदी लेखाकार
**Chartered Accountants**
एफआरएन/**FRN: 313085E**

सनदी लेखाकार प्रेम बिहारी गुप्ता
**CA Prem Behari Gupta**
भागीदार
**Partner**
(सदस्य सं./**M.No.080245**)

सनदी लेखाकार पीएस पांडा
**CA P. S. Panda**
भागीदार
**Partner**
(सदस्य सं./**M.No. 051092**)

स्थानः नई दिल्ली
**Place: New Delhi**

दिनांकः 7 मई, 2025
**Date: May 07, 2025**

(रु. करोड़ में) (Rs. in Crore)

| विवरण<br>Particulars | | 31.03.2025 को<br>As on 31.03.2025 | | 31.03.2024 को<br>As on 31.03.2024 |
|---|---|---|---|---|
| **अनुसूची 1 – पूंजी**<br>**SCHEDULE 1 - CAPITAL** | | | | |
| **प्राधिकृत पूंजी**<br>**Authorised Capital**<br>प्रत्येक रु. 2 के 1500,00,00,000<br>1500,00,00,000 Equity shares of Rs. 2 each<br>(पिछले वर्ष प्रत्येक रु. 2 के 1500,00,00,000 इक्विटी शेयर)<br>(Previous year 1500,00,00,000 Equity shares of Rs. 2 each) | | 3000.00 | | 3000.00 |
| **निर्गत पूँजी**<br>**Issued Capital**<br>प्रत्येक रु. 2 के 1149,29,43,268 इक्विटी शेयर<br>1149,29,43,268 Equity shares of Rs. 2 each<br>(पिछले वर्ष प्रत्येक रु. 2 के 1101,10,15,558 इक्विटी शेयर)<br>(Previous Year 1101,10,15,558 Equity shares of Rs. 2 each) | | 2298.59 | | 2202.20 |
| **प्रदत्त पूंजी**<br>**Paid up Capital**<br>प्रत्येक रु. 2 के 1149,29,43,268 इक्विटी शेयर<br>1149,29,43,268 Equity shares of Rs. 2 each<br>(पिछले वर्ष प्रत्येक रु. 2 के 1101,10,15,558 इक्विटी शेयर)<br>(Previous Year 1101,10,15,558 Equity shares of Rs. 2 each)<br>[उपर्युक्त में प्रत्येक रु. 2 के 805,41,25,685 इक्विटी शेयर शामिल हैं (पिछले वर्ष प्रत्येक रु. 2 के 805,41,25,685 इक्विटी शेयर केंद्र सरकार द्वारा धारित किए गए थे)]<br>[The above includes 805,41,25,685 equity shares of Rs. 2 each (Previous Year 805,41,25,685 Equity shares of Rs. 2 each held by Central Government)] | | 2298.59 | | 2202.20 |
| **कुल / TOTAL** | | **2298.59** | | **2202.20** |
| **अनुसूची 2 – आरक्षित निधियाँ और अधिशेष**<br>**SCHEDULE 2 - RESERVES AND SURPLUS** | | | | |
| **I. सांविधिक आरक्षित निधियाँ**<br>**Statutory Reserves** | | | | |
| प्रारंभिक शेष<br>Opening Balance | 18243.90 | | 16152.24 | |
| वर्ष के दौरान वृद्धि<br>Addition during the year | 4192.07 | **22435.97** | 2091.66 | **18243.90** |

(रु. करोड़ में) (Rs. in Crore)

| विवरण<br>Particulars | | 31.03.2025 को<br>As on 31.03.2025 | | 31.03.2024 को<br>As on 31.03.2024 |
|---|---|---|---|---|
| **II. पूंजी आरक्षित निधियाँ**<br>**Capital Reserves** | | | | |
| **क. पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधियाँ**<br>**a. Revaluation Reserve** | | | | |
| प्रारंभिक शेष<br>Opening Balance | 8305.63 | | 8455.12 | |
| वर्ष के दौरान वृद्धि<br>Addition during the year | 103.13 | | 20.40 | |
| वर्ष के दौरान कटौती<br>Deduction during the year | 0.00 | | 1.22 | |
| घटाएँ: अन्य आरक्षित निधियों में अंतरित<br>Less: Transfer to other reserves<br>(संपत्ति के पुनर्मूल्यांकित हिस्से पर मूल्यह्रास)<br>(being depreciation on revalued portion of property) | 100.32 | **8308.44** | 168.67 | **8305.63** |
| **ख. अन्य**<br>**b. Others**<br>(रु.9268.29 करोड़ के समामेलन आरक्षित निधि सहित)<br>(including Amalgamation Reserve of Rs. 9268.29 Crores) | | | | |
| प्रारंभिक शेष<br>Opening Balance | 16727.79 | | 16681.51 | |
| वर्ष के दौरान वृद्धि<br>Addition during the year | 474.66 | **17202.45** | 46.28 | **16727.79** |
| **II क. समेकन पर पूंजी आरक्षित निधि (निवल)**<br>**A. Capital Reserve on consolidation (Net)** | | **74.21** | | **74.21** |
| **III. शेयर प्रीमियम**<br>**Share Premium** | | | | |
| प्रारंभिक शेष<br>Opening Balance | 46038.53 | | 46038.53 | |
| वर्ष के दौरान वृद्धि<br>Addition during the year | 4891.18 | **50929.71** | 0.00 | **46038.53** |
| **IV. राजस्व एवं अन्य आरक्षित निधियाँ**<br>**Revenue and Other Reserves** | | | | |
| **क. निवेश आरक्षित निधि**<br>**a. Investment Reserve** | | | | |
| प्रारंभिक शेष<br>Opening Balance | 386.35 | | 386.35 | |
| घटाएँ: निवेश उतार–चढ़ाव आरक्षित निधियों में अंतरण<br>Less: Transfer to Investment Fluctuation Reserve | 386.35 | **-** | - | **386.35** |

(रु. करोड़ में) (Rs. in Crore)

| विवरण<br>Particulars | | 31.03.2025 को<br>As on 31.03.2025 | | 31.03.2024 को<br>As on 31.03.2024 |
|---|---|---|---|---|
| ख. निवेश उतार–चढ़ाव आरक्षित निधि<br>**b. Investment Fluctuation Reserve** | | | | |
| प्रारंभिक शेष<br>Opening Balance | 1924.01 | | 1635.06 | |
| जोड़ें: निवेश आरक्षित निधि से अंतरण<br>Add: Transfer from Investment Reserve | 386.35 | | - | |
| जोड़ें: वर्ष के दौरान वृद्धि<br>Add: Addition during the year | 1049.66 | **3360.02** | 288.95 | **1924.01** |
| ग. अन्य आरक्षित निधि<br>**c. Other Reserve** | | | | |
| प्रारंभिक शेष<br>Opening Balance | 7615.32 | | 3513.07 | |
| वर्ष के दौरान वृद्धि<br>Addition during the year | 8023.06 | | 3933.59 | |
| जोड़ें: पुनर्मूल्यन आरक्षित निधि से अंतरण<br>Add: Transfer from Revaluation Reserve | 100.32 | | 168.67 | |
| जोड़ें/(घटाएं): वर्ष के दौरान समायोजन<br>Add/(Less) : Adjustment during the year | 0.00 | **15738.70** | -0.01 | **7615.32** |
| घ. विनिमय उतार–चढ़ाव आरक्षित निधि<br>**d. Exchange Fluctuation Reserve** | | | | |
| प्रारंभिक शेष<br>Opening Balance | 877.00 | | 843.52 | |
| जोड़ें: वर्ष के दौरान वृद्धि (निवल)<br>Add: Addition during the year (Net) | 21.27 | | 11.61 | |
| जोड़ें/(घटाएं): वर्ष के दौरान समायोजन<br>Add/(Less) : Adjustment during the year | 100.72 | **998.99** | 21.87 | **877.00** |
| ड़. एएफएस आरक्षित निधि<br>**e. AFS Reserve** | | | | |
| प्रारंभिक शेष<br>Opening Balance | - | | - | |
| जोड़ें: वर्ष के दौरान वृद्धि (निवल)<br>Add: Addition during the year (Net) | 379.55 | | - | |
| जोड़ें/(घटाएं): वर्ष के दौरान समायोजन<br>Add/(Less) : Adjustment during the year | - | **379.55** | - | **-** |
| च. आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (1) (viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षित निधि<br>**f. Special Reserve under Sec.36 (1) (viii) of Income Tax Act,1961** | | | | |
| प्रारंभिक शेष<br>Opening Balance | 4020.22 | | 3618.66 | |
| वर्ष के दौरान वृद्धि<br>Addition during the year | 1695.56 | **5715.78** | 401.56 | **4020.22** |
| **V. लाभ एवं हानि खाते में शेष राशि**<br>**Balance in Profit & Loss Account** | | **5695.55** | | **3971.57** |
| **कुल (I, II, III, IV और V)**<br>**Total (I, II, III, IV and V)** | | **130839.37** | | **108184.53** |

(रु. करोड़ में) (Rs. in Crore)

| विवरण<br>Particulars | | 31.03.2025 को<br>As on 31.03.2025 | | 31.03.2024 को<br>As on 31.03.2024 |
|---|---|---|---|---|
| **अनुसूची 2क – अल्पांश हित**<br>**Schedule 2A - Minority Interest** | | | | |
| उस तिथि को अल्पांश हित जब मूल सहायक संस्था का संबंध अस्तित्व में आया<br>Minority Interest at the date on which the parent subsidiary relationship came into existence | | 149.25 | | 149.25 |
| परवर्ती वृद्धि / कमी<br>Subsequent increase/ decrease | | 479.18 | | 411.52 |
| **तुलन पत्र की तिथि पर अल्पांश हित**<br>**Minority Interest at the date of balance sheet** | | **628.43** | | **560.77** |
| **अनुसूची 3 – जमाराशियाँ**<br>**SCHEDULE 3 - DEPOSITS** | | | | |
| **क. I मांग जमाराशियाँ**<br>**A. I Demand Deposits** | | | | |
| (i) बैंकों से<br>From Banks | 3419.92 | | 3290.71 | |
| (ii) अन्य से<br>From Others | 73043.95 | **76463.87** | 70295.93 | **73586.64** |
| **II बचत बैंक जमाराशियाँ**<br>**Savings Banks Deposits** | | **499398.01** | | **481272.10** |
| **III सावधि जमाराशियाँ**<br>**Term Deposits** | | | | |
| (i) बैंकों से<br>From Banks | 96150.70 | | 66451.02 | |
| (ii) अन्य से<br>From Others | 905007.30 | **1001158.00** | 757915.48 | **824366.50** |
| **कुल (I, II और III)**<br>**TOTAL (I, II and III)** | | **1577019.88** | | **1379225.24** |
| ख. (i) भारत में स्थित शाखाओं की जमाराशियां<br>B. (i) Deposits of branches In India | | 1511017.80 | | 1333208.55 |
| (ii) भारत से बाहर की शाखाओं की जमाराशियां<br>(ii) Deposits of branches outside India | | 66002.08 | | 46016.69 |
| **कुल TOTAL (i, ii)** | | **1577019.88** | | **1379225.24** |

(रु. करोड़ में) (Rs. in Crore)

| विवरण<br>Particulars | 31.03.2025 को<br>As on 31.03.2025 | 31.03.2024 को<br>As on 31.03.2024 |
|---|---|---|
| **अनुसूची 4 – उधार राशियाँ**<br>**SCHEDULE 4 - BORROWINGS** | | |
| **I. भारत में उधार राशियाँ**<br>**Borrowings in India** | | |
| (i) भारतीय रिज़र्व बैंक<br>Reserve Bank of India | 33807.48 | 0.00 |
| (ii) अन्य बैंक<br>Other Banks | 3455.51 | 2713.70 |
| (iii) अन्य संस्थान और एजेंसियां<br>Other Institutions and Agencies | 19733.19 | 22793.97 |
| (iv) बांड (टियर–I, टियर–II, गौण ऋण सहित)<br>Bonds (including Tier-I, Tier-II, Subordinated Debts) | 34725.90 | 36301.40 |
| (v) दीर्घकालिक अवसंरचना बांड<br>Long Term Infrastructure Bonds | 2950.00 | 2800.00 |
| **II. भारत के बाहर उधार राशियाँ**<br>**Borrowings outside India** | **11134.47** | **7976.55** |
| **कुल (I और II) TOTAL (I and II)** | **105806.55** | **72585.62** |
| उपर्युक्त I और II में शामिल प्रतिभूति उधार राशियाँ<br>Secured Borrowings included in I and II above | **53643.08** | **21464.34** |
| **अनुसूची 5 – अन्य देयताएं और प्रावधान**<br>**SCHEDULE 5 - OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS** | | |
| I. देय बिल<br>Bills payable | 4430.52 | 3361.27 |
| II. अंतर–कार्यालय समायोजन (निवल)<br>Inter-office adjustments (net) | 76.53 | 0.04 |
| III. उपचित ब्याज<br>Interest accrued | 4740.24 | 4281.31 |
| IV. अन्य (प्रावधानों सहित)<br>Others (including provisions) | 31703.52 | 28234.98 |
| **I, II, III और IV का योग**<br>**TOTAL OF I, II, III and IV** | **40950.81** | **35877.60** |
| **अनुसूची 6 – भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकदी और शेष राशि**<br>**SCHEDULE 6 - CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA** | | |
| I. हाथ में नकदी<br>Cash in hand<br>(विदेशी मुद्रा नोटों सहित)<br>(including foreign currency notes) | 3234.95 | 3553.35 |

(रु. करोड़ में) (Rs. in Crore)

| विवरण<br>Particulars | | 31.03.2025 को<br>As on 31.03.2025 | | 31.03.2024 को<br>As on 31.03.2024 |
|---|---|---|---|---|
| II. भारतीय रिज़र्व बैंक के पास शेष राशि<br>Balance with Reserve Bank of India | | | | |
| (i) चालू खाते में<br>in Current account | 59463.27 | | 61771.78 | |
| (ii) अन्य खातों में<br>in Other Accounts | 1691.00 | 61154.27 | 0.00 | 61771.78 |
| कुल (I और II )<br>TOTAL (I and II) | | **64389.22** | | **65325.13** |

**अनुसूची 7 – बैंकों के पास शेष राशि और मांग और अल्प सूचना पर देय राशि**
**SCHEDULE 7-BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **I. भारत में<br>In India** | | | | |
| (i) बैंकों में शेष राशि:<br>Balance with Banks: | | | | |
| (क) चालू खातों में<br>(a) In Current accounts | 869.13 | | 5.82 | |
| (ख) अन्य जमा खातों में<br>(b) In Other Deposit accounts | 19628.70 | **20497.83** | 22148.29 | **22154.11** |
| (ii) मांग और अल्प सूचना पर देय राशि:<br>Money at Call and Short Notice: | | | | |
| (क) बैंकों के पास<br>(a) with Banks | 0.00 | | 369.17 | |
| (ख) अन्य संस्थाओं के पास<br>(b) with Other Institutions | 16247.77 | **16247.77** | 22766.84 | **23136.01** |
| **कुल (i और ii)<br>TOTAL (i and ii)** | | **36745.60** | | **45290.12** |
| **II. भारत से बाहर<br>II. Outside India** | | | | |
| (i) चालू खातों में<br>In Current accounts | 14477.44 | | 5313.31 | |
| (ii) अन्य जमा खातों में<br>In Other Deposit accounts | 35044.75 | | 15388.22 | |
| (iii) मांग और अल्प सूचना पर देय राशि<br>Money at call and short notice | 102.57 | | 83.41 | |
| **कुल (i, ii और iii)<br>TOTAL (i, ii and iii)** | | **49624.76** | | **20784.94** |
| **समग्र जोड़ (I और II)<br>GRAND TOTAL (I and II)** | | **86370.36** | | **66075.06** |

(रु. करोड़ में) (Rs. in Crore)

| विवरण<br>Particulars | 31.03.2025 को<br>As on 31.03.2025 | 31.03.2024 को<br>As on 31.03.2024 |
|---|---|---|
| **अनुसूची 8 – निवेश**<br>**SCHEDULE 8 - INVESTMENTS** | | |
| **I. भारत में निवेश**<br>**Investments in India in** | | |
| (i) सरकारी प्रतिभूतियाँ<br>Government securities | 440175.17 | 392758.11 |
| (ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ<br>Other approved securities | 0.00 | 0.15 |
| (iii) शेयर<br>Shares | 7198.88 | 2843.68 |
| (iv) डिबेंचर और बांड<br>Debentures and Bonds | 41146.88 | 34660.68 |
| (v) सहयोगी संस्थाएं<br>Associates | 6186.23 | 5502.46 |
| (vi) अन्य<br>Others<br>म्यूचुअल फंड, वेंचर कैपिटल फंड, एआरसीआईएल वाणिज्यिक पत्र, जमा प्रमाण–पत्र आदि।<br>Mutual Funds, Venture Capital Funds, ARCIL Commercial Papers , Certificate of Deposits, etc. | 18800.09 | 4434.32 |
| **I का कुल**<br>**TOTAL of I** | **513507.25** | **440199.40** |
| **II. भारत से बाहर निवेश**<br>**Investments outside India in** | | |
| (i) सरकारी प्रतिभूतियाँ (स्थानीय प्राधिकरणों सहित)<br>Government Securities (including local authorities) | 9785.09 | 4518.88 |
| (ii) सहयोगी संस्थाएं<br>Associates | 415.87 | 368.72 |
| (iii) अन्य निवेश<br>Other investments | 1132.10 | 1334.27 |
| **II का कुल TOTAL of II** | **11333.06** | **6221.87** |
| **III. भारत में निवेश**<br>**Investments in India** | | |
| i) निवेश का सकल मूल्य<br>Gross value of Investments | 518088.38 | 448513.51 |
| ii) घटाएं: मूल्यह्रास के लिए प्रावधानों का कुल योग<br>Less: Aggregate of provisions for depreciation | 4581.13 | 8314.11 |
| iii) निवल निवेश<br>Net Investment | **513507.25** | **440199.40** |
| **IV. भारत के बाहर निवेश**<br>**Investments outside India** | | |
| i) निवेश का सकल मूल्य<br>Gross value of Investments | 12073.72 | 6706.19 |
| ii) घटाएं: मूल्यह्रास के लिए प्रावधानों का कुल योग<br>Less: Aggregate of provisions for depreciation | 740.66 | 484.32 |
| iii) निवल निवेश<br>Net Investment | **11333.06** | **6221.87** |
| **(I), (II) का समग्र जोड़ GRAND TOTAL of (I), (II)** | **524840.31** | **446421.27** |

(रु. करोड़ में) (Rs. in Crore)

| विवरण<br>Particulars | 31.03.2025 को<br>As on 31.03.2025 | 31.03.2024 को<br>As on 31.03.2024 |
|---|---|---|
| **अनुसूची 9 – अग्रिम**<br>**SCHEDULE 9 - ADVANCES** | | |
| क. i) खरीदे गए और भुनाए गए बिल<br>**A.** i) Bills purchased and discounted | 5985.24 | 5598.88 |
| ii) नकद ऋण, ओवरड्राफ्ट और मांग पर चुकाए जाने वाले ऋण<br>ii) Cash credits, overdrafts and loans repayable on demand | 448834.72 | 403530.45 |
| iii) सावधि ऋण<br>iii) Term loans | 631453.18 | 532633.14 |
| **कुल (i, ii तथा iii) Total (i, ii and iii)** | **1086273.14** | **941762.47** |
| ख. i) मूर्त आस्तिओं द्वारा प्रतिभूत<br>**B.** Secured by tangible assets<br>(बही ऋण पर दिए गए अग्रिम शामिल हैं)<br>(including advances against book debts) | 819487.15 | 694883.24 |
| ii) बैंक/सरकारी गारंटी द्वारा कवर<br>Covered by Bank/Government Guarantees | 25370.92 | 32372.64 |
| iii) अप्रतिभूत<br>Unsecured | 241415.07 | 214506.59 |
| **कुल (i, ii और iii) Total (i, ii and iii)** | **1086273.14** | **941762.47** |
| ग.(I) भारत में अग्रिम<br>**C.(I)** Advances in India | | |
| i) प्राथमिकता क्षेत्र<br>Priority sector | 293804.35 | 257461.03 |
| ii) सार्वजनिक क्षेत्र<br>Public sector | 189063.19 | 161112.74 |
| iii) बैंक<br>Banks | 0.00 | 4.05 |
| iv) अन्य<br>Others | 544207.96 | 476215.94 |
| **कुल (i, ii, iii और iv) Total (i, ii, iii and iv)** | **1027075.50** | **894793.76** |

(रु. करोड़ में) (Rs. in Crore)

| विवरण<br>Particulars | | 31.03.2025 को<br>As on 31.03.2025 | | 31.03.2024 को<br>As on 31.03.2024 |
|---|---|---|---|---|
| ग. (II) भारत के बाहर अग्रिम<br>C. (II) Advances outside India | | | | |
| i) बैंकों से प्राप्य<br>Due from banks | | 26197.46 | | 18280.41 |
| ii) अन्य से प्राप्य<br>Due from others | | | | |
| (क) खरीदे और भुनाए गए बिल<br>(a) Bills purchased and discounted | | 1740.74 | | 1563.61 |
| (ख) सिंडिकेटेड ऋण<br>(b) Syndicated Loans | | 12814.80 | | 12371.80 |
| (ग) अन्य<br>(c) Others | | 18444.64 | | 14752.89 |
| कुल (i और ii)<br>**Total (i and ii)** | | **59197.64** | | **46968.71** |
| ग (I) और ग (II) का कुल योग<br>**GRAND TOTAL of C (I) and C (II)** | | **1086273.14** | | **941762.47** |

**अनुसूची 10 – अचल आस्तियां**

**SCHEDULE 10 - FIXED ASSETS**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| I. परिसर<br>**I. Premises** | | | | |
| पिछले वर्ष की 31 मार्च की लागत पर<br>At Cost as on 31st March of preceeding year | 12220.64 | | 12093.04 | |
| वर्ष के दौरान वृद्धि<br>Additions during the year | 226.38 | | 109.39 | |
| वर्ष के दौरान कटौती<br>Deductions during the year | 1230.80 | | 0.97 | |
| पुनर्मूल्यन आरक्षित निधियों में वृद्धि<br>Addition to Revaluation Reserve | 103.13 | | 19.18 | |
| अब तक का मूल्यह्रास<br>Depreciation to date | 950.75 | **10368.60** | 2031.85 | **10188.79** |

(रु. करोड़ में) (Rs. in Crore)

| विवरण<br>Particulars | | 31.03.2025 को<br>As on 31.03.2025 | | 31.03.2024 को<br>As on 31.03.2024 |
|---|---|---|---|---|
| **II. अन्य अचल आस्तियां (फर्नीचर और फिक्सचर सहित)** | | | | |
| **II. Other Fixed Assets (including furniture and fixtures)** | | | | |
| पिछले वर्ष की 31 मार्च की लागत पर<br>At Cost as on 31st March of preceeding year | 10802.73 | | 9867.23 | |
| विनिमय दर में उतार–चढ़ाव के कारण पुनर्मूल्यन<br>Revaluation due to exchange rate fluctuation | 0.00 | | 2.42 | |
| वर्ष के दौरान वृद्धि<br>Additions during the year | 1098.48 | | 946.40 | |
| वर्ष के दौरान कटौती<br>Deductions during the year | 1555.00 | | 13.31 | |
| अब तक मूल्यह्रास<br>Depreciation to date | 7990.85 | **2355.36** | 8849.33 | **1953.41** |
| **IIक. पट्टे पर दी गई आस्तियां** | | | | |
| **IIA. Leased Assets** | | | | |
| पिछले वर्ष की 31 मार्च की लागत पर<br>At Cost as on 31st March of preceeding year | 25.33 | | 25.33 | |
| वर्ष के दौरान वृद्धि<br>Additions during the year | 0.00 | | 0.00 | |
| वर्ष के दौरान कटौती<br>Deductions during the year | 0.00 | | 0.00 | |
| अब तक का मूल्यह्रास<br>Depreciation to date | 25.31 | **0.02** | 25.30 | **0.03** |
| **IIख. कंप्यूटर सॉफ्टवेयर** | | | | |
| **IIB. Computer Software** | | | | |
| पिछले वर्ष की 31 मार्च की लागत पर<br>At Cost as on 31st March of preceeding year | 1395.18 | | 1287.72 | |
| विनिमय दर में उतार–चढ़ाव के कारण पुनर्मूल्यन<br>Revaluation due to exchange rate fluctuation | 0.00 | | 0.80 | |
| वर्ष के दौरान वृद्धि<br>Additions during the year | 276.55 | | 119.21 | |
| वर्ष के दौरान कटौती/समायोजन<br>Deduction/ Adjustment during the year | 0.02 | | 12.55 | |
| अब तक परिशोधित<br>Amortised to date | 1312.43 | **359.32** | 1189.57 | **205.61** |
| **I, II, IIक, IIख का योग**<br>**TOTAL OF I, II, IIA, IIB** | | **13083.30** | | **12347.84** |

(रु. करोड़ में) (Rs. in Crore)

| विवरण<br>Particulars | 31.03.2025 को<br>As on 31.03.2025 | 31.03.2024 को<br>As on 31.03.2024 |
|---|---|---|
| **अनुसूची 11 – अन्य आस्तियां**<br>**SCHEDULE 11 - OTHER ASSETS** | | |
| I. अंतर–कार्यालय समायोजन (निवल)<br>Inter office adjustment (Net) | 0.00 | 0.00 |
| II. उपचित ब्याज<br>Interest accrued | 18984.10 | 12061.67 |
| III. अग्रिम भुगतान किया गया कर/स्रोत पर काटा गया कर<br>Tax paid in advance/tax deducted at source | 9372.64 | 11061.89 |
| IV. स्टेशनरी और स्टांप<br>Stationery and stamps | 6.65 | 8.11 |
| V. दावों के निपटन से प्राप्य गैर–बैंकिंग आस्तियां<br>Non banking assets acquired in satisfaction of claims | 24.67 | 26.45 |
| VI. आस्थगित कर आस्ति (निवल)<br>Deferred Tax asset (net) | 21148.30 | 22955.42 |
| VII. अन्य<br>Others | 33050.94 | 20590.65 |
| **I, II, III, IV, V, VI और VII का योग**<br>**TOTAL of I, II, III, IV, V, VI and VII** | **82587.30** | **66704.19** |
| **अनुसूची 12 – आकस्मिक देयताएं**<br>**SCHEDULE 12 - CONTINGENT LIABILITIES** | | |
| I. (i) बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया<br>(i) Claims against the bank not acknowledged as debts | 846.88 | 771.35 |
| (ii) अपील, संदर्भ आदि के अंतर्गत विवादित आयकर और ब्याज कर मांग<br>(ii) Disputed income tax and interest tax demands under appeal, references, etc. | 12028.88 | 7373.97 |
| II. आंशिक रूप से प्रदत्त निवेशों के लिए देयता<br>Liability for partly paid investments | 179.60 | 209.36 |
| III. बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के कारण देयता<br>Liability on account of outstanding forward exchange contracts | 552244.19 | 133554.22 |
| IV. ग्राहकों की ओर से दी गई गारंटी<br>Guarantees given on behalf of constituents | | |
| (क) भारत में<br>(a) In India | 60692.58 | 54647.36 |
| (ख) भारत के बाहर<br>(b) Outside India | 3761.41 | 4308.96 |
| V. स्वीकृतियां, पृष्ठांकन और अन्य दायित्व<br>Acceptance, Endorsements and Other obligations | 17877.30 | 18175.49 |
| VI. ऐसी अन्य मदें जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है<br>Other items for which the Bank is contingently liable | 6565.80 | 5499.31 |
| **कुल (I, II, III, IV, V तथा VI) TOTAL (I, II, III, IV, V and VI)** | **654196.64** | **224540.02** |

(रु. करोड़ में) (Rs. in Crore)

| विवरण<br>Particulars | | 31.03.2025 को समाप्त वर्ष<br>Year ended 31.03.2025 | | 31.03.2024 को समाप्त वर्ष<br>Year ended 31.03.2024 |
|---|---|---|---|---|
| **<u>अनुसूची 13 – अर्जित ब्याज</u>**<br>**<u>SCHEDULE 13 - INTEREST EARNED</u>** | | | | |
| I. अग्रिम/बिल पर ब्याज/छूट<br>Interest/discount on advances/bills | | 86756.64 | | 76515.79 |
| II. निवेश पर आय (लाभांश सहित)<br>Income on Investments (including dividends) | | 32240.67 | | 29187.14 |
| III. भारतीय रिजर्व बैंक एवं अन्य अंतर–बैंक निधियों के पास जमा शेष राशि पर ब्याज<br>Interest on balances with Reserve Bank of India and other inter-bank funds | | 3519.13 | | 2822.85 |
| IV. अन्य<br>Others | | 1493.41 | | 538.80 |
| कुल (I, II, III तथा IV) **TOTAL (I, II, III and IV)** | | **124009.85** | | **109064.58** |
| **<u>अनुसूची 14 – अन्य आय</u>**<br>**<u>SCHEDULE 14 - OTHER INCOME</u>** | | | | |
| I. कमीशन, विनिमय और ब्रोकरेज<br>Commission, exchange and brokerage | | 4596.22 | | 4250.84 |
| II. भूमि, भवन और अन्य आस्तियों की बिक्री से लाभ<br>घटाएँ: भूमि, भवन और अन्य आस्तियों की बिक्री पर हानि<br>Profit on sale of land, buildings and other assets<br>Less: Loss on sale of land, buildings and other assets | 4.43<br>0.36 | 4.07 | 7.06<br>0.40 | 6.66 |
| III. विनिमय लेनदेन पर लाभ<br>घटाएँ: विनिमय लेनदेन पर हानि<br>Profit on exchange transaction<br>Less: Loss on exchange transaction | 438.38<br>49.14 | 389.24 | 504.99<br>32.22 | 472.77 |
| IV. निवेश की बिक्री पर लाभ (निवल)<br>घटाएँ: निवेश की बिक्री पर हानि<br>Profit on sale of investments (net)<br>Less: Loss on sale of investments | 2981.36<br>86.55 | 2894.81 | 1411.54<br>134.07 | 1277.47 |
| V. निवेश के पुनर्मूल्यन पर लाभ<br>घटाएँ: निवेश के पुनर्मूल्यन पर हानि<br>Profit on revaluation of investments<br>Less: Loss on revaluation of investments | 1602.41<br>446.36 | 1156.05 | 1668.81<br>2331.37 | -662.56 |
| VI. विविध आय<br>Miscellaneous Income | | 7406.57 | | 7984.25 |
| **कुल (I, II, III, IV, V और VI) TOTAL (I, II, III, IV, V and VI)** | | **16446.96** | | **13329.43** |
| **<u>अनुसूची 15 – व्यय किया गया ब्याज</u>**<br>**<u>SCHEDULE 15 - INTEREST EXPENDED</u>** | | | | |
| I. जमाराशियों पर ब्याज<br>Interest on deposits | | 74547.00 | | 62607.49 |
| II. भारतीय रिज़र्व बैंक/अंतर–बैंक उधार पर ब्याज<br>Interest on Reserve Bank of India/ inter-bank borrowings | | 1734.49 | | 1289.86 |
| III. अन्य<br>Others | | 4422.35 | | 4636.81 |
| **कुल (I, II तथा III) TOTAL (I, II and III)** | | **80703.84** | | **68534.16** |

(रु. करोड़ में) (Rs. in Crore)

| विवरण<br>Particulars | | 31.03.2025 को समाप्त वर्ष<br>Year ended 31.03.2025 | | 31.03.2024 को समाप्त वर्ष<br>Year ended 31.03.2024 |
|---|---|---|---|---|
| **<u>अनुसूची 16 – परिचालन व्यय</u>** | | | | |
| **<u>SCHEDULE 16 - OPERATING EXPENSES</u>** | | | | |
| I. कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान<br>Payment to and provisions for employees | | 21548.69 | | 18643.24 |
| II. किराया, कर और प्रकाश व्यवस्था<br>Rent, taxes and lighting | | 1410.94 | | 1342.05 |
| III. मुद्रण और लेखन सामग्री<br>Printing and stationery | | 173.81 | | 171.66 |
| IV. विज्ञापन और प्रचार<br>Advertisement and publicity | | 124.27 | | 94.47 |
| V. (क) पट्टे पर दी गई आस्तियों के अलावा बैंक की संपत्ति पर मूल्यह्रास<br>(a) Depreciation on bank's property other than leased assets | 957.51 | | 905.60 | |
| (ख) पट्टे पर दी गई आस्तियों पर मूल्यह्रास<br>(b) Depreciation on Leased assets | 0.00 | 957.51 | 0.00 | 905.60 |
| VI. निदेशकों के शुल्क, भत्ते और व्यय<br>Directors' fees, allowances and expenses | | 3.60 | | 3.39 |
| VII. लेखा परीक्षकों के शुल्क और व्यय (शाखा लेखापरीक्षकों के शुल्क और व्यय सहित)<br>Auditors' fees and expenses (including branch auditors' fees and expenses) | | 61.34 | | 51.20 |
| VIII. विधिक प्रभार<br>Law charges | | 131.50 | | 162.69 |
| IX. डाक, तार, टेलीफोन, आदि।<br>Postage, telegrams, telephones, etc. | | 334.22 | | 336.19 |
| X. मरम्मत और रखरखाव<br>Repairs and Maintenance | | 877.82 | | 808.02 |
| XI. बीमा<br>Insurance | | 1901.11 | | 1700.17 |
| XII. अन्य व्यय<br>Other expenditure | | 5025.65 | | 4590.30 |
| **I से XII तक का कुल जोड़<br>TOTAL of I to XII** | | **32550.46** | | **28808.98** |
| **<u>अनुसूची 17 – सहयोगी संस्थाओं में आय/हानि का हिस्सा</u>** | | | | |
| **<u>SCHEDULE 17 - SHARE OF EARNINGS/LOSS IN ASSOCIATES</u>** | | | | |
| (ए) भारत में सहयोगी संस्थाओं में आय का हिस्सा<br>(a) Share of Earnings in Associates in India | | 1057.69 | | 782.64 |
| (बी) भारत के बाहर सहयोगी संस्थाओं में आय का हिस्सा<br>(b) Share of Earnings in Associates outside India | | 55.29 | | 45.60 |
| **(क और ख) का जोड़<br>TOTAL of (a and b)** | | **1112.98** | | **828.24** |

## अनुसूची 18 – 31.03.2025 तक की समेकित वित्तीय विवरणियां

### वित्त वर्ष 2024–25 हेतु महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

**1. तैयार करने का आधार:**

वित्तीय विवरणियां परंपरागत लागत के आधार पर तैयार की गई है तथा समस्त महत्वपूर्ण दृष्टियों से भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) के अनुरूप है, जब तक कि अन्यथा उल्लेखित न हो जिनमें लागू सांविधिक प्रावधान, भारतीय रिजर्व बैंक ('आरबीआई') द्वारा निर्धारित विनियामक मानदंड, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा समय–समय पर जारी परिपत्र तथा दिशानिर्देश, बैंककारी विनियम अधिनियम 1949, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखामानक(एएस) तथा ज्ञापन व भारत में बैंकिंग उद्योग में मौजूदा प्रथाएं भी शामिल है।

विदेशी कार्यालयों के संबंध में, संबंधित विदेशी राष्ट्रों में लागू सांविधिक प्रावधानों और प्रथाओं अन्यत्र यथा विनिर्दिष्ट के अतिरिक्त का पालन किया गया है।

वित्तीय विवरणियों को उपचय अवधारणा के साथ कार्यशील संस्था के आधार पर तैयार किया गया है तथा लेखांकन नीतियां एवं निरंतर अपनाई गई प्रथाओं के अनुरूप है, जब तक अन्यथा उल्लेखित न हों।

**अनुमानों का उपयोग**

वित्तीय विवरणियां तैयार करने के लिए प्रबंधन को वित्तीय विवरणियों की तिथि तक रिपोर्ट की गई आस्तियों एवं देयताओं (आकस्मिक देयताओं सहित) तथा रिपोर्टिंग अवधि के लिए रिपोर्ट किए गए आय और व्यय में विचारार्थ अनुमान तथा धारणाएं बनाने की आवश्यकता पड़ती है। प्रबंधन को विश्वास है कि वित्तीय विवरणियां तैयार करने में उपयोग किए गए अनुमान विवेक पूर्ण और तर्कसंगत है।

भावी परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकते है। वास्तविक परिणामों और अनुमानों के बीच के अंतर का निर्धारण उस अवधि में किया गया है जिसमें परिणाम ज्ञात/कार्यान्वित हुए है।

लेखांकन अनुमानों में किसी प्रकार के संशोधन को वर्तमान एवं भावी अवधि में भविष्यलक्षी प्रभाव से मान्यता दी जाती है, जब तक कि अन्यथा उल्लेखित न हो।

**2. समेकन प्रक्रिया:**

**समनुषंगियां**

i) पीएनबी गिल्ट्स लिमिटेड

ii) पीएनबी इन्वेस्टमेंट सर्विसेज लिमिटेड

iii) पीएनबी काड्‌र्स एंड सर्विसेज लिमिटेड

iv) पंजाब नैशनल बैंक (इंटरनेशनल) लिमिटेड, यू.के.

v) ड्रक पीएनबी बैंक लिमिटेड, भूटान

## SCHEDULE 18 : CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT 31.03.2025

### SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES FOR THE FY 2024-25

**1. BASIS OF PREPARATION:**

The financial statements have been prepared on historical cost basis and conform, in all material aspects, to Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) in India unless otherwise stated encompassing applicable statutory provisions, regulatory norms prescribed by the Reserve Bank of India (RBI), circulars and guidelines issued by the Reserve Bank of India ('RBI') from time to time, Banking Regulation Act 1949, Accounting Standards (AS) and pronouncements issued by The Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) and prevailing practices in banking industry in India.

In respect of foreign offices, statutory provisions and practices prevailing in respective foreign countries are complied with except as specified elsewhere.

The financial statements have been prepared on going concern basis with accrual concept and in accordance with the accounting policies and practices consistently followed unless otherwise stated.

**USE OF ESTIMATES:**

The preparation of financial statements requires the management to make estimates and assumptions considered in the reported amounts of assets and liabilities (including contingent liabilities) as on the date of the financial statements and the reported income and expenses for the reporting period. Management believes that the estimates used in the preparation of the financial statements are prudent and reasonable.

Future results could differ from these estimates. Difference between the actual results and estimates is recognized in the period in which the results are known / materialized.

Any revision to the accounting estimates is recognized prospectively in the current and future periods unless otherwise stated.

**2. CONSOLIDATION PROCEDURES:**

**Subsidiaries**

i) PNB Gilts Ltd.

ii) PNB Investment Services Ltd.

iii) PNB Cards and Services Ltd.

iv) Punjab National Bank (International) Ltd., UK.

v) Druk PNB Bank Ltd, Bhutan

**सहयोगी कंपनियां:**

i) पीएनबी मेटलाइफ़ इंडिया इन्श्योरेंस कंपनी लिमिटेड*
ii) पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड
iii) जेएससी (टेंगरी बैंक), अलमाटी, कजकिस्तान**
iv) केनरा एचएसबीसी लाइफ इन्श्योरेंस कंपनी लिमिटेड
v) इंडिया एसएमई एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड
vi) एवरेस्ट बैंक लिमिटेड, काठमांडू, नेपाल
vii) दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक, पटना
viii) हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक, मंडी
ix) पंजाब ग्रामीण बैंक, कपूरथला
x) सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक, रोहतक
xi) प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक, मुरादाबाद
xii) असम ग्रामीण विकास बैंक, गुवाहाटी
xiii) बंगीय ग्रामीण विकास बैंक, पश्चिम बंगाल
xiv) मणिपुर ग्रामीण बैंक, इंफाल
xv) त्रिपुरा ग्रामीण बैंक, अगरतला

*पीएनबी ने ब्रांड इक्विटी के रूप में रु. 700.48 का पीएनबी मेटलाइफ में 30% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है।*

*** एएफआर ने दिनांक 18.09.2020 से जेएससी टेंगरी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है और यह परिसमापन के अधीन है*

2.1 समूह के समेकित वित्तीय विवरण (जिसमें उपर्युक्त विवरण के अनुसार 5 अनुषंगियाँ और 15 सहायक कंपनियां शामिल हैं) निम्नलिखित के आधार पर तैयार किए गए हैं:

i. पंजाब नैशनल बैंक (मूल बैंक/बैंक) के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण

ii. एएस 21 के अनुसार, सहायक कंपनियों की आस्तियों, देयताओं, आय और व्यय की समान मदों को मूल कंपनी की संबंधित मदों के साथ पंक्ति दर पंक्ति एकत्रीकरण, जिसमें समूह के भीतर महत्वपूर्ण शेष/लेनदेन, अप्राप्त लाभ/हानि को हटाने के पश्चात तथा जहां भी आवश्यक हो, इन सहायक कंपनियों से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर, उनके प्रबंधन द्वारा विधिवत लेखापरीक्षित/प्रमाणित, एक समान लेखांकन नीतियों के अनुरूप आवश्यक समायोजन करने के पश्चात तैयार किए गए हैं। अनुषंगी कंपनियों के वित्तीय विवरण मूल बैंक के समान रिपोर्टिंग तिथि अर्थात 30 जून, 2024 तक तैयार किए जाते हैं।

iii. विदेशी सहायक कंपनियों का विदेशी मुद्रा अंतरण निम्नानुसार किया गया है:

(i) आय और व्यय – अवधि के दौरान प्रचलित भारित औसत दरों पर।

(ii) आस्तियां एवं देयताएं – रिपोर्टिंग तिथि को लागू दरों पर। परिणामी विदेशी मुद्रा अंतरण अंतर, चाहे लाभ हो या हानि, को रिजर्व और अधिशेष – विदेशी मुद्रा अंतरण रिजर्व के अंतर्गत शामिल किया गया है।

जहां मताधिकार शक्ति में समूह का 20% या इससे अधिक अंश है, वहां सहयोगी कम्पनियों में निवेश, को भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक–23 के अनुसार इक्विटी पद्धति का उपयोग करते हुए लेखांकन किया गया है।

**Associates:**

i) PNB Metlife India Insurance Company Ltd*
ii) PNB Housing Finance Limited
iii) JSC (Tengri Bank), Almaty, Kazakhstan**
iv) Canara HSBC Life Insurance Co. Ltd.
v) India SME Asset Reconstruction Co. Ltd.
vi) Everest Bank Limited, Kathmandu, Nepal
vii) Dakshin Bihar Gramin Bank, Patna
viii) Himachal Pradesh Gramin Bank, Mandi
ix) Punjab Gramin Bank, Kapurthala
x) Sarva Haryana Gramin Bank, Rohtak
xi) Prathama UP Gramin Bank, Moradabad
xii) Assam Gramin Vikas Bank, Guwahati
xiii) Bangiya Gramin Vikas Bank, West Bengal
xiv) Manipur Rural Bank, Imphal
xv) Tripura Gramin Bank, Agartala

**PNB has acquired 30% stake in PNB Metlife at consideration of Rs. 700.48 as brand equity.*

***AFR revoked license of JSC Tengri Bank w.e.f. 18.09.2020 and is under Liquidation*

2.1 Consolidated financial statements of the Group (comprising of 5 Subsidiaries and 15 Associates as per detail given above) have been prepared on the basis of:

i. Audited financial statements of Punjab National Bank (Parent/ the Bank)

ii. As per AS 21, line by line aggregation of like items of assets, liabilities, income and expenses of subsidiaries with the respective item of the parent after eliminating material intra-group balances/transactions, unrealized profit/losses and making necessary adjustments, wherever required, to conform to uniform accounting policies, based on data received from these subsidiaries, duly Audited/ certified by their Management. The financial statements of the subsidiaries are drawn up to the same reporting date as that of parent i.e. June 30, 2024.

iii. Foreign currency translation of overseas subsidiaries has been done as under:

(i) Income and Expenditure - at weighted average rates prevailing during the period.

(ii) Assets and Liabilities - at rates applicable at reporting date. The resultant foreign currency translation difference, whether gain or loss, has been included under Reserves and Surplus - Foreign Currency Translation Reserve.

Investments in associates, where the group holds 20% or more of the voting power, have been accounted for using the equity method in terms of Accounting Standard – 23 issued by The Institute of Chartered Accountants of India.

2.2 इसके अनुषंगियों समूह की में निवेश की लागत में अंतर और अनुषंगियों की इक्विटी में समूह के हिस्से को साख/पूंजी आरक्षित निधि के रूप में माना गया है।

2.3 समेकित अनुषंगियों की निवल आस्तियों में अल्पांश हित में निम्नलिखित शामिल हैं:

क. अनुषंगी में निवेश किए जाने की तिथि पर अल्पांश को देय इक्विटी की राशि; तथा

ख. मूल–बैंक–समनुषंगी के मध्य समन्वय होने की तिथि से इक्विटी में होने वाले उतार–चढ़ाव का अल्पांश हिस्सा

**मूल बैंक द्वारा अपनाई गई महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ:**

**3. राजस्व निर्धारण:**

3.1 आय/व्यय (पैरा 3.2 व 3.5 में संदर्भित मदों से भिन्न) को समान्यतः उपचय आधार पर लेखांकित किया जाता है।

3.2 अग्रिमों और निवेशों को शामिल करते हुए गैर–अनर्जक आस्तियों (एनपीए) से आय का निर्धारण भारतीय रिजर्व बैंक/विदेशी कार्यालयों के मामले में संबंधित देशों के विनियामकों (जिसे इसके पश्चात समेकित रूप से विनियामक प्राधिकारी कहा गया है) द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार वसूली के पश्चात किया गया है।

3.3 प्राथमिकता के क्रम में वसूली के विनियोजन का तरीका निम्नानुसार होगा:

(क) एनपीए खातों में वसूली का विनियोजन (वसूली कार्रवाई की विधि/स्थिति/चरण पर विचार किये बिना) निम्न प्राथमिकता के क्रम में विनियमित किया जाएगा:

i. वसूली हेतु किए गए व्यय/फुटकर खर्च (पूर्व में ज्ञापन देयों में रिकॉर्ड किए गए);

ii. इसके बाद अप्राप्त/उपचित ब्याज के लिए;

iii. प्रमुख अनियमितताएं अर्थात खाते में बकाया एनपीए।

iv. दंडात्मक शुल्क

ऐसे उधारकर्ताओं के मामले में जिनके पास एकाधिक खाते हैं – एक खाते में वसूली प्राप्त करने पर, सिस्टम उसी खाते के व्यय, ब्याज, मूलधन और दंडात्मक शुल्क के लिए वसूली को विनियोजित करता है। इसके अतिरिक्त, अधिशेष वसूली राशि, यदि कोई हो, उसी ग्राहक के लिए दूसरे खाते के व्यय, ब्याज, मूलधन और दंडात्मक शुल्क के लिए विनियोजित की जाती है।

(ख) हालांकि, एनसीएलटी के माध्यम से किए जाने वाले समझौते और समाधान/निपटान के मामले में, तकनीकी रूप से राइट ऑफ (टीडब्लूओ) और सीजीटीएमएसई/ईसीजीसी/जीईसीएल/सीजीएफएमयू के कारण प्राप्त क्रेडिट और सब्सिडी, यदि कोई हो, को मूलधन, व्यय/वसूली के लिए किए गए जेब से किए गए खर्च (पहले ज्ञापन बकाया में दर्ज), ब्याज और दंड शुल्क के क्रम में विनियोजित किया जाएगा।

2.2 The difference between cost to the Group of its investment in the subsidiaries and the group's portion of the equity of the subsidiaries is recognized as Goodwill/Capital Reserve.

2.3 Minority interest in the net assets of consolidated subsidiaries consists of:

a) The amount of equity attributable to the minority at the date on which investments in a subsidiary is made; and

b) The minority share of movements in equity since date of parent-subsidiary relationship came into existence

**SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES FOLLOWED BY THE PARENT:**

**3. REVENUE RECOGNITION:**

3.1 Income & expenditure (other than items referred to in paragraph 3.2 & 3.5) are generally accounted for on accrual basis.

3.2 Income from Non- Performing Assets (NPAs), comprising of advances and investments, is recognized upon realization, as per the prudential norms prescribed by the RBI/ respective country regulators in the case of foreign offices (hereafter collectively referred to as Regulatory Authorities).

3.3 Mode of appropriation of recovery in order of priority will be as below:

(a) Appropriation of Recoveries in NPA accounts (irrespective of the mode / status / stage of recovery actions) shall be regulated in the following order of priority:

i. Expenditure/Out of Pocket Expenses incurred for Recovery (earlier recorded in Memorandum Dues);

ii. Thereafter towards the interest irregularities / accrued interest;

iii. Principal irregularities, i.e., NPA outstanding in the account.

iv. Penal Charges

In case of borrowers who are having multiple accounts – On receiving recovery in one account, system appropriates recovery towards Expenditure, Interest, Principal and penal charges. Further, surplus recovery amount, if any, is appropriated towards Expenditure, Interest, Principal and penal charges of another account for same customer.

(b) However, in case of Compromise, Resolution/ Settlement through NCLT, Technically Written Off (TWO) & Credits received on account of CGTMSE / ECGC / GECL / CGFMU and subsidy if any, shall be appropriated in the order of Principal, Expenditure / out of pocket expenses incurred for recovery (earlier recorded in Memorandum Dues), Interest and penal charges.

(ग) वाद दायर /डिक्री खातों के मामले में, वसूली निम्नानुसार की जाती है:

i. संबंधित न्यायालय के निर्देशानुसार।

ii. न्यायालय से विशिष्ट निर्देशों की अनुपस्थिति में, जैसा कि ऊपर बिंदु (ए) में बताया गया है।

उपर्युक्त में किसी प्रकार की विसंगतियों पर एचओसीएसी–III (एचओसीएसी–III तक की विभिन्न समितियों की शक्तियों के अंतर्गत आने वाले प्रस्तावों के लिए) और प्रबंधन समिति/बोर्ड द्वारा अपनी निहित शक्तियों के तहत प्रस्तावों पर विचार किया जा सकता है।

3.4 एनपीए की बिक्री, को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित दिशा–निर्देशों तथा पैरा 5.3 के अंतर्गत प्रकटीकरण के अनुसार लेखांकित किया गया है।

3.5 कमीशन (सरकारी कारोबार, बीमा कारोबार, म्यूचुअल फंड कारोबार, साख पत्र और बैंक गारंटी को छोड़कर), विनिमय, लॉकर किराए, 'व्यापार' के रूप में नामित रुपया डेरिवेटिव पर आय और म्यूचुअल फंड, वैकल्पिक निवेश फंड और अन्य ऐसे पूल/सामूहिक निवेश फंड की इकाइयों से आय को वसूली पर और बीमा दावों को निपटान पर लेखांकित किया जाता है। अतिदेय देशी बिलों पर ब्याज को वसूली होने पर हिसाब में लिया जाता है और अतिदेय विदेशी बिल पर ब्याज को इसका क्रिस्टलीकरण होने तक क्रिस्टलीकरण पर तथा उसके बाद वसूली होने पर लेखांकित किया जाता है।

3.6 वाद दायर खातों के मामले में संबंधित कानूनी और अन्य खर्चे लाभ–हानि लेखे में प्रभारित किए जाते हैं और इसकी वसूली होने पर उनकी गणना तदनुसार की जाती है।

3.7 आयकर के रिफ़ंड पर ब्याज से होने वाली आय को संबंधित प्राधिकारियों द्वारा पारित आदेश के वर्ष में लेखांकित किया जाता है।

3.8 परिचालनगत पट्टे पर ली गई आस्तियों के लिए लागत वृद्धि सहित पट्टे का भुगतान पट्टे अवधि के ऊपर आईसीएआई द्वारा जारी एएस 19(लीज) के अनुसार लाभ–हानि लेखे में लिया जाता है।

3.9 क्रेडिट कार्डों पर रिवार्ड पॉइंट के लिए प्रावधान प्रत्येक श्रेणी में संचित बकाया पॉइंट्स पर आधारित है।

3.10 यदि मीयादी जमा (टीडी) परिपक्व हो जाती है और आय का भुगतान नहीं किया जाता है तो, बैंक के पास दावा न की गई राशि पर बचत खाते पर लागू ब्याज दर या परिपक्व मीयादी जमा पर ब्याज की अनुबंधित दर, जो भी कम हो, देय होगी।

3.11 बैंक कॉर्पोरेट निकायों के शेयरों के लिए उपचय के आधार पर लाभांश आय को मान्यता देता है, बशर्ते कि कॉर्पोरेट निकाय द्वारा अपनी वार्षिक आम बैठक में लाभांश घोषित किया गया हो और भुगतान प्राप्त करने का स्वामी का अधिकार स्थापित हो। एएफएस के तहत रखे गए इक्विटी निवेशों पर लाभांश आय को भी लाभ और हानि खाते में मान्यता दी जाती है।

(c) In case of suit filed/decreed accounts, recovery is appropriated as under:

i. As per the directives of the concerned Court.

ii. In the absence of specific directives from the Court, as mentioned at point (a) above.

Any exceptions to the above may be considered by HOCAC-III (for proposals falling under the powers of various committees upto HOCAC-III) & Management Committee / Board for proposals under their vested powers.

3.4 The sale of NPA is accounted as per guidelines prescribed by RBI and as disclosed under Para 5.3.

3.5 Commission (excluding on Government Business, Insurance Business, Mutual Fund Business, Letter of Credit and Bank Guarantee), exchange, locker rent, Income on Rupee Derivatives designated as 'Trading' and Income from units of mutual funds, alternative investment funds & other such pooled/ collective investment funds are accounted for on realization and insurance claims are accounted for on settlement. Interest on overdue inland bills is accounted for on realization and interest on overdue foreign bill, till its crystallization is accounted for on crystallization and thereafter on realization.

3.6 In case of suit filed accounts, related legal and other expenses incurred are charged to Profit & Loss Account and on recovery, the same are accounted for as such.

3.7 Income from interest on refund of income tax is accounted for in the year the order is passed by the concerned authority.

3.8 Lease payments including cost escalation for assets taken on operating lease are recognized in the Profit and Loss Account over the lease term in accordance with the AS 19 (Leases) issued by ICAI.

3.9 Provision for Reward Points on Credit cards is made based on the accumulated outstanding points in each category.

3.10 If Term Deposit (TD) matures and proceeds are unpaid, the amount left unclaimed with the Bank attracts rate of interest as applicable to savings account or the contracted rate of interest on the matured TD, whichever is lower.

3.11 Bank recognizes dividend income on accrual basis for shares of corporate bodies provided dividend has been declared by the corporate body in its Annual General Meeting and the owner's right to receive payment is established. Dividend income on equity investments held under AFS is also recognised in the Profit and Loss Account.

## 4. निवेश:

4.1 जैसे ही सौदा हो जाता है (चाहे निपटान हो या नहीं) आवश्यक वाउचर पारित कर दिए जाते हैं। इक्विटी सौदों के लिए, लेनदेन वाउचर सौदे की तिथि पर पारित किए जाते हैं और अन्य सौदों के लिए, कॉन्ट्रा वाउचर सौदे की तिथि पर पारित किए जाते हैं तथा प्रतिभूतियों में लेनदेन वाउचर निपटान की तिथि पर पारित किए जाते हैं।

4.2 निवेशों को बैंककारी विनियम अधिनियम, 1949 की तीसरी अनुसूची (फॉर्म ए– अनुसूची 8– निवेश) में यथानिर्दिष्ट छह श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है।

4.3 संपूर्ण निवेश पोर्टफोलियो (स्वयं की समनुषंगियों, संयुक्त उद्यमों और सहयोगियों में निवेश को छोड़कर) को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, अर्थात, परिपक्वता तक धारित (एचटीएम), बिक्री के लिए उपलब्ध (एएफएस) और लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीपीएल)। ट्रेडिंग के लिए धारित (एचएफटी) एफवीटीपीएल के अंतर्गत एक अलग निवेश उपश्रेणी है। निवेश की श्रेणी अधिग्रहण से पहले या उस समय तय की जाती है।

(क) एचटीएम: निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने वाली प्रतिभूतियों को एचटीएम के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है:

(i) परिपक्वता तक धारण करने के इरादे और उद्देश्य से अर्जित प्रतिभूति, अर्थात वित्तीय परिसंपत्तियों को संविदात्मक नकदी प्रवाह एकत्र करने के उद्देश्य से धारण किया जाता है; तथा

(ii) प्रतिभूति की संविदात्मक शर्तें नकदी प्रवाह को बढ़ावा देती हैं जो निर्दिष्ट तिथियों पर केवल मूलधन और बकाया मूलधन पर ब्याज का भुगतान ('एसपीपीआई मानदंड') है।

(ख) एएफएस: निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने वाली प्रतिभूतियों को एएफएस के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है:

(i) प्रतिभूति का अधिग्रहण इस उद्देश्य से किया जाता है कि उसे संविदागत नकदी प्रवाह एकत्रित करके तथा प्रतिभूतियों को बेचकर प्राप्त किया जाए; तथा

(ii) प्रतिभूति की संविदात्मक शर्तें 'एसपीपीआई मानदंड' को पूरा करती हैं।

(iii) इक्विटी शेयर जहां, प्रारंभिक मान्यता पर, एएफएस में वर्गीकृत करने का अपरिवर्तनीय विकल्प का प्रयोग किया गया है

## 4. INVESTMENTS:

4.1 As soon as the deal is entered into (whether settled or not) necessary vouchers are passed. For the equity deals, transaction vouchers are passed on the deal date and for other deals, contra vouchers are passed on deal date and transaction vouchers in securities are passed on the date of settlement.

4.2 Investments are classified into six categories as stipulated in Third Schedule to the Banking Regulation Act, 1949 (Form A- Schedule 8- Investment).

4.3 Entire investment portfolio (except investments in own subsidiaries, joint ventures and associates) has been classified under three categories, viz., Held to Maturity (HTM), Available for Sale (AFS) and Fair Value through Profit and Loss (FVTPL). Held for Trading (HFT) is a separate investment subcategory within FVTPL. The category of the investment is decided before or at the time of acquisition.

(a) HTM: Securities fulfilling the following conditions are classified under HTM:

(i) The security acquired with the intention and objective of holding it to maturity, i.e., the financial assets are held with an objective to collect the contractual cash flows; and

(ii) The contractual terms of the security give rise to cash flows that are solely payments of principal and interest on principal outstanding ('SPPI criterion') on specified dates.

(b) AFS: Securities fulfilling the following conditions are classified under AFS:

(i) The security acquired with an objective that is achieved by both collecting contractual cash flows and selling securities; and

(ii) The contractual terms of the security meet the 'SPPI criterion'.

(iii) Equity shares where, at initial recognition, the irrevocable option to classify in AFS has been exercised.

(iv) एएफएस प्रतिभूतियों में आस्ति देयता प्रबंधन (एएलएम) प्रयोजनों के लिए निर्धारित की गई ऋण प्रतिभूतियां भी शामिल हैं जो एसपीपीआई मानदंड को पूरा करती हैं, जहां बैंक का इरादा परिपक्वता तक धारण करने या परिपक्वता से पहले बेचने के संबंध में लचीला है।

(ग) एफवीटीपीएलः जो प्रतिभूतियाँ एचटीएम या एएफएस में शामिल होने के लिए अपात्र हैं, उन्हें एफवीटीपीएल के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। इनमें अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) इक्विटी शेयर, (ए) सहायक कंपनियों, सहयोगियों या संयुक्त उद्यमों के इक्विटी शेयरों और (बी) इक्विटी शेयरों के अलावा एएफएस के अंतर्गत वर्गीकृत है।

(ii) म्यूचुअल फंड, वैकल्पिक निवेश फंड, रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश ट्रस्ट आदि में निवेश।

(iii) प्रतिभूतिकरण नोटों में निवेश जो एसपीपीआई मानदंड को पूरा नहीं करते हैं।

(iv) बॉण्ड, डिबेंचर आदि, जहां भुगतान ब्याज दर बेंचमार्क के बजाय किसी विशेष सूचकांक जैसे इक्विटी सूचकांक में होने वाले उतार–चढ़ाव से जुड़ा होता है।

एचएफटीः एफवीटीपीएल के अंतर्गत एचएफटी नाम से एक अलग उप–श्रेणी बनाई गई है और इसमें निम्नलिखित सभी लिखत शामिल हैं–

- अल्पकालिक पुनर्विक्रय;
- अल्पकालिक मूल्यों के उतार–चढ़ाव से लाभ उठाना;
- मध्यस्थता लाभ को लॉक करना; या
- उपर्युक्त लिखतों से उत्पन्न होने वाले जोखिमों की बचाव व्यवस्था।
- ऐसे लिखत जो बैंकिंग बही में शुद्ध लघु ऋण या इक्विटी स्थिति को बढ़ावा देंगे।
- कोई भी वित्तीय साधन जब उसे बेचने या पूर्णतः बचाव व्यवस्था के विरुद्ध कोई कानूनी बाधा न हो।

4.4 समनुषंगियों, सहयोगी संस्थाओ और संयुक्त उपक्रमों में निवेश

समनुषंगियों, सहयोगी संस्थाओ और संयुक्त उपक्रमों में सभी निवेशों को अन्य निवेश श्रेणियों से अलग एक विशिष्ट श्रेणी में रखा जाता है।

4.5 एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में निवेशों के पुनर्वर्गीकरण के मामले में, लेखांकन ट्रीटमेंट निम्न तालिका में दिया गया है–

(iv) AFS securities also include debt securities held for asset liability management (ALM) purposes that meet the SPPI criterion where the Bank's intent is flexible with respect to holding to maturity or selling before maturity.

(c) FVTPL: Securities that do not qualify for inclusion in HTM or AFS are classified under FVTPL. These inter-alia include:

(i) Equity shares, other than (a) equity shares of subsidiaries, associates or joint ventures and (b) equity shares classified under AFS.

(ii) Investments in Mutual Funds, Alternative Investment Funds, Real Estate Investment Trusts, Infrastructure Investment Trusts, etc.

(iii) Investment in securitisation notes which do not meet SPPI criterion.

(iv) Bonds, debentures, etc. where the payment is linked to the movement in a particular index such as an equity index rather than an interest rate benchmark.

HFT: Separate sub-category called HFT is created within FVTPL and it consists of all instruments set out in the following –

- short-term resale;
- profiting from short-term price movements;
- locking in arbitrage profits; or
- hedging risks that arise from instruments meeting above.
- instruments that would give rise to a net short credit or equity position in the banking book.
- Any financial instrument when there is no legal impediment against selling or fully hedging it.

4.4 Investments in Subsidiaries, Associates and Joint Ventures

All investments in subsidiaries, associates and joint ventures are held in a distinct category separate from the other investment categories.

4.5 In case of Reclassification of investments from one category to another category, the accounting treatment is as given in the table below –

| क्र.सं. | से | तक | लेखांकन ट्रीटमेंट |
|---|---|---|---|
| क. | एचटीएम | एएफएस | पुनर्वर्गीकरण तिथि पर मापा गया उचित मूल्य संशोधित वहन मूल्य है। संशोधित वहन मूल्य और पिछले वहन मूल्य के बीच अंतर से उत्पन्न होने वाले किसी भी लाभ या हानि को एएफएस–रिजर्व में मान्यता दी जाती है। |
| ख. | एचटीएम | एफवीटीपीएल | पुनर्वर्गीकरण तिथि पर मापा गया उचित मूल्य संशोधित वहन मूल्य है। निवेशों के संशोधित वहन मूल्य और पिछले वहन मूल्य के बीच अंतर से उत्पन्न होने वाले किसी भी लाभ या हानि को अनुसूची 14: 'अन्य आय' के अंतर्गत मद (III): 'निवेशों के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ' के अंतर्गत लाभ और हानि खाते में मान्यता दी जाती है। |
| ग. | एएफएस | एचटीएम | निवेशों को पुनर्वर्गीकरण तिथि पर उसके उचित मूल्य पर पुनर्वर्गीकृत किया जाता है। हालाँकि, एएफएस–रिजर्व में पहले से मान्यता प्राप्त संचयी लाभ/हानि को वापस ले लिया जाता है और संशोधित वहन मूल्य पर पहुँचने के लिए पुनर्वर्गीकरण तिथि पर निवेशों के उचित मूल्य पर समायोजित किया जाता है। |
| घ. | एएफएस | एफवीटीपीएल | निवेशों को उचित मूल्य पर मापा जाना जारी है। एएफएस रिजर्व में पहले से मान्यता प्राप्त संचयी लाभ या हानि को वापस ले लिया गया है और लाभ और हानि खाते में मद (III) के तहत मान्यता दी गई हैः 'अनुसूची 14 के तहत निवेशों के पुनर्मूल्यांकन पर लाभः 'अन्य आय'। |
| ड़. | एफवीटीपीएल | एचटीएम | पुनर्वर्गीकरण तिथि पर उचित मूल्य को दर्शाने वाली वहन राशि अपरिवर्तित बनी रहती है। |
| च | एफवीटीपीएल | एएफएस | |

पुनर्वर्गीकरण भावी रूप से पुनर्वर्गीकरण तिथि से लागू किया जाता है तथा पुनर्वर्गीकरण समायोजनों सहित ऐसे पुनर्वर्गीकरण का विवरण यदि मामला जारी रहता है, तो वित्तीय विवरणों के नोटों में प्रकटीकरण के रूप में प्रदान किया जाता है।

4.6 किसी निवेश की अधिग्रहण लागत निर्धारित करने में

(क) प्रतिभूतियों के अधिग्रहण के संबंध में भुगतान किए गए ब्रोकरेज, कमीशन, प्रतिभूति लेनदेन कर (एसटीटी) आदि को राजस्व व्यय के रूप में माना जाता है और लागत से बाहर रखा जाता है।

(ख) प्रतिभूतियों के अधिग्रहण/बिक्री की तिथि तक अर्जित ब्याज, अर्थात् खंडित अवधि का ब्याज, अधिग्रहण लागत/बिक्री प्रतिफल से बाहर रखा जाता है तथा उसकी अर्जित ब्याज के रूप में गणना की जाती है, लेकिन देय नहीं माना जाता है।

(ग) सभी श्रेणियों के निवेशों के लिए लागत का निर्धारण भारित औसत लागत पद्धति पर किया जाता है।

(घ) सभी निवेशों को प्रारंभिक मान्यता पर उचित मूल्य पर मापा जाता है। जब तक तथ्य और परिस्थितियाँ यह न सुझाएँ कि उचित मूल्य

| S. No. | From | To | Accounting Treatment |
|---|---|---|---|
| a. | HTM | AFS | The fair value measured at the reclassification date is the revised carrying value. Any gain or loss arising from a difference between the revised carrying value and the previous carrying value is recognised in AFS-Reserve. |
| b. | HTM | FVTPL | The fair value measured at the reclassification date is the revised carrying value. Any gain or loss arising from a difference between the revised carrying value and previous carrying value of the investments is recognised in the Profit and Loss Account under Item (III): 'Profit on revaluation of investments' under Schedule 14: 'Other Income'. |
| c. | AFS | HTM | The investments are reclassified at its fair value at the reclassification date. However, the cumulative gain/loss previously recognised in the AFS-Reserve is withdrawn and adjusted against the fair value of the investments at the reclassification date to arrive at the revised carrying value. |
| d. | AFS | FVTPL | The investments are continuing to be measured at fair value. The cumulative gain or loss previously recognised in AFS Reserve is withdrawn and recognised in the Profit and Loss Account, under Item (III): 'Profit on revaluation of investments under Schedule 14: 'Other Income'. |
| e. | FVTPL | HTM | The carrying amount representing the fair value at the reclassification date remains unchanged. |
| f. | FVTPL | AFS | |

The reclassification is applied prospectively from reclassification date and details of such reclassification including the reclassification adjustments is provided as disclosure in the notes to the financial statements, if the case persists.

4.6 In determining acquisition cost of an investment

(a) Brokerage, commission, Securities Transaction Tax (STT) etc. paid in connection with acquisition of securities are treated as revenue expenses upfront and excluded from cost.

(b) Interest accrued up to the date of acquisition/sale of securities i.e. broken-period interest is excluded from the acquisition cost/sale consideration and the same is accounted as interest accrued but not due.

(c) Cost is determined on the weighted average cost method for all categories of investments.

(d) All investments are measured at fair value on initial recognition. Unless facts and circumstances suggest that

अधिग्रहण लागत से भौतिक रूप से भिन्न है, तब तक यह माना जाता है कि अधिग्रहण लागत ही उचित मूल्य है। अन्य मामलों में, निम्नलिखित ट्रीटमेंट किया जाता है:

- जहां प्रतिभूतियों को उद्धृत किया जाता है या उचित मूल्य का निर्धारण बाजार प्रत्यक्ष निविष्टियों (जैसे कि आय वक्र, ऋण प्रसार, आदि) के आधार पर किया जाता है, अनुसूची 14 के अंतर्गत किसी भी 1 दिन के लाभ/हानि को लाभ और हानि खाते में स्वीकार किया जाता है: 'अन्य आय' को 'निवेश के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ' या 'निवेश के पुनर्मूल्यांकन पर हानि' उपशीर्षक के अंतर्गत शामिल किया जाएगा।
- स्तर 3 निवेश से उत्पन्न किसी भी एक दिन की हानि को तुरंत स्वीकार किया जाएगा।
- लेवल 3 निवेशों से होने वाले किसी भी दिन 1 के लाभ को स्थगित कर दिया जाता है। ऋण साधनों के मामले में, पहले दिन के लाभ को परिपक्वता तिथि (या सतत साधनों के लिए सबसे प्रारंभिक कॉल तिथि) तक सीधे आधार पर परिशोधित किया जाता है, जबकि गैर–उद्धृत इक्विटी साधनों के लिए, लाभ को देयता के रूप में तब तक अलग रखा जाता है जब तक कि प्रतिभूति सूचीबद्ध या अमान्य नहीं हो जाती

4.7 आरबीआई/एफआईएमएमडीए के दिशानिर्देशों के अनुसार, निवेश का मूल्यांकन निम्नलिखित आधार पर किया जाता है:

I. परिपक्वता तक धारित

एचटीएम में रखी गई प्रतिभूतियों को लागत पर धारित किया जाता है और प्रारंभिक मान्यता के बाद उन्हें बाजार मूल्य (एमटीएम) पर नहीं बेचा जाता है।

II. एएफएस

एएफएस में धारित की गई प्रतिभूतियों का दैनिक आधार पर उचित मूल्यांकन किया जाता है। एएफएस के अंतर्गत रखे गए सभी निष्पादित निवेशों (अर्थात सरकारी प्रतिभूतियां, अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां, बॉण्ड और डिबेंचर, आदि) के मूल्यांकन लाभ और हानि को एकत्रित किया जाता है और शुद्ध मूल्यवृद्धि या मूल्यह्रास को लाभ और हानि खाते के माध्यम से भेजे बिना सीधे एएफएस रिजर्व में जमा या डेबिट किया जाता है।

III. एफवीटीपीएल

एफवीटीपीएल में रखी गई प्रतिभूतियों का उचित मूल्यांकन किया जाता है और ऐसे मूल्यांकन पर होने वाले शुद्ध लाभ या हानि को लाभ और हानि खाते में जमा या डेबिट किया जाता है। उपरोक्त में से, एफवीटीपीएल के अंतर्गत एचएफटी उप–श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत प्रतिभूतियों का उचित मूल्यांकन दैनिक आधार पर किया जाता है, तथा एफवीटीपीएल के अंतर्गत आने वाली अन्य प्रतिभूतियों का उचित मूल्यांकन दैनिक आधार पर किया जाता है।

IV. सहायक कंपनियों, सहयोगियों और संयुक्त उपक्रमों में निवेश

सहायक कंपनियों, सहयोगियों और संयुक्त उपक्रमों में सभी निवेश (अर्थात् ऋण और इक्विटी सहित) अधिग्रहण लागत पर धारित किए जाते हैं। सहायक कंपनियों, सहयोगी कंपनियों या संयुक्त

the fair value is materially different from the acquisition cost, it is presumed that the acquisition cost is the fair value. In other cases, following treatment is done:

- Where the securities are quoted or the fair value is determined based on market observable inputs (such as yield curve, credit spread, etc.) any Day 1 gain/ loss is recognised in the Profit and Loss Account, under Schedule 14: 'Other Income' within the subhead 'Profit on revaluation of investments' or 'Loss on revaluation of investments'.
- Any Day 1 loss arising from Level 3 investments is recognised immediately.
- Any Day 1 gains arising from Level 3 investments is deferred. In the case of debt instruments, the Day 1 gain is amortized on a straight-line basis up to the maturity date (or earliest call date for perpetual instruments), while for unquoted equity instruments, the gain is set aside as a liability until the security is listed or derecognised.

4.7 Investments are valued as per RBI/ FIMMDA guidelines, on the following basis:

I. Held to Maturity

Securities held in HTM are carried at cost and are not marked to market (MTM) after initial recognition.

II. AFS

The securities held in AFS are fair valued on daily basis. The valuation gains and losses across all performing investments, irrespective of classification (i.e., Government securities, Other approved securities, Bonds and Debentures, etc.), held under AFS are aggregated and net appreciation or depreciation, is directly credited or debited to AFS Reserve without routing through the Profit and Loss account.

III. FVTPL

The securities held in FVTPL are fair valued and the net gain or loss arising on such valuation is credited or debited to the Profit and Loss Account. Out of above, Securities that are classified under the HFT sub-category within FVTPL are fair valued on daily basis and other securities under FVTPL on daily basis.

IV. Investments in Subsidiaries, Associates and Joint Ventures

All investments (i.e., including debt and equity) in subsidiaries, associates and joint ventures are held at acquisition cost. Investments in subsidiaries, associates or joint ventures are evaluated for

उपक्रमों में निवेश की क्षति का मूल्यांकन तिमाही आधार पर किया जाता है और यदि आवश्यक हो तो अधिक बार भी किया जाता है। हानि की स्थिति में, निवेश का मूल्यांकन एक स्वतंत्र पंजीकृत मूल्यांकक द्वारा किया जाता है तथा हानि के लिए प्रावधान लाभ–हानि खाते से किया जाता है। इसे बाद में लाभ और हानि खाते के माध्यम से रिवर्स किया जा सकता है, यदि ह्रास की स्थिति बदल जाती है।

V. परिशोधन/अभिवृद्धि

एचटीएम/एएफएस/एफवीटीपीएल/सहायक कंपनियां, सहयोगी और संयुक्त उपक्रम श्रेणी में ऋण प्रतिभूतियों के अधिग्रहण पर कोई छूट या प्रीमियम ऋण का परिशोधन साधन के शेष जीवनकाल में किया जाता है। परिशोधित राशि वित्तीय विवरणों में अनुसूची 13 के मद II 'निवेश पर आय' के अंतर्गत दर्शाई गई है: 'अर्जित ब्याज' अनुसूची 8 में एक विपरीत: 'निवेश' के साथ। निवेश के परिशोधन और अभिवृद्धि के लिए बैंक 'सीधी रेखा पद्धति' का पालन करना जारी रखता है।

निवेश का उचित मूल्य:

निवेश की प्रारंभिक पहचान और आवधिक मूल्यांकन के प्रयोजन के लिए उचित मूल्य नीचे दी गई तालिका के अनुसार निर्धारित किया जाता है:

| | | |
|---|---|---|
| (क) | उद्धृत प्रतिभूतियां | उद्धृत प्रतिभूतियों का उचित मूल्य फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एफबीआईएल) द्वारा घोषित मूल्य हैं। जिन प्रतिभूतियों के मूल्य एफबीआईएल द्वारा प्रकाशित नहीं किए जाते हैं, उनके लिए उद्धृत प्रतिभूति का उचित मूल्य, मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों, रिपोर्टिंग प्लेटफार्मों या आरबीआई/सेबी द्वारा अधिकृत ट्रेडिंग प्लेटफार्मों पर ट्रेडों/कोट्स से उपलब्ध उद्धृत मूल्य या फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एफआईएमएमडीए) द्वारा घोषित मूल्यों पर आधारित होता है। |
| (ख) | सूची से इतर एसएलआर प्रतिभूतियां | (i) ट्रेजरी बिलों का मूल्यांकन रखाव लागत पर किया जाता है।<br>(ii) सूची से इतर केंद्रीय/राज्य सरकार की प्रतिभूतियों का मूल्यांकन एफबीआईएल द्वारा प्रकाशित कीमतों/वाईटीएम दरों के आधार पर किया जाता है।<br>(iii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों का मूल्यांकन वाईटीएम पद्धति को लागू करके किया जाता है, तथा उन्हें एफबीआईएल द्वारा जारी समतुल्य परिपक्वता की केन्द्रीय सरकार की प्रतिभूतियों के प्रतिफल से 25 आधार अंक अधिक मूल्य पर अंकित किया जाता है। |
| (ग) | सूची से इतर गैर–एसएलआर प्रतिभूतियां | सूची से इतर डिबेंचर और बॉण्ड का मूल्यांकन एफबीआईएल/एफआईएमएमडीए द्वारा केंद्रीय सरकार की प्रतिभूतियों के लिए निर्धारित वाईटीएम दरों पर उचित मार्क–अप लागू करके किया जाता है। |

impairment on quarterly basis and if required, on more frequent basis. In case of impairment, valuation of the investment is being done by an independent registered valuer and provision for impairment is made from Profit and Loss Account. It can be subsequently reversed through Profit and Loss Account, if there is a reversal of the diminution.

V. Amortization/ Accretion

Any discount or premium on the acquisition of debt securities in HTM/ AFS/ FVTPL/ Subsidiaries, Associates and Joint Ventures category is amortised over the remaining life of the instrument. The amortised amount is reflected in the financial statements under item II 'Income on Investments' of Schedule 13: 'Interest Earned' with a contra in Schedule 8: 'Investments'. For amortization and accretion of investments, the Bank continues to follow the 'straight line method'.

Fair Value of Investments:

The fair value for the purpose of initial recognition and periodical valuation of Investments is determined as per table below:

| | | |
|---|---|---|
| (a) | Quoted Securities | The fair value for the quoted securities are the prices declared by the Financial Benchmarks India Private Ltd. (FBIL). For securities whose prices are not published by FBIL, the fair value of the quoted security is based upon quoted price as available from the trades/ quotes on recognised stock exchanges, reporting platforms or trading platforms authorized by RBI/ SEBI or prices declared by the Fixed Income Money Market and Derivatives Association of India (FIMMDA). |
| (b) | Unquoted SLR Securities | (i) Treasury Bills are valued at carrying cost.<br>(ii) Unquoted Central / State Government securities are valued on the basis of the prices/ YTM rates published by FBIL.<br>(iii) Other approved securities are valued by applying YTM method by marking them up by 25 basis points above the yields of the Central Government Securities of equivalent maturity put out by FBIL. |
| (c) | Unquoted Non-SLR Securities | Unquoted debentures and bonds are valued by applying the appropriate mark-up over the YTM rates for Central Government Securities as put out by FBIL/FIMMDA. |

| | | |
|---|---|---|
| (घ) | उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) बॉण्ड और राज्य वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) द्वारा जारी बॉण्ड | (i) उदय बॉण्ड का मूल्यांकन एफबीआईएल द्वारा प्रकाशित कीमतों / प्रतिफल के आधार पर किया जाता है।<br>(ii) डिस्कॉम द्वारा जारी और सेवित राज्य सरकार गारंटीकृत बॉण्ड का मूल्यांकन एफबीआईएल द्वारा प्रकाशित समतुल्य परिपक्वता की केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों के लिए वाईटीएम दरों पर 75 आधार अंकों का मार्क–अप लागू करके किया जाता है।<br>(iii) डिस्कॉम द्वारा जारी और सेवित अन्य बॉण्ड का मूल्यांकन एफबीआईएल द्वारा प्रकाशित समतुल्य परिपक्वता की केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों के लिए वाईटीएम दरों पर 100 आधार अंकों का मार्क–अप लागू करके किया जाता है।<br>(iv) राज्य सरकार द्वारा जारी और सेवित बॉण्ड का मूल्यांकन, एफबीआईएल द्वारा प्रकाशित समतुल्य परिपक्वताओं की केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों के लिए वाईटीएम दरों पर 50 आधार अंकों का मार्क–अप लागू करके किया जाता है। |
| (ङ) | विशेष प्रतिभूतियां | भारत सरकार द्वारा जारी विशेष प्रतिभूतियां, जिन्हें एसएलआर का दर्जा प्राप्त नहीं है, उसका मूल्यांकन समतुल्य परिपक्वता की केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों पर संबंधित प्रतिफल से 25 आधार अंक अधिक पर किया जाता है। |
| (च) | शून्य कूपन बॉण्ड (ज़ेडसीबी) | बाजार मूल्य के अभाव में, ज़ेडसीबी को ज़ेडसीबी के वर्तमान मूल्य के संदर्भ में बाजार मूल्य पर चिह्नित किया जाता है। इस प्रकार निर्धारित उचित मूल्य की तुलना मूल्यांकन लाभ या हानि का निर्धारण करने के लिए रखाव लागत से की जाती है। |
| (छ) | अधिमानी शेयर | उद्धृतः यदि मूल्यांकन तिथि से 15 दिन पहले विनिमय पर कारोबार किया जाता है, तो मूल्य उस कीमत से अधिक नहीं लिया जाता है जिस पर शेयर का कारोबार किया गया था।<br>सूची से इतरः एफबीआईएल द्वारा जारी समतुल्य परिपक्वता की केन्द्रीय सरकार की प्रतिभूतियों के लिए वाईटीएम दरों पर उचित मार्क–अप के साथ वाईटीएम आधार पर, ऐसे अधिमान शेयरों के मोचन मूल्य की अधिकतम सीमा के अधीन। |
| (ज) | इक्विटी शेयर | उन इक्विटी शेयरों के लिए जिन्हें अनकदी के रूप में वर्गीकृत किया गया है या किसी मान्यता प्राप्त एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं है, उनका माना गया उचित मूल्य ब्रेक–अप मूल्य है ('पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि' पर विचार किए बिना, यदि कोई हो) और यह कंपनी की नवीनतम ऑडिटेड बैलेंस शीट से पता लगाया गया है। यदि नवीनतम ऑडिटेड बैलेंस शीट उपलब्ध नहीं है या 18 महीने से अधिक पुरानी है, तो शेयरों का मूल्य प्रति कंपनी ₹1 होगा। |
| (झ) | म्यूचुअल फंड यूनिट्स (एमएफ यूनिट्स) | (a) सूची के इतर एमएफ यूनिटों में निवेश का मूल्यांकन प्रत्येक योजना के संबंध में एमएफ द्वारा घोषित नवीनतम पुनर्खरीद मूल्य के आधार पर किया जाता है।<br>(b) लॉक–इन अवधि वाले फंडों के मामले में या जहां पुनर्खरीद मूल्य / बाजार भाव उपलब्ध नहीं है, यूनिटों का मूल्यांकन योजना के निवल आस्ति मूल्य (एनएवी) पर किया जाता है। यदि एनएवी उपलब्ध नहीं है, तो इनका मूल्यांकन लॉक–इन अवधि के अंत की लागत पर किया जाता है। |
| (ञ) | सीडी / सीपी | जमा प्रमाणपत्र या वाणिज्यिक पत्र का मूल्यांकन वहन लागत पर किया जाता है। |

| | | |
|---|---|---|
| (d) | Ujjwal DISCOM Assurance Yojana (UDAY) bonds and bonds issued by state distribution companies (DISCOMs) | (i) UDAY bonds are valued on basis of prices/ yields published by FBIL.<br>(ii) State government guaranteed bonds issued and serviced by DISCOM are valued by applying a mark-up of 75 basis points on YTM rates for Central Government securities of equivalent maturities as published by FBIL.<br>(iii) Other bonds issued and serviced by DISCOMs are valued by applying a mark-up of 100 basis points on YTM rates for Central Government Securities of equivalent maturities published by FBIL.<br>(iv) Bonds issued and serviced by the State Government are valued by applying a mark-up of 50 basis points on YTM rates for Central Government Securities of equivalent maturities as published by FBIL. |
| (e) | Special securities | Special securities issued by Government of India but do not carry SLR status are valued at a spread of 25 basis points above the corresponding yield on Central Government securities of equivalent maturity. |
| (f) | Zero coupon bonds (ZCBs) | In the absence of market value, the ZCBs are marked to market with reference to the present value of the ZCB. The fair value so determined is compared with the carrying cost to determine valuation gain or loss. |
| (g) | Preference Shares | Quoted: If traded on exchange within 15 days prior to the valuation date, the value is not taken higher than the price at which the share was traded.<br>Unquoted: On YTM basis with appropriate mark-up over the YTM rates for Central Government Securities of equivalent maturity put out by FBIL subject to ceiling of redemption value of such preference shares. |
| (h) | Equity shares | For equity shares which are classified as illiquid or not listed on a recognised exchange, the fair value considered is break-up value (without considering 'revaluation reserves', if any) and the same is ascertained from the company's latest audited balance sheet. In case, the latest audited balance sheet is not available or is more than 18 months old, the shares are valued at ₹ 1 per company. |
| (i) | Mutual Funds Units (MF Units) | (a) Investment in un-quoted MF units are valued on the basis of the latest repurchase price declared by the MF in respect of each scheme.<br>(b) In case of funds with a lock-in period or where repurchase price/ market quote is not available, units are valued at Net Asset Value (NAV) of the scheme. If NAV is not available, these are valued at cost, till the end of the lock-in period. |
| (j) | CD/ CP | Certificate of Deposits or Commercial paper is valued at the carrying cost. |

| | | |
|---|---|---|
| (ट) | आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी (एआरसी) द्वारा जारी सुरक्षा रसीदें (एसआर) और अन्य लिखत | एआरसी (आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों) द्वारा जारी एसआर (प्रतिभूति रसीदें) / अन्य प्रतिभूतियों में उधारदाताओं द्वारा निवेश को समय– समय पर ऐसे लिखत के लिए प्राप्त वसूली रेटिंग के आधार पर एआरसी द्वारा घोषित निवल आस्ति मूल्य (एनएवी) की गणना करके मूल्यांकित किया जाएगा।<br><br>यदि बैंक एआरसी को हस्तांतरित दबावग्रस्त ऋणों के संबंध में एआरसी द्वारा जारी एसआर/पीटीसी में निवेश करता है, बैंक निरंतर आधार पर निवेश को बहीखातों में दर्ज करता है, हस्तांतरण के समय हस्तांतरित दबावग्रस्त ऋण के एनएवी और एनबीवी के आधार पर एसआर के मोचन मूल्य के निचले स्तर पर इसके हस्तांतरण या प्राप्ति तक।<br><br>यदि अंतरणकर्ता (बैंक) द्वारा हस्तांतरित ऋणों के लिए जारी किए गए एसआर में अंतरित आस्ति के प्रति जारी किए गए सभी एसआर के 10 प्रतिशत से अधिक है, तो अंतरणकर्ता की बहियों में एसआर का मूल्य निम्न से कम होगा<br><br>i) ऐसे उपकरणों के लिए प्राप्त रिकवरी रेटिंग के आधार पर एआरसी द्वारा घोषित शुद्ध आस्ति मूल्य (एनएवी); तथा<br>ii) यदि ऋण बैंक की बहियों में जारी रहता तो एसआर का अंकित मूल्य लागू काल्पनिक प्रावधान दर से कम हो जाता।<br><br>इसके अलावा, भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत प्रतिभूति प्राप्तियों का मूल्यांकन एआरसी द्वारा घोषित निवल आस्ति मूल्य (एनएवी) की गणना करके तिमाही आधार पर किया जाता है। हालाँकि, सरकारी गारंटी के अंतिम निपटान या गारंटी अवधि की समाप्ति के बाद जो भी पहले हो, बकाया प्रतिभूति रसीदों, का मूल्य ₹1 होगा। |
| (ठ) | वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ) में निवेश | यदि बाजार मूल्य के अनुसार उद्धृत किया गया हो ।<br>एआईएफ के अनकोटेड लिखतों का मूल्यांकन एआईएफ द्वारा प्रकट किए गए एनएवी पर किया जाता है।<br>एआईएफ के अनकोटेड इंस्ट्रूमेंट्स का मूल्यांकन एआईएफ द्वारा बताए गए एनएवी पर किया जाता है। जहां एआईएफ अपने निवेशों का मूल्यांकन करने और उसका खुलासा करने में विफल रहता है, वहां उसकी इकाइयों का मूल्य ₹1 माना जाता है। |
| (ड) | वेंचर कैपिटल फंड | वीसीएफ द्वारा घोषित निवल आस्ति मूल्य (एनएवी) पर । |
| (ढ) | अन्य निवेश | मूल्य ह्रास को घटाकर रखाव लागत पर। |

4.8 जब मूलधन और/या ब्याज को इक्विटी, डिबेंचर, बॉण्ड आदि में परिवर्तित किया जाता है, तो ऐसे लिखतों को प्रारंभिक मान्यता के समय एचटीएम, एएफएस या एफवीटीपीएल (एचएफटी सहित) में वर्गीकृत किया जाता है। इसके अतिरिक्त, ऐसे लिखतों का आस्ति वर्गीकरण ऋण के समान ही होता है, तथा प्रावधान प्रासंगिक मानदंडों के अनुसार किया जाता है।

4.9 निवेशों की बिक्री/परिपक्वता पर लेखांकन ट्रीटमेंट:

I. एचटीएम: एचटीएम में निवेश की बिक्री पर किसी भी लाभ या हानि को अनुसूची 14 के मद II: 'अन्य आय' के अंतर्गत लाभ और हानि खाते में मान्यता दी जा रही है। एचटीएम में निवेश की बिक्री पर लाभ को लाभ और हानि खाते से 'पूंजी आरक्षित खाते' में विनियोजित किया जाता है। इस प्रकार विनियोजित राशि में से करों को घटा कर यह राशि सांविधिक रिजर्व में स्थानांतरित कर दी जाएगी।

| | | |
|---|---|---|
| (k) | Security receipts (SRs) and other instruments issued by Asset Reconstruction Company (ARC) | Investments by lenders in SRs (Security Receipts) / other securities issued by ARCs (Asset Reconstruction Companies) are valued periodically by reckoning the Net Asset Value (NAV) declared by the ARC based on the recovery ratings received for such instruments.<br><br>If the Bank invests in the SRs / PTCs issued by ARCs in respect of the stressed loans transferred by them to the ARC, the Bank carries the investment in books on ongoing basis, until its transfer or realization, at lower of the redemption value of SRs arrived based on the NAV and the NBV of the transferred stressed loan at the time of transfer.<br><br>If the investment by the transferor (Bank) in SRs issued against loans transferred by it is more than 10 percent of all SRs issued against the transferred asset, then the valuation of the SRs on the books of the transferor is the lower of the following:<br>(i) Net Asset Value (NAV) declared by the ARC based on the recovery ratings received for such instruments; and<br>(ii) Face value of the SRs reduced by the notional provisioning rate applicable if the loans had continued on the books of the Bank.<br><br>Further, Security Receipts guaranteed by the Government of India are valued quarterly by reckoning the Net Asset Value (NAV) declared by the ARC. However, security receipts outstanding after the final settlement of the government guarantee or the expiry of the guarantee period, whichever is earlier, is valued at ₹1. |
| (l) | Investment in Alternative Investment Funds (AIFs) | If Quoted, as per market price.<br>Unquoted instruments of AIFs are valued at the NAV as disclosed by the AIF. Where an AIF fails to carry out and disclose the valuation of its investments, the value of its units is treated as ₹1. |
| (m) | Venture Capital Funds | At net asset value (NAV) declared by the VCF |
| (n) | Other Investments | At carrying cost less diminution in value |

4.8 When principal and/or interest are converted into equity, debentures, bonds, etc., such instruments are categorised in HTM, AFS or FVTPL (including HFT) at the time of initial recognition. Further, the asset classification of such instruments are same as the loan and provision are made as per the relevant norms.

4.9 Accounting Treatment on sale/ maturity of investments:

I. HTM: Any profit or loss on the sale of investments in HTM is being recognised in the Profit and Loss Account under Item II of Schedule 14: 'Other Income'. The profit on sale of an investment in HTM is appropriated from the Profit and Loss Account to the 'Capital Reserve Account'. The amount so appropriated will be net of taxes and the amount to be transferred to Statutory Reserve.

II. एएफएसः

क. प्रारंभिक मान्यता के समय एएफएस के अंतर्गत नामित इक्विटी लिखतों के मामले में, ऐसे निवेशों की बिक्री पर होने वाला कोई भी लाभ या हानि एएफएस–रिजर्व से पूंजी रिजर्व में अंतरित कर दिया जाता है।

ख. एएफएस श्रेणी में ऋण साधन की बिक्री या परिपक्वता पर, एएफएस–रिजर्व में उस प्रतिभूति के लिए संचित लाभ/हानि को एएफएस रिजर्व से अंतरित कर दिया जाता है और अनुसूची 14–अन्य आय के अंतर्गत निवेश की बिक्री पर मद II लाभ के अंतर्गत लाभ और हानि खाते में मान्यता दी जाती है।

III. एफवीटीपीएलःबिक्री पर किसी भी लाभ या हानि को एचएफटी प्रतिभूतियों सहित लाभ और हानि खाते के माध्यम से सीधे मान्यता दी जाती है।

IV. सहायक, सहयोगी और संयुक्त उद्यमः किसी सहायक, सहयोगी या संयुक्त उद्यम में निवेश के पुनर्वर्गीकरण/बिक्री पर होने वाले किसी भी लाभ/मुनाफे को पहले लाभ और हानि खाते में मान्यता दी जाती है और फिर लाभ और हानि खाते से 'पूंजी आरक्षित खाते' में विनियोजित किया जाता है। इस प्रकार विनियोजित राशि करों और सांविधिक आरक्षित निधियों में स्थानांतरित की जाने वाली निवल राशि होगी।

वाणिज्यिक बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो के वर्गीकरण, मूल्यांकन और परिचालन पर आरबीआई मास्टर निर्देश (निर्देश), 2023 दिनांक 12 सितंबर, 2023 के सभी अन्य दिशानिर्देश और अन्य बाद के दिशानिर्देश/स्पष्टीकरणों का पालन किया जाता है।

4.10 पुनर्खरीद व्यवस्था के अंतर्गत पुनर्खरीद/पुनर्विक्रय की गई प्रतिभूतियों को उनकी मूल लागत पर हिसाब में लिया जाता है।

4.11 भारतीय रिजर्व बैंक के एनपीआई वर्गीकरण के विवेकी मानदंडों के अनुरूप निवेश उपयुक्त प्रावधानीकरण/आय अमान्यीकरण के अधीन हैं। एक बार जब किसी निवेश को एनपीआई के रूप में वर्गीकृत कर दिया जाता है, तो उसे शेष पोर्टफोलियो से अलग कर दिया जाता है तथा मूल्यांकन लाभ और हानि के लिए उस पर विचार नहीं किया जाता है।

यदि किसी इकाई द्वारा प्राप्त कोई ऋण सुविधा बैंक की बही में एनपीए है, तो उसी इकाई द्वारा जारी किसी प्रतिभूतियों में कोई भी निवेश एनपीई के रूप में और इसके विलोमतरू माना जाएगा। हालांकि, एनपीआई अधिमानी शेयरों के संबंध में जहां लाभांश का भुगतान नहीं किया गया है, वहां तदनुरुपी ऋण सुविधा को एनपीए नहीं माना जाएगा।

प्रतिभूतियों, अर्थात् बाण्ड, डिबेंचर आदि के मामले में प्रावधान निम्नलिखित राशियों में से उच्चतर राशि के रूप में किया जाता हैः

(i) एनपीआई के रूप में वर्गीकृत किए जाने से तुरंत पहले निवेश के वहन मूल्य पर गणना की गई आईआरएसीपी मानदंडों के अनुसार आवश्यक प्रावधान की राशि; तथा

(ii) एनपीआई के रूप में वर्गीकरण की तिथि पर इसके वहन मूल्य के संदर्भ में निवेश पर मूल्यह्रास ।

आईआरएसीपी मानदंडों के अनुसार खाते को अपग्रेड किए जाने पर, पहले से मान्यता प्राप्त किसी भी प्रावधान को बदल दिया जाएगा और एमटीएम लाभ और हानि की सममित मान्यता फिर से आरंभ हो जाएगी।

II. AFS:

a. In the case of equity instruments designated under AFS at the time of initial recognition, any gain or loss on sale of such investments is transferred from AFS-Reserve to the Capital Reserve.

b. On sale or maturity of a debt instrument in AFS category, the accumulated gain/ loss for that security in the AFS-Reserve is transferred from the AFS Reserve and recognized in the Profit and Loss Account under item II Profit on sale of investments under Schedule 14-Other Income.

III. FVTPL: Any profit or loss on the sale is recognised directly through Profit and Loss Account including HFT securities.

IV. Subsidiaries, Associates and Joint Ventures: Any gain/ profit arising on the reclassification/ sale of an investment in a subsidiary, associate or joint venture is first recognised in the Profit and Loss Account and then appropriated from the Profit and Loss Account to the 'Capital Reserve Account'. The amount so appropriated will be net of taxes and the amount to be transferred to Statutory Reserves.

All other guidelines of RBI Master Direction on Classification, Valuation and Operation of Investment Portfolio of Commercial Banks (Directions), 2023 dated September 12, 2023, and other subsequent guidelines/ clarifications are adhered to.

4.10 Securities repurchased/resold under buy back arrangement are accounted for at original cost.

4.11 Investments are subject to appropriate provisioning/ de-recognition of income, in line with the prudential norms of Reserve Bank of India for NPI classification. Once an investment is classified as an NPI, it is segregated from rest of the portfolio and not considered for netting valuation gains and losses.

If any credit facility availed by an entity is NPA in the books of the Bank, investment in any of the securities issued by the same entity is also treated as NPI and vice versa. However, in respect of NPI preference share where the dividend is not paid, the corresponding credit facility is not treated as NPA.

In case of securities, i.e., bonds, debentures, etc. the provision is made as higher of the following amounts:

(i) The amount of provision required as per IRACP norms computed on the carrying value of the investment immediately before it was classified as NPI; and

(ii) The depreciation on the investment with reference to its carrying value on the date of classification as NPI.

Upon an account being upgraded as per IRACP norms, any provision previously recognised is reversed and symmetric recognition of MTM gains and losses will be resumed.

किसी कंपनी के गैर उद्धृत शेयरों में निवेश के मामले में, जिनका मूल्य नवीनतम तुलन पत्र की अनुपलब्धता के कारण ₹1 प्रति कंपनी है, उन इक्विटी शेयरों को एनपीआई के रूप में गणना की जाती है। लेखापरीक्षित तुलन–पत्र प्राप्त होने पर एनपीआई को बाद में अपग्रेड किया जा सकता है।

एएफएस (बिक्री के लिए उपलब्ध) के अंतर्गत वर्गीकृत निवेशों के लिए प्रावधान निम्नानुसार प्रबंधित किए जाते हैं:

- जब एएफएस–रिजर्व में संचयी लाभ होता है, तो इन लाभों की राशि तक एएफएस–रिजर्व पर प्रभार लगाकर आवश्यक प्रावधान बनाया जा सकता है।
- जब एएफएस–रिजर्व में संचयी घाटा होता है, तो इन घाटे को एएफएस–रिजर्व से लाभ और हानि खाते में अंतरित कर दिया जाता है।

4.12 रेपो या रिवर्स रेपो लेनदेन के अंतर्गत पुनर्खरीद या पुनर्विक्रय के समझौते के साथ बेची या खरीदी गई प्रतिभूतियाँ, जिनमें त्ठप् के साथ तरलता समायोजन सुविधा (LAF) के तहत प्रतिभूतियाँ शामिल हैं, को उधार या उधार के रूप में दर्ज किया जाएगा। रेपो समझौतों के तहत बेची गई प्रतिभूतियाँ निवेश के अंतर्गत वर्गीकृत रहती हैं, जबकि रिवर्स रेपो समझौतों के तहत खरीदी गई प्रतिभूतियों को निवेश में शामिल नहीं किया जाएगा। संबंधित लागतों और राजस्व को क्रमशः ब्याज व्यय या आय के रूप में दर्ज किया जाएगा।

4.13 व्युत्पन्न (डेरिवेटिव) लेन–देन अथवा व्यापार अथवा प्रतिरक्षा के प्रयोजन से किए गए हैं। व्यापारिक लेन–देन बाजार मूल्य पर है। आरबीआई के दिशा–निर्देशों के अनुसार स्वैप की विभिन्न श्रेणियों का मूल्यन किया गया है:

**हेज स्वैप्स**

ब्याज दर जो हेज ब्याज वाहक आस्ति अथवा देयता की अदला–बदली करती है, को उपार्जित आधार पर लेखांकित किया जाता है, किसी आस्ति अथवा देयता के साथ अभिहित अदलाबदली को छोड़कर जो वित्तीय विवरणी में बाजार मूल्य अथवा कम कीमत पर लिया जाता है।

स्वैप की समाप्ति पर लाभ या हानियों की अदलाबदली को बकाया संविदात्मक अवधि अथवा आस्ति/देयताओं की शेष अवधि में से कम निर्धारित किया जाता है।

**ट्रेडिंग स्वैप**

व्यापारिक स्वैप का लेन–देन वित्तीय विवरणियों में रिकार्ड किए गए परिवर्तनों सहित बाजार मूल्य पर चिन्हित किया जाता है। व्यापारिक उद्देश्यों के लिए प्रविष्ट किए गए विनिमय व्यापारिक व्युत्पन्नी (डेरिवेटिव्स) विनिमय द्वारा दी गई दरों के आधार पर प्रचलित बाजार दर पर मूल्यांकित किया जाता है और प्राप्त लाभों एवं हानियों को लाभ व हानि लेखे में लिया जाता है।

**4.14 विदेशी मुद्रा विकल्पः**

अन्य बैंक के साथ बैक–टू–बैक अनुबंध के रूप में बैंक द्वारा किया गया विदेशी मुद्रा विकल्प बाजार मूल्य पर नहीं हैं, क्योंकि इसमें बाजार जोखिम नहीं है।

In the case of investment in the unquoted shares of any company which are valued at ₹1 per company on account of the non-availability of the latest balance sheet, those equity shares are reckoned as NPI. The NPI may be upgraded subsequently on receipt of audited balance sheet.

Provisions for investments classified under AFS (Available for Sale) are managed as follows:

- When there are cumulative gains in the AFS-Reserve, the required provision may be created by charging the AFS-Reserve up to the amount of these gains.
- When there are cumulative losses in the AFS-Reserve, these losses are transferred from the AFS-Reserve to the Profit and Loss Account.

4.12 Securities sold or purchased with an agreement to repurchase or resell under Repo or Reverse Repo transactions, including those under the Liquidity Adjustment Facility (LAF) with the RBI, shall be recorded as borrowings or lending. Securities sold under Repo agreements remain classified under investments, while securities purchased under Reverse Repo agreements shall not be included in investments. The associated costs and revenues shall be accounted for as interest expenditure or income, respectively.

4.13 The derivative transactions are undertaken for trading or hedging purposes. Trading transactions are marked to market. As per RBI guidelines, different categories of swaps are valued as under:

**Hedge Swaps**

Interest rate swaps with hedge interest bearing asset or liability are accounted for on accrual basis except the swaps designated with an asset or liability that are carried at lower of market value or cost in the financial statement.

Gain or losses on the termination of swaps are recognized over the shorter of the remaining contractual life of the swap or the remaining life of the asset/ liabilities.

**Trading Swaps**

Trading swap transactions are marked to market with changes recorded in the financial statements. Exchange Traded Derivatives entered into for trading purposes are valued at prevailing market rates based on rates given by the Exchange and the resultant gains and losses are recognized in the Profit and Loss Account.

**4.14 Foreign Currency Options:**

Foreign currency options written by the Bank with a back-to-back contract with another bank are not marked to market since there is no market risk.

प्राप्त प्रीमियम को दायित्व के रूप में रखा जाता है तथा परिपक्वता/निरस्तीकरण पर लाभ और हानि खाते में अंतरित कर दिया जाता है।

**5. ऋण/अग्रिम और इसके लिए प्रावधान:**

5.1 अग्रिमों का वर्गीकरण अर्जक और अनर्जक आस्तियों के रूप में किया जाता है और उनके लिए आरबीआई द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार प्रावधान किया जाता है।

क. अग्रिमों को उधारकर्तावार मानक, अवमानक, संदेहास्पद एवं हानि आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

ख. अग्रिम विशिष्ट ऋण हानि प्रावधानों, पुनर्गठित अग्रिमों के उचित मूल्य में कमी के प्रावधान को घटाकर उल्लेखित है।

5.2 विदेशी कार्यालयों के संबंध में, ऋणों और अग्रिमों का वर्गीकरण और एनपीए के लिए प्रावधान स्थानीय विनियमों या आरबीआई के मानकों, जो भी अधिक सख्त हो, के अनुसार किया गया है।

विदेशी शाखाओं में रखे गए ऋण और अग्रिम, जो वसूली के रिकॉर्ड के अतिरिक्त अन्य कारणों से मेजबान देश के विनियमों के अनुसार हानि के रूप में चिन्हित हैं, किंतु जो आरबीआई के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार मानक हैं, मेजबान देश में मौजूदा बकाया राशि को एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

5.3 बेची गई वित्तीय आस्तियों को निम्नानुसार माना गया है:

(क) एआरसी में अंतरण लेनदेन के लिए विवेकपूर्ण मानदंड:

जब अंतरण के समय दबावग्रस्त ऋण को एनबीवी से कम कीमत पर एआरसी को अंतरित किया जाता है, तो बैंक उस वर्ष के लिए लाभ और हानि लेखे में कमी को डेबिट कर देता है जिसमें अंतरण हुआ है। जब अंतरण एनबीवी से कम कीमत पर होता है तो बैंकों को दबावग्रस्त ऋण के अंतरण पर किसी भी कमी को पूरा करने के लिए काउंटरसाइक्लिकल या फ्लोटिंग प्रावधानों का उपयोग करने की अनुमति होती है।

दूसरी ओर, जब अंतरण के समय दबावग्रस्त ऋण को एनबीवी से अधिक मूल्य पर एआरसी को अंतरित किया जाता है, तो ऋणदाता राशि प्राप्त होने के वर्ष में लाभ व हानि लेखे में अंतरण पर अतिरिक्त प्रावधान को प्रतिवर्ति कर देंगे और केवल जब प्रारंभिक प्रतिफल और / या मोचन प्रतिभूति रसीदों (एसआर) / पास थ्रू सर्टिफिकेट (पीटीसी) / एआरसी द्वारा जारी अन्य प्रतिभूतियों के अंतरण के माध्यम से प्राप्त नकदी की राशि अंतरण के समय ऋण के एनबीवी से अधिक हो। इसके अतिरिक्त, इस तरह का रिवर्सल उस सीमा तक सीमित है जहां तक प्राप्त नकदी अंतरण के समय ऋण के एनबीवी से अधिक हो जाती है।

RBI/DOR/2024–25/135 DOR.STR.REC.72/21.04.048/2024–25 दिनांक 29 मार्च, 2025 के अनुसार, भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत एसआर के संबंध में एक विभेदित दृष्टिकोण अपनाने के उद्देश्य से, ऐसे एसआर के मूल्यांकन से संबंधित विवेकपूर्ण व्यवहार इस प्रकार है कि यदि किसी ऋण

Premium received is held as a liability and transferred to the Profit and Loss Account on maturity/cancellation.

**5. LOANS / ADVANCES AND PROVISIONS THEREON:**

5.1 Advances are classified as performing and non-performing assets; provisions are made in accordance with prudential norms prescribed by RBI.

(a) Advances are classified: Standard, Sub Standard, Doubtful and Loss assets borrower wise.

(b) Advances are stated net of specific loan loss provisions, provision for diminution in fair value of restructured advances.

5.2 In respect of foreign offices, the classification of loans and advances and provisions for NPAs are made as per the local regulations or as per the norms of RBI, whichever is more stringent.

Loans and advances held at the overseas branches that are identified as impaired as per host country regulations for reasons other than record of recovery, but which are standard as per the extant RBI guidelines, are classified as NPAs to the extent of amount outstanding in the host country.

5.3 Financial Assets sold are recognized as under:

(a) Prudential norms for the transfer transactions to ARCs:

When the stressed loan is transferred to ARC at a price below the NBV at the time of transfer, the Bank has debited the shortfall to the profit and loss account for the year in which the transfer has taken place. Banks are permitted to use countercyclical or floating provisions for meeting any shortfall on transfer of stressed loan when the transfer is at a price below the NBV.

On the other hand, when the stressed loan is transferred to an ARC for a value higher than the NBV at the time of transfer, lenders shall reverse the excess provision on transfer to the profit and loss account in the year the amounts are received and only when the sum of cash received by way of initial consideration and / or redemption or transfer of Security Receipts (SR) / Pass Through Certificates (PTCs)/ other securities issued by ARCs is higher than the NBV of the loan at the time of transfer. Further, such reversals are limited to the extent to which cash received exceeds the NBV of the loan at the time of transfer.

As per RBI/DOR/2024-25/135 DOR.STR.REC.72/21.04.048/2024-25 dated March 29, 2025, with a view to adopting a differentiated approach in respect of SRs guaranteed by the Government of India, the prudential treatment relating to valuation of such

को शुद्ध बही मूल्य (NBV) से अधिक मूल्य के लिए ARC को अंतरित किया जाता है, तो अतिरिक्त प्रावधान अंतरण के वर्ष में लाभ और हानि खाते में वापस कर दिया जाता है, यदि बिक्री विचार में केवल नकद और भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत एसआर शामिल हैं। हालांकि, एसआर के रूप में गैर–नकद घटक को सीईटी 1 पूंजी से घटाया जाता है, और इस घटक से कोई लाभांश नहीं दिया जाता है।

(ख) एआरसी के अतिरिक्त अन्य अंतरितियों को अंतरण लेन–देन के लिए विवेकपूर्ण मानदंड – प्रावधान मानदंडः

(i) जब बैंक अपने एनपीए को एआरसी के अतिरिक्त अन्य अंतरितियों को अंतरित करता है, तो सम्पूर्ण अंतरण प्रतिफल प्राप्त होने पर उसे बहियों से हटा दिया जाता है।

(ii) यदि एआरसी के अतिरिक्त अन्य अंतरितियों को अंतरण, अंतरण के समय निवल एनबीवी से कम कीमत पर होता है, तो कमी को उस वर्ष के लाभ और हानि लेखे में डेबिट किया जाता है जिसमें अंतरण हुआ है।

(iii) यदि बिक्री प्रतिफल अंतरण के समय एनबीवी से अधिक है, तो अतिरिक्त प्रावधान वापस ले लिया जाता है।

(ग) ज्ञापन बकाया के अतिरिक्त प्राप्त अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, को ऋण और अग्रिम पर आय ब्याज के संबंधित शीर्षों में आनुपातिक रूप से जमा किया जाता है, जैसे कि सीसी/ सावधि ऋण पर आय ब्याज, आदि।

यदि अतिरिक्त राशि बाद में, उदाहरणार्थ डी.आर.टी./न्यायालय के आदेश या किसी अन्य आकस्मिकता के कारण वापस की जानी हो, तो वसूली गई अतिरिक्त राशि को वापस करने के लिए उसी शीर्ष को डेबिट किया जाता है।

**5.4 पुनर्गठित आस्तियां :**

अग्रिमों के पुनर्रचना/पुनः निर्धारण के मामले में आरबीआई द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार प्रावधान किया जाता है। पुनर्रचित अग्रिमों के उचित मूल्य में कमी के लिए प्रावधान को उन खातों के लिए आरबीआई के दिशा–निर्देशों के अनुसार निवल वर्तमान मूल्य शर्तों पर मापा जाता है जहां बैंक को कुल देय राशि एक करोड़ रुपये और उससे अधिक है। अन्य खातों के लिए, उचित मूल्य में कमी के प्रावधान की गणना आरबीआई के दिशा–निर्देशों के अनुसार बैंक को कुल जोखिम के 5% पर की जाती है।

5.5 एनपीए पर वर्गीकृत प्रावधानों के अतिरिक्त, आरबीआई के मौजूदा दिशा–निर्देशों के अनुसार मानक आस्तियों के लिए सामान्य प्रावधान किए गए हैं। ये प्रावधान तुलन पत्र की अनुसूची 5 में 'अन्य देयताएं व प्रावधान – अन्य' शीर्षक के अंतर्गत प्रदर्शित किया जाता है और निवल एनपीए की गणना के लिए इस पर विचार नहीं किया जाता है।

5.6 पूर्व वर्षों में बट्टे खाते में ऋणों पर वसूल की गई राशि तथा प्रावधानों को उधारकर्ता की वर्तमान स्थिति के परिप्रेक्षों में विचार करना आवश्यक नहीं समझा गया है और इस लाभ और हानि लेखे में लिया जाता है।

SRs is such that if a loan is transferred to an ARC for a value higher than the net book value (NBV), the excess provision is reversed to the Profit and Loss Account in the year of transfer if the sale consideration comprises only of cash and SRs guaranteed by the Government of India. However, the non-cash component in the form of SRs is deducted from CET 1 capital, and no dividends are paid out of this component.

(b) Prudential norms for the transfer transactions to transferee(s) other than ARCs - Provisioning norms:

(i) When the bank transfers its NPAs to transferee(s) other than ARCs, the same are removed from the books on receipt of the entire transfer consideration.

(ii) If the transfer to transferee(s) other than ARCs is at a price below the net NBV at the time of transfer, the shortfall is debited to the profit and loss account of the year in which transfer has taken place.

(iii) If the sale consideration is for a value higher than the NBV at the time of transfer, the excess provisions has been reversed.

(c) The excess amount received, if any, over & above memoranda dues is credited proportionately to the respective heads of Income Interest on Loans and Advances say Income Interest on CC/ Term Loan, etc.

In case, the excess amount is to be returned subsequently due to, e.g., DRT/Court orders or any other eventuality, the same head is debited to refund the excess amount recovered.

**5.4 Restructured Assets:**

For restructured/rescheduled advances, provisions are made in accordance with guidelines issued by RBI from time to time. Provision for diminution in fair value of restructured advances is measured at net present value terms as per RBI guidelines for accounts where total dues to the bank are Rupees One Crore and above. For other accounts, the provision for diminution in fair value is computed notionally at 5% of total exposure to the bank as per RBI guidelines.

5.5 In addition to the specific provision on NPAs, general provisions are also made for standard assets as per extant RBI Guidelines. These provisions are reflected in Schedule 5 of the Balance Sheet under the head 'Other Liabilities & Provisions – Others' and are not considered for arriving at the Net NPAs.

5.6 Amounts recovered against debts written-off in earlier years and provisions no longer considered necessary in the context of the current status of the borrower are recognized in the profit and loss account.

**5.7 किसी देश में एक्सपोजर के लिए प्रावधानः**

आस्ति वर्गीकरण स्थिति के अनुसार किए गए विशिष्ट प्रावधानों के अतिरिक्त, किसी देश के एक्सपोज़रों (अपने देश के अलावा अन्य) के लिए भी प्रावधान किया गया हैं। देशों को सात जोखिम श्रेणियों में अर्थात, मामूली, कम, मध्यम रूप से कम, मध्यम, मध्यम रूप से उच्च, उच्च और बहुत उच्च में वर्गीकृत किया गया है और प्रावधान आरबीआई के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया है। प्रत्येक देश के मामले में यदि बैंक का देश एक्सपोज़र (निवल) कुल वित्तपोषित आस्तियों के 1 प्रतिशत से अधिक नहीं है, तो ऐसे देश एक्सपोज़र पर कोई प्रावधान नहीं किया जाता है। प्रावधान तुलन पत्र की अनुसूची 5 में 'अन्य देयताएं और प्रावधान – अन्य' के अंतर्गत प्रदर्शित किया जाता है।

5.8 भारतीय कंपनियों की अनुषंगी संस्थाओं के सभी एक्सपोज़र का प्रतिनिधित्व करने वाली मानक आस्ति बनाने के विरूद्ध 2 प्रतिशत का अतिरिक्त प्रावधान (सभी ओवरसीज एक्सपोज़र पर लागू देश जोखिम के अतिरिक्त) ताकि ढ़ांचे की जटिलता होने से उत्पन्न अतिरिक्त जोखिम को कवर किया जा सके, विभिन्न क्षेत्राधिकार में विभिन्न मध्यवती संस्थाओं की अवस्थिति होने से भारतीय कंपनी और उससे काफी हद तक राजनैतिक और विनियामक जोखिम के लिए बैंक एक्सपोज़र हो सकता है। (आरबीआई परि.सं. RBI/2015.16/279 DBR. IBD.BC No. 68/ 23.37.001/ 2015–16 दिनांक 31.12. 2015 के अनुसार)।

**5.9 अस्थायी प्रावधानः**

बैंक के पास अस्थायी प्रावधान के सृजन और उपयोग के लिए एक नीति है। इस प्रकार बनाए गए अस्थायी प्रावधान का उपयोग केवल बैंक के बोर्ड की मंजूरी प्राप्त करने और भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्व अनुमति के बाद नीति में निर्दिष्ट असाधारण परिस्थितियों में आकस्मिकताओं के लिए किया जा सकता है। अस्थायी प्रावधान को अग्रिमों से इस सीमा तक घटाया जाता है कि इसे टियर 2 पूंजी के रूप में नहीं माना जाता है।

**6. संपत्ति, संयंत्र और उपकरणः**

6.1 जिन परिसरों का पुनर्मूल्यांकन हो चुका है उन्हें छोड़कर संपत्ति, संयत्र और उपकरण को उनकी परंपरागत लागत में से संचित मूल्यह्रास/ परिशोधन को घटाकर दिखाया जाता है। पुनर्मूल्यांकन पर हुई वृद्धि को पुनर्मूल्यांकन प्रारक्षित निधि में जमा किया जाता है और पुनर्मूल्यांकित राशि के कारण वृद्धिशील मूल्यह्रास को उसमें से कम कर दिया जाता है।

6.2 सॉफ्टवेयर को पूंजीकृत कर अमूर्त आस्तियों के साथ जोड़ दिया गया है।

6.3 खरीददारी की लागत सहित सभी खर्चे जैसे साइट की तैयारी, संस्थापना लागत और पूंजीकरण के समय तक आस्ति पर खर्च किए गए पेशेवर शुल्क सम्मिलित हैं। आस्तियों पर खर्च किए गए परिवर्ती खर्चे केवल तभी पूंजीकृत किए जाते हैं जब ऐसी आस्तियों या उनकी कार्य क्षमता से भविष्य के लाभ में वृद्धि होती है।

6.4 मूल्यह्रासः

क. आस्तियों (भूमि सहित, जहां कीमत पृथक नहीं की जा सकती) पर मूल्यह्रास के लिए प्रावधान आस्ति की प्रत्याशित अवधि पर सीधी–रेखा पद्धति के अनुसार किया जाता है। कंप्यूटरों को छोड़कर जहां इसकी गणना आरबीआई द्वारा निर्धारित दरों पर सीधी–रेखा पद्धति से की जाती है।

**5.7 Provision for Country Exposure:**

In addition to the specific provisions held according to the asset classification status, provisions are also made for individual country exposures (other than the home country). Countries are categorized into seven risk categories, namely, insignificant, low, moderately low, moderate, moderately high, high and very high, and provisioning made as per extant RBI guidelines. If the country exposure (net) of the Bank in respect of each country does not exceed 1% of the total funded assets, no provision is maintained on such country exposures. The provision is reflected in Schedule 5 of the Balance Sheet under the 'Other Liabilities & Provisions – Others'.

5.8 An additional provision of 2% (in addition to country risk provision that is applicable to all overseas exposures) against standard assets representing all exposures to step down subsidiaries of Indian Corporates has been made to cover the additional risk arising from complexity in the structure, location of different intermediary entities in different jurisdictions exposing the Indian Company, and hence the Bank, to a greater political and regulatory risk. (As per RBI Cir.No. RBI/ 2015.16/279 DBR. IBD.BC No. 68/ 23.37.001/ 2015-16 dated 31.12.2015).

**5.9 Floating Provision:**

The Bank has a policy for creation and utilisation of floating provision. The floating provision, so created can be utilised only for contingencies under extraordinary circumstances specified in the policy after obtaining Bank's Board approval and with prior permission of Reserve Bank of India. Floating provision is netted off from advances to the extent it is not treated as Tier 2 capital.

**6. PROPERTY, PLANT & EQUIPMENT:**

6.1 Property, Plant & Equipment are stated at historical cost less accumulated depreciation/amortization, wherever applicable, except those premises, which have been revalued in terms of Bank's policy, i.e., every three years. The appreciation on revaluation is credited to revaluation reserve and incremental depreciation attributable to the revalued amount is deducted there from.

6.2 Software is capitalized and clubbed under Intangible assets.

6.3 Cost includes cost of purchase and all expenditure such as site preparation, installation costs and professional fees incurred on the asset till the time of capitalization. Subsequent expenditure/s incurred on the assets are capitalized only when it increases the future benefits from such assets or their functioning capability.

6.4 Depreciation:

A. Depreciation on assets (including land where value is not separable) is provided on straight-line method based on estimated life of the asset, except in respect of computers where it is calculated on the straight-line method, at the rates prescribed by RBI.

ख. ऐसी आस्तियों पर मूल्यह्रास निम्नलिखित दरों पर प्रदान किया गया है:

| विवरण | मूल्यह्रास की दर |
|---|---|
| **परिसर** | |
| **फ्रीहोल्ड संपत्ति** | |
| **भूमि** | **शून्य** |
| निर्माण लागत पर प्रदान किए जाने वाले मूल्यह्रास पर जहां भूमि की लागत को अलग किया जाता है और कुल लागत पर जहां भूमि की लागत सुनिश्चित की जा सकती है और उसे अलग नहीं किया जा सकता है | 2.50% (40 वर्ष सीधी रेखा विधि या शेष अवधि जो भी कम हो) |
| बेमियादी पट्टे पर ली गई भूमि, जहां पट्टे की अवधि का उल्लेख नहीं है | शून्य |
| पट्टे पर ली गई भूमि जहां पट्टे की अवधि का उल्लेख हो | पट्टे की अवधि पर |
| **भवन** | |
| फ्री होल्ड और पट्टे वाली भूमि पर निर्मित, जहां पट्टे की अवधि 40 वर्ष से अधिक है | 2.50% |
| पट्टे वाली भूमि पर निर्मित जहाँ पट्टे की अवधि 40 वर्ष से कम है | पट्टे की अवधि पर |
| **परिसर को छोड़कर अचल आस्तियां** | |
| फर्नीचर और फिक्सचर– स्टील की वस्तुएं | 5.00% |
| फर्नीचर और फिक्सचर–लकड़ी की वस्तुएं | 10.00% |
| गद्दे | 20.00% |
| मोबाइल फोन उपकरण | 33.33% |
| मशीनरी, बिजली की और विविध वस्तुएं | 15.00% |
| मोटर कारें और साइकिलें | 15.00% |
| कंप्यूटर, एटीएम और संबंधित वस्तुएं, लैपटॉप, आईपैड, आदि, सर्वर, नेटवर्क, उपकरण और स्वचालित टेलर मशीनें (कंप्यूटर हार्डवेयर के अभिन्न अंश सॉफ्टवेयर सहित) | **33.33%** |
| सॉफ्टवेयर (कंप्यूटर हार्डवेयर के अभिन्न अंश सॉफ्टवेयर को छोड़कर) | 33.33% |
| कार्यालय अचल संपत्तियों की वे वस्तुएं जिनकी कीमत रुपये 25,000/– से कम है और/या जिनकी उपयोगी अवधि अधिग्रहण की तिथि से 12 महीने से कम है, उन्हें व्यय के रूप में माना जाता है (कर्मचारियों और रुपये 1,500/– से अधिक की लागत वाली वस्तुओं को छोड़कर, जिन्हें अलग से उपयोग किया जा सकता है) रुपये 1,500/– से कम लागत वाली प्रत्येक आस्ति का क्रय वर्ष में 100% मूल्यह्रास किया जाता है।<br>रु. 25,000/– तक के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर/ऑपरेटिंग सिस्टम/डेटा बेस की लागत को राजस्व प्रभारित किया जाता है। | |

ग. बैंक के अपने परिसर के अतिरिक्त अन्य आस्तियों में नए परिवर्धन पर जिन आस्तियों को उपजोड़ में लाया जा रहा है मूल्यह्रास की दर उसी दिन से प्रदान की जाती है और वर्ष के दौरान बेची गई/निपटान की गई आस्तियों के मामले में जिस तारीख तक इसे बेचा/निपटान किया जाता है, अर्थात् मूल्यह्रास की दर प्रदान की जाती है।

B. Depreciation on assets has been provided at the rates furnished below:

| Particulars | Rate of Depreciation |
|---|---|
| **PREMISES** | |
| **Freehold Properties** | |
| Land | NIL |
| Depreciation to be provided on Construction Cost where the land cost is segregated and on total cost where the land cost is not ascertainable and cannot be segregated | 2.50% (40 years Straight Line Method or remaining life whichever is lower) |
| Land acquired on perpetual lease where no lease period is mentioned | NIL |
| Land acquired on lease where lease period is mentioned | Over lease period |
| **Building** | |
| Constructed on free hold land and on leased land, where lease period is above 40 years | 2.50% |
| Constructed on leased land where lease period is below 40 years | Over lease period |
| **FIXED ASSETS EXCEPT PREMISES** | |
| Furniture and fixtures- Steel articles | 5.00% |
| Furniture and fixtures-wooden articles | 10.00% |
| Mattresses | 20.00% |
| Mobile Phone Instruments | 33.33% |
| Machinery, electrical and miscellaneous articles | 15.00% |
| Motor cars and cycles | 15.00% |
| Computers, ATMs and related items, Laptop, I- pad, etc., Servers, Network, Equipment & Automated Teller Machines (Including software forming an integral part of computer hardware) | 33.33% |
| Software (excluding software forming an integral part of computer hardware) | 33.33% |
| Items of office fixed assets amounting less than Rs. 25,000/- and / or having useful life of less than 12 months from the date of acquisition are recognized as expense (except to staff and items costing more than Rs.1,500/- which can be separately used). Assets costing less than Rs.1,500/- each are depreciated @100% in the year of purchase.<br>Cost of Application Software / Operating System / Data base amounting up to Rs. 25,000/- are charged to revenue. | |

C. Depreciation on fresh additions to assets other than Bank's own premises is provided from the day in which the assets are capitalized and in the case of assets sold/disposed-off during the year, up to the date in which it is sold/ disposed-off.

घ. वर्ष के अंत में मौजूद बैंक के अपने स्वामित्व के परिसरों पर मूल्यह्रास पूरे वर्ष के लिए प्रभारित किया गया है। निर्माण लागत को तभी मूल्यह्रास किया जाता है जब भवन सभी प्रकार से पूरा हो जाता है। जहां भूमि और भवन की लागत का अलग से पता नहीं लगाया जात सकता है, वहां मूल्यह्रास भवनों पर लागू समग्र लागत दर पर प्रदान किया जाता है।

ड़ पट्टाधारित परिसरों के संबंध में, पट्टा प्रीमियम, यदि कोई हो, पट्टे की संपूर्ण अवधि पर परिशोधित है और पट्टा किराया संबंधित वर्ष (वर्षों) में प्रभारित किया जाता है।

च. पुनर्मूल्यांकित आस्तियों के मूल्यह्रास की दर पुनर्मूल्यांकन के समय मूल्यांकन की गई आस्तियों के शेष उपयोगी जीवन के आधार पर निश्चित की जाती है।

**7. आस्तियों की अपसामान्यता:**

आस्तियों की वहन लागत की समीक्षा प्रत्येक तुलन पत्र तिथि पर की जाती है, यदि आंतरिक/बाहरी कारकों के आधार पर हानि का कोई संकेत मिलता है, तो किसी आस्ति की वहन लागत उसकी वसूली योग्य राशि से अधिक होने पर हानि को मान्यता दी जाती है। वसूली योग्य राशि, आस्तियों के शुद्ध विक्रय मूल्य और उपयोग में मूल्य में से जो अधिक हो, वह होती है। उपयोग में मूल्य का आकलन करने में, अनुमानित भविष्य नकदी प्रवाह को कर–पूर्व छूट दर का उपयोग करके उनके वर्तमान मूल्य पर छूट दी जाती है, जो कि धन के समय मूल्य और आस्ति के लिए विशिष्ट जोखिमों के वर्तमान बाजार मूल्यांकन को दर्शाता है।

हानि के बाद, यदि कोई हो, मूल्यह्रास संपत्ति के शेष उपयोगी जीवन पर संशोधित वहन लागत पर प्रदान किया जाता है। परिस्थितियों में परिवर्तन के आधार पर पहले से मान्यता प्राप्त हानि बढ़ जाती है या उलट जाती है। हालाँकि, वहन मूल्य को उत्क्रमण के बाद वहन मूल्य से अधिक नहीं बढ़ाया जाता है जो कि सामान्य मूल्यह्रास चार्ज करने से प्रबल होता अगर कोई हानि नहीं होती।

दावों की संतुष्टि में अर्जित गैर–बैंकिंग आस्तियों के संबंध में यदि कोई हानि होती है, तो उसे लाभ–हानि विवरण में तत्काल व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है तथा गैर–बैंकिंग आस्तियों के अग्रणीत मूल्य को समायोजित किया जाता है।

**8. रोजगार लाभ:**

**भविष्य निधि:**

भविष्य निधि एक सुपरिभाषित अंशदान योजना है क्योंकि बैंक पूर्व–निर्धारित दरों पर निश्चित अंशदान का भुगतान करता है। बैंक का दायित्व ऐसे निश्चित अंशदान तक सीमित है। अंशदान को लाभ और हानि लेखे में चार्ज किए जाते हैं।

**उपदान:**

उपदान देयता एक सुपरिभाषित लाभ दायित्व है और इसे बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर दिया जाता है। यह योजना बैंक द्वारा वित्तपोषित है और एक अलग ट्रस्ट द्वारा चलाई जाती है।

**पेंशन:**

पेंशन देयता एक सुपरिभाषित लाभ दायित्व है और इसे बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर दी जाती है। यह योजना बैंक द्वारा वित्तपोषित है और एक अलग ट्रस्ट द्वारा चलाई जाती है।

D. The depreciation on bank's own premises existing at the close of the year is charged for full year. The construction cost is depreciated only when the building is complete in all respects. Where the cost of land and building cannot be separately ascertained, depreciation is provided on the composite cost, at the rate applicable to buildings.

E. In respect of leasehold premises, the lease premium, if any, is amortized over the period of lease and the lease rent is charged in the respective year(s).

F. The Revalued assets are depreciated over the balance useful life of the asset as assessed at the time of revaluation.

**7. IMPAIRMENT OF ASSETS:**

The carrying costs of assets are reviewed at each Balance Sheet date if there is any indication of impairment based on internal/external factors, an impairment loss is recognized wherever the carrying cost of an asset exceeds its recoverable amount. The recoverable amount is the greater of the assets net selling price and value in use. In assessing value in use, the estimated future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and risks specific to the asset.

After impairment, if any, depreciation is provided on the revised carrying cost of the asset over its remaining useful life. A previously recognized impairment loss is increased or reversed depending on changes in circumstances. However, the carrying value after reversal is not increased beyond the carrying value that would have prevailed by charging usual depreciation if there was no impairment.

Impairment loss, if any, in respect of non-banking assets acquired in satisfaction of claims is recognized as an expense in the statement of profit and loss immediately and carrying value of Non-Banking Assets is adjusted.

**8. EMPLOYMENT BENEFITS:**

**PROVIDENT FUND:**

Provident fund is a defined contribution scheme as the Bank pays fixed contribution at pre-determined rates. The obligation of the Bank is limited to such fixed contribution. The contribution is charged to Profit & Loss A/c.

**GRATUITY:**

Gratuity liability is a defined benefit obligation and is provided for on the basis of an actuarial valuation. The scheme is funded by the Bank and is managed by a separate trust.

**PENSION:**

Pension liability is a defined benefit obligation and is provided for on the basis of an actuarial valuation. The scheme is funded by the Bank and is managed by a separate trust.

बैंक उन सभी अधिकारियों/कर्मचारियों जिन्होंने 01.04.2010 को या उसके बाद बैंक जॉइन किया है। उनके लिए नई पेंशन योजना (एनपीएस) का परिचालन किया है। इस योजना के अनुसार, पात्र कर्मचारी बैंक के मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 14 प्रतिशत के योगदान के साथ अपने मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 10 प्रतिशत इस योजना में योगदान करते हैं। संबंधित कर्मचारियों की पंजीकरण प्रक्रिया पूरी होने तक, इन योगदान को उस वर्ष के व्यय के रूप में मान्यता देता है जिससे वे संबंधित हैं। स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या (पीआरएएन) प्राप्त होने पर, समेकित योगदान राशि को एनपीएस ट्रस्ट में अंतरित कर दिया जाता है।

**क्षतिपूर्ति अनुपस्थिति:**

संचयन मूल्यांकन के आधार पर संचित क्षतिपूर्ति अनुपस्थिति जैसे विशेषाधिकार अवकाश (पीएल – सेवानिवृत्ति) और बीमारी अवकाश (अनुपलब्ध आकस्मिक अवकाश सहित) प्रदान की जाती है। विशेषाधिकार अवकाश (पीएल) की योजना बैंक द्वारा वित्त पोषित है और एक अलग ट्रस्ट द्वारा प्रबंधित की जाती है।

सेवानिवृत्ति के अतिरिक्त अन्य विशेषाधिकार अवकाश (पीएल) नकदीकरण का भुगतान सीधे बैंक व्यय खाते से किया जा रहा है।

**अन्य कर्मचारी लाभ:**

अन्य कर्मचारी लाभ, जैसे अवकाश किराया रियायत (एलएफसी), सिल्वर जुबली अवार्ड, इत्यादि बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर प्रदान किए जाते हैं।

विदेशी शाखाओं और कार्यालयों के संबंध में, प्रतिनियुक्ति पर गए कर्मचारियों को दिए गए लाभों के अलावा अन्य सभी लाभ उन देशों में लागू कानूनों के अनुसार मूल्यांकित और रेखांकित किए गए हैं।

कर्मचारी लाभों के लिए सुपरिभाषित लाभ देयताओं के लिए प्रयुक्त मूल्यांकन पद्धति 'प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट पद्धति' है।

**9. विदेशी मुद्रा लेनदेन और शेष राशि का रूपांतरण**

विदेशी मुद्रा से संबंधित लेन–देन का लेखा–जोखा एएस 11, 'विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन का प्रभाव' के अनुसार किया जाता है।

9.1 फॉरन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (FEDAI) के दिशानिर्देशों के अनुसार तुलन पत्र की तारीख के अनुसार तत्कालीन लंदन शाखाओं के अग्रिमों को छोड़कर, जिनका भारत में पार्किंग की तिथि को प्रचलित विनिमय दर पर हिसाब लगाया जाता है, अन्य सभी मौद्रिक संपत्तिया और देनदारियों, गारंटियों, स्वीकृतियों, पृष्ठांकन और अन्य दायित्व प्रचलित विनिमय दरों के समतुल्य भारतीय रुपये में रूपांतरित किए जाते हैं।

9.2 अचल आस्तियों के अतिरिक्त गैर–मौद्रिक वस्तुएं जो परंपरागत लागत पर ली जाती है, लेन–देन की तिथि पर प्रचलित विनिमय दर पर रूपांतरित की जाती है।

The Bank operates a New Pension Scheme (NPS) for all officers/ employees who have joined the Bank on or after 01.04.2010. As per the scheme, the covered employees contribute 10% of their basic pay plus dearness allowance to the scheme together with contribution of 14% of their basic pay plus dearness allowance from the Bank. Pending completion of the registration procedures of the employees concerned, these contributions are retained. The Bank recognizes such annual contributions as an expense in the year to which they relate. Upon the receipt of the Permanent Retirement Account Number (PRAN), the consolidated contribution amounts are transferred to the NPS Trust.

**COMPENSATED ABSENCES:**

Accumulating compensated absences such as Privilege Leave (PL - Superannuation) and Sick Leave (including unavailed casual leave) are provided for based on actuarial valuation. The scheme for Privilege Leave (PL - Superannuation) is funded by the Bank and is managed by a separate trust.

Privilege Leave (PL) encashment other than superannuation are being paid from Bank expenditure account directly.

**OTHER EMPLOYEE BENEFITS:**

Other Employee Benefits such as Leave Fare Concession (LFC), Silver Jubilee Award, etc., are provided for based on actuarial valuation.

In respect of overseas branches and offices, the benefits in respect of employees other than those on deputation are accounted for as per laws prevailing in the respective countries.

The valuation method used for defined benefit obligations for employee benefits is 'Projected Unit Credit Method'.

**9. TRANSLATION OF FOREIGN CURRENCY TRANSACTIONS & BALANCES:**

Transactions involving foreign exchange are accounted for in accordance with AS 11, 'The Effect of Changes in Foreign Exchange Rates'.

9.1 Except advances of erstwhile London branches which are accounted for at the exchange rate prevailing on the date of parking in India, all other monetary assets and liabilities, guarantees, acceptances, endorsements and other obligations are translated in Indian Rupee equivalent at the exchange rates prevailing as on the Balance Sheet date as per Foreign Exchange Dealers' Association of India (FEDAI) guidelines.

9.2 Non-monetary items other than fixed assets which are carried at historical cost are translated at exchange rate prevailing on the date of transaction.

9..3 बकाया फॉरेन एक्सचेंज स्पॉट और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्टस को FEDAI द्वारा अधिसूचित दरों पर तुलन पत्र की तिथि के अनुसार रूपांतरित किया जाता है और रूपांतरण पर परिणामी लाभ/हानि को लाभ और हानि खाते में लिया जाता है।

बकाया फंडिंग स्वैप जो तुलन पत्र की तिथि पर FEDAI पुनर्मूल्यांकन दिशा–निर्देशों के दायरे से बाहर है। ऐसे फॉरवर्ड एक्सचेंज अनुबंध के आरंभ में प्राप्त प्रीमियम या छूट को अनुबंध की अवधि के दौरान ब्याज व्यय या आय के रूप में परिशोधित किया जाता है।

9.4 आय तथा व्यय की मदों को लेन–देन की तिथि को प्रचलित विदेशी विनिमय दर पर लेखाबद्ध किया जाता है।

मौद्रिक मदों के निपटान पर उत्पन्न होने वाले विनिमय अंतर, उन दरों से भिन्न होते हैं, जिन पर उन्हें आरंभ में दर्ज किया गया था, आय या व्यय के रूप में उस अवधि में जिसमें वे उत्पन्न होते हैं, उनकी पहचान की जाती है।

मुद्रा वायदा कारोबार में खुली स्थिति की विनिमय दरों में परिवर्तन के कारण लाभ/हानि, दैनिक आधआर पर एक्सचेंज क्लियरिंग हाउस के साथ निपटाए जाते हैं एवं ऐसे लाभ/हानि की लाभ व हानि खाते में पहचान की जाती है।

9.5 भारत से बाहर के कार्यालय / विदेश स्थित बैंकिंग इकाईयाँ:

(i) विदेशी शाखाओं एवं विदेश स्थित बैंकिंग इकाई के परिचालन को 'गैर–समाकलन विदेशी परिचालन' के रूप में वर्गीकृत किया गया है एवं विदेशों में प्रतिनिधि कार्यालयों के परिचालन को 'समाकलन विदेशी परिचालन' के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

(ii) 'समाकलन विदेशी परिचालनों और गैर–समाकलन विदेशी परिचालनों के विदेशी मुद्रा लेन–देन का लेखा एस–11 के अनुसार लेखाबद्ध किया जाता है।

(iii) विनिमय उतार–चढ़ाव के परिणामस्वरूप गैर–समाकलन विदेशी परिचालनों का लाभ/हानि में विनिमय उतार–चढ़ाव रिज़र्व में क्रेडिट/डेबिट किया जाता है।

**10. आय पर कर**

आयकर व्यय, न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी), जहाँ भी लागू हों, और बैंक द्वारा किए गए आस्थिगत कर व्यय सहित वर्तमान कर की कुल राशि है। वर्तमान कर और आस्थगित कर क्रमशः आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों और लेखामानक 22 – आय पर करों के लिए लेखांकन के अनुसार विदेशी कार्यालयों में भुगतान किए गए करों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किए जाते हैं, जो संबंधित न्यायालयों के कर कानूनों पर आधारित होते हैं।

एमएटी क्रेडिट को एक संपत्ति के रूप में तभी मान्यता दी जाती है जब और जिस सीमा तक इस बात के विश्वासप्रद साक्ष्य हों कि आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत निर्दिष्ट अवधि के दौरान सामान्य आयकर का भुगतान किया जाएगा।

9.3 Outstanding Foreign Exchange Spot and Forward contracts are translated as on the Balance Sheet date at the rates notified by FEDAI and the resultant gain/loss on translation is taken to Profit & Loss Account.

Funding Swaps that are outstanding on the Balance Sheet date is out of purview of FEDAI revaluation guidelines. The premium or discount arising at the inception of such a forward exchange contract is amortized as interest expense or income over the life of the contract.

9.4 Income and expenditure items are accounted for at the exchange rate prevailing on the date of transaction.

Exchange differences arising on the settlement of monetary items at rates different from those at which they were initially recorded are recognized as income or as expense in the period in which they arise.

Gains/Losses on account of changes in exchange rates of open position in currency futures trades are settled with the exchange clearing house on daily basis and such gains/losses are recognized in the Profit and Loss Account.

9.5 Offices outside India / Offshore Banking Units:

(i) Operations of foreign branches and off shore banking unit are classified as 'Non-integral foreign operations' and operations of representative offices abroad are classified as 'integral foreign operations'.

(ii) Foreign currency transactions of integral foreign operations and non-integral foreign operations are accounted for as prescribed by AS-11.

(iii) Exchange Fluctuation resulting into Profit / loss of non-integral operations is credited /debited to Exchange Fluctuation Reserve.

**10. TAXES ON INCOME**

Income tax expense is the aggregate amount of current tax including Minimum Alternate Tax (MAT), wherever applicable and deferred tax expense incurred by the Bank. The current tax and deferred tax are determined in accordance with the provisions of the Income Tax Act, 1961 and as per Accounting Standard 22 - Accounting for Taxes on Income respectively after taking into account taxes paid at the foreign offices, which are based on the tax laws of respective jurisdictions.

MAT credit is recognized as an asset only when and to the extent there is convincing evidence that there will be payment of normal income tax during the period specified under the Income Tax Act, 1961.

आस्थगित कर समायोजन में वर्ष के दौरान आस्थगित कर आस्तियों या देनदारियों में परिवर्तन शामिल हैं। आस्थगित कर आस्तियों या देयताओं को वर्तमान वर्ष के लिए कर योग्य आय और लेखा आय के बीच समय के अंतर के प्रभाव पर विचार करके और घाटे को अग्रेषित करके पहचाना जाता है। आस्थगित कर आस्तियों और देयताओं को कर दरों एवं कर कानूनों का उपयोग करके मापा जाता है जिन्हें तुलन पत्र की तिथि में अधिनियमित या मूल रूप से अधिनियमित किया गया है। आस्थगित कर आस्तियों या देयताओं में परिवर्तन के प्रभाव को लाभ और हानि खाते में पहचाना जाता है। आस्थगित कर आस्तियों की पहचान एवं प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर उनका पुनर्मूल्यांकन किया जाता है, जो प्रबंधन के विस्समति पर आधारित होता है जैसे कि उनकी प्राप्ति यथोचित/वास्तव में निश्चित हो।

**11. प्रति शेयर आय:**

बैंक आईसीएआई द्वारा जारी एएस 20 – 'प्रति शेयर आय' के अनुसार प्रति शेयर मूल और डाइल्यूटेड आय की रिपोर्ट करता है। मूल आय प्रति शेयर की गणना वर्ष के लिए विशेषकर इक्विटी शेयरधारकों को कर के बाद शुद्ध लाभ को वर्ष के बकाया इक्विटी शेयरों की औसत संख्या से भाग करके प्राप्त की जाती है।

प्रति शेयर डाइल्यूटेड आय उस संभावित डाइल्यूटेड को दर्शाता है जो तब हो सकता है जब इक्विटी शेयर जारी करने के लिए प्रतिभूतियों या अन्य अनुबंधों का प्रयोग किया गया हो या वर्ष के दौरान परिवर्तित किया गया हो। प्रति शेयर डाइल्यूटेड आय की गणना इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या और वर्ष में बकाया संभावित इक्विटी शेयरों का उपयोग करके की जाती है।

**12. प्रावधान, आकस्मिक देयतायें तथा आकस्मिक आस्तियाँ:**

भारतीय सनदी लेखागार संस्थान द्वारा जारी एएस 29, 'प्रावधान, आकस्मिक देयताएं तथा आकस्मिक आस्तियाँ के अनुपालन में, बैंक प्रावधान को केवल तभी मान्यता देता है, जब पूर्व घटना के परिणामस्वरूप वर्तमान दायित्व हो तथा जिसके परिणामतः संसाधनों का संभावित बहिर्गमन हो, दायित्व को निपटाने के लिए आर्थिक लाभ आवश्यक हो तथा जब दायित्व की विश्वसनीय राशि अनुमानित की जा सकती हो।

एक आकस्मिक देयता मुद्रा के संदर्भ में एक संभावित देयता है, जो अनिश्चित विशिष्ट घटना के परिणाम के आधार पर उत्पन्न हो सकती है। एक संभावित दायित्व जो भविष्य की घटना के प्रकट होने के आधार पर उत्पन्न हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, उसे आकस्मिक दायित्व के रूप में मान्यता दी गई है।

इसके अलावा, जो मामले हालांकि बैंक के खिलाफ दायर किए गए हैं, लेकिन उन मामलों में बैंक पर किसी भी दायित्व के उत्पन्न होने की संभावना कम/अल्प है, उन्हें आकस्मिक देयता में शामिल नहीं किया गया है।

वित्तीय विवरणी में आकस्मिक आस्तियाँ को नहीं लिया जाता है।

**13. बुलियन ट्राजेक्शन:**

बैंक अपने ग्राहकों को बेचने के लिए खेप के आधार पर कीमती धातु की छड़ो सहित बुलियन का आयात करता है। आयात विशेषतः

Deferred Tax adjustments comprises of changes in the deferred tax assets or liabilities during the year. Deferred tax assets and liabilities are recognized by considering the impact of timing differences between taxable income and accounting income for the current year, and carry forward losses. Deferred tax assets and liabilities are measured using tax rates and tax laws that have been enacted or substantively enacted at the balance sheet date. The impact of changes in deferred tax assets and liabilities is recognized in the profit and loss account. Deferred tax assets are recognized and re-assessed at each reporting date, based upon management's judgment as to whether their realization is considered as reasonably/virtually certain.

**11. EARNINGS PER SHARE:**

The Bank reports basic and diluted earnings per share in accordance with AS 20 - 'Earnings per Share' issued by the ICAI. Basic Earnings per Share is computed by dividing the Net Profit after Tax for the year attributable to equity shareholders by the weighted average number of equity shares outstanding for the year.

Diluted Earnings per Share reflects the potential dilution that could occur if securities or other contracts to issue equity shares were exercised or converted during the year. Diluted Earnings per Share is computed using the weighted average number of equity shares and dilutive potential equity shares outstanding.

**12. PROVISIONS, CONTINGENT LIABILITIES AND CONTINGENT ASSETS:**

In conformity with AS 29, 'Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets', issued by the Institute of Chartered Accountants of India, the Bank recognizes provisions only when it has a present obligation as a result of a past event, and it is probable that outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, and when a reliable estimate of the amount of the obligation can be made.

A Contingent Liability is a potential liability, in terms of money, which may arise depending on the outcome of an uncertain specific event. A possible obligation which may or may not arise depending on how a future event unfolds has been recognized as Contingent Liability.

Further, the cases which although have been filed against the Bank, but possibility of any obligation arising upon the Bank in those case is remote, have not been construed and included in Contingent Liability.

Contingent Assets are not recognized in the financial statements.

**13. BULLION TRANSACTIONS:**

The Bank imports bullion including precious metal bars on a consignment basis for selling to its customers. The imports

बैक–टू आधार पर होता है तथा ग्राहक को उसका मूल्य सप्लायर द्वारा अंकित मूल्य पर देना होता है। इन बुलियन ट्राजेक्शनों में बैंक शुल्क अर्जित करता है।

शुल्क को कमीशन आय के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। बैंक जमा भी स्वीकार करता है और स्वर्ण भी उधार देता है, व उस पर ऋण देता है जिसे प्रदत्त/ब्याज के साथ ब्याज आय / आय के रूप में वर्गीकृत मामले के आधार पर जमाराशि/ अग्रिम की तरह माना जाता है।

14. **खंडवार रिपोर्टिंग:**

बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार तथा आईसीएआई द्वारा जारी लेखामानक17 के अनुपालन में, व्यवसाय खंड की पहचान प्राथमिक रिपोर्टिंग खंड तथा भौगोलिक खंड को द्वितीय रिपोर्टिंग खंड के रूप में मान्यता देता है।

15. दिनांक 7 अप्रैल, 2016 के आरबीआई परिपत्र FIDD.CO.Plan. BC.23/04.09.01/2015–16 के अनुसार बैंक, पीएसएलसी का विक्रय कर या क्रय कर प्राथमिकता क्षेत्र पोर्टफोलियो में व्यापार करता है। इन लेन–देन आस्तियों का कोई अंतरण नहीं है। पीएसएलसी की खरीद के लिए भुगतान किया गया शुल्क 'व्यय' के रूप में माना जाता है और पीएसएलसी की बिक्री से प्राप्त शुल्क को 'अन्य आय' के रूप में माना जाता है।

16. **नकदी और नकदी समतुल्य**

नकदी और नकदी समतुल्य में शामिल हैं:

क. भारतीय रिजर्व बैंक के पास नकदी एवं जमा शेष, बैंकों के साथ शेष और मांग तथा अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि।

ख. आरबीआई द्वारा(अर्थात, अनुसूची 6, अनुसूची 7 और अनुसूची 9 के तहत, जैसा लागू हो) प्रदान किए गए दिशा–निर्देशों के अनुसार रिवर्स रेपो में शेष राशि रिपोर्ट की जाती है। स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ) के तहत बैंक द्वारा रखी गई शेष राशि को भी इसी तरह रिपोर्ट की जाता है।

are typically on a back-to-back basis and are priced to the customer based on price quoted by the supplier. The Bank earns a fee on such bullion transactions.

The fee is classified under commission income. The Bank also accepts deposits and lends gold, which is treated as deposits/advances as the case may be with the interest paid / received classified as interest expense/income.

14. **SEGMENT REPORTING:**

The Bank recognizes the Business segment as the Primary reporting segment and Geographical segment as the Secondary reporting segment, in accordance with the RBI guidelines and in compliance with the Accounting Standard 17 issued by ICAI.

15. The Bank, in accordance with RBI Circular FIDD.CO.Plan. BC.23/ 04.09.01/ 2015-16 dated April 7, 2016, trades in Priority Sector portfolio by selling or buying PSLC. There is no transfer of risks or loan assets in these transactions. The fee paid for purchase of the PSLC is treated as an 'Expense' and the Fee received from sale of PSLCs is treated as 'Other Income'.

16. **CASH & CASH EQUIVALENTS**

Cash and cash equivalents include:

a) Cash and Balances with RBI, Balances with Bank and money at call and short notice.

b) The balances in Reverse Repo are reported as per the guidelines provided by RBI (i.e., under schedule 6, schedule 7 and schedule 9, as applicable). The balance held by the Bank under Standing Deposit Facility (SDF) is also reported similarly.

## लेखों पर टिप्पणियां

1. समेकित वित्तीय विवरण तैयार करते समय 05 अनुषंगी एवं 15 सहयोगी कंपनियों (जो मूल कंपनी पंजाब नैशनल बैंक के साथ मिलकर समूह का गठन करती हैं) पर विचार किया गया है, जो निम्नानुसार हैः

(% में)

| क्र. सं. | अनुषंगी कंपनी का नाम | निगमन का देश | को वोटिंग पावर के रूप में धारित % | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 31.03.2025 | 31.03.2024 |
| 1. | पीएनबी गिल्ट्स लिमिटेड[1] | भारत | 74.07 | 74.07 |
| 2. | पीएनबी इन्वेस्टमेंट सर्विसेज लिमिटेड[1] | भारत | 100.00 | 100.00 |
| 3. | पीएनबी कार्ड्स एंड सर्विसेज लिमिटेड[1] | भारत | 100.00 | 100.00 |
| 4. | पंजाब नेशनल बैंक (इंटरनेशनल) लिमिटेड यूके | यूनाइटेड किंगडम | 100.00 | 100.00 |
| 5. | ड्रुक पीएनबी बैंक लिमिटेड भूटान[1] | भूटान | 51.00 | 51.00 |

*1.कंपनी के वित्तीय विवरण, कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षा द्वारा पूरक लेखापरीक्षा और उनकी रिपोर्ट की प्राप्ति के अधीन हैं।*

### 2. समेकित वित्तीय विवरण में माने गए सहयोगी इस प्रकार हैः

(% में)

| क्र. सं. | एसोसिएट्स | निगमन देश | को स्वामित्व प्रतिशत के रूप में अनुपात | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 31.03.2025 | 31.03.2024 |
| 1 | पीएनबी मेटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | भारत | 30.00 | 30.00 |
| 2 | पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड | भारत | 28.10 | 28.13 |
| 3 | जेएससी (टेंगरी बैंक), अल्माटी, कजाकिस्तान* | कजाकिस्तान | 41.64 | 41.64 |
| 4 | केनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | भारत | 23.00 | 23.00 |
| 5 | इंडिया एसएमई एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड | भारत | 20.90 | 20.90 |
| 6 | एवरेस्ट बैंक लिमिटेड. | नेपाल | 20.02 | 20.02 |
| 7 | दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक, पटना | भारत | 35.00 | 35.00 |
| 8 | हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक, मंडी। | भारत | 35.00 | 35.00 |
| 9 | पंजाब ग्रामीण बैंक, कपूरथला | भारत | 35.00 | 35.00 |
| 10 | सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक, रोहतक | भारत | 35.00 | 35.00 |
| 11 | प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक, मुरादाबाद | भारत | 35.00 | 35.00 |
| 12 | असम ग्रामीण विकास बैंक, गुवाहाटी | भारत | 35.00 | 35.00 |
| 13 | बंगीय ग्रामीण विकास बैंक, (पश्चिम बंगाल) | भारत | 35.00 | 35.00 |
| 14 | मणिपुर ग्रामीण बैंक, इम्फाल | भारत | 35.00 | 35.00 |
| 15 | त्रिपुरा ग्रामीण बैंक, अगरतला | भारत | 35.00 | 35.00 |

**एएफआर (वित्तीय बाजार के विनियमन और विकास के लिए एजेंसी, कजाकिस्तान) ने दिनांक 18.09.2020 से जेएससी टेंगरी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है और यह परिसमापन के अधीन है।*

## NOTES TO ACCOUNTS

1. The 05 Subsidiaries and 15 Associates (which along with Punjab National Bank, the parent, constitute the Group) are considered in the preparation of the consolidated financial statements are as under:

(In %)

| Sl. No. | Name of the Subsidiary Company | Country of incorporation | % Voting power held as at | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 31.03.2025 | 31.03.2024 |
| 1. | PNB Gilts Limited[1] | India | 74.07 | 74.07 |
| 2. | PNB Investment Services Ltd.[1] | India | 100.00 | 100.00 |
| 3. | PNB Cards and Services Ltd.[1] | India | 100.00 | 100.00 |
| 4. | Punjab National Bank (International) Ltd.UK | United Kingdom | 100.00 | 100.00 |
| 5. | Druk PNB Bank Ltd. Bhutan[1] | Bhutan | 51.00 | 51.00 |

*1. The financial statements of the company is subject to Supplementary Audit by the Comptroller & Audit General of India, under the Companies Act, 2013 and receipt of their report.*

### 2. Associates considered in consolidated financial statements are as under:

(In %)

| Sl. No. | Name of Associates | Country of incorporation | Proportion of ownership percentage as at | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 31.03.2025 | 31.03.2024 |
| 1 | PNB Metlife India Insurance Company Ltd | India | 30.00 | 30.00 |
| 2 | PNB Housing Finance Limited | India | 28.10 | 28.13 |
| 3 | JSC (Tengri Bank), Almaty, Kazakhstan* | Kazakhstan | 41.64 | 41.64 |
| 4 | Canara HSBC Life Insurance Co. Ltd. | India | 23.00 | 23.00 |
| 5 | India SME Asset Reconstruction Co. Ltd. | India | 20.90 | 20.90 |
| 6 | Everest Bank Ltd. | Nepal | 20.02 | 20.02 |
| 7 | Dakshin Bihar Gramin Bank, Patna | India | 35.00 | 35.00 |
| 8 | Himachal Pradesh Gramin Bank, Mandi. | India | 35.00 | 35.00 |
| 9 | Punjab Gramin Bank, Kapurthala | India | 35.00 | 35.00 |
| 10 | Sarva Haryana Gramin Bank, Rohtak | India | 35.00 | 35.00 |
| 11 | Prathama UP Gramin Bank, Moradabad | India | 35.00 | 35.00 |
| 12 | Assam Gramin Vikas Bank, Guwahati | India | 35.00 | 35.00 |
| 13 | Bangiya Gramin Vikas Bank, (West Bengal) | India | 35.00 | 35.00 |
| 14 | Manipur Rural Bank, Imphal | India | 35.00 | 35.00 |
| 15 | Tripura Gramin Bank, Agartala | India | 35.00 | 35.00 |

**AFR (Agency for regulation and development of financial market, Kazakhstan) revoked license of JSC Tengri Bank w.e.f. 18.09.2020 and is under Liquidation.*

### 3.1 आरक्षित पूंजी

*(₹ करोड़ में)*

| विवरण | 31.03.2025 तक | 31.03.2024 तक |
|---|---|---|
| समेकन पर आरक्षित पूंजी (निवल) | 74.21 | 74.21 |

### 3.2 टियर I और टियर II पूंजी के रूप में जुटाए गए स्थायी बॉण्ड/गौण ऋण:

*(₹ करोड़ में)*

| क्र. सं. | विवरण | 31.03.2025 तक | 31.03.2024 तक |
|---|---|---|---|
| i) | समाप्त वर्ष के दौरान जुटाई गई गैर–इक्विटी टियर 1 पूंजी की राशि, जिसमें से: | 0.00 | 6,012.00 |
| | ए) बेसल III अनुरूप स्थायी गैर–संचयी वरीयता शेयर, | 0.00 | 0.00 |
| | बी) बेसल III अनुपालक स्थायी ऋण इंस्ट्रूमेंट्स | 0.00 | 6,012.00 |
| ii) | वर्ष के दौरान वर्धित टियर 2 पूंजी की राशि, *जिसमें से बेसल III अनुपालक:* | 3,000.00 | 3,090.00 |
| | ए) टियर 2 पूंजी के रूप में ऋण पूंजी इंस्ट्रूमेंट्स | 3,000.00 | 3,090.00 |
| | बी) संचयी वरीयता शेयर | 0.00 | 0.00 |
| | सी) प्रतिदेय गैर–संचयी वरीयता शेयर | 0.00 | 0.00 |
| | डी) मोचनयोग्य संचयी वरीयता शेयर | 0.00 | 0.00 |

### 3.3 बैंक समूह का पूंजी पर्याप्तता अनुपात (बेसल III के अनुसार) इस प्रकार है:

*(₹ करोड़ में)*

| क्र. सं. | विवरण | 31.03.2025 तक | 31.03.2024 तक |
|---|---|---|---|
| i) | कॉमन इक्विटी टियर 1 कैपिटल (सीईटी 1) (कटौतियों का निवल) | 1,04,470.46 | 83,256.67 |
| ii) | अतिरिक्त टियर 1 पूंजी | 14,517.99 | 16,001.74 |
| iii) | टियर 1 पूंजी (i + ii) | 1,18,988.45 | 99,258.41 |
| iv) | टियर 2 पूंजी | 24,883.87 | 20,950.77 |
| **v)** | **कुल पूंजी (टियर 1+टियर 2)** | **1,43,872.32** | **1,20,209.18** |
| **vi)** | **कुल जोखिम भारित आस्तियां (आरडब्ल्यूए)** | **8,43,641.55** | **7,51,614.25** |
| vii) | सीईटी 1 अनुपात (आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में सीईटी 1) | 12.38% | 11.08% |
| viii) | टियर 1 अनुपात (आरडब्लूए के प्रतिशत के रूप में टियर 1 पूंजी) | 14.10% | 13.21% |
| ix) | टियर 2 अनुपात (आरडब्लूए के प्रतिशत के रूप में टियर 2 पूंजी) | 2.95% | 2.79% |
| x) | पूंजी से जोखिम भारित आस्ति अनुपात (सीआरएआर) (आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में कुल पूंजी) | 17.05% | 16.00% |
| xi) | लीवरेज का अनुपात | 6.03% | 5.96% |

आरबीआई ने 12 मई, 2023 के परिपत्र संख्या DOR.CAP.REC.4/21.06.201/2023-24 के माध्यम से बैंकों को पूंजी पर्याप्तता की गणना के लिए पुनर्मूल्यांकन रिजर्व, विदेशी मुद्रा अंतरण रिजर्व और आस्थगित कर आस्ति को सीईटी–1 पूंजी अनुपात के रूप में मानने का विवेकाधिकार दिया है। बैंक ने उपरोक्त गणना में इस विकल्प का प्रयोग किया है।

### 3.1 Capital Reserve

*(₹ in Crore)*

| Particulars | As at 31.03.2025 | As at 31.03.2024 |
|---|---|---|
| Capital Reserve on Consolidation (Net) | 74.21 | 74.21 |

### 3.2 Perpetual bonds/sub-ordinated debt raised as Tier I and Tier II Capital:

*(₹ in Crore)*

| Sr. No. | Particulars | As at 31.03.2025 | As at 31.03.2024 |
|---|---|---|---|
| i) | Amount of non-equity Tier 1 capital raised during the year ended, of which: | 0.00 | 6,012.00 |
| | a) Basel III compliant Perpetual Non-Cumulative Preference Shares | 0.00 | 0.00 |
| | b) Basel III compliant Perpetual Debt Instruments | 0.00 | 6,012.00 |
| ii) | Amount of Tier 2 capital raised during the year of which Basel III compliant: | 3,000.00 | 3,090.00 |
| | a) Debt Capital Instruments as Tier 2 Capital | 3,000.00 | 3,090.00 |
| | b) Perpetual Cumulative Preference Shares | 0.00 | 0.00 |
| | c) Redeemable Non-Cumulative Preference Shares | 0.00 | 0.00 |
| | d) Redeemable Cumulative Preference Shares | 0.00 | 0.00 |

### 3.3 The capital adequacy ratio (as per Basel III) of the bank group is as below:

*(₹ in Crore)*

| Sr. No. | Particulars | As at 31.03.2025 | As at 31.03.2024 |
|---|---|---|---|
| i) | Common Equity Tier 1 Capital (CET 1) (Net of deductions) | 1,04,470.46 | 83,256.67 |
| ii) | Additional Tier 1 capital | 14,517.99 | 16,001.74 |
| iii) | Tier 1 capital (i + ii) | 1,18,988.45 | 99,258.41 |
| iv) | Tier 2 capital | 24,883.87 | 20,950.77 |
| **v)** | **Total capital (Tier 1+Tier 2)** | **1,43,872.32** | **1,20,209.18** |
| **vi)** | **Total Risk Weighted Assets (RWAs)** | **8,43,641.55** | **7,51,614.25** |
| vii) | CET 1 Ratio (CET 1 as a percentage of RWAs) | 12.38% | 11.08% |
| viii) | Tier 1 Ratio (Tier 1 capital as a percentage of RWAs) | 14.10% | 13.21% |
| ix) | Tier 2 Ratio (Tier 2 capital as a percentage of RWAs) | 2.95% | 2.79% |
| x) | Capital to Risk Weighted Assets Ratio (CRAR) (Total Capital as a percentage of RWAs) | 17.05% | 16.00% |
| xi) | Leverage Ratio | 6.03% | 5.96% |

RBI vide circular no. DOR.CAP.REC.4/21.06.201/2023-24 dated May 12, 2023, has given discretion to banks to consider Revaluation Reserve, Foreign Currency Translation Reserve and Deferred Tax Asset for purpose of computation of Capital Adequacy as CET-1 capital ratio. The Bank has exercised the option in the above computation.

4. लेखांकन मानकों द्वारा अपेक्षित प्रकटीकरण

4.1 लेखामानक 5 – अवधि के लिए निवल लाभ या हानि, पूर्व अवधि की मदें और लेखांकन नीतियों में परिवर्तन

चालू एवं गत वर्ष के दौरान लेखामानक 5 के अंतर्गत प्रकटीकरण की आवश्यकता वाली कोई भी पूर्व अवधि की आय/व्यय मदें नहीं थीं।

31 मार्च, 2025 को समाप्त तिमाही और वर्ष के लिए वित्तीय परिणामों की तैयारी के लिए अपनाई गई महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों में परिवर्तनों का कोई भौतिक प्रभाव नहीं है, जो 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए अपनाई गई नीतियों की तुलना में है, सिवाय उन निवेशों के वर्गीकरण, मूल्यांकन और लेखांकन से संबंधित मास्टर निदेश संख्या आरबीआई/डीओआर/2023–24/104 डीओआर. एमआरजी. 36/21.04.141/2023–24 के अनुपालन में है, जो वाणिज्यिक बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो के वर्गीकरण, मूल्यांकन और संचालन पर हैं (निदेश), 2023 दिनांक 12 सितंबर 2023 को, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी, एफआईएमएमडीए द्वारा जारी स्पष्टीकरण के साथ पठित, जो 1 अप्रैल 2024 से लागू हो गए हैं। उपरोक्त दिशानिर्देशों के अनुसार, अन्य बातों के साथ–साथ, बैंक ने 31 मार्च 2025 तक सामान्य रिजर्व में 2,098.68 करोड़ रुपये (करों के बाद निवल) और एएफएस रिजर्व में 379.55 करोड़ रुपये (करों के बाद निवल) का निवल लाभ माना है।

इन दिशानिर्देशों के प्रभाव की सीमा तक, पूर्ववर्ती अवधियों/वर्षों के आंकड़े वर्तमान अवधि के साथ तुलनीय नहीं हैं।

4.2 लेखामानक 9 – राजस्व पहचान

आय की कुछ मदों को लेखांकन नीति संख्या 3.5 के अनुसार प्राप्ति के आधार पर मान्यता दी जाती है। हालाँकि, उक्त आय को भौतिक नहीं माना जाता है। (गत वर्ष: आय की कुछ मदों को लेखांकन नीति संख्या 3.5 के अनुसार प्राप्ति के आधार पर मान्यता दी गई है। हालाँकि, उक्त आय को भौतिक नहीं माना गया है)।

4.3 लेखा मानक 10 – संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

प्रत्येक श्रेणी की आस्तियाँ के लिए अवधि के लिए कुल मूल्यह्रास का विवरण

*(₹ करोड़ में)*

| विवरण (आस्ति वर्ग) | 31.03.2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष | 31.03.2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष |
|---|---|---|
| परिसर | 147.50 | 223.18 |
| अन्य अचल आस्तियां | 684.70 | 578.66 |
| पट्टाकृत आस्तियां | 0.01 | 0.01 |
| कंप्यूटर सॉफ्टवेयर | 125.30 | 103.75 |
| **कुल** | **957.51** | **905.60** |

4.4 लेखा मानक 11– विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन के प्रभाव: विदेशी मुद्रा उतार–चढ़ाव रिजर्व का संचलन

*(राशि करोड़ रुपये में)*

| विवरण | 31.03.2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष | 31.03.2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष |
|---|---|---|
| **प्रारंभिक शेष** | 877.00 | 843.52 |
| लाभ एवं हानि खाते में परिवर्तन के कारण वित्तीय वर्ष के दौरान वृद्धि/कटौती | 1.96 | 3.10 |
| वित्तीय वर्ष के दौरान आस्तियाँ एवं देनदारियों के अंतरण के कारण वृद्धि/कटौती | 120.03 | 30.38 |
| **जमा शेष** | **998.99** | **877.00** |

**4. Disclosures required by Accounting Standards**

**4.1 Accounting Standard 5 – Net Profit or Loss for the Period, Prior Period items and Change in Accounting Policies**

During the Current and Previous year there were no material prior period income/ expenditure items requiring disclosure under Accounting Standard 5.

There is no material impact of changes in Significant Accounting Policies followed for preparation of financial results for the quarter and year ended March 31, 2025 as compared to those followed for the preparation of financial statements for the year ended March 31, 2024, except those pertaining to classification, valuation and accounting of investments in compliance of Master Direction No. RBI/DOR/2023-24/104 DOR.MRG.36/21.04.141/2023-24 on Classification, Valuation and Operation of Investment Portfolio of Commercial Banks (Directions), 2023 dated September 12, 2023, issued by Reserve Bank of India, read with clarification issued by FIMMDA, which have become applicable from April 1, 2024. Pursuant to the above guidelines, inter-alia, the Bank has recognised a net gain of Rs. 2,098.68 crore (net of taxes) in General Reserve and Rs.379.55 crore (net of taxes) in AFS Reserve as on March 31, 2025.

To the extent of impact of these guidelines, the corresponding previous periods' / year's figures are not comparable with that of the current period.

**4.2 Accounting Standard 9 - Revenue Recognition**

Certain items of income are recognized on realization basis as per Accounting Policy No. 3.5. However, the said income is not considered to be material. (Previous year: Certain items of income are recognized on realization basis as per Accounting Policy No. 3.5. However, the said income is not considered to be material).

**4.3 Accounting Standard 10 – Properties, Plant and Equipment.**

Break-up of total depreciation for the period for each class of assets

***(₹ in Crore)***

| Particulars (Class of Assets) | FY Ending 31.03.2025 | FY Ending 31.03.2024 |
|---|---|---|
| Premises | 147.50 | 223.18 |
| Other fixed assets | 684.70 | 578.66 |
| Leased assets | 0.01 | 0.01 |
| Computer software | 125.30 | 103.75 |
| Total | 957.51 | 905.60 |

**4.4 Accounting Standard 11- The effects of Changes in Foreign Exchange rates:**

**Movement of Foreign Currency Fluctuation Reserve**

***(₹ in Crore)***

| Particulars | FY Ending 31.03.2025 | FY Ending 31.03.2024 |
|---|---|---|
| **Opening Balance** | **877.00** | **843.52** |
| Addition/Deduction during FY due to change in Profit & Loss account | 1.96 | 3.10 |
| Addition/Deduction during the FY due to translation of Assets & Liabilities | 120.03 | 30.38 |
| **Closing Balance** | **998.99** | **877.00** |

4.5 लेखा मानक 15 (संशोधित) – कर्मचारी लाभः

4.5.i परिभाषित लाभ योजनाएं

तालिका I – प्रमुख बीमांकिक मान्यताएं और इन मान्यताओं का आधार

| बीमांकिक अनुमान | पेंशन | | उपदान | | छुट्टी नकदीकरण | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 31.03.2025 | 31.03.2024 | 31.03.2025 | 31.03.2024 | 31.03.2025 | 31.03.2024 |
| बट्टा दर | 6.79% | 7.25% | 6.78% | 7.20% | 6.78% | 7.20% |
| योजनागत आस्तियों पर संभावित प्रतिलाभ | 6.79% | 7.25% | 6.78% | 7.20% | 6.78% | 7.20% |
| वेतन वृद्धि की दर | 6.00% | 6.00% | 6.00% | 6.00% | 6.00% | 6.00% |
| पलायन दर | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% |

तालिका II – दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन

*(राशि करोड़ में)*

| विवरण | पेंशन | | उपदान | | छुट्टी नकदीकरण | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 31.03.2025 | 31.03.2024 | 31.03.2025 | 31.03.2024 | 31.03.2025 | 31.03.2024 |
| वर्ष के आरंभ में दायित्व का वर्तमान मूल्य | 51,990.93 | 49,177.68 | 4,208.18 | 4,119.93 | 4,036.42 | 3,901.33 |
| जोड़ें ब्याज लागत | 3,653.00 | 3,544.18 | 276.79 | 275.97 | 244.55 | 242.70 |
| जोड़ें: वर्तमान सेवा लागत | 446.11 | 393.87 | 250.13 | 245.38 | 634.00 | 562.83 |
| घटाएँ: प्रदत्त लाभ | 4,643.28 | 4,170.79 | 536.57 | 559.08 | 188.53 | 767.99 |
| दायित्वों पर बीमांकिक (लाभ) / हानि (मिलान आंकड़े) | 4,763.73 | 3,045.99 | 260.59 | 125.95 | 58.26 | 97.44 |
| **वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य** | **56,210.33** | **51,990.77** | **4,409.23** | **4,208.16** | **4,546.99** | **4,036.32** |

तालिका III – योजना आस्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन

*(राशि करोड़ में)*

| विवरण | पेंशन | | उपदान | | छुट्टी नकदीकरण | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 31.03.2025 | 31.03.2024 | 31.03.2025 | 31.03.2024 | 31.03.2025 | 31.03.2024 |
| वर्ष के आरंभ में योजना आस्तियों का उचित मूल्य | 50,876.65 | 49,133.26 | 4,216.27 | 4,372.87 | 3,919.56 | 3,416.31 |
| जोड़ें: योजना आस्तियों पर संभावित प्रतिलाभ | 3,572.22 | 3,540.89 | 286.72 | 300.10 | 257.97 | 225.90 |
| जोड़ें: बैंक द्वारा प्रदत्त अंशदान | 4,959.74 | 1,887.74 | 359.13 | 77.73 | 508.36 | 840.52 |
| जोड़ें: पिछली सेवा लागत के लिए बैंक द्वारा प्रदत्त अंशदान (पारिवारिक पेंशन देयता पर) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| घटाएँ: प्रदत्त लाभ | 4,643.28 | 4,170.79 | 536.98 | 556.69 | 307.39 | 643.53 |
| बीमांकिक (हानि) योजना आस्तियों पर / लाभ (मिलान आंकड़े) | 750.06 | 485.55 | 54.26 | 22.26 | 69.60 | 80.36 |
| **वर्ष के अंत में योजना आस्तियों का उचित मूल्य** | **55,515.39** | **50,876.65** | **4,330.35** | **4,216.27** | **4,448.10** | **3,919.56** |

**4.5 Accounting Standard 15 (Revised) – Employees Benefits:**

**4.5.i Defined Benefit Plans**

**Table I – Principal Actuarial Assumptions and the basis of these assumptions**

| Actuarial Assumptions | PENSION | | GRATUITY | | LEAVE ENCASHMENT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 31.03.2025 | 31.03.2024 | 31.03.2025 | 31.03.2024 | 31.03.2025 | 31.03.2024 |
| Discount Rate | 6.79% | 7.25% | 6.78% | 7.20% | 6.78% | 7.20% |
| Expected Return on Plan Assets | 6.79% | 7.25% | 6.78% | 7.20% | 6.78% | 7.20% |
| Rate of Escalation In salary | 6.00% | 6.00% | 6.00% | 6.00% | 6.00% | 6.00% |
| Attrition Rate | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% |

**TABLE II - Changes in Present value of the obligation**

*(Amount in ₹ Crore)*

| Particulars | PENSION | | GRATUITY | | LEAVE ENCASHMENT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 31.03.2025 | 31.03.2024 | 31.03.2025 | 31.03.2024 | 31.03.2025 | 31.03.2024 |
| Present value of the obligation at the beginning of the year | 51,990.93 | 49,177.68 | 4,208.18 | 4,119.93 | 4,036.42 | 3,901.33 |
| Add: Interest Cost | 3,653.00 | 3,544.18 | 276.79 | 275.97 | 244.55 | 242.70 |
| Add: Current Service Cost | 446.11 | 393.87 | 250.13 | 245.38 | 634.00 | 562.83 |
| Less: Benefits Paid | 4,643.28 | 4,170.79 | 536.57 | 559.08 | 188.53 | 767.99 |
| Actuarial (Gains) / Losses on obligations (Balancing Figure) | 4,763.73 | 3,045.99 | 260.59 | 125.95 | 58.26 | 97.44 |
| **Present value of obligation as at the end of year** | **56,210.33** | **51,990.77** | **4,409.23** | **4,208.16** | **4,546.99** | **4,036.32** |

**TABLE III - Changes in the FV of the Plan Assets**

*(Amount in ₹ Crore)*

| Particulars | PENSION | | GRATUITY | | LEAVE ENCASHMENT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 31.03.2025 | 31.03.2024 | 31.03.2025 | 31.03.2024 | 31.03.2025 | 31.03.2024 |
| Fair Value of Plan Assets, as at the beginning of the year | 50,876.65 | 49,133.26 | 4,216.27 | 4,372.87 | 3,919.56 | 3,416.31 |
| Add: Expected return on Plan Assets | 3,572.22 | 3,540.89 | 286.72 | 300.10 | 257.97 | 225.90 |
| Add: Contribution paid by Bank | 4,959.74 | 1,887.74 | 359.13 | 77.73 | 508.36 | 840.52 |
| Add: Contribution paid by Bank for Past Service Cost (On family pension liability) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Less: Benefits Paid | 4,643.28 | 4,170.79 | 536.98 | 556.69 | 307.39 | 643.53 |
| Actuarial (Loss) / Gain on Plan Assets (Balancing Figure) | **750.06** | **485.55** | **54.26** | **22.26** | **69.60** | **80.36** |
| **Fair Value of Plan Assets, as at the end of the year** | **55,515.39** | **50,876.65** | **4,330.35** | **4,216.27** | **4,448.10** | **3,919.56** |

## तालिका IV – योजना आस्तियों के वास्तविक मूल्य में परिवर्तन

*(राशि ₹ करोड़ में)*

| विवरण | | पेंशन | | उपदान | | छुट्टी नकदीकरण | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 31.03.2025 | 31.03.2024 | 31.03.2025 | 31.03.2024 | 31.03.2025 | 31.03.2024 |
| | योजना आस्तियों पर संभावित प्रतिफल | 3,572.22 | 3,540.89 | 260.49 | 300.10 | 257.97 | 225.90 |
| जोड़ें: | बीमांकिक (हानि)/योजनागत आस्तियों पर लाभ | 750.06 | 485.55 | 54.26 | 22.26 | 69.60 | 80.36 |
| | **योजना आस्तियों पर वास्तविक प्रतिलाभ** | **4,322.28** | **4,026.44** | **314.75** | **322.36** | **327.57** | **306.26** |

## तालिका V – निवल बीमांकिक (लाभ)/हानि निर्धारित

*(राशि ₹ करोड़ में)*

| विवरण | पेंशन | | उपदान | | छुट्टी नकदीकरण | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 31.03.2025 | 31.03.2024 | 31.03.2025 | 31.03.2024 | 31.03.2025 | 31.03.2024 |
| अवधि के लिए बीमांकिक (लाभ)/हानि – दायित्व | 4,763.73 | 3,045.99 | 259.79 | 123.82 | 152.99 | 188.81 |
| अवधि के लिए बीमांकिक (लाभ)/हानि – योजनागत अस्तियां | -750.06 | -485.55 | -55.08 | -19.70 | -69.60 | -80.36 |
| अवधि के लिए कुल (लाभ)/हानि | 4,013.67 | 2,560.44 | 204.71 | 104.12 | 83.39 | 108.45 |
| वर्ष में निर्धारित बीमांकिक (लाभ)/हानि | 4,013.67 | 2,560.44 | 204.71 | 104.12 | 83.39 | 108.45 |
| वर्ष के अंत में गैर–निर्धारित बीमांकिक (लाभ)/हानि | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

## तालिका VI – तुलन पत्र में निर्धारित राशि

*( राशि ₹ करोड़ में)*

| विवरण | | पेंशन | | उपदान | | छुट्टी नकदीकरण | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 31.03.2025 | 31.03.2024 | 31.03.2025 | 31.03.2024 | 31.03.2025 | 31.03.2024 |
| | परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य | 56,210.33 | 51,990.77 | 4,404.61 | 4,205.52 | 4,546.44 | 4,035.82 |
| घटाएं: | योजना आस्तियों का उचित मूल्य | 55,515.39 | 50,876.65 | 4,330.35 | 4,216.27 | 4,448.10 | 3,919.56 |
| | घाटा/(अधिशेष) | 694.94 | 1,114.12 | 184.19 | -10.77 | 2.40 | 116.16 |
| | **शुद्ध देयता/(आस्ति )** | **694.94** | **1,114.12** | **129.11** | **-10.77** | **2.73** | **116.16** |
| | तुलन पत्र में राशियाँ | 0.00 | 0.00 | 55.08 | 0.00 | 95.27 | 0.00 |
| | तुलन पत्र में निर्धारित देयता | 694.94 | 1,114.12 | 129.17 | -10.77 | 2.65 | 116.16 |
| | तुलन पत्र में निर्धारित आस्तियां (पारिवारिक पेंशन देयता पर) | - | - | - | - | - | - |
| | **शुद्ध देयता/(आस्ति )** | **694.94** | **1,114.12** | **184.25** | **-10.77** | **97.92** | **116.16** |
| | एएस–15 (आर) के पैराग्राफ 55 के तहत निर्धारित ऋणात्मक राशि | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| | उपलब्ध धन वापसी का वर्तमान मूल्य और भावी अंशदान में कटौती | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | एएस–15 (आर) के पैराग्राफ 59 (बी) के अनुसार निर्धारित आस्ति | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**TABLE IV - Actual Return on Plan Assets**

*(Amount in ₹ Crore)*

| Particulars | PENSION | | GRATUITY | | LEAVE ENCASHMENT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 31.03.2025 | 31.03.2024 | 31.03.2025 | 31.03.2024 | 31.03.2025 | 31.03.2024 |
| Expected return on Plan Assets | 3,572.22 | 3,540.89 | 260.49 | 300.10 | 257.97 | 225.90 |
| Add: Actuarial (Loss) / Gain on Plan Assets | 750.06 | 485.55 | 54.26 | 22.26 | 69.60 | 80.36 |
| **Actual return on Plan Assets** | **4,322.28** | **4,026.44** | **314.75** | **322.36** | **327.57** | **306.26** |

**Table V – Net Actuarial (Gain) / Loss Recognized**

*(Amount in ₹ Crore)*

| Particulars | PENSION | | GRATUITY | | LEAVE ENCASHMENT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 31.03.2025 | 31.03.2024 | 31.03.2025 | 31.03.2024 | 31.03.2025 | 31.03.2024 |
| Actuarial (Gain) / Loss for the period – Obligations | 4,763.73 | 3,045.99 | 259.79 | 123.82 | 152.99 | 188.81 |
| Actuarial (Gain) / Loss for the period – Plan Assets | -750.06 | -485.55 | -55.08 | -19.70 | -69.60 | -80.36 |
| Total (Gain) / Loss for the period | 4,013.67 | 2,560.44 | 204.71 | 104.12 | 83.39 | 108.45 |
| Actuarial (Gain) / Loss recognized in the year | 4,013.67 | 2,560.44 | 204.71 | 104.12 | 83.39 | 108.45 |
| Unrecognized Actuarial (Gain) / Loss at the end of the year | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**Table VI – Amount recognized in Balance Sheet**

*(Amount in ₹ Crore)*

| Particulars | PENSION | | GRATUITY | | LEAVE ENCASHMENT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 31.03.2025 | 31.03.2024 | 31.03.2025 | 31.03.2024 | 31.03.2025 | 31.03.2024 |
| Present value of Defined Benefit Obligation | 56,210.33 | 51,990.77 | 4,404.61 | 4,205.52 | 4,546.44 | 4,035.82 |
| Less: Fair value of Plan Assets | 55,515.39 | 50,876.65 | 4,330.35 | 4,216.27 | 4,448.10 | 3,919.56 |
| Deficit / (Surplus) | 694.94 | 1,114.12 | 184.19 | -10.77 | 2.40 | 116.16 |
| **Net Liability/ (Asset)** | **694.94** | **1,114.12** | **129.11** | **-10.77** | **2.73** | **116.16** |
| Amounts in the Balance Sheet | 0.00 | 0.00 | 55.08 | 0.00 | 95.27 | 0.00 |
| Liability Recognized in the Balance Sheet | 694.94 | 1,114.12 | 129.17 | -10.77 | 2.65 | 116.16 |
| Assets Recognized in the Balance Sheet (on Family Pension liability) | - | - | - | - | - | - |
| **Net Liability/ (Asset)** | **694.94** | **1,114.12** | **184.25** | **-10.77** | **97.92** | **116.16** |
| Negative amount determined under Paragraph 55 of AS-15 (R) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Present value of available refunds and reductions in future contributions | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Asset recognized as per Paragraph 59 (b) of AS-15 (R) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

## सारणी VII – लाभ और हानि लेखे में निर्धारित व्यय

*(राशि ₹ करोड़ में)*

| विवरण | | पेंशन | | उपदान | | छुट्टी नकदीकरण | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 31.03.2025 | 31.03.2024 | 31.03.2025 | 31.03.2024 | 31.03.2025 | 31.03.2024 |
| | वर्तमान सेवा लागत | 446.11 | 393.87 | 248.84 | 244.95 | 634.25 | 562.53 |
| जोड़ें: | ब्याज लागत | 3,653.00 | 3,544.18 | 276.58 | 275.97 | 244.52 | 242.70 |
| घटाएं: | योजना आस्ति पर संभावित प्रतिलाभ | -3,572.22 | -3,540.89 | -284.98 | -300.10 | -257.97 | -225.90 |
| जोड़ें: | वर्ष में निर्धारित निवल बीमांकित (लाभ)/हानि | 4,013.67 | 2,560.44 | 204.70 | 104.12 | -12.18 | 108.45 |
| जोड़ें: | पिछली सेवा लागत–निर्धारित(पारिवारिक पेंशन देयता पर) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 |
| | **लाभ और हानि विवरण में निर्धारित व्यय** | **4,540.56** | **2,957.60** | **446.39** | **324.95** | **609.26** | **687.83** |

## तालिका VIII – तुलन पत्र में निर्धारित की जाने वाली निवल देयता में उतार–चढ़ाव

*(राशि ₹ करोड़ में)*

| विवरण | | पेंशन | | उपदान | | छुट्टी नकदीकरण | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 31.03.2025 | 31.03.2024 | 31.03.2025 | 31.03.2024 | 31.03.2025 | 31.03.2024 |
| प्रारंभिक निवल देयता | | 1,114.12 | 44.26 | 41.42 | -207.14 | 4.40 | 375.34 |
| जोड़ें: | व्यय | 4,540.56 | 2,957.60 | 431.75 | 296.67 | 507.18 | 469.48 |
| घटाएं: | प्रदत्त अंशदान | -4,959.74 | -1,887.74 | -343.83 | -77.73 | -508.36 | -840.52 |
| घटाएं: | कंपनी द्वारा प्रदत्त लाभ | 0.00 | 0.0 | -0.08 | 0.01 | -0.05 | 0.01 |
| अंतिम निवल देयता/(आस्ति) चालू अवधि में तुलन पत्र में निर्धारित देयता) | | 694.94 | 1,114.12 | 129.34 | 11.79 | 3.07 | 4.30 |

## तालिका IX – वर्तमान अवधि के लिए राशि

*(राशि ₹ करोड़ में)*

| विवरण | | पेंशन | | उपदान | | छुट्टी नकदीकरण | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 31.03.2025 | 31.03.2024 | 31.03.2025 | 31.03.2024 | 31.03.2025 | 31.03.2024 |
| | दायित्वों का वर्तमान मूल्य | 56,210.33 | 51,990.77 | 4,086.51 | 4,208.16 | 4,451.17 | 4,036.32 |
| घटाएं: | योजना आस्तियों का उचित मूल्य | 55,515.39 | 50,876.65 | 3,957.17 | 4,216.27 | 4,448.10 | 3,919.56 |
| | अधिशेष/(घाटा) | -694.94 | -1,114.12 | -129.34 | 8.11 | -3.07 | -116.76 |
| | योजना देयताओं में आनुभविक समायोजन – हानि/(लाभ) | 2,299.69 | 4,214.81 | 114.23 | 47.87 | (55.49) | 110.94 |
| | योजना आस्तियों में समायोजन – (हानि)/लाभ | 750.06 | 485.55 | 54.26 | 22.26 | 69.60 | 80.36 |

### TABLE VII - Expense to be recognized in Profit and loss Account

*(Amount in ₹ Crore)*

| Particulars | PENSION | | GRATUITY | | LEAVE ENCASHMENT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 31.03.2025 | 31.03.2024 | 31.03.2025 | 31.03.2024 | 31.03.2025 | 31.03.2024 |
| Current Service Cost | 446.11 | 393.87 | 248.84 | 244.95 | 634.25 | 562.53 |
| Add: Interest cost | 3,653.00 | 3,544.18 | 276.58 | 275.97 | 244.52 | 242.70 |
| Less: Expected return on Plan assets | -3,572.22 | -3,540.89 | -284.98 | -300.10 | -257.97 | -225.90 |
| Add: Net Actuarial (Gain) / Loss recognized in year | 4,013.67 | 2,560.44 | 204.70 | 104.12 | -12.18 | 108.45 |
| Add: Past Service Cost-Recognized (on Family Pension liability) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 |
| **Expenses recognized in the statement of profit and loss** | **4,540.56** | **2,957.60** | **446.39** | **324.95** | **609.26** | **687.83** |

### TABLE VIII - Movement in Net Liability to be recognized in Balance Sheet

*(Amount in ₹ Crore)*

| Particulars | PENSION | | GRATUITY | | LEAVE ENCASHMENT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 31.03.2025 | 31.03.2024 | 31.03.2025 | 31.03.2024 | 31.03.2025 | 31.03.2024 |
| Opening Net Liability | 1,114.12 | 44.26 | 41.42 | -207.14 | 4.40 | 375.34 |
| Add: Expense | 4,540.56 | 2,957.60 | 431.75 | 296.67 | 507.18 | 469.48 |
| Less: Contributions Paid | -4,959.74 | -1,887.74 | -343.83 | -77.73 | -508.36 | -840.52 |
| Less: Benefits Paid by the company | 0.00 | 0.0 | -0.08 | 0.01 | -0.05 | 0.01 |
| Closing Net Liability/ (Asset) recognized in B/S in current year) | 694.94 | 1,114.12 | 129.34 | 11.79 | 3.07 | 4.30 |

### TABLE IX - Amount for the Current Period

*(Amount in ₹ Crore)*

| Particulars | PENSION | | GRATUITY | | LEAVE ENCASHMENT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 31.03.2025 | 31.03.2024 | 31.03.2025 | 31.03.2024 | 31.03.2025 | 31.03.2024 |
| Present value of Obligation | 56,210.33 | 51,990.77 | 4,086.51 | 4,208.16 | 4,451.17 | 4,036.32 |
| Less: Fair value of Plan Assets | 55,515.39 | 50,876.65 | 3,957.17 | 4,216.27 | 4,448.10 | 3,919.56 |
| Surplus / (Deficit) | -694.94 | -1,114.12 | -129.34 | 8.11 | -3.07 | -116.76 |
| Experience Adjustments in Plan Liabilities - Loss/ (Gain) | 2,299.69 | 4,214.81 | 114.23 | 47.87 | (55.49) | 110.94 |
| Experience Adjustments in Plan Assets (Loss) / Gain | 750.06 | 485.55 | 54.26 | 22.26 | 69.60 | 80.36 |

**तालिका X – ट्रस्ट द्वारा प्रबंधित योजना आस्तियों की प्रमुख श्रेणियां (कुल योजना आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)**

*(राशि ₹ करोड़ में)*

| विवरण | पेंशन | | उपदान | | छुट्टी नकदीकरण | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 31.03.2025 | 31.03.2024 | 31.03.2025 | 31.03.2024 | 31.03.2025 | 31.03.2024 |
| भारत सरकार की प्रतिभूतियां | 2.08% | 2.80% | 3.64% | 4.93% | 0.00% | 0.00% |
| राज्य सरकार की प्रतिभूतियां | 9.39% | 9.48% | 9.51% | 7.64% | 0.00% | 0.00% |
| उच्च किस्म के कॉर्पोरेट बांड | 4.66% | 5.77% | 3.24% | 2.97% | 0.00% | 0.00% |
| सूचीबद्ध कंपनियों के इक्विटी शेयर/म्यूचुअल फंड निवेश | 0.19% | 0.23% | 0.22% | 0.54% | 0.00% | 0.00% |
| संपत्ति | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| विशेष जमा योजना/एफडीआर | 2.26% | 3.27% | 1.64% | 5.07% | 0.00% | 0.00% |
| बीमाकर्ता द्वारा प्रबंधित निधियां/जीवन बीमा कंपनियों में निवेश | 78.11% | 75.12% | 79.12% | 75.36% | 100.00% | 100.00% |
| अन्य जमा राशियां, उपार्जित आदि | 3.31% | 3.33% | 2.63% | 3.49% | 0.00% | 0.00% |
| **कुल** | **100.00%** | **100.00%** | **100.00%** | **100.00%** | **100.00%** | **100.00%** |

**तालिका XI – आगामी वर्ष के दौरान उद्यम के अंशदान का श्रेष्ठतम अनुमान**

*(राशि ₹ करोड़ में)*

| विवरण | पेंशन (निधिक) | | उपदान (निधिक) | | छुट्टी नकदीकरण (निधिक) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 31.03.2026 | 31.03.2025 | 31.03.2026 | 31.03.2025 | 31.03.2026 | 31.03.2025 |
| आगामी वर्ष के दौरान बैंक के श्रेष्ठतम अंशदान का अनुमान | 2,090.00 | 1,950.00 | 260.06 | 240.08 | 420.08 | 510.08 |

**तालिका XII – अन्य दीर्घावधि कर्मचारी लाभ (गैर–निधिक)**

*(राशि ₹ करोड़ में)*

| विवरण | बीमारी की छुट्टी और अन्य छुट्टियां (गैर–निधिक) | | छुट्टी किराया रियायत (गैर–निधिक) | | सिल्वर जुबली बोनस (गैर–निधिक) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 31.03.2025 | 31.03.2024 | 31.03.2025 | 31.03.2024 | 31.03.2025 | 31.03.2024 |
| दायित्व का वर्तमान मूल्य | 1,320.85 | 1,207.03 | 87.87 | 91.68 | 25.26 | 22.11 |
| संक्रमणशील देयता का प्रारंभिक शेष | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| वर्ष के दौरान निर्धारित संक्रमणशील देयता | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| संक्रमणशील देयता का अंतिम शेष | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| तुलन पत्र में निर्धारित देयता | 1,320.85 | 1,207.03 | 87.87 | 91.68 | 25.26 | 22.11 |

**Table X – Major Categories of Plan Assets (As percentage of Total Plan Assets) as Managed by Trust**

*(Amount in ₹ Crore)*

| Particulars | PENSION | | GRATUITY | | LEAVE ENCASHMENT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 31.03.2025 | 31.03.2024 | 31.03.2025 | 31.03.2024 | 31.03.2025 | 31.03.2024 |
| Government of India Securities | 2.08% | 2.80% | 3.64% | 4.93% | 0.00% | 0.00% |
| State Govt. Securities | 9.39% | 9.48% | 9.51% | 7.64% | 0.00% | 0.00% |
| High Quality Corporate Bonds | 4.66% | 5.77% | 3.24% | 2.97% | 0.00% | 0.00% |
| Equity Shares of listed companies/ Mutual fund investments | 0.19% | 0.23% | 0.22% | 0.54% | 0.00% | 0.00% |
| Property | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Special deposit scheme/ FDRs | 2.26% | 3.27% | 1.64% | 5.07% | 0.00% | 0.00% |
| Funds managed by Insurer/ Investment in Life Insurance Companies | 78.11% | 75.12% | 79.12% | 75.36% | 100.00% | 100.00% |
| Other Deposits, Accruals etc. | 3.31% | 3.33% | 2.63% | 3.49% | 0.00% | 0.00% |
| **Total** | **100.00%** | **100.00%** | **100.00%** | **100.00%** | **100.00%** | **100.00%** |

**Table XI – Enterprise's Best Estimate of Contribution during Next Year**

*(Amount in ₹ Crore)*

| Particulars | Pension (Funded) | | Gratuity (Funded) | | Leave Encashment (Funded) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 31.03.2026 | 31.03.2025 | 31.03.2026 | 31.03.2025 | 31.03.2026 | 31.03.2025 |
| Bank's best estimate of Contribution during next year | 2,090.00 | 1,950.00 | 260.06 | 240.08 | 420.08 | 510.08 |

**TABLE XII - Other Long Term employee benefits (Unfunded)**

*(Amount in ₹ Crore)*

| Particulars | Sick Leave & Other Leaves (Unfunded) | | Leave Fare concession (unfunded) | | Silver Jubilee Bonus (unfunded) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 31.03.2025 | 31.03.2024 | 31.03.2025 | 31.03.2024 | 31.03.2025 | 31.03.2024 |
| Present Value of Obligation | 1,320.85 | 1,207.03 | 87.87 | 91.68 | 25.26 | 22.11 |
| Opening Balance of Transitional Liability | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Transitional Liability recognized in the year | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Closing Balance of Transitional Liability | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Liability Recognized in Balance Sheet | 1,320.85 | 1,207.03 | 87.87 | 91.68 | 25.26 | 22.11 |

| विवरण | धारणा का आधार |
|---|---|
| बट्टा दर | दायित्वों की अनुमानित अवधि तथा मुद्रा के अनुरूप अवधि के सरकारी बंध पत्रों (एफबीआईएल द्वारा प्रकाशित) पर तुलन पत्र की तिथि को बाजार प्राप्तियों के अनुसार बट्टा दर निर्धारित की गयी है। |
| योजना आस्तियों पर प्रतिलाभ की संभावित दर | यह माना जा है कि पेंशन से संबंधित योजना आस्ति पर रिटर्न 6.79% होगा और उपदान और छुट्टी नकदीकरण निधि पर 6.78% प्रति वर्ष होगा। |
| वेतनवृद्धि दर (एसईआर) | आईबीए द्वारा प्रदान किए गए व्यापक मार्गदर्शन के आधार पर, बैंक के लिए एसईआर 6.00% प्रति वर्ष लिया गया है। |
| पलायन दर | गत अनुभव और स्वैच्छिक निकासी से संबंधित अपेक्षित भावी अनुभव के संदर्भ में पलायन की दर 1% निर्धारित की गई है। |

**4.5.ii परिभाषित अंशदान योजनाएं (मूल कंपनी): –**

बैंक ने दिनांक 01.04.2010 को या उसके बाद कार्यभार ग्रहण करने वाले सभी श्रेणियों के कर्मचारियों पर लागू अंशदान योजना को परिभाषित किया है। यह योजना पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण के अंतर्गत एनपीएस ट्रस्ट द्वारा प्रबंधित है। राष्ट्रीय सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (प्रोटेन ई–गवर्नेंस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड) को एनपीएस के लिए केंद्रीय रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है। अंशदान का विवरण इस प्रकार है: –

31.03.2025 को समाप्त वर्ष के दौरान = ₹1,551.89 करोड़

31.03.2024 को समाप्त वर्ष के दौरान = ₹1,382.37 करोड़

} *योगदान में बैंक + कर्मचारी दोनों का योगदान शामिल है*

**4.6 लेखा मानक 17 – खंडवार रिपोर्टिंग**

**खंड पहचान**

**I. प्राथमिक (कारोबार खंड):**

बैंक के प्राथमिक खंड निम्नलिखित हैं:–

i. **ट्रेजरी:** ट्रेजरी खंड में संपूर्ण निवेश पोर्टफोलियो और विदेशी मुद्रा अनुबंधों और व्युत्पन्न अनुबंधों में व्यापार शामिल है। ट्रेजरी खंड के राजस्व में मुख्य रूप से निवेश पोर्टफोलियो पर कारोबार परिचालन और ब्याज आय से शुल्क और लाभ या हानि शामिल है।

ii. **कॉरपोरेट/थोक बैंकिंग:** भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा– निर्देश आरबीआई/2020–21/53, डीओआर। सं.बीपी.बीसी.23/21.06.201 /2020–21, दिनांक 12 अक्टूबर, 2020 के अनुसार, कॉरपोरेट/थोक बैंकिंग खंड में ₹7.50 करोड़ और उससे अधिक के जोखिम वाले उधारकर्ताओं की उधार गतिविधियां शामिल हैं।

iii. **रिटेल बैंकिंग:** रिटेल बैंकिंग खंड में ₹7.50 करोड़ से कम जोखिम वाले उधारकर्ताओं के खातों को शामिल किया गया है।

आरबीआई परिपत्र आरबीआई/2022–23/19 डीओआर.एयूटी.आरईसी. 12/22.01.001/2022–23 दिनांक 07 अप्रैल, 2022 के अनुसार, आईसीएआई द्वारा जारी लेखामानक17, खंड रिपोर्टिंग के तहत प्रकटीकरण के उद्देश्य से, डिजिटल बैंकिंग खंड को भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा रिटेल बैंकिंग के तहत उप–खंड के रूप में चिन्हित किया गया है। 31 मार्च, 2025 तक, बैंक की 8 (आठ) डिजिटल बैंकिंग इकाइयाँ (डीबीयू) परिचालित हो रही हैं और रिटेल बैंकिंग परिचालन के तहत डिजिटल बैंकिंग के रूप में प्रकट की गई खंड जानकारी उक्त डीबीयू से संबंधित है।

iv. **अन्य बैंकिंग परिचालन:** जो उपरोक्त (i) से (iii) के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं है, इस प्राथमिक खंड के अंतर्गत वर्गीकृत किए गए हैं।

**II द्वितीयक (भौगोलिक खंड):**

i. **घरेलू परिचालन** – भारत में परिचालित शाखाएं/कार्यालय।

ii. **विदेशी परिचालन** – भारत के बाहर परिचालित शाखाएं/कार्यालय और भारत में परिचालित विशेष आर्थिक क्षेत्र में स्थित बैंकिंग इकाइयां।

**III. आवंटन का आधार:**

- ब्याज आय को आवंटन विभिन्न खंडों से प्राप्त वास्तविक ब्याज के आधार पर किया जाता है।
- थोक बैंकिंग/रिटेल बैंकिंग खंड/अन्य बैंकिंग खंड द्वारा अर्जित ब्याज आय के आधार पर प्रत्यक्ष रूप से आवंटित नहीं होने वाले व्यय आवंटित किए जाते हैं।
- प्रत्येक खंड के लिए नियोजित पूंजी की गणना उस विशेष खंड की आस्ति और देनदारियों के आधार पर की जाती है।
- बैंक के पास कुछ सामान्य आस्तियां और देनदारियां हैं, जिन्हें किसी भी खंड के लिए आवंटित नहीं किया जा सकता है, और उन्हें गैर आवंटित माना जाता है।

| PARTICULARS | BASIS OF ASSUMPTIONS |
|---|---|
| Discount Rate | Discount Rate has been determined by reference to market yields at the balance Sheet date on Government bonds (published by FBIL) of terms consistent with currency and estimated term of the obligations. |
| Expected Rate of Return on Plan Assets | It is assumed that return on the plan assets pertaining to the Pension will be 6.79% and for Gratuity and Leave Encashment fund will be 6.78% p.a. |
| Salary Escalation Rate (SER) | Based on the broad guidance provided by IBA, SER for the bank has been taken at 6.00% p.a. |
| Attrition Rate | Attrition rate is assumed at 1% taken with reference to past experience and expected future experience related to voluntary withdrawals. |

**4.5.ii Defined Contribution Plans (Parent Company): -**

The Bank has Defined Contribution Plan applicable to all categories of employees joining the Bank on or after 01.04.2010. The scheme is managed by NPS trust under the aegis of the Pension Fund Regulatory and Development Authority. National Securities Depository Limited (Protean e-Gov Technologies Limited) has been appointed as the Central Record Keeping Agency for the NPS.

The details of contribution are as under: -

| | |
|---|---|
| During the year ended 31.03.2025 = ₹1,551.89 Crores | Contribution includes both Bank + Employee contribution |
| During the year ended 31.03.2024 = ₹1,382.37 Crores | |

**4.6 Accounting Standard 17 - Segment Reporting**

**Segment Identification**

**I. Primary (Business Segment):**

The following are the primary segments of the Bank: -

i. **Treasury:** The Treasury Segment includes the entire investment portfolio and trading in foreign exchange contracts and derivative contracts. The revenue of the treasury segment primarily consists of fees and gains or losses from trading operations and interest income on the investment portfolio.

ii. **Corporate / Wholesale Banking:** As per the RBI guidelines RBI/2020-21/53, DOR.No.BP.BC.23/21.06.201/2020-21, dated 12th October 2020, the Corporate / Wholesale Banking segment comprises the lending activities of borrowers having exposure of ₹7.50Crores and above.

iii. **Retail Banking:** The Retail Banking Segment comprises of borrower accounts having exposure of less than ₹7.50 Crores.

As per RBI Circular RBI/2022-23/19 DOR.AUT.REC. 12/22.01.001/2022-23 dated April 07, 2022, for the purpose of disclosure under Accounting Standard 17, Segment Reporting issued by ICAI, Digital Banking Segment has been identified as sub-segment under Retail Banking by Reserve Bank of India (RBI). As on March 31, 2025, 8 (eight) Digital Banking Units (DBUs) of the Bank are operating and the segment information disclosed as Digital Banking under Retail Banking Operations is related to the said DBUs.

iv. **Other Banking Operations:** Segments not classified under (i) to (iii) above are classified under this primary segment.

**II. Secondary (Geographical Segment):**

i. **Domestic Operations** - Branches/Offices having operations in India.

ii. **Foreign Operations -** Branches/Offices having operations outside India and offshore banking units having operations in India.

**III. Basis of Allocation:**

- The interest income is allocated on the basis of actual interest received from different segments.
- Expenses not directly attributable are allocated on the basis of Interest income earned by the wholesale banking / retail banking segment/other banking segment.
- Capital employed for each segment is calculated based on the assets and liabilities of that particular segment.
- The Bank has certain common assets and liabilities, which cannot be attributed to any segment, and the same are treated as unallocated.

खंड जानकारी

भाग ए – कारोबार खंड (समेकित)

चालू वित्तीय वर्ष (2024–25)

| कारोबार खंड | ट्रेजरी | कॉरपोरेट / थोक बैंकिंग | खुदरा बैंकिंग | | | अन्य बैंकिंग परिचालन | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | डिजिटल बैंकिंग | अन्य खुदरा बैंकिंग | कुल | | |
| राजस्व | 40,267.60 | 58,597.99 | 0.33 | 38,305.71 | 38,306.04 | 3,285.18 | 1,40,456.81 |
| परिणाम | 10,523.92 | 11,794.05 | (7.39) | 8,301.10 | 8,293.71 | 1,303.77 | 31,915.45 |
| अनाबंटित व्यय | | | | | | | 5,862.91 |
| कर पूर्व लाभ | | | | | | | 26,052.54 |
| कर का प्रावधान | | | | | | | 8,612.91 |
| असामान्य मदें | | | | | | | 0.00 |
| एसोसिएट्स में अर्जितांश (निवल) | | | | | | | 1,112.98 |
| अल्पांश हितलाभ | | | | | | | 72.32 |
| निवल लाभ | | | | | | | 18,480.29 |
| **अन्य जानकारी** | | | | | | | |
| आस्ति खंड | 5,54,020.24 | 7,79,293.44 | 2.48 | 4,35,672.82 | 4,35,675.30 | 47,449.31 | 18,16,438.29 |
| अनाबंटित आस्तियां | | | | | | | 41,105.34 |
| कुल आस्तियां | | | | | | | 18,57,543.63 |
| देयताएं | 5,20,477.50 | 7,40,989.10 | 34.05 | 4,15,294.54 | 4,15,328.59 | 43,584.47 | 17,20,379.66 |
| अनाबंटित देयताएं | | | | | | | 4,026.01 |
| कुल देयताएं | | | | | | | 17,24,405.67 |
| नियोजित पूंजी | 33,542.74 | 38,304.34 | (31.57) | 20,378.28 | 20,346.71 | 3,864.84 | 96,058.63 |
| अनाबंटित नियोजित पूंजी | | | | | | | 37,079.33 |
| कुल नियोजित पूंजी | | | | | | | 1,33,137.96 |

गत वित्तीय वर्ष (2023–24)

| कारोबार खंड | ट्रेजरी | कॉरपोरेट / थोक बैंकिंग | खुदरा बैंकिंग | | | अन्य बैंकिंग परिचालन | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | डिजिटल बैंकिंग | अन्य खुदरा बैंकिंग | कुल | | |
| आय | 33,002.49 | 51,947.45 | 0.13 | 34,973.25 | 34,973.38 | 2,470.69 | 1,22,394.01 |
| परिणाम | 7,538.00 | 4,634.24 | (6.39) | 5,763.31 | 5,756.92 | 751.03 | 18,680.19 |
| अनाबंटित व्यय | | | | | | | 5,348.48 |
| कर पूर्व लाभ | | | | | | | 13,331.71 |
| कर का प्रावधान | | | | | | | 5,002.80 |
| असामान्य मदें | | | | | | | 0.00 |
| एसोसिएट्स में अर्जितांश (निवल) | | | | | | | 828.24 |
| अल्पांश हितलाभ | | | | | | | 49.95 |
| निवल लाभ | | | | | | | 9,107.20 |
| अन्य जानकारी | | | | | | | |
| आस्ति खंड | 4,96,903.42 | 6,68,803.90 | 2.30 | 3,45,190.38 | 3,45,192.68 | 43,710.78 | 15,54,610.78 |
| अनाबंटित आस्तियां | | | | | | | 44,025.18 |
| कुल आस्तियां | | | | | | | 15,98,635.96 |
| देयताएं | 4,71,888.14 | 6,41,942.73 | 21.44 | 3,31,871.16 | 3,31,892.60 | 40,268.67 | 14,85,992.14 |
| अनाबंटित देयताएं | | | | | | | 2,257.09 |
| कुल देयताएं | | | | | | | 14,88,249.23 |
| नियोजित पूंजी | 25,015.28 | 26,861.17 | (19.14) | 13,319.22 | 13,300.08 | 3,442.11 | 68,618.64 |
| अनाबंटित नियोजित पूंजी | | | | | | | 41,768.09 |
| कुल नियोजित पूंजी | | | | | | | 1,10,386.73 |

**Segment Information**

**Part A – Business Segments (Consolidated)**

**Current FY (2024-25)**

*(Amount in ₹ Crore)*

| Business Segment | Treasury | Corporate/ Wholesale Banking | Retail Banking | | | Other Banking Operations | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Digital Banking | Other Retail Banking | Total | | |
| Revenue | 40,267.60 | 58,597.99 | 0.33 | 38,305.71 | 38,306.04 | 3,285.18 | 1,40,456.81 |
| Result | 10,523.92 | 11,794.05 | (7.39) | 8,301.10 | 8,293.71 | 1,303.77 | 31,915.45 |
| Unallocated Expenditure | | | | | | | 5,862.91 |
| Profit before Tax | | | | | | | 26,052.54 |
| Provision for Tax | | | | | | | 8,612.91 |
| Extraordinary items | | | | | | | 0.00 |
| Share of Earning in Associates (Net) | | | | | | | 1,112.98 |
| Minority Interest | | | | | | | 72.32 |
| Net profit | | | | | | | 18,480.29 |
| **Other Information** | | | | | | | |
| Segment Assets | 5,54,020.24 | 7,79,293.44 | 2.48 | 4,35,672.82 | 4,35,675.30 | 47,449.31 | 18,16,438.29 |
| Unallocated Assets | | | | | | | 41,105.34 |
| Total Assets | | | | | | | 18,57,543.63 |
| Liabilities | 5,20,477.50 | 7,40,989.10 | 34.05 | 4,15,294.54 | 4,15,328.59 | 43,584.47 | 17,20,379.66 |
| Unallocated Liabilities | | | | | | | 4,026.01 |
| Total Liabilities | | | | | | | 17,24,405.67 |
| Capital Employed | 33,542.74 | 38,304.34 | (31.57) | 20,378.28 | 20,346.71 | 3,864.84 | 96,058.63 |
| Unallocated Capital Employed | | | | | | | **37,079.33** |
| Total Capital Employed | | | | | | | 1,33,137.96 |

**Previous FY (2023-24)**

*(Amount in ₹ Crore)*

| Business Segment | Treasury | Corporate/ Wholesale Banking | Retail Banking | | | Other Banking Operations | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Digital Banking | Other Retail Banking | Total | | |
| Revenue | 33,002.49 | 51,947.45 | 0.13 | 34,973.25 | 34,973.38 | 2,470.69 | 1,22,394.01 |
| Result | 7,538.00 | 4,634.24 | (6.39) | 5,763.31 | 5,756.92 | 751.03 | 18,680.19 |
| Unallocated Expenditure | | | | | | | 5,348.48 |
| Profit before Tax | | | | | | | 13,331.71 |
| Provision for Tax | | | | | | | 5,002.80 |
| Extraordinary items | | | | | | | 0.00 |
| Share of Earning in Associates (Net) | | | | | | | 828.24 |
| Minority Interest | | | | | | | 49.95 |
| Net profit | | | | | | | 9,107.20 |
| **Other Information** | | | | | | | |
| Segment Assets | 4,96,903.42 | 6,68,803.90 | 2.30 | 3,45,190.38 | 3,45,192.68 | 43,710.78 | 15,54,610.78 |
| Unallocated Assets | | | | | | | 44,025.18 |
| Total Assets | | | | | | | 15,98,635.96 |
| Liabilities | 4,71,888.14 | 6,41,942.73 | 21.44 | 3,31,871.16 | 3,31,892.60 | 40,268.67 | 14,85,992.14 |
| Unallocated Liabilities | | | | | | | 2,257.09 |
| Total Liabilities | | | | | | | 14,88,249.23 |
| Capital Employed | 25,015.28 | 26,861.17 | (19.14) | 13,319.22 | 13,300.08 | 3,442.11 | 68,618.64 |
| Unallocated Capital Employed | | | | | | | 41,768.09 |
| Total Capital Employed | | | | | | | 1,10,386.73 |

भाग बी – भौगोलिक खंड (समेकित)

चालू वर्ष 2024–25

*(राशि ₹ करोड़ में)*

| विवरण | घरेलू | अंतरराष्ट्रीय | कुल |
|---|---|---|---|
| राजस्व | 1,35,041.77 | 5,415.04 | 1,40,456.81 |
| आस्तियां | 17,51,008.22 | 1,06,535.41 | 18,57,543.63 |

पिछले वर्ष 2023–24

| विवरण | घरेलू | अंतरराष्ट्रीय | कुल |
|---|---|---|---|
| राजस्व | 1,17,982.87 | 4,411.14 | 1,22,394.01 |
| आस्तियां | 15,16,423.79 | 82,212.17 | 15,98,635.96 |

नोटः

1. *खंड देयताएं उनकी संबंधित आस्तियों के अनुपात में वितरित की गई हैं।*
2. *जहां भी आवश्यक समझा गया है पिछली अवधि के आंकड़ों को तुलनीय बनाने के लिए, पुनः समूहबद्ध/पुनः वर्गीकृत किया गया है।*
3. *भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र आरबीआई/2022–23/19 डीओआर.एयूटी.आरईसी. 12/22.01.001/2022–23 दिनांक 07 अप्रैल, 2022 के अनुसार, लेखा मानक 17 खंड रिपोर्टिंग के तहत प्रकटीकरण के उद्देश्य से, आईसीएआई (ICAI) द्वारा जारी, डिजिटल बैंकिंग खंड को भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा रिटेल बैंकिंग के तहत उप–खंड के रूप में पहचाना गया है। 31 मार्च, 2025 को को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान 8 (आठ) डिजिटल बैंकिंग इकाइयों (DBUs) का परिचालन शुरू कर दिया है और रिटेल बैंकिंग संचालन के तहत डिजिटल बैंकिंग के रूप में प्रकटीकृत किए गए खंड की जानकारी उक्त डिजिटल बैंकिंग इकाइयों (DBUs) से संबंधित है।*

### 4.6 आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक–18 के अनुसार संबंधित पक्षों का प्रकटीकरणः (मूल कंपनी)

**1. संबंधित पक्षों के नाम और बैंक के साथ उनका संबंधः**

**क. प्रबंधन के प्रमुख प्रबंधन कार्मिक (केएमपी):**

i. श्री अशोक चंद्र, एमडी एवं सीईओ

ii. श्री अतुल कुमार गोयल, एमडी एवं सीईओ *

iii. श्री कल्याण कुमार, कार्यपालक निदेशक

iv. श्री एम. परमशिवम, कार्यपालक निदेशक

v. श्री विभु प्रसाद महापात्र, कार्यपालक निदेशक

vi. श्री डी. सुरेन्द्रन, कार्यपालक निदेशक

vii. श्री बिनोद कुमार, कार्यपालक निदेशक ^

*दिनांक 31.12.2024 को कार्यकाल समाप्त

^16.01.2025 तक

**ख. समनुषगियां:**

i. पीएनबी गिल्ट्स लिमिटेड.

ii. पीएनबी इन्वेस्टमेंट सर्विसेज लिमिटेड.

iii. पीएनबी कार्ड्स एंड सर्विसेज लिमिटेड

iv. पंजाब नैशनल बैंक (इंटरनेशनल) लिमिटेड, यू.के.

v. ड्रुक पीएनबी बैंक लिमिटेड, भूटान.

**Part B – Geographical Segments (Consolidated)**

**Current FY (2024-25)**

*(Amount in ₹ Crore)*

| Particulars | Domestic | International | Total |
|---|---|---|---|
| Revenue | 1,35,041.77 | 5,415.04 | 1,40,456.81 |
| Assets | 17,51,008.22 | 1,06,535.41 | 18,57,543.63 |

**Previous FY (2023-24)**

| Particulars | Domestic | International | Total |
|---|---|---|---|
| Revenue | 1,17,982.87 | 4,411.14 | 1,22,394.01 |
| Assets | 15,16,423.79 | 82,212.17 | 15,98,635.96 |

**Notes :**

1. *Segment Liabilities are distributed in the ratio of their respective Segment Assets.*
2. *Figures of the previous period have been re-grouped/re-classified wherever necessary.*
3. *As per RBI Circular RBI/2022-23/19 DOR.AUT.REC. 12/22.01.001/2022-23 dated April 07, 2022, for the purpose of disclosure under Accounting Standard 17, Segment Reporting issued by ICAI, Digital Banking Segment has been identified as sub-segment under Retail Banking by Reserve Bank of India (RBI). As on March 31, 2025, 8 (eight) Digital Banking Units (DBUs) of the Bank are operating and the segment information disclosed as Digital Banking under Retail Banking Operations is related to the said DBUs.*

### 4.6 Accounting Standard 18 – Disclosure of Related Parties as per Accounting Standard – 18 issued by ICAI:

**1. Names of Related Parties and their relationship with the bank:**

**A. Key Management Personnel (KMP):**

i. Shri Ashok Chandra, MD & CEO

ii. Shri Atul Kumar Goel, MD & CEO*

iii. Shri Kalyan Kumar, Executive Director

iv. Shri M. Paramasivam, Executive Director

v. Shri Bibhu Prasad Mahapatra, Executive Director

vi. Shri D Surendran, Executive Director

vii. Shri Binod Kumar, Executive Director^

*Tenure Completed on 31.12.2024

^Till 16.01.2025

**B. Subsidiaries:**

i. PNB Gilts Ltd.

ii. PNB Investment Services Ltd.

iii. PNB Cards and Services Ltd.

iv. Punjab National Bank (International) Ltd., UK.

v. Druk PNB Bank Ltd, Bhutan.

**ग. सहयोगी:**

i. पीएनबी मेटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

ii. पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

iii. जेएससी (टेंगरी बैंक), अल्माटी, कजाकिस्तान*

iv. केनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड.

v. इंडिया एसएमई एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड.

vi. एवरेस्ट बैंक लिमिटेड, काठमांडू, नेपाल

vii. दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक, पटना

viii. हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक, मंडी

ix. पंजाब ग्रामीण बैंक, कपूरथला

x. सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक, रोहतक

xi. प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक, मुरादाबाद

xii. असम ग्रामीण विकास बैंक, गुवाहाटी

xiii. बंगीय ग्रामीण विकास बैंक, पश्चिम बंगाल

xiv मणिपुर ग्रामीण बैंक, इम्फाल

xv त्रिपुरा ग्रामीण बैंक, अगरतला

*एएफआर (वित्तीय बाजार के विनियमन और विकास के लिए एजेंसी, कजाकिस्तान) ने 18.09.2020 से जेएससी टेंगरी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है और यह परिसमापन के अधीन है।

**घ. अन्य:**

i. पंजाब नैशनल बैंक शताब्दी ग्रामीण विकास ट्रस्ट

ii. पंजाब नैशनल बैंक किसान कल्याण ट्रस्ट

**C. Associates:**

i. PNB Metlife India Insurance Co. Ltd

ii. PNB Housing Finance Limited

iii. JSC (Tengri Bank), Almaty, Kazakhstan*

iv. Canara HSBC Life Insurance Co. Ltd.

v. India SME Asset Reconstruction Co. Ltd.

vi. Everest Bank Limited, Kathmandu, Nepal

vii. Dakshin Bihar Gramin Bank, Patna

viii. Himachal Pradesh Gramin Bank, Mandi

ix. Punjab Gramin Bank, Kapurthala

x. Sarva Haryana Gramin Bank, Rohtak

xi. Prathama UP Gramin Bank, Moradabad

xii. Assam Gramin Vikas Bank, Guwahati

xiii. Bangiya Gramin Vikas Bank, West Bengal

xiv. Manipur Rural Bank, Imphal

xv. Tripura Gramin Bank, Agartala

*AFR (Agency for Regulation and Development of Financial Market, Kazakhstan) revoked license of JSC Tengri Bank w.e.f. 18.09.2020 which is under Liquidation.

**D. Others**

i. Punjab National Bank Centenary Rural Development Trust

ii. Punjab National Bank Farmers Welfare Trust

## संबंधित पक्षों के साथ लेन–देन:

*राशि ₹ करोड़ में)*

| विवरण | सहयोगी/संयुक्त उद्यम | प्रबंधन के प्रमुख कार्मिक एवं उनके रिश्तेदार | कुल | सहयोगी/संयुक्त उद्यम | प्रबंधन के प्रमुख कार्मिक एवं उनके रिश्तेदार | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **वर्तमान स्थिति के अनुसार बकाया** | | **31 मार्च 2025** | | | **31 मार्च 2024** | |
| उधार | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.98 | 0.00 | 24.98 |
| जमाराशि | 968.17 | 0.00 | 968.17 | 892.02 | 0.00 | 892.02 |
| अन्य देयताएं | 5.37 | 0.00 | 5.37 | 2.12 | 0.00 | 2.12 |
| बैंकों के पास की राशि और मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| अग्रिम | 5,149.99 | 0.00 | 5,149.99 | 2,691.63 | 0.00 | 2,691.63 |
| निवेश | 1,316.29 | 0.00 | 1,316.29 | 1,316.29 | 0.00 | 1,316.29 |
| अन्य आस्तियां | 88.33 | 0.00 | 88.33 | 104.41 | 0.00 | 104.41 |
| गैर निधि प्रतिबद्धताएं (एलसी/बीजी) | 43.39 | 0.00 | 43.39 | 8.92 | 0.00 | 8.92 |
| **अधिकतम बकाया** | | **वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान** | | | **वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान** | |
| उधार | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.98 | 0.00 | 24.98 |
| जमाराशि | 1,070.41 | 0.00 | 1,070.41 | 1,135.78 | 0.00 | 1,135.78 |
| अन्य देयताएं | 5.82 | 0.00 | 5.82 | 2.12 | 0.00 | 2.12 |
| कॉल और अल्प सूचना पर बैंकों और धन के साथ शेष राशि | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| अग्रिम | 5,149.99 | 0.00 | 5,149.99 | 4,892.67 | 0.00 | 4,892.67 |
| निवेश | 1,316.29 | 0.00 | 1,316.29 | 1,316.29 | 0.00 | 1,316.29 |
| अन्य परिसंपत्तियां | 99.33 | 0.00 | 99.33 | 121.58 | 0.00 | 121.58 |
| गैर निधि प्रतिबद्धताएं (एलसी/बीजी) | 43.39 | 0.00 | 43.39 | 8.92 | 0.00 | 8.92 |
| **वर्ष के दौरान** | | **वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान** | | | **वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान** | |
| ब्याज आय | 561.40 | 0.00 | 561.40 | 555.96 | 0.00 | 555.96 |
| लाभांश के माध्यम से अर्जित आय | 12.51 | 0.00 | 12.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| अन्य आय | 428.66 | 0.00 | 428.66 | 393.53 | 0.00 | 393.53 |
| ब्याज व्यय | 1.83 | 0.00 | 1.82 | 2.12 | 0.00 | 2.12 |
| अन्य व्यय | 38.77 | 0.00 | 38.77 | 37.73 | 0.00 | 37.73 |
| भूमि/भवन और अन्य आस्तियाओं की बिक्री पर लाभ/(हानि) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| निवेश की बिक्री | 41.95 | 0.00 | 41.95 | 25.03 | 0.00 | 25.03 |
| प्रबंधन अनुबंध | 0.54 | 0.00 | 0.54 | 0.54 | 0.00 | 0.54 |

*नोटः 1. अनुषंगियों और कुछ सहयोगी संस्थाओं के साथ हुए लेन–देन का प्रकटीकरणश लेखा मानक–18 " संबन्धित पार्टी प्रकटीकरण के पैरा 9 के मद्देनजर नही किया गया है जो राज्य द्वारा नियंत्रित उद्यमों को उनकी ऐसी अन्य संबन्धित पार्टियों, जो राज्य द्वारा नियंत्रित हों, से लेन–देन में कोई प्रकटीकरण करने से छूट देता है ।*

*2. इसके अलावा, एएस 18 के पैराग्राफ 5 के अनुसार, बैंकर–ग्राहक संबंध के स्वरूप के लेन–देन, जिनमें प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों के रिश्तेदारों से किए गए लेन–देन भी शामिल हैं, का प्रकटीकरण नही किया गया है।*

*3. रिपोर्ट की गई राशि प्रावधान को घटाकर है, यदि कोई हो*

*4. जहां भी आवश्यक हो, पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनः समूहबद्ध/पुनः व्यवस्थित/पुनःवर्गीकृत किया गया है।*

**Transactions with Related Parties:**

*(Amount in ₹ Crore)*

| Particulars | Associates/ Joint ventures | Key Management Personnel & their relatives | Total | Associates/ Joint ventures | Key Management Personnel & their relatives | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Outstanding as at** | | **31st March 2025** | | | **31st March 2024** | |
| Borrowings | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.98 | 0.00 | 24.98 |
| Deposits | 968.17 | 0.00 | 968.17 | 892.02 | 0.00 | 892.02 |
| Other Liabilities | 5.37 | 0.00 | 5.37 | 2.12 | 0.00 | 2.12 |
| Balance with Banks and Money at call and short notice | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Advances | 5,149.99 | 0.00 | 5,149.99 | 2,691.63 | 0.00 | 2,691.63 |
| Investments | 1,316.29 | 0.00 | 1,316.29 | 1,316.29 | 0.00 | 1,316.29 |
| Other Assets | 88.33 | 0.00 | 88.33 | 104.41 | 0.00 | 104.41 |
| Non fund Commitments (LCs / BGs) | 43.39 | 0.00 | 43.39 | 8.92 | 0.00 | 8.92 |
| **Maximum Outstanding** | | **During FY 2024-25** | | | **During FY 2023-24** | |
| Borrowings | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.98 | 0.00 | 24.98 |
| Deposits | 1,070.41 | 0.00 | 1,070.41 | 1,135.78 | 0.00 | 1,135.78 |
| Other Liabilities | 5.82 | 0.00 | 5.82 | 2.12 | 0.00 | 2.12 |
| Balance with Banks and Money at call and short notice | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Advances | 5,149.99 | 0.00 | 5,149.99 | 4,892.67 | 0.00 | 4,892.67 |
| Investments | 1,316.29 | 0.00 | 1,316.29 | 1,316.29 | 0.00 | 1,316.29 |
| Other Assets | 99.33 | 0.00 | 99.33 | 121.58 | 0.00 | 121.58 |
| Non fund Commitments (LCs / BGs) | 43.39 | 0.00 | 43.39 | 8.92 | 0.00 | 8.92 |
| **During the Year** | | **During FY 2024-25** | | | **During FY 2023-24** | |
| Interest Income | 561.40 | 0.00 | 561.40 | 555.96 | 0.00 | 555.96 |
| Income earned by way of Dividend | 12.51 | 0.00 | 12.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Other Income | 428.66 | 0.00 | 428.66 | 393.53 | 0.00 | 393.53 |
| Interest expenditure | 1.83 | 0.00 | 1.82 | 2.12 | 0.00 | 2.12 |
| Other expenditure | 38.77 | 0.00 | 38.77 | 37.73 | 0.00 | 37.73 |
| Profit/ (loss) on sale of land/building and other assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Sale of Investments | 41.95 | 0.00 | 41.95 | 25.03 | 0.00 | 25.03 |
| Management contracts | 0.54 | 0.00 | 0.54 | 0.54 | 0.00 | 0.54 |

Notes:

1. The transactions with the subsidiaries and certain associates have not been disclosed in view of para-9 of AS-18 'Related Party Disclosure', which exempts state controlled enterprises from making any disclosures pertaining to their transactions with other related parties, which are also state controlled.
2. Further, in terms of Paragraph 5 of AS 18, transactions in the nature of Banker-Customer relationship have not been disclosed including those with Key Management Personnel and relatives of Key Management Personnel.
3. The amounts reported are net of provision, if any.
4. Figures related to previous year have been regrouped / rearranged / reclassified wherever necessary.

### 4.8. लेखांकन मानक 19 – पट्टा (मूल कंपनी)

i. परिचालन पट्टे में मुख्य रूप से कार्यालय परिसर शामिल होते है, जिसे बैंक के विकल्प पर सामान्यतः प्रत्येक तीसरे/पांचवें वर्ष के अंत में नवीनीकृत किया जाता है।

ii. उपलब्ध जानकारी के अनुसार, 31.03.2025 तक गैर–रद्द करने योग्य पट्टाः शून्य (31.03.2024 तक पिछली अवधिः शून्य)।

iii. बैंक ने 31 मार्च, 2025 को समाप्त अवधि के लिए सीधी रेखा पद्धति पर ₹24.41 करोड़ का लीज़ इक्वलाइज़ेशन रिज़र्व बनाया है और 31 मार्च 2024 को समाप्त गत वर्ष यह ₹21.70 करोड़ था।

iv. परिचालन पट्टे के लिए लाभ एवं हानि खाते में मान्यता प्राप्त पट्टा भुगतान की राशि निम्नानुसार हैः

| विवरण | 31.03.2025 तक | 31.03.2024 तक |
|---|---|---|
| पट्टे/किराए पर लिए गए परिसरों की संख्या | 14,909 | 15,912 |
| राशि (₹ करोड़ में) | 868.27 | 814.59 |

### 4.9 लेखा मानक 20 – प्रति शेयर अर्जन

| क्र. | विवरण | 31.03.2025 तक | 31.03.2024 तक |
|---|---|---|---|
| क. | ईपीएस – बेसिक/डायल्यूरेटेड (₹) | 16.42 | 8.27 |
| ख. | कर क पश्चात गणक के रूप में उपयोग की गई राशि लाभ/(हानि) (₹ करोड़ में) | 18,480.29 | 9,107.20 |
| ग. | शेयर का अंकित मूल्य (₹) | 2.00 | 2.00 |
| घ. | डिनोमिनेटर के रूप में प्रयुक्त इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या | 11,25,66,00,638 | 11,01,10,15,558 |

### 4.10 आस्थगित कर आस्तियों और देयताओं के प्रमुख घटक नीचे दिए गए हैं:

*(राशि ₹ करोड़ में)*

| विवरण | 31.03.2025 तक | 31.03.2024 तक |
|---|---|---|
| **आस्थगित कर आस्तियां** | | |
| अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान | 22,005.03 | 23,107.94 |
| छुट्टी नकदीकरण का प्रावधान | 475.38 | 427.14 |
| एएफएस रिजर्व | 0.67 | - |
| पेंशन और ग्रेच्युटी का प्रावधान | 0.06 | 0.04 |
| कर योग्य हानि (आगे ले जाई गई) | 212.51 | 208.43 |
| निगमन–पूर्व व्यय | 0.00 | 0.00 |
| अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास | 1.58 | 2.20 |
| अन्य आकस्मिकताएं | 302.45 | 262.44 |
| **कुल** | **22,997.68** | **24,008.20** |
| **आस्थगित कर देयताएं** | | |
| अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास | (345.95) | (335.24) |
| आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (1) (viii) के तहत कटौती | 1,982.07 | 1,388.02 |
| एएफएस रिजर्व | 204.54 | 0.00 |
| अन्य | 8.72 | 0.00 |
| **कुल** | **1,849.38** | **1,052.78** |
| **आस्थगित कर आस्तियां/(देयता) – निवल** | **21,148.30** | **22,955.42** |

### 4.8. Accounting Standard 19 - Lease (Parent Company)

i. Operating lease primarily comprise office premises, which are renewable at the option of the bank normally at the end of every 3rd / 5th year.

ii. As per the information available, non-cancellable lease as on 31.03.2025: Nil (Previous Period as on 31.03.2024: Nil).

iii. Bank has created a lease equalization reserve of ₹24.41 Crore on the straight-line method for the period ended 31st March 2025 and previous year ended 31st March 2024 ₹21.70 Crore

iv. The amount of lease payment recognized in P & L Account for operating lease is as below:

| Particulars | As at 31.03.2025 | As at 31.03.2024 |
|---|---|---|
| No. of Leased / Rented Premises | 14,909 | 15,912 |
| Amount (₹ in Crore) | 868.27 | 814.59 |

### 4.9 Accounting Standard 20 - Earnings per Share

| Sr. No. | Particulars | As at 31.03.2025 | As at 31.03.2024 |
|---|---|---|---|
| A | EPS - Basic / Diluted (₹) | 16.42 | 8.27 |
| B | Amount used as numerator Profit/ (Loss) after tax (₹ in Crore) | 18,480,29 | 9,107.20 |
| C | Nominal value of share (₹) | 2.00 | 2.00 |
| D | Weighted average number of equity shares used as the denominator | 11,25,66,00,638 | 11,01,10,15,558 |

### 4.10 Major components of deferred tax assets and liability are set out below:

*(Amount in ₹ Crore)*

| Particulars | As at 31.03.2025 | As at 31.03.2024 |
|---|---|---|
| **Deferred Tax Assets** | | |
| Provision for bad & doubtful debts | 22,005.03 | 23,107.94 |
| Provision for leave encashment | 475.38 | 427.14 |
| AFS Reserve | 0.67 | - |
| Provision for Pension & Gratuity | 0.06 | 0.04 |
| Taxable Loss (Carried Forward) | 212.51 | 208.43 |
| Pre-Incorporation Expenditure | 0.00 | 0.00 |
| Depreciation on fixed assets | 1.58 | 2.20 |
| Other Contingencies | 302.45 | 262.44 |
| **Total** | **22,997.68** | **24,008.20** |
| **Deferred Tax Liabilities** | | |
| Depreciation on fixed assets | (345.95) | (335.24) |
| Deduction u/s 36 (1) (viii) of Income- tax Act,1961 | 1,982.07 | 1,388.02 |
| AFS Reserves | 204.54 | 0.00 |
| Others | 8.72 | 0.00 |
| **Total** | **1,849.38** | **1,052.78** |
| **Deferred Tax Assets/ (Liability) – Net** | **21,148.30** | **22,955.42** |

### 4.11 लेखांकन मानक 28 – आस्तियों का ह्रास

बैंक की आस्तियों में एक बड़ा हिस्सा 'वित्तीय आस्तियों' का है, जिन पर लेखा मानक 28 'आस्तियों का ह्रास' लागू नहीं है। बैंक की राय में दिनांक 31.03.2025 तक इसकी आस्तियों (जिन पर मानक लागू होता है) में किसी भी भौतिक सीमा तक हानि नही हुई है, जिसके लिए उक्त मानक के अनुसार मान्यता की आवश्यकता है।

(पिछली अवधि: बैंक की आस्तियों में एक बड़ा हिस्सा वित्तीय आस्तियों का है, जिन पर लेखामानक 28 'आस्तियों का ह्रास' लागू नहीं है। बैंक की राय में दिनांक 31.03.2024 तक इन आस्तियों (जिन पर मानक लागू होता है) में किसी भी सीमा तक कोई हानि नही हुई है, जिसके लिए उक्त मानक के संदर्भ में मान्यता की आवश्यकता है।)

### 4.12 लेखा मानक 29 – प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियां

#### i. देयताओं के लिए प्रावधानों में उतार–चढ़ाव

*(राशि ₹ करोड़ में)*

| विवरण | 31.03.2025 तक | | 31.03.2024 तक | |
|---|---|---|---|---|
| | वेतन बकाया | कानूनी मामले / आकस्मिकताएं | वेतन बकाया | कानूनी मामले / आकस्मिकताएं |
| प्रारंभिक जमाराशि | 150.00 | 119.65 | 459.63 | 85.58 |
| छमाही के दौरान अतिरिक्त / प्रदान किया गया | 0.00 | 54.65 | 2,041.72 | 43.30 |
| अर्ध वर्ष के दौरान प्रयुक्त / रिवर्स की गई राशियाँ | 0.00 | 28.60 | 2,351.35 | 9.23 |
| जमा शेष | 150.00 | 145.70 | 150.00 | 119.65 |
| बहिर्वाह का समय / अनिश्चितताएं | वास्तविक भुगतान पर | निपटान / क्रिस्टलीकरण पर बहिर्वाह | वास्तविक भुगतान पर | निपटान / क्रिस्टलीकरण पर बहिर्वाह |

#### ii. लाभ और हानि लेखे में व्यय शीर्षक के अंतर्गत दिखाए गए 'प्रावधान और आकस्मिकताओं' का ब्यौरा निम्नानुसार है:

*(राशि ₹ करोड़ में)*

| | प्रावधान लाभ और हानि खाते में डेबिट किया गया | 31.03.2025 तक | 31.03.2024 तक |
|---|---|---|---|
| i. | एनपीआई / क्षति के लिए प्रावधान | (11.65) | (1,407.33) |
| ii. | एनपीए के लिए प्रावधान | 1,754.85 | 12,171.97 |
| iii. | एनपीए के लिए अस्थायी प्रावधान | 750.00 | 150.00 |
| iv. | आयकर के लिए किया गया प्रावधान | 8,612.91 | 5,002.80 |
| v. | मानक परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान | (208.40) | 6.33 |
| vi. | अन्य प्रावधान एवं आकस्मिकताएं (विवरण सहित) | 15.21 | 798.19 |
| **कुल** | | **10,912.92** | **16,721.96** |

### 4.11 Accounting Standard 28 - Impairment of Assets

A substantial portion of the bank's assets comprises 'Financial Assets' to which Accounting Standard 28 'Impairment of Assets' is not Applicable. In the opinion of the bank, there is no impairment of its assets (to which the standard applies) to any material extent as at 31.03.2025 requiring recognition in terms of the said standard.

(Previous Period: A substantial portion of the bank's assets comprises 'financial assets' to which Accounting Standard 28 'Impairment of Assets' is Not Applicable. In the opinion of the bank, there is no impairment of its assets (to which the standard applies) to any material extent as at 31.03.2024 requiring recognition in terms of the said standard).

### 4.12 Accounting Standard 29 - Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets

#### i. Movement of provisions for liabilities

*(Amount in ₹ Crore)*

| Particulars | Current Year | | Previous Year | |
|---|---|---|---|---|
| | Salary arrears | Legal cases/ Contingencies | Salary arrears | Legal cases/ Contingencies |
| **Opening Balance** | **150.00** | **119.65** | **459.63** | **85.58** |
| Addition / Provided during the year | 0.00 | 54.65 | 2,041.72 | 43.30 |
| Amounts used/ Reversed during the year | 0.00 | 28.60 | 2,351.35 | 9.23 |
| **Closing Balance** | **150.00** | **145.70** | **150.00** | **119.65** |
| Timing of outflow/ uncertainties | On actual Payment | Outflow on settlement / crystallization | On actual Payment | Outflow on settlement / crystallization |

#### ii Break-up of "Provisions and Contingencies" shown under the head Expenditure in Profit and Loss Account is as follows:

*(Amount in ₹ Crore)*

| | Provision debited to Profit & Loss Account | As at 31.03.2025 | As at 31.03.2024 |
|---|---|---|---|
| i. | Provisions for NPI / Impairment | (11.65) | (1,407.33) |
| ii. | Provision towards NPA | 1,754.85 | 12,171.97 |
| iii. | Floating Provisions for NPAs | 750.00 | 150.00 |
| iv. | Provision made towards Income Tax | 8,612.91 | 5,002.80 |
| v. | Provision towards Standard Assets | (208.40) | 6.33 |
| vi. | Other Provisions and Contingencies (with details) | 15.21 | 798.19 |
| **TOTAL** | | **10,912.92** | **16,721.96** |

### 4.13 आकस्मिक देयताओं पर अनुसूची–12 का संदर्भ लें

ऐसी देयताएं क्रमशः न्यायालय/मध्यस्थता/अदालत के बाहर निपटान के परिणाम, अपीलों के निपटान और मांगी गई राशि, संविदात्मक दायित्वों की शर्तों, हस्तांतरण और संबंधित पक्षों द्वारा मांग बढ़ाने पर निर्भर होती हैं।

### 4.14 फ्लोटिंग प्रावधानों का विवरण इस प्रकार है:

*(राशि ₹ करोड़ में)*

| विवरण | 31.03.2025 समाप्त वित्तीय वर्ष | 31.03.2024 समाप्त वित्तीय वर्ष |
|---|---|---|
| प्रारंभिक शेष | 150.00 | 0.00 |
| वर्ष के दौरान किए गए फ्लोटिंग प्रावधानों की मात्रा | 600.00 | 150.00 |
| वर्ष के दौरान निकाली गई निकासी का उद्देश्य और राशि | 0.00 | 0.00 |
| जमा शेष | 750.00 | 150.00 |

### 4.15 प्रकटीकरण: आराम पत्र (एलओसी)

#### क. आरआरबी के संबंध में

31.03.2025 तक, पीएनबी (एक प्रायोजक बैंक के रूप में) ने असम ग्रामीण विकास बैंक (एजीवीबी), मणिपुर ग्रामीण बैंक (एमआरबी) की ओर से माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड (मुद्रा लिमिटेड) के पक्ष में लेटर ऑफ कंफर्ट जारी किया है ताकि ये प्रायोजित आरआरबी मुद्रा ऋण के लिए सदस्य ऋण देने वाली संस्थाएं (एमएलआई) बन सकें। उपर्युक्त आरआरबी की वित्तीय स्थिति और हमारे द्वारा जारी लेटर ऑफ कंफ़र्ट के आधार पर, मुद्रा ने एजीवीबी और एमआरबी के लिए एक्सपोजर सीमा निर्धारित की और इन आरआरबी को क्रमशः ₹71.00 करोड़ और ₹1.92 करोड़ की एक्सपोजर सीमा तक एमएलआई के रूप में स्वीकार किया गया। इसके अलावा यह पुष्टि करने के लिए कि 31.03.2025 तक दोनों बैंकों एजीवीबी और एमआरबी ने मुद्रा से कोई पुनर्वित्त नहीं लिया है। हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक के लिए, हमने 26.09.2024 को मुद्रा को एलओसी जारी किया है। हालाँकि, मुद्रा द्वारा सीमा का निर्धारण प्रतीक्षित है। इसलिए, कोई वित्तीय प्रभाव नहीं है।

#### ख. समनुषगियां और अन्य सहयोगी कंपनियां के संबंध में:

बैंक ने यूनाइटेड किंगडम के विनियामक, प्रूडेंशियल रेगुलेशन अथॉरिटी (पीआरए) को एक लेटर ऑफ कंफ़र्ट जारी किया है, जिसमें यह प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है कि बैंक अपनी सहायक कंपनी, पंजाब नैशनल बैंक (इंटरनेशनल) लिमिटेड, यूके को वित्तीय सहायता प्रदान करेगा, ताकि वह अपनी वित्तीय प्रतिबद्धताओं को समय पर पूरा कर सके।

हमारे बोर्ड से हमारी सहायक कंपनी पीएनबीआईएल के संबंध में पीआरए के पक्ष में अनुमोदन प्राप्त करने के बाद उक्त लेटर ऑफ कंफ़र्ट को 18.02.2025 को नवीकृत किया गया है, जिसमें हमने अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। नवीकरण पीआरए और आरबीआई

### 4.13 Refer Schedule-12 on Contingent Liabilities

Such liabilities are dependent upon the outcome of Court/ arbitration/out of court settlement, disposal of appeals, and the amount being called up, terms of contractual obligations, devolvement and raising of demand by concerned parties, respectively.

### 4.14 Break-up of Floating Provisions is as follows:

*(Amount in ₹ Crore)*

| Particulars | FY Ending 31.03.2025 | FY Ending 31.03.2024 |
|---|---|---|
| Opening balance | 150.00 | 0.00 |
| Quantum of floating provisions made during the year | 600.00 | 150.00 |
| Purpose and amount of draw down made during the year | 0.00 | 0.00 |
| Closing balance | 750.00 | 150.00 |

### 4.15. Disclosure: Letter of Comfort (LoC)

#### a. Regarding RRBs

As on 31.03.2025, PNB (as a Sponsor Bank) has issued Letters of Comfort in favour of Micro Units Development & Refinance Agency Limited (MUDRA Ltd.) on behalf of Assam Gramin Vikash Bank (AGVB), Manipur Rural Bank (MRB) for enabling these Sponsored RRBs to become Member Lending Institutions (MLIs) for MUDRA Loans. On the basis of the financials of the above RRBs and Letter of Comfort issued by us, MUDRA worked out the exposure limits for AGVB and MRB and these RRBs were accepted as MLI up to the exposure limit under MUDRA for ₹71.00 Crore and ₹1.92 Crore respectively. Further to confirm that both the banks AGVB and MRB have not availed any refinance from MUDRA as on 31.03.2025. For Himachal Pradesh Gramin Bank, we have issued LOC to MUDRA on 26.09.2024. However, fixation of limit by MUDRA is awaited. Hence, there is no financial impact.

#### b. Regarding Subsidiaries and other Associates:

The Bank has issued a Letter of Comfort to Prudential Regulation Authority (PRA), the regulator in United Kingdom, committing that the bank shall provide financial support to its subsidiary, Punjab National Bank (International) Ltd., UK so that it meets its financial commitments as and when they fall due.

The said Letter of Comfort has been renewed on 18.02.2025 after seeking approval of our Board in favor of PRA w.r.t. our subsidiary PNBIL wherein we have reiterated our commitment. The renewal was done as per instruction of PRA and RBI. Further, Annual assessment of impact of

के निर्देशानुसार किया गया था। इसके अलावा, 28.02.2025 को आयोजित बोर्ड की बैठक में एलओसी के प्रभाव के वार्षिक मूल्यांकन को मंजूरी दी गई, जिसके अनुसार बैंक को वित्तीय दायित्व के किसी भी क्रिस्टलीकरण की उम्मीद नहीं है। इसलिए, वित्त वर्ष 2024–25 के लिए इस एलओसी के कारण कोई वित्तीय प्रभाव नहीं है।

उपरोक्त के अलावा, बैंक ने समूह इकाइयों (समनुषगियां और सहयोगी कंपनियां) को कोई भी लेटर ऑफ कंफ़र्ट जारी नहीं किया है।

**4.16. प्रकटीकरण: वचन पत्र**

बैंक ने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (आईएफएससीए) के विनियमन 3(3) के तहत पीएनबी आईबीयू गिफ्ट सिटी शाखा के लिए एक वचन पत्र प्रदान किया है कि:

बैंक समर्थन और सहायता (जब भी आवश्यक हो, तरलता सहित) प्रदान करेगा तथा बैंकिंग इकाई को अपने दायित्वों को पूरा करने में सक्षम बनाने के लिए उपयुक्त हो सकता है।

उपरोक्त के अलावा बैंक ने विदेशी शाखाओं के लिए कोई वचन पत्र जारी नहीं किया है तथा वचन पत्र के अंतर्गत कोई संचयी वित्तीय दायित्व नहीं है।

4.17 इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया और आरआरबी द्वारा जारी दिशानिर्देशों द्वारा समेकित वित्तीय परिणाम समेकित वित्तीय विवरण पर लेखा मानक 21, समेकित वित्तीय विवरणों में लेखा मानक 23 और संयुक्त उद्यमों में ब्याज की वित्तीय रिपोर्टिंग पर लेखामानक 27 के अनुसार तैयार किए गए हैं।

LOC was approved by the Board in its meeting held on 28.02.2025, as per which the Bank does not foresee any crystallization of financial obligation. Therefore, there is no financial impact on account of this LOC for FY 2024-25.

Apart from the above, the Bank has not issued any Letter of Comfort to Group Entities (subsidiaries and associates).

**4.16. Disclosure: Letter of Undertaking**

The Bank has provided a Letter of Undertaking for PNB IBU Gift City Branch under Regulation 3 (3) of International Financial Service Centre Authority (IFSCA) that:

Bank will provide support and assistance (including liquidity, whenever needed) and as may be appropriate to enable the banking unit to meet its obligations in the course of its obligation.

Apart from the above the Bank has not issued any Letter of Undertaking for overseas branches and there are no cumulative financial obligations under the Letter of Undertaking.

4.17 The Consolidated financial results are prepared in accordance with Accounting Standard 21 on “Consolidated Financial Statements”, Accounting Standard 23 on “Accounting for Investment in Associate’s in Consolidated Financial Statements” and Accounting Standard 27 on “Financial Reporting of Interest in Joint Ventures” issued by the Institute of Chartered Accountants of India and guidelines issued by RBI.

### 4.18. धोखाधड़ी वाले खाते

| विवरण | चालू वर्ष (वित्त वर्ष 2024–25) | | | | पिछला वर्ष (वित्त वर्ष 2023–24) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | उधार धोखाधड़ी | गैर उधार धोखाधड़ी | डिजिटल धोखाधड़ी | कुल | उधार धोखाधड़ी | गैर उधार धोखाधड़ी | डिजिटल धोखाधड़ी | कुल |
| रिपोर्ट की गई धोखाधड़ी की संख्या | 84 | 90 | 2,746 | **2,920** | 52 | 79 | 6981 | **7,112** |
| धोखाधड़ी में शामिल राशि (₹ करोड़ में) | 4,358.05^ | 51.61 | 6.34 | **4,416.00** | 1,752.91 | 31.25 | 19.43 | **1,803.59** |
| ऐसी धोखाधड़ी के लिए प्रावधान की गई राशि (करोड़ रुपए में) | 2,326.03$ | 49.16* | 0.00 | **2,375.19** | 1,425.70 | 16.97 | 0.00 | **1,442.67** |
| वर्ष के अंत तक 'अन्य रिजर्व' से डेबिट की गई अ–परिशोधित प्रावधान राशि (₹ करोड़ में) | - | - | - | **-** | - | - | - | **-** |

^*धोखाधड़ी के समय भारतीय रिजर्व बैंक को धोखाधड़ी के रूप में रिपोर्ट की गई राशि।*

*$31.03.2025 तक बकाया वर्तमान पर 100% प्रावधान।*

**टिप्पणी –**

1. 84 उधार धोखाधड़ी मामलों में ₹3,444.54 करोड़ की राशि के 23 मामले शामिल हैं, जिन्हें माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के आलोक में धोखाधड़ी को निष्क्रिय करने के बाद फिर से आरबीआई को सूचित किया गया है।
2. *आरबीआई को सूचित किए गए डिजिटल धोखाधड़ी के मामलों के लिए प्रावधान नहीं किया गया है, जहां बैंकों की कोई जिम्मेदारी नहीं होती है।

5.1 पिछली अवधि के आंकड़ों को वर्तमान अवधि के वर्गीकरण के अनुरूप बनाने के लिए जहां भी आवश्यक हो, पुनः समूहीकृत/पुनर्व्यवस्थित/पुनर्वर्गीकृत किया गया है।

### 4.18 Fraud accounts

| Particulars | Current Year (FY 2024-25) | | | | Previous Year (FY 2023-24) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Borrowal Fraud | Non Borrowal Fraud | Digital Fraud | Total | Borrowal Fraud | Non Borrowal Fraud | Digital Fraud | Total |
| Number of frauds reported | 84 | 90 | 2,746 | **2,920** | 52 | 79 | 6981 | **7,112** |
| Amount involved in fraud (₹ in Crore) | 4,358.05^ | 51.61 | 6.34 | **4,416.00** | 1,752.91 | 31.25 | 19.43 | **1,803.59** |
| Amount of provision made for such frauds (₹ in Crore) | 2,326.03$ | 49.16* | 0.00 | **2,375.19** | 1,425.70 | 16.97 | 0.00 | **1,442.67** |
| Amount of Un-amortised provision debited from 'other reserves' as at the end of the year. (₹ in Crore) | - | - | - | **-** | - | - | - | **-** |

*^Amount reported to Reserve Bank of India as fraud at the time of fraud.*

*$ 100% provision held on present outstanding as on 31.03.2025.*

Note –

1. 84 borrowal fraud cases include 23 cases of amount ₹3,444.54 Crore, which have been reported to RBI again after deactivation of fraud in light of judgement by Hon'ble Supreme Court.

2. *Provision is not made for Digital fraud cases reported to RBI, where banks have no liability.

5.1 Figures of the previous period have been regrouped / rearranged / reclassified wherever necessary to conform to current period's classification.

## 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित नकदी प्रवाह का विवरण
## STATEMENT OF CONSOLIDATED CASH FLOW FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2025

(राशि करोड़ में) (Rs. in Crore)

| | विवरण<br>Particulars | | 31.03.2025 को समाप्त वर्ष<br>Year ended 31.03.2025 | 31.03.2024 को समाप्त वर्ष<br>Year ended 31.03.2024 |
|---|---|---|---|---|
| क.<br>**A.** | **परिचालन कार्यकलापों से नकदी प्रवाह**<br>**Cash Flow from Operating Activities** | | | |
| | कर के पश्चात निवल लाभ/(हानि)<br>Net Profit/(Loss) after Tax | | 18,480.29 | 9,107.20 |
| | कर के लिए प्रावधान<br>Provision for Tax | | 8,612.91 | 5,002.80 |
| **(I)** | **कर से पूर्व निवल लाभ**<br>**Net Profit before tax** | (i) | **27,093.20** | **14,110.00** |
| **(II)** | **निम्नलिखित के लिए समायोजन:**<br>**Adjustments for:** | | | |
| | अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास<br>Depreciation on fixed assets | | 957.51 | 905.60 |
| | निवेश [निवल] पर मूल्यह्रास/(रिलीज़)<br>Depreciation/(Release) on Investments [net] | | (1,566.60) | (742.12) |
| | अनार्जक आस्तियों के लिए प्रावधान<br>Provisions for non performing assets | | 1,754.85 | 12,321.98 |
| | मानक आस्तियों पर प्रावधान<br>Provision on Standard Assets | | (287.18) | 91.85 |
| | अन्य प्रावधान (निवल)<br>Other Provision (net) | | 93.03 | 712.67 |
| | एसोसिएट्स में उपार्जन का शेयर<br>Shares of earning in Associates | | (1,108.61) | (803.22) |
| | अचल आस्तियों (निवल) की बिक्री से लाभ/हानि<br>Profit / Loss on sale of Fixed Assets (net) | | (4.07) | (6.66) |
| | एएफएस में रखे गए इक्विटी निवेश की बिक्री से लाभ<br>Profit on sale of equity investments held in AFS | | 0.46 | - |
| | बांड पर प्रदत्त ब्याज<br>Interest paid on Bonds | | 3,116.33 | 2,970.10 |
| | **उप जोड़**<br>**Sub Total** | (ii) | **2,955.70** | **15,450.20** |
| **(III)** | **निम्नलिखित के लिए समायोजन:**<br>**Adjustment for:** | | | |
| | निवेश में ह्रास/(वृद्धि)<br>Decrease/(Increase) in Investments | | (73,272.05) | (27,599.32) |
| | अग्रिम में ह्रास/(वृद्धि)<br>Decrease/(Increase) in Advances | | (1,46,653.63) | (1,16,625.46) |
| | अन्य आस्तियों में ह्रास/(वृद्धि)<br>Decrease/(Increase) in Other Assets | | (19,346.67) | 62.90 |

| | विवरण<br>Particulars | | 31.03.2025 को समाप्त वर्ष<br>Year ended 31.03.2025 | 31.03.2024 को समाप्त वर्ष<br>Year ended 31.03.2024 |
|---|---|---|---|---|
| | जमा राशियों में वृद्धि/(ह्रास)<br>Increase/(Decrease) in Deposits | | 1,97,794.65 | 88,878.16 |
| | उधार में वृद्धि/(ह्रास)<br>Increase/(Decrease) in Borrowings | | 34,646.44 | (4,665.00) |
| | अन्य देयताओं व प्रावधानों में वृद्धि/(ह्रास)<br>Increase/(Decrease) in Other Liabilities & Provisions | | 3,974.17 | 4,323.79 |
| | **उप जोड़<br>Sub Total** | **(iii)** | **(2,857.09)** | **(55,624.93)** |
| | **परिचालनों से निर्मित नकदी<br>Cash generated from Operations** | **(i+ii+iii)** | **27,191.81** | **(26,064.73)** |
| | प्रदत्त प्रत्यक्ष कर (प्रतिदेय को घटाकर)<br>Direct Taxes paid (net off Refund) | | (5,116.53) | (1,874.71) |
| | **परिचालन कार्यकलापों से निवल नकदी<br>Net Cash from Operating Activities** | **(ए)<br>(A)** | **22,075.28** | **(27,939.44)** |
| **ख.<br>B.** | **निवेश कार्यकलापों से नकदी प्रवाह<br>Cash Flow from Investing Activities** | | | |
| | अचल आस्तियों की खरीद<br>Purchase of Fixed Assets | | (1,601.41) | (1,175.00) |
| | अचल आस्तियों की बिक्री<br>Sale of Fixed Assets | | 15.64 | 31.35 |
| | सहायक संस्थाओं/संयुक्त उद्यम/आरआरबी(यों) में निवेश (निवल)<br>Investment in Subsidiaries/JV/RRBs (net) | | 8.15 | (362.77) |
| | **निवेश कार्यकलापों में प्रयुक्त निवल नकदी<br>Net Cash used in Investing Activities** | **(बी)<br>(B)** | **(1,577.63)** | **(1,506.42)** |
| **ग.<br>C.** | **वित्तपोषण कार्यकलापों से नकदी प्रवाह<br>Cash flow from Financing Activities** | | | |
| | शेयर प्रीमियम सहित इक्विटी शेयरों के निर्गम से प्राप्त आय (निर्गम व्यय के बाद निवल)<br>Proceeds of Issuance of Equity Shares including Share Premium (net of issue exps.) | | 4,987.57 | - |
| | जारी/बांड जारी करना (निवल) का (मोचन)<br>Issue/(Redemption) of Bonds (net) | | (1,425.50) | 7,102.00 |
| | प्रदत्त लाभांश<br>Dividend paid | | (1,651.65) | (715.72) |
| | बांड पर प्रदत्त ब्याज<br>Interest paid on Bonds | | (3,116.33) | (2,970.11) |
| | अल्पांश ब्याज में वृद्धि/(ह्रास)<br>Increase/ (Decrease) in Minority Interest | | 67.65 | 101.40 |
| | **वित्त पोषण कार्यकलापों से निवल नकदी<br>Net Cash from Financing Activities** | **(सी)<br>(C)** | **(1,138.26)** | **3,517.57** |
| **घ.<br>D.** | **नकदी तथा नकदी तुल्यों से निवल परिवर्तन<br>Net Change in Cash and Cash Equivalents** | **(ए+बी+सी)<br>(A+B+C)** | **19,359.39** | **(25,928.29)** |
| | **अवधि के आरंभ में नकदी तथा नकदी तुल्य<br>Cash and Cash Equivalents at the beginning of the period** | | | |

| विवरण<br>Particulars | 31.03.2025 को समाप्त वर्ष<br>Year ended 31.03.2025 | 31.03.2024 को समाप्त वर्ष<br>Year ended 31.03.2024 |
|---|---|---|
| भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकदी और शेष<br>Cash and Balances with Reserve Bank of India | 65,325.13 | 78,213.52 |
| बैंकों के पास शेष और मांग व अल्प सूचना पर देय राशि<br>Balances with Banks & Money at Call & Short Notice | 66,075.06 | 79,114.96 |
| | **1,31,400.19** | **1,57,328.48** |
| **अवधि के समापन में नकदी तथा नकदी तुल्य**<br>**Cash and Cash Equivalents at the end of the period** | | |
| भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकदी और शेष<br>Cash and Balances with Reserve Bank of India | 64,389.22 | 65,325.13 |
| बैंकों के पास शेष और मांग व अल्प सूचना पर देय राशि<br>Balances with Banks & Money at Call & Short Notice | 86,370.36 | 66,075.06 |
| | **1,50,759.58** | **1,31,400.19** |

**टिप्पणियाँ :–**
**Notes :-**

1 नकदी प्रवाह विवरण अप्रत्यक्ष विधि के तहत तैयार किया गया है और जहां भी आवश्यक समझा गया, आंकड़ों को पुनः समूहीकृत किया गया है।
Cash flow statement has been prepared under the Indirect Method and figures have been regrouped wherever considered necessary.

2 प्रत्यक्ष करों का भुगतान (प्रतिदेय को घटाकर) को परिचालन कार्यकलापों से निर्मित माना जाता है तथा उन्हें निवेश और वित्तपोषण गतिविधियों के बीच विभाजित नहीं किया जाता है।
Direct taxes paid (net off refund) are treated as arising from operating activities and are not bifurcated between investing and financing activities.

3 वर्तमान अवधि के वर्गीकरण के अनुरूप, जहां भी आवश्यक समझा गया, पिछली अवधि के आंकड़ों को पुनः समूहीकृत किया गया है।
Figures of previous period have been regrouped wherever considered necessary to conform current period classification.

4 नकदी और नकदी तुल्य में हाथ में नकदी, आरबीआई और अन्य बैंकों के पास शेष राशि और कॉल और अल्प सूचना पर देय राशि शामिल है
Cash and Cash equivalents includes Cash on hand, Balance with RBI & Other Banks and Money at Call and Short Notice

**प्रबुद्ध शर्मा**
**Prabudh Sharma**
**सहायक महाप्रबंधक**
**Asstt. General Manager**

**आर के खीची**
**R K Khichi**
**उप महाप्रबंधक**
**Deputy General Manager**

**प्रवीण कुमार शर्मा**
**Praveen Kumar Sharma**
**महाप्रबंधक**
**General Manager**

**महेश धवन**
**Mahesh Dhawan**
**महाप्रबंधक**
**General Manager**

**डी के जैन**
**D K Jain**
**मुख्य महाप्रबंधक एवं सीएफओ**
**Chief General Manager & CFO**

**डी. सुरेंद्रन**
**D. Surendran**
**कार्यपालक निदेशक**
**Executive Director**

**एम परमशिवम**
**M Paramasivam**
**कार्यपालक निदेशक**
**Executive Director**

**कल्याण कुमार**
**Kalyan Kumar**
**कार्यपालक निदेशक**
**Executive Director**

अशोक चंद्र
**Ashok Chandra**
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक निदेशक
**Managing Director & CEO**

के जी अनंतकृष्णन
**K G Ananthakrishnan**
अध्यक्ष
**Chairman**

अम्बरीश ओझा
**Ambarish Ojha**
निदेशक
**Director**

जतिंदर सिंह बजाज
**Jatinder Singh Bajaj**
निदेशक
**Director**

पंकज शर्मा
**Pankaj Sharma**
निदेशक
**Director**

कृते उमेद जैन एंड कंपनी
**For Ummed Jain & Co.**
सनदी लेखाकार
**Chartered Accountants**
एफआरएन/**FRN: 119250W**

सनदी लेखाकार यूएम जैन
**CA U.M. Jain**
भागीदार
**Partner**
(सदस्य सं./**M.No. 070863)**

कृते एन.के. भार्गव एंड कंपनी
**For N K Bhargava & Co.**
सनदी लेखाकार
**Chartered Accountants**
एफआरएन/**FRN: 000429N**

सनदी लेखाकार एन के भार्गव
**CA N K Bhargava**
भागीदार
**Partner**
(सदस्य सं./**M.No.080624)**

कृते पी एस डी एंड एसोसिएट्स
**For P S D & Associates**
सनदी लेखाकार
**Chartered Accountants**
एफआरएन/**FRN: 004501C**

सनदी लेखाकार अभिनव शर्मा
**CA Abhinav Sharma**
भागीदार
**Partner**
(सदस्य सं./**M.No. 411219)**

कृते प्रेम गुप्ता एंड कंपनी
**For Prem Gupta & Co.**
सनदी लेखाकार
**Chartered Accountants**
एफआरएन/**FRN: 000425N**

सनदी लेखाकार प्रेम बिहारी गुप्ता
**CA Prem Behari Gupta**
भागीदार
**Partner**
(सदस्य सं./**M.No.080245)**

कृते पी ए एंड एसोसिएट्स
**For P A & Associates**
सनदी लेखाकार
**Chartered Accountants**
एफआरएन/**FRN: 313085E**

सनदी लेखाकार पीएस पांडा
**CA P. S. Panda**
भागीदार
**Partner**
(सदस्य सं./**M.No. 051092)**

स्थानः नई दिल्ली
**Place: New Delhi**
दिनांकः 7 मई, 2025
**Date: May 07, 2025**

BLANK PAGE

पीएनबी होम लोन एक्सपो के शानदार आगाज पर भुवनेश्वर में कार्यक्रम के उद्घाटन के अवसर पर श्री अशोक चंद्र, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, श्री राजेश कुमार, अंचल प्रबंधक, भुवनेश्वर और श्री लक्ष्मीकांत मिश्रा, मंडल प्रमुख, भुवनेश्वर।

**PNB Home Loan Expo kicked off with a great start with MD & CEO Sh. Ashok Chandra, along with Sh. Rajesh Kumar, Zonal Manager, Bhubaneswar and Sh. Laxmikanta Mishra, Circle Head, Bhubaneswar, inaugurating the event in Bhubaneswar.**

श्री अशोक चंद्र, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने गुवाहाटी में श्री चित्तरंजन प्रुष्टी, अंचल प्रबंधक और श्री उपेंद्र कुमार, मंडल प्रमुख, गुवाहाटी की गरिमामय उपस्थिति में गुवाहाटी में राष्ट्रव्यापी पीएनबी एमएसएमई आउटरीच कार्यक्रम का शुभारंभ किया।

**MD & CEO Sh. Ashok Chandra launched the nationwide PNB MSME Outreach Program in Guwahati, in presence of Sh. Chittaranjan Prusty, Zonal Manager of Guwahati and Sh. Upendra Kumar, Circle Head of Guwahati.**

28–29 अप्रैल, 2025 को नई दिल्ली में आयोजित अंचल प्रबंधकों और मंडल प्रमुखों के व्यवसाय सम्मेलन के दौरान श्री अशोक चंद्र, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, श्री कल्याण कुमार, कार्यपालक निदेशक, श्री एम. परमशिवम, कार्यपालक निदेशक, श्री बिभु प्रसाद महापात्र, कार्यपालक निदेशक, श्री डी. सुरेंद्रन, कार्यपालक निदेशक और श्री राघवेंद्र कुमार, मुख्य सतर्कता अधिकारी।

**Shri Ashok Chandra, MD & CEO, Shri Kalyan Kumar, ED, Shri M. Paramasivam, ED, Shri Bibhu Prasad Mahapatra, ED, Shri D. Surendran, ED and Shri Raghvendra Kumar, CVO during Zonal Managers' and Circle Heads' Business Conference held on 28th-29th April, 2025 in New Delhi.**

श्री एम. नागराजू, आईएएस, सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग (भारत सरकार) ईज 6.0 रिफॉर्म्स में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले बैंकों में पीएनबी को द्वितीय स्थान प्राप्त करने के लिए श्री अशोक चंद्र, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी को पुरस्कार प्रदान करते हुए। इस अवसर पर पूर्व प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, श्री अतुल कुमार गोयल, कार्यपालक निदेशक, श्री कल्याण कुमार और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की गरिमामयी उपस्थिति रही।

**Shri M. Nagaraju, IAS, Secretary, Department of Financial Services(GOI) presenting the award to MD & CEO, Shri Ashok Chandra for PNB securing the 2nd spot under the Top Performing Banks in the EASE 6.0 reforms in the august presence of former MD & CEO, Shri Atul Kumar Goel, ED, Shri Kalyan Kumar and other senior officials.**

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 2025 के अवसर पर मुख्य अतिथि सुश्री सुनीता गोदारा के साथ पीएनबी प्रेरणा अध्यक्षा सुश्री रजनीगंधा, सुश्री सुमति, सुश्री अनिता महापात्र और सुश्री यामिनी कुमार तथा पीएनबी प्रेरणा की सभी सदस्याएं।

**PNB Prerna President, Ms. Rajnigandha, Ms. Sumathi, Ms. Anita Mahapatra and Ms. Yamini Kumar alongwith all PNB prerna members with Chief Guest, Ms. Sunita Godara on the occasion of International Women's Day, 2025.**

वाराणसी में आयोजित प्रतिष्ठित अखिल भारतीय पद्मश्री मोहम्मद शाहिद पुरुष हॉकी टूर्नामेंट 2024–25 में चैंपियनशिप का खिताब जीतने पर प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, श्री अशोक चंद्र और कार्यपालक निदेशक, श्री बिभु प्रसाद महापात्र पीएनबी हॉकी टीम का अभिवादन करते हुए।

**Shri Ashok Chandra, MD & CEO and Shri Bibhu Prasad Mahapatra, ED greeted PNB HockeyTeam on clinching the championship title at the prestigious All India Padmashree Mohd. Shahid Men's Hockey Tournament 2024-25, held in Varanasi.**

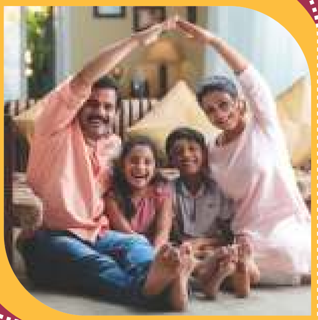

Home Loan

Car Loan

Gold Loan

Biz ONE

One App for Business Banking

Pre approved business loan

PMSVAnidhi

pnb

Head Office: Plot No. 4, Sector 10,Dwarka, New Delhi - 110075

प्रधान कार्यालय: प्लाट नंबर 4, सेक्टर 10,द्वारका, नई दिल्ली-110075

पंजाब नैशनल बैंक

...भरोसे का प्रतीक !

punjab national bank

...the name you can BANK upon !